Vol: II

1709

Punjab Vidhan Sabha Debates

17th October, 1960

Vol. II.—No. 1

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Monday, the 17th October, 1960

P.T.O.

Price: Rs. 4.00 nP.

ERRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES, VOL. II, NO. 1, DATED THE 17TH OCTOBER, 1960

Read	*for*	*on page*	*line*
ਕੋਈ	ਕੇਈ	(1)5	5th from below
थी	की	(1)12	13
क्या	ख्या	(1)13	24
Minister	Ministe9	(1)28	First
but	to but	(1)28	21
जाएगी	जाऐगो	(1)32	5th from below
[Mr. Speaker]	..	(1)36	First
given	give	(1)38	16
Insert full stop instead of comma before the word From		(1)47	8
14	.	(1)50	Last
Debtors	Debotors	(1)53	20
Shri D. D. Puri	Shri D. Puri	(1)66	First
National	N tional	(1)73	11
नमूना	नमना	(1)73	23
ਹਾਊਸ	ਹਾਉਸ	(1)84	27

PUNJAB VIDHAN SABHA

Monday, the 17th October, 1960.

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, *Chandigarh, at* 2.00 *p.m. of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.*

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

AGE-LIMIT FOR P.C.S. EXAMINATION

***5807. Shri Rala Ram :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the age-limit for the P.C.S. Examination has been reduced from 27 years to 25 years ; if so, the reasons therefor ;

(b) whether Government have received any representations against the said change ; if so, the action, if any, taken thereon ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) The maximum age-limit for the P.C.S. (Executive Branch) Competitive Examination as laid down in the Rules is 25 years. For some years, as a result of partition, Government have been relaxing the maximum age-limit by two years for all posts under the Punjab Government including the P.C.S. (Executive Branch) from year to year. If the present concession is not extended beyond 31st December, 1960, the age-limit for the P.C.S. (Executive Branch) Examination will thereafter be 25 years.

(b) No representation has been received by Government.

ALLOTMENT OF QUARTERS TO GOVERNMENT SERVANTS AT CHANDIGARH

***5832. Chaudhri Dasondha Singh :** Will the Minister for Public Works be pleased to state the total number of quarters allotted to Government servants at Chandigarh during the years 1958, 1959 and 1960 (upto date) category-wise ?

Sardar Partap Singh Kairon : A statement giving the desired information is laid on the Table of the House.

[Chief Minister]

List showing total number of quarters allotted to Government servants at Chandigarh during the years 1958, 1959 and 1960, category-wise

Category		Year 1958	Year 1959	Year 1960
III	..	1	4	1
IV	..	10	5	6
V	..	12	12	7
VI	..	43	33	23
VII	..	38	26	12
VIII	..	51	37	23
IX	..	158 (full houses) 36 (half houses)	62 (full houses) 124 (half houses)	8 (full houses) 103 (half houses)
X	..	178	375	84
XI	..	351	909	345
XII	..	502	1,366	767
XIII-D	..	496	388	93
XIII-J	..	440	518	..

ALLOTMENT OF HOUSES TO GOVERNMENT SERVANTS AT CHANDIGARH

*5833, **Chaudhri Dasondha Singh:** Will the Chief Minister, Punjab be pleased to state—

(a) the total number of applications received by the Secretary, House Allotment Committee (Lower), Chandigarh, from Government servants for allotment of houses of upgraded category at Chandigarh during each of the years 1958, 1959 and 1960 (up to date) with the details thereof ;

(b) the details of the applicants referred to in part (a) above at present on the waiting lists for purposes of allotment of upgraded category houses ;

(c) the number of Government servants on the waiting lists pertaining to 1958, 1959 and 1960 who were allotted houses in Chandigarh category-wise ; and the number of Government servants still on such waiting lists ;

(d) whether there is any proposal under the consideration of Government to allot 10 and 12 type houses to those employees who have applied for upgraded category houses and are waiting since long ; if so, when ; if not, the reasons therefor ?

Sardar Partap Singh Kairon : A statement giving the desired information is laid on the table of the House.

Statement showing the allotment of houses to Government servants at Chandigarh

(a) The total number of applications for upgrading received by the Secretary, House Allotment Committee (L-) are as under :—

Year 1958	..	563
Year 1959	..	261
Year 1960	..	101

The category-wise and year-wise details of this total number of applications is as under—

Year 1958

Total applications—

Category		*Received*
X	..	107
XI	..	176
XII	..	280

Year 1959

X	..	122
XI	..	60
XII	..	79

Year 1960

X	..	34
XI	..	46
XII	..	21

(b) The total number of applicants referred to in part (a) above on the waiting lists for purposes of upgrading are as under:—

Year 1958	..	372
Year 1959	..	261
Year 1960	..	101

The category-wise and year-wise details of these officials are as under:—

Category		*Year* 1958	*Year* 1959	*Year* 1960
X	..	107	122	34
XI	..	176	60	46
XII	..	89	79	21

[Chief Minister]

(c) The number of Government servants on the waiting lists pertaining to years 1958, 1959 and 1960 who were allotted houses at Chandigarh category-wise, and the number of Government servants still on the waiting list are as under :—

Category	1958		1959		1960	
	Number of Government servants allotted houses	Number of Government servants still on waiting list	Number of Government servants allotted houses	Number of Government servants still on waiting list	Number of Government servants allotted houses	Number of Government servants still on waiting list
III ..	1	..	4	..	1	..
IV ..	10	..	5	..	6	1
V ..	12	..	12	..	7	..
VI ..	43	..	33	..	23	18
VII ..	38	..	26	16	12	23
VIII ..	51	..	37	18	23	45
IX ..	194	..	186	..	111	6
X ..	178	..	373	..	84	54
XI ..	354	..	909	..	345	103
XII ..	502	..	1,366	..	436	391
XIII ..	936	..	727	179	93	490

(d) There is no such proposal. As no house surplus to the needs of officials entitled to category X and XII but without accommodation, are available or likely to become available, no upgrading is expected to be made.

QUARTERS AT THE DISPOSAL OF SECRETARY, HOUSE ALLOTMENT COMMITTEE

***5834, Chaudhri Dasondha Singh :** Will the Chief Minister, Punjab, be pleased to state—

(a) the total number of houses category-wise in Chandigarh which are at the disposal of the Secretary, House Allotment Committee (Lower), at present ;

(b) whether any additional 10 and 12 type houses are expected to be placed at the disposal of Secretary, House Allotment Committee (Lower up to the end of this year, if so, their number ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) —

Type		*Total Number*
X	..	622
XI	..	1,392
XII	..	2,634
XIII	..	1,390

(b) Yes. 8 No. XII type house.

*QUESTION NO. 5936

Mr. Speaker : Question No. 5936 is postponed.

श्री राम प्यारा : स्पीकर साहिब, यह छोटा सा सवाल है गवर्नमेंट इस का जवाब जान बूझ कर delay कर रही है।

Chief Minister : I strongly protest against these remarks. Whatever information I get from the office I supply to the House.

Shri Ram Piara : Sir, I stick to my observation. What I have stated is a fact.

DECLARING FARMERS POSSESSING LESS THAN 5 ACRES AS BACKWARD CLASSES

*5988. **Sardar Kartar Singh Diwana :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to declare farmers possessing less than five acres of land, as members of the backward classes ?

Sardar Partap Singh Kairon : Government have under consideration a proposal to declare all persons with family income of less than rupees One thousand a year, as members of backward classes. This criterion, if adopted, is likely to cover the farmers possessing less than five acres of land.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਖੁਦ backward classes declare ਕਰਨ ਲਈ competent ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ classes ਦੇ basis ਉਪਰ ਜਾਂ castes ਦੇ basis ਉਪਰ backwardness declare ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦਸੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ general rule ਬਣਾ ਦੇਈਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇ । ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਅਸਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ competent ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ lead ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

Mr. Speaker : This is not a supplementary question.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि Government of India ने या पंजाब गवर्नमेंट ने अब तक backward classes की कोई definition की हुई है ? अगर की हुई है तो वह क्या है ?

मुख्य मंत्री : जो economic तौर पर, तालीमी तौर पर और खास कर सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए हैं उन को हम backward classes में शुमार करते हैं और करते रहे हैं लेकिन मरकज़ी सरकार की यह ख्वाहिश है कि इस बारे में कोई uniform principle बनाया जाए। तो इस सिलसिले में हम ने यह मामला मरकज़ी सरकार को भेजा हुआ है। यह ठीक है कि पंजाब सरकार भी ऐसा कर सकती है, लेकिन बाद में कोई constitutional difficulty पैदा न हो जाए इस के पेशेनज़र हम ने उन को refer किया है।

पंडित श्री राम शर्मा : मेरा सवाल यह था कि backward class करार देने के लिए कोई बाकायदा definition मरकज़ी सरकार ने और पंजाब सरकार ने की हुई है तो वह क्या है और क्या backward classes caste की बिना पर ही declare की हुई हैं ?

मुख्य मंत्री : तकरीबन तकरीबन caste की बिना पर ही की हुई हैं।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या कोई ऐसी मिसाल है कि caste के अलावा भी ऐसा किया गया हो ?

मुख्य मंत्री : बेहतर यह होगा कि मैं आप को सारी backward classes की list दे दूं और फिर आप को सारा पता लग जाएगा।

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ : ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ backward classes ਖੁਦ declare ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ?

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। (This has already been replied to.)

श्री बलराम दास टंडन : क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि इस बारे में कब तक आखरी फैसला हो जाने की तवक्कुह है ?

मुख्य मंत्री : यह तो मरकज़ी सरकार की मर्ज़ी पर है, कल कर दें, दो साल को कर दें या दस साल को कर दें।

REGISTERED LETTER WRONGLY RECEIVED BY AN OFFICER OF GOVERNMENT

*6042. { (1) Shri Ram Chandra Comrade: (2) Shri Balram Dass Tandon : } Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that an officer of the Chief Minister's Office, received a registered complaint, addressed to the Chairman, Non-official Vigilance Committee, Punjab ; if so, the name and rank of the said officer, togetherwith the reasons for which he received the complaint and the action, if any, taken against him ?

Sardar Partap Singh Kairon : Yes. The registered letter in question was delivered in my office by mistake by the postman and was sent to the Chairman, Non-official Vigilance Committee, as soon as it was discovered that the letter was not meant for me. This letter alongwith a dozen other registered letters was received by Shri Gurnam Singh Daftri of my office in the normal course. Since no *mala fide* intention on his part was involved, there is no question of taking any action against him.

श्री बलराम दास टंडन : क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो चिट्ठी आई थी उस के अन्दर उन के बारे में भी कुछ शिकायतें थीं ?

मुख्य मंत्री : नहीं, बिल्कुल नहीं।

चौधरी धर्म सिंह राठी : यह चिट्ठी मिलने के बाद Chairman, Non-official Vigilance Committee को कितने दिन बाद भेजी गई ?

मुख्य मंत्री : एक महीना सात दिन बाद ।

श्री लाल चन्द : क्या इस चिट्ठी को खोला गया था ?

मुख्य मंत्री : हां खोला गया था जैसा कि दफतरों में आम routine में चिट्ठियां खोली जाती हैं और put up की जाती हैं । यह चिट्ठी routine के तौर पर आई, routine के तौर पर खोली गई और routine के तौर पर Industries Minister को चली गई ।

श्री राम प्यारा : चीफ मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि उस चिट्ठी में उन के खिलाफ कुछ नहीं था। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने सारी चिट्ठी को पढ़ा ?

मुख्य मंत्री : पहिले तो नहीं पढ़ा लेकिन जब बहुत शोर उठा और लोक सभा में जिक्र आया तो उस वक्त मैं ने उसे देखा तो उस में कोई ऐसी बात नज़र न आई।

श्री राम प्यारा : यह चिट्ठी Chairman, Non-official Vigilance Committee को भेजने से पहिले क्या इसे किसी मिनिस्टर या पुलिस को भी भेजा गया ?

मुख्य मंत्री : मैं ने अभी बता दिया है कि Industries Minister को भेजी थी ।

श्री राम प्यारा : चीफ मिनिस्टर साहिब ने बताया है कि इन्होंने वह चिट्ठी chairman, Non-official Vigilance Committee के पास भेज दी थी। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या उस चिट्ठी को उन के पास भेजने से पहले उन्होंने किसी और से भी examine करवाया था ?

श्री बलराम दास टंडन : क्या मुख्य मन्त्री जी बतलायेंगे कि जब उस चिट्ठी पर चेयरमैन, Non-official Vigilance Committee का address लिखा हुआ था तो wrong delivery के बाद जब address को पढ़ा गया तो उसी वक्त उसे उन के पास क्यों नहीं भेज दिया गया ?

मुख्य मंत्री : सभी चिट्ठियां दफ्तरी खोलता है। उसने उन में, इस को भी खोल कर, जैसे कि दूसरी चिट्ठियां भेजता है, दफतर में भेज दिया।

श्री राम प्यारा : चीफ मिनिस्टर साहिब ने अभी अभी बताया कि गुरनाम सिंह दफ्तरी ने वह रजिस्टर्ड खत वसूल किया। क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि जो acknowledgement due card पर दस्तखत हैं और जो Post Office की रसीद पर दस्तखत हैं; वे दोनों उस गुरनाम सिंह के ही हैं या अलग अलग आदमियों के हैं ?

मुख्य मंत्री : इतनी details के लिए तो पता कर के ही बताया जा सकता है। बहर हाल, जो इत्तलाह मेरे पास है वह मैंने बता दी है। (*interruptions*)

श्री अध्यक्ष : मुझे समझ नहीं आती कि आप को इस से क्या फायदा मिलेगा (I fail to understand what benefit will the hon. Member derive from all this.)

श्री राम प्यारा : कम से कम इस से गवर्नमेंट की *mala fide* intention तो साबत होती है।

Chief Minister : Shut up (*Interruptions*)

चौधरी धर्म सिंह राठी : On a point of order, Sir. जनाब अभी २ चीफ मिनिस्टर साहब ने श्री राम प्यारा को कहा है shut up यह unparliamentary है (*Interruptions*) जनाब, इन्होंने 'Shut up' कहा है। आप record देख लें या यह इनकार कर दें कि नहीं कहा। (*Interruptions*)

श्री अध्यक्ष : Order please, मैंने नहीं सुना कि उन्होंने क्या कहा था (order please, (I did not hear what he had said.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : जनाब इन्होंने 'Shut up' कहा। आप इन से ही पूछ लें। (*Interruptions*)

मुख्य मंत्री : इन को इतनी भी sense नहीं कि *mala fide* का लफ्ज़ कहां इस्तेमाल करना है। इन्होंने government को *mala-fide* कहा और वाकई मैंने कहा ' Shut up ' (*Interruptions*)

चौधरी धर्म सिंह राठी : तो जनाब, मेरा point of order यही है कि क्या 'Shut up' का लफ्ज़ parliamentary है ?

श्री अध्यक्ष : Ordinarily, जब मैं किसी आनरेबल मेम्बर को address कर रहा होता हूं तो बीच में आप जो *interruptions* करते हैं, मैं उन का notice नहीं लेता। इस लिए इसी तरह मैं ने न आप की बात का notice लिया न उन की बात का (Ordinarily I do not take notice of any interruption which is made by the hon. Members while I am addressing a particular Member. So I took no notice what had been said by him or the Chief Minister.)

श्री राम प्यारा : जनाब, इन्होंने खुद मान लिया है कि 'Shut up' कहा है।

श्री बलराम दास टंडन : स्पीकर साहब, जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि *interruptions* नहीं होनी चाहिएं, वह तो ठीक है। यह बात तो समझ में आ सकती है कि *interruptions* नहीं करनी चाहिएं। लेकिन जो unparliamentary लफ़्ज़ मुख्य मंत्री जी ने इस्तेमाल किये हैं वह तो उन्हें वापस लेने चाहिएं। (*Interruptions*)

श्री अध्यक्ष : Order please आप क्यों इस तरह से interrupt कर रहे हैं (Order please. Why are the hon. Members interrupting like this ?)

चौधरी धर्म सिंह राठी : जनाब मैं अपने point of order पर खड़ा हूं। चीफ मिनिस्टर साहब से कहा जाय कि वह अपने अल्फाज़ वापस लें।

श्री अध्यक्ष : क्या कहा था, चीफ मनिस्टर साहब ने ? (What did the Chief Minister say ?)

चौधरी धर्म सिंह राठी : जब कामरेड राम प्यारा ने कहा था कि इस से गवर्नमेंट की *mala fide* intention साबत होती है तो इन्होंने कहा था, 'Shut up'.

श्री अध्यक्ष : (Addressing the Chief Minister) क्या आपने ऐसे शब्द कहे? (At this stage, the Chief Minister nodded his head in the affirmative.) अगर question की background में उन्होंने कह दिया था कि इससे गवर्नमेंट की *mala fide* intention साबत होती है; तो आप को उन्हें refute कर देना चाहिए था लेकिन 'Shut up' कहना ठीक नहीं था। (Did the Chief Minister use such words ? (The Chief Minister nodded his head in the affirmative.) If with the background of the question, the hon. Member had alleged that it proved the *mala fide* intentions of the Government then the Chief Minister should have simply refuted the allegation but it was not in good taste to have used the words 'Shut up'.)

मुख्य मंत्री : तो फिर जो लफ़्ज़ आप suggset कर दें वही कहे देता हूं। (*Interruptions*)

Mr. Speaker : Order please.

Chief Minister : All right. I withdraw those words and say that the hon. Members' intentions are *mala fide*.

श्री राम प्यारा: क्या चीफ मिनिस्टर साहब बतायेंगे कि Chairman, Non-official Vigilance Committee को चिट्ठी वापस करने से पहले उन्हें Chairman, Non-official Vigilance Committee के दफ्तर से कोई ऐसी चिट्ठी मिली थी कि कामरेड राम प्यारा वाला registred letter हमें वापस करो?

मुख्य मंत्री : नहीं जनाब ।

श्री मंगल सेन : स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री साहब ने बताया है कि जो पत्र इन्होंने पढ़ा उस में इन के खिलाफ कुछ नहीं था; तो क्या मैं इन से पूछ सकता हूं कि उस पत्र में क्या लिखा था ?

श्री अध्यक्ष : आप उस पत्र का उत्तर मांग लें। (The hon. member may please ask for a reply of that letter.)

डाक्टर परमा नन्द : चीफ मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि वह चिट्ठी Chairman Non-official Vigilance Committee को भेज दी गई; मैं Chief Minister साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या वह चिट्ठी ही भेजी गई या जिस लफाफे पर address लिखा हुआ था वह भी साथ भेज दिया गया है ?

PROVIDING SPECIAL CONSIDERATION TO CHILDREN OF POLITICAL SUFFERERS REGARDING ADMISSIONS ETC. IN RECOGNISED INSTITUTIONS

***6125. Shri Ram Chandra Comrade :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether Government have received any scheme from the Central Government for providing special consideration to the Children of Political Sufferers whose incomes do not exceed Rs 300 a month, in the matter of admissions and the grant of free ships and half freeships in the Government Medical Colleges in the State as also for providing free accommodation to them in the hostels ; if so, the details thereof ;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, whether Government have issued any orders to the authorities of the said Medical Colleges ; if so, when and the extent to which these have been implemented ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) Yes. The Government of India have recommended the following Concessions only :—

(i) Special consideration in the matter of admission and awards of freeships and half freeships in all recognised primary, Basic and Middle Schools and High Schools.
(ii) Free seats in hostels attached to recognised schools and Colleges.
(iii) Limited number of stipends and book grants to scholars from the Primary to Post-graduate level.

The Scheme is under consideration of the State Government and will take some time to settle. The details of the final scheme cannot, therefore, be supplied at this stage.

(b) In view of reply to "A" above the question of issuing any instructions at this stage does not arise.

श्री प्रबोध चंद्र : क्या Chief Minister साहब बतायेंगे कि यह proposal Government के पास कब पहुंची है, और इस पर final फैसले में कितनी देर लगेगी ?

मुख्य मंत्री : यह proposal कब पहुंची, इस का जवाब मेरे पास इस वक्त नहीं है; इसका notice चाहिए ।

Shri Prabodh Chandra : Sir, we can rightly ask when was this proposal received by the Government. यह कह कर कि मुझे notice चाहिए, he cannot get away.

श्री अध्यक्ष : आपने सवाल में यह तो पूछा नहीं कि यह scheme कब पहुंची । अब वह record देख कर ही बतायेंगे । (The hon. Member has never asked in the original question as to when the scheme was received. Now the hon. Chief Minister will reply to this after consulting the record.)

श्री प्रबोध चंद्र : वह यही बता दें कि उसे आए कितना अर्सा हो गया है ।

श्री अध्यक्ष : वह कैसे बताएं जब इस वक्त उन्हें पता ही नहीं ? What is the harm if the hon. Member gives a separate notice for this question ? (How can the Chief Minister reply to this when he has no information about it ? What is the harm if the hon. Member gives a separate notice for this question ?)

LAWYERS ENGAGED BY GOVERNMENT IN CONNECTION WITH THE APPEAL FILED IN PUNJAB HIGH COURT REGARDING, KARNAL MURDER CASE

***5810. Maulvi Abdul Ghani Dar :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the names of the lawyers who were engaged on behalf of the Government in the Punjab High Court in connection with the appeal filed by Government against the judgment of the Special Sessions Judge in acquitting the Police Officers involved in the Karnal Murder Case;

(b) the amount of fee paid to each of the lawyers referred to in part (a) above and the basis on which the said fee was settled;

(c) whether any amount of the fees referred to in part (b) above is still due to the lawyers from the Government;

(d) the total expenditure incurred by the Government on the said appeal ?

Shri Harbans Lal ((Deputy Minister) : The reply is as under :—

(a) Sarvshri Jai Gopal Sethi and R.L. Kohli.

(b) Rs 7,942·25 were paid to Shri Jai Gopal Sethi. The fee was settled keeping in view the professional standing and ability of the Counsel.

(c) Some bills of Messrs Jai Gopal Sethi and R.L. Kohli in connection with the final hearing of the appeal are still pending.

(d) The requisite information can only be supplied after pending fee bills of the counsels are paid.

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : Deputy Minister साहब ने बताया है कि श्री जय गोपाल सेठी को Rs. 7,942·25 nP. दिए गए। क्या वे बतायेंगे कि यह किस stage पर दिए गए और रोज़ाना फीस क्या थी ?

मुख्य मंत्री : सेठी साहब की रोज़ाना फीस 1650 रुपये की और कोहली साहब की 300 रुपये ।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : क्या Chief Minister साहिब फरमाएंगे कि सेठी साहब के कितने दिन लगे ?

मुख्य मंत्री : Notice चाहिए ।

मौलवी अब्दुलगनी डार: जब सेठी साहब को 1650 रुपये रोज़ाना दिये गये तो मुझे यह पूछने का हक है......

Chief Minister : No please. The final bill will come and then we have to check that and make the payment.

श्री राम प्यारा : क्या Chief Minister साहिब या Deputy Minister साहिब यह बतायेंगे कि श्री कोहली को अभी तक कोई payment हुई या नहीं ?

मुख्य मंत्री : जितनी खबर मेरे पास थी वह मैं ने दे दी है। कुछ payment हुई है और कुछ रहती है इकट्ठी payment नहीं हुई और न ही सारी payment की गई है।

FILING OF APPEAL IN SUPREME COURT AGAINST THE HIGH COURT JUDGMENT IN THE KARNAL TRIPLE MURDER CASE

***5811. Maulvi Abdul Ghani Dar :** Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) whether Government have decided to file an appeal against the judgment of the High Court in the Supreme Court in the case known as the Karnal Triple Murder case; if so, the date when the decision was taken ;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative whether the appeal has already been filed ;

(c) the name of the lawyer engaged by Government to file the said appeal in the Supreme Court and the amount of fees settled with him for the purpose ?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : (a) Yes. The decision was taken on 15th June, 1960;

(b) An application was made to the High Court for a certificate that the case was fit for appeal to the Supreme Court as required under Article 134 of the Constitution of India. The High Court refused to grant a certificate and the Supreme Court will now be approached under Article 136 of the Constitution of India for grant of Special Leave to appeal.

Here I may give further information that the said application for special appeal has been filed in the Supreme Court, and that is pending.

(c) Shri J.G. Sethi as senior Counsel and Shri Kohli as junior counsel have been engaged for filing the appeal in the Supreme Court. No fee has so far been settled with them.

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : वज़ीर साहिब ने कहा है कि फीस वगैरह तय नहीं की गई। तो क्या उन को वही फीस दी जायगी जो High Court में appear होने के वक्त दी गई थी ?

मुख्य मंत्री : बड़े वकीलों को वही फीस दी जाती है जो उन की Supreme Court में appear होने की मुकर्रर होती है।

श्री प्रबोध चंद्र : मैं वज़ीर साहिब से पूछना चाहता हूं कि जब सरकार के पास बड़े काबल Advocate-General थे, उन के Assistant थे तो फिर इस appeal के लिये एक Junior Council को क्यों पेश किया गया ?

मुख्य मंत्री : हमारे पास बड़े काबल Advocate-General हैं। इस सवाल का जवाब पहले भी दिया जा चुका है, अब फिर दे देता हूं। सरकारी वकीलों के पास पहले ही इतना ज्यादा काम है कि वह और काम नहीं ले सकते थे।

श्री प्रबोध चंद्र : क्या Chief Minister साहिब बतायेंगे कि उन के अज़ीज़ के defamation case में Advocate General चार दिन......

Mr. Speaker : This is not a relevant question. (*Interruptions*)

चौधरी धर्म सिंह राठी : क्या मुख्य मन्त्री साहिब बतायेंगे कि पहले जो सेठी साहिब ने arguments किए उस से सरकार को तजरुबा नहीं हुआ ?

Mr. Speaker : This is a question of opinion.

चौधरी इन्दर सिंह : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि Supreme Court में appeal file करने से पहले इन्होंने अपने Legal Experts से opinion ले ली थी

मुख्य मंत्री : यह appeal Cabinet के फैसले के मुताबिक की गई।

चौधरी इन्द सिंह: मेरा सवाल यह था कि आया Supreme Court में appeal करने से पहले इन्होंने अपने Law Department की opinion ली थी ?

मुख्य मंत्री : Cabinet का फैसला सब कुछ देख कर होता है।

श्री राम प्यारा : क्या वजीर साहिब बतायेंगे कि इन वकीलों की फीसें पहले मुकर्रर न करने की क्या वजुहात हैं ?

मुख्य मंत्री : बड़े वकीलों की फ़ीस मुकर्रर करना आलू बेचने वाली बात नहीं होती। (हंसी) (*Interruptions*)

Shri Ram Piara : Sir, I resent his remarks.

चौधरी धर्म सिंह राठी : क्या मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे कि इस leave के लिए जो Law Department से राय ली गई वह तहरीरी ली गई या ज़बानी ?

मुख्य मंत्री : Cabinet is competent to do everything. Law Department से जो सलाह ली जाती है वह लिख कर ही ली जाती है।

श्री प्रबोध चंद्र : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि जब High Court के सामने appeal की गई तो उस से पहले Advocate-General ने पंजाब गवर्नमैंट को राय दी थी......

Mr. Speaker: This is not a supplementary question.

श्री प्रबोध चंद्र : जनाब इन्होंने कहा था कि वह busy थे इस लिये Junior Counsel को काम दिया गया ......

श्री अध्यक्ष : इस का तो जवाब आ चुका है। (This has already been replied to.)

श्री प्रबोध चंद्र : जनाब यह दूसरा सवाल है। क्या यह हकीकत है कि Advocate-General ने यह कह कर कि इस case में वज़न नहीं है, पेश होने से इनकार कर दिया ?

Mr. Speaker : Passing of information and giving of a suggestion cannot form the subject-matter of a Supplementary Question.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि जो appeal करने का फैसला था यह Law Department के मश्विरा के मुताबिक था ?

मुख्य मंत्री : मुझे पूरी तरह से याद नहीं। उन्होंने शायद यह कहा था कि 50:50 chances हैं। तो चूंकि law point involved था Cabinet ने यह फैसला किया।

श्री प्रबोध चंद्र : On a point of order, Sir. इस सवाल का जवाब देते हुए चीफ मिनिस्टर साहिब ने बताया है कि उन्होंने शायद कहा था। मैं समझता हूं कि उन्होंने कहा था लेकिन वह नहीं। अब भी समझते हैं कि कहा होगा— This is an infringement of the right of the House.

श्री अध्यक्ष : इस में point of order वाली कौन सी बात हुई ? (What is there to raise point of order ?)

श्री प्रबोध चंद्र : नहीं जनाब, मेरा point of order यह है कि State के चीफ मिनिस्टर की तरफ से क्या कोई ऐसी बात आ सकती है कि मुझे याद नहीं है या ऐसा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। He can say no........

Mr. Speaker: This is no point of order.

मौलवी अब्दुल गनी डार : चीफ मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि Law Department के अफसरान ने अपनी यह राय दी थी कि इस केस के काबले अपील होने के 50:50 chances हैं। क्या वह यह case हाउस की table पर रख सकते हैं ?

मुख्य मंत्री : यह public interest में नहीं है कि यह हाउस को बतलाया जाये।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ Supreme Court ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੁਕਰੱਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੁਕਰੱਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਵਕੀਲ ਦੀ ਕੀ ਫੀਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ARRESTS IN CONNECTION WITH PUNJABI SUBA AGITATION

*5812. **Maulvi Abdul Ghani Dar** : Will the Chief Minister be pleased to state:—

(a) the total number of persons arrested in the State up to 20th June, 1960 in connection with the Punjabi Suba agitation and the number of women amongst them;

(b) the total number of persons referred to in part (a) above who have been convicted ?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : (a) The total number of persons arrested in the State upto 20th June, 1960 in connection with the Punjabi Suba Agitation was 3,553 and the number of women amongst them was 44.

(b) 44.

EXPENDITURE IN CONNECTION WITH THE KARNAL TRIPLE MURDER CASE

*5847. **Shri Jagat Narain Chopra:** Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) whether any lawyers other than the Government Advocate-General and Additional Advocate-General were engaged by Government in connection with the appeal filed in the High Court, Punjab, against the acquittal of Shri Grewal and others; if so, their list together with the reasons for engaing them;

[Shri Jagat Narain Chopra]

(b) the amount paid by Government as fee and other expenses to each of the lawyers referred to in part (a) above;

(c) the total amount spent by Government on the case referred to in part (a) above, so far since its registration ?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister): (a) Yes. Sarvshri J.G. Sethi and R.L. Kohli as Senior and Junior Counsels, respectively. Shri J.G. Sethi being one of the leading criminal lawyers was engaged to Conduct appeal in the Punjab High Court. Besides Shri Kohli, who invariably works as a Junior with Mr. Sethi was engaged as such.

(b) A sum of Rs 7,942.25 N.P. has bee paid to Shri J.G. Sethi for filing appeal and for appearing in *kacha peshi* before the Circuit Bench at Delhi. The bills of Messrs Sethi and Kohli in connection with their appearance in the appeal are still pending.

(c) Rs 1,30,270.13 N.P.

Mr. Speaker : Next question please.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੇ part 'c' ਵਿਚ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ the total amount spent ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਤਾਂ ਦਸ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ total ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।

श्री अध्यक्ष : आप ने यह पहले क्यों नहीं पूछा। अब मैं ने अगले सवाल के लिये कह दिया है। (Why did the hon. member not ask this supplementary earlier. Now I am helpless as I have called the next question.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ notice ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

श्री अध्यक्ष : जवाब पूरा आ गया है। (A complete reply has been given.)

JUDGMENTS DELIVERED BY ADDITIONAL SESSIONS JUDGE, DELHI AND HIGH COURT IN KARNAL TRIPLE MURDER CASE

***5848. Shri Jagat Narain Chopra** : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether a copy of the Judgment delivered by Shri S.D. Singh, Additional Sessions Judge, Delhi in the case under section 302, I.P.C., against Shri D.S. Grewal of Karnal and nine others has been obtained; if so, a copy be laid on the Table;

(b) whether a copy of the Judgment of the Special Bench of the Punjab High Court in the appeal against acquittal in the said case has also been obtained; if so, a copy be laid on the Table;

(c) whether any action has been taken by Government on the remarks against some Officers and others made in the Judgment referred to in part (a) above and not expunged in the Judgment referred to in part (b) above; if so, what ?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : (a) and (b). A reference may be made to the Judgments which are public documents, a copy of which can be obtained by any person;

(c) The case is sub-judice as it is pending in the Supreme Court of India. The question of taking action at this stage, therefore, does not arise.

चौधरी धर्म सिंह राठी: क्या डिप्टी मिनिस्टर साहिब बतलायेंगे कि इस case की appeal क्या नीचे की अदालत के officers के खिलाफ पास किये गये strictures के बारे में की गई है या कि judgment के बारे में ?

श्री प्रबोध चंद्र : चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि क्योंकि यह मामला *sub-judice* है, इस लिये गवर्नमेंट अभी किसी अफसर के खिलाफ कोई action नहीं ले सकती। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि इतने जो अफसरान हैं जिन के खिलाफ strictures....

श्री अध्यक्ष : आप को मालूम होना चाहिये कि जब case की appeal Supreme Court में हुई है तो वहां सारे का सारा case जायेगा न कि इस का कोई हिस्सा जायेगा। (The hon. Member should know that when an appeal in this case has been filed in the Supreme Court, the whole case will be forwarded and not that only a part of it will be sent there.)

श्री प्रबोध चंद्र : पर स्पीकर साहिब, जो strictures के expunge करने वाला हिस्सा है उस के मुताल्लिक तो appeal ही नहीं की गई, appeal तो सिर्फ बाकी के case के मुताल्लिक ही हुई है।

श्री अध्यक्ष : सारा case ही जायेगा। (The whole case will be forwarded.)

Shri Prabodh Chandra : Sir, the appeal is not to be filed for expunging the remarks.

चौधरी इंदर सिंह : चीफ मिनिस्टर साहिब से मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिन अफसरान के खिलाफ पास किये गये strictures के बारे में High Court में भी appeal नहीं की गई थी उन के खिलाफ क्या action लिया गया है ?

श्री अध्यक्ष : बात तो वही आ गई। (That comes to the same thing)

चौधरी इंदर सिंह : चौधरी रामसिंह और सरदार आसासिंह ने तो हाईकोर्ट में अपील कर दी लेकिन बाकी अफसरों ने जिन्होंने अपील नहीं की उन के लिये strictures वैसे ही मौजूद हैं, उन के खिलाफ क्या किया गया है ?

Mr. Speaker: I am sorry. This supplementary question does not arise.

CASES OF MURDER IN POLICE STATION, DISTRICT PATIALA

***6114. Sardar Mihan Singh Gill :** Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) the number of murder cases registered in Police Station Payal, district Patiala , during the period from April, 1956 to September 1960;

(b) the names and addresses of the persons murdered;

(c) the names and addresses of murderers and whether they have been arrested or not;

(d) the number of persons involved in the said cases who were convicted and acquitted separately ?

Shri Harban Lal (Deputy Minister) : (a) to (d). A statement containing the requisite information is laid on the Table.

Cases of Murder in Police Station Payal, District Patia'a

Cases of Murder in Police Station Payal, District Patiala

	(a)	(b)	(c)	(d)		
					No. of Persons	
Serial No.	F.I.R. No. and date	Names and addresses of the persons murdered	Names and addresses of murderers	Whether arrested or not	Convicted	Acquitted
1	2	3	4	5	6	7
1	F.I.R. No. 10, dated 28th February, 1957	Ranjit Kaur, wife of Dangal Singh, resident of village Ghurani Khurd	1. Karam Singh, son of Kehar Singh 2. Dangal Singh, son of Karam Singh, residents of village Ghurani Khurd	Yes	..	2
2	F.I.R. No. 12, dated 13th March, 1957	Kehar Singh, son of Santa Singh, resident of village Ghaloti	1. Ujagar Singh 2. Mohan Singh 3. Dev, son of Pooran Singh 4. Maghar Singh, son of Bachan Singh 5. Bant Singh, son of Kaka Singh 6. Tara Singh, son of Lehna Singh, residents of village Ghaloti	Yes	..	6
3	F.I.R. No. 13, dated 16th March 1957	1. Kishen Singh, resident of village Nagra 2. Kartar Singh, son of Puran Singh, resident of village Nagra, police station Samrala	1. Sucha Singh, son of Chattar Singh, resident of village Ishanpur 2. Gurdial Singh 3. Mukand Singh, resident of village Suhagheri 4. Harnek Singh, resident of village Suhagheri 5. Karnail Singh, resident of Shehar 6. Udhey Singh, son of Jawahar Singh, resident of village Suhagheri	Yes	..	7

[Deputy Minister]

	(a)	(b)	(c)		(d)	
					No. OF PERSONS	
Serial No.	F.I.R. No. and date	Names and addresses of the persons murdered	Names and addresses of murderers	Whether arrested or not	Convicted	Acquitted
1	2	3	4	5	6	7
			7. Pritam Singh, son of Hira Singh, resident of village Suhagheri			
4	F.I.R. No. 22 , dated 2nd May, 1957	Harnam Kaur, widow of Labhu Jat, resident of village Ghaloti	1. Nek Singh, son of Chatru 2. Bhagtu, son of Amar Singh 3. Jagtu, son of Amar Singh 4. Banta, son of Amar Singh 5. Dilbagh Singh *alias* Maghi, son of Hukam Singh 6. Bachittar Singh, son of Puran Singh, residents of village Ghaloti	Yes	..	6
5	F.I.R. No. 48 , dated 21st June, 1957	Ujagar Singh, resident of village Boani	1. Preet, son of Bachna (2) Sewa, son of Munshi (3) Munshi Singh, all residents of village Boani	Yes	3	..
6	F.I.R. No. 61, dated 21st July, 1957	Balbir Kaur, widow of Didar Singh, resident of Kheri	Didar Singh, son of Kishen Singh, resident of village Kheri	Yes	1	..
7	F.I.R. No. 20, dated 5th March, 1958	Hazara Singh, resident of village Payal	1. Jarnail Singh, resident of village Gobindpura 2. Karnail Singh, resident of village Gobindpura 3. Dangal Singh, son of Kehar Singh 4. Ajit Singh, resident of village Gobindpura 5. Thakar Singh, resident of village Ghurani Kalan 6. Hoshiar Singh, son of Thakar Singh, resident of village Ghurani Kalan 7. Sham Singh, son of Dharam Singh	Yes	4	3

	(a)	(b)	(c)	(d)		
					No. OF PERSSONS	
Serial No.	F.I.R. No. and date	Names and addresses of the persons murdered	Names and addresses of murderers	Whether arrested or not	Convicted	Acquitted
1	2	3	4	5	6	7
8	F.I.R. No. 30, dated 7th April, 1958	Sharan Kaur, wife of Madan, resident of village Rara	Madan refugee, resident of village Rara	Yes	1	..
9	F.I.R. No. 32, dated 12th April, 1958	Bhano, wife of Nahar Singh, resident of village Lasoi	Nahar Singh, son of Madan Singh, resident of village Lasoi	Yes	1	..
10	F.I.R. No. 118, dated 31st December, 1958	A child (grandson of Chanan Singh accused)	Chanan Singh, son of Bishen Singh, resident of village Ghurani Kalan	Yes	..	1
11	F.I.R. No. 68, dated 17th December, 1959	Chand Singh, son of Nidhan Singh, resident of village Ghurani Khurd	1. Jagir Singh, son of Harnam Singh, Bazigar, reident of village Gadianwala, police station Raman 2. Chhotu, son of Dev, resident of village Phaphra Bhaike, police station Bhikhi 3. Mst. Gurdev Kaur	One arrested Remaining two have been proceeded against u/s 512 Cr. P.C.	..	1
12	F.I.R. No. 7, dated 16th February, 1960	Bharpur Singh, son of Jagir Singh, resident of village Burj Latan, police station Rajkot	1. Prem Singh, son of Kamikar Singh, resident of village Burj Latan 2. Mohinder Singh cousin of Prem Singh	Yes	..	2
13	F.I.R. No. 8, dated 1st March, 1960	Mohinder Singh, son of Bishen Singh, resident of village Dhamot	Jagmel Singh, son of Mohinder Singh	Yes	..	1
14	F.I.R. No. 19, dated 6th May, 1960	Mohinder Singh, son of Sahib Ditta, resident of village Ghurani Kalan	1. Bachan Singh (2) Tara Singh (3) Dhiru, resident of village Ghurani Kalan	Yes	..	..
15	F.I.R. No. 57, dated 29th September, 1960	Gurdial Singh, son of Santa Singh, resident of village Lasoi	1. Gurmukh Singh (2) Kaka Singh (3) Bant Singh, (4) Sita Singh, resident of village Lasoi	..	..	

RESIDENTIAL ACCOMMODATION FOR POLICE OFFICIALS IN MOHINDERGARH DISTRICT

***6145. Shri Nihal Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of Government quarters at present available for the Police employees of different ranks, separately, at the District Headquarters and attached to the different Police Stations in District Mohindergarh ;

(b) whether Government have any scheme under its consideration for providing accommodation to Police Officers and constables in the State ?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : (a) No Government quarter is available for Police Officers of any rank at District Headquarters. Family quarters exist at Police Station Narnaul and Kaniana for one Sub-Inspector each and at Police Dadri and Atteli for one Sub-Inspector and one Head-Constable each.

(b) Yes.

Shri Nihal Singh : Sir, may I know the details of this scheme which is under the consideration of Government ?

Chief Minister : It is very difficult to give the details .

REPORT BY SHRI RAM SHARMA VIGILANCE COMMITTEE

***5970. Dr. Baldev arkash :** Will the Chief Minister be pleased to state whether any report has so far been submitted to Government by Shri Ram Sharma Vigilance Committee; if so, the nature of recommendations made therein and the action taken by Government thereon ?

Sardar Partap Singh Kairon : Shri Ram Sharma Vigilance Committee has so far made 11 recommendations to Government—10 for black-listing and 1 for warning. The recommendations will be considered by the Joint Policy Making Committee, set up by the Government.

श्री राम प्यारा : जो उन्होंने रिपोर्ट की है उस ने क्या किसी मिनिस्टर का भी नाम है ?

श्री अध्यक्ष : क्या यह ज़रूरी है कि मिनिस्टर का नाम होना ही चाहिए ?
(Is it necessary that the name of a Minister must be there ?)

चौधरी इन्दर सिंह : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि पंडित श्री राम शर्मा कमेटी की रिपोरट कब मिली ?

मुख्य मंत्री : मैं off hand कैसे बता सकता हूं ?

DISCIPLINARY ACTION RECOMMENDED BY VIGILANCE DEPARTMENT

***6117. Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Chief Minister be pleased to state the names of Gazetted Officers against whom the Vigilance Department recommended the taking of disciplinary action during the years 1957, 1958, 1959 and in the current year ?

Sardar Partap Singh Kairon : The statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

List of Gazetted Government Servants Recommended for Disciplinary Action by the Vigilance Department During the years, 1957, 1958, 1959 *and* 1960

Serial No.	Name of the officer
	1957
1	Shri B.S. Kumar, Sub-Divisional Officer, Irrigation Branch
2	Shri Dev Parkash, Sub-Divisional Officer, Irrigation Branch
3	Shri Babu Ram, Revenue Assistant
4	Shri B.S. Bedi, Sub-Divisional Officer, Bhiwani
5	Shri Sarnagat Singh, P.C.S., Additional District Magistrate, Ferozepur
6	Shri Salig Ram, Excise and Taxation Officer
7	Shri Gobind Lal, Executive Engineer,
8	Shri Santokh Singh
9	Shri R.L. Kapur, Executive Engineer, Public Works Department, Buildings and Road, Simla
10	Shri Suraj Parkash, Sub-Divisional Officer, Tube-well (Irrigation Branch)
	Electricity Branch
1	Shri B.P. Chandra, Executive Enginer, 1958
2	Shri Gian Chand Chadha, Suprintendent, Jail
3	Shri Raghubans Lal, Deputy Suprintendent, Jail
4	Shri Gajjan Singh, Assistant Superintendent
5	Shri Gurcharan Singh, Sub-Divisional Officer
6	Shri Arjan Singh, Sub-Divisional Officer
7	Shri Ram Ditta Mal, Deputy Superintendent, Police
8	Shri Adarsh Kumar, Executive Engineer, Irrigation Branch
9	Shri R.C. Talwar, Executive Engineer, E.B.
10	Shri Amar Singh, Tahsildar
11	Shri Gurbachan Singh Bahia, Deputy Superintendent Police, Patiala
12	Shri Amolak Singh, Magistrate, 1st Class
13	Shri Gurbirpal Singh, Block Development Officer, Bhatinda
14	Shri Ram Dass Bahri, Deputy Superintendent, Police
15	Shri Amar Singh, P.C.S., Land Acquisition Officer
	1959
1	Shri A.S. Dutta, Block Development Officer
2	Shri Harnam Singh, Tahsildar, Zira
3	Shri Joginder Bachan Singh, Deputy Excise and Taxation Commissioner
4	Shri Gurdip Singh, Block Development Officer
5	Shri S.D. Vohra, E.T.O.
6	Shri Harjit Singh, Deputy Superintendent, Police
7	Shri Madan Lal Madan, Executive Engineer, Irrigation Branch, Pehowa Division
8	Shri Hardayal Singh, DeputyCollector, Irrigation Branch
9	Shri Ujjagar Singh, District Agriculture Officer
10	Shri Mohan Lal, Sub-Divisional Officer, Electricity
11	Shri Roshan Lal, Tahsildar, Rupar
12	Shri M.K. Bakshi, Excise and Taxation Officer, Amritsar

[Chief Minister]

Serial No.	Name of the Officer
	1960
1	Shri J.M. Gupta, Sub-Divisional Officer
2	Shri Ram Singh, Sub-Divisional Officer
3	Shri Amar Singh, Assistant Excise and Taxation Officer
4	Shri R.N. Hoon, Sub Divisional Officer
5	Shri S.S. Sokhi, Sub-Divisional Officer
6	Shri Pritam Singh, Cane Commissioner
7	Shri Mulkh Raj, Deputy Collector
8	Shri T.R. Sakunja, P.C.M.S.
9	Shri Kuljas Rai, Sub-Divisional Officer, Irrigation Branch
10	Shri M.S. Grewal, P.C.S.
11	Shri Rattan Singh, Welfare Officer
12	Shri Arjan Singh, Block Development Officer
13	Shri Mukhtiar Singh, Block Development Officer
14	Shri Chandan Singh, P.C.M.S.
15	Shri Teja Singh, C.O.
16	Shri Santokh Singh, Sub-Divisional Officer Budher, Sub-Division, T.B.
17	Shri Bhagat Ram, Sub-Divisional Officer, Budhera, Sub-Division, Irrigation Branch
18	Shri Naranjan Singh, Sub-Divisional Officer, Pehowa, Sub-Division Irrigation Branch
19	Shri Jiwan Mal Mehta, Sub Divisional Officer, Budhera, Sub-Division, Irrigation Branch

APPOINTMENT OF PANDIT SHRI RAM SHARMA, M.L.A. AS CHAIRMAN, NON-OFFICIAL VIGILANCE COMMITTEE

***6158. Shri Lal Chand :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the date when Government took a decision to appoint Pandit Shri Ram Sharma as the Chairman of the Non-Official Vigilance Committee;

(b) whether the statement of the Irrigation and Power Minister on the said appointment which was reported in the Press on the 25th September, 1960 has come to his notice; if so, the action which Government propose to take in the matter ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) The 24th May, 1960.

(b) Yes. Government does not normally divulge the nature of adjustments in views made amongst members of the Cabinet nor does it seem a healthy practice to do so.

श्री लाल चन्द : क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि आया उन्होंने वजीर concerned से पूछा था कि उनकी यह रिपोर्ट जो अखबार में आया हुई थी दुरुस्त है ?

मुख्य मंत्री : इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता।

The hon. Member himself is an able lawyer and can understand things well.

श्री लाल चन्द : मैं able हूं या नहीं, यह नहीं सुनना चाहता। क्या यह स्पीकर साहिब, जो यह तरीका है उसके मुताबिक किसी मैम्बर के साथ या किसी के नाम के

साथ कहीं अच्छे या कहीं बुरे remarks लगा सकते हैं। I do not want remarks from the Chief Minister. मैं रिमार्क्स नहीं सुनना चाहता, मैं तो सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने वज़ीर साहब से यह दरियाफत किया था कि जो रिपोर्ट अख़बारों में आया हुई वह दुरुस्त है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष: उन्होंने कह तो दिया कि यह कैबिनेट का मामला है। (He has already stated that this matter relates to the Cabinet.)

श्री लाल चन्द: जनाब यह कैबिनेट की बात नहीं। मैंने वज़ीर साहब से पूछा है। और स्पीकर साहिब अगर इजाजत हो तो एक बात और पूछना चाहता हूं ? वह यह कि क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जो मामला वज़ीर साहब पब्लिक में डिसकस कर सकते हैं क्या वह हाउस को नहीं बता सकते ?

मुख्य मंत्री: मैं ने जो जवाब दे दिया, वही ठीक है।

श्री लाल चन्द : जनाब मैं यह बताना चाहता हूं कि जो जवाब Chief Minister साहिब ने दिया है उस में मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि....

Mr. Speaker : Asking for an opinion cannot be the subject of a supplementary question. Your question should be concrete and definite.

श्री लाल चन्द : मुख्य मन्त्री साहिब ने जवाब दिया है कि divulge नहीं किया जा सकता तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो मामला public में divulge किया जा सकता है वह हाउस में divulge करने में इन्हें क्या एतराज़ है ?

(*interruption*)

Shri Balram Dass Tandon: It has been read by the people in the newspapers.

श्री लाल चन्द : जनाब जो Irrigation and Power Minister ने Vigilance Committee के खिलाफ remarks दिये हैं उन में उन्होंने कहा कि यह कमेटी फजूल है। जो बात public में एक वज़ीर साहिब कहते हैं वह हाउस में बताने में इन्हें क्या एतराज़ है ?

Minister For Industries: The question that has been asked by the hon. Member is about the relations subsisting between the Chief Minister and his colleague and the Chief Minister does not want to disclose that. There is nothing wrong in that.

श्री अध्यक्ष : क्या जो बात Leader of the Opposition और राठी साहिब में होती है आप उन्हें हाउस में disclose करते हैं ? (हंसी) (Does he disclose in the House what transpires between the Leader of the Opposition and Shri Rathi ?)

(L*aughter*)

श्री बलराम दास टंडन : जनाब वहां यह propriety नहीं हैं।

श्री लाल चन्द : जनाब यह एक constitutional point है कि जो बात public में divulge की जा सकती है वह हाउस में क्यों नहीं की जा सकती ।

श्री अध्यक्ष : वह नाराज़ होते हैं (He takes it ill)

(*Laughter*)

ਇਕ ਆਵਾਜ਼ : ਕੌਣ ?

श्री प्रबोध चंद्र : चीफ मिनिस्टर साहिब की तरफ से अपने एक मोहतरिम साथी के remarks के बारे में अखबारों में statement छपा था कि यह उस वज़ीर की ज़ाती राय थी। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या Government के किसी decision के बाद किसी वज़ीर को ज़ाती राय देने का हक है ?

मुख्य मंत्री : अगर अखबारात में ज़ाती राय छपी है तो यह गलत छपी है ?

श्री अध्यक्ष : मैं यह फैसला करने वाला हूं कि जो मेम्बर supplementaries पूछना चाहें वह अपना बाज़ू खड़ा करें क्योंकि चौधरी धर्म सिंह राठी जिन की आवाज़ लाउड स्पीकर से भी ऊंची है ज़बरदस्ती supplementaries करने की permission ले जाते हैं ।(हंसी) (I am going to decide that the hon. Members intending to ask supplementaries may raise their hand to catch my eye, because Chaudhri Dharam Singh Rathi who has a stentorian voice perforce obtains the permission for putting supplementary questions.) (*Laughter*)

श्री बलदेव प्रकाश : मुख्य मन्त्री साहिब ने फरमाया है कि जो ज़ाती राए वाली बात अखबारों में छपी है वह ग़लत है तो क्या जो कुछ वज़ीर साहिब public में बयान दें वह Cabinet की राय होती है ?

INVESTIGATION INTO GRANT OF BOGUS QUOTAS OF IRON IN JULLUNDUR

*6159. **Shri Lal Chand** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Vigilance Staff of the Police were engaged for the last few months in investigating the conduct of officers of the industries department at Jullundur in granting quotas of iron to bogus persons;

(b) whether it is also a fact that a deputation of Industrialists of Jullundur met him in September, 1960 at Chandigarh in connection with the said investigation;

(c) whether the investigation referred to in part (a) has been stopped; if so, the reasons therefor ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) No. The investigation has only been suspended as the deputationists agreed to give the names of the bogus quota-holders voluntarily and the Government did not wish to harass the parties unnecessarily.

श्री लाल चन्द : यह जो bogus quota-holders के लिए असूल बताया गया है कि वह खुद ही बता देंगे तो क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि चोरों और dacoits पर और दूसरे सब criminals पर भी यही असूल लागू किया जाएगा कि वह खुद ही बता देंगे ?

Mr. Speaker: It is a matter of opinion.

श्री लाल चन्द : स्पीकर साहिब, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो चोरियां या डकैतियां होती हैं क्या सरकार उस में कोई गिरफ्तारी नहीं करेगी ?

Mr. Speaker : I want a question and not a speech.

श्री राम प्यारा: चीफ मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि एक deputation उन्हें मिला । क्या मैं उन से पूछ सकता हूं कि deputation में कौन कौन से आदमी थे ?

मुख्य मंत्री : Industries के quota-holders थे ।

श्री राम प्यारा: जो bogus quota holders मिले क्या उन्होंने time limit दी ?

मुख्य मंत्री : वे bogus नहीं थे, genuine थे ।

श्री लाल चन्द : चीफ मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि उन्होंने कहा कि वे bogus quota-holders को खुद पेश कर देंगे । मैं दरियाफ्त करना चाहता हूं कि क्या आप को उन्होंने कोई time limit दी थी कि कब तक वे नाम बता देंगे ?

Chief Minister: Leave it to me.

WATER WORKS FOR VILLAGE SAKTA KHERA, THANA DABWALI, DISTRICT HISSAR

***6132. Shri Sahi Ram Bishnoi** : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to set up water-works in village Sakta Khera thana Dabwali, District Hissar under the Rural Drinking Water Supply Scheme of the Health Department; if so, when together with the progress so far made in this connection ?

Sardar Partap Singh Kairon: No.

TEMPORARY ALLOWANCE TO GOVERNMENT EMPLOYEES

***5981. Dr. Bhag Singh** : Will the Minister for Finance be pleased to state whether it is a fact that Government employees drawing a basic salary of Rs. 100 per mensem are allowed a tempotrary allowance, while employees drawing less than Rs. 100 per mensem are not allowed the said allowance; if so, the reasons therefor ?

Shri Mohan Lal (Minister for Industries) : Government employees drawing a basic salary of Rs. 100 per mensem and less are not allowed the temporary allowance.

[Ministe9 for Industries]

The main reason for not allowing the temporary allowance to these Government servants was that the percentage of the dearness allowance at the revised rates on their basic pay was comparatively more than the rates of dearness allowance drawn by those drawing pay more than Rs. 100 per mensem. Moreover, Government servants drawing upto Rs. 100 per mensem were given relief by way of revision of the scales of pay from time to time during the last few years.

चौधरी बलबीर सिंह: आज कल की महंगाई को देखते हुए यह पता चलता है कि यह महंगाई मुस्तकिल तौर पर ज़िन्दगी का जुज़ बन चुकी है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि इन हालात के मद्देनज़र क्या गवर्नमेंट महंगाई अलाउंस को तनखाह में शामिल करने का इरादा रखती है ?"

मंत्री : यह सवाल इस से पैदा नहीं होता इस के लिये अलग नोटिस दें।

ALLOTMENT OF FUNDS FOR ERSTWHILE PEPSU IN SECOND PLAN PERIOD

***6104. Raja Maheshindra Singh :** Will the Minister for Finance be pleased to state the total amount of funds allotted to the areas of erstwhile Pepsu State during the 2nd Five Year Plan period and the amount actually spent against this allotment ?

Shri Mohan Lal (Minister for Industries) : The information is being collected from the various departments to but its compilation will take some time. It will be furnished as soon as it becomes available.

REBATE GIVEN ON HANDLOOM FABRICS

5935. Shri Ram Piara : Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) with reference to the reply to unstarred question No. 2237 printed in the list of questions for 17th February, 1960 whether any action has been taken against the officials and non-officials involved in the case regarding misuse of rebate on sale of handloom cloth during the Third All India Handloom Week celebrated in February, 1956, if so, their names, the details of the action taken against them and if no action has been taken, the reasons therefor;

(b) the total amount misused in the said case ?

Shri Mohan Lal : (a) As a result of the investigation made by the Vigilance Department, two officials have been placed under suspension pending departmental enquiry against them. It has also been decided to administer a warning to the third official for preparing an incomplete programme for the celebration of the 3rd All-India Handloom Week in the State. As regards the business firms involved in this case it has been decided to launch criminal proceedings against their proprietors. It is not in the public interest to mention names.

(b) A sum of Rs. 44,120 was misused in the sale of handloom cloth in the form of rebate during the 3rd All-India Handloom Week in the State.

श्री राम प्यारा : क्या Minister साहिब यह बतायेंगे कि जो officers suspend हुए हैं उनके नाम क्या हैं, और जिन की warning हुई है उन के क्या नाम हैं ।

मंत्री : मैंने जनाब यह जवाब पहले ही दे दिया है कि यह Public Interest में नहीं है कि उनके नाम बताये जायें ।

श्री राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि जिस officer को suspend किया है वह senior है या जिसे warn किया गया है वह senior है ?

मंत्री : जिसे warn किया गया है वह काफी senior है ।

श्री राम प्यारा : क्या जो rebate दिया जा रहा था, आया इस बात की भी investigation की गई कि यह corruption उस काफी senior officer ने भी की है या कि पहले ने ही की ?

मंत्री : यह मैं कह चुका हूं कि matter under consideration है ।

श्री प्रबोध चंद्र : क्या Chief Minister साहिब बतायेंगे कि यह जो इस तरह के orders हुए हैं, इन पर अमल करते हुए वह उन लोगों के खिलाफ कोई action लेने को तैयार हैं या नहीं ?

Mr. Speaker : No such questions to be asked please.

श्री राम प्यारा : यह जो 44,120 का misuse हुआ है क्या इस के मुताल्लिक enquiry करने के बाद ही मालूम हुआ है ?

Mr. Speaker : This is not a relevant question.

BOGUS QUOTA HOLDERS OF IRON AND STEEL AT AMRITSAR

***5968. Dr. Baldev Prakash** : Will the Minister for Industries be pleased to state —

(a) whether any cases of bogus quota-holders of iron and steel were investigated by the Vigilance Department at Amritsar in the year 1960 ;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, whether the premises of certain concerns were raided by the Vigilance Squad in this respect, if so, the number of cases detected and the action, if any, taken against them ?

Shri Mohan Lal : (a) Yes.

(b) No raids were conducted by the Vigilance Department but as a result of physical check up of firms and scrutiny of relevant records available with the Department, it has been reported that there were 66 firms which were not functioning and 107 other firms who had misutilised their quota. The action proposed to be taken against these firms is under consideration.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ bogus firms ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ quota ਦੇਣ ਲਈ certificate ਵੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ action ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

मंत्री : मैं ने अभी जवाब दिया है कि जो भी कोई action लिया जाना है वह अभी under consideration है। यह जो information दी गई है वह तो Vigilance Department की report पर ही दी गई है। अभी यह case under consideration है ।

डाक्टर बलदेव प्रकाश: मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब में फरमाया है कि 107 firms हैं जिन्होंने quota को misuse किया है। क्या मैं उन से दरियाफ्त कर सकता हूं कि आया उन्हें अब कोई quota मिल रहा है ?

Chief Minister : This is all under consideration.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : क्या उन को quota मिल रहा है ?

मुख्य मंत्री : मिल रहा है। मिलना क्यों नहीं चाहिये ।

उद्योग मंत्री : अभी तो मैं ने यही बताया है कि Vigilance Department की report आई है जिस पर बाकायदा तौर पर ग़ौर किया जायेगा और अभी यह report under consideration है ।

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ quota agriculture ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ? (ਹਾਸਾ)

चौधरी इन्दर सिंह : जितनी firms के खिलाफ शिकायत आई हैं क्या वज़ीर साहिब यह बतायेंगे, कि आया उन को भी कोई quota दिया जा रहा है ?

मंत्री : अभी हम देख रहे हैं कि fault कहां है। हम नहीं चाहते कि पंजाब के Manufacturers को किसी तरह से घाटा पड़े। हम ने industry को बढ़ाना है पीछे नहीं ले जाना ।

चौधरी इन्दर सिंह : मेरा कहने का मतलब यह है कि जिन 66 firms का पता लगा है कि bogus हैं और 107 जिन के बारे में पता लगा है कि उन्होंने misuse किया है उन के खिलाफ क्या action लिया जा रहा है।

मुख्य मंत्री : अभी हम देख रहे हैं घबराने की क्या बात है ?

पंडित श्री राम शर्मा : क्या Industries Minister साहिब बतायेंगे कि आया Government यह फैसला कर चुकी है कि bogus firms को quota नहीं दिया जायेगा ?

मुख्य मंत्री : मैंने फैसला नहीं किया मगर मैं नहीं चाहता कि सूबे की Industry को बढ़ावा मिलने की बजाये उस में कोई रुकावट पड़े। अभी यह matter under consideration है ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या यह चीफ मिनिस्टर साहिब की ही राय है कि गवर्नमैंट ने इस सम्बन्ध में कोई फैसला कर लिया है ?

मुख्य मंत्री : गवर्नमैंट ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया लेकिन चीफ मिनिस्टर की बात का वज़न ज़रूर होगा।

पंडित श्री राम शर्मा : जो लोग अपना कोटा गलत तरीके से draw कर रहे हैं या गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं उन के बारे में गवर्नमैंट ने क्या सोचा है ?

उद्योग मंत्री : इस के बारे में पोज़ीशन यह है कि अगर कोई फर्म exist ही नहीं करती और कोटा draw कर रही है तो उस सूरत में उस के खिलाफ सख्त ऐक्शन लिया जाएगा। जो पार्टी exist नहीं करती और कोटा ले रही है उस के साथ कोई नर्मी नहीं बरती जाएगी सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन कई दफा जहां misutilization का ज़िक्र होता है वहां पर कोटा होल्डर की entire ज़िम्मेदारी नहीं होती। कई बार उन को ऐसा कोटा मिलता है जो कि Iron & Steel Controller देता है और जो कि उन के इस्तेमाल में नहीं आता। उस सूरत में वह अपना माल दे कर अपने इस्तेमाल का जो माल हो वह ले लेते हैं। ऐसी फर्मों का केस leniently consider किया जाएगा ।

पंडित श्री राम शर्मा : जिन फर्मों के मुताल्लिक Vigilance Department ने अपनी interim report भेज दी है कि वे बोगस फर्में हैं क्या उन के बारे में गवर्नमैंट कोई और enquiry भी करेगी ?

मंत्री : मैं ने सवाल आने पर उन से दरियाफ्त कर के आप को यह इत्तलाह दे दी है अभी उन की रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई कि कौन कौन सी वह ऐसी फर्में हैं।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : क्या मिनिस्टर साहिब फरमाएंगे कि जिन फर्मों के बारे में यह कहा गया है कि वे exist ही नहीं करतीं और वे बोगस हैं उन को कोटा अभी तक दिया जा रहा है या कि नहीं ?

एक माननीय मेम्बर : अभी तक दिया जा रहा है।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : चीफ मिनिस्टर साहिब ने कहा है कि हम एक्शन लेंगे और मिनिस्टर साहिब ने कहा कि बड़ा सख्त एक्शन लेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि जिन के बारे में कहा गया है कि वे बोगस फर्में हैं क्या उन का कोटा अभी तक बन्द किया गया है कि नहीं ? (*interruptions*) (*repeated interruptions*)

Mr. Speaker : Order please.

श्री बलराम दास टंडन : चीफ मिनिस्टर साहिब ने कई बातों का जवाब नहीं दिया और कहा है कि मेरे पर छोड़ दो और मिनिस्टर साहिब ने कहा है कि बड़ा सख्त एक्शन लेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि किस की बात को final समझा जाए ?

मंत्री : यह तो समझ की बात है। जो जवाब चीफ मिनिस्टर साहिब ने दिया है या मैं ने दिया है उन में कोई contradiction नहीं है। सिर्फ समझ की बात है। (*interruptions*)

Mr. Speaker : Order please.

श्री बलराम दास टंडन : स्पीकर साहिब, आप देखिए यह जो अपनी समझ का सबूत दे रहे हैं.........

Mr Speaker : Order please, order.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : मैं यह जानना चाहता हूं कि गवर्नमैंट ने कोई टाइम मुकर्रर किया है कि Vigilance Department इस वक्त तक अपनी रिपोर्ट भेज दे ?

मंत्री : जो physical check up हुआ है वह चार जुलाई से सोलह अगस्त तक हुआ है। इस के लिये कोई टाइम लिमिट मुकर्रर नहीं की गई थी।

श्री प्रबोध चंद्र : मैं जानना चाहता हूं कि इन फर्मों के इलावा जो कि exist नहीं करतीं या जो कि अपने कोटे का misuse कर रही हैं कोई ऐसी रिपोर्ट भी Vigilance Department ने की है कि बहुत से कोटे बगैर किसी नाम के भी लिये जा रहे हैं और उन का फायदा किसी और को पहुंच रहा है ?

Minister : I fail to understand why no attention is being paid to the replies of questions. I have already stated that no formal report has been received by the Industries Department from the Vigilance Department so far. I am giving you only the factual data which I have, on enquiry from the Vigilance Department, ascertained and got.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहिब बतलायेंगे कि जिन 65/66 firms का उन्हें पता लग गया है कि वह bogus हैं उन का quota बंद करने का हुक्म कर दिया गया है ?

मंत्री : उन firms के नामों की list अभी तक हमारे पास नहीं आई। जब Vigilance Department की तरफ से हमें list आ जाएगी तो हम उसे study कर के action लेने के लिए हुक्म देंगे।

पण्डित श्रीराम शर्मा : जब Vigilance Department ने लिख दिया है कि 66 firms bogus हैं तो उन का quota फौरन बंद कर देना चाहिए ।

मंत्री : पंडित जी action तो हम लेंगे लेकिन जो गलत आदमी quota लेते रहे हैं उन को हमें पहले notice दे कर पूछना पड़ेगा कि आप कैसे quota लेते रहे हैं। फिर उस के बाद शायद हमें उन के खिलाफ कुछ और भी action लेना पड़े। इस लिए हम सारी बात का पता करने के बाद action लेंगे। इस के इलावा कुछ ऐसे cases भी हैं जिन्हें quota मिलता था मगर वह चूंकि उन के काम नहीं आता था इस लिये वह उसे किसी के साथ exchange करके अपने काम का material ले लेते थे। जो ऐसे cases हैं उन के लिए हमें लाज़मी तौर पर lenient view लेना पड़ेगा ।

CHINA CLAY INDUSTRY IN KANGRA DISTRICT

***5998, Chaudhri Hari Ram :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) whether Government intend to carry out survey to find out China Clay Deposits in the mountains above Dharmsala, Shahpur and other places in the Kangra District ; if so, when ;

(b) the details of other steps proposed to be taken by Government to develop this industry.

Shri Mohan Lal : (a) Yes. The Geological Survey of India have already been requested to include the survey of the known clay deposits of the area in their field programme during the 3rd Plan period.

(b) The development of the industry would be taken up after the results of the survey are known.

ARREARS OF INDUSTRIAL LOANS IN KARNAL DISTRICT

***6071, Dr. Parma Nand:** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) whether the Industries Department issued any notices or got warrants issued against the loanees belonging to Karnal District during the priod from 1st April, 1957 to date for the recovery of the loans as arrears of land revenue ; if so, their number and names of each loanees concerned ;

(b) the number and names of the loanees from whom recoveries have been made in full, the dates when notices or warrants were issued against them and the dates when recoveries were effected from them ;

(c) the names of those loanees who have not so far paid their dues or loans in full ?

Shri Mohan Lal : (a) (i) Yes.

(ii) 33.

(iii) It is not in public interest to disclose the names of individual loanees.

[Minister for Industries]

(b) (i) 4.

(ii) It is not in public interest to supply the information asked for.

(c) It is not in public interest to disclose the names of individual loanees.

श्री राम प्यारा : क्या Minister for Industries यह बताने की मेहरबानी करेंगे कि वह कौन सी वजूहात हैं जिन की बिना पर उन आदमियों के नाम नहीं बताए जा सकते हैं जिन्होंने Government से कर्ज़ा ले कर उसे इस्तेमाल नहीं किया या उसे misuse किया है ?

Chief Minister : यह पहले बता दिया गया है कि loanees के नाम बताना public interest में नहीं है ।

Mr. Speaker : The question hour is over now.

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS.

Please see annexure*

ADJOURNMENT MOTIONS

3. p. m.

श्री अध्यक्ष : मेरे पास कोई 18 adjournment motions पहुंच चुकी हैं । इस तरह पिछला record equal हो गया है । अगर ज़्यादा आ जातीं तो record beat हो जाता । मैं आप को यह याद दिलाना चाहता हूं कि adjournment motions आप सोच समझ कर भेजा करें क्योंकि इस के लिए आप के set rules हैं यूंही जो दिल में आया वह adjournment motion का मौज़ूह नहीं बन सकता ।

दूसरे जिन साहिबान ने adjournment motions भेजी हैं उन को पता है कि पिछली दफा Rules Committee ने यह फैसला किया था कि कोई adjournment motion न तो यहां पर पढ़ी जाएगी और न ही उस पर कोई reference होगी जब तक कि वह admit न हो जाय । इस लिए मैं ने सब concerned मैम्बर साहिबान से प्रार्थना की थी कि आप मेरे Chamber में आकर सलाह कर लें, बात चीत कर लें और सलाह करने के बाद अगर आप की adjournment motion मयार पर पूरी उतरी तो मैं इस की इजाज़त दे दूंगा । लेकिन आप आए नहीं । आज चूंकि पहला दिन है, इस लिए मैं उन adjournment motions की बाबत passing reference ही करूंगा; ऐसी बातें नहीं होंगी कि उन की details भी बताई जाएं ।

---

*Note.—All unstarred questions along with their replies have been printed separately in an Annexure to P. V. S. Debate, Vol II, No I, dated 17th October, 1960.

पहली adjournment motion by श्री बलराम दास टंडन है। यह गवर्नमेंट की language policy की बाबत है। इस सिलसिले में एक Ordinance भी जारी हो चुका हुआ है। वह भी House के सामने आ रहा है। अगर आप को वह Ordinance पसन्द नहीं तो आप उस को upset कर सकते हैं। उस को बदलने का या रद्द करने का एक खास तरीका है। उस के लिये आप substantive motion ला सकते हैं; adjournment motion उस के लिए कोई रास्ता नहीं। यह एक continuing बात है। इस लिए यह out of order declare करता हूं।

अगली adjournment motion डा० मंगल सेन की तरफ से floods के बारे में आई है। उन्होंने मेरे साथ discuss किया। इसी subject पर राठी साहब की भी एक adjournment motion है। फिर चौधरी इन्दर सिंह जी ने भी इसी सम्बन्ध में एक adjournment motion का notice भेजा है। वह technically तो admissible नहीं है क्योंकि उन्होंने साथ में explanatory note नहीं भेजा। वह तो एक पुराने Parliamentarian हैं, पता नहीं उनसे यह भूल कैसे हो गई। फिर भी तीनों motions एक जैसी हैं। किसी में ज़िलों के नाम का फर्क है और किसी में language का फर्क है लेकिन nature तीनों की एक ही है। तो जो डा० मंगल सेन की adjournment motion है वह काफी हद तक दूसरी motions को cover करती है; इस लिये मैं उन्हें in order करार देता हूं। अब House ने इस बात का फैसला करना है कि उन्हें ये motions move करने की इजाज़त दी जाए या न दी जाए।

(I have received about 18 notices of adjournment motions today. This number equals the previous record of adjournment motions. If the number had been a little large, the previous record would have been surpassed. I would, however, remined the hon. members that they should send the notices of adjournment motions after giving careful thought to the subject as there are set rules governing them. Anything that catches the fancy of a Member cannot form the subject matter of an adjournment motion.

Secondly, the hon. Members who have given notices of adjournment motions are well aware that last time the Rules Committee had decided that no adjournment motion would be mentioned in the House unless it was admitted by the Chair. Accordingly, I had requested the hon. Members concerned to see me in my Chamber for consultation in the matter and if after discussion any adjournment motion appeared to be in order, it would be admitted. But they have not turned up. Since today is the first day, I would only make a passing reference to each of these motions and avoid going into details.

The first adjournment motion is by Shri Balram Dass Tandon. It relates to the language policy of the Government. In this connection an ordinance has also been promulgated. That, too, is coming up before the House. If the hon. Member does not approve of this he can upset it. There is a set procedure to disapprove of it and for this purpose a substantive motion can be moved. An adjournment motion is no remedy for this purpose. This is a continuing matter and accordingly, I rule it out of order.

The next *adjournment motion stands in the name of Dr. Mangal Sein in which he has sought to raise discussion on the flood situation of the State. He has discussed this matter with me. On this very subject a notice of an adjournment motion has been received from Chaudhri Dharam Singh Rathi. There is yet another adjournment motion of similar nature given notice of by Chaudhri Inder Singh. It is technically not admissible because it is not accompanied by an explanatory note. He is an old parliamentarian. I wonder how it escaped his attention. However, all the three motions are identical. There is a minor difference of the names of districts or language but the nature of all the three adjournment motions is the same. However, the adjournment motion by Dr. Mangal Sein covers the other two motions to a considerable extent I, therefore, declare them in order . Now it is for the House to decide whether leave be granted to the hon. Member to move the motion or not.)

Mr. Speaker : Is it the pleasure of the House that leave be granted to the hon. Member to move the adjournment motion.

An hon. Member : Sir, I object to the leave being granted.

Mr. Speaker : Since an objection to the leave being granted, has been taken, I would request the hon. Members who are in favour of the leave being granted to rise in their places :—

"After taking a count of the Members who rose in their places, Mr. Speaker declared that "since the number of Members in favour of leave being granted is 27, the leave is granted."

The leave was granted (Cheers)

श्री अध्यक्ष : अब हमें इसके लिए time का फैसला करना है। कौन से दिन आप इस को discuss करना चाहते हैं? (Now we have to decide about the allocation of time for its discussion. When do they want it to be discussed ?)

---

*1. **Dr. Mangal Sein, M.L.A.** to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter of urgent public importance, namely, the submergence of hundreds of villages under water in the districts of Patiala, Sangrur, Hissar, Gurgaon in general and Rohtak in particular, and various other areas in the Punjab State, destruction of standing crops worth crores of rupees and the damage caused to Rohtak town on account of breaches in Drain No. 8.

2. **Chaudhri Dharam Singh Rathi, M.L.A.** to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter of urgent public importance, namely, the gross negligence and callous indifference of the officials of the Punjab Government in not properly handling the situation and not properly maintaining their works and in not taking effective and speedy steps to drain out the flood water from flood affected areas of Panipat, Gohana, Rohtak, Hansi and Karnal etc., as a result of which many areas are still under water.

3. **Chaudhri Inder Singh,** M.L.A. to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter of urgent public importance, namely, havoc caused by the recent devastating floods in the State and particularly in Hariana area.

पंडित अमर नाथ शर्मा : स्पीकर साहिब, दीवाली की छुट्टियां भी आ रही हैं । इस लिए तारीख का फैसला करते वक्त इस बात का भी विचार कर लिया जाए ।

श्री अध्यक्ष : आप का क्या विचार है ? क्या आप इसे आज discuss करना चाहते हैं या कल ? (What is the sense of the House ? Do the hon. Members want it to be discussed today or tomorrow ?)

श्री बलराम दास टंडन : जनाब हम आज ही discuss करना चाहते हैं । रोहतक में तो सब से ज्यादा नुक्सान हुआ है (*Interruptions*)

श्री अध्यक्ष : परसों तो आप छुट्टी करना चाहते हैं । (But the House wants to observe a holiday on day after tomorrow.) (*Interruptions*)

चौधरी धर्म सिंह राठी: जनाब दीवाली भी है । (*Interruptions*)

Mr. Speaker : I have admitted this adjournment motion because the matter is of great importance. The Members have met after a long time and this problem has been engaging the attention of people of the State. I think you can wait for a day or so. Most of the Members are very anxious to be away on the 19th, which has been declared as a holiday although on our calendars 19th is not indicated as a holiday. Anyhow, I would tentatively fix tomorrow (*18th October, 1960) evening for discussion. However, I would like to consult the leader of the House before fixing the exact time because we should give to the Government some time to come prepared.

चौधरी बलबीर सिंह : स्पीकर साहब, कल morning को time रख लें ।

श्री अध्यक्ष : कल सुबह Council meet कर रही है (The Legislative Council is meeting tomorrow morning.)

Mr. Speaker : Adjournment motion at No. 3 , given notice of by Chaudhri Dharam Singh Rathi is out of order.

Adjournment motion at No. 4 given notice of by Chaudhri Dharam Singh Rathi is also not in order.

Chaudhri Dharam Singh Rathi : Sir, I want to make a submission.

Mr. Speaker : The hon. Member can see me in my Chamber. I will give him the reasons in my Chamber as has already been settled. I am not going to give the reasons for not admitting his adjournment motion here on the floor of the House.

Adjournment motion at No. 6 is also out of order.

---

*Later on, 24th of October, 1960, was fixed for the discussion.

Note.—Adjournment motions No. 3,4,6,7,8,9,10,11,13,15,17, were not mentioned by the Speaker.

चौधरी धर्म सिंह राठी : जनाब इतना बड़ा नौजवान Engineer मर गया है। सारे देश का इस से भारी नुकसान हुआ है।

श्री अध्यक्ष : आप को पता है कि adjournment motions के लिए हमारे set rules हैं। जो continuing matter हो उसे कैसे adjournment motion का subject बनाया जा सकता है। इसके लिए resolution का notice भी दिया जा सकता है (*Interruptions*) इस लिए मैं ऐसी adjournment motions admit नहीं कर सकता (The hon. Member is aware that there are set rules governing the adjournment motions. How can a continuing matter form the subject matter of adjournment motion ? For this purpose notice of a resolution could also have been given by the hon. Member. (*Interruptions*). I cannot, therefore, admit adjournment motions of this nature.)

Mr. Speaker : Adjournment Motion at No. 7 is also out of order.

The subject matter of the adjournment motions give notice of by Chaudhri Dharam Singh Rathi appearing at Nos. 8 and 9, is subjudice. Therefore they are out of order.

Chaudhri Dharam Singh Rathi : : This was the first occasion, Sir.

श्री अध्यक्ष : आपको resolution का ख्याल नहीं आया और आपने adjournment motion का notice दे दिया है। (It did not occur to the hon. Member to bring in a resolution. He has straightaway given notice of an adjournment motion.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : Resolution लाने के लिए कोई दिन ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : Non-official business के लिये एक दिन रखा हुआ है। (A day has been fixed for transacting non-official business.)

Mr. Speaker : The adjournment motions at Nos. 10 and 11 are not accompanied by an explanatory memorandum and are not in order.

अब चौधरी बलबीर सिंह का नमूना देख लो (हंसी) यह कहते हैं कि जब Centre के Deputy Minister आए तो सरदार गुरबन्ता सिंह ने कुछ कांग्रेसियों को झाड़ डाली। इस पर इन्होंने adjournment motion का notice दिया है। (हंसी) (*interruptions*) अगर वह खालिस कांग्रेसी ही न होते और उन में कोई P.S.P. का एक आदमी भी होता तो मैं इस motion को allow कर देता। (हंसी) I declare this adjournment motion out of order.

(Now here is a specimen of an adjournment motion given notice of by Chaudhri Balbir Singh. (*laughter*) He says when a certain Deputy Minister in the Centre paid a visit, Sardar Gurbanta Singh admonished some Congress men. On this he has given notice of an adjournment motion. (*laughter*) (*interruptions*) Anyhow, I might have admitted the motion, had there been even a single member of the P.S.P. present in that meeting of purely Congressmen. (*laughter*) I declare this adjournment motion out of order.)

Mr. Speaker : I am sorry I cannot admit the adjournment motion at No. 13, because it is also not accompanied by an explanatory memorandum.

The subject-matter of the adjournment motion at No. 15 is the subject of an enquiry which is pending. Therefore it is *sub judice* and the adjournment motion is out of order.

The matter for an adjournment motion should be specific and definite but here in an adjournment motion at No. 16, indiscriminate firing at many places, such as Bhatinda Jail, Mohangarh village, Faridabad etc. has been mentioned. It is out of order.

The adjournment motion of Sardar Sarup Singh at No. 17 is not accompanied by an explanatory memorandum required under the rules.

Sardar Sarup Singh : Sir, the adjournment motion itself is explanatory and is very comprehensive.

Mr. Speaker : The rules require that an adjournment motion shall be accompanied by an explanatory memorandum which has not been sent in this case. Therefore it is out of order.

Sardar Sarup Singh : If an adjournment motion is not admitted on this ground, when it is self-explanatory, then I have no option except to stage a walk out.

Mr. Speaker : It is up to the hon. Member to stage a walk out or not. But the fact remains that it is the lacuna in not sending the explanatory memorandum along with the adjournment motion, which is responsible for its being ruled out of order.

Sardar Sarup Singh : Sir, your honour can always admit an adjournment motion without an explanatory memorandum. Moreover, there is nothing obscure and indefinite in this motion.

Mr. Speaker : No. please. If the hon. Member was so keen and anxious, he should have sent in notice of a regular motion. There was sufficient time at his disposal.

Sardar Sarup Singh : Sir, that does not obviate the appeal for this adjournment motion .

Mr. Speaker : Sorry, I cannot admit it.

(*At this stage Sardar Sarup Singh staged a walk out*)

Mr. Speaker : In the case of this adjournment motion there are two positions. The rule is that it should be accompanied by a brief explanatory memorandum explaining the motion. Secondly the hon. Member had ample time at his disposal and he could send a resolution in time. There is no case for sending the adjournment motion.

As regards the adjournment motion at No. 18, it is also out of order.

चौधरी धर्म सिंह राठी : जनाब, मेरी एक privilege motion थी ।

Mr Speaker : I have not received it.

चौधरी धर्म सिंह राठी : मैं ने तो दे रखी है ।

श्री अध्यक्ष : यह मेरे पास नहीं आई । सारा काम rules से चलता है, किसी के घर का राज तो है नहीं, आप को ऐसा notice वक्त पर देना चाहिए था । (I have not received it. All the business that is transacted here is carried on strictly in accordance with the Rules of Procedure and not according to somebody's sweet will. The hon. Member should see that such notices are given in time.)

मौलवी अब्दुल गनी डार : जनाब, मैं ने भी एक Privilege Motion का notice दिया था ।

श्री अध्यक्ष : यह भी मेरे पास नहीं आई । (*Interruptions*) (This too has not so far reached me.)

OBITUARY REFERENCES

मुख्य मंत्री (सरदार प्रताप सिंह कैरों) : जनाब, स्पीकर साहिब, तीन महानुभावों के हम से बिछुड़ जाने पर मैं दुख प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

श्री फीरोज़ गांधी Parliament के Member थे । इस से पहले भी थे । उन्होंने इस थोड़े से वक्त में यह साबित कर दिखाया कि एक Member क्या कुछ कर सकता है । जहां भी कहीं State के loss की बात या किसी बड़े आदमी की सरकारी कानून से नाजायज़ फायदा उठाने की बात उन्हें नज़र आई, उन्होंने उसी case को अपने हाथ में लेकर, उस की पूरी तरह पड़ताल की और फिर House के सामने ला कर उस बुराई को मिटाया ।

(*At this stage Sardar Sarup Singh returned to the Chamber.*)

उन्होंने यह सब काम इस लिए किए क्योंकि उन के दिल में लोगों के लिए प्यार और हमदर्दी थी । वह administration को purify करना चाहते थे । इस काम में उन्होंने जो मुल्क की सेवा की और जिस ढंग से की उस से सब को सबक मिलता है । उन के काम देख कर हमें खुशी होती है और साथ ही दुख भी होता है कि जिस शख्स ने अभी बहुत काम करना था, देश के इस transitional period में वह हम से जुदा हो गया । हम ने अभी इस देश के लिए नए standards और नई conventions बनानी हैं, public life को social values देनी हैं । इन चीजों को देख कर हम कहते हैं कि उन की मौत से जो खला पैदा हो गया है वह आसानी स पूरा होने वाला नहीं है ।

इन के इलावा सरदार हरनाम सिंह सेठी, जो पिछली असैम्बली के मैम्बर थे और जिन्होंने फीरोज़पुर Municipality के लिए काम कर के नाम पैदा किया हुआ था, वह भी हम से जुदा हो गए। उन्होंने इस House में आ कर शराफत और हंस २ कर ज़िन्दगी गुज़ारने और parliamentary बातों को बिरादराना तौर पर निभाने का एक नमूना हमारे सामने पेश किया। कड़वी से कड़वी बात को मीठे ढंग से कहने का उन का अपना ही ढंग था। वह हरकते दिल बन्द हो जाने से हम से दूर चले गए।

इन के इलावा सरदार केहर सिंह भी एक पुराने M.L.A. थे। वह partition के वक्त इधर आ कर भी कुछ देर M.L.A. रहे। उन पर कुछ लोगों ने बुज़दिलाना हमला कर के हम से हमेशा के लिए जुदा कर दिया। सरदार केहर सिंह Canada से आए थे और उन का गदर पार्टी से ताल्लुक था। जब भी मौका आया वह हंसते २ जेल गए और देश के हित के लिए उन्होंने हंस २ कर साम्राज्यशाही का मुकाबला किया।

और हंस-हंस के साम्राज्यशाही को खत्म करने के लिए अपनी हिम्मत से हर वक्त काम लिया। सरदार केहर सिंह एक ऐसे शख्स थे जो लुधियाने की स्यासी ज़िन्दगी में अपना नाम रखते थे। वह बड़ा दलेर, निडर, हौसले वाला और सच्ची बात करने वाला शख्स था। मैं उन लोगों की बुज़दिली को जिन्होंने उन पर कातलाना हमला करके उन्हें मार डाला, सख्त condemn करता हूं और उन्हें हिकारत की नज़र से देखता हूं। उनकी मृत्यु से सारे हाउस को दुःख है। हम चाहते हैं भाषणों के बाद हम दो मिनट के लिये शान्ति से खड़े हो कर यह देखें कि कुछ ऐसी ऐसी हस्तियां होती हैं जो सिदक़दिली से अपना फर्ज़ पूरा कर जाती है। उन के रिश्तेदारों और उन के परिवार के लोगों को हाउस की भावनाएं जो उन के दुःख में दुःखी हैं, भेज दी जाएं। उन तीनों भाइयों के परिवारों तक जो हम से बिछड़ गए हैं उन के सम्बन्धियों तक हाउस की feelings पहुंचा दी जाएं।

श्री अध्यक्ष : जैसी कि कनवेंशन है कि लीडर आफ दी हाउस के बाद लीडर आफ दी अपोजीशन अपना भाषण करेंगे और अगर वह नहीं हैं तो ग्रुप लीडर करेंगे। (As is the convention, the Leader of the Opposition rises to make a speech after the Leader of the House has spoken. If he does not exist then the Leaders of the Opposition groups speak.)

डाक्टर बलदेव प्रकाश (अमृतसर शहर पूर्व) : स्पीकर साहिब, मुख्य मंत्री जी ने जो शोक प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। बहुत ही दुःख का विषय है कि श्री फीरोज़ गांधी इस संसार से चले गए। आखिर जिस ने पैदा होना है, उसने एक न एक दिन ज़रूर मरना है, चाहे वह छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा हो, यह एक हकीकत है। लेकिन इतना होते हुए भी जो दुःख की सीमा बढ़ी वह इसलिए कि उनका निधन इतनी अल्पायु में हो गया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। इस से सारे के सारे नेशन को बहुत सदमा पहुंचा है। सिर्फ 48 साल की उम्र में एक ऐसे आदमी का निधन हो जाना जिस ने कि अपनी सारी उम्र देश की सेवा में लगा दी हो, बड़े ही दुःख की बात है। उन्हें हार्ट अटैक हुआ और बदकिस्मती से पूरा treatment भी

[डाकटर बलदेव प्रकाश]

हासिल न हो सका । वह दिल की बीमारी से कई साल से बीमार थे लेकिन सदा ही वह देश के काम में जुटे रहने के कारण उसका ठीक से इलाज नहीं करा सके । जिन दिनों उनका स्वर्गवास हुआ उन दिनों वे अपनी कांस्टीचुएंसी में एक कालेज खोलने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे और रात दिन एक कर दिया था । उसी दौरान उनका स्वर्गवास हो गया । आज के युग में जब स्वार्थ का पूरा ज़ोर अपने देश की सेवा में अपनी जान की परवा न करते हुए जो व्यक्ति लगा दे वह एक महान् हस्ती होती है और उसका जीता जागता उदाहरण फीरोज़ गांधी थे जिन्होंने अपनी जान से भी ज्यादा देश को समझा । यह एक महान् बात है । उन्होंने पार्लियामेंट के अन्दर बहुत बड़े बड़े काम किए । इतने महान् पार्लियामेंटेरियन का इतनी छोटी आयु में निधन हो जाना महान् शोक की बात है इस से देश को बड़ा आघात पहुंचा है । मैं अपनी श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं उनके परिवार के साथ जिसका इतना नुकसान हुआ है अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और यह चाहता हूं कि हाउस की भावनाएं उनके इष्ट जनों के पास पहुंचा दी जाएं ।

साथ ही श्री हरनाम सिंह सेठी और श्री केहरसिंह जी के स्वर्गवास होने पर मुझे महान् दुःख है और अपनी भावनाएं उनके परिवार तक भेजना चाहता हूं साथ ही जो श्रद्धांजलि इन मृत व्यक्तियों के लिए अर्पित की गई हैं उसके लिए हमारी तरफ से पूरा पूरा समर्थन है ।

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ (ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਜਨਰਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੋਕ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ group ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ । ਸ੍ਰੀ ਫੀਰੋਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਫੀਰੋਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਬੜੇ ਲਾਇਕ parliamentarian ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਇਕ ਆਮ ਬਾਤ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Parliament ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਅਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ additional ਗੁਣ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਹੁਣ ਜਦ ਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ public life ਵਿਚ ਔਰ administration ਦੇ ਵਿਚ ਇਤਨਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਫੀਰੋਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਤਵਜੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗਈ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਮੁੰਦਰਾ case ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਜ ਜੋ public life ਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿਚ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ । ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸ੍ਰੀ ਫੀਰੋਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਜਲੇ ਹੋਈਏ ਔਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਜਲਾ ਹੋਵੇ ।

ਦੂਸਰੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਜੋ ਇਸ Assembly ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ public life ਵਿਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਕ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ।

ਫਿਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਚਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਮਨਜ਼ਲ ਸੀ । ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਚਨਚੇਤ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋਈ ਇਹ ਬੜੀ ਦੁਖ ਭਰੀ ਗਲ ਹੈ । ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਪੈਗਾਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹਾ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਵਾਹਕੀਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ।

Sardar Sarup Singh (Amritsar City, Civil Lines) : Mr. Speaker, Sir, it is with a heavy heart that I associate myself on behalf of my party with the condolence motion moved by the hon. the Leader of the House.

In the death of Mr. Feroze Gandhi, this country has lost a luminous star which shone on the Indian horizon and the Indian horizon is poorer for it.

Mr. Speaker, death often places its icy hands on the old guard who has served this country so well. That is bad enough. But when death cuts off a future ray of hope then our loss and the sense of loss is all the greater. In the death of Mr. Feroze Gandhi India has lost a ray of hope of the future a man of great promise and accomplishment, immaculate in dress, immaculate in habits and his immaculate mind made many problems look simple. In Indian Parliament he was known as its Edmund Burke. Pains taking and pleasant, he was a friend of the underprivileged. Many years of the useful service to the country have been cut short.

His was a life of sacrifices and it had also a very humane aspect. In that at much domestic inconvenience and felicity he generously allowed his life partner, Shrimati Indra Gandhi to undertake the time consuming and onerous responsibility of running the Prime Minister's house-hold, as a matter of duty to the country.

I am sure, Sir, that his untimely death will be deeply mourned all-over by the countrymen.

I also extend my heart-felt sympathy to the relations of the late Shri Harnam Singh Sethi and the late Sardar Kehar Singh Achharwal, former Members of this august House, at their death.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਨਰਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਫਿਰੋਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ

[ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]

ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਲੀ ਪਰਕਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ (arbitrator,) ਅਤੇ ਸਾਲਸ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਸਨ ।

Central Government Employees' Strike ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜੋ part ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ play ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇ । ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਐਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੱਵਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਸ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਧੀਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਸਰਾ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹਥ ਵਿਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਆਖੀਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਣਗੇ । ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਹੀ ਲਗ ਭਗ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ । ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਕਰੀਬਨ ਫਿਰੋਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀਆਂ recommendations ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਸੀ । ਇਹੋ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਨ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪੜਤਾਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ finalise ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹਦ ਤਕ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਇਕ ਭਾਰੀ ਖਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲ ਵਸ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ੋਕ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਗੇ ਇਹ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪਿਛੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ । ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਮੈਂ ਇਕ ਵੇਰ ਫਿਰ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸ਼ੋਕਮਈ ਪਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

श्री अध्यक्ष : जो शोकपूर्वक विचार मुख्य मन्त्री जी ने श्री फीरोजगान्धी जी और बाकी दो साहिबान सरदार हरनाम सिंह सेठी और सरदार केहर सिंह अच्छरवाल के बारे में रखे हैं और जिन की ताईद हमारे मुख्तलिफ पार्टियों के मेम्बर साहिबान ने की है, मैं उन के साथ अपने आप को पूरी तरह से सम्बन्धित करता हूं । फीरोजगांधी जी बड़ी छोटी उम्र के थे । वह 1912 में पैदा हुए । उनकी उम्र 48 साल की थी जब वह हम से सदा के लिए जुदा हो गए । थोड़े अर्से के बाद उन्हें बाहर पढ़ाई के लिए भेजा गया । London School of Economics ने उन्हें अपना एक खास Scholar समझा और वह वहां से economics में शुहरत हासिल कर के आए । उस वक्त देश में आजादी की लहर चल रही थी और वह उस में पूरी तरह से शामिल हो गए । वह एक बड़े नामी Journalist थे और Associated Journals Limited के Director थे । उन्होंने National Herald और नव जीवन में रह कर देश की सेवा की । आर्थिक, समाजिक और स्यासी मैदान में उन का इस छोटी उम्र में हमेशा के लिए हमारे दरम्यान से चला जाना बड़ा ही अफसोस नाक वाकया है । जैसे कि कुछ दोस्तों ने कहा हमारे Prime Minister के दामाद होने के नाते उनकी जो position थी उसके इलावा 1950 से 1952 तक उस के बाद 1952 से 1957 तक और फिर मौजूदा पार्लियामेंट में वह रहे और नाम पैदा किया । जिस मसला को वह हाथ में लेते थे उस को मुकम्मल कर के हाउस के सामने रखते थे और उनके ख्यालात इज्जत और सत्कार के साथ सुने जाते थे । वह बड़े निडर और बेखौफ थे । उन का इस देश की स्यासत में आहिस्ता आहिस्ता सामने आना और फिर एक दम ग़ायब हो जाना, हमारे दरम्यान से चला जाना निहायत ही अफसोसनाक बात है । जिस भी मसले को उन्होंने हाथ में लिया उसमें उन्हें न सिर्फ पार्लियामेंट में ही कामयाबी हुई बल्कि देश के अवाम ने भी हमेशा उन का साथ दिया। उन की सेहत ज्यादा काम करने की वजह से गिरती गई । उनके दोस्त मश्विरा देते थे लेकिन वह अपनी सेहत की परवाह न करते हुए अपने मिशन में चलते रहे और आखीर में दम तोड़ दिया। एक जर्नलिस्ट के नाते और एक legislator के नाते उन्होंने जो सेवा की हम सब उन के ममनून हैं । मुख्य मन्त्री जी ने उन के जीवन के बारे में जिन ख्यालात का इज़हार किया है मैं दोबारा उनके साथ शामिल होता हूं और आप से प्रार्थना करता हूं कि आप खड़े होकर इस प्रस्ताव को दो मिनट की खामोशी के साथ कबूल फरमाएं ।

इस के साथ ही हमारे पिछली असेम्बली के मेम्बर श्री सेठी जी की शराफत और हलीमी से हम में से बहुत से वाकफ हैं । उन्होंने अपने इलाका और ज़िला के लोगों की बहुत सेवा की । उन की मौत पर भी मैं शोक प्रकट करता हूं । सरदार केहर सिंह अच्छरवाल के बारे में आप ने पिछले दिनों अखबार में पढ़ा होगा कि किसी बुज़दिल ने उन पर हमला किया और उन्हें कत्ल कर दिया । हाउस को उनकी देश सेवा का और किस तरह से उन्होंने आज़ादी की movement में एक नामी जरनैल के तौर पर काम किया, का पता लग चुका है । Members को यह भी मालूम है कि वे किस तरह से इस हाउस के मेम्बर रहे और हाउस के अंदर भी और बाहर भी अवाम की सेवा उन्होंने किस तरह से की । मैं आशा करता हूं कि उनकी आत्माओं की respect के लिए तमाम मेम्बर साहिबान दो मिनट के लिए खड़े होंगे । हाउस की इजाज़त से यह जो प्रस्ताव है Mrs. Indira Gandhi को, Prime Minister को और उन के दूसरे रिश्तेदारों को भेज दिया जाएगा ।

(तब तमाम मेम्बर साहिबान दो मिनट के लिए चुप खड़े हो गए ।)

(I fully associate myself with the condolatory remarks made by the Chief Minister and supported by the leaders of different groups in the opposition of our legislature regarding the sad demise of Sarvshri Feroze Gandhi, Harnam Singh Sethi and Kehar Singh Achharwal. Shri Feroze Gandhi was quite young. He was born in 1912 and was only 48 years old when death laid its icy hands on him. He received his education abroad. London School of Economics was proud of this scholar and he returned home after achieving great success as an economist of repute. At that time the independence movement was in full swing in the country and he threw his whole weight in it. He was a journalist of great repute and a Director of the Associated Journals Limited. He served his country by joining the National Herald and the Navjeevan. His leaving us at such young age for good in the economic, social and political sphere is indeed a matter of deep regret for us. Apart from his position as the son-in-law of our Prime Minister he made a name for himself during his membership of the Parliament from 1950—1952, 1952—1957 and then in the present Parliament. Whatever problem he touched he placed it before the House with complete facts and his views were listened to with rapt attention and great respect. He was very fearless and outspoken in his views. His coming into lime-light step by step in the country's body politic and then disappearing abruptly from our midst is indeed a matter of deep regret. In whatever cause he sponsored, he achieved success not only in the Parliament but also received full support of the masses in the country. But overwork began to tell on his health. His friends counseled him to take rest but unmindful of his health he continued to work hard for his mission of service and ultimately laid down his life for it. We are all grateful to him for the services rendered by him as a journalist and as a legislator. Once again I associate myself with the sentiments expressed by the Chief Minister regarding the life of the deceased and request the hon. Members to stand up for two minutes to observe silence, in token of their complete accord with the condolence motion.

Then a good many hon. Members are aware of the urbanity and the politeness of Shri Sethi who was a member of the previous Assembly. He rendered a great service to the people of his constituency and the district . I express my feelings of sorrow at his death as well. The hon. Members might have read in the papers a few days back that a coward attacked Sardar Kehar Singh Achharwal and murdered him. The House is already aware of the services he rendered to the nation and the way, he conducted himself as an illustrious General in the battle for freedom. The hon. members also know how as a member of this House he served the people inside as well as outside it. I hope that as a mark of respect to the departed souls the hon. Members will stand in their place for a couple of minutes. Then with the permission of the House, these condolence messages will be conveyed to Mrs. Indra Gandhi, Prime Minister and other relations of these departed souls).

(The hon. members then stood up in silence for two minutes.)

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER

I. REG. PANEL OF CHAIRMEN

Mr. Speaker : Under Rule 13 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly, I nominate the following Members to serve on the Panel of Chairmen—

(1) Khan Abdul Ghaffar Khan.

(2) Shrimati Om Prabha Jain.

(3) Sardar Gurbachan Singh Bajwa.

(4) Shri Lal Chand Sabharwal.

अगर हाउस इजाजत दे तो दो Regional Committees के चेयरमैन को ex-officio Members of the Panel of Chairmen मुकर्रर कर दिया जाए। (*Cheers*) (If the House agrees the two Chairmen of the Regional Committees may be nominated to the Panel of Chairmen as ex-officio Members.) (*Cheers*)

आवाजें : होने चाहियें।

श्री अध्यक्ष : मैं इन को इस बात के लिये मना नहीं सका। सरदार अजमेर सिंह तो हाउस में ज्यादा बैठ नहीं सकते क्योंकि उनके पास समय नहीं होता। लेकिन अब चूंकि उन्होंने बतौर चेयरमैन allowance draw करना शुरू कर दिया है मैं उन से वादा लेना चाहता हूं कि वह हाउस के लिए काफी time devote करेंगे। मेरा इरादा एक लेडी मेम्बर nominate करने को था इस के लिए श्रीमती ओम प्रभा जैन ज्यादा मौजूं हैं। सफेद रीश में से मैंने खान साहिब को nominate कर दिया है। जैसे मैंने कहा मेरा इरादा रिजनल कमेटियों के चेयरमैन को nominate करने का है। (So far I have not been able to bring them round on this proposal. Sardar Ajmer Singh seldom finds himself in a position to sit in the House for want of time at his disposal. Since they have started drawing allowances as Chairmen, Regional Committees, I want to extract a promise from them that they would now devote sufficient time to the activities of the House. I had a mind to appoint a Lady Member to the Panel of Chairmen and I have found in Shrimati Om Prabha Jain a suitable person for this purpose, From amongst the veterans I have nominated Khan Abdul Ghaffar Khan. As I have already stated, I would very much like to nominate the Chairmen of the Regional Committees to the Panel of Chairmen.)

आवाजें : Rules amend करें।

श्री अध्यक्ष : Rules तो मैं amend करवाऊंगा लेकिन पहले मैं उन से वादा लेना चाहता हूं (*interruptions*)

[श्री अध्यक्ष]

(I will get the rules amended but before doing that I must have an assurance from both of them. (*interruptions*)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ । Oath ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ।

आवाजें : वे अपनी हतक समझते हैं ।

श्री अध्यक्ष : मैं इस बात के लिए rules amend करवाऊंगा कि दोनो रिजिनल कमेटियों के चेयरमैन Ex-officio Members of the Panel of Chairmen होंगे । (I will get the rules amended so that the Chairmen of both the Regional Committees become ex-officio Members of the Panel of Chairmen.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : एक हरिजन भी मेम्बर होना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : मैंने पहले एक लेडी वकील मैम्बर को और एक Mohammaden मैम्बर को nominate किया है । अब हरिजन को भी nominate कर दिया जाएगा । (I have already included a lady lawyer Member and a Mohammaden Member in the Panel of Chairmen. Now a Harijan will also be nominated.)

II. REGARDING COMMITTEE ON PETITIONS

Mr. Speaker : Under Rule 293(i) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly, I nominate the following members of the Assembly to serve on the Committee on Petitions :—

(i) Chaudhri Sarup Singh (Deputy Speaker), Ex-Officio Chairman.
(2) Sardar Charan Singh.
(3) Sardar Jagir Singh 'Dard'.
(4) Shri Kundan Lal.
(5) Shri Lal Chand Sabharwal.

श्री लाल चन्द : On a point of order, Sir. स्पीकर साहिब, आप ने proceedings के दौरान Leader of the Opposition का ज़िक्र किया है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या opposition के न होते हुए भी कहीं Leader of the Opposition हो सकता है ?

आवाजें : ऐसा नहीं कहा ।

श्री अध्यक्ष : मैं ने Opposition Groups कहा है। (By Opposition I meant the groups in Opposition.)

III Reg. Extension of time granted by the Speaker for the submission of Reports by—

(1) the Committee on Privileges.

(2) the Punjabi Regional Committee on three Bills.

(3) the Hindi Regional Committee on one Bill.

Mr. Speaker : I have to inform the House that the Committee of Privileges could not answer the reference made to it by the House in regard to a certain article published in the Hind Samachar, by the 31st of May, 1960, i.e., within two months allowed by the House. I was approached by the Chairman of the Committee on behalf of the Committee to extend the time up to the 31st of July, 1960, as the House was not in session. I agreed to the extension. Then again I was approached in the same way for further extension of time upto the 20th of October, and again I agreed as the House was not in session.

I have further to inform the House that the Punjabi Regional Committee could not make its Reports on the following Bills referred to it by the Assembly during its last session by the prescribed dates mentioned against each :—

Sl. No.	Title of the Bill	Date of reference by the Assembly	Date for submission of Report
1	The Punjab Municipal Bill, 1960 ..	19th April, 1960 ..	15th September, 1960
2	The Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads Bill, 1960	25th April, 1960	15th September, 1960
3	The Punjab Agricultural Produce Markets Bill, 1960	26th April, 1960	1st September, 1960

I was approached by the Chairman, Punjabi Regional Committee to extend the time for the submission of these Reports upto the 30th September, 1960, as the House was not in session. I agreed to the extension. Then again, I was approached in the same way for extension of time up to the 15th October, 1960, for the Report of the Punjabi Regional Committee on the Punjab Municipal Bill, 1960, and again I agreed as the House was not in session. On a further similar request this time was extended up to the 20th October, 1960.

Similarly, the Hindi Regional Committee could not make its Report on the Punjab Municipal Bill, 1960, referred to it by the House on the 19th April, 1960, by the 15th September, 1960—the time fined by the House for the purpose. I was approached by the Chairman, Hindi Regional Committee, to extend the time for submission of the Report upto the 15th October, 1960, as the House was not in session. I agreed to the extension. Then again, I was approached in the same way for extension of time up to the 20th October, 1960, and again I agreed as the House was not in session.

Now I am making a report to the House in the matter accordingly.

श्री लाल चन्द : On a point of order, Sir. जब आप बोल रहे होते हैं तो बहुत से मेम्बर साहिबान House को छोड़ कर चले जाते हैं । क्या उनका इस तरह चले जाना proper है ?

Chief Parliamentary Secretary : All are present.

श्री लाल चन्द : आप ने note नहीं किया होगा लेकिन बहुत से मेम्बर इस तरह बाहर चले जाते हैं । इसलिए मैं स्पीकर साहिब से पूछना चाहता हूँ कि क्या उनका इस तरह चले जाना proper है ?

श्री अध्यक्ष : मैं उनको बांध कर तो रख नहीं सकता । यह तो उनकी sense of propriety पर depend करता है कि वह इस बात को महसूस करें कि House में कैसे behave करना है (I cannot compel them to keep sitting . It depends upon their sense of propriety to see how they have to behave in the House.)

Mr. Speaker : Secretary will make some announcement.

ANNOUNCEMENT BY THE SECRETARY

Secretary : Sir, I beg to lay on the Table a statement showing the Bills which were passed by the Punjab State Legislature during its Ninth (Budget) Session, 1960, and which have since been assented to by the President/Governor.

1. The Punjab Appropriation (No. 4) Bill, 1960.
2. The Punjab Appropriation (No. 5) Bill, 1960.
3. The Punjab Laws (Extension No. 7) Bill, 1960.
4. The Punjab Repealing Bill, 1960.
5. The Punjab Non-Trading Companies Bill, 1960.
6. The Court Fees (Punjab Amendment) Bill, 1960.
7. The East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) (Second Amendment and Validation) Bill, 1960.
8. The Indian Stamp (Punjab Amendment) Bill, 1960.
9. The Indian Treasure-Trove (Punjab (Amendment) Bill, 1960.
10. The Punjab General Sales Tax (Amendment) Bill, 1960.
11. The Punjab Motor Spirit (Taxation of Sales) (Amendment) Bill, 1960.
12. The Punjab General Sales Tax (Amendment and Validation) Bill,1960.
13. The Punjab Gram Panchayat (Amendment) Bill, 1959.

. The Northern India Canal and Drainage (Punjab Amendment) Bill, 1960.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Chief Minister (Sardar Partap Singh Kairon) : Sir, I beg to lay on the Table —

(i) Ordinances Nos. 1—5 of 1960 ;

(ii) the additions (4 Notifications) made by the Governor to Schedules 'A' and 'B' referred to in Regulations 3 (b) and 5 (1) respectivly of the Punjab Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1955, as required by clause (5) of Articles 320 of the Constitution ;

(iii) the Hindu Marriage (Punjab) Registration Rules, 1960, as required under Section 8 (3) of the Hindu Marriage Act, 1955 ;

(iv) the Punjab Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Rules, 1960 as required under Section 23 (4) of the Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956 ;

(v) the Punjab Children Rules, 1956, as required under Section 74 (3) (a) of the East Punjab Children Act, 1949 ;

(vi) the seventh Annual Report and Accounts of the Punjab Financial Corporation for the year ended 31st March, 1960 ;

(vii) the Punjab Draft Third Five-Year Plan ;

(viii) the amendments (12 Notifications) made in the Punjab Motor Vehicles Rules, 1940, as required under Section 133 (3) of the Motor Vehicles Act, 1939;

(ix) (3 Notifications) issued under section 30 (1) of the Punjab General Sales Tax Act, 1948, as required under Section 33 (3) *ibid* ; and

(x) the amendment made in the Punjab Agricultural Produce Markets Rules, 1940, as required under section 27 (4) (b) of the Punjab Agricultural Produce Markets Act, 1939.

PRESENTATION OF THE ELEVENTH REPORT OF THE PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

Sardar Bhupinder Singh Mann (Member, Public Accounts Committee) : Sir, I beg to present the Eleventh Report of the Public Accounts Committee for the year 1960-61.

BILLS (LEAVE TO INTRODUCE)

THE NORTHERN INDIA CANAL AND DRAINAGE (PUNJAB SECOND AMENDMENT) BILL, 1960

Minister for Irrigation and Power (Rao Birendar Singh) : Sir, I beg to ask for leave to introduce the Northern India Canal and Drainage (Punjab Second Amendment) Bill.

Mr. Speaker : Motion moved—

That leave be granted to introduce the Northern India Canal and Drainage (Punjab Second Amendment) Bill.

Mr. Speaker : Question is—

That leave be granted to introduce the Northern India Canal and Drainage (Punjab Second Amendment) Bill.

The leave was granted

Minister for Irrigation and Power : Sir, I beg to introduce the Northern India Canal and Drainage (Punjab Second Amendment) Bill.

THE PUNJAB FRUIT NURSERIES BILL, 1960

Minister for Agriculture and Forests (Sardar Gian Singh Rarewala) : Sir, I beg to ask for leave to introduce the Punjab Fruit Nurseries Bill, 1960.

Mr. Speaker : Motion moved—

That leave be granted to introduce the Punjab Fruit Nurseries Bill.

Mr. Speaker : Question is—

That leave be granted to introduce the Punjab Fruit Nurseries Bill.

The leave was granted.

Minister for Agriculture and Forests : Sir, I beg to introduce the Punjab Fruit Nurseries Bill.

Minister for Agriculture and Forests : Sir, I beg to move—

That the Punjab Fruit Nurseries Bill be referred to the Regional Committees with a direction to make a Report by the 31st January, 1961.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Fruit Nurseries Bill be referred to the Regional Committees with a direction to make a Report by the 31st January, 1961.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Fruit Nurseries Bill be referred to the Regional Committees with a direction to make a Report by the 31st January, 1961.

The motion was carried.

THE PUNJAB SLUM AREAS (IMPROVEMENT AND CLEARANCE) BILL, 1960

Minister for Public Works (Chaudhri Suraj Mal) : Sir, I beg to ask for leave to introduce the Punjab Slum Areas (Improvement and Clearance) Bill.

Mr. Speaker : Motion moved—

That leave be granted to introduce the Punjab Slum Areas (Improvement and Clearance) Bill.

Mr. Speaker : Question is—

That leave be granted to introduce the Punjab Slum Areas (Improvement and Clearance) Bill.

The leave was granted.

Minister for Public Works : Sir, I beg to introduce the Punjab Slum Areas (Improvement and Clearance) Bill.

THE PUNJAB CRIMINAL LAW (AMENDMENT) BILL, 1960

Minister for Industries (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to ask for leave to introduce the Punjab Criminal Law (Amendment) Bill.

Mr. Speaker : Motion moved—

That leave be granted to introduce the Punjab Criminal Law (Amendment) Bill.

Mr. Speaker : Question is—

That leave be granted to introduce the Punjab Criminal Law (Amendment) Bill.

The leave was granted.

Minister for Industries : Sir, I beg to introduce the Punjab Criminal Law (Amendment) Bill.

THE PUNJAB MONEY LENDING AND DEBTORS' PROTECTION LAWS (EXTENSION AND AMENDMENT) BILL, 1960

Minister for Industries : Sir, I beg to ask for leave to introduce the Punjab Money lending and Debtors' Protection Laws (Extension and Amendment) Bill.

Mr. Speaker : Motion moved—

That leave be granted to introduce the Punjab Money lending and Debtors' Protection Laws (Extension and Amendment) Bill.

Mr. Speaker : Question is—

That leave be granted to introduce the Punjab Money lending and Debotors' Protection Laws (Extension and Amendment) Bill.

The leave was granted.

Minister for Industries : Sir, I beg to introduce the Punjab Money lending and Debtors' Protection Laws (Extension and Amendment) Bill.

THE PATIALA RECOVERY OF STATE DUES (REPEALING) BILL, 1960

Minister for Revenue (Giani Kartar Singh) : Sir, I beg to ask for leave to introduce the Patiala Recovery of State Dues (Repealing) Bill.

Mr. Speaker : Motion moved—

That leave be granted to introduce the Patiala Recovery of State Dues (Repealing) Bill.

Mr. Speaker : Question is—

That leave be granted to introduce the Patiala Recovery of State Dues (Repealing) Bill.

The leave was granted

Minister for Revenue : Sir, I beg to introduce the Patiala Recovery of State Dues (Repealing) Bill.

THE EAST PUNJAB WAR AWARDS (AMENDMENT) BILL, 1960

Minister for Revenue : Sir, I beg to ask for leave to introduce the East Punjab War Awards (Amendment) Bill.

Mr. Speaker : Motion moved—

That leave be granted to introduce the East Punjab War Awards (Amendment) Bill.

Mr. Speaker : Question is—

That leave be granted to introduce the East Punjab War Awards (Amendment) Bill.

The leave was granted

Minister for Revenue : Sir, I beg to introduce the East Punjab War Awards (Amendment) Bill.

THE EAST PUNJAB VOLUNTEER CORPS (AMENDMENT) BILL, 1960

Chief Minister (Sardar Partap Singh Kairon) : Sir, I beg to ask for leave to introduce the East Punjab Volunteer Corps (Amendment) Bill.

Mr. Speaker : Motion moved—

That leave be granted to introduce the East Punjab Volunteer Corps (Amendment) Bill.

Mr. Speaker : Question is—

That leave be granted to introduce the East Punjab Volunteer Corps (Amendment) Bill.

The leave was granted.

Chief Minister : Sir, I beg to introduce the East Punjab Volunteer Corps (Amendment) Bill.

PRESENTATION OF THE REPORT OF REGIONAL COMMITTEES ON THE PUNJAB LAWS (EXTENSION NO. 8) BILL, 1960

Chairman, Punjabi Regional Committee (Sardar Ajmer Singh) : Sir, I beg to present the Report of the Punjabi Regional Committee on the Punjab Laws (Extension No. 8) Bill.

Chairman, Hindi Regional Committee (Shri Balwant Rai Tayal) : Sir, I beg to present the Report of the Hindi Regional Committee on the Punjab Laws (Extension No. 8) Bill.

PRESENTATION OF THE REPORT OF REGIONAL COMMITTEES ON THE PUNJAB COMPULSORY SERVICE BILL, 1960

Chairman, Punjabi Regional Committee (Sardar Ajmer Singh) : Sir, I beg to present the Report of the Punjabi Regional Committee on the Punjab Compulsory Service Bill.

Chairman, Hindi Regional Committee (Shri Balwant Rai Tayal) : Sir, I beg to present the Report of the Hindi Regional Committee on the Punjab Compulsory Service Bill.

PRESENTATION OF THE REPORT OF REGIONAL COMMITTEES ON THE PUNJAB PANCHAYAT SAMITIS AND ZILA PARISHADS BILL, 1960

Chairman, Punjabi Regional Committee (Sardar Ajmer Singh) : Sir, I beg to present the Report of the Punjabi Regional Committee on the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads Bill.

Chairman, Hindi Regional Committee (Shri Balwant Rai Tayal) : Sir, I beg to present the Report of the Hindi Regional Committee on the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads Bill.

PRESENTATION OF THE REPORT OF REGIONAL COMMITTEES ON THE PUNJAB AGRICULTURAL PRODUCE MARKETS BILL, 1960

Chairman, Punjabi Regional Committee (Sardar Ajmer Singh) : Sir, I beg to present the Report of the Punjabi Regional Committee on the Punjab Agricultural Produce Markets Bill.

Chairman, Hindi Regional Committee (Shri Balwant Rai Tayal) : Sir, I beg to present the Report of the Hindi Regional Committee on the Punjab Agricultural Produce Markets Bill.

DRAFT THIRD FIVE-YEAR PLAN, PUNJAB STATE

Minister for Industries (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to move—

That the Punjab Third Five-Year Plan proposed tentatively for discussions with the Planning Commission be discussed.

4 p m

स्पीकर साहिब, जिस मामले को discuss करने के लिए मैंने request की है यह बड़ा अहम मामला है। हमारी इन Plans से पंजाब का future वाबस्ता है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम पूरी गम्भीरता से इस पर बहस करेंगे।

जो economic planning देश में आज हो रही है इस पर कुछ बहुत ज्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं महसूस होती। आप जानते हैं कि इस planning का मकसद हर किस्म की production बढ़ा कर कौमी आमदनी को बढ़ाना और देशवासियों के मियारे ज़िन्दगी को ऊंचा करना है। यहां से गरीबी को दूर करना है। यही aims इस third plan के draft में आप को मिलेंगे। हमारे planners के सामने यही तीन चार बातें थीं।

आप जानते हैं कि कौमी आमदन को बढ़ाना कितना अहम काम है। हमारी पहली जो Plan थी उस में फी साल कौमी आमदन $3\frac{1}{2}$ per cent बढ़ी। दूसरी Plan के दौरान 4 per cent बढ़ौतरी हुई और इस तीसरी Plan में कम से कम 5 per cent फी साल कौमी आमदन बढ़ाना मकसूद है। हम यह stage लाना चाहते हैं जिस से 8 per cent फी साल यह आमदनी बढ़े ताकि 12, 13 साल में हमारी आमदनी दुगनी हो जाया करे। Economic development की यह stage self generating economy कही जाती है। वह पहला object है।

[उद्योग मन्त्री]

दूसरा aim देश को food के मामले में खुद कफील बनाना है। यह भी बहुत बड़ा उद्देश्य है। इस बारे में ज्यादा कहने की ज़रूरत नहीं कि इस में self-sufficiency कितनी ज़रूरी है।

तीसरा aim basic industries को मुनासब जगह देकर बढ़ावा देने का है। इन industries के बगैर देश आगे नहीं बढ़ सकता। यही बात fuel के बारे में भी है। जब तक आप की ज़रूरतों के मुताबिक आप के पास petrol और diesel नहीं तब तक देश की economy को self-generating बनाना बड़ा मुश्किल है। इसी तरह से आप के Planners के सामने यहां की idle man-power को काम दिलाने का उद्देश्य भी था। सिर्फ इस लिए नहीं कि हम अपने यहां से unemployment दूर कर सकें बल्कि इस लिए कि जो हमारी फालतू जनसंख्या है उस को हम asset के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। यह हमारा चौथा उद्देश्य है। इसी तरह से पांचवां उद्देश्य नाबराबरी को कम करने का है। यह नाबराबरी हमने अपनी इकनामिक प्लैनिंग के ज़रिए दूर करनी है। लेकिन हमारे प्लैनर्ज़ ने जिन उद्देश्यों को हमारे सामने रखा है उसके लिए यह ज़रूरी था कि priority fix की जाए। मैं मुख्तसिर तौर पर प्लैन का ढांचा रख रहा हूं क्योंकि पंजाब में भी ड्राफ्ट प्लैन बनाने में इसी का आधार बनाया है। सब से पहली जो first priority थर्ड फाइव-इयर प्लैन में मिली है वह ऐग्रीकल्चर और food को और दूसरी Priority industries को, fuel को transport को और power को, और तीसरी priority मिली है सोशल सर्विसिज़ को और फिर और दूसरी चीजें आती हैं।

जैसा कि आप जानते हैं प्लैन में जो target रखे हैं उसमें से ही स्टेट्स की allocation का सवाल है। सैंटर की जो प्लैन है वह 10,200 करोड़ की है उसमें से 7,200 पब्लिक सैक्टर में खर्च होना है और 3,000 के करीब प्राइवेट सैक्टर में। जहां तक पब्लिक सैक्टर का सवाल है उसके दो हिस्से हैं। एक वह जो गवर्नमेंट आफ इंडिया की प्लैन से ताल्लुक रखता है और दूसरा स्टेट प्लैन से; इसलिए सवाल यह है कि स्टेट्स की प्लैन जो है उसके लिए ऐलोकेशन हो रही है। हम ने भी अपनी प्लैन बनाई इसलिए हमारे लिए यह बहुत ज़रूरी है कि जो चीज स्टेट ने बना कर भेजी है वह पूरी की पूरी मंजूर हो और अगर कट लगना ही है तो वह बहुत कम लगे। मैं एक बात आपके सामने रखता हूं कि सैंटर में जो लोगों का ख्याल है वह कुछ ऐसा है कि स्टेट्स की एलोकेशन पापुलेशन के बेसिज़ पर की जाए। यह मै मानता हूं कि हमारे प्लैनर्ज़ बहुत समझदार आदमी हैं लेकिन किसी आबादी या रीजन के आधार पर right planning नहीं होगी इसलिए आबादी के लिहाज़ से तकसीम का जो ख्याल है, पंजाब उसका सख्त मुखालिफ है। दूसरा ख्याल जो इस सम्बन्ध में चलता है वह इस किस्म का है कि ऐसे रीजन जहां कमज़ोरियां हों और आर्थिक दशा अच्छी न हो उसको मद्देनज़र रख कर तकसीम की जाए साथ ही देखा यह जाए कि किस स्टेट की कितनी पर कैपिटा इनकम है और उसी हिसाब से एलोकेशन की जाए। जिस स्टेट की इकानामिक हालत अच्छी हो उसका कम लिहाज़ किया जाए और जिस की हालत कमज़ोर हो उसकी लिहाज़दारी की जाए। इस हिसाब से एलोकेशन हो। तो मैं अपनी स्टेट की तरफ से इस असूल की सख्त मुखालफत करता हूं। क्योंकि हमारी

स्टेट की इनकम नैशनल इनकम से 20 फीसदी हाइर है । इस बात को मैं जानता हूं लेकिन मेरी मुखालफत की वजह यह नहीं बल्कि यह है कि इस आधार पर देश की सेवा नहीं हो सकती । हमें एलोकेशन करते वक्त यह देखना है कि देश की सेवा किस ढंग से अच्छी होती है । मिसाल के तौर पर मैं पंजाब की बात लेता हूं । अगर यह कहा जाए कि चूंकि पंजाब की हालत दूसरी स्टेटों से अच्छी है इसलिए इसकी एलोकेशन कम होनी चाहिए तो मैं पूछना चाहता हूं ऐसा खयाल रखने वालों से कि अगर पंजाब के लोगों ने अपनी हिम्मत से अपनी अच्छी हालत बनाई तो उनको इस के लिए क्यों सज़ा मिलनी चाहिए जो उनका कोटा कम किया जाए । मैं इस असूल की सख्त मुखालफत करता हूं क्योंकि इस से देश की सेवा नहीं होती और इस से बढ़ कर कोई नाइंसाफी नहीं हो सकती । यह ठीक है कि हमने ऐग्रीकल्चर में तरक्की की और स्माल-स्केल इंडस्ट्रीज़ में हमारा कदम आगे बढ़ा लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमारी एलोकेशन में कमी की जाए । हमारी स्टेट ने या यहां के लोगों ने 1947 के बाद जो हिम्मत दिखाई और जिस शान से कार्य किया वह सराहनीय है । हमारे यहां के लोगों ने अपनी हिम्मत से 11-12 लाख टन ज्यादा अनाज पैदा करके दूसरे सूबों को दिया है ।

इसी तरह से small-scale industries में हमारी production ज़्यादा है और इस में हम foreign exchange earn करते हैं । लोगों ने छोटे छोटे कारखाने लगा कर production बढ़ाई और foreign exchange को earn किया, हर प्रकार की सेवा की । लेकिन इस का मतलब यह नहीं हो सकता और लोगों ने हिम्मत इस वजह से नहीं की कि आयंदा उन की तरफ ध्यान न दिया जाय या कम allocation करके उनकी हिम्मत कम की जाय। मिसाल के तौर पर एक और भी सवाल उठता है कि State-wise allocation करने में जो पहली और दूसरी plans बनीं उन का हिसाब किताब भी सामने रखा जाय, जिन को पहली और दूसरी plans में ज़्यादा मिला उन को कम दिया जाय और जिन को कम मिला उन को ज़्यादा दिया जाय । मैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इस की पुरज़ोर मुखालफत करता हूं । इस लिए करता हूं कि जैसे मैंने अभी अभी अर्ज़ किया कि पिछली दो plans में जब पंजाब के लिए allocation हुई तो उस वक्त खास वाक्यात थे और partition की वजह से जो problems पैदा हुईं उन को हल करना ज़रूरी था । पहली plan में रुपया ज़्यादा मिला क्योंकि rehabilitation की problem थी और भाखड़ा-नंगल की न सिर्फ पंजाब को बल्कि सारे देश को ज़रूरत थी, इसके इलावा चण्डीगढ़ कैपीटल बना, इसलिए कि हम उखड़े हुए थे । इसलिए यह बात नहीं होनी चाहिए कि पहली दो plans में काफी रुपया रखा जा चुका है इस लिए अब कम रखा जाय । इस चीज़ की हमें मुखालफत करनी होगी । इनसाफ का तकाज़ा है कि जो काम करते हैं उनके रास्ते में रुकावट न डाली जाय, उन को काम करने की सब सुविधाएं मिलें, allocation ज़्यादा हो ताकि लोग ज़्यादा food production कर सकें और इस प्रकार देश की सेवा कर सकें । इसलिए मुझे विश्वास है कि जब मैं यह बात कहता हूं तो मैं आप सब की तरजमानी करता हूं । मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ आवाज़ उठाएं और जो इस किस्म की arguments स्टेट की allocation में होती हैं planners उन को हर तरह से नज़र अन्दाज़ करें । आज ज़रूरत इस बात की है कि

[उद्योग मंत्री]

planners देखें कि देश की क्या ज़रूरत है। अगर एक स्टेट को पैसा देने से food production बढ़ती है, industry बढ़ती है तो और कोई भी consideration planners के सामने नहीं होनी चाहिए बल्कि यही consideration होनी चाहिए कि देश की सेवा आज किस तरह से होती है। उन्हें जो अपनी हिम्मत से बढ़ें उन को हौसला देना चाहिए।

अब मैं पंजाब की plan के मुताल्लिक मुख्तसर तौर पर कहूंगा। हम ने plan के ढांचे की copies आप तक पहुंचा दी हैं। आप ने देखा होगा कि पंजाब का 287 करोड़ रुपया का plan हम ने बनाया और अगर हम percentage निकाल कर भी देखें तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हम ने सोच समझकर 287 करोड़ की plan बनाई और जहां तक priorities वगैरह का ताल्लुक है मैं ने अर्ज़ कर दिया कि हम ने वही कुछ अपने सामने रखा जो कि planners ने अपने सामने 3rd plan का ढांचा बनाने के सिलसिला में रखा था। Third Five-Year Plan Part I के सफा तीन पर हम ने अपनी plan का break up दिया है जिस से आप अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि तकरीबन वही ढांचा हमारी plan का है जो कि दूसरी प्लैन में था। Agriculture और Community Development के लिए पहली प्लैन में जहां 3161 लाख रुपया की provision रखी थी दूसरी plan में वहां 5596 लाख की provision रखी है। Irrigation और Power में जहां second plan में 72 करोड़ की provision थी इस वक्त 121 करोड़ रुपया की provision रखी है। Industries के लिए जहां second plan में 934 लाख की provision थी इस वक्त 21 करोड़ 56 लाख की provision है। Transport और Communications के लिए जहां पहले 11 करोड़ की provision रखी थी इस वक्त 18 करोड़ के करीब रखी है। Social Service के लिए जहां 33 करोड़ की रखी थी इस वक्त 61 करोड़ के करीब provision रखी है। Miscellaneous 6 करोड़ रखी थी अब 10 करोड़ के करीब है। कुल मिला कर जहां second plan में 163 करोड़ के करीब रुपया था अब 287 करोड़ रुपया रखा है।

अपनी प्लैन के सफा 5 पर आप देखेंगे कि 1960-61 में 60 लाख टन की food-grains की production है। Third Five-Year Plan के आखीर में 84 लाख टन की होगी। Sugarcane 7 लाख 80 हज़ार टन के मुकाबले में 9 लाख होगी, cotton 10½ लाख bales के मुकाबले में 13 लाख bales होगी, vegetables 6 लाख टन के मुकाबले में 12 लाख tons की पैदावार होगी। तो इस तरह से जो target achieve करने का सिलसिला हम ने आप के सामने रखा है वह सारा इस किताब में लिखा है। मैं इस को दोहराना नहीं चाहता। मैं आप से यही बात कहूंगा कि जहां तक प्लान में हमारे लिए provisions का ताल्लुक है हम मिल कर ज़ोरदार आवाज़ से Planning Commission से इस की मांग करें कि वह हमें

ज़्यादा से ज़्यादा मिले। कुछ ऐसी बात सुनने में आई है कि शायद कुछ cuts लगें, कितनी cuts लगें, कुछ कहा नहीं जा सकता। इस महीने में Planning Commission से जो हमारी बातचीत होने वाली है उस में हमारी यह कोशिश होनी चाहिए कि पंजाब को खासी अच्छी रकम मिले। अगर बहुत ज्यादा नहीं तो कम से कम जो cuts हों वे बहुत थोड़े हों। आप जानते हैं कि पंजाब public sector में नज़र अन्दाज़ होता रहा है और हम ने कभी भी चीखोपुकार नहीं की। पिछली दोनों प्लानों में पंजाब में कोई रेल गाड़ी की लाइन नहीं बनी, सिवाए Fertilizer Factory के कोई और heavy industry भी कायम नहीं हुई। इस के बावजूद पंजाब वालों ने कोई चीखो पुकार नहीं की क्योंकि पंजाब वाले अपने हाथ से काम करना और अपने पांव पर चलना जानते हैं। लेकिन इस का मतलब यह नहीं है कि हम उन बातों में नज़र अंदाज़ होते जाएं जहां हमारा हक बनता है। मैं कहूंगा कि पंजाब का हक बनता है कि उसे प्लान में से खासी रकम मिले क्योंकि वह deserve करता है। इस सिलसिले में हम ने सुना है कि जो रकमें खास तौर पर इंडस्टरी के लिए और एग्रीकल्चर की तरक्की के लिए रखी हैं उन में कुछ cuts लगेंगे। मैं ने अभी अर्ज़ की थी कि नई पांच-साला प्लान में इंडस्टरी के लिए 21.56 करोड़ की रकम रखी गई है। इस में से साढ़े छः करोड़ रुपया Large-scale Industries के लिए और साढ़े ग्यारह करोड़ रुपया के करीब Small-scale Industries के लिए रखा गया है। लेकिन अगर इस में भी कुछ cut लगा दी गयी और यह रकम भी हम को न मिली तो हम किस तरह से Industrialization की तरफ जा सकेंगे। आप जानते हैं कि पंजाब लार्ज-स्केल इंडस्टरी में बहुत पीछे है। Public sector के लिए जितना भी वहां से हो सके हमारा हिस्सा हमें मिलना चाहिये, स्माल-स्केल इंडस्टरी में मिलना चाहिए। इस लिए मैं आप से आशा रखूंगा कि हमारे सामने दरहकीकत सिर्फ एक ही सवाल है। मैं बड़ी संजीदगी से आप के सामने यह बात रखूंगा कि हम को कोशिश करनी चाहिए कि जिस से सैंटर से हम अपनी प्लान के मुताबिक पूरा रुपया ले सकें। दूसरी बात मैं ने यह कही है कि अगर इतना नहीं तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा रुपया सैंटर से लिया जा सके उस को लेने के लिये हमें मिल कर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। मैं समझता हूं कि राये मुख्तलिफ हो सकती है। इस के द्वारा किसी खास इलाके को, किसी खास रिजन को क्या फायदा पहुंचता है इस के बारे में मैं मैम्बर साहिबान से अपील करूंगा कि यह मुनासिब मौका नहीं है कि इन बातों में अब जाया जाए। मैं नहीं कहता कि उन बातों में जाया न जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वक्त मुनासब है कि आपस की बातों को डिस्कस करने में ज़्यादा वक्त ज़ाया किया जाए। हमारा ज़ोर इस वक्त इस बात पर ही होना चाहिए कि किसी न किसी तरह से सैंटर से ज़्यादा से ज़्यादा रुपया मिले। जितना रुपया वहां से ज़्यादा हमें मिलेगा उतना ही ज़्यादा हमारे हक में पड़ेगा। जितनी कम रकम वहां से मिलेगी उतनी ही कम रकम हमें अपने हिस्से में मिलेगी। इस लिये जितना भी ज़ोर लगना चाहिये वह सैंटर से मांग करने में ही लगना चाहिए। बाकी बातें बाद में बैठ कर आपस में सोच सकते हैं। प्लान कोई इतनी rigid चीज़ नहीं होती जिस में internal adjustment नहीं की जा सकती। बाद में बैठ कर हम आपस में internal adjustment कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यह कहा जाता है कि Hilly areas के लिये 19 करोड़ रुपये के करीब तीसरी पंच-वर्षीय योजना में रखा है, वह कम है। मैं जानता हूं कि Hilly areas के रहने

[उद्योग मंत्री]

वाले जो मेम्बर साहिबान, बहनें और भाई हैं, उन का विचार है कि यह रुपया कम है । हो सकता है उन का विचार ठीक हो, यह बात बाद में सोची जा सकती है । पहले हमारे सामने यह बात होनी चाहिये कि हमें ज़्यादा रुपया तभी मिलेगा जब कि सैंटर से हमें ज़्यादा रुपया मिलेगा । इस लिये मैं फिर दोहरा कर यह प्रार्थना करता हूं कि इस वक्त हमारे सामने एक ही मकसद, एक ही मोटिव होना चाहिये कि सैंटर से मांग करनी है कि वहां से ज़्यादा से ज़्यादा रुपया हमें मिले और इस मतलब के लिए ज़ोरदार शब्दों में Planning Commission से अपनी स्टेट के लिए पूरी रकम लेने के लिए मांग करें और कोशिश करें कि कोई अहम cut इस में न लगे ।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Third Five-Year Plan proposed tentatively for discussions with the Planning Commission be discussed.

(*At this stage, Sardar Gurbachan Singh Bajwa, a Member of the Panel of Chairmen, occupied the Chair.*)

पंडित श्री राम शर्मा (सोनीपत) : चेयरमैन साहिब, हमारे देश के आज़ाद होने के बाद जो 13, 14 साल का अर्सा गुज़रा है इस में दो बड़ी बातें हुई हैं । एक तो यह कि हिन्दुस्तान के बाहर इस देश के रहने वालों का वकार और इज्ज़त बढ़ी है, और इस बात पर हम काफी फख्र कर सकते हैं । देश के अंदर अगर कोई चीज़ है जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा निगाह पड़ती है और जिस का हम बड़ा सहारा लेते हैं, वह है पंच-वर्षीय योजना—Five-Year Plan. इस में बड़ी अजीब और मज़ेदार बात यह है कि Five-Year Plans के ज़रिए तरक्की करने का तरीका ज़्यादा तौर पर और आम तौर पर उन देशों में कामयाब होता है जहां पर एक तरह की dictatorship हो । Parliamentary Democracy को बहुत कम दखल इन बातों में है । Party dictatorship के नीचे यह काम खूब चलता है । हमारे लीडर यह तजरुबा कर रहे हैं और देख रहे हैं कि जो चीज़ Russia और चीन जैसे मुल्कों में, जहां कि centralized हकूमत है, जहां पर democratic और Panchayat Raj बिल्कुल नहीं है, जैसा कि हमारे मुल्क में है, कामयाब हो सकती है, उस के लिए पंजाब और दूसरे राज्यों में भी कहां तक scope है, और यहां पर किस हद तक यह तजरुबा कामयाब रहता है । इस में शक नहीं है कि देश को आगे ले जाने के लिये यह बड़ा ज़रूरी है कि हम सरकार का साथ दें, बैठें, सोचें और फैसला करें कि हम ने कितने अर्से में और किस हद तक आगे बढ़ना है । मुश्किलें सब तरह की सामने आती हैं और आती रहेंगी । अर्बों रुपया जो हम पिछली योजनाओं पर खर्च कर चुके हैं और तीसरी योजना पर खर्च करने जा रहे हैं कोई बहुत आसानी से नहीं मिल रहा । लोगों पर इतना बोझ है कि जो आसानी से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता लेकिन करना पड़ता है । दूसरे मुल्कों से भी हम काफी रुपया मांग रहे हैं । इस में कोई बड़ी शान की भी बात नहीं । इस के अलावा तीसरी एक और भी चीज़ चलती है जोकि इस काम को पूरा करने के लिए की जा रही है । वह हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जो कि एक खासा खतरनाक काम है । वह यह कि बग़ैर सोने के हम ज़रूरत के मुताबिक कागज़ों का सिक्का बढ़ा रहे हैं । वह इतना बड़ा काम है कि जिस के लिए

यह सब कुछ किया जा रहा है। इस के मुताल्लिक मुल्क के मुख्तलिफ गोशों से समझदार आदमियों ने अपने अपने शकूक भी गवर्नमेंट के सामने रखे हैं जोकि अखबारात के ज़रिए हमारे सामने आते रहते हैं। मैं समझता हूं कि इस काम को जितनी अच्छी तरह से, जितनी ईमानदारी के साथ और जितनी ज़्यादा काबलियत के साथ किया जाए उतना ही मुल्क के लिए अच्छा है। मुनासिब भी यही है वरना इतनी भारी रकम जो कि हम अपने ऊपर बोझ डालकर, दूसरों से मांग कर और नोट छाप कर खर्च कर रहे हैं फजूल में ज़ाया की गई या इसका सही इस्तेमाल न किया गया तो यह बरसरे इक्तदार पार्टी के लिए एक पोलिटिकल जुर्म होगा, सियासी जुर्म होगा और इख्लाकी तौर पर भी एक बहुत बुरी बात होगी।

आज हमारी गवर्नमेंट ने तीसरी पांच-साला योजना के लिए अपने खर्च का अन्दाज़ा हमारे सामने रखा है। यह 2,87,00,00,000 रुपए का है। वह अन्दाज़ा सैंटर के पास हो आया है और जैसा कि वज़ीर साहिब ने बताया इस बात का अन्देशा है कि अब बातचीत जो होने वाली है उसके दौरान वह इसमें भी कमी कर दें और इतनी कमी कर दें कि जिस से पंजाब का काम न चले। यह अन्देशा उन्होंने ज़ाहिर किया है। इसके लिए उन्होंने सारे हाउस से अपील की है कि वह इसमें गवर्नमेंट का साथ दें। मैं समझता हूं कि इसमें अपील करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस सूबे में रहने वाला हर पंजाबी दिल से यह महसूस करता है कि पंजाब को इन कामों में तरक्की करने के लिए सब से ज़्यादा रकम मिले क्योंकि पंजाब ने अपनी मेहनत के काफी नमूने पहले ही मुल्क के सामने रखे हैं। लेकिन यह बात कि पंजाब के लोगों की औस्त आमदनी बढ़ गई है या यह कि पंजाब के लोग ज़्यादा मेहनती और जफाकश हैं और इस के लिए उन्हें यह सज़ा दी जाए कि चूंकि तुम्हारी आमदनी बढ़ गई है, तुमने मेहनत से काम आगे ही ज़्यादा कर लिया है इसलिए तुम ज़रा ठहर जाओ और बाकी सूबों को भी अपने साथ मिल लेने दो, यह कोई दलील नहीं है। यह कोई सही मन्तक नहीं है। पिछली योजनाओं पर सैंट्रल गवर्नमेंट ने पंजाब के लिए करोड़ों रुपए की allocation की। यह इतनी बड़ी रकम है कि जिस की एक आदमी आसानी से गिनती भी नहीं कर सकता। एक मामूली आदमी तो लाख तक गिनते गिनते थक जाता है, फिर यह तो करोड़ों की बात है। बहर हाल इस में से बहुत बड़ा हिस्सा public sector का था जिसका लम्बा चौड़ा हिसाब किताब गवर्नमेंट ने रखा और बाकी रुपया private sector का था। यह सारा खर्च हुआ। अब तीसरी पंच-साला योजना बन रही है। उसमें पहले से भी ज़्यादा रुपया मुल्क की योजनाओं पर खर्च किया जाना मकसूद है। तमाम हिन्दुस्तान में $72\frac{1}{2}$ अरब रुपया गवर्नमेंट ने अगले पांच सालों में खर्च करना है। अब आप, स्पीकर साहिब, अन्दाज़ा लगाएं कि इस $72\frac{1}{2}$ अरब रुपए में से पंजाब का हिस्सा सिर्फ $2\frac{3}{4}$ अरब रुपए हैं। मुल्क के दूसरे सूबों के मुकाबला में पंजाब का हिस्सा पहले ही बहुत थोड़ा रखा गया है। पहले ही इस सूबे के हिस्से में काफी से ज़्यादा cut लगाया जा चुका है। इसलिए जब हमारी गवर्नमेंट सैंट्रल गवर्नमेंट के पास जाकर इस plan की discussion करे तो वहां पर इसे साफ तौर पर बताना चाहिए कि पहिले ही हमारी allocation पर बहुत ज़्यादा cut लग चुका है इसलिए अब हमें और ज़्यादा सज़ा न दी जाय। अगर आबादी के लिहाज़ से या किसी भी और लिहाज़ से तीसरी पंच-साला प्लान के लिए allocations करनी हैं तो भी पंजाब को इस से काफी ज़्यादा

[पंडित श्री राम शर्मा]

रुपया मिलना चाहिए था और मिलना चाहिए । मेरे ख्याल में इस मामले में पंजाब गवर्नमेंट को सूबे के हर आदमी की, हर section की ताईद और support हासिल है कि वह केन्द्रीय सरकार पर इस बात का ज़ोर डाले कि पंजाब की योजनाओं के लिए पहिले ही रुपया जो रखा गया है वह कम है । इसे और कम करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि इसे और बढ़ाया जाना चाहिए । फिर यह पंजाब के लोगों से पूछने वाली बात ही क्या है । यह तो एक ऐसा मामला है कि दुनिया के किसी भी बेलाग आदमी से पूछ लिया जाए कि पंजाब को जो मदद मिलने जा रही है वह उसकी ज़रूरतों के मुताबिक ठीक है या नहीं ।

चेयरमैन साहिब, अब मैं अगली बात पर आता हूं । दूसरी Five-Year Plan के अन्दर हमारी गवर्नमेंट ने जो जो रुपया जिन जिन मदों पर खर्च किया है उसका ज़िक्र इसके अन्दर किया गया है । पिछली पंच-वर्षीय योजना के अन्दर हमारी सरकार ने ज़रायत और Community Development पर 3161.53 लाख रुपए खर्च किए, सिंचाई और बिजली पर 7204.65 लाख, Industries पर 934.16 लाख, ट्रांस्पोर्ट वग़ैरा पर 1079.55 लाख और Education तथा Health पर 3270.59 लाख रुपए का provision किया । इसी तरह Capital Project वग़ैरह पर 6 करोड़ से ज़्यादा रुपया का provision किया । इस तरह सब मिला कर दूसरी पांच-साला पलान के अन्दर हमारी सरकार ने 162 करोड़ से कुछ ज़्यादा रुपया provide किया । अब इस तीसरी प्लान के अन्दर इससे दुगना तो नहीं लेकिन पौने दो गुना रुपया तो ज़रूर है । इसका हिसाब भी उन्होंने दिया है । ज़रायत और Community Development के लिए 5596.50 लाख, Irrigation and Power के लिए 12115.71 लाख, Industries के लिए 2156.27 लाख, Transport and Communication के लिए 1805.76 लाख, Education and Health के लिए 6072.54 लाख और Capital Project वग़ैरा के लिए 994.76 लाख का provision किया गया है । यह है सारा खर्च जो कि हम आइन्दा पांच सालों के अन्दर करना चाहते हैं । लेकिन यह सब इस बात पर मुनहसर है कि केन्द्रीय सरकार से हमें क्या मिलेगा । इस लिए जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि पंजाब का हक उसको मिलना चाहिए और पंजाब ने अगर काम करने की हिम्मत दिखाई है तो उस की उसे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, इसमें गवर्नमेंट को बिल्कुल किसी बात का अन्देशा नहीं होना चाहिए कि कोई पार्टी, section या व्यक्ति उसको हिमायत देने से पीछे हट सकता है या हटेगा । सारा पंजाब इस मामले में उनके साथ है । लेकिन एक बात ज़रूर है । गो यह मौका इस बात को कहने का नहीं लेकिन अगर मौके आएं तो ऐसी बात होनी चाहिए कि अगर कहीं से पंजाब को कुछ मिले तो गवर्नमेंट को यह देखना होगा कि जो भी पंजाब है, जैसा भी पंजाब है उसे हम पसन्द करते हैं या नहीं उसके सभी लोगों को बराबर बराबर हिस्सा मिलना चाहिए । ठीक है कि सैंटर से कहा जाए कि हमें खासा रुपया दो । लेकिन सवाल तो यह है कि क्या थोड़े दिनों के बाद हमारी गवर्नमेंट कोई ऐसी बात तो नहीं कर देती कि वहां से रुपया मिल जाने पर अपने इरादों से बदल जाए और ऐसा विचार कर रही हो कि जिस बात के लिए हम सैंटर पर ज़ोर डाल रहे हैं कि पंजाब के साथ ज़्यादती न की जाए, उसी बात को अपने सूबा में लागू कर दे और इस तरह से इस सारे रुपए को या ज़्यादातर रुपए को उन्हीं इलाकों पर, उन्ही

लोगों पर खर्च कर दे जो पहले ही तरक्की याफता हैं, जिन को पहले ही काफी सहूलियात मिल चुकी हैं और जो बेचारे पिछड़े हुए हैं, जिन को पहले ही कुछ नहीं मिला उन्हें कहे कि तुम बैठे रहो, तुम्हें फिर कुछ मिलेगा ? जहां तक सैंटर से मदद लेने का ताल्लुक है, उस बात के लिए तो मैं इन की इस दलील और मन्तक का कायल हूं कि इस राज्य को जो कि तेज़ी से कई दिशाओं में तरक्की कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा रुपए की allocation की जाए लेकिन मैं इस बात को हरगिज़ मानने को तैयार नहीं हूं कि इस राज्य के अन्दर जिन इलाकों को पहले ही काफी कुछ दिया जा चुका है उन्हीं को और ज्यादा मदद दी जाए और जो पहले ही पिछड़े हुए हैं, जिन को पहले ही काफी हद तक ignore किया हुआ है उन का हाल न पूछा जाए। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं।

चेयरमैन साहिब, न सिर्फ question hour के अन्दर ही इस बात पर ज़िक्र आया बल्कि बाहर भी इस बात की चर्चा चलती है कि backward classes और backward areas कौन कौन से हैं और उन के लिए क्या क्या मियार कायम किया गया है और क्या मियार कायम करने का गवर्नमेंट का विचार है। ऐसी बातें आए दिन अख़बारों में भी आती हैं जिससे गवर्नमेंट के mind का पता चलता है। मजमूई तौर पर बरादरियों को backward classes तसव्वर किया गया है चाहे उन में कोई लाखों का मालिक और करोड़ोंपति भी क्यों न हों। यह बड़ी खुशी की बात हो अगर ग़रीबी और अमीरी के लिहाज से backward classes को माना जाए। इस तरह से लोगों में से ग़रीबी को हटाया जाए तो कोई बुरी बात नहीं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने दूसरी पांच साला प्लान का खर्च किया है उसकी ख़ूबियों और बुराइयों का जायज़ा लिया जाए तो एक बात नुमायां तौर पर नज़र आती है कि कुछ खास खास हलकों को उभारा गया है, और जो पिछड़े हुए हैं भूखे हैं उन को सरासर नज़र अन्दाज़ किया गया है। मैं इसलिए यह बात साफ तौर पर कह देना चाहता हूं कि इस तरह से रुपया हड़प करना कोई शोभा वाली बात नहीं। इस तीसरी Plan में सरकार को अपनी policy बदलनी चाहिए (घंटी)। मैं ने इस बात का ज़िक्र करना इसलिए ज़रूरी समझा है चूंकि वज़ीर साहिब ने कहा था कि इस वक्त आपस की अन्दरूनी कोई बात न की जाए। चलो अब नहीं कहते लेकिन हो सकता है कि बाद में इस की ज़रूरत पड़ जाए इस लिए यह चीज़ ठीक न होगी। अब दो तीन बातें मैं वज़ीर साहिब की खिदमत में और अर्ज़ करूंगा।

इस में कहा गया है कि agriculture की तरक्की होगी। यह हुई है, अनाज की पैदावार बढ़ी है। जैसा कि वजीर साहिब ने खुद ही कहा कि इस में सरकार का दख़ल नहीं बल्कि लोगों की मेहनत का दखल है। सरकार ने तो जितनी इसे मदद करनी चाहिए थी उतनी भी नहीं की। तो यह पैदावार तो इस बात के बावजूद बढ़ी है। फिर इन्होंने tenancy के बारे में कानून बना रखे हैं। मकसद के उलट उन का असर हुआ है और उन से पैदावार पर चोट लगी है। बनाए तो वह इस लिए गए थे कि बेज़मीन लोगों को ज़मीन मिल जाए मगर इन कानूनों की बदौलत इतनी बेदखलियां की गई हैं कि जितनी सारे अंग्रेज़ी राज्य के ज़माने में नहीं हुई थीं। मैं किसी एक आदमी को इस के लिए कसूरवार नहीं ठहराता मगर बाज़ औकात policy ही ऐसी होती है कि उस से ग़लत नतीजे निकलते हैं।

[पंडित श्री राम शर्मा]

फिर co-operative farming का सिलसिला चलाया है । यह कहते हैं इस से पैदावार बढ़ी है । मैं कहता हूं कि यह farms 99½ फी सदी bogus हैं, family concerns हैं और इन से पैदावार को नुकसान पहुंचा है । यह तो सिर्फ अपनी ज़ात को सामने रख कर बनाई गई हैं । फिर सरकार तकावी loans देती है, बड़ी अच्छी बात है मगर मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार की जिस agency के through यह दिए जाते हैं, वह इतनी भली मानस है कि लोगों तक वह रुपया पहुंचने ही नहीं देती । खज़ाने से जो रुपया जाता है उस की बहुत कम percentage लोगों तक पहुंच पाती है । अगर ऐसी बातों का इलाज हो जाए तो पैदावार और बढ़ सकती है, आज से सवाई, ड्योढ़ी हो सकती है ।

अब Community Projects को लें । (घंटी) बहुत अच्छा जी, न सही ।

Shri Dev Dutt Puri (Sadhaura) : Mr. Chairman, the Plan of the nature such as is before the House is the embodiment of the hopes and aspirations of the people. The shape of the Plan tends to reflect the pattern of society that they are going to build for themselves and its size shows the pace at which they want to move and the sacrifices that they are prepared to make in the achievement of these aspirations.

From the point of view of these criteria and on these basis, I respectfully submit that the size of the Plan that has been framed by the Government is wholly inadequate. It is yet to pass through the process of clipping and shearing at the Centre and even if the Punjab Government succeed in maintaining the Plan at its present size, Sir, even then I would submit that it is entirely inadequate, having regard to the stage which the Punjab economy has reached already.

Sir, when any such plan is prepared, we must take stock of the salient features of our economy. The first and foremost aspect of our economy is that it is dependent upon agriculture far more than is either good or safe for it. It is dependent entirely on agriculture and if you look at the statistics you will come to the same conclusion. For instance, the Industrial output is 11.3 per cent of the total output in the Punjab, whereas the figures on All-India basis are 17.5 per cent, that is this State is 25 per cent behind as far as industrialisation is concerned.

Sir, taking the point of view of employment, the industry in the State provides employment to 8.3 per cent of the people against the All-India figure of 10 per cent, that is that from the point of view of industrial employment this State is even behind the average in the country.

Another interesting feature of the Punjab economy, Sir, is that industry is so backward here that the proportion of bank loans and advances to deposits in this State is one of the lowest in the country. In the Punjab, bank investments take care of 30.2 per cent of the money received in deposits as compared to comparable figures of 80.9 per cent for West Bengal, 77.3 per cent for Madras, 68.1 per cent for Bombay and even U.P. is ahead to it and it is considerably ahead. We do not have

that have been created on the power that we are going to generate. Let us urge upon the Centre atleast for a small reduction of these claims. My third suggestion is that purely as an emergency measure, we must obtain funds for installation of diesel power plants all over the State. In the long run, these will help in converting a lot of our secondary power into perennial power with better revenues to the State and greater facilities to the consumer.

Mr, Chairman : Five minutes more please.

Shri D. D. Puri : Sir, after giving one or two more suggestions I shall resume my seat.

The fourth suggestion I have to make is that there are a few licensed areas in the Punjab where private licensees are selling power at rates considerably higher than in the rest of the State. The growth of industry in these tiny islands is at a very considerable disadvantage. I suggest that revenues should be pooled and rates equalled all over the State.

There is now hardly anything to be talked about Industry. Without adequate power, the prospects of Industry are bleak. If you, Sir, assess our performance in regard to heavy industry during the Second Five Year Plan, you will find it to be almost the poorest. We have not been able to achieve much in Industry due to various factors beyond our control.

In the end, Sir, I would appeal to the Government and I would particularly appeal to the Leader of the House who has brought robust peasant common-sense to bear upon the agricultural problems of the State with the result that our achievements in the agricultural field are the envy of every other part of the country, to help the growth of industries in order to strengthen the economy of the State. Industry and Agriculture should keep pace. I do hope and expect that the Leader of the House will deal even-handed justice to industry also, for agriculture and industry must go hand in hand always. If progress of industry grinds itself to a halt, agriculture will not escape the effects of it. If one goes, it will sink the other also.

Lastly, Mr. Chairman, I would appeal to all sections of this House, all parties, all groups and all factions to rise above their differences—personal or party differences and extend full co-operation to Government by rising above party and other group squabbles in making the Plan a success.

Thank you, Sir.

श्री राम प्यारा (करनाल) : चेयरमैन साहिब, उद्योग मन्त्री जी ने अपनी तकरीर के दौरान में फरमाया कि पंजाब में पैदावार में काफी इज़ाफा हुआ है और industry भी काफी बढ़ी है। मुझे इस बात पर खुशी है कि पैदावार बढ़ी है और कुछ industry में भी इज़ाफा हुआ है लेकिन मैं ने प्लैन को ग़ौर से पढ़ा है और मेरे नुक्ता निगाह में पंजाब की चार पांच ज़रूरियात ऐसी हैं जिन्हें बहुत कम नज़र में रखा गया है। मिसाल के तौर पर उन्होंने फरमाया कि अनाज की पैदावार बढ़ी है लेकिन अगर इस के साथ वह सेम का ज़िक्र भी करते तो ज्यादा अच्छा होता क्योंकि मेरे नुक्तानिगाह में सेम पंजाब के लिए सब से बड़ा ख़तरा है और अगर इस खतरा को

[श्री राम प्यारा]

इस वक्त पर control नहीं करते तो इस से पंजाब बच नहीं सकता । इस प्लैन में 20 करोड़ रुपया सेम को रोकने के लिए या floods को कंट्रोल करने के लिए रखा गया है लेकिन अगर problem की magnitude को देखें तो उसके मुकाबले में यह कुछ भी नहीं । हम ने देखा है कि सेमज़दा इलाका 15 लाख एकड़ से बढ़ कर 35 लाख एकड़ हो गया है और मेरा ख्याल है कि अगर यह 20 करोड़ रुपया ही अगले पांच सालों में खर्च करना है तो 15-20 लाख एकड़ रकबा और सेम के नीचे आ जायगा । मैं समझता हूं कि यह रकम थोड़ी है । दूसरे, मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस को पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से priority दी जानी चाहिए और सेण्ट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा रुपए की मांग करनी चाहिए ताकि इस imminent danger का मुकाबला किया जा सके ।

दूसरा point जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं यह है कि हमारे पंजाब में ग़रीब तबका के पास रोटी, कपड़े और shelter की कमी है । इस तबका की तरफ कोई तवज्जुह नहीं दी गई । यह ठीक है कि हमारे सूबे में education free कर दी गई है लेकिन अगर आप figures का मुतालिया करें तो आप को पता चलेगा कि ज्यादा percentage उन लोगों के बच्चों को है जिन के पास रोज़गार नहीं, खाने को कुछ नहीं, जो अपने बच्चों को मज़दूरी के लिए भेजते हैं और ये छोटे छोटे बच्चे केले और मूंगफली बेच कर गुज़ारा करते हैं । देहात में 8–10 साल तक बच्चे खेतों में रोटी लेकर जाते हैं, बाद में हाली बन जाते हैं और इसी तरह से उम्र गुज़ार देते हैं । इसी तरह से आप देखेंगे कि educated तबके में भी unemployment बहुत ज्यदा है । Uneducated तबके में unemployment को दूर करने के लिए प्लैन में एक दो item नज़र आई हैं । एक तो यह कि स्माल स्केल industries बढ़ा रहे हैं और दूसरे दूध के pasteurisation plants की तरफ इशारा है । लेकिन मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल नाकाफी provision है और अमृतसर और चण्डीगढ़ में दूध के pasteurisation plants लगा देने से मसला हल नहीं हो जाता । ज़रूरत इस बात की है कि देहात के interior में रोज़ी का ज़रिया मुहैया किया जाये । अगर देहात में pasteurisation plants लगा कर milk collection centre खोल दिए जाएं तो लोग एक भैंस रख कर भी दो अढ़ाई रुपए रोज़ की रोज़ी कमा सकते हैं लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया ।

यह ठीक है कि हमारे सूबे ने industry में तरक्की की है लेकिन इस में पंजाब गवर्नमेंट और लोगों के initiative में तमीज़ करनी पड़ेगी । मैं लोगों के initiative को दाद देता हूं लेकिन जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है सैंकड़ों quota holders ऐसे हैं जिन के मकान पर फट्टे तो लगे हुए हैं लेकिन वे कोई काम धन्धा नहीं करते उन्होंने premises खरीद रखे हैं लेकिन मशीनरी नहीं आई । पानीपत के मुताल्लिक मैं कह सकता हूं कि raids कर के पकड़ा गया है, गवर्नमेंट ने खुद माना है कि लोगों को import lincese मिल गया, मशीनरी नहीं आई इसलिए raw material black में बेच दिया गया । इस लिए ज़रूरत इस बात की है कि छोटे छोटे आदमियों की भी इस काम में हौसला अफज़ाई की जाये क्योंकि अगर एक ही आदमी को 5—7 different licenses

millionaire class in the Punjab. A strong middle class is the backbone of our economy. The Industry here is so small and so undeveloped that it is unable to absorb any but a very small proportion of the savings of the middle class in the State. Another important feature, a very outstanding feature of the economy of the Punjab is the great mechanical skill and capacity of work with ones own hands which one witnesses in the State. We have a class here who work with their own hands and set example in that for the rest of the country. I believe, they are now supplying to the rest of the country articles like sewing machines, cycle parts and even diesel engines are being manufactured on a cottage industry basis. We are pioneers in the manufacture of all these articles in small-scale factories. So, while we are so much ahead in the cottage industry, the large-scale industry does not seem to develop in the State. Our bank savings have gone out of the State for lack of adequate investment in the Punjab. Our banks are supplying funds to the people outside the State, but in the Punjab we have no heavy industry or large-scale industry worth the name because the large scale industry is unable to establish itself in the State. There must be vital reasons and it is I believe, Sir, the duty of the Punjab Government to go into those reasons. I will address myself to only one or two of the salient matters before I go into the details of other points. The public sector has come to play a vital role in tnis economy. This role carries with it wide responsibilities which it must discharge. If we let things slacken now we shall lose the momentum which we have developed in the last ten years.

There is so much pressure on our land that unless we shape things now and release that pressure from the land, I am sure that the low diminishing returns will set and our agricultural production will be adversely affected.

Sir, the most importınt aspect of industry whether it is agriculture, small-scale or large-scale industry, is of electric power and therefore I cannot emphasize the gravity of the situation on the power front nor can I over-emphasize the vital part that power plays. I have said again and again that like God's free air, it is the duty of every Government to provide cheap power to its people.

Sir, before independence, quite a large quantum, that is something about 50 per cent of power generation and distribution, was in the hands of the private sector. But now almost the entire generation of 100 per cent and 99 per cent of distribution of power is in the hands of the Government and it is, therefore, the inescapable responsibility of the Government to see that power is generated in an adequate measure and is made available to the people. Give power to the people and you cannot stop industrialisation. Cut off power you cannot get on with it. It will stop the growth of the industry, gag it, choke it and kill it.

Sir, I believe, I heard the other day the views expressed by one of the Ministers. He said that our utilization factor had always been very high-one of the highest in the country. Sir, the credit claimed is unwarranted and the boot is on the other leg because we have always generated power slower than was required. We always kept the people power hungry. The generation has always lagged behind requirements.

[Shri D. Puri]

In fact the Punjabi has suffered a sort of power shortage from 1941 onwards. They never have had enough power after 1941 and have always suffered thereafter. I have before me a statement about the prospects of extra generation that will be made available or will develop in the course of the next 12 months. It is 270.50 M.W. -29.25 from the Ganguwal, Nangal 29.25 from Kotla Power House and 212 M.W. from the Bhakra Left Bank Power House. But Sir, how much of that is coming to the share of Punjab. It will be a very small portion, i.e. 23 M.W. We have mortgaged the rest in advance of its generation. The details of the distribution of power that is going to be generated are that 160 M.W. is going to the Nangal Fertilizer Plan, 60 M.W. to Delhi, 22 M.W. to Rajasthan, 7 M.W. to Jammu and Kashmir and 6 M.W. to Himachal Pradesh. So in the next 12 months the large share, i.e. 255 M.W. of electricity is to be given to the neighbouring States and the balance of 23,000 kW. will be left with our State, with which we are going to industrialise Punjab and the next augmentation of power is not in prospect, even if everything goes according to the Plan, i.e. the Third Plan. It is a very serious state of affairs. Out of this 23 M.W. the first and foremost claim will be of those who are connected but are permitted to operate during the night hours only. This together with the overloading of the present sets will probably take care of about 10,000 kW. whenever additional power is made available, leaving a bare 13,000 kW. for the industrialisation of the State in the next five years. This is the state of affairs. With this power left can you plan cement factories or some other large-scale industry ? This is the energy left with you to run new industries in the State.

5.00 p. m.

Now, what is to be done and, Sir, how is the next augmentation of power going to come ? The first stage in which power will become available is Pong Dam and the second is the tunnel link between Beas and Sutlej. Stage three is the Bhakra Right Bank Power House. According to the present Plan, all going well, this may become available some time in 1964. As far as immediate prospects for the next winter are concerned, we are putting in over 2 lakhs k.W. of power as additional generation. These are the prospects of the next winter and the next augmentation is coming in 1964. Now, Sir, as regards the Beas Project, the Centre will say "we are giving you this", although this is the result of Indo-Pakistan canal water settlement and even there, 50 per cent of the entire power generation is being mortgaged in favour of Rajasthan. If you say to the Centre "we cannot give power to Rajasthan", the Centre will veto the Plan.

Sir, as far as I can see, the power shortage that started in the year 1941, and which is continuing in 1961, will continue without a break till 1970, because we do not know what will be the state of affairs after 1970. We must, Sir, take some remedial measures.

Now, Mr. Chairman, I would give my suggestions to Government through you. My first suggestion is that we should immediately claim funds for small hydel stations on the Upper Bari Doab and the Western Jammuna Canals. Even before partition, some exploratory work for these minor projects had been done. Within a period of two or three years, we may be able to meet some of our requirements. Secondly, we should try to obtain salvation from the prior charge or the mortgages

गरीब और intelligent students के लिये जो कि matric में बहुत अच्छे नम्बर ले कर पास होते हैं उन के लिये कोई गुंजायश नहीं है । मैं यह बात पहले भी हाउस में कह चुका हूं अब फिर कहता हूं कि ऐसे students हमारे देश का कीमती सरमाया हैं, important asset हैं । हमें उन को encourage करना चाहिये । इस काम में भी priority fix होनी चाहिये । जो Tax payers हैं उन को तो free education मिलती है लेकिन गरीब students को encourage करने के लिए हम ने कुछ नहीं किया । अगर हमारे देश के Engineers लायक होंगे, doctors लायक होंगे तो हमारे देश का ज़्यादा फायदा होगा । हमें हकीकी गरीब आदमियों को फायदा पहुंचाना चाहिए । जहां पर class IV का ज़िक्र होता है तो कहा जाता है कि हमारे पास रुपया नहीं है लेकिन free education कर के Tax payers को तो मुफत तालीम दी जा रही है लेकिन class IV लोग चाहे देहाती हों चाहे शहरी हों उन की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा । मैं चाहता हूं कि इस Plan को गरीबों के benefit के लिए बनाया जाए । जहां तक Centre से मांगने का ताल्लुक है, यह ठीक है कि हमें उन को मजबूर करना चाहिए कि वह ज्यादा से ज्यादा रुपया हमें दें लेकिन ऐसा न हो कि जो कुछ आए वह बटाला और अमृतसर में ही खर्च हो जाए और हमारे इलाके खाली रह जाएं । जय हिन्द ।

डाक्टर बलदेव प्रकाश (अमृतसर शहर, पूर्व) : चेयरमैन साहिब, Third Five-Year Plan पर बोलते हुए मन्त्री महोदय ने कहा है कि हम सब को मिल कर कोशिश करनी चाहिए कि सेंटर से सारा रुपया हमें मिले और उस में कोई cut वगैरह न लगे और वह रुपया पंजाब की development पर खर्च किया जा सके । जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि Centre से हमें सारी सहायता मिले; इस पर किसी प्रकार का मतभेद नहीं हो सकता। लेकिन जो districtwise allocations सरकार ने की हैं, जो priorities सरकार ने fix की हैं कि इस रुपए को किन किन मद्दों पर कैसे खर्च करना है और कितना कितना करना है ताकि सूबे की तरक्की हो; इन सब बातों पर मतभेद पैदा हो जाता है । ठीक है कि केन्द्रीय सरकार हमें रुपया दे लेकिन इसके साथ ही दूसरी बात भी ठीक होनी चाहिए कि हमारी प्रान्तीय सरकार उस रुपए का ठीक ढंग से इस्तेमाल करे जिस से सूबे की बेहतरी हो ।

सभापति महोदय, हमारे मन्त्री महोदय ने कहा कि पंजाब में per capita income बढ़ी है । ठीक है कि शायद per capita income बढ़ी हो लेकिन जब हम income की increase की percentage का prices की increase की percentage के साथ मुकाबला करते हैं तब सही तस्वीर हमारे सामने आती है । आप अन्दाज़ा लगाएं कि अगर एक आदमी की आमदन दस रुपए से बीस रुपए हो गई है तो इसके मुकाबले में उसे जो अन्न पहले 5 रुपए में मिलता था अब 15 रुपए में मिलता है । तो मतलब यह है कि जहां थोड़ी सी income बढ़ी है वहां prices बहुत ज्यादा बढ़ी हैं । यह इसी बात का नतीजा है कि हमारे मुल्क में दो पँच वर्षीय योजनाओं के बाद एक ऐसा crisis आया कि जिससे आँखें नहीं मूंदी जा सकतीं । ठीक है कि Central Government

[डाक्टर बलदेव प्रकाश]

Employees की strike को मुल्क ने नहीं माना और सभी ने उनकी इस move को disown किया और गवर्नमेंट एक serious crisis से बच निकली लेकिन price-line इतनी ऊपर चली गई कि दूसरी पंच वर्षीय योजना अभी समाप्त नहीं होने पाई थी कि Central Government Employees ने इतनी बड़ी strike का challenge सरकार के सामने रखा। यह कोई मामूली बात नहीं; यह एक ऐसी समस्या है जिसमें बहुत भारी गम्भीरता छिपी है और स्थिति पूर्णत: असन्तोषजनक है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि हमें realistic होकर plans को बनाना चाहिए। हमारी यह plan बिल्कुल realistic नहीं है; जहां तक priorities का सवाल है इस plan में इनका बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया। इसलिए यह plan नहीं चल सकेगी और इस से सूबे की बेहतरी नहीं होने वाली।

हमारे वित्त मन्त्री ने कहा था कि इस plan में agriculture को सब से ज्यादा priority दी गई है। उद्योग मन्त्री ने figures बताते हुए कहा कि तीसरी पंच वर्षीय योजना के अनुसार agriculture की मद पर हम 55,96,00,000 रुपया खर्च करने जा रहे हैं। चेयरमैन साहिब, agriculture पंजाब की सब से बड़ी आवश्यकता है। Agriculture को बढ़ाने के लिए दो बातें सब से ज़रूरी हैं। एक तो यह कि जिस जमीन को पानी नहीं मिलता उसे पानी मुहैया किया जाए और दूसरे आवश्यकता इस बात की है कि जहां waterlogging है; उस waterlogging को हटाया जाए और उस जमीन को इस योग्य बनाया जाए कि वहां ठीक ढंग से खेती बाड़ी हो सके। चेयरमैन साहिब, अगर हम देखें कि तृतीय पंच वर्षीय योजना के अन्दर हमारी सरकार ने waterlogging को दूर करने के लिए कितने धन की व्यवस्था की है तो आप सुनकर हैरान होंगे कि यह सिरफ 5,00,00,000 रुपया है। इसके अलावा floods को रोकने और drains के लिए 15,00,00,000 रुपए के करीब provision किया गया है और इस तरह कुल मिला कर flood protection, drainage और anti-waterlogging के साधनों के लिए कोई 20,00,00,000 रुपए की रकम बनती है। मैं हैरान हूं कि हमारी सरकार एक तरफ तो केन्द्रीय सरकार से ज्यादा रुपया मांगने पर जोर दे रही है लेकिन उस रुपए को सही ढंग से खर्च करने के लिए समस्याओं की गम्भीरता को सामने रख कर ठीक priorities fix नहीं कर रही। अगर आप ने वाकई agriculture को पहली priority देनी है तो इस field में जो सब से बड़ी समस्या waterlogging की हमारे सामने है उसका मुकाबला करने के लिए और उसको दूर करने के लिए first priority दे। लेकिन जैसा कि मैंने अभी २ बताया waterlogging के लिए पांच सालों में केवल पांच करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस का मतलब यह है कि हमने ठीक ढंग से priorities को नहीं रखा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता और हमें इस बात का गर्व है कि पंजाब सारे देश की granary है; अन्न का भण्डार है; सारे देश की अन्न की कमी को पूरा करता आया है लेकिन इस वक्त हमारे सामने waterlogging की गम्भीर समस्या है जिस का हमें सब से पहले

दे दिए गए तो कुछ एक आदमियों के हाथ में wealth accumulate हो कर रह जायेगी । इस के बाद मिनिस्टर साहिब ने फरमाया कि per capita income बढ़ गई है । मैं चैलेंज करता हूं कि आज़ादी से पहले ग़रीब और अमीर के दरम्यान जो gap था वह बढ़ गया है क्योंकि चन्द एक आदमियों के हाथों में बहुत ज्यादा इन्कम आ गई है । अगर एक family की आमदनी पांच सौ से बढ़ कर पांच लाख हो गई है तो इस का हरगिज़ यह मतलब नहींकि ग़रीब की आमदनी बढ़ गई है । तो गवर्नमेंट को यह वज़ाहत करनी चाहिए कि अमीर और ग़रीब के दरम्यान पहले कितना gap था और अब कितना gap है । यह जो wealth is being accumulated in the hands of very few-Ministers and the Chief Minister इस पर फौरी Check लगाने की ज़रूरत है । अगर इस चीज़ पर check न लगाया गया तो हमारी moral values disappear हो जायेगी । देश का असल सरमाया disappear होता जा रहा है । इस को रोकने की सख्त ज़रूरत है । Industries के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर कोई enquiry quota holders के बारे में 1956 से चल रही है और अभी तक completeहोने में नहीं आती तो इस का वाहद मकसद यह है कि कुछ ऐसे आदमी हैं जिन को Patronage मिल रही है । इस मामले में बड़ी सख्त ज़रूरत है कि जो लोग दूसरों की cost पर फायदा उठा रहे हैं और जिन की वजह से benefit हकीकी आदमियों को नहीं पहुंच रहा, उन पर check provide करें । मैं समझता हूं कि इस के साथ ही स्टेट में कुछ unsocial और undesirable element भी मौजूद है जिस को discourage करने की ज़रूरत है । चूंकि ऐसे element की लड़ाई या दुश्मनी कुछ हकीकी मायनों में aggrieved लोगों के साथ होती है इस लिए उन के डर से वे गरीब लोग आगे नहीं आते । मुझे आज ही एक चिट्ठी आई है कि गुरद्वारा चुनाव के लिए बहुत सा रुपया इकट्ठा किया गया था वह सब misuse हुआ । यह सब बातें ऐसी हैं जिन से कि हमारी गवर्नमेंट की बहुत बदनामी हो रही है । जिन लोगों को सरकार की Patronage हासिल होती है वही लोग सब benefit उठा जाते हैं और deserving लोगों वैसे ही रह जाते हैं वे डर के मारे आगे आ कर अपना right claim नहीं कर सकते । गरीब तबके में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह अपने right के लिए लड़ सके । यह कहा जाता है कि आज़ाद हिन्दुस्तान में हर एक आदमी को rise करने के लिए, अपनी uplift के लिए यक्सां हकूक हासिल हैं । पर हकीकत में गरीब लोगों को उन का यह हक नहीं मिल रहा । उन की राह में अड़चनें हैं । कुछ लोगों को Patronage प्राप्त है वह गरीबो को अपना right नही लेने देते । इस पर जल्दी ही check लगना चाहिए ।

एक और representation आयी है कि weights and measures का जो नया set है वह पंजाब में तो 99.50 nP का मिलता है और दिल्ली में 78.50 nP का मिलता है । इस से पंजाब की जनता को नुकसान हो रहा है । मालूम नहीं कि इस चीज़ से सरकार खुद फायदा उठा रही है या कि वह किसी अपने आदमी को Patronage दे कर उसे फायदा पहुंचा रही है । इतनी ज्यादा distinction नहीं होनी चाहिए । मैं suggest करूंगा कि या तो पंजाब के shopkeepers को दिल्ली से अपने बट्टे खरीदने की इजाज़त होनी चाहिए या पंजाब में भी rates reduce होने चाहिए ।

Mr. Chairman : The hon. Member has taken 18 minutes.

श्री राम प्यारा : जनाब, मैं एक दो बातें और करनी चाहता हूं । प्लान में एक जगह पर hilly tracts की development के लिए रुपया रखा गया है । हमारी सरकार hilly areas की uplift करना चाहती है । मैं भी इस सम्बन्ध में कुछ suggestion देना चाहता हूं । पहाड़ में बहुत सी जड़ीबूटियां medical value की पैदा होती हैं । मिसाल के तौर पर कुछ हैं । पहले यह 30, 40 रुपये मन के भाव से बिकती थीं आज कल उस का भाव 260-65 रुपये मन हो गया है । इसी तरह से देसी अजवायन है और इसी प्रकार की कई और जड़ीबूटियां उन इलाकों में पैदा होती हैं जोकि दवाइयों मे इस्तेमाल होती हैं और हिन्दुस्तान से बाहर भी भेजी जाती हैं । अगर इन चीज़ों की development के लिए वहां पर एक research laboratory खोल दी जाए तो इस के दो फायदे होंगे । एक तो यह कि इन बूटियों की development से देश की wealth बढ़ेगी और दूसरे उन इलाकों की बेरोज़गारी कम होगी । लोगों में असंतोष कम होगा । उन इलाकों में जो रुपया सड़कें बनाने के लिए रखा गया है वह बहुत थोड़ा है, उस को और बढ़ाया जाना चाहिए। मेरी राय में villagers को seeds पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है । Villages में जूं जूं irrigation water पहुंचेगा सड़कें बनेंगी, villagers तरक्की करते जाएंगे, Give villagers irrigation water, roads and transport and the rest they will manage. बाकी काम वे खुद कर लेंगे । हमारी सरकार का trend capitalistic ज्यादा है, realistic कम है । मिसाल के तौर पर मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि land Utilization Act के मातहत हरिजनों के लिए चार करोड़ रुपये की जमीन खरीदी गई है । वह ज़मीन अमीर लोगों से खरीदी गई । वहां पर भी अपने लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है । अमीर लोगों ने खराब ज़मीनें बेच दीं और वह जमीनें हरिजनों को दे दी गई जिस से उन को कोई लाभ नहीं पहुंचा । लाभ अगर पहुंचा है तो उन आदमियों को जिन को सरकार की patronage हासिल है । सोसाइटियों में water works बनाए जा रहे हैं और उस के लिए 40, 50 हज़ार रुपया उन को दिया जा रहा है । सरकार को हर काम के लिए priority fix करनी चाहिए । अगर यह water works दो चार साल के लिए न बनाए जाए और यही रुपया save कर के water logging से बचने के लिये drains खोदी जाएं तो ज्यादा अच्छा है । मैं दावे से कहता हूं कि अगर रोहतक में 50 लाख रुपया drains खोदने पर खर्च किया होता तो वहां पर करोड़ों रुपयों का नुकसान न होता । It is a question of fixing priority. Priority मुकर्रर करनी चाहिए । इस से आगे Municipal Committees को loan देने के लिए, उन की development के लिए 2 करोड़ रुपया रखा गया है। वहां भी priority fix होनी चाहिए और वह रुपया ऐसे कामों पर खर्च होना चाहिए । जिस से लोगों को रोजगार मिले, जिस से लोगों की सहायता हो सके । (घण्टी)

मैं जनाब एक मिनट में खत्म करता हूं । इस से आगे मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने करोड़ों रुपये free education provide करने के लिए और सकूलों को provincialise करने के लिये खर्च किये हैं । लेकिन इस set up में ऐसे

ग्रौर सफलता के साथ मुकाबला करना है तो क्या हम केन्द्रीय सरकार से मांग नहीं कर सकते कि ऐसी हालत में हमें waterloggin ; ग्रौर floods को रोकने के लिए ग्रौर drains वगैरह के लिए बहुत ज्यादा रुपया चाहिए ? कोई कारण नहीं कि जब पंजाब सारे देश की ग्रन्न की ग्रावश्यकताग्रों को पूरा कर रहा है तो केन्द्रीय सरकार हमारी इस गम्भीर समस्या को सुलझाने के लिए अधिक से अधिक सहायता न दे । वह ग्रवश्य हमारी इस मांग को स्वीकार करेंगे ।

चेयरमैन साहिब समय बहुत कम दिया गया है इसलिए मैं संक्षेप से ही बात करूंगा । एक ग्रौर महकमे के लिए इस पंच वर्षीय योजना में व्यवस्था की गई है ग्रौर उसके लिए जो pro-vision किया गया है वह पिछली योजना से भी ग्रधिक है । वह महकमा है Community Development and N tional Extension Service का । मैं तो, चेयरमैन साहिब, इसे Community Development के स्थान पर Corruption Development का महकमा ही कहूंगा । इस के लिए हमारी सरकार तीसरी योजना के ग्रन्दर 16 करोड़ रुपए का खर्च करने का विचार रखती है । दूसरी पंच-वर्षीय योजना में इसी महकमे के लिए 11 करोड़ रुपया provided था ग्रौर 8 करोड़ खर्च हुग्रा । यह 8 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद गवर्नमेंट ने इस काम के evaluation के लिए एक Committee बैठाई । उस Evaluation Committee की रिपोर्ट हमारे सामने है । इस करोड़ों रुपए के खर्च के बाद भी सूबे का क्या लाभ हुग्रा है ग्रौर क्या उन्नति हुई है इसकी साफ तस्वीर ग्राप को उस रिपोर्ट में मिलेगी । मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि समय बहुत कम है लेकिन ग्राप को पता है कि Block Development Officers ग्रौर ग्राम सेविकाएं क्या development का काम करती हैं । इस पर इस सभा में पहले ही काफी रौशनी डाली जा चुकी है । एक छोटे से extract ही में उस Evaluation Committee की रिपोर्ट का नमना ग्रापके सामने रखना चाहता हूं । इसके सफा 4 पर लिखा है :—

> "A large majority of the villages do not feel the impact of the programme and of the 38 villages visited by us development work was visible in only 5 villages, But, even here, we did not see any evidence of the community spirit and change in the outlook of the majority of the people,"

चेयरमैन साहिब, जिस काम के लिए हम तीसरी योजना के ग्रन्दर 16 करोड़ रुपया खर्च करने जा रहे हैं ग्रौर दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 8 करोड़ रुपया जिस पर खर्च किया जा चुका है; उस काम के results को assess करने के लिए खुद सरकार ने यह कमेटी बनाई। वह कमेटी 38 गावों के ग्रन्दर जांच करने के लिए कई । उसे केवल पांच गांव में ही कुछ ऐसा महसूस हुग्रा कि शायद कोई कार्यकर्ता काम करने के लिए ग्राए होंगे लेकिन वहां की ज़िन्दगी में भी उन्हें कोई खास परिवर्तन या उन्नति नज़र नहीं ग्राई । उसी काम पर इस ग्रगली योजना में भी हम 16,00,00,000 रुपया खर्च करने जा रहे हैं । तो मैं पूछता हूं कि ये सब ग्रांकड़े जब Evaluation Committee की रिपोर्ट के साथ केन्द्रीय सरकार के सामने जाएँगे तो क्या इस 16,00,00,000 रुपए वाली मद पर line नहीं खैंच दी जाए गी? इसलिए ग्रावश्यक है कि जब हम ग्रगली योजना की रूपरेखा तैयार कर केन्द्रीय सरकार

[डाक्टर बलदेव प्रकाश]
के पासजा रहे हैं तो इस 16,00,00,000 रुपए को anti-waterlogging measures की तरफ लगाने का सुझाव दे दें ताकि समस्या की Priority के दृष्टिगत केन्द्रीय सरकार भी इस रुपए की व्यवस्था से इनकार न कर सके । चेयरमैन साहिब, पंजाब का निवासी बहुत मेहनती है; उसने सारे देश के अन्न संकट में अपने देशवासियों का साथ दिया है । उसका credit पंजाब को अवश्य मिलना चाहिए । पंजाब ने अगर उसी रफ्तार और उसी मिकदार में बल्कि उससे भी ज्यादा अन्न पैदा करना है तो जरूरी है कि waterlogging को रोकने के लिए इस योजना में कम से कम 50,00,00,000 रुपया मिले ।

मन्त्री महोदय ने बताया कि सूबे में तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान industries का भी काफी विस्तार किया जाएगा । उन्होंने बताया कि जहां large और medium industries के लिए 6.68 करोड़ का provision किया गया है वहां छोटी industries के लिए भी 11.59 करोड़ की व्यवस्था की जा रही है । लेकिन हमारे सूबे में industries की क्या हालत है ? मैं आप को अमृतसर की ही मिसाल देता हूं । अमृतसर के अन्दर कई कारखाने ऐसे हैं जहां machinery fit हो चुकी है, wiring भी हो चुकी है; starters लग चुके हैं लेकिन बिजली के connections नहीं मिले । साल साल, दो दो साल से connections ही नहीं मिल रहे । Connections मिलें, starters शुरू हों तभी कहीं कारखानों में काम चालू हो सकता है लेकिन हमारी सरकार के पास electric power नहीं । हमारे अमृतसर की Municipal Committee के Chief Electric Engineer ने बताया था कि दस हज़ार kW. जो बिजली वहां इस वक्त खर्च हो रही है अगर इतनी और मिले तो 24 घंटों में consume की जा सकती है । लेकिन हमारी सरकार के पास इतनी power नहीं कि वह State की industries को feed कर सके । जब feed करने के लिए power ही नहीं तो जो Small Scale Industries के लिए 11,00,00,000 रुपए का provision किया जा रहा है वह किधर जाएगा ? इस सम्बन्ध में सरकार की तरफ से आज एक सवाल के जवाब में बताया गया था कि Vigilence Department की enquiry के फलस्वरूप यह पता लगा है कि अमृतसर के अन्दर 66 ऐसी industries हैं जिनकी तलाश करने पर भी पता नहीं चला और industrialists ऐसे हैं जिनको quota मिला हुआ है .मगर वह उसे misuse कर रहे हैं । तो इसका आखिर कारण क्या है ? लोग कारखाने लगा कर बैठे हुए हैं लेकिन बिजली मिल नहीं रही । ऐसी हालत में, बिजली के अभाव में, जब 11 करोड़ रुपया सरकार Small Scale Industries के लिए provide कर रही है तो यह रुपया व्यर्थ में खराब नहीं होगा तो और क्या होगा ? 11 करोड़ तो सरकार अपने पास से खर्च करेगी, इसके अलावा जनता का अपना रुपया भी खर्च होगा लेकिन जब तक बिजली पूरी मात्रा में नहीं मिलती मैं समझता हूं कि इच्छित उन्नति बिल्कुल असम्भव है । Industry suffer करेगी—पनपेगी नहीं । आज हालत यह है कि हफ्ते में एक दिन तो छुट्टी होती है और चार घंटों के लिए cut हो जाता है । इसलिए अगर पंजाब सरकार सूबे में Small Scale Industries को उन्नत करना चाहती है तो वह Centre से मांग करे कि हमारे सूबे में ज्यादा से ज्यादा kW बिजली की आवश्यकता है । इसके लिए

हमें thermal plants लगाने चाहिएं, Diesel Engines लगाने चाहिएं और छोटे २ plants के जरिए ज़्यादा बिजली generate करके industries को feed करना चाहिए। लाज़मी है कि इन चीज़ों के लिए सरकार केन्द्र पर ज्यादा से ज़्यादा दबाव डाले। जब तक हम अपनी योजनाएं पूरी तरह से नहीं बनाते तब तक हमारा काम ठीक तरह से नहीं चल सकता। हर चीज़ की पूरी पूरी assessment होनी चाहिए। यह देखा जाना चाहिए कि इन पांच सालों में हमें कितना समान और बिजली की आवश्यकता होगी Small-scale Industries और Cottage Industry को किन २ और कितनी २ चीज़ों की ज़रूरत होगी और वह हम कैसे जुटा पाएंगे। अगर बिजली अपने प्रोजेक्ट्स से पैदा की जानी है तो देखा जाना चाहिए कि यह कितनी पैदा कर पाएंगे। यह सारी assessment हमारे सामने नहीं है।

एक और बात मुझे यह कहनी है कि जहां भी किसी देश या सूबे की तरक्की करनी हो तो इन दो तीन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। एक तो यह कि हर नागरिक की per capita income बढ़ी है या कि नहीं, वस्तुओं की कीमतें कम हुई हैं या कि नहीं। दूसरे यह कि disparity कम हुई है या कि नहीं। तीसरे यह कि जो under-developed areas हैं उन को मदद मिलती है या कि नहीं। अगर इस लिहाज़ से देखा जाए तो यह प्लैन बिलकुल hopeless है। हमारा पंजाब दो हिस्सों में बटा हुआ है--पहाड़ी और मैदानी। पहाड़ी और मैदानी इलाके करीब २ बराबर २ हैं। अब देखना यह है कि इन पांच सालों में हमारी सरकार इन इलाकों को develop करने के लिए कितना खर्च कर रही है। यह सब जानते हैं कि हमारे कांगड़े का इलाका और दूसरे पहाड़ी इलाके गरीब हैं, बहुत पिछड़े हुए हैं। घर में खाना न मिलने के कारण वहां के दस २ साल के बच्चे मैदानों में आ कर लोगों के घरों में बर्तन साफ करते हैं। अब ऐसे इलाके के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है। 287 करोड़ के खर्च में से सिर्फ 19 करोड़ वहां पर खर्च किया जाएगा और कहा यह जाता है कि इन पहाड़ी इलाकों की तरक्की के लिए special कार्यवाही की गई है। इस 19 करोड़ में से तीन या सवा तीन करोड़ रुपया सड़कों पर खर्च किया जायगा। यह खर्च बहुत थोड़ा है। अगर इस इलाके की potentialities देखी जाएं तो यह बहुत ज़्यादा हैं, यहां minerals हैं, जंगलात हैं। दूसरे देशों में पहाड़ी इलाके हमारे मैदानी इलाकों से भी ज़्यादा developed हैं। इन रिसोर्सिज़ से यह फायदा उठाया जाना चाहिए। मगर 19 करोड़ रुपया वहां खर्च कर के कुछ काम नहीं हो सकता। आप जानते हैं जो सड़क मैदान में एक लाख रुपया खर्च कर के बनाई जा सकती है वह पहाड़ में दस लाख रुपया खर्च कर के ही बनाई जा सकती है। आप कहते हैं कि priorities fix करने का यह काम है और फिर आप चाहते हैं कि सैंटर वाले आप की इन स्कीमों पर cut न लगाएं मगर आप planning तो ठीक करो। यह पहाड़ी इलाका इतना लम्बा चौड़ा है कि अगर इस को डिवल्प कर लिया जाए तो पंजाब की बेकारी खत्म हो सकती है मगर यह तो बस 19 करोड़ खर्च करेंगे। इस से कुछ नहीं हो सकता। वित्त मंत्री जी ने कहा कि आप पहले यह रुपया सैंटर वालों से मांग लें उस के बाद हम आप की बात मान जायेंगे। और तब शायद यह 19 करोड़ करोड़ से बढ़ा कर साढ़े 19 करोड़ कर देंगे। माननीय मंत्री महोदय ने एक बड़ी भारी argument दी कि हमें आबादी की percentage के हिसाब से

[डाक्टर बलदेव प्रकाश]

रुपया नहीं मांगना चाहिए । मगर वही दलील इन इलाकों के सिलसिले में नज़र अंदाज़ कर दी है । अगर वहां की आबादी 9 प्रतिशत बनती है तो वहां पर खर्च भी इतने ही प्रतिशत रुपया रख दिया गया । यह ख्याल नहीं रखा गया कि वह इतना पिछड़ा हुआ इलाका है इस लिए क्यों न उन के लिए 20 प्रतिशत खर्च रखा जाए । यहां पर वह अपनी बात लागू नहीं करते ।

(at this stage Mr. Deputy Speaker occupied the Chair)

जो स्कीमें देश की तरक्की के लिए हैं उन में से कुछ एक पर सैंटर ने खुद खर्च करना है जैसे रेलवेज़ हैं । इस में इस बात का कहीं पर ज़िक्र नहीं है कि हमारी सरकार ने इस बारे में कोई मांग की है । दो पंच वर्षीय योजनाएं गुज़र चुकी हैं मगर यहां पर कोई लाईन नहीं बनाई गई । चंडीगढ़ पर करोड़ों रुपया खर्च हो चुका है और इस का मेन लाइन पर लाए जाने का कहीं पर ज़िक्र नहीं है । यहां इंडस्ट्री set up हो रही हैं, कारखाने लग रहे हैं मगर यहां से एक गाड़ी जाती है और एक ही आती है, इस को एक तरफ फैंका हुआ है ।

सरकारी बैंचों की तरफ से यह कहा गया कि इस चीज़ को एक पार्टी लेवल पर नहीं बल्कि तमाम पार्टी लेवल पर सोचना चाहिए । ठीक है कि सूबे की बेहतरी का सवाल सब को मिल कर हल करना चाहिए, इस में हरेक को सहयोग देना चाहिए । मगर क्या यह सहयोग केन्द्रीय सरकार से रुपया मांगने के वक्त ही मिलना चाहिए या किसी और वक्त भी इस की ज़रूरत पड़ती है । जब प्लैन की drafting होती है, जब इस की execution होती है तब तो कोई all parties' meeting नहीं बुलाता, तब तो उन लोगों से पूछा नहीं जाता । अगर हर स्टेज पर यह सहयोग प्राप्त किया जाए assessment, drafting वगैरह के मौकों पर तो हम बताएं कि कहां २ किस २ तरह से खर्च की wastage हो रही है । जिस तरह आप co-operation मांगते हैं यह इस का ढंग नहीं है । हर स्टेज पर all parties' meeting होनी चाहिए । इस की execution all parties' committee के हाथ में अगर हो तो यह कामयाब हो सकेगी वरना इस में सफलता मिलनी बहुत कठिन होगी । (तालियां) ।

राओ गजराज सिंह (गुड़गांव) : जनाब, बहुत सारे financial expert और industrialists की तरफ से इस प्लैन के बारे में बहुत कुछ कहा गया कि यह किस तरह से होनी चाहिए थी या कि इस की क्या २ खराबियां हैं । मुझे भी जो कुछ इस बारे तजरुबा है उस के मुताबिक मैं भी कुछ अर्ज़ करूंगा ।

वज़ीर साहिब ने यह नहीं फरमाया कि इस प्लैन की बेसिक पालिसी क्या है । जो पिछड़े हुए इलाके हैं वह बेचारे तो इस सोशलिस्ट पैटर्न में ही खप जाते हैं और शायद नीयतन खप जाते हैं लेकिन इन की बातों से चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात याद आ जाती है । इन्होंने कहा कि आपस की जो अन्दरूनी बातें हैं वह न करो । यह किसी इलाके के लिए कोई खर्च दें या न दें इस का कहते हैं कि ज़िक्र न करो । पिछली दो प्लैन्ज़ का हमें पता है कि तमाम खैरात बेचारे हरियाने वालों को ही मिल गई थी । इसलिए कहते हैं कि एतबार कर लो । हम कुछ दोस्त बैठे हुए थे और प्लैन के बारे में बातें हो रही थीं । मैं ने इस को पढ़ने की कोशिश की । मैं ने यह बात नोट की कि co-operation और development के अल्फाज़ इस में बार २ आते हैं कि

यह जो प्लैन है यह Community Development की प्लैन है। तो उन दोस्तों ने कहा कि शायद यह ज़्यादा सही होगा अगर यह कहा जाए कि यह corruption और destruction या colonisation and domination की plan है। यह जो कोआपरेटिव के नाम पर आप काम कर रहे हैं यह एक बहुत बड़ा fraud है और मैं तो समझता हूं कि इस सारे प्लैन को खत्म करने का एक बढ़िया तरीका है। यह सारे का सारा रुपया ज़ाया हो रहा है। सारी चीज़ बोगस है। मियां, बीवी, भाई, बहन और बहनों वगैरह ने मिलकर इस को चलाया हुआ है और जो रुपया सरकार से इन सोसाइटियों को मिलने वाला है वह इस रुपए का सही इस्तेमाल नहीं है वह सब इन बोगस सोसाइटियों को मिलने वाला है। यह लोग cheats हैं। और पंजाब गवर्नमेंट के चीफ़ मिनिस्टर और डिवल्पमेंट मिनिस्टरों ने यह लिखा है कि इनके खिलाफ मुकदमे कायम हों। इस किस्म की कोआपरेटिव्ज़ हैं। वह इस लिए बनी हुई है कि गवर्नमेंट से हराम का रुपया लेना है।

इसी तरह से एक कम्युनिटी डिवल्पमेंट है लेकिन मैं उसके बारे में बताऊं कि वह कम्युनिटी डिवल्पमेंट नहीं कम्युनल डिवल्पमेंट का महकमा है। अभी एक साहिब ने 35–40 गावों के मुआयने का हाल पढ़ा और हालत बताई। मैं भी अपने पड़ोस की बात बतला दूं कि वहां पर जब इस कम्युनिटी डिवल्पमेंट के डिपार्टमेंट को देखा गया तो पता चला कि कुछ लोग अनाप-शनाप रुपया खा पी गए।

अब मैं colonisation की बात कहता हूं। इस प्लैन को देखने पर पता चलता है कि पंजाब में हरियाना एक बड़ी भारी कालोनी है। जिस तरह अगर किसी देश के पास कालोनी न हो तो U.N.O. में उसे कोई नहीं पूछता इसी तरह पंजाब समझता है कि अगर उसके पास हरियाना जैसी कालोनी न हो तो सेंटर से उतना रुपया नहीं मिल सकता जितना यह लेना चाहते हैं। यह हरियाना के नाम पर रुपया लेते हैं इसी लिए इसे एक कालोनी बनाए रखना चाहते हैं। पहले सर छोटू राम ने और इंजीनियर कंवरसेन व श्री खोसला ने एक टनल स्कीम रखी थी लेकिन आज वह स्कीम यहां के लोगों ने हटा दी है और एक नई किस्म की स्कीम का ज़िक्र किया जाने लगा है कि आगरा कैनाल से गुड़गांव में पानी ले जाया जाएगा और वह भी कब जब चौथी फाइव इयर प्लैन बनेगी। और इस आगरा कैनाल का हाल सुन लो, वह यह है कि जहां यह नहर है वहां यू० पी० में भी यह पानी नहीं सप्लाई कर सकती। अरे यह बड़ी-बड़ी मेहरबानियां तो क्या करेंगे छोटी मेहरबानी भी इन से नहीं होती ? एक छोटी सी मेहरबानी पहाड़ के साथ बंध लगाकर कटाव को रोकने के बारे में है लेकिन उसके लिए सिर्फ 11 लाख रुपया और वह भी पांच सालों में रखा गया है और 2,200 रुपया पांच साल के प्लैन में एक एक बांध के लिए दिया जाएगा यानी इन पुराने बांधों की मुरम्मत होगी। अब आप देखिए कि कितनी तरक्की यह करना चाहते हैं उस इलाके की। मैं तो यही कहूंगा कि गुड़गांव को एक कालोनी बनाया हुआ है। यहां पर छोटी छोटी चीज़ें भी नहीं बनाई जातीं। और अब बड़ी चीज़ें बन रही हैं। कहां ? चंडीगढ़ में, राजपुरा में, फरीदाबाद टाउनशिप में ! क्योंकि इन बड़ी बड़ी आर्ट की इमारतें बनाने से रोटी मिल जाएगी। इसलिए यह बनाई जा रही हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आज आर्ट

[राम्रो गजराज सिंह]

के नाम पर क्या कुछ हो रहा है । हो सकता है जिस तरह से यह कहते हैं कि पुरानी चीज़ें रहने के काबिल नहीं इसी तरह यह आर्ट के लोग कुछ दिनों में भी कहने लगेंगे कि चूंकि इन पुराने लैजिस्लेटरों की पगड़ियां आर्ट के प्वाइंट आफ व्यू से अच्छी नहीं इसलिए इन पगड़ियां बांधने वालों को असैम्बली में नहीं बैठना चाहिए ।

यह कहते हैं कि यहां पर पैदावार बढ़ी, यह हुआ, वह हुआ लेकिन मैं कहूंगा कि यहां पर जितनी ज्यादा कुरप्शन बढ़ी है उतनी ज्यादा कोई चीज नहीं बढ़ी और यह कुरप्शन हर चीज़ में बढ़ रही है और हर जगह इसकी प्लैनिंग हो रही है । ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज़ देखी गई हैं कि एक दीवार के ऊपर पेण्ट किया हुआ है "गुड़गांव साइकिल इंडस्ट्रीज़" लेकिन उस जगह आज तक कोई छल्ला भी नहीं बना साइकिल की तो कौन कहे ? और वह शख्स उसके लिए करोड़ों रुपया ले चुका है और गवर्नमैंट कहती है कि इसके ऊपर मुकदमा दायर करो लेकिन नहीं हो पाता । यही तो करप्शन की खूबी है । (हंसी) ।

6 p. m.

फिर agriculture की बात लें । गवर्नमैंट ने better seeds के लिए seed farms बनाए लेकिन इन seed farms के बारे में पिछला तजरुबा यह है कि जो ज़मीन इन के लिए खरीदी गई अगर यह किसी सरमायादार के पास भी होती तो इस का दीवाला निकल जाता। एक एक farm में 18-18 हज़ार रुपए का नुकसान होता है । इन seed farms की हालत यह है कि इन की निस्बत लोगों के खेतों में 50 गुना ज्यादा पैदावार होती है । अब आप अन्दाज़ा लगाएं कि ऐसे seed farms में कैसे better seeds पैदा होंगे । Flood-affected लोगों को जो seeds दिए गए हैं वह तमाम कटे हुए हैं । लोग चिल्लाते हैं कि एक तो वे पहले ही floods से तबाह हो चुके हैं, यानी एक फसल तो floods से तबाह हो गई और दूसरी इन seeds की वजह से तबाह हो जाएगी । मैं कहता हूं कि इन seed farms पर रुपए की collosal wastage की गई है और चन्द एक यारों के लिए रिश्वत का रास्ता खोलने के लिए ये seed farms बनाए गए हैं । मैं इन से पूछता हूं कि क्या centre वाले आंखें बन्द कर के बैठे हुए हैं । आखिर वे भी देखते हैं कि collosal waste हो रहा है और यह चीज़ साबत हो चुकी है ।

(At this stage Mr. Speaker occupied the Chair.) (घंटी)

स्पीकर साहिब, मैं सिर्फ एक दो बातें और अर्ज़ करना चाहता हूं ।

Consolidation of holdings के सिलसिले में मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह consolidation of holiding नहीं है बल्कि consolidation of wealth by the operations of consolidation of holdings है । (घंटी)

स्पीकर साहिब, मैं सिर्फ एक बात electricity के बारे में करना चाहता हूं । वह यह कि :

बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का,
जो चीरा तो इक कतराए खून निकला ।

जब भाखड़ा डैम बना तो यह कहा जाता था कि हरियाना के इलाके को बिजली दी जाएगी लेकिन आज एक white elephant देहली बीच में बैठ गया है । आज यह हालत है कि

बड़े बड़े सरमायादार कोठी में बैठे बैठे टेलीफून कर देते हैं और उनके यहां बिजली लग जाती है लेकिन अगर एक किसान पांच साल तक चिल्लाता रहे उस के कुएं के लिए बिजली का connection नहीं मिलता। अन्त में मैं यह कहूंगा कि अगर आप एक justifiable plan तमाम पार्टियों को confidence में ले कर बना कर Centre के पास चलते हैं तो तमाम लोग उस की हिमायत के लिए तैयार होंगे।

श्री अध्यक्ष : कल Question Hour dispense with कर दिया जाएगा, adjournment motion on floods पर discussion कल की बजाए 24 तारीख को होगी और एक घंटा और extend कर दिया जाएगा। परसों छुट्टी कर दी जाएगी। (Tomorrow the Question Hour will be dispensed with and the adjournment motion on floods fixed up for that day will be discussed on the 24th October and the sitting of the Sabha will be-extended by one hour. There will be no meeting for the Sabha on day after tomorrow.) (*Interruptions*).

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਪੰਡਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ?

(*Addressing the Minister for Industries*—What does the hon. Minister think)

ਉਦਿਯੋਗ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੋ, ਕਰ ਲਵੋ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਕੱਲ Question Hour ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੇ। (Tomorrow there will be no Question Hour.)

(*Interruption by Shri Balram Dass Tandon*)

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ mind apply ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ adjournment motion ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹਾਊਸ extend ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। (The hon. Member has not applied his mind. The sitting of the House had to be extended for the period allotted for discussion of the Adjournment Motion.)

ਸ੍ਰੀ ਬਲਰਾਮ ਦਾਸ ਟੰਡਨ : ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ.....(ਵਿਘਨ)

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਟਾਈਮ ਉਤਨਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ (The requisite time has been found out.)

श्री बलराम दास टंडन : Plan पर साढ़े दस घण्टे discussion होनी थी आज अभी पौने चार घण्टे हुई है (*Interruptions*)

Mr, Speaker : The Question Hour will be dispensed with on Tuesday, the 18th October, 1960, and the time of the sitting of the Assembly will be extended by one hour on that day.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਮੀਤ' (ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ 'ਜਨਰਲ') ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜੋ draft plan ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪਲੈਨ ਸੀ। ਹਾਊਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਜੋ industry ਅਤੇ agriculture ਦੇ experts ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ professions ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਲੈਨ ਤੇ ਸੁਝਾਉ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਪਿਛਲੀ ਪਲੈਨ ਦੀ assessment ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਘਾਟੇ Second Plan ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਲੈਨ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਨਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ matter talk out ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗੇ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਉ ਰਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ—1949 ਤੋਂ food ਦੀ self sufficiency ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ Second Plan ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਹ result ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1965 ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਵਿਚ food ਦੀ self-sufficiency ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇਥੇ production ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗਲਤ statistics ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ criteria ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਫਹਿਮੀ ਵਿਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। Second Plan ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਔਸਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾ ਸਕੇ ਹਾਂ ? ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ ? ਇਸ ਵਿਚ ਅਗੇ ਅਸੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪਿਛੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ—ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ level ਤੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਲੈਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੰਮਿਤੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਮਦਾਦ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਗ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ।

ਇਥੇ seed farms ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। 25 ਏਕੜ ਦੀ ਇਕ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨਗਰਾਨੀ ਲਈ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੀਜ ਨੂੰ multiply ਕੀਤਾ ਹੈ ? Land lords ਨੂੰ ceiling ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ favourite ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਘੁਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ 800, 900 ਜਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਘੁਮਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ? Director of Agriculture ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ already farms ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ self sufficient ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 25 ਏਕੜ ਦੀ ਇਕ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ seed ਨੂੰ multiply ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ 3rd Plan ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ demonstration farms ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ

ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਾਂ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਰਮਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 400, 500 ਜਾਂ 600 ਏਕੜ ਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ district level ਤੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । 2nd plan ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ agriculture ਵਾਸਤੇ 19.4 ਖਰਚ ਰਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪਲੈਨ ਵਿਚ ਸਾਡੀ 1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖਰਚ 19.5 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ agriculture ਲਈ top priority ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ improved seed ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਈ pure seed ਲਈ ਯਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਉਤੇ ਕੋਈ mark ਕਰਨ ਲਈ ਯਾ registered mark ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਠੋਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ । ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 117 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 107 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ premium ਦੇਣ ਲਈ provide ਕੀਤਾ ਗਿਆ । U.S.A. ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ organisation ਹੈ । ਉਹ premium ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਓਥੇ ਏਸ ਸੂਬਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 150% ਤੱਕ premium ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਅਤੇ ਉਹ ਦੜੇ ਦੇ ਭਾ ਤੇ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਦੇਵੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਰੁਪਿਆ premium ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ premium ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਾਢੇ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਮੁਚੇ ਤੌਰ ਤੇ premium ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹ 25% ਤੱਕ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ । ਐਨੇ ਵਕਤ ਵਿਚ ਜਦ ਅਸੀਂ seed multiply ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ । ਗੌਰਮੈਂਟ ਖੁਦ procure ਕਰੇ । ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ procure ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ,ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ । ਏਸ ਦਾ ਮੁਨਾਸਬ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਾਧਨ better implements ਹਨ । Implements standardise ਕਰਨ ਬਾਰੇ draft 3rd Plan ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ । ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਵਿਚ cane crushing 70% ਤੱਕ ਹੈ । 50% ਜਾਂ 20% ਤੱਕ implements ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ wastage ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ standardise ਕੀਤਾ ਜਾਏ । ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ implements ਖੁਦ supply ਕਰੇ, ਸਸਤੇ ਭਾ ਤੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ਤੇ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ । Standard quality ਦੇ implements ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ । ਇਸ ਬਾਰੇ enactments ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਇਕ agricultural State ਹੈ । ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ । (ਘੰਟੀ)

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਿਸ ਦਾ trend ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਜਟ ਦੀ ਆਮ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ facts and figures ਦੱਸੋ, ਕੁਝ ਹੋਰ

[ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ]

ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ Third Five-Year Plan ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੋਵੇ । ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਬਜਟ ਦੀ general discussion ਵੇਲੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਇਸ ਪਲੈਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ । (The trend of the hon. Member's speech appears to be as if it is a general discussion on the budget . He should state some facts and figures and say such other things as have a bearing on the Third Five-Year Plan. What the hon. Member is saying can be said at the time of the general discussion on the Budget. Whatever he is saying finds no mention in the Draft Plan.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਮੀਤ' : ਜਨਾਬ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਹੈ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਜੇ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮ ਛਪ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਦੀ ਬਹਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ । (The hon. Member can say this at the time of general discussion on the budget if the Scheme is printed as it stands at present.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਮੀਤ' : ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ detail ਹੈ । ਜੋ provision ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਝਾਓ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ provision ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ । ਮੈਂ figures ਦੱਸੇ ਹਨ ।

1960-61 ਵਿਚ ਜੋ 60 ਲਖ ton foodgrains ਦਾ target ਸੀ ਉਹ 1965-66 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ 84 ਲਖ ਟਨ tons ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕਠਾ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਰਖ ਕੇ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ experts ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਪਾਣੀ ਘਟ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਵਕਤ ਤੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ 15 ਸੇਰ ਤਕ ਗੰਦਮ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ powers ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਨਾਜ ਦੀ productions ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ tube-wells ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਖ ਕੇ ਮੁਨਾਸਬ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੇ । ਇਸ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਕ ਦੋ suggestions ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਸਤੀ ਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ agricultural province ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ agricultural implements ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਉਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੇ, cheap tractors ਅਤੇ popular tractors ਬਣਾਉਣ ਦੀ factory ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਂ ਬਟਾਲੇ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਜਾਏ ਤਾਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ tractors ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ agricultural production ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ agricultural goods ਦੀ cost of production ਦੀ ਜੋ assessment ਸਰਕਾਰ ਨੇ Board of Economics Enquiry ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ cost of production ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਤੀ ਜਾਏ । ਉਸ Board of Economic Enquiry ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਜੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ।

ਅਖੀਰ ਵਿਚ better production ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੋ ਕਈ tractors ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ supply ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ Municipal ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ supply ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਰਫ agricultural productions ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਤਾਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆਏ ਜਾ ਸਕਣ ਤਦ ਹੀ ਹੋਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ।

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ (ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ 'ਜਨਰਲ') : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ plan ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹਿਸ ਉਸ ਬਹਿਸ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੀਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ suggestions ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ low-income ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਔਰ ਖੇਤੀ ਔਰ Industries ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਹਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ।

ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਪਲਾਨ ਦੇ ਪੰਜ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ production ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ । ਇਸ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ income । ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ basic industries ਨੂੰ ਤਰਕੀ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ agriculture industries ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ । ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਇਹ economic set up ਨੂੰ self generating ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ man power ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ idle ਹੈ employment ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇ । ਇਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਅਸੂਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਨ ਨਾਲ inequalities ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਔਰ society

[ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ]

ਨੂੰ over all socialist pattern ਵਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਮਕਸਦ ਹੈ to remove in equalities ਤੇ socialist pattern ਵਲ ਅਗੇ ਵਧਣਾ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ 287 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਲਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕਹਾਂਗੇ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ineqaulities ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਲ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਲਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ inequalities ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ inequalities ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ disparities ਨੂੰ remove ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਲਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ report ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪਵਿਤਰ ਮਕਸਦ ਸੀ ਅਤੇ socialist pattern ਵਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ income ਘਟੀ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਵਧੀ। (ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਬਤ ਕਰੋ।) ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ report ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਮੀਰ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋਏ ਔਰ ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਹੋਏ।

ਦੂਜੀ report ਤੁਸੀਂ Community Development ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੈ ਲਓ। community development ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ rural areas ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਰਖ ਲਓ ਕਿ ਉਸ report ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ backward sections ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਇਹ ਵੀ ਉਪਰਲਾ ਤਬਕਾ ਹੀ ਬੋਚ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। (Chief Minister: Questions.) I will give you answer for that. ਸੋ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਥੋਂ ਤਕ 287 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਅੱਲਕ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਕ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੀਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਤੇ ਇਥੇ ਹਾਉਸ ਵਿਚ discussion ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰਕੀ ਐਨੇ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਖਾਤਰ ਖਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਘਟ ਨਾ ਜਾਏ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਜ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ constructive suggestions ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।

ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਆਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਘਟ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸਾਂ ਹੋਰ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਕੀ ਵਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ। Industry in general ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਸ੍ਰੀ ਡੀ. ਡੀ. ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰਖੀਆਂ ਹਨ।

(Dr. Bhag Singh was still in possession of the House when it adjourned.)

6.30 p. m.

The Sabha then adjourned till 2 p. m. on Tuesday the 18th October, 1960

11113P.V.S.—349—23-1-61—C.P and S. Pb., Chandigarh.

Punjab Vidhan Sabha Debates

18th October, 1960

Vol. II—No. 2

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Tuesday, the 18th October, 1960

Price: Rs. 4.60 nP

ERRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES, VOL. II, NO. 2
DATED THE 18TH OCTOBER, 1960.

Read	*for*	*on page*	*line*
PRIVILEGE	PRIVILELGE	(2)1	6
Privilege	Privilage	(2)1	last
ਹੋਵੇਗਾ	ਵਹੋਗਾ	(2)2	4th from below
हो जायेगी	जायगी	(2)4	16
motion	morion	(2)5	13
ਪਲੈਨ	ਪ੍ਲੈਨ	(2)15	28
Point	Poin	(2)26	30
ਬੋਲਣ	ਬੋਲਣ	(2)27	24
गवर्नमेंट	गवर्नमट	(2)28	26
hon. Member	hom. Member	(2)29	22
जैनरल	जनल	(2)33	10
PLAN-PUNJAB	PLANP-UNJAB	(2)35	Heading
हिमाचल	मिहचल	(2)38	11
ਹੋਣੀ	ਹੋਣਾ	(2)57	9th from below
ਪੈਦਾਵਾਰ	ਪੈਦਾਦਵਾਰ	(2)57	4th from below
saturation	satuation	(2)64	12
ਇਸ	ਇਹ	(2)67	6
Seniority	Sediority	(2)69	12
teachers	techers	(2)69	12
पढ़े	बढ़े	(2)70	22
ਤਰ੍ਹਾਂ	ਤਾਂ	(2)72	last
पूरी	पूल्ही	(2)76	3
श्री उपाध्यक्ष	श्री उपअध्यक्ष	(2)78	9
श्री उपाध्यक्ष	श्री ध्याक्ष	(2)78	26
ਹੁੰਦਾ	ਹੁੰਦੀ	(2)87	13
ਜਿਥੋਂ	ਜਿਬੋਂ	(2)89	18
कहना	कहा	(2)92	17
उद्योग	उयोग	(2)94	1
उद्योग	उयोग	(2)96	1

PUNJAB VIDHAN SABHA

Tuesday, the 18*th October,* 1960

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, *Chandigarh, at* 2.00 *p.m. of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.*

QUESTION OF PRIVILELGE

श्री अध्यक्ष : (चौधरी धर्म सिंह राठी से) आप को जो *Privilege Motion है वह out of order है। यह मामला Speaker की administrative jurisdiction में है। आप मुझे मेरे chamber में मिलें मैं सब कुछ explain कर दूंगा यह Privilege Motion का subject नहीं है। (Addressing Chaudhri Dharam Singh Rathi). The question of Privilege raised by the hon. Member is out of order. It relates to a matter which is within the administrative jurisdiction of the Speaker. He may see me in my Chamber. I will explain every thing to him. This matter does not form subject of a Privilege Motion).

चौधरी धर्म सिंह राठी : May's Parliamentary Practice में यह लिखा है कि जो M.L.A.s की convenience की बात हो उस पर यह motion आ सकती है।

श्री अध्यक्ष : I personally intervened in the matter (*interruption*) जब Parliament के Members आए थे तो इन के दो कमरे उन को दे दिए थे। आखिर adjustment तो करनी ही थी। (*interruption*). He is fixed up. (*interruption* by Chaudhri Dharam Singh Rathi.) You should have complained to me and not brought a Privilege Motion in the House. It is baseless. [I personally intervened in the matter (*interruption*). When the members of Parliament visited this place, his two rooms were placed at their disposal. After all some adjustment had to be made. (*interruption*). He is now fixed up. (*interruption* by Chaudhri Dharam Singh Rathi). He should have complained about it to me and refrained from bringing Privilege Motion in the House. It is baseless.]

Note. The Privilage Motion wes not mentioned by the Speaker in the House.

OBSERVATION MADE BY THE SPEAKER REGARDING PRINTED COPIES OF ASSEMBLY DEBATES

श्री अध्यक्ष : म एक statement दे रहा हूं । मैं चाहता था कि सारे मैंबर साहिबान यहां हाज़िर होते । आप को जो debates दी जाती हैं वह आप उठाते नहीं और वैसी की वैसी पड़ी रहती हैं । इस बारे में statement दे रहा हूं । उमीद है आप इसे तवज्जुह से सुनेंगे । (I am going to make a statement. I wish all the Members had been present here. I find that the copies of debates supplied to the hon. Members are not taken away by them and these keep lying here. I am making a statement on this subject and I hope that the House will hear it with due attention.

"Hon. Members, I wish to draw your attention to an important matter. It has been brought to my notice that a fairly large number of Members do not care to carry the printed copies of debates when these are distributed to them in the lobbies. Some put their initials in token of having received the debates but do not take the same physically while some others leave them in their desks in the Chamber. In this way, 330 copies of debates for the year 1958 and 1,128 copies pertaining to the year 1959 were removed from the lobbies and the Chamber as waste paper.

The declining interest shown by the hon. Members in their printed word recording of which involves a huge amount of hard and constant labour by a number of offlcers and the staff of this Secretariat in addition to the enormous amount of expenditure incurred on paper and printing is surprising. If this record is to be sold in such a large measure as waste paper immediately after having been handed over to the Members, then it is time that we should seriously consider the matter. In every democratic country Hansards are held in great esteem because they contain a record of the delibrations of the chosen representatives of the people. I, therefore, propose and if the House agrees, that in future debates be given only to those Members who want them and are interested in the publication. The idea in supplying copies of the debates to the Members is that they be put in possesion of the record of the delibrations that took place in the house when they had an opportunity to represent the people of Punjab in this august body. Those Members who want that they should get this publication may please write to the Secretary within a week so that only the required number of copies may be printed and unnecessary expenditure avoided."

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਮੇਰੀ ਇਸ ਸੰਬਧ ਵਿਚ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਬੇਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨਾ supply ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ practice ਚਲੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਡੀਬੇਟਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ addresses ਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ session attend ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੀਬੇਟਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਸੇਰ ਭਾਰ ਨਾਲ ਲੱਦ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ inconvenient ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੀਬੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪਾਸ ਡਾਕ ਰਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਟੇਗਾ । ਅਤੇ ਡਾਕ ਖਰਚ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਕਈ ਵੇਰ ਡੀਬੇਟਾਂ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀ ਵੀ economy ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਚਾਰ ਡੀਬੇਟਾਂ ਈ

ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ Budget books ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇਕ peon ਵੀ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਹੋਸਟਲ ਤਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਵੇ ।

(Sometimes the debates are distributed in the House also. But I consider it unfair on the part of the hon. Members if they can not make even this little contribution towards national economy by carrying a few debates with them. Their failure to do this means that they should be provided with a peon who may bring their books on budget from the Assembly Chamber to the Hostel.)

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : No, not at all, Sir. ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇਕਰ ਇਹ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ।

Mr. Speaker : I am sorry I can not agree to this.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੀਬੇਟਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪਾਸ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : I do not think so. ਉਥੇ ਪ੍ਰਥਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੀਬੇਟਾਂ ਉਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਜੋ procedure ਮੈਂ suggest ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ ।
(I do not think so, there the practice is that the debates are distributed to the Members while sitting in the Chamber. Even if any other procedure is in vogue there, what is the harm in adopting the procedure suggested by me ?)

पंडित श्री राम शर्मा : इस में यह हो सकता है कि जो कोई जहां ठहरा हुआ हो वहां पर यह कापियां पहुंचा दी जाएं, इस तरह डाक खर्च भी बच सकता है ।

श्री अध्यक्ष : मुझे अफसोस है कि मैम्बर साहिबान यह किताबें उठा कर Hostel तक नहीं ले जा सकते । आप ने तो मशक्कत की मिसाल कायम करनी है लोगों के सामने. खैर पंडित जी तो बूढ़े हो गए हैं । मैं यह कर दूंगा कि जो 60 साल से ऊपर हों उन की किताबें उन के ठहरने की जगह पर पहुंचा दी जाएं । (हंसी)

(I am sorry to note that the hon. members are loathe to carry these debates, etc., to the Hostel. They have to set an example of self help and labour before the public. But Pandit Ji has grown old. Any how I shall see that the debates are delivered at the places of those who are over sixty.
(*laughter*)

पंडित श्री राम शर्मा : और जिन की उम्र 40 साल से कम हो वह दूसरों की किताबें उठा कर ले जाया करें। (हंसी)

SUBSTANTIVE MOTION

श्री अध्यक्ष : (चौधरी इन्द्र सिंह से) आपकी जो motion है वह मैं examine कर रहा हूं। आप मेरे Chamber में आएं तो सब कुछ explain कर दूंगा। (Addressing Chaudhri Inder Singh) I am examining the implications of the motion given notice of by the hon. Member. He may come to my Chamber, and I will explain the whole position to him.)

Chaudhri Inder Singh M. L. A. : Sir, I beg to call the attention of the Chief Minister to a matter of urgent public importance namely, the deteriorating state of Law and Order due to communal tension in the state.

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

श्री अध्यक्ष : जहां तक calling attention की motion* का सम्बन्ध है इस के बारे में अगर आप procedure पढ़ें तो आप की तसल्ली जायगी। A calling attention motion can be given notice of on a subject arising out of a reply to a question given by Government. (So far as the motion regarding Calling attention to a matter of urgent public importance is concerned, the hon, Member will be satisfied if he reads the procedure laid down in this bahalf. A Calling attention motion can be given notice of on a subject arising out of a reply to a question given by the Government.)

चौधरी इन्दर सिंह : जनाब, मेरी और भी motions थीं।

श्री अध्यक्ष : आप की substantive motion के बारे में तो मैं ने बता दिया है। दूसरी आप की Calling attention की motion** out of order है। (I have already informed the hon. Member about his Substantive motion. As regards the Calling attention motion, it is out of order).

ADJOURNMENT MOTION

चौधरी इन्दर सिंह : On a point of Order, Sir. मेरी जो adjournment motion है, उस के बारे में आप का क्या हुकम है?

---

*Note: Substative Motion given notice of by Chaudhri Inder Singh was not mentioned in the House by the Speaker

**Note.—Please see pages 19 to 26 and 35 to 36 also on the Subject of calling attention.

Mr. Speaker : Opportunity was given to you yesterday. The subject of the motion is the same. The adjournment motion was ruled out of order yesterday.

Chaudhri Inder Singh : Sir, it was ruled out of order on some technical ground.

Mr. Speaker : Opportunity was given to the hon. Member yesterday, when the motion was disallowed.

Chaudhri Inder Singh : Sir, that shortcoming has been removed to-day. अब मैं ने सारे reason दिए हैं ।

Mr. Speaker : I am bound by the rules.

चौधरी इन्दर सिंह: जनाब, वहां 17 आदमी मारे गए, सारे सूबे में शोर मचा, इतने आदमी तो जेल में भी नहीं मरे ।

Mr. Speaker : Your morion is before me. It is ruled out of order on the ground that a motion on the same subject had been disallowed yesterday.

Chaudhri Inder Singh : Only on a technical ground . To-day I have removed that shortcoming.

Mr. Speaker : I am sorry. I have given my ruling.

PRESENTATION OF THE REPORT OF THE COMMITTEE OF PRIVILEGES

Chairman, Committee of Privileges (Chaudhri Sarup Singh) : Sir, I beg to present the Report of the Committee of Privileges regarding the question of privilege pertaining to the publication of misleading and incorrect proceedings of the Vidhan Sabha in the "Hind Samachar," Jullundur.

PRESENTATION OF THE PRELIMINARY REPORT OF THE REGIONAL COMMITTEE ON THE PUNJAB MUNICIPAL BILL 1960

Chairman, Hindi Regional Committe (Shri Balwant Rai Tayal) : Sir, I beg to present the Preliminary Report of the Hindi Regional Committee on the Punjab Municipal Bill.

Vice-Chairman, Punjabi Regional Committee (Shri Rala Ram) : Sir I beg to present the Preliminary Report of the Punjabi Regional Committee on the Punjab Municipal Bill.

EXTENSION OF TIME FOR PRESENTING THE REPORT ON THE PUNJAB MUNICIPAL BILL BY THE REGIONAL COMMITTEES

Minister for Industries (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to move—

> That the time fixed for presenting the Report by the Regional Committee on the Punjab Municipal Bill, be extended up to the 31st January, 1961.

[Minister for Industries]

स्पीकर साहिब, अभी पंजाब म्युनिसिपल बिल पर consideration रीजनल कमेटीज़ में नहीं हो सकी। जैसा आप जानते हैं कि एक ज्वाइंट सब कमेटी बनी थी और यह बिल उसके सुपुर्द हुआ था। उस ज्वाइंट सब कमेटी ने कोई 15-16 मीटिंग्ज़ की हैं और उस की deliberations खत्म हो चुकी हैं। एक बड़ी रिपोर्ट बनने वाली है। इस लिये उसके पेश न होने की वजह से रीजनल कमेटीज़ में उस की consideration नहीं हो सकी। तो दोनों रीजनल कमेटीज़ ने अलहदा अलहदा यह पास किया कि विधान सभा से हम प्रार्थना करें कि इस बिल पर रिपोर्ट देने की मियाद का टाइम बढ़ा दिया है। मुझे विश्वास है कि ज्वाइंट सब-कमेटी 15 दिसम्बर से पहले पहले रीजनल कमेटीज़ को अपनी कार्रवाई खत्म करके रिपोर्ट पेश कर देगी। इस लिये यह प्रार्थना है कि 31 जनवरी तक मियाद दे दी जाए। और मैं आशा करता हूं कि दोनों रीजनल कमेटीज़ में अलहदा अलहदा 31 जनवरी से पहले consideration खत्म हो जाएगी। फिर उस के बाद यहां विधान सभा में उस को भेज सकेंगे। यह बहुत जायज़ मांग है और मैं समझता हूं कि रीजनल कमेटीज़ की इस इस्तदुआ को हाऊस मंजूर करेगा।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the time fixed for presenting the Report by the Regional Committees on the Punjab Municipal Bill, be extended up to the 31st January, 1961,

Mr. Speaker : Question is—

That the time fixed for presenting the Report by the Regional Committees on the Punjab Municipal Bill, be extended up to the 31st January, 1961.

The motion was carried.

POINT OF ORDER REGARDING "CALLING ATTENTION"

चौधरी इन्दर सिंह : On a point of order, Sir, जनाब, मैं ने Calling attention की motion का नोटिस दिया था। Rule 73 के तहत इस बारे में कहीं किसी question का reference नहीं है, वह half an hour discussion के सिलसिले में होता है।

Mr. Speaker : The hon. member should please see me in my Chamber after the sitting of the Assembly is over. Let us pass on to the next item on the agenda.

चौधरी इन्दर सिंह : जनाब, स्पीकर साहब, इसे Pending रख लें।

श्री अध्यक्ष : मैं आप की पहली मोशन को examine कर रहा हूं। (I am examining his first motion)

चौधरी इन्द्र सिंह : मैं, जनाब, आपको एक मिनट के लिये यह अर्ज़ करना चाहता हू।

श्री अध्यक्ष : मैं आप को chamber में सही बात समझाऊंगा। (I will explain the whole position to the hon. member in my Chamber)

चौधरी इन्द्र सिंह : जनाब, मेरा right है और मैं आपकी protection चाहता हूं।

Mr. Speaker : I know your right. It is in my mind. I have invited you to my Chamber. I will give my ruling later.

Chaudhri Inder Singh : Sir, with your permission I want to quote Rule No. 73 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly so that more light can be thrown on this.

Rule 73 lays down—

"A member may with the..........."

Mr. Speaker : I have asked you to please see me in my Chamber. Please do not interrupt the proceedings of the House in this way.

We should pass on to the next item on the agenda.

चौधरी इन्द्र सिंह : जनाब, मेरी अर्ज़ यह है कि आपने Ruling देते हुए यह फरमाया था—

Mr. Speaker : You are interrupting the proceedings of the House. It is not fair.

Chaudhri Inder Singh : Not at all, Sir, It is not my intention. I want to explain the position.

Mr. Speaker : Please do not interrupt the proceedings. We have to pass on to the next item. I am inviting you to my Chamber to discuss this matter there.

DRAFT THIRD FIVE-YEAR PLAN—PUNJAB STATE RESUMPTION OF DISCUSSION

Mr. Speaker : Now the House will resume discussion on the Punjab Third Five Year Plan proposed tentatively for discussion with the Planning Commission.

Dr. Bhag Singh who was in possession of the House, when it adjourned, may resume his speech.

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : (ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, ਜਨਰਲ) ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ interrupt ਕਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ

[ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ]

ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪਲੈਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ discuss ਹੋ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਅਸੂਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ landable ਨਹੀਂ। ਕਿ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ disparity ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ disparity ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਿਚ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ challenge ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਿਚ ਚੰਦ ਫਿਕਰੇ Second Agriculture Labour Enquiry ਵਿਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੁਹ ਇਸ disparity ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।

> "Thoroughly unpalatable are some of the facts revealed by the Second Agricultural Labour Enquiry, conducted under the auspices of the Ministry of Labour, Government of India in the year 1956-57. It so happens, however, that the results of this very big survey undertaken four long years ago are still to see the light of the day, having lost their way to the world in the labyrinths of the Cabinet Secretariat, the Ministry of Labour and the Planning Commission.

> The first non-official reference to this survey was made by Professor D. R. Gadgil, in his contribution to the papers of the Panel of Economics of the Planning Commission.

In that paper Professor Gadgil has characterised the consequence of the Socialistic labours in planning undergone by the Government of India and the Planning Commission, as follows :

> "Whereas there appears to have been some increase in per capita national income during the period, the results of this have been evidently spread very unevenly over society and the economy. The cities have profited as compared with the agricultural regions. Among the agricultural regions, the rich agricultural regions have done well but not so the poor ones, and in all agricultural regions it is only the top farmer strata that appears to have made any net improvement in their position. Agricultural labour has distinctly deteriorated in its position and this most probably is what has happened also to the rural artisan industry and casual labour and labour employed in unorganised industry, trade and transport. Even the earnings of factory labour have not made any significant progress if 1959 is compared with 1951. The salariat which next to labour is important in the cities appears to be in a stagnant even perhaps a slightly difficult position. It is only the trader and industrialist who appear to have done consistently well and among them the larger and those in the largest cities with the largest organised business appeared to have done the best."

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੱਸਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਤਾਇਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ employment ਔਰ unemployment ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਕਾਰੀ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੇਬਰ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਸਾਰੀ ਤਰੱਕੀ balanced ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਸੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ ਮਗਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਲ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਏਥੇ heavy industry ਔਰ medium industry ਵਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ Heavy Industry ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ Heavy Industry Co-operative basis ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸਿਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਚ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ । ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ Intensive Geological Survey ਕਰਵਾ ਕੇ ਏਥੋਂ ਦੀ mineral wealth ਨੂੰ explore ਕਰਵਾਏ ਤਾਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਚ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਮਗਰ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਏਥੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਏਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਏਥੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਚ ਨਰਮਾ ਤੇ ਕਪਾਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਕਸਰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਚ ਕਪੜੇ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਏਥੇ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਏਥੇ combing plant ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ comb ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫੇਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਪੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਏਥੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਰਮ ਕਪੜਾ ਸਸਤਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਥੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਥੇ ਸ਼ੂਗਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੋਰ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਬਾਕੀ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਕਢ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਛੀਆਂ ਬੱਚਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੱਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਥੇ ਗੱਤੇ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਤਕ ਏਥੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਖੰਡ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹਨ ਉਹ ਪੱਛੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ

[ਡਾ: ਭਾਗ ਸਿੰਘ]

ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਥੇ ਭਬੜ ਘਾਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ Heavy electricals ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕਪੜਾ ਏਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਉਸ ਦੀ weaving ਏਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ weaving ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਤੇਲ ਔਰ ਖੇਲਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਖਤਸਿਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (ਘੰਟੀ) ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਸ ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਖਤਸਿਰ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਰਾਓ ਗਜਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀਂ ਕੋਆਪਰਟਿਵ ਦੇ ਇਤਨਾ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਰਖਦਾ ਹਾਂ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਗਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਜੇ ਕੁਝ ਉਣਤਾਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਏਥੇ Socialistic Pattern of Society ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿਚ individual property ਪਰਧਾਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿਚ ਟਕੱਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਕ ਬੜੀ ਭਾਰੀ contradiction ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਬੂਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ Socialistic Pattern of Society ਵਲ ਵਧ ਸਕੀਏ।

POINT OF ORDER REGARDING CALLING ATTENTION

श्री अध्यक्ष : चौधरी इन्द्र सिंह। आप का point of order ठीक है जो आप ने कुछ देर पहले उठाया था। आप अपनी motion को पढ़ दें। (Addressing (Ch. Inder Singh.) The point of order raised earlier by the hon. Member is correct. He may read out his motion).

Chaudhri Inder Singh : Sir, I beg to calll the attention of the Chief Minister to a matter of urgent public importance, namely, the deteriorating state of law and order due to communal tension in the State.

DRAFT THIRD FIVE-YEAR PLAN PUNJAB STATE (RESUMPTION OF DISCUSSION) (contd.)

ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ (ਨੂਰ ਮਹਿਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤੀਜੇ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਤੇ

discussion ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵਕਤ ਤੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਪਲਾਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਿਰੋਲ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ social and economic order ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਦੂਜੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਲਾਨ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕਣ । ਅਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਲਾਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕੇ ਹਨ । ਕਈ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ regimentation ਕਾਇਮ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ Capital goods ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ consumer goods ਲਈ ਲੋਕ starve ਹੋ ਜਾਣ । ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹਨ ਜਿਥੇ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਵਧ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ । ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਮਿਲ ਸਕੇ । 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪਲਾਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਪਲਾਨਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਪਹਿਲੇ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾਇਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਅਸੀਂ industry ਵਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਤੀਜਾ ਪਲਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾਇਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫੇਰ ਵੀ ਜ਼ਰਾਇਤ ਤੇ ਕੁਝ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਜ਼ਰਾਇਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਰਫਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਰਖਣੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਉਜੜ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਦ੍ਰਹਮ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪਲਾਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ provisions ਕੀਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕੀਏ । ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਵਿਖਾਈ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਵੀ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਲਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਰੁਪਏ ਰਖੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

ਇਹ ਜੋ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਪਲਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ 287 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ provision ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਬਹੁਤ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ । ਹਿੰਦ

[ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ]
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨਾ ਰੁਪਿਆ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਰਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰੁਪਿਆ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਮੋਬੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਜਿਤਨੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਇਕ ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ । ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ family planning ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ pace ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ pace ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ । ਇੰਗਲਸਤਾਨ ਦੇ agriculture ਤੇ industry ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ Vice President ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ production ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ । ਇਸ ਲਈ family planning ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ production ਵਧਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਇਤਨੀ ਵਧ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ per capita income ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ per capita income ਵਧਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਉਪਰਾਲਾ ਅਤੇ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ in check ਰਖਣਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਆਬਾਦੀ ਖੜੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ per capita ਆਮਦਨੀ ਵੀ ਵਧੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮਦਨੀ ਫੀ ਆਦਮੀ ਵਧਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਲੋਂ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦੀ । ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਆਮਦਨੀ ਵਧਣ ਨਾਲ per capita in come ਵਧੇ । ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪਲਾਨਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਸ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧ ਹਿੱਸਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਕਹਿਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ 57 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 53 ਫੀ ਸਦੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ develop ਕਰ ਗਏ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੁਪਿਆ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏ । ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਲੇਕਿਨ ਪਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਢ ਦੇਣਾ ਸਗੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ

ਪਬਲਕ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਜੋ ਰੁਪਿਆ shy ਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇ । ਪਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ । ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਅਗੇ ਵਧੇ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਗੇ ਚਲੇ ਤਾਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ industry ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇ । ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ । ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਭਾਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਲ ਕੋਈ ਤਵੱਜੁਹ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕਲੀ ਇਤਨਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਝਲ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਯੁਗ ਹੈ । ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵਡੀਆਂ ਵਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਤੇ science ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਪੁਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਖੇਤੀ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਵਧ ਸਕੇ । ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਲ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗੇ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਾਂਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ load ਵਧ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਤਨਾ load ਉਥੋਂ ਖਿਚ ਕੇ industry ਵਲ ਪਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ । ਘਟੋ ਘਟ 30 ਫੀ ਸਦੀ ਬੋਝ ਉਧਰੋਂ ਖਿੱਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।

ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੁਪਿਆ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ Small Scale Industry ਅਤੇ Cottage Industry ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਮਲੋਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਕਪਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋ textiles ਦੇ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਸਾਨੂੰ textile ਫੈਕਟਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਉਹ ਏਥੇ ਬਣਾ ਸਕੀਏ । ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ । ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ small scale industry ਬਹੁਤ ਹੈ । ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੋਏ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ । ਉਸ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵਡੇ ਆਦਮੀ ਏਥੇ ਆਏ ਸਨ । ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ small scale industry ਨੇ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੇ ਇਤਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ (ਪ੍ਰਸੰਸਾ) । ਓਨੀ ਦੇਰ small scale ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲ ਲਈ machinery ਨਾ ਦਿਤੀ ਜਾਏ । ਇਸ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤੇਲੀ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਲੈਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ Railway line ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਦਾਰੁਲਖਿਲਾਫ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਗਾਧਰੀ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ

[ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ]

ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਪਲੈਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ link ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ traffic ਐਨੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ commercial ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ truncated ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸਤੇ 6 ਜਾਂ 7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ? ਚੰਡੀਗੜ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਿਤਨੀ ਮਦਦ ਕਿਸੇ ਪਾਸਓਂ ਭਾਲ ਕੇ ਮਿਲੇ ਉਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Industry ਵਲੋਂ ਅਤੇ agriculture ਵਲੋਂ ਪੈਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। Agriculture ਬਜ਼ਾਤੇ ਖ਼ੁਦ ਇਕ industry ਹੈ ਇਹ industry ਤਦੇ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਦੂਸਰੀ industry, ਦਸਤਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। Small scale industry ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ! ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਨਵੇਂ tools ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾ ਦਿਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ 2 industries ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਮਿੰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਲਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਵਾਬ ਟੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਭੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿ ਸੀਮਿੰਟ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੁਰਥੱਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ Paper Mill ਲਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਸ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਕੇ unemployment ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਸੈਂਟਰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ Schemes ਦੀ implementation ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ unemployment ਵਧਦੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਘਟਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। Agriculture ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। Water-logging ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। Water-logging ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ menace ਹੈ। Agriculture ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਮ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ water-logged ਹੈ ਯਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 5 ਫੁਟ ਜਾਂ 10 ਫੁਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਯਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। water-logging ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੁਪਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। Water-logging ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਰੁਪਿਆ roads ਲਈ ਰਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ

repair ਵਾਸਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਤੀਸਰੀ ਪਲੈਨ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਰੁਪਿਆ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਹ ਅਸਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ ? Water-logging ਸੇਮ ਦਾ, ਜੋ locust ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਚੋਆਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ । ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Channelise ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਏਥੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਧਰਤੀ ਸੇਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਗਰ 40 ਫੀ ਸਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 40 ਜਾਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਾਂ । ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਨਾਜ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸਾਡੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਹਨ—ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਟੁਟ ਗਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਿਆਨਾ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ । ਜੋ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਜੇ ਉਹ ਰੁਪਿਆ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਤਨਾ ਖਰਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ production ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ exchange ਦੀ difficulty ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, water-logging ਵਾਸਤੇ allocation ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ? ਜਦ ਇਹ ਸੂਬਾ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਜਿੰਨੇ items cut ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਗਰ ਟੋਲ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾਲੂਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤੀਜੀ ਪਲੈਨ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਦ ਤਕ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ allocation ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । Second Plan ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੀਰਸੀ ਪਲੈਨ ਵਿਚ 3650 ਕਰੋੜ 63 percent ਵਧਾਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਲਈ 287 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਲੈਨ ਰਖੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚੋਂ 266 ਕਰੋੜ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਘਟ ਪੈਸਾ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ foodgrains ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਯਾ ਕਰੋ ਤਾਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ । ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਟੌਤੀ

[ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ]

ਬੜੀ ਸਖਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ items ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ground ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿਤੀ ਜਾਏ । ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ allocation ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ demerit ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ merit ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾਂ case ਖੁਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ । (ਪ੍ਰਸੰਸਾ) ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । 1947 ਵਿਚ Partition ਹੋਈ । ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ । ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ । ਪਹਿਲੀ ਪਲੈਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ । ਉਸ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ । ਦੂਸਰੀ ਪਲੈਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਰੁਪਿਆ ਭਾਖੜੇ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ । ਭਾਖੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ । ਲਾਗਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਦਿਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ । ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਣਿਆ । ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਆਢੀ ਸੂਏ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਉਠਾਉਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ । ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ demerit ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਟੌਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਏ । ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਇਸ ਹਾਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 287 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਪਲੈਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ 287 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਲੈਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇਹ ਪਲੈਨ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚਲ ਸਕੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ 287 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਲੈਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 287 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ । ਏਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ suggestions ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ।

ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਜੇ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ Central ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜੋ ਰੁਪਿਆ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ 57 per cent ਸੀ । ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ 43

per cent ਜੋ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ administration ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਦਸਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ planning ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸੇ ਦਾ 43 percent ਰੁ ਪਆ ਇਸ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ fit ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਲਾਨ ਵਾਸਤੇ Centre ਲਈ ਰੁਪਿਆ ਦੇਣ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਏ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ dam ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਜਰ ਪਈਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਜੋ ਰੇਗਸਤਾਨ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕੀਏ ਔਰ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਔਰ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਭਾਖੜੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਲਿਆਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਬਿਜਲੀ ਵਿਚੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਪਹਿਲਾ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਿਆ ਜਦੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਚੁਨਾਂਚੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਜੋ ਉਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ Pong Dam ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਆਸ link ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ 3½ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ industries ਲਗਾਈਏ ਔਰ ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਲਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਉਥੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ land less labourers ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਕਾਨ, ਕਪੜਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਔਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ industries ਲਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦਿਲਾਈ ਜਾਏ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ supplement ਕਰ ਸਕੀਏ। 1967 ਤਕ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ electrification ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਭਾਖੜੇ ਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ thermal plants ਜੋ ਹਨ, ਜੋ power generating sets ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ electrify ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਜੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ thermal plants

[ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ]

ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ foreign exchange ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ । ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਲਗ ਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1970 ਤਕ ਵੀ ਅਸੀਂ self-sufficient ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ । ਫਿਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ thermal plants ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫਲਾਣੀ tool factory ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ factory ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ power ਕਿਥੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸੇਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਈਏ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਈਏ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਡੀਆਂ ਵਡੀਆਂ industries ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗੀਆਂ ਹਨ । ਸਾਡੇ ਵੀ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਾਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੁਪਿਆ ਮਿਲਿਆ ਹੈ । ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ standard ਅਸੀਂ 5 per cent ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ power Pong Dam ਔਰ ਬਿਆਸ link ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਨਾਲ ਇਥੇ ਦੇ ਪਿੰਡ electrify ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ small scale industries ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ । ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਏ । ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ dams ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਐਸਾ agreement ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ । ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ selfish ਹਾਂ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ । ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਾਦ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ construction ਵਾਸਤੇ tax ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ industrialization ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ industrialize ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੇ । ਅਗੇ ਅਸੀਂ ਤਦ ਹੀ ਵਧ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇ ਇਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ industries ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ।

Cottage industries ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ plan ਵਿਚ ਕੁਝ ਰਕਮ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ । Cottage industries ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਆਦਮੀ ਲਗ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਖਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ Commission ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ Planning Commission ਨੇ ਰਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਤਾਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਚੇ ਜਾ ਸਕਣ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਲਦੇ ਹਨ । ਜੇ ਕਰ ਖਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ

ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਪੜਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ economy ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ ਉਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ currency ਦਾ ਫੈਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ । ਇਸ Flaw ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ industries ਨੂੰ ਫਰੋਗ਼ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਜੋ surplus money ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ water-logging ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, industries ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ institutions ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ technical education ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਹੋਰ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਵੀ ਐਸਾ centre ਨਹੀਂ ਜਿਥੇ technical education free ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ education free ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਕੋਈ ਤਵੱਜੁਹ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੀ ਜੋ skilled labour ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੰਗ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਅਜ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ skilled labour ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ । ਜੇ ਉਹ ਇਥੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਏਗੀ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਏਗੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਰੇਗੀ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ industry ਦੇ ਪਾਸੇ ਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੁਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।

ਫਿਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਸੂਬੇ ਦੀ political situation ਤੇ discussion ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ । ਪਰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਏਥੇ ਬੜੀਆਂ untimely ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਿਆ ਕਿਸੇ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ agitation ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫਲਾਣੀ agitation ਚਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫਲਾਣੀ । ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰੁਪਿਆ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਕ ਅਵਸਥਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਅਜ ਇਥੇ ਐਸੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਵਕਤ ਵਕਤ ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਰੁਪਿਆ ਰਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । (ਵਿਘਨ) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਸਹੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਝਗੜੇ ਦੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਜਾਜ਼ਤ

3-00 p.m.

[ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ]

ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 25 ਅਤੇ 15 ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਰਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਮੈਂਬਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸਿਖ ਮੈਂਬਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। (Hear hear) (ਵਿਘਨ)।

ਤੁਸੀਂ ਜਿਗਰੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ element ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਖਰਾਬੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ element ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਲਾਂ ਭਰ ਕੇ ਇਕ ਗ਼ਲਤ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਤਰੱਕੀ ਵਲ ਅਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਜ ਕੇ ਮਿਹਨਤੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਗੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤੀ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਤਨਾ ਅਗੇ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਪਖ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਵਿਚ newsprint, ਸੀਮਿੰਟ ਫੈਕਟਰੀ ਅਤੇ Co-operative Sugar Mill ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫ ਕਰਨਗੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਕੁਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ convert ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਗਾ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ fertilizer ਅਤੇ agriculture ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ Service Co-operatives ਤਾਂ ਹੀ ਲੈਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਰਕਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ Co-operative Farming ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ dictatorship ਵਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ownership ਨੂੰ ਹਥੋਂ ਖਿਚਣ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਕੁ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ individual ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾੜ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ

ਝਾੜ ਡੇਢ ਜਾਂ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੱਖ ਵਲ ਹੋਰ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ Agricultural Training ਲਈ ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ । ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ Agricultural College ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਸਾਰ ਵਿਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ Agricultural College ਅਤੇ Technical College ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ Rural University ਲਈ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ feeders ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਦਸ ਲੱਖ ਜਾਂ ਵੀਹ ਲੱਖ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ institutions ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇ ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ Scientific Education ਵਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ Engineers ਦੀ ਅਤੇ Overseers ਦੀ । ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਸੀਟਾਂ ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ extend ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਣ । (ਪ੍ਰਸੰਸਾ) ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ technicians ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ । ਅਜ ਸਾਨੂੰ non-technicians ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ-ਯਾਫਤਾ ਮੁਲਕ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ technicians ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । Advanced ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ technicians ਅਤੇ engineers ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ । ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋੜ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਰਖੀ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਲ ਆਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ research ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ research ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ undertake ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਤਾਂਹ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

[ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ]

ਮੈਂ ਆਖਿਰ ਵਿਚ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੌਖਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਾਭ ਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਕੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਜਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੌਖਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਉਪਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਗ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ 90 ਫੀ ਸਦੀ ਲਈ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ceiling ਦੀ cut ਲਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਬੇਅਰਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ceiling ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਤਾਂ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਕਟਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਅਰਾਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ expand ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਹੱਲ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ absentees ਹਨ, ਨਿਕੰਮੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ landless ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ landless ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਵਸਾਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਹਰੀਜਨ ਕੁ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਣ ਲਈ ਜੋ ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਖ ਵਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਖ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸਾਣ ਵਿਚ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਕਢ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਵਸਾਣ ਲਈ tenants ਦੀ legal ਮਦਦ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਦਖਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ loopholes ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਜੇ ਕਰ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਲੀਗਲ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ (ਵਿਘਨ)। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਠ ਉਠ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗਰੀਬ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਗੈਰ ਮਾਲਕ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। (ਵਿਘਨ)

Mr. Speaker : No interruption please.

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆ : ਗ਼ੈਰ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਗੋਲੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ।

ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ : ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ।

ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ provision ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ Planning Commission ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ceiling ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ poverty ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਸ ਦੀ planning ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਅਜ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਏਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ ਕਿ planning ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ । ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ planning complete ਕਰਨੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ complete ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । Decentralization planning ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ fertile ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ । ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ । ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਪਲੈਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣਾ ਹੈ । ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਖੁਲਮ ਖੁਲ੍ਹਾ ਹਰ ਕੋਈ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ । ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ । ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ Planning Commission ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਏਥੇ ਮੈਂ Administration ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ । ਜਿਹੜੀਆਂ delays ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. Administration ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ avoid ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਦੇਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ scheme ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਹ plan ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ? ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਲੈਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ public ਦੀ plan ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । (ਤਾੜੀਆਂ)

श्री मुलतान सिंह (घरौंडा) : स्पीकर साहब, Third Five-Year Plan पर कल से बहस हो रही है। पिछली Five-Year Plan का 162 करोड़ का target था। इस प्लैन का target 287 करोड़ का मुकर्रर हुआ है। ख्याल यह है कि इस में से कुछ cut लग जाए। मैं समझता हूं कि हमारा target कम मुकर्रर हुआ है, यह ज्यादा होना चाहिए। इस के मुताल्लिक ज्यादा न कहते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारा case हमारे Planning Minister ने अच्छी तरह से put नहीं किया, अगर यह बेहतर तरीके से put किया जाता तो हमें और भी ज्यादा रुपया Centre से मिलने की उम्मीद हो सकती थी। बहरहाल मैं यह कहूंगा कि 287 करोड़ का target कायम रहना चाहिए, इस पर cut नहीं लगनी चाहिए। यह कहना कि किस तरह पैसा आयगा यह पुराने ख्याल हैं। आप देखते हैं कि हर साल deficit budget बनते हैं तो इस का मतलब यह नहीं कि तरक्की के काम रुक जाएं, स्कूल, हस्पताल और industry के काम रुक जाएं। लेकिन इस के बावजूद मुल्क आगे जा रहा है और स्टेट भी आगे जा रही है। कल पंडित श्री राम शर्मा जी ने कहा कि करंसी का फैलाव हो जायगा तो हमें बहुत मुश्किल हो जायगी। उन्हें पता होना चाहिए कि हम तेजी के दौर में से जा रहे हैं और अगर हम तरक्की नहीं करेंगे तो पहले तो सैंकड़ों साल पीछे रह गए हैं अब हजारों साल पीछे रह जाएंगे। मैं समझता हूं कि हमें इस तरह के खतरात को सामने नहीं रखना चाहिए कि रुपया कहां से दिया जायगा बल्कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारे सूबे में 18 industrial areas मुकर्रर हुए हैं उन के लिए हमें technicians देने होंगे, draftsmen देने होंगे,। Agricultural University और पंजाबी यूनिवर्सिटी कायम होगी। Package scheme के मातहत लुध्याना जिला में करोड़ों रुपया खर्च होगा। इस में शक नहीं कि सूबा तरक्की कर रहा है लेकिन जहां तक areas का ताल्लुक है मिनिस्टर साहब ने जो फरमाया है कि रिजनल सवाल नहीं उठाना चाहिए मैं उस से इत्तफाक नहीं रखता क्योंकि यह बात वाजब नहीं है कि केवल दो तीन शहरों पर ही खर्च किया जाए और उन्हें बम्बई और कलकत्ता की तरह ऊंचा किया जाय। इस ज़माना में सब इलाकों की यक्सां तरक्की की जानी चाहिए और सब इलाकों की all round development होनी चाहिए। इस के बाद मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि भाखड़ा के पानी से 30 लाख एकड़ areas सैराव होगा लेकिन इस में आधे के करीब इलाका सेमज़दा होने की वजह से नाकारा हो चुका है और आधा नाकारा होने वाला है। आप ने देखा है कि गोहाना और रोहतक के अन्दर पानी के निकास के लिये नालियां नहीं थीं इस लिए वहां पर बहुत सी ज़मीन नाकाबले काश्त हो चुकी है और नुक्सान का अन्दाजा नहीं हो सकता। गोमती का पानी लखनऊ के अन्दर आया लेकिन दो तीन रोज़ में निकाल दिया गया लेकिन यहां पर 15 अगस्त से लेकर आज तक पानी खड़ा है।

श्री जगत नारायण चोपड़ा (जालंधर शहर, दक्षिण पश्चिम) : स्पीकर साहिब, मैं ने बड़े गौर से पंडित मोहन लाल जी की स्पीच को पढ़ा है और सरदार दरबारा सिंह जी की स्पीच को बड़े गौर से सुना है। मैं किसी तरह की कन्ट्रोवरसी में नहीं जाना चाहता, मगर मैं

बड़े अदब से आप की खिदमत में यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि हमें हालात का जायज़ा लेना चाहिये कि दो बड़ी बड़ी पिछली प्लानों में जितना हम ने रुपया खर्च किया है क्या वजह है कि उस का वह रिज़ल्ट नहीं निकला जो कि इतना भारी रुपया ख र्च करने से निकलना चाहिए था। अब डाक्टर भार्गव साहिब ने जो रिपोर्ट प्लान के बारे में दी है उस में यह लिखा हुआ है कि दूसरी पंच वर्षीय योजना में जो कुल रकम खर्च की गई वह 14,971.74 लाख की थी। इस में से Agriculure and Community Development पर 17 फी सदी खर्च किया गया। Irrigation and Power पर 51.8 फीसदी खर्च किया गया। Industries पर 3.2 फी सदी खर्च किया गया। Transport and Communication पर 6.3 फीसदी खर्च किया गया। Social services पर 16.2 फी सदी खर्च हुआ Miscellaneous पर 5.5 फी सदी खर्च हुआ। अब जो प्लान तजवीज़ हुआ है उस में कुल रकम 28,741.54 खर्च की जानी तजवीज़ हुई है। जो percentage है वह इस तरह से है Agriculture and Community Development पर 19.5 फीसदी, सिर्फ दो फी सदी खर्च बढ़ा है। Irrigation and Power पर कुछ परसैंटेज कम कर दी गई है। इस पर 42.1 फी सदी खर्च किया जाना है इंडस्ट्रीज पर ज्यादा खर्च करने की इन्होंने provision रखी है वह 7.5 फी सदी है। Transport and communications पर 6.4 फी सदी खर्च होगा। सोशल सर्विसेज़ पर 21.1 फी सदी खर्च होगा और Miscellaneous पर 3.4 फी सदी रकम खर्च की जाएगी। अब कोशिश की जा रही है कि इस प्लान में कितना ज्यादा से ज्यादा रुपया सैंटर से लिया जा सके वह लिया जाए। पंजाब का जो प्लान छपा है उस के बारे में दिल्ली के हिन्दोस्तान अखबार ने एक नोट लिखा है वह मैं आप को पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

> "Punjabis despite their well-deserved reputation for robust common sense, are today proving to be their own worst enemies. In their scramble for sectional or party gains politicians have created such uncertain conditions that the State is losing its capacity to attract capital for investment in its industries. On the other hand, even those who have sunk money in industrial enterprises are systematically moving to other areas. No doubt it is this trend that has led the Delhi and Punjab Chamber of Commerce to warn the Government about the flight of capital from the State and to suggest that a suitable climate for investment should be created and bigger investors encouraged to start industries in Punjab. The appeal for stable political conditions should in fact have been addressed to parties like the Akali Dal which have been disturbing the State's peace from time to time ignoring the economic consequences of their short sighted moves."

यहां पर बड़े गुण गाए गए हैं कि हमारी सरकार बहुत काम करती है। सरदार दरबारा सिंह जी ने भी यही कहा। ज़रा उन का नोट सुनिए :

"Punjab has made conspicuous progress where small-scale industries are concerned, but because of lack of planning and official guidance their growth has been haphazard and they are concentrated in a few areas."

यहां तक कि रुपया तो इन को सैंटर ने दिया लेकिन इन्होंने उस रुपये को ठीक guidance ले कर खर्च नहीं किया और ज़ाया कर दिया। हम सरकार के साथ हैं।

[श्री जगत नारायण चोपड़ा]

पैंटर से रुपया ज्यादा मिलना चाहिये। लेकिन पोज़ीशन यह है कि हमारी जो आजकल की सरकार है यह तो मोर्चों की सरकार बन गई है। अंग्रेज़ों के राज्य के बारे में कहा करते थे कि वह लाठी और गोली की सरकार थी लेकिन यह सरकार भी लाठी, गोली और teargas की सरकार बन गई है। हमारी सरकार को 29 जुलाई 1959 को एक सवाल पूछा गया। उस का जवाब हमारे मन्त्री महोदय ने दिया.........

"Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the names of the places, district wise, in the State where Police had to use tear gas, and resort to Lathi-Charge or firing on various occasions since the partition alongwith the dates of occurrence in each case and the circumstances in which these incidents took place ;

श्री अध्यक्ष : लेकिन यह सब बातें Third Five-Year Plan से कैसे relevant हैं ? (But how are all these things relevant to the discussion on the Third Five-Year Plan ?)

श्री जगत नारायण चोपड़ा : हमारी सरकार की सारी प्लानिंग मोर्चों पर ही हो रही है। जब तक यह सरकार industrialization के लिये atmosphere नहीं पैदा करेगी उस वक्त तक इन प्लानों का क्या फायदा है। अखबार में छपा है कि आज कल एक लाख रुपया रोज़ अकाली मोर्चे की वजह से खर्च हो रहा है।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : On a point of Order, Sir. ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਕਮਾਂ law and order ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛੇ ਖਰਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਸ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ provisions ਨਾਲ ਕੀ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ।

श्री जगत नारायण चोपड़ा : रुपया तो सारा इकट्ठा ही खर्चा होता है। स्पीकर साहिब, इन्होंने 29 जून को जो जवाब दिया उस के मुताबिक 44 दफा फायरिंग, लाठी चार्ज और टीयर गैस...........

Minister for Education : On a point of Order, Sir. The point of order raised by my hon. Friend Sardar Ramdayal Singh is worthy of consideration because the item of 'law and order' is not a part of the Draft Third Five-Year Plan. I, therefore, think that items which are not part of the Plan, may not be discussed.

Chaudhri Dharam Singh Rathi : (While sitting) This is no poin of order.

श्री अध्यक्ष : राठी साहिब, स्पीकर का part अदा कर रहे हैं कहते हैं कि This is no point of order. (*Laughter*)

(Shri Rathi is trying to deputise the Speaker. He says that this is no point of order.) (*Laughter*)

श्री जगत नारायण चोपड़ा : मैं तो यह बता रहा था कि कितनी दफा लाठी चार्ज और firing इन्हों ने की।

श्री अध्यक्ष : इन बातों को इस वक्त discuss करने का कोई फायदा नहीं। आप Plan पर ही बोलें। (It is no use discussing these things at this time. He should confine himself to the draft Plan under discussion at present.)

श्री जगत नारायण चोपड़ा : मैं यह बताना चाहता हूं कि यह रुपया जो हमारी सरकार इन activities पर लगा रही है वह इस को planning पर लगाना चाहिए (*interruptions*) Central Government इस लिए रुपया नहीं दे रही कि इसे मोरचों पर खत्म कर दिया जाए (*interruptions*) उस वक्त भी मेरा यही stand था और अब भी मेरा वही stand है (*interruptions*)

ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਗ਼ਨੀ ਡਾਰ : ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਜਨ ਜੋ ਹੁਣ Interruptions ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਚੁਪ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਬੋਲਣ ਲਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। (*interruptions*)

Mr. Speaker : Order, order.

श्री जगत नारायण चोपड़ा : तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि सरदार दरबारा सिंह ने एक बड़े अहम point की तरफ आप का ध्यान दिलाया है। उन्होंने कहा कि industries की तरफ—private sector की तरफ हमें पूरे तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं भी यही महसूस करता हूं और कहना चाहता हूं कि वाकई पंजाब के अन्दर industries को ignore किया गया है। आप कहेंगे कि मैं किस basis पर यह कह सकता हूं कि उसे ignore किया गया है तो इस सिलसिले में मैं आप को बताना चाहता हूं कि पांच चार दिन हुए हमारे पंजाब के अन्दर industries बारे एक कान्फ्रैंस हुई। वहां हमारे Finance Minister और Deputy Minister भी तशरीफ़ ले गए। वहां श्री सत्यापाल जो Industrialists की organisation के President है, उन्होंने अपना address पढ़ा। वह एक बहुत अच्छे और सुलझे हुए आदमी हैं। वह ऐसी कोई बात नहीं कहने वाले जिस का मनशा गवर्नमेंट को खामखा criticise करने का हो। उन्होंने Members of Parliament हमारे Finance Minister और Deputy Minister साहिबान की presence में अपना address पढ़ा। आप की तवज्जो के लिये उस address में से एक

[श्री जगत नारायण चोपड़ा]

फिकरा मैं आप को पढ़ कर सुनाता हूं—

> "Taking stock of our achievements in the first two Plans is a good thing for looking forward to the Third Five-Year Plan in the right perspective. From whatever statistics that are available, we find that there has been a manifold increase in production and employment in the various sectors of industries. It is estimated that there are about thirty thousand industrial units existing in the State, and it is of a great significance to know that most of these have been developed by the personal efforts of the people in the private sector."

यानी गवर्नमेंट का उस में कोई हिस्सा ही नहीं है। कोई 30,000 के करीब industrial concerns हैं और सारी की सारी private sector के capital पर खड़ी हुई। तो आप अन्दाजा लगाएं कि जितने लोग उधर से आए उन्होंने अपनी मेहनत से पंजाब का नाम सारे हिन्दुस्तान में रौशन किया।

श्री अध्यक्ष : यह जो Plan आप discuss कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं ? (What does the hon. Member want to say on the plan which he is discussing now?)

श्री जगत नारायण चोपड़ा : सरदार दरबारा सिंह ने बताया है कि private sector की पूरी मदद करनी चाहिए। मैं इसी point पर कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप सरदार दरबारा सिंह के साथ अपना मुकाबला न करें। आप का अपना स्वभाव है और उनका अपना। आप यह बताएं कि इस में आप कौन सा नया point लाना चाहते हैं ? (He need not compare himself with Sardar Darbara Singh. His temprament is different from what Sardar Darbara Singh has. He may tell me what new point does he want to introduce in the debate ?)

श्री जगत नारायण चोपड़ा : मेरा point जनाब यह है कि पंजाब गवर्नमट private sector की कोई मदद नहीं कर रही। Private sector की मदद होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट चाहे कि अपनी ही co-operatives बना कर, जैसा कि भोगपुर Sugar Mills में किया है, काम करे तो सूबे की तरक्की नहीं होने वाली। वहां क्या हुआ ? पिछले दिनों आपने सुना होगा कि उस मिल के director की elections के लिए meeting हुई और 6 घंटे तक इतना हंगामा रहा कि election ही नहीं हो सकी। तो मेरे कहने का भाव यह है कि जो रुपया आप इन पर लगा रहे हैं वह इसी तरह से ही जाया होगा (*interruptions*) मैं यह इस लिये बता रहा हूं कि वहां पर सरकार का 50 लाख रुपया लगा हुआ है। भोगपुर शूगर मिल की meeting में 6 घंटे बहस होती रही लेकिन directors की elections नहीं हो सकी। वहां पर एक वजीर के candidates दूसरे वजीर के candidates के खिलाफ लड़ रहे थे। एक कहता था कि यह नहीं होना चाहिए दूसरा कहता था कि यह नहीं होना चाहिए।

सामूहिक विकास मंत्री : यह बिल्कुल गलत है।

श्री जगत नारायण चोपड़ा : तो ग्राप ने उस वक्त क्यों इस की contradiction नहीं की ? (*interruptions*)

श्री ग्रध्यक्ष: Order, please. मुझे समझ नहीं ग्राती कि जब मैं खुद भी यहां बैठा हूं तो ग्राप क्यों order maintain नहीं कर रहे। ग्राप जब खुद ठीक तरह से behave नहीं करते ग्रौर House के decorum को maintain नहीं करते तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मैं ग्राप को protection दूं। ग्रगचि कुछ मैम्बर साहिबान की ग्रावाज़ बड़ी मजबूत ग्रौर strong है लेकिन इस का यह मतलब नहीं कि वह House की proceedings को बार बार interrupt करते जाएं। मैं एसी interruptions को बरदाश्त नहीं कर सकता। It is not a fish market. जहां तक लाला जी का ताल्लुक है, मैं उन से ग्रर्ज़ करूं कि वह एक बड़े नेता हैं ग्रौर उन को मौके के मुताबिक बात करनी चाहिए। Irrelevant बातें करना ग्रच्छा नहीं लगता। उन को debate के ग्रन्दर personal tinge नहीं introduce करना चाहिए। इस वक्त सिर्फ तीसरे Five-Year Plan पर बहस हो रही है। तो भोगपुर Sugar Mills का ज़िक्र कैसे relevant बनता है ? (Order please. I fail to understand why the hon. Members do not maintain order in the House even when I am present. How can they expect protection from me when they themselves do not behave properly and fail to maintain the decorum of the House ? Although some hon. members possess a stentorian voice, yet it does not mean that they should time and again indulge in interrupting the proceedings of the House. I am not going to tolerate such interruptions. It is not a fish market. So far as the hom. Member, now in the possession of the House, is concerned, I would remind him that he is a leader of high standing and he should speak as the occasion demands. It is not desirable to be irrelevant. He should also avoid giving personal tinge to the debate. At present only the Third Five Year plan is under discussion. How is a reference to the Bhogpur Sugar Mills relevant here ?)

श्री जगत नारायण चोपड़ा : जनाब, चूंकि पूछा गया था कि relevancy क्या है इस लिये मैं ने ग्रर्ज़ किया कि भोगपुर मिल कर 50 लाख रुपया गवर्नमेंट ने लगाया हुग्रा है। बहरहाल मैं इस को छोड़ता हूं। उसी report में से मैं ग्राप को एक दो फिकरे ग्रौर पढ़ कर सुनाता हूं। उन्होंने कहा—

> "Although the State Government has been very keen to help the industries but actually very little had come up in concrete shape from that side,"

यह Address उन्हों ने, जैसा कि मैं ने पहले बताया, उस कांग्रेस में पढ़ा जिस में खुद हमारे वित्त मन्त्री ग्रौर उप मन्त्री हाज़िर थे। उन्होंने कहा कि चाहिए तो यह था—ग्रौर मैं भी इस बात की ताईद करता हूं—कि गवर्नमेंट State के सभी industrialists को बुलाती ग्रौर फिर इस बात का फैसला करती कि ग्रगली Plan के दौरान private sector में कौन २ सी

[श्री जगत नारायण चोपड़ा]
industries लगानी हैं और public sector में किन २ industries को recognition देनी है। उस meeting में साफ तौर पर बताना चाहिए था कि इन पांच सालों में आप उन की क्या मदद करने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने यह गिला किया कि तीसरी Five-Year Plan बनाते वक्त उन से सलाह तक नहीं की गई; उन्हें पूछा तक नहीं गया। जनाब, स्पीकर साहिब, ये वह industrialists हैं जिन्होंने बिना सरकार की मदद के अपनी मेहनत और अपने पैसे से पंजाब का नाम न सिर्फ हिन्दुस्तान में ही रौशन किया बल्कि दुनिया में रौशन किया। पंजाब में बनाए जाने वाले कल-पुरज़े Middle East, लंका और दूसरे मुमालक को export किये जा रहे हैं। यही वजह है कि प्रधान मन्त्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भी उन की तारीफ की है। इस लिये मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहता हूं कि सरकार private sector की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करे।

इसके अलावा जो मैम्बर साहिबान बोले हैं उन्होंने कहा है कि पंजाब में agriculture पर भी ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। अच्छी बात है। इस item पर ज़्यादा ज़ोर दिया भी जाना चाहिए। लेकिन अगर agriculture के मैदान में भी गवर्नमेंट सारा credit अपने पर लेतो यह गलत बात है। Credit उन को देना चाहिए जो लोग उधर से आए थे और यहां आकर अपनी मेहनत से उन्होंने बंजर ज़मीनों को सरसब्ज़ बनाया। आप को पता है कि करनाल में पहले चावल पैदा नहीं होता था। अब लोग उधर से आए और यहां पर चावल की पैदावार शुरू हो गई। फिरोज़पुर म पहले कपास नहीं होती थी। अब इन्हीं लोगों की मेहनत के नतीजा के तौर पर फिरोज़पुर कपास का ज़िला बन गया है। एक तरफ तो लोग इतनी मेहनत कर के सूबे की आमदन बढ़ा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ कहीं खाद के scandals चल रहे हैं और कहीं और दूसरे scandals चल रहे हैं। इस तरह सारा रुपया waste जा रहा है। हर काम इस तरह से होना चाहिए कि रुपया waste न हो और जो लोग उपर ऊठना चाहते हैं उन की मदद होनी चाहिए। बाकी रहा यह सवाल कि हमें इस Plan में लगाने के लिये और रुपया मिलना चाहिए तो इस के लिये मैं कहता हूं कि यह जायज़ मांग है, मैं इस के हक में हूं। मगर यह खर्च ठीक तरीके से होना चाहिए। आप ने Estimates Committee की report देखी होगी। कहीं 3 करोड़ तो कहीं 7 करोड़ रुपया realise होना बाकी है। जिन अफसरों के खिलाफ remarks थे, वह चूंकि इन के मन्ज़ूरे नज़र थे, इस लिये उन को extensions दी गईं। यह वह अफसर थे जिन्होंने भाखड़ा-नंगल का काफी नुकसान किया है। ऐसी बातें होती हैं। इस लिये अर्ज़ करूंगा कि रुपया लो मगर ठीक तरीके से खर्च करो। बस यही दो चार बातें थीं जो मुझे अर्ज़ करनी थीं। आप का शुक्रिया।

चौधरी लहरी सिंह (गनौर) : साहिबे सदर, आज Third Five-Year Plan पर बहस चल रही है। हमें इस में अपनी गवर्नमैंट के हाथ मज़बूत करने हैं और

यहां के सही हालात बताने हैं जिन को पढ़ कर Central Government यह महसूस करे कि पंजाब की ज्यादा से ज़यादा मदद होनी चाहिए। इस में सरकार की या किसी person की criticism का सवाल नहीं है। मैं ज़्यादा वक्त न ले कर दो चार बातों की तरफ ही इन का ध्यान दिलाऊंगा। यह ठीक है कि भाखड़ा के लिये रुपया दिया गया और बयास project के लिए देंगे। मगर यह तो राजपूताने के लिए है। भाखड़े से काफी फायदा हुआ है लेकिन जहां तक बिजली का ताल्लुक है, हम पर दिल्ली और राजपूताने के claims हैं। यहां तो उल्टा यह एक problem बना हुआ है। लोगों ने काम शुरू किए और तरक्की कर के दिखाई मगर बिजली की यह हालत है कि लोग रोते फिरेंगे और फिर रहे हैं। जिस बिजली पर हमें नाज़ था उसी बारे इस पर दिल्ली और राजपूताने की demand रख दी। बिजली provide करने के लिए जो provision किया गया है यह कम है।

जहां तक ज़मीन का ताल्लुक है, अब कोई 30 standard acres से ज़्यादा का मालिक नहीं रहा; बड़े २ जागीरदार नहीं रहे। नहर सब जगह नहीं जा सकती और अगर पानी न मिले तो लोग भूखे मरें। पानी का ज़रिया अब tube-well, और pumping set ही रह गए हैं। मगर यह भी बिजली से चलते हैं, जो मिलती नहीं या बहुत थोड़ी मिलती है। जो यह provision करते हैं यह तो मज़ाक उड़ाना है लोगों का। Tube-wells, pumping sets और construction of kulhs के लिये 5 साल के अर्से में खर्च करना है सिर्फ 10 करोड़ रुपया। इस से क्या बनेगा। जहां नहरें हैं वहां पर भी percolation wells बनाने पड़ते हैं, जैसे अमृतसर में है क्योंकि नहरों का पानी काफी नहीं है। पंजाब पर सारा हिन्दुस्तान मान करता है कि पंजाब हमारी granary है, पंजाब हमारी अनाज की कमी को पूरा करेगा मगर वज़ीर साहिब ने यहां सर्फ 10 करोड़ रुपया रखा है और लिखते हैं :

> "The provision for the schemes given above has been deliberately kept low as it is envisaged that the private individuals should also invest substantially from their own resources."

अरे 5, 5 और 6, 6 एकड़ के हम आदमी हैं और आप कहते हैं कि हम ने जान बूझ कर कम रखा है। तो इन से कहूंगा कि क्यों resolution लाते हो, लोग मुश्किल में हैं। भला इतने बड़े पंजाब को 10 करोड़ से क्या बनेगा और कहते हैं deliberately किया है। यहां बड़ी industry है नहीं, cottage और small-scale industry भी गांव में नहीं है। और फिर 5, 5 एकड़ ज़मीन को भी एक बीमारी लग गई है। जहां २ नहरें जाती हैं, वहां २ water logging हो रही है। इस के लिए 14 करोड़ रुपया रखा है। सिवाए भाखड़ा कैनाल के बाकी सब नहरें कच्ची हैं। नतीजा जा कर गुरदासपुर, अमृतसर और जमुना के साथ साथ देख लो। इस anti-waterlogging के इतने बड़े काम के लिये यह बहुत मामूली रकम रखी गई है और यह बीमारी दिन ब दिन बढ़ रही है। पहले पंजाबी फौज में होते थे वहां अब rocket आ रहे हैं, वह हमारे

[चौधरी लहरी सिंह]

काबू से बाहर की बात हो रही है। दूसरी तरफ ज़मीन थी वह भी अब इन के काबू से बाहर हो रही है और खराब हो रही है। इन इलाकों में जाते हैं तो उन लोगों पर रहम आता है। उन की ज़मीनों में पैदा ही कुछ नहीं होता। इस real picture को ignore नहीं करना चाहिए।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, वैसे तो मैंने कभी हिन्दी और पंजाबी रिजन की terms में बातें नहीं कीं, मैं अब भी नहीं कहना चाहता था मगर दुख होता है, इसलिये निहायत अदब से कहूंगा कि आप जहां Agricultural University कायम करने जा रहे हैं वह तो रेतला इलाका है। वहां आप ने college तो बना ही रखा है। यह University करनाल में बना दें। आखिर हरियाणे में भी खेती होती है। क्या वहां के लोग इस में किसी तरह कम हैं। खिज़र साहिब से चौधरी साहिब ने कहा था मगर उन की तादाद कम थी। हम कहते हैं कि रेत में आप क्या तजरुबे करेंगे। जब college वहां है तो University लायलपुर की तरह करनाल में बना दो। मैं उम्मीद करूंगा कि वज़ीर साहिब इस तरफ ध्यान देंगे। अगर आप बजट को देखें तो पता चलेगा कि drains के लिये 83 लाख रुपया दिया है। आप जानते हैं कि ज़मीन गुरदासपुर, अमृतसर फीरोज़पुर, और जमुना के साथ बहुत बुरी तरह से खराब हो रही है। जमुना पर जहां protective बन्ध बनाने के लिये करोड़ों में रुपया रखा जाना चाहिए था वहां सिर्फ 3 लाख रखा गया है। अब यह बात कैसे कोई reasonable समझ ले। हम क्या कहें। यह जो मिनिस्टर साहिब ने कहा है कि अगर प्लैन बनाई जाए तो वह हालात को देख कर बनाई जानी चाहिए इस असूल पर यहां अमल नहीं किया गया।

मैं ज़्यादा वक्त न लेता हुआ अगर इजाज़त हो तो landless लोगों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यह हरिजन भाई फिर कहगे कि क्या हमारा ज़िम्मा लिया है। मैं तो यह बात कह कर मिनिस्टर साहिब के हाथ मज़बूत करना चाहता हूं। Handicraft के लिये व handloom industries के लिए सिर्फ 48 लाख रुपया रखा गया है। इन इंडस्ट्रीज़ में वह लोग काम करते हैं जो गरीब हरिजन व आर्टीज़न गांवों में बैठे हुए हैं। मैं समझता हूं कि यह रुपया इन के लिये काफी नहीं है इन्हें ज़्यादा रुपया देना चाहिए।

मैं एक चीज़ leather के बारे में भी कहना चाहता हूं कि भैंसें या कट्टे पैदा होते ह पंजाब में लकिन अमृतसर से लकर सारे नीचे तक के पंजाब के कट्टे यू. पी. में भेज दिये जाते हैं जो वहां कटते हैं और वहां से shoe बन कर हमारे यहां बेचे जाते हैं। तो मैं इस बारे में यह कहना चाहता हूं कि इसके लिए यहां पर एक कारखाना बनाया जाए या बूचड़-खाना बनाया जाए ताकि leather की इंडस्ट्री आगे बढ़ सके और पंजाब की चीज़ से पंजाब को भी फायदा हो सके। मैंने पहले भी कहा था कि रोहतक में एक इंडस्ट्री लगाओ लेकिन कहा गया कि अरे रे रे हम कट्टा काटने की फैकटरी नहीं लगाना चाहते। यह है लोगों को ख्याल ! मैं तो कहता हूं कि

जो वैल्थ अपनी है उससे क्यों न स्टेट फायदा उठाए। आखिर यह कट्टे बाहर जाकर भी तो काटे ही जाते हैं और दूसरे लोग उन की खाल से फायदा उठाते हैं। फिर काटन का आइटम है। सिरसे के आगे ज़मीदार काटन पैदा करेंगे और उस काटन के लिये जो मिल लगा है वह भोगपुर में। अब बताइए कि कैसी अजीब बात है, अगर कोई बावला होगा तो वह यह सब करेगा। (घंटी) मैं जनाब खत्म ही करता हूं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि लैदर के लिहाज़ से, आर्टीज़न की तरक्की के लिहाज़ से और छोटे छोटे काम करने वालों के लिए यह रुपया नाकाफी है और शर्म की बात है। साथ ही जो हिन्दी और पंजाबी की तमीज़ (घंटी) रखी गई है वह भी बन्द करो क्योंकि अब लोग देहात में भी समझदार हो गए हैं और वह इस तमीज़ को पहिचानने लगे हैं इस लिये यह तमीज़ हटनी चाहिए।

श्री रला राम (मुकेरियां, जनल) : अध्यक्ष होदय, पहली योजना एक अरब 62 करोड़ के करीब है और उसमें हमारी सरकार ने एक अरब और 52 करोड़ के करीब spend किया है। यह achievement ऐसी है जिस के लिए हम अपनी सरकार की सराहना किए बग़ैर नहीं रह सकते। क्योंकि जब यह प्लैन बनी थी तो बाहर के लोग यह कहते थे कि यह बड़ी ambitions प्लैन है और हिन्दुस्तान इस को पूरा नहीं कर सकता। लेकिन यह कामयाब हुई और इस कामयाबी की परसैंटेज 90-92 परसैंट आती है। यह ऐसी परसैंटेज है जिस के लिये सरकार वधाई की पात्र है। अब जो नई थर्ड फाइव-इयर प्लैन है इसमें कई एक ऐसे प्वाइंट हैं कि जिन पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए और ज़्यादा रुपया प्रोवाइड किया जाना चाहिए। वह इस स्टेट के लिये ज़्यादा उपयोगी होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान एक दो ऐसे प्वाइंट्स की तरफ दिलाना चाहता हूं जिनका कि अभी तक ज़िक्र नहीं किया गया। पंजाब की मैन-पावर सारे भारत में मौजूद है लेकिन यहां अब दूध, दही और घी की कमी नज़र आने लगी। यहां हमारे यहां मालवा वगैरह में इतना दूध, दही और मक्खन पैदा होता था कि सारे भारत में नाम था और दूसरे प्रान्तों की अपेक्षा ज्यादा होता था लेकिन आजकल जो हालत है वह बहुत ही शोचनीय है। अब अगर इन दूध, दही, मक्खन वाले इलाके के अन्दर चले जाएं तो लोग बताते हैं कि चाय के लिए तो दूध मिल सकता है लेकिन पीने के लिए दूध नहीं मिलता। इस लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी योजना में मिल्क के लिये और डेयरी के लिए प्रोवीजन होना चाहिए। पिछली योजना में जो रुपया रखा गया था provided रुपए में से आधा रुपया भी इस मतलब के लिये खर्च नहीं किया गया। अब यह जो रुपया रखा गया है यह बहुत थोड़ा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी मैनपावर सारे भारत में वैसी को वैसी ही रहे तो यह ज़रूरी है कि मिल्क सप्लाई और डेयरी की स्कीम्ज़ जारी की जाएं। मैंने चंडीगढ़ के बारे में कई बार पूछा कि यहां किस ढंग की स्कीम है और कितनी बड़ी है और वह क्या इस नई प्लैन के अन्दर और बढ़ाई जा रही है? तो उस का कुछ सन्तोषजनक समाधान नहीं मिला। मैं यह अपनी गवर्नमेंट से आप के द्वारा कहना चाहता हूं कि जहां आप ऐग्रीकल्चर पर ध्यान दें वहां मिल्क सप्लाई और डेयरी पर भी ज़रूर ध्यान दें और अपनी मैनपावर की superiority को maintain करने के लिए यहां जो दूध

[श्री रलाराम]

की कमी हो रही है उसे बढ़ाएं और जो यहां पर गाय की नसल है उस को इतना बेहतर बनाया जाय कि दूध की yield आगे से ज्यादा बढ़े ताकि यह जो बात हम देख रहे हैं कि चाय के लिये दूध मिल जाता है लेकिन दूध पीने के लिये देने से दुकानदार इन्कार कर देते हैं, यह बात न हो। यह बात अच्छी नहीं है क्योंकि इस का सम्बन्ध स्वास्थ्य के साथ है। अगर आप पंजाब के लोगों का physical standard कायम रखना चाहते हैं जो कि हम ने विर्से में प्राप्त किया है तो इस बात की ओर विशेष ध्यान दिया जाय और 3rd Plan में जो provision रखी है वह बढ़ाई जाय।

4 p. m.

अध्यक्ष महोदय, अब मैं education के सम्बन्ध में कुछ एक बातें कहना चाहता हूं। पिछली प्लैन में education के लिए 12 करोड़ 32 लाख रुपया रखा गया था लेकिन उस में से सिर्फ 8 करोड़ 28 लाख रुपया खर्च किया गया। मैं आप के द्वारा यह आवाज़ अपने मन्त्री महोदय तक पहुंचाना चाहता हूं कि इस प्रान्त में ग़रीब बच्चों के ग़रीब वाल्दैन निगाहें लगाए बैठे हैं अपने मन्त्री महोदय और अपनी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ कि उन तक मुफ्त तालीम की बरकत कब तक पहुंचती है। यह ठीक है कि तालीम मुफ्त कर दी गई है लेकिन जो बच्चे दूसरे स्कूलों में पढ़ते हैं वे इस बरकत से महरूम रह जायें और इधर 12 करोड़ की provision हो और 8 करोड़ खर्च करें तो यह बात ठीक दिखाई नहीं देती। यह रुपया खर्च होना चाहिए था और मुफ्त तालीम की बरकत ग़रीब बच्चों तक और ग़ैर सरकारी स्कूलों तक भी पहुंचनी चाहिए। मैं समझता हूं कि हमें सैंट्रल गवर्नमैंट से अधिक रुपया मांगना चाहिए ताकि हम इस बरकत को हरेक तक पहुंचा सकें। इस के अतिरिक्त Third Plan में भी मुफ्त तालीम के लिये रुपया रखना चाहिए। मैं ने plan को study किया है लेकिन मुझे यह provision नज़र नहीं आई। एक और बेनती मैं विशेष तौर पर करना चाहता हूं वह यह है कि Second Five-Year Plan में total outlay का 7.17 था जो कि education पर खर्च करना था लेकिन उस में से 7 प्रतिशत खर्च किया गया। मैं समझता हूं कि यह शिक्षा के साथ अन्याय है। शिक्षा grow करता हुआ department है। इस लिए total out lay में से उस की percentage घटा कर सात कर देना ठीक नहीं है, यह आठ नौ होनी चाहिए थी। इस को घटाना वाजब नहीं है, यह शिक्षा के साथ अन्याय है। यद्यपि हम ने प्रान्त में Higher Secondary का experiment जारी किया है लेकिन जिस मन्थर गति से हम काम कर रहे हैं उस के अनुसार Third Five-Year Plan के अन्त तक 1496 हाई स्कूलों में से हम केवल 426 को Higher Secondary बना सकेंगे और इस गति से मैं समझता हूँ कि चौथी प्लैन में तो क्या पांचवीं या छटी प्लैन में भी सब स्कूलों को Higher Secondary नहीं बना सकेंगे और इस प्रकार शिक्षा के अन्दर दो प्रकार की प्रणालियां चलती रहेंगी जो कि लाभदायक नहीं होंगी। इस लिए हमें सेंटर से अधिक रुपए की मांग करनी चाहिए। यह दलील देना कि पंजाब की *per capita* income अन्य प्रान्तों की अपेक्षा बढ़ गई है इतनी अच्छी दलील नहीं है। क्योंकि, अध्यक्ष महोदय, पंजाब एक सीमा

प्रान्त है । अगर यह प्रान्त खुशहाल है और अगर इस के व्यक्ति discontented नहीं हैं, इन का standard ऊंचा है तो इस के अन्दर सारे भारत की safety है । इस लिए मैं चाहता हूं कि हमें यह मांग बढ़वाने की कोशिश करनी चाहिए । हमें Arts Colleges की अधिक आवश्यकता नहीं है इस लिए हमें Higher Secondary के लिए Third Plan में अधिक रुपया रखना चाहिए ताकि जो experiment हम ने सैकड़ों सालों के बाद शुरू किया है उसे सफल बनाया जा सके । इस में लिखा गया है कि sportsmen और athletes को training दी जाएगी । पंजाब में यह ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि पंजाब सारे भारत का मान रख सकता है लेकिन आप के द्वारा मैं यह कहना चाहता हूं कि Third Plan में play grounds के लिए अधिक provision होनी चाहिए । दूसरे, मैं एक कालेज का प्रिंसिपल होते हुए जानता हूं कि हमारे athletes को उतना दूध नहीं मिलता जितना कि उन्हें मिलना चाहिए क्योंकि हमारे athletes इतनी diet afford नहीं कर सकते । इसलिए मैं आप के द्वारा निवेदन करूंगा कि कालेजों और स्कूलों को subsidise किया जाय ताकि वे athletes और sportsmen को अच्छी diet दे सकें । इस लिए मैं फिर इसी बात पर ज़ोर दूंगा शिक्षा प्रणाली में नए तजरुबे को कामयाब बनाने के लिए आवश्यक है कि मांग को अधिक किया जाए ।

श्री मुनि लाल कामरेड (शिमला) : स्पीकर साहिब, तीसरी पांच साला प्लान पर यह जो tentative draft Plan है इस के बारे में हमारी सरकार की यह ख्वाहिश है कि पार्टी लेवल से ऊपर उठ कर बहस की जाए । मैं समझता हूं कि इस समय हाउस का हर एक मैम्बर चाहे उस को प्लानिंग से इख्तलाफ हो, चाहे उस को implementation से इख्तलाफ हो, सरकार के साथ है और वह इस बात के खिलाफ है कि इस में किसी प्रकार की कोई कटौती की जाए । बल्कि सब मैम्बरान यह चाहते हैं कि यह रकम 287 करोड़ से भी बढ़ाई जाए । हमारे मिनिस्टर साहिब ने तीन बातों पर ज़्यादा ज़ोर दिया है कि उन को डर है कि जिस वक्त यह प्लानिंग कमिशन के सामने जाएंगे तो कमिशन वाले इस बेसिस पर कटौती की बात करेंगे । एक तो population basis पर वह कट लगाएंगे, दूसरे यह कि पंजाब में *per capita* income दूसरी स्टेट्स से ज़्यादा है इस लिए उन का खदशा है कि प्लानिंग कमिशन वाले रुपया कम देंगे । तीसरी बात उन्होंने यह कही है कि चूंकि पहली पांच साला प्लान में और दूसरी पांच साला प्लान में हमें रुपया ज्यादा मिलता रहा है इसलिये शायद तीसरी पांच साला प्लान में हमें रुपया कम मिले । मुझे उन की दलील समझ नहीं आई क्योंकि ये तीनों बातें ही self-contradictory हैं । मैं समझता हूं कि पंजाब के लोग ज़्यादा मज़बूत हैं । उन्होंने अपनी मेहनत से अपनी स्टेट की economy expand करने की कोशिश की है । जब लोगों की income, economy expand होने से बढ़ जाए, उन का रहन सहन का दर्जा ऊंचा हो जाए तो उन के अंदर development की urge ज़्यादा पैदा होती है, मांग ज़्यादा पैदा होती है कि वे अपने बच्चों को तालीम ज्यादा दें, देश से unemployment दूर हो । चूंकि हमारे देश का system of education defective है उस के नतीजे के तौर पर

[श्री मुनि लाल कामरेड़]

देश में unemployment बहुत है और पंजाब में भी बहुत unemployment है। अगर हमारी सरकार इस मसले को जल्दी हल नहीं करेगी तो डर है कि पढ़े लिखे नौजवान बेकारी की हालत में गलत रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे। इन हालात में जब कि स्टेट में expanding economy हो तो सरकार को vigilant होना पड़ता है। उस हालत में Technical Education का मसला हमारे सामने आता है। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि जब हमारी सरकार प्लानिंग कमिशन के सामने अपना केस पेश करे तो साथ ही Technical Education की बात उन के सामने रखे। लोगों ने मेहनत से काम लिया और नतीजे के तौर पर उन की *per capita* income बढ़ी, उन्होंने अपना standard of living raise किया। बेकारी भी साथ बढ़ी बेकारी की बात करते हुए हमारी सरकार को उन Technical Education के लिए रुपया मांगना चाहिए। इस के लिए ज्यादा रुपये की ज़रूरत होती है। इस के इलावा हमारी स्टेट में water-logging का मसला भी भयानक सूरत अख्तियार किए हुए है। इस को दूर करने के लिए यहां पर एक मास्टर प्लान बनाया गया। मैं समझता हूं कि वह भी इसीलिये Third Five-Year Plan में fully include नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास रुपये की कमी है। अगर Third Five-Year Plan में allotment कम होती है और इस मसले को जल्दी से हल करने की कोशिश न की गई तो यह बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि जितना एरिया clear किया जाएगा उतना और waterlogging के नीचे आजाएगा क्योंकि हमारे सूबे में नई सड़कों और नहरों का जाल बिछाया जा रहा है जिस से पानी के natural flow में फर्क पड़ता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि प्लानिंग कमिशन के सामने यह भी एक वजह दी जा सकती है कि हमें ज्यादा रुपये की ज़रूरत है। तीसरी दलील उन के सामने यह दी जा सकती है कि हमारी स्टेट में बेरोज़गारी का भूत मूंह खोले आगे बढ़ता आ रहा है। यह भी एक बड़ा भारी मसला है इस को हल करने के लिये भी हमें ज्यादा रुपये की ज़रूरत है। चाहिए तो यह था कि First Five-Year Plan और Second Five-Year Plan की implementation के बाद unemployment का मसला हल हो जाता लेकिन हकीकत यह है कि educated और uneducated दोनों classes में unemployment और भी ज्यादा बढ़ गई है। इस unemployment को दूर करने के लिये दो ही रास्ते हैं। एक तो यह कि या तो ज़मीन पर से बोझ कम किया जाए और इस मकसद के लिये देश में industrialization की जाए। Industrialization की बात करता हुआ मैं Cottage industry और heavy industry के झमेले में नहीं पड़ना चाहता। मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि industrialization के लिए पावर की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इस के बारे में कल एक मान्यवर सदस्य ने बड़े ज़ोर से हाउस में बात की। यह बात ठीक है कि पावर के लिहाज़ से भाखड़ा डैम, गंगूवाल और कोटला power houses ने पंजाब का नाम ऊंचा किया है लेकिन उस में से पावर का बहुत थोड़ा हिस्सा पंजाब को मिला है। नतीजा यह हुआ है कि यहां पर industrialization नहीं हो सकी और

industrialization न होने की वजह से unemployment दूर नहीं हो सकी। जब तक पावर नहीं मिलती तब तक industrialization नहीं हो सकती। जिन लोगों ने connection लेने के लिए अर्जियां दी हुई हैं कि हमें पावर दी जाए हम कारखाने लगाना चाहते हैं वे अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं। मैं private sector की बात नहीं कहता public sector की बात कहता हूं। स्पीकर साहिब, भाखड़ा में mishap होने की वजह से पावर की स्पलाई में disruption हुई और उस के कारण public sector और private sector दोनों तरफ के लोगों को दिक्कत उठानी पड़ी। उस वक्त सरकार के सामने यह मसला आया कि जब हम industrialization करने जा रहे हैं तो भाखड़ा में तो किसी वक्त भी कोई defect पड़ सकता है उस का मुकाबला करने के लिए क्या किया जाए। उस का यह हल निकाला गया कि thermal plants कायम होने चाहियें ताकि emergency के वक्त उन का इस्तेमाल किया जाए। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। कमिशन को यह भी कहा जाना चाहिए कि यहां पर thermal plants लगाने के लिये भी ज़्यादा रुपये की ज़रूरत है। यहां पर यह बात कही गई कि डीज़ल के ज़रिए बिजली महंगी पैदा होती है। लेकिन पंजाब के लोगों में उत्साह है वे बिजली महंगी भी लेना चाहते हैं। पावर स्पलाई करने की ज़िम्मेदारी सरकार पर आती है और उस को पूरा करने के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि जो नए पावर प्राजेक्ट बन रहे हैं जब वे तैयार हो जाएंगे तो जो supply उन में से मिलेगी उस का बेहतर हिस्सा लोगों को मिलेगा यह हमारी जनता की मांग है। इन हालात में thermal plants को कायम करने के लिये हमारी सरकार को कमिशन के साथ बात करनी चाहिये। यह ठीक है कि foreign exchange की कमी है और plants को import करने में दिक्कत पेश आएगी फिर भी हमारी सरकार को यह दलील देनी चाहिए कि सूबे में से बेरोज़गारी को दूर करने के लिए, लोगों का standard of living raise करने के लिए और ज़मीन से बोझ हल्का करने की खातर industrialization करने के लिए हमें thermal plants import करने के लिए foreign exchange की बहुत सख्त ज़रुरत है। तीसरी बात जो हमारी favour में जाती है वह यह है कि पंजाब में regional disparities की वजह से पंजाब एक homogeneous unit नहीं है। यह मसला पंजाब का आज से ही नहीं बल्कि बहुत पुराना है। और अगर यह disparities दूर न की जाएं या यह और ज्यादा हो गईं तो लोगों का agitational mood बनने का डर है। सरकार तो कहती है कि regional सवाल न उठाया जाए लेकिन मैं कहता हूं कि इस बात से तो सरकार को और भी तकवियत मिलती है। सरकार यह बात कहे कि जो undeveloped areas हैं उन में political consciousness आ रही है और अगर उन लोगों की मांग को पूरा न किया गया तो उन में separatist tendencies बढ़ेंगी और सरकार के सामने एक और नया मसला खड़ा हो जाएगा। सरकार कह सकती है कि underdeveloped areas को develop करने के लिए ज्यादा रुपये की ज़रूरत है। इस के बाद सरकार यह दलील भी दे सकती है कि पंजाब एक बार्डर स्टेट है और बार्डर स्टेट्स में

[श्री मुनी लाल कामरेड]

disparities नहीं होनी चाहियें जो under-develcped areas हैं उन को develop करने के लिए ज्यादा allocation की ज़रूरत है । स्पीकर साहिब, मैं हाउस का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता लेकिन ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि hilly areas के लिए ज्यादा allocation होनी चाहियें । सरकार ने अपनी रिपोर्ट में भी लिखा है कि हम पहाड़ी इलाके को अच्छी तरह से develop नहीं कर सके, हम यह बात मानते हैं उन्होंने 19 करोड़ रुपया पहाड़ी इलाके की उन्नति के लिए रखा है । लेकिन मैं सरकार की तवज्जोह इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि पंजाब का पहाड़ी इलाका तीन तरफ से हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके से घिरा हुआ है । अब हिमाचल प्रदेश को तो 28 करोड़ रुपया मिला और पंजाब के पहाड़ी इलाके को cement फैक्टरी का पांच करोड़ रुपया निकाल कर सिर्फ चौदह करोड़ रुपया मिला । जब पंजाब के पहाड़ के लोग देखते हैं कि मे मिहचाल वालों को 28 करोड़ रुपया मिला और वहां पर बहुत ज्यादा development हो रही है तो कुदरती तौर पर उन के दिल में असंतोष पैदा होता है और frustration होता है । इस deliberate delay से लोगों के दिल में unrest पैदा होता है । इस बिना पर भी हमारी सरकार सेंटर से ज्यादा रुपये की मांग कर सकती है ।

तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि आपने हिमाचल प्रदेश के मुकाबले में पंजाब के hilly areas को develop करने का वादा किया हुआ है । इस बात के लिए plan के अन्दर 19 करोड़ रुपए का provision किया हुआ है । इस 19 करोड़ रुपए में से अगर कांगड़ा में cement और paper industry पर खर्च की जाने वाली रक्म को निकाल दिया जाए तो बाकी 14 करोड़ रुपया hilly areas की development के लिए रह जाता है । इसके मुकाबले में हिमाचल प्रदेश की administration ने 43 करोड़ रुपए की Plan, Planning Commission को भेजी और उसमें से 28 करोड़ रुपये की plan मंजूर करवा चुके हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जहां hilly areas की development के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने 14 करोड़ रुपया रखा है वहां हिमाचल प्रदेश की development पर 28 करोड़ रुपया खर्च होगा यानी वह रकम पंजाब के hilly areas पर खर्च की जाने वाली रकम से दुगनी रकम है । इसका नतीजा यह है कि हमारे उन इलाकों के लोगों में unrest है । मैं नहीं चाहता कि जहां पंजाब के अन्दर आगे ही communalism की एक लहर चली हुई है वहां वह लोग एक और लहर की आवाज उठाएं, separatism की बात हो । लेकिन उनके sentiments को नज़र अन्दाज़ नहीं किया जा सकता ? यह State की development की बात है । जहां पर आपने उनके लिए 14 करोड़ रुपया रखा है वहां उनके पड़ोसी इलाके की development पर उनसे दुगना रुपया खर्च होने जा रहा है । इसलिए अगर सरकार कहे कि पंजाब के पहाड़ी इलाके इस बात पर चुप कर बैठे रहेंगे तो यह बात मुमकिन नहीं । यह कैसे वे लोग बर्दाश्त करेंगे कि जो वायदे आप उन से करते आए हैं वह आप पूरे न करें और वह चुप चाप बैठे देखते जाएं । ऐसी हालत में मैं नहीं कह सकता कि क्यों न कल को वह इस बात की मांग करें कि हम हिमाचल प्रदेश में शामिल होना चाहते हैं । क्यों न हरियाणा वाले existing disparities को मद्देनज़र रखते

वह इस बात की मांग करें कि हम पंजाब में नहीं रहना चाहते; देहली के साथ जाना चाहते हैं ? गवर्नमेंट को इस बात का ज्ञान हो जाना चाहिए कि यह सारा unrest पीछे रहे इलाकों को develop न करने में जो deliberate delay की है उसी का नतीजा है । स्पीकर साहिब, मैं out of the way नहीं जाना चाहता लेकिन यह कहना चाहता हूँ कि यह गवर्नमेंट के deliberate delay वाले ही इस attitude का नतीजा है कि पहले रिजनल फार्मूले को deliberately ignore किया गया और फिर इसकी implementation में देर की जाती रही और उसका नतीजा एक ज़बरदस्त agitation के रूप में नमूदार हुआ । इसीलिए लोग बार बार यह मांग करते हैं कि हमें भी दूसरों के मुकाबला में ऊपर उठाया जाय, हमारे इलाके को develop किया जाए। इसलिए मैं गवर्नमेंट को इस बात के लिए सावधान कर देना चाहता हूँ कि अगर उनकी जायज़ मांग को पूरा न किया गया तो तरक्की करने की urge में कहीं इससे भी ज्यादा तेज़ी से अपनी आवाज़ उठाने पर मजबूर न होना पड़े । लेकिन एक बात के लिए मैं House को यकीन दिलाना चाहता हूँ और बिला खौफे तरदीद यह बात कहना चाहता हूँ कि House के सभी sections इस बात के लिए पूरी ईमानदारी के साथ ख्वाहां हैं कि इस Plan की allocations और ज्यादा बढ़ें । कल मिनिस्टर साहिब ने इस बात के लिए सभी political parties से अपील की कि वह उन को इस बात में पूरा सहयोग दें । मैं जानता हूँ कि सभी parties उन को इस बात में support दे रही हैं लेकिन आप उनको किस हद तक co-operation देंगे यह तो आने वाला वक्त ही बता सकेगा । बहर हाल मैं आप के साथ इस बात में पूरी तरह सहमत हूँ और पूरे ज़ोर के साथ ताईद करता हूँ कि allocations में कटौती न हो बल्कि कटौती के स्थान पर अज़ाफा किया जाए ताकि पंजाब की expanding economy को और ज्यादा बढ़ने का मौका मिले और यहां पर इस transitional period में किसी तरह का इन्तशार पैदा न हो । शुक्रिया ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ (ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਜ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦਸਣ ਕਿ ਕਿਸ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕਟਾਉਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਅਜ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਨਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਸਭ ਦੀ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕਟਾਉਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਰੁਪਿਆ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇ ਤਾਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ । ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ]
ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿਤਨਾ ਹੈ । ਤੀਸਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜ਼ਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਜ਼ਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਡੇ ਵਡੇ ਲੀਡਰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠੂਠਾ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ । ਕਿਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਪਿਆ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਲਹਿਰੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰ ਖੁਦਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਗਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਤਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਟੀਊਬਵੈਲ ਐਸਾ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ । ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਏਥੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਿੰਗ ਬੋਰਡ (spring board) ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ । ਉਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤ ਲੈਣੀ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ । ਪਹਿਲੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਜ਼ਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਉਲੀਕ ਉਲੀਕ ਦੇ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਬੜਾ ਤੁਆਵਨ ਦਿੱਤਾ ਮਗਰ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ । ਖੈਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀ । ਮਗਰ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ । ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਕ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ confidence ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਕੀ ਉਸ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਇਸ ਗਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਰੁਪਿਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪਰ

ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਸੁਧਰੀ ਹੈ ? ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ । ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਕਾਵੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਸੂਦ ਦਰ ਸੂਦ ਇਤਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਾਂ ਆਏ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਕਿਤੇ ਸੇਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਕੱਲਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ । ਇਹ ਗਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮਗਰ ਚੂੰਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਣੀ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ living hand to mouth ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਕੀ ਤਵੱਕੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਕੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਫੇਰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ irrigation ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਇਸ ਖਰਚ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਵਧਾ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ । ਯਕੀਨਨ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਾਂਗੇ । ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਪੁਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹਿਰਾਂ ਚੌਧਰੀ ਲਹਿਰੀ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਹ ਨਹਿਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਭਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਰਾਏਗਾਂ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸੁਕ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਢਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਧੇਗਾ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ irrigation facilities ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਣ ਜੇਕਰ irrigation ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਰੋਜ਼ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਵ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ Judge ਕਰ ਲਉ । ਤੁਸੀਂ industry ਨੂੰ ਲੈ ਲਉ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਤਨਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । Industry ਲਈ power ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲਾ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਕੋਲਾ ਤਾਂ ਇਥੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ power ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਤੇਲ ਦੀ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ]

ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਤਨੀਆਂ prohibitive ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਨ । ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਹਣਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਕੁਝ ਧੁੰਧਲਾ ਹੀ ਹੈ । ਕਲ ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ. ਡੀ. ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ industrialist ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ figures ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਇਥੇ ਰਖੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬੜੀਆਂ startling ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਲ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜ਼ਰਾਇਤ ਤੇ industry ਦੀ ਨਵੀਂ planning ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ production ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ? ਨਵੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛਡੋ ਅਗੇ ਜੋ ਲਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ power ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ । ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਵਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੁਪਿਆ Jam ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਫੇਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ industry ਇਥੇ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ common man ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ? ਫਾਇਦਾ ਤਦ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹਰ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਸਤੇ ਭਾਉ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇਥੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਭਾਉ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ । ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ । ਜੋ industry ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ man in the street ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਾਤੀ, ਰੰਬੇ ਆਦਿਕ ਲਈ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੋ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਥੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ । ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ industry ਨੂੰ expand ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ education ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਖਰਚ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਜੋ education ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਦੇ ਉਸ ਵਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ? ਇਸ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਜੇਕਰ ਨਮੂਨਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ Public Service Commission ਤੇ Subordinate Services Selection Board ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਉ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ

ਤਾਲੀਮ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਆਦਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲੀਮੀ ਮਿਆਰ ਕੀ ਹੈ ? ਅਜੇ ਕਲ ਪਰਸੋਂ ਦੇ 'Tribune' ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ Shri G. D. Khosla ਦਾ ਇਕ article "Tragedy of a B. A. pass" ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਾਲੀਮੀ ਮਿਆਰ ਇਹੋ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਸਾਲ ਵਕਤ ਤੇ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੀ ਚੰਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਨਪੜ੍ਹ ਘਟੋ ਘਟ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਲਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ private institutions ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਰ ਤਾਲੀਮ ਦਾ standard ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ Quantity ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ quality ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ੋਹਬੇ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ industry ਨੂੰ ਲੈ ਲਉ ਭਾਵੇਂ education ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਉ quantity ਵਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ quality ਵਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ quantity ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਕਰ quality ਨੂੰ improve ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪਲਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਰੁਪਿਆ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਖਰ ਕਮਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤਕਾਵੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਫੇਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਲਗਣਗੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਰੁਪਿਆ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਰਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸੋ ਕਿ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਸਹੀ ਹਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹਥਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰੁਪਿਆ ਮਹਿਜ਼ departments expand ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਆਂ ਦੇ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾ ਕਿ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਰੁਪਿਆ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਤਦ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ਕ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਚੰਦ ਇਕ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਰਨਾ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ]

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਪਲਾਨਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਨ ਗੀਆਂ ਇਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਦਾ ਧੰਨਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

श्रीमती सरला देवी शर्मा (हमीरपुर, जनरल) : मान्यवर स्पीकर साहिब, कल से यहां पर Third Five-Year Plan पर discussion चल रही है। मुझे खुशी है कि Central Government ने पंजाब की तरक्की के लिये 287.42 करोड़ रुपया रखा है—अगर्चि अभी final decision इस रकम बारे नहीं हुआ। इसी तरह Second Five-Year Plan में 162 करोड़ रुपया रखा गया था मगर उस में से हम ने 150 करोड़ ही खर्च किया। अभी २ कुछ भाइयों ने पंजाब गवर्नमैंट को 162 में से 150 करोड़ रुपया खर्च कर लेने पर वधाई दी है लेकिन मैं समझती हूं कि जो रुपया State की तरक्की और यहां पर से बेकारी दूर करने के लिये दिया गया था उस में से 12 करोड़ रुपया surrender कर देना कोई श्लाघा की बात नहीं है, बल्कि अफसोस की बात है। अभी २ बताया गया कि Education के लिए 12 करोड़ रूपये में से 8 करोड़ खर्च किया गया। एक तरफ यह हालत है कि अगर private schools को सरकार ने लेना हो तो उन गरीब institutions पर यह शर्त लगाई जाती है कि सरकार को 60 हज़ार रुपया दो या 75,000 रुपया दो दूसरी तरफ यह हालत है कि 4 करोड़ रुपया खर्च न किया जा सका। और यह सब उस सूबे में जहां बड़ी गरीबी है और खास कर कांगड़े जैसे इलाके हैं। ऐसी बातें सुन कर दुख होता है। अगर यही 4 करोड़ रुपया हमारी एजुकेशन के लिये सही मायनों में खर्च किया होता तो बहुत अच्छी बात थी। हमारे यहां स्कूलों में साइंस का सामान नहीं है कुर्सियां नहीं हैं और उचित स्टाफ नहीं है यह एक दुख का विषय है लेकिन खुशी इस बात की है कि हमारी सरकार यह कोशिश कर रही है कि अब की बार जितना रुपया हमारी स्टेट के लिये रखा गया है, उस में कटौती न होने पाए।

अब मैं इरीगेशन के बारे में कहना चाहती हूं कि इरीगेशन के टारगेट के मुताबिक हमारी स्टेट को 84 लाख टन अनाज ज्यादा पैदा करना है। इस लिये हमें चाहिए कि हम अपने किसानों को हर तरह की सहूलियत दें और इस बात की खास कोशिश करनी चाहिए कि उन की खरीद शक्ति बढ़े। और जो पैदावार बढ़ाने की बात है उस के लिये उन्हें अच्छे से अच्छे बीज देना चाहिए। एक बात मैं जानती हूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो होती तो किसानों के फायदे के लिये है लेकिन उन्हें बताई तक नहीं जातीं। जैसे हमें पता है मैं एक evaluation committee के साथ एक गांव में गई थी और वहां जाने पर मैंने एक ग्राम सेवक से पूछा कि क्या आपके यहां कोई Demonstrative Plant है। तो उसने कहा कि है। मैंने फिर पूछा कि क्या उसे किसानों को दिखाया गया तो जवाब दिया उसने कि नहीं दिखाया गया। तो मुझे बहुत दुख हुआ।

एक बात खाद के बारे में है। यह खाद जो दी जाती है किसानों को वह कर्जे की शक्ल में हम उन्हें देते हैं। इस से खाद का ज्यादा प्रचार नहीं होने पाता। हमें चाहिए

कि खाद sudsidies के तौर पर दें ताकि लोग आसानी से ले सकें और उसके फायदे को जान सकें। जिनकी जमीन 5 एकड़ से कम हो। उनको पिछली प्लैन में कुओं कूहलों और पंपिंग-सैट वगैरह के लिये 19 लाख रुपया रखा गया था और अब की बार 48.4 लाख रुपया के करीब रखा गया। इस में से 25 लाख कूहलों के लिये है। मैं जनाब स्पीकर साहब, आप के ज़रिए अपनी गवर्नमैंट से प्रार्थना करना चाहती हूं कि जिला कांगड़ा एक पिछड़ा हुआ इलाका है वहां के लिये lift scheme बनाई जानी चाहिए ताकि हमीरपुर तहसील जैसी जगहों में नदौन गांव में दरिया का पानी इस्तेमाल हो सके और हज़ारों एकड़ जमीन को पानी मिल सके। स्पीकर साहिब, कांगड़ा ज़िला में हार्टीकल्चर है। गवर्नमैंट ने पिछली प्लैन में 420 टन से लेकर 560 टन भी और अब की दफा तीसरी प्लैन करनी है और अब 600 टन से लेकर 1,200 टन सबजी की बिजाई करने का फैसला किया है। मैं यह कहती हूं कि एक सर्वे कमेटी बनाई जाए जो कांगड़ा के इलाके का सर्वे करे और फिर अच्छी तरह से इस दिशा में तरक्की के सामान मुहैया किये जाएं। इसके साथ ही मैं इंडस्ट्रीज़ के बारे में कुछ अर्ज करना चाहती हूं। मैं एस्टीमेट्स कमेटी के साथ गई तो भोपाल, मद्रास, वगैरह में देखा कि वहां पर बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ लगी हुई हैं और सैकड़ों हज़ारों की तादाद में इन स्टेटों के बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं। मैंने पंजाब के बच्चों को भी देखा तो वह बहुत थोड़ी तादाद में दिखाई दिए। सब मिला कर सिर्फ 100 के करीब देखे होंगे। अब की बार 31 करोड़ और 56 लाख 27 हज़ार रुपया रखा है यह रुपया पूरा का पूरा खर्च होना चाहिए। (घंटी) लुधियाना, सोनीपत वगैरह में स्माल-स्केल इंडस्ट्रीज़ लगाई जा रही हैं लेकिन हमारे यहां कोई इंडस्ट्री नहीं है, हां एक कागज की इंडस्ट्री के लिये 19 लाख रुपया रखा है यह अच्छी बात है लेकिन-स्माल स्केल इंडस्ट्री कांगड़ा खासतौर पर हमीरपुर तहसील में जरूर लगनी चाहिए ताकि वहां के लोगों को रोटी मिल सके। अखीर में मैं यही कहना चाहती हूं कि यह जो 287.42 करोड़ रुपया हमारी स्टेट को मिला है इस के लिये हम सब मिल कर मांग करें कि इस में कटौती न हो ताकि सही तौर पर प्लैन कामयाब हो सके।

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : स्पीकर साहिब, हमारे सामने थर्ड प्लैन पर बहस चल रही है। मुझे सब से पहले अफसोस इस बात का है कि असेम्बली को प्लैन में कोई तरमीम करने का अधिकार नहीं। न मालूम कि कोई foreign body इस को बना कर लाई है जो यह इस किस्म का तरीका रखा है कि असेम्बली में discussion हो जाए लेकिन amendment नहीं हो सकती, असेम्बली इस में एक 'comma' भी change नहीं कर सकती। दूसरे मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि जिस वक्त mover साहब move कर रहे थे तो उन्होंने सिर्फ generalize ही किया कोई facts and figures देकर convince करने की कोशिश नहीं की।

स्पीकर साहब, देखना यह है कि आया जो दो plans पहले बनीं उन से State को कोई फायदा हुआ या मुल्क को कोई फायदा हुआ। एक दो सड़कें, हस्पताल या इमारतें बन जाने स देश का मसला हल नहीं हो जाता। मैं पूछता हूं कि क्या

[चौधरी धर्म सिंह राठी]

2nd Plan के pattern से कोई फायदा हुआ। इस से गवर्नमेंट को सबक सीखना चाहिए और plan के pattern को तबदील करने की कोशिश करनी चाहिए तभी लोगों की भलाई हो सकती है। आज तक दोनों plans से जो चीज़ बढ़ी है वह है inflation, corruption, maladministration और taxation और अगर ये कहें कि कोई prosperity बढ़ी हो तो ये ग़लतफहमी में मुबतला हैं। इस वक्त अगर किसी के पास पांच रुपए हों तो देखना यह है कि उस की purchasing power क्या है। आज उस की कीमत एक रुपया के बराबर रह गई है क्योंकि कीमतें पांच गुणा बढ़ गई हैं। दूसरी चीज़ जिस के लिये plan बनती है वह यह है कि आया unemployment को दूर करने की कोशिश की गई है या नहीं। खुद draft plan इस बात को मानती है कि unemployment increase हुई है। पंजाब गवर्नमेंट ने खुद एक कमेटी मुकर्रर की जिस का नाम है State Evaluation Committee इस के तमाम के तमाम मेम्बर कांग्रेसी हैं और इस के चेयरमैन थे सरदार राजिन्दर सिंह, एम.एल.ए.। यह कमेटी क्या कहती है मुलाहज़ा फरमाएं :—

"The poor and backward sections of the community had not accepted the programme as their own as their problems had not been given priority and adequate attention. The economic and social conditions of Harijans and other backward sections of our society in the majority of villages had not shown any improvement."

आगे चल कर यही रिपोर्ट कहती है :—

"A satisfactory solution of problems of unemployment and under-employment in the rural areas had not been found and steady sources of income for the landless poor or for small cultivators had not been suggested."

श्री अध्यक्ष : क्या यह वही रिपोर्ट है जो पिछले सैशन में हाउस के सामने रखी गई थी ? (Is this the same report that was placed before the House during the last session?)

चौधरी धर्म सिंह राठी : इसी सेशन में रखी गई है।

जनाब मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि आगे यह कमेटी कहती है :—

"The Committee, therefore, noted that there was a significant failure of the Community Development in the promotion of Cottage Industries."

कमेटी ने यह एक certificate दिया है। आज industries की development के बारे में सरदार दरबारा सिंह तारीफ कर रहे थे लेकिन सरदार दरबारा सिंह की बात कौन पूछता है। आगे चल कर लिखा है :—

"The general impression is that there is no improvement in the economic life of the people."

Mr. Speaker : What are you driving at?

चौधरी धर्म सिंह राठी : मैं जनाब की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि यह कहा जाता है कि तरक्की हुई है लेकिन इन की अपनी कमेटी यह कहती है कि कुछ नहीं हुई। Members of the Parliament ने भी इस को condemn किया है और Provincial Congress Committee ने भी इस को खराब बताया है और हमारी असेम्बली में भी सिवाय एक-आध मेम्बर के सब ने इस की नुक्ताचीनी की है।

Mr. Speaker : We are not discussing Evaluation Committee's Report but the draft Third Five-Year Plan.

चौधरी धर्म सिंह राठी : मैं जनाब की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूं कि दोनों plans unsuccessful रही हैं। उन की नाकामी का कारण यह है कि plan का pattern totalitarian है और यह parliamentary democracy में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। Democracy में power की decentralization होती है लेकिन यहां पर power centralize हो रही है। दूसरे मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि Five-Year Plans नहीं बननी चाहिएं, year to year plans बननी चाहिएं।

Mr. Speaker : It has been spilt up from year to year. You just try to read it.

इस सरकार को पांच-साला प्लान बनाने का क्या हक है? पांच साल के बाद यह गवर्नमैंट फेल हो सकती है। अगर यह गवर्नमैंट 1962 में न रही तो इस प्लान को बना कर रख देने का क्या फायदा? यह बात Parliamentary System of Democracy के खिलाफ है........(*Interruptions*) स्पीकर साहिब, जिस वक्त सरदार दरबारा सिंह जी बोल रहे थे उस वक्त किसी ने interrupt नहीं किया हालांकि वे ऐसी बातें कर रहे थे जिन का इस प्लान से कोई ताल्लुक नहीं था। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्लान की fundamental basis ही गलत है इस का नतीजा यह होगा कि prices बढ़ेंगी और बड़ा भारी crisis country के अंदर आएगा। मैं इस सरकार को यह कहना चाहता हूं कि इस पालिसी को बदलो। मैं इसी प्लान की बात नहीं करता, इस सरकार की सारी स्कीमें ही ऐसी होती हैं। इस सरकार ने बाहर से एक expert डाक्टर साचल मंगवाया था। उस ने कहा कि इस सरकार ने जो drainage scheme बनाई है वह बिलकुल गलत है। मैं कहता हूं कि सरकार जो figures यहां पर देती है वह बहुत बढ़ा-चढ़ा कर देती है। ये कहते हैं इस से तरक्की होगी, मैं नहीं कहता कि तरक्की नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि सैंटर से पैसे मिलने चाहिएं और ज्यादा से ज्यादा मिलने चाहिएं। लेकिन इन का खर्च करने का ढंग गलत है। ये कहते हैं कि co-operative पर खर्च करो, क्यों कहते हैं कि co-operative पर खर्च करो, इसलिये कि उस में खाने को मिलता है। मुझे तजरुबा है जो कुछ शुगर

5 p.m.

[चौधरी धर्म सिंह राठी]

मिल्लों में हो रहा है जहां पर co-operatives होंगी वहां पर लड़ाइयां होंगी और corruption होगी । इस से स्टेट तबाह हो जाएगी । इन की सारी plan ही uncertain है । सारी की सारी plan ही foreign loan पर base करती है । foreign loan न मिले यह प्लान चल ही नहीं सकती । कुछ जब तक लोन United Nations का है अगर वह हम न लें तो सारा काम ही चौपट हो जाएगा । (*interruptions*) मैं यह कहना चाहता हूं कि ये हवाई किले बना रहे हैं कि यह हो जाएगा । वह हो जाएगा इन को यह पता नहीं है कि हम तो कर्ज़ के नीचे पिसे जा रहे हैं, हम तो मर चुके हैं, दबे जा रहे हैं । यह कहते हैं कि हम ने तरक्की की है । कहते हैं कि हम ने agriculture पर बहुत ध्यान दिया है । ये बिलकुल ध्यान नहीं देते । जब तक agriculture की तरक्की नहीं होगी तब तक तरक्की नहीं हो सकती. यह देश ऊपर नहीं उठ सकता । जब तक खेती करने वालों की तरक्की नहीं होगी तब तक देश की तरक्की नहीं हो सकती । मेरे फाज़िल दोस्त सरदार दरबारा सिंह जी ने कहा था कि हम खेती करने वालों को ज्यादा एड दे रहे हैं । मैं कहता हूं कि चाहे कोई मुज़ारा है, चाहे कोई गैर-मुज़ारा है या कोई मालिक ज़मीन है सब मुसीबत में हैं । अगर यही पालिसी हमारी सरकार की रही और यह प्लान इसी तरह से चलता रहा तो खेती करने वाले मर जायेंगे । हरियाणे के लिये कुछ भी नहीं रखा गया, सड़कों की बाबत देखो, agriculture की बाबत देखो, कालेज देख लो और स्कूल देख लो कुछ भी देख लो । सिर्फ नाम ही लिख दिया है । चीफ मिनिस्टर साहिब ने कहा था कि रोहतक में मैडिकल कालेज बनेगा लेकिन आज तक कुछ भी नहीं बना । मैं कहना चाहता हूं कि हरियाणा का ध्यान रखा जाए, उस इलाका की भी तरक्की की जाए ताकि सारे सूबे की तरक्की हो । जहां तक प्लान का ताल्लुक है रुपया इस तरह से खर्च होना चाहिए कि wastage न हो और ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए । अगर इसी तरह से काम चलता रहा जिस तरह से आज चल रहा है तो सूबे में economic crisis आ जाएगा inflation आएगी, लोग तबाह हो जाएंगे । मैं कहना चाहता हूं कि सैंटर से रुपया तो लो लेकिन उसे अच्छी तरह से खर्च करो ।

चौधरी देवी लाल (सिरसा जनरल) : स्पीकर साहिब, मैं इस Third Five Year Plan पर सरकार को मुबारकबाद देता हूं कि आज पहली दफा यह प्लान हमारे सामने आया है । इसे देख कर हमें पता लगता है कि किस तरह से प्लानिंग की जा रही है । अच्छी प्लानिंग वह होती है जो सारे सूबे के हालात को देख कर की जाए । जब मैं इस प्लान को देखता हूं तो मालूम होता है कि इस ढंग से प्लानिंग नहीं की गई । हाउस में जितनी भी तकरीरें हुई हैं उन में से relevant कुछ कम हुई हैं । मेरी स्पीच भी शायद relevant न हो । क्योंकि जो भी खड़ा हुआ है किसी ने कांगड़े तक अपने आप को महदूद रखा, कोई हमीरपुर तक पहुंचा तो कोई होशियारपुर तक पहुंचा । इस वास्ते मैं भी समझता हूं कि मुझे भी हरियाणे के सम्बन्ध में इस प्लान की बाबत अपने ख्यालात रखने चाहियें । इस प्लान में दो अरब 87 करोड़ रुपया की provision

की गई है। यहां पर यह कहा गया कि रिजिन का सवाल न उठाया जाए लेकिन जब मैं दूसरे speakers की तरफ देखता हूं तो किसी ने हमीरपुर से आगे बात नहीं की और किसी ने कांगड़े से आगे बात नहीं की। इस के बावजूद मैं चौटाले की बात नहीं करूंगा।

(At this stage, Mr. Deputy Speaker occupied the Chair.)

लेकिन जहां तक planning का ताल्लुक है; इस किताब के अन्दर या मिनिस्टर साहब की speech में figures का region-wise या district-wise कोई break-up नहीं दिया गया और जो भी figures हमारे सामने हैं उन को देखते हुए, मैं समझता हूं कि इस planning में हरियाणा के साथ काफी हद तक इम्त्याज़ी सलूक किया गया है। इस सिलसिले में, जनाब, मैं कुछ figures जैसे मैंने इक्ट्ठी की हैं, आप के सामने पेश करता हूं।

जहां तक agriculture का सवाल हरियाणा एक ज़रायती इलाका है। भाखड़ा की नहर उस इलाके से गुजरती है। इस के अलावा सरहंद feeder जो कि राजस्थान को जाता है, इसी इलाके से गुजरता है। लेकिन इस इलाके में agricultural produce को बढ़ाने के लिये और agriculture के tempo को increase करने के लिये क्या कुछ किया गया है वह भी मैं आप के सामने रखना चाहता हूं। पहिले भी agricultural university और agricultural colleges की बाबत काफी कुछ कहा गया है। लेकिन वक्त ज्यादा न होने की वजह से मैं ज़्यादा details में न जाकर bare facts आप के सामने रखना चाहता हूं। Agriculture के सिलसिले में, जैसा कि plan के provision से मालूम होता है, 153.67 लाख रुपया सिर्फ पंजाबी रिजन में ही खर्च किया जाएगा जिस का break up इस तरह है :—

		Rs in lacs
(1)	Improvement of Government Agriculture College Ludhiana ...	54.66
(2)	Establishment of Agriculture University at Ludhiana ...	88.34
(3)	Establishment of Junior staff Training School at Agricultural College Ludhiana ...	5.43
(4)	Establishment of soil conservation wing at Agriculture College Ludhiana. ...	1.46
(5)	Grant-in-aid to Khalsa College Amritsar for the facilities of Agricultural Education ..	3.78
	Total	153.67

[चौधरी देवी लाल]

और उधर हिन्दी रिजन पर इस मद में क्या खर्च किया जाएगा वह भी ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। 35 लाख रुपया हरियाणा में एक नया Agricultural College की establishment के लिये provide किया गया है—गो अब तक इस बात का कोई फैसला नहीं हो पाया कि वह कालेज कौन से ज़िले में कहां पर और किस साल में खोला जाएगा। इस के अलावा एक और छोटी सी रक्म जाट कालेज रोहतक के लिये grant-in-aid देने के लिये रखी गई है जो कि सिर्फ 2.99 लाख है। इस तरह कुल मिला कर हरियाणा में agriculture पर सिर्फ 37.99 लाख रुपया इस तीसरी Five-Year Plan में खर्च होगा जब कि पंजाबी रिजन में इसी item के तहत एक बहुत भारी रक्म यानी 153.67 लाख रुपया खर्च होने जा रहा है। अगर मोटे लफ्ज़ों में ब्यान करूं तो हरियाणा के मुकाबले में पंजाबी रिजन में पांच गुणा ज्यादा रक्म इसी एक मद पर खर्च होगी। इस से आप को, डिप्टी स्पीकर साहिब, पता चल सकता है कि allocations करते वक्त हरियाणा के साथ किस तरह का सलूक किया गया है।

अब मैं Minor Irrigation Projects की बाबत अर्ज़ करता हूं। इस point पर बोलते हुए चौधरी लहरी सिंह जी ने बताया कि 10 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। लेकिन आप यह सुन कर हैरान होंगे कि इस दस करोड़ में से हरियाणा पर सिर्फ साढ़े 36 लाख रुपया ही खर्च किया जाना मकसूद है। इस की अलग २ figures भी मैं बताता हूं। 11.50 लाख रुपया तो गुड़गांव बांध के लिये खर्च होगा और 25 लाख रुपया महेंद्रगढ़, गुड़गांव, कांगड़ा और अम्बाला के जिलों में बांध बनाने के लिये खर्च किया जाएगा। यानी 10 करोड़ में से सिर्फ़ 36.50 लाख रुपया ही हिन्दी रिजन पर खर्च होगा और बाकी की सारी रक्म पंजाबी रिजन में खर्च की जाएगी। आप अन्दाज़ा लगाएं कि इस से बढ़ कर इम्त्याज़ी सलूक और क्या हो सकता है ?

इस के साथ ही आप Flood Protection Measures पर भी नज़र डालें तो मालूम होगा कि 2nd Five-Year Plan के दौरान भी जहां पंजाबी रिजन पर 385.83 लाख रुपया खर्च किया गया वहां हरियाणा के इलाके में सिर्फ 45.94 लाख रुपया ही खर्च हुआ। इस का मतलब यह है कि आठ हिस्से तो पंजाबी रिजन पर खर्च हुए और सिर्फ नवाँ (9th) हिस्सा हिन्दी रिजन पर खर्च हुआ। यही नहीं। जहां तक water-logging का ताल्लुक है उस की हालत भी बहुत बुरी है। 20 और 21 अगस्त को बड़े जोरों की बारिश हुई। उसके नतीजा के तौर पर unprecedented floods हिन्दी रिजन में आए। सब से ज्यादा floods का ज़ोर इस दफा हिन्दी रिजन में रहा; जिस का चर्चा अखबारों में भी चला और यहां इस House के अन्दर भी मेम्बर साहिबान ने अपनी speeches में बताया कि floods की वजह से किस कदर नुक्सान हिन्दी रिजन में हुआ है। इस सारी situation पर सोच विचार करने के लिये 5 और 19 सितम्बर को Flood Control Board की meetings हुईं जिस में 22 drains under discussion आईं। इसमें मेरे कहने पर एक

23वीं item रखी गई । आप सुन कर हैरान होंगे, डिप्टी स्पीकर साहब, कि जहां इस में 335 लाख रुपए का खर्च मंजूर किया गया वहां हरियाणा के लिये सिर्फ एक ही drain approve हुई जिस पर सिर्फ 18 लाख रुपया खर्च होना है। बावजूद इस बात के सारे हिन्दुस्तान में इस बात की धूम मची कि रोहतक, झज्जर, गोहाना, हांसी, और करनाल वगैरह के हरियाणा के इलाकों में बेमिसाल floods आए; flood protection measures के लिए रुपया provide करने के वक्त इस इलाके के साथ ऐसा सुतेली मां का सा सलूक किया जा रहा है। गो रोहतक शहर में से पानी निकालने की कोशिश की जा रही है और उम्मीद है कि एक दो रोज़ में पानी वहां से निकल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं जिस बात पर जोर देना चाहता हूं वह यह है कि ऐसी हालत में भी इस इलाके के साथ इस कदर इम्त्याज़ी सलूक किया जा रहा है।

अगर मैं electricity की figures आप के सामने रखूं तो वहां भी हमें यही हालत देखने को मिलती है। आप को मालूम है कि भाखड़ा पर जो खर्च किया जा रहा है उसका ज्यादातर फायदा पंजाबी रिजन को ही हो रहा है और होने जा रहा है। लेकिन जो betterment levy है वह हिसार और करनाल के जिलों से वसूल की जाएगी। इस के साथ ही मैंने देखा है कि तीसरी Five-Year Plan में जितने गांव electrify होंगे उन की तादाद 3,425 है। लेकिन इस का भी region-wise break-up हमें नहीं बताया गया। जाहिर है कि पंजाबी रिजन को ही इस का ज्यादा हिस्सा मिलेगा क्योंकि पिछला तजरुबा हमारे सामने है। दूसरी पांच साला पलान के दौरान 2,200 villages को बिजली मिली जिनमें 1,200 गांव अकेले जालन्धर डिवीज़न के ही थे। बाकी 1,000 गांव पंजाब के दूसरी दो divisions के थे जिन में से हिसार में 66 गांव रोहतक में—क्योंकि वहां के दो मेम्बर Irrigation and Power के मनिस्टर रह चुके हैं, 85 के करीब गांव electrify हुए। यही हालत बाकी करनाल वगैरह के जिलों की है।

इस के आगे Milk Supply Schemes को मैं लेता हूं। तीसरी पांच-साला पलान के अन्दर दो नई Milk Supply Schemes पर रुपया खर्च किया जा रहा है। एक तो चंडीगढ़ के लिए 13.75 लाख रुपये की scheme है और दूसरे अमृतसर में Composite Milk Plant के लिए 51.89 लाख रुपए का provision किया गया है। तो कुल मिला कर या 65.64 लाख रुपया बनता है। लेकिन डिप्टी स्पीकर साहिब, इस plan के अन्दर हरियाणा के लिए इस item में एक पैसा भी खर्च नहीं किया जाएगा हालांकि हिसार का जो cattle farm है वह सारे एशिया में नम्बर 1 माना गया है। इस से भी जाहिर होता है कि हरियाणा के claim को किस हद तक ignore किया गया है।

इस के अलावा आप fisheries की item को देखें। कहा जाता है कि हरियाणा vegetarian है। लेकिन, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आप तो जानते ही हैं कि तहसील सिरसा में जो Ottu Lake है वहां से मछलियों के दो

[चौधरी देवी लाल]

चार ट्रक रोजाना देहली को जाते हैं। वह इलाका चाहे vegetarian है मगर वहां से मछली की भारी तादाद में बरामद होती है। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आती कि इस Ottu Lake में fish की development के लिए क्यों कोई provision नहीं किया गया जब Bhakra Reservoir के लिये 25 लाख और चंडीगढ़ की झील में fish की development के लिये 3.40 लाख का प्रबन्ध किया गया है। क्योंकि वक्त बहुत थोड़ा दिया गया है इस लिये ज़्यादा points शायद discuss न करूं लेकिन मैं कुछ मिसालें लेकर ही आप के सामने हरियाणे के साथ की जा रही discrimination की तस्वीर रख रहा हूं।

अब health के सिलसिले में भी कुछ figures पेश करता हूं। Health पर तीसरी plan के दौरान सारे, पंजाबी रिजन में 471.54 लाख रुपये का खर्च होगा। इसमें मैंने figures का break up करके देखा है कि हिंदी रिजन में इस मकसद के लिये सिर्फ 108 लाख रुपए की allocation है। जितनी भी hospitals को improve करने की schemes हैं वह पंजाबी रिजन में ही चालू की जाएंगी। मिसाल के तौर पर Improvement of T. B. Hospitals at Tanda and Amritsar के लिए 6.13 लाख रुपया रखा गया है। पटियाला और अमृतसर के Mental Hospitals पर इस दौरान 7.58 लाख रुपए का खर्च किया जाएगा। (*Interruptions*) 222.81 लाख रुपया अमृतसर और पटियाला के Medical Colleges की development के लिए रखा गया है। इसी तरह अमृतसर के नजदीक वेरका में और पटियाला में भासों के मुकाम पर Rural Health Training Centres की expansion के लिए 4 लाख का provision किया गया है। इस पहलू से भी अगर आप देखें तो यही पता चलता है कि हरियाणा के इलाकों को बिल्कुल और जानबूझ कर नज़र अन्दाज़ किया गया है। इस सब के मुकाबला में हमारे लिए रोहतक में एक Medical College खोलने का विचार गवर्नमेंट कर रही है और वह भी तीसरी पांच-साला पलान के आखीर में ही कहीं होगा।

इस दफा घग्गर में floods की वजह से करनाल, हिसार, अम्बाला और राजस्थान के साथ लगते इलाकों को काफी नुक्सान हुआ। जब कि पिछले साल Ottu से 4,900 cusecs का discharge हुआ इस साल 10,000 cusecs था। नया पानी वहां नहीं पहुंचा। अगर पहुंच जाता तो और ज्यादा discharge होता। इसी लिए यह फैसला किया गया था कि जहां भाखड़ा का डैम बनेगा वहां 920 लाख की लागत पर घग्गर पर भी एक बांध बांधा जाएगा। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस तीसरी पांच-साला योजना में घग्गर के इस बांध के लिये सिर्फ 50 लाख का ही provision किया गया है जिस में से 20 लाख 1964-65 में और 30 लाख रुपया 1965-66 में यानी पलान के आखिरी सालों में खर्च होगा। इस का मतलब यह हुआ कि अगर इसी रफतार से काम चला तो यह बांध 1969-70 तक भी मुकम्मल नहीं हो सकेगा (घंटी) डिप्टी स्पीकर साहब, इस थोड़े से वक्त में मैं ने कुछ

figures आप के सामने रखे हैं। मैं ज्यादा वक्त तो नहीं लेना चाहता लेकिन जनाब आप खुद उस इलाके से सम्बन्ध रखते हैं। आप को पता है कि हरियाणा के साथ क्या सलूक हो रहा है। ये figures देने का मेरा यह मकसद था कि मैं आप को बता सकूं कि जब तक planning सही मायनों में न हो तब तक वह कामयाब नहीं हो सकती और लोगों को भी उससे satisfaction नहीं हो सकती। आप जानते हैं कि पंजाब में पंजाबी सूबे की मांग चल रही है। यह demand क्यों की गई? जाहिर है कि उन के दिमाग में ख्याल होगा कि अगर पंजाब उन का अलग सूबा बन जाए तो शायद उन्हें ज्यादा खुशहाली मिलेगी और इक्तसाही तौर पर ज्यादा अच्छे होंगे— advanced होंगे। यही बात हरियाणा वालों के दिमाग में है। जब उनके साथ इस तरह का इम्त्याज़ी सलूक किया जाता है तो कुदरती तौर पर उन के ख्याल में ऐसी बातें आती हैं। अगर इन चीजों की realities को न देखा गया तो ऐन मुमकिन है कि पंजाबी सूबे के मास्टर तारा सिंह की तरह हमारे यहां भी कोई मास्टर शेरा सिंह खड़ा हो जाए। (*laughter*) इस लिये, डिप्टी स्पीकर साहिब, आप की मार्फत मैं गवर्नमेंट का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि जो existing disparities हैं उन को जल्दी ही दूर करने के लिये कोशिश की जाए, इस discontentment को बढ़ने से रोका जाए। मैं समझता हूं कि पंजाब इस वक्त खास हालात में से गुज़र रहा है। International situation इस वक्त बहुत खराब है। सारे देश का मुफाद इसी बात में है कि पंजाब में कोई हलचल न हो, पंजाब मजबूत हो और खुशहाल हो लेकिन जिस ढंग से सारी बात यहां बजट में पेश की गई है उस से यह ज़ाहिर है कि हमारी तरफ तवज्जुह नहीं दी जाती। मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाता, मगर यह natural है कि जो जहां का होगा वहां का खास ख्याल रखेगा। पिछले दिनों हमारी Executive की meeting थी। वहां एक resolution तैयार हो रहा था तो आप हैरान होंगे कि रेल की demand . . . . . .

Chaudhri Dharam Singh Rathi: How is it relevant ?

चौधरी देवी लाल : मैं बता रहा हूं कि जो जहां होगा वहीं से अपने इलाके का ख्याल रखेगा। तो उस में railway line add की गई। तो मैं चूंकि पास बैठा हुआ था मैंने कहा कि जितना भाखड़े का इलाका है वहां सिर्फ metre gauge railway है, बठिण्डा से बीकानेर metre gauge system से connected है। तो मैं ने suggestion दी, जो उस में add कर ली गई कि बठिण्डा से सिरसा और फतेहाबाद के लिये broad gauge railway की मांग की जाए। यह मैं मिसाल दे रहा था कि जो जहां का होगा वहीं का ख्याल रखेगा। (घंटी) जब planning होती है तो Heads of the Departments बैठ कर सोचते हैं कि क्या चीज इस में आए। मगर इन्हीं services में हरियाणे के लोग बराए नाम हैं। 102 I.A.S. वालों में से इस इलाके के सिर्फ 13 हैं। मैं सारी figures दे कर आप का ज्यादा वक्त नहीं लेना

[चौधरी देवी लाल]

चाहता सिर्फ मिसाल ही देता हूं । Public Accounts Committee की meeting थी । मेरे साथ टंडन साहिब वगैरह बैठे थे । वहां एक पार्टी हुई तो मैं ने कहा कि हमारे लोगों में reaction न हो तो और क्या हो । वह कहने लगे क्यों ? मैं ने कहा देख लो इन अफसरों में एक भी हरियाणे का है ? जब introduction हुई तो उन 50,55 अफसरों में से एक भी हरियाणे का न निकला । इसी तरह से भाखड़ा Control Board में है । वहां हमारा representative तो है मगर Engineer कोई भी हमारे इलाके का नहीं । Planning तभी ठीक हो सकती है अगर planning करने वाले उसी इलाके के हों । (घंटी) तो इन suggestions को ध्यान में रखते हुए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो 287 करोड़ रुपया है यह कम न होने पाए, ज्यादा अगर हो जाए तो अच्छी बात है । जैसे राठी साहिब ने कहा, यह जो aid है यह बहुत कुछ international हालात पर depend करती है । हो सकता है कि aid ज्यादा मिल जाए और यह भी हो सकता है कि कम मिले । (*interruption*) बहरहाल हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो कुछ मिले और जो उस से स्कीमें बनें उन की implementation ठीक हो, और इस काम के लिये machinery ठीक हो । (घंटी) यही चंद तजवीजें थीं जो मैंने सरकार के सामने रखनी थीं ।

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ (ਬਰਨਾਲਾ) : ਜਨਾਬ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਕਟਾਉਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰੁਪਿਆ ਹੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਖਰਚ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । 287 ਕਰੋੜ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਈਆਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ Agricultural Produce ਲਈ ਸਿਰਫ 11 ਕਰੋੜ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਮਖਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 21 ਕਰੋੜ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਵਾਵੇਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਰੁਪਿਆ 55 ਕਰੋੜ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲਈ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ

ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਛਲੀਆਂ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ 11 ਕਰੋੜ 26 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਹੈ । ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਵੇਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਏਥੇ ਪਹਿਲੇ ਲੇਕਚਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਭਾਖੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕਢੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਮਗਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦਸਿਆ ਹੈ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਤਨੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 9 ਜਾਂ 10 ਫੀ ਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ irrigation ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਲੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿਉਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਵਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਮਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਰਖੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਮਦ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ । ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰੀਕਲੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰੀਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਦੂਸਰੇ soil conservation ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ । ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਗਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦਾਦਰੀ ਔਰ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਫ ਵਧਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸੇਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ । ਸੇਮ ਤਾਂ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਕੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰੋਡੀਊਸ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੇਗੀ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਮ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਜਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਫੁਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ problems ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹਨ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਰਾਜਿਸਥਾਨ, ਭੁਪਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ problems ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਫੁਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਥੇ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੀਸਰਚ ਕਰਕੇ ਏਥੋਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕੀਏ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜਾਂ ਦਾ character ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ research ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ develop ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।

[ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ]

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਨੇ ਦੀ recovery ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ research ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ research ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਕਢਣ ਨਾਲ recovery ਚੰਗੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ recovery ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਦੇ ਮੁਤਲੱਕ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਦੇ ਕੇ ਵਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਅਰਾਜ਼ੀ ਜ਼ੇਰੇ ਕਾਸ਼ਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਿਉ। ਅਸੀਂ ਐਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਵਧ ਦਿਉ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਅੱਲਕ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹਰ ਥਾਂ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਜਫਾਕਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਇਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਫਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਧ ਹੀ ਦਿਉ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੁਪਿਆ ਵਧ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਐਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਲ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਗ ਪਏ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨ ਕਰੋ ਬਲਕਿ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਾ ਰੁਪਿਆ ਮੰਗੋ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ agriculture ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ, agriculture ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਉ। ਫੇਰ ਭਾਖੜੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਤਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਦੇਈਏ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਬਲਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਹੀ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਪਲਾਨ ਵਿਚ crop protection ਦਾ provision ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਲਾਂ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਬੜ ਦੇ ਪਹੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੱਡੇ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੇ ਪਹੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੋ ਕੋਟੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਲੈਕ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੋਟਾ ਇਧਰ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ bogus ਫਰਮਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬੀਜ਼ ਦੇ

ਮੁਤੱਲਕ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕਣਕ ਬੀਜ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ supply ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕੰਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਿਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਕੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ 13, 14 ਰੁਪਏ ਮਣ ਕਣਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 18 ਰੁਪਏ ਮਣ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕੰਮੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ relief ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਹੋ ਰੇਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਜ ਦੇਣ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਜਾਕੇ ਵੇਖ ਲਉ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤਕ ਇਕ ਰੁਪਏ ਮਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਰ 2 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ leadership ਕਾਇਮ ਕਰੋ। ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਸੀਮਿੰਟ, fertilizers, ਬੀਜ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮੀਲ ਦੇ area ਲਈ ਇਕ ਡਿਪੋ ਖੋਲੋ ਤਾਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੈਂ animal husbandry ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਆਦਮੀ ਤਗੜਾ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਬੈਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋ ਦੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਨ। ਮੁੱਰਾ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਤੁਹਫਾ ਹਨ, ਪਰ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਸ਼ੂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਬੰਬਈ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਬਿਕ ਰਹੇ ਹਨ...

ਇਕ ਆਵਾਜ਼ : ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ : ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਥੇ ਵਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ, ਜਨਾਬ, ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ cattle wealth ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ price fixation ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾ ਦੱਸ ਦਿਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੁਟੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ state trading ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ co-operative movement ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਵੀ ceiling ਲਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇ ਉਹ industries ਤੇ ਲਗਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ centre ਨੂੰ 40 ਪਰਸੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹਨ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਲਉ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਉ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ।

श्री शेर सिंह (झज्जर, जेनरल) : अध्यक्ष महोदय, कल से तीसरी पंचवर्षीय योजना पर बहस चल रही है और काफी विचार बहुत से सदस्यों ने इस के बारे में दिए हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे हरियाणा के सदस्यों ने सरकार का ध्यान इस बात की तरफ दिलाया कि पिछली plans में किस ढंग से उन के साथ भेदभाव का सलूक होता रहा है। पिछली दोनों plans में यह भेदभाव बना रहा और तीसरी plan में भी उसी चीज़ की continuation नज़र आती है। पिछली जो दो योजनाएं बनीं उन में अगर खर्च का हिसाब लगाया जाय तो आप को पता चलेगा कि आधे से कम रुपया खर्च हुआ है और तीसरी plan में वह स्कीमें फिर लाई जा रही हैं और ऐसा नज़र आ रहा है कि ये स्कीमें तीसरी plan में भी पूरी नहीं होंगी और इन्हें चौथी में धकेल दिया जायगा। इस में शक नहीं कि पिछली स्कीमों में तरक्की हुई है लेकिन यह तरक्की balanced तरीके से नहीं हुई। एक इलाका में बहुत ज्यादा हुई और दूसरे में बहुत कम। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर हम ने पंजाब की तरक्की करनी है तो दोनों इलाकों की बराबर तरक्की होनी चाहिए ताकि जो पछड़े हुए इलाके हैं वे एक सतह पर आ जाएं और किसी के साथ अन्याय न हो, वरना अगर पिछले तरीका पर चला गया और भेद भाव का सलूक जारी रहा तो यह नाकाबले बर्दाश्त हो जायगा। यहां पर कुछ बातों का ज़िक्र हुआ और बहुत सारी figures आईं जिन को मैं दुहराना नहीं चाहता। Irrigation के बारे में भी थोड़ा संकेत किया गया। मैं भी इस सिलसिले में कुछ अर्ज़ करना चाहता हूं। Western Jamuna Canal पर दूसरी पंचवर्षीय योजना के आधीन 7 करोड़ रुपया खर्च होना था लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुश्किल से 4 करोड़ रुपया खर्च किया गया होगा और रीवाड़ी जैसी स्कीम जो Second Plan में खत्म हो जानी थी थर्ड प्लैन में फिर लाई जा रही है और ऐसा लगता है कि यह शायद थर्ड प्लैन में भी मुकम्मल न हो। इस के अलावा Tunnel Scheme Second Five-Year Plan के शुरू में तैयार हुई लेकिन आज तक वह कागज पर ही पड़ी हुई है, जमीन पर एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। इस सिलसिले में रोज़ नई नई स्कीमें तैयार होती हैं कभी ओखला का पानी देना चाहते हैं तो कभी लिफ्ट के ज़रिया पानी देना चाहते हैं। इधर Western Jamuna पर बांध बनाने की स्कीम ही बन रही है और उधर सतलुज डैम और बयास डैम के लिये 70-75 करोड़ रुपए की provision भी कर दी गई है। हालांकि वैस्टर्न जमुना पर बांध बनने से बिजली पैदा होगी पानी भी मिलेगा लेकिन इस की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। इसी तरह से जो floods के बारे में नीति है वह आप के सामने है और आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि पिछली प्लैन में चार करोड़ रुपया में से 30-35 लाख रुपया हिन्दी रिजिन पर खर्च हुआ है जिस का नतीजा यह हुआ है कि टांगरी और सिरसा ब्रांच का जो पानी था वह इन्दरी से ले कर रोहतक तक तबाही कर रहा है। इस इलाका के देहात के अन्दर जहां पानी नसीब नहीं होता था आज समुद्र की सी दशा बनी हुई है। आप हैरान होंगे कि गांव का कोई आदमी हिफाज़त से बाहर चल फिर नहीं सकता क्योंकि बाहर झील बनी हुई है और पता नहीं चलता कि कहां पानी है और कहां खाई है। इस प्रकार कई

आदमी पानी में डूब चुके हैं। अभी तीन चार दिन की बात है कि 22 वर्ष का एक नौजवान पानी में डूब गया। बाढ़ का पानी निकालने के बारे में कोई स्कीम नहीं बनाई गई। एक स्कीम जमुना में पानी डालने की बनी थी लेकिन वह अभी कागज़ पर ही पड़ी हुई है। इस वर्ष एक घोषणा की गई थी कि दस लाख रुपया खर्च करना चाहते हैं लेकिन बाढ़ का पानी उसी तरह से खड़ा है और अगर हालात इसी तरह से रहे तो पिछला पानी अभी सूखेगा ही नहीं अगले साल फिर पानी पड़ जायगा। अगर सोन नदी को जमुना के साथ connect कर दें और जमुना को मारकंडा और टांगरी के साथ connect कर दें तो काफी हद तक बाड की समस्या हल हो सकती है लेकिन इन की इस किस्म की स्कीम बनाने की नीयत ही नहीं है। अगर नीयत होती तो सारा काम हो सकता था। अगर गुरदासपुर और अमृतसर पर इतना रुपया खर्च हो सकता है और वहां पर war basis पर 50-60 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं तो क्या वजह है कि हरियाणा के लिये 10 लाख रुपया की स्कीम काग़ज़ पर ही नज़र आती है। मुझे विश्वास है कि अगले साल फिर यह काग़ज़ पर ही नज़र आएगी और कोई रुपया खर्च नहीं होगा। मैं समझता हूं कि यह हरियाणा के साथ घोर अन्याय हो रहा है।

इस के अतिरिक्त मैं शिक्षा के विषय में कुछेक बातें कहना चाहता हूं। हमारे यहां कुछ यूनिवर्सिटीज़ बनाने का विचार चल रहा है। जब पंजाबी यूनिवर्सिटी का एलान हुआ तो जिस रूप से एलान किया गया था उस पर मैं ने एतराज़ किया था। इस का मतलब यह नहीं कि यूनिवर्सिटियों की पंजाब में ज़रूरत नहीं। मैं चाहता हूं कि Universities बनें लेकिन Secular ढंग से बनें न कि फिर्कादाराना ढंग से जिस से कि एक फिर्के को पनपने के साधन जुटाए जाएं। आज पंजाब के अन्दर पांच सौ के करीब Colleges हैं और जो University Grants Commission का फार्मूला है उस के तहत 150 कालजों के पीछे एक यूनिवर्सिटी बनाने की ज़रूरत है। इस के अनुसार आज ठीक ढंग की शिक्षा देनी है तो पंजाब में तीन यूनिवर्सिटियों की आवश्यकता है। आज पंजाब यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी बन गई है कि वह सारा काम नहीं सम्भाल सकती। इस लिये मैं समझता हूं कि जिस प्रकार पंजाबी के माध्यम में शिक्षा के लिए पंजाबी यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है उसी प्रकार हिन्दी के माध्यम में शिक्षा देने के लिये हिन्दी यूनिवर्सिटी भी बननी चाहिए। कई भाई कहते हैं कि हिन्दी के लिये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी काम दे सकती है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का सम्बन्ध मुख्यत: संस्कृत भाषा से है। जो लोग संस्कृत भाषा का सम्बन्ध साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से केवल हिन्दी भाषा के साथ समझते हैं वे इस बात को भूल जाते हैं कि भारत की समस्त भाषाएं अपने 70 फी सदी शब्द संस्कृत से लेती हैं और कोई भी भाषा संस्कृत के खज़ाना से शब्द लिए बिना प्रगति नहीं कर सकती, बढ़ नहीं सकती। मैं तो यह कहता हूं कि पंजाबी भाषा का संस्कृत के साथ हिन्दी की निस्बत अधिक सम्बन्ध है और अगर आप दोनों के व्याकरण देखें तो आप को पता चलेगा कि हिन्दी का व्याकरण संस्कृत से दूर होगा लेकिन पंजाबी का नज़दीक होगा। जितनी बोलियां आम तौर पर लोग बोलते हैं या जन साधारण बोलता है वे संस्कृत के नज़दीक होती हैं, इस लिये संस्कृत यूनिवर्सिटी बनने की आवश्यकता थी और वह

[श्री शेर सिंह]

बनी लेकिन जिस रूप में बननी चाहिए थी उस में न बन कर उसे मामूली सा रूप दे दिया गया। लेकिन अब जब कि पंजाबी यूनिवर्सिटी के लिये दो लाख रुपया मंजूर हुआ तो education cess लगाने का ख्याल पैदा हुआ। इस प्रकार की भेदभाव की नीति यहां पर चलती है। जब पंजाबी यूनिवर्सिटी का सवाल आया तो education cess का विचार दिमाग में आया लेकिन जब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए provision करना था तो इस का ख्याल तक न आया। जब हम हिन्दी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो कहा जाता है कि regionalism preach कर रहे हैं और इस का जवाब इस ढंग से दे दिया जाता है। लेकिन मैं जनता की भावनाओं का सही प्रतिनिधित्व करता हूं जब मैं यह कहता हूं कि पंजाबी यूनिवर्सिटी बनाएं लेकिन हिन्दी रिजिन के लिये हिन्दी माध्यम में शिक्षा देने के लिये हिन्दी यूनिवर्सिटी बनाने की भी सख्त आवश्यकता है, इस के बगैर काम नहीं चलेगा। इसी पंच वर्षीय योजना में हिन्दी और पंजाबी भाषाओं की प्रगति और प्रवर्तन पर 20-25 लाख रुपया खर्च होना है। पंजाबी की उन्नति के लिये भी बीस-पच्चीस लाख रुपया खर्च होना है, बल्कि ज्यादा ही होगा। हिन्दी के लिये भी कुछ खर्च करना है। लेकिन अवस्था यह है कि पंजाबी रिजिन के आदमी मिल गए हैं कि पंजाबी की तरक्की करनी है उस के लिये कुछ काम करेंगे। लेकिन हिंदी के सम्बन्ध में बात यह है कि उस के लिये डायरेक्टर भी ऐसा चुना जा रहा है जो कि हिन्दी जानने वाला आदमी नहीं है। यह सरकार के दिमाग की बात है। वहां हिंदी का लोक-साहित्य है, ऐसा साहित्य है जो कि बिलकुल छिपा हुआ है। उस इलाके के लोक साहित्य की उन्नति के लिये एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया। यू. पी. ने हिन्दी की तरक्की के लिये करोड़ों रुपये खर्च किये हैं। राजस्थान में राजस्थानी पर करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं लेकिन पंजाब में हिन्दी के लिये एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। जब खर्च करने की बात चली है तो ऐसा आदमी ढूंढेंगे, छांटेंगे जिस को हिन्दी का कोई ज्ञान ही न हो, जो अच्छी तरह से भाषा को जानता न हो जिस को language की technicality का कुछ इल्म न हो। मैं challenge के साथ कहता हूं कि आप को पंजाब में ऐसे आदमी मिल जायेंगे हिन्दी रिजिन के जिन्होंने हिंदी भाषा की doctorate की हुई है लेकिन यह सारी चीज़ होते हुए भी हिन्दी डिपार्टमैंट का हैड हिन्दी रिजिन का आदमी नहीं बनाया जा रहा। सरकार नज़र अन्दाज़ कर रही है। इस सारी प्लान की implementation होनी है लेकिन जिन लोगों के हाथ में इस की implementation है अगर वे लोग सारा रुपया खर्च नहीं करेंगे तो आप उन का क्या कर लेंगे। वहां पर ऐसा आदमी लगना चाहिये जो कि ठीक ढंग से खर्च करे, जिस को उस इलाके के साथ प्यार हो, हरियाणे के अंदर खर्च क्यों नहीं होता। जो रुपया प्लान में प्रोवाइड किया जाता है वह सारा आखिर में लैप्स हो जाता है और अगले साल के अंदर ले जाया जाता है। वह इस लिए होता है कि लोगों के दिल में हमदर्दी नहीं है कि वहां पर पैसा खर्च करें। जब तक पैसा खर्च करने वालों के दिल में हमदर्दी नहीं होगी उस वक्त

तक रुपया खर्च नहीं किया जाएगा। वह तभी होगा जब कि पंजाब के अंदर Services में काफी तादाद में हरियाणे के आदमी मौजूद होंग। मैं आप से अपने अनुभव की बात कहता हूं। बाढ़ के सम्बन्ध में झज्जर और रोहतक की तहसीलों के लिये एक लाख रुपया पहले मिला और बाद में चार लाख रुपया मिला ग्रान्ट्स देने के लिये। जिन लोगों को उस इलाके से हमदर्दी थी उन्होंने पचास पचास हज़ार रुपया की ग्रांट दे दी। जिन लोगों को हमदर्दी नहीं थी उन्होंने पांच रुपये की ग्रांट नहीं दी। वे कहते रहे कि यह तो खैरात है अगर तुम लेना चाहते हो तो हम पांच रुपये देंगे आ कर ले लो। जिन लोगों को उस इलाके के साथ हमदर्दी थी उन्होंने पच्चास हज़ार रुपया तकसीम कर दिया। अब आप अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि जिन अफसरान को हमदर्दी होती है, दिलचस्पी होती है और जो भला चाहते हैं वे तो अपने हाथ से कितना कितना रुपया उस इलाके क लिये दे सकते हैं लेकिन जिन को कुछ लगाव नहीं होता अपने हाथ से वे रुपया नहीं छोड़ सकते। इस अन्याय को दूर करने का एक ही तरीका है और वह यह है कि हमारे रिजिन के आदमियों को हर स्थान पर बराबर का हक मिले। बड़ी बड़ी Services में जहां पर हमारे आदमी merits पर भी आ जाते हैं उन को भी ignore किया जाता है। मुझे एक वाक्या याद आ गया है। Land Reclamation के महकमे में एक आदमी जो कि कम qualifications का था वह पन्द्रह साल तक डायरेक्टर रहा। विभाजन से पहले भी और बाद में भी वह इस महकमे का डायरेक्टर रहा। लेकिन 1950 में उस पोस्ट को ही abolish कर दिया गया क्योंकि next man हरियाणा का था। वह पहले आदमी से ज्यादा qualifications का था लेकिन उस को डिप्टी डायरेक्टर बना कर रख दिया। इन को हरियाणा के आदमी पसंद नहीं हैं, उन को अफसर बनाने के लिये तैयार नहीं होते। अब वही बात हिन्दी Language के मामले में होगी जिस को language की जान पहचान नहीं है उस को उठा कर डायरेक्टर बनाना चाहते हैं ताकि हिन्दी पनप न सके और रुपया सारा लैप्स हो जाए। यदि हम ने इस प्लान को कामयाब बनाना है तो दो चीजें करनी चाहिये। एक तो यह कि जो पिछड़ा हुआ इलाका है उस को पूरा अधिकार मिलना चाहियें। जिन लोगों ने इस प्लान की implementation करनी है execution करनी है वे ऐसे हों जिन को उस इलाके से हमदर्दी हो। जब इंडस्ट्रीज़ की बात चली तो यह निर्णय हुआ कि झज्जर और सिरसा तहसील के इलाके पिछड़े हुए हैं इन के लिये कुछ किया जाना चाहिये। लेकिन जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं उन्होंने सोचा कि झज्जर का इलाका फायदा उठा जाएगा और सिरसा का इलाका फायदा उठा जाएगा, यह ठीक नहीं है। वे कहने लगे कि पंजाब में और भी तो बहुत से इलाके पिछड़े हुए हैं। उन्होंने यह कह दिया कि सतलुज का बेट का इलाका बैकवर्ड है। ज़िला अमृतसर की एक तहसील में पानी आ गया वह भी बैकवर्ड करार दे दी गई, इसी तरह से गुरदासपुर की एक तहसील में पानी आ गया और उस को भी बैकवर्ड करार दे दिया गया। उन्होंने यह कर दिया कि जो रुपया हमारे झज्जर और सिरसा की तहसीलों को मिलना था वह सारे पंजाब में बांटा जाए। उस में तमाम बटाले के आस पास का इलाका भी आ जाता है। यह सारी बात

[श्री शेर सिंह]

अफसरान के हाथ की है। अगर हम कहते हैं कि और कुछ नहीं करते तो लोहा और सीमेंट का कोटा तो हमारे लोगों को दे दो ता कि वे रोटी कमा कर खा सकें लेकिन ये कहते हैं कि हम ने 1959 से नए कोटे ही बंद कर दिये हैं किसी नए आदमी के कोटे नहीं दिये जायेंगे पुरानों को मिलेंगे। मतलब यह है कि जो लोग जालन्धर, अमृतसर और लुधयाना के पहले कोटे लेकर irregularities कर रहे हैं वे करते रहें। जो बोगस फर्में कोटा ले रही हैं वे चाहे लेती रहें। (*interruptions*) हाउस में जो उन्होंने बताया है कि 66 बोगस कम्पनियां कोटा ले रही हैं वे चाहे लेती रहें। पंजाबी रिजिन के अंदर यह सारी चीज़ चलती रहेगी लेकिन हरियाणे के अंदर कोई आदमी कोटा लेकर रोटी कमा कर न खा सके वहां के लोग बेचारे सिर्फ मुढे और जेवरी ही बनाते रहें। यह उन की मर्जी है कि वहां पर ऐसी ही हालत चलती रहे वहां पर कोई दूसरी इंडस्टरी कायम न हो जाए। वहां पर बहुत अन्याय हो रहा है। मैं आप के द्वारा यह कहना चाहता हूं कि हरियाणा प्रान्त के साथ न्याय होना चाहिये, इंडस्टरीज़ के मामले में भी, एग्रिकल्चर के मामले में भी, कालिजों और स्कूलों के बारे में भी। जहां पर प्रोफैसर रखे जाते हैं हमारे इलाके के आदमियों का हक उन को ज़रूर मिलना चाहिये। प्लान की execution के लिये ऐसे लोग वहां पर लगाए जाने चाहिएं जिन के मन में उन से हमदर्दी हो ताकि उस इलाके का विकास हो सके। सैंटर से ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलने चाहिये ताकि सारे पंजाब का विकास हो और कोई इलाका पिछड़ा न रहे। सारे प्रान्त को लेकर हम आगे चलें। फिर तो बात बन सकती है। वरना जैसा कि चौधरी देवी लाल जी ने कहा है कि अगर हरियाणे के साथ इसी तरह से बदसलूकी होती रही तो यह नारा लगेगा कि हम को भी अलग कर दो। अकाली पंजाबी सूबा चाहते हैं, पता नहीं वे दिल से अलग होना चाहते भी हैं कि नहीं। शायद वह अपनी मांग मनवाने के लिये ही ऐसा कर रहे हैं लेकिन हम तो चाहते हैं कि हमारा पीछा छोड़ो हमें अलग ही कर दो ताकि हम तरक्की कर सकें। अकाली तो वैसे ही सब कुछ हासिल कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारी तरक्की हो जैसे कि हमारा पड़ोसी कर रहा है। हम भी देखते हैं तो हमारा दिल भी तरक्की करने के लिये चाहता है। हमारा भी हक है हमें कुछ मिलना चाहिये।

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ (ਰਾਏ ਕੋਟ, 'ਰੀਜ਼ਰਵਡ') : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ Central Government ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ Centre ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਗੇ ਇਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਏਥੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਜੀ ਨੰਦਾ ਤੇ ਪੰਡਤ ਮੋਹਣ ਲਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਇਕ ਮਝ ਸਾਂਝੀ ਰਖ ਲਈਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਠੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਦੁਧ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੇ ਦੂਜੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੁਪਿਆ ਤਾਂ

ਅਸਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ Centre ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਲਈ ਜਿਤਨਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ cut ਲਗਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਥੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਪਿਠ ਤੇ ਹਨ। ਤਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਕੜੀ ਹੋ ਕੇ Central Government ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਰੁਪਏ ਦਿਓ ਤਾਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੁਚਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕੀਏ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਏ ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਥ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਉਤਨੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ centre ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ,

6-00 p.m.

ਇਕ ਚੀਜ਼ ਅਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ 30 ਅਰਬ ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜੋ ਭਾਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਈਏ। ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਪਲਾਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਨ ਸੱਜਣ ਹੋਣ ਇਸ ਗੱਲ ਵਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਇਤਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਕਮ ਰਖੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਭਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਤਰਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ

[ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ]

ਅਨਾਜ ਬਹੁਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ theory advance ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਗੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ theory ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪਾਸ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜੇ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ satuiation point ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਦ ਤਕ ਇਹ point ਨਾ ਆਵੇ ਇਸ theory ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਾਰਖਾਨੇ ਇੰਨੇ ਵਧ ਗਏ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇੰਨੀ ਵਧ ਗਈ, ਬਿਜਲੀ ਇੰਨੀ ਵਧ ਗਈ ਕਿ ਉਥੇ satuation point ਆ ਗਿਆ ਅਥਾਹ ਹੱਦ ਤਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਉਪਜ ਵਧ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਇਆ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਦਸ ਸਾਲ ਤਕ ਜਾਂ ਵੀਹ ਸਾਲ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ catch up ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਇਹ point ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਯਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵਲ ਜਾਂ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਰਕਬੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘਟ ਰਕਮ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਵੇ ਉਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਕੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੀ ਵੇਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੱਖ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਿਆ allocate ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਆਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ development ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹੀ ਵਜਾ ਹੈ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਉਨਾਂ ਪਾਸ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜਾਂ ਦਸ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਕਪੜਾ ਆਦਿ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਚੋਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੇਬਰ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਫਾਲਤੂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਲ ਲਗਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਵਾਧੂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਲ ਲਗਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਲਈ 30 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਲਈ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ Community Development Programme ਵਿਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੁਪਿਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਮਦ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ । ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ agriculture ਵਿਚ ਇਕ Pilot Project ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਖ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੁਗਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੁਗਨੀ ਕਰ ਸਕਣ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਕਿ ਇਸ ਪੱਖ ਵਿਚ ਉਹ ਹੋਰ ਰਕਮ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਾਂ Pilot Projects ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । (ਪ੍ਰਸੰਸਾ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੀਜਣ ਅਤੇ ਵਢਣਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੱਖ ਵਿਚ Community Development ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਕਮ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ।

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਕਾਵੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੁਆਪ੍ਰੇਟਿਵਜ਼ ਵਿਚ ਰੁਪਿਆ ਲਾਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ socialism ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਾਈਨਾਂ ਉਪਰ build ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਰਕਮ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਜਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਪਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ

[ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ]

ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ economy ਵਿਚ ਇਕ anarchy ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ socialism ਨਹੀਂ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ communalism ਜਾਂ communism ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। (ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ)

ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਹਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਣ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਬਿਲ Compulsory Service Bill ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ manpower ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ criticism ਦਾ scope ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜੋੜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਮਹਾਨ ਦੇਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਕ democratic system ਵਿਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ Scheduled Castes ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 50 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬੋਰਡ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਕੱਲੇ ਦੁੱਕਲੇ ਨੂੰ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 50 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜੋ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ waste ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਲਗਾ, ਜਿਸ ਲਾਭ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ best intentions ਦੇ ਇਹ ਰਕਮ beneficiaries ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣ ਲਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 2,500 ਉਹ ਕਰਜ਼ ਲਏ ਅਤੇ 4,500 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਏ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇਕ ਟਬਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਲਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਪਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ beneficiaries ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਘਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜ ਏਕੜ ਨਾਲ ਉਹ low level ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ limit ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਇਕ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾ Plan ਵਿਚ ਇਕ Technical Institute ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲ ਤੇ ਲਾਇਕ ਮੁੰਡੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ

ਤਾਲੀਮ ਲੈ ਕੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਬਣ ਸਕਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ 5-5 ਏਕੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 1st Five-Year Plan ਵਿਚ Family Planning ਵਾਸਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ Five-Year Plan ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ plan ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ provide ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਘਟ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ research ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਗਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ National Income ਵਿਚ ਕੋਈ 5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ 3% ਇਸ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ 2% ਦੀ ਬਚਤ ਹੈ ਇਹ mishaps ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕਿ floods ਵਗੈਰਾ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਯਾ ਕਿਸੇ agitation ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਤ ਹੈ ਉਹ unforeseen ਖਰਚਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਉਤਨਾ ਹੀ ਖਰਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ planning ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਬੜੀ ਹੀ ਘਟ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਰਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

श्री उपाध्यक्ष (शिक्षा तथा श्रम मन्त्री से) : क्या आप debate को wind up करने के लिए खड़े हुए हैं ? (Has the hon. Minister taken the floor to give a reply to the debate ?)

शिक्षा तथा श्रम मंत्री : जो बातें education बारे कही गई हैं मैं उन के बारे कुछ अर्ज़ करना चाहता हूं।

(*At this stage, some hon. Members requested the Chair to extend the time of the sitting.*)

श्री उपाध्यक्ष : देखिए, कल आप ने ही फैसला किया था कि House को एक घंटा extend किया जाए। (*interruptions*) आप साहिबान अब 5, 5 मिनट ही बोलें ताकि ज्यादा से ज्यादा मैम्बर साहिबान बोल सकें। (The hon. Members may please listen. Yesterday they themselves had decided that the sitting be extended by one hour (*interruptions*) They may speak for five minutes each so that maximum number of Members may be accommodated.)

शिक्षा मंत्री (श्री अमरनाथ विद्यालंकार) : House के जो hon. मैम्बर साहिबान अपने ख्यालात ज़ाहर करना चाहें करें। हम उन के ख्यालात सुनना चाहते हैं। मैं ज़्यादा time नहीं लूंगा मगर जो बातें Education बारे कही गई हैं उन के मुताल्लिक चन्द मिनटों में कुछ अर्ज़ करूंगा। मैं समझता हूं कि यह फायदामन्द बात होगी अगर House के सामने सरकार का point of view भी आ जाए।

जैसे पंडित मोहन लाल जी ने भी ज़िक्र किया था, पंजाब को education से ताल्लुक रखने वाली दो चीज़ों की ज़रूरत है : एक तो यह कि जहां general education बढ़े तो साथ technical education की भी तरक्की हो। दूसरे चूंकि पंजाब के लोग हट्टे कट्टे हैं इस लिये खेलों के मैदान में भी यह आगे बढ़ें और पंजाब के नाम को हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया में रौशन करें। तो यह जो दो बड़े important features हैं, इन के मुताल्लिक कुछ दोस्तों ने कम तवज्जुह दी है। इस बारे में अर्ज़ करता हूं कि हमारी जो पहली और दूसरी Plans थीं उन में general education पर 84 प्रति शत और technical eduction पर 16 प्रति शत खर्च किया गया। अब जो नई plan बनाई उस में technical education के खर्च का proportion बढ़ा दिया गया। General education पर 77 प्रति शत और technical education पर 23 per cent खर्च रक्खा गया है। अगर इन स्कीमों के साथ Central Schemes का खर्च भी मिला लिया जाए तो जहां Second Five-Year Plan में general education पर 77 प्रति शत खर्च किया गया वहां नई Plan में इस को कम कर के 63 प्रतिशत कर दिया गया है और technical education पर खर्च में corresponding increase हुई है। इस से ज़ाहिर होगा कि सरकार technical education को ज़्यादा importance देती है और आयंदा इस पर और भी ज़्यादा ज़ोर दिया जायगा और इस को general education के साथ मिला दिया जायगा। जैसे मोहन लाल जी ने कहा हम ने पंजाब की ज़रूरतें Centre के सामने रखी हैं और कहा है कि यह जो रुपया हमें दिया गया है कम है। हम ने House से छिपाया कुछ नहीं और उन को कहा कि जो आप ने हम पर ceiling खर्च की मुकर्रर की है यह ठीक नहीं। और हम उम्मीद करते हैं कि यह raise हो जायगी।

दूसरी बात है पंजाबियों की जिसमानी तरक्की की। हम कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर physical education को ऊंचा स्थान मिले। हम तगड़े लड़कों को बैठा २ के कमज़ोर नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान खेलों में नाम पैदा कर के मुल्क का नाम रौशन करें। हम ने general education के साथ physical education compulsory कर दी है। उस के साथ साथ National Sports College और Sports Schools कायम किये हैं। यह एक तजरुबा है जिस के ज़रिये हम अपने अच्छे खिलाड़ियों को चुन कर coaching देंगे, games में तैयार करेंगे। इस के बाद हम ने यह भी फैसला किया कि अपने स्कूलों और कालिजों में

games को फरोग दिया जाए ताकि पंजाबियों को physical deterioration से बचा सकें। (तालियां) हमने जितना रुपया प्लैन में रखा, उस में से हमारी गवर्नमैंट ने फैसला किया कि एक करोड़ रुपया हम sports के लिए मांगें। मैं समझता हूं कि यह फीचर ऐसा है जो कि और जगह नहीं होगा। मैं यह बात आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि हमें पता चले कि हमारी सरकार ऐजुकेशन का trend किधर ले जाना चाहती है। अभी नुकताचीनी करते वक्त श्री रला राम जी ने यह कहा था कि 12 करोड़ का जो ऐजुकेशन के लिए प्रावीज़न था उसमें से सिर्फ 8 करोड़ ही खर्च हुआ। मैं उन को बतलाना चाहता हूं कि हमारी टोटल प्लैन में जब कट लगा तो उसका असर यहां भी हुआ। लेकिन देखना तो यह है कि उसके बाद भी हमारी जो performance है वह 75 पर सैंट है। और अगर कोई कमी भी आई तो इस लिये कि हमने लोकल बाडीज़ के स्कूलों को provincialize किया। ऐसा करते वक्त Sediority के झगड़ों को निपटाने में वक्त लगा और जो techers को तनखाह उस में भी हमारा रुपया सर्फ हुआ। और अगर आप देखें कि भले ही हमारी performance कम रही हो लेकिन हमने प्लैन से बाहर भी ऐजूकेशन की स्कीम रखी उसमें हमने 5 करोड़ रुपया खर्च किया। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर Second Five-Year Plan बनाने वाले उस रुपए को भी शामिल कर लेते तो हमें पता चलता कि हमारी performance किसी भी तरह से बुरी नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि गवर्नमैंट दुहरी तालीम चला रही यह ठीक नहीं है। मैं उनसे अर्ज करना चाहता हूं कि जब भी आप नई स्कीम जारी करेंगे तो यह practicable नहीं होगा कि 1,200 या 1,300 हाईस्कूलों में हाइर सैकंड्री तालीम आप एक साथ लागू कर दें और एक ही दिन में हो जाए। यह नामुमकिन बात है। उनके लिए रुपया चाहिए स्टाफ चाहिए। यह तो ऐसी तालीम है कि एक एक स्कूल में साइंस क्लासिज़ के लिए 25 हज़ार रुपया देना पड़ता है। इस पर भी अगर आप हमारी स्टेट का दूसरी स्टेटों से मुकाबिला करें तो पता चलेगा कि हमारे यहां ज्यादा स्कूल हाइर सैकंड्री स्कूल हैं। यह ठीक बात है कि अगले पंच-साला प्लैन में हम 250 से ज़्यादा स्कूल हाइर सैकंड्री में convert नहीं कर सकेंगे। और अगर यह कहा जाए कि इस से तो अच्छा है कि कोई भी स्कूल convert न किया जाए तो इस का मतलब यह होगा कि हम तालीम में दूसरे सूबों से पीछे रह जायेंगे।

प्रोफैसर शेर सिंह ने कहा कि यहां पर ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ बनने की गुंजायश है। मैं भी चाहता हूं कि ऐसा हो, बड़ी अच्छी बात है लेकिन सिर्फ शेख चिल्ली की तरह तो महल खड़े नहीं किए जा सकते। हमें पता है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को खड़ा करने में हमें कितनी कोशिशें करनी पड़ीं। हमने उस वक्त 25 लाख रुपया इकटठा किया और अभी 10 लाख रुपया और दिया और आइंदा भी हम देने वाले हैं। करीब 1 करोड़ रुपया खर्च होने का अन्दाज़ा है। और तभी ग्रांट कमीशन को यह कहा जा सकता है कि अब यूनिवर्सिटी अच्छी हो गई है इस की मदद करो। ऐसा वहां के वाइस चांसलर ने

[शिक्षा मंत्री]

कहा है। आप जो यू० पी० की बात करते हैं उसके लिए मैं बतला दूं कि वहां पर बरसों से यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं। प्रोफैसर शेर सिंह ने कहा कि सरकार ने उन के यहां cess लगा दिया। मैं उन को बतलाना चाहता हूं कि हमने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को मद्देनज़र रख के cess लगाया है। आप ऐसी बातें करते हैं लेकिन आप भूल जाते हैं कि एक ऐग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हम लुधियाने में जारी कर रहे हैं। इन सब के लिए रुपया चाहिए। साथ ही हम कोई लंगड़ाती हुई यूनिवर्सिटीज़ नहीं खोलना चाहते।

उन्होंने एक बात और कही कि पंजाबी एरिया को बहुत कुछ दिया जा रहा है और हिन्दी एरिया को कम दिया जा रहा है। लेंकिन मैं उन्हें बता दूं कि सर्वे कराने के बाद हमारी पालिसी यह है कि backward areas को ज़्यादा रुपया दिया जाए और इन एरियाज़ में स्कूलों की upgrading भी ज़्यादा की जाए। हमारे यहां पंजाबी या हिन्दी एरियाज़ का सवाल नहीं है।

इसी तरह हिन्दी विभाग के सम्बन्ध में उन्होंने यहां तकरीर की कि एक आदमी appoint कर दिया। लेकिन मैं हकीकत बतलाना चाहता हूं कि यह क्यों ऐसी बात यहां करते हैं। अभी जब लाबीज़ में वह मेरे साथ बात कर रहे हैं थे तो कहने लगे कि फलां आदमी को हिन्दी विभाग में appoint कर दो मैं ने कहा कि यह Public Service Commission के पास केस जाए गा तब हम कुछ करेंगे। बस फिर क्या था यहां आकर उन्होंने हाउस में एक तकरीर कर दी। तो नाराज़ हो कर इस तरह से नुक्ताचीनी करने का तरीका गलत है। (घंटी) मैं जनाब, आप की घंटी की खिलाफ वर्ज़ी नहीं करना चाहता लेकिन मैं यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम Education का ज़्यादा से ज़्यादा काम Backward Areas में करना चाहते हैं। लेकिन मुसीबत यह है कि Backward Areas में teachers नहीं मिलते और शहरों के बढ़े हुए teachers बैकवर्ड जगह में जाना नहीं चाहते.........

हमने यह फैसला किया है कि जितने नए ट्रेनिंग के स्कूल खोले जाएं वे देहात के अन्दर खोले जाएं ताकि देहात के लोग ट्रेनिंग के लिए आ सकें। दूसरे ट्रेनिंग स्कूलों में भी 50 फी सदी trainees देहात से लेने पड़ेंगे। देहात की तरफ हमारी तवज्जुह है। इस लिये यह कहना कि देहात का ख्याल नहीं करते, ग़लत हैं। मैं हाउस को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम देहात और backward areas का खास तौर पर खयाल रखते हैं ताकि उन्हें advanced areas के मुकाबले में लाया जा सके और पंजाब तरक्की कर सके। धन्यवाद।

श्री साधु राम (नारायणगढ़ 'जनरल') : डिप्टी स्पीकर साहब, शिक्षा मन्त्री ने बोलते हुए बार बार इस बात पर ज़ोर दिया है कि backward areas को इस प्लैन में ज़्यादा हिस्सा मिला है। मैं ने इस प्लैन को ग़ौर से पढ़ा है लेकिन मुझे कहीं भी ऐसी बात नज़र नहीं आई कि allocation backward areas और non-backward areas में की हो। दो किस्म का expenditure प्लैन में है एक breakable और दूसरा non-breakable लेकिन backward और non-backward में कहीं भी तकसीम नहीं की। डिप्टी स्पीकर साहब, जो

allocation इस प्लैन में हुई है वह *per capita* income के basis पर हुई है। इस के मानी ये हैं कि जहां जहां आबादी होगी उस के basis पर उतनी ही ज़्यादा वहां पर allocation कर दी गई है। हां *ad hoc* basis पर hilly areas को ज़्यादा दिया है और उन areas में शिमला, कांगड़ा और एक पठानकोट को दिया है बाकी areas को hilly areas भी नहीं माना। सरकार ने एक notification के ज़रिये declare किया था कि जो areas economically backward हैं उन के लिये funds की allocation ज़्यादा हो लेकिन इस प्लैन को देखते हुए मुझे कहीं भी यह चीज़ नज़र नहीं आती कि उन backward areas को जिन्हें notification के ज़रिए backward areas declare किया गया है उन को ज़्यादा दिया हो। डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं आप की मार्फत अपने इलाका की तरफ गवर्नमैंट का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब जब नारायणगढ़, मोरनी और कंडी के इलाका के अन्दर तशरीफ ले गए तो उन्होंने एलान किया : Morni area will be treated at par with Kangra and Mahendragarh Districts.

लेकिन आज इस प्लैन के अन्दर कोई ऐसी चीज़ दिखाई नहीं देती जिस से पता चले कि इस इलाका को backward areas में समझा गया हो। Second Plan में इस इलाके के लिये जो allocation हुई थी सब lapse हो गई। 1956 में Irrigation Department की तरफ से एक note circulate हुआ था जिस का मज़मून था Irrigation facilities in Naraingarh. उस के अन्दर काफी स्कीमें थीं लेकिन......

अभी तो मैं ने शुरु ही किया है। मैं ने सारी चीज़ें छोड़ दी हैं सिर्फ ज़रूरी ज़रूरी चीज़ें अर्ज़ कर रहा हूं।

Mr. Deputy Speaker: Please wind up.

श्री साधु राम : जनाब, सिर्फ पांच मिनट और दे दें।

मैं अर्ज़ कर रहा था कि जो commitments लोगों के साथ की हुई थीं उन को भी इस प्लैन में include नहीं किया गया। मोरनी के इलाका में lime stone और सीमेंट का पत्थर बहुतात से निकलता है जो कि सरकार सूरजपुर फैक्ट्री के लिए सप्लाई कर रही है, बगड़ घास जगाधरी को दे दिया है लेकिन इलाका के लोगों के लिये यह भी नहीं किया गया कि उन के लिये employment की facilities ही हो। इन सब चीज़ों में मुझे साफ दिखाई देता है कि आठ दस साल से कहने के बावजूद भी और सरकार की notification होने के बावजूद भी न हम hilly areas में आते हैं न हिन्दी रिजिन में, और पंजाबी रिजिन से वैसे इधर है इस लिये बराए मेहरबानी बताएं कि हमारे लिए कोई जगह है या नहीं। (घंटी)

हिन्दी रिजनल कमेटी ने एक resolution पास किया था कि funds की allocation के वक्त population का भी ख्याल रखा जाय।

[श्री साधू राम]

लेकिन प्लैन के अन्दर इस चीज़ को ignore कर दिया गया है । सारा का सारा सिलसिला *per capita* income या *ad hoc* basis पर कर दिया गया है । इस लिये मैं चीफ़ मिनिस्टर साहिब से कहता हूं कि उन्होंने public की expectations को बहुत ज्यादा rouse किया है, लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं इस लिये मेहरबानी कर के वे अपने Secretaries से कहें ताकि फिर से सोचने का ढंग उन में भी आ जाए और उन्हें बार बार याद दहानी न करानी पड़े ।

ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ (ਊਨਾਂ) : ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਜੋ ਤੀਸਰਾ ਪੰਜ—ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਮਾਇਨੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਰਾਏ ਦਾ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਤਹਿੱਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਏ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਜੋ ਰਾਏ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਰਾਏਗਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ।

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਪਲੈਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਪਲੈਨ ਦਾ ਖਾਕਾ ਸ਼ਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਪਹਿਲੀ ਪਲੈਨ ਆਈ ਅਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਪਲੈਨ ਆਈ । ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੈ। ਏਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ inspiration ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ । ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਪਲੈਨ ਦਾ ਖਾਕਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਿਆ । ਖੈਰ, ਮੇਰੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਜ਼ੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ suggestions ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਤੀਸਰੀ ਪਲੈਨ ਲਈ । ਉਹ ਇਹ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ production ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਸੈਕਟਰ ਹਨ, ਦੋ ਸੋਮੇ ਹਨ, ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਜ਼ਰਾਏ ਹਨ । ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸਨਅਤ ਦਾ ਹੈ । ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ । ਇਹ ਕਿਉਂ ? ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਲ਼ ਵਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਸ ਵੇਲੇ 2 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 90 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੇਮ-ਜ਼ਦਾ ਹੈ ਯਾ ਕੱਲਰ ਵਾਲੀ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਸਾਲਾਨਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਫਲੱਡਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੇਮ ਨਾਲ । ਇਉਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਤਬਾਹੀ ਵਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ calamity ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤਨੱਜ਼ਲ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਭੈੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਹਾਲਤ ਏਸੇ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ

ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਦਾਣੇ ਭੇਜਣੇ ਹਨ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸੇਮ ਅਤੇ ਫਲੱਡ ਦੀ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਖੌਫਨਾਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਡੀਨੇਂਸ ਅਤੇ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ ? 'ਵੁਹੀ ਢਾਕ ਕੇ ਤੀਨ ਪਾਤ'। ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ। ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਥੋਂ ਲਗਣਾ ਹੈ ? ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਲੈਨ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਐਨੇ ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ੀਮਨ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੰਨ 1950 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 30 standard ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਮਾਲਕ 138,000 ਸਨ, ਅੱਜ 28,000 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਲੈਨ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੈਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਉਹ 10,000 ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ floor ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। (ਘੰਟੀ) ਮੈਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ small-scale ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਕੁਛ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Second Five-Year Plan ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ 4 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰੁਪਿਆ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਮਕਸਦ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਬੇਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ heavy ਇੰਡਸਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ private sector ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤਿੰਨ ਸਨਅਤਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੰਬਰ ਇਕ ਟੂਲ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ heavy ਇੰਡਸਟਰੀ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਇਹ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ power ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਖੜੇ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਤੇ power ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ

[ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ]

power ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਨਅਤ ਲਈ water electricity ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨਾ ਜਲਦੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਨਅਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ।

ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰਾਏ ਸੋਚੇ ਹਨ ਕਿ Third Five-Year Plan ਲਈ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆ ਕਿਥੋਂ ਆਏਗਾ। ਉਹ foreign ਤੋਂ ਲੈਣ ਯਾ ਹੋਰ ਜ਼ਰਾਏ ਤੋਂ । ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਯਾ Planning Commission ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 16½ ਅਰਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹ 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਗੇ । ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ fight ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਣਗੇ । (ਘੰਟੀ) ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਦ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, standard of living, ਉਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਏਗਾ । (ਘੰਟੀ) ਮੈਂ ਇਕ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੇਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਤਲਾਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਥੋਂ ਕਿ ਰੁਪਿਆ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਘਾਟਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੈਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੈਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਂ । ਫੇਰ ਇਹ ਪਲੈਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ? ਐਸੇ resources ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਥੋਂ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ suggestion ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆ ਜਾਏ । (ਘੰਟੀ)

श्री उपाध्यक्ष : आप बाकी suggestions लिख कर दे दें। (The hon. Member may give the remaining suggestions in writing .)

पंडित राम किशन भड़ोलियां : जनाब मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूं :

1. वुज़रा और आला सरकारी अफसरों की तनखाहों और भत्तों में कमी की जाए ।
2. अमीरों की आमदनी, दौलत और जायदाद पर मज़ीद टैक्स लगाए जाएं ।
3. नान-प्लान अखराजात कम किए जाएं । और गैर-उपजाऊ स्कीमें मुल्तवी की जाएं ।
4. साबक राजगान के वज़ाइफ बंद किए जाएं ।
5. भ्रष्टाचार और फजूल खर्ची का कला कमा किया जाए ।
6. मर्कज़ी सरकार मज़ीद रुपया बज़रिया ग्रान्ट सूबा की तीसरी प्लान के लिये मंजूर करे ।

ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕੌਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ co-operation ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਗਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਗਰ heavy ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ co-operation ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਾਂਗੇ।

श्री निहाल सिंह (महेंद्रगढ़) : डिप्टी स्पीकर साहिब, Third Five-Year Plan पर बहस हो रही है। इस का सब से अच्छा feature सब से अच्छा पहलू यह है कि पंजाब सरकार को इस सभा, इस सदन के हर एक सैकशन से पूरा ताव्वन हासिल है। मैं समझता हूं कि पंजाब गवर्नमैंट को इस से अच्छा कोई certificate नहीं मिल सकता। सैंटर के पास अपना केस plead करने के लिये कि पंजाब के लिये जो allocation की गई है funds की उस में बढ़ावा कर के या उसी तरह से उस को मंजूर किया जाए। ऐसा दूसरी States में नहीं हुआ। उन की जो मांगें थीं वह united और unanimous नहीं थीं। U.P. का मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि वहां से जो मांग तीसरी Five-Year Plan की गई थी उस में सभी मेम्बर united नहीं थे। बहर हाल इस सिलसिले में कुछ points ऐसे हैं जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं। मैं यह बताने जा रहा हूं कि allocations करते वक्त किन २ बातों का खास तौर से ख्याल रखा जाना चाहिए और किन २ canons of reasons को मद्देनज़र रखते हुए Planning Commission को हमारी मांग मौजूदा शक्ल में ही मंजूर कर लेनी चाहिए। मैं सिर्फ outlines ही दूंगा; details में नहीं जाऊंगा।

सब से पहली बात allocations करते वक्त जो Planning Commission को सामने रखनी चाहिए वह यह है कि किसी State की past performance क्या रही है। अगर पंजाब की past performance को देखा जाय तो मालूम होगा कि food production, industries और education वगैरह के जो targets हमने पिछली plans में fix किए थे वह तकरीबन २ पूरे कर चुके हैं। जहां तक food के targets का ताल्लुक है उस में तो हम काफी हद तक आगे बढ़े हैं।

दूसरा point जो देखा जाना चाहिए वह है capability to expend. हमारी जो दूसरी plan की allocations थीं, हम ने 162 करोड़ में से 149 करोड़ के करीब खर्च किया। 13 करोड़ रुपए Central cut था। इसके अलावा और कोई ऐसी allocation नहीं जो हमने इस्तेमाल न की हो।

इस से अगली चीज़ return on investment है। सैंटर ने जो investment पिछली plan में पंजाब में की उस के बाद उन्होंने जो जायज़ा लिया उस को मद्देनजर रखते हुए खुद भारत सरकार ने माना है कि पंजाब में

[श्री निहाल सिंह]

per capita income दूसरे सूबों के मुकाबला में बढ़ी है। Centre ने जो investments पंजाब में कीं, यहां के लोगों ने उसे पूरी तरह से Justify किया है और पंजाब इस बात का हकदार है कि उसे अगली पांच-साला पलान में भी ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पंजाब में जितना रुपया invest किया जाएगा उस की return दूसरे सूबों के मुकाबले में आगे से भी ज्यादा होगी।

चौथी बात national interest की है। पंजाब की तीसरी Plan के अन्दर इस वक्त जो allocations दर्ज हैं उन को अगर गौर से देखा जाए तो पता लगेगा कि इस से न सिर्फ़ पंजाब के लोगों की ही आमदन बढ़ेगी बल्कि इस का हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों के लोगों पर भी अच्छा असर पड़ेगा, उन को भी प्रेरणा मिलेगी और वह भी तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। देहली, राजस्थान, काश्मीर, हिमाचल प्रदेश को यहां से बिजली मिलने से, पानी मिलने से वहां के लोगों की आमदन बढ़ेगी और *per capita* income बढ़ेगी। इस लिए भी मैं कहना चाहता हूं कि तीसरी पांच-साला प्लान में पंजाब के लिए जो allocations हुई हैं, हम उन्हें पूरी तरह से deserve करते हैं।

पांचवीं बात special circumstances की है। वह यह कि पंजाब हिन्दुस्तान के northern border पर वाक्या है। एक तरफ चीन का इलाका है और दूसरी तरफ पाकिस्तान का border इस State से मिलता है। ऐसी हालत में जरूरी है कि इस State के लोगों को हर तरह से मुतमयन रखा जाए। इस के लिए जरूरी है कि यहां की सड़कों और border areas की पूरी तरह से development की जाए ताकि मुल्क को emergency की हालत में यहां किसी अड़चन का सामना न करना पड़े। Waterlogging की problem इस सूबे की सब से बड़ी problem बन गई है। इस का मुकाबला करने के लिये जितना ज्यादा रुपया लगाया जाए थोड़ा है और जितनी जल्दी इस समस्या पर काबू पा लिया जाए उतना अच्छा है क्योंकि यहां जितना ज्यादा अनाज पैदा होगा foreign exchange की हमारी position उतनी ही बेहतर होगी।

इस के अलावा सब से बड़ा और special interest मुल्क का अपना है। वह यह कि अगर पंजाब के लोगों को काम न मिले तो वह चैन से नहीं बैठ सकते। अगर उन को पूरी मदद न दी गई, काम मुहय्या न किया गया, agriculture और industry में जज़ब होने के उन को पूरे मौके न मिले और इस तरह उन को खाली रखा गया तो मेरा ख्याल है कि वह न सिर्फ अपनी State के लिये ही बल्कि सारे मुल्क के लिये परेशानी का कारण बने रहेंगे। इस लिये भी मैं समझता हूं कि भारत सरकार को चाहिए कि पंजाब के लोगों को busy रखने के लिये ज्यादा से ज्यादा allocations करे जिस से न सिर्फ वह अपनी और अपनी State की तरक्की करें बल्कि अपनी मेहनत से मुल्क के दूसरे सूबों के लोगों की भी सहायता करें।

जनाब, industry के बारे में सभी मानते हैं कि पंजाब के लोग बड़े industrious हैं लेकिन पंजाब को heavy industry के लिये तीसरी Five-Year Plan में कोई allocation नहीं की गई । आज industry पर पंजाब की सिर्फ 6% population काम कर रही है। यह बहुत कम percentage है। Industry पर यहां की ज्यादा population लगाई जानी चाहिए और यह तभी मुमकिन हो सकता है जब इस मकसद के लिये adequate provision किया जाए ।

अब मैं कुछ बातें internal allocations की बाबत कहना चाहता हूं। Cement Factory और marble industry के लिए महेन्द्रगढ़ बड़ा scope offer करता है। लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हुई है कि बावजूद इस बात के कि cement industry के लिए वहां काफी material है, यहां से limestone बहुत ज्यादा मिकदार में हिन्दुस्तान के बाकी हिस्सों में जाता है, महेन्द्रगढ़ के लिये कोई Cement Factory इस plan में propose नहीं की गई । यह ऐसी जगह के लिये की गई है जहां कि material भी पूरी तरह available नहीं और जहां पर आमदोरफ्त पर भी ज्यादा खर्च होगा। मुझे इस बात पर एतराज़ नहीं कि कांगड़ा में क्यों Cement Factory की proposal रखी गई है, मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि महेन्द्रगढ़ का case इस सिलसिले में सब से ज्यादा deserving है। दूसरे वहां पर marble industry को impetus देने के लिए काफी scope है । Marble पहले इटली से import होता था। अगर इस industry को ज्यादा develop किया जाए तो लाज़मी तौर पर इस की import बन्द हो सकती है और मुल्क का foreign exchange बचाया जा सकता है। लेकिन महेन्द्र गढ़ की इस industry को develop करने के लिये कुछ नहीं किया गया ।

इसी तरह mining के लिए सिर्फ 30 लाख रुपया रखा गया है। मैं समझता हूं कि इस जिले में जितनी important mines हैं; अगर उन को सड़कों के जरिए मिलाया जाए तो यह 30 लाख रुपया सड़कें बनाने के लिये भी काफी नहीं होगा और फिर explorations के लिए तो यह रुपया बहुत कम है।

इसी तरह से एक principle की बात मैं कहना चाहता हूं। ठीक है कि इस बार hilly areas को plan के अन्दर recognition मिली है । लेकिन मैं समझता हूं कि पंजाब को इस लिहाज़ से तीन हिस्सों में बांटा जाना चाहिए :—

(1) Hilly areas,

(2) Areas which enjoy irrigational, facilities and

(3) Dry areas.

यह जो तीसरा हिस्सा जिस का नाम मैंने 'dry area' रखा है बाकी दोनों किस्म के areas के मुकाबले में undeveloped हैं वहां एक तो irrigational

[श्री निहाल सिंह]
facilities भी दस्तयाब नहीं और बाकी लिहाज़ से भी पिछड़े हुए हैं। इस लिये मैं समझता हूं कि तीसरी plan की allocations करते वक्त सूबे को इन तीन हिस्सों में बांटा जाता। हमारी पड़ोसी State U. P. में allocations करते वक्त सूबे को इन्हीं तीन हिस्सों में divide किया गया। यहां भी ऐसा होना चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहब, यह तो मैं ने कुछ positive approaches आप के सामने रखी हैं। अब एक negative approach भी रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : वह negative approach आप लिख कर भेज देना (He may send in writing the negative approach to the subject.)

श्री निहाल सिंह : जनाब, वह लिख कर भेजने वाली बात नहीं है। मैं एक मिन्ट में बयान करके बैठ जाऊंगा। हमारे यहां 400 आदमी फी sq. mile आबादी है। जब कि हिन्दुस्तान के बाकी हिस्सों में dry areas की आबादी 313 आदमी फी sq. mile है। अगर जितनी स्कीमें मैंने बताई हैं; वह उन areas की तरक्की के लिए न लगाई गई या सरकार उन areas को उन items में accommodate न कर सकी तो family planning के लिए जो 90 लाख रुपए का provision किया गया है कम से कम वही हमारे उन इलाकों पर खर्च कर दिया जाए ताकि वह इस negative approach से ही फायदा उठा सकें। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि चूंकि Planning Commission और हमारी इस Cabinet के Members काफी उम्र के हैं--old men हैं इसलिए वे इस problem की gravity को कम समझते हैं। (*Laughter*) जहां तक hilly areas का ताल्लुक है उन की importance को देखते हुए, मैं समझता हूं कि सरकार उन के लिए एक Master Plan बनाए ताकि बाहर के मुल्कों और हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों के लोगों को उन की तरफ attract किया जा सके। इस से न सिर्फ हमें foreign exchange हासल होगा बल्कि hilly areas की development का एक अच्छा प्रोग्राम बन सकेगा।

श्री ध्याक्ष : अब पांच मिनट श्री राम चन्द्र कामरेड को दिए जाएंगे और उस के बाद मिनिस्टर साहब जवाब देंगे (*Interruptions*)। (The Minister for Industries will give the reply after Shri Ram Chandra Comrade has spoken for five minutes (*Interruptions*)

7-00 p.m.

श्री मंगल सन : उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो बहुत से सदस्यों का बोलने का विचार है और बहुत से उठ भी रहे हैं। (*Interruptions.*)

श्री उपाध्यक्ष : देखिए, जो points debate के अन्दर उठाए गए हैं, उन की clarification भी तो मिनिस्टर साहिब की तरफ से आप के सामने रखी जानी है ताकि आप को सही position का पता लग जाए। (*Interruptions*) (Please

listen to me. After all the points raised during the debate have to be clarified by the Minister so that the hon. Members may know the exact position. (*Interruptions*)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार: तो इतनी जल्दी क्या है ? आप वक्त को और बढ़ा दें ।

श्री उपाध्यक्ष : यह भी तो हाऊस का अपना फैसला था । (That was also the decision of the House itself) (*Interruptions.*)

डाक्टर परमानन्द : जनाब, स्पीकर साहिब आप को बता गये थे कि अगर 12 बजे तक भी बैठना पड़े तो बैठेंगे और सब मैम्बर साहिबान को बोलने का मौका दिया जाएगा । (*Interruptions*)

श्री मंगल सैन : कम से कम एक घंटा टाइम और बढ़ा दें ।

श्री उपाध्यक्ष : कल हाऊस की sense यह थी कि एक घंटा टाईम बढ़ा दिया जाए और वह हमने कर दिया था । (Yesterday, it was the sense of the House that the time of this sitting should be extended by an hour and that was done.) (*Interruptions*)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੀ desire ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦੇ ਹੋਏ Leader of the House ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । (*Interruption*)

उद्योग मन्त्री : जनाब इस वक्त तक 25 मैम्बर साहिबान बोल चुके हैं और debate में जो इन की participation हुई है वह substantial हुई है । (*interruption*) । कल House ने इसी basis पर फैसला किया था कि वक्त को एक घंटा और बढ़ा कर यह बहस खतम कर दी जाए वरना कल की sitting छोड़ने का और क्या मकसद था ? इस के इलावा मैं अर्ज़ करूं कि अब speeches का trend funds की further allocation की तरफ जा रहा है । मैं ने शुरु में ही अर्ज़ की थी कि इस वक्त Plan Projects के लिए जो provision किया गया वह ज्यादा material है, इलाकाई बातों और internal distribution के लिए तो बहुत मौके आयेंगे, annual बजट बनेंगे, annual plans बनेंगी, इस लिए मैं समझता हूं कि अब तक काफी useful discussion हो चुकी है, बाकी बातें आयंदा के लिये छोड़ सकते हैं ।

श्री मंगल सैन : On a point of Order, Sir. वज़ीर साहिब ने कहा है कि annual budget के मौके पर internal allocation की बात होगी । मगर उस वक्त Opposition को तो पूछा ही नहीं जायेगा, जो यह बनाएंगे पास हो जायगा । इस लिए हम कहते हैं कि हमारी बात सुनी जाए । (*interruptions*)

राजा रघुवीर सिंह : On a point of Order, Sir. यह जो document आया है इस में साफ तौर पर लिखा है कि hilly areas के लिए और रुपया मिलना चाहिए ।

Mr. Deputy Speaker: This is no point of order.

राजा रघुवीर सिंह : हमें बोलने के लिए और time दिया जाए। (*interruptions*)

(*At this stage, Mr. Deputy Speaker after taking the sense of the House extended the sitting by one hour.*)

श्री उपाध्यक्ष : अब मैम्बर साहिबान सिर्फ पांच पांच मिनट के लिए बोलें।

श्री रामचन्द्र कामरेड (नूरपुर) : डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं पंजाब सरकार के इस इकदाम को appreciate करता हूं कि इन्होंने तीसरी Plan बना कर House के सामने रखी है। जहां तक इस plan की रकम को बढ़ाने का ताल्लुक है, इस House का एक २ मैम्बर सरकार के पीछे है। यह दूसरी बात है कि इस की detailed distribution ठीक नहीं है, और हम redistribution चाहते हैं। मैं सरकार के इस इकदाम की भी तारीफ करता हूं कि इस ने पहाड़ी इलाके के लोगों की आवाज़ को सुना, चाहे वह political considerations की वजह से हुआ या किसी और वजह से। (*Interruptions*)

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि मैं सरकार की इस कार्रवाई की तारीफ करना चाहता हूं। चाहे यह किसी political consideration से ही फैसला किया हो लेकिन किया तो है। उन्होंने यह फैसला किया कि Hilly areas के लिये अलहदा बजट बनाया जाए और वह पहाड़ी इलाकों पर ही सर्फ हो। लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जहां गवर्नमैंट ने सारे प्रदेश के लिये 287 करोड़ का बजट बनाया है। वहां 19 करोड़ रुपया पहाड़ी इलाके के लिये बहुत कम है। इस लिये गवर्नमैंट को अपनी प्लैन में से और रुपया इस इलाके के लिये रखना चाहिए। और वह कम से कम 40 करोड़ रुपया होना चाहिए तब जाकर कुछ हो सकेगा। साथ ही मैं कहूंगा कि पहाड़ी एरियाज़ की definition भी जल्द मुकम्मल होनी चाहिए। और गुरदासपुर, होशियारपुर व अम्बाला के पहाड़ी व नीम पहाड़ी इलाके इस में शामिल कर देने चाहिएं।

दूसरी बात जो बड़ी अहम है उस की तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। और वह यह है कि सारे प्लैन के अन्दर हैवी इंडस्ट्री जो बुनियादी चीज़ है उस को इन्होंने ignore किया है। इस के लगाने के लिये अगर कोई प्रावीजन हो सकता हो तो ज़रूर होना चाहिए। मैंने जैसा कि अर्ज़ किया 19 करोड़ पहाड़ी इलाके के लिये रखा गया। अगर प्रदेश के बजट से इस की निस्बत देखी जाए तो सिर्फ 7 प्रतिशत के करीब ही बैठती है। इस percentage को ज़रूर बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए।

अब मैं जनाब, इरीगेशन की बात को लेता हूं। यह कहा जाता है कि पहाड़ी इलाके में इरीगेशन कम हो सकती है। और अगर हो भी तो ज्यादा रिटर्न न होगी लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैदानी इलाकों में भी return का हिसाब नहीं होता। अब सेम के मुकाबला में जो खर्च किया जा रहा है उस को किस हिसाब में लिया है। मैं आप को यकीन दिलाना चाहता हूं कि इरीगेशन से मैदान की तरह पहाड़ी इलाका ज़रूर आगे जा सकता है। आप करिए तो। सिर्फ अन्दाज़े से ही बात करके टाल देना अच्छा नहीं है। पहाड़ के लिये

जो 41 लाख रुपया मंजूर किया गया है वह बहुत थोड़ा है। इस से ज्यादा रुपया इरीगेशन के लिये मिलना चाहिए। कांगड़ा ज़िले की पैदावार के बारे में मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि वहां पर बागबानी बहुत अच्छी हो सकती है। अगर कोशिश की जाए और मलकपुर की कुहल को तामीर किया जाए तो अकेले नूरपुर में करीब 7 हज़ार एकड़ ज़मीन बाग़ात के नीचे आ सकती है और इस से न सिर्फ जिस से पैदावार बढ़ेगी बल्कि गवर्नमेंट को टैक्स भी मिल सकेगा।

Animal Husbandry के बारे में बताया गया है कि 3 हस्पताल अपग्रेड होंगे और 3 नए खुलेंगे। मैं कहता हूं कि यह संख्या बहुत कम है वहां पर कम से कम 10 अपग्रेड होने चाहिएं और 10 नए खुलने चाहिएं। तब लोगों को कुछ फ़ायदा महसूस हो सकता है। (घंटी)

मैं तो जनाब, points ही बतला रहा हूं। एक point यह है कि पहाड़ी इलाके में खास तौर से सड़कों की तरफ ध्यान दिया जाए ताकि वहां से माल आने जाने में सुविधा हो। इसी तरह से एक फारैस्ट इंस्टीच्यूट का होना बहुत ज़रूरी है। यह कांगड़ा ज़िले में होना चाहिए। कम्युनिटी डिवलपमेंट के बारे में सरकार ने कह दिया कि 40 हज़ार के करीब ब्लाक खोले जाएंगे। मैं यह कहता हूं इन ब्लाक्स की reorganisation हो जाए तो अच्छा है। इसी तरह से डिप्टी स्पीकर साहब, जो रकम पंचायतों के जरिए सड़कें बनाने के लिए 5 लाख के करीब रखी गई है वह बहुत ही थोड़ी है इसे बढ़ाया जाना चाहिए।

Rest Houses के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि इन पहाड़ी स्थानों में बहुत कम रैस्ट हाउस हैं। इन की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि जब कभी कोई मिनिस्टर या अफसर दौरा करने के लिये पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो उन्हें रैस्ट हाउस में जाने के लिये बहुत सारा वक्त खर्च करना पड़ता है और दौरे का असली मतलब फोत हो जाता है। जो पोंग डैम बन रहा है वहां से 60 या 70 हज़ार के करीब आबादी बदलनी होगी। इस के बारे में मेरी अर्ज़ है कि कोई ऐसी तजवीज की जाए जिस से इन लोगों को उखाड़ने और बसाने का सारा प्रबन्ध सुमति से हो और इन्हें उखाड़ने से पहले मुआविज़ा मिल जाए। (घंटी)

कांगड़े में हस्पतालों की संख्या बहुत कम है। हां अब कुछ थोड़े से आयुर्वेदिक हस्पताल ज़रूर खोले जाने की तजवीज़ है लेकिन मैं इस के साथ ही यह कहना चाहता हूं कि वहां पर ऐलोपैथिक सिविल डिस्पैंसरीज़ भी खोली जाएं तो अच्छा है। एक आयुर्वेदिक मैडीकल कालेज भी कांगड़ा जिला में खोला जाना चाहिए। और दवाओं वगैरह की रिसर्च के लिए एक सैंटर भी इस इलाके में होना लाज़िमी है। रहन वाटर स्कीम के मुतल्लिक मैं मुख्तसिरन यह अर्ज़ करूंगा कि इस से सिर्फ वहां पर 9,000 आदमी ही फायदा उठा सकते हैं जब कि खर्च 11 लाख के करीब आयगा। इस लिए यह जो अगले 5 सालों में पहाड़ के लोगों को पानी मुहय्या करने के लिये पच्चास लाख रुपये रखे गये हैं वह कम हैं यह कम से कम एक करोड़ रुपए की स्कीम होनी चाहिए। और जो कांट्रीब्यूशन मैदानों में 12 फीसदी रखी जाती है वह पहाड़ के लोगों के लिये सिर्फ 5 फीसदी होनी चाहिए।

[श्री राम चन्द्र कामरेड]

पहाड़ में हर स्कीम के लिये लोगों को contribute करना पड़ता है लेकिन लोगों की ग्रामदनी इतनी नहीं बढ़ी कि वे हरेक चीज़ के लिये contribute कर सकें क्योंकि उन पर contributions का बोझ बहुत ज़्यादा पड़ गया है। इसलिये मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि बराए मेहरबानी इस चीज़ का ख्याल रखें कि लोगों की contribution 5 प्रतिशत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।

श्री रोशन लाल (नारायणगढ़, रक्षित) : डिप्टी स्पीकर साहिब, पंजाब सरकार ने थर्ड प्लैन का जो मनसूबा बनाया है उस के लिये 287 करोड़ रुपया तजवीज़ किया है इस में से 19.2 करोड़ रुपया पहाड़ी इलाका की बेहतरी के लिये भी रखा गया है। मैं इस सिलसिले में महज़ चन्द एक बातें ग्राप की मारफत सरकार को ग्रर्ज़ करना चाहता हूं। यह बहुत खुशी की बात है ग्रौर पंजाब सरकार मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उन्होंने काफी ग्रर्से के बाद इस बात की तरफ ध्यान दिया कि पहाड़ी लोग जो पसमान्दा हैं वे भी किसी इमदाद के मुस्तहिक हैं। इस से पहले पहाड़ी इलाके की तरफ कोई तवज्जुह नहीं देता था या तो पंजाबी रिजिन पर खर्च होता था या हिन्दी रिजिन पर लेकिन ग्रब भी यह खदशा ज़रूर है कि ग्राया यह रुपया जो हमारी हिन्दी रिजिन के लिये मखसूस किया गया है सही तौर पर खर्च भी होगा या नहीं। पिछले तजरुबा से साबत होता है कि सैकण्ड प्लैन में कुछ इलाकाजात जैसे शिमला डिस्ट्रिक्ट ग्रौर कण्डाघाट में कुछ रुपया सड़कों पर खर्च होना था लेकिन वह नहीं हुग्रा। कुछ सड़कें ज़ेरे तामीर थीं जो कि ग्रधूरी छोड़ दी गईं, जिस का नतीजा यह हुग्रा कि वे खंडरात में तबदील हो गईं।

दूसरी चीज जो मैं ग्रर्ज़ करना चाहता हूं वह यह है कि ग्रगर रुपए का सही इस्तेमाल करना है तो जो रुपया जिस इलाके के लिये मखसूस किया गया है उसी इलाके की बेहतरी के लिए खर्च किया जाय। इस के लिये ज़रूरी है कि administrative machinery के ज़रिए जो survey हो वह दरुस्त हो ताकि position का सही जायज़ा लिया जा सके। Administrative machinery defective इस लिये है कि दूर दराज़ के लोग development blocks में काम कर रहे हैं नतीजा यह होता है कि remote areas मे facilities नहीं मिलतीं ग्रौर survey का काम ठीक तौर पर नहीं होता ग्रौर रुपया lapse हो जाता है। इस लिये planning या administrative machinery को ठीक करना बहुत ज़रूरी है ताकि यह रुपया lapse न हो। इस सिलसिले में दूसरी तजवीज़ मैं यह करना चाहता हूं कि सरकार इस काम के लिये उन लोगों को service में ले जो सही तौर पर इस इलाका के लोगों की ज़बान ग्रौर बूदोबाश को समझते हों। टैक्नीकल तौर पर पहाड़ी इलाकाजात मुख्तलिफ हैं। एक हिमाचल का इलाका है ग्रौर दूसरा पंजाब का। देखने में यह ग्राया है कि हमारे लिए 19 लाख रुपये की स्कीम है लेकिन हिमाचल के इलाका के लिये 28 लाख की है जब कि हमारी ग्राबादी उन की ग्राबादी से $1\frac{1}{2}$ गुना है। उन की ग्राबादी दस लाख है ग्रौर हमारी 15 लाख है। उस से मालूम होता है कि हमारी गवर्नमेंट ने सही survey नहीं

किया वरना हमारी provision उन से ज्यादा होनी चाहिए थी । हमारे लोग मांग करते हैं कि वे अपने इलाका को तेज़ रफ्तार से आगे ले जाएं और हिमाचल के साथ शाना बशाना तरक्की के मैदान में हम आगे बढ़ें। जहां तक industries के resources का ताल्लुक है मैं समझता हूं कि सरकार ने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि हमारे resources कितने हैं । हमारे पास mineral resources बहुत ज्यादा हैं। इस के लिये geological survey होना चाहिए । Horticulture और Sericulture के सिलसिला में भी intensive survey की ज़रूरत है। हमारे इलाके में China clay मिलती हैं जो कि काम में आ सकती है। इसी तरह से शिमला, मोरनी और नालागढ़ के इलाका में pine leaves मिलते हैं जो कि card board industry के लिये इस्तेमाल हो सकते हैं लेकिन इस तरफ तवज्जुह नहीं दी जाती । Dams बनाने के सिलसिले में भी इस इलाके को ignore किया गया है अगर थर्ड प्लैन में टोची डैम की गुंजायश रखी जाती तो उस से हिमाचल को जो power दे रहे हैं वह भी पूरी हो जाती और इलाका की बिजली की मांग भी पूरी हो जाती ।

श्री मंगल सैन (रोहतक) : डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक थर्ड प्लैन नहीं आई थी तब तक ये आशाऐं बन्धाई जाती थीं कि पंजाब की जितनी समस्याएं हैं Third Five-Year Plan के अंदर वह सारी दूर कर दी जाएंगी । लेकिन मैं ने यह मोटी सी पुस्तक एक सिरे से दूसरे सिरे तक सारी पढ़ी है। मुझे इस में कोई उत्साहवर्धक और हौसला बढ़ाने वाली चीज़ नज़र नहीं आई। जिस डिपार्टमेंट को भी मैं ने touch किया है उसी में मुझे हेराफेरियां नज़र आई हैं। इस सदन में खड़े हो कर जिस मन्त्री महोदय ने इस प्लान को introduce किया उन्होंने कहा कि सब पार्टियों की तरफ से Co-operation मिलनी चाहिये, सब विचारों के लोगों से सहयोग मिलना चाहिये । उसी वज़ीर साहिब ने तकरीर करते समय.......... (*Interruption*)

श्री उपाध्यक्ष : इतना टाइम नहीं है। (The time at the disposal of the hon. Member is very short.)

श्री मंगल सैन : डिप्टी स्पीकर साहिब, अगर आप कहें तो मैं बैठ जाता हूं। मैं तो पहले ही अपनी बात को बहुत cut short कर रहा हूं। एक तरफ तो मिनिस्टर साहिब यह कहते हैं कि उन को Co-operation मिलनी चाहिये दूसरी तरफ से ताना देते हैं। एक मैम्बर साहिब की तरफ से जो कि कांग्रेस के बड़े रुकन होंगे यह बात कही जाती है कि इन को तालीम दी जानी चाहिये, शिक्षा मिलनी चाहिये । मैं इन से पूछना चाहता हूं कि आज तो ये कहते हैं कि हमारी सहायता करो लेकिन initial stage पर जब यह प्लान बनाया जा रहा था उस वक्त हम किसी को क्यों नहीं पूछा गया। अब यह बात कह रहे हैं लेकिन जब प्लान को execute किया जाएगा तो उस वक्त फिर नहीं

[श्री मंगल सैन]

पूछेंगे। जहां प्लान की implementation होती है उस के लिये सब पार्टियों की कमेटियां बननी चाहियें, बोर्ड बनाया जाना चाहिये जिसकी सलाह से सरकार को यह काम करना चाहिये। लेकिन मैं जानता हूं कि प्लान की implementation के वक्त कई इलाकों को नजरअंदाज किया जाएगा। एक माननीय सदस्य जो कि रूलिंग पार्टी के मैम्बर हैं और जो कि चीफ मिनिस्टर के दायां बाजू हैं उन्होंने हरियाणा का सवाल खड़ा कर दिया। डिप्टी स्पीकर साहिब, आप मेरी बात से इत्तफाक करेंगे कि जब पैसे दिये जायेंगे तो उसी इलाके को दिये जायेंगे जिस इलाके से उन्होंने दोबारा चुन कर आना है। मेरा उन पर चार्ज है कि अगर उन की नीयत साफ थी, उस के पीछे कोई ऐसी बात नहीं थी तो सारे रुपये की बराबर बांट की जाती। जो पिछड़े हुए इलाके थे जो पहाड़ी इलाके थे उन का खास ख्याल रखा जाता। इस तरह से अगर रुपये की बांट की जाती तो बात समझ में आ सकती थी। मैं क्या बताऊं, सरकार ने draft plan में लिखा है कि हम ड्रेन्ज़ के लिये, बाढ़ों की रोक थाम के लिये बन्दोबस्त कर रहे हैं। इस के बारे में तफसील के साथ तो मैं सोमवार को बताऊंगा। लेकिन अब यह कहना चाहता हूं कि करनाल ज़िले से एक बरसाती नाला गुज़रता है उस में और बहुत से नाले डाल दिये हैं। नतीजा यह है कि झज्जर और गोहाने में जा कर वह एक झील या समुद्र की शकल अख्तियार कर गया है। उस में पानी इकट्ठा रहता है। इन्हें चाहिये कि उस पानी को गोहाने से divert कर के सोनी पत से ले जाकर यमुना में डाल दें। हर साल हमें भरोसा दिलाया जाता है कि हम बाढ़ों को रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं। कहते हैं कि कुछ रुपया मंज़ूर किया है, कुछ हिस्सा पूरा करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि पांच लाख रुपया इस साल खर्च करने से और दस लाख रुपया अगले साल खर्च करने से बात बनने वाली नहीं है। इस से तो केवल ठेकेदारों का पेट ही भरेगा। डिप्टी स्पीकर साहिब, इन्होंने मुल्क में अंडों के लिये मुर्गीखाने बना रखे हैं सूअर और भेड़ें पाल रखी हैं। कहते हैं कि पंजाबी बड़ा तगड़ा है, इस की भुजाओं में बहुत बल है और हम ने पंजाब का नकशा बदल कर रख दिया है। (*Interruptions*) डिप्टी स्पीकर साहिब, आप तो हरियाणे के रहने वाले हैं, पता नहीं कि आप के व्यक्तिगत विचार कैसे होंगे, लेकिन आप जानते होंगे कि जहां पर इन्होंने मुर्गीखाने बना रखे हैं लोग इन को नफरत की निगाह से देखते हैं। हमें गोसदन का प्रबन्ध करना चाहिये, उस से मक्खन मिलता है, दूध मिलता है।

श्री उपाध्यक्ष : इस से प्लान का क्या सम्बन्ध है? आप ने बहुत वक्त ले लिया है। और भी बहुत से मेम्बर बोलने वाले हैं। (How are these things connected with the Plan ? The hon. Member has taken sufficient time, There are still so many other Members who want to speak.)

श्री मंगल सैन : जनाब, यह बार्डर स्टेट है। एक तरफ पाकिस्तान है दूसरी तरफ चाइना हमारे विरोधी हैं। हमारी स्टेट में सड़कों का जाल बिछना चाहिये। सड़कों के लिये बहुत थोड़ा रुपया रखा गया है। ज़्यादा होना चाहिये। वज़ीर साहिब ने कहा कि पंजाब में

रेलवे लाइन का प्रबन्ध नहीं किया गया। मैं कहता हूं कि सरकार आप की है आप जाकर उन से क्यों नहीं कहते कि रेलवे लाईन बनाओ हम से क्यों कहलवाते हो ? गोहाने से लेकर रोहतक तक जो रेलवे लाईन बनी हुई है उस का कुछ फायदा नहीं जब तक वह मेन लाईन से लिंक नहीं की जाती। जब वह मेन लाईन से लिंक की जाएगी तो उस का फ़ायदा होगा। विद्यालंकार जी कहने लगे कि प्रोफैसर साहिब ने कहा कि यूनिवर्सिटी कायम कर दो, यह कैसे हो सकता है कि हर जगह पर यूनिवर्सिटी कायम करते जाएं। पच्चीस लाख वहां पर दिया है, दस लाख वहां पर दिया है, भीख मांग कर लाए हैं। उन की दलील सुन कर बहुत हैरानी हुई। पंजाब यूनिवर्सिटी के लिये रुपये दे सकते हैं, यहां पर मैं समझ नहीं सकता कि क्या शब्द चयन करूं.........(घंटी की आवाज़) इन की हर एक बात बड़ी अजीब है।....

Mr. Deputy Speaker : Order please.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ (ਸਮਰਾਲਾ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂ ਦੋ ਚਾਰ points ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤਕ industry ਦਾ ਤੁਅੱਲਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਭਵਿਖਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ dark ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ industry ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ capital ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ rolling mills ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। rolling mills ਦਾ ਤਾਂ raw material ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੇ raw material ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ industry ਵੀ ਇਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਪੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਡਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਇਥੇ ਇਕ ਦੋ ਵਡੇ ਵਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿ ਇਥੇ ਦੇ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ employment ਵੀ ਮਿਲੇ, raw material ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਇਥੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਥੇ ਦਾ capital ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਫੇਰ agriculture ਤੇ ਬਹੁਤ burden ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। Agriculture ਤੇ population ਦਾ burden ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ burden ਤਦ ਹੀ ਘਟੇਗਾ ਜੇ ਇਥੇ heavy industries ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਦੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਹਰ Punjab is now known only for Bhakra and agitations. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਖੜੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਤੁਅੱਲਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਹਥ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ]

ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲ੍ਹ ਹੀ ਇਥੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ irrigation ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਸੇਮ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੇ advantages ਤੇ disadvantages balance ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ।

ਜਿਹੜਾ ਭਾਖੜੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ betterment levy ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਹ heavy ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ importance ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ agricultural ਸਟੇਟ ਹੈ, border ਸਟੇਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ Communication ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਮਦਦ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਗਾਧਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ railway line ਨਾ ਬਣਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਬਾਦ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਕੈਨਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਵਿਹਲੜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਏਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਲਵੇ ਅਤੇ Construction ਕਰ ਲਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ Construction ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਥੇ industries ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, factories ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਵਸੀਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਇਸ railway line ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ voice raise ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰੀਏ। ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੇ। Railway lines ਤੇ bridges ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਲੈ ਲਉ। Military ਦੀ traffic ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ Railway ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ railway lines ਤੇ ਪੁਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਏ ਜਾਂਦੇ। Second Five-Year Plan ਵਿਚ roads ਦੇ ਉਪਰ 50% ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿਤੀ। Roads best transport system ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਜਾ ਸੈਂਟਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਰੁਪਿਆ ਕਮਾ ਕੇ ਐਸੀ machinery ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੰਗੀਆਂ roads provide ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਲੈਨ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਰੁਪਿਆ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ। (ਘੰਟੀ) ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਗਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ agriculture ਵਿਚ mechanisation ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ industrial point of view ਨਾਲ consider ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹਲ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਾਰਮ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, machinery ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, mechanise ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ joint efforts ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ improvement ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ

ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ criticise ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । Agriculture ਨੂੰ foremost preference ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । Agriculture ਵਿਚ production ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਹਦ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇਮਦਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਹਦ ਤੱਕ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ । ਜੇ agriculture ਤੇ industry ਸਾਡਾ prestige ਬਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ (ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਦੱਖਣ') : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਲਾਕਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ । ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪਲੈਨ ਨੂੰ desperate ਪਲੈਨ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ । ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਵੀ ਅਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ effort ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ funds ਦੀ allocation ਹੁੰਦੀ ਹੈ, Second Five-Year Plan ਹੋਵੇ ਜਾਂ 3rd Five-Year Plan ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਪਲੈਨ ਵਿਚ 2nd Five-Year Plan ਨਾਲੋਂ 63% ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦਾ provision ਕੀਤਾ ਹੈ । ਤੇ ਏਥੇ ਜੋ ਝਗੜਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਲੈਨ ਵਿਚ 287 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ assessment ਹੈ । ਜੇ ਉਸ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਜਿਸ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲੈਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 266 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ । । ਜਦ 70 ਜਾਂ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕਿਸ ਲਈ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਮੈਂ ਪੰਡਿਤ ਮੋਹਣ ਲਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ attitude ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ । Small-scale Industry ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ Government of India ਵਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਸਨ । ਉਸ ਵਕਤ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਨਾ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਹੈ । Reason ਇਹ ਕਿ population basis ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ population ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਦਿਤਾ ਜਾਏ । ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ population ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਦਮ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਕੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਕੇ ਦੌਲਤ ਬੜ੍ਹਾਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ । ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿਤਾ ਜਾਏ । ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਧੇਗੀ । ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ attitude ਲਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲ ਜਿਥੇ ਕਿ population ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

[ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ]

ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ already advanced ਹੈ। ਪੰਜਾਬ already ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ advanced ਹੈ। ਪੰਜਾਬ Partition ਹੋਣ ਵੇਲੇ advanced ਨਹੀਂ ਸੀ। East ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ food ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਇਹ deficit province ਸੀ। Deficit ਤੋਂ surplus ਹੋਇਆ। Surplus ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਬਾਕੀ States ਨੂੰ ਏਥੋਂ export ਹੁੰਦੀ ਹੈ grains ਦੀ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਇਸ ਸੂਬੇ ਤੇ ਮੁਨਹਸਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੀ allotment ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ attitude ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗਲਤ attitude ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਪਲੈਨ ਵਿਚ reduction ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ 287 ਕਰੋੜ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੀਚ learned ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਪੀਚ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ Public sector ਵਿਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। public sector ਵਿਚ ਨੰਗਲ fertilizers ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ। (ਘੰਟੀ)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, मुझें एक शेर याद आ गया।

"जाम भर कर ग़ैर को देना मुझे खाली गिलास,
तेरी मदहोशी के सदके जाऊँ मतवाले।"

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ industrialists ਨੇ small-scale industry ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ production ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਰਫੁਲਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ agriculture ਨਾਲੋਂ preference ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੀ ਪਲੈਨ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਪਲੈਨ ਵਿਚ ਢਾਈ ਗੁਣਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਡੇਢ੍ਹ ਗੁਣਾ ਹੈ agriculture ਵਾਸਤੇ। Agriculture ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ main industry ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ agriculture ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ standard of living low ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ standard of living ਇਤਨਾ low ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? Foodgrains ਵਿਚ self-sufficiency ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਹੈ । ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਤਨੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ । ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣਗੇ ? Agricultural research ਕਰਕੇ agriculture ਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੁਹ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ standard of living ਅੱਛਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਹ ਏਥੋਂ ਦੀ produce ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ । ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਜੇ agriculturist ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

Industries ਦਾ ਮੈਂ ਹਾਮੀ ਹਾਂ ਔਰ ਹਾਮੀ ਰਹਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ Agriculture University ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੋ scheme ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਰਕਮ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੰਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਲਗਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਫਿਰ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ language ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । Regional language ਦੀ development ਵਾਸਤੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ region ਦੀ language ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ develop ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਔਰ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇਕ ਆਦਮੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਔਰ ਹਰ ਇਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ claim ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ । (*cheers*) ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਇਕ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਰਹੇਗਾ । ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ region ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ district level ਤਕ ਲਿਖਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੋਏਗਾ । ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ University ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮਤਲਬ ਲਈ ਇਕ Commission ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ । ਪਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ University ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 30 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਸਕੇਗੀ ? ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Centre ਤੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਕੁਰੂ ਖੇਤਰ ਦੀ University ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਹੋਰ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਕਰੋ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ University ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ।

[ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ]

ਫਿਰ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, anti-waterlogging measures ਲਈ ਔਰ flood control ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ provision ਇਸ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਛੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ provision ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਹੀ circle ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। Water-logging ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਠੀਕ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿਚ ਫਿਰਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਕਈ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਥੇ 1955 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜਿਥੇ ਨਹਿਰਾਂ ਕਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠ ਅਵਲ ਤਾਂ syphons ਨਹੀਂ ਰਖੇ ਗਏ ਤੇ ਜੇ ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਤਨੇ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ cut ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ distributary ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ cut ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ water-logging ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕੰਮ ਔਰ flood control ਦੇ ਕਮ ਨੂੰ top priority ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹ war basis ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਾਬ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਤੁਸੀਂ paralysed ਹੋਏ ਰਹੋਗੇ।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार (नूह) : Deputy Speaker साहिब, हमें तीसरी Plan पर विचार करने से पहले पहली दो Plans के नतायज को देखना होगा। इस House के leader और कांग्रेस के leader सरदार दरबारा सिंह जी से मैं कहूंगा कि वह देखें कि नतायज पुकार २ कर क्या कह रहे हैं। अगर उन को देखा जाए तो Planning Commission के मैम्बरान और ज़िम्मावार वुज़रा और अफसरान मुलज़मान के कटहरे में हों। (Opposition की तरफ से तालियां) आखिर क्या गज़ब है। हम बनाने जा रहे हैं State को और चर्चा करते हैं कि पंजाब के किसान की आमदनी बढ़ रही है, उस की हालत बेहतर हो रही है। लेकिन जब हालात पर ग़ौर करते हैं तो पता चलता है कि 25 लाख एकड़ ज़मीन खतरे की हालत को बिल्कुल touch कर रही है। और 31 लाख एकड़ ज़मीन ऐसी है जो water-logging की वजह से बिल्कुल बेकार हो गई है। फिर यह विचार करें कि उन्होंने कितनी ज़मीन बनाई है। इन्होंने जो ज़मीन बनाई वह है तीन लाख एकड़ मगर जो खराब हो गई वह है 8 लाख एकड़। यह हालत है। फिर कहते हैं, रोज़ चर्चा करते हैं कि पैदावार बढ़ रही है। मैं सरदार दरबारा सिंह जी से अर्ज़ करूंगा कि अगर पैदावार बढ़ रही है तो किसान के सिर पर कर्ज़ा क्यों बढ़ रहा है। हां हिसार में पैदावार बढ़ी है जहां ज़मींदारों पर कर्ज़ा नहीं है। मेरे भाई राठी साहिब और दूसरे साहिबान गिला करते हैं कि हमारी भी ऐसी ही हालत होनी

चाहिए जैसी पंजाबी region वालों की है। मैं उन्हें बताता हूं कि हिन्दी रिजन के 8 ज़िलों के सिर पर इतना कर्ज़ा नहीं जितने अकेले अमृतसर के सिर पर है। फिरोज़पुर के सिर पर इस से कहीं ज़्यादा है, गुरदासपुर के सिर पर और भी ज़्यादा है । और किसानों की हालत क्या है, शरणार्थियों की हालत क्या है ? आज 14 साल गुज़रने पर कर्ज़ा पर 60 % सूद पड़ चुका है। अगर यह किसान की हालत पर मुझे challenge करते हैं तो मैं बताता हूं कि उस की असली हालत क्या है । हमारी दो main फसलें हैं गेहूं और चने। गेहूं 1958-59 में 2,301,000 टन पैदा हुआ। 1959-60 में इस की पैदावार 2,086,000 टन रह गई यानी, 215,000 टन पैदावार कम हो गई। Per acre पैदावार 969 पौंण्ड से कम हो कर 911 पौण्ड रह गई यानी 58 पौंण्ड फी एकड़ कमी हो गई। अब चने की बाबत सुनिए। 1958-59 में इस की पैदावार 2,808,000 टन थी जो 1959-60 में कम हो कर 1,583,000 टन रह गई यानी 825,000 टन की कमी हुई जो कि करीबन 28 करोड़ रुपए की मालीयत की बनती है। यह नुकसान किसान का हुआ। फिर floods आए तो किसान का 80 करोड़ रुपया फसल की बरबादी, बैलों की तबाही, ज़खीरे और घरों को नुकसान पहुंचने की वजह से हुआ। करीबन एक करोड़ रुपए की सड़कें तबाह हो गईं जिस से किसानों को अपनी फसल लाने ले जाने में मुसीबतों का सामना करना पड़ा। चौधरी सूरज मल जी को एक करोड़ रुपया खर्च करना पड़ा। किसानों की हालत किस तरह बेहतर हो गई। सरकार उन को बिजली नहीं दे पाई। इस से भी उन को और industry को नुकसान पहुंचा।

यह विचार कौन करे ? कौन कहे पंडित नेहरू से और कौन कहे पंजाब सरकार से

8 p.m.

कि तुम्हारा काम क्या है। आप प्लैन के अन्दर इतना रुपया खर्च कर रहे हैं और सारे सूबे में आप आबपाशी करेंगे, नहरें चलायेंगे लेकिन जहां, अरबों रुपया खर्च हो वहां सिर्फ तीन ज़िलों में एक करोड़ 15 लाख रुपया ड्रेनेज पर खर्च होना है, बाकी सूबा में खुदा का नाम। आज अगर कहा जाए कि ज़रा रोहतक वगैरह की हालत देखो तो कहेंगे कि वहां तो अल्लाह का कहर है। लेकिन यह नहीं कहेंगे कि हम ने ड्रेनेज़ नहीं बनाई। और रोहतक अकेले का पन्द्रह करोड़ का नुकसान हो गया, संगरूर, पटियाला और गुड़गांव की तबाही भी हौलनाक है और वहां भी करोड़ हा का नुकसान हुआ है ।

आप हकीकत तो देखिये कि किसान की हालत क्या है? और क्यों अब तक कर्ज़ा का रुपया नहीं दिया । आप को यह जानना चाहिए कि ज़रूर कोई बात है वरना किसान बहुत ईमानदार होता है अगर उस के पास रुपया हो तो वह फौरन कर्ज़ा अदा कर देता है। यहां कहा जाता है कि पैदावार बहुत अच्छी है, लेकिन ज़रा मेरी सप्लाई की हुई फिगर्ज़ तो देखिए फिर पता चलेगा कि पैदावार अच्छी है या खराब है। और यह floods क्यों आते हैं और क्यों फसल खराब करते हैं। इन का कोई उपाय सोचिए ड्रेनेज ठीक कीजिए वरना यह फिर भी आ सकते हैं। मैं जनाब, यह कहना चाहता हूं कि हिन्द सरकार से यह कहें कि चूंकि हमारे यहां 9 सौ करोड़ रुपए की ज़मीन तबाह हो गई है और फसल बिल्कुल

[मौलवी अब्दुल गनी डार]

नहीं हो सकी इस लिये, हमें ड्रेनेज के लिये 20 करोड़ की बजाए एक अरब रुपया दिया जाए। (घंटी) बहुत अच्छा। अगर आप कहते हैं तो मैं बन्द कर देता हूं।

उद्योग मंत्री (श्री मोहन लाल) : डिप्टी स्पीकर साहिब, यह बहुत खुशी की बात है कि मैम्बर साहिबान से जितनी दिलचस्पी की तवक्को थी उतनी दिलचस्पी उन्होंने ली। 30 मैम्बर साहिबान बोल चुके हैं और जितने भी Economic Planning में दिलचस्पी लेने वाले मैम्बर साहिबान थे उन्होंने सब ने इस बहस में हिस्सा लिया। और मैं आप के द्वारा उन सब मैम्बर साहिबान का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुतफिका तौर पर ड्राफ्ट प्लैन के लिए अपनी स्वीकृति दी है और यह भी अपने ख्यालात का इज़हार किया है कि जितना रुपया हमने मांगा है वह बहुत कम है।

जहां तक स्टेट की internal distribution का ताल्लुक है अभी न तो ऐसी कोई फिगर्ज़ work out की गई हैं जिन से कि इस नतीजे पर पहुंचा जाए कि यह regionwise allocation किस तरह से होगी। हमारे जिन चन्द साथियों ने जो आंकड़े पेश किए हैं, मैं समझता हूं कि उन को गलत फहमी हुई है। अभी मैं इन आंकड़ों में जाना नहीं चाहता लेकिन हिन्दी रीजन के बारे में जो आंकड़े दिए गए हैं वह दुरुस्त नहीं हैं। और उन का कोई आधार नहीं बनता। allocation किस तरह से होगी इस की stage बाद में आएगी। मैं पेश्तर इस के कि चन्द एक उन बातों का जवाब दूं जो कि irrelevant थीं, कुछ बातें कहा चाहता हूं और वह यह हैं कि 287 करोड़ का जो हमारा प्लैन है और जो कि प्लैनिंग कमीशन के पास भेज चुके हैं उस के बाद भी हमने कुछ एक supplementary allocation भेजी है और वह है 10.25 करोड़ की। जिसमें से कि 80 लाख रुपया हम ने sports के लिये मांगा है मैं उन मैम्बर साहिबान का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने कि स्टेट गवर्नमैंट का ध्यान इस तरफ दिलाया कि sports की तरफ ध्यान दिया जाए क्योंकि हमेशा इस दिशा में पंजाब सब से आगे रहा है और खास तौर पर जो अभी olympic खेलें हुई उन के नतीजे के बाद यह खास तौर से ख्याल किया गया कि इस तरफ ध्यान दिया जाए। मैं यह बात पहले भूल गया था इस लिये अब मैम्बर साहिबान के नोटिस में यह ला रहा हूं।

अभी सरदार दरबारा सिंह जी ने खास तौर से और कुछ मैम्बर साहबान ने यह बात कही थी कि जहां तक टैक्नीकल ऐजुकेशन का ताल्लुक है इस के मुताल्लिक प्रबन्ध होना चाहिए और फ्री-टैकनीकल ऐजूकेशन हर लैवल पर दी जाए।

अब इस की अहमियत जितनी है उस के मुताल्लिक मैं कहने की जरूरत नहीं समझता। टैक्नीकल एजुकेशन के बारे में सरकार ने दुबारा विचार करके 4 करोड़ रुपया की provision रखी है ताकि (*Applause*) (*Thumping*) हम तीसरी पांच-साला प्लैन में Free Technical Education का प्रबन्ध कर सकें। 10.25 करोड़ रुपया हम ने सप्लीमेंट्री प्लैन के तौर पर और पास करके प्लैनिंग कमीशन के पास भेजा है। एक बात मैं और अर्ज़ करना चाहता हूं कि जहां तक तीसरी प्लान का ताल्लुक है बहुत से

मैम्बर साहिबान को यह अंदेशा पैदा हुआ कि यह प्लैन सारी नई स्कीमों के मुताल्लिक ही है। शायद पुरानी स्कीमें बन्द हो जावें, मैं उन्हें अर्ज़ कर देना चाहता हूं कि हमारे यहां इस वक्त जो भी development हुई और जिन स्कीमों की implementation हो रही है वे जारी रहेंगी।

मैम्बर साहिबान ने इतने useful points उठाए हैं कि शायद वक्त की तंगी की वजह से कि हरेक के मुताल्लिक मैं जवाब नहीं दे सकूंगा। मैं चाहता तो था कि जो खदशात मैम्बर साहिबान ने कुछ स्कीमों की provision के मुताल्लिक ज़ाहर किए हैं उन का अपनी draft Plan में scheme-wise हवाला दे कर बतलाता कि बहुत सी स्कीमें ऐसी हैं जो कि पहले ही हम ने अपनी plans में रखी हैं लेकिन अगर हरेक बात का जिक्र करना शुरू कर दूं तो आप का बहुत वक्त लूंगा इस लिये मैं detail में न जा कर चन्द एक fundamental चीज़ें ही अर्ज़ करूंगा।

(At this stage, Mr. Speaker occupied the Chair.)

पुरी साहिब और दूसरे मैम्बर साहिबान ने बिजली के मुताल्लिक बहुत कुछ कहा और मुनासिब तौर पर कहा। जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया बिजली के बिना स्टेट की तरक्की नहीं हो सकती। पुरी साहिब ने कुछ आंकड़े दिए कि भाखड़ा से जो बिजली बननी है वह हम ने पहले ही Nangal Fertilizers को देने का निर्णय किया है। इसी तरह से राजस्थान और पाकिस्तान को भी हम ने दे रखी है। इस लिए इस में शक नहीं कि हमारे लिए बहुत थोड़ी बचती है। इस लिये मैं इस में कोई लम्बी चौड़ी defence नहीं देना चाहता लेकिन मुझे यह बात कहने में रत्ती भर झिझक नहीं कि हम जो बिजली देहली, जम्मू काश्मीर और पाकिस्तान को दे रहे हैं या देश के किसी दूसरे हिस्से को दे रहे हैं उस पर पंजाब को मान करना चाहिए। अगर हम किसी रिजनल consideration को सामने रख कर हर बात को सोचना चाहें तो उस से हम मुल्क की सेवा नहीं करते। हम रोज़ यह बात कहते हैं कि भाखड़ा हमारी नैशनल प्राजेक्ट है। इस लिये नैशनल प्राजेक्ट होने की वजह से जहां हम दूसरी national duties पूरा करते हैं वहां हमें इस पर भी खुशी होनी चाहिए, मान होना चाहिए। मैं ने कई बार यह बात कही है कि पंजाब ने अपने ज़िम्मे यह बोझ ले रखा है कि वह देहली और हिमाचल को भी feed करेगा। इस लिये हम गन्दम और चावल और दूसरी चीज़ें इन इलाकों में भेजते हैं इस लिए पंजाब की जितना सेवा करने का मौका मिले उस से हमें खुशी होती है। यह ठीक है कि हमारी जो बिजली भाखड़ा से बनने वाली है उस की जो शुरु शुरु में production होगी वह ज्यादा तर वहां चली जायगी। लेकिन अगर एक तरफ हम अपने प्रान्त के लिये heavy industry मांगते हैं तो उस के लिए हमें बिजली देनी पड़ेगी। अगर हम बिजली देने से गुरेज़ करें और दूसरी तरफ heavy industry भी मांगें तो ये दोनों चीज़ें contradictory

[उद्योग मन्त्री]

होंगी। इस लिये बिजली का बहुत सा हिस्सा Nangal Fertilizer Factory को मिलेगा । इस से हमारी स्टेट की economic progress होगी, economic potential हमें मिलेगा और पंजाब के लोगों की सेवा होगी। इस लिये मैं इस बात पर इतफाक नहीं करता कि हम बिजली produce करके देश के दूसरे हिस्सों को न दें। हम पहले ही इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जहां भी हो सके थर्मल प्लांट लगाएं, जहां डीज़ल के साथ generation हो सकती हो वह भी कर रहे हैं, इस के इलावा छोटी हाइडल स्कीमें भी चालू हैं। दरहकीकत ज़रूरत इस बात की है कि काम जल्दी से जल्दी शुरू हो सके। हम पहले ही इस बात पर ग़ौर कर चुके हैं और हम ने सेंटर के पास तजवीज़ रखी है और हमें विश्वास है कि सेंटर पंजाब की मदद करेगा लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जहां थर्मल जैनरेशन या छोटी हाइडल स्कीमों को implement करने का सवाल है उन्हें इसी साल ही शुरू कर दें और यही मांग हमारी सेंटर से होनी चाहिए कि वे इस के लिये हमें मदद दें और हम सेंटर से ये स्कीमें मंज़ूर करवा कर इन को शुरू कर दें। दर हकीकत इस का सही इलाज यह है कि जहां भी हम बिजली की पैदावार को supplement कर सकें करें। बहुत से मेम्बर साहिबान ने drainage और water-logging के मुताल्लिक अपनी anxiety का इज़हार किया और दुरुस्त तौर पर किया कि जो प्रोविज़न रखा है बीस करोड़ का वह कम है। जाहिरा तौर पर देखते हैं कि प्रोविज़न इतना काफी नहीं जितना बड़ा हमारा मसला है। वैसे तो प्रोविज़न डेढ़ करोड़ रुपये का और भी है जो कि तीसरी पांच-साला प्लान में किया हुआ है। इस तरह से साढ़े इक्कीस करोड़ बनता है लेकिन अगर आप देखें तो उस में दिक्कत यह है कि जो ड्राफ्ट प्लान है हमारी सेंट्रल प्लान की out-line है उस में इस मद के लिये सिर्फ 75 करोड़ रुपया रखा गया है तो अगर साढ़े इक्कीस करोड़ रुपया या बीस करोड़ रुपया भी हमें इस मद में मिल जाए तो मेरा ख्याल है कि हम समझ सकते हैं कि हमारी कामयाबी हुई। रुपया तो और चाहिये इस सिलसिले में लेकिन क्या करें रुपया की तंगी होती है । मैं जानता हूं इस बात को क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा वास्ता इस सिलसिले में सेंटर से और प्लानिंग कमिशन से पड़ा है । हमारी जो इस वक्त की Second Five-Year Plan है, आप को शायद यह बात याद हो या न हो कि हम ने शुरू में सिर्फ चार करोड़ का ही प्रोविज़न रखा था इस मद में। लेकिन जब वह प्लान पास हुआ तो सारा 296 लाख रुपया ही मंज़ूर हुआ। जो रुपया पहले रखा गया था उस में कटौती हुई थी। उस के लिये हमें कई बार लड़ना पड़ा, झगड़ना पड़ा और चार करोड़ के लगभग हमें मिला। पांच करोड़ के करीब हमें खर्च करना पड़ेगा। यह Second Five-Year Plan का सिलसिला है। तो यह तो ठीक है कि हमारी ज़रूरत बहुत बड़ी है, हमें और रुपया चाहिये इस में। लेकिन हालात के मुताबिक चलना पड़ता है। इस लिये हम ने यह मुनासिब समझा है कि जिस हद तक हम practical shape दे सकें अपनी प्लान को उस हद तक जाएं बीस करोड़ रुपया इस लिये मांगा है। मैं मुख्तसर तौर पर कुछ points का reference कर सकूं, हर बात तो नहीं कह

सकूंगा। एक मैम्बर साहिब ने price line hold करने के मुताल्लिक कहा। मैं कहना चाहता हूं कि यह all-India issue है। इस पर बहुत discussion हुई है, हो रही है। पंजाब का separate problem नहीं इस लिये सेंटर वाले मुनासिब कार्यवाही कर रहे हैं। एक मैम्बर साहिब ने cheap tractors के बारे में कहा कि हमें public sector में factory लगा कर बनाने चाहियें। Public sector में तो इस वक्त ऐसे होना मुश्किल है लेकिन उन की वाकफियत के लिये वैसे मैं अर्ज़ करूं कि फरीदाबाद के मुकाम पर पंजाब में private sector में tractors बनने शुरू हो गए हैं। कुछ और मैम्बर साहिबान ने भी public sector के मुताल्लिक कहा है कि heavy industry और large-scale industry कायम की जाए, Textile Mills खास तौर पर sugar mills और paper mills के बारे में भी उन्होंने कहा। अब जहां तक heavy industry का ताल्लुक है public sector में कायम करने का, मैम्बर साहिबान शायद जानते होंगे इस बात को कि public sector के लिये दरअसल जो सेंटर का प्लान है उस में ही ज़्यादा प्रोविज़न होता है। उन के पास ज़्यादा पैसा है वही खर्च कर सकते हैं और वही heavy industry लगा सकते हैं। हमारी स्टेट में एक ही heavy industry कायम हुई और वह भी सेंट्रल प्लान में। स्टेट के पास न इतनी हिम्मत होती है और न ही इतना ज़्यादा पैसा होता है कि वह public sector में heavy industry लगा सके। सेंट्रल गवर्नमेंट या प्लानिंग कमिशन की यह पालिसी भी नहीं है कि टेक्सटाइल मिल्ज़, पेपर मिल्ज़, शूगर फैक्टरीज़ और वूल कोमिंग प्लान्टस ज़्यादा पब्लिक सैक्टर में लगाए जाएं। जहां तक टैक्सटाईल मिल्ज़ का ताल्लुक है हम ने दो मिलों का प्रोविज़ रखा है। इस तरह से शूगर फैक्टरी के लिये कोआप्रेटिव सैक्टर में और पेपर मिल के लिये भी प्रोविज़न रखा है। लेकिन प्राईवेट सैक्टर में दो करोड़ का प्रोविज़न रखा है हर बात अगर हम चाहें तो भी पब्लिक सैक्टर में उस की प्रोविज़न कर नहीं सकते इस लिये बहुत सी चीजों का प्रोविज़न कोआप्रेटिव सैक्टर या प्राइवेट सैक्टर के लिये रखा हुआ है। कुछ साहिबान ने प्लान की execution की बात की, hilly areas के बारे में भी कहा, contiguous areas के बारे में कहा। मैं तो general तौर पर सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हम समझते हैं इस बात को कि इस मांग में वज़न है जो कि hilly areas की तरफ से है कि जो डिवैल्पमेंट हमारे hilly areas में होती है वह हिमाचल के मुकाबले में किसी तरह से कम न हो। यह इनसाफ की बात दिखाई नहीं देती कि हमारे पहाड़ी इलाके की development हिमाचल के पहाड़ी इलाके की development से कम हो, उसकी pace जो है, जो रफ्तार है वह कम है। यह बात ठीक है कि हम ने 19 करोड़ रुपया इस प्लान में पहाड़ी इलाके की तरक्की के लिये रखा है। इस के इलावा हम यह चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि hilly areas के representatives से मिल कर सेंट्रल गवर्नमेंट से कहें कि जहां वे hilly areas के लिये allocation करते हैं तो हमारे hilly areas के लिये special allocation

[उद्योग मन्त्री]

करें। इसके इलावा हम अपने प्लान में देखेंगे कि जो डिवैल्पमैंट हिमाचल प्रदेश और दूसरे contiguous areas में हो रही है उन से कम डिवैल्पमैंट हमारे पहाड़ी इलाकों में न हो। कई साहिबान ने कहा कि हम ने private sector की तरफ बहुत कुछ ध्यान नहीं दिया। इतना वक्त तो है नहीं कि मैं इस बात की हर तफसील में जाऊं लेकिन उन की वाकफियत के लिये यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि जहां तक country की प्लान का ताल्लुक है वहां भी अगर देखें तो पब्लिक सैक्टर में 7200 करोड़ की प्राविज़न रखी है और प्राईवेट सैक्टर में 3000 करोड़ की प्राविज़न रखी हुई है। आप इस से अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि प्राईवेट सैक्टर को काफी रकम दी गई है सेंट्रल प्लान में भी और वही नकशा है हमारी स्टेट प्लान का भी Credit facilities के लिये हम ने 354 लाख रुपया रखा है State Aid to Industries Act के ज़रिए प्राईवेट सैक्टर को देने के लिये। इसी तरह से हम ने 343 लाख रुपया State participation in Private sector for setting up new industries के लिये रखा है। हमारी जो State Finance Corporation है उस के ज़रिए तकसीम करने के लिये पच्चास लाख रुपया रखा है। Lift Irrigation in कांगड़ा के मुताल्लिक एक मैम्बर साहिब ने कहा था, वे इस वक्त यहां पर मौजूद नहीं हैं। स्कीम नम्बर आठ में दस लाख रुपये की प्रोविज़न हम ने इस काम के लिये की हुई है। इसी तरह से और भी बहुत सी स्कीमें हैं जिन के मुताल्लिक मैम्बर साहिबान ने कहा। मेरा ख्याल है कि जब उन को सारा डाकूमेंट पढ़ने का मौका मिलेगा तो उन को सब हाल मालूम हो जाएगा। कई एक स्कीमें जिन का हवाला उन्होंने दिया है वे सब प्लान में मौजूद हैं।

स्पीकर साहिब, मैं आप का और मैम्बर साहिबान का दोबारा धन्यवाद करता हूं कि हमारी जो draft Plan की provision थी उस को हाउस के हर सैक्शन ने मुतफिक्का तौर पर support किया और मुझे विश्वास है कि यह जो general support हमें मिली है यह हमें बहुत मदद देगी जब कि हम further discussion के लिये Planning Commission के पास जाएंगे। मैं आप का और मैम्बर साहिबान का एक बार और धन्यवाद करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्योंकि कल दीवाली की वजह से मैम्बर साहिबान छुट्टी करना चाहते थे इसलिये आज की सभा की बैठक को ज्यादा बढ़ाना पड़ा; वैसे तो कल working day था। इसी लिए आप तीसरी draft First Five-Year Plan पर गौर करने के लिए आज 6.30 बजे के बाद दो घंटे तक बैठे रहे। आप को यह नहीं ख्याल करना चाहिए कि Plan को discuss करने के लिए वक्त कम किया गया।

कल दीवाली है, इस लिए जाने से पहले मैं आप सब को दीवाली की मुबारिकबाद देता हूं और कामना करता हूं कि आप को नया साल मुबारिक हो। (The sitting of the Sabha had to be extended to-day because the hon. Members wanted to observe tomorrow a holiday on account

of Diwali festival, which otherwise was scheduled to be a working day. Accordingly, the House has been deliberating today on the Third Draft Five-Year Plan even two hours after the usual hour of its interruption. In view of this the hon. Members should not carry away the impression that the time for the discussion of the Plan had been curtailed.

Before the House adjourns I offer my most cordial Diwali Greetings to all the hon. Members and wish them a happy new year.

8-30 p.m.

The Sabha then adjourned till 2.00 *p.m. on Monday, the* 24*th October,* 1960.

11273PVS —349—C. P. and S., Pb., Chandigarh.

Punjab Vidhan Sabha Debates

24th October, 1960

Vol. II—No. 3

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Monday, the 24th October, 1960.

Price : Rs 9.90 nP

P.T.O.

ERRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES, VOL. II, NO. 3, DATED THE 24TH OCTOBER, 1960.

Read	*for*	*on page*	*line*
Enquiries	Enquires	(3)7	31
F.C.	E. C.	(3)41	5
Port	Post	(3)44	17
Tek	Tak	(3)49	3
Girls	glirls	(3)70	6th from below S. No. 21
High	Hi7h	(3)74	last
G. N. Khalsa High School	G. M. Khalsa High School	(3)80	S. No. 129
Paraomehna	Paraomehni	(3)80	S. No. 131
Baba Bakala	Baba Bakula	(3)80	S. No. 154
Amount of the	Amount the	(3)82	2, Col. 3
318	328	(3)84	11
319	329	(3)84	12
Matriculation	Matriculatuon	(3)85	6
Govt. High School	Govt. High Schooll	(3)85	4th from below S. No. 7
Add 'b' between 'above' and 'in'		(3)91	7
benefitted	benefited	(3)93	12
Plans	Plan	(3)98	17
Jullundur	Jullund'r	(3)103	3, col. 3
woman	women	(3)106	7 under col. 3
as	at	(3)107	1 under col. 3
5-2-47	5247	(3)107	13 under col. 3
section	sedtion	(3)107	18 under col. 3

Read	*for*	*on page*	*line*
Add 'from before '1st	April, 1958'	(3)109	2 after S. No. 18
Bill	Bihl	(3)133	Heading
least	best	(3)151	7
कहते	क त	(3)177	35
का	की	(3)179	10
ਹੋ	ਰੇ	(3)181	13
ਅੱਧਾ	ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ	(3)186	28
flood	floods	(3)188	28
cusecs	causecs	(3)191	last
ਕੋਈ	ਕੇਈ	(3)192	15th from below
ਰੋਹਤਕ	ਰੇਹਤਕ	(3)193	6
co-operation	cooparation	(3)194	4th from below
arrested	arreasted	Ann. vii	Heading
messenger	messanger	Ann. viii	12th from below
current	currennt	Ann. ix	19
discharge	discharges	Ann. xvi	2
community	communit	Ann. xvi	10th from below
credit Society	ral credit Society	Ann. xvii	16th from below

PUNJAB VIDHAN SABHA

Monday, the 24th October, 1960

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, Chandigarh, at 2·00 p.m. of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.

SUPPLEMENTARIES ON STARRED QUESTION No. 6071 (POSTPONED)

डाक्टर परमा नन्द : क्या बताया जा सकता है कि जिन लोगों से loan की रकम वसूल नहीं हुई और जिन के खिलाफ सन् 1958 से वारंट जारी किए गए हुए हैं उन से आज तक recoveries न होने की कौन सी वजूहात हैं ?

उद्योग मन्त्री : दर असल, स्पीकर साहिब, order paper पर यह लिखा नहीं हुआ था कि आज का काम इस सवाल की supplementaries से शुरू होगा। इसलिए मैं तो अगले questions के सिलसिले में ही तैयार होकर आया हूँ।

श्री अध्यक्ष : मेरा भी यही impression था। (I, too, had the same impression.)

उद्योग मन्त्री : वह सवाल भी मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप को पता है कि यहां पर hon. Member का status ऊँचा होता है। चूंकि मैम्बर साहिब ने कहा कि supplementaries पूछनी हैं तो मैंने इजाज़त दे दी वर्ना उनको इस बात का एहसास करना चाहिये था कि इस सवाल पर supplementaries पूछा जाना order paper पर नहीं था। (The hon. Minister knows that the hon. Members enjoy a higher status in the House. Since the hon. Member persisted in asking supplementaries, I permitted him to ask them. Otherwise, he should have realised that asking of supplementaries on this question was not given on the order paper for today.)

श्री राम प्यारा : हमारा तो यह impression था कि आज का काम इसी सवाल से शुरू होगा।

श्री अध्यक्ष : होगा। लेकिन चूंकि मिनिस्टर साहिब इस बात से aware नहीं थे और वह supplementaries के लिये तैयार नहीं हैं इस लिये मैं इसको कल पर छोड़ता हूँ। (It may be so. But since the hon. Minister was neither aware of it, nor is he prepared for the supplementaries, I postpone them till tomorrow).

Note.—Starred Question No. 6071 along with its reply appears in the Punjab Vidhan Sabha Debate Vol. II, No. 1, dated 17th October, 1960.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

MAKING SUNAM, DISTRICT SANGRUR AN INDUSTRIAL ESTATE

*6102. **Raja Maheshindra Singh :** Will the Minister for Industries be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to make Sunam, district Sangrur, an Industrial Estate during the Third Five-Year Plan period ?

Shri Mohan Lal : Yes.

COAL DEPOTS FOR POLITICAL SUFFERERS

*6119. **Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) the names and addresses of persons, district-wise who were granted coal depots on the basis of their political sufferings during the years 1959 and 1960 ;

(b) the criteria kept in view while granting the said depots ;

(c) the names of persons who were granted coal depots on the recommendations of the Committee presided over by the Deputy Minister for Food and Supplies, Punjab during the period mentioned in part (a) above ?

Shri Benarsi Das Gupta (Deputy Minister) : (a) A list (No. I) showing the names and addresses of persons who were granted coal depots district-wise on the basis of their political sufferings during 1959 and 1960, is laid on the Table of the House.

(b) The most deserving of the political sufferers were selected from amongst the applicants of this category for the grant of coal depots.

(c) A List (No. II) showing the names of persons who were granted coal depots on the recommendation of the Coal Depot Allotment Committee presided over by the Deputy Minister, Food and Supplies is laid on the Table of the House.

STATEMENT I

Statement showing the names and addresses of Political Sufferers who have been allotted coal depots in the State during 1959-60

District	Place where coal depot allotted	Names and addresses of the coal depot-holders
Amritsar ..	Amritsar ..	(1) Shri Angad Singh, Niwin Gali, Old Lakar Mandi, Katra Jallianwala Bagh, Amritsar
	Amritsar ..	(2) Mahant Karam Singh, son of L. Ganda Mal, Partap Bazar, Amritsar
	Amritsar ..	(3) Shri Ujjagar Singh Jhabhal, village and post office Jhabhal, district Amritsar

District	Place where coal depot allotted	Names and addresses of the coal depot-holders
Amritsar	Verka ..	(4) Shri Parkash Chand Bindra, Verka
	Amritsar ..	(5) Shri Feroze Chand, Pardhan, Punjab Sweepers' Federation, Outside Lahori Gate, Amritsar
	Amritsar ..	(6) Shri Prem Parkash Deveshwar, c/o Mandai Committee Jallianwala Bagh, Amritsar
Ludhiana	Ludhiana ..	(1) Shri Anant Ram, House No. 360/BXI, near Police Division No. 2, Ludhiana
	Ludhiana ..	(2) Shri Karam Singh Uppal, Ludhiana, c/o Puran Singh, Weaving Factory Bagh Nohria Mal, Ludhiana
	Macchiwara ..	(3) Shri Om Parkash, son of Shri Moola Ram, Macchiwara
	Khanna ..	(4) Shri Kaka Singh, Khanna.
	Ludhiana ..	(5) Shri Bhagwan Singh, Ludhiana, son of S. Garbha Singh, village Gabadhi, tehsil and district Ludhiana
	Ludhiana ..	(6) Shri Partap Singh, village and post office Dakoha, district Jullundur
	Ludhiana ..	(7) Sarvshri Sadhu Singh Niranjan Dass of Bilga, district Jullundur (Joint)
Jullundur ..	Jullundur City ..	(1) Shri Avtar Singh Chaudhery, WD 162, Ali Mohalla, Jullundur City
	Jullundur City ..	(2) Shri Hazara Singh Mushtaq, son of Shri Mangal Singh, House No. 286, Abadpura, Jullundur City
	Jullundur ..	(3) Shri Jagan Nath, son of Pt. Anant Ram, of Dhan Khas, Thana Banga (Jullundur)
Ferozepore ..	Ferozepore City	(1) Shri Jagdish Chander, c/o M/s. Babu Ram-Jagdish Chander Saraf, Bara Bazar, Ferozepore
Gurdaspur ..	Qadian ..	(1) Shri Mulk Raj, President, Congress Committee, Qadian
	Pathankot ..	(2) Shri Kishan Chand Dass, General Secretary Mandal Congress Committee, Pathankot
	Pathankot ..	(3) Shri Krishan Gopal Mehta, son of Mehta Jia Lal, post office Narot Jaimal Singh, district Gurdaspur
Hoshiarpur ..	Nangal ..	(1) Shri Ram Sarup Verma, Coal Depot-holder, Nangal, district Hoshiarpur
	Nangal ..	(2) Shri Roshan Lal, Coal Depot-holder, Nangal

[Deputy Minister]

District	Place where coal depot alloted	Names and addresses of the coal depot-holders
Hoshiarpur	Hoshiarpur ..	(3) Shri Ram Parshad Manchanda, Coal Depot-holder, Hoshiarpur
Ambala ..	Ambala City ..	(1) Shri Priti Lal Aggarwal House, No. 9071, ward No. 5, Ambala City
	Ambala City ..	(2) Shri Arya Nand Sharma, General Secretary, District Congress Committee, Ambala City joint with Smt. Karam Devi, daughter of Gordhan Dass, House No. 39, St. H., Sector 22-B, Chandigarh
	Ambala Cantt. ..	(3) Shri Chanan Dass Chanana, 177, B.C. Bazar, Ambala Cantt.
	Yamunanagar ..	(4) Lt. Karam Singh, c/o Shri Darbari Lal Gupta, M.L.C., Jagadhri, district Ambala
	Kalka ..	(5) Shri Sardari Lal Shabnam, son of L. Radha Kishan, Ahata L. Chattar Sain, Kalka
Rohtak ..	Sonepat ..	(1) Shri Kanshi Ram Kuchal, Mohalla Chaukatta, Sonepat
	Bahdurgarh ..	(2) Shri Som Datt Sharma, c/o M/s, Brahma Datt Shastri Pharmacy, Near Bazar Post Office, Bahdurgarh, district Rohtak
Gurgaon ..	Gurgaon ..	(1) Shrimati Dharma Vati Saraf, 208, New Colony, Gurgaon
Bhatinda ..	Bhatinda ..	(1) Shri Sant Ram Harijan, c/o Shri Sant Ram, Nabha at Bhatinda
	Bhatinda ..	(2) Shri Gurditta Mal, son of L. Lala Ram of Rampur Phul
	Budhlada ..	(3) Shri Lakhi Ram, son of Mahasha Kundan Lal Gupta, Budhlada
	Mansa ..	(4) Shri Ved Parkash Dukhia, c/o M/s. Janta Printing Press, Bhatinda
	Rampuraphul ..	(5) Shri Arjan Singh Ajiz, son of Shri Sampuran Singh, Rampuraphul
	Bareta ..	(6) Shri Rup Chand, son of Shri Baisakhi Ram Chouuke
Patiala ..	Patiala ..	(1) Shri Avtar Singh, c/o Shri Niranjan Singh, A.S.P. Retired, Mohalla Kaneran, Sheranwala Gate, Patiala
Kangra, Simla Karnal, Hissar and Sangrur ..		*Nil*

STATEMENT II

Statement of individuals/parties allotted Coal Depots on the recommendation of the Committee presided over by the Deputy Minister for Food and Supplies during 1959-60

District	Place	Serial No.	Name and address
Amritsar ..	Amritsar City	1	Shri Angad Singh, Niwin Gali, Old Laker Mandi, Katra Jallianwala, Amritsar
		2	Shri Ram Singh, Cemetry Road, Amritsar
		3	Shri Gurmaj Singh, son of S. Asa Singh, village Gumenpura, district Amritsar
		4	Shri Tara Singh, son of S. Randhir Singh, Chowk Laxmansar, Amritsar
		5	Mahant Karam Singh, son of L. Gandoo Mal, Partap Bazar, Amritsar
		6	Shri Ujagar Singh Chabhal, village and post office Chabhal, district Amritsar
		7	Shri Labh Singh, son of S. Bhim Singh, Labh Nagar, post office Khalsa College, Amritsar
		8	Sarvshri Yogish Chander, Chanan Singh and Krishan Chand, Janta Coal Supplies, c/o Kishan Chand Seth, 2296/10, Kucha Naian, Haweli Jamadar, Amritsar
		9	M/s Ganesh Dass & Co., c/o Bhagat Atma Ram, Halwai, Chauk Moni, Amritsar
		10	(i) Shri Faqir Chand Sehgal, 3541/1, Ram Bagh, Amritsar (ii) Shri Munshi Ram 65, Gopal Nagar, Amritsar
		11	Shri Tarlochan Singh, son of Rajinder Singh, village and post office Naushehra Panwan, district Amritsar
		12	Shri Anokh Singh, c/o Shri Sadhu Singh, 160, Hide Market, Amritsar
		13	Shri Kirpa Ram Vir, 703/1161, Gali No. 2, Haripura, Amritsar
		14	Shri Kirpal Singh, Singapura Cloth House Fancy Fabric Dealers, Atta Mandi, Amritsar
		15	Shri Sohinder Singh Kohli, 10, Mewa Mandi, Amritsar
		16	Shri Jit Parshad Aggarwal, c/o L. Kanshi Ram-Vishwa Nath Longani, Majith Mandi, Amritsar
	Patti	1	Shri Gurbachan Singh son of Shri Inder Singh, House of S. Mool Singh Muniar Koocha Akalian, Kaulsar, Amritsar

[Deputy Minister]

District	Place	Serial No.	Name and address
Amritsar ..	Tarn Taran	1	Shri Arjan Singh and Shri Joginder Singh, Tigar Kot Mohd. Khan, Tarn Taran, Amritsar District
	Jandiala Guru	1	Shri Piara Lal Sharma, village and post office Kotkhaira, district Amritsar
	Verka ..	1	Shri Parkash Chand Bindra, Verka President Mandal Congress Committee, Sadar Amritsar
	Rayya ..	1	Shri Kashmir Singh Randhawa, son of S. Kartar Singh Randhawa, village and post office Udho Nangal, district Amritsar, c/o Bharat Sewak Samaj Punjab Pradesh, Chandigarh
	Ajnala ..	1	Shri Mohan Lal Sharma and Sons, Ajnala, district Amritsar
Jullundur ..	Jullundur ..	1	Shri Avtar Singh Chaudhari, W.D. 162, Ali Mohalla, Jullundur
		2	Shri Hazara Singh Mushtaq, son of Shri Mangal Singh, House No. 286, Abadpura, Jullundur City
		3	Shri Sohan Lal c/o Punjab Pardesh Committee, Pucca Bagh, Amritsar
		4	Shri Kapur Singh, 573-Model Town, Jullundur City
		5	(i) Shri Nand Kishore (ii) Shri Ramji Dass, Vedi, House No. WT 221, Mohalla Kot, post office Basti Sheikh, Jullundur } Joint
		6	(i) Shri Balwant Singh, House No. ND. 123, Bikram Pura, Jullundur City (ii) Shri Inder Jit Singh Chadha, c/o Puran Singh Narang, Proprietor, Narang Flour and Cotton Mills, Nakodar Road, Jullundur City (iii) Shri Sham Singh, son of Piara Singh, H.O. W.O. 185, Basti Danishmandan, Jullundur } Joint
		7	(i) Shri Amru Ram (ii) Shri Gurdas Ram, son of Uttam Chand, village Soffipind post office Jullundur Cantt district Jullundur } Joint
		8	Shri Pritam Singh, 121 Model Town, Jullundur
	Nakodar ..	1	Shri Munshi Ram of Bilga
	Boghpur ..	1	Shri Partap Chand, son of Uttam Chand, village Kharal Klan, tehsil and district Jullundur

District	Place	Serial No.	Name and address
Ludhiana ..	Ludhiana ..	1	Shri Jaswant Singh of Hoshiarpur, House No. B. III 55/18, Premgarh, Hoshiarpur
		2	Shri Kalwant Singh, President, Mandal Congress Committee, Bassian
		3	Shri Dayal Singh, 291-L, Model Town, Ludhiana
		4	Shri Jiwand Singh, son of Asa Singh, House No. 1345 Block, Ludhiana
		5	Shri Rattan Singh, son of Jawahar Singh, c/o Khalsa Bros., Kesarganj Road, Ludhiana
		6	Shri Bhagwan Dass, House No. 834, B IX, Takkia Gujjran, Ludhiana
		7	Shri Joginder Singh Dutt, Gulchaman Gali, Block No. 13, House No. 810, Ludhiana
		8	Shri Slamat Rai Deepak, Cinema Road, Ludhiana
		9	Shri Anant Rai of Okara, House No. 360/B XI, Near Police Division No. 2, Ludhiana
		10	Shri Chuhar Singh, c/o Avtar Singh, Advocate, B.A., LL. B., 153, Model Town, Ludhiana
		11	Shri Raj Kumar Sharma, Hazoori Road, Ludhiana
		12	(i) Shri Bagga Singh Gill, son of Amar Singh, village Maksudra post office Payal .. (ii) Shri Avtar Singh Gill } Joint
		13	Shri Ram Singh, son of Shri Choupa Ram, House No. 927/B-12, Koocha No. 15, Field Ganj, Ludhiana
	Jagraon ..	1	(i) Bhawani Shankar, (ii) Shamsher Singh, (iii) Munsha Singh Bhodi Bazar, Jagraon } Joint
		2	Shri Puran Chand, son of Shri Ishar Dass, Harigan, Anar Kali Bazar, Jagraon
			(ii) Shri Ram Asra, son of Autra Ram, Raikot Road, Jagraon, district Ludhiana
	Khanna ..	1	(i) Shri Sant Ram, Tailor Master, Near State Bank of India, Khanna, district Ludhiana (ii) Shri Kaka Singh, Khanna
	Qila Raipur	1	Shri Gurbax Singh Grewal, village and post office Kila Raipur Patti Shamiria, district Ludhiana
	Machhiwara	1	Shri Om Parkash, son of Shri Meela Ram, Machhiwara

[Deputy Minister]

District	Place	Serial No.	Name and Address
Ludhiana—*concld.*	Sidwan Bet	1	Shri Ved Parkash, Bhadaor House, opposite G.P.O., Ludhiana
	Samrala ..	1	(i) Master Gajjan Singh, son of Shri Chattar Singh Ramdasia, Samrala, district Ludhiana (ii) Shri Banarsi Dass, Secretary. District Congress Committee, Ludhiana, son of Pt. Vasdeva, village Genewal, post office Samrala
	Pulsudhar ..	1	Shri Harcharan Singh, Shri Pritam Singh, Shri Kalwant Singh, village and post office Bassian, tehsil Jagraon district Ludhiana } Joint
Ferozepur ..	Ferozepur City.	1	Shri Jagdish Chandar, c/o Shri Babu Ram Jagdish Chander Saraf, Bara Bazar, Ferozepur
	Ferozepur Cantt	1	Shri Kishore Chand, House No. 286 B. No. 2, Ferozepur
	Moga ..	1	Shri Maghi Ram, son of Shri Sant Ram Mohalla Amrikan, Moga
		2	Shri Harbans Lal Moudgil, son of Shri Murari Lal Moudgil, Basti Gobindgarh, Moga M.S.
		3	Shri Babu Singh, village Fategarh Karotana, via Moga
		4	Shri Kashmira Singh Gill, son of Jasmer Singh Gill, Gills Park Moga
		5	Shri Harbax Singh Gill, Basant Bhawan Moga, district Ferozepur
	Abohar ..	1	Shri Charan Dass Gill, Mata Mandir, Abohar
	Muktsar ..	1	Shri Durga Dass Sharma, c/o Sudarshan Dev Sharma, District Malaria Office, Jhoke Road, Ferozepur Cantt.
	Malout ..	1	Shri Sukhdev, House No. 2247, kacha Bazar, Ambala Cantt.
		2	Bharat Co-operative Society, Malout, c/o Mathura Dass President
Gurdaspur ..	Pathankot ..	1	Shri Krishan Gopal Mehta, son of Mehta Jiya Lal, post office Narot Jaimal Singh, district Gurdaspur
		2	(i) Shri Kishan Chand Dass, General Secretary, Mandal Congress Committee, Pathankot (ii) Ch. Vidya Rattan, Trans-Port Contractor, Pathankot (iii) Shri Bishambar Dass Joshi Dhangu Road, Pathankot } Joint

Distri*t	Place	Serial No.	Name and address
Gurdaspur—*concld.*	Qadian ..	1	Mulkh Raj, Qadian
Hoshiarpur ..	Hoshiarpur..	1	Shri Mangat Ram, son of Shri Mela Ram, Valmik Nagar, Hoshiarpur
		2	Shri Lal Chand, c/o M/s. Lal Chand & Co., Cashier, City Congress Committee, Hoshiarpur
		3	Shri Ram Parkash Manchanda, Bassi Khaju, Hoshiarpur
	Nangal ..	1	Sarvshri Mangat Ram, Dhian Singh, c/o Shri Bedi Ram, village Rampur Sahni, tehsil Una (Joint)
		2	Shri Ram Sarup Varma, son of Hakim Mohar Chand of Dasuya, district Hoshiarpur
		3	Shri Roshan Lal, c/o Bhasin Surinder Nath 58 C.C., Nangal Township
	Mukerian ..	1	Shri Ved Parkash, son of Pt. Shanker Dass, Mohalla Banian, village and post office Mukerian
Kangra ..	Baij Nath ..	1	Shri Puran Chand, son of Shri Hans Raj, hear Rai Bahadur Jodha Mal Dharamsala, post office Baij Nath
	Hamirpur ..	1	Hamirpur Co-operative Store through Shri Bhami Dev, village Tauni Devi, tehsil Hamirpur
Ambala ..	Ambala City	1	Shri Priti Lal Aggarwal, House No. 9071 Ward No. 5 Ambala City
		2	Malik Om Parkash, Youth Congress Worker
		3	(i) Shri Arya Nand Sharma, General Secretary, District Congress Ambala City
			(ii) Shrimati Karam Devi, daughter of L. Gordhan Dass, House No. 16, Sector 22-B, Chandigarh
	Ambala Cantt	1	Shri Charan Dass Ghanan, 177 B.C. Bazar, Ambala Cantt.
		2	Shri D. D. Sharma, Amb ala Cantt.
	Jagadhri ..	1	Pt. Charanji Lal, c/o M/s Keshav Parsha & Co. Ambala City
		2	Shri Gurbax Singh Bedi, House No. 385, Jattanwala Chountra, Patiala
	Jamnanagar..	1	Shri Inder Parkash, 174-Model Town, Jagadhri
	Kurali ..	1	Sarvshri Seho Parshad, Gian Ch nd House No. 5413, Ward No. 3, Ambala City
	Morinda ..	1	Shri Manohar Lal Malhotra, General Secretary Mandal Congress Committee, Rupar

[Deputy Minister]

District	Place	Serial No.	Name and Address
Ambala—*concld*	Naraingarh..	1	The Punjab Gram Udyog Samiti, opposite Arya Samaj Mandir, Ambala Cantt
		2	M/s. Krishan Lal, Teja Ram, Congress Workers, Naraingarh
	Sadhaura ..	1	Shri Punnu Ram Sadaura, tehsil Naraingarh
Simla ..	Simla ..	1	Shri Sant Ram, proprietor Om Coal Co., Chhota Simla
		2	Shri Gurbax Rai, C/o Harbans Lal Malhotra, 14/4 Ganj Road, Simla
		3	Mrs. Pasmila Sharma, 19 Central Hotel, Simla
		4	Shri Chuni Lal Duggal, Shop No. 80, Lower Bazar, Simla
		5	Shri Surinder Nath and Sons, 97 Lower Bazar, Simla
		6	Shri Ganda Singh, S.D.O. Retired (N/D/122/ Bikrampura, Jullundur City
Karnal ..	Karnal .. (Model Town)	1	M/s. Janta Co-operative Society, Karnal, c/o Shri Jagdish Chander Batra, President, Karnal
	Karnal ..	1	M/s. Amar co-operative Society Karnal, c/o Malik Ram Vig.
	Panipat ..	1	Shri Diwan Chand Takkur, Katchehri Road, Panipat
	Kaithal ..	1	Shri Hardev Singh, son of Shri Jai Lal, Harijan village and post office Sarhada, tehsil Kaithal, district Karnal and Shri Rup Lal } Joint
	Shahbad ..	1	Sarvshri Mehma Singh, Hazari Lal, President Mandal Congress Committee, Shahbad } Joint
	Kurukáshetra	1	Shri Bodh Raj, son of Ramji Mal Thanesar, Joint with Shri Radhu Ram Josh, son of Jhangi Ram Sabzi Mandi, Thanesar
	Ladwa ..	1	Shri Ramji Lal, son of Shri Paras Ram Ladwa, Karnal
	Toráori ..	1	Shri Chaman Lal Sachdev Quarter No. 12 Karnalia Darwaza Shri Ram Parshad, son of L. Kirpa Ram Taraori } Joint
	Pehowa ..	1	Sarvhshri Jagat Ram, Pehowa Coal Co., Sub-tehsil Guhla, and Amar Nath Shastri
Rohtak ..	Rohtak ..	1	Shri Chajju Ram, near Delhi Cloth Mills, Railway Road, Rohtak

District	Place	Serial No.	Name and Address
Rohtak—*concld*		2	Shri Mohboob Singh Civil Lines Road, Rohtak } Joint
		3	Shri Jaggan Ram, son of Shri Moti Ram, Rohtak } Joint
		4	(i) Shri Harbhagwan, House No. 1141, Babra Bazar, near Khari Khui, Rohtak (ii) Shri Chaman Lal, son of Shri Kanshi Ram Ward No. 6, House No. 228, Rohtak } Joint
	Sonepat ..	1	Shri Amar Nath Jatle, 15 Model Town, Sonepat
		2	Shri Kanshi Ram Kuchhal, Mohalla Chauhatta, Sonepat
		3	M/s. Haryana Co-operative Stores Ltd., through Shri Kanhiya Lal, Sonepat
	Bahadurgarh	1	Shri Som Dutt, c/o Brahma Dutt Shastri Pharmacy, near Bazar Post Office, Bahadurgarh, district Rohtak
	Gohana ..	1	Shri Sain Ditta Mal, Ward No. 6, House No. 25, tehsil Gohana, Rohtak
	Sampla ..	1	M/s. Multipurpose Co-operative Society through Bhishamber Dayal Society, Sampla Mandi
Gurgaon ..	Gurgaon ..	1	Shri Seva Ram, 19—Sewa Bhawan, New Colony, Gurgaon
		2	Shri Banarsi Dass Kasowala, Gurgaon Cantt.
		3	Shrimati Dharm Vati Saraf, 208, New Colony, Gurgaon
		4	Shri Rup Chand, Harijan Social Worker near post office, Gurgaon
	Rewari ..	1	Shri Mangat Ram Gali Thatheran, Gokal Bazar, Rewari
		1	Shri Rattan Singh, village and post office Sabranwas, tehsil Rewari
	Faridabad ..	1	Shri Sita Ram, Contractor 5-P/31 Faridabad Township
		2	Shri Subash Chander Nanda, 248 Buran Bhawan, Lax mi Pur, Jullundur City
	Palwal ..	1	Shri Jeesukh, c/o Shri Hans Raj Cloth Merchant, Ballabgarh
	Ballabgarh ..	1	Shri Lachhman Dass, House No. 156 , Ward No. 4, Ballabgarh
	Ferozepur Jhirka	1	Shri Tara Chand Premi, Ferozepur Jhirka Gurgaon
	Pataud		Shri Shayam Babu Kutab Pur, Rewari

[Deputy Minister]

District	Place	Serial No.	Name and address
Hissar ..	Hissar ..	1	Shri Karam Chand, House No. 330, Block No. 18. Mohalla, Dogran Hissar
		2	Shri Jag Ram, son of Shri Shiv Karan, Mohalla Chamaran, Hissar City
		3	Shri Krishan Deepak, c/o District Congress Committee, Hissar
		4	M/s. Jagat Ram, Des Raj, House No. 13, Mohalla Pathana, Hissar
		5	Shrimati Shakuntla Devi, Shri Niwas, opposite Police Office Hissar, c/o Shri Amar Singh P.C.S., Under-Secretary Agriculture House No. 7-FC/4, Sector No. 16
	Sirsa ..	1	Shrimati Satya Vati Sharma, daughter of Sh. Dev Raj Sharma, near Police station City Sirsa.
	Hansi ..	1	Shri Dhanpat Rai, Ex-President District Congress Committee, Hissar at Hansi.
		2	Shri Duni Chand Harijan, son of Shri Budh Ram, Bajrai Bazar, Hansi, district Hissar.
	Fatehbad ..	1	Fatehbad Co-operative Marketing Society, Fatehabad through Shri Nathu Ram.
	Kalanwali ..	1	Shri Suraj Parkash, son of Shri Amin Chand, Kalanwali, Hissar.
	Dabwali ..	1	Shri Gurdev Singh, Ward No. 1, Mandi Dabwali.
Patiala ..	Patiala ..	1	Shri Nirmal Singh, House No. 1028/3, Sheranwala Gate, Patiala.
		2	Shri M.G. Sabir, son of Shri I. B. Chaudhry, 78/2 Chah-Muglan.
		3	Workers Co-operative Store Patiala, through the Manager
		4	Shri Satnam Singh, son of Baba Makhan Singh, c/o S. Mohan Singh, Store-keeper, Patiala.
	Sirhind ..	1	Shri Ishar Dass, son of Bhura Mal, near Bank of Patiala, Sirhind Mandi.
	Dera Bassi ..	1	Sham Gopal, son of Shri Ram Kishan Garkhal, Simla Hills.
	Tootoo ..	1	Sarvshri Asa Ram and Narinder Kumar, Tootoo, Simla Hills.
	Jutogh ..	1	Shri Ram Bhasin, c/o Jai Hind Store, Kandaghat, Simla.
	Gobindgarh	1	Shri Padma Negi, c/o K.C. Sabir, Chah Muglan, Patiala.

District	Place	Serial No.	Name and Address
Kapurthala .	Kapurthala	1	Shri Hukam Singh, son of Shri Ganda Singh, House No. 271, Kucha Harnam Dass, Jail Road, Ludhiana.
		2	Shri D. B. Balkishan, c/o L. Amar Nath, Bazar Chakla, Mohindergarh Samana.
	Phagwara ..	1	Shri Romesh Chander, c/o Asiatic Electric Co., Phagwara.
		2	Shri Bimal Kishore, son of L. Mansa Ram Bazar Bansawala, Phagwara.
		3	Shri Surinder Lal, son of Shri Inder Lai, c/o Dr. Des Raj Singh, Banga Road, Phagwara.
		4	Shri Amar Singh, C/o Bombay Electric Co., Phagwara.
Sangrur ..	Sangrur ..	1	Shri Ram Dass, son of L. Jiwan Ram, Khalifa Street, Sangrur.
		2	Shri Bachan Singh, c/o Pt. Kishan Singh Munkanwal, tehsil Sangrur.
	Narwana ..	1	Sagar Mal, General Merchants, Dharampur, Simla Hills.
Bhatinda ..	Bhatinda ..	1	Shri Sant Ram Harijan, Congress Worker, c/o Shri Sant Ram Nabha at Bhatinda.
	Budlada ..	1	Shri Lakhi Ram, son of Mahesho Kundan Lal Gupta, Budhlada, district Bhatinda.
	Mansa ..	1	Shri Ved Parkash Dukhia, c/o M/s. Janta Printing Press, Bhatinda.
		2	Shri Krishan Dass, son of L. Nohria Mal, Rampura Phul.
		3	Shri Bir Singh, c/o Shri Pritpal Singh Bhindar, Brla Mills Road, Bhatinda
	Rampuraphul	1	Shri Arjan Singh Ajaz, son of S. Sampuran Singh, Mandi Rampura Phul

पंडित श्री राम शर्मा : क्या बताया जा सकता है कि coal depots के देने में जो political sufferers के लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं इन के क्या मायने हैं ?

उप-मन्त्री : वह आदमी जिन्होंने सन् 1914 से लेकर 1942 तक की आज़ादी की movement में जेल काटी हो या सज़ा पाई हो उन को political sufferers करार दिया गया है ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या बताया जा सकता है कि जब political sufferers को pensions वग़ैरा देने की गवर्नमैंट की policy है तो क्या इस महकमा में भी coal depots वग़ैरा देने के लिये यही मियार रखा जा रहा है कि जो political sufferers होंगे उनको ही depots मिलेंगे ? और इनकी यहां definition भी वही रखी गई है ?

उद्योग मन्त्री : महकमा civil supplies में वाज़ेह तौर पर ऐसी कोई बात नहीं रखी हुई सिवाय इसके कि जो general conception इन political sufferers की गवर्नमैंट ने की है ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या गवर्नमैंट की यह position नहीं कि जिस को मनिस्टर साहिब चाहें political sufferers करार दे दें और उसको coal depot दे दिया जाए ? क्या ऐसी बात ही है या इससे भी कुछ ज्यादा ?

मन्त्री : हमने इस सिलसिला में एक कमेटी मुकर्रर की हुई है और इसमें वज़ीर मुतअल्लिका का कोई दखल नहीं ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या उस कमेटी के chairman आप के डिप्टी वज़ीर नहीं हैं ?

मन्त्री : चेयरमैन तो हैं लेकिन वह बतौर चेयरमैन के ही काम करते हैं ।

पण्डित श्री राम शर्मा : क्या आगे के लिये गवर्नमैंट कोई ऐसी बात सोच रही है कि जो political sufferers होने का बड़ा बहाना बनाया जाता है ; इस की कोई बाकायदा definition कर दी जाए कि सिर्फ ऐसे आदमियों को ही political sufferers करार दिया जाएगा और उन्हीं को ही coal depots दिए जाएंगे ?

मन्त्री : दरअसल अगर यह बात होती कि coal depots सिर्फ political sufferers को ही दिये जाने हैं तो बात अलग थी ऐसी सूरत में उसकी definition की details में जाने की बात सोच ली जाती लेकिन यहां तो ऐसी कोई बात नहीं है। coal depots देने में ऐसी कोई पाबन्दी नहीं हैं। इन के अलावा और भी जो deserving people होते हैं उनको भी consider किया जाता है। इस लिये इस definition में कोई बहुत पाबन्दी वाली तारीफ देने की ज़रूरत नहीं है।

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੱਨਮੈਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਊਨਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੋਲੇ ਦਾ ਡਿਪੋ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।?

मंत्री ; ऐसे supplementary के जवाब की आप को मुझ से आशा नहीं करनी चाहिए । (हंसी)

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਐਸੇ political sufferers **ਨੂੰ ਵੀ** consider **ਕਰ ਕੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਡਿਪੋ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ** 1947 **ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗੀ ਹੋਵੇ ?**

Mr. Speaker : This is a specific question, please give a separate notice for it.

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ political sufferers **ਨੂੰ** consider **ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ** 1947 **ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਨੂੰ ਵੀ** political surferer **ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ?**

ਮੰਤਰੀ : ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ consideration ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ applications ਉਸ ਪਾਸ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ consider ਕਰਕੇ selection ਕੀਤੀ ।

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਜੀ ਹਾਂ, ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या इस list में कुछ ऐसे आदमियों के नाम भी हैं जिनकी direct recommendation मिनिस्टर साहिब की तरफ से भी की गई हो ?

Mr. Speaker: This is not a supplementary.

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या इस कमेटी की recommendation के अलावा मिनिस्टर साहिब ने भी D.Cs. को लिखा कि इन २ को कोयले के डिपो allot किए जाएं ?

Mr. Speaker: This does not arise.

PROVIDING TECHINICAL ADVISERS AT BIG INDUSTRIAL CENTRES

***6135. Sardar Ramdayal Singh :** Will the Minister for Industries be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to provide Technical Advisers at big Industrial Centres like Ludhiana and Batala to improve the quality and quantity of Industrial production ; if so, the time by which such advisers shall be provided ?

Shri Mohan Lal : Yes, but it will take some time before the proposal is finalised.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ proposal ਹਾਲੇ under consideration of the Government ਹੈ ਜਾਂ ਗੌਰਮਿੰਟ decision ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ industrial engineer provide ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ?

ਮੰਤਰੀ : ਜਿਥੋਂ ਤਕ State Government ਦਾ ਤਅੱਲਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ decide ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਰਖਣ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ Government of India ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ subsidy ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਉ । State Government ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ final decision ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਇਸ final decision ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਰਸਾ ਲਗੇਗਾ, 6 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ, ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ Government of India ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ productivity councils ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ State Government ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਛ ਗਿਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

Mr. Speaker : Starred Question No. 6136 is postponed.

Sardar Ramdayal Singh : If you read my question, you will find that it directly concerns the Government.

Mr. Speaker : My finding will not help you. It is the Government that has asked for extension of time.

REGARDING QUESTIONS BY SARDAR ATMA SINGH, M.L.A.

Shri Prabodh Chandra : Sir, I want to make a request. The hon. Member (Sardar Atma Singh) is in Jail and he could not give his written authority to any Member to put questions on his behalf. I would request you to waive the condition of 'express authority' in this case and permit us to put questions on his behalf.

Mr. Speaker : But you know there is an express provision that there should be a written authority.

Shri Prabodh Chandra : But the hon. Member is in Jail. If a Member can send notices of questions from the jail and they are admitted......

Mr. Speaker : I am making a reference to the Lok Sabha Secretariat in this connection.

Shri Prabodh Chandra : Once a question has been admitted, it should be allowed to be put.

Mr. Speaker : There is no express rule about the acceptance or non-acceptance of questions, notices of which are sent by Members from a jail. Nor is there any convention about it. I am making a reference to the Lok Sabha Secretariat.

ELECTIONS TO MUNICIPAL COMMITTEE, AMRITSAR

***5969. Dr. Baldev Prakash :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) whether he is aware of the fact that elections of the Municipal Committee, Amritsar, are overdue by six years ; if so, the reasons therefor;

(b) whether thers is any proposal under the consideration of Government to hold Municipal elections in Amritsar City ; if so, the probable date thereof and if not, the reasons therefor ;

(c) whether it is a fact that some Municipal Committees are excluded even from the third instalment of Municipal elections in the State ; if so, the names of such Municipal Committees and the reasons for their exclusion ?

Shri Mohan Lal : (a) Yes. It is intended to set up a corporation there.

(b) It is not intended to hold any elections to this Municipal Committee for the time being ;

(c) A final programme has not been drawn as yet, as such the question of excluding any Municipal Committees does not arise.

श्री बलराम दास टण्डन : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि क्या Corporation बनाने सम्बन्धी बाकी ज़रूरी बातें finalise कर दी गई हैं ?

उद्योग मन्त्री : Bill का draft finalise हो चुका है। अब Cabinet के पास जाना है, वहां से मंजूरी के बाद Legislature में बाकायदा लाया जायेगा तब यह Corporation बन सकेगी।

श्री बलराम दास टण्डन : क्या इस बिल पर आने वाले Session में discussion की आशा हो सकती है ?

मन्त्री : आशा तो रखनी चाहिये मगर यकीनी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि अमृतसर में Corporation बनने से पहले Municipality के elections करवाने का गवर्नमैंट का इरादा है ?

मन्त्री : Corporation बना कर ही elections करवाने का इरादा है।

LOCAL BODY FUNCTIONING AT RAJA SANSI, DISTRICT AMRITSAR

*6043. **Shri Balram Das Tandon :** Will the Minister for Industries be pleased to state the kind of local body which is functioning at Raja Sansi, tehsil Ajnala, district Amritsar, at present ; if none is functioning, the reasons for the same ?

Chaudhri Dalbir Singh (Deputy Minister) : (1) None. (2) A panchayat was notified for village Raja Sansi in March, 1952, but it did not function as no elections could be held in view of the fact that the question of the formation of Town Committee instead of a Panchayat in this village was under consideration.

श्री बलराम दास टण्डन : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो Town Area Committee बनाने का निश्चय था वह कब तक final हो जायेगा ?

उप-मन्त्री : खासे दिन हुए सरकार ने एक Local Urban Enquires Committee set up की थी और उस ने फैसला किया था कि जहां पर एक हज़ार की population हो या पंचायत की आमदन एक हज़ार हो (एक आवाज़ : 10,000 रुपए) वहां पर कमेटी set up की जाए। उस के पेशे नज़र यह वहां नहीं बनाई जा सकती।

श्री बलराम दास टण्डन : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जहां आबादी एक हज़ार से ऊपर है और आमदनी एक हज़ार से ऊपर है क्या ऐसी सब जगहों पर कमेटियां function कर रही हैं ?

उप-मन्त्री : आमदनी एक हजार नहीं बल्कि 10,000 रुपए। (*Interruption*)

श्री बलराम दास टण्डन : जनाब, वहां पर कोई local body काम नहीं कर रही।

श्री अध्यक्ष : काम तो वहां फिर भी ठीक चल रहा है। (Despite this, there the work is still being carried on smoothly.)

श्री बलराम दास टण्डन : जनाब 8 साल पहले फैसला किया गया था कि वहां पंचायत बनेगी मगर अभी तक कुछ नहीं किया गया। और काम तो वहां कुछ हो ही नहीं रहा, ठीक क्या चलेगा।

पंचायत मन्त्री : इस बात का फैसला 1955 में किया गया था कि यहां कमेटी नहीं बनेगी। उस के बाद लोगों ने Rent Restriction Act लागू करने को कहा। उस के मुताल्लिक 1957 में फैसला हुआ कि यह भी लागू नहीं होगा। (*Interruptions*)

Mr. Speaker: The Answer is quite clear.

'DARA' WHEAT, ETC., PURCHASED BY GOVERNMENT

***5989. Sardar Kartar Singh Diwana :** Will the Minister for Industries be pleased to state —

(a) whether Government had announced that they would purchase 'Dara' wheat at Rs 14 per maund and wheat of good quality at Rs. 15 per maund under the Statte Trading Scheme; if so, the total quantity of wheat purchased at these rates ;

(b) whether he is aware of the fact that in the market wheat was purchased by Government at lower rates than those mentioned in part (a) above ; if so, the reasons therefor ;

(c) the total quantity of wheat purchased by Government in various markets of the State and the quantity purchased in each of the mandies referred to in part (b) above?

Shri Benarsi Das Gupta (Deputy Minister) : (a) The procurement price prescribed by the Central Government is Rs 14 per maund for dara wheat of fair average quality and Rs 15 per maund for superior wheat of fair average quality. The quantities purchased are :—

Dara Wheat	..	157,291 tons
Superior Wheat	..	7,190 tons

(b) yes. Prices of various heaps in mandies were fixed in normal process of bidding, Government not taking part. Where quality of grains was poorer than the fair average quality, the price fixed in bidding was accordingly below Rs 14 and Rs 15 for dara and superior wheat, respectively. Government paid the price fixed in bidding. Similarly for heaps better in quality than the f.a.q. specifications for Dara wheat, prices higher than Rs 14 per maund were paid.

(c) The labour and time involved in the collection of information for various heaps of which the price fixed was lower on account of poorer quality will not be commensurate with the advantage ; if any, in view.

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ : ਡਿਪਟੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ 14 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 15 ਰੁਪਏ ਮਣ ਦੇ ਭਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ । ਕੀ ਡਿਪਟੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜੂਨ 1960 ਵਿਚ 11 ਰੁਪਏ 50 ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਅਤੇ 12 ਰੁਪਏ 50 ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਮਣ ਦੇ ਭਾ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ statement ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਾ ਤੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ।

ਉਦਿਓਗ ਮੰਤਰੀ : ਇਕ ਇਕ item ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਅਗਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਖਾਸ item ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਪੁਛ ਲੈਣ । ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਕਣਕ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਘੱਟਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵਿਚ ਜੌਂ ਯਾ ਮਮਣੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਲਗਦੀ ਹੈ । ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੜੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ । Average ਕੀਮਤ 14 ਜਾਂ 15 ਰੁਪਏ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ : ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੀ ਉਸ ਭਾ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ? ਜੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ? ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਰੁਪਏ ਮਣ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ statement ਹੈ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, Question hour ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ clear ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । (The hon. Member cannot get this point clarified during the question hour.)

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਭਾ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾ ਤੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਚੁਕਿਆ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਜਿਸ ਕਣਕ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੌਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਰ admixture ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਭਾ ਘੱਟ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ 14 ਰੁਪਏ ਮਣ ਖਰੀਦੀ ਹੈ । ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਕਣਕ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਭਾ ਘੱਟ ਵੀ ਲਗਿਆ ਹੈ । (ਘੰਟੀ)

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ central ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾ ਤੇ ਹੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜੇ ਉਸ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਹੋਵੇ । ਡਿਪਟੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਜੋ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਬੋਲੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਸ ਭਾ ਤੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਣਕ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦੀ ਯਾਂ ਬੋਲੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦੀ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ compete ਕਰਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਹਰ ਢੇਰੀ ਦੀ quality ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਣਕ ਵਿਚ ਐਨਾ ਘੱਟਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰੀ ਆਦਮੀ ਵੀ ਉਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਬੋਲੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਣਕ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਭਾ ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਘੱਟੇ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਮਤਲਬ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਮੰਤਰੀ : ਘੱਟੇ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ।

श्री राम प्यारा : क्या Government ने कोई standard मुकर्रर किया हुआ है कि इस standard की गंदम खरीदनी है या निकम्मी भी खरीदी जाती है ?

डाक्टर परमा नन्द : क्या वज़ीर साहिब यह बतायेंगे कि गवर्नमैंट ने जिस rate पर गंदम खरीदी है क्या उस से कम या ज्यादा पर बेचने की सज़ा भी है ?

Mr. Speaker: It is not a supplementary question.

ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੜਾ ਜਿਹੜਾ purchase ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਵਾਸਤੇ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

Mr. Speaker: It is altogether a different question.

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : जब आपने वह गंदम मिट्टी मिली हुई खरीदी और साफ करके अब आप देते हैं, तो क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि वह गंदम गवर्नमैंट को सस्ती कैसे पड़ गई ?

मन्त्री : हम तो average निकालते हैं और वही आपको बतलाता हूँ कि average 14 रु० और 15 रु० फी मन के करीब बनती है ।

श्री राम प्यारा : क्या वजीर साहिब बताएंगे कि जो घट्टे और मेंगणा वाली कनक खरीदी ...... (हंसी)

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ?

मंत्री : मैंने तोली नहीं अभी कि कितनी मिट्टी इकट्ठी हुई।

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ : ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਵਿਚ 12.50 ਰੁਪਏ ਔਰ 11.50 ਰੁਪਏ ਮਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

श्री अध्यक्ष : इसके लिए अलहदा नोटिस दो। (The hon. Member may give a separate notice for that.)

OFFICIALS IN SUPPLIES DEPARTMENT, KARNAL

*6022. **Dr. Parma Nand :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) whether there are any employees in the Supplies Departments Karnal, who have served in this district for more than three years ; if so, their names together with the reason for their prolonged stay ;

(b) the dates when each of the employee refered to in part (a) above joined in Karnal District together with the nature of duties entrusted to him ?

Shri Benarsi Das Gupta (Deputy Minister) : (a) and (b)A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

STATEMENT SHOWING THE INFORMATION REQUIRED BY DR. PARMA NAND M. L. A. WITH REFERENCE TO HIS ASSEMBLY QUESTION NO. 6022 STARTED REGARDING OFFICIALS IN SUPPLIES DEPARTMENT

Name of the official	Date of joining	Nature of duty	Reasons for prolonged stay
1. Shri Balmukand, IFS.	26-9-56	P.R.Work	In view of the increased procurement of wheat and rice during 1959 and 60, it was considered necessary in public interest to retain these experienced officials having knowledge of old records acctts, etc., in Karnal District beyond their normal tenure of three years.
2. Shri Shadi Ram, Junior Auditor	15-6-57	Accounts work	
3. Shri Karam Singh Clerk Junior Auditor	24-9-56	Clerical work	
4. Shri Narajan,Singh Driver	22-8-46	Driver	Such low-paid officials are appointed for service within the district, and are not liable to transfer outside after three years.
5. Shri Gopal Dass, Daftri	 48	Daftri	
6. Shri Suraj Bhan, Peon	7-11-46	Peon	
7. Shri Krishana, Peon	8-9-48	Peon	

डाक्टर परमा नन्द : सवाल के जवाब में मिनिस्टर साहिब ने अभी कहा कि श्री बालमुकंद को ज़्यादा तजुर्बा है और सरकार की procurement की Policy है, इस लिये उसको तीन साल पूरे हो जाने पर भी रोका गया है। इस सिलसिले में मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या और ज़िलों में भी ऐसे तजुर्बाकार मुलाज़मीन रोके गए हैं ?

मन्त्री : State trading की Policy के मुताबिक procurement करनी थी, इसलिये administrative convenience को देखते हुए ऐसे कर्मचारियों को रखा गया है।

डाक्टर परमा नन्द : क्या मिनिस्टर साहिब बतलायेंगे कि क्या श्री बालमुकन्द Civil Supplies के office में काम करता है या किसी barrier पर लगा हुआ है ?

मन्त्री : इस के लिये अगर आप separate notice दें तो बतला सकूंगा। ऐसे मैं नहीं बतला सकता।

श्री राम प्यारा : डिप्टी मिनिस्टर साहिब ने जो statement मेज़ पर रखी है उस में बतलाया गया है कि श्री बालमुकन्द को ज़िला करनाल में तीन साल से ज़्यादा अर्सा से procurement के लिये लगाया हुआ है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि उसे क्या procurement के काम पर लगाया हुआ है या कि किसी barrier पर लगाया हुआ है ?

मन्त्री : क्योंकि आप ने specific information मांगी है तो इस के लिये अगर आप separate notice दें तो ही मैं बतला सकूंगा।

LAND REVENUE IN DERA BASSI AREA (ERSTWHILE KALSIA STATE)

***5910. Sardar Prem Singh Prem :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether the land revenue rates in Dera Bassi area of the former Kalsia State were brought to the level of the rates prevailing in the Punjab ; if so, when ;

(b) whether he is aware of the fact that apart from land revenue some kind of water rate was being charged from the landowners of the said area for the supply of water to them from kuhls, up to the date mentioned in part (a) above ;

(c) If the answer to part (b) above be in the affirmative whether he is also aware of the fact that no water was, in fact, supplied to the said landowners, from the date from which Pepsu was constituted, if so, whether there is any proposal to refund this amount.

Shri Mohan Lal : Part (a) Yes ; The new rates were made applicable from Rabi, 1958 ;

Part (b) On a representation since received from the landowners of the area, the D.C., Patiala reported that no such water-rate was being charged. In case, there was still any doubt to the representationists, they were advised to contact the Deputy Commissioner, Patiala for their satisfaction. The Deputy Commissioner, informed that no such deputation has met him so far.

Part (c) The question does not arise.

Note.—Minister for Revenue being away all the questions standing in his name were answered by the Minister for Industries, Shri Mohan Lal.

Sardar Prem Singh Prem : If a Deputation now waits upon the Deputy Commissioner and convinces him that such water rate was being charged from the landowners of that area, will the Government be prepared to refund the amount so charged ?

श्री अध्यक्ष : यह कैसे relevant है ? (How is this relevant ?)

सरदार प्रेम सिंह प्रेम : मैं यह बताना चाहता हूँ कि deputationists को इस बारे में कोई इत्तलाह नहीं दी गई। मिनिस्टर साहिब ने कहा है कि वे डिप्टी कमिश्नर को मिल लें और बतलायें अगर कहीं ऐसा case हुआ हो। मैं कहता हूँ कि अगर अब कोई deputation उन को मिले और उन को convince करा दे कि इस तरह से रुपये charge किये गये हैं जो नहीं किये जाने चाहियें थे तो.....

श्री अध्यक्ष : Hypothetical question मत पूछिये। इस का जवाब न दिया जाए (It is a hypothetical question. It need not be replied to.)

Sardar Prem Singh Prem : It arises from the reply given by the Minister.

Mr. Speaker : There is no restriction on them. They can meet the Deputy Commissioner at any time.

Sardar Prem Singh Prem : It has been stated in the reply that they were advised to meet the Deputy Commissioner but they have not met him.

Mr. Speaker : There is no substance in the supplementary question. If they have not met the Deputy Commissioner, they can meet him now.

सरदार प्रेम सिंह प्रेम: मैं तो deputation की बात नहीं करता। मैं तो उन से यह कह रहा हूँ कि अगर वे उन को convince करा दें कि उन से रुपये charge किये गये हैं तो क्या उन को वह रुपये refund कर दिये जायेंगे ?

Mr. Speaker : It is a hypothetical question.

GRANT OF REMISSION IN LAND REVENUE TO PERSONS PAYING RS. 5 AS LAND REVENUE, PER ANNUM

***5911. Shri Rup Singh Phul :** Will the Minister for Revenue be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to grant permanent remission of land revenue to the Agriculturists at present who do not pay more than Rs 5 as land revenue, per annum; if so, the steps so far taken in this connection ?

Shri Mohan Lal : The matter is under consideration and it has not taken any final shape yet.

Shri Rup Singh Phul : May I know how long it will take the Government to finalize the matter ?

Minister : So long as it is necessary to consider the matter.

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜੋ proposal under consideration ਹੈ; ਕੀ ਉਹ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਦੀ ਹੈ ? ਕਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ

"whether there is any proposal under the consideration of Government to grant permanent remission of land revenue to the agriculturists who do not pay more than Rs 5 as land revenue...."

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ Proposal ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ?

Minister : The matter is under consideration. Everything connected with it is going to be considered.

राजा रघुवीर सिंह : मिनिस्टर साहिब ने बताया है कि यह चीज under consideration है कि आया जो 5 रुपये तक land revenue देने वाले हैं उन को माफ किया जाये या न किया जाये। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि गवर्नमेंट कब से विचार कर रही है ?

मन्त्री: मेरे पास date नहीं है।

ENQUIRIES AGAINST OFFICIALS IN DEPUTY COMMISSIONERS' OFFICE. GURDASPUR

***5091. Giani Bakhtawar Singh Rai** : Will the Minister for Revenue be pleased to state whether any enquiries against any officials of the Deputy Commissioner's Office, Gurdaspur, on charges of corruption, etc., are at present pending ; if so, the details of such officials ?

Shri Mohan Lal : There is an enquiry pending against Shri Ram Labhaya, a clerk of the office of the Deputy Commissioner, Gurdaspur, on the charges of corruption and the case is still being investigated by the Vigilance Department.

पंडित श्री राम शर्मा: क्या मैं पूछ सकता हूँ कि यह कब से pending है ?

मन्त्री : इत्तलाह मेरे पास नहीं।

SUB-REGISTRARS

***6034. Shri Ram Parkash** : Will the Minister for Revenue be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to appoint more Sub-Registrars in the State ; if so, their number together with the number of Harijans, if any, proposed to be appointed amongst them ?

Shri Mohan Lal : (a) Yes.

(b) 35 posts of Honorary Sub-Registrars are to be filled in but there is no reservation for Harijans as the institution of Hon. Sub-Registrars does not form any regular service. However, applications of suitable Harijan candidates will be considered on merits.

ARREARS OF INDUSTRIAL LOANS IN PANIPAT

***6070. Dr. Parma Nand :** Will the Minister for Revenue be be pleased to state—

(a) Whether any cases for the recovery of loans advanced by the Industries Department have been referred to the Tehsildar, Panipat, since January, 1958 for effecting recoveries as arrears of land revenue; if so, their number ;

(b) whether the Revenue authorities have issued any notices to the defaulters ; if so, the names of such persons ;

(c) the dates of issue of warrants or notices for recovery of loans in each case ?

Shri Mohan Lal : (a) (i) Yes.

(ii) 15.

(b) (i) Yes.

(ii) It is not in public interest to disclose the names of the individual loanees.

(c) As in (b) (ii) above.

डाक्टर परमा नन्द : Part (b) के जवाब में इन्हों ने कहा है कि Public interest में नहीं है......

Mr. Speaker: There is a ruling by me that the names of the loanees should not be disclosed.

श्री राम प्यारा : जिनके खिलाफ recovery के cases हैं उन के मुताल्लिक आपने फरमाया कि उन से recovery as arrears of land revenue वसूल किए जाएंगे लेकिन जिन्होंने अभी industry शुरू ही नहीं की उन के मुताल्लिक क्या फैसला किया गया है ?

मन्त्री : इस के लिये नोटिस दीजिए।

श्री राम प्यारा : अगर नाम नहीं बता सकते तो dates तो बतायें कि कब notice issue किए।

मन्त्री : अगर dates बतायेंगे तो नाम भी बताने पड़ेंगे।

श्री राम प्यारा : स्पीकर साहिब, जिन्हों ने industry ही नहीं चलाई उन का नाम disclose करने में क्या हरज है ?

मन्त्री : इस के लिये separate notice दें।

Mr. Speaker: There should be no reluctance in disclosing the names of the industrialists who have not properly utilized the loan. I shall admit this question if the hon. Member gives separate notice for it.

पंडित श्री राम शर्मा : आखर ऐसे कर्जों की वसूली के लिये कोई time-limit भी है ?

मन्त्री : मुख्तलिफ किस्म के कर्ज़े हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मियाद 10 साल होती है लेकिन कई जगह कम मियाद भी दी जाती है।

पंडित श्री राम शर्मा : जब रुपया इस्तेमाल ही न हुआ हो तो क्या उस हालत में भी दस साल की मियाद है ?

मन्त्री : जहां non-utilization या mis-utilization का case हो वहां जल्दी recovery कर ली जाती है ।

श्री राम प्यारा : अभी अभी वज़ीर साहिब ने बताया है कि non-utilization और misuse के cases हैं तो क्या वह बतला सकते हैं इन 15 cases में से कितने cases misuse के हैं ?

मन्त्री : मैंने पहले ही कहा है कि आप इसके लिये notice दें ।

Mr. Speaker : I have already told the hon. Member to give notice of a separate question and I will admit that.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहिब बतलायेंगे कि यह जो recovery है वह ordinary हालात में है या काम न करने की शिकायत की बिना पर की जा रही है ?

मंत्री : अलहदा अलहदा वाक्यात हैं । कुछ industries तो चल रही हैं लेकिन उन्हों ने instalments अदा नहीं कीं और कुछ cases में हो सकता है कि उन्हों ने काम न शुरू किया हो । तो इस तरह से हरेक का case different है ।

पंडित श्री राम शर्मा : जो arears हैं इनके बारे में क्या सरकार को पता है कि यह dues बाकायदा हैं या काम न करने की हालत में हैं ?

मंत्री : यह तो पता करना पड़ेगा कि कौन से किस category में fall करते हैं ।

श्री अध्यक्ष : मेरा ख्याल है कि जिन्हों ने काम शुरू नहीं किया या loan utilise नहीं किया उनके नाम बता देने चाहियें । (I think the names of those persons who have not started any work or not utilised the loan may be disclosed to the House.)

मंत्री : Then I will have to ascertain this, Sir.

DAMAGE CAUSED BY FLOODS IN PATIALA, SANGRUR AND BHATINDA DISTRICTS

***6103. Raja Maheshindra Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the extent of damage caused to the standing crops and the details of loss of life, property and cattle due to floods in Patiala, Sangrur and Bhatinda districts ;

(b) the details of the relief given by Government to the affected people in these districts separately ?

Shri Mohan Lal : (a) Statement I is placed on the Table.

(b) Statement II is placed on the Table.

STATEMENT I

Statement showing the extent of estimated damage caused to the standing crops and the details of loss of life, property and cattle due to floods in Patiala, Sangrur and Bhatinda

Serial No.	Name of district	*Cropped area damaged*		*Human lives lost*	*Cattle lost*		*Houses damaged*		Damaged Public Works utilities and private institutions in terms of money	REMARKS
		Area affected in acres	Value	No.	No.	Value	No.	Value		
			Rs			Rs		Rs	Rs	
1.	Patiala ..	162,622	2,95,00,630	15	209	52,036	19,170	1,01,70,600	13,70,000	
2.	Sangrur ..	2,78,689	4,72,64,204	2	87	22,690	23,179	79,51,528	*5,41,920	*Information from some Executive Engineer, Irrigation Branch and Buildings and Roads not received by Deputy Commissioner and as such not included.
3.	Bhatinda ..	37,700	37,70,000	1	..	..	1,093	61,62,900	1,10,000	

[Minister for Industries]

STATEMENT II

Statement showing grants and loans sanctioned for Patiala, Sangrur and Bhatinda districts

Serial No.	Name of district	Gratuitous relief sanctioned in rupees	Amount sanctioned for seed	Loans
		Rs	Rs	Rs
1.	Patiala ..	20,00,000	28,50,000	69,50,000
2.	Sangrur ..	25,06,150	62,70,000	1,32,13,900
3.	Bhatinda ..	5,50,000	4,00,000	3,00,000

LAND ACQUIRED FOR GOVERNMENT AGRICULTURAL COLLEGE, LUDHIANA

*5898. **Sardar Bhag Singh :** Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state—

(a) whether any land has been acquired by Government for the Government Agricultural College, Ludhiana; if so, the area thereof together with the names and addresses of those whose land has been acquired ;

(b) whether any compensation has been paid for the land referred to in part (a) above ; if so, whether the same has been paid in full; if not, the time by which it is expected to be paid in full ;

(c) whether there are any lands in respect of which notice under section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 was issued but which have not so far been actually acquired ; if so, the names of persons affected and the time by which these lands are likely to be taken over and compensation therefor paid?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : (a) (i) Yes. The total area acquired is 763.57 acres.

(ii) The requisite information in regard to names and addresses of those whose land has been acquired is given in the statement (Annexure I) laid on the Table.

(b) Compensation has been paid in most of the cases. In the remaining cases, it will be paid within a month or so.

(c) (i) Yes.

(ii) The names of the persons affected are given in the statement (Annexure II) laid on the Table.

(iii) Such lands are likely to be taken over within a month or so. Necessary compensation will be paid shortly after the land is taken over.

Annexure—I

Statement giving names and addresses of those whose land has been acquired in tehsil and district Ludhiana for Government Agricultural College, Ludhiana as referred to in part (a) (ii) of the reply to the Assembly question No. 5898 (starred)

Serial No.	Name of the owner with full address	Village
1	Rajinder Kumar, s/o Khushi Ram, Gauri Shankar, Salig Ram, Verma Nand, ss/o Ram Dita Mal, Madan Lal, s/o Shivdit Ram, Manohar Lal, s/o Birdat, Rajinder Kumar, s/o Khushi Ram, Gurparshad brothers limited, Verma Nand, s/o Ram Ditamal, Gauri Shankar, s/o Ram Ditta Mal, Captain Man Singh, s/o Ram Singh ..	Rajpura

[Deputy Minis'er]

Serial No.	Name of the owner with full address	Village
2	Gulzara Singh, s/o Gajjan Singh ..	Rajpura
3	Gauri Shankar, s/o Ram Ditta Mal ..	Do
4	Jaimal Singh, s/o Harnam Singh ..	Do
5	Lakshmi Dass, Jamna Dass, Kidar Nath, Inder Nath, Dina Nath, ss/o Karam Chand ..	Do
6	Krishana Kumari, d/o M.D. Malhotra, Sukhdip Singh, Hardip Singh, ss/o M.D. Malhotra ..	Do
7	Sukhdip Singh, Hardeep Singh, ss/o M.D. Malhotra ..	Do
8	Sajjan Singh, s/o Jwala Singh ..	Do
9	Amin Chand, s/o Dhani Ram ..	Do
10	Amin Chand, s/o Dhani Ram, Gurparshad Brothers ..	Do
11	Harnam Singh, s/o Attar Singh, shareholder in Shiamlat Deh	Do
12	Shiamlat Deh (Common land) ..	Do
13	Gulzara Singh, s/o Gajjan Singh share holder in Shiamlat Deh	Do
14	Gauri Shankar, Salig Ram, Verma Nand, ss/o Ram Ditta Mal, Madan Lal, s/o Shivdit Ram, Manohar Lal, Devi Datt, Rajinder Kumar, ss/o Dhani Ram ..	Do
15	Narotam Dass, s/o Devi Ram ..	Do
16	Bakhtawar Singh, s/o Jawar Singh, Sajjan Singh, s/o Jawala Singh, Shrimati Amar Vati, d/o Hari Ram, Tej Kaur, w/o Shiv Dev Singh, Mrs. J.B. Tondon and Co., M/s Bishan Housiery Mills, Salig Ram, s/o Ram Ditta Mal ..	Do
17	M/s Mohan Lal Hans Raj ..	Do
18	M/s Jagdish Housiery ..	Do
19	Jaswant Singh, s/o Harnam Singh ..	Do
20	Balwant Singh, s/o Harnam Singh ..	Do
21	Muttav Singh, s/o Harnam Singh ..	Do
22	S. Gurbaksh Singh, s/o Harnam Singh ..	Do
23	Dayal Singh, Sohan Singh, Hargobind Singh, Inder Singh, ss/o Bhagat Singh ..	Do
24	Madan Lal, s/o Shivdat ..	Do
25	Bakhtawar Singh, s/o Jawahar Singh ..	Do
26	Shrimati Tej Kaur, w/o Sunder Singh ..	Do
27	Amarwati, d/o Hari Ram ..	Do
28	Sucha Singh, s/o Harnam Singh ..	Do
29	Mohan Singh, s/o Harnam Singh ..	Do

Serial No.	Name of the owner with full address	Village
30	Jagir Singh, s/o Chanda Singh, Chandan Singh s/o Kehar Singh ..	Rajpura
31	Gawrakshak Sabha, Ludhiana ..	Do
32	Madan Lal, s/o Shivdat Ram ..	Do
33	Verma Nand, s/o Ram Ditta Mal ..	Do
34	Gauri Shankar , s/o Ram Ditta Mal ..	Do
35	Amin Chand, Kishan Chand, ss/o Dhani Ram, Lakshmi Dass, Jamna Dass, Kidar Nath, Inder Nath, Dina Nath, ss/o Karam Chand, M.D. Malhotra, s/o Jeewan Mal, Shrimati Lajawati w/o M.D. Malhotra, Gauri Shankar, Saligram, Verma Nand, ss/o Ram Ditta Mal, Madan Lal, ss/o Shivdit Ram, Manohar Lal, Dev Dit, Rajinder Kumar, ss/o Khushi Ram, Manohar Lal, Devidit, Rajinder Kumar, ss/o Khushi Ram ..	Do
36	Pritam Singh, Ishar Singh, Harchand Singh, ss/o Daswanda Singh ..	Do
37	Devidit, s/o Khushi Ram, Raj Kumar, s/o Khushi Ram, Manohar Lal, s/o Khushi Ram ..	Do
38	Satpal , s/o Tarsem Lal ..	Do
39	Ashok Kumar, s/o Ram Parkash ..	Do
40	Kishan Chand, s/o Dhani Ram ..	Do
41	Kartar Singh, s/o Major Ram Singh ..	Do
42	Gurparshad Trust Regd., Ludhiana ..	Taraf Hussan-pura
43	Harnam Singh, s/o Bishan Singh ..	Do
44	Sajjan Singh, s/o Mutav Singh ..	Do
45	Kartar Singh, s/o Mutav Singh ..	Do
46	Amar Singh, Barbans Singh, ss/o Bhagwan Singh ..	Do
47	Prahlad Singh, Gurmal Singh, ss/o Karam Singh in equal share	Do
48	Dev Raj, s/o Lajpat Rai ..	Do
49	Bharat Bhushan, Yashi Bhushan, Ravi Bhushan, ss/o Mulkh Raj	Do
50	Shrimati Bishan Kaur, wd/o Kabal Singh ..	Do
51	Amrik Singh, s/o Kishan Singh ..	Do
52	Hari Kishan , s/o Nathu Ram ..	Do
53	Inder Sarup, s/o Baij Nath ..	Do
54	Kehar Singh, s/o Jagar Singh ..	Do
55	Bakhtawar Singh, s/o Rurh Singh ..	Do
56	Joginder Singh, s/o Harbans Singh ..	Do
57	Faqir Chand, s/o Ram Lal, Hari Chand, s/o Nijam ..	Do
58	Lahora Singh, s/o Kehar Singh	Do

[Deputy Minister]

Serial No.	Name of the owner with full address	Village
59	Gurkartar Trust Regd., Ludhiana, (Manager S. Joginder Singh), Gurparshad Trust Regd., Ludhiana, (Manager S. Joginder Singh) ..	Taraf Hussanpura
60	Mela Singh, s/o Tara Singh, Dhian Singh, s/o Mehtab Singh, Maharaj Singh, s/o Lakhbir Singh, etc. ..	Do
61	Composite property ..	Rajpura
62	Composite property ..	Tarf Hussan-pura
63	Inder Mohan Singh, Surjeet Singh, Gur-Iqbal Singh, ss/o Chetan Singh, Mohinder Singh, Joginder Singh, ss/o Jammadar Waryam Singh ..	Hebbcwal Khurd
64	Muktdip Singh, s/o Jeewan Mal, and Smt. Lajja Wati, w/o Muktdip Singh ..	Do
65	Kartar Singh, s/o Amar Singh ..	Do
66	Inder Mohan Singh, Surjeet Singh, Gur-Iqbal Singh, ss/o Chetan Singh, Mohinder Singh, Joginder Singh, ss/o Jamadar Waryam Singh ..	Do
67	Jagir Singh, Malkiat Singh, ss/o Inder Singh ..	Sunnet
68	Nathu, S/o Khazana ..	Do
69	Mst. Indi, widow of Sunder ..	Do
70	Milkhi, s/o Atra ..	Do
71	Arjan Singh, s/o Mangal Singh and Prem Singh, s/o Gajjan Singh ..	Do
72	Santa Singh, son of Hazara Singh ..	Do
73	Bagga Singh and Nachhatar Singh, sons of Sadda Singh ..	Do
74	Puran Singh, son of Gurdit Singh ..	Do
75	Babu Singh, son of Gurdit Singh ..	Do
76	Kartar Singh, etc., sons of Sunder Singh, Jagjit Singh, son of Kalu, Amar Singh ..	Do
77	Bhan Singh, Lachhman Singh, sons of Sunder Singh ..	Do
78	Bachan Singh, son of Jaimal Singh, Ram Kishan, Ram Chand, sons of Fateh Singh ..	Do
79	Mst. Bhagwant Kaur, widow of Bharpur Singh ..	Do
80	Pritam Singh, son of Dasaundha Singh ..	Do
81	Karamjit Singh, Saramjit Singh, etc. ..	Do
82	Mst. Bhagwant Kaur, widow of Bharpur Singh, Karamjit Singh	Do
83	Surinder Pal Singh, son of Chanan Singh ..	Do
84	Gajjan Singh and Mrs. Harnam Kaur, Partap Singh, Sarwan Singh, etc. ..	Do

Serial No.	Name of the owner with full address	Village
1	2	3
85	Balinder Bachan Singh, Jatinder Bachan Singh, sons of Sapuran Bachan Singh, Jagjit Singh, etc. ..	Sunnet
86	Pritam Singh, son of Sham Singh ..	Do
87	Mst. Harbans Kaur, Rajinder Kaur, widows of Darshan Singh	Do
88	Hardev Singh, Jang Singh, etc. ..	Do
89	Chanda Singh, Tara Singh ..	Do
90	Partap Singh, etc. ..	Do
91	Bakshish Singh ..	Do
92	Amar Singh, Bir Singh, sons of Mangal Singh and Jagjit Singh, etc. ..	Do
93	Harkishan, son of Nathu Ram ..	Do
94	Raunki Ram, son of Nathu Ram ..	Do
95	Naurata Ram, son of Karta Ram ..	Do
96	Munshi Ram, son of Gonda Ram ..	Do
97	Ram Kishan, etc., Amin Chand ..	Do
98	Siri Ram and Salig Ram, sons of Sukh Ram, Vidya Wanti, widow of Ram Lal ..	Do
99	Mrs. Shiv Dev Kaur ..	Do
100	Chanan Singh, son of Roor Singh ..	Do
101	Kehar Singh, Sur Singh, Arjan Singh, sons of Rur Singh ..	Do
102	Bachitar Singh, Jind Singh, sons of Gopal Singh ..	Do
103	Varyam Singh, son of Gopal Singh ..	Do
104	Harnam Singh, son of Bhan Singh ..	Do
105	Common Land ..	Do
106	Arjan Singh, son of Mangal Singh ..	Do
107	Inder Mohan Singh, Surjeet Singh, Guru Iqbal Singh, sons of Chetan Singh, Mohinder Singh, Joginder Singh, sons of Jammadar Waryam Singh, Evacuees ..	Habbowal Khurd
108	Ditto ..	Ditto
109	Ditto ..	Ditto
110	Kartar Singh, son of Amar Singh ..	Ditto
111	Ditto ..	Ditto
112	Maya Singh, Sadhu Singh, Amar Singh, Gurdial Singh, sons of Gurdit Singh ..	Ditto
113	Lal Singh, son of Bhagwan Singh, ..	Ditto
114	Evacuee land	Ditto

[Deputy Minister]

ANNEXURE II

The names of persons affected by the notification issued under section 4 of the Land Acquisition Act, 1894, as referred to in part C(ii) of the reply to Assembly Question No. 5898 (Starred)

Serial No.	Name of the owner with full address	Village
1	2	3
1	Bhan Singh, Lachhman Singh, sons of Chanda Singh ..	Sunnet, tehsil and district Ludhiana
2	Arjan Singh, son of Mangal Singh, Prem Singh, son of Gajjan Singh ..	Ditto
3	Bir Singh, Santa Singh, sons of Ram Singh ..	Ditto
4	Dalip Singh, son of Dansodhi, Tirlok Singh, son of Dansodhi, Gurdial Singh, son of Rattan Singh, Inderjit, son of Karnail Bhagwant Singh and Gajjan Singh, etc. ..	Ditto
5	Inderjit Singh, son of Karnail Bhagwant Singh ..	Ditto
6	Jang Singh, Hardev Singh, sons of Sharimati Kartar Kaur, widow of Lachhman Singh ..	Ditto
7	Nika Singh, son of Rangi Ram, Saudagar Singh, son of Puran Singh, Joginder Singh, Sunder Singh, Chanan Singh, Labhu Singh, sons of Nathu ..	Ditto
8	Jagir Singh, Bir Singh, Malkiat Singh, sons of Inder Singh ..	Ditto
9	Mohan Singh, Malkiat Singh, sons of Harnam Singh, Ujaggar Singh, son of Mangal Singh ..	Ditto
10	Common Land ..	Ditto
11	Santa Singh, son of Ram Singh ..	Ditto
12	Randhir Singh, son of Ram Singh, Ujagar Singh, son of Lal Singh, Ishar Singh, son of Rulia Singh ..	Ditto
13	Shrimati Harbans Kaur, widow of Mohinder Singh, Rajinder Kaur, widow of Mohinder Singh and Darshan Singh, son of Mohinder Singh ..	Ditto
14	Kartar Singh, son of Pala Singh ..	Ditto
15	Hari Singh, son of Sardara Singh ..	Ditto
16	Shrimati Bhagwant Kaur, widow of Bharpur Singh ..	Ditto
17	Sarwan Singh, son of Ram Ditta ..	Ditto
18	Mohan Singh, Malkiat Singh, sons of Harnam Singh, Ujaggar Singh, son of Mangal Singh ..	Ditto
19	Mohan Singh, Malkiat Singh, sons of Harnam Singh, Ujagar Singh, son of Mangal Singh, Shrimati Bhagwant Kaur, widow of Bharpur Singh ..	Ditto

Serial No.	Name of the owner with full address	Village
1	2	3
20	Shrimati Bhagwant Kaur, widow of Bharpur Singh, Pritam Singh, son of Davinder Singh, Karmjit Singh, Sammarjit Singh, Prem Parkash Singh, sons of Harbans Singh ..	Sunnet, tehsil and district Ludhiana
21	Shrimati Harbans Kaur ..	Ditto
22	Chanda Singh, Tara Singh, Mukhtiar Singh, Ujagar Singh, sons of Nahar Singh ..	Ditto
23	Bhagwant Singh, son of Hari Narain ..	Ditto

ENQUIRY INTO UNSUITABILITY OF LAND PURCHASED FOR SEED FARMS IN TEHSIL AJNALA

***6044. Shri Balram Das Tandon :** Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state—

(a) whether any enquiry was held by the Deputy Commissioner, Amritsar, into the allegation of unsuitability of land purchased by Government for seed farms in tehsil Ajnala, district Amritsar ;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, whether the Deputy Commissioner has submitted his report ; if so, the details thereof and the action, if any, taken thereon ?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : (a) Yes.

(b) The report of the Deputy Commissioner was vague on certain material points and Government, therefore, appointed a three-man Committee consisting of the Commissioner, Jullundur Division, Director of Agriculture, Punjab and Agriculture Chemist. The Committee, alongwith the Deputy Commissioner and some other officers of the Department of Agriculture inspected the land and made acategorical report that the land was admirably suited for the purpose for which it has been acquired and that the allegations were baseless.

श्री बलराम दास टण्डन : स्पीकर साहिब, जो सवाल मैं ने पूछा था उसका जवाब नहीं आया। मैं ने पूछा था कि Deputy Commissioner की report की details क्या हैं, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया और सिर्फ यह कह दिया गया है कि vague थीं।

I wanted to know what the report submitted by the Deputy Commissioner was with its details

Mr. Speaker : The question is—

"......whether the Deputy Commissioner has submitted his report; if so, the details thereof ...."

You wanted to know something about the report generally and not in detail.

श्री बलराम दास टण्डन : जनाब, इस report में particulars नहीं बताए गए। इस कमेटी के अन्दर जिसका ज़िक्र जवाब में किया गया है साफ तौर पर बताया गया है कि वह ज़मीन जो seed farm के लिये ली गई थी वह निकम्मी थी।

Mr. Speaker : Please do not introduce your own knowledge while asking a supplementary question.

श्री बलराम दास टण्डन : क्या यह सरकार की पालिसी है कि जब कोई report पसंद न आए तो एक और कमेटी बना दी जाए ?

Mr. Speaker : This is not a supplementary question.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि vague होने की बात ज़मीन के suitable न होने के मुताल्लिक है या unsuitable होने के बारे में ? क्या Deputy Commissioner की report यह थी कि ज़मीन ठीक है या नहीं ? क्या वज़ीर साहिब इसके बारे में रोशनी डाल सकते हैं ?

उप-मन्त्री (श्री हरबंस लाल) : डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट इस तरह की थी जिस से कि कोई नतीजा नहीं निकाला जा सकता था कि वह हक में है या कि बरखिलाफ़। यही वजह है कि इन अफसरों की कमेटी बैठाई गई है।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या यह बात बताई जा सकती है कि वह ज़मीन किन लोगों की है ताकि पता लग सके कि क्या दिक्कत पेश आ रही है ?

उप-मन्त्री : वह ज़मीन डाक्टर प्रकाश सिंह, गांव बयास बड़ंग, तहसील अजनाला, ज़िला अमृतसर की है।

BAN SARKAR AREA OF SHAMLAT DEH IN KANGRA DISTRICT

*6094. **Shrimati Sarla Devi Sharma** : Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state the action, if any, taken by Government to hand over "Ban Sarkar" area of Shamlat Deh and Tika to the respective Panchayats of Kangra District ?

Bakhshi Partap Singh (Deputy Minister) : Steps are afoot to formulate a scheme for the transfer of management of forests to Panchayats in Bansarkar area of undemarcated and unclassed forests in certain parts of Kangra District subject to certain conditions and rules.

श्री अध्यक्ष : इस का मतलब यह है कि कुछ तजवीज़ें ज़ेरे ग़ौर हैं जिन की बिना पर जंगलात का इन्तज़ाम पंचायतों को दे दिया जाएगा। (This means that certain schemes are under consideration of Government and on their finalization the administration of forests will be handed over to the panchayats.)

श्रीमती सरला देवी शर्मा : स्पीकर साहिब, पिछले बजट सैशन में और उस से पिछले सैशन में भी यही जवाब था कि ग़ौर किया जा रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर इस को finalize होने में कितनी देर लगेगी ?

उप-मन्त्री : इस को finalize करने की जल्दी ही कोशिश की जाएगी ।

श्रीमती सरला देवी शर्मा : तीन साल हो गए हैं सरकार की तरफ से यही जवाब आ रहा है । मैं जानना चाहती हूँ कि कब होगा ?

STARTING OF B. SC. (HONOURS) CLASSES IN DHARMSALA

***6000. Shri Hari Ram** : Will the Minister for Education be pleased to State—

(a) whether there exist any Honours Courses in B. Sc. classes in the Government College, Dharmsala ;

(b) if the answer to the above be in the negative, whether Government intend to start such classes; if so, when ?

Shri Yash Pal (Deputy Minister) :

(a) No.

(b) The question of starting B. Sc (Hons.) classes will be considered at the appropriate time

GRANTS FOR CONVERSION INTO MULTIPURPOSE SCHOOLS

***6035. Shri Sumer Singh** : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether any grants were given to any schools in the State for their conversion into multipurpose schools ; if so, a list thereof be placed on the Table;

(b) the manner in which Government ensured that the grants referred to in part (a) above were utilised for the purpose for which they were given ;

(c) whether Government received any complaints that the said grants were being utilised for other purposes ; if so, the action taken thereon ?

Shri Yash Pal (Deputy Minister) : (a) Yes. The list is placed on the Table.

(b) The reply is placed on the Table.

(c) Yes. Necessary investigation is being made.

[Deputy Minister]

Implementation of the recommendations of the Secondary Education Commission—Conversion of existing High Schools into multi-purpose type etc. Grants sanctioned up to 1958-59.

Serial No.	Names of Schools	Scheme No. 1(i) Conversion of existing high schools into multi-purpose type by introduction of courses	Scheme No. 1(ii) Assistance to high schools for the improvement of existing facilities for teaching of Science at Rs. 50,000 per school	Scheme No. 2. Improvement of teaching in existing schools grant for setting up or improving the laboratories for general Science, providing equipment and appliances for craft and proper teaching of Social studies at Rs. 15,000 per School	Schem No. 3. Improvement of School libraries grant to multi-purpose schools at Rs. 5,000 each and to other Schools at Rs. 2,500 each	Scheme No 4. Introduction of crafts in middle shcools or in middle departments of high schools at Rs. 3,000 per School	Total
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
	GURGAON DISTRICT						
1	Government High School, Gurgaon ..	2,73,226 (Science and Technical)	..	15,000	5,000	..	2,93,226
2	Rajput High School, Bhundsi ..	..	..	15,000	2,500	..	17,500
3	National High School, Badshapura ..	..	..	15,000	2,500	..	17,500
4	B. S. High School, Rewari ..	33,962 (Commerce)	..	15,000	5,000	..	53,962
5	Hindu High School, Rewari ..	..	..	15,000	2,500	..	17,500
6	Jain High School, Rewari	..	..	15,000	2,500		17,500
7	Janta High School, * ..	40,000 (Agriculture)	..	15,000	2,500	..	57,500

8	Government Girls High School, Rewari	63,159 (Fine Arts and Home Science)	25,000	15,000	5,000	..	1,08,159
9	Government High School, Faridabad Township	3,07,188 (Science, Technical and Commerce)	..	15,000	5,000	..	3,27,188
10	B. B. Ashram Girls Middle School, Rewari	..	..	..	..	3,000	3,000
11	S. D. High School, Gurgaon ..	..	..	..	2,500	..	2,500
12	Jat High School, Hodal ..	..	..	15,000		..	15,000
13	M. L. A. High School, Jatauli ..	..	..	15,000	..	..	15,000
14	Government Gandhi Memoiral High School, Garhi Hasaru	..	..	15,000	..	..	15,000
15	Aggarwal High School, Balabgarh ..	..	..	15,000	2,500	..	17,500
16	D. A. V. High School, Gurgaon ..	..	..	15,000	..	..	15,000
17	B. L. High School, Khol ..	..	..	15,000	..	..	15,000
18	Rashtriya High School, Rewari ..	..	..	15,000	2,500	..	17,500
19	S. L. Girls High School, Gurgaon ..	..	..	15,000	..	..	15,000
20	Government High School, Bawal ..	..	25,000	..	..	..	25,000
	AMBALA DISTRICT						
1	Khalsa High School, Ambala City ..	..	50,000	..	..	..	50,000
2	S. A. Jain High School, Ambala City	..	..	15,000	..	..	15,000

*Not clear from Government reply.

[Deputy Minister

Serial No.	Names of schools	Scheme No. 1(i) Conversion of existing high schools into multi-purpose type by introduction of courses	Scheme No. 1(ii) Assistance to high schools for the improvement of existing facilities for teaching of Science at Rs. 50,000 per school	Scheme No. 2 Improvement of teaching in existing Schools grant for setting up or improving the laboratories for General Science, providing equipment and applia nces for craft and proper teaching of Social Studies at Rs. 15,000 per School	Scheme No. 3. Improvement of school libraries grant to multi-purpose schools at Rs. 5,000 each and to other schools at Rs. 2,500 each	Scheme No. 4. Introduction of crafts in middle schools or in middle departments of high schools at Rs. 3,000 per school	Total
	AMBALA DISTRICT—CONTD						
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
3	Armed Forces Children High School, Ambala Cantt	..	..	15,000	2,500	..	17,500
4	S. D. High School, Simla ..	..	..	15,000	2,500	..	17,500
5	D. A. V. High School, Simla ..	..	..	15,000	2,500	..	17,500
6	Horcouit Butler High School, Simla	..	..	15,000	2,500	..	17,500
7	Government High School, Naraingarh	1,03,226 (Science)	..	15,000	5,000	..	1,23,226
8	Government High School, Jagadhri ..	1,00,000 (Science and Technical)	70,000	15,000	5,000	..	1,90,000
9	Khalsa High School, Chamkaur Sahib	..	..	15,000	..	..	15,000
10	Government High School, Kalka ..	..	50,000	..	..	..	50,000
11	Khalsa High School, Kharar ..	40,000 (Agriculture)	..	..	2,500	..	42,500
12	Khalsa High School, Sohana ..	..	..	15,000	2,500	..	17,500

13	K. P. Arya High School, Ambala City	..	..	15,000	2,500	..	17,500
14	Sikh Girls High School, Ambala Cantt	..	..	15,000	2,500	..	17,500
15	Hergolal Girls High School, Ambala Cantt	..	..	15,000	2,500	..	17,500
16	Arya Girls High School, Simla ..	..	..	15,000	2,500	..	17,500
17	E. C. Sikh Girls High School, Simla	..	..	..	2,500	..	2,500
18	Lady Irwin High School, Simla ..	..	..	15,000	2,500	..	17,500
19	Khalsa Girls High School, Morinda ..	..	..	15,000	2,500	3,000	20,500
20	Sohan Lal Girls High School, Ambala Cantt.	..	50,000	..	..	..	50,000
21	Mission Girls High School, Kharar ..	..	..	15,000	2,500	..	17,500
22	Hindu Girls High School, Jagadhri ..	..	..	15,000	2,500	3,000	20,500
23	Adarsh Kanya Maha Vidyala, Sadhaura	..	..	..	..	3,000	3,000
24	M. E. Pra Mission Girls School, Ambala City	..	..	..	..	3,000	3,000
25	Hindu A. V. Girls Middle School, Kalka	..	..	..	..	3,000	3,000
26	Arya Girls School, Morinda ..	..	..	..	..	3,000	3,000
27	S. D. Girls Middle School, Mustafabad	..	..	..	..	3,000	3,000
28	Kalgidhar Refugee Kanya Pathshala, Ambala City	..	..	..	..	3,000	3,000
29	Sikh Kanya Middle School, Kal ..	..	..	..	..	3,000	3,000
30	D. A. V. High School, Chandigarh ..	1,03,226 (Science)	..	..	5,000	..	1,08,226

[Deputy Minister]

Serial No.	Names of the Schools	Scheme No. 1(i)—Conversion of existing High schools into multi-purpose type by introduction of courses	Scheme No. 1(ii)—Assistance to high schools for the improvement of existing facilities for teaching of Science at Rs. 50,000 per school	Scheme No. 2—Improvement of teaching in existing schools—Grant for setting up or improving the laboratories for general Science, providing equipment and appliances for craft and proper teaching of social studies at Rs. 15,000 per School	Scheme No. 3.—Improvement of school libraries—Grant to multi-purpose schools at Rs. 50,000 each and to other schools at Rs. 2,500 each	Scheme No. 4.—Introduction of crafts in middle schools or in middle departments of high Schools at Rs. 3,000 per school	Total
	AMBALA DISTRICT—CONTD						
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
31	S. D. High School, Ambala Cantt ..	..	..	15,000	2,500	..	17,500
32	A. I. Mission Middle School, Ambala City	..	..	..	..	3,000	3,000
33	Lady Noyes Girls Middle School, Simla	..	..	..	..	3,000	3,000
34	Khalsa High School, Ambala Cantt ..	..	..	15,000	..	..	15,000
35	Government High School, Singh Bhagwantpur	..	..	15,000	..	..	15,000
36	Chakwal National High School, Kurali	..	..	15,000	..	..	15,000
37	Arya Girls High School, Kalka ..	..	..	15,000	..	..	15,000
38	P. K. R. Jain Girls High School, Ambala City	..	..	15,000	2,500	..	17,500
39	Dev Samaj Girls High School, Ambala City	..	..	15,000	..	..	15,000

40	A. S. High School, Ambala City ..	..	..	15,000	..	..	15,000
41	G. T. Khalsa High School, Manpur ..	..	..	15,000	..	..	15,000
42	D. A. V. High School, Ambala Cantt	..	..	15,000	..	..	15,000
43	Government Girls High School, Yamuna Nagar	..	..	15,000	..	..	15,000
44	M. L. N. High School, Yamuna Nagar	..	..	..	2,500	..	2,500
45	B. D. High School, Ambala Cantt ..	..	..	..	2,500	..	2,500
46	Indra High School, Kainaur ..	..	..	15,000	..	..	15,000
47	Dev Samaj Girls High School, Chandigarh	..	..	15,000	..	..	15,000
48	S. G. N. Khalsa School, Yamuna Nagar	..	..	15,000	..	..	15,000
49	Government Girls High School, Ambala City	63,159 (Fine Arts and Home Science)	..	15,000	5,000	..	83,159
50	Christian High School, Kharar ..	40,000 (Agriculture)	..	..	..	..	40,000
51	S. D. High School, Jagadhri ..	..	..	15,000	..	..	15,000
52	Government High School, Chandigarh	50,000 (Fine Arts and Home Science)	..	..	..	..	50,000
53	Government Girls High School, Chandigarh	15,000 (Fine Arts and Home Science)	25,000	..	..	..	40,000

[Deputy Minister]

Serial No.	Names of Schools	Scheme No 1(i)—Conversion of existing High schools into multi-purpose type by introduction of courses	Scheme No. 1(ii)—Assistance to high schools for the improvement of existing facilities for teaching of Science at Rs. 50,000 per school	Scheme No. 2—Improvement of teaching in existing schools, Grant for setting up or improving the laboratories for general Science, providing equipment and appliances for craft and proper teaching of social studies at Rs. 15,000 per School	Scheme No. 3.—Improvement of school libraries Grant to multi-purpose schools at Rs. 5,000 each and to other schools at Rs. 2,500 each	Scheme No. 4.—Introduction of crafts in middle schools or in middle departments of high schools at Rs. 3,000 per school	Total
	AMBALA DISTRICT—CONCLD						
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
54	Government Girls High School, Post More, Simla	15,000 (Fine Arts and Home Science)	25,000	..	..	..	40,000
55	Government High School, Bihla ..	..	25,000	..	..	..	25,000
56	Government High School, Kasri ..	..	25,000	..	..	..	25,000
	KARNAL DISTRICT						
1	Government High School, Karnal ..	3,07,188 (Technical and Commerce)	..	15,000	5,000	..	3,27,188
2	D. A. V. High School, Karnal ..	..	50,000	..	..	..	50,000
3	Government High School, Gharaunda	..	50,000	..	..	..	50,000
4	Government High School, Samalkha	..	..	15,000	2,500	..	17,500
5	Government Haryana High School, Adyana ..	..	..	15,000	2,500	..	17,500
6	I. B. Vaish Bharati High School, Panipat	40,000 (Agriculture)	..	..	..	..	40,000

7	Hindu High School, Kaithal ..	..	..	15,000	2,500	..	17,500
8	C. R. M. Jat High School, Kaithal ..	..	..	15,000	2,500	..	17,500
9	Khanewal Khalsa High School, Shahabad	..	..	15,000	2,500	..	17,500
10	S. M. B. Girls High School, Kurukshetra	..	..	15,000	2,500	3,000	20,500
11	S. D. Girls High School, Panipat ..	..	..	15,000	2,500	..	17,500
12	Government Girls High and Normal School, Karnal	63,159 (Fine Arts and Home Science)	25,000	15,000	5,000	..	1,08,15 9
13	Arya Girls High School, Shahabad ..	..	..	15,000	2,500	..	17,500
14	Guru Nanak Girls High School Karnal	..	..	15,000	..	3,000	18,000
15	Daya Nand Arya Girls High School, Karnal	..	..	15,000	2,500	..	17,500
16	S. D. Middle School, Pundri ..	..	..	..	..	3,000	3,000
17	R. D. Arya Kanya Vidayala, Karnal	..	..	15,000	..	3,000	18,000
18	Jairamdas Aggarwal Girls Middle School, Kaithal	..	..	..	..	3,000	3,000
19	S. D. High School, Pundri ..	..	..	15,000	..	3,000	18,000
20	Jain High School, Panipat ..	..	..	15,000	..	..	15,000
21	Arya High School, Panipat ..	..	..	15,000	..	..	15,000
22	Khalsa High School, Karnal ..	..	..	15,000	..	..	15,000
23	Arya High School, Thanesar ..	..	..	15,000	..	..	15,000
24	S. D. High School, Panipat ..	..	..	15,000	..	..	15,000
25	Janta High School, Kaul ..	..	..	15,000	25,000	..	17,500

[Deputy Minister]

Serial No.	Names of Schools	Scheme No. 1(i)—Conversion of existing high schools into multi-purpose type by introduction of courses	Scheme No 1(ii)—Assistance to high schools for the improvement of existing facilities for teaching of Science at Rs. 50,000 per school	Scheme No. 2—Improvement of teaching in existing schools—Grant for setting up or improving the laboratories for general Science, providing equipment and appliances for craft and proper teaching of Social studies at Rs. 15,000 per school	Scheme No. 3—Improvement of School libraries—Grant to multi-purpose schools at Rs 5,000 each and to other Schools at Rs. 2,500 each	Scheme No. 4.—Introduction of crafts in middle schools or in middle departments of high schools at Rs. 3,000 per school	Total
	KARNAL DISTRICT—CONCLD						
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
26	Arya Girls High School, Panipat ..	..	..	15,000	2,500	..	17,500
27	M. L. N. High School, Radaur	..	..	15,000	..	..	15,000
28	Jat High School, Thol ..	..	..	15,000	..	..	15,000
29	S. D. Girls High School, Karnal ..	..	..	15,000	..	..	15,000
30	Government High School, Nilokheri ..	2,73,226 (Science and Technical)	..	15,000	5,000	..	2,93,226
31	Government Girls High School, Panipat	63,159 (Fine Arts and Home Science)	..	15,000	5,000	..	83,159
	HISSAR DISTRICT						
1	Government High School, Chautala	..	..	15,000	2,500	..	17,500

2	D. A. V. High School, Hissar ..	..	..	15,000	2,500	..	17,500
3	H. R. High School, Hissar ..	..	..	15,000	2,500	..	17,500
4	P. S. High School, Hissar ..	33,962 (Commerce)	..	..	5,000	..	38,962
5	Government High School, Bhiwani ..	1,70,000 50,000 (Technical Science)	..	15,000	5,000	..	1,90,000 50,000
6	Vaish High School, Bhiwani ..	..	..	15,000	..	..	15,000
7	Government High School, Sirsa ..	1,03,226 (Science)	..	15,000	5,000	..	1,23,226
8	S. D. High School, Sirsa ..	..	..	15,000	2,500	3,000	20,500
9	Guru Nanak Kanya Pathshala, Hissar	..	..	..	..	3,000	3,000
10	Arya High School, Sirsa ..	..	..	15,000	2,500	..	17,500
11	Government High School, Dabwali ..	..	..	15,000	2,500	..	17,500
12	Jat High School, Hissar ..	..	..	15,000	..	..	15,000
13	S. D. High School, Hansi ..	..	..	15,000	..	..	15,000
14	Janta High School, Uklana Mandi ..	..	..	15,000	2,500	..	17,500
15	T. I. T. High School, Bhiwani ..	..	..	15,000	..	..	15,000
16	F.G. Collegiate High School, Hissar		..	15,000	..	..	15,000
17	Government Girls High School, Bhiwani	15,000 (Fine Arts and Home Science)	..	..	..	..	15,000
18	Government Girls High School, Hissar	50,000 (Science)	..	..	..	..	50,000

]Deputy Minister]

Serial No.	Names of schools	Scheme No. 1(i)—Conversion of existing high schools into multi-purpose type by introduction of courses	Scheme No. 1(ii)—Assistance to high schools for the improvement of existing facilities for teaching of Science at Rs.50,000 per school	Scheme No. 2—Improvement of teaching in existing schools—Grant for setting up, or improving the laboratories for general Science, providing equipment and appliances for craft and proper teaching of Social studies at Rs. 15,000 per school	Scheme No. 3.—Improvement of school libraries—Grant to multi-purpose schools at Rs. 5,000 each and to other schools at Rs. 2,500 each	Scheme No. 4.—Introduction of crafts in middle schools or in middle departments of high schools at Rs. 3,000 per school	Total
	ROHTAK DISTRICT						
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1	Government High School, Rohtak ..	3,07,188 (Science, Technical and Commerce)	..	15,000	5,000	..	3,27,188
2	Arya High School, Rohtak ..	..	..	..	..	3,000	3,000
3	Government High School, Ismaila ..	..	..	..	2,500	..	2,500
4	Jat High School, Rohtak ..	40,000 (Agriculture)	..	..	2,500	..	42,500
5	Jain High School, Rohtak ..	..	..	..	..	3,000	3,000
6	Vaish High School, Rohtak ..	..	..	15,000	..	..	15,000
7	D. A. V. High School, Hassangarh ..	..	..	15,000	2,500	..	17,500
8	Government High School, Murthal ..	..	..	15,000	..	..	15,000
9	C. R. S. High School, Sonepat ..	..	50,000	..	..	..	50,000

10	Government High School, Madina ..	..	..	15,000	2,500	..	17,500
11	Government Girls High and Normal School, Rohtak	63,159 (Fine Arts and Home Science)	..	15,000	5,000	..	83,159
12	Bharat Tak Girls High School, Rohtak	..	..	15,000	2,500	..	17, 500
13	Arya Girls High School, Rohtak ..	..	..	15,000	2,500	3,000	20,500
14	Gurukul Girls School, Khanpur-Kalan	..	..	15,000	2,500	..	17,500
15	D. A. V. Middle School, Bhagwatipur	..	..	..	..	3,000	3,000
16	D. A. V. Middle School, Sanghi ..	..	..	..	..	3,000	3,000
17	S. D. Girls Middle School, Rohtak ..	..	..	..	..	3,000	3,000
18	Janta High School, Dutana ..	40,000 (Agriculture)	..	15,000	..	..	55,000
19	D. A. V. High School, Sanghi ..	..	..	15,000	..	..	15,000
20	G. M. N. High School, Gorer ..	..	..	15,000	..	..	15,000
21	Vaish Arya Kanya Vidyala, Bhaudungarh	..	..	15,000	2,500	..	17,500
22	S. D. Girls High School, Rohtak	..	..	15,000	..	..	15,000
23	Kahror D. A. V. High School, Bahadurgarh	..	..	15,000	..	..	15,000
24	V. K. M. High School, Rohtak ..	..	..	15,000	2,500	..	17,500
25	D. A. V. High School, Rohtak ..	..	..	15,000	..	..	15,000
26	Arya Girls High School, Sonepat ..	..	..	..	2,500	..	2,500
27	Government High School, Dogal ..	..	..	..	2,500	..	2,500

[Deputy Minister]

Serial No.	Names of Schools	Scheme No. 1(i)—Conversion of existing high schools into multi-purpose type by introduction of courses	Scheme No. 1(ii)—Assistance to high schools for the improvement of existing facilities for teaching of Science at Rs. 50,000 per school	Scheme No. 2 Improvement of teaching in existing schools—Grant for setting up or improving the laboratories for General Science, providing equipment and appliances for craft and proper teaching of Social Studies at Rs. 15,000 per School.	Scheme No. 3 Improvement of school libraries—Grant to multi-purpose schools at Rs. 5,000 each and to other schools at Rs. 2,500 each	Scheme No. 4 Introduction of crafts in middle schools or in middle departments of high schools at Rs. 3,000 per school	Total
	ROHTAK DISTRICT—concld						
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
28	D. A. V. High School, Nilauthi ..	..	..	..	2,500	..	2,500
29	Public High School, Chhara ..	..	..	15,000	..	..	15,000
30	Government High School, Jhajjar ..	50,000 (Science)	..	..	..	..	50,000
	JULLUNDUR DISTRICT						
1	Government Model School, Jullundur City	3,47,188 (Science Technical, Commerce and Agriculture)	..	15,000	5,000	..	3,67,188
2	D. S. S.L. High School, Jullundur ..	..	..	15,000	2,500	..	17,500
3	Lyalpur City Khalsa High School, Jullundur	..	..	15,000	2,500	..	17,500
4	D. D. Dirtor High School, Jullundur City	..	..	15,000	2,500	..	17,500

5	Government High School, Phillaur . .	50,000 (Science) 33,962 (Commerce)	. .	15,000	5,000	. .	53,962 50,000
6	G.T.B. Khalsa High School, Hazara	. .	. .	. .	. .	3,000	3,000
7	B. H. Rawalpindi S. D. High School, Shankar	40,000 (Agriculture)	. .	15,000	2,500	. .	57,500
8	Doaba Arya High School, Nawan-shahr	. .	50,000	. .	. .	. .	50,000
9	Janta High School, Kotli Than Singh	. .	. .	. .	. .	3,000	3,000
10	Government Girls High and Normal School, Jullundur	63,159 50,000 (Fine Arts and Home Science)	. .	15,000	5,000	. .	83,159 50,000
11	Fanton Gunj Girls High School, Jul-lundur	. .	. .	15,000	2,500	. .	17,500
12	Shri Tulsi S. D. Girls High School, Jullundur Cantt.	. .	. .	15,000	. .	. .	15,000
13	K. L. Arya Girls High School, Jullun-dur	. .	. .	15,000	2,500	. .	17,500
14	Wazir Singh Khalsa Girls High Scho-ol, Nawan Shahar	. .	. .	15,000	2,500	. .	17,500
15	W. L. Arya Girls High School, Naw-an Shahr Doaba	. .	. .	15,000	. .	3,000	18,000
16	P. A. V. Middle School, Nihaluwal. .	. .	. .	. .	. .	3,000	3,000
17	D. S. G. D. A. V. Middle School, Rai Pur Ball	. .	. .	. .	. .	3,000	3,000
18	Arya Girls Middle School, Kartarpur	. .	. .	. .	. .	3,000	3,000

[Deputy Minister]

Serial No.	Names of Schools	Scheme No. 1(i)—Conversion of existing high schools into multi-purpose type by introduction of courses	Scheme No. 1(ii)—Assistance to high schools for the improvement of existing facilities for teaching of Science at Rs. 50,000 per school	Scheme No. 2 Improvement of teaching in existing schools. Grant for setting up or improving the laboratories for General Science, providing equipment and appliances for craft and proper teaching of Social Studies at Rs. 15,000 per School.	Scheme No. 3 Improvement of school libraries—Grant to multi-purpose schools at Rs. 5,000 each and to other schools at Rs. 2,500 each	Scheme No. 4 Introduction of crafts in middle schools or in middle departments of high schools at Rs. 3,000 per school	Total
	JULLUNDER DISTRICT—concld						
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
19	Vedic Putri Pathshala, Model Town, Jullundur	..	..	..	..	3,000	3,000
20	Khalsa High School, Samrai Jandiala	..	..	15,000	..	3,000	18,000
21	Khalsa High School, Shankar ..	40,000 (Agriculture)	..	15,000	..	..	55,000
22	Khalsa High School, Nangal Ambai	..	..	15,000	..	..	15,000
23	D. A. V. High School, Kartarpur ..	..	..	15,000	..	..	15,000
24	A. S. High School, Nakodar ..	..	..	15,000	..	..	15,000
25	R. Doaba High School, Jullundur ..	..	..	15,000	..	..	15,000
26	Doaba Khalsa High School, Jullundur	..	..	15,000	..	..	15,000
27	G. H. R. Khalsa Girls High School, Dosanj Kalan	..	..	15,000	..	..	15,000
28	Montgomery Khalsa Girls High School, Jullundur City	..	..	15,000	..	..	15,000

School, Jullundur City

29	D. S. S. High School, Basti Nau, Jullundur	..	..	15,000	..	..	15,000
30	Khalsa High School, Dosanj Kalan ..	..	..	15,000	..	..	15,000
31	Khalsa High School, Bundala ..	..	..	15,000	2,500	..	17,500
32	S. D. A. S. High School, Jullundur ..	..	..	15,000	..	..	15,000
33	Khalsa High School, Qazian ..	..	..	15,000	..	..	15,000
34	Gandhi Memorial Girls High School, Basti Guzan, Jullundur	..	..	15,000	..	..	15,000
35	U. C. Institute, Sura Nasi ..	40,000 (Agriculture)	..	..	..	..	40,000
36	Government Training College, Jullundur under Scheme No. 5 (i) Training of Teachers for the Training of Craft Teachers and (ii) Additional facilities for the training of Teachers in the existing Training College	..	..	..	..	..	1,20,000
37	Government Girls High School, Phillaur	15,000 (Fine Arts and Home Science)	..	..	..	..	15,000
	AMRITSAR DISTRICT						
1	Government High School, Amritsar ..	50,000 33,962 (Commerce)	..	15,000	5,000	..	53,962 50,000
2	Government High School, Jandiala Guru	..	50,000	..	..	..	50,000
3	B.V.N. High School, Amritsar	..	..	15,000	2,500	..	17,500
4	D. A. V. High School, Amritsar ..	1,70,000 (Technical)	..	..	..	..	1,70,000
5	Khalsa Collegiate High School, Amritsar	2,73,226 (Science and Technical)	..	..	5,000	..	2,78,226

[Deputy Minister]

Serial No.	Names of the schools	Scheme No. 1(i) Conversion of existing schools into multi-purpose type by introduction of courses	Scheme No. 1(ii) Assistance to high schools for the improvement of existing *facilities* for teaching of Science at Rs. 50,000 per school	Scheme No. 2 Improvement of teaching in existing schools—grant for setting up or improving the laboratories for General Science, providing equipment and appliances for craft and proper teaching of Social Studies at Rs. 15,000 per school	Scheme No. 3 Improvement of school libraries—grant to multi-purpose schools at Rs. 5,000 each and to other schools at Rs. 2,5C0 each	Schem No. 4 Introduction of crafts in middle school or in middle departments of high school at Rs. 3,000 per school	Total
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
	AMRITSAR DISTRICT—CONCLD						
6	Government High School, Attari ..	..	..	15,000	2,500	..	17,500
7	Government High School, Tarn Taran	..	50,000	..	..	..	50,000
8	Khalsa High School, Tarn Taran ..	..	..	15,000	2,500	..	17,500
9	G.G.S. Khalsa High School, Sarhali..	40,000 (Agriculture)	..	..	5,000	..	45,000
10	Government High School, Patti ..	..	..	15,000	2,500	..	17,500
11	Khalsa High School, Kairon ..	40,000 (Agriculture)	..	15,000	2,500	..	17,500 (40,000)
12	Government Girls High School, Mahan Singh Gate, Amritsar	..	25,000	15,000	..	..	40,000
13	Saraswati Girls High School, Amritsar	..	50,000	15,000	2,500	3,000	70,500
14	S.M.G. Girls High School, Baba Bakala	..	..	..	2,500	..	2,500
15	Gandoo Mal Arya Girls High School, Patti	..	..	15,000	..	3,000	18,000

16	M. S. K. Girls High School, Kairon	..	50,000	15,000	2,500	..	67,500
17	St. Marry's Cular Middle School, Amritsar	..	..	..	..	3,000	3,000
18	S. I. S. High School, Verka ..	..	..	15,000	..	..	15,000
19	D. A. V. High School, Patti ..	..	..	15,000	..	..	15,000
20	Hindu Sabha High School, Amritsar	..	..	15,000	2,500	..	17,500
21	S. G. R. D. Khalsa High School, Amritsar	..	..	15,000	..	..	15,000
22	G. N. Public High School, Bhangali	..	..	15,000	..	..	15,000
23	S. D. High School, Amritsar ..	..	..	15,000	..	..	15,000
24	S. S. S. S. High School, Amritsar ..	..	..	15,000	..	..	15,000
25	Mahja Khalsa High School, Khalra ..	..	..	15,000	..	..	15,000
26	B. K. High School, Amritsar ..	..	..	15,000	..	..	15,000
27	Government Girls High School, Amritsar	15,000 (Arts and Home Science)	25,000	..	..	..	40,000

HOSHIARPUR DISTRICT

1	S. D. High School, Hoshiarpur ..	..	..	15,000	2,500	..	17,500
2	Khalsa High School, Khauspur Hiran	40,000 (Agriculture)	..	..	2,500	..	42,500
3	Khalsa High School, Garhdiwala ..	..	50,000	..	..	..	50,000
4	Government High School, Tanda Urmar	40,000 (Agriculture) 50,000	..	15,000	5,000	..	60,000 (50,000)

[Deputy Minister]

Serial No.	Names of the schools	Scheme No. 1(i) Conversion of existing schools into multi-purpose type by introduction of courses	Scheme No. 1(ii) Assistance to high schools for the improvement of existing facilities for teaching of Science at Rs. 50,000 per school	Scheme No. 2 Improvement of teaching in existing schools--grant for setting up or improving the laboratories for General Science, providing equipment and appliances for craft and proper teaching of Social Studies at Rs. 15,000 per school	Scheme No. 3 Improvement of school libraries—grant to multi-purpose schools at Rs. 5,000 each and to other schools a Rs. 2,500 each	Scheme No. 4 Introduction of crafts in middle schools or in middle departments of high schools at Rs. 3,000 per school	Total
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
	HOSHIARPUR DISTRICT—CONCLD						
5	D. A. V. High School, Lasya ..	33,962 (Commerce)	..	..	5,000	..	38,962
6	G. G. S. Khalsa Lowan High School, Miani	40,000 (Agriculture)	..	15,000	..	..	55,000
7	Khalsa High School, Mahilpur ..	33,962 (Commerce)	..	..	5,000	..	38,962
8	D. A. V. High School, Una ..	..	..	15,000	2,500	..	17,500
9	S. G. S. Khalsa High School, Anandpur Sahib	..	..	15,000	2,500	3,000	20.500
10	Government Girls High and Normal School, Hoshiarpur	63,159 (Home Science and Fine Arts)	25,000	15,000	5,000	..	1,08,159
11	Arya Girls High School, Mukerian ..	..	..	15,000	2,500	..	17,500
12	G. H. Khalsa A. V. Middle School, Attowal	..	..	..	..	3,000	3,000

13	A. V. Middle School, Charat Garh ..	..	..	..	..	3,000	3,000
14	D. A. V. Middle School, Brahmpur	..	..	..	..	3,000	3,000
15	A. V. Guru Nanak Middle School, Hoshiarpur	..	..	..	..	3,000	3,000
16	Arya Putri Pathshala, Datarpur ..	..	..	..	..	3,000	3,000
17	S. D. High School, Sham Chaurasi ..	..	..	15,000	..	..	15,000
18	Rajput High School, Fatehpur Bhatlan	..	..	..	2,500	..	2,500
19	D. A. V. High School, Urmar ..	..	..	..	2,500	..	2,500
20	Dr. Hari Ram High School, Datarpur	..	..	15,000	2,500	..	17,500
21	D. A. V. High School, Gumbad* ..	..	..	15,000	..	..	15,000
22	Hindu High School, Jaijon ..	..	..	15,000	..	..	15,000
23	S. B. C. A. High School, Bajwara ..	..	..	15,000	..	..	15,000
24	Khalsa High School, Jarchabbewal* ..	..	..	15,000	..	..	15,000
25	S.D. High School, Bassi Daulat Khan*	..	..	15,000	2,500	..	17,500
26	Parvati Devi Arya Girls High School, Hoshiarpur	..	..	15,000	..	..	15,000
27	Chak Jhumara Girls High School, Hariana	..	..	15,000	..	..	15,000
28	S. H. Khalsa High School, Dasuya ..	..	..	15,000	..	..	15,000
29	Khalsa High School, Pajja Deota Sus	..	..	15,000	..	..	15,000
30	Rajput High School, Dholbha ..	..	..	15,000	..	..	15,000
31	Government Girls High School, Mohilpur	10,000 (Fine Arts)	..	..	..	..	10,000
32	Government High School, Garh-Shankar	..	25,000	..	..	..	25,000

*Not clear from Government reply.

[Deputy Minister]

Serial No.	Names of the Schools	Scheme No. 1(i) Conversion of existing schools into multi-purpose type by introduction of courses	Scheme No. 1(ii) Assistance to high schools for the improvement of existing facilities for teaching of Science at Rs. 50,000 per school	Scheme No. 3 Improvement of teaching in existing schools--grant for setting up or improving the laboratories for General Science, providing equipment and appliances for Craft and proper teaching of Social Studies at Rs. 15,000 per School	Scheme No. 3 Improvement of school libraries—grant to multi-purpose schools at Rs. 5,000 each and to other schools at Rs. 2,500 each	Scheme No. 4 Introduction of crafts in middle schools or in middle departments of high schools at Rs. 3,000 per school	Total
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
	FEROZEPORE DISTRICT						
1	Government High School, Ferozepore	3,07,188 (Science, Technical and Commerce)	..	15,000	5,000	..	3,27,188
2	Malwa Khalsa High School, Ferozepore City	40,000 (Agriculture)	..	..	5,000	..	45,000
3	K. L. M. High School, Ferozepore Cantt	..	..	15,000	2,500	..	17,500
4	Government High School, Abohar ..	..	50,000	..	..	..	50,000
5	Government High School, Zira ..	..	..	15,000	2,500	..	17,500
6	A. D. High School, Dharamkot ..	..	..	15,000	..	3,000	18,000
7	Khalsa High School, Muktsar ..	..	..	15,000	2,500	..	17,500
8	Trust High School, Haripura ..	..	..	15,000	2,500	..	17,500

9	Sikh Kanya Mahavidyala, Ferozepore	..	50,000	..	..	..	50,000
10	Dev Samaj Girls High School, Ferozepore	..	..	15,000	2,500	..	17,500
11	Hindu Girls High School, Ferozepore	..	..	15,000	2,500	..	17,500
12	Dev Samaj Girls High School, Moga	..	..	15,000	2,500	..	17,500
13	Government Girls High School, Muktsar	..	..	15,000	2,500	..	17,500
14	Khalsa A. V. Middle School, Nimn*	..	..	..	..	3,000	3,000
15	H. G. Khalsa A. V. Middle School, Loban	..	..	..	..	3,000	3,000
16	Guru Nanak A. V. Middle School, Chak Kirrianwala	..	..	..	..	3,000	3,000
17	B. L. Memorial Vedic Middle Girls School, Abohar	..	..	..	..	3,000	3,000
18	M. D. A. S. High School, Moga ..	..	..	15,000	..	..	15,000
19	Khalsa High School, Guru Teg Bahadur Garh Rode	40,000	..	15,000	..	..	15,000 (40,000)
20	S. D. High School, Ferozepore ..	..	..	15,000	..	..	15,000
21	Government High School, Malout Mandi	..	..	15,000	..	..	15,000
22	Arya Girls High School, Moga ..	..	..	15,000	..	..	15,000
23	D. A. V. High School, Fazilka ..	..	..	..	2,500	..	2,500
24	Khalsa High School, Amargarh Faro Mehna	..	..	15,000	..	..	15,000
25	Khalsa High School, Moga ..	..	..	15,000	..	..	15,000

*Not clear from Government reply.

[Deputy Minister]

Serial No.	Names of the Schools	Scheme No. 1(i)	1(ii)	2	3	4	Total
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
	FEROZEPORE DISTRICT—CONCLD						
26	Government High School, Patto Hira Singh	50,000 (Science) 40,000 (Agriculture)	..	15,000	5,000	..	60,000 50,000
27	Government High School, Bhucho Mandi	..	..	15,000	..	..	15,000
28	Government Girls High School, Ferozepore	63,159	..	15,000	5,000	..	83,159
	KANGRA DISTRICT						
1	Government High School, Dharamsala	2,73,226 (Science and Technical)	..	15,000	5,000	..	2,93,226
2	G. A. V. High School, Kangra ..	33,962 (Commerce)	..	..	5,000	..	38,962
3	Government High School, Nurpur ..	..	..	15,000	..	..	15,000
4	S. M. Raipur High School, Indora ..	40,000 (Agriculture)	..	15,000	2,500	..	57,500

5	S. A. High School, Garli ..	..	50,000	..	..	..	50,000
6	Government High School, Hamirpur	40,000 50,000 (Agriculture and Science)	..	15,000	5,000	..	60,000 50,000
7	S. D. High School, Didori ..	..	..	..	..	3,000	3,000
8	Panchayat Public High School, Kotla	..	..	..	..	3,000	3,000
9	S. D. High School, Sujanpur Tira ..	..	..	15,000	2,500	..	17,500
10	Mission High School, Palampur ..	..	..	15,000	2,500	..	17,500
11	Z. A. V. High School, Sullah ..	..	..	..	..	3,000	3,000
12	S. D. High School, Baijnath ..	..	..	15,000	2,500	..	17,500
13	G. A. V. High School, Salina ..	..	..	15,000	2,500	..	17,500
14	Government High School, Kulu ..	2,73,226 (Science and Technical)	..	15,000	5,000	..	2,93,226
15	Government Girls High School, Kulu	..	..	..	2,500	..	2,500
16	S. D. Girls Middle School, Ghuggar	..	..	..	..	3,000	3,000
17	S. D. A. V. Middle School, Gopalpur	..	..	..	..	3,000	3,000
18	Government High School, Bhallana ..	..	..	15,000	..	..	15,000
19	S. D. High School, Jawalamukhi ..	..	..	15,000	..	..	15,000
20	S. D. High School, Shahpur ..	..	..	15,000	..	..	15,000
21	A. S. D. High School, Sari Molag ..	..	..	15,000	..	..	15,000

[Deputy Minister]

Serial No.	Names of the Schools	Scheme No.					Total
		1(i)	1(ii)	2	3	4	
	KANGRA DISTRICT—CONCLD						
22	B. Government Girls High School, Dharamsala	15,000 (Fine Art)	..	..	..	..	15,000
23	Government Girls High School, Gulhi	..	25,000	..	..	..	25,000
	GURDASPUR DISTRICT						
1	Government High School, Gurdaspur	2,73,226	..	15,000	5,000	..	2,93,226
2	S. K. D. High School, Tughalwala ..	..	..	15,000	..	3,000	18,000
3	Government High School, Dera Baba Nanak	73,962	..	15,000	5,000	..	93,962
4	Government High School, Sri Hargobindpur	..	..	15,000	2,500	..	17,500
5	D. A. V. High School, Batala ..	..	..	15,000	2,500	..	17,500
6	Khalsa High School, Batala ..	..	..	15,000	2,500	4	17,500
7	S. D. High School, Fatehgarh Churian	33,962	..	..	5,000	1	38,962
8	Government High School, Pathankot	..	50,000	..	..	..	50,000
9	Sikh National High School, Sultani ..	..	..	..	..	3,000	3,000
10	Government Girls High School, Gurdaspur	10,000	29,399	15,000	5,000	..	49,399

11	Government Girls High School, Dina Nagar	..	..	15,000	2,500	..	17,500
12	Arya Girls High School, Pathankot..	..	..	15,000	2,500	..	17,500
13	S. D. A. V. Middle School, Tibber ..	..	..	..	..	3,000	3,000
14	Ved Kaur Arya Girls Middle School, Qadian	..	..	..	..	3,000	3,000
15	D. A. V. Girls School, Gurdaspur	..	..	..	..	3,000	3,000
16	Hindu Putri Pathshala, Dhariwal ..	..	..	..	..	3,000	3,000
17	Avalon Girls High School, Pathankot	..	..	15,000	2,500	..	17,500
18	S. D. High School, Sujanpur ..	..	..	15,000	..	..	15,000
19	Khalsa High School, Taja Kalan ..	..	..	15,000	..	..	15,000
20	L. R. High School Sujanpur ..	..	..	15,000	..	..	15,000
21	Arya High School, Dina Nagar ..	..	..	15,000	..	..	15,000
22	D. A. V. High School, Qadian ..	..	..	15,000	2,500	..	17,50
	LUDHIANA DISTRICT						
1	Government High School, Ludhiana..	3,07,188 (Science, Technical and Commerce)	..	15,000	..	..	3,27,188
2	Arya High School, Ludhiana ..	..	50,000	..	..	..	50,000
3	Malwa Khalsa High School, Ludhiana	..	..	15,000	2,500	..	17,500
4	S. D. P. High School, Ludhiana ..	..	..	15,000	2,500	..	17,500

[Deputy Minister]

Serial No.	Names of the Schools	Scheme No. 1(i)	1(ii)	2	3	4	Total
		Rs	Rs	Rs	Rs	Rs	Rs
	LUDHIANA DISTRICT—CONCLD						
5	Jain Girls High School, Ludhiana ..	..	..	15,000	2,500	..	17,500
6	Khalsa High School, Qila Raipur ..	..	..	15,000	2,500	..	17,500
7	Kundan Vidya Mandir Girls High School, Ludhiana	..	50,000	..	..	..	50,000
8	Alrsa Vidyala, Jagraon ..	..	..	15,000	2,500	..	17,500
9	Khalsa Girls High School, Sidhwan Khurd	..	..	15,000	2,500	..	17,500
10	A. S. High School, Khanna ..	..	..	15,000	..	..	15,000
11	Khalsa Girls High School, Qila Raipur	..	..	15,000	..	..	15,000
12	Khalsa High School, Khanna ..	..	..	15,000	..	..	15,000
13	Arya Girls High School, Ludhiana ..	..	..	15,000	..	..	15,000
14	G. N. Khalsa High School, Karm Sar	..	..	15,000	2,500	..	17,500
15	G. G. Khalsa High School, Kamalpur	..	..	15,000	2,500	..	17,500
16	Khalsa National High School, Ludhiana	..	..	15,000	2,500	..	17,500

17	G. H. G. Khalsa High School, Gursar Sudhar	..	..	15,000	2,500	..	17,500
18	G. N. G. Khalsa Girls High School, Bhopa Rai kalan	..	..	..	2,500	..	2,500
19	Khalsa High School, Mehman Singh Wala	..	..	15,000	..	..	15,000
20	Khalsa High School, Jaspalon ..	..	..	15,000	..	..	15,000
21	Government Girls High School, Civil Line, Ludhian	..	..	15,000	..	..	15,000
	PATIALA DISTRICT						
1	City High School, Patiala ..	3,09,000	..	..	..	..	3,09,000
2	Atma Ram Kumar Sabha High School, Patiala	1,05,000 (Science)	..	..	..	..	1,05,000
3	B. N. Khalsa Polytechnic, Patiala ..	1,70,000 (Technical)	..	..	..	..	1,70,000
4	R. S. Jain High School, Nabha ..	34,000 (Commerce)	..	..	..	..	34,000
5	S. D. Girls High School, Patiala ..	30,000 (Home Science)	..	..	..	..	30,000
6	M. G. Ashoka Girls High School, Sirhind	..	..	15,000	..	..	15,000
7	Government Girls High School, Police Lines, Patiala	..	..	15,000	..	..	15,000
8	V. J. High School, Patiala ..	50,000 (Science)	..	..	..	..	50,000

[Deputy Minister]

Serial No.	Names of the Schools	Scheme No. 1(i)	1(ii)	2	3	4	Total
		Rs	Rs	Rs	Rs	Rs	Rs
	PATIALA DISTRICT—CONCLD						
9	Government Girls High School, Model Town, Patiala	15,000 (Fine Art and Home Science)	..	..	..	..	15,000
10	Government High School, Banaur ..	25,000	..	..	..	..	25,000
	KAPURTHALA DISTRICT						
1	Khalsa High School, Domeli ..	..	..	15,000	..	..	15,000
2	Government High School, Sultanpur	..	..	15,000	..	..	15,000
3	Government Girls High School, Phagwara	..	..	15,000	..	..	15,000
4	Government Girls High School, Kapurthala	15,000 (Fine Art and Home Science)	..	..	..	..	15,000
5	Government Girls High School, Phagwara		25,000	..	..	..	25,000
	SANGRUR DISTRICT						
1	Akal High School, Mastuana ..	40,000 (Agriculture)	..	15,000	..	..	55,000
2	S. D. High School, Barnala ..	..	..	15,000	..	..	15,000

3	Government High School, Kauthrian	..	..	15,000	..	..	15,000
4	Government Girls High School, Jind	..	..	15,000	..	..	15,000
5	Khalsa High School, Bakhatgarh ..	40,000 (Agriculture)	..	..	..	..	40,000
6	Government High School, Jind	..	25,000	..	..	..	25,000
	BHATINDA DISTRICT						
1	Mahatma Hans Raj High School, Bhatinda	1,39,000 (Commerce and Science)	..	..	..	..	1,39,000
2	Arya Girls High School, Bhatinda ..	30,000 (Home Science)	..	..	..	..	30,000
3	Gandhi High School, Mansa ..	40,000 (Agriculture)	..	15,000	..	..	55,000
4	Khalsa High School, Mansa ..	..	..	15,000	..	..	15,000
5	Arifwala Arya Putri Pathshala, Raman Mandi	..	..	15,000	..	..	15,000
6	Government High School, Matta ..	..	..	15,000	..	..	15,000
7	Government Girls High School, Jaitu	..	..	15,000	..	..	15,000
8	S. D. High School, Bhatinda ..	..	..	15,000	..	..	15,000
9	Government Girls High School, Faridkot	50,000 (Science)	..	..	..	..	50,000
	MOHINDERGARH DISTRICT						
1	Government High School, Nangal Chaudhri	..	25,000	15,000	..	..	40,000
2	Government Girls High School, Dadri	..	2,5000	15,000	..	..	40,000
3	Arya Vedic High School, Bimkalan ..	..	..	15,000	..	..	15,000
4	Government High School, Mohindergarh	..	25,000	..	..	..	25,000

[Deputy Minister]

Government and Non-Government Schools to which grant of Rs. 25,000 *has been sanctioned during* 1959-60

Name of the School

1. Government Higher Secondary School, Kalka (Ambala).
2. Government Higher Secondary School, Gharaunda (Karnal).
3. Government Higher Secondary School, Abohar (Ferozepore).
4. Government Higher Secondary School, Tarn Taran (Amritsar).
5. Government Higher Secondary School, Pathankot (Gurdaspur).
6. Government Higher Secondary School, , Jandiala Guru (Amritsar).
7. Government Girls High School, Ludhiana.
8. Government Girls Higher Secondary School, Rohtak.
9. Government Girls Higher Secondary School, Ambala City.
10. Government Girls High School, Gurgaon.
11. Government Girls High School, Bhatinda.
12. Government Girls High School, Nabha.
13. Government High School, Nathana (Bhatinda).
14. Government High School, Atta (Karnal).
15. Government High School, Ballah (Karnal).
16. Government High School, Dhilwan (Kapurthala).
17. Government High School, Israna (Karnal).
18. Government High School, Nagrota Bhagwan (Kangra).
19. Government High School, Nurpur (Kangra).
20. Government High School, Bullabgarh (Gurgaon).
21. Government High School, Lopoke (Amritsar).
22. Government High School, Sherpur (Gurgaon).
23. Government High School, Rahan (Kangra).
24. Government High School, Kaithal(Karnal).
25. Government High School, Bhallana (Kangra).
26. Government Ranbir College for Women, Sangrur.
27. Government Girls High School, Garli (Kangra).
28. Government High School, Narnaul (Mohindergarh).
29. Government High School, Dadri, (Mohindergrah).
30. Government High School, Nadaun (Kangra).
31. Government High School, Banjar (Kangra)
32. Government Girls High School, Police Lines, Patiala
33. Government Girls High School, Panipat (Karnal).
34. Government High School, Hissar
35. Government High School, Hansi (Hissar).
36. Government High School, Shahbad (Karnal).
37. Government High School, Mandi Dabwali (Hissar).

Non-Government Schools

38. Kamla Nehru Jain Girls High School, Faridkot.
39. M.D.A.S. High School, Moga.
40. S.D. Higher Secondary School, Jagadhari.
41. G.N.D. Malwa Khalsa High School, Guru Teg Bahadurgarh (Ferozepur).
42. S.D.A. S. High School, Jullundur City.
43. Fenton Ganj Girls Higher Secondary School, Jullundur City.
44. B.K. High School, Ghee Mandi, Amritsar.
45. S.D. High School, Panipat.
46. Auckland House School, Simla.
47. B.N. Khalsa Polytechnic, Patiala.
48. Atma Ram, S.D. Kumar Sabha Girls Higher Secondary School, Patiala.
49. M.L.N. Higher Secondary School, Jagadhri.
50. Gandhi Higher Secondary School, Mansa.
51. S.D. Kanya Vidyala, Rampura Phul.
52. Jain Girls High School, Malerkotla.
53. S.D. High School, Moga.
54. Adarsh Kanya Vidyala, Jagraon.
55. Hindu Sabha High School, Amritsar.
56. Sikh Girls High School, Sidhwan Khurd (Ludhiana) .
57. S.D.S.E. Higher Secondary School, Patiala.
58. A.S.D High School, Narnaul.
59. A.S. Higher Secondary School, Khanna.
60. D.S.S.D. Higher Secondary School, Jullundur City.

List of Schools to which the Science equipment grant of Rs. 25,000 *each has been sanctioned during* 1960-61

1. Government Girls Higher Secondary School, Bhiwani (Hissar).
2. Government Girls Higher Secondary School, Dharamsala (Kangra).
3. Government Girls High School, Kulu (Kangra).
4. Government High School, Kurukshetra (Kanral).
5. Government High School, Simla.
6. Government High School, Sabathu.
7. Government High School, Kangoo (Kangra).
8. Government High School, Galore (Kangra).
9. Government High School, Jind (Sangrur).
10. Government Girls Higher Secondary School, Hoshiarpur.
11. Government Girls Higher Secondary School, Phillaur (Jullundur).
12. Government Girls Higher Secondary School, Gurdaspur.
13. Government Girls Higher Secondary School, Mahilpur (Hoshiarpur).
14. Government Girls Higher Secondary School, Ferozepur.
15. Government Higher Secondary School, Dera Baba Nanak (Gurdaspur).
16. Government High School, Samrala (Ludhiana).
17. Government High School, Naba (Patiala).

Statement

(b) (1) During 1954-55 and 1955-56 erstwhile Pepsu Government sanctioned grants under Higher Secondary Scheme to two schools viz. City Higher Secondary School, Patiala and M.H.R. Higher Secondary School, Bhatinda. The actual expenditure on City Higher Secodary School, Patiala during 1954-55 was Rs. 2,65,000 (Rs. 2,00,000 on building and Rs. 65,000 for the purchase of equipment for Science and Commerce Groups). Expenditure on building was made through the State P.W.D. and the equipment was purchased through the Store purchase Department of erstwhile Pepsu State by the D.P.I.

During 1956-57 a grant of Rs. 11,220 was paid to M.H.R. Higher Secondary School, Bhatinda for the introduction of Commerce Group subject to the condition that the institution had made good of its share and actually incurred the expenditure to that extent during the year 1955-56. The Management has not yet submitted accounts of the grant. The Manager of the school has been asked to submit accounts by the end of October, 1960. The manner in which the grant has been utilized will come to notice after the accounts are received by the Department.

(2) During the years 1955-56 and 1956-57 the grants were sanctioned by the Punjab Government to Government and Non-Government Schools and following instructions were issued to ensure proper utilization of the funds.

(i) The grants should be utilized for the purchase of furniture and equipment by non-Government Schools by calling tenders and accepting the lowest quotations. As regards the grants for providing accommodation, a completion report or certificate was to be furnished by them from the local P.W.D. authority to indicate that the amount had been fully spent.

(ii) The purchases should be effected on the basis of suggestive list of the furniture and equipment supplied to the schools.

(iii) Government schools were required to effect purchase through the usual course as prescribed by Government.

(3) For the utilization of grants sanctioned during 1957-58 and on ward, a committee was constituted by the Government with Dr. A.C. Joshi, Vice-Chancellor, as Chairman, to organise the purchases and it was decided that the Science grants paid earlier or likely to be paid during the subsequent years should be utilized through the said Committee. They were also advised to communicate their requirements to the Committee and it was made clear to the Managers of non-Government Schools and Heads of Government Schools that under no circumstances, they should effect purchase of items, other than those approved by the Committee.

The Accountant General, Punjab, has also been requested to audit the accounts of these grants and irregularities, if found, will be dealt with according to rules. The audit of grants sanctioned by the erstwhile Pepsu Government under this scheme, to City Higher Secondary School, Patiala, is also being conducted by the Accountant-General, Punjab, and his audit report is awaited.

चौधरी सुमेर सिंह : कितने दिनों में यह खत्म हो जाएगी ?

उप-मन्त्री (श्री यश पाल) : जल्दी ही हो जाएगी ।

श्री अध्यक्ष : गवर्नमैंट ने जवाब में काफी बड़ी स्टेटमैंट दी है इस की तैयारी पर काफी मेहनत आई होगी । (In reply to this question the Government has supplied a lengthy statement. Its preparation must have involved a lot of labour.)

Ad Hoc GRANTS TO PRIVATELY-MANAGED SCHOOLS

***6036. Shri Sumer Singh** : Will the Minister for Education be pleased to state whether any *ad hoc* grants have been given to privately-managed schools in the State to compensate them for loss caused to them by free education in the 5th, 6th, 7th and 8th classes ; if so, the details thereof, year-wise ?

Shri Yash Pal (Deputy Minister) : Yes, for the loss suffered in 5th and 6th classes in 1958-59 and for 5th, 6th and 7th classes in 1959-60. A statement of grants paid is laid on the Table of the House.

List of privately managed schools which were paid ad hoc grants during 1958-59 for the loss suffered in 5th and 6th classes on account of free education

Name of the School		*Amount* Rs.
AMBALA DIVISION (BOYS & GIRLS)		
Ambala District		
1. S.D. High School, Jagadhri	..	2,550
2. Khalsa High School, Yamuna Nagar	..	370
3. G.S.A.S. High School, Yamuna Nagar	..	2,380
4. Arya High School, Buria	..	1,500
5. Christian High School, Kharar	..	690
6. A.S. High School, Sadhaura	..	220
7. M.R.S.D. High School, Shehzadpur	..	410
8. S.A. Jain High School, Ambala City	..	250
9. R.D. High School, Ambala Cantt	..	200
10. Public High School, Rupar	..	570
11. Chakwal National High School, Kurali	..	860
12. Khalsa High School, Khantmanpur	..	650
13. D.A.V. High School, Mustafabad	..	260
14. Khalsa High School, Chamkaur Sahib	..	820
15. D.A.V. High School, Chandigarh	..	2,000
16. Panchayat Middle School, Ganeshpur	..	1,000
17. A.S. High School, Ambala City	..	1,000
18. Arya Kanya Vidyalaya, Kharar	..	1,200
19. Christian Girls Middle School, Jagadhri	..	200
20. A.P. Girls Mission School, Ambala	..	200
21. Hindu Glirls High School, Kalka	..	500
22. Arya Girls High School, Kalka	..	500
23. Arya Girls High School, Simla	..	500
24. F.C. Sikh Girls High School, Simla	..	500
25. Lady Irwin Girls High School, Simla	..	500
26. Dev Samaj Girls High School, Ambala City	..	100

Name of the School	Amount
Ambala district—concld	Rs.
29. Kalgidhar Girls High School, Ambala City ..	100
28. Sohan Lal Girls High School, Ambala City ..	100
29. K.P.A.K. Maha Vidyala Ambala City ..	500
30. P.K.R. Jain Girls High School, Ambala City ..	100
31. Moti Ram Girls High School, Chandigarh ..	100
32. Dev Samaj Girls High School, Chandigarh ..	100
33. P.E.Pret Girls Middle Sdhool, Ambala City ..	100
34. I.S.S.D. Girls Middle School, Model Town, Ambala City ..	350
35. Jain Girls Middle School, Ambala Cantt. ..	250
36. Lady Myoo Girls Middle School, Phagli Simla ..	450
37. D.A.V. Girls Middle School, Sanjauli, Simla ..	500
38. Panchayat Middle School, Ugala ..	10,20
Hissar District	
1. H.R. High School (Hindu), Hissar ..	4,320
2. Vaish High School, Bhiwani ..	1,210
3. T.I. T. High School, Bhiwani ..	640
4. Arya High School, Sirsa ..	1,950
5. P.S.D. High School, Sirsa ..	950
6. P.G.S.D. High School, Hissar ..	2,000
7. Jat High School, Hissar ..	2,000
8. C.A.V. High School, Hissar ..	2,000
9. Arya Girls Middle School, Hissar ..	250
10. Mission Girls Middle School, Hissar ..	150
11. Jain Girls Middle School, Hissar ..	150
12. Guru Nanak Girls Middle School, Hissar ..	150
13. Manwanti Arya Girls Middle School, Hansi ..	150
Gurgaon District	
1. Hindu High School, Rewari ..	3,190
2. Jain High School, Rewari ..	1,520
3. Modern Public High School, Rewari ..	1,500
4. Rashtrya High School, Rewari ..	450
5. Shri Krishna High School, Nikhri ..	2,000
6. Shri Krishan High School, Kanwal ..	2,000
7. S.D. High School, Hassanpur ..	2,000
8. Rajpura High School, Bhondsi ..	2,000
9. Jat High School, Hodal ..	2,000
10 .D.G. Khan High School, Palwal ..	2,000
11. D.A.V. High School, Gurgaon ..	2,000
12. Dev Samaj Girls Middle School, Palwal ..	223
13. Mission Girls Middle School, Palwal ..	223
14. S.D. Girls High School, Gurgaon ..	200
15. Guru Nanak Girls Middle School, Gurgaon ..	250
16. Aggarwal High School, Ballabgarh ..	2,000
17. Jain Pathashala, Rewari ..	1,000
Karnal District	
1. D.A.V. High School, Shahbad ..	800
2. Khalsa High School, Shahbad ..	1,480
3. Jat High School, Kaithal ..	260
4. D.A.V. High School, Karnal ..	3,620
5. Takana Farm High School, Tarauri ..	180
6. S.K. High School, Samalkha ..	1,210
7. Panchayat High School, Pai ..	660
8. S.M.B. High School, Kurukshetra ..	1,040
9. Jat High School, Thol ..	320
10. D.A.V. High School, Panipat ..	2,000
11. Bharatri High School, Panipat ..	2,000
12. S.D. High School, Karnal ..	2,000
13. M.L.N. High School, Raduar ..	2,000
14. G.M.N. High School, Naraina ..	2,000
15. Janta High School, Kaul ..	2,000
16. Arya High School, Thanesar ..	2,000
17. Hindu High School, Kaithal ..	500
18. S.D. High School, Kirmach ..	500
19. Dayanand Girls High School, Karnal ..	100
20. R.D. Arya Girls High School, Karnal ..	100

[Deputy Minister]

Name of the School		Amount
Karnal district—concld		
		Rs.
21. S.D. Girls High School, Karnal	..	100
22. Guru Nanak Girls High School, Karnal	..	100
23. S.D. Girls High School, Panipat	..	100
24. Jai Ram Dass Girls High School, Kaithala	..	250
25. Har Kaur Girls High School, Panipat	..	300
Rohtak District		
1. Vaish High School, Rohtak	..	2,340
2. V.K.M. High School, Rohtak	..	290
3. Saini High School, Rohtak	..	1,090
4. Haryana Public High School, Gohana	..	670
5. Janta High School, Butana	..	700
6. D.A.V. High School, Hassangarh	..	170
7. D.A.V. High School, Bahadurgarh	..	3,580
8. D.R.Z. High School, Sonepat	..	1,090
9. V.S. High School, Rajlugarhi	..	1,600
10. J.A.V. High School, Madaura	..	1,930
11. Gandhi Memorial High School, Gorar	..	2,000
12. C.A.V. High School, Rohtak	..	2,000
13. Arya High School, Rohtak	..	300
14. Public High School, Chhara	..	250
15. S.M. Hindu High School, Sonepat	..	250
16. Arya Girls High School, Sonepat	..	250
17. Bharat Tek Girls High School, Rohtak	..	100
18. Dhanwanti Arya Girls High School, Rohtak	..	300
19. Vaish Arya Girls High School, Bahadurgarh	..	150
20. Jain Girls Middle School, Rohtak	..	100
21. Vaish Girls Middle School, Rohtak	..	200
22. Guru Nanak Girls Middle School, Rohtak	..	250
23 D.A.V. High School, Matan Hail	..	2,000

JULLUNDUR DIVISION (BOYS/GIRLS)

Jullundur District		
1. Kh. High School, Adampur	.	1,700
2. G.M.N. High School, Jadla	..	1,740
3. Cantonement Board High School, Jullundur Cantt.	..	1,950
4. Montgomery G.M.N. School, Jullundur Cantt.	..	300
5. D.A.V. High School, Kartarpur	.	800
6. S.D. High School, Phillaur	..	1,480
7. S.M. High School, Dolikodura	..	400
8. D.S.D. High School, Jullundur	..	1,910
9. G.H.R. Kh. High School, Dosanj Kalan	..	1,100
10. Kh. High School, Sirhal Kazian	..	2,000
11. National High School, Daroli Kalan	.	5,000
12. G.H.N. Bot Kh. High School, Mohatpur	..	1,620
13. Hindu High School, Banga	..	150
14. G.B.P. Kh. High School, Hazara	..	730
15. S.D.A.S. Basti Nau, Jullundur	..	2,060
16. D.N.R.N.S.D. High School, Nawanshehar Doaba	..	450
17. G.S.S.F.H Kh. High School, Nawanshehar Doaba	..	1,300
18. Lyallpur Kh. High School, Jullundur	..	1,880
19. A.S.S.D. High School, Alawalpur	..	220
20. National High School, Bilga	..	510
21. A.S. High School, Rurka Kalan	..	650
22. Kh. High School, and Basic, Samrai, Jandiala	..	470
23. S.D.A.S. High School, Jullundur	..	880
24. Republic High School, Jandiala	..	440
25. Doaba Arya High School, Nurmehal	..	2,000
26. Kh. High School, Nagar	..	400
27. G.N. High School, Partappur	..	580
28. Public High School, Mukandpur	..	500
29. D.A.V. High School, Appra	..	600
30. Kh. High School, Nangal Ambia	..	300
31. S.D. High School, Shankar	..	400

Jullundur Division—concld

		Rs.
32. Khasla High School, Alwalpur	..	300
33. Arya High School, Basti Guzan, Jullundur	..	300
34. Dona Panchayat High School, Khiwa	..	300
35. Janta High School, Kotli Than Singh	..	400
36. H.N.S.D. High School, Jullundur	..	500
37. P.N. Panchayat High School, Sindhar	..	600
38. Public High School, Patara	..	700
39. Public High School, Shahkot	..	120
40. J.S.F.H High School, Atta	..	100
41. Khalsa High School, Bundala	..	900
42. Guru Ravi Dass High School, Jullundur	..	2,300
43. D.S.D. High School, Basti Guzan, Jullundur	..	1,000

Ferozepore District

1. S.D. High School, Ferozepore	..	1,120
2. H.M. High School, Ferozepore	..	1,080
3. D.C. Jain High School, Ferozepore Cantt	..	1,760
4. A.D. High School, Dhamkot		800
5. M.D.A. High School, Moga	..	410
6. Kh. High School, Muktsar	..	760
7. Kh. High School, Perao Mehna, Amargarh	..	180
8. D.A.V. High School, Fazilka	..	640
9. G.N.Kh. School, Mehtabgarh	..	900
10. S.D. High School, Fazilka	..	1,260
11. Kh. High School, Guru Teghbahadurgarh	..	760
12. Trust High School, Harpura	..	1,370
13. Kh. High School, Nanaksar	..	620
14. National Satsang High School, Kheo Wali	..	360
15. Kh. High School, Sidhoke	..	580
16. Kh. High School, Ramman	..	310

Ludhiana District

1. R.K. High School, Jagraon	..	830
2. Kh. High School, Ajit Samohi	..	1,190
3. Kh. High School, Kila	..	690
4. G.G.H.S. Kamalpura	..	620
5. G.H.G. High School, Mandi Bahadurgarh		1,230
6. G.G.S. High School, Jaswal Bangar	..	1,160
7. Ajitsar Kh. High School, Jangpur	..	160
8. S.R.S.S. Kh. High School, Jagraon	..	200
9. Kh. High School, Karir Sahib Littar	..	100
10. Malwa Kh. High School, Ludhiana	..	400
11. S.G.S. Kh. High School, Khanna	..	580
12. New Model High School, Samrala	..	150
13. Bar Kh. High School, Latala	..	870
14. Kh. High School, Mehra Singh Wala	..	80
15. Janta High School, Sanghol	..	100
16. National High School, Manupur	..	100
17. Arya High School, Ludhiana	..	1,020
18. Kh. High School, Sherpur		1,050
19. Kh. High School, Ludhiana	..	2,000
20. G.N. Kh. High School, Gill	..	3,360
21. G.A.D. H . Khalsa High School, Bhari	..	200
22. Khalsa N. High School, Ludhiana	..	800
23. Khalsa High School, Gursar Sudhar	..	110
24. Khalsa High School, Nathowal		700
25. Khalsa High School, Maharna Kalan	..	300
26. Khalsa High School, Gujjar Khan (Ludhiana)	..	800
27. Khalsa High School, Ajitsar Taliana Sahib (Raikot)		400
28. Khalsa High School, Madhpur	..	2,000
29. Public High School, Kahora	..	800
30. Public Girls High School, Dakha	.	2,000
31. Dashmesh Khalsa High School, Hiran		2,000

Kangra District

1. S.D. High School, Sari Molag	.	1,880
2. S.D. High School, Bhareri	..	220

[Deputy Minister]

Name of the School	Amount
Kangra District—concld.	*Rs.*
3. St. Paul High School, Palampur	1,470
4. G.A.V. High School, Kangra	1,080
5. Rajput High School, Indora	1,720
6. S.A.S. High School, Garli	2,610
7. S.D. High School, Rajjnath	990
8. S.D. High School, Thural	1,020
9. D.A.V. High School, Sullah	740
10. S.D. High School, Haripur	300
11. S.D. High School, Jawalmukhi	1,350
12. M.D. High School, Sujanpur Tira	8,010
13. G.A. High School, Mangal	580
14. D.A.V. High School, Tauni Devi	1,530
15. S.D. High School, Kakar	800
16. S.K.S.D. High School, Palampur	1,830
17. G.A.V. High School, Saulana	1,000
18. S.D.Z. High School, Shahpur	6,470
19. D.A.V. High School, Bhawarna	500
20. M.G.M. High School, Nagrota Surian	360
21. B.D. High School, Mair	1,320
22. S.D. High School, Krishan Nagar	700
23. Panchayat High School, Kotla	1,000
24. S.D. High School, Laderaur	260
25. S.D. High School, Ladauri	2,000
26. D.A.V. Middle School, Hatli	2,000
27. S.D. Girls Middle School, Palmpur	2,000
28. S.D. Middle School, Dipulpur	2,000
29. M.B.B.School, Dhira	2,000
30. J.A.V. High School, Kangra	2,000
31. Arya School, Mangroala	2,000
32. Public High School, Merh	2.000
33. Zamindar High School, Sullah	2,000
34. D.A.V. High School, Saliana	2,000
35. S.D. Middle School, Gopal Nagar	2,000
36. S. D. High School, Khora	2,000
37. Arya Girls Middle School, Kotwali Bazar, Dharamshala	558
38. S.D. Girls Middle School, Ghuggar	696
Amritsar District	
1. Nawin Janta High School, Harsa Chhina	510
2. Khalsa High School, Bir Baba Budha Sahib	100
3. Hindu High School, Amritsar	2,000
4. Khalsa High School, Agara Pachhara	420
5. S.D. S. High School, Amritsar	1,190
6. Khalsa High School, Tarn Taran	830
7. Khalsa High School, Tarsikka	250
8. G.N.P. High School, Bhangali	550
9. Janta High School, Phakhana	250
10. Khalsa High School, Kairon	700
11. Khalsa High School, Khalra	300
12. Khalsa High School, Sarhali	520
13. S.I.S. High School, Verka	1,840
14. Khalsa High School, Gandhiwind	150
15. S.D. High School, Tarn Taran	250
16. Khalsa High School, Guru Ka Bagh	620
17. P.B.N. High School, Amritsar	1,410
18. Khalsa Collegiate High School, Amritsar	300
19. Khalsa High School, Baba Bakala	550
20. D.A.V. High School, Patti	2,780
21. B.K. High School, Amritsar	1,150
22. S.S.S.S. Khalsa High School, Amritsar	500
23. Khalsa High School, Khadur Sahib	280
24. National High School, Bikhiwind	620
25. Khalsa High School, Naushehra Cheema	690
26. Khalsa High School, Cholha Sahib	300
27. Modern High School, Algon	580
28. Public Hi7h School, Pakharpura	200

Name of the School		Amount
Amritsar District—concld.		*Rs.*
29. Public High School, Sangatpura	..	500
30. Khalsa High School, Dhotian	..	1,370
31. Khalsa High School, Fatehgarh Rajputan	..	200
32. S.D. High School, Chawinda Devi	..	200
33. Khalsa High School, Dehra Sahib	..	940
34. Janta High School, Khilchian	..	2,000
35. Guru Nanak Kanya Pathshala, Amritsar	..	1,602
Gurdaspur District		
1. D.A.V. High School, Batala	..	1,600
2. D.A.V. High School, Kalanaur	..	350
3. Khalsa High School, Gurdaspur	..	1,980
4. S.D. High School, Pathankot	..	680
5. Khalsa High School, Batala	..	3,000
6. D.A.V. High School, Qadian	..	330
7. M.M. Mission High School, Dhariwal	..	510
8. Khalsa High School, Tugalwari	..	720
9. S.D. High School, Sujanpur	..	620
10. Khalsa High School, Wadala Bangar	..	310
11. Arya High School, Pathankot	..	2,000
12. Salvation Army High School, Batala	..	830
13. S.D. High School, Fatehgarh Churian	..	470
14. Arya High School, Dina Nagar	..	600
15. Khalsa High School, Harpur Dhandai	..	200
16. Khalsa High School, Teja Kalan	..	1,050
17. S. Dyal Singh Trust High School, Mirza Jan	..	1,050
18. D.A.V. High School, Behrampur	..	260
19. L.R. High School, Sujanpur	..	900
20. Khalsa High School, Burj Sahib	..	300
21. B.L. High School, Dhianpur	..	800
22. Shakargarh D.A.V. High School, Gurdaspur	..	190
23. Khalsa Narowala High School, Batala	..	650
24. Sikh National High School, Sultani	..	2,000
25. S.D. Girls High School, Gita Bhawan, Gurdaspur	..	1,800
Hoshiarpur District		
1. D.A.V. High School, Hariana	..	1,200
2. D.A.V. High School, Dasuya	..	400
3. Khalsa High School, Mahilpur	..	290
4. Khalsa High School Baddon	..	800
5. S.R.A.C. High School, Bajwara	..	2,240
6. D.A.V. High School, Una	..	620
7. B.S. High School, Dhalbaha	..	800
8. Rajpur High School, Fatehpur Batlan	..	510
9. D.A.V. High School, Daulatpur	..	500
10. D.A.V. High School, Khed	..	600
11. D.A.V. High School, Santokhgarh	..	600
12. D.H.R. High School, Datarpur	..	1,520
13. D.A.V. High School, Urmar	..	2,340
14. D.A.V. High School, Kathgarh	..	1,690
15. Hindu High School, Jaijon Doaba	..	1,000
16. Khalsa High School, Sarhala Mundian	..	1,010
17. S.D. High School, Hajipur	..	2,960
18. Khalsa High School, Paldi	..	500
19. S.A.S. High School, Bassi Kalan	..	1,010
20. Lal Dyal High School, Rampur Haler	..	400
21. National High School, Ambota	..	600
22. Sangla Hill High School, Dasuya	..	400
23. D.A.V. High School, Takhatgarh	..	800
24. Lyalpur Khalsa High School, Shamchaurasi		600
25. Colony High School, Nangal Township	..	500
26. S.D. Gujjarkhan Khalsa High School, Anandpur Sahib	..	800
27. T.H.M. High School, Nasrala	..	110
28. Public High School, Bingali	..	800
29. Public High School, Binewal	..	500
30. Public High School, Bhagpur Sataur		500
31. B.I.G. Janta High School, Lamin Pandori	..	400

[Deputy Minister]

Name of the School		Amount
Hoshiarpur district concld—		Rs.
32. D.A.V. High School, Mehngewal	..	500
33. D.A.V. High School, Brahmpur	..	400
34. D.M.D.G.N. High School, Bahna Taunsa	..	400
35. Gandhi Janta High School, Thathal	..	500
36. K.M. Arya High School, Mubarakpur	..	400
37. A.V. High School, Chartgarh	..	600
38. S.D. High School, B is Dehra	..	500
39. G.S. Khalsa High School, Pathlawa Moranwali	..	400
40. Bhar it High School, Tuto Mazara	..	700
41. S.D. High School, Datarpur	..	700
42. G.N.P. High School, Partapsingh Nagar	..	600
43. H.D. N. High School, Hariana	..	1,010
44. Saini B u High School, Bullowal	..	1,950
45. Public High School, Saloh	..	1,770
46. S.D. High School, Chintpurni Jain	..	1,116
47. Khalsa High School, Chabbewal	..	3,000
48. D.A.V. High School, Garhdiwala	..	1,980
49. Public High School, Ghanari	..	1,480
50. S.D. High School Mohandpur	..	510
51. Public High School, Amroh	..	700
52. Public High School, Dhusara	..	600
53. R.P. High School, Guru Bishanpuri	..	700
54. Public High School, Rubbolwal	..	800
55. National High School, Bhan	..	1,480
56. S.S. High School, Pirthipur	..	1,190
57. S.D. High School, Kutnera Jaswalan	..	220
58. H.R. Arya High School, Garshankar	..	870
59. Public High School, Nangal Bihalan	..	690
60. D.A.V. High School, Gondpur Banehra	..	2,000
61. S.D.B. High School, Ambala	..	2,000
Bhatinda Division (Boys/Girls)		
1. S.D. Higher Secondary School, Barnala	..	250
2. S.I.S. High School, Moonak	..	650
3. S.N. Arya High School, Tapa	..	250
4. M.G. M. M. High School, Ahmadgarh	..	550
5. Arya High School, Dhuri	..	650
6. National High School, Malerkotla	..	550
7. S.D.P.P. High School, Malerkotla	..	800
8. Arya High School, Narwana	..	200
9. Akal Higher Secondary School, Mustawana	..	200
10. Guru Nanak High School, Sangrur	..	450
11. Prem Sabha High School, Sangrur	..	950
12. Hindu Sabha High School, Sunam	..	150
13. Middle School, Bhambhara	..	150
14. S.A. Jain Higher Secondary School, Malerkotla	..	1,000
Bhatinda District (Boys)		
1. M.H.R.H. Higher Secondary School, Bhatinda	..	250
2. Bhai Pheru Khalsa High School, Faridikot	..	300
3. Gandhi Higher Secondary School, Mansa	..	1,000
4. Arya High School, Mandi Phul	..	300
5. Public Middle School, Jaitu	..	350
6. Gandhi Memorial Middle School, Kotkapura	..	200
7. Gandhi Memorial Middle School, Faridkot	..	500
Mohindergarh District (Boys)		
1. Rashtrya High School, Narnaul	..	300
2. Arya Vedic High School, Birrikalan	..	1,300
3. B.R. High School, Rassai	..	450
4. M.R. High School, Patikara	..	450
5. Gandhi Memorial High School, Gokalpur	..	2,000
6. Maish Middle School, Charkhi Dadri	..	950
7. D.A.V. Middle School, Sagarpore	..	550

Name of the School		Amount
Sangrur/Bhatinda/ Mohindergarh Districts (Girls)		
		Rs.
1. Arya Girls High and J.B.T. Institute, Bhatinda	..	200
2. S.D. Girls High School, Barnala	..	200
3. S.D. Lower Middle (Girls) School, Kotkapura	..	100
4. S.D. Motiram Kanya Mahavidyala, Bhatinda	..	200
5. S.S. Jain Girls High and Basic Training Institute, Malerkotla	..	600
6. Kamla Nehru Jain Girls High School, Faridkot	..	200
7. Arafwala Arya Girls High School, Rama Mandi	..	100
8. S.D. Putri Pathshala, Mandi Phul	..	200
9. Tilak Girls Middle School, Jaitu	..	100
10. Khalsa Girls Lower Middle School, Sangrur	..	200
11. Khalsa Girls Lower Middle School, Bhatinda	..	200
Patiala Division (Boys)		
1. Khalsa High School, Begowal	..	200
2. Lajpat Rai High School, Bassi	..	215
3. Public High School, Belari Kalan	..	200
4. D.R.V. High School, Dera Bassi	..	875
5. Khalsa Amerjit High School, Domeli	..	1,625
6. Khalsa High School, Gobindgarh	..	200
7. Public High School, Ghurani Kalan	..	1,000
8. S.M.A.S. High School, Gobindgarh	..	275
9. Kamlia Khalsa High School, Kapurthala	..	200
10. M.D.S.D. High School, Kapurthala	..	225
11. Khalsa High School, Jossi	..	375
12. Arya High School, Nabha	..	450
13. Jain High School, Nabha	..	200
14. S.D. High School, Nabha	..	350
15. Arya High School, Patiala	..	200
16. Atma Ram K. Sabha , Patiala	..	375
17. Arya High School, Phagwara	..	200
18. B. N. Khalsa High School, Patiala	..	200
19. Khalsa High School, Patiala	..	400
20. Khanpur Hindu High School, Tirpuri, Patiala	..	200
21. Public High School, Panshat Narur	..	200
22. Ramgharhia High School, Phagwara	..	250
23. S.D.S.E. Patiala	..	200
24. K.K. Public High School, Rajpura Township	..	200
25. Union High School, Rajpura	..	225
26. Ashoka High School, Sirhind	..	450
27. Dajal Vedic Arya High School, Samana	..	200
28. Khalsa High School, Sirhind	..	200
29. Nankana Sahib High School, Sultanpur	..	850
30. S. D. High School, Sultanpur Lodhi	..	750
31. Bet High School, Surkhpur	..	150
32. Primary School, Chachrari, post office Gerava (Kapurthala)	..	500
33. Sewak Jatha Khalsa High School, Patiala	..	1,225
Patiala Division (Girls)		
Patiala District		
1. M.G. Ashoka Girls High School, Sirhind	..	470
2. Mata Gujri High School, Fatehgarh	..	100
3. S.D. High School, Nabha	..	180
4. Arya Girls High School, Nabha	..	280
5. Mahandera Kanya Mahavidyala, Patiala	..	100
6. Hindu Sewa Samiti High School, Patiala	..	340
7. S.D. High School, Patiala	..	780
8. Mata Sahib Kaur Dal Middle School, Patiala	..	240
9. Jain Girls High School, Patiala	..	1,000
10. S.S. Jain Girls High School, Dera Bassi	..	2,000
11. Arya Girls High School, Patiala	..	2,000
Kapurthala District		
1. S.D. Kanya Mahavidyala, Phagwara	..	1,000
2. Hindu Putri Pathshala, Kapurthala	..	400
3. Middle School, Hadyabad	..	230
4. High School, Panshat	..	200
S.D.A.V. High School, Jullundur	..	1,000

[Deputy Minister]

List of private recognized Schools which have been paid ad hoc grant on account of free education for 1959-60 for the loss suffered in 5th, 6th and 7th classes on account of free education

Serial No.	Name of the School	Amount of the *ad hoc* grant sanctioned
1	2	3
	Ambala District	Rs.
1	Arya High School, Mullana	2,000
2	S.D. High School, Simla	1,340
3	C.R. Dass High School, Rabial	900
4	Christian High School, Kharar	710
5	Khalsa High School, Sohana	1,030
6	Khalwal H. Arya High School, Sohana	2,070
7	Ghakwal National High School, Kurali	940
8	Public Hindu High School, Rupar	620
9	Hindu A.S. High School, Sadhaurah	2,360
10	M.L.N. High School, Yamuna Nagar	2,660
11	S.D. High School, Jagadhri	1,860
12	Janta High School, Mustafabad	500
13	D.A.V. High School, Mustafabad	1,410
14	G. R. Arya High School, Buria	600
15	D.A.V. High School, Simla	4,670
16	Khalsa Higher Secondary School, Kharar	1,040
17	Dev Samaj Girls High School, Ambala City	540
18	K.A.P.K. Mahavidyala, Ambala City	150
19	Sikh Girls High School, Ambala Cant	2,100
20	Arya Girls High School, Simla	380
21	Arya Girls High School, Morinda	110
22	Lady Irwin Girls High School, Simla	2,940
23	D.A.V. Girls Middle School, Sanjauli (Simla)	720
24	Lady Nyce Girls Middle School, Phagli (Simla)	310
25	D.L.S.S.D. Putri Pathshala, Model Town, Ambala	500
26	Panchayat Middle School, Ugala	500
27	Panchayat Middle School, Kakar, Majra	1,000
28	Panchayat Middle School, Salehpur	500
29	Panchayat Middle School, Lahorpur	500
30	Arya Kanya Vidyalaya, Kharar	720
	Karnal District	
31	Arya High School, Panipat	780
32	G.M.N. High School, Naraina	650
33	Public Panchayat High School, Pai	1,710
34	R.S.D. High School, Kirmach	600
35	National High School, Karnal	1,730
36	Seikhpur Khalsa High School, Karnal	2,900
37	S.D. High School, Karnal	6,000
38	Gandhi Samarak High School, Katalheri	1,170
39	Janta High School, Kaul	490
40	M.L.N. High School, Radaur	2,050
41	Khanewal Khalsa High School, Shahabad	2,080
42	D.A.V. High School, Shahabad	3,520
43	Arya High School, Thanesar	1,080
44	Jat High School, Thaul	1,360
45	D.A.V. High School, Karnal	6,000
46	Dayanand Model High School, Karnal	1,000
47	Shrikrishana High School, Shamalkha	2,000
48	A.S. High School, Bundri	900
49	S.D. Girls High School Karnal	880
50	Guru Nanak Girls High School, Karnal	780

Serial No.	Name of the School	Amount of the *ad hoc* grant sanctioned
1	2	3
	District Rohtak	
		Rs.
51	Karor D.A.V. High School, Bahadurgarh ..	2,000
52	Hariana Public High School, Gohana ..	4,030
53	Arya High School, Rohtak ..	940
54	Jat H.M.A.S. High School, Rohtak ..	2,380
55	D.A.V. High School, Kharainti ..	2,000
56	Vaish High School, Rohtak ..	2,170
57	G.B.C. High School, Rohtak ..	4,040
58	Saini High School, Rohtak ..	1,350
59	G.M. High School, Gorar ..	3,100
60	D.A.V. High School, Natenhail ..	2,770
61	D.A.V. High School, Hasangarh ..	2,120
62	Hariana Shakti High School, Nangal Kalan ..	1,000
63	Janta High School, Ganaur ..	2,000
64	Sanskrit High School, Bahalgarh ..	2,380
65	V.S. High School, Rajalugarhi ..	3,710
66	Arya High School, Mohana ..	6,000
67	Bharat Tek Girls High School, Rohtak ..	370
68	Kanya Gurukul High School, Thanpur Kalan ..	1,580
69	Arya Girls High School, Sonepat ..	410
70	S.D. Girls High School, Rohtak ..	640
	District Gurgaon	
71	M.G. Panchayati High School, Hasangarh ..	1,000
72	D.G. Khan High School, Palwal ..	5,890
73	Jat High School, Hodel ..	2,000
74	Jain High School, Rewari ..	3,240
75	Hindu High School, Rewari ..	1,370
76	Modern High School, Rewari ..	1,780
77	M.L.A. High School, Jatauli ..	5,470
78	Mahadev Desai High School, Faridabad ..	500
79	D.A.V. High School, Gurgaon ..	3,250
80	S.K. High School, Nikhari ..	1,540
81	Rashtriya High School, Rewari ..	1,800
82	S.D. High School, Gurgaon ..	2,630
83	B.D. Ashram Girls High School, Rewari ..	3,760
	District Hissar	
84	T.I.T. High School, Bhiwani ..	1,230
85	P.C.S.D. High School, Hansi ..	2,390
86	R.S.D. High School, Sirsa ..	230
87	Mission Girls Middle School, Hissar ..	1,120
88	Manwanti Girls Middle School, Hansi ..	220
	Jullundur District	
89	National High School, Lasara ..	430
90	M.G.N. Khalsa High School, Jullundur Cantt. ..	1,790
91	G.H.M. Khalsa High School, Dosanj Kalan ..	1,400
92	Khalsa High School, Bundala ..	1,650
93	National High School, Bilga ..	790
94	J.S.F.H. Khalsa High School, Nawanshahr ..	2,610
95	A.S. High School, Alawalpur ..	380
96	S.S.D. High School, Phillaur ..	1,290
97	Doaba Khalsa Higher Secondary School, Jullundur City ..	4,180
98	D.N.R.N.S.D. Higher Secondary School, Nawanshahr ..	1,340
99	S.G.H.G. Khalsa High School, Charankamal, Banga ..	1,720
100	P.M. Panchayat Union High School, Sindhar ..	1,120
101	A.S. High School, Nikodar ..	250
102	G.T.B. Khalsa High School, Hazara ..	450
103	D.A.V. High School, Kartarpur ..	1,640

[Deputy Minister]

Serial No	Name of the School	Amount of the *ad hoc* grant sanctioned
1	2	3
	Jullundur district—concld	
		Rs.
104	Public High School, Jhandiala	1,140
105	L.R. Doaba Higher Secondary School, Jullundur ..	790
106	J.S.F.H. Khalsa High School, Atta ..	1,350
107	Haripur Hazara S.D. High School, Jullundur ..	1,040
108	G.M.N. High School, Jadala ..	3,230
109	Public High School, Mukandpur ..	1,150
110	Khalsa High School, Nagar ..	820
111	Arya High School, Basti-Guzan, Jullundur ..	2,640
112	Khalsa High School, Sarhal-Kzian ..	1,220
113	Public High School, Mahilgaila ..	960
114	G.H.R.S.D. High School, Shankar ..	840
115	Khalsa High School, Kalra ..	4,510
116	Hindu High School, Banga ..	900
117	P.U. Public High School, Khambra ..	710
118	Beet Khalsa High School, Mahatpur ..	2,190
119	B.M. National High School, Narolikalan ..	3,770
120	Khalsa High School, Khara Majra ..	1,040
121	Dona Panchayat High School, Khewa ..	500
122	K.H. Arya Girls High School, Jullundur Cantt. ..	550
123	G.M. Girls High School, Basti Guzan, Jullundur ..	570
124	Towelinwala Arya Girls High School, Nurmahal ..	1,070
	District Ferozepur	
125	M.D.A.S. High School, Moga ..	930
126	Khalsa High School, Ajitwal ..	2,060
127	A.D. High School, Dharamkot ..	1,000
128	Trust High School, Haripura ..	3,420
129	G.M. Khalsa High School, Takhtapura ..	1,210
130	G.N. High School, Mehatabgarh ..	1,360
131	Khalsa High School, Ahamadgarh, Paraomehni ..	1,080
132	G.N.D. High School, Janer ..	1,350
133	D.C.M. Jain Higher Secondary School, Ferozepore ..	500
134	Malwa Khalsa High School, Ferozepore ..	810
135	Khalsa Higher Secondary School, Muktsar ..	4,660
136	G.N.D. Malwa Khalsa High School, Guruteg Bahadurgarh ..	3,120
137	D.A. High School, Fazilka ..	2,840
138	Harbhagwan Memorial High School, Ferozepore ..	200
139	G.G.S. Khalsa High School, Saidoke ..	480
140	Khalsa High School, Nanaksar ..	3,920
141	Hindu Girls High School, Ferozepore ..	610
142	Dev Samaj Girls High School, Ferozepore ..	860
143	Dev Samaj Girls High School, Moga ..	100
	District Amritsar	
144	Maja Khalsa High School, Kalra ..	1,120
145	S.G.G.S.M. Khalsa High and Basic Training School, , Kairon ..	550
146	Baba Bir Khalsa High School, Dhotian ..	6,000
147	C.M.S. High School, Majith ..	480
148	S.G.A.D. Khalsa High School, Agara Pachhara ..	2,560
149	D.A. High School, Patti ..	4,140
150	Janta High School, Bhakana ..	230
151	Khalsa Higher Secondary School, Sarhali ..	6,000
152	B.K. High School, Amritsar ..	1,810
153	G.N. Khalsa Sahidi High School, Fatehpur Rajputa ..	240
154	G.T.B. Khalsa High School, Baba Bakula ..	510
155	Nawin High School, Harasechhila ..	810
156	S.G.A.D. High School, Khadur Sahib ..	3,420
157	D.A.V. Multipurpose Higher Secondary School, Amritsar ..	2,000
158	Khalsa High School, Birbaba Budha Sahib ..	930

Serial No.	Name of the School		Amount of the ad hoc grant sanctioned
1	2		3
	District Amritsar—concld		
			Rs.
159	Khalsa High School, Nawan Pind	..	1,000
160	S.G.A.D. Khalsa High School, Tarn Taran	..	6,000
161	G.N.P. High School, Bhangali	..	1,040
162	M.S.D. High School, Chawindevi	..	2,200
163	Hindu Sabha Higher School, Amritsar	..	5,050
164	Khalsa High School, Bhai Adli Chola Sahib	..	4,060
165	Modern High School, Algre	..	1,340
166	S. B. S. Public High School, Sangatpura	..	1,950
167	Khalsa Collegiate Higher Secondary School, Amritsar	..	1,280
168	S.D. Higher Secondary School, Amritsar	..	4,480
169	S.T.S. Higher Secondary School, Verka	..	2,240
170	S.G.A. D. Khalsa High School, Valtoh	..	1,900
171	National High School, Bhikhiwind	..	1,940
172	Khalsa High School, Dehra Sahib	..	4,000
173	P.B.N. High School, Amritsar	..	4,700
174	Khalsa High School, Guru -ka-Bagh	..	3,380
175	Guru Ram Das Khalsa Higher Secondary School, Amritsar	..	3,510
176	G.M. Khalsa High School, Gandhiwind	..	380
177	G.T.B. Khalsa High School, Tarsika	..	1,310
178	Janta High School, Khilchian	..	1,430
179	National High School, Sathiala	..	1,950
180	Public High School, Pakharpur	..	1,080
181	Guru Nanak Girls High School, Amritsar	..	2,000
182	B.K. E. & I. Girls High School, Amritsar	..	4,530
183	Adarsh Kanya Mahavidyala, Chowk Passian, Amritsar	..	1,030
	District Ludhiana		
184	G.G.S. Khalsa High School, Kamalpura	..	440
185	Bar Khalsa High School, Latala	..	1,220
186	Shri Dashmesh Khalsa High School, Tahli Sahib	..	770
187	Khalsa National Higher Secondary School, Ludhiana	..	4,280
188	G.H.G. Khalsa High School, Karir Sahib Litter	..	1,440
189	Khalsa High School, Toosa	..	2,150
190	R.S. Khalsa High School, Jaspalon	..	980
191	G.G.S. Khalsa High School, Nathowal	..	510
192	G.G.S. High School, Khanna	..	1,120
193	B.N.S. Khalsa High School, Sherpur	..	2,280
194	Panchayat High School, Manuke	..	500
	District Gurdaspur		
195	D.A.V. High School, Batala	..	2,930
196	S.D. High School, Pathankot	..	2,280
197	D.A.V. High School, Qadian	..	2,900
198	M.G.M. High School, Gurdaspur	..	1,590
199	Dyal Singh Trust High School, Mirza Jan	..	440
200	S.A. High School, Batala	..	1,190
201	Arya High School, Dina Nagar	..	5,380
202	G.N. Khalsa High School, Harpura Dhandoi	..	5,660
203	S.K.D. Khalsa High School, Tugalwala	..	2,510
204	D.A.V. High School, Kahnaur	..	2,050
205	L.S.M. High School, Derangra	..	1,120
206	Khalsa High School, Gurdaspur	..	5,100
207	B.B. Khalsa High School, Teja Kalan	..	5,060
208	S.D. High School, Fategarh Churian	..	1,160
209	D.A.V. Girls High School, Gurdaspur	..	1,110

[Deputy Minister]

Serial No.	Name of the School	Amount the ad hoc grant sanctioned
1	2	3
	District Kangra	
		Rs.
210	S.D.Z. High School, Shahpur ..	6,000
211	Gram Panchayat High School, Kotla ..	1,510
212	S.A.S. High School, Garli ..	5,020
213	D.A.V. High School, Tauni Devi ..	1,070
214	S.M. Rajput High School, Indora ..	3,360
215	S.D. Higher Secondary School, Baijnath ..	2,080
216	G.A.V. High School, Saliana ..	1,560
217	Z.A.V. High School, Sullah ..	2,190
218	S.M.S.D. High School, Sujanpur Tira ..	3,880
219	S.D. High School, Thural ..	500
220	S.D. High School, Jawala Mukhi ..	2,010
221	S.D. High School, Kakkar ..	1,940
222	R.H.S.D. Higher Secondary School, Haripur ..	2,300
223	M.S.L.S.D. High School, Bhoreri ..	5,750
224	H.A.V. High School, Dheera ..	1,400
225	S.D. High School, Ladauri ..	1,000
226	B.P. High School, Mair ..	2,000
227	S.D. High School, Nagrota ..	725
228	S.D. High School, Molag ..	725
229	S.D. Co-educational High School, Ghugar ..	1,000
	District Hoshiarpur	
230	D.A.V. Higher Secondary School, Hoshiarpur ..	5,250
231	Hans Raj Arya High School, Garhshankar ..	4,720
232	K.R.K..D.A.V. High School, Garhdiwala ..	740
233	D.A.V. High School, Santokhgarh ..	1,580
234	Rajput High School, Binjon ..	2,800
235	Khalsa High School, Pakhowal, Tehran ..	2,260
236	Khalsa High School, Sarhala, Mundianot ..	4,660
237	Khalsa High School, Pujjodeotasus ..	3,530
238	Public High School, Bhangali ..	1,890
239	S.D. Khalsa Higher Secondary School, Dasuya ..	1,140
240	Public High School, Amroh ..	1,570
241	S.D. High School, Chintpurni ..	2,300
242	S.D. High School, Kuthera Jaswalan ..	2,210
243	Public High School, Talwara ..	990
244	Lyalpur Khalsa College, High School, Sham Chaurasi ..	2,620
245	G.N.Khalsa High School, Majari ..	1,580
246	S.D. Higher Secondary School, Hoshiarpur ..	3,760
247	R.D. High School, Nadaloan ..	4,190
248	T.H.M. High School, Naurala ..	2,460
249	D.S. High School, Khuda ..	170
250	S.D. High School, Nangal Behaltan ..	1,740
251	A.S. High School, Mukerian ..	2,420
252	D.A.V. High School, Dasuya ..	720
253	S.A.S. High School, Paldi ..	1,010
254	K.M. Arya High School, Mubarakpur ..	280
255	A.V. High School, Charatgarh ..	4,030
256	D.A.V. High School, Urmar ..	3,470
257	Lyalpur S.D. High School, Bassi Daulatkhan ..	710
258	G.H. Khalsa Higher Secondary School, Khanpur Hirani ..	2,030
259	S.S. High School, Pirthipur ..	630
260	Khalsa Higher Seconary School, Mahilpur ..	200
261	Kamoke S.D. High School, Mahan Pur ..	1,530
262	Hindu High School, Jaipur Doaba ..	620

Serial No	Name of the School		Amount of the *ad hoc* grant sanctioned
1	2		3
	District Hoshiarpur– concld		Rs.
263	D.A.V. High School, Takhat Garh	..	1,410
264	Dr. H.R. High School, Datarpur	..	2,250
265	S.G.S. Khalsa Higher Secondary School, Miani	..	3,520
266	Rajput High School, Dhol Bala	..	880
267	S.L.D. High School, Rampur Hallar	..	770
268	H.D. National High School, Hariana	..	2,030
269	S.B.A.C. High School, Bajwara	..	2,480
270	Kallar Khalsa High School, Hariana	..	820
271	S.A. Jain Middle School, Hoshiarpur	..	2,350
272	Saini Bar High School, Bullowal	..	2,000
273	D.A.V. High School, Hariana	..	1,160
274	B.G. Janta High School, Lamin Pandori	..	1,670
275	D.A.V. High School, Barahmpur	..	500
276	Public High School, Dhusara	..	3,420
277	D.A.V. High School, Kathgarh	..	2,000
	District Patiala		
278	D.A.V. High School, Dera Bassi	..	2,170
279	Atma Ram Kumar Sabha High School, Patiala	..	1,910
280	Arya High School, Nabha	..	1,850
281	Public High School, Ghurani	..	2,740
282	Khalsa Higher Secondary School, Lassoi	..	420
283	B.Z.F. Singh Khalsa High School, Sirhind Mandi	..	540
284	Khalsa Sewak Jatha High School, Patiala	..	1,010
285	Lala Lajpat Rai High School, Bassi Pathana	..	870
286	Ashok Higher Secondary School, Sirhind	..	1,480
287	Union High School, Rajpura	..	1,880
288	S.D. High School, Nabha	..	2,500
289	Dhudhial Khalsa High School, Patiala		1,810
290	S.R. Arya Higher Secondary School, Patiala	..	510
291	Ranrichpal Sanatan Vidyala, Bassi	..	1,070
292	Arya High School, Tapa	..	760
293	Hindu Public High School (Khanpur), Tripuri, Patiala	..	150
294	B.N. Khalsa Polytechnic, Patiala	..	1,170
295	National High School, Balhan Kalan	..	370
296	Mohinder Kanya Mahavidyala, Patiala	..	230
297	Mata Kaur Girls Middle School, Patiala	..	350
298	Khalsa Gir's High School, Durah	..	300
299	Panchayat Middle School, Gandhian	..	1,000
300	Panchayat Middle School, Mohi Khurd	..	500
301	Panchayat Middle School, Harpalpur	..	500
302	Panchayat Middle School, Lachhra	..	500
303	Panchayat High School, Nagowan	..	1,000
304	S.D. Girls High School, Nabha	..	370
	District Bhatinda		
305	Gandhi High School, Mansa	..	1,660
306	S.S. Bhai Pheru Khalsa High School, Faridkot	..	1,680
307	Khalsa Higher Secondary School, Mansa	..	3,250
308	Arya Girls Higher Secondary School, and J.B. T. School, Bhatinda	..	610
	Sangrur District		
309	Prem Sabha High School, Sangrur	..	1,690
310	Arya High School, Narwana	..	1,440
311	S.D. B. High School, Malerkotla	..	2,950

[Deputy Minister]

Serial No.	Name of the School	Amount of the *ad hoc* grant sanctioned
1	2	3
		Rs.
312	Akal High School, Mastuwana ..	530
313	Malwa Khalsa High School, Dhuri ..	1,000
314	Khalsa Higher Secondary School, Bakhatgarh ..	1,420
315	National High School, Malerkotla ..	870
316	Arya High School, Mandi Phool ..	630
317	M.G.M.N. High School, Ahmadgarh ..	1,310
328	S.D. High School, Dhuri ..	1,720
329	Hindu Sabha High School, Sunam ..	180
320	S.D. High School, Jind ..	500
321	Jat High School, Jind ..	1,010
322	Atma Nand Jain High School, Malerkotla ..	2,650
323	S.B. Jain Girls High and Junior Basic Training Institute, Malerkotla ..	610
	District Mohindergarh	
324	Arya Vedic High School, Birhi Kalan ..	1,810
325	Rastriya High School, Narnaul ..	980
	Kapurthala District	
326	Mathura Dass S.D.P. High School, Kapurthala ..	920
327	S.D. High School, Sultanpur Lodhi ..	1,860
328	Khalsa Amarjit Higher Secondary School, Domeli ..	1,190
329	Kamalia Khalsa High School, Kapurthala ..	380
330	S.D. High School, Maur Mandi ..	2,000
331	Hindu Putri Pathshala, Kapurthala ..	600
332	S.D. Putri Pathshala, Hadiabad ..	700
333	Naw Bharat Girls High School, Panchhat ..	170
334	S.D. Kaniya)Maha Vidyala, Phagwara ..	1,300
335	Ramgarhia Girls High School, Phagwara ..	500
336	Nankana Sahib Khalsa High School, Sultanpur Lodhi ..	170
337	Ramgarhia Collegiate School, Phagwara ..	450

STUDENTS ON ROLL IN GOVERNMENT MIDDLE SCHOOL FOR GIRLS AT VILLAGE KHALRA, DISTRICT AMRITSAR

*6089. **Sardar Gurwaryam Singh :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the number of girls at present studying in the Government Middle School for Girls in Village Khalra, tehsil Patti, district Amritsar ;

(b) whether there is any proposal under the consideration of Government to upgrade the said school ?

Shri Yash Pal (Deputy Minister) :

(a) 246 as on 10th October, 1960.

(b) No.

HIGH SCHOOLS IN TEHSIL PATTI, DISTRICT AMRITSAR

*6090. **Sardar Gurwaryam Singh :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the number and names of High Schools in tehsil Patti, district Amritsar ;

(b) the pass percentage in the Matriculatuon Examination during the period from 1958-60 of each of the schools mentioned in part (a) above ;

(c) whether any complaint or representation has been received by the Education Department against the teaching staff of Government High School, Kacha Pacca, tehsil Patti, district Amritsar ; if so, the nature thereof and the action taken thereon ?

Shri Yash Pal (Deputy Minister) : (a) There are nine High Schools in Tehsil Patti, the names of which are given below :—

(1) D. A. V. High School, Patti.
(2) National High School, Bhikhiwind.
(3) Majha Khalsa High School, Khalra.
(4) Khalsa High School, Valtoha.
(5) Government High School, Sursingh.
(6) Government High School, Kacha Pacca.
(7) Government High School, Sabhra.
(8) Government High School, Khem Karan.
(9) Government High School, Patti.

(b) *Name of School.*	*Pass*	*Percentage*	
	1958	1959	1960
	per cent	per cent	per cent
1. D. A. V. High School, Patti ..	94	88	82.8
2. National High School, Bhikhiwind ..	74	78.8	50
3. Majha Khalsa High School, Khalra ..	84	79	49
4. Khalsa High School, Valtoha ..	91	60	64
5. Government High School, Sursingh	74	44	42
6. Government High School, Kacha Pacca ..	56	74	16
7. Government High Schooll, Sabhra ..	59	91	59
8. Government High School, Khem Karan ..	100	92	82.61
9. Government High School, Patti ..	73	62	44

[Deputy Minister]

(c) The complaints of the following nature have been received and these are under consideration :—

1. Complaint against the staff of Government High School, Kacha Pacca, regarding introduction of unauthorized books, strike by students, etc., party faction among the members of the staff.

2. Complaint received through the District Development and Panchayat Officer, Amritsar—the public alleged that there had been no Headmaster for the last six months and that the result was very poor.

3. Complaints from students regarding party faction in the staff of Government High School, Kacha Pacca.

चौधरी धर्म सिंह राठी : जनाब, मैं यह पूछना चाहता हूँ, जैसा कि वज़ीर साहिब ने बताया है, कि यह High Schools कच्चे पक्के हैं ? जनाब, मेरा सवाल यह है कि हमें यह बताया जाये कि आया यह schools कच्चे हैं या पक्के ? (हँसी)

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहिब, जब आप वहां जायेंगे तो आप भी कच्चे पक्के हो जायेंगे। इस लिये इसे यहीं छोड़िये। (*Addressing Chaudhri Dharam Singh Rathi*) The hon. Member may leave the matter here otherwise if he goes there he, too, will become "Kacha pacca", (*laughter*)

ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ : ਜਿਹੜੀਆਂ Complaints ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ school ਬਾਰੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

उप-मंत्री : मैं ने अर्ज़ किया है कि यह अभी under consideration हैं।

ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ : ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।

उप-मन्त्री : जल्दी ही फैसला हो जायेगा।

LOANS GRANTED BY STATE LAND MORTGAGE BANK

***5982. Dr. Bhag Singh :** Will the Minister for community Development be pleased to state—

(a) the number of farmers, districtwise, in the State to whom loans have so far been advanced by the State Land Mortgage Bank, and the amount advanced in each case ;

(b) the number of farmers mentioned in part (a) above who have less than five acres, less than 30 acres and more than 50 acres separately ?

Sardar Gurbanta Singh : (a) A statement is laid on the Table of the House.

(b) The labour and the time involved will not be commensurate with any possible benefit to be obtained.

Serial No.	Name of the District		No. of Farmers	Amount of loan
				Rs.
1.	Jullundur	..	173	7,59,995.98
2.	Amritsar	..	65	2,03,420.00
3.	Ludhiana	..	110	4,73,687.50
4.	Gurdaspur	..	14	78,050.00
5.	Hoshiarpur	..	48	2,23,000.00
6.	Ferozepur	..	57	2,53,763.97
7.	Patiala	..	78	2,93,000.00
8.	Sangrur	..	92	2,90,910.00
9.	Bhatinda	..	90	3,91,860.00
10.	Kapurthala	..	5	21,300.00
11.	Karnal	..	93	3,90,150.00
12.	Hissar	..	6	45,900.00
13.	Rohtak	..	52	3,01,100.00
14.	Ambala	..	75	2,46,255.00
15.	Gurgaon	..	17	72,220.00

INSPECTOR, CO-OPERATIVE SOCIETIES DEPUTED TO WORK WITH THE PUNJAB CO-OPERATIVE UNION

***6026. Pandit Ram Kishan Bharolian :** Will the Minister for Community Development be pleased to state—

(a) whether the Punjab Co-operative Union asked the Government for the loan of the services of a particular Inspector, Co-operative Societies, to work as Additional Secretary of the said Union ;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, whether the services of the said Inspector were, in fact, loaned out ;

(c) the qualifications prescribed for the said post of Additional Secretary and the qualifications possessed by the said Inspector, Co-operative societies ;

[Pandit Ram Kishan Bharolian]

(d) the place of seniority of the said inspector on the seniority list of the inspectors and if he is not the senior most the reasons why those senior to him have been passed over ?

Sardar Gurbanta Singh : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) No qualification has been prescribed by the Punjab Co-operative Union. The Inspector is a Graduate and has an experience of about 16 years as Instructor in different lines. He has a consistently good record of service at his credit.

(d). He is at serial No. 100 of the joint seniority list of Co-operative Department (Inspectors) as it stood on 1st November, 1956. The question of passing over does not arise as it is not a case of promotion.

SUB-INSPECTORS, CO-OPERATIVE SOCIETIES, AS EDUCATIONAL INSTRUCTORS

***6027. Pandit Ram Kishan Bharolian :** Will the Minister for Community Development be pleased to state whether any Sub-Inspectors of Co-operative Societies are employed by the Punjab Co-operative Union as Educational Instructors ; if so, their number ?

Sardar Gurbanta Singh : First Part—Yes.

Second part. 30.

POST OF DEPUTY REGISTRAR, CO-OPERATIVE SOCIETIES, JULLUNDUR

***6028. Pandit Ram Kishan Bharoliam :** Will the Minister for Community Development be pleased to state whether it is a fact that the post of Depury Registrar, Co-operative Societies, Punjab, Jullundur Division is lying vacant since 3rd July, 1960 ; if so, the reasons therefor ?

Sardar Gurbanta Singh : Yes, the matter regarding filling up the post is under consideration of Government.

चौधरी इन्द्र सिंह : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि इस post को अब तक vacant रखने के क्या कारण हैं ?

सामूहिक विकास मंत्री : कारण यह है कि जो Deputy Registrar की qualifications रखी हैं वह junior आदमी fulfil नहीं करते और अगर किसी ऐसे आदमी को लगा दिया जाता है तो दस बारह आदमी supersede हो जाते हैं। अब हमने Public Service Commission को यह qualifications घटाने के लिये लिखा है।

SUICIDE BY SHRI J. S. CLAIRE, SUPERINTENDING ENGINEER

*5817. **Shri Ram Chandra Comrade** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether it is a fact that Shri J. S. Claire, Superintending Engineer, Bhakra-Nangal Project committed suicide recently; if so, the circumstances which led to that ;

(b) if the answer to first part of (a) above be in the affirmative, whether any enquiry into the said case was made ; if so, the result thereof ?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : (a) and (b) Yes ; Enquiry made by the Police revealed that after his return from Delhi where he had gone to give his statement before the Deputy Law Minister in connection with the Tube-well deal he felt that the result of the enquiry conducted by the Deputy Law Minister would go against him and he woud thus be suspended. This put him in a morbid and melancholy mood resulting in his committing suicide.

श्री राम चन्द्र कामरेड : डिप्टी वज़ीर साहिब ने बताया है कि क्योंकि उन को यह खदशा था कि enquiry के नतायज उनके खिलाफ होंगे, इसलिये इसी डर के मारे उन्होंने खुदकुशी कर ली। क्या मैं यह बात दरियाफ्त कर सकता हूँ कि Centre के वज़ीर साहिब ने जो इस case का फैसला दिया है ; उसमें उनके खिलाफ कोई remarks ग्राए हैं ?

उप-मन्त्री : इसके मुतग्रल्लिक specific question हो तो पता करके जवाब दिया जा सकता है ।

श्री राम चन्द्र कामरेड : जनाब मैंने बड़ा clear सवाल पूछा है कि 'whether it is a fact that Shri J. S. Claire, Superintending Engineer, Bhakra Nangal Project, committed suicide recently ; if so, the circumstances which led to that. तो ग्रगर कोई खदशा था भी तो वह उनके दिल में ही हो सकता है लेकिन मैं ने पूछा है कि वह कौन से remarks उस enquiry में उनके खिलाफ हैं जिन की वजह से उस खदशे की सम्भावना हो सकती है ?

उप-मन्त्री : ग्रापने पूछा था कि वह कौन से circumstances थे जिन की वजह से श्री कलेयर ने खुदकुशी की। इसकी बाबत जो enquiry की गई उससे यही पता लगा है कि कोई खदशा उन के ज़हन में पैदा हो गया था। कोई बात उनके खिलाफ थी या नहीं थी यह ग्रलग बात है ; उसका इससे सम्बन्ध नहीं है। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि चूंकि उनके दिमाग़ में किसी बात का खदशा था इसलिये उन्होंने suicide की होगी ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या बताया जा सकता है कि enquiry agency ने किन किन बातों की बिना पर यह अन्दाज़ा लगाया कि उनके दिमाग़ में कोई खदशा था और उसी वजह से उन्होंने suicide की ? मैं जानना चाहता हूँ कि वह कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से facts हैं जिन की बिना पर reasonably यह अन्दाज़ा लगाया जा सकता हो कि उनके दिमाग में यह खदशा था ?

मुख्य मन्त्री: उन्हों ने भाखड़ा-नंगल के कुछ engineers के साथ बातें की थीं।

श्री बलराम दास टण्डन : क्या डिप्टी वज़ीर साहिब या चीफ मिनिस्टर साहिब यह बतायेंगे कि इस deal के अन्दर उनके खिलाफ कोई allegations थे ?

मुख्य मन्त्री: उनकी एक गवाही थी और वह उस गवाही से पशेमान थे।

चौधरी धर्म सिंह राठी : क्या Mrs. Claire के भी इस enquiry में बयान लिये गए ?

मुख्य मन्त्री : इसके लिये अलग सवाल पूछो तो बताया जा सकता है।

चौधरी धर्म सिंह राठी : क्या बताया जा सकता है कि उनकी मौत होने से आगे चीफ मिनिस्टर साहिब वहां गए थे ?

Mr. Speaker : This is not a supplementary question.

श्री राम प्यारा : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब या डिप्टी मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि उनकी चिट्ठी से जो hackling ज़ाहिर होती है वह Centre के वज़ीर साहिब ने की या पंजाब के मिनिस्टर साहिबान ने ?

Mr. Speaker : This is not a supplementary question.

चौधरी इन्द्र सिंह : क्या Chief Minister साहिब बतायेंगे कि Mr. Claire ने खुदकुशी करने से दो तीन दिन पहले पंजाब Government के किसी officer के पास statement देने जाना था ?

उप-मन्त्री : मुझे आप के सवाल की समझ नहीं आई।

Mr. Speaker : The question is whether there was any programme for him to go to Delhi if he had not committed suicide ?

उप-मंत्री : उस की statement पहले हो चुकी थी।

चौधरी इन्द्र सिंह : क्या यह हकीक़त है कि उस ने मज़ीद statement के लिये भी जाना था ?

Mr. Speaker : This supplementary question does not arise.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या Chief Minister साहिब बतायेंगे कि Mr. Claire की मौत के बारे में जो enquiry की गई थी उस में इस बात का भी पता चला है कि वह hackling क्या थी जिस का ज़िक्र उन्हों ने अपनी letter में किया था ?

मुख्य मन्त्री : Centre के Deputy Minister के सामने जो वह बयान दे चुका था वही hackling हो सकती है।

LETTERS LEFT BY LATE SHRI J. S. CLAIRE

*5818. **Shri Ram Chandra Comrade :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether the late Shri J. S. Claire, Superintending Engineer Bhakra, left any letters addressed to his family or other Engineers before committing suicide ;

(b) if the answer to part (a) above in the affirmative ; whether any of the said letters have come into the possession of the Government ; if so, copies thereof be laid on the Table ?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : (a) and (b) Shri J. S. Claire, sent a personal letter to Shri Chopra, General Manager, Bhakra Dam. A copy of the letter is placed on the Table of the House.

Copy of letter written by Shri Claire, Superintending Engineer, Nangal Township, to the General Manager, Bhakra Dam (Shri Chopra) before his death.

My dear Chopra,

I shall be obliged if you kindly help Pritam to draw my G. P. Fund about Rs. 38,000 to end of this month.

Draw life insurance policies amounting to Rs. 5,000 each lying in my office Cup board.

Cash in Punjab National Bank, Nangal, about Rs. 1,965/- pending bills had to be paid out of this.

Withdrawal of about Rs 900 from the Local Post Office.

Withdrawal of Rs. 7,262-12-0 from the Lloyd Bank of India, Jullundur City.

Cash in Indian Currency of about 500 Dollars as per attached Bank account through Mr. Slocum. After deducting cost indigans etc. I hope he will not mind this favour to me.

Please tell her that my cousin S. Gian Singh who lived at village Nurpur owes Rs 9,000 as my dues from land at village Nurpur for the years 1958-59 and 1959-60 ending June 20th next.

I respectfully request Bibi Parkash Kaur, Deputy Minister, to kindly help Pritam to settle at Nurpur as I have no other house. She may get into trouble being all by herself. All property papers are placed below.

God Almighty have mercy on my children and wife and mother. The insult of being hackled is too much for me to bear.

श्री राम चन्द्र कामरेड: Mr. Claire ने अपनी चिट्ठी में तो लिखा था कि मैं hackling की वजह से खुदकशी कर रहा हूँ, क्या Chief Minister साहिब बतायेंगे कि वह पशेमानी किस बात की थी ?

मुख्य मन्त्री : मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उन्होंने Centre के Deputy Minister के सामने जो statement दी थी उस बात से उन्हें पशेमानी थी।

श्री राम चन्द्र कामरेड : क्या Chief Minister साहिब बतायेंगे कि उस दौरान किसी ने उन को तंग भी किया था ?

मुख्य मन्त्री : बिल्कुल नहीं।

श्री राम चन्द्र कामरेड : जिस वक्त Centre के Deputy Minister के सामने क्लेयर साहिब का बयान हुआ था तो उस वक्त वहां पंजाब सरकार का कोई officer भी मौजूद था ?

मुख्य मन्त्री : हां जी, एक officer था।

Mr. Speaker : Question Hour is over now. Supplementaries on this question will continue to-morrow.

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

REMISSION IN ABIANA GRANTED IN MOGA TEHSIL DURING 1958

2950. Sardar Sohan Singh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the names of villages where full remission of abiana was granted and of those where 50 per cent remission was granted in Moga Tehsil as a result of floods in 1958;

(b) the names of persons with parentage, village-wise, in the said Tehsil to whom the said remission was granted ?

Rao Birendar Singh : The possible benefit to be derived from the reply to the question will not be commensurate with the amount of time and labour involved in collecting the information.

QUOTA-HOLDERS OF CONTROLLED COMMODITIES

2951. Chaudhri Devi Lal : Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) the number and names of the quota-holders of difierent controlled commodities in each district at present together with their addresses ;

(b) whether among the quota-holders mentioned in part (a) above there are any co-operative societies ; if so, the names and addresses of the members thereof ?

Shri Mohan Lal : The time and labour involved in collecting the information (which is going to be extremely voluminous) is not commensurate with the benefits sought to be derived.

ALLOCATION OF FUNDS FOR VOLUNTARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS ETC.

2952. Chaudhri Devi Lal : Will the Minister for Education be pleased to state —

(a) the statistical data, for the immediately preceding five years about the allocation of funds by the Government or on its recommendations by the Union Government districtwise, under the following schemes :—

(1) Grants under the assistance provided to Voluntary Educational Institutions by the Union Government;

(2) Loans for Hostels under the above scheme ;

(3) Grants under the Youth Welfare Programme for : —

(a) Social Service Camps ;
(b) Students' Tours ; and
(c) Development of playgrounds;

(4) Grants under the Higher Secondary and Multi-purpose Schemes for : —

(a) Science Equipment ;
(b) Agriculture ;

(5) *Ad hoc* grants other than compensation for introducing free education up to the Middle Standard ;

(b) the names of the top most five institutions benefited by the above schemes ;

(c) whether all of the above referred to institutions are open to every citizen of India irrespective of caste, creed or religion for inclusion in the management for administrative purposes ?

Shri Amar Nath Vidyalankar :

(a) (1) and (2) .. As per list attached as annexure 'A'.
(3) (a) (b) and (c) .. As per list attached as annexure 'B'.
(4) (a) and (b) .. As per list attached as annexure 'C'
(5) .. *Nil.*

(b) .. As per annexure 'D'.

(c) Yes, provided he/she becomes a member of the body which controls the institution and is elected as a member of the Managing Committee in accordance with the provisions of the constitution of that body and if his/her antecedents are reported to be good.

ANNEXURE 'A'

(a) (1) **Grants under the Scheme of Assistance to Voluntary Educational Institutions.—**

Name of District		*Amount of grant sanctioned*
		Rs.
Ferozepur	..	52,035
Rohtak	..	4,500
Hissar	..	69,046
Karnal	..	11,000
Mohindergarh	..	8,900
Jullundur	..	1,05,400

[Minister for Education]

Name of District	*Amount of grant sanctioned*
	Rs.
Ambala	.. 1,444
Kapurthala	.. 10,244
(a) (2) **Loans for Hostels**—	
Ludhiana	.. 4,66,000
Rohtak	.. 1,40,000
Karnal	.. 56,550
Jullundur	.. 1,20,000
Amritsar	.. 62,600
Ambala	.. 1,00,000
Kangra	.. 10,400

ANNEXURE 'B'

(3)(a) **Social Service Camps** —

1956-57 *to* 1960-61	*Amount*
	Rs.
1. Patiala, Hissar, Gurgaon and Rohtak Districts (Jointly)	.. 14,831-0-0
2. Patiala, Sangrur, Bhatinda, Kapurthala and Mohindergarh (Jointly)	.. 13,492-8-0
3. District Ambala (Individually)	.. 8,899-0-0
4. District Patiala (Individually)	.. 6,053-0-0
5. District Sangrur (Individually)	.. 3,013-14-0
6. District Karnal (Individually)	.. 2,028-0-0
7. District Bhatinda (Individually)	.. 1,459-8-0
8. District Kapurthala (Individually)	.. 566-8-0

(a) (3) (b) **Students Tour Grants** —

1956-57 *to* 1960-61	*Amount*
	Rs.
1. District Ambala	.. 2,325
2. District Sangrur	.. 2,003
3. District Patiala	.. 1,870
4. District Rohtak	.. 1,690
5. District Hissar	.. 1,254
6. District Ferozepore	.. 939
7. District Simla	.. 938
8. District Bhatinda	.. 778
9. District Gurdaspur	.. 645
10. District Hoshiarpur	.. 611
11. District Ludhiana	.. 557
12. District Amritsar	.. 256

(a) 3(c) **Grants for Development of Playgrounds** —

	District		*Amount* Rs.
1.	Rohtak	..	11,000
2.	Ambala	..	3,000
3.	Gurgaon	..	5,600
4.	Karnal	..	8,750
5.	Hissar	..	6,500
6.	Patiala	..	10,000
7.	Sangrur	..	3,000
8.	Ludhiana	..	3,000
9.	Jullundur	..	9,500
10.	Amritsar	..	5,250
11.	Kangra	..	5,400
12.	Ferozepur	..	3,000
13.	Hoshiarpur	..	6,500

ANNEXURE 'C'

Grants under the Higher Secondary and Multi-purpose Schemes

(a) (4)(a) **Science Equipment Grant** —
1956-57 *to* 1960-61

			Amount Rs.
1.	Amritsar	..	4,59,226
2.	Ambala	..	5,61,226
3.	Ferozepur	..	2,74,000
4.	Ludhiana	..	3,62,000
5.	Hoshiarpur	..	2,37,000
6.	Jullundur	..	4,00,000
7.	Rohtak	..	2,37,000
8.	Kangra	..	1,38,000
9.	Karnal	..	3,28,000
10.	Hissar	..	1,10,000
11.	Gurgaon	..	1,65,000
12.	Gurdaspur	..	1,21,000
13.	Simla	..	69,000
14.	Bhatinda	..	2,24,000
15.	Patiala	..	91,000
16.	Kapurthala	..	11,000
17.	Sangrur	..	47,000
18.	Mohindergarh	..	36,000

(a) (4)(b) **Grants for Agriculture Group** —

1.	Ferozepur	..	80,000
2.	Ambala	..	80,000
3.	Hoshiarpur	..	80,000
4.	Rohtak	..	80,000
5.	Amritsar	..	80,000
6.	Karnal	..	40,000
7.	Bhatinda	..	40,000
8.	Kangra	..	40,000
9.	Jullundur	..	1,20,000
10.	Sangrur	..	80,000
11.	Gurgaon	..	40,000

ANNEXURE 'D'

(a) (1) (i) M.G.N. Basic Training College, Jullundur.
(ii) National College, Sirsa.
(iii) Khalsa Basic Training College, Muktsar.

(iv) Dev Samaj College for Women, Ferozepur City.
(v) Dev Samaj Junior Model School, Ferozepur City.

(a) (2) (i) G.H.G. Khalsa College, Guru Sar Sudhar.
(ii) Malwa Training College, Ludhiana.

[Minister for Education]

(iii) Chhotu Ram College of Education, Rohtak.
(iv) Radha Krishan Arya College, Nawanshahr.
(v) Dev Samaj College, for Girls, Ambala City.

(a) (3)(a) Grants are sanctioned on State/Divisional/District Level.

(b) (i) C.A.V. High School, Hissar.
(ii) S.A. Jain High School, Malerkotla.
(iii) S.M. Hindu High School, Sonepat.
(iv) Vaish College, Rohtak.
(v) R.P.C., S.D. College, Simla.

(c) (i) D.A.V. College, Hoshiarpur.
(ii) Sialkot Khalsa High School, Jullundur.
(iii) Ahir College, Rewari.
(iv) P.G.S.D. High School, Rewari.
(v) Khalsa High School, Karnal.

(a) (4) (a), (b) (i) Khalsa Collegiate Higher Secondary School, Amritsar.
(ii) D.A.V. Higher Secondary School, Chandigarh.
(iii) M.H.R. Higher Secondary School, Bhatinda.
(iv) A.R. Kumar Sabha Higher Secondary School, Patiala.
(v) Gandhi Higher Secondary School, Mansa.

HOME ADDRESSES OF I.A.S./P.C.S. OFFICERS IN THE STATE

2954. Chaudhri Devi Lal : Will the Chief Minister be pleased to state the home addresses of the I.A.S. and P.C.S. Officers employed in the State at present?

Sardar Partap Singh Kairon : The information is not available in the Secretariat. It is considered that the time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with any possible benefit of public nature to be obtained.

LENGTH OF ROADS CONSTRUCTED DURING 1ST AND 2ND PLAN PERIODS

2955. Chaudhri Devi Lal : Will the Minister for Public Works be pleased to state —

(a) the total mileage of the metalled roads in the State, districtwise, at the commencement of the First Five-Year Plan ;

(b) the total mileage of the metalled roads constructed in the State, districtwise, during the First Five-Year Plan, the Second Five-Year Plan and proposed to be built in the 3rd Five-Year Plan separately, excluding the Bhakra Development Roads ?

Chaudhri Suraj Mal :

(a) 2,874 Miles

	Miles
(b) (i) Total mileage of metalled roads constructed during the First Five-Year Plan excluding Bhakra Development Roads	974

(ii) Total mileage of metalled Roads constructed during the Second Five-Year Plan (four years) up to 31st March, 1960 excluding Bhakra Development Roads .. 1,177

(iii) Total mileage of metalled roads expected to be constructed up to 31st March, 1961 excluding Bhakra Development Roads .. 364

(District-wise detail for (a) and (b) above is placed on the Table of the House.)

No ceiling has been fixed so far for roads to be built in Third Five-Year Plan.

Statement showing metalled mileage in Punjab excluding Bhakra Roads

Serial No.	Name of District	Metalled mileage on 31st March, 1951, i.e., at the commencement of 1st Five-Year Plan	Total mileage of metalled roads constructed during 1st Five-Year Plan excluding Bhakra Roads	Total mileage of metalled roads constructed during 1st Five-Year of 2nd Five-Year Plan excluding Bhakra Roads	Metalled mileage expected to be completed during the last year of the 2nd Five-Year Plan excluding Bhakra Roads	Remarks
1	2	3	4	5	6	
1	Hissar ..	200	60	46	43	
2	Rohtak ..	217	72	47	9	
3	Gurgaon ..	194	30	154	55	
4	Karnal ..	187	22	137	26	
5	Ambala ..	217	106	57	13	
6	Simla ..	63	..	..	..	
7	Kangra ..	150	65	42	10	
8	Hoshiarpur ..	126	79	63	31	
9	Jullundur ..	152	29	51	19	
10	Ludhiana ..	136	21	19	7	
11	Ferozepore ..	258	77	119	27	
12	Amritsar ..	233	59	47	18	
13	Gurdaspur ..	151	93	35	5	
14	Patiala ..	251	58	31	11	
15	Sangrur ..	102	104	110	38	
16	Bhatinda ..	110	61	113	21	
17	Kapurthala ..	97	7	22	7	
18	Mohindergarh ..	30	31	84	24	
	Total ..	2,874	974	1,177	364	

BHAKRA DEVELOPMENT ROADS

2956. Chaudhri Devi Lal : Will the Minister for Public Works be pleased to state —

(a) the total length of the Bhakra Development Roads so far constructed in the State, districtwise, together with the names of such roads and the length of each ;

(b) the total mileage of the said roads constructed district-wise, in the First Five-Year Plan, in the Second Five-Year Plan and proposed to be constructed in the 3rd Five-Year Plan, separately ?

Chaudhri Suraj Mal : (a) and (b) A consolidated statement showing total mileage of the Bhakra Development roads constructed districtwise, in the First and Second Five-Year Plans, remaining mileage likely to be completed during 2nd Five-Year Plan (in 1960-61) and proposed to be constructed in the 3rd Five-Year Plan, is enclosed herewith.

Statement showing length of Bhakra roads district-wise and their construction in I and II Five Year Plan including their expected spill over to III Five Year Plan

Serial No.	Name of Roads	Length in miles	Mileage constructed during 1st plan	Mileage constructed during 2nd plan (upto 31-3-60)	Total for 1st and 2nd plan (up to 31-3-60)	Mileage expected to be constrcuted during 60/61	Spill over to 3rd plan	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	HISSAR DISTRICT							
1	Fatehbad-Bhattu Road	11.34	10.34	1.00	11.34	..	..	..
2	Ratia-Fatehbad Road ..	14.20	2.70	11.50	14.20	..	..	..
3	Ludesar-Bhattu Road ..	12.00	..	11.75	11.75	0.25	..	
4	Dabwali-Kalanwali Road ..	17.00	..	17.00	17.00	..	..	
5	Kalanwali-Audhan Road	6.27	..	6.27	6.27	..	..	
6	Dabwali-Chutala Road ..	19.58	..	19.58	19.58	..	..	..
7	Dabwali-Manwal Road ..	13.00	..	13.00	13.00	..	..	
8	Kalanwali-Kori Road	15.65	..	3.00	3.00	2.00	10.65	

Serial No.	Name of Roads	Length in miles	Mile-age cons-tructed during 1st plan	Mile-age cons-tructed during 2nd Plan (up to 31st March, 1960)	Total for 1st and 2nd Plan (up to 31st March, 1960)	Mile-age expect-ed to be con-structed during 60/61	Spill over to 3rd plan	REMARKS
1	2	3	4	5	6	6	8	9
	HISSAR DISTRICT —*concld*							
9	Sirsa-Ludsar road	12.27	..	12.27	12.27	..	..	..
10	Bhiwani Khera-Khanak Road	12.69	4.50	8.19	12.69	..	..	..
11	Hissar-Balasa mand Road ..	15.17	7.75	7.42	15.17	..	..	..
12	Hissar-Barwala Road ..	18.36	18.36	..	18.36	..	..	
13	Hansi-Barwala Road ..	18.16	4.00	14.16	18.16	..	..	
14	Agroha Mandi-Adampur Road	10.42	..	10.42	10.42	..	..	
15	Tohana-Ratia Road ..	20.83	..	16.75	16.75	4.08	..	
16	Barwala-Agroha Road ..	10.00	..	9.75	9.75	0.25	..	
17	Uklana-Bahuna Road	11.32	..	11.32	11.32	..	..	
18	Tohana-Akal-garh Road ..	3.14	..	3.14	3.14	..	..	
19	Barwala-Tohana Road ..	18.74	6.75	11.99	18.74	..	..	
20	Dharsul-Bahuna Road ..	9.60	..	9.60	9.60	..	..	
21	Uklana-Narwana Road ..	1.72	..	1.72	1.72	..	..	
	Total Hissar District ..	271.46	54.40	199.83	254.23	6.58	10.65	
	II—SANGRUR DISTRICT							
1	Barwala-Tohana Road ..	5.64	..	5.64	5.64	..	..	
2	Uklana-Narwana Road ..	1.20	..	1.20	1.20	..	..	
	Toral Sangrur District ..	6.84	..	6.84	6.84	..	..	

[Minister for Public Works]

Serial No.	Name of Roads	Length in miles	Mileage constructed during 1st plan	Mileage constructed during 2nd Plan up to 31st March, 1960	Total for 1st and 2nd Plan up to 31st March, 1960	Mileage expected to be constructed during 1960-61	Spill over to 3rd plan	REMARKS
1	2	3		5	6	7	8	9
	III— KARNAL DISTRICT							
1	Kaithal-Guhla Road	19.57	5.00	14.57	19.57	..	..	..
2	Kaithal-Rajound Road	16.41	7.00	9.41	16.41	..	..	..
3	Thanesar-Jhansa Road	11.36	1.00	10.36	11.36	..	..	..
	Total Karnal District ..	47.34	13.00	34.34	47.34	..	..	..
	IV—FEROZEPUR DISTRICT							
1	Fazilka-Arniwala Road ..	14.90	..	13.65	13.65	1.25	..	..
2	Abohar Usman-Khera Road	13.25	..	8.25	8.25	5.00	..	..
	Total Ferozepur District ..	28.15	..	21.90	21.90	6.25	..	..
	V—JULLUNDUR DISTRICT							
1	Lasara-Rohan Road ..	11.87	11.37	0.50	11.87	..	..	..
	Total Jullundur District ..	11.87	11.37	0.50	11.87	..	..	..
	VI. AMBALA DISTRICT							
1	Widening Rupar-Guzar Nangal Road ..	17.00	17.00	..	17.00	..	..	..
	Total Ambala District ..	17.00	17.00	..	17.00	..	..	..
	VII. HOSHIARPUR District							
1	Widening Rupar-Guzar Nangal Road ..	20.00	20.00	..	20.00	..	..	..
	Total Hoshiarpur District ..	20.00	20.00	..	20.00	..	..	..
	Grand Total	402.66	115.77	263.41	379.18	12.83	10.65	

Serial No.	Name of Roads	Length in miles	Mileage constructed during 1st plan	Mileage constructed during 2nd Plan up to 31st March, 1960	Total for 1st and 2nd Plan up to 31st March, 1960	Mileage expected to be constructed during 1960-61	Spill over to 3rd plan	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ABSTRACT					
1	Hissar ..	271.46	54.40	199.83	254.23	6.58	10.65	
2	Sangrur ..	6.84	..	6.84	6.84	..	..	
3	Karnal ..	47.34	13.00	34.34	47.34	..	..	
4	Ferozepur ..	28.15	..	21.90	21.90	6.25	..	
5	Jullundur ..	11.87	11.37	0.50	11.87	..	..	
6	Ambala ..	17.00	17.00	..	17.00	..	..	Widening to existing road only
7	Hoshiarpur ..	20.00	20.00	..	20.00	..	..	
	Total ..	402.66	115.77	263.41	379.18	12.83	10.65	

OFFICERS/OFFICIALS IN THE PUBLIC WORKS DEPARTMENT (BUILDINGS AND ROADS)

2957. Chaudhri Devi Lal : Will the Minister for Public Works be pleased to state —

(a) the home addresses of Gazetted Officers in the P.W.D. at present ;

(b) the number of Overseers in the said department with their home addresses ;

(c) the number of employees in the said Department other than those mentioned in parts (a) and (b) above with their home addresses ?

Chaudhri Suraj Mal : (a) A Statement showing names of officers of the rank of Executive Engineer and above, their present postings and their Home Districts is enclosed.

(b) 364 }
(c) 9,056 } The work involved in collecting the requisite data is so voluminous that it will take a long time to collect. Moreover it may not serve much purpose.

[Minister for Public Works]

Statement showing names and Home District/Town of officers at present posted in the P.W.D. Buildings and Roads Branch

Serial No.	Name of Officer	Designation	Home District/ Town
		HEADQUARTERS OFFICE	
1	Shri G. C. Khanna ..	Chief Engineer (N) ..	Amritsar
2	Shri D. C. Sharma ..	Chief Engineer (S) ..	Chandigarh
3	Shri H. C. Malhotra ..	Superintending Engineer (SR) ..	Delhi
4	Shri T. L. Tandon ..	Officer on Special Duty ..	Patiala
5	Shri K. K. Sarda ..	Executive Engineer (N) ..	Jullundur
6	Shri M. L. Malhotra ..	Executive Engineer (W) ..	Delhi
7	Shri I. D. Mirchandani	Executive Engineer (E) ..	Bombay
8	Shri P. C. Bhasin ..	Executive Engineer (DI) ..	Displaced person. Has not yet declared his home district
9	Shri M. M. Sharma ..	Executive Engineer (DII) ..	Ditto
10	Shri B. S. Mathur ..	Executive Engineer (SR) ..	Delhi
		FIELD CHARGES PATIALA CIRCLE	
1	Shri H. R. Dhir ..	Superintending Engineer ..	Ferozepur
2	Shri B. S. Grewal ..	Executive Engineer, Bhatinda ..	Ludhiana
3	Shri S. S. Gill ..	Executive Engineer, Sangrur ..	Ludhiana
4	Shri D. S. Bedi ..	Executive Engineer, Patiala Estate Division	Barelley (U.P.)
5	Shri J. N. Kakar ..	Executive Engineer, Patiala ..	Delhi
		HISSAR CIRCLE	
1	Shri B. M. Johri ..	Superintending Engineer ..	Aligarh (U.P.)
2	Shri T. S. Lamba ..	Executive Engineer, Gurgaon ..	Hissar
3	Shri O. P. Sablok ..	Executive Engineer, Sirsa ..	Ludhiana
4	Shri R. C. Singh ..	Executive Engineer, Hissar ..	Jullundur
5	Shri R. K. S. Marya ..	Executive Engineer, Rohtak ..	Hissar
6	Shri H. S. Padam ..	Executive Engineer, Dadri ..	Amritsar
		AMBALA CIRCLE	
1	Shri Ram Bilas ..	Superintending Engineer ..	Rohtak
2	Shri Rajinder Nath ..	Executive Engineer, Ambala (Provincial Division)	Sangrur
3	Shri K. C. Gupta ..	Executive Engineer, Simla ..	Karnal
4	Shri Pardhana Ram ..	Executive Engineer, Karnal ..	Hoshiarpur

Serial No.	Name of Officer	Designation	Home District/ Town
		JULLUND'R CIRCLE	
1	Shri Kulbir Singh ..	Superintending Engineer, ..	Amritsar
2	Shri G. S. Toki ..	Executive Engineer, Jullundur ..	Jullundur
3	Shri R. K. Berry ..	Executive Engineer, Ludhiana ..	Delhi
4	Shri Des Raj Varma ..	Executive Engineer, Hoshiarpur	Displaced person Home town not yet declared
		AMRITSAR CIRCLE	
1	Shri A. S. Dhillon ..	Superintending Engineer ..	Bhatinda
2	Shri Arjan Singh ..	Executive Engineer, Amritsar ..	Ambala
3	Shri A. S. Sachdev	Executive Engineer, Gurdaspur ..	Being ascertained
4	Shri Shiv Charan Singh	Executive Engineer, Ferozepur ..	Gurdaspur
		KANGRA HILL CIRCLE	
1	Shri J. S. Marya ..	Superintending Engineer ..	Hissar
2	Shri Amarjit Singh ..	Executive Engineer, Kulu ..	Ludhiana
3	Shri O. P. Malhotra ..	Executive Engineer, Kangra ..	Delhi
4	Shri P. S. Sanghera ..	Executive Engineer, Lahaul and Spiti Division No. I	Jullundur
5	Shri J. S. Gupta ..	Executive Engineer, Lahaul and Spiti Division No. II	Father belonged to Gurgaon. He has purchased a plot at Chandigarh
		ELECTRICAL DIVISION	
1	Shri L. R. Grover ..	Executive Electrical Engineer ..	Displaced person. Has not yet declared his home district

AGRICULTURAL WASTE LAND LEASED OUT IN KARNAL AND HISSAR DISTRICTS

2958. Chaudhri Devi Lal : Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state—

(a) the area of the Government Agricultural Waste land given on lease in districts Karnal and Hissar and the rate of lease money per acre fixed in each district ;

(b) the market price of the lands adjoining the said waste lands in the districts mentioned above ;

(c) the names and orginal home addresses of the persons to whom the land mentioned in part (a) above has been leased out with the area of land leased out to each ;

[Chaudhri Devi Lal]

(d) whether any of the said land has been leased out to any Co-operative Societies ; if so, the names and original home addresses of the members of such Co-operative Societies ?

Giani Kartar Singh : The time and labour involved in collecting and compiling the information asked for would not be commensurate with any possible benefit to be obtained from the reply.

OVERSEERS IN IRRIGATION DEPARTMENT

2959. Chaudhri Devi Lal : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the names of overseers in the Irrigation Department at present with their original home addresses ?

Rao Birendar Singh : The time and trouble involved in collecting the information will not be commensurate with any possible benefit to be obtained. However, if the Honourable Member requires information about any particulars Overseer(s) working in a Division or Circle, the same will be collected and supplied.

EMPLOYMENT OF LONG TERM PRISONERS TO CONSTRUCT ROADS IN MANALI, LAHAUL AND SPITI AREAS

2972. Shri Ram Chandra Comrade : Will the Minister for Industries be pleased to state whether there is any scheme under the consideration of Government to employ long term prisoners for the construction of roads in the Manali and Lahaul and Spiti areas ; if so, the details of the scheme stating (i) the length of the road proposed to be built and (ii) the details of facilities proposed to be given to the prisoners and the arrangements to be made for their protection ?

Shri Mohan Lal : Yes.

(i) and (ii) The scheme is still being examined.

KASHMIRIS EMPLOYED ON THE CONSTRUCTION OF ROADS IN MANALI AND LAHAUL AND SPITI AREAS

2973. Shri Ram Chandra Comrade : Will the Minister for Public Works be pleased to state —

(a) the total number of Kashmiris at present employed on the construction of roads in Manali and Lahaul and Spiti Areas;

(b) the details of payments made to them and the facilities of clothing, etc., given to them during the course of this work ;

(c) the total length of the said roads so far built and the time taken therefor ?

Chaudhri Suraj Mal : (a) Peak number of Kashmiri Labourers employed beyond Manali and in Lahaul and Sipti areas during working season of 1960 was about 1,150. They worked on the road from Manali to Rahla and from Gramphoo to Ghhatru to Batal towards Spiti Valley.

(b) The Kashmiri labourers were paid wages at Rs. 2 to Rs. 2-8-0 per day per unskilled adult labourer between Manali to Rahla and from Rs. 3 to Rs. 3-4-0 per day in Lahaul Valley between Gramphoo and Chhatru depending on the location of work assigned to them. No facility of clothing was extended except free tentage shelters. In Lahaul Valley, food subsidy concession was allowed to the extent of half the carriage cost from Manali. Further concession was allowed in the form of free Kerosene oil or alternatively one off day in a month for collection of fuel wood.

(c) The Kashmiri labour as under (a) above worked for about 2 to 3 months on Manali-Rahla Road and for 2 to 3 months on Gramphoo Chhatru section of Gramphoo-Batal Road. On Manali-Rahla truckable road along with other Tibetan labourers numbering about 380 they nearly completed, the Palchan Diversion 1.8 miles long new road in 2 to 3 months. On Gramphoo-Batel truckable road, these Kashmiries with another 1,420 labourers made in a short period of 11 weeks 26 miles length of road fit for plying light vehicles of which length 22 miles were fully made and in the balance 4 miles work was partly done. Formation work was carried out leaving road structures, which shall be taken up next year.

DAMAGE BY BIG ROCK PIECE OF MORNI HILLS

2974. Shri Ram Chandra Comrade : Will the Minister for Revenue be pleased to state whether it is a fact that a big rock piece in Morni Hills got loose and slid into the Ghagger river in the month of September, 1960; if so, the details of the incident together with the details of loss of life and property, if any, caused as a result thereof ?

Giani Kartar Singh : A big land slide of about 2 miles had occurred due to heavy rains near Umori Bhoj Village situated in the inaccessible region of Morni Hills. The rock, however, did not slide into Ghagger River. The village which consisted of about 10 houses belonging to seven families, has been completely destroyed. Fortunately, no loss of life occurred. The cult urable land of the village has been destroyed.

ENQUIRIES AGAINST POLICE OFFICIALS POSTED IN AMBALA DISTRICT

2977. Shri Ram Piara : Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) whether any enquiries departmental or otherwise are being held against any of the Sub-Inspectors and Assistant Sub-Inspectors of Police posted at present in Ambala District ; if so, their names ;

(b) the nature of complaints against the said officials and the dates when enquiries were started against each ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) Yes. Names are given in the attached statement.

(b) The requisite information is also given in the attached statement.

[Chief Minister]

Statement showing the number of enquiries departmental or otherwise being held against Sub-Inspectors and Assistant SubInspectors posted at present in Ambala District, giving their names, nature of complaints against each official with date when enquiry was started

Serial No.	Name of officer whose conduct is under inquiry	Nature of complaint (Brief account)	Date when enquiry was ordered	REMARKS
1	2	3	4	5
1	S.I. Ram Dass, No. A/126 (Under suspension)	While posted at Police Station Raipur Rani, he was arrested and sent up for trial in case FIR No. 26, dated 11th August, 1959, under section 379, I.P.C., Police Station Raipur Rani relating to the theft of iron scrap from derelict Military tanks. He was also responsible for bungling the investigation of a case under section 318 I.P.C. of Police Station Raipur Rani. He got a women, other than the actual woman accused in case under section 318, I.P.C., medically examined with a view to save the actual accused. Case F.I.R. No. 179, dated 24th December, 1959, under section 419/420 I.P.C., was registered against the Sub-Inspector, who is facing trial in court.	28th August, 1959	In both the cases mentioned in column No. 3, this S.I. is standing trial.
2	S. I. Karnail Singh, No. A/77	While posted as Station House Officer, Police Station Chandimandir, he failed to take proper preventive action against concerned parties of village Kansal in the jurisdiction of that Police Station. The parties later on came to a clash resulting in a murder,—*vide* case F. I. R. No. 78/59, under section 302/307, I.P.C., Police Station, Chandimandir	31st August, 1959	The departmental enquiry is at defence stage and it is likely to be concluded soon.
3	S. I. Surjit Singh, No. A/89	Sub-Inspector Surjit Singh was posted as Station House Officer, Police Station Naraingarh and Assistant Sub-Inspector Behari Lal, Incharge of Police Post, Patwi. On receipt of information regarding death of one Bala, Harijan, of village Fatehgarh, he made inquiries at the spot but did not register a case of murder. The Sub-Inspector also failed to study the inquest report properly and felt complacent with the inquiry made by Assistant Sub-Inspector Behari Lal. On receipt of complaint, enquiry was held and it was established that in fact Bala, Harijan was murdered. A case under section 302, I.P.C. was, therefore, registered and culprits arrested. They are facing trial in sessions.	18th May, 1960	The departmental proceedings against both S. I. Surjit Siagh and A.S.I. Behari La l for dereliction of duty and failing to take action as warranted by law are in progress.
4	A. S. I. Behari Lal, No. 695/ Hissar		25th March, 1960	

		Further Assistant Sub-Inspector Behari Lal, while posted at In-charge Police Post Patwi, allegedly got 3 maunds of wheat from one Gurbux Singh during the investigation of case F.I.R. No. 43/59, under section 380 I.P.C., Police Station Naraingarh in order to show favour to suspects Teja and Ram Kishan, who were not arrested.	2nd September, 1960	The enquiry is in progress.
5	S.I. Charan Singh, No. A/108	While posted as S.H.O., Police Station, Morinda, he is alleged to have consented to accept illegal gratification of Rs. 200 and some ornaments in the investigation of a theft case being investigated by him. The bribe offered was accepted by Constable Nichhattar Singh No. 915 who was entrapped by Inspector Mit Singh of Vigilance Department. Case F.I.R. No. 18/60, under section 5247, P. C. Act was registered at Police Station Morinda.	22nd June, 1960	The investigation of the case was conducted by Vigilance Department. Departmental action against the S. I. and the Constable is at defence stage.
6	S. I. Siri Ram, No. A/64	While posted as Station House Officer, Police Station Chamkaur Sahib, he failed to take timely preventive action on the complaint of one Arjan Singh, caste Jat, of village Rampur and one of the persons concerned was done to death upon which case F.I.R. No. 27, dated 23rd July, 1960, under sedtion 302 I.P.C., was registered at Police Station Chamkaur Sahib. He also recorded an entry in the Daily Diary of Police Station, Chamkaur Sahib about his departure to the spot, whereas he was found enjoying a party at the Rest House, Chamkaur Sahib.	15th August, 1960	Enquiry is in progress.
7	A. S. I. Raj Singh, No. 192/A	While posted at Police Post, Kurali, he gave beating to one Ram Nath, who was suspected by one Bhagat Ram, Shopkeeper, of Kurali to have stolen gold nose-ring.	1st September, 1960	Ditto
8	A. S. I. Darbara Singh, No. 105/A	While posted at Police Station, Chandigarh, he is alleged to have indulged in corruption during the investigation of case F.I.R. No. 222/224 of 1959, under section 380/420, I.P.C., Police Station, Chandigarh.	28th March, 1960	Ditto
9	Officiating A. S. I. Shingara Singh, No. 301/Sml	While posted at Police Station, Chandimandir, he stayed over night in the house of Hazura Singh, Lambardar. of village Majri and while in drunken condition is alleged to have made futile attempt to outrage the modesty of Mst. Janki.	4th June, 1960	Ditto

STOPPAGE OF INCREMENTS OF POLICE OFFICERS IN AMBALA DIVISION

2978. Shri Ram Piara : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the names of the Superintendents and Deputy Superintendents of Police separately posted in Ambala Division during the period from 1st April, 1958 to date ;

(b) whether the increments of any of the said officers had been stopped by the Inspector-General of Police during the period from April, 1957 to date ; if so, their names ;

(c) whether in any cases mentioned in part (b) above the increments have been restored ; if so, when and under whose orders ;

(d) whether before the restoration of the increments referred to in part (c) above, any enquiry, departmental or other was held against any of the officers concerned ; if so, by whom and with what result ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) A list showing the names of Superintendents and Deputy Superintendents of Police posted in Ambala Range from 1st April, 1958 to date, is attached.

(b) Shri Sukhdev Singh, Deputy Superintendent of Police was held up at the Efficiency Bar for one year from 1st September, 1958 by Government.

(c) Shri Sukhdev Singh was permitted to cross the Efficiency Bar with effect from 1st September, 1959 by Government.

(d) Rules do not require holding of departmental enquiry before a Government servant is held up at the Efficiency Bar. Only an opportunity to represent against the proposed action is required to be given and orders are passed after taking into consideration the representation of the officer concerned.

List of Superintdents of Police who remained posted in the Ambala Division from 1st April, 1958 to date

Serial No.	Name	Place of posting	Period of posting
1	Shri H. C. Saxena, I.P.S. ..	Hissar ..	4th September, 1957 to 15th September, 1959
2	Shri T. S. Sachdeva, I.P.S. ..	Ditto	16th September, 1959 to date
3	Shri Karam Singh, I.P.S. ..	Rohtak ..	1st June, 1957 to 4th April, 1958
4	Shri Avinash Chandra, I.P.S. ..	Ditto	5th April, 1958 to 1st July, 1959

Serial No.	Name	Place of posting	Period of posting
5	Shri Maharaj Krishan Luthra ..	Rohtak	2nd July, 1959 to-date
6	Shri Manmohan Singh, I.P.S. ..	Gurgaon ..	28th March, 1958 to 22nd April, 1959
7	Shri Gurpuran Singh, I.P.S. ..	Ditto	23rd April, 1959 to 15th June, 1960
8	Shri I. N. Mahajan, I.P.S. ..	Ditto	16th June, 1960 to date
9	Shri Piare Lal, I.P.S' ..	Karnal ..	8th August, 1957 to 24th April, 1958
10	Shri J. S. Bawa, I.P.S. ..	Ditto	25th April, 1958 to 25th May, 1960
11	Shri Amar Singh ..	Ditto	26th May, 1960 to 9th September, 1960
12	Shri Harjit Singh, I.P.S. ..	Ditto	10th September, 1960 to date
13	Shri B. R. Chadra, I.P.S. ..	Ambala ..	21st May, 1957 to 30th April, 1959
14	Shri S. N. Mathur, I.P.S. ..	Ditto	1st May, 1959 to date
15	Shri R. Randip Singh, I.P.S. ..	Simla ..	22nd March, 1958 to 5th April, 1959
16	Shri C. L. Malhotra, I.P.S. ..	Ditto	6th April, 1959 to 30th May, 1959
17	Shri Maharaj Krishan Luthra ..	Ditto	31st May, 1959 to 29th June, 1959
18	Shri Harpal Singh ..	Ditto	30th June, 1959 to-date

List of Deputy Superintendent of Police who remained posted in the Ambala Division 1st April, 1958

Serial No.	Name	Place of posting	Period of posting
1	Shri Tirlok Singh ..	Hissar ..	9th June, 1957 to 29th April, 1958
2	Shri Gursharan Singh ..	Ditto	8th January, 1958 to 10th November, 1958
3	Shri Madhusudan Lal Chibber ..	Ditto	10th November, 1958 to-date
4	Shri Daljit Singh ..	Sirsa ..	30th November, 1957 to 28th August, 1958
5	Shri Surjan Singh ..	Ditto	6th September, 1958 to 20th May, 1960

[Chief Minister]

Serial No.	Name	Place of posting	Period of posting
6	Shri Harjeet Singh ..	Sirsa	28th May, 1960 to date
7	Shri Narinder Singh ..	Rohtak ..	10th January, 1958 to 1st June, 1958
8	Shri Pritam Singh ..	Ditto	1st June, 1958 to 3rd July, 1958
9	Shri Gurdev Singh ..	Ditto	9th August, 1958 to 30th November, 1958
10	Shri Harpal Singh ..	Ditto	16th January, 1959 to 7th June, 1959
11	Shri Joginder Singh ..	Ditto	4th July, 1959 to 7th February, 1960
12	Shri G. D. Ohri ..	Ditto	7th February, 1960 to date
13	Shri Ram Partap ..	Gurgaon ..	12th April, 1956 to 30th August, 1958
14	Shri Mohinder Singh ..	Ditto	30th August, 1958 to 2nd July, 1959
15	Shri Ram Sarup ..	Ditto	3rd July, 1959 to 14th January, 1960
16	Shri Harnam Singh ..	Ditto	20th January, 1960 to 19th April, 1960
17	Shri Parkash Chand Sawhney ..	Ditto	19th April, 1960 to 20th May, 1960
18	Shri Karnail Singh ..	Ditto	20th May, 1960 to date
19	Shri Jagjit Singh ..	Ambala ..	16th September, 1957 to 12thJune, 1958
20	Shri Gurdev Singh Didhu ..	Ditto	16th July, 1959 to 6th April, 1960
21	Shri Yogeshwar Singh Nakai ..	Ditto	13th April, 1960 to-date
22	Shri Harjeet Singh ..	Rupar ..	1st March, 1958 to 20th May, 1960
23	Shri Ranbir Singh ..	Ditto	29th May, 1960 to date
24	Shri Balbir Singh ..	Chandigarh	14th March, 1958 to 12th April, 1958

Serial No.	Name	Place of posting	Period of posting
25	Shri Ravinder Kapur	.. Chandigarh	19th June, 1957 to 13th March, 1958 12th April, 1958 to 25th March, 1960
26	Shri Om Parkash Chadha	.. Ditto	25th March, 1960 to 26th June, 1960
27	Shri Gurbachan Singh	.. Ditto	8th July, 1960 to-date
28	Shri Bodh Raj	.. Kaithal ..	3rd November, 1957 to 21st May, 1958
29	Shri Siri Ram Dass Bahri	.. Ditto	22nd May, 1958 to 4th October, 1958
30	Shri Jaswant Singh	.. Ditto	4th October, 1958 to 17th September, 1959
31	Shri Narinder Singh Phoolka	.. Kaithal ..	18th September, 1959 to 24th April, 1960
32	Shri Harnam Singh	.. Ditto	25th April, 1960 to-date
33	Shri Gurdev Singh	.. Ditto ..	30th January, 1958 to 8th August, 1958
34	Shri Kharati Ram Bhandari	.. Ditto	11th August, 1958 to 13th February, 1959
35	Shri Sukhdev Singh	.. Ditto	14th February, 1959 to-date
36	Shri Yogeshwar Singh Nakai	.. Ditto	24th March, 1959 to 4th April, 1960 (Pro)

COLLECTIONS UNDER THE SMALL SAVINGS SCHEME IN KARNAL DISTRICT

2979. Shri Ram Piara : Will the Chief Minister be pleased to state the total amount deposited in Karnal District under the National Savings Scheme during the year 1959-60 and the amount withdrawn during the said period ?

Sardar Partap Singh Kairon : The total amount deposited and withdrawn in Karnal District, under National Savings Scheme, during the year 1959-60 is as follows :—

Total amount deposited	.. Rs.	1,97,63,078
Total amount withdrawn	.. Rs.	1,67,94,745

SUPPLY OF MEDICINES FROM THE HIGH COURT DISPENSARY, CHANDIGARH

2981. Sardar Jangir Singh Comrade : Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) whether Government are aware of the fact that medicines are not supplied to the Government Officers/Officials in the High Court Dispensary at Chandigarh under the instructions issued by Government recently and that they have to go to the General Hospital in Sector 16 for the purpose ;

[Sardar Jangir Singh Comrade]

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, whether there is any proposal under the consideration of Government to issue medicines in the said dispensary as well ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) All medicines which are required for immediate use by the patients are being supplied to Government Officers/ Officials at the High Court Dispensary. Only special drugs and costly medicines are issued from the General Hospital. This practice is also followed for the other dispensaries located at Chandigarh.

(b) Does not arise.

SMUGGLERS ARRESTED WHILE CROSSING THE BORDER

2982. Sardar Dhana Singh Gulshan : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the number of smugglers, districtwise, who were arrested while crossing the border during the period from January to October, 1960 ;

(b) the details of the articles recovered from the said smugglers and the value of the different articles recovered ;

(c) whether any smugglers were killed/injured in encounters with the Police during the said period ; if so, their number together with their full addresses ;

(d) whether any Government employees were also arrested along with the smugglers referred to in part (a) above; if so, their number with their full addresses ;

(e) whether any Government employees lost their lives as a result of the encounter referred to in part (c) above ; if so, the details of the Government aid given to their dependents ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) (b) (c) (d) and (e). A statement containing the requisite information is enclosed.

SMUGGLERS ARRESTED WHILE CROSSING THE BORDER

District	The No. of smugglers who were arrested while crossing the Border during the period from January, 1960 to 15th October, 1960	The details of the articles recovered from the said smugglers and the value of the different articles recovered		Whether any smugglers were killed injured in encounters with the police during the said period ; if so, the No. together with their full addresses	Whether any Government employees were also arrested along with the smugglers referred to in part (a) above; if so, their No. with full addresses	Whether any Government employees lost their lives as a result of the encounter referred to above in part (c) above; if so, the details of the Government aid given to their dependents
	(a)	(b)		(c)	(d)	(e)
			Rs	Three—		
Gurdaspur ..	3	1. Pak Currency ..	50.00	(i) Ilam-Din. No more particulars available.	None	.. None
		2. Saffron ..	800.00	(ii) Un-identified		
				(iii) Faqir Mohd. Dogra, residence of Shahdra, Lahore.		
Amritsar ..	20	1. Shingra : 8 seers ..	1,000.00	Eleven—		
		2. Nags. : Two ..	50.00	Nine Pak and 2 Indians ..	None	.. None
		3. Illachis : 10 seers ..	300.00	Identities could not be established		
		4. Longs (Cloves) : 7mds. 19½ seers	9,310.00			
		5. Cloth : 235½ yds ..	804.00			
		6. Gold : 45 tolas 10 mashas ..	5,980.00			
		7. Silver : 225 tolas ..	525.00			

[Chief Minister]

District	The number of smugglers who were arrested while crossing the border during the pdriod from January, 1960 to 15 Oct., 1960	The details of the articles recovered from the said smugglers and the value of the different articles recovered		Whether any smugglers were killed/injured in encounters with the police during the said period; if so, the No. together with their full addresses	Whether any Government employees were also arrested along with the smugglers referred to in part (a) abo ve; if so, their No. with full addresses.	Whether any Government employees lost their lives as a result of the encounter reffered to above in part c above; if so, the details of the Government aid giyen to their dependents.
	(a)	(b)		(c)	(d)	(e)
		8. Wrist watch ..	125.00			
		9. Indian currency ..	50.00			
		10. Pak Currency ..	389.54			
		11. Gold : 2 tolas, 11 mashas and 4 rattis ..	392.00			
		12. Opium : 6 mashas ..	4.00			
Ferozepur ..	1	1. Sarnahi Charmi : 1 piece 2. Dopatta Nylon : 3½ yards 3. Shanil : 7½ yards 4. Tasar : 7½ yards 5. Lillon : 6 yards 6. Turban Malmal : 5 yards 7. Cotton cloth poplin : 3 yards 8. Georgette : 7½ yards 9. Boski piece : 4½ yards 10. Satin : 4½ yards 11. Sheet : 12½ yards 12. One chadar in which these articles were tied as bundle 13. Haldi : 1 seer 14. Cocanut pieces : 10	150.00	..	..	..

AGITATIONS LAUNCHED AGAINST GOVERNMENT FROM 1951 TO 1960

2983. Sardar Dhanna Singh Gulshan : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the names of Political parties which launched agitations from time to time against the Government during the period from 1951 to 1960 ; the number of agitations launched and the demands for which they were launched ;

(b) whether any arrests in connection with any of the said agitations were made; if so, their number during each agitation, the dates when the arrests were made and the punishments awarded in each case ;

(c) the total amount of fines, if any, realised from the persons punished referred to above, and the details of properties attached, district-wise ;

(d) the names and addresses of persons, referred to in part (c) above, if any, whose fines were refunded and whose attached properties were restored together with the details of the amounts refunded ;

(e) the number of women and children involved in each agitation referred to in part (a) above and the names of the political parties to which they belonged ;

(f) the details of the expenditure incurred by Government on each agitation mentioned in Part (a) above ?

Sardar Partap Singh Kairon : The time and labour involved in collecting the required information would be incommensurate to the purpose which it is likely to serve.

STRIKES RESORTED TO BY ORGANISATIONS AND EMPLOYEES, ETC.

2984. Sardar Dhanna Singh Gulshan : Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) the number of strikes resorted to by various organisations, employees and labourers respectively, in different parts of the State during the period from 1950 to October, 1960 ;

(b) the details of demands of the strikers for each of the said strikes, the details of the demands which were accepted, and the details of the remaining demands for the acceptance of which assurances have been given ?

Shri Mohan Lal : The time and trouble involved in collecting the information will not be commensurate with any possible benefit to be obtained.

Note.—Replies to remaining unstarred Questions having been received late from the Government (including those of S. Atma Singh which were kept pending till the decision of the *Ad hoc* Committee on Rules) are printed as an Annexure at the end of this debate.

MOTION UNDER RULE 84

श्री अध्यक्ष : चौधरी इन्द्र सिंह ने पहले rule 84 के नीचे एक Substantive Motion का नोटिस दिया था । मैं ने इन को बता दिया था कि यह तो self-contained no-confidence motion बन जाती है, जिस पर voting होनी चाहिये । अब इन्हों ने दूसरी form में* motion भेजी है । I have no objection to it. I will refer it to Government and fix time for its discussion. (Previously Chaudhri Inder Singh had given notice of a substantive motion under rule 84. I told him that the motion as it stood, amounted to a self-contained no-confidence motion on which voting would be required. Now he has recast it in accordance with the rules and I have no objection to admit it. I will refer it to Government and fix time for its discussion.)

3.00 p.m.

PRESENTATION OF THE SUPPLEMENTARY ESTIMATES (FIRST INSTALMENT) 1960-61

Minister for Industries (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to present the Supplementary Estimates (First Instalment) 1960-61.

PRESENTATION OF THE REPORT OF THE ESTIMATES COMMITTEE ON THE SUPPLEMENTARY ESTIMATES (FIRST INSTALMENT) 1960-61

Chairman, Estimates Committee (Shri Harbhagwan Maudgil) : Sir, I beg to present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates (First Instalment) 1960-61 .

REPORT OF THE COMMITTEE OF PRIVILEGES

Chairman, Committee of Privileges (Chaudhri Sarup Singh) : Sir, I beg to move—

> That the Report of the Committee of Privileges on a Privilege Issue regarding the publication of a news item in the 'Hind Samachar, Jullundur, presented to the House on the 18th October, 1960, be taken into consideration.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the Report of the Committee of Privileges on a Privilege Issue regarding the publication of a news item in the 'Hind Samachar, Jullundur, presented to the House on the 18th October, 1960, be taken into consideration.

Mr. Speaker : Question is—

> That the Report of the Committee of Privileges on a Privilege Issue regarding the publication of a news item in the Hind Samachar, Jullundur, presented to the House on the 18th October, 1960, be taken into consideration.

The motion was carried.

***Chaudhri Inder Singh, M.L.A.** : Sir, I beg to call the attention of the Chief Minister to a matter of urgent public importance, namely, the deteriorating state of Law and Order due to communal tension in the State.

Chairman, Committee of Privileges (Chaudhri Sarup Singh) : Sir, I beg to move—

> That the House having considered the Report of the Committee of Privileges agrees with the recommendations contained therein.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the House having considered the Report of the Committee of Privileges agrees with the recommendations contained therein.

Mr. Speaker : Question is—

> That the House having considered the Report of the Committee of Privileges agrees with the recommendations contained therein.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the Chief Minister will make a statement.

STATEMENT MADE BY THE CHIEF MINISTER UNDER RULE 73 REGARDING CONDITION OF LAW AND ORDER DUE TO COMMUNAL TENSION IN THE STATE

Chief Minister (Sardar Partap Singh Kairon) : Sir, there is no doubt that in a democratic country like India, freedom of speech is guaranteed to every citizen, but it does not mean that freedom of speech is permissible to the extent of creating extreme communal bitterness and a situation which strikes at the very roots of law and order.

The Akalis at one time accepted the Regional Formula, which was evolved in consultation with them. However, Master Tara Singh never accorded his sincere co-operation for implementation of the same. In fact, soon thereafter, Master Tara Singh openly canvassed and lent support in favour of Akali candidates set up against Congress candidates during the second general elections held in 1957.

The defeat of Master Tara Singh in the S.G.P.C. Presidential election in November, 1958, once again prompted him to restore his position by starting propaganda in favour of Punjabi Suba on communal lines. He, thus gradually worked up communal-minded sections among the Sikhs by exploiting their religious sentiments and exhorted them to raise their demand for the attainment of nothing short of such a Suba. Master Ji then fought the S.G.P.C. Elections early in 1960. All the newly-elected members of the S.G.P.C. who were elected to supervise and manage gurdwara affairs were nevertheless made to take an oath at the Akal Takhat that they would make every sacrifice for the attainment of Punjabi Suba.

Encouraged by his success in the elections, Master Tara Singh launched a vigorous, communal, provocative and malicious propaganda through press and platform. He did not hesitate and on the contrary made free use of the Gurdwaras to propagate in favour of Punjabi Suba for his own political advancement. With this end in view, he announced and commenced a four-fold programme starting with the holding of a Convention

[Chief Minister]
on 22nd May, 1960 at Amritsar which was to be followed by personally leading a "Shahidi Jatha" to Delhi on 29th May, 1960, observing Punjabi Suba Day on 8th June, 1960, by organising a hartal by the Sikhs all over the State and finally by taking out a huge procession at Delhi on 12th June, 1960. The Dal also started preparations for launching a "morcha" and dictators were nominated to steer the agitation in case Master Ji was arrested. Simultaneously, enrolment of volunteers and collection of funds were started to feed the agitation. Some reports also suggested that a section among the Akalis was in favour of resorting to violence as they felt that without resort to such a course, the Government would not concede their demand. As will be seen, such reports proved to be absolutely correct in view of subsequent incidents of violence which were staged by the Akalis.

The situation thus created by Akali leadership prompted the leaders of Hindu Organisations, like the Arya Samaj, to entertain apprehensions and they, too, threatened to launch an agitation against the Punjabi Suba issue. They declared in......

Professor Sher Singh : Our group never did that.

Chief Minister : ....unmistakable terms that they would oppose the bifurcation of the State at all costs. Consequently, the controversy which had at one time faded into the background, once again appeared with its full fury and the feelings of the supporters of the Punjabi Suba and its opponents were kindled. There were grave apprehensions that peace and tranquility in the State would be jeopardised unless firm and immediate action was taken by the Government.

Keeping in view the surcharged atmosphere in the State and the growing tension between the two communities the active Akali agitators had to be rounded up under preventive sections of the Criminal Procedure Code all over the State from 24th May and Master Tara Singh was detained under section 3 of the Preventive Detention Act. Some of the active Akali agitators, who could not be arrested, went underground and took refuge in Gurdwaras, particularly in Sri Darbar Sahib, Amritsar,which was formed a base to steer the movement.

The very first Shahidi Jatha, which was led by Principal Iqbal Singh was followed by a rowdy crowd of about 2,000/2,500 persons, who tried to snatch lathis from some Constables and a revolver from a Deputy Superintendent of Police, who were on duty to maintain law and order. The crowd further brick-batted the Police, smashing a window screen of a Government van and causing injuries to a few Policemen. The Police, however, acted with utmost restraint and did not use force.

On 2nd June, 1960 an Assistant Sub-Inspector of Police was shot dead immediately outside the precincts of Sri Darbar Sahib at Amritsar and the culprit thereafter was allowed to escape into Sri Darbar Sahib.

The Jathas marched from Sri Darbar Sahib after attending diwans at Sri Akal Takhat and Sri Manji Sahib to offer themselves for arrest by defying the ban on meetings and processions which had to be enforced under section 144, Cr.P.C., in the interest of law and order.

The sanctity of Sri Darbar Sahib was further violated by installing a cyclostyling machine and typewriters at different places within its precincts to publish most provocative posters couched in abusive language.

In course of time, the Akali offensive was extended to places like Delhi, Muktsar, Ludhiana, Patiala, Ambala and Karnal.

During their speeches from Gurdwara platforms, the Akalis resorted to hurling abuses and extending threats to the lives of Ministers and officers with offers of prizes on their heads. The Gurdwaras are being freely made use of for advancing Akali agitation, exhorting people to defy law, affording refuge and protection to proclaimed offenders.

The Akali leaders kept the Akali undertrials on false hopes of an early settlement of the Punjabi Suba issue but most of the undertrials got disillusioned and realised the falsehood of the Akali propaganda and started dissociating themselves from this agitation.....

Sardar Sarup Singh : It is all wrong. It is completely wrong.

Some Members : It is correct.

Chief Minister : We will have a debate here on the Ordinance. Then, we will be able to tell things in detail.

This enraged the extreme element among Akali undertrials and the Akali agitators outside the jails. The mischievous Akali element inside the jails intensified their activities to create indiscipline and lawlessness to paralyse the jail administration. They also started maltreating and giving beating to the Akali undertrials dissociating themselves from the movement. In all, over two hundred cases of misbehaviour and violence have so far been reported.

Rioting in Bhatinda Jail, culminating in firing by the Police and Patiala happening, where Akali mob armed with Kirpans and spears assaulted the Superintendent of Police and 25 other police officers causing injuries to them, are the most serious incidents which have happened.

So far 20,584 Akalis have been arrested during the course of the whole movement. Of them 204 were those who had previously been convicted for criminal offences or were bad characters, 108 were blind and incapacitated. 1,346 were teenagers and 5,368 persons were old and infirm (*Laughter*), 11,613 Akali undertrials have already secured their release on dissociating themselves from the movement.......

Sardar Sarup Singh : Absolutely wrong.

Chief Minister : ....leaving 8,971 convicts and undertrials in the jails.

All along while my Government has taken a firm stand to put down lawless elements who are spreading communal hatred and bitterness bet-

[Chief Minister]

ween the two major communities, our endeavour has been to avoid the use of force and deal with the difficult situations created by the Akalis, both inside the jails and outside, with considerable tact and toleration. Bhatinda incident is under enquiry by a Senior Judge of the High Court who has been appointed as the Commission of Inquiry. I would not, therefore, dwell upon the detailed happenings in Bhatinda Jail at this stage. The Patiala incident, however, fully convinced me that the present leaders of the Akali agitation are bent upon, as I believe has been their plan for some time now, to whip up the agitation by any excuse or occasion they can find, for the use of violence with the sole object of inflaming Akali feelings against the administration and sustaining a communal movement, which has by now shown distinct signs of decay.

Despite the fact that during this time the police personnel have been heavily engaged in coping with the Akali agitation, the normal law and order situation has not been allowed to deteriorate in any manner. It is gratifying that this agitation was not permitted to disturb the day to day life of the people of he State. It may not be out of place to give briefly the crime position of the State as it stood on 31st August, 1960, which is the latest date for which compiled figures are available for 1960, as compared to the same period of the year 1959:—

Offence	*Period*		Increase/ decrease
	1st January, 1959 to 31st August, 1959	1st January, 1960 to 31st August, 1960	
Murder ..	422	366	—56
Dacoity ..	3	3	..
Robbery ..	70	49	—21
Burglary ..	2,589	2,208	—381
Theft ..	3,516	3,249	—267
Culpable homicide ..	162	214	+52
Attempted murder ..	311	281	—30
Hurt ..	1,804	1,733	—71
All reported crime minus cases under the local and special laws ..	17,363	17,358	—5

As will be seen, Sir, of the more heinous crime murders have gone down by 56, attempt to murder by 30, hurt by 71, robberies by 21, burglaries by 381, thefts by 267 cases. I am fully conscious of the cases of disputes between landlords and tenants. A very close and personal attention is given to protect the tenants as against the landlords in cases of ejectment. Strict instructions have been issued to the Police and Revenue staff to give prompt attention to the complaints of tenants against the landlords and see that they get justice without having recourse to civll courts involving delay and huge expenditure, which the tenants are unable to bear. Instructions have also been issued to the Police not to be taken in by mere complaints from the landlords against the tenants and initiate action to facilitate their taking over possession from the tenants. It is always ensured that no possession is transferred to the landlords without the orders of the court.

It is gratifying that the law and order situation continues to be good. I do wish to make it clear once again that my Government is determined not to allow violence in the State and to enforce peaceful relations between the communities and would not allow the situation to deteriorate in any manner. I am confident that the honourable Members of this House and well-meaning people of the State would back the Government in this effort. (*Cheers*).

Sardar Sarup Singh : Mr. Speaker, Sir, as the Chief Minister has made....

Mr. Speaker : There is no question of making a counter-statement.

Sardar Sarup Singh : Sir, as the Chief Minister has made a most distorted and misleading statement, I would request you to please allow a discussion on the same.

Mr. Speaker : Order please.

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : Ordinance ਨੂੰ replace ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਸਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : (ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ) ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਥੇ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ। (*Addressing Sardar Sarup Singh*) (If the hon. Member talks things like this then he may find it difficult for him even to sit here.)

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER REGARDING CONSTITUTION OF *AD HOC* COMMITTEE ON RULES

Mr. Speaker : Hon. Members, I feel that before we shift to the new Chamber, we should have a new copy of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly.

[Mr. Speaker]

As you are already aware, the rules relating to the Regional Committees were added later and they are attached in the form of slips to the existing copy of the Rules.

I feel that the Rules should be gone into and renumbered and redrafted where necessary. Although no material difficulty has been experienced or any major lacuna noticed, yet I feel that we should have a new copy which should contain well-drafted and renumbered rules before we go to the new Chamber.

Accordingly, I have nominated an *Ad Hoc* Committee on Rules consisting of the following Members to consider the existing Rules and to suggest renumbering and, also, modifications/improvements in drafting, where necessary, and to make a report by the end of January, 1961:—

(1) Sardar Gurdial Singh Dhillon, Speaker, *Chairman.*

(2) Pandit Mohan Lal, Minister for Industries.

(3) Chaudhri Sarup Singh, Deputy Speaker.

(4) Shri Lal Chand .

(5) Shri Harbhagwan Maudgil.

(6) Sardar Gurbachan Singh Bajwa.

(7) Pandit Shri Ram Sharma.

(8) Dr. Bhag Singh.

Seating Arrangement of the Opposition Groups

श्री अध्यक्ष : दूसरी बात जो मैं आप से कहना चाहता हूँ वह अपोज़ीशन मैम्बर साहिबान की सीटों के बारे में है। मैं अब तक इन्तज़ार में था कि आप मेरे पास आ कर बताते कि किस तरह से re-adjustment की जाए। आप वैसे के वैसे ही बैठे हैं जैसे पहले बैठे थे।
(The next thing that I want to submit is regarding the seating arrangement for Members of the Opposition groups. I have all along been awaiting that they would come to me with their suggestions for re-adjustment of seats. Now they are occupying seats according to the previous Seating plan.)

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਆਪ ਇਹ arrangement ਕਰ ਦਿੰਦੇ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਡਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਮੁੜ ਕੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ।

ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਮਸਲਨ P. S. P., Swatantra party, ਜਾਂ Communist party ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਲਗ ਅਲਗ party treat ਕਰਾਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ independents ਹਨ ਉਹ ਬੇਸ਼ਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਣ ਉਹ ਸਾਰੇ independents ਹੀ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ।

(I thought that Pandit Shri Ram Sharma would again form an Opposition party, but he has not done so.

Now all the parties, for instance, the P.S.P., the Swatantra Party or the Communist Party will be treated as separate entities. As regards the independent members they would be treated as independent individuals irrespective of the fact that their number is large.)

ADJOURNMENT MOTION

Mr. Speaker : How do you propose to raise discussion on the *Adjournment Motion admitted the other day ? Generally it is taken up after the hour of interruption. So if you take it up now the sitting of the Assembly will be extended by two hours.

आपोजीशन की ओर से आवाजें : अभी रख लें ।

उद्योग मन्त्री : Adjournment motion पर discussion towards the end of the sitting होनी चाहिए ।

(*After obtaining the sense of the House it was decided by majority vote that the adjournment motion will be discussed from 6-30 p.m. to 8-30 p.m.*)

BILLS (LEAVE TO INTRODUCE)

THE PUNJAB CO-OPERATIVE SOCIETIES BILL, 1960

Minister for Community Development (Sardar Gurbanta Singh) : Sir, I beg to ask for leave to introduce the Punjab Co-operative Societies Bill.

Mr. Speaker : Motion moved—

That leave be granted to introduce the Punjab Co-operative Societies Bill.

Mr. Speaker : Question is—

That leave be granted to introduce the Punjab Co-operative Societies Bill.

The leave was granted.

---

*Dr. Mangal Sein, M.L.A. to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter of urgent public importance, namely, the submergence of hundreds of villages under water in the districts of Patiala, Sangrur, Hissar, Gurgaon, in general and Rohtak in particular, and various other area in the Punjab State, destruction of standing crops worth crores of rupees and the damags caused to Rohtak Town on account of breaches in Drain No. 8.

Minister for Community Development : Sir, I beg to introduce the Punjab Co-operative Societies Bill.

REFERENCE OF THE PUNJAB CO-OPERATIVE SOCIETIES BILL, 1960 TO THE REGIONAL COMMITTEES

Minister for Community Development (Sardar Gurbanta Singh) : Sir, I beg to move—

That the Punjab Co-operative Societies Bill be referred to the Regional Committees with a direction to make a Report by the 8th of February, 1961.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Co-operative Societies Bill be referred to the Regional Committees with a direction to make a Report by the 8th of February, 1961.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Co-operative Societies Bill be referred to the Regional Committees with a direction to make a Report by the 8th of February, 1961.

The motion was carried.

THE SIKH GURDWARAS (AMENDMENT) BILL, 1960

Minister for Industries (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to ask for leave to introduce the Sikh Gurdwaras (Amendment) Bill.

Mr. Speaker : Motion moved—

That leave be granted to introduce the Sikh Gurdwaras (Amendment) Bill.

Mr. Speaker : Question is—

That leave be granted to introduce the Sikh Gurdwaras (Amendment) Bill.

The leave was granted.

Minister for Industries : Sir, I beg to introduce the Sikh Gurdwaras (Amendment) Bill.

REFERENCE OF THE SIKH GURDWARAS (AMENDMENT) BILL TO THE REGIONAL COMMITTEES

Minister for Industries (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to move—

That the Sikh Gurdwaras (Amendment) Bill be referred to the Regional Committees with a direction to make a Report by the 31st of January, 1961.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Sikh Gurdwaras (Amendment) Bill be referred to the Regional Committees with a direction to make a Report by the 31st of January, 1961.

Mr. Speaker : Question is—

That the Sikh Gurdwaras (Amendment) Bill be referred to the Regional Committees with a direction to make a Report by the 31st January, 1961.

The motion was carried.

THE NANGAL TOWNSHIP (PERIPHERY) CONTROL (AMENDMENT) BILL, 1960

Minister for Irrigation and Power (Rao Birendar Singh): Sir, I beg to ask for leave to introduce the Nangal Township (Periphery) Control (Amendment) Bill.

Mr. Speaker : Motion moved—

That leave be granted to introduce the Nangal Township (Periphery) Control (Amendment) Bill.

Mr. Speaker : Question is—

That leave be granted to introduce the Nangal Township (Periphery) Control (Amendment) Bill.

The leave was granted.

Minister for Irrigation and Power : Sir, I beg to introduce the Nangal Township (Periphery) Control (Amendment) Bill.

THE PUNJAB LAWS (EXTENSION NO. 9) BILL, 1960

Minister for Industries (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to ask for leave to introduce the Punjab Laws (Extension No. 9) Bill.

Mr. Speaker : Motion moved—

That leave be granted to introduce the Punjab Laws (Extension No. 9) Bill.

Mr. Speaker : Question is—

That leave be granted to introduce the Punjab Laws (Extension No. 9) Bill.

The leave was granted.

Minister for Industries : Sir, I beg to introduce the Punjab Laws (Extension No. 9) Bill.

THE PUNJAB LAWS (EXTENSION NO. 10) BILL, 1960

Minister for Industries (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to ask for leave to introduce the Punjab Laws (Extension No. 10) Bill.

Mr. Speaker : Motion moved—

That leave be granted to introduce the Punjab Laws (Extension No. 10) Bill.

Mr. Speaker : Question is—

That leave be granted to introduce the Punjab Laws (Extension No. 10) Bill.

The leave was granted.

Minister for Industries : Sir, I beg to introduce the Punjab Laws (Extension No. 10) Bill.

REFERENCE OF THE PUNJAB LAWS (EXTENSION No. 10) BILL TO THE REGIONAL COMMITTEES

Minister for Industries (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to move—

That the Punjab Laws (Extension No. 10) Bill be referred to the Regional Committees with a direction to make a Report by the 31st January, 1961.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Laws (Extension No. 10) Bill be referred to the Regional Committees with a direction to make a Report by the 31st January, 1961.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Laws (Extension No. 10) Bill be referred to the Regional Committees with a direction to make a Report by the 31st January, 1961.

The motion was carried.

THE PUNJAB PRIMARY EDUCATION BILL, 1960

Minister for Education (Shri Amar Nath Vidyalankar) : Sir, I beg to ask for leave to introduce the Punjab Primary Education Bill.

Mr. Speaker : Motion moved—

That leave be granted to introduce the Punjab Primary Education Bill.

Mr. Speaker : Question is—

That leave be granted to introduce the Punjab Primary Education Bill.

The leave was granted.

Minister for Education : Sir, I beg to introduce the Punjab Primary Education Bill.

REFERENCE OF THE PUNJAB PRIMARY EDUCATION BILL TO THE REGIONAL COMMITTEES

Minister for Education (Shri Amar Nath Vidyalankar) : Sir, I beg to move—

That the Punjab Primary Education Bill be referred to the Regional Committee with a direction to make a Report by the 10th November, 1960.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Primary Education Bill be referred to the Regional Committees with a direction to make a Report by the 10th November, 1960.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Primary Education Bill be referred to the Regional Committees with a direction to make a Report by the 10th November, 1960.

The motion was carried.

THE PUNJAB RESUMPTION OF JAGIRS (SECOND AMENDMENT) BILL, 1960

Minister for Industries (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to ask for leave to introduce the Punjab Resumption of Jagirs (Second Amendment) Bill.

Mr. Speaker : Motion moved—

That leave be granted to introduce the Punjab Resumption of Jagirs (Second Amendment) Bill.

Mr. Speaker : Question is—

That leave be granted to introduce the Punjab Resumption of Jagirs (Second Amendment) Bill.

The leave was granted.

Minister for Industries : Sir, I beg to introduce the Punjab Resumption of Jagirs (Second Amendment) Bill.

THE PUNJAB LAND REVENUE (ADDITIONAL SURCHARGE) BILL, 1960

Minister for Industries (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to ask for leave to introduce the Punjab Land Revenue (Additional Surcharge) Bill.

Mr. Speaker : Motion moved—

That leave be granted to introduce the Punjab Land Revenue (Additional Surcharge) Bill.

Mr. Speaker : Question is—

That leave be granted to introduce the Punjab Land Revenue (Additional surcharge) Bill.

The leave was granted.

Minister for Industries : Sir, I beg to introduce the Punjab Land Revenue (Additional Surcharge) Bill.

THE INDIAN STAMP (PUNJAB AMENDMENT) BILL, 1960

Minister for Industries (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to ask for leave to introduce the Indian Stamp (Punjab Amendment) Bill.

Mr. Speaker : Motion moved—

That leave be granted to introduce the Indian Stamp (Punjab Amendment) Bill.

Mr. Speaker : Question is—

That leave be granted to introduce the Indian Stamp (Punjab Amendment) Bill.

The leave was granted.

Minister for Industries : Sir, I beg to introduce the Indian Stamp (Punjab Amendment) Bill.

THE PUNJAB KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES BOARD (AMENDMENT) BILL, 1960

Minister for Industries (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to ask for leave to introduce the Punjab Khadi and Village Industries Board (Amendment) Bill.

Mr. Speaker : Motion moved—

That leave be granted to introduce the Punjab Khadi and Village Industries Board (Amendment)Bill.

Mr. Speaker : Question is—

That leave be granted to introduce the Punjab Khadi and Village Industries Board (Amendment) Bill.

The leave was granted.

Minister for Industries : Sir, I beg to introduce the Punjab Khadi and Village Industries Board (Amendment) Bill.

REFERENCE OF THE PUNJAB KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES BOARD (AMENDMENT) BILL TO THE REGIONAL COMMITTEES

Minister for Industries (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to move—

That the Punjab Khadi and Village Industries Board (Amendment) Bill be referred to the Regional Committees with a diection to make a Report by the 31st January, 1961.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Khadi and Village Industries Board (Amendment) Bill be referred to the Regional Committees with a direction to make a Report by the 31st January, 1961.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Khadi and Village Industries Board (Amendment) Bill be referred to the Regional Committees with a direction to make a Report by the 31st January, 1961.

The motion was carried

THE PUNJAB STATE LEGISLATURE (PREVENTION OF DISQUALIFICATION) (AMENDMENT) BILL, 1960.

Minister for Industries (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to ask for leave to introduce the Punjab State Legislature (Prevention of Disqualification) (Amendment) Bill

Mr. Speaker : Motion moved—

That leave be granted to introduce the Punjab State Legislature (Prevention of Disqualification) (Amendment) Bill.

Mr. Speaker : Question is—

That leave be granted to introduce the Punjab State Legislature (Prevention of Disqualification) (Amendment) Bill.

The leave was granted—

Minister for Industries : Sir, I beg to introduce the Punjab State Legislature (Prevention of Disqualification) (Amendment) Bill.

THE PUNJAB LAWS (EXTENSION NO. 8) BILL, 1960

Minister for Industries (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to move—

> That the Punjab Laws (Extension No. 8) Bill, as reported by the Regional Committees, be taken into consideration.

Sir, it is a regional Bill. It was referred to the Regional Committees and both the Committees have agreed to the Bill without any change.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the Punjab Laws (Extension No. 8) Bill, as reported by the Regional Committees, be taken into consideration.

Mr. Speaker : Question is—

> That the Punjab Laws (Extension No. 8) Bill, as reported by the Regional Committees be taken into consideration.

The motion was carried

Mr. Speaker : The House will now proceed to consider the Bill clause by clause.

SUB-CLAUSE (2) OF CLAUSE 1, CLAUSES 2 TO 9, SCHEDULES I, II AND III, SUB-CLAUSE (1) OF CLAUSE 1 AND THE TITLE

Mr. Speaker : Question is—

> That Sub-clause (2) of Clause 1, Clauses 2 to 9, Schedules I, II and III, Sub-clause (1) of Clause 1 and the Title stand part of the Bill.

The motion was carried

Minister for Industries : Sir, I beg to move—

> That the Punjab Laws (Extension No. 8) Bill, as reported by the Regional Committees, be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the Punjab Laws (Extension No. 8) Bill, as reported by the Regional Committees, be passed.

Mr. Speaker : Question is—

> That the Punjab Laws (Extension No. 8) Bill, as reported by the Regional Committees, be passed.

The motion was carried

THE PATIALA RECOVERY OF STATE DUES (REPEALING) BILL, 1960

Minister for Industries (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to move—

> That the Patiala Recovery of State Dues (Repealing) Bill, be taken into consideration at once.

[Minister for Industries]

स्पीकर साहिब, यह एक non-controversial सा बिल है। Erstwhile Patiala State में कुछ recoveries जो गवर्नमैंट ने की थीं उन को कानून के ज़रिये बतौर land revenue collect किया जाता था और अब तक भी हो रहा है। गवर्नमैंट डिपार्टमैंट्स, कोआप्रेटिव सोसाइटीज़, पटियाला बैंक या राजेंद्रा जिमखाना क्लब के जितने dues थे वे सब कानून के मुताबिक बतौर लैंड रैवेन्यू recover होते हैं। यह कानून चूंकि पंजाब के कानून के मुताबिक नहीं है इस लिय हम पटियाला के कानून को repeal करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि हाउस इस को पास करेगा क्योंकि इस में कोई controversial बात नहीं है।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Patiala Recovery of State Dues (Repealing) Bill, be taken into consideration at once.

Chaudhri Dharam Singh Rathi (Sambhalka) : Sir, I beg to move—

That the Patiala Recovery of State Dues (Repealing) Bill, 1960 be circulated for eliciting public opinion thereon by the 31st December, 1960.

स्पीकर साहिब, जहां तक इस बिल का ताल्लुक है और जो मोशन इस वक्त हाउस के सामने है उस के सम्बन्ध में मैं ने अमेंडमेंट दी है उस को consider किया जाना चाहिये। मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि गवर्नमैंट डिपार्टमैंट्स, पटियाला बैंक, को-आप्रेटिव सोसाइटीज और राजेन्द्रा जिमखाना क्लब के जितने dues होते थे वे सब पटियाला के अन्दर as arrears of land revenue लिये जाते थे। अब यह सरकार यह करना चाहती है कि वे as arrears of land revenue वसूल नहीं होने चाहियें। इस का कारण यह है कि हमारी गवर्नमैंट ने करोड़ों रुपया कोआप्रेटिव सोसाइटीज़ के ज़रिये और दूसरे तरीकों से अपने चहेतों को दे रखा है। ये चाहते हैं कि वे चाहे किसी तरह से खाएं, मौज उड़ाएं लेकिन उन से यह रुपया as arrears of land revenue वसूल नहीं होना चाहिये। चाहिये तो यह था कि गवर्नमैंट Departments और Co-operative Societies के जितनी भी रकम के dues हैं वह सारे पंजाब में भी as arrears of land revenue वसूल किए जाते। लेकिन erstwhile Pepsu का जो यह अच्छा कानून था उसको भी यह सरकार उड़ाना चाहती है। इस में बहुत सोचने समझने की बात है। इसी लिये मैं कहता हूँ कि इसको public opinion के लिये circulate किया जाए। क्यों मैं ऐसा चाहता हूँ इस के लिये भी दो तीन वजुहात हैं।

श्री अध्यक्ष : क्या आप ने इस बिल की statement of objects and reasons को भी पढ़ा है ? (Has the hon. Member read the statement of objects and reasons of the bill?)

चौधरी धर्म सिंह राठी : हां जनाब, मैं ने इस को बड़ी अच्छी तरह से पढ़ा है। वह बिल्कुल convincing नहीं है। मैं House को बताना चाहता हूँ कि यह सिर्फ इसलिये किया जा रहा है ताकि गवर्नमैंट का रुपया वसूल न हो। रोज़ाना, जनाब, सवाल पूछे जाते

हैं और उधर हमारे वज़ीर साहिब उठ कर बताते हैं कि बताना वाजब नहीं कि फलां firm इतना रुपया ले गई है क्योंकि इस तरह से उसकी बदनामी होती है और उसका business खराब हो जाता है। आज भी House के अन्दर ऐसे जवाब दिए गए और पहले भी वह इसी तरह से टाल देते हैं। मुझे पता है कि बहुत सी firms ऐसी हैं, बहुत सी Societies ऐसी हैं जिन्होंने गवर्नमैंट का रुपया अभी नहीं दिया। उन को recover करने का कोई procedure नहीं सिवाय इसके कि पहले उन को notice दिया जाए और बाद में default के case में उनके खिलाफ Civil Court में proceed किया जाए। यही procedure इस वक्त पंजाब में जारी है और मुझे पता है कि इसमें 15-15 और 20-20 साल लग जाते हैं लेकिन रुपया वसूल नहीं हो सकता। यह बड़ा lengthy process है जब कि पटियाला वाला जो तरीका था वह best था और वह dues बतौर arrears of land revenue वसूल किए जा सकते थे। जब तक Co-operative Societies के dues बतौर arrears of land revenue वसूल न किए गए तब तक रुपया जो सरकार ने दिया है वह वसूल नहीं होगा और Co-operative Societies कामयाबी के साथ नहीं चल सकतीं। आज हालत क्या है? कई लोग खुद मेरे पास भी आते हैं और कहते हैं कि हमने दो आदमियों की Co-operative Society बना ली है हमें रुपया ले दो। मैं पूछता हूँ कि किस लिये बनाई तो कहते हैं कि Co-operative Society बनाने से सरकार रुपया दे देती है और उसके बाद उस रुपये का जैसे मन चाहे इस्तेमाल करो, कोई पूछने वाला नहीं है। तो यह एक रोहजान पंजाब में चला हुआ है; इसको रोकने वाला सिर्फ Pepsu वाला यही Act था जिसको अब गवर्नमैंट repeal करने जा रही है। यह गलत बात है। इसलिये ज़रूरी है कि इस point को अच्छी तरह से study किया जाए और उन से पूछा जाए कि क्या तुम Pepsu वाला Act जारी रखना चाहते हो या इसको खत्म करना चाहते हो। हमारी सरकार तो चाहती ही यही है कि public को किसी बात में confidence में न लिया जाए। यह तो चाहती ही यही है कि किसी को पता ही न लगे और कानून बना दिया जाए और सरकारी रुपया इन के दोस्त, मित्र और रिश्तेदार खा जाएं। Parliamentary Democracy का मतलब यह नहीं कि अगर किसी party की गवर्नमैंट हो तो वह public का रुपया जिस तरह चाहे इस्तेमाल कर ले और फिर arrears की वसूली भी न हो। यह तो रुपया न वसूल करने का बिल है। उन की अदायगी करने से रोकने का बिल है।

श्री अध्यक्ष : किस तरह आप को पता लगा कि यह recoveries को रोकने का बिल है? (How has the hon. Member come to know that this bill seeks to suspend the recoveries?)

चौधरी धर्म सिंह राठी : साफ ज़ाहिर है कि जब ये इस Act को repeal कर रहे हैं तो जो Government के dues हैं वह as arrears of land revenue वसूल नहीं किए जाएँगे। इसकी बजाए यह procedure adopt किया जाएगा जिसकी

[चौधरी धर्म सिंह राठी]

बाबत मैंने पहले अर्ज़ किया है। जनाब, मैं Co-operative Society का मैम्बर हूँ मुझे तजुरबा है कि Civil Court वाला procedure कितना लम्बा है। उसमें तो कई cases में 12-12 साल तक भी dues की recovery नहीं हो सकी है। आप खुद वकील रहे हैं। आप को पता है और मैं भी रोज़ देखता हूँ। (*interruptions*) दर असल वज़ीर साहिब चाहते ही यही हैं कि dues की वसूली न हो। मैं चाहता हूँ कि वसूली हो। मेरे और उनके stand में फर्क ही यही है। (*Interruptions*)

श्री अध्यक्ष : आपने इसे अच्छी तरह से पढ़ा भी है या नहीं ? (Has the hon. Member read the bill thoroughly or not ?)

चौधरी धर्म सिंह राठी : मैंने इस को बड़े गौर से पढ़ा है। मुझे पता है कि जहां तक इस बिल का ताल्लुक है यहां पर वज़ीर साहिब कह देंगे कि Co-operative Societies की बाबत तो जो Co-operative Societies का Act है उसमें provision किया हुआ है। (*interruptions*) लेकिन मुझे पता है कि Government dues बतौर arrears of land revenue recover होंगे, उसके अन्दर ऐसा कोई provision नहीं है। इसलिये जब इनके और हमारे ख्यालात में principle का फर्क है तो ज़रूरी है कि इस पर राए आमा ली जाए कि आया लोग यह चाहते हैं कि पंजाब वाला कानून ही रहने दिया जाए या जो Erstwhile Pepsu का कानून है जिस में dues की रक्म बतौर arrears of land revenue वसूल की जा सकती है, वह यहां पर भी लागू कर दिया जाए। यह एक बड़ी important तब्दीली लाना चाहते हैं। यह State के interest में है, public के फायदे की बात है कि इस बिल को public opinion के लिये circulate किया जाए।

श्री अध्यक्ष : यह तो एक मासूम सा बिल है। (This is an innocent bill.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : जनाब, इतना innocent नहीं जितना समझा जा रहा है।

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the Patiala Recovery of State Dues (Repealing) Bill, 1960 be circulated for eliciting public opinion thereon by the 31st December, 1960.

उद्योग मंत्री (श्री मोहन लाल) : जनाब स्पीकर साहिब, इस बिल पर और इसकी clauses पर हमें राठी साहिब के views को सुनने के और बहुत से मौके मिलेंगे। लेकिन recovery of dues के बारे में जिन views का इज़हार अभी २ उन्होंने किया है अगर छीना साहिब, जो अभी २ आए हैं, उनको सुनते तो ज़रूर जवाब में कहते कि यह क्या कह रहे हैं। यह बिल्कुल सीधी सी बात है कि Erstwhile Pepsu areas में जो arrears or dues हैं वह as arrears of land revenue वसूल न किए जायें। मैं एक ही मिसाल लेता हूँ। आप देखें कि पुरान तरीका के मुताबिक राजेन्द्रा जिमखाना क्लब है। उस के जो dues होंगे वह बतौर arrears of land revenue recover होंगे और इसी तरह पटियाला area में जो Government के dues

होंगे वह बतौर arrears of land revenue recover होंगे । यह अब तक का कायदा चल रहा है । यह चाहते हैं कि हम इसी तरह से पंजाब में भी लागू करें । सरकार पर हमेशा यह नुक्ताचीनी की जाती है कि यह arrears of Land Revenue के तौर पर क्यों वसूलियां करती है । अब जब इन के कहने के मुताबिक proposal सरकार की तरफ से आई है तो श्रीमन श्री राठी साहिब उसे भी criticise करते हैं । Government चाहती है कि Pepsu में जो बतौर arrears of land revenue के recovery होती है वह बंद हो और गवर्नमैंट के भी जो dues Co-operative Societies के हैं वह भी पंजाब की तरह ही हों । पता नहीं यह public opinion किस की चाहते हैं । मुझे तो इस के लिये public ढूंढनी पड़ेगी । इस House में एक मैम्बर नहीं जिस ने इन की हां में हां मिलाई हो । मगर इन्हों ने जरूर इस की मुखालिफत करनी है । यह बड़ी हिम्मत की बात है । यहां पर मैं ने हिम्मत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, बाहर होता तो कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल करता । यह हिम्मत जरूर है मगर इस में माकूलियत कोई नहीं (हँसी) इसलिये मैं इन की बात मानने से कासिर हूँ ।

Mr. Speaker : Question is—

That the Patiala Recovery of State Dues (Repealing) Bill, 1960 be circulated for eliciting public opinion thereon by the 31st December, 1960.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That the Patiala Recovery of State Dues (Repealing) Bill. be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will proceed to consider the Bill clause by clause.

CLAUSE 2

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : स्पीकर साहिब, मैं ने एक बात कही थी कि जो सरकारी dues हैं, Co-perative Societies के dues हैं वह as arrears of land revenue वसूल होने चाहियें और यही दुरुस्त बात है । अगर गवर्नमैंट यह चाहती है कि सरकारी रुपया कुछ लोग हज़म कर जावें तब तो वज़ीर साहिब की बात ही ठीक है । शायद यही इन का मुद्दा है । अगर कोई माकूल बात भी कही जाए तो यह उस को नामाकूल बताते हैं । मैं इन से कहूँगा कि ऐसी बातें जरा सोच समझ कर कहा करें । इन्हें सोचना चाहिये कि आज तक Co-operative Societies का रुपया वसूल क्यों नहीं हो रहा । Central Co-operative Banks वाले रोते फिरते हैं । मुझे पता है क्योंकि मैं भी एक bank का मैम्बर हूं । Registrar बार २ कहता है यह 4,000 रुपया write of कर दो, यह इतना छोड़ दो । अगर arrears of land revenue के तौर पर वसूली होती तो कभी यहां तक नौबत न आती, फौरन वसूली हो जाती । मगर

[चौधरी धर्म सिंह राठी]

यह क्यों मानने लगे इस बात को क्योंकि यह रुपया तो इन के रिश्तेदारों और दोस्तों के पास है। इस लिये यह clause 2 पास नहीं होनी चाहिये वरना सरकार का तमाम रुपया वज़ीरों के रिश्तेदार और दोस्त Co-operative-Societies बना २ कर खा जाएंगे। इन लफ्ज़ों के साथ मैं इस clause की मुखालिफत करता हूँ।

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Minister for Industries : Sir, I beg to move—

That the Patiala Recovery of State Dues (Repealing) Bill, be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Patiala Recovery of State Dues (Repealing) Bill, be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Patiala Recovery of State Dues (Repealing) Bill, be passed.

The motion was carried.

THE PUNJAB MONEY-LENDING AND DEBTORS' PROTECTION LAWS (EXTENSION AND AMENDMENT) BILL, 1960.

Minister for Industries (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to move—

That the Punjab Money-lending and Debtors' Protection Laws (Extension and Amendment) Bill be taken into consideration at once.

जनाब, यह बड़ा non-controversial bill है, मैं आशा करता हूँ, पता नहीं पूरी होगी भी या नहीं, कि राठी साहिब इस की मुखालिफत नहीं करेंगे। *(interruptions)* इस में चार Acts दिए हुए हैं इन को Pepsu area में लागू करना चाहते हैं। उम्मीद है इस बिल की कोई मुखालिफत नहीं होगी।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Money-lending and Debtors' Protection Laws (Extension and Amendment) Bill be taken into consideration at once.

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : जनाब, मैं इस बिल की हमायत करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। यह बड़ा progressive Bill है। इस बिल से अगर किसी को तकलीफ होगी तो वह उन benches वालों को होगी, हम को नहीं होगी। जब इन को चौधरी छोटू राम ने पास करवाया था तो इन लोगों ने इन कानूनों को काले कानून कहा था। डाक्टर गोपी चन्द भार्गव, जो आज यहां नहीं, इन को काले कानून कहते रहे थे। इस में एक और अच्छी बात की गई है कि जो Pepsu laws के अन्दर अच्छे provisions थे वह इस में incorporate कर दिए गए हैं। इस के लिये वज़ीर साहिब को मैं बधाई देता हूँ। (तालियां)। जो अच्छी बात सरकार करती है हम उस की तारीफ करते हैं, मगर जो यह ग़लत बात करेगी उस को criticise करेंगे। यह बिल ग़रीबों के भले का है मैं इस की हमायत करता हूँ। इसलिये इसे पास करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : जब आप हमायत करते हैं तो अच्छे नहीं लगते। (हँसी) (It looks unusual when the hon. Member supports the Bill.) (*laughter*)

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Money-lending and Debtors' Protection Laws (Extension and Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : The House will now consider the Bill clause by clause.

CLAUSE 2.

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

4 p.m.

The motion was carried.

चौधरी इन्द्र सिंह : जनाब, यह बहुत अच्छा बिल है जैसा कि मेरे लायक दोस्त चौधरी धर्म सिंह राठी जी ने फरमाया। मैं भी इसका स्वागत करता हूँ लेकिन इसमें कुछ inconsistency है। जिन लोगों ने पैप्सू मनी-लैंडिंग ऐक्ट के तहत फायदा उठा लिया उनको इस बिल के ज़रिये महरूम किया जा रहा है जब कि कहते यह हैं कि Pepsu Money-Lending Act की जितनी भी अच्छी provisions हैं उनको incorporate कर रहे हैं।

Minister for Industries : I am sorry, I could not follow.

चौधरी इन्द्र सिंह : इसमें चार सफे पर add किया है—यह Pepsu Money-Lending Act की clause है—

"4-A(1) Every creditor who receives repayment from his debtor on account of any loan advanced to him, shall forthwith give a receipt therefor.

(2) Notwithstanding anything contained in any other enactment for the time being in force in any suit or proceeding relating to a loan, if the court finds that the provisions of sub-section (1) have not been complied with by the creditor it shall, if the plaintiff's claim is established in whole or in part, disallow the whole or any portion of the interest found due, as may seem reasonable to the court in the circumstances of the case, and may also disallow costs."

तो यह जो 1956 के पैप्सू ऐक्ट के तहत जो लोग फायदा उठा रहे थे उन्हें 1960 के इस बिल से महरूम कर दिया जा रहा है। क्योंकि इसमें आपने यह प्रोवीज़न लगा दी....

'(3) The provisions of this section shall not apply to any loan made before the commencement of the Punjab Money-lending and Debtors' Protection Laws (Extension and Amendment) Act, 1960.'

यानी किसी का 1960 से पहले हिसाब-किताब चलता होगा वह इससे फायदा नहीं उठा सकेगा। यहां पर या तो पैप्सू मनी-लैंडिंग ऐक्ट को शामिल कर दें या इसको डिलीट करें ताकि जो लोग 1956 से अदालत के अन्दर फायदा उठा रहे थे वह उठाते रहें। मेरी अर्ज़ यह है कि पेज 3 पर कालम 4 पर सब-क्लाज़ 3 में इन अलफाज़ "The Punjab Money-lending and Debtors' Protection Laws (Extension and Amendment Act, 1960" की जगह पैप्सू मनी-लैंडिंग ऐक्ट, 1956 कर दिया जाए तो कोई inconsistency बाकी नहीं रहेगी। मैं समझता हूँ कि वज़ीर साहिब इसको ठीक कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : अगर ग़लती की वजह से कोई चीज़ रह गई है तो ठीक करा दी जाएगी। (If anything has been omitted by mistake it will be got rectified.)

उद्योग मन्त्री : ज़ाहिरा तौर पर इनकी बात में वज़न तो मालूम होता है लेकिन I am not sure about it. अगर आप मुझे दो मिनट दे दें तो I will consult my department. Kindly take it after the next Bill.

Mr. Speaker : All right, we proceed with the next Bill.

THE NORTHERN INDIA CANAL AND DRAINAGE (PUNJAB SECOND AMENDMENT) BILL, 1960.

Minister for Irrigation and Power (Rao Birendar Singh) : Sir, I beg to move—

That the Northern India Canal and Drainage (Punjab Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Chaudhri Inder Singh : On a point of order, Sir. According to Rule 126 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly—

"(1) A bill involving expenditure shall be accompanied by a financial memorandum which shall invite particular attention to the clauses involving expenditure and shall also give an estimate of the recurring and non-recurring expenditure involved in case the Bill is passed into law."

Sir, this bill is going to be passed into law and it is incumbent and compulsory for the Minister-in-charge or for that purpose the Member-in-charge of the bill to give the exact estimate of the recurring and non-recurring expenditure involved, along with this bill. Sir, the word used in the Rule is "shall" and not "may".

दूसरे यह vague है । इस में वह क्लाजिज़ भी नहीं दिए गए जिनके तहत यह expenditure involved है । इसके financial memorandum में यह लिखा है :—

> "The Northern India Canal and Drainage (Punjab Second Amendment) Bill, 1960, if enacted, is likely to involve expenditure in the first instance on account of execution of watercourse schemes/maintenance of watercourses by the Divisional Canal Officer, for lift irrigation from an irrigation channel, outlet or State Tube-well under section 30-E/30-F of the Northern India Canal and Drainage (Amendment) Act, 1958. The estimate of the expenditure cannot be anticipated at this stage. However, the expenditure involved is to be subsequently recovered from the shareholders as arrears of land revenue."

जनाब, lift system के तहत, outlets के ज़रिये और tube-wells के ज़रिये जितनी ज़मीन काश्त होती है उस का record गवर्नमैंट के पास होता है । इस लिये जब तक estimate तैयार न हो यह चीज़ नहीं हो सकती ।

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री : इस stage पर expenditure का अन्दाज़ा लगाना ना-मुमकिन है । इस लिये मैं समझता हूँ कि जब तक definition को amend नहीं करते काम नहीं चल सकता ।

Mr. Speaker : It is expressly provided in the memorandum :

> ".........The estimate of the expenditure cannot be anticipated at this stage. However, the expenditure involved is to be subsequently recovered from the shareholders as arrears of land revenue."

In view of this the hon. Member may tell me what other procedure could be adopted.

Chaudhri Inder Singh : Sir, the Rule as it stands at present, makes it obligatory upon the Government to give the estimates of the anticipated expenditure. The Rule reads—

> ".......and shall also give an estimate of the recurring and non-recurring expenditure involved in case the Bill is passed into law."

Mr. Speaker : What would be the position if the details or estimates of expenditure to be incurred cannot be worked out ?

चौधरी इन्द्र सिंह : मैं उसके लिये basis देता हूँ । Estimate देने के लिये basis है लेकिन estimate नहीं है ।

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री : Existing Act के मुताबिक commanded area flow irrigation के मातहत आता है लेकिन अब चूंकि कुछ ज़मीन lift irrigation और tube-wells से सैराब होती है इसलिये इस definition को change करना ज़रूरी है ।

Mr. Speaker : Will this expenditure be recovered ?

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री : पोज़ीशन यह है कि water courses बनाना लोगों का काम है लेकिन जहां लोग तैयार नहीं करेंगे department वाले खुद तैयार करके खर्चा लोगों से वसूल कर लेंगे ।

चौधरी इन्द्र सिंह : स्पीकर साहिब, हमारी तमाम motions technical grounds पर reject हो जाती हैं। मोहनगढ़ जैसे वाकया को भी technical ground पर reject कर दिया गया ।

Mr. Speaker : I pointed out the lacuna in your motion in my Chamber. Otherwise, I could have outright rejected that.

चौधरी इन्द्र सिंह : स्पीकर साहिब, सब-क्लाज़ 2 की compliance नहीं हुई ।

Mr. Speaker : I cannot accept the point of order raised by the hon. Member and the bill will be proceeded with.

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री : स्पीकर साहिब, यह बहुत मामूली सा बिल है और मैं समझता हूँ कि इस में ग़लतफहमी हुई है वरना इस की definition को change करना ज़रूरी है ।

Mr. Speaker : The financial memorandum reads—

"........However, the expenditure involved is to be subsequently recovered from the shareholders as arrears of land revenue."

I am fully satisfied that the Financial Memorandum, as it is, is quite in order.

चौधरी इन्द्र सिंह : मैं आप की तवज्जुह sub-clause 2 की तरफ दिलाना चाहता हूँ ।

Mr. Speaker : I have already given my ruling. Please resume your seat.

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री : उस ऐक्ट को up to date करने के लिये इस की definition को amend करना लाज़मी है । इस में न कोई financial implication involved हैं और न गवर्नमैंट को कोई खर्च ही करना पड़ेगा । इसलिये मैं अर्ज़ करूँगा कि इस को पास कर दिया जाए ।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Northern India Canal and Drainage (Punjab Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : स्पीकर साहिब, मैं इस के बारे में दो-तीन बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ । इस में एक तो यह है कि gross commanded area का मतलब यह होता है कि जो ज़मीन cultivation में नहीं आई या ऊंचा टीला हो और culturable land वह होती है जो काबले काश्त हो और जिस में पानी अच्छी तरह से दिया जा सकता हो । अब lift irrigation वाली और tube-well वाली

भी इस में शामिल हो गई है। मगर स्पीकर साहिब, यह पता नहीं कि वह रूल्ज़ के अंदर तब्दीली करेंगे कि नहीं करेंगे....

(*At this Stage Mr. Deputy Speaker occupied the Chair.*)

डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं यह कह रहा था कि रूल्ज़ में यह प्रोवीज़न की हुई है कि अगर गवर्नमैंट इस तरह से पानी provide करती है तो जो किसान पानी लेगा उस को डबल रेट देना पड़ेगा। अगर कोई आदमी "by lift" खुद arrange करता है तो उस को आधा रेट देना पड़ता है। इसलिये मैं यह बात वज़ीर साहिब से पूछना चाहता हूँ कि अगर गवर्नमैंट by lift irrigation का प्रोवीज़न करती है तो खेती करने वाले किसान को भी डबल रेट देने पड़ेंगे याकि नहीं। दूसरी चीज़ मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस बिल के अन्दर जो स्टेटमैंट वग़ैरह दी हुई है उस से साफ ज़ाहिर है कि कुछ नालियां बनेंगी, ट्यूब-वैल्ज़ बनेंगे। जो पानी खेती के लिये प्रोवाईड किया जाएगा उस के लिये कुछ चैनल वग़ैरह बनाने पड़ेंगे या कुछ छोटी छोटी सी नालियां या watercourses बनाने पड़ेंगे। तो उस काम के लिये मैं कहना चाहता हूँ कि इन पर खर्चा गवर्नमैंट का होना चाहिये, इस खर्च को लोगों पर नहीं डाला जाना चाहिये। हमारे हां waterlogging हो जाता है तो यह सरकार उस को हटाने के लिये एक पैसा देने के लिये तैयार नहीं होती और अगर पानी सप्लाई करने के लिये भी कुछ watercourses बनाना चाहती है तो उन के लिये पैसा लोगों से वसूल करना चाहती है। यह बड़ी भारी ज़्यादती है। इस "by lift irrigation" का खर्च सरकार को खुद बरदाश्त करना चाहिये। जहां तक ट्यूब-वैल्ज़ का ताल्लुक है उस के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि उस में electricity की consumption होती है। लेकिन यह जो रूल्ज़ में लिखा है कि डबल रेट्स देने पड़ेंगे क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि आया गवर्नमैंट इस के लिये डबल रेट लेगी? इस में कोई शक नहीं है कि वह इस बिल को पास करवाने की कोशिश करेंगे लेकिन मैं ने अपने विचार इस के बारे में ज़ाहिर कर दिये हैं।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (राओ बीरेन्द्र सिंह): डिप्टी स्पीकर साहिब, चौधरी धर्म सिंह राठी ने जो कुछ कहा है उस का जवाब देना तो मैं ग़ैर-ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि उन्हों ने कोई ऐसा प्वाइंट नहीं कहा जिस का ताल्लुक इस बिल से कतअन बनता हो। Lift Irrigation में डबल रेट्स का प्रोवीज़न पहले से ही किया हुआ है। इस वक्त कोई नए रेट नहीं लागू किये जा रहे। उन्हों ने वाटरकोर्सिज़ का ज़िक्र करते हुए कहा कि लोगों के खर्च पर क्यों बनवाएं। वे समझ नहीं सके कि बिल किस मकसद के लिये लाया जा रहा है और नुक्ताचीनी शुरू कर दी। अपनी ज़मीन में वाटरकोर्सिज़ बनवाना पहले से ही लोगों की ज़िम्मेदारी होती है। अब कोई नई चीज़ नहीं हो रही। जहां पर लोग नहीं बना सकते वहां पर गवर्नमैंट बनाती है। उन्हों ने एक नुक्ता पकड़ लिया है रेट्स का। जहां तक रेट्स का ताल्लुक है वे पहले ही से laid down हैं कि जहां पर लिफ्ट इर्रीगेशन होगी वहां पर डबल रेट्स चार्ज किए जाएंगे। हो सकता है कि हमें डबल से भी ज़्यादा रेट्स चार्ज करने पड़ें। यह बात ज़मीन की productivity और unproductivity पर depend करती है। लोग ऐसे भी हैं जो कि चार गुना रेट्स दे कर अपने इलाकों में पानी लेना चाहेंगे।

[सिंचाई तथा बिजली मंत्री]
मेरी यह खाहिश नहीं है कि लिफ्ट इर्रीगेशन के डबल रेट्स हों । मालूम होता है कि उन के दिमाग में किसी किस्म का confusion है और वे बात को समझ नहीं सके । मैं उन से कहूँगा कि वे मुझे बाहर मिल कर बात को साफ कर लें ।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Northern India Canal and Drainage (Punjab Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : The House will now consider the Bill clause by clause.

CLAUSE 2

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : डिप्टी स्पीकर साहिब, मेरे दिमाग में जो खदशा था वह बिल्कुल सही निकला कि जब सरकार lift irrigation के arrangements करेगी तो डबल रेट्स देने पड़ेंगे । वज़ीर साहिब ने यह बात मान ली कि वह प्रोवीज़न तो पहले ही से है उस में क्या तबदीली हो सकती है । यह जो प्रोवीज़न लाई गई है कि culturable commanded area के अंदर lift irrigation भी शामिल हो यह वे कहते हैं कि उन को समझ नहीं आती । दरअसल मेरी बात उन को suit नहीं करती इसलिये वे समझ नहीं रहे । लोगों के साथ यह बड़ी भारी ज़्यादती है । जो लोग आधे रेट्स पर पानी इस्तेमाल करते थे उन की ज़मीन को culturable commanded area के अंदर शामिल कर के उन से ये डबल रेट्स चार्ज करना चाहते हैं । फिर कहते हैं कि मैं बेमौका बात करता हूँ । वज़ीर साहिब को तो इस बात की समझ ही नहीं है, उन को यह पता ही नहीं है कि डबल रेट्स कैसे लगते हैं । मैं तो यह मालूम करना चाहता हूँ कि क्या रूल्ज़ में कोई तबदीली करेंगे या कि नहीं करेंगे । उन्हों ने कह दिया है कि लोगों से डबल रेट्स लेने का प्रोवीज़न तो पहले ही साफ किया हुआ है । हमारी सरकार रेट्स डबल चार्ज करने का तरीका अख्तियार कर रही है कि उस एरिया को lift irrigation में शामिल कर लिया जाए और उन से डबल रेट्स चार्ज किए जाएं । अगर डाक्टर भार्गव या पंडित मोहन लाल जी ऐसा कोई बिल लाते तो मुझे रत्ती भर अफसोस न होता । लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि एक ऐसा मंत्री जो कि खुद ज़मींदार है, ज़मींदार तबके से ताल्लुक रखता है, खेती करने वाले तबके से ताल्लुक रखता है वह खुद रेट्स बढ़ाने का बिल लाया है । वे कहते हैं कि मेरी बात को समझ उन को नहीं आई । वे चाहते हैं कि वे न समझें । वे चाहते हैं कि कोई भी न समझे और गोल माल कर के बिल पास करवा लें और लोगों से ज़्यादा पैसे लें । लिफ्ट इर्रीगेशन अब भी होती है । जो लोग डाढ़ से पानी लेते हैं उन को आधा रेट देना पड़ता है और अगर वह एरिया Commanded area में शामिल कर लिया जाए तो यह बड़ी भारी ज़्यादती होगी। लेकिन ये कहते हैं कि कुछ भी नहीं है यह बेमौका बात है । ये चाहते हैं कि बिना सोचे-समझे इस बिल को हाउस पास कर दे । अगर ये पास करवाना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि रूल्ज़ को ज़रूर amend कर लें ।

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (राम्रो बोरेन्द्र सिंह) : डिप्टी स्पीकर साहिब, जो खतरात चौधरी धर्म सिंह राठी के दिमाग में हैं उनका तो जवाब मैं दे नहीं सकता। जिस चीज़ का इस बिल के साथ कोई ताल्लुक नहीं वह इन को सूझ रही है। इसमें सिर्फ़ एक definition की तौसीह की गई है। अब 'Culturable Commanded area' में lift irrigation से जो ज़मीन सैराब होगी उस को भी include किया जाएगा। इसका मतलब उन्होंने यह समझ लिया है कि इस ज़मीन को flow irrigation की ज़मीन में शामिल करके water-rates बढ़ाए जा रहे हैं। जनाब, उनको पता होना चाहिए कि rates का तो इस चीज़ से कोई सम्बन्ध ही नहीं। Rates तो मुख्तलिफ areas के अपनी २ categories के मुताबिक अलग अलग होते हैं। Tube-wells से जो ज़मीन सैराब होती है उस पर tube-wells के rates होते हैं, lift irrigation के अलग और flow irrigation के अलग rates हैं। बात को समझते तो हैं नहीं बस इतना कह देते हैं कि लोगों को धोका दिया जा रहा है—उन को लूटा जा रहा है। दर असल ऐसी कोई बात नहीं है।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1 AND TITLE

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 1 and Title stand part of the Bill.

The motion was carried.

Minister for Irrigation and Power : Sir, I beg to move—

That the Northern India Canal and Drainage (Punjab Second Amendment) Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Northern India Canal and Drainage (Punjab Second Amendment) Bill be passed.

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहिब, यह बात सही है कि lift irrigation की definition change नहीं हो रही। Undisputedly मैं इस चीज़ को मानता हूँ। लेकिन इससे जो Culturable Commanded area है उसकी definition तब्दील हो रही है। जनाब, Rules के अन्दर Commanded area के under दो किस्म के systems हैं irrigation के। एक system है by lift और lift के दो procedures हैं। एक तो वह जो government खुद provide करती है और दूसरा लोग खुद इन्तज़ाम

[चौधरी धर्म सिंह राठी]

करते हैं । अगर lift irrigation गवर्नमैंट provide करती है तो उसके लिये आबियाने का double rate होगा और अगर लोग खुद करते हैं तो पानी का half rate होगा । लेकिन इस बिल के अन्दर Culturable Commanded area की definition भी तब्दील कर रहे हैं । इस से position change होती है । इससे तो आप डार और तोड़ के areas को भी double rates वाले area में शामिल कर लेंगे जब कि उस पर half rates वाला provision लागू होना चाहिये, लेकिन ये areas भी चूंकि 'lift irrigation' के under आते हैं इसलिये इनपर भी अब double rates charge किए जाएंगे । इसलिये मैं इस चीज़ को clear करना चाहता था ताकि House समझ जाए कि क्या position है । इसके results क्या होंगे वह तो जनाब भी देखेंगे और सब लोग देखेंगे । मैं तो Irrigation Department वालों को consult करके आया हूँ और इन सारी बातों का पता करके आया हूँ ।

श्री राम प्यारा (करनाल) : डिप्टी स्पीकर साहिब, जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, यह गवर्नमैंट मुबारकबाद की मुस्तहक है क्योंकि lifts के लग जाने से हो सकता है कि काफी ज़्यादा ज़मीन के सैराब होने का मौका मिलेगा । एक बात जो rates के बारे में कही गई है उसी सम्बन्ध में मैं गवर्नमैंट से clarification चाहता हूँ । कई ज़मीनें ऐसी हैं जहां कुएं भी हैं और नहर का पानी भी लगता है । जो ज़मीनें कुवों से सैराब होती हैं वहां तो गवर्नमैंट को थोड़ा आबियाना मिलता है और जहां नहरें चलती हैं वहां ज़्यादा आबियाना मिलता है । मगर कुछ लोगों की ऐसी ज़मीनें भी हैं जो canals से भी irrigate होती हैं और कुछ lift system से irrigate होती हैं । इधर हमारे इलाके से जो drains जा रही हैं वहां भी गवर्नमैंट lift लगा सकती है और मेरी इत्तलाह के मुताबिक जहां से जो drains गुज़रती हैं वहां लोग पहले ही उन से पानी लेकर ज़मीनें irrigate करते हैं । इस लिये जो rates का सवाल है इसमें गवर्नमैंट को अपनी position clear करनी चाहिये । इस बात की clarification होनी चाहिये कि जहां लोग अपनी cost पर lift लगाते हैं उसके क्या charges होंगे और जहां गवर्नमैंट खुद lift की facility provide करती है वहां क्या charges होंगे । इसके इलावा यह भी साफ तौर पर बताया जाना चाहिये कि जो lift गवर्नमैंट लगाकर देगी उसके क्या charges होंगे और flow irrigation के क्या charges होंगे—क्या इन दोनों के charges एक से ही होंगे या इनमें कुछ फर्क होगा ? अगर इस बात को clear न किया गया तो अगर canal water के charges lift irrigation के charges से कम हुए तो लोग ज़मीन lift irrigation से irrigate करके भी canal से irrigate हुई लिखवा देंगे और अगर lift irrigation के charges canal irrigation के charges से कम हुए तो canal से ज़मीन को irrigate करके lift irrigation में लिखवा देंगे । यह हेराफेरी वह लोग करेंगे जिन के पास दोनों facilities होंगी । इससे इस तरह के इन्दराज कागज़ात में करवाएंगे जिस से खर्चा कम हो । इसलिये मैं सिर्फ यही दरखास्त करना चाहता हूँ कि Abiana के मामले में और

revenues के interest में मिनिस्टर साहिब इस position को वाज़ेह करें कि जो commanded area under canal irrigation होगा और जो area under lift irrigation होगा उनमें basically क्या फर्क होगा और उन से जो आबियाना गवर्नमैंट को मिलना है उन में क्या फर्क होगा। इसके अलावा इस बात की भी वाज़ेह तौर पर clarification होनी चाहिये कि जो lift गवर्नमैंट अपने पास से लगाएगी उस की और जो lift लोग अपने पास से लगाएंगे उस की water-supply के rates के लिहाज़ से क्या फर्क होगा। यह इसलिये भी ज़रूरी है ताकि एक तो गवर्नमैंट को revenues का नुक्सान न हो और दूसरे लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें।

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (राओ बीरेन्द्र सिंह) : डिप्टी स्पीकर साहिब, इन सब points के मुतअल्लिक तो पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। मैं hon. Members को फिर इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इस definition को तब्दील करने में 'rates' में कोई फर्क नहीं पड़ता। Land irrigation का system कुछ भी हो उसके 'rates' अलग २ हैं। अगर 'lift' government खुद provide करेगी तो उसके 'rates' double होंगे जैसा कि कायदा है और अगर लोग अपने आप पानी lift करते हैं तो उसका आधा rate चार्ज किया जाता है। यह बात उसी तरीके से रहेगी। जनाब 'lift' गवर्नमैंट वहां provide करती है जहां flow irrigation नामुमकिन हो क्योंकि इस पर खर्चा बहुत पड़ता है और लोगों से 'rates' double वसूल करने पड़ते हैं। ऐसी ज़मीनों को पानी देने के लिये गवर्नमैंट ऐसी स्कीम पर सिर्फ उसी हालत में खर्चा करती है जब कि पानी वहां पर ले जाना अशद ज़रूरी हो। साथ ही यह भी ज़रूरी है कि लोग lift irrigation के तौर पर double rates देने के लिये तैयार हों। इसलिये यह खतरा पैदा नहीं होना चाहिये कि जहां flow irrigation होती है उसके rates भी बढ़ने हैं। Flow irrigation और है और lift irrigation अलग है। यह तो Act के अन्दर उस definition को तब्दील किया जा रहा है जो कि आज के ज़माने में नाकाफी थी। जब यह 'definition' पहले पहल की गई थी उस वक्त पंजाब में canal irrigation का system था और lift irrigation अब शुरू हुई है। इसलिये मैं समझता हूँ कि जो वहम हमारे दोस्तों के दिमाग़ में चल रहा है वह उन्हें निकाल देना चाहिये।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Northern India Canal and Drainage (Punjab Second Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

THE PUNJAB MONEY-LENDING AND DEBTORS' PROTECTION LAWS (EXTENSION AND AMENDMENT) BILL, 1960. (RESUMPTION OF CONSIDERATION)

CLAUSE 3

उद्योग मन्त्री (श्री मोहन लाल) : डिप्टी स्पीकर साहिब, Money-Lending and Debtors' Protection Laws (Extension and Amendment)

[उद्योग मन्त्री]

Bill पर discussion held up की गई थी क्योंकि चौधरी इन्द्र सिंह जी ने इस पर कुछ एतराज़ उठाए थे। Discussion Clause 3 पर चल रही थी। इसके मुतअल्लिक मैंने तसल्ली कर ली है। कानूनी position इस तरह है कि जो erstwhile Pepsu Areas का कानून है, जिसको repeal किया जा रहा है, वह उस दिन से repeal होगा जिस दिन से यह कानून गज़ट होगा। इसलिये उससे पहले के जो transactions हैं उनपर इस sub-clause (2) में जो schedule है उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। यह चीज़ दर असल इसलिये की जा रही है क्योंकि पंजाब में भी यह लागू हो रहा है। बहरहाल जो कानून पैप्सू में अब तक लागू है वह जारी रहेगा जब तक कि यह Act गज़ट नहीं हो जाता। इसलिये ज़ाहिर है कि जो concessions debtors को मिली हुई हों वह हम नहीं ले रहे बल्कि उसके बरअक्स यह provision erstwhile Punjab Areas में भी लागू हो जाएगा इससे कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 4

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 5

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

SCHEDULE

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Schedule stand part of the Bill.

The motiom was carried.

CLAUSE 1

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Minister for Industries (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to move—

That the Punjab Money-lending and Debtors' Protection Laws (Extension and Amendment) Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Punjab Money-lending and Debtors' Protection Laws (Extension and Amendment) Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Punjab Money-lending and Debtors' Protection Laws (Extension and Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

THE PUNJAB SLUM AREAS (IMPROVEMENT AND CLEARANCE) BILL, 1960

Minister for Public Works (Chaudhri Suraj Mal) : Sir, I beg to move—

That the Punjab Slum Areas (Improvement and Clearance) Bill be taken into consideration at once.

जनाब, यह एक बड़ा ही मुफीद bill है। शहरों में आबादी ज़्यादा हो जाने की वजह से जगह तंग हो गई है। वह लोग जहां रहते हैं वहां न हवा और न ही रौशनी के आने का प्रबन्ध है और न ही उन इलाकों में drains का कोई प्रबन्ध है। इसलिये वहां पर गन्दगी फैल गई है और वह जगह काबिले रिहायश नहीं रही। इसलिये उन जगहों को दुरुस्त करने के लिये, slums remove करने के लिये यह bill लाया गया है। उन जगहों को साफ करने में कुछ दिक्कतें पेश आती हैं। Slum areas में रहने वाले लोगों को उन गन्दी बस्तियों से उठाने में दिक्कत पेश आती है। इस के लिये कोई कानून नहीं है। इसी तरह उन गन्दे मकानात को गिरा कर दुरुस्त कराने के लिये भी हमारे पास कोई कानून नहीं है। इन सारी बातों के लिये यह bill पेश किया जा रहा है। यह निहायत ही मुफीद बिल है और मैं उम्मीद करता हूँ इसे सब साहिबान खुशामदेद कहेंगे और जल्दी से जल्दी इसे पास कर दिया जाएगा; यह मैं House की consideration के लिये पेश करता हूँ।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Punjab Slum Areas (Improvement and Clearance) Bill be taken into consideration at once.

Chaudhri Dharam Singh Rathi (Sambhalka) : Sir, I beg to move—

That the Punjab Slum Areas (Improvement and Clearance) Bill, 1960, be referred to a Select Committee consisting of —

(1) Pandit Shri Ram Sharma, M.L.A.
(2) Chaudhri Sri Chand, M.L.A.
(3) Chaudhri Devi Lal, M.L.A.
(4) Sardar Umrao Singh, M.L.A.
(5) Chaudhri Inder Singh, M.L.A.
(6) Shrimati Om Prabha Jain, M.L.A.
(7) Chaudhri Dharam Singh Rathi, ML.A.

with a direction to make a report by the 31st December, 1960.

जनाब, जहां तक इस बिल के मनशा का ताल्लुक है, वह बड़ा नेक है। जो लोग गन्दे मकानों में रहते हैं उन को अच्छे मकान मिलने चाहियें और जो मौजूदा कानून हैं उन में improvement होनी चाहिये। इस का मैं स्वागत करूँगा। लेकिन अगर यह किया जाता कि यह काम Government basis पर होगा तो यह बेहतर होता। इस में लिखा है कि सरकार लोगों को notice देगी। अगर वह improvement नहीं करेंगे तो सरकार कर देगी मगर जो खर्च होगा वह उन से as arrears of land revenue वसूल किया जायेगा। अगर कहीं मोरी में ईंट भी लगाई तो उन लोगों से वसूली इसी तरह की जाएगी। जहां पर यह करने की ज़रूरत होती है वहां करते नहीं। मैं तो कहूँगा कि यह एक fascist measure है। गवर्नमैंट को बहुत ज़्यादा अख्तियार दिए जा रहे हैं। जहां पर इन्हों ने compensation देनी होगी उस बारे फैसला competent authority करेगी तो उसकी appeal High Court में नहीं होगी बल्कि हमारे वज़ीर साहिब की सरकार सुनेगी यानी High Court के फैसले यह review किया करेंगे। बड़ी हैरानी की बात है। जो degree tenants अपनी eviction बारे ले लेंगे उसका review भी यह किया करेंगे। Parliamentary Democracy में ऐसी बात कहीं नहीं सुनी थी। फिर यह एक वकील वज़ीर साहिब से करवा रहे हैं। इनका कोई बिल उठा के देख लो सारे अख्तियारात गवर्नमैंट को दिए जा रहे हैं। अब तो मास्टरों और पटवारियों के तबादले भी इन्होंने अपने हाथ में रखे हुए हैं। भला इस से ज़्यादा fascist बात और क्या होगी।

फिर penalty रखी है। यह नोटिस देंगे। अगर कोई नाली की मुरम्मत नहीं कराता तो यह करा देंगे और पैसे वसूल कर लेंगे। यहां तक तो ठीक था मगर साथ में penalty भी लगायेंगे। तीन महीने की सज़ा और एक हज़ार रुपया जुर्माना। 5 रुपए तो नाली की मुरम्मत पर खर्च आएगा और सज़ा इतनी बड़ी। इस को कहते हैं कि लोगों के फायदे का बिल है। फिर इस बिल में drafting के defects हैं। वकील वज़ीर साहिब ने शायद इन्हें देखा नहीं या overlook हो गए। जो defects हैं वह मैं clause by clause stage पर बताऊँगा।

इस में एक और अजीब बात लिखी है। इन्होंने अगर एक मकान बनाना है, ठीक करना है तो उसके साथ लगते मकान का हिस्सा भी requisition कर लेंगे, सामान रख देंगे। इस के अन्दर competent authority को इतने अख्तियार हैं जो आज

तक किसी को नहीं दिए गए, पुलिस वालों को भी नहीं दिए गए। Cognisable offence में भी इतने अख्तियार उन को नहीं हैं। एक बात की बड़ी हैरानी है कि जो मवेशी बंधते हैं उनके लिये कोई नोटिस की ज़रूरत नहीं है। मवेशी चाहे जहां फिरें। यहां तो पहले ही मवेशी आवारा हैं. . . . (विघ्न) तो जनाब, डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस बिल के बारे में सोच समझ कर चलना चाहिये। एक बात और है कि सारे Provision ग्राम पंचायत ऐक्ट के अन्दर मौजूद हैं। किसी का घर खराब है या किसी की नाली खराब है तो उस को वह नोटिस दे सकता है। इसी तरह से म्युनिसिपल ऐक्ट जो है उसके अन्दर भी provisions मौजूद हैं। पंचायत ऐक्ट के अन्दर लिखा है कि offensive trade को बन्द करेंगे और इस ऐक्ट के अन्दर भी वह मौजूद है। डिप्टी स्पीकर साहिब, यह सब इसलिये हो रहा है कि अगर कोई वज़ीर साहिब की मर्ज़ी के मुताबिक न चले तो उसको खराब करने के लिये इस ऐक्ट के तहत यह declare कर दें कि यह clearance area है, इसको साफ किया जाएगा। और फिर देखिए जनाब इसके अन्दर एक provision रखी है कि अगर गवर्नमैंट के पास कोई representation करे और गवर्नमैंट satisfied हो जाए तो सब चीज़ खड़ी रहेगी और कोई मकान वग़ैरह नहीं गिराया जाएगा। तो जब कोई इनके पास जाएगा तब यह कहेंगे कि देखो कांग्रेस की सेवा करो तो सब ठीक हो जाएगा। इसलिये यह provision रखी है। इसलिये मैं डिप्टी स्पीकर साहिब, यह कहना चाहता हूँ कि इसे जल्दी में पास न करो इसके लिये एक कमेटी बिठाओ और उस में इस पर विचार किया जाए और जो जो कमियां रह गई हैं उनको दूर किया जाए। इन अल्फाज़ के साथ मैं अपनी मोशन पेश करता हूँ और consideration की जो Motion है उसकी मुखालिफत करता हूँ।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Punjab Slum Areas (Improvement and Clearance) Bill, 1960, be referred to a Select Committee consisting of—

(1) Pandit Shri Ram Sharma, MLA.
(2) Chaudhri Sri Chand MLA.
(3) Chaudhri Devi Lal, MLA.
(4) Sardar Umrao Singh, MLA.
(5) Chaudhri Inder Singh, MLA.
(6) Shrimati Om Prabha Jain, MLA.
(7) Chaudhri Dharam Singh Rathi, MLA.

with a direction to make a report by the 31st December, 1960.

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ (ਨਕੋਦਰ ਜਨਰਲ) : ਜਨਾਬ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮਕਾਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ principles ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਨ ਔਰ ਉਸ

[ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ]

ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੋਵੀਜ਼ਨਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ amend ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇਕ competent authority appoint ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀਆਂ provisions ਨੂੰ implement ਕਰਨ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਗਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ੩੬ ਦੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ competent authority ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਇਸ ਅਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਏਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ define ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ competent authority ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ define ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ competent authority ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਓਵਰਸੀਅਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਦਰਜੇ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ define ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਘਟ ਵਾਲਾ ਅਫਸਰ competent authority ਨਹੀਂ appoint ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜੋ power ਅਗੇ competent authority ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ notification ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਉਸ power ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮਾਤਹਿਤ ਅਫਸਰ ਨੂੰ delegate ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ provision derogatory ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਾਤਹਿਤ ਅਫਸਰ ਨੂੰ power ਦੇਣੀ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ competent authority ਨੂੰ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ power ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮਾਤਹਿਤ ਨੂੰ ਅਗੇ delegate ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕਲਾਜ਼ derogatory ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ amend ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਕਿ ਇਹ ਜੋ Section 36 ਹੇਠ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ arbitrary powers ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ competent authority ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ competent authority ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਘਟ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ

5-00 p. m.

ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰਮਿੰਟ competent authority ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ check ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਸ ਕੋਈ powers ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ uniformity ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਲਾਜ਼ amend ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਹਰ ਥਾਂ uniform practice ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ competent authority ਨੂੰ powers delegate ਕਰਨ ਦੀ power ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਪਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਂ ਤੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁੱਅਲੁਕ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ improve ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ slums ਨੂੰ clear ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ buildings ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ slum area declare ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਉ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ buildings ਐਨੀਆਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਗਣ ਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਸੀਦਾ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਪਣਿਆਂ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਗਣ ਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀਆਂ buildings ਨਾਕਾਬਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਉਹ buildings 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੱਤਾਂ ਟਪਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਫੇਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਮੀ ਉਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਸਤਾ ਤੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ buildings ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ buildings ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ P.W.D. ਖੁਦ ਇਹੁ certificate ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ slum area declare ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ buildings ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਬੜਾ comprehensive ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇਸਨੂੰ ਅਜੇ ਹੋਰ improve ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। Slum areas ਦੀ improvement ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ good-will ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ improve ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ refer ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।

श्री मुनी लाल कामरेड (शिमला) : डिप्टी स्पीकर साहिब, इस बिल का मकसद नेक है इस लिये मैं इस की ताईद करता हूँ लेकिन इसके साथ ही मैं सरकार से यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस में prescribed authority की चर्चा हर जगह है। इस

[श्री मुनी लाल]

लिये जिस वक्त इस पर अमल शुरू होगा तो इस के desired effects हासल नहीं हो सकेंगे। हमारे देश में बाज़ शहर ऐसे हैं जहां आदमी का रहना मुश्किल हो जाता है लेकिन लोगों को मजबूरी की वजह से रहना पड़ता है इस लिये slums clearance के सिलसिले में और अच्छे शहर develop करने के बारे में सरकार की सोच काबले दाद है लेकिन यह जज़बा लोगों में खुदबखुद पैदा होना चाहिये। आज हम model towns और शहरों के साथ छोटे छोटे कस्बाजात देखते हैं जो कि इस बात की दलील हैं कि लोग खुले शहरों में आबाद होना चाहते हैं। दूसरे मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि prescribed authority के अख्तियारात को minimise करके म्युनिसिपल कमेटियों को ज़्यादा अख्तियारात दिए जाएं और public की co-operation के साथ इस स्कीम को implement करने की कोशिश की जाए तो इस के बेहतर नतायज होंगे। मैं महसूस करता हूँ कि slums clearance में सरकार को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि लोगों का mental make up पुराना है, बोसीदा किस्म का है, वह छोटी छोटी modification करना भी गवारा नहीं करते लेकिन इस के साथ ही मैं समझता हूँ कि लोगों की ज़हनियत में change लाने के लिये democratic तरीका ही बेहतर है। अगर authority से बात करेंगे तो इस बिल का मनशा अच्छा होते हुए भी नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। इस लिये इस बिल को मुअस्सर बनाने के लिये राठी साहिब की तजवीज़ मान ली जाये। अगर मैम्बरान के नाम से इत्तफाक न हो तो सिलेक्ट कमेटी के नाम अपनी तरफ से मुकर्रर कर लें। लेकिन अगर आप ने authority से काम करने की कोशिश की तो उस से नान-कोआप्रेशन का जज़बा पैदा होगा।

खान अब्दुल गफ्फार खां (अम्बाला शहर) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहिब, जैसा कि मैम्बर साहिबान ने कहा है मैं भी यह अर्ज करना चाहता हूँ कि इस बिल का मकसद नेक है—नेक ही नहीं बल्कि पाक है। लेकिन जिस ढंग से आप यह मकसद हासल करना चाहते हैं वह ठीक नहीं है। अगर आप एक मरीज़ को दवाई पिलाना चाहते हैं तो देखना यह है कि आया मरीज़ उस दवाई के लिये रग़बत भी रखता है या नहीं। अगर आप डांट डपट कर दवाई पिलाना चाहते हैं तो उस की बीमारी दूर नहीं होगी बल्कि उसे सदमा पहुँचेगा। इस में शक नहीं कि मुद्दा नेक है और बज़ाहर यह मालूम होता है कि ये slums वग़ैरह को remove करना चाहते हैं लेकिन लोगों के साथ जबरदस्ती करके, उन को जेलों में डाल कर और उन में नफरत फैला कर slums को दूर नहीं किया जा सकता। जैसे कि एक आनरेबल मैम्बर ने अभी कहा कि उन के ख्यालात बोसीदा हैं और इस लिये वे अपने मकानात नहीं बदलना चाहते, मैं सही नहीं मानता, यह ग़लत है। क्योंकि कोई आदमी नहीं चाहता, दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं जो कि गन्दगी में रहना चाहता हो। जो कि बुरी हालत में रहना चाहता हो और जो कि अपने मकानात को बुरी तरह से रखना चाहता हो। सवाल पैसे का है। क्या उन की माली हैसियत ऐसी है, क्या वह इस काबिल हैं कि नहीं, क्या वे अपने रहन सहन में रद्दोबदल करने के लिये बेहतरी की तरफ कदम उठा सकते हैं कि नहीं, यह बात सोचने की है। सवाल सारा पैसे का है। Economic problem है।

जब तक इस को हल नहीं किया जाता तब तक यह मसला भी हल नहीं हो सकता। मैं वज़ीर साहिब से कहूँगा कि आप दाना डालिये, कोई ऐसी चीज़ रखें कि अगर वह मकानात को दुरुस्त करेंगे तो आप उन को कोई certificate देंगे या कोई इनाम देंगे या कोई और तजवीज़ रखें। लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर कोई नहीं करेगा तो जेल में ठौंस देंगे या जुर्माना कर देंगे। आप सोचिये कि आप किस गवर्नमैंट की बात कर रहे हैं। कहा है कि "The best Government is that which governs the best." But here is a Government which wants to govern the most.

मैं अर्ज़ करता हूँ कि इस में जितना भी अपनी हकूमत का इज़हार लोगों पर करने का तरीका है कि अगर तुम ज़रा सी बात नहीं करोगे तो हम तुम को जेल भेज देंगे इस से उन के अन्दर inferiority complex पैदा होगा। मैं कहूँगा कि आप लोगों के साथ कोआप्रेशन करें। पंडित नेहरू तो यह कहते हैं कि कोआप्रेटिव की मूवमैंट में भी जितना अख्तियार गवर्नमैंट को या गवर्नमैंट के कर्मचारियों को दिया गया है वह और भी कम होना चाहिये, इतना भी नहीं होना चाहिये। लेकिन यहां क्या किया जा रहा है। करना तो चाहते हैं मेरी बेहतरी। चाहते हैं कि अब्दुल गफ्फार अच्छे मकान में रहे। अब्दुल गफ्फार खां के पास पैसा नहीं है। अगर वह नहीं करता और खुद करते हैं तो कहते हैं कि इस को भेजो जेल में। महाराज यह तो वही बात हुई "बी बिल्ली बख्शो चूहा लंडोरा ही भला" मैं अर्ज़ कर रहा था कि इस बिल का मकसद बहुत नेक है, बहुत पाक है। लेकिन आप को चाहिये कि हकूमत का हंटर कम इस्तेमाल करें। लोगों की माली हालत देख कर स्कीम को लागू करें। लोगों को बतायें कि तमाम चीज़ें तुम्हारी बेहतरी के लिये की जा रही हैं। करोड़ों रुपये नहीं बल्कि अरबों रुपये लोगों की बेहतरी के लिये खर्च किये जा रहे हैं। लेकिन जिन के हाथों में अख्तियारात हैं, administration है उन से लोग नाराज़ हैं, नालां हैं। अगर लोगों पर हकूमत का डंडा और इस्तेमाल किया गया, उन पर और ज़्यादा रोब डाला गया तो लोगों में नाराज़गी बढ़ेगी। इस लिये मैं मूवर मिनिस्टर की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि जहां तक हो सके हकूमत को इस चीज़ के लिये लोगों को तैयार करना चाहिये और इस काम के लिये उन के अन्दर publicity करनी चाहिये, प्रचार करना चाहिये। Persuation के ज़रिये उन को इस बात के लिये तैयार करना चाहिये कि अपने इरद गिरद के माहौल को जो कि गन्दा है बेहतर बनाने की कोशिश करें, मकानात को साफ रखें। इस बिल को public opinion के लिये भेज दें, select committee के पास भेज दें। कमेटी अपनी रिपोर्ट हाउस के पास भेजेगी और अगर वह रिपोर्ट पसंदीदा न हो तो हाउस उस को रिजैक्ट कर सकता है, नामंजूर कर सकता है। इस लिये मैं वज़ीर साहिब से अर्ज़ करूँगा कि हाउस की यही मर्ज़ी है वह इस को मान लें और कमेटी के पास भेज देवें।

श्री राम प्यारा (करनाल) : डिप्टी स्पीकर साहिब, जहां तक इस बिल के मकसद का ताल्लुक है वह साफ ज़ाहिर है कि जो गरीब आदमी गंदी बस्तियों में रह रहे हैं, अच्छी जगहों में नहीं रह रहे उन के रहने का प्रबन्ध अच्छी और साफ जगहों पर किया जाए

[श्री राम प्यारा]
ताकि उन की सेहत पर अच्छा असर पड़े। मैं यह कहना चाहता हूं कि सब से पहले सरकार को उन की माली हालत का अन्दाज़ा लगाना चाहिये। क्योंकि किसी आदमी की यह ख्वाहिश नहीं होती कि वह गंदी बस्ती में रहे, या गंदे मकान में रहे। मजबूरी की वजह से ही वे लोग गंदी बस्ती में रहते हैं, उन के पास पैसे नहीं हैं कि वे खर्च करके अच्छी जगह पर अपने लिये अच्छे मकान बना सकें। न ही उन में अच्छे मकानों का किराया देने की हिम्मत है। आज हम यह कानून बना कर उन को अच्छी जगहों पर बसाना चाहते हैं। मुझे पता नहीं है कि House-tax से जो रुपया इकट्ठा होगा उस का क्या हशर होगा लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर उन को slums area से बिना compensation दिये, उठा दिया गया तो क्या उन के साथ ज़्यादती नहीं होगी और खास कर के उस हालत में कि जब उन के लिये नई जगह का इन्तज़ाम न किया गया हो। बतलाया गया था कि अमृतसर में पहले ग़रीब आदमियों के लिये नए quarters बनाए जाएंगे और बाद में उन को अपने घरों से निकाल कर वहां पर बसा दिया जाएगा। लेकिन इस बिल को पढ़ने से कोई ऐसी बात नज़र नहीं आती। हो सकता है कि यह बात rule making stage पर सोची जाए लेकिन जैसा कि अभी अभी मेरे एक भाई ने कहा है clause ३६ के मातहत बहुत ज़्यादा अख्तियारात किसी competent authority को देना मुनासिब नहीं है और वह powers Legislative के point of view से derogatory सी हैं। इस लिये मैं कहता हूं कि जिस बात के लिये कोई शक या शुबह पैदा होता हो उस को हाउस के सामने लाना लाज़मी होता है। इस लिये भी लाज़मी है कि जब कोई कानून बनता है तो उस के rules बनाने में कितना ही अरसा लग जाता है। पिछले दिनों बच्चों में immoral traffic के कानून के सम्बन्ध में rules 9 साल के बाद बन कर आए थे। इस लिये जिन गरीब लोगों को अपने घरों से उठाना है उन की रिहायश का प्रबन्ध फौरी तौर पर करना चाहिये। यह निहायत लाज़मी है।

इसके साथ जो गवर्नमैंट नें taxes के ज़रिए इकट्ठा किया हुआ रुपया distribute करना है उस distribution पर भी पूरे तौर पर ध्यान देना लाज़मी है। House building loans गवर्नमैंट की तरफ से दिए गए। लाखों नहीं करोड़ों रुपया इस सिलसिले में distribute किया गया। अच्छी बात है, मकानात की किल्लत थी और इस किल्लत को दूर करने के लिए वह रुपया खर्च करना लाज़मी था। लेकिन अगर हम loanees के नामों की list उठाकर देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 फीसदी ऐसे लोग नज़र आएंगे जो वाकई बहुत गरीब हैं और जो न तो अपनी जेब से मकान बना सकते हैं और न ही मकान में रहने का किराया afford कर सकते हैं। उन को यह loans नहीं मिला। मैं नहीं कहता कि बाकी के 90 फीसदी लोगों को यह रुपया नहीं मिलना चाहिए था। उन को भी बेशक दिया जाता लेकिन सवाल priority का है कि आया preference उन को दी जाय जो slum areas में रहते हैं, गन्दी बस्तियों में रहते

हैं या उनको जो कि पहले ही Model Towns में रहते हैं। बहुत से नाम उन loanees में ऐसे लोगों के हैं जो पहले ही अच्छे मकानों में रहते हैं—चाहे वह नौकरी पेशा हैं, चाहे ज़रायत का काम करते हैं या business करते हैं। लेकिन उनके मुकाबले में जिन की आमदन नहीं है, जिन का ज़रिया आमदन नहीं है और जो दर असल इस मदद के मुस्तहक हैं उनको ignore किया गया। इस लिए मेरा यह खदशा है कि इस सिलसिले में भी जहां influential आदमी पहुंच जाएंगे उनको favour की जाएगी और गरीब आदमियों को, deserving persons को ignore किया जाएगा, तंग किया जाएगा।

इसमें Competent Authority को भी जो अख्तियारात दिए गए हैं वह बहुत वसीह हैं—ज़्यादा हैं। साथ में लिखा है कि अगर कोई शख्स notice को defy करता है तो उसके लिए तीन महीने की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी किया जा सकता है जो कि एक हज़ार रुपए तक होगा। यह चीज़ penalties वाली clause में दी हुई है। डिप्टी स्पीकर साहिब, हालात और तजुरबा इस बात की गवाही देता है कि यह नज़ला भी गरीब आदमियों पर ही पड़ेगा, बड़े आदमियों को कोई हाथ नहीं लगा सकेगा। आप सुनकर हैरान होंगे कि पटियाला में एक सिनेमा बन रहा है जिस की मंजूरी Town Planner से नहीं ली गई। अगर किसी ने challenge कर दिया तो हो सकता है कि एक, दो या चार दिन में प्रबन्ध कर लिया जाए या उसके गले में अंगूठा देकर उससे दस्तखत करवा लिए जाएं लेकिन हकीकत.......

श्री उपाध्यक्ष : लेकिन इसका इस बिल के साथ क्या ताल्लुक है ? (But how is it connected with this Bill?)

श्री राम प्यारा : बिल में लिखा है, जनाब कि 3 महीने की कैद और एक हज़ार रुपया जुर्माना हो सकता है। मैं आप के सामने यह बताने जा रहा था कि यह जुर्माना वगैरा भी ऐसे आदमियों को देना पड़ेगा जो बहुत गरीब हैं जब कि बिल गरीबों की ही बेहतरी के लिए बन रहा है। मैं इस तरफ आ रहा हूं कि जो रुपया taxes के ज़रिए इकट्ठा किया हुआ स्टेट के खज़ाने में है वह गरीबों के फायदे के लिए खर्च नहीं हो रहा बल्कि उन लोगों पर खर्च हो रहा है जो बहुत पैसे वाले हैं और तकड़े आदमी हैं, बाअसर हैं और ज़ोर वाले आदमी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह सब बिल के scope के बाहर की बातें हैं। (All this is outside the scope of the Bill.)

श्री राम प्यारा : अगर आप इसकी इजाज़त नहीं देते तो मैं दूसरी तरफ आ जाता हूं।

एक माननीय सदस्य : यह मैम्बर की apprehensions हैं।

Chaudhri Inder Singh : It is a fact and not mere apprehensions.

Minister for Public Works : All facts are not relevant. (*Laughter*)

श्री उपाध्यक्ष : अगर आप इस तरह से सारी बातें करते जाएं फिर तो सारा I.P.C. ही discuss हो जाएगा (If the hon. Member goes on saying all such things like this then the whole of the I.P.C. will be discussed during this debate.)

श्री राम प्यारा : जनाब अगर आप इसको irrelevant समझते हैं तो मैं इस बात को यहीं छोड़ता हूं।

ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਗੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਹਿਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

डिप्टी स्पीकर साहिब, जमीन acquire करने के सिलसिले में भी Competent Authority को बहुत ज़्यादा अख्तियारात दिए गए हैं। एक तरफ तो हम इस बिल को पास करके यह ज़ाहिर कर रहे हैं और हकीकत भी है कि यह गरीब आदमियों के फायदे के लिए है लेकिन दूसरी तरफ यह भी महसूस किया जा रहा है कि वही गरीब आदमी, अवाम, इस पर अमलदरामद करने में गवर्नमैंट का साथ नहीं देंगे। इस लिए यह किया गया है कि जब वह साथ नहीं देंगे तो उन पर जुर्माना किया जाएगा, उन को कैद की सज़ा दी जाएगी। इस बात से हमें यह बात सोचने का मौका मिलता है कि जिन लोगों के फायदा के लिए बिल बनाया जा रहा है, जिन को गन्दी बस्तियों से निकालकर अच्छी बस्तियों में ले जाना है, जिन को गन्दे मकानात से निकाल कर साफ़ सुथरे मकानों में बसाना है वह इस बात के लिए क्यों तैयार नहीं होंगे? आखिर गवर्नमैंट के इस ख्याल की बुनियाद क्या है? जनाब, मैं चार कमरों के मकान में रहता हूं। अगर मुझे यह कहा जाय कि तुम चार कमरों के मकान को छोड़कर आठ कमरों के मकान में चले जाओ तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा? साफ है कि सिर्फ उस सूरत में नहीं जाऊंगा जब कि मैं देखूंगा कि या तो मुझे कहा कुछ जा रहा है और किया कुछ और ही जा रहा है या यह कि मैं उस आठ कमरों वाले मकान को maintain नहीं कर सकूंगा, उसको furnish नहीं कर सकूंगा। सिर्फ यही दो हालात हो सकते हैं मेरे इनकार करने के। लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि क्यों गवर्नमैंट को इस बात का ख्याल आया है कि लोग गन्दी बस्तियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। वाकियात बताते हैं कि बात बीच में कुछ और ही है। Competent Authority को इतने अख्तियारात दिए गए हैं कि वह जिस area को चाहे acquire करवाए और जिस area को को न चाहे acquire न करवाए। यह बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे कि हिसार में एक बाग पैंतीस छत्तीस हजार रुपया में acquire कर लिया जब कि P.W.D. की रिपोर्ट के मुताबिक उसकी building ही एक लाख की है। मतलब यह कि जहां पर जैसी नज़र पड़ी वहां वैसा कर लिया, पूछने वाला कौन है। इसी तरह भिवानी में भी ज़मीन acquire की। वहां पर Administrator के खिलाफ बहुत शोर हुआ और गवर्नमैंट को मजबूर हो कर Administrator को कहना पड़ा

कि तुम किसी और जगह जाकर काम सम्भाल लो। इसी तरह रोहतक में हुआ। मुझे मालूम है कि अमृतसर में एक कान्फ्रेंस हुई जिस में यह कहा गया कि जो मुस्तहक हैं उन को न दी जाए बल्कि ज़मीन acquire करके जिन का उसमें interest हैं और जिन की मरज़ी वहां रहने की है उनको ही दी जाए। जनाब आप ने फरमाया था कि पटियाला के सिनेमा वाली बात यहां पर relevant नहीं। मैं तो इतनी ही अर्ज़ करना चाहता था कि जो बाअसर हैं उन के खिलाफ आवाज़ उठ नहीं सकती बल्कि इस के उलट जो बाअसर हैं वह अपनी मरज़ी के मुताबिक कानून का इस्तेमाल करते हैं। इस लिए ज़रुरी है कि जो कानून हम बनाएं उसके अन्दर सब बातें clear करें। सिर्फ लिख देने से कुछ नहीं बनता। इसी हाउस ने सिट्टे के लिए बिल पास किया। इसी हाउस ने Foodgrains की smuggling को रोकने के लिए बिल पास किया। मगर दो वाकियात भी गवर्नमेंट नहीं बता सकती कि जहां कानून के पास होने के बाद किसी आदमी को सज़ा दी गई हो। हकीकत यह है कि एक बहुत बड़ा आदमी जो सिट्टे में पकड़ा गया और जिस पर मुक्दमा चल रहा था......

श्री उपाध्यक्ष : सिट्टे का इस बिल से क्या ताल्लुक है ? आप बिल के स्कोप से बाहर न जाएं। (What has 'Satta' to do with this Bill ? He should not go beyond the scope of the Bill.)

श्री राम प्यारा : जनाब, इस बिल में यह बताया गया है कि जो आदमी नोटिस को defy करता है उस को तीन महीने तक कैद हो सकती है और एक हजार रुपया जुर्माना हो सकता है। लेकिन मैं बताता हूं कि कैसे इस तरह के पहले पास किए हुए कानूनों की implementation हुई है। मैं यह बताने जा रहा था कि जिन लोगों को सिट्टे में पकड़ा गया उन में से दो को तो डिपो दिए गए।

श्री उपाध्यक्ष : Order please. यह relevant नहीं। जब आप को अपने ख्यालात का इज़हार कपने के लिए कोई और रास्ता नहीं मिलता तो आप बिलों की बहस के दौरान में अपना गुस्सा निकाल लेते हैं। (Order please. It is not relevant. When the hon. Member fails to find any other avenue for giving vent to his feelings, then he expresses all his wrath during the discussion on bills.)

श्री राम प्यारा : जनाब, यह बिल हमारे सामने है। अगर इसके साथ मिलती जुलती कोई मिसाल देनी हो तो वह मजबूरी में देनी पड़ती है। अब हालत यह है कि अगर मुझे एक नोटिस आता है जिसे मैं जायज़ नहीं समझता और comply with नहीं करता तो उसके बाद मुझे जुर्माना हो जाता है। लेकिन इसके साथ ऐसे भी केसिज़ हैं जिनको नोटिस आते हैं और वह comply with नहीं करते फिर भी उन को जुर्माना नहीं होता। इस लिए आप बताएं कि इस बिल में ऐसी कौन सी बात मैंने कही जो relevant न हो। लिहाज़ा मेरा यह कहना कि उन आदमियों को डिपो देकर सजा देने की बजाय इनाम दिया गया, irrelevant नहीं हैं।

[श्री राम प्यारा]

इसी तरह ejectment के मुतअल्लिक गवर्नमैंट ने अपने पास और Competent Authority के पास बहुत से अख्तियारात रखे हैं लेकिन उन को alternate जगह देने का इस बिल के अन्दर कहीं भी ज़िक्र नहीं किया गया। कौन eject होगा? जो गरीब है और जो चंडीगढ़ तक पहुंचने का किराया भी खर्च नहीं कर सकता। यह हालत अच्छी होने की बजाय बुरी हो सकती है। डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं बिल को और उसकी भावना को बुरा नहीं कहता लेकिन मेरा कहना यह है कि इन बातों को बिल के अन्दर clear नहीं किया गया इस लिए इसकी interpretation कुछ और भी हो सकती है और उससे गरीबों को बजाय फायदा होने के नुक्सान भी हो सकता है। Competent Authority को बड़े लम्बे चौड़े अख्तियारात हैं। उसको अख्तियार है कि इस Power को आगे delegate भी कर सके। इस delegation of power करने का मतलब एक की बजाय दूसरे आदमियों की appointment भी हो सकता है।

अब मैं Schedule को भी लेता हूं। इसमें average monthly income को determine करने के principles दर्ज हैं।...यह compensation इस बिल की clause 15 के मुताबिक दी जानी है। लेकिन जो ज़मीन acquire करनी है हो सकता है कि उसमें कोई building का भी हिस्सा आ जाए। अगर आप इस बिल की Statement of Objects and Reasons को देखें तो वहां पर दर्ज है कि जो लोग मकानात छोड़ने के लिए willing नहीं हैं उन के मकानों को demolish करने के लिए भी यह बिल पेश किया जा रहा है। ठीक है कि यह सब उन गरीब लोगों की बेहतरी के लिए किया जाएगा लेकिन जिन की बेहतरी के लिए आप यह सारा सिलसिला कर रहे हैं उन को वहां से उठाने के बाद उन के रहने का क्या प्रबन्ध आप करेंगे, इसका भी तो उन को पता होना चाहिए। मेरे अन्दाज़े के मुताबिक कोई ऐसा प्रबन्ध नहीं होगा जिसका किया जाना जरुरी है। इसी तरह कीमत की बाबत भी जो procedure रखा गया है वह बहुत defective है। यह पांच सालों की average निकालेंगे। यह तो गवर्नमैंट के अपने रिकार्ड से निकाली जाएगी। लेकिन म्युनिसिपल कमेटियां किस तरह से हाउस टैक्स लगाती हैं या Property Tax किस तरह से assess किया जाता है, इसके मुतअल्लिक भी बहुत से शकूक हैं। कई ऐसे बड़े बड़े मकानात देखे गए हैं जिन का हाउस टैक्स और Property Tax बहुत कम लगा हुआ है। और जो छोटे लोग हैं, उन से ज़्यादा tax लिया जा रहा है। जो resources वाले हैं, उन से थोड़ा Property Tax लिया जा रहा है। लेकिन जब compensation का वक्त आयेगा तो जो influential लोग हैं वह फिर कहेंगे कि हम तो पुराने मकानों में बैठे रहे, गलती तो अफसर से हुई जिन्होंने property और House Tax थोड़ा लगाया है। इस लिए मैं यह कहता हूं कि इस पर और ज्यादा विचार होना चाहिए। अगर कोई कमेटी बना दी जाए तो नुक्सान न होगा। जो लोग eject हों, उन का भी

कोई इन्तज़ाम होना चाहिए। मैं ने house loans के बारे में अर्ज़ किया था कि यह गरीबों को नहीं मिले बल्कि income tax payers और बड़े बड़े businessmen ने ले लिए हैं। जब उन से recovery का वक्त आता है तो यह postpone हो जाती है चूंकि उन का असरो रसूख है। इसी तरह यहां भी यह कह देना कि वहां की authorities ejected लोगों के लिए जगह रिहायश का इन्तज़ाम करेंगी इस बारे में कोई भरोसा नहीं है। इस बारे provision होना चाहिए। उन को subsidy मिले, interest free या nominal interest पर loan मिले। गन्दगी को दूर करने का idea अच्छा है। मगर इस बिल के इस बारे कोई clause होनी चाहिए कि जो लोग eject हों उन के लिए मकानों का प्रबन्ध हो।

श्री बलराम दास टंडन : (अमृतसर शहर, पश्चिम) Deputy Speaker साहिब, यह जो Bill House के सामने है, इस के objects की अच्छाई बारे दो राएं नहीं हो सकतीं। हम सब चाहते हैं कि हमारे देश में जहां भी किसी तरह का गंद हो वह दूर किया जाए, मकान खुले और हवादार बनाए जाएं। लेकिन जिस ढंग से इस सारे काम को किया जाना है, जिस तरह से इस बिल की implementation होनी है वह नामुनासब है। जहां भी local bodies बनी हुई हैं चाहे पंचायतें हैं, चाहे Municipalities हैं या Improvement Trusts हैं, वहां पर यह bodies जहां तक मुमकिन है इस काम को कर रही हैं। मुझे अमृतसर के Improvement Trust के working को देखने का मौका मिलता है। वह बहुत बड़ी body है और इसी काम को कर रही है। Municipalities भी यही काम कर रही हैं। नई नई सड़कों को बनाना और दूसरी schemes को सिरे चढ़ाना उन का बहुत बड़ा फर्ज़ है। जब ऐसी दशा हो कि यह काम इतनी बड़ी बड़ी bodies पहले ही कर रही हों तो भला इस प्रकार से एक और नई ही organisation खड़ी कर देना कहां की बुद्धिमत्ता है। मैं हैरान हूं कि सिवाए चन्द लोगों को मुलाज़मत दिलाने के इस से और क्या लाभ होगा। जो powers इस बिल में दी गई हैं यही कमेटियों के Executive Officers या दूसरे अधिकारियों को दी जा सकती थीं, Improvement Trusts के Chairmen को दी जा सकती थीं। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हमारी Third Five-Year Plan आ रही है, हमें पैसा चाहिए और इस के लिए tax पर tax लगाए जा रहे हैं चाहे यह खुद मानते हैं कि taxes का बोझ अब saturation point तक पहुंच गया है मगर दूसरी तरफ इस तरह से पैसे के खर्च को बिना किसी आवश्यकता के बढ़ाया जा रहा है। हम रोज़ अपनी केन्द्र की सरकार से पैसा मांगते हैं। वह खुद थाली फैलाए लोगों से पैसा मांग रही है कि हमारे पास कोई resources नहीं हैं। यह हालत है मगर इस को realise नहीं करते। जो काम बड़ी आसानी से पहले से स्थापित bodies से करवाया जा सकता था और जो आगे ही कर भी रही हैं, उसी को करने के लिए अब यह नया अमला रखना चाहते हैं। इस में जितने काम दर्ज हैं अमृतसर में Improvement Trust यह सब काम कर रहा है। तो फिर एक नई authority खड़ी कर के उस को wide

rR

[श्री बलराम दास टंडन[

powers देना कहां तक जायज़ है। सरकार को चाहिए कि नई body न बना कर लोगों का बोझ हलका करने की कोशिश करे। मुझे वज़ीर साहिब बताएं कि यह काम established bodies के ज़रिए क्यों नहीं करवाए जा सकते अगर उन को यही powers दे दी जाएँ।

मैं समझता हूं कि जो नया म्युनिसिपल बिल आ रहा है उसके अन्दर यह incorporate कर दें। डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहिब से यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि इसे इतनी जल्दी में पास न किया जाए। ज़रूरत इस बात की है कि सिलैक्ट कमेटी के अन्दर मिनिस्टर साहिब बैठें और हर शेड के मैम्बर उसमें हों। फिर जिस तरीके से सब की राय हो उस तरीके से इस बिल को बना कर बिल को यहां लाया जाए और पास किया जाए। मैं समझता हूं कि मिनिस्टर साहिब इस बात की तरफ जरूर ध्यान दें। और जो मोशन इस हाउस में रखी गई है उसके पेशेनज़र एक सिलैक्ट कमेटी बैठे और वह इस पर विचार करे। अन्त में मैं फिर इस बात की आशा करता हूं कि मिनिस्टर साहिब इस बात की तरफ ध्यान देंगे।

ਭਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦਾਸ ਹੰਸ (ਮੁਕੇਰੀਆਂ 'ਰਿਜ਼ਰਵਡ') : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਮਕਾਨ ਵਿਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਫ਼ਾਈ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਖਾਹਸ਼ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਮਕਾਨ ਵਿਚ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀਜਨ ਬਸਤੀ/ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਬੜੀ ਘਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੰਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਐਸੇ ਗੰਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਬਨ੍ਹਣੇ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਥੇ ਮੈਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਵਿਚ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਸਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰੀ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਨੀ ਗੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਲਾ ਆਦਮੀ ਇਸ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਲਾ ਆਦਮੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਥਾਂ ਵਿਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮਕਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਮਕਾਨ ਹਨ ਜਾਂ ਗਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਇਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਇਕ ਚੌਕ ਸਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਸਕੂਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਚ 600 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਤਾਂ ਨਾਕਸ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਹਦ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਛਤ ਹੀ ਨਾ ਗਿਰ ਜਾਵੇ। ਇਤਨੀਆਂ ਨਾਕਸ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਨ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ। ਸਾਡੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੂਸਰੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹਿਤ ਰਖਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਲਏ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਿਤ ਨਾ ਰਖਦੇ ਹੋਣ। ਇਥੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਗੰਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਸੁਫਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿਲ ਹੈ, ਇਹ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ/ਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿਤ ਰਖਦੇ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹਰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਕਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ plot ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਹਰੀਜਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਬਨ੍ਹਣੇ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਕਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕੋਈ/ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰੱਮਤ ਵਾਸਤੇ ਇਮਦਾਦ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ plot ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ (ਊਨਾ) : ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਮਨਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮਨਸ਼ਾ ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਦ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਸ ਲਈ material ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਟੀਰਿਅਲ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਫ ਮਕਾਨ ਹੋਵੇ। ਭੈੜੇ ਮਕਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

[ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ]

ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੇ ਮਕਾਨ ਵਿਚ ਰਹੇ, ਅੱਛੇ ਕਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਖਾਨਾ ਖਾਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਵੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੀ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕ ਐਸੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹਵਾਦਾਰ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਡੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਅੱਗੇ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਕਾਨ ਕਿਤਨੇ ਹਨ ਦਿਹਾਤਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਤਨੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਤਨੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਖਾਂ ਕਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਕੋਠੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹਵਾਦਾਰ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅੱਛੇ ਮਕਾਨ ਕਿਵੇਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰਾਏ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁਕਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਮਗਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਤਸਾਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਢਾ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜੇ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ।

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਤਨੀਆਂ ਕੁ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਹੀ ਰੁਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮਿਲਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਗਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਫੇਰ ਸੌਦੇ ਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਤੂੰ ਵਿਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ

ਚਲਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਨਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਇਤਨੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਮਗਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰੀਟੀ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਵਸੀਹ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਧੜਾ ਧੜ ਢਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਅਫਸਰ ਖਾਹਮੁਖਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਸ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨੀਅਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਆਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਸ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ ਔਰ ਉਹ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡੰਡਾ ਵਰਤੋਗੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਗ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਨਬਾਪਰਵਰੀ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ create ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿਚ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਖੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸੀਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਉ ਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿਉ ਤਾਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਆ ਸਕੇ

[ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ]

ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਨਾਬ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮਕਾਨ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਣ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਢਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਤਾਇਜ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਦ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

डाक्टर परमा नन्द (पानीपत) : डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं चौधरी सूरज मल जी को यह बिल पेश करने पर मुबारकबाद देता हूं। इस सहूलियत के बारे में पंजाब गवर्नमेंट आज से नहीं बल्कि काफी पहले से सोच रही है। कुछ मैम्बरान ने फरमाया कि अगर यह बिल बनाना ही था तो इसकी implementation म्युनिसिपल कमेटी या improvement trust पर छोड़ दी जाती। मुझे याद है कि 1954 में इतनी ज़्यादा बारिशें हुईं कि पानीपत में जितनी निकासी जायदाद थी वह सब गिर गई, गलियों और बाज़ारों में कीचड़ जमा हो गया, काफी गन्दगी रही। इस लिए इस बात की ज़रूरत महसूस हो रही थी कि शहरों के हालात अच्छे किए जाएं। आज जब यह बिल आया है तो चाहिए तो यह था कि Opposition के सब मैम्बरान दिल से मुबारकबाद देते। लेकिन यहां पर इस पर भी नुक्ताचीनी की गई है। मुझे याद है कि जब चण्डीगढ़ बनाने का फैसला हुआ तो उस वक्त भी कुछ लोग critical थे लेकिन वही मैम्बरान आज पंजाब गवर्नमैंट के दलेराना कदम की दाद देते हैं। इस में शक नहीं कि इस बिल में कुछ खामियां हैं।

(At this stage, Khan Abdul Ghaffar Khan, a Member of the Panel of Chairmen, occupied the chair.)

इस बिल का मकसद बहुत नेक है कि जितने भी गरीब लोग गन्दी बस्तियों में रहते हैं उन के लिये सरकार को अच्छे मकानों का प्रबन्ध करना चाहिये। राठी साहिब तो इस बिल को oppose कर रहे थे उन को मालूम नहीं है कि लोग कैसी गन्दी जगहों पर रहते हैं। पानीपत में कई जगहें इतनी गन्दी हैं कि वहां पर जानवर भी नहीं रहना चाहियें लेकिन वहां पर इन्सान बस्ते हैं। इन्सान वहां इस वजह से रहते हैं क्योंकि उन में अच्छे मकानात बनाने की हिम्मत नहीं है। यह कहते हैं कि Municipal Committees मौजूद हैं। मैं उन से पूछता हूं कि क्या Municipal Committees में इतनी ताकत है कि वे इतने लोगों की मदद कर सकें, उन के लिये हवादार मकानात बना सकें या इतने बड़े इलाकों में सड़कों का या drainage का प्रबन्ध कर सकें? इतना काम नए सिरे से करना उनके लिये बड़ा मुशकिल था। इस लिये यह ज़रूरी था कि यह भारी और important काम सरकार अपने हाथ में लेती। पंजाब में floods आने की वजह से यह बस्तियां और भी गन्दी हो गई हैं। मैं ने खुद देखा है कि रोहतक, जींद वगैरह में चारों तरफ पानी खड़ा है, मकानात गिर

गए हैं लोग बहुत बुरी हालत में रह रहे हैं। क्या गवर्नमैंट इन्तज़ार करती रहेगी कि जिन लोगों के मकानात की इतनी बुरी हालत है उन को उसी तरह से उन में रहने दिया जाए जब तक वे गिर नहीं जाते? मैं कहता हूं कि सरकार को किसी बात की परवाह नहीं करनी चाहिये और फौरन इस स्कीम की implementation करनी चाहिये। इस के लिये कोई कमेटी बनाने का मतलब होगा इसको cold storage में डालना। अगर जल्दी इस पर अमल न किया गया तो इस का असर दूसरे इलाकों पर भी पड़ेगा। Floods आने के कारण slums की हालत जिनमें बहुत सी हरिजनों की बस्तियां हैं और भी खराब हो गई हैं, सड़कें टूट गई हैं, मकानात बैठ गए हैं। यह काम सरकार ने अपने हाथ में ले कर बहुत अच्छा काम किया है। सरकारी इमारात को भी इन में शामिल करना चाहिये। कई स्कूलों की इमारात बहुत बोसीदा हो चुकी हैं। उन्होंने कह दिया है कि इस की ज़िम्मेदारी हम नहीं लेते। बच्चे पढ़ने जाते हैं और स्कूलों की छतें टपकती हैं, बारिश का पानी उन के सिर पर पड़ता है। उन की किताबें भी खराब हो जाती हैं। इस लिये मैं कहता हूं कि ऐसी सरकारी इमारात को भी इस ऐक्ट के नीचे लाना चाहिये ताकि पुरानी इमारात की मुरम्मत करवाने के लिये मुतअल्लिका महकमा की मंजूरी लेने में ज़्यादा देर न लग जाए। मैं चाहता हूं कि यह काम किसी और body के सुपुर्द न करके सरकार को खुद अपने हाथों में लेना चाहिये। सरकार के पास टेलीफोन है, तार है और दूसरी तरह की सब सहूलतें हासिल हैं। वह कौन सा काम है जो कि सरकार नहीं कर सकती? राठी साहिब कह रहे है कि लोगों को बहुत तकलीफ होगी और लोग चिल्लाएंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि मरीज़ तो हमेशा नश्तर से डरता है। यह चीज़ डाक्टर ही जानता है कि उस को नश्तर लगे बगैर आराम नहीं आ सकता। जब डाक्टर का नश्तर लगता है तो मरीज़ को थोड़ी सी तकलीफ ज़रूर महसूस होती है लेकिन उस के लगते ही उस का सारा मर्ज़ दूर हो जाता है। इसी तरह से यकीनी तौर पर वे लोग जो कि सलम्ज़ में रहते हैं गन्दी बस्तियों में रहते हैं पंजाब सरकार के बहुत मश्कूर होंगे। अगर सरकार ने उन slums को साफ न किया और जो बस्तियां बाढ़ की वजह से बहुत ज़्यादा गन्दी हो गई हैं उन को वैसे ही छोड़ दिया तो वही लोग जेनरल इलेक्शन में कहेंगे कि यह सरकार पांच साल तक क्या करती रही है, इस ने गरीबों के लिये कुछ नहीं किया है। इन की यह जो suggestion है कि इस को किसी कमेटी के हवाले किया जाए इस से इन का मतलब यह है कि किसी न किसी तरह से इस स्कीम को लटकाया जाए और बाद में यह खुद कहें कि सरकार ने कुछ नहीं किया। चेयरमैन साहिब, मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि उन गरीबों को अपने घरों से उठाने से पहले किसी ऐसी जगह की तलाश की जाए जहां कि उन को उस वक्त तक बैठा दिया जाए जब तक कि उन के नए मकान नहीं बन जाते। मेरा अपना विचार है कि जिन दिनों में स्कूल और कालेज बंद हों उन दिनों में उन को अपने घरों से उठा कर वहां पर बैठा दिया जाए और उस अरसे में नए मकान बना कर उन को वहां पर भेज दिया जाए। इस तरह से उन गरीब लोगों को सुख और आराम मिलेगा और उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा।

[डाक्टर परमा नन्द]

चेयरमैन साहिब, अन्त में मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि यह बिल बहुत ज़रूरी है और इस को जल्दी से जल्दी पास करना चाहिये इस को किसी कमेटी के हवाले नहीं करना चाहिये ।

Mr. Chairman : Now Chaudhri Suraj Mal. The debate on this Bill will continue upto 6.30 p.m. today and the Minister has to give reply as well.

Chaudhri Dharam Singh Rathi : There is no closure motion. Unless and until a closure motion is moved and carried there should be no restriction on further speeches.

Mr. Chairman : There is no question of closure motion. The hon. Minister has to give reply to the debate.

Chaudhri Dharam Singh Rathi : Then, Sir, it means that other hon. Members will not be able to speak on the motions before the House.

Mr. Chairman : Order please. I have already called the hon. Minister for Public Works.

(Interruption by Shri Bharolian)

Mr. Depury Speaker : Order please. There should be no direct talks.

लोक कार्य मन्त्री (चौधरी सूरज मल) : चेयरमैन साहिब, वैसे तो मुझे डाक्टर साहिब की तकरीर के बाद बोलने की ज़रूरत नहीं रह जाती क्योंकि उन्होंने बड़ी खुशअसलूबी के साथ गवर्नमैंट की तरफ से हर एक बात का जवाब दे दिया है । लेकिन चंद अल्फाज़ में मैं यह कहना चाहता हूं कि जितने भी मैम्बर साहिबान इस बिल पर बोले हैं उन सब ने यह कहा है कि इस बिल का मनशा बड़ा नेक है । आप भी जब बोल रहे थे तो आप ने भी यही कहा था कि इस बिल का मुद्दा बड़ा नेक और पाक है । इस लिये मैं कहता हूं कि जिस काम को सब के सब लोग नेक समझते हों उस के करने में देरी डालने वाले का इरादा नेक नहीं होता ।

इस लिये इस बिल के बारे में जो बातें कही गई हैं, मैं उन के समबन्ध में थोड़ा थोड़ा जवाब देना चाहता हूं ।

राठी साहिब ने इस बिल पर बोलते हुए कहा कि बिल तो बहुत अच्छा है, मुद्दा नेक है लेकिन यह ख्याल ज़ाहिर किया कि इसे select committee के सपुर्द कर दिया जाय । मैं आप को बताना चाहता हूं कि यह जो बिल हमारी तरफ से आया है यह एक Model Bill है जो हमारी Central Government ने सारी States को भेजा है । इसे बड़ी छान बीन करके बनाया गया है और तमाम States को यह महसूस करते हुए भेजा कि मौजूदा हालात में इस किस्म के बिल की अशद ज़रूरत है । सभी States को ये हदायात की गई हैं कि इस तरह के Slum Clearance Bill को अपनी States में पास करवाएं ।

यह बिल कितना अच्छा है, इसका अन्दाज़ा एक और बात से भी लगता है और वह यह कि यह बिल एक हफता से House के सामने है। इस पर किसी भाई ने, सिवाय राठी साहिब के, कोई amendment नहीं भेजी और राठी साहिब ने भी जो आज amendments भेजी हैं वह लफ्ज़ी amendments ही हैं। वैसे असूली तौर पर इन्होंने भी इस बिल के साथ कोई इख्तलाफ ज़ाहिर नहीं किया। बाकी किसी तरफ से कोई amendment नहीं आई। अगर किसी किस्म का कोई नुक्स होता और मैम्बर साहिबान इस बिल में कोई improvements कराना चाहते तो लाज़मी था कि उनके लिए amendments भेजते और अगर वे काबले कबूल होतीं तो उन्हें मान भी लिया जाता। जब कोई खास amendment नहीं आई और किसी खामी को नहीं जतलाया गया तो साफ़ ज़ाहिर है कि जो बिल गवर्नमैंट की तरफ से लाया गया है वह निहायत मुफीद है और सबने उसको welcome किया है।

इस सिलसिले में यह शक जाहिर किया गया है कि इस की implementation के दौरान सरकार की तरफ से खराबियां पैदा की जाएंगी। जनाब, मैं चार पांच साल से देख रहा हूं कि चाहे गवर्नमैंट की तरफ से कितना भी मुफीद बिल क्यों न लाया गया हो, opposition की तरफ से कभी नहीं कहा गया कि उसकी implementation ठीक ढंग से होगी। हमेशा यही एतराज़ किया जाता रहा कि उसकी implementation ठीक ढंग से नहीं होगी गवर्नमैंट यह कर देगी, वह कर देगी, powers का misuse होगा, वगैरा वगैरा। लेकिन मैं देख रहा हूं कि चार पांच साल से जितने बिल पास हुए, किसी को भी misuse नहीं किया गया। बाकी अगर आपस में ज़िद में आकर, जलन की वजह से ज़ाती गुबार निकालने के लिए कोई कुछ कहता जाए तो उसका क्या किया जा सकता है। जनता जानती है कि जितने बिल इस विधान सभा ने पास किए हैं उनको implementation बिल्कुल दुरुस्त और ठीक ढंग से हुई है। इसमें आप लोगों को किसी किस्म का शक नहीं है। लेकिन मेरे ये दोस्त गवर्नमैंट को बदनाम करने के वास्ते कोई न कोई बात ज़रूर करेंगे। यह तो इन का शेवा ही बन गया है। इस लिए जब यह एक निहायत नेक बिल है और जब इस पर किसी तरफ से कोई material amendment नहीं आई तो इसे Select कमेटी के सुपुर्द करना भी कोई मायने नहीं रखता। मैं Select Committee को भेजे जाने वाली move को पुरज़ोर मुखालिफ़त करता हूं और House से उम्मीद करता हूं कि इसे जल्दी से जल्दी इसी शकल में पास किया जाएगा।

इसके बारे में दो तीन खदशात और जाहिर किए गए हैं। टंडन साहिब ने फरमाया कि इस के साथ गवर्नमैंट कोई और नई किस्म की नौकरियां इजाद करना चाहती है और अपने लोगों को फायदा पहुंचाना चाहती है। मैं House को इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूं कि जहां तक हो सकेगा, इस बिल की implementation के लिए कोई नया खर्च नहीं किया जाएगा। Improvement Trust के officers और administrators, म्युनिसिपल कमेटियों के Executive Officers

[लोक कार्य मंत्री]
या डिप्टी कमिशनर---जहां जहां जिस किस्म का अफसर होगा उसको competent authority मुकर्रर किया जाएगा और इसके लिए कोई अलग खर्चा नहीं किया जाएगा। District Boards भी इस किस्म का काम कर सकते थे, Municipal Committees और Improvement Trusts भी इस काम को कर सकती थीं लेकिन उनके पास वह अख्तियारात मौजूद नहीं थे जिनका provision इस बिल के अन्दर किया गया है।

(*At this stage Mr. Deputy Speaker occupied the chair.*)

Land acquisition के लिए हमें provision करना ही है क्योंकि जो लोग slum areas में रहते हैं वह जानते हैं कि कुछ लोगों का उन्हीं areas के साथ भी इतना प्यार हो जाता है कि वह उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं कि उनके साथ किसी किस्म की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। सब से पहले persuasion से काम लिया जाएगा, उनको समझाया जाएगा। जिन भाइयों ने एतराज़ किए हैं अगर वह मेरे साथ मोगे चलें तो वह वहां के हालात देखकर बहुत खुश होंगे। मोगा एक ऐसा इलाका था जहां पहले गांव ही थे। फिर आस पास आबादी हो गई और एक बड़ा शहर बनने लग गया। अन्दर के area में कुछ आबादी ऐसी थी जहां लोग छोटी छोटी कोठरियों में रहते थे। टूटी फूटी झौंपड़ियों में रहते थे। लेकिन वहां की municipality ने बड़ा काम किया। हमने $2\frac{1}{2}$ लाख रुपया उनको loan का दिया जिसकी जिम्मेदारी municipality की होगी। उन्होंने अपनी ज़मीन लेकर दूसरी जगह बस्ती बनाई और आज अगर आप वहां जाकर देखें तो 80---100 घरों के अन्दर लोग बड़े आराम के साथ रह रहे हैं। अगर आप उन लोगों से बात करें जो अब वहां रह रहे हैं तो मैं बिला खौफे तरदीद कह सकता हूं कि जो भाई पहले slum areas में रहते थे अब ऐसे मकानों में रह रहे हैं जैसे यहां हमारे अफसर कोठियों में रहते हैं। वह बड़ी खुशी की जिन्दगी वहां बसर कर रहे हैं। वहां municipality ने लोगों की रज़ामन्दी से यह काम शुरू किया। इस लिए मैं कह सकता हूं कि हम लोगों की रज़ामन्दी से ही यह सारा काम करेंगे, कोई ज़ोर जबरदस्ती नहीं की जाए गी। उन्हें persuade करके कहा जाएगा कि हम आप लोगों के रहने के लिए अच्छी जगह बना रहे हैं। जहां तक उन्हें eject किए जाने का खदशा ज़ाहिर किया गया है इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इस बिल का मुद्दा हरगिज़ यह नहीं है कि उस ज़मीन को acquire करके उनको वहां से eject कर दिया जाएगा। यह तो मेरे इन साथियों का सिर्फ एक वहम है। उस जगह को साफ़ करके अगर वहां पर रहने वाले लोग फिर वहीं रहना चाहें तो रह सकते हैं और अगर नई जगहों पर बसना चाहें तो वहां जा सकते हैं। इस बात के लिए किसी तरह की कोई compulsion नहीं है। मैं पूछता हूं कि कौन गरीब आदमी ऐसा होगा जो शहर के बीच गन्दी बस्ती में रहता हो और अगर उस के लिये शहर के बाहर खुली हवा में रहने के लिए इन्तज़ाम किया जाए तो वह वहां रहने के लिये इन्कार करे ?

अब मैं House को बताना चाहता हूं कि Slum Clearance Scheme के लिए 25 फी सदी हिस्सा गवर्नमैंट की तरफ से subsidy के तौर पर municipalities को दिया जा रहा है। वह बढ़ा कर 37½ फी सदी भी किया जा सकता है। लेकिन गवर्नमैंट कोशिश कर रही है कि यह subsidy 25 फी सदी से बढ़ाकर न सिर्फ 37½ फी सदी ही कर दी जाय बल्कि 50 फी सदी मुफ्त कर दिया जाए और फिर जो लोग अपना खर्चा नहीं लगा सकते और ठीक तरह से आबाद नहीं हो सकते municipality कर्जा लेकर उनके लिए मकान बनाएगी और उसके बाद उनकी सहूलियत से आसान तरीके से आहिस्ता आहिस्ता वह रुपया वसूल करेगी। वह रुपया चाहे किश्तों में वसूल करे या किराए के तौर पर करे इस पर वह विचार कर सकते हैं। तो ऐसी हालत में किसी को क्या अन्देशा हो सकता है? हर बात पर जो वहम पैदा करने की कोशिश की जाती है, पता नहीं वह किस मतलब के लिए की जाती है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इसमें किसी तरह से भी किसी को ठगने का या बहकाने का सामान नहीं किया गया। मुद्दा साफ है। सब को पता है कि हमारे हरिजन भाइयों की हालत और गरीबों की हालत जो शहरों के अन्दर slums में रहते हैं, बड़ी खस्ता है। क्या आप नहीं चाहते कि उन को जल्दी से जल्दी अच्छे मकान बनाकर साफ हवा में बसाया जाए? मैं समझता हूं कि जो अच्छी बात गवर्नमैंट की तरफ से लाई जाए उसे फौरन कबूल किया जाना चाहिए। हमारे भड़ोलियां साहिब ने कहा है कि हमारी तरफ से जो भी अच्छी बात कही जाती है गवर्नमैंट उसको मानने के लिए तैयार नहीं होती। मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर जो 154 मैम्बर साहिबान बैठे हैं—पांच को छोड़कर—बाकी अपने सीने पर हाथ रखकर क्या यह बात कह सकते हैं कि सरकार का मुद्दा खराब है? (*interruptions*) मैं यकीन दिलाता हूं कि इस बिल पर निहायत इमानदारी से, नेक दिली से अमल किया जाएगा। लोगों को साफ मकानों में बसाया जाएगा जहां हवा होगी, रौशनी होगी। ऐसी जगह पर उनके दिल और दिमाग भी साफ रहेंगे। ठीक है कि जहां शहरों में से slums को clear किया जाए, वहां देहातियों का भी पूरा ख्याल रखा जाए। इस लिए मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे मैम्बर साहिबान ने इस बिल के मुद्दा को खुद नेक माना है, इसकी implementation के बारे भी कोई शकूक नहीं करेंगे और इसे जल्दी से जल्दी पास करेंगे, जैसे डाक्टर परमानन्द जी ने बताया नेक काम करने में देरी नहीं करनी चाहिए। इस लिए मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी इस बिल को consider करके पास किया जाएगा।

(*At this stage Mr. Speaker occupied the Chair.*)

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Slum Areas (Improvement and Clearance) Bill, 1960, be referred to a Select Committee consisting of—

(1) Pandit Shri Ram Sharma, M.L.A.
(2) Chaudhri Sri Chand, M.L.A.
(3) Chaudhri Devi Lal, M.L.A.
(4) Sardar Umrao Singh M.L.A.

[Mr. Speaker]

(5) Chaudhri Inder Singh, M.L.A.
(6) Shrimati Om Prabha Jain, M.L.A.
(7) Chaudhri Dharam Singh Rathi, M.L.A.

with a direction to make a report by the 31st December, 1960.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Slum Areas (Improvement and Clearance) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : The House will now proceed to consider the Bill clause by clause.

SUB-CLAUSES (2) AND (3) OF CLAUSE 1

Mr. Speaker : Question is—

That sub-clause (2) and (3) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried,

CLAUSE 2

Chaudhri Dharam Singh Rathi (Sambhalka) : Sir, I beg to move—

In line 2 of Sub-clause (a) of Clause 2, delete words from "but..............to building".

जनाब, मेरे कहने का मतलब यह है कि slum areas के कुछ खास लोगों के साथ बहुत बड़ी favour की गई है। उन की जो machinery होगी और जो बदबू फैला रही होगी उस पर यह Bill apply नहीं होगा। यह building को गिराने के लिए तो notice देंगे मगर उस की printing machinery या दूसरे plant को नहीं हटा सकेंगे। मुझे करनाल का पता है। वहां एक distillery है जो बहुत ज़्यादा बदबूदार पानी फैलाती है। लोग उस से बेहद तंग हैं। मगर उस को इस के मुताबिक यह नहीं हटा सकेंगे। मुझे समझ नहीं आती कि ऐसी गन्दगी फैलाने वाली machinery को exemption क्यों दी जा रही है। इस बारे सब लोगों को ज़ाती तजरूबा होगा। (*interruption*) इस लिए मैं कहता हूं कि यह exemption नहीं रहनी चाहिए। (*interruption*) अगर इस का यह मुद्दा नहीं है तो वज़ीर साहिब बता दें कि क्या मुद्दा है। हम तो यही समझते हैं। अगर यह मेरी amendment मान लेंगे तो बड़ा भारी फायदा होगा, इन का काम आसान हो जायगा और यह सही मानों में slums दूर कर सकेंगे। इस बिल का अगर यही मुद्दा है तो यह तब पूरा होगा अगर मेरी amendment मान ली जाय। वरना मतलब यह होगा कि यह slums clear नहीं करना चाहते और सिर्फ कुछ लोगों का ही फायदा करना चाहते हैं।

Mr. Speaker : Motion moved—

In line 2 of Sub-clause (a) of clause 2, delete words from "but..............to building".

लोक कार्य मंत्री (चौधरी सूरज मल) : स्पीकर साहिब, मेरे साथी राठी साहिब, कुछ का कुछ मतलब अपनी मर्जी से ही निकाल लेते हैं। जहां building लेनी होगी वहां पर उस की कीमत भी लगानी होगी। जहां machinery होगी उस की कीमत नहीं लगानी पड़ेगी क्योंकि उस के मालिक को कह दिया जायगा कि वह उसे उठा ले जाए उस को building में नहीं शुमार किया जाता। Bill में building की कीमत का तखमीना लगाने का provision है और मशीनरी की कीमत लगाने की ज़रूरत ही नहीं। इस का और कोई मतलब नहीं है। इस के यह माने नहीं हैं कि जो machinery किसी जगह को गन्दी करती हो उस को न हटाया जाए।

Mr. Speaker : Question is—

In line 2 of the sub-clause (a) of clause 2, delete words from "but............to building".

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

DISCUSSION ON ADJOURNMENT MOTION REG. FLOODS IN VARIOUS AREAS OF THE STATE

Dr. Mangal Sein (Rohtak) : Sir, I beg to move :—

That the Assembly do now adjourn.

स्पीकर साहिब, पंजाब असैम्बली के इतिहास में बटवारे के बाद यह पहला अवसर है जब कि एक adjournment motion पर विचार करने का अवसर सदस्यों को मिल रहा है। सब से पहले मुझे इस House के उन चार hon. Members का शुक्रिया अदा करना है जिन्होंने जनता की दुख भरी आवाज़ को सुन कर, दुखी इनसानों के दिलों की पुकार को सुन कर हमारा साथ देकर इस Adjournment Motion को admit करवाया। स्पीकर साहिब, पंजाब एक सीमावर्ती सूबा है। इस सरकार की गलतियों की वजह से यहां अनेकों समस्याएं मौजूद हैं और इन को सही

**Note*.—On 17th October, 1960 the following Adjourment Motion given notice of by Dr. Mangal Sein, etc., was held in order by the Chair and leave to move granted by the House.

Dr. Mangal Sein, M.L.A. : To ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter of urgent public importance, namely, the Submergence of hundreds of villages under water in the districts of Patiala, Sangrur, Hissar, Gurgaon in general and Rohtak in particular and varsous other areas in the Punjab State, destruction of standing crops worth crores of rupees and the damage caused to Rohtak town on account of breaches in Drain No. 8.

[Dr. Mangal Sein]
ढंग से और समय पर tackle न कर सकने के कारण तबाही हो रही है और सारे देश का ध्यान इधर आकर्षित हो रहा है।

पंजाब नहीं सारे देश का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है। स्पीकर साहिब, हम उस तबाही को अच्छी तरह से जानते हैं जो कि floods ने रोहतक, हिसार, कांगड़ा, करनाल, गुड़गांव, संगरूर तथा पटियाला में मचाई। मैं ने जहां तक अपने छोटे से जीवन में बाढ़ें देखी हैं इतनी भयंकर बाढ़ कभी नहीं आई। अगर यह बाढ़ कुदरत की तरफ से आई होती तो मान लेते कि प्रकृति ही रूठ गई है, हमारी किस्मत ही ऐसी है लेकिन, जनाब स्पीकर साहिब, इस बाढ़ का कारण सरकार की साज़िश है। और यह calamity man-made है, कुदरती नहीं। स्पीकर साहिब, इस बाढ़ के पीछे कौन कौन है, यह मैं आपकी सेवा में अर्ज़ करना चाहता हूं। स्पीकर साहिब, अगस्त के शुरू महीने में सारे पंजाब में बारिशें हुईं लेकिन जो तबाही बाढ़ ने गोहाना तहसील में भंडेरी कलां में खासतौर से मचाई वैसी कहीं ही होगी। पानी से सारा गांव भर गया और वहां पर 8 फुट तक पानी भरा रहा। शाम तक इतला रैवन्यू मजिस्ट्रेट को देदी गई, तहसीलदार को दे दी गई लेकिन वहां पर कोई नहीं आया। वहां पर इतना पानी खड़ा हुआ कि आज भी भरा पड़ा है और पानी खड़ा रहने के कारण कालरा फैल गया। लोगों की मौतें हुई। स्पीकर साहिब, कल्पना कीजिए कि लोगों ने अपने नौजवान बेटों को बजाए इसके कि शमशान में जा कर दफनाते, घरों के अन्दर ही गढ़े खोद खोद कर दफनाया और मिट्टी का तेल छिड़क छिड़क कर जलाया। गवर्नमैंट मैडीकल डिपार्टमैंट को इत्तला दी गई लेकिन उन के यहां से कोई भी उस जगह नहीं आया सिर्फ सोश्यल वर्कर्ज़ ने ही काम किया।

स्पीकर साहिब, गोहाना तहसील में बारिश ने तूफान मचाया। जनाब स्पीकर साहिब, करनाल ज़िले से ड्रेन नम्बर 8 निकलती है जो गोहाना, रोहतक से होती हुई झज्जर तहसील में जा कर विशाल झील का रूप धारण कर लेती है और दर्जनों गांव बरबाद करती है। 1956 में भी यह ड्रेन काबू से बाहर हो गई थी और उस समय भी इस का इन्तज़ाम करने के लिए इस हाउस में मांग की गई थी लेकिन इस की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। स्पीकर साहिब, उस ड्रेन में खेडी धमताँन ड्रेन और दूसरी ड्रेन्ज़ भी लाकर डाल दीं इस लिए यह तबाही हुई लेकिन यह दलील दी जाती है कि इस बार पानी तीन गुना ज़्यादा बरसा लेकिन हकीकत यह है कि तबाही पानी के बरसने से नहीं बल्कि पानी का ठीक रूप से निकास न होने के कारण हुई। यहां पर, स्पीकर साहिब, जो सियासत चल रही है उसके कारण यह तबाही हुई। और यह सियासत लोगों की जानों से खिलवाड़ करके चलाई जा रही है। यही नहीं गुरदासपुर से, होशियारपुर से, फीरोज़पुर से ला कर उस इलाके में लोगों को बसाया जा रहा है। थानेसर तहसील में पहले तो लोगों को 7 साल के पट्टे पर ज़मीन दी गई थी और अब 20 साल के पट्टे पर ज़मीन दी गई है। हमारे दोस्त श्री राम प्यारा ने कई बार आवाज़ बुलन्द की लेकिन नक्कार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता है। तो जनाब, बात 8 नम्बर ड्रेन की है कि इस ड्रेन के कारण रोहतक ज़िले में तबाही हुई। लेकिन इसकी तरफ, स्पीकर साहिब, इस लिए ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि

यह ज़िला सरकार के ज़ुल्मों का मुकाबला करता है। इस लिए सरकार भी चाहती है कि बेशक इसकी तबाही हो जाने दो। यह सरकार की साज़िश है। उस ज़िले में 807 गांव हैं जिनमें से 533 गांवों का बहुत भारी नुक्सान हुआ है और करीब 13,404 मकान पूरी तरह से बरबाद हो गए हैं और इतने ही लगभग पार्टली डैमेज हो गए हैं। 2 लाख 13 हज़ार एकड़ ज़मीन में जो फसलें खड़ी थीं वह भी बरबाद हो चुकीं और एक लाख एकड़ धरती तो ऐसी है जहां रबी की फसल बोई नहीं जा सकती और 10 हज़ार एकड़ धरती में गन्ना की फसल खड़ी थी वह भी बरबाद हो गई।

स्पीकर साहिब, 28 अगस्त की बात है। डिप्टी कमिश्नर टैलीफून करते हैं कि मंगल सैन तुम यहां आ जाओ। मैं जाकर देखता हूं तो उन के पास रिमौडलिंग के एक्स. ई. एन. और एस० पी० साहिब बैठे हैं। उन्होंने कहा कि हम ने पानी छोटीजमातपुर की तरफ निकाल दिया लेकिन अब हमारे पास लेबर नहीं है आप कृपा करके हमें वालंटियर्स दीजिए। मैं ने उन की बात को स्वीकार किया। क्योंकि हमारा इख्तलाफ सरकारी पार्टी से तो हो सकता है लेकिन लोगों से नहीं। हमने वालंटियर्स दिए लेकिन जब कस्सी मांगी तो जवाब मिला कि कस्सी नहीं है, हम ने gunny bags मांगे लेकिन वह भी नहीं मिले। और सरकार की तरफ से यही कहा गया कि हमारे पास तो इस का कोई इंतज़ाम नहीं है। ऐसी हालत में बांध कैसे रेज़ किया जाता। लेकिन फिर हमने शहर से मांग-तांग कर बांध बनाया। लेकिन आप हैरान होंगे, स्पीकर साहिब, कि जो अफसरान हमें बुला कर यह कहते हैं कि मंगल सैन हमारी मदद करो वे अफसरान उस वक्त कोई मदद नहीं करते। यानी सरकार के अफसरान ने हरगिज़ भी मदद नहीं की। यह इन अफसरान की हालत है लेकिन स्पीकर साहिब यह तेज़ हैं किस बात में—अगर अहसान फरामोशी करनी हो और झूठ को सच बोलना हो। उस के बाद मैं श्री ज्ञान सिंह काहलों के पास डेप्यूटेशन ले कर गया जो उस वक्त वहां आए हुए थे। मैं ने उन से कहा कि फाइनेंशल कमिश्नर साहिब, मामला पेचीदा है और वह इस लिए कि S. P. ने कुछ volunteers दिए जिन में जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, कांग्रेस और social spirited लोग भी शामिल थे। इन volunteers ने 9 फुट का शिगाफ बन्द किया लेकिन बदकिस्मती से 70 फुट का शिगाफ शूगर मिल के साथ और हो गया। मामले की seriousness को देख कर मैं ने कहा कि army को summon कर लें। लेकिन S. P. साहिब ने कहा "Mangal Sein, don't be panicky. Don't create panic. मैं ने कहा कि मैं panicky नहीं हूं। आप मुझे panic create करने वाला कैसे कह रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि Go and have a sound sleep, एक बून्द भी पानी की अन्दर नहीं आएगी। मैं ने उन्हें कहा कि यह ठीक है कि आप का काम लोगों के morale को ऊंचा करना है लेकिन मैं आप को बता दूं कि हालत बहुत serious है। निराश होकर मैं ने मुख्य मंत्री को तार दिया और राज्यपाल को तार दिया लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। 30 तारीख को मैं ने फिर राज्यपाल महोदय को request की कि army भेजें। मुख्य मन्त्री को खुद trunk call की ताकि ऐसा न

[श्री मंगल सैन]

हो मुख्य मन्त्री जी कह दें कि मेरे notice में नहीं आया। उन के P. A. ने जवाब दिया कि वह स्नान कर रहे हैं। उस के बाद फिर trunk call की तो जबाब मिला कि चीफ मिनिस्टर साहिब सो रहे हैं। मैं ने कहा कि अगर मेरे कहने पर नहीं करना चाहते तो कम से कम लोगों का तो ख्याल करें लेकिन मेरी बात नहीं सुनी गई। लोग तबाह हो गए लेकिन उन की कोई सहायता नहीं की गई। अगर उन की वक्त पर मदद की गई होती तो यह संकट न आता।

श्री अध्यक्ष : आप ने कुछ वक्त Government की condemnation पर लगा दिया और कुछ अपनी तारीफ पर कि मैं ने यह किया। अब यह भी बताएं कि आप गवर्नमेंट से चाहते क्या हैं। (You have exhausted your time either in the condemnation of Government or self praise. Now let the House know as to what do you want the Government to do.)

श्री मंगल सैन : आप इसे ग़लतफहमी में ले रहे हैं। मैं ने कभी नहीं कहा कि मैं ने यह किया। मैं ने कहा है कि लोग मुसीबत में हैं।

श्री अध्यक्ष : Calamity को दूर करने का भी तरीका बताएं। (The hon. Member may suggest some remedy also to overcome this calamity.)

श्री मंगल सैन : 8 तारीख को मिलिट्री ने breach को plug कर दिया। उस के बाद चीफ इंजीनियर साहिब ने कहा कि दो हफ्तों के अन्दर पानी निकाल देंगे। 16 तारीख को फिर पूछा तो उन्होंने ने कहा कि एक महीना लगेगा। उस के बाद 23 तारीख को जब मुख्य मंत्री साहिब आए तो उन्होंने आश्वासन दिया कि पांच हफ्ते पानी निकालने में लगेंगे। लेकिन आज दो महीने हो गए हैं शहर में से पानी नहीं निकाला गया। लगभग सारा शहर पानी में डूबा हुआ है, 70 हज़ार के करीब लोग शहर छोड़ कर चले गए हैं।

श्री अध्यक्ष : यह तो सब कुछ हुआ लेकिन आप ने कहना क्या है। (All this happened no doubt but what does he want to suggest to the Government.)

श्री मंगल सैन : अगर आप ने allow ही नहीं करना कि बताऊं कि गवर्नमेंट ने ग़लती कहां की है तो मैं बैठ जाता हूं।

Mr. Speaker : But there are other Members to speak.

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of order. मैं यह दरियाफ्त करना चाहता हूं कि आया आनरेबल मेम्बर irrelevant हो रहे हैं या कौन सी बात हो रही है। आखर जब कोई मेम्बर खड़ा होगा तो वह अपनी पार्टी का point of view बतलाएगा ही।

Mr. Speaker: My difficulty is that the time at my disposal is very short and I know that when Pandit jee himself will be on his legs he will also ask for more time. Since the number of members wishing to speak is large the hon. Members should take less time so that all of them may be accommodated.

पंडित श्री राम शर्मा : Mover को तो ज़्यादा time दे दें ।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहिब, मैं हाउस का वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता..........

Minister for Irrigation and Power : On a point of information, Sir. How much time can an hon. Member take while speaking on an adjournment motion ?

श्री अध्यक्ष : जितनी देर relevant रहेंगे reasonable time ले सकेंगे । (He can take reasonable time so long as he is relevant.)

श्री मंगल सैन : गवर्नमेंट कालेज रोहतक के प्रिंसीपल के खिलाफ fraud के केस में summons जारी करने का हुकम जारी हो चुका था लेकिन उस के कालेज का सारा record गरक कर दिया गया । मैं समझता हूं कि जान बूझ कर यह गड़बड़ की गई है । दुनिया हंसती है कि इन से दो महीने के अन्दर पानी नहीं निकल सका और रेडियो पाकिस्तान वाले ठीक ही मज़ाक उड़ाते हैं कि ये महाशे इकट्ठे हो गए हैं, ये पांच हज़ार फौज की मदद से भी एक ड्रेन को नहीं संभाल सके । स्पीकर साहिब, अवाम के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है । अगर हमारे मुख्य मन्त्री अवाम के साथ प्यार करते हैं तो मैं उन्हें request करना चाहता हूं कि जिस तरह बठिंडा में 3 आदमियों के मरने पर judicial inquiry करवाई गई है उसी तरह रोहतक में जहां कि 50 आदमी मर गए judicial inquiry करवाई जाय और जो अफसर गुनाहगार हैं उन्हें suspend किया जाय । इस के अतिरिक्त मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि drain No. 8 को divert कर के जमुना में डाल दिया जाय । ड्रेन नम्बर आठ में से पानी निकालने के लिये भी कोई न कोई योजना सरकार को बनानी चाहिए । सरकार को अमली तौर पर इस सम्बन्ध में कदम उठाने चाहिएं । यह चीज़ ठेकेदारों पर नहीं छोड़नी चाहिए वरना वे हेरा फेरी करेंगे । सड़कों और इमारतों की हालत बहुत खराब हो चुकी है इस लिये गवर्नमैंट को फौरी तौर पर इस तरफ कदम उठाने चाहियें । लोकल बाडीज़ को ग्रांट के तौर पर रुपया दिया जाना चाहिये । जो ग्रांन्ट पहले दी गई है वह बहुत थोड़ी है । एक सौ रुपये में तो कच्चा मकान भी नहीं बनता । कच्चा मकान बनाने के लिये पांच सौ रुपया मिलना चाहिए और पक्का मकान बनाने के लिये एक हज़ार रुपया दिया जाना चाहिये । जो लोग लोन लेना चाहते हैं उन को पांच हज़ार रुपया मिलना चाहिये । अगर ऐसा किया जाए तो हम समझेंगे कि वाकई सरकार को उन लोगों से हमदर्दी है । मैं यह बात सरकार को कहना चाहता हूं कि ज़मीन की बड़ी किल्लत है, गांव में ईंटें भी नहीं मिलतीं । मैं कहूंगा कि सरकार चाहे अपने यारों और दोस्तों को ही भट्ठों का लाइसेंस दे उसे चाहिये कि गांव में ईंटों के भट्ठों के लिये नए लाइसेंस दे । गांव में जल्दी ही ईंटों का प्रबन्ध होना चाहिये ।

[श्री मंगल सैन]

स्पीकर साहिब, हाउस का वक्त बड़ा कीमती है इस लिये मैं एक दो बातें कह कर ही अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। मैं जहां सरकार के कुछ अफसरों की भरसक निन्दा करना चाहता हूं वहां पर कुछ अफसरों के काम की प्रशंसा भी करना चाहता हूं। लेकिन मुझे डर है कि कहीं मुख्य मंत्री उन को घर जाते ही suspend न कर दें कि एक विरोधी दल के मैम्बर ने उन की प्रशंसा की है। लूथरा साहिब और चौहान साहिब ने वहां पर रातों खड़े हो कर काम किया है। उन्होंने पंजाब सरकार के नौकर होने की वजह से इतना सख्त काम नहीं किया बल्कि लोक भलाई के दृष्टिकोण से उन्होंने काम किया है। सिविल सर्जन सोंधी साहिब के काम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी थोड़ी है....

आवाजें : उन को क्यों मरवाते हो ?

श्री मंगल सैन : अफसर माल सरदार हरबंस सिंह ने भी बड़ा प्रशंसनीय काम किया है। पुलिस के अफसर रात दिन बंध के ऊपर जागते रहे हैं। उन्होंने किसी किस्म का दंगा फसाद नहीं होने दिया। इरीगेशन के महकमे ने बिलकुल अच्छा काम नहीं किया। अगर मुख्य मंत्री मेरी बात मानें तो उन सब को suspend कर दें। जब लाल बहादुर शास्त्री के महकमे से गलती हो गई थी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कि मेरे महकमे से गलती हो गई है। मैं हाउस में मांग करता हूं कि चूंकि यह गलती राओ साहिब के महकमे की है उन्हें resign कर देना चाहिये। *(Interruptions)*

Mr. Speaker : Motion moved—

That the House do now adjourn,

श्री अध्यक्ष : चूंकि वक्त बहुत थोड़ा रह गया है इस लिये मैम्बर साहिबान को एक एक और दो दो मिनटों में अपनी तकरीर खत्म कर देनी चाहिये।

(As the time left at the disposal of the House is very short the hon. members may please finish their speeches within a minute or two.)

चौधरी सिरी चन्द : (बोलने के लिये खड़े होते हुए) अगर दो चार मिनट ज़्यादा लग जाएं तो कोई फांसी तो नहीं लग जाती।

श्री अध्यक्ष : मैं इस बात को बहुत बुरा समझता हूं। आप को लफज़ वापस लेने पड़ेंगे। (I take strong exception to these remarks. The hon. Member will have to withdraw them.)

Chaudhri Sri Chand : I am very sorry, Sir.

श्री अध्यक्ष : गवर्नमेंट की पालिसी बताने के लिये मिनिस्टर ने जवाब देना है। आप एक पुराने पार्लिमेंटेरियन हैं आप को ऐसे लफज़ नहीं इस्तेमाल करने चाहियें थे। You must be sorry. (The Minister has to give reply to the debate and also state the policy of the Government in this respect. The hon. Member is an old parliamentarian He should not have used such words. He must be sorry for it.)

चौधरी सिरी चन्द : आप मुझे बताएं कि मुझे टाईम कितना मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष : आप को अपनी जजमेंट इस्तेमाल करनी चाहिये और जितना वक्त बहुत ज़रूरी हो उतना लेना चाहिये । (The hon. Member should use his judgement and take only that much time as is very necessary.)

चौधरी सिरी चन्द (बहादुरगढ़) : साहिबेसदर, जैसे कि मेरे लायक दोस्त ने बताया है रोहतक ज़िले में वाकई ऐसे floods आए जिन की मिसाल हिस्ट्री में नहीं मिलती। इन floods की वजह यह है कि इस साल पहली अगस्त से ले कर 27 अगस्त तक 32 इंच बारिश हुई जहां कि पहले कभी ज़िला रोहतक में किसी साल एक महीने में 18 इंच से ज़्यादा बारिश नहीं हुई। पहली वजह इस बाढ़ की यह थी और दूसरी वजह यह हुई कि ज़्यादा बारिशें होने की वजह से नाई नाला और इंदरी ड्रेन के ज़रिये करनाल ज़िले का पानी भी ढलान होने की वजह से रोहतक ज़िले की तरफ चला गया। इस के लिये कई साहिबान सन् 1933 के साथ मुकाबला करते हैं। लेकिन उन्हें यह बात मालूम नहीं है कि उस वक्त वहां पर वाटर लैवल 60 फुट के करीब था मगर अब वाटर लैवल दस फुट के करीब है। इस लिये ज़मीन में ज़्यादा पानी समाने की गुंजायश नहीं रह गई थी। ड्रेन नम्बर आठ में पानी को capacity 950 cusecs है लेकिन 29,30 तारीख को वहां पर 3000 cusecs के करीब पानी चलता रहा है। मेरे लायक दोस्त ने कहा है कि इस बाढ के पीछे कोई साज़श थी। लेकिन यह नहीं बताया कि मिनिस्ट्री की साज़श थी या कि इन्द्र जी महाराज की साज़श थी। यह भी नहीं बताया कि परमात्मा के दिल में यह ख्याल आया कि रोहतक ज़िले में बाढ़ भेज दो क्योंकि वहां पर मेरे लायक दोस्त के बहुत से मकानात हैं और उन्हों ने वहां पर बहुत सी खेती बोई हुई है वह सब तबाह हो जाए। मैं कहना यह चाहता हूं कि इस में साज़श की कोई बात नहीं है यह तो कुदरती बात है कि बारिशें ज़्यादा हुईं, पानी इतना आ गया कि ड्रेन्ज़ में नहीं समा सका। मेरे लायक दोस्त ने फरमाया है कि जब 28 तारीख को ब्रीच हुई तो डिप्टी कमिश्नर ने सब से पहले उन को बुलाया और उन से कहा कि लोगों को बुला दो जो कि इन्होंने किया। यह खुद कहते हैं कि अढ़ाई सौ जवान ले कर मौके पर पहुंच गए। आप अंदाज़ा लगाइए कि रोहतक की आबादी एक लाख तीस हज़ार है उस में से सिर्फ 250 जवान लेकर यह मौके पर पहुंचे। इस से जाहिर होता है आप का रसूख, और डिप्टी कमिश्नर साहिब ने आप को बुला भेजा कि आइये साहिब बांध में ब्रीच हो गई है आ कर हमारी मदद करो। मैं आप से कहना चाहता हूं कि कौन लोग थे जिन्होंने ब्रीच बन्द की। जब 28 तारीख को ब्रीच हुई तो शहर के लोगों और पुलिस के जवानों ने मिल कर ब्रीच बन्द की। दूसरे दिन जब 29 तारीख को ब्रीच हुई तो जिन लोगों ने काम किया उन में से कुछ शहर के लोग थे, कुछ पुलिस के नौजवान थे और उन में म्युनिसिपल कमेटी के एम्पलाईज़ भी थे। लेकिन यह ब्रीच बन्द न हो सकी। चुनांचि इंजीनियर्ज़ ने यह सोचा कि रेलवे track पर बांध लगा दिया जाए, वह ऊंची

[चौधरी सिरी चन्द]

जगह है पानी क्रास नहीं करेगा। यह हिम्मत पुलिस वालों की और म्युनिसिपल कमेटी के मुलाज़मों की ही थी कि उन्होंने बन्द लगाने के लिये काम किया।

चार पांच दिन तो, जनाब, ये लोग वहां तमाशा देखते रहे। वहां बीड़ी बेचते हे। इन्होंने तो वहां पर दुकानें लगाई हुई थीं। ये तो अपनी families को साथ लेकर शाम को सैर करने निकल जाते थे और अगर इन को कहा जाता कि तुम मुट्ठी भर मिट्टी डाल दो तो यह उस के लिए भी न कर देते थे। इस पर भी मेरे लायक दोस्त कहते हैं कि हम ने यह किया, हम न वह किया। मैं, जनाब, आप को बताता हूं कि ये तो फोटो खिचवाते रहे। इन के तो हर pose का फोटो होगा। (*Interruptions*)

7.00 p.m.

श्री मंगल सैन : यह गलत बात है।

चौधरी सिरी चन्द : मैं ठीक कहता हूं कि उस वक्त भी लोगों को फोटो खिचवाने का शौक था। अगर मेरे लायक दोस्त की फोटो न होगी तो और किसी दूसरे लोगों की फोटो होंगी जो फोटो खिचवाते रहे हैं। मगर यह बात साफ है कि मेरे लायक दोस्त इतने busy रहे कि इन को तीन तीन घंटे लगातार फोन पर बैठने की फुरसत थी क्योंकि तीन घंटे से पहले तो चंडीगढ़ के लिये फोन connection मिल ही नहीं सकता था। उन दिनों टैलीफोन पर तो कई दफा तीन २ घंटे बैठे रहे और फिर बांध पर जाकर कितना काम किया होगा इस का जनाब खुद अन्दाज़ा कर लें।

कहते हैं कि रोहतक में अफसरान ने कोई काम नहीं किया। स्पीकर साहिब, आपने लखनऊ की बाबत पढ़ा होगा वहां भी floods से भारी नुक्सान हुआ। इस दौरान वहां डाके पड़े, चोरियां हुईं, लोगों की गिरफ्तारियां हुईं लेकिन क्या यह काबले दाद बात नहीं कि रोहतक ज़िले में कहीं चोरी का एक वाक्या नहीं हुआ, एक पैसे की चोरी नहीं हुई, एक दिन के लिये वहां तार और डाक का काम बन्द नहीं हुआ। वहां कोई आदमी किसी बीमारी से नहीं मरा। (*cheers*) सिर्फ एक लड़के की मौत हुई जो बेचारा दलदल में फंस गया और मर गया। कोई service वहां interrupt नहीं हुई। और आप बताएं कि पंडित जवाहर लाल नेहरू, हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे चौधरी सूरज मल, राओ साहिब, Financial Commissioner और कौन अफसर हैं जो वहां न पहुंचे हों। मुझे पता है कि रोहतक के आसपास 553 गांव पानी में डूबे हुए थे और वहां सिपाही ही नहीं बल्कि 5000 फौजी सिपाही दिन रात 24 घंटे इतने पानी में खड़े रहे और यह मेरे लायक दोस्त यहां आकर इस बात की दुहाई देते हैं कि अगर वह वहां न होते तो बांध ही न बांधा जाता। इन्होंने फरमाया कि ये सिपाही वहां खड़े रहे और बांध मेरे दोस्त ने खुद बांधा। क्या काम किया इन्होंने सिवाए इस के कि कभी यहां तार दे दी कि फौजी काम नहीं कर रहे और कभी तार दे दिया कि अफसरान काम नहीं कर रहे। जनाब, इन की सेवा का नमूना तो देखिए कि तीन पैसे की दिया सलाई इन्होंने चार चार आने में फौजियों को बेची (हंसी) यह हालत थी वहां black market की। (*Interruptions*) साहिबे सदर, एक मिसाल इन की लीडरी की बताता हूं। यह हकीकत है, आप तहक़ीकात कर के देख लें। फौजियों को हुक्म हुआ

कि हस्पताल में से मरीज़ों को निकालना है। मरीज़ हस्पताल की दूसरी मंज़िल पर थे। उस building में पांच पांच फुट पानी था। फौज ने दो ट्रक इस काम के लिए अलग कर दिए। लेकिन स्पीकर साहिब, उन ट्रकों को हमारे ये लीडर साहिब ले गए, उन पर बैठ कर बाहर पानी में सैर करते रहे और इस बात का भी इन को ख्याल न आया कि मरीज़ों को वहां से निकालना है। तीन बजे तक उन दोनों ट्रकों को लेकर फिरते रहे और मरीज़ हस्पताल में बैठे रहे (*Interruptions*) इस दौरान में बताएं, कि कौन सी service थी जो fail हुई। क्या मेरे लायक दोस्त उन services को चलाते रहे? (हंसी) (*Interruptions*)

श्री अध्यक्ष : मैं ने तो पहले ही कहा था कि अपनी इतनी तारीफ मत करो। (I had already pointed out to the hon. Member not to indulge in so much of self praise.)

चौधरी सिरी चन्द : जनाब, पहले इन्होंने Deputy Commissioner की तारीफ की, फिर S. P. की तारीफ की, फिर दूसरे officers की तारीफ की तो मैं पूछता हूं कि फिर बुराई किस की कर रहे हो?

एक माननीय सदस्य : Irrigation department वालों की।

चौधरी सिरी चन्द : वह बेचारे तो काम करने में सब से आगे थे। मैं आप को बताऊं कि एक सरदार हरि सिंह हैं। वह 24 घंटों पानी में घुसा रहा (*cheers*) और फिर Irrigation वाले करते क्या? 9000 C.F. पानी था जिस को drain out करना था जो flow से नहीं जा सकता था। रोहतक की आबादी तो एक लाख 30 हजार के करीब है और मेरा ख्याल है कि मेरे लायक दोस्त दो लाख 60 हज़ार नौजवानों को लेकर वहां पहुंचे होंगे। (हंसी) जनाब, डेढ़ २ घंटा तो यह लीडर डी. सी. के पास जाकर बैठे रहे और उन से clarifications ही मांगते रहे। कभी दिल्ली से किसी को बुला लिया, कभी यहां पर किसी को तार दे दिया और इन बातों पर ही हमारे ये लीडर साहिबान यह समझ बैठे हैं कि उन्होंने सब से बढ़ चढ़ कर काम कर लिया। कहते हैं कि वहां का पानी क्यों नहीं निकाला गया।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहिब, अब छोड़ए बेचारे का पीछा। (The hon. Member may now spare him.)

चौधरी सिरी चन्द : मैं पूछता हूं कि मेरे इन दोस्तों की वहां जायदाद ही कितनी है? मेरे लायक दोस्त के पास न मकान है, न दो बीघा ज़मीन है खेती करने के लिये। (Interruptions) मेरे तो वहां तीन मकान हैं। तीनों पानी में डूबे हुए थे। और आज खबर मिली है कि फर्श में से पानी निकल गया है। आज तक तो वह पानी में ही थे। लेकिन मैं जानता हूं कि यह भगवान की मर्ज़ी है। कभी कभी ऐसी बातें हो ही जाती हैं। 9,000 C.F. पानी पंपिंग के ज़रिए निकालना कोई मजाक की बात तो है नहीं। कहते हैं कि दो महीने लग गए। स्पीकर साहिब, अगर चार महीने लग जाते तो फिर यह

[चौधरी सिरी चन्द]
क्या कर लेते? कहते हैं कि साहिब, इन्होंने टाईम दिया था कि इतने दिनों के अन्दर पानी निकाल देंगे, फलां तारीख तक पानी निकाल देंगे। क्या यह भी कोई बयाह था जो कि खास तारीख मुकर्रर तक ही हो जाता? (हंसी) कोशिश की गई थी और अगर इस में कामयाबी मिल गई है तो अच्छी बात है, मुबारिक बात है। फरमाते हैं कि चीफ़ मिनिस्टर साहिब ने तारीख जो दी थी। जनाब, मैं आप को बताता हूं कि चीफ़ मिनिस्टर साहिब ने इन की मौजूदगी में अफसरान को कहा कि दो लाख, चार लाख जितना रुपया की ज़रूरत हो खर्च कर डालो लेकिन जितनी जल्दी हो सके इस मुसीबत से इस इलाका को निजात दिलाना है। रुपये की कोई परवाह न करना। शहर में से जल्दी से जल्दी पानी निकालो। बल्कि चीफ़ मिनिस्टर साहिब ने तो यहां तक कह दिया था कि मैं चाहता हूं कि एक महीने में नहीं 15 दिन के अन्दर अन्दर यह काम पूरा हो जाना चाहिए। (*cheers*) इस से साबित होता है कि गवर्नमेंट जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद उस वक्त कर सकती थी उस ने की। लेकिन मेरे लायक दोस्त तो इसी बात की रट लगाये जा रहे हैं कि इन्होंने तो एक साज़श कर रखी थी मेरे लायक दोस्त के खिलाफ (हंसी) और मेरे लायक दोस्त उस मुसीबत का मुकाबला करने के लिये दिन रात मेहनत करते रहे हैं। स्पीकर साहिब, यह जितनी मेहनत करते रहे हैं यह तो इन की जसामत से ही पता लग जाता है कि इन्होंने कितनी भाग दौड़ की होगी। (हंसी)

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहिब, मैं ने किसी आनरेबल मैम्बर साहिब के बारे में इस तरह की ज़ाती बातें नहीं कहीं जो कि अब यह कह रहे हैं.......(*Interruptions*)

चौधरी सिरी चन्द : स्पीकर साहिब, मैं अब यह बताना चाहता हूं कि तीसरी पांच साला प्लान में 10 लाख रुपया सालाना खर्च कर के गवर्नमैंट इस इलाका में drains बनाना चाहती है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर ऐसे ही किया गया तो रोहतक का ज़िला डूब जाएगा, उसे कोई बचा नहीं सकता। हम यह चाहते हैं कि जो रुपया पांच सालों में खर्च किया जाना है उसे एक ही साल में खर्च किया जाए और जो काम पांच सालों में करना है उसे एक ही साल में मुकम्मल कर लिया जाए ताकि आगे के लिये इस तरह की नागहानी मुसीबत का सामना न करना पड़े। ठीक है कि इस प्रोग्राम को split up करने से कुछ अफसरों को ज़रूर कुछ फायदा होगा कि एक साल कुछ काम किया और अगले साल कह दिया कि वह हिस्सा बह गया। फिर थोड़ा सा काम किया और अगले साल उसी पहली बात को repeat कर दिया। मैं, जनाब, करनाल के डिप्टी कमिश्नर साहिब से मिल आया हूं और नकशे भी देख आया हूं। एक ड्रेन से काम नहीं चलेगा। एक दुभैटे से जमुना में पहुंचती है। छः नम्बर की ड्रेन है। गोहाना का पानी 8 नम्बर की ड्रेन से निकलता है। इस लिये अगर एक ही दरिया बनाना चाहते हैं तो उससे काम नहीं चलेगा। मैं ने इंजीनियरों से पूछा तो उन्होंने बताया कि यह काम एक साल में नहीं हो सकेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर एक साल में नहीं होगा तो वह पांच साल में भी नहीं होने देंगे। अगर रोहतक ज़िले को बचाना है तो यह सारी ड्रेन्ज़ बनानी होंगी। मेरे लायक दोस्त सिंचाई मन्त्री ने कहा था कि इन्द्री ड्रेन का 300 cusecs पानी दूसरी तरफ जाता है। मगर मैं करनाल हो कर आया हूं। इन्द्री ड्रेन

का 300 cusecs पानी 8 नम्बर ड्रेन में पड़ता है। उस सारे इलाके का पानी, दिल्ली की नहर का पानी करनाल की तरफ drain से जाता है। यह drain पानीपत की तरफ जाती है। उस नहर के नीचे syphon लगा कर बहुत से पानी को मोड़ा जा सकता है। दुभेटे में तीन चार drains इकट्ठी होती हैं। इस सिलसिले में अर्ज करूंगा कि आपके Engineer साहिबान जो schemes बनाएं उस के बारे हमें पहले बता दिया करें। उन की मंजूरी आने से पहले बताएं। यह नहीं कि बाद में यह कहें कि अब तो मन्जूरी आ गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। हम laymen ज़रूर हैं मगर हम ज़मीन को जानते हैं और Engineer साहिबान कागज़ों को जानते हैं। हम यह बता सकते हैं कि यहां से पानी निकल सकता है।

रोहतक ज़िला Chief Minister साहिब और दूसरे वज़ीर साहिबान की मशकूर है जो वहां तशरीफ ले गए और उन अफसरान का भी मशकूर है जिन्होंने दिन रात मेहनत की और कई मुसीबतों का सामना किया। एक वक्त पर water works के पानी के नीचे आ जाने का डर था और डर था कि शहर के पानी की supply कहीं बन्द न हो जाए। बहादुरगढ़ से बिजली आती है। डर था कि वहां पर पानी चला जायगा। इस को भी अफसरों ने बचाया। 533 गांव में पानी आया है। इन की मदद भी अफसरान कर रहे हैं मगर हमारे लायक दोस्त कहते हैं कि साज़श कर रहे हैं। मगर हिम्मत इतनी भी नहीं कि अपनी बात पर डटे ही रहते। मान गए कि D. C. ने बड़ा काम किया, सोंधी साहिब ने बड़ा काम किया। मैं कहता हूं कोई अफसर नहीं जिस ने जितना काम उस से हो सकता हो, न किया हो। (तालियां) (घंटी) अगर अफसरान काम न करते तो तबाही हो जाती। आप का शुक्रिया।

ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ (ਨੂਰਮਹਿਲ): ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1933 ਵਿਚ ਰੋਹਤਕ ਵਿਚ floods ਆਏ। ਏਥੇ ਸਿਰਫ ਰੋਹਤਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਓਥੇ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਉਥੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ। ਬਾਰਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸੁਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਏਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ drain ਦੀ capacity ਜਿਤਨੀ normal ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, organisation ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ। ਏਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਕੱਲੇ ਰੋਹਤਕ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਿਚ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ। ਜ਼ਿਲਾ ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹਾਂਸੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

[ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ]

ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ । ਜੇ ਇਹ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਨਾ ਰੁਪਿਆ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਰੋਹਤਕ ਵਿਚ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ figures ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚੋਂ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ free disburse ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ । 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਾਵੀ loans ਦਿਤੇ ਹਨ । ਜਿਤਨਾ avail ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕ ਕਰ ਲੈਣ । ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ । ਮੈਂ ਰੋਹਤਕ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਥੇ depression ਹੈ ਅਤੇ buildings ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ drain out ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, pump out ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਤਨੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਕੇਵਲ ਢਾਈ ਸੌ ਆਦਮੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ । ਓਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ defence ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮਾ ਨਹੀਂ । ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਹਾਨੀ ਆਫਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਜੀ ਦਿਤੇ । ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ । ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜਲਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਵਾਲੇ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਪਿਆ ਦਿਤਾ । ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਮਦਦ ਦਿਤੀ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕਢਿਆ ਜਾਏ । ਇਕੱਲਾ ਰੋਹਤਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਇਸ ਬਾੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ । ਜਹਾਜ਼ ਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਛੂਛਕ ਵਾਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਖਲੋਤੇ ਹਨ । ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕਢਿਆ ਜਾਏ । ਜੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਉਂ ਭੁਲ ਗਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਇਕ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਤਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ distribution ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨੁਕਸ ਹੈ । ਏਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, 3rd Five-Year Plan ਤੇ discussion ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏਥੇ waterlogging ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਰੁਪਿਆ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਲਈਏ । ਜਿਤਨੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।

ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਸੰਸਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲਕਿ Centre ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰੋਕ ਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ challenge ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਨ ਸੰਘ ਲਗਾ ਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਓਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮਸਜਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਲਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਤਕ ਕਢਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਓਥੇ ਢਾਈ ਸੌ ਤੋਂ ਵਧ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਜਾ ਸਕੇ ਪਾਣੀ ਕਢਣਾ ਤੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਓਥੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਅੱਜ ਬੋਲੇ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਓਥੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਦਾ ਬਚਾ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ। ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਦਦ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਏਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ (ਸ੍ਰੀ ਮੰਗਲ ਸੈਨ ਵਲੋਂ ਵਿਘਨ) ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਪੁਲਿਸ ਸੀ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਡਾਕਟਰ ਮੰਗਲ ਸੈਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ। (Addressing Shri Mangal Sein) When he was making a speech the honourable Member listened to him very patiently.)

ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ : ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਏਸ ਕਰ ਕੇ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੀਏ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ disband ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਈ ਸੌ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈ।

(ਘੰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼)

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੌਜ਼ੂ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਵਕਤ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ speech ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨਾ Engineers ਨੇ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ Financial Commissioner ਨੇ ਉਥੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਥੇ ਖੁਦ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ working ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਖੁਦ

[ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ]

ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ, Minister for Industries, ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਸੂਰਜ ਮਲ ਉਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਰੁਪਿਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਦਿਓ ਔਰ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਵੀ pumping sets ਲਭਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਥੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ drain out ਕਰੋ, ਔਰ ਅਗੇ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ drains ਨੂੰ ਚੌੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਚੌੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ oppose ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸਾਤ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਕ ਨਾਗਹਾਨੀ ਆਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਗੋਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

चौधरी इन्द्र सिंह (जींद, जेनरल) : मुहतरिम स्पीकर साहिब, इस तहरीक इल्तवा के ज़रिये एक बहुत ही अहम मसले के ऊपर इस हाउस में बहस हो रही है। मैं जज़बाती तौर पर अपनी बातें नहीं कहना चाहता लेकिन असली बात यह है कि यह मसला कोई नया मसला नहीं है। पिछले कई सालों से पंजाब के मुखतलिफ़ हिस्सों में यह मसला हमारे सामने आता रहा है। और इस के इन्तज़ामात भी होते रहे हैं लेकिन एक बात पर मुझे सख्त अफसोस है जिस के लिये कि सरदार दरबारा सिंह ने व चौधरी सिरी चंद ने यह कहा कि यह आफत नागहानी थी। मैं इस बात से सहमत नहीं और न ही यह हकीकत है। दर असल पंजाब में वाटर लौगिंग का मसला बड़ी खौफनाक शक्ल अख्तियार कर रहा है, यह सब को पता है। और जब गवर्नर साहिब का ऐड्रेस पेश होता है तो इस का हर बार ज़िक्र होता है और इस के लिये बजट में एक अच्छी खासी रकम रखी जाती है। इस से गवर्नमैंट अच्छी तरह से वाकिफ़ है, इंजीनियर्स वाकिफ़ हैं। इस बाढ़ से न सिर्फ़ हमारी ज़मीन खराब होती है बल्कि फसल तबाह होती है, मकान गिर जाते हैं, ज़िन्दगियां खत्म हो जाती हैं, मवेशियों का नुकसान होता है, बीमारी फैलती है और अगर इन चीज़ों के तजुरबे के बाद यह कहा जाए कि इस साल की आफ़त नागहानी थी तो यह सिर्फ एक गैरज़िम्मेदार सरकार ही कह सकती है। हमें शिकायत इस बात की है कि यह सरकार जब शहरों में कोई तकलीफ होती है तो अखबारों की बड़ी बड़ी सुर्खियों में बढ़ा चढ़ा कर खबरें छपवाती है लेकिन देहात की तरफ कोई ध्यान नहीं देती। और सरकार ने इसी पालिसी के पेशेनज़र अपनी सारी तवज्जुह रोहतक के ऊपर लगा दी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जितना नुकसान रोहतक में हुआ उस से कहीं ज़्यादा संगरूर में हुआ है। और अगर यकीन न हो तो जा कर देख लें। और इस तबाही का कारण, स्पीकर साहिब, यह है कि जो ड्रेन्ज़ बनाई जा रही हैं वे साइंटिफिक तरीके से नहीं बनाई जा रहीं और इस के लिये परमात्मा ज़िम्मेदार नहीं, इस के लिये इंजीनियर्स ज़िम्मेदार हैं। आठ नम्बर ड्रेन का यह हाल है कि न तो यह समुन्दर में लगती है और न यह किसी दरिया में लगती है

और सरकार यह जानती थी कि इस का चौड़ा होना दरकार है लेकिन फिर भी यह कुछ नहीं करती। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार जानते हुए भूले नहीं और न इस चीज़ को झुठलाए कि इन ड्रेन्ज़ की वजह से ही यह तबाही होती है।

यह हो सकता है कि किसी वक्त वारिशें ज़्यादा हो जाती हैं लेकिन एक ज़िम्मेदार गवर्नमैंट का यह फ़र्ज़ है कि लोगों की तकलीफ़ों को दूर करें न कि सिर्फ़ यह कह कर टाल दे कि यह कहर तो कुदरत की तरफ से आया है। जनाब स्पीकर साहिब, हैरानी तब होती है कि बावजूद इस तबाही के, और इस की ज़िम्मेदार गवर्नमेंट है, यह जानते हुए भी इस की बड़ी बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं।

मैं, जनाब, गवर्नमेंट की ड्यूटी बतलाना चाहता हूं कि जब लोगों पर मुसीबत आती है तो इस का अव्वल फर्ज़ है कि उन को मुसीबतों से बचाए न कि यह चंडीगढ़ की बड़ी बड़ी कोठियों में आराम से बैठे रहें। मैं पूछना चाहता हूं गवर्नमेंट से कि जो लोग ड्रेनेज सिस्टम पर लगे हुए हैं उन के खिलाफ कोई ऐक्शन लिया गया? क्या गवर्नमैंट इन लोगों को मुजरिमों के कठघरे में खड़ा करने के लिये तैयार है? मैं यह बतलाता हूं कि अगर यह ऐसा करने के लिये तैयार हों तो यह बातें सब खत्म हो सकती हैं। और जो इन की गफलत की वजह से करोड़ों रुपया ज़ाया चला जाता है उस की बचत हो सकती है और लोगों का फायदा हो सकता है। मैं, स्पीकर साहब, आप की मार्फत यह मांग सरकार से करता हूं कि जिन इंजीनियरों ने इस काम की ज़िम्मेदारी ली और उसे वह पूरा नहीं कर सके उन के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए ताकि उन्हें अपनी गफलत का अहसास हो सके।

पंडित श्री राम शर्मा (सोनीपत): स्पीकर साहिब, adjournment motion का मामला खास अहमियत रखता है क्योंकि जिस तरह इस दफा सैलाब आए मेरे ख्याल में पंजाब में इस तरह के हालात कभी रुनुमा नहीं हुए और न ही कभी इस तरह की adjournment motion हाउस में आई। मेरे ख्याल में चौधरी सिरी चन्द की तकरीर के बाद गवर्नमेंट को अपने हक में सफाई देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट का बहुत सा बोझ हलका कर दिया है। लेकिन मैं न तो चौधरी सिरी चन्द से इत्तफाक करता हूं और न श्री मंगल सैन से क्योंकि मैं समझता हूं कि हर हालत में गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी थी। यह ज़िम्मेदारी दो तरीके से थी, एक तो long term के लिहाज़ से और दूसरे short term के लिहाज़ से। क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट के सामने यह मामला काफी देर से था और गवर्नमेंट ने सेम को रोकने के लिये चार करोड़ रुपया मन्ज़ूर किये हुआ था लेकिन उस में से ३५ लाख रुपया खर्च हुआ। फिर यह भी मालूम नहीं कि जिस इलाका के अन्दर यह मुसीबत आई है उस में इस ३५ लाख का कौन सा हिस्सा खर्च हुआ है। इस लिये यह कहना, कि गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी नहीं है, हक नहीं है। यह कहा गया कि बारिश ज़्यादा हो गई। मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट से छिप कर तो नहीं हुई। आखर पानी एक महीना तक पड़ता रहा। अगर गवर्नमेंट और कुछ न करती तो कम से कम जो drain थी उस का इन्तज़ाम तो किया जाता। अगर सरकार दूर अन्देशी

[पंडित श्री राम शर्मा]
से काम लेती तो अगर मुसीबत को avoid न किया जा सकता तो कम से कम उस में कमी ज़रूर पड़ सकती थी। मैं समझता हूं कि इस चीज़ को पार्टी पालेटिक्स में न डाल कर इस नज़रिया से सोचा जाय कि आयंदा यह मुसीबत न आए। Party politics में पड़ने से यह मसला हल नहीं हो सकता।

चौधरी भरत सिंह (गोहाना, जेनरल) : स्पीकर साहिब, मैं ज्यादा time न लेता हुआ आप को बताना चाहता हूं कि हमारे इलाका में floods किस कदर आए। इस से पहले 1958 में भी floods आए थे और गवर्नमेंट ने माना था कि 70 लाख का नुकसान हुआ है। उस के बाद अगर गवर्नमेंट तवज्जुह दे कर काम करती तो अब floods आने की नौबत न पहुंचती। इस के इलावा मैं यह समझता हूं कि अगर सारा पानी ला कर drain नं० 8 में डाल देते तो इतनी मुसीबत न पड़ती। अगर जमुना में पानी डालने का इन्तज़ाम हो जाता तो यह तबाही न होती। स्पीकर साहिब जिस वक्त खेतों में पानी डालने की ज़रूरत होती है तो ये देहली को पानी दे देते हैं लेकिन जब जमुना में पानी डालने की मांग की जाती है तो गवर्नमेंट की उन्हें कहने की जुरत नहीं पड़ती। ज़्यादा कुछ न कहता हुआ मैं गवर्नमेंट से गुज़ारिश करूंगा कि आयंदा ऐसी तबाही नहीं होनी चाहिए।

Mr. Speaker : The hon. Members who do not get an opportunity to speak on the motion may send their suggestions regarding flood control, etc., in writing for inclusion in the debate.

श्री मंगल सैन : इस मसला से बे-इन्साफी होगी अगर इस के लिये ज़्यादा time न मुकर्रर किया गया।

Mr. Speaker: I cannot allow more than two hours for an adjournment motion.

चौधरी धर्म सिंह राठी : स्पीकर साहिब, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जो तकलीफ और मुसीबत लोगों पर रोहतक, हांसी, पानीपत और झजर वगैरह के इलाकों में आई है, इस की वजह ज़्यादा बारिश होना और drainage system का satisfactory न होना है। और कई जगह पर syphon का न होना है। करनाल district में पानीपत में तो drain खोदी गई, लेकिन रोहतक के अन्दर कुछ ruling party के M.L.A.s और M.L.C.s ने represent किया कि वहां पर drain न खोदी जाए, जिस की वजह से वह आप भी डूबे और हमें भी उन्होंने डबोया। अगर drain No. 8 आगे खोदी जाती, तो यह मुसीबत न आती। (*repeated interruption*)

* * * * * * *

Expunged as ordered by the Chair.

* * * * * *

Mr. Speaker: Order please. (*Voices*)

ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ: ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ?

Minister for Industries : I rise on a point of order. Sir, I raise a very strong objection against the hon. Member's mentioning the names of hon. Members who do not belong to this House and who cannot defend themselves here.

Mr. Speaker : It is objectionable. The portion of the speech of the hon. Member relating to the mentioning of names of other hon. Members who do not belong to this House will not form part of the debate.

चौधरी धर्म सिंह राठी : जनाब, मैं proposal देना चाहता हूं कि करनाल district से जो सात drains निकलती हैं उनमें से नम्बर (2) की drain जो पानीपत के करीब से यमुना में जाती है उस को ज़्यादा चौड़ा और गहरा किया जाए और उस में ज़्यादा पानी डाला जाए। दूसरे जो drain No. 6 है उस को ले जा कर यमुना में डाला जाए। तीसरी तजवीज़ यह है कि drain नं. 4 और 5 के पानी को इकट्ठा कर के खरखौधा से ले जा कर यमुना में दिल्ली के पास डाला जाए। अगर आप एक साल में मेरी तजवीज़ पर अमल कर लेंगे तो सारा इलाका बच जाएगा नहीं तो अगली बार फिर इसी तरह बाढ़ आएगी और इलाका डूबेगा। यह drains आगे खोदी जानी चाहियें। Revenue Staff के officers का कोई कसूर नहीं है। उन से जो मदद हो सकती थी उन्होंने की है। Engineers का कसूर है। मैं आम तौर पर गवर्नमेण्ट के कामों की नुक्ताचीनी करता हूं। लेकिन मैं कहूंगा कि इस केस में Revenue Staff ने जो काम किया है वह काबले तारीफ है। जितनी मदद उन से हो सकती थी उन्होंने की है। आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि relief के लिए जो रुपया दिया गया है वह बहुत थोड़ा है। तकावी का रुपया भी थोड़ा दिया गया है। सरकार की तरफ से जो seed supply किया गया है वह ठीक नहीं है। वह फ़ीरोज़पुर से लाया हुआ बीज है। अगर वह ज़मीन में डाल दिया गया तो पैदा ही कुछ नहीं होगा। एक बात और। वह यह है कि गरीब आदमियों को 500 रुपये से कम रुपया मकान के लिये नहीं मिलना चाहिये। (*Interruptions*)

हरिजनों और दूसरे गरीब लोगों जिन का कि बरसात में बड़ा भारी नुकसान हुआ है और जिन के मकानात गिर गए हैं उन के लिए सरकार ने कोई खास मदद नहीं की है। उन की मदद मुफ्त अनाज दे कर और माकानों के लिए 500, 500 रुपया grant दे कर मदद की जाए। खेती करने वालों को मालगुजारी और नहर के दाम माफ किये जाएं। बीज मुफत दिया जाए।

ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮ (ਰਾਜਪੁਰਾ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਝ constructive suggestions ਦੇਕੇ ਆਪਣੀ speech ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਤਮਹੀਦ ਨਹੀਂ ਬਨ੍ਹਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ floods ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਲਭ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਟਿਆਲੇ

[ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮ]

ਤੋਂ ਕੋਈ 10—12 ਮੀਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਇਕ ਨਹਿਰ ਨਰਵਾਣਾ ਬਰਾਂਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਉੱਚੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਰਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਬਾਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਇਲਾਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਜੇ ਕਈ ਸਾਈਫਨਜ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਕਟਕੇ ਪਾਣੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਸੁਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਈਫਨਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਖੂਬੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਰੁਪਿਆ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ distribution ਦਾ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਗਿਰਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਿਆ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਹਦ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੀਜ ਵਾਸਤੇ 100—100 ਮਣ ਦਾਣੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਖ ਲਏ ਅਤੇ ਬੇਚ ਦਿਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਹਨ। ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਲਈ ਬੀਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਨਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸਤੇ ਵਬਾਲੇ ਜਾਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਬਚਾਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਨੂੜ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਕ ਢਕਾਂਸੂ ਬੰਦ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇਤਨਾ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਕਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਪਟਿਆਲਾ ਆਪਣੇ ਟਰੰਕ ਬਿਸਤਰੇ ਚੁਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਣ ਲਈ ਬੰਧ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਘਰ ਦਰਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ। ਡੀ. ਸੀ. ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਥੇ ਗਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ

ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਇਕ individual ਤਕ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਘਘਰ ਦਰਿਆ ਤੇ Dam ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਵਿਚ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਿਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਵਕਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ।

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ (ਬਰਨਾਲਾ) : ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਹਤਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਬੋਰੀ ਰੇਤ ਦੀ ਉਥੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਹਤਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 82 ਫੀ ਸਦੀ ਲੋਕ ਦਿਹਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਗਰ ਸਾਡਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜ਼ਰਾ ਭਰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਰਜਵਾਹੇ ਕਟੇ ਗਏ ਹਨ ਉਥੇ ਇਹ ਸਾਈਫਨਾਂ ਬਣਵਾਏ ; ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਥੇ ਡਰੇਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕੇ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ (ਮਾਨਸਾ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਹਿਸੀਲ ਮਾਨਸਾ ਔਰ ਭਿੱਖੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਥੇ ਬਾਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਗਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਰਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਹਾੜੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਛੇ ਸਤ ਪਿੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇਸਤੋਨਾਬੂਦ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੰਬੂਆਂ ਅਤੇ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਥੇ ਮੌਡਲ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਕੀਮ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ। ਬਾਕੀ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਖੋਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਔਰ

[ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ]

ਜੇ ਕਿਤੇ ਖੋਦੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਡਰੇਨ ਖੋਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਤਕ ਅਧੂਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਡਰੇਨ ਦੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਢਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੂੰਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

चौधरी सरूप सिंह (हांसी) : स्पीकर साहिब, वक्त थोड़ा होने की वजह से सिर्फ़ मुख्तसिर सी अर्ज करूंगा और चन्द एक suggestions दे कर बैठ जाऊंगा। सब से पहले बात तो यह है कि कोई भी मेम्बर या आदमी इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि कि ऐसे floods इस area के अन्दर पिछले 50 सालों के अन्दर हम ने नहीं देखे। दूसरी बात यह कि सफीदों, हांसी और गोहाने का इलाका नशेब इलाका है। अगर थोड़ी सी बारिश भी हो जाए तो पानी वहां चला जाता है ज्यादा बारिश से तो लाज़मी तौर पर बेइन्तहा पानी वहां जाना ही है। इस को कोई रोक नहीं सकता था। तीसरी बात गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी की है। गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी से कोई इन्कार नहीं कर सकता और हमने देखा है कि गवर्नमेंट ने इस ज़िम्मेदारी को बड़ी अच्छी तरह से निभाया है। जहां तक हांसी का ताल्लुक है वहां पर गवर्नमेंट की तरफ से पूरी फराखदिली के साथ मदद की गई और जब रोहतक के अन्दर से पानी निकालना शुरू हुआ, उस वक्त तक हांसी में से पानी निकल चुका था।

अब दो तीन suggestions देकर खत्म करता हूं। एक बात तो यह है कि drainage का काम regular तरीके से नहीं हो रहा। बड़ा haphazardly हो रहा है। इस काम पर रुपया काफी खर्च हो रहा है लेकिन properly इस्तेमाल नहीं हो रहा। जो drains खोदी गईं वह अधूरी थीं और अधूरी drains की वजह से ही इन जगहों के अन्दर पानी ज्यादा गया और floods आए। इस लिये इस काम को systematically और पक्के तरीके से करना चाहिए।

दूसरी suggestion मेरी यह है कि floods areas के जितने मेम्बर साहिबान हैं, चीफ मिनिस्टर साहिब को चाहिए कि उन सभी मेम्बरों को बुलाएं—उन की एक meeting बुलाएं और उन तमाम अफसरान को भी बुलाएं जिन का ताल्लुक floods के साथ है; उन के सामने नक्शे तैयार करवाएं, plans बनाएं। उन को बताएं कि इस ढंग से काम शुरू होगा ताकि आइन्दा अगर इस किस्म की बात हो जाए—परमात्मा की तरफ से ऐसी बात हो जाए और क्या पता कि कल को ही फिर से हो जाए—तो उस को meet करने के लिए हमारे पास पूरा प्रबन्ध हो। इस तरह से जिन

लोगों ने जहां कहीं अपनी ज़िम्मेदारी को ignore किया है तो आगे वह भी नहीं करेंगे।

तीसरी जो सब से ज़रूरी बात है वह यह कि ठीक है कि गवर्नमेंट ने बड़ी फराखदिली के साथ सैलाबज़दा लोगों की मदद की है। पांच पांच सौ रुपया कर्ज़ा और grants और तकावियों का भी प्रबन्ध किया है। लेकिन मैं यह suggestion देना चाहता हूं कि जो Low Income Housing Group Scheme के तहत लाखों रुपया लोगों को दिया जाता है, वह भी अब सब से पहले इन इलाकों के लोगों को दिया जाए। यहां बहुत से मकानात गिर चुके हैं और लोग बेघर हो गए हैं। उन्हें इस scheme के तहत भी मदद मिलनी चाहिए और काफी रकम इस इलाके के लिये allocate की जानी चाहिए।

यही मेरी constructive suggestions हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर इन पर अमल किया गया तो न सिर्फ मेम्बर साहिबान की तसल्ली हो जाएगी बल्कि जो plan हमारे पास होगी उस के पेशेनजर अगर कोई इस तरह की tragedy आइन्दा आई तो उस का अच्छी तरह से मुकाबला किया जाएगा। और इन इलाकों का वह नुकसान नहीं होगा जो कि इस बार देखने को मिला है।

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (राओ बीरेन्द्र सिंह) : जनाब स्पीकर साहिब, आनरेबल मेम्बरान की तरफ से Irrigation Department के काम के मुताल्लिक कुछ नुक्ताचीनी हुई है। कुछ गलतफहमियां hon. Members के दिमाग में हैं जिन को दूर करने की मैं कोशिश करूंगा। इस के बाद जो गवर्नमेंट की policy है और जिस तरीके से relief दिया गया है या आइन्दा दिया जाएगा या जो मांगें यहां रखी गई हैं गवर्नमेंट किस हद तक उन को मानने के लिये तैयार है; इन सब चीजों की बाबत गवर्नमेंट की policy का तफसील में हमारे चीफ़ मिनिस्टर साहब ज़िक्र करेंगे।

मैं अर्ज़ करना चाहता हूं, स्पीकर साहिब, कि सब से पहले जो काम दूसरी पंच साला प्लान में drainage और flood control की बाबत हुआ, मेम्बर साहिबान को उस के मुताल्लिक पूरी वाकफियत हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। जो सरकार की इस मामले में दिक्कतें थीं—खास तौर पर funds के बारे में—उन की तरफ भी ध्यान देना चाहिए और उस के बाद ख्याल फरमाएं कि किस हद तक सरकार ने और सरकार के अफसरान ने अपने फरायज़ को पूरा किया है। सन 1947 के बाद वक्तन फवक्तन floods आए। यहां कहा गया कि हालांकि पिछले कई सालों से गवर्नमेंट को warning थी लेकिन फिर भी floods को रोकने के लिये खातिरख्वाह बन्दोबस्त गवर्नमेंट की जानिब से नहीं किया गया।

स्पीकर साहिब, दूसरी Plan के शुरू में इस काम के लिए 4 करोड़ रुपया मन्जूर हुआ था। Planning Commission ने वह रकम भी काट कर $2\frac{1}{2}$ करोड़ कर दी। पंजाब सरकार ने 6 करोड़ से ऊपर की flood control और drainage की schemes तैयार कर रखी थीं। यह Central Government के सामने रखीं तो उन्होंने 4 करोड़ से ऊपर रुपया दिया। हम ने कोशिश की कि और मिल जाए और जो दूसरे खर्चों में से बचे वह भी इस काम पर खर्च किया जाए। जो काम दूसरी Plan के दौरान में हुआ वह मैं अर्ज़ करूंगा। 4 करोड़ की रकम में से हम अब तक

[सिंचाई तथा बिजली मन्त्री]

3¾ करोड़ खर्च कर चुके हैं। इस को देखते हुए यह कहना नामुनासब होगा कि पंजाब सरकार या इस के अफसरों ने इस काम में किसी तरह की कोताही की। अब तक पंजाब में 1,800 मील लम्बी drains खोदी गई हैं और 265 मील लम्बे बांध लगाए गए हैं। जमुना, सतलुज और बयास वगैरह दरियाओं पर कोई 25 मील लम्बे चोओं पर minors और spurs लगाए हैं। ऐसे कामों से पिछले चन्द सालों में हम ने करीबन 7 लाख एकड़ ज़मीन बचा ली है। इस के अलावा 50,000 एकड़ ज़मीन जो wash हो जानी थी वह भी बचा ली है। लेकिन इस सारे काम के अलावा जितना काम करना अभी बाकी है वह बहुत ज़्यादा है और उस के लिए हमें बहुत ज़्यादा रुपये की ज़रूरत है। Floods को रोकने का हमारा master plan कोई 28 करोड़ का है और anti-water-logging measures के लिए 61 करोड़ रुपये की ज़रूरत है। यह रुपया हमें कब तक मिलेगा यह कहना मुश्किल है। तीसरी plan में हम कोशिश कर रहे हैं कि 20 करोड़ का provision हो जाए। उस में से कोई 14, 15 करोड़ रुपया हम surface drainage और flood control works पर खर्च करेंगे। अगर flood water निकल जाए तो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। मंगल सैन जी ने जो रोहतक बारे कहा उस का जवाब चौधरी सिरी चन्द ने दे दिया है। मालूम होता है उन्हें और चौधरी भरत सिंह को कोई गलतफहमी है। उन्होंने कहा कि अगर नम्बर 8 drain को चौड़ी करने पर पहले ध्यान दिया जाता और इस में और link drain न डाली जाती तो तबाही से रोहतक बच जाता। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि नम्बर 8 drain की capacity 950 cusecs है न कि 750 cusecs जैसा कि उन का ख्याल है। इस में आखीर जुलाई और अगस्त में 3000 cusecs पानी चला मगर यह पानी बारिश का था झील टूट कर नहीं आया था जैसा कि मंगल सैन जी ने कहा। इन को देखने का मौका नहीं मिला। बीबीपुर lake का पानी नहीं इस में पड़ा। वह टूटी ही नहीं। अगर वह टूट भी जाए तो भी इस का पानी 8 नम्बर drain में नहीं आ सकता बल्कि घघर drain में जायेगा। इस लिये यह कहना गलत है कि बीबीपुर lake के टूटने से तबाही हुई है। दर असल उस इलाके में नशेव है। बड़ी हैरानी की बात है कि सारा इल्ज़ाम सरकार के सिर पर मढ़ा जा रहा है कि इस किस्म के खतरे को महसूस नहीं किया गया। मगर यह कौन कह सकता था कि इतनी ज़्यादा बारिश होगी और गोहाना वगैरह के इलाके में तबाही होगी। इस बार वहां average से तिगनी बारिश हुई। नम्बर 8 drain को इन्दरी के मुकाम से ले जा कर जमुना में डाला गया। इस में 336 cusecs पानी चला। और जो पानी नम्बर 8 drain में आना था वह जमुना में डाला गया। मैं चौधरी भरत सिंह को बताना चाहता हूं कि इस link drain से सिर्फ 138 cusecs पानी number 8 drain में पड़ा। गोहाना, सफीदों, पानीपत, लाडवा वगैरह इलाके के पानी को drain out करने के लिये एक scheme काफी नहीं। यह मांग की गई है कि गोहाना के पास का पानी जमुना में डाला जाए। मुझे खुशी है कि पंजाब गवर्नमैंट ने इस सारे इलाका को तबाही से बचाने के लिये एक pilot scheme की मन्ज़ूरी दे दी है। इस से गोहाना का पानी

जमुना में ले जायेंगे । इस से नम्बर 8 drain में पानी कम होगा । नम्बर 2 drain थानेसर और पानीपत के इलाके का पानी जमुना में ले जायेगी। एक धनेटा स्कीम है । इस से लाडवा के इलाके का पानी जमुना में जायगा । इस तरह यह सारा इलाका बच जायगा ।

रोहतक के मुताल्लिक कहा गया कि पानी को drain out नहीं किया गया । मेरे पास जो latest report है $4\frac{1}{2}$ बजे की उस के मुताबिक अब रोहतक की कोई सड़क पानी के नीचे नहीं है । (तालियां)

श्री मंगल सैन : On a point of order Sir. जनाब, मैं challenge करता हूं, यह गलत बात है । अगर यह सही हो तो मैं अस्तीफा दे दूंगा, नहीं तो वज़ीर साहिब दे दें ।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री : हमारे पास हर घंटे के बाद report आती है । आप कल की बात करते हैं, situation तो हर घंटे change हो रही है ।

पंडित श्री राम शर्मा : अभी Civil line से पानी नहीं निकला । (*Interruptions*)

सिंचाई तथा बिजली मंत्री : अब चौधरी सिरी चन्द के बरामदे के अन्दर पानी नहीं है । 300 मकान सैनीपुरा में, पानी में हैं । वहां से भी पानी जल्दी से जल्दी निकाल दिया जायगा । स्पीकर साहिब, मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए बाकी बातें Chief Minister साहिब के लिए छोड़ दूंगा कि वह आप को बताएं कि अफसरान ने किस तनदही से काम किया है और आयंदा जो policy है उस पर भी वह रौशनी डालेंगे । चौधरी इन्द्र सिंह को तो अपने इलाके की भी खबर नहीं ।

इन्हें अपने ज़िले के मुताल्लिक ज़्यादा खबर नहीं । मैं बतला दूं कि 2 करोड़ 1 लाख संगरूर ज़िले में दिया गया । वह इसी लिए दिया गया कि वहां पर ज़्यादा नुकसान हुआ है । वहां पर कितना कितना काम हुआ उस की तफसील में मैं इस वक्त नहीं जाना चाहता । मैं इन अलफाज़ के साथ आप का शुक्रिया अदा करता हूं ।

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਰਾਓ ਬੀਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ information ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਅਗਰ hon. Member ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ criticise ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਤਲਾਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Drain No. 8 ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ । ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਕੀਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ State Flood Control Board ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ Technical Committee ਅਤੇ ਫੇਰ State Flood Control Board ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਫੇਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ Technical Committee, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ All India Flood Control Board ਕੋਲ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਚੌੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ drains, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ Technical ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋ causecs per square mile drain ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਢਣਾ ਹੈ ।

[ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ]

ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦੋ cusecs per square mile ਤੋਂ ਵਧ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ । ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ drains ਨੂੰ ਦੋ cusecs per square mile ਦੀ capacity ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ । ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ । ਉਸ ਨੇ ਦੋ cusecs per square mile ਦੀ capacity ਦੀ drain ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਸੀ । ਹੁਣ ਅਸੀਂ recently ਅਲਹਿਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 4 cusecs per square mile ਸੀ । ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ main drain ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਦੋ cusecs per square mile ਦੇ ਥਾਂ ਚਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਦੋ cusecs per square mile ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੌੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ Irrigation Minister ਨੇ 1800 ਮੀਲ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਵਾਇਆ । ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਫੈਲਦਾ ਸੀ । 1800 ਮੀਲ ਖੁਦਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 265 ਮੀਲ ਬੰਨ੍ਹ ਬੰਨ੍ਹਣੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ । ਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਦੇਵੇਂਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ । ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਖੁਦਵਾਉਣੀ ਹੈ । ਬਹਰ ਹਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਕਤ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਵਕਤ ਦੇ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ੨, ਬਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ੨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਸੁਕੇ ਉਥੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ । ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਨ੍ਹ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ Engineers ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Master Plan ਬਣਾਈ ਹੈ । Master Plan ਵਾਸਤੇ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ Master Plan ਬਣਾਈ ਹੈ, anti-waterlogging ਔਰ ਸੇਮ ਰੋਕਣ ਲਈ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਕਮ ਕਰਜ਼ਾ ਲਈਏ ? ਏਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ । ਅੱਜ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹੋ । 1933 ਵਿਚ ਓਥੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ । 8 ਜਾਂ 10 cusecs ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ । ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਫਾ ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕੇ । ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਢਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ । ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਜਿਥੇ floods ਆਏ, ਪਟਿਆਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ, ਓਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ । ਚੂੰਕਿ ਰੋਹਤਕ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤਾਕਿ ਪਾਣੀ ਕਢਾ ਦੇਵਾਂ ਅਤੇ

ਮਕਾਨ ਬਚ ਜਾਣ । ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹ ਉਚੀ ਥਾਂ ਹੈ ਯਾ ਨੀਵੀਂ । ਰੋਹਤਕ ਵਿਚ ਛੱਪੜਾਂ ਜੈਸੀ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ! ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ Municipal Committees ਕਰਦੀਆਂ ਕੀ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । 1933 ਵਿਚ ਜਿਸ ਪਾਸਿਉਂ flood ਨੇ ਰੋਹਤਕ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਐਤਕੀ ਇਸ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਾਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ flood ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਿਲਦੀ ਓਥੋਂ ਰੋਕਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਟੁਟ ਕੇ ਜਾਂਦਾ । ਲੇਕਿਨ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ Defence Minister ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਓਥੇ ਗਿਆ । Defence Minister ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਐਨੇ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦੇ ਹਨ । ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ । ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ । ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ । ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ । ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣਗੇ । ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਗਦੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮਨ ਚਲੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੌਜ ਮੇਲਾ ਵੇਖਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ । Defence Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦਿਓ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15, 20 ਮਿੰਟ ਲੈਕਚਰ ਦਿਤਾ । ਉਸ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ volunteers ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਓ । ਤਾਂ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਲ ਸੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿਚ ਆਦਮੀ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਹਨ । ਉਸ ਨੇ ਆਦਮੀ ਦੁਕਾਨ ਯਾ ਮਕਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਬਿਠਾਏ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਖੇਤ ਤਾਂ ਹਨ ਨਹੀਂ । ਮਦਦ ਮੰਗਲ ਸੈਨ ਤੋਂ ਜੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਮੰਗਲ ਸੈਨ ਦੇ ਗਰੁਪ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਢਾਈ ਸੌ ਆਦਮੀ ਦਿਤੇ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ । ਜੇ ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੋ । ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਵਿਚ ਨਿਕਲੇਗਾ । ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ । ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰਾਂ late ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਹ ਮਖਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ representation ਕਰਨ ਲਗ ਗਏ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ discussion ਨਾ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰ ਆਖਣ ਲਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ । ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ, ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇਗਾ । ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਕਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਚੂੰਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤਾਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ । ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ

[ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ]

ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਇਹ ਦਿਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਲਗਦਾ ਹੈਂ । (*interruption by Doctor Mangal Sein*) ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਗਲ ਸੈਨ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਹਤਕ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ crocodile tears ਬਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ । ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਕਿ ਜਨਮ ਭਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਐਨੀ ਤਬਾਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੀ ਜਿਤਨੀ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲ ਦੇਖੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਵੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਤਨੀ ਕਟੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇਖਦੇ । ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤੇ ਰਹੇ ਬਰ੍ਹਮਾ ਵਿਚ । (ਹਾਸਾ) ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਹੋਈ ਨਾਗਹਾਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ exploit ਨਾ ਕਰੋ । Don't make a Capital of it. ਇਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਘਰ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਏ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਕਾਫੀ ਹਦ ਤਕ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ Centre ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ । ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ । ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ scheme ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲਵਾਂਗੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਘਰ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਘਰ ਤੇ 30 ਮੀਲ ਇਕ, 13 ਮੀਲ ਇਕ ਤੇ 3 ਮੀਲ ਇਕ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । ਘਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਔਰ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬੰਨ੍ਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹਤਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ । ਉਥੇ drain No. 8 ਨੂੰ ਉਚਿਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਥੇ ਲੋੜ ਹੋਏ ਉਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਪਾਣੀ ਕਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ । ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ । ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਏ, ਉਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ drain ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਜਬਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲ ਚੂਚਕਵਾਸ ਪਾਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਇਸ drain ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾੜੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਸਿਟ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਫਿਰ ਇਸ drain ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਧਰ ਜਾਏ । ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਨ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਲਾਂਹਬਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ । ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ Co-oparation ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ । ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਆਖਣ ਵਾਸਤੇ । ਪਰ ਜਿਥੇ ਤਕ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਦਦ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ । ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲੀ ਵਿਚ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ

ਸੁਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Home Minister ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਢੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਉਥੇ I. C. S. ਅਫਸਰ ਲਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿਧਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਮਨਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। Drain No. 8 ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਢਣ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਡਾਕਟਰ ਮੰਗਲ ਸੈਨ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਢੋ ਪਰ drain No. 8 ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ Constituency ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ drain No. 8 ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਪਾਉ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹਿਰ ਪੁਟਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਨਹਿਰ ਪੁਟਣ ਨੂੰ ਲਗਦੇ ਹਨ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਵਿਚ ਰੋਹਤਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੇ ਨਾ ਕਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇਗਾ।

ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ drain ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਈ drains ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ drains ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕੁਲ 138 cusecs ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ drain ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ drain ਨਾਲ ਅਗੇ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ 300 cusecs ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਉਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਚੌਧਰੀ ਸਿਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਨੂੜ ਦੇ ਕੋਲ ਘਘਰ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲੇ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਰੜ ਦੇ ਚੋ ਨੂੰ ਅਗੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸੀਸਵਾਂ ਚੋ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਗੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ general elections ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਕਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਰਾਂਝਾ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਹੀਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਰਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਸਵਾਂ ਚੋ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬਚ ਜਾਏ।

ਰੋਹਤਕ ਦੀ drain ਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਹਤਕ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿੰਨਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੌਧਰੀ ਭਰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਝੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ drain No. 8 ਨੂੰ ਗੋਹਾਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਜਮਨਾ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕ ਦੋ drains ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ਜਮਨਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਨਾ

[ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ]

ਵਿਚ ਐਨੀ ਰੇਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ drains ਤਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦਰਿਆ ਦਾ bed ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਛੇੜਾ ਛਾੜੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਰੇਤ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ ।

ਫਿਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਧਰੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਰਾਠੀ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ impression ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ (ਹਾਸਾ) । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਈ drains ਕਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਰੋਹਤਕ ਵਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਨਾ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਉ । ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ drain No. 8 ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਪੁਟਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਜਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਥੇ drain ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਲਸਿਆਂ ਵਿਚ lecture ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ drain ਨੂੰ ਗੋਹਾਣੇ ਦੇ ਲਾਗਿਉਂ ਕਰ ਕੇ ਕਢਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ regulate ਕਰ ਕੇ ਕਢਿਆ ਜਾਵੇ ।

ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਥੇ ਇਹ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਆਇਆ । ਇਹ ਬਾੜ੍ਹ ਯਕਲਖਤ clouds ਦੇ burst ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ । ਇਹ clouds ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਯਕਲਖਤ burst ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾੜ੍ਹਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਤੀਜੀ ਥਾਂ ਸੀ ਜਿਥੇ ਇਹ burst ਹੋਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਹਤਕ, ਕਰਨਾਲ ਔਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ floods ਆਏ ਹਨ । ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਚਨ ਚੇਤ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਤਨੇ floods ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਔਰ ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਜਿਤਨੇ ਅਗੇ ਆਮ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਥੇ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲੇ 8,000 cusecs feet ਪਾਣੀ ਚਲਦਾ ਸੀ ਉਥੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਘਟ ਚਲਿਆ ਹੈ ।

ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਤਾਮੀਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈਏ । Drains ਦਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ voluntary force ਨਾ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਅਤੇ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦਿਓ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਅਤੇ ਅਜ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਵਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਭ ਦੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗੇ । ਮੈਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਦਾ ਧਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

The Sabha then adjourned till 2.00 p. m. on Tuesday, the 25th October 1960,

8.30 p. m.

APPENDIX

***WRITTEN SPEECHES SUBMITTED BY MEMBERS ON THE DISCUSSION OF THE ADJOURNMENT MOTION REGARDING FLOODS IN VARIOUS AREAS OF THE STATE UNDER ORDERS OF THE SPEAKER DATED THE 24TH OCTOBER, 1960**

ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕਿਰਤੀ (ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਜਨਰਲ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਜੋ ਤਬਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁਲੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜੇਹੇ ਇਲਾਕੇ ਭੀ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਥੇ ਅਗੇ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਘਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਹਤਕ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਆਦਿ ਦਾ ਵਰਨਣ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਦਵਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਭੀ ਉਥੇ ਤਬਾਹੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ । ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਾਲੰਧਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਨਹਿਰ ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਨਸਰਾਲਾ ਚੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸਾਲ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਘਾਟ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਭੀ ਉਥੇ ਕੋਈ ਘਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਜੇ ਕਰ ਕਿਰਸਾਨ ਦੀ ਇਕ ਫਸਲ ਨ ਲਗੇ ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਪਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਲ ਤੁਰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਪਰ ਬੇਹਦ ਮੇਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਢਿਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕੀ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁਟ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਾ ਵਸਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ । ਹਰ ਸਾਲ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਉਂਦੀ ਬਰਸਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਿਆਂ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਾਂ ਪਰ ਯਕੀਨ ਛਡ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਵੇਰੀ ਭਰੋਸੇ ਦਿਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਭੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਤੁਛ ਜੇਹੀ ਦਯਾ ਭੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ । ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੁਖ ਅਤੇ ਭੁਖ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ

---

*Note :—On 24th october, 1960, the hon. Speaker observed that the hon. Members who did not get an opportunity to speak on the motion might send their suggestions regarding flood control, etc., in writing for inclusion in the debate as he could not allow more than two hours for discussion on an adjournment motion.

ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚੋਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ । ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਾਂਙੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਭੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਤਕਾਵੀਆਂ, ਪਠੇ ਅਤੇ ਬੀਜ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੁਚੱਜੇ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ । ਜੋ ਬੀਜ ਕਣਕ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਠ ਫੀ ਸਦੀ ਨਕੰਮਾ ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਦਾ ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਗੇ ਦਵਾ ਚੁਕਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਭੀ ਤੁਰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਹਨਤੀ, ਸਾਊ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕੀ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਣ ।

ANNEXURE

(*See* foot note at page (3) 115 of this debate, dated 24th October, 1960)

REMISSION GRANTED IN LAND REVENUE IN MOGA TEHSIL DURING 1958

2949. Sardar Sohan Singh : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the names of villages in tehsil Moga, district Ferozepur where (i) full remission of land revenue was granted, and (ii) where 50 per cent remission was granted as a result of the damage caused by floods during the year 1958 ;

(b) the names of the persons with parentage village-wise in the said tehsil who were granted the remission referred to in part (a) above ?

Giani Kartar Singh : The time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with any possible benefit to be derived by the Hon. Member.

REPRESENTATION REGARDING FLOODS IN KAPURTHALA DISTRICT

2961. Sardar Atma Singh : Will the Minister for Revenue be pleased to state whether the Financial Commissioner, Revenue Punjab, received any representation from any Legislator regarding the recent floods in Kapurthala district ; if so, when, from whom, the details of the representation and the action taken thereon ?

Giani Kartar Singh : Yes. One representation ,dated 5th September, 1960 addressed to the Financial Commissioner Revenue was received on 22nd September, 1960 in the office of the Financial Commissioners from Shri Atma Singh, M.L.A., through the Home Secretary to Government, Punjab. A copy of this representation was sent to the Secretary, Irrigation and Power Departments, for taking necessary action regarding completion of the Dhussi Bund and payment of compensation for the land acquired for Harike Pond area scheme. A copy of the same representation was also sent to the Commissioner, Jullundur Division, for taking necessary action regarding the grant of relief to the flood affected persons.

BREACHES IN DHUSSI BUND

2962. Sardar Atma Singh : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether any breaches occurred in the Dhussi Bund at any places in Kapurthala District during the recent floods ; if so, when and at what places ;

(b) the names of villages which suffered as a result of the breaches mentioned in para (a) above and the total estimated loss to crops and property therein ;

(c) the precautions, if any, taken before hand by the district authorities for the protection of the said bund during the current year ; as well as the precautions taken last year ;

(d) whether any enquiry has been held into the causes of the said breaches, if so, when, by whom and with what result ;

(e) the steps proposed to be taken to prevent the recurrence of such breaches in the future ?

Rao Birendar Singh : (a) No breaches occurred on the completed portion of the bund. A part of the bund which is yet incomplete, however, got over-topped at R.D. 103-104 and 102-103 on 1st September, 1960.

(b) and (c) Information is being collected by the Revenue Department.

(d) Question does not arise in view of (a) above.

(e) The work will be completed before the monsoons of 1961

EVACUATION OF AKALI PRISONERS FROM ROHTAK JAIL

2963. Sardar Atma Singh : Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) whether any Akali undertrials/convicts lodged in the Rohtak Jail were evacuated to other Jails in and outside the State during the recent floods : if so, their total number ; the names of the jails to which they were evacuated and the number accommodated in each ;

(b) the means of transport used to evacuate the said Akalis and the total expenditure involved ;

(c) the details of the damage caused to the Jail building at Rohtak by the recent floods ;

(d) whether the said prisoners were sent back to the Rohtak Jail after the floods ; if not, the reasons therefor ?

Shri Mohan Lal : (a) No.

(b) Question does not arise.

(c) Nil.

(d) Question does not arise.

RELEASE OF AKALI PRISONERS FROM KAPURTHALA JAIL

2964. **Sardar Atma Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of Akali prisoners, if any, released from Kapurthala Jail in the last week of August, 1960 after the withdrawal of cases against them ;

(b) whether it is a fact that the Prisoners mentioned in part (a) above immediately after their release defied the ban imposed by section 144 Cr. P.C. if so, whether they were re-arrested ; if not, the reasons therefor ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) Sixty-seven.

(b) No.

SEIZURE OF SMUGGLED GOLD AND OPIUM ETC. IN THE STATE

2965. **Sardar Atma Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the quantity of the smuggled gold, opium and other contraband articles seized by the police in the State, district-wise, during 1959-60 and the current year together with their total value ;

(b) whether the commodities referred to in part (a) above have been sold ;

(c) if the answer to part (b) above be in the affirmative whether the proceeds of the sale have been deposited in the State Exchequer ; if not the reasons therefor ;

(d) if the answer to part (b) above be in the negative, the manner in which the said commodities have been utilized ;

(e) the total number of smugglers arrested, prosecuted and convicted during the period mentioned in part (a) above.

Sardar Partap Singh Kairon : (a), (b), (c), (d) and (e) A statement containing the requisite information is enclosed.

STATEMENT SHOWING DISTRICT-WISE SEIZURE OF SMUGGLED

Name of district	The Quantity of the smuggled Gold, Opium and other contraband articles seized by the Police together with their total Value, during the period				
		1959-60 (1st March, 1959 to 31st March, 1960		During the current year from 1st April, 1960 to 30th September, 1960	
		Quantity	Value (a)	Quantity	Value
		Tolas/Mashas	Rs	Tolas/Mashas	Rs
1. Hissar ..	Opium ..	896-3	*	183-9	*
	Charas ..	1,909-0	*	20-0 ..	*
	*Value to be assessed when the commodities have been refined at Government Opium Factory, Ghaziabad.				
2. Rohtak ..	Opium ..	574-6	..	67-0 ..	..
	Charas ..	83-6 ..	..	114-0 ..	..
	Liquor	302 bottles ..	..	110 bottles ..	..
3. Karnal ..	Opium ..	35-0		69-3 ..	737.12
	Poppy-heads (Crushed)	25 Mds. and 12 Chhtks	367.00	..	..
	Poppy-heads	5 Mds. and 25½ seers		11 Seers	..
	Ganja ..	32 seers		..	..
4. Gurgaon ..	Opium ..	981-00 Tolas ..	6,000.00 (Appx.)	50-0 ..	325.0 (Appx.)
5. Ambala ..	Opium	670-9½ ..	7,000.00 (Appx.)	116-4 ..	1,200.00 (Appx.)
	Crushed .. (Poppy-heads)	234 Mds. 19 Srs. 14 Chh.	29,200.00 (Appx.)	66 Mds. 37 Srs. ..	2,900.00 (Appx.)
	Food-grains	269 Mds. 14 Srs.	9,034.00 (Appx.)	617 Mds. 30½ seers	18,278.00 (Appx.)
6. Simla ..	Opium ..	2-0 tolas	..	11½ tolas ..	..
7. Kangra ..	..	..	..	..	..
8. Hoshiarpur	Opium ..	139-2 ..	1,392.00 (Appx.)	137-6 ..	1,375.0 (Appx.)
	Puppy-head	..	..	38 Seers ..	256.00 (Appx.)
9. Ludhiana ..	Opium ..	33 Seers 16½ tolas	13,285.00 (Appx.)	17 Srs. and 62 tolas	7,110.00 (Appx.)
10. Jullundur	Opium ..	One Md. 9 Srs. and 15 Chhtks.	..	15 Seers and 14 Chhtaks	..
	Poppy heads	191 Mds. 18 Seers	..	514 Mds. 16 Seers	
11. Kapurthala	..	..	..	..	..
12. Gurdaspur	Opium ..	..	..	20 tolas ..	200.00
	Spenish-Seffron	..		One pound	800.00

GOLD, OPIUM AND OTHER CONTRABAND ARTICLES IN THE PUNJAB STATE

No. 2965.

Whether commodities referred to in part (a) have been sold	If answer to part (b) is in the affirmative whether the sale proceeds have been deposited in the State Exchequer, if not the reasons therefor	If the answer to part (b) be in the negative, the manner in which the said commodities have been utilized	THE TOTAL NO. OF SMUGGLERS, ARRESTED, PROSECUTED AND CONVICTED DURING THE PERIOD MENTIONED IN PART (a)					
			During 1959-60 (1st March, 1959 to 31st March, 1960			During current year from 1st April, 1960 to 30th September, 1960		
(b)	(c)	(d)	(e)					
			Arrested	Prosecuted	Convicted	Arrested	Prosecuted	Convicted
No	No. The Property in all these cases is in District/Police Malkhanas pending final disposal of cases	The recovered articles have not been disposed of yet. After final decision (including appeal and revision) of these cases opium and other exciseable Articles will be made over to the Excise Department for further disposal by them. Opium will be sent to the Central Opium Factory at Ghaziabad and poppy- heads destroyed by the Excise Officials. Food-grains will be disposed of accord- to orders of court.	32	32	15	23	11	2
No			43	43	27	17	11	2
No			11	11	2	4	1	..
No			2	2	2	2	2	1
No			232	230	185	132	130	76
No			1	1	1	3	3	..
..			..	..	..	..	..	..
No			5	5	4	9	6	1
No			22	22	6	19	3	1
No			51	46	24	50	35	4
..			..	..	..	..		
No			..	..	..	1	..	..

STATEMENT SHOWING DISTRICT-WISE SEIZURE OF SMUGGLED

Name of district		THE QUANTITY OF THE SMUGGLED GOLD, OPUIM AND OTHER CONTRABAND ARTICLES SEIZED BY THE POLICE TOGETHER WITH THEIR TOTAL VALUE, DURING THE PERIOD			
		1959-60 (1st March, 1959 to 31st March, 1960)		During the current year from 1st April, 1960 to 30th September, 1960	
		Quantity	Value	Quantity	Value
			(a)		
		Tolas/Mashas	Rs	Tolas/Mashas	Rs
13. Amritsar ..	Gold ..	58 Tolas 5 mashes 3½ ratis	6,270.00 (Appx.)	45 tolas 10 mashes	5,980.00
	Opium ..	42 Seers and 19¼ tolas	40,147.00 (Appx.)	18 Srs. 69 tolas and 8 mashes	12,082.00
	Cloth ..	..	24,144.00 (Appx.)	Cloth ..	2,881.00
	Tilla ..	3,300 tolas ..	8,140.00	Loungs 9 Mds. 35½ Srs.	12,790.00
	Indian Currency	..	2,957.31		56.00
	Pak-Currency	..	1,186.54		281.00
	Aluminium	..	3,000.00	..	..
	Silver ..	6 Srs. 13 tolas..	992.00	225 tolas ..	525.00
	Illachis ..	27 Srs. 14 Chhtks.	900.00	9 seer ..	300.00
		..	..	Wrist-watch ..	125.00
	She-buffaloe	..	500.00	Cardimam 14¾ Srs.	150.00
	Shingraf ..	8 Seers ..	1,000.00	Tin 12 Srs. ..	193.00
	Nags ..	2 ..	50.00	..	..
	Charas ..	7 tolas ..	70.00	..	..
	Poppers ..	4 Seers ..	20.00	..	..
	Hand-fans (Pak-made)	25 ..	25.00	..	..
14. Ferozepore	Gold ..	5 Mashas and 2P ratis	60.00	..	..
	Opium ..	15 Srs. 43 Tolas and 5 mashas	7,296 00	8 Srs. 8 tolas and 4 mashas	3,846.00
	Indian Currency	..	294.53	Counterfeit coins	42.00
	Pakistan Currency	..	502.69	..	..
	Charas ..	21 tolas 5P mashas	145.00	..	..
	Ringh-stones	1 Sr. 5 Chhtks.	13,552.00	..	..
	Cloth	..	375.00	..	..
	Poppy-heads	1 Md. and 11 Srs.	51.00	..	..
	Pak. Gold ..	20 tolas (Conterfeit)		..	..
	Pistal ..	12 bore CM One		..	..
15. Patiala ..	Opium ..	3 Mds. 3 Srs. 9 Chhtks	..	25 Seers and 4 Chhataks	..
16. Sangrur ..	Opium ..	8 Mds. and 16 Srs.	1,02,800.00	6 Seers 14 Chhtks	2,062.50
17. Bhatinda ..	Opium ..	2 Mds. 1 seer ad 6 Chhtks	..	2 Mds. 14 Chhtks and 4 tolas	..
18. Narnaul ..	Gold ..	75 tolas ..	..	..	..

GOLD, OPIUM AND OTHER CONTRABAND ARTICLES IN THE PUNJAB STATE

No. 2965

Whether commodities referred to in part (a) have been sold	If answer to part (b) is in the affirmative whether the sale proceeds have been deposited in the state Exchequer, if not the reasons therefor	If the answer to part (b) be in the negative, the manner in which the said commodities have been utilized	THE TOTAL NO. OF SMUGGLERS, ARREASTED, PROSECUTED AND CONVICTED DURING THE PERIOD MENTIONED IN PART (a)					
			During 1959-60 (1st March, 1959 to 31st March, 1960			During current year (from 1st April, 1960 to 30th September, 1960		
(b)	(c)	(d)	(e)					
			Arrested	Prosecuted	Convicted	Arrested	Prosecuted	Convicted
No			673	67	27	273	42	16
No			94	64	51	32	26	2
No			9	9	6	10	10	..
No			24	22	8	6	5	..
No			43	20	13	23	14	10
No			2	..	..	..	..	..

REPORT ON FLOODS TO THE UNION GOVERNMENT

2966. Sardar Atma Singh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether the Government received any telegraphic or wireless communication from the Irrigation and Power Ministry of the Government of India in August or September, 1960 asking for a detailed report on the floods in the State, if so, when and the date when the report was sent ;

(b) whether the statement of the Irrigation and Power of the Union Government made on the floor of the Lok Sabha on 3rd September, 1960 that no report on the flood situation in the Punjab had been received by his Ministry despite telegraphic and wireless messages has come to the notice of the Government. If so, the reasons why a report on the subject was not sent as desired by the said date ?

Rao Birendra Singh : (a) and (b) Yes. Postal Telegram was received on 27th August, 1960 from the Central Water and Power Commission. The material regarding Floods in the State concerning Irrigation Branch was submitted to the Central Water and Power Commission on 30th August, 1960.

The telegram was read over to Revenue Department on phone and they were requested by the Irrigation Branch to supply the information relating to their Department direct to Government of India. A police radio message dated 26th August, 1960 was also received direct by Revenue Department from Ministry of Irrigation and Power Government of India. Revenue Department has stated that the Irrigation and Power Ministry, New Delhi, was informed telegraphically on 30th August, 1960 that the information was being collected and will be furnished by 1st September, 1960. On 1st September, 1960, Under-Secretary, Reorganization, supplied necessary information to Shri Mirchandani Deputy Secretary, Home, Government of India, on phone. As the message on phone was not clearly audible, it was desired through radio message dated 1st September, 1960 that the message given on phone be repeated by wireless message to Shri Mirchandani. The radio message was received by Under-Secretary, Reorganisation on 2nd September, 1960. The requisite information was supplied to the Personal Assistant to Shri M.R. Sachdev on 2nd September, 1960 on telephone. A note on the flood situation in the Punjab State was also sent through a special messanger who left for Delhi on the night of 2nd September, but unfortunately the train got late and he reached Delhi at 12.30 p.m. instead of 7 a.m. on 3rd September, 1960. The Government of India was also informed accordingly.

DAMAGE BY FLOOD IN BIBIPUR LAKE IN DISTRICT KARNAL

2967. Sardar Atma Singh : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the names of villages of Karnal District which were flooded by the flood water of the Bibipur Lake in the district during the current year and the estimated loss to crops and houses etc. caused thereby ;

(b) the measures being adopted or which are propsed to be adopted to check floods from this lake in future ;

(c) whether any scheme in this connection has been finalised ; if so, the total amount earmarked for the purpose ?

Giani Kartar Singh : (a) (i) A list is enclosed.

		Rs
(ii) Estimated loss to crops	..	25,68,074
Estimated loss to houses	..	28,014
(iii) Estimated loss to animals		4,050

(b) (i) Breaching Section has been proposed by the Executive Engineer, Pehowa Division for reducing the rise in the flood level of Bibipur Lake at the time of flooding and water would flow through the breaching Section without any artificial breaches.

(ii) Secondly a scheme has been made for providing bund on the left side of the Sarsuti drain costing about Rs 6,52,000 which has been submitted by the Executive Engineer, Pehowa Division Kaithal to the Superintending Engineer, 1st Bhakra Main Line Circle, Patiala.

(c) (i) No.

(ii) Does not arise.

The names of villages of Karnal District which were flooded by the Flood water of the Bibipur Lake in the Karnal District during the currennt year.

1. Pehowa.
2. Jhimar Heri.
3. Sarsuti Khera.
4. Murthali.
5. Dhani Ram Pura.
6. Usmanpur.
7. Jorasi Khurd.
8. Ghari Roran.
9. Chhawlan.
10. Surmi.
11. Hekimpura.
12. Nikatpura.
13. Ram Pura.
14. Gumthala Garhu.
15. Kheri Shishgaran.
16. Galedva.
17. Satora.
18. Braian.
19. Karan.
20. Diwana.
21. Mohanpur.
22. Kalsa.
23. Ram Garh.
24. Nawach.
25. Kawartan.
26. Kikore.
27. Bakhli.
28. Sayensar.
29. Thana.
30. Gurdhera.
31. Dhul Garh.
32. Halwa.
33. Mangna.
34. Thyokar.
35. Jakhwala.
36. Madahdan.
37. Tangoli.
38. Sayana Saidan.
39. Bodhni.
40. Tikri .
41. Jorasi Kalan.
42. Murtaza Pur.
43. Sandehla.
44. Sandholi.
45. Sansa.
46. Bibipur Kalan.
47. Takoran.
48. Balochpura.
49. Kakheri.
50. Kangthali.
51. Bhoona.
52. Sair.
53. Kharkhara.
54. Siwan.
55. Soatha.
56. Harnola.
57. Papsar.
58. Kakrana Inayat.
59. Mandri Sadran.
60. Ghoran.
61. Manjhla.
62. Parbhawat.
63. Nagal
64. Kiman Landar.
65. Ladana Chaku.
66. Paharpur.
67. Janaidpur.
68. Kharak.
69. Umedpur.

DEATHS DUE TO CHOLERA DURING THE CURRENT YEAR

2968. Sardar Atma Singh : Will the Chief Minister be pleased to state the total number of deaths that took place in the State, district-wise, on account of cholera during the current year and the measures taken by Government to control it and the expenditure incurred for the purpose, district-wise ?

Sardar Partap Singh Kairon : The information, district-wise, is as under:—

Name of the district		Seizures	Deaths
Hissar	..	6	..
Rohtak	..	82	35
Gurgaon	..	41	7
Karnal	..	9	1
Kangra	..	53	21
Ferozepur	..	3	3
Bhatinda	..	2	1
Mohindergarh	..	140	12
Total	..	336	80

The following control measures were taken to prevent the spread of cholera in the Punjab State:—

Inspection posts were established at Wagah Border, Railway Station Amritsar, Hussainiwala and Sulemanki in Ferozepur District.

The provisions of Epidemic Diseases Act, 1897, were rigidly enforced in all the districts of the State and the District Magistrate of every district issued necessary orders under the Act to give powers to Medical Officers of Health and other Health and sanitation staff to control articles of food and drink and water-supply. Cholera inspection posts were also established in Rohtak, Gurgaon, Hissar, Karnal, Ambala and Jagadhri to intercept persons coming from U. P. and Delhi and to offer inoculations. As it was not decided to establish Quarantine Camp at Amritsar. surveillance cards were issued to persons coming from Pakistan with copies to the District Health Agencies of their destinations.

Cholera vaccine was collected from Kasauli through special messengers and Health Directorate Officers personally carried the cholera vaccine to the various infected districts. They visited each and every cholera-infected locality and guided and supervised the Cholera Control Measures. 466,000 C.Cs cholera vaccine was rushed to the various districts to augment their existing stocks of vaccine to offer mass cholera inoculations in infected areas.

Rs 24,000 in the form of epidemic control grants-in-aid were made available to the following districts for control of cholera :—

		Rs
Mohindergarh District	..	5,000
Amritsar	..	5,000
Gurgaon	..	5,000
Rohtak	..	3,000
Municipal Committee, Rohtak	..	1,000
Kangra District	..	5,000
Total	..	24,000

As a result of these energetic, systematic and timely control measures the State is now free from cholera.

EXEMPTION TO AGRICULTURISTS FROM PAYMENT OF ELECTRICITY CHARGES IN FLOOD-AFFECTED AREAS

2969. Sardar Atma Singh : Will the Minister for Irrigation and power be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under the consideration of Government to exempt the agriculturists from the payment of charges for electricity consumed by them for agricultural purposes in the flood-affected areas of the State ; if so, the details thereof ; and the total amount thus exempted district-wise, during the current year ;

(b) whether any exemptions have so far been granted ; if so, the details thereof ;

(c) whether any similar concession is also being allowed in the said areas during the sowing season of the Rabi Crop ; if so, the details thereof ?

Rao Birendar Singh : (a) Proposal regarding the grant of remission of electricity charges to the flood sufferers has been taken up with the Punjab State Electricity Board ; no final decision has so far been taken.

(b) Question does not arise,

(c) No.

Damage caused to villages lying between Dhusi Bund and River Beas in Kapurthala District

2970. Sardar Atma Singh : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the names of villages in Kapurthala District which are situated between the Dhusi Bund and the river Beas ;

(b) the names of villages mentioned in part (a) above from which the inhabitants were evacuated during the recent floods in the river ;

(c) the total area of the villages mentioned in part (b) above in which crops and houses were damaged and the total estimate of the loss thus caused ;

(d) whether any relief measures were taken by the Government in the said villages ; if so, what and the total amount spent thereon ;

(e) the permanent flood relief measures taken, if any, or proposed to be taken in villages mentioned in part (a) above?

Giani Kartar Singh : (a) (1) Charagwala. (2) Qutabewal. (3) Burewal. (4) Sujokalia. (5) Hussainpur Dullowal. (6) Faridpur.

(b) (1) Qutabewal. (2) Burewal. (3) Hussainpur Dullowal. (4) Faridpur. (5) Charagwala.

The residents of village Sujokalia refused to come out of their abadi in spite of best efforts and repeated requests.

		Rs
(c) (1) Crops—96 acres	..	27,380
(2) Houses—100 (Nos)	..	47,900

(d) (i) Yes.

(ii) A sum of Rs 5,315 has been distributed in these villages by way of house repairs grants (gratuitous relief) and Taccavi Loans.

(e) The abadi of villages Sujokalia, Burewal and Qutabewal have already been proposed to be shifted outside the Dhussi Bund. The abadi of village Hussainpur Dullowal is also proposed to be shifted on the country-side of the Dhussi Bund . In the meantime, the residents of these villages have been provided sites for putting up temporary shelters.

Regarding Faridpur the residents comprising seven families have shifted to Talwandi Chaudherian.

BETTER CLASS IN JAILS DURING HINDI SAMITI MOVEMENT

2971. Sardar Atma Singh : Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) the names of persons arrested in connection with the Hindi Samiti movement in the State and who were given 'better class' in the various jails within the last four years ;

(b) the dates when the persons mentioned in part (a) were placed in better class and released, separately ;

(c) the qualifications of those mentioned in part (a) above for being placed in 'better class' ;

(d) the names of those mentioned in part (a) above who were given 'better class' by the trial magistrates, the jail authorities and Government separately ?

Pandit Mohan Lal : The time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with any possible benefit to be obtained.

SYPHONS SANCTIONED FOR WESTERN JUMNA CANAL

2975. Shri Ram Piara : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the number and names of syphons constructed with the Western Jumna Canal, construction of which was sanctioned during the period from 1st April, 1958 up to date for the purpose of draining out water from the water-logged area and the date when each of them was sanctioned ;

(b) whether any of the syphons referred to in part (a) above have been constructed ; if so, which and the dates of construction in each case ;

(c) the names of these syphons which have yet to be constructed and when ;

(d) the cost of each of the syphons sanctioned above and the capacity of each ;

(e) the names of the drains the water of which will be carried by the syphons mentioned above ?

Rao Birendar Singh : (a) The following syphons have been constructed for draining out water from the waterlogged area of Western Jumna Canal :—

(1) Syphon at R.D. 21500 of Ghogripur Distributary, sanctioned on 16th November, 1959.

(2) Syphon at R.D. 31200 of Indri Drain, sanctioned on 23rd November, 1959.

(3) Syphon at R.D. 52185 of Main Drain No. II, sanctioned on 11th December, 1959.

(4) Syphon at R.D. 5500 of Nilokheri Drain, sanctioned on 19th June, 1959.

(5) Syphon at R.D. 7500 of Kheri Distributary, sanctioned on 4th January, 1960.

(6) Sink Syphon at R.D. 42000 Sink Drain crossing with Butana Branch at R.D. 48277, sanctioned on 14th July, 1958.

(7) Syphon at R.D. 14875 Bahadurpur Drain in R.D. 16375 Jind Distributary No. 3, sanctioned in July, 1960.

(8) Syphon at R.D. 18500 Bahadurpur Drain at R.D. 59000 Bhudha khera Minor, sanctioned in July, 1960.

(9) Syphon at R.D. 2875 Kheri Dhamkan Drain /R.D. 58520 (old) Rohtak Distributary, sanctioned in April, 1959.

(b) Yes the syphons referred to in part (a) have been constructed during the months noted below seriatim :—

(1) November, 1959.

(2) November, 1959.

(3) December, 1959.

(4) June, 1959.

(5) January, 1960.

(6) July, 1960.

(7) August, 1960.

(8) August, 1960.

(9) January, 1960.

(c) The following syphons have yet to be constructed. These shall be constructed next year after their designs are finalised :—

(1) 2 No. syphons at R.D. 4000 and 8000 of Berthal Distributary.

(2) Syphon at R.D. 6250 Sambhu Minor.

(3) Syphon at R.D. 34020 Gholpur Minor.

(4) 2 No. syphons at R.D. 17000 and 22000 Rakshi Distributary.

(5) Syphon at R.D. 5000 Chirana Sub-Minor.

(6) Syphon at R.D. 21450 Budhakhera Distributary.

(7) Syphon at R.D. 9930 Ghogri Distributary.

(8) Syphon at R.D. 17500 Rambha Distributary.

(9) Syphon at R.D. 32700 Rambha Distributary.

(10) Syphon at R.D. 8000 Begampur Distributary.

(d) The cost of each of the syphons sanctioned above and the capacity of each are given as under seriatim :—

Serial No.	R.D. of Syphon	Cost	Designed discharge
		Rs	
1	2 No. syphons at R.D. 4000 and 8000 of Berthal Distributary	10,000	125 Cusecs
2	Syphon at R.D. 6250 Sambhu Minor ..	3,000	12.2 Cusecs
3	Syphon at R.D. 34020 Gholpur Minor	2,000	17 Cusecs
4	2 No. syphons at R. D. 17000 and 22000 Rakshi Distributary	20,000	39.5 Cusecs
5	Syphon at R.D. 5000 Chirana Sub-Minor	4,000	7.7 Cusecs
6	Syphon at R.D. 21450 Budhakhera Distributary	2,000	2.2 Cusecs
7	Syphon at R.D. 9930 Ghogri Distributary	2,000	12.5 Cusecs
8	Syphon at R.D. 18500 Rambha Distributary	7,000	47 Cusecs
9	Syphon at R.D. 32700 Rambha Distributary	5,000	11 Cusecs
10	Syphon at R.D. 8000 Begampur Distributary	2,000	4.6 Cusecs

(e) Name of syphon	Name of drain
(1) 2 No. syphons at R.D. 4000 and 8000 of Berthal Distributary	All these syphons are for new link drains, which are under construction
(2) Syphon at R.D. 6250 Sambha Minor	
(3) Syphon at R.D. 34020 Gholpur Minor	

(e)	R.D. Syphon	Cost	Designed discharges
	(4) 2 No. syphons at R.D. 17000 and 22000 Rakshi Distributary		All these syphons are for new link drains, which are under construction.
	(5) Syphon at R.D. 5000 Chirana Sub-Minor		
	(6) Syphon at R.D. 21450 Budhakhera Distributary		
	(7) Syphon at R.D. 9930 Ghogri Distributary		
	(8) Syphon at R.D. 18500 Rambha Distributary		
	(9) Syphon at R.D. 32700 Rambha Distributary		
	(10) Syphon at R.D. 8000 Begumpur Distributary		

HARIJANS CO-OPERATIVE CREDIT AND THRIFT SOCIETIES IN KARNAL CITY

2976. Shri Ram Piara : Will the Minister for Communit Development be pleased to state—

(a) the number and names of Harijan Co-operative Credit and Thrift Societies at present in Karnal City together with the number of the members of each ;

(b) the date when each of the societies mentioned in part (a) above was registered;

(c) the maximum credit limit of each of the said societies and the amount advanced so far to each ?

Sardar Gurbanta Singh : (a) to (c) A statement is enclosed.

Statement regarding Harijan Co-operative Thrift and Credit Societies, Karnal City

Serial No.	Name of the Society	Membership	Date of Registration	Maximum Credit Limit	Loan advanced by C. B. to each society up till now, since its Inception	Balance of the loan outstanding at present
				Rs	Rs	Rs nP.
1	The Karnal Khakroban Non-Agricultural Credit Society	113	4-5-28	30,000	96,774	22,156.45
2	The Karnal Harijan Non-Agricultural Credit Society	48	12-5-55	8,000	15,950	10,308.96
3	The Karnal Harijan Arjan Gate Co-operative Thrift and Credit Society	42	27-6-55	9,000	21,000	7,113.73
4	The Karnal District Scheduled Castes Vimukt Jaties Co-operative Agricultural Thrift and Credit Society	74	19-9-57	1,30,000	1,30,000	1,29,850.00
5	The Karnal Sadar Bazar Harijan Non-Agricutural Credit Society	25	19-2-58	4.000	3,700	3,425.79
6	The Karnal Jamna Camp Harijan Non-Agricultural ral Credit Society	70	15-11-58	9,000	11,100	6,700.00
7	The Karnal Mohalla Ram Dass Pura Non-Agricultural Credit Society	27	12-12-58	3,000	7,700	2,300.00

ROAD ACCIDENTS IN 1959-60

2985. Sardar Dhanna Singh Gulshan : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of accidents caused by Trucks, Motor-cars, Buses and Tractors reported to the police in the State, district-wise, during the year 1959-60 and their details ;

(b) the details of loss of life/property as a result of the accidents mentioned in part (a) above ;

(c) what steps, if any, have been taken by Government to prevent the recurrence of such accidents in future ?

Sardar Partap Singh Kairon : The statement containing the requisite information is laid on the Table.

STATEMENT

(a) Road accidents caused by—

(b) Loss of life/property as a result of the accidents mentioned in part (a).

District	*Trucks*		*Motor-cars*		*Buses*		*Tractors*		*Total persons killed in*		Steps, if any, taken by Government to prevent re-occurrence of such accidents in future
	1959	1960	1969	1960	1959	1960	1959	1960	1959	1960	
	(a)						(b)				(c)
Hissar ..	29	24	8	11	9	6	6	..	30	20	All the 3 chief tools, viz., enforcement, engineering and education were pressed into gear for the prevention of accidents. On the enforcement side stress were laid on checking of overspeeding, dangerous driving, racing and overloading of vehicles by the Mobile Traffic Staff. On the engineering side P.W.D. eliminated dangerous bends and widened narrow bridges and roads. On hill roads parapet walls were raised. Important slogans on road safety were displayed on the net work of roads in the State, so as to remind the motorist squarely of their obligation towards road sense and safety. Films and slides on road safety were exhibited in the cinemas. Radio talks were given in the Dehati programme for the benefit of the public. In the Capital area of Chandigarh on all road-junctions permanent roundabouts or white washed drums have been provided to ensure traffic safety. As for the education side the Public Instructions Department have included chapters on road sense in the School Text Books for promotion of safety habits among the students. Lectures in the morning assembly are also arranged and the vital importance of road safety is stressed.
Rohtak ..	42	32	11	3	9	11	1	1	27	21	
Gurgaon ..	36	21	11	7	6	8	2	2	20	17	
Karnal ..	40	47	10	6	10	1	1	2	21	20	
Ambala ..	53	46	8	20	37	13	3	..	24	20	
Simla ..	12	5	4	4	6	5	..	..	4	3	
Kangra ..	21	10	5	5	8	6	..	..	15	4	
Hoshiarpur ..	22	22	4	5	2	2	..	..	10	13	
Jullundur ..	31	18	15	8	8	6	3	..	27	15	
Ludhiana ..	17	27	4	10	5	4	1	2	10	22	
Kapurthala ..	2	1	..	..	..	2	..	..	3	1	

District	Trcuks		Motor-cars		Buses		Tractors		Total persons killed in		Steps, if any, taken by Government to prevent re-occurence of such accidents in future
	1959	1960	1959	1960	1959	1960	1959	1960	1959	1960	
			(a)						(b)		(c)
Ferozepur ..	32	20	10	8	9	13	8	4	17	23	Further to all that, the Transport Department is planning to display posters containing 'SKULL AND BONES SIGN' at the places where serious accidents have occurred in the past which will have a salutary effect on all road-users. 'Safety First Week' is also being organised in this State with a view to promote road sense among the operators, drivers and conductors in particular and the public in general. The increase in the number of accidents is due to more vehicular traffic consequent on the implementation of development programmes and developing economy of the State. The measures adopted are extensive and should achieve the object in view.
Amritsar ..	12	14	1	2	4	7	..	..	7	9	
Gurdaspur ..	15	12	1	..	3	1	..	..	11	7	
Patiala ..	31	27	5	5	7	10	1	2	18	21	
Sangrur ..	9	7	3	1	12	9	2	..	11	11	
Bhatinda ..	13	5	3	..	7	4	4	4	27	13	
Narnaul ..	1	2	1	..	..	1	..	1	2	3	

N.B.—Regarding Part (a) of the question "the details of the accidents" (b) of the question the "details of loss of life"

The labour involved in regard to this information will not be commensurate with the benefits sought to be derived by the Member. The reply can be furnished regarding any special accident if called.

11475 P.V.S.—350—19-5-61—C., P. and S. Pb., Chandigarh.

Punjab Vidhan Sabha Debates

25th October, 1960

Vol. II—No. 4

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Tuesday, the 25th October, 1960

Price Rs : Rs. 5.13 nP.

ERRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES, VOL. II, NO. 4, DATED THE 25TH OCTOBER, 1960

Read	*for*	*on page*	*line*
Dirty	Disty	(4)4	4
23rd	23sd	(4)9	3rd from below
Sardar	sardr	(4)14	10th from below
involve	inovlve	(4)61	17th from below
strictures	str ctures	(4)95	21
allotted	alloted	(4)110	21

PUNJAB VIDHAN SABHA

Tuesday, the 25th October, 1960

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, *Chandigarh, at* 2.00 *p.m. of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.*

SUPPLEMENTARIES ON STARRED QUESTION No. 6071 (POSTPONED)

डाक्टर परमा नन्द : मिनिस्टर साहिब ने बताया था कि 31 आदमियों के warrants जारी हुए थे लेकिन चार आदमियों से recovery हुई और 27 आदमियों से recovery नहीं हुई। इस का क्या कारण है ?

Mr. Speaker : The Minister for Industries is absent today. This question will be taken up when he attends the meeting.

SUPPLEMENTARIES ON STARRED QUESTION NO. 5818

श्री राम चन्द्र कामरेड : मुख्य मंत्री जी ने फरमाया था कि Shri J. S. Claire की heckling हुई इसलिये उन्होंने खुदकुशी कर ली। मैं दरियाफ्त करना चाहता हूं कि यह heckling Central Minister के सामने हुई और इस heckling के बाद उन्होंने फौरन खुदकुशी कर ली या उस के 15/20 दिन बाद उन्होंने खुदकुशी की ?

मुख्य मंत्री : इस के मुतअल्लिक तो मुझे पता नहीं। मैम्बर साहिब ने दरियाफ्त किया था कि कमेटी की रिपोर्ट क्या है उस के मुतअल्लिक मैं ने बता दिया था।

श्री राम प्यारा : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि Mr. Claire के Deputy Law Minister के पास ब्यान देने और वापस पंजाब में आ कर suicide करने के दरमियान यहां के पुलिस अफसरान ने उन की heckling की ?

Mr. Speaker : This question does not arise.

श्री राम प्यारा : मैं, स्पीकर साहिब, यह पूछना चाहता हूं कि heckling नई देहली में हुई या नई देहली की heckling और suicide के वक्फे के दरमियान पंजाब में भी उन की heckling की गई ?

Note.—Starred Question No. 6071 alongwith its reply appears in the P.V.S. debate Vol. II No. 1, dated 17th October, 1960.

Note.—Starred Question No. 5818 alongwith its reply appears in the P.V.S. debate, Vol. II—No. 3, dated 24th October, 1960.

Mr. Speaker : This question does not arise. The answer was very clear. Heckling was done when he gave his statement before the Union Deputy Minister for Law.

श्री राम प्यारा : यह जो चिट्ठी है इस से ज़ाहिर होता है कि heckling देहली में हुई।

Mr. Speaker : It is a question of opinion. It cannot form subject-matter of a supplementary question.

श्री राम प्यारा : स्पीकर साहिब, जो रिपोर्ट पंजाब गवर्नमैण्ट ने की है उस से पता चलता है कि hecking देहली में हुई।

Mr. Speaker : Chief Minister's reply was very clear on that point.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : Shri Claire ਦੀ death ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ services ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ services ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ family ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ provision ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?

Chief Minister : It is being considered.

श्री राम प्यारा : Shri Claire की suicide के मुतअल्लिक जो गवर्नमैण्ट ने रिपोर्ट दी है उस पर ग़ौर करते हुए गवर्नमैण्ट का क्या ख्याल है कि आया यह heckling जायज़ थी या नाजायज़ ?

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਚੀਫ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ Mrs. Claire ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ?

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

CONSTRUCTING DAM ON RIVER GHAGGAR

*5909. **Sardar Prem Singh Prem :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether it is a fact that the scheme for constructing a dam on river Ghaggar in the State has been approved by the Centre; if so, whether there is any proposal to include it in the Third Five-Year Plan ?

Rao Birendar Singh : No the scheme has been included in the State Draft Third Five-Year Plan.

PONG DAM PROJECT

*5912. **Shri Rup Singh Phul :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the approximate date when the construction of the Pong Dam is likely to be started and completed separately;

(b) the estimate of expenditure of the said Dam ;

(c) whether Government have selected any places for the settlement of oustees from the area of the said Dam; if so, what ?

Rao Birendar Singh : (a) It is hoped that funds would be made available by the Central Government to take up the construction work on the Beas Dam Project in the very near future. Works will be started thereafter.

The works are programmed to be completed in 8 years, but this period is subject to a number of assumptions such as funds, organisation, materials, equipment and labour.

(b) Rs. 87 crores approximately.

(c) Not yet, but efforts are being made to obtain highest priority for settlement of oustees on the Rajasthan Canal areas in Rajasthan.

Shri Rup Singh 'Phul' : Sir, may I know the extent of population and area that is going to be affected by this Dam ?

Minister: The area is 99,000 acres. Out of this 28,000 acres are culturable. The people affected would be 70,000.

Shri Rup Singh 'Phul' : Sir, may I know the time by which the actual evacuation of the oustees will take place ?

Minister : It is difficult to say at this stage.

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕੁਲ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਉਠਣਾ ਹੈ ?

Minister : I have not got this information readily available with me.

BETTERMENT LEVY IN VILLAGES IN TEHSIL PATTI, DISTRICT AMRITSAR

***6091. Sardar Gurwaryam Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the names of villages in tehsil Patti, District Amritsar, where betterment levy has been imposed, the amount thereof assessed villagewise and the reasons for its imposition?

Rao Birendar Singh : No betterment levy is imposed in any village of Tehsil Patti, district Amritsar.

WATER DISCHARGE AT TAIL OF DABWALI DISTRIBUTARY (KOTLA BRANCH)

***6131. Shri Sahi Ram Bishnoi :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the authorised water discharge at the tail of Dabwali Distributary (Kotla Branch) and the details of actual gauge report in this respect during the last four months i.e. June to September, 1960, and the steps taken to make up the shortage, if any ?

Rao Birendar Singh : The authorised gauge of discharge at tail is 1.0 ft.

Statements of the tail gauges observed at the tail of Dabwali Distributary during June, July, August and September, 1960, are placed on the Table.

There has been shortage at tail. To ensure authorised supply the Distributary is being remodelled.

[Minister for Irrigation and Power]

Statement showing discharge at head and tail gauges of Dabwali Distributary for the month of June, 1960

Date	Full supply discharge at Head Dabwali 83 cs.		Gauge at Tail Dabwali disty in Feet	Remarks
	Head Dabwali Gauge in feet	Actual Discharge at head of Dabwali, in cusecs		
1	4.7	83	N.T.	N.T. means gauges not taken on those dates. Usually observations are taken on alternative days.
2	4.7	83	1.1	
3	4.7	83	N.T.	
4	4.6	76	1.05	
5	Nil	Nil	Channel closed	
6	Nil	Nil		
7	Nil	Nil		
8	Nil	Nil		
9	Nil	Nil		
10	4.6	76	0.9	
11	4 7	83	N.T.	
12	4.7	83	1.05	
13	4.7	83	N.T.	
14	4.7	83	1.10	
15	4.9	93	N.T.	
16	4.35	63	0.6	
17	4.4	66	N.T.	
18	Nil	Nil	Channel closed	
19	Nil	Nil		
20	Nil	Nil		
21	Nil	Nil		
22	Nil	Nil		
23	3.75	36	Nil	
24	4.3	66	0.6	
25	4.50	71	N.T.	
26	4.50	71	0.7	
27	4.50	76	N.T.	
28	4.50	76	0.9	
29	4.50	71	N.T.	
30	4.50	71	0.7	

Statement showing discharge at head and tail gauges of Dabwali Distributary for the month of July, 1960.

Date	FULL SUPPLY DISCHARGE AT HEAD DABWALI 83 cs.		Gauge at Tail Dabwali Disty. in feet	REMARKS
	Head Dabwali Gauge in feet	Actual disharge at head of Dabwali in cusecs		
1	4.4	66	N.T	N.T. means gauge not taken..
2	4.5	71	0.7	
3	4.6	76	N.T.	
4	4.5	71	0.9	
5	4.6	76	N.T.	
6	4.6	76	0.9	
7	4.6	76	N.T.	
8	4.6	76	1.0	
9	4.6	76	N.T.	
10	4.65	79	1.15	
11	4.65	79	N.T.	
12	4.65	79	1.20	
13	4.60	76	N.T	
14	4.60	76	1.05	
15	4.50	71	N.T.	
16	4.6	76	1.10	
17	4.70	83	N.T.	
18	4.80	87	1.30	
19	4.80	66	N.T.	
20	4.40	66	1.05	
21	4.40	66	N.T.	
22	4.40	66	0.8	
23	4.20	56	N.T.	
24	Nil	..	Channel	
25	Nil	..	Closed	
26	Nil	..	,,	
27	Nil	..	,,	
28	Nil	..	,,	
29	Nil	..	,,	
30	4.20	56	Low supply at head on re-opening	
31	4.50	71		

[Minister for Irrigation and Power]

Statement showing actual discharge at Head Dahwali Disty. and tail gauges of Dabwali Disty. for the month of August, 1960

Date	FULL SUPPLY DISCHARGE AT HEAD DABWALI DISTRIBUTARY 83 CS.		Gauge at Tail Dabwali Disty in feet	REMARKS
	Head Dabwali gauge in feet.	Discharge at head of Dabwali in cusecs		
1	4.6	76	0.95	N.T. means gauges not taken on the dates. Usually observations are taken on alternative days.
2	4.6	76	N.T.	
3	4.6	76	0.70	
4	4.6	76	N.T.	
5	4.5	71	0.5	
6	4.5	72	N.T	
7	4.6	76	0.5	
8	4.5	71	N.T.	
9	4.5	71	0.55	
10	4.7	83	N.T.	
11	4.6	76	0.6	
12	4.6	76	N.T.	
13	4.6	76	0.65	
14	4.6	76	N.T.	
15	4.6	76	0.6	
16	4.6	76	N.T.	
17	4.5	71	0.5	
18	4.25	59	N.T.	
19	3.5	28	Nil	
20	4.4	66	N.T.	
21	4.2	56	Nil	
22	4.4	66	N.T.	
23	4.4	66	0.2	
24	4.2	56	N.T.	
25	4.5	71	0.5	
26	4.6	76	0.55	
27	4.3	61	Channel closed	
28	Nil	Nil		
29	Nil	Nil		
30	Nil	Nil		
31	Nil	Nil		

Statement of actual discharge at Head Dabwali Disty. and tail gauges of Dabwali Disty. for the month of September, 1960

Date	Full supply discharge at Head Dabwali Disty. 82 cs.		Tail Gauge of Dabwali Disty. in feet	Remarks
	Head Dabwali gauge in feet	Discharge at head at Dabwali in cusecs		
1	Nil	Closed	..	N.T. means gauges not taken on those dates. Usually observations are taken on alternative days.
2	Nil	Do	Nil	
3	Nil	Do	..	
4	Nil	Do	Nil	
5	Nil	Do	..	
6	Nil	Do	Nil	
7	Nil	Do	..	
8	Nil	Do	Nil	
9	Nil	Do	..	
10	4.25	59	Nil	
11	4.6	76	N.T.	
12	4.5	71	0.4	
13	4.5	71	N.T.	
14	4.5	71	0.4	
15	4.5	71	N.T.	
16	4.6	76	0.4	
17	4.6	76	N.T.	
18	4.6	76	0.4	
19	4.6	76	N.T.	
20	4.5	71	0.4	
21	4.4	66	..	Low supply (21–24)
22	3.25	19	..	
23	Leakage	..	..	
24	3.25	19	0.7	
25	4.3	61	N.T.	
26	4.6	76	0.7	
27	4.6	76	N.T.	
28	4.65	79	0.55	
29	4.65	79	N.T.	
30	4.6	76	0.55	

JUDGMENT IN CIVIL WRIT NO. 404 OF 1959

***5849. Shri Jagat Narain Chopra** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether copy of the Judgment delivered by the Punjab High Court on 25th November, 1959, in Civil Writ No. 404 of 1959 has been obtained by Government; if so, a copy thereof may be laid on the Table;

(b) whether any action has been taken by Government against the Assistant Director, Consolidation of Holdings, Patiala Division., on the remarks made about him by the High Court in the Judgment referred to in part (a) above; if so, what; if not, the reasons therefor ?

Rao Birendar Singh : (a) Yes. A copy of the Judgemnt is laid on the Table.

(b) The matter is still sub-judice. Letter Patent Appeal No. 192 of 1960 has been filed in the Punjab High Court for expunging the remarks passed against the Assistant Director Consolidation of Holdings, Patiala. The appeal has not yet been decided and as such for the present the question of taking any action against the officer does not arise.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR THE STATE OF PUNJAB AT CHANDIGARH

Civil Writ No. 404 of 1959

(1) Bhagwan Singh, son of Chandgi Ram, caste Jat, resident of village Bahu Akbarpur, tehsil and district Rohtak.

(2) Dharam Singh, son of Chandgi Ram, caste Jat, resident of village Bahu Akbarpur, Tehsil and district Rohtak,—*Petitioners.*

Versus

(1) The Assistant Director, Consolidation of Holdings, Patiala, with Rohtak District, within his jurisdiction.

(2) Settlement Officer, Consolidation of Holdings, Rohtak.

(3) Chhotu

(4) Dipu, sons of Arjan

(5) Hava Singh

(6) Charan Singh, sons of Jug Lal, caste Jat, resident of village Bahu Akbarpur, tehsil and district Rohtak. —*Respondents*

PETITION UNDER ARTICLE 226 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The 25th day of November, 1959.

PRESENT: Hon'ble Mr. Justice D. K. Mahajan.

For the petitioners.—Mr. H. L. Sarin, Advocate.

For the Respondents. No. 3, 4 and 6.—Mr. B. S. Bindra for Shri Anand Saroop Advocate.

For the State—Mr. H. S. Doabia, Additional Advocate-General.

ORDER.

This is a writ petition under Article 226 of the Constitution of India, against an order of the Assistant Director, Consolidation of Holdings, with the powers of the State Government, dated the 30th of December, 1958, whereby he withdrew the area allotted to the petitioners in repartition proceedings and in lieu thereof alotted another area to them.

This writ petition discloses facts which clearly go to show how the rule of law is flouted by persons in authority and all canons of justice and fair-play are set at naught in order to please persons considered all powerful so that the officer entrusted with the administrarion of law can stand in their sunshine. It matters little to the officer that he not only owes duty to the law which he is entrusted to administer but also to the people of this country who, in the changed circumstances, expect the officers to be fair and fearless, and to stand out against illegalities and injustices and not to succumb for their personal ends and gains and thereby become instruments of injustice.

The facts giving rise to this petition may be shortly stated. The village in question is Bahu Akbarpur, tehsil and district Rohtak. In this village consolidation proceedings started in the year 1951. A scheme was prepared and confirmed, and in accordance with that scheme, repartition was started. To this repartition, objections were preferred by respondents Nos. 3 to 6 under section 21(2) of the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention. of Fragmentation) Act, 1948 (Act No. 50 of 1948) hereafter called the Act. These objections were rejected by the Consolidation Officer on the 4th of June, 1953, and on appeal to the Settlement Officer, the case was remanded to the Consolidation Officer, for re-decision on the 4th of April, 1954 the consolidation Officer, in consequence of the remand order, withdrew Killa Nos. 121/16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 and 25 from the petitioners and in lieu thereof he allotted other land to them. The petitioners appealed to the Settlement Officer against this order and this appeal, according to the contention of the learned counsel for the petitionwas at one place rejected and at another allowed and, according to the contention, of the State counsel, the case was remanded to the Consolidation Officer. However, this is no longer of any consequence. Against this order, the petitioners appealed under section 21(4) of the Act and this appeal was disposed of by the Assistant Director, Consolidation of Holdings, on the 26th of September, 1955, when he passed the following order :—

> "The appellants said that on the north side of Killa Nos. 121/16, 17, 18, 19, 29 there was a rasta which they levelled. This rasta as I could judge from the parties was three feet in height and the appellants levelled in a length of 200 Karms. Thus, the earthwork of 120,000 cubic feet has been done by the appellants for which the respondents should pay the appellants Rs. 260. If Rs. 260 are not paid, the appellants will have all the area in killa Nos. 121/16, 17, 18, 19, 20, 21 22, 24, 25 and the respondents will have the appellants. Nehri area now given in rectangle No. 109. The respondents can make this payment within three months from the date of this order."

Respondents Nos. 3 to 6 did not, in consequence of this order, deposit the sum of Rs. 260 with the result that the area which had to be withdrawn from the petitioners could not be withdrawn. Later on respondents Nos. 3 to 6 made an application for extension of time for payment of the sum of Rs. 260. This application was rejected by the Assistant Director, Consolidation of Holdings, on the 22nd of October, 1956, and in consequence the petitioners were put in possession of the land to which they were entitled under the order, dated 26th of September, 1955, passed by the same officer.

It appears that in order to circumvent this final order respondents Nos. 3 to 6 approached the Minister, Consolidation of Holdings, and without taking proceedings under section 42 of the Act or passing an order under that provision, the Assistant Director, Consolidation of Holdings, achieved that purpose by passing an order in a totally different proceeding, i.e. in an appeal, *Chhotu Vs. Jage* to which the petitioners were not at all parties. When the petitioners came to know that the Assistant Director, Consolidation of Holdings, was going to interfere with the order dated the 26th of September, 1955, which had become final, they made an application to him on the 23sd of September, 1958, to hear them before any such order was passed. In spite of this application, no hearing was afforded to them and without going into the merits of the order, dated

[Minister for Irrigation and Power]

26th of September, 1955, the Assistant Director, Consolidation of Holdings, on 30th of December, 1958, passed an order towards the end of his judgment in these terms—

"*Sh. Bhagwan Singh etc., sons of Chandgi*

Area withdrawn. Killa Nos. 121/16(3-7), 17(2-8), 18(2-19), 19(3-2), 20(2-18), 22(3-15), 23(2-16), 24(1-7), 25(4-5) total; 26-17.

Area given:—Killa Nos. 109/18, south (6-11), 19/1 (5-18), 19/2(1-18), 22/1(3-4), 22/2(4-7), 23/1(4-18), total 26-16".

It is against this order that the present petition is directed.

It may be stated here that there is no order produced before me which was passed under section 42 of the Act. Mr. Doabia's contention is that I should treat the above order as one passed under section 42 of the Act. I am unable to agree with this con-, tention. Scction 42 of the Act is in terms :—

"42. the State Government may at any time for the purpose of satisfying itself as to the legality or propriety of any order passed by any officer under this Act call for and examine the record of any case pending before or disposed of by such officer and may pass such order in reference thereto as it thinks, fit ;

Provided that no order shall be varied or reversed without giving the parties interested notice to appear and opportunity to be heard except in cases, where the State Government is satisfied that the proceedings have been vitiated by unlawful considerations."

It is clear from the language of this section that no order can be passed under this provision without giving the parties interested notice to appear and an opportunity of being heard except in cases where the state Government is satisfied that the proceedings have been vitiated by unlawful considerations. This has not been done in this case. Nor it can be said that the order in dispute was passed because the proceedings were vitiated by any unlawful considerations. As a matter of fact the respondents had scored their point and failed for laches on their part and not because the petitioner had scored unlawful advantage. It is simply a case where in order to carry out the supposed wishes of a Minister, and as I have said to stand out in his esteem that the officer concerned has completely flouted the law. I would accordingly allow this petition and quash the order, dated 39th of December, 1958, in so far as it affects the petitioners. The petitioners will have their costs which I assess at Rs. 100.

Sd. DAYA KRISHAN MAHAJAN

25th November, 1959 JUDGE

चौधरी इन्द्र सिंह : क्या वज़ीर साहिब ने judgment को पढ़ा है ?

मंत्री : मैं ने सारी judgment को नहीं पढ़ा लेकिन remarks को पढ़ा है ।

चौधरी इन्द्र सिंह : क्या वज़ीर साहिब ने यह remarks पढ़े हैं ?

मन्त्री : पढ़े हैं ।

चौधरी इन्द्र सिंह : क्या यह ठीक है कि Assistant Director, Consolidation of Holdings, Patiala Division, ने किसी मिनिस्टर के कहने पर miscarriage of justice किया ?

मन्त्री : यह ग़लत है ।

चौधरी इन्द्र सिंह : क्या किसी वज़ीर के approach करने पर ऐसी बात हुई ?

मन्त्री : यह सही नहीं जिस तरह से कि आप कह रहे हैं।

चौधरी इन्द्र सिंह : क्या वज़ीर साहिब के पास judgment की copy है ?

मंत्री : जी है।

चौधरी इन्द्र सिंह : तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि 30th December, 1958, को जब कि Assistant Director, Consolidation of Holdings, Patiala Division, ने फैसला दिया who was the Minister Incharge ?

मंत्री : उस वक्त इस का charge मेरे पास था।

पंडित श्री राम शर्मा : जनाब, मेरा सवाल यह है कि जिस वक्त हाई कोर्ट ने इस मामले में strictures दिये उस वक्त मिनिस्टर कौन था ?

मंत्री : हाई कोर्ट का फैसला तो अब हुआ है।

पंडित श्री राम शर्मा : मैं पूछता हूं कि जिस वक्त यह केस हुआ जिस के बारे में अब फैसला हुआ है उस वक्त मिनिस्टर कौन था ?

मंत्री : मुझे मालूम नहीं है कि उस वक्त कौन सी तारीख थी।

चौधरी इन्द्र सिंह : इस जजमेंट में दो तारीखों का हवाला दिया गया है, एक तारीख वह जिस में reverse किया गया है और दूसरी वह जो पहले की तारीख है। जो पहले की तारीख है उस वक्त कौन वज़ीर था ?

श्री अध्यक्ष : यह बात तो पंजाब गवर्नमैंट के गेजेट से मालूम की जा सकती है। (This information can be obtained from the Punjab Government Gazette.)

चौधरी इन्द्र सिंह : पहली तारीख है 23 सितम्बर, 1958, और दूसरी तारीख है 30 दिसम्बर, 1958। मैं जानना चाहता हूं कि 23 सितम्बर, 1958, को कौन वज़ीर था ?

मंत्री : मेरा ख्याल है कि उस वक्त मेरे चार्ज में महकमा था।

EMPLOYEES UNDER STATE TRANSPORT UNDERTAKINGS, ETC.

***6184. Chaudhri Devi Lal :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the total number of persons belonging to the Hindi and the Punjabi Regions, separately, employed at present in :—

(i) the State Transport Undertaking,
(ii) the Pepsu Road Transport Corporation and
(iii) the Kulu Mandi Transport Corporation ;

(b) the total number of technicians among those mentioned in part (a) above ?

Rao Birendar Singh :

Name of Undertaking		Belonging to Hindi Region	Belonging to Punjabi Region
(a) (i) State Transport Undertakings, i.e. Punjab, Roadways	..	484	1,776
(ii) Pepsu Road Transport Corporation, Patiala	..	118	472
(iii) Mandi Kulu Road Transport Corporation, Mandi	..	170	115
(b) (i) State Transport Undertakings, i.e. Punjab, Roadways	..	102	321
(ii) Pepsu Road Transport Corporation, Patiala	..	10	50
(iii) Mandi Kulu Road Transport Corporation, Mandi	..	42	6

BUILDING OF GOVERNMENT COLLEGE FOR BOYS AT CHANDIGARH

***5901. Sardar Prem Singh Prem :** Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) the date on which the construction of the building of the Government College for Boys at Chandigarh was started and completed, separately ;

(b) whether the said building has been occupied by the College ; if not, the reasons therefor ;

(c) the total expenditure incurred on the maintenance and other charges of the said building from the date of its completion to-date ?

Sardar Niranjan Singh Talib (Deputy Minister) : (a) The construction work was commenced on the 20th September, 1955, and was completed on the 30th November, 1959.

(b) No ; because some of the furniture has not so far been supplied by the firms concerned.

(c) Nil.

ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮ : ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਸੇਗੀ ਕਿ ਇਸ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੌਕੀਦਾਰ ਜਾਂ ਜਮਾਂਦਾਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ?

ਉਪ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਨੰਵਬਰ ਦੇ ਆਖੀਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ September, 1955 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।

ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮ : Completion ਦੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੋਈ ਜਮਾਂਦਾਰ ਜਾਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

ਉਪ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ period ਵਿਚ ਇਕੋ ਜਮਾਂਦਾਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੀ ।

COMPLETION OF ROADS FROM BARNALA TO RAIKOT, ETC.

*5987. **Sardar Kartar Singh Diwana :** Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) whether the roads from Barnala (district Sangrur) to Raikot (district Ludhiana) and Pakhoke to Ramgarh in district Sangrur are likely to be completed during the current year ;

(b) the time by which the following roads are likely to be completed :—

(i) from Ramgarh, district Sangrur, to Moga, district Ferozepur ;

(ii) from Barnala to Thikriwala, district Sangrur ;

(iii) six miles of the road from Barnala to Mansa near Dhaula in district Bhatinda ?

Sardar Niranjan Singh Talib (Deputy Minister) : (a) Yes, subject to the availability of funds.

(b) (1) 31st August, 1961, subject to the availability of funds.

(2) 31st March, 1962, subject to availability of funds.

(3) In the current financial year, subject to availability of funds.

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਰਾਇਕੋਟ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤਨਾ ਰੁਪਿਆ sanction ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ funds ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਮੁਹਮਲ ਜਿਹਾ ਹੈ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ 'subject to the availability of funds.' (The reply is 'subject to the availability of funds.')

PEDESTRIAN BRIDGES OVER KHUDS IN KANGRA DISTRICT

*5999. **Chaudhri Hari Ram :** Will the Minister for Public Works be pleased to state whether the pedestrian bridges (1) on Khud Gaj at Ghra near Dharamsala ; (2) on Khud Khowli in village Kareri, (3) on Khud Brahl in village Boh, (4) on Khud Baner near Gohilian, (5) on Khud Gaj in vilage Lanj, district Kangra, had been included in the 2nd Five-Year Plan ; if so, whether these bridges are expected to be constructed during the 2nd Plan period ?

Sardar Niranjan Singh Talib (Deputy Minister) : No ; but only 3 pedestrian bridges mentioned against items (1), (3) and (4) above were provided in the Second Five-Year Plan.

Work on bridges as per items (1) and (3) could not be started during the Second Plan period owing to paucity of funds and the the same are now proposed to be included in the first year of the 3rd Five-Year Plan. Regarding item (4) it has been recently decided to provide a Jhoola crossing and approaches instead of a pedestrian bridge and work thereon will be taken in hand this year.

श्री निहाल सिंह : क्या वज़ीर साहिब यह बतायेंगे कि अभी तक 6 महीने के अर्से में कुछ भी क्यों नहीं हो पाया आखिर इस सुस्त रफतारी की वजह क्या है ?

उप-मंत्री : यह सुस्त रफतारी नहीं है। 4 मील की सड़क complete हो चुकी है। इस के अलावा इन कामों पर काफी earth work हो चुका है। और यह बड़ी तेजी से हो रहा है इस में सुस्त रफतारी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। काफी से ज़्यादा काम हो चुका है।

ROADS CONSTRUCTED IN MOHINDERGARH DISTRICT

*6146. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister for Public Works be pleased to state the total length in miles of roads constructed in Mohindergarh District since 1st April, 1960.

Sardr Niranjan Singh Talib (Deputy Minister) : Total length in miles of roads constructed in Mohindergarh District from 1st April, 1960 to 31st July, 1960 in 0.25 miles.

METALLING OF CERTAIN KACHA ROADS IN FEROZEPUR DISTRICT

*6164. **Sardar Sohan Singh :** Will the Minister for Public Works be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to metal the kacha roads from Bagha Purana to Nathana and Bagha Purana to Mudki in district Ferozepir ; if so, the approximate dates by which the said roads are expected to be metalled ?

Sardar Niranjan Singh Talib (Deputy Minister) : (i) Baghapurana-Nathana Road—Yes, the road will be completed during II Five-Year Plan.

(ii) Baghapurana-Mudki Road—No.

REPAIRING MOGA BADHANI KALAN IN FEROZEPUR DISTRICT

*6165. **Sardar Sohan Singh :** Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) whether he is aware of the fact that the road from Moga to Badhani Kalan in Ferozepur District has been in a dilapidated condition for the last many years ;

(b) if the answer to part (a) is in the affirmative, whether there is any proposal under the consideration of Government to get the said road repaired ; if so, when ?

Sardar Niranjan Singh Talib (Deputy Minister) : (a) Yes.

(b) Yes. The work of reconditioning of the road is in progress.

STRENGTH OF STAFF IN THE OFFICE OF THE SECRETARY, HOUSE ALLOTMENT COMMITTEE, CHANDIGARH

*6135. **Chaudhri Dasondha Singh :** Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) the total strength of staff in the offices of the Sectetary, House Allotment Committee (Lower), Chandigarh, with their names and designations and the nature of duties entrusted to each of them ;

(b) the names of the members of the House Allotment Committee (Lower) with their designation ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) and (b) A statement giving the desired information is laid on the Table of the House.

Statement showing the strength of staff in the office of the Secretary, House Allotment Committee (L) and the names of the members of the House Allotment Committee (L).

(a) The following are the officials engaged in the office of House Allotment Committee :—

Names of Officials	Designation	Duties entrusted
Shri R. L. Trikha	Head Assistant	He supervises the work of all officials in the allotment section and all cases pass through him before submission to officers.
Shri Manmohan Singh	Assistant-I	He deals with allotment work to officers/officials of categories III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X and XI besides allotment of houses to officers at Simla. He has also to attend to the work of preparing agendas of meetings of H. A. C. (L), H. A. C. (U) and H. A. C. (Officers), Simla.

[Chief Minister]

Names of Officials	Designation	Duties entrusted
Shri Gurcharanjit Jassal	Assistant-II	He deals with allotment work to officials of categories XII and XIII and prepares agendas of H. A. C. (L) in respect of categories XII and XIII.
Shri Anand Kishore Aggarwal	Clerk	He attends to work of record of Assistant No. I and prepares lists of officials waiting for allotment of shared accommodation, full houses/higher category houses.
Shri Manohar Lal Sood	Clerk	He attends to work of record of Assistant No. II and prepares lists of officials waiting for allotment of shared accommodation/ full houses/higher category houses.
Shri Nihal Singh	Clerk	He attends to diary and despatch work of the allotment section.

(b) The following officers are the Chairman and members of House Allotment Committee (Lower) :—

Name of officer		Designation	
1. Shri G. R. Nangea	..	Chief Engineer, Capital Project	Chairman
2. Shri Sewa Singh	..	Under-Secretary, Revenue	Member
3. Shri Des Raj Malik	..	Assistant Secretary to Government, Punjab	Member
4. Shri M. L. Bhalla	..	Assistant Secretary Finance	Member
5. Shri Hukam Singh	..	Registrar, Irrigation Branch	Member
6. Shri Kailash Narain	..	Executive Engineer, Construction Division No. III	Secretary

FUND FOR DEVELOPMENT OF HILLY AREAS IN THE STATE

***5920. Shri Rup Singh Phul** : Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state—

(a) whether any amount has been allocated by the Centre to the Government as 'Special Development Fund' for the development of hilly areas in the State during the current financial year ; if so, how much ;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative the amounts allocated by the Government out of the said Fund and the amounts actually utilised so far, tehsil-wise ;

(c) the names of the projects approved for completion, tehsilwise with the help of the said Fund ?

Sardar Gian Singh Rarewala : (a) No Sir. However, Government of India have promised a maximum grant of Rs 50.00 lakhs against an expenditure of Rs 2.00 crores for the development of hilly areas under the current years' State Plan. This grant will get reduced to the extent the total expenditure falls short of Rs 2 crores.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise. However, a list of schemes with tehsilwise break-up of funds allocated under this programme is placed on the Table of the House.

[Minister for Agriculture and Forests]

List of Schemes for the development of Hilly areas during 1960-61 *showing Tehsil-wise Provision*

Name of the Scheme	PROVISION TEHSILWISE									
	Kulu	Palampur	Kangra	Hamirpur	Dera	Nurpur	Kandaghat	Simla	Dunera Block	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Agricultural Production										
1. Establishment of Seed Farms and Stores in the Hilly areas	1.24	0.35	0.44	0.35	..	0.44	..	..	0.45	3.27
2. Establishment of Potato Seeds Farm, Manali ..	Entire hilly areas will be benefited									0.12
3. Procurement of improved seeds through registered growers in hilly areas	..	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	..	..	0.01	0.10
4. Multiplication of K-2 an improved variety of linseed for introduction in Kangra	Entire hill area excepting Kulu Sub-Division and Simla District will be benefited									0.10
5. Supply of pest control equipment on subsidised basis to Panchayats, better farming societies, model farms and cultivators	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.11
6. Distribution of Superphosphate hilly areas	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.10
7. Development of local manurial resources in hilly areas	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.27
8. Development of Horticulture in hill areas ..	2.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.60	0.40	0.40	5.60
9. Establishment of fruit nurseries and progeny gardens at two important centres in the State in hill areas	0.08	..	..	0.04	0.04	0.04	..	..	..	0.20
10. Establishment of nursery and progeny orchard in outer Seraj	0.13	..	..	..	..	..	..	..	..	0.13
11. Establishment of gardners training class at Kulu	Entire hill area will be benefited									0.23
12. Bee Keeping ..	Entire hill area will be benefited									0.13
13. Development of hilly areas ..	1.75	0.15	0.10	0.10	0.10	0.15	0.10	0.10	0.10	2.65
14. Improvement of hilly grasses ..	Entire hill area will be benefited									0.06
15. Research on hill soils and their special crops ..	Entire hill area will be benefited									0.11
16. Establishment of small-scale fruit preservation units in the hill areas	..	..	..	..	..	..	..	0.10	..	0.10
Total ..	5.57	0.87	2.01	0.96	0.61	1.10	0.75	0.65	1.01	13.28

Minor Irrigation										
1. Kuhls in Kangra District	3.96	0.94	..	0.54	0.44	1.97	..	..	..	9.35
Consolidation of Holdings										
1. Consolidation of Holdings	..	..	2.00	0.90	0.10	..	..	..	0.47	3.47
Animal Husbandry										
1. Expansion of the office of the Deputy Director, Animal Husbandry and District Officers in the Punjab	..	..	0.02	..	..	..	..	..	..	0.02
2. Scheme for the Development of Sheep and Wool in the State of Punjab	0.27	0.09	..	..	..	..	..	..	..	0.36
3. Scheme for the Conversion of 86 permanent outlying Dispensaries into regular Veterinary Hospitals and continuance of posts therefor	..	0.06	..	..	..	0.10	..	..	..	0.16
4. Scheme for the opening of 18 new permanent outlying dispensaries under the charge of trained veterinary compounder	..	..	0.045	0.045	..	..	..	..	..	0.09
5. Scheme for the opening of 4 more Gosadans in the State of Punjab	..	..	..	..	..	0.17	..	..	..	0.17
6. Scheme for the Development of Poultry Industry in the State of Punjab and expansion of existing Poultry Farm	..	0.04	..	..	..	..	..	..	..	0.04
7. Scheme for the Establishment of Regional Nutritional Centre in the Kangra District	..	0.83	..	..	..	..	..	..	..	0.83
8. Scheme for the introducing cattle of Kashmiri Breed in Kangra District	..	0.26	..	..	..	..	..	..	..	0.26
Total										1.93

[Minister for Agriculture and Forests]

Name of the Scheme	Provision Tehsil-wise									
	Kulu	Palam-pur	Kangra	Hamir-pur	Dera	Nurpur	Kanda-ghat	Simla	Dunera Block	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Forests										
1. Raising of fuel plantation on Railway P.W.D. road-side avenues and canal banks	..	0.03	0.03	..	0.01	0.03	..	..	..	0.10
2. Development works in connection with communication and buildings	0.35	0.14	..	0.05	..	..	..	..	..	0.54
3. Creation of pharmaceutical garden in Punjab ..	0.08	..	..	..	..	..	..	..	..	0.08
4. Forestry Schemes preparatory to Third Plan ..	0.28	0.04	0.08	..	..	..	0.10	..	..	0.50
5. Anti-erosion measures in Kulu Sub-Division excluding Lahaul and Spiti and in the catchment area (part) of Bhakra Reservior in Kangra District	3.50	..	..	1.50	..	..	..	..	..	5.00
6. Terracing and Wat Bandi operations in Kangra	0.53	0.07	0.31	0.32	0.10	0.46	..	..	..	1.79
7. Afforestation of Bhakra Dam catchment area ..	..	..	..	..	..	..	1.19	..	..	1.19
8. Afforestation of the catchment area of Asri and Giri Rivers	..	..	..	..	..	..	0.60	..	..	0.60
9. Soil Conservation Scheme preparatory to Third Plan	0.20	0.05	0.05	0.06	0.08	0.02	0.10	..	0.02	0.58
10. Soil Conservation over S hiwaliks (Pepsu) ..	..	..	..	..	..	..	0.11	..	..	0.11
Total ..										10.49

Fisheries										
Scheme for the survey of culturable waters and spawning grounds	0.01	0.01	..	..	..	..	..	..	..	0.02
Community Development and N.E.S.										
Community Development and N.E.S. Scheme ..	2.60	5.61	1.54	4.37	4.23	2.25	2.41		..	23 01
I. Co-operation and Warehousing										
1. Departmental staff ..	0.71	0.34	0.33	0.49	0.19	0.24	0.02	0.04	0.18	2.54
2. Assistance to Large-sized Societies ..	..	0.004	..	0.004	0.004	0.008	..	..	0.003	0.02
3. Strengthening and Revitalization of Small-Credit Societies	0.152	0.148	0.089	0.199	0.119	0.185	0.071	..	0.067	0.97
Total of group No. I										
II. Marketing, Farming, and Training										
4. Development of Co-operative Marketing ..	..	0.32	..	..	..	..	..	..	..	0.32
5. Development of Co-operative Farming ..	Entire hill area to be benefitted									0.02
6. Provision of stipend to additional trainees ..	Ditto									0.09
7. Training of office bearers of Co-operative Societies through P.C.	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.24
										4.20
Panchayats										
1. Grants-in-aid to Panchayats for development of hilly areas in Gurdaspur District	..	..	..	..	..	..	..	..	0.67	0.67
2. Financial assistance to Panchayats for expenditure on revenue earning schemes	0.41	0.70	0.50	0.61	0.40	0.30	0.30	..	0.26	3.47
										4.14

[Minister for Agriculture and Forestr]

Name of the Scheme	Provision Tehsilwise									
	Kulu	Palampur	Kangra	Hamirpur	Dera	Nurpur	Kandaghat	Simla	Dunera Block	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Irrigation										
(Lower Baijnath Kuhl) ..	..	1.00	..	..	..	..	..	..	..	1.00
Power Projects										
1. Uhl Power Development covering electrification of new and existing areas	3.48	..	10.18	4.16	3.11	3.00	..	..	7.22	31.15
2. Bhakra Nangal Local Power Project covering electrification of new and existing areas	..	..	..	..	..	..	2.61	..	..	2.61
										33.76
Roads										
1. Jeep Tracks in Hills (Simla District) ..	..	..	..	..	..	..	0.25	..	..	0.25
2. Bridge on Gaj khad near Chari on Dharamsala Chambi Road in Kangra District	..	..	1.00	..	..	..	..	..	..	1.00
3. Road from General Post Offce Dalhousie to Bakrota in Gurdaspur District	..	..	..	..	..	..	..	..	0.10	0.10

No.	Item										
4.	Sujanpur Baghera Road (Kangra District) ..	..	..	..	0.20	..	..	..	..	..	0.20
5.	Crossing for pedestrian on Gaj and Baner Khads on Ranital Kotla Road (Kangra District)	..	..	0.30	..	..	..	..	..	..	0.30
6.	Road to Vashistkot water springs in Kangra District	0.25	..	..	..	..	..	..	..	..	0.25
7.	Jawalamukhi-Dera Gopipur Road in Kangra District	..	..	..	1.00	..	..	..	..	..	1.00
8.	Palampur-Thoral-Sujanpur Road in Kangra district		1.83	..	..	..	..	..	..	..	1.83
9.	Nadaun-Jawalamukhi Road in Kangra District	..	..	..	1.50	..	..	..	..	..	1.50
10.	Una-Aghar Mandi Road in Kangra District ..	..	..	4.00	..	..	..	..	..	..	4.00
11.	Widening and improving Mandi Kulu Manali Road (Left Bank) (Kangra District)	4.00	..	..	..	..	..	..	..	..	4.00
12.	Bhuntar-Manikaran Road in Kangra District ..	1.00	..	..	..	..	..	..	..	..	1.00
13.	Improving and widening Luri Aut Road (Aut Banjar Section in Kangra District)	0.25	..	..	..	..	..	..	..	..	0.25
14.	Improving and widening Luri Aut Road (Luri Ani Section—Kangra District)	2.00		..	..	..	..		..	..	2.00
15.	Hamirpur Nadaun Mubarikpur Road in Kangra District	..	..	..	1.50	1.00	..	..	..	..	2.50
16.	Bilaspur-Aghar-Hamirpur Road in Kangra District	..	..	..	3.00	..	..	..	..	..	3.00
17.	Bridge over River Beas at Dera Gopipur in Kangra District	..	..	..	..	6.00	..	..	..	..	6.00
	Total ..	7.50	1.83	1.30	8.70	9.50	..	0.25	..	0.10	29.18

[Minister for Agriculture and Forests]

Name of the Scheme	Provision Tehsil-wise									
	Kulu	Palam-pur	Kangra	Hamir-pur	Dera	Nurpur	Kanda-ghat	Simla	Dunera Block	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Industries										
1. Re-organisation of Central Crafts Institute for Women	..	..	..	..	..	..	..	0.12	..	0.12
2. Industrial Schools for Girls ..	..	..	0.24	..	..	..	0.18	..	..	0.42
3. Industrial Schools for Girls at Kulu ..	1.50	..	..	..	..	..	..	..	..	1.50
4. Loans for the Development of Small-Scale Industries	0.25	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.25	0.25	1.00	3.50
5. Grant of Subsidies ..	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.02	0.02	0.01	0.08
6. Grant-in-aid to Educated Youngmen ..	0.005	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.005	0.02	0.005	0.007
7. Training Centre for Niwar, Lace and Tap-Making, in Kangra District	..	..	0.33	..	..	..	..	..	..	0.33
8. Setting up of a Carding Plant at Baijnath ..	..	0.23	..	..	..	..	..	..	..	0.23
9. Wool Sorting, Grading and Mixing Demonstration Party at Kulu	0.15	..	..	..	..	..	..	..	..	0.15
10. Financial Assistance to the Weavers Co-operative in Kangra for the purchase of improved appliances (wool)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	0.64
11. Pashmina Weaving Training Centre, Nurpur ..	..	..	..	..	..	0.27	..	..	..	0.27

12.	Pashmina Shawl Improvement Centre, Kulu ..	0.08	..	..	..	..	..	..	..	..	0.08
13.	Hooked Rug Training Centre, Dharamsala	..	..	0.19	..	..	..	..	..	..	0.19
14.	Namda Felting Trading Centre, Kulu ..	0.25	..	..	..	..	..	..	..	..	0.25
15.	Carpet Weaving Centre ,Kulu ..	..	0.28	..	..	..	..	..	..	..	0.28
16.	Chain Stitch Embroidry Centre ..	0.24	..	..	..	..	..	..	..	..	0.24
17.	Central Organization and Design Centre, Dharamsala	..	..	0.35	..	..	..	..	..	..	0.35
18.	Development of handicrafts among women through Co-operatives	0.01	..	..	0.02	0.01	..	..	..	..	0.04
19.	Training Centre for Bamboo Work, Kangra ..	..	..	0.16	..	..	..	..	..	..	0.16
20.	Walnut Wool-Carving Training Centre ..	0.19	..	..	..	..	..	..	..	..	0.19
21.	Papir Machie Training Centre ..	..	..	0.22	..	..	..	..	..	..	0.22
22.	Tapestry Training Centre ..	..	..	0.19	..	..	..	..	..	..	0.19
23.	Development of Pashmina Industrial Co-operative in Kulu Sub-Division	0.54	..	..	..	..	..	..	..	..	0.54
24.	Training Centre for Doll Making at Simla ..	..	..	..	..	..	..	..	0.36	..	0.36
25.	Wooden Toy Making Centre in Kangra District	..	..	0.12	..	..	..	..	..	..	0.12
26.	Rearing of Chowki Worms on Co-operative basis (2nd Scheme)	..	..	0.01	..	..	..	..	..	..	0.01
27.	Establishment of Plantation-cum-Demonstration Farm at Mangwal and Rupar	..	..	0.11	..	..	..	..	..	..	0.11
28.	Establishment of Silk Seed Foreign Race Station	..	..	0.23	..	..	..	..	..	..	0.23
29.	Construction of grainage building ..	..	1.28	..	..	..	..	..	..	..	1.28
30.	Training Centre for Bamboo work	..	..	..	..	..	..	0.18	..	..	0.18
31.	Bamboo Training Centre ..	..	..	..	..	0.14	..	..	..	..	0.14
32.	Development of Minerals and Allied Industries ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1.12
											13.59

[Minister for Agriculture and Forests]

Name of the Scheme	Provision Tehsil-wise									
	Kulu	Palampur	Kangra	Hamirpur	Dera	Nurpur	Kandaghat	Simla	Dunera Block	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
General Education										
1. Opening of Basic Training Schools for primary Schools Teachers in selected areas										0.50
2. Provision of buildings for the Basic Training Schools in selected areas ..										3.75
3. Conversion of existing schools in selected areas into Basic Type age-group 6—11										0.30
4. Additional educational facilities in the selected areas for children of age-group 6—11—Opening of Basic Schools										0.51
5. Opening of non-basic Type schools in areas other than selected areas for children of age-group 6—11				The entire Hilly area is to be benefited. The break-up of Education Schemes is not possible						2.65
6. Conversion of schools in selected areas into basic type for children of aged group 11-14										0.31
7. Additional educational facilities in selected areas for children of age-group 11—14—Opening of basic type schools									..	0.16
8. Opening of non-basic type schools in areas other than selected areas for children of age-group 11—14									..	4.37
9. Construction of building for the Basic Trainings Colleges in the State ..		1·00								1.00
10. Starting of two Government Basic Training Colleges in the State ..										0.90

No.	Scheme		Remarks	Amount
11	Relief of Educated unemployment and expansion of Primary Education			3.53
12	Introduction of Arts and Crafts in Schools ..		The entire Hilly area will be benefitted. The break up is not possible	0.04
13	Expansion of girls Education ..	0.55		0.55
14	Conversion of existing schools into Multipurpurpose and Higher Secondary type schools and other allied schemes			5.01
15	Upgrading of Government Girls Middle Schools to the High standard			0.93
16	Bringing of un-aided secondary Schools on Grant-in-aid list ..			0.83
17	Progressive upgrading of Middle schools to the High standard			0.51
18	Improvement of buildings of Government schools and construction of buildings for existing schools ..			0.31
19	Merit scholarship for poor brilliant students ..			0.60
20	Organisation of Service in the State ..			0.20
			Total	26.96

Languages

No.	Scheme	Remarks	Amount
1	Development of National Language ..	Entire area to benefit	0.02
2	Development of Regional Languages ..		...

[Minister for Agriculture and Forests]

Name of the School	Kulu	Palam pur	Kangra	Hamir-pur	Dera	Nurpur	Kanda-ghat	Simla	Dunera Block	Total
	provision tehsil wise									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Health										
1 Opening of leprosy Home-cum-Hospital in Kangra District (Subsidiary treatment and Survey Centre) ..	0.150	0.150	0.150	0.140	0.140	0.140	..	..	..	0.87
2 Special grant for over-all treatment of leprosy patients with sulphone drugs	0.030	..	..	0.030	..	..	..	..	..	0.06
3 Establishment of Clinic with 10 beds in Dalash in outer Seraj in Kulu Sub Division	0.520	..	..	..	..	..	..	..	..	0.52
4 Reorganisation of Anti-venereal diseases ..	0.200	..	..	..	..	..	..	..	..	0.20
5 Establishment of V. D. Clinic at Dharampur ..	..	..	..	..	..	..	0.550	..	..	0.55
6 Construction of 12 bedded children ward in the Civil Hospital, Dharamsala ..	..	..	0.050	..	..	..	..	..	..	0.05
7 Extension of Hardinge Sanatorium, Dharampur	..	..	..	..	..	..	0.540	..	..	0.54
8 Provincialization of Civil Hospital, Kangra ..	..	..	0.010	..	..	..	..	..	..	0.01
9 Provincialization of Civil Dispensary, Garli ..	..	..	..	..	0.010	..	..	..	..	..
10 New building for provision of outdoor at Civil Dispensary Syri (District Simla)	..	..	..	..	..	..	0.290	..	..	0.29

11. Construction of Dispensary Buildings and residential quarters at Civil Dispensary, Chausa (District Simla)	..	..	..	..	..	..	..	0.410	..	0.41
12. Conversion of existing dispensaries into Primary Health Units (P.H.U.) Thural and Shahpur	..	1.275	1.275	..	..	..	..	..	..	2.55
13. Extension of BCG Vaccination (Simla and Kangra)	0.050	0.060	0.050	0.065	0.050	0.035	0.025	0.015	..	0.35
14. National Malaria Eradication Programme ..	0.510	0.510	0.510	0.680	0.510	0.350	0.260	0.170	..	3.50
15. Opening of Dental Clinic at Dharamsala ..	..	..	0.067	..	..	..	..	..	..	..
16. School Health Service ..	..	..	0.290	..	..	..	..	..	..	0.29
17. Family Planning Clinic ..	..	..	..	0.170	..	..	..	..	..	0.17
18. Grant-in-aid out of Sanitary Board Funds ..	0.180	0.430	..	0.270	..	4.250	0.750	1.800	..	7.63
19. Training of Auxilliary Nurses Midwives under the Community Development programme ..	..	..	0.250	..	..	..	..	..	..	0.25
20. Aid to Leper Homes ..	..	0.090	..	..	..	..	..	..	..	0.09
21. Medical arrangement in Rural Area. Increase in the sanctioned Budget allotment for the purchase of medicines to be supplied to 177 provincialised Rural Dispensaries	0.041	0.21	.028	.221	.021	0.023	..	..	..	0.16
22. Training of Dais ..	0.010	0.010	0.010	0.010	0.005	0.005	..	..	..	0.05
23. Grant-in-aid to TB Clinics in State ..	..	..	0.070	..	..	..	0.070	..	..	0.14
24. Opening of 250 Ayurvedic and Unani Dispensaries in the Punjab	0.230	0.310	..	0.110	0.270	0.160	0.080	..	0.170	1.33
25. Water supply and Sanitation Scheme (Rural) New Works	0.94	0.10	..	1.35	..	7.15	..	..	..	30.63

[Minister for Agriculture and Forests]

Name of the School	provision tehsilwise									
	Kulu	Palam-pur	Kangra	Hamir-pur	Dera	Nurpur	Kanda-ghat	Simla	Dunera Block	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Housing										
Low Income-Group Housing Scheme	1.48	0.03	0.20	0.03	0.05	0.60	0.40	0.50	..	3.50
Labour and Labour Welfare										
1. Expansion of Employment Service ..	0.04	..	..	..	..	..	..	..	..	0.04
2. Collection of Employment Market Information ..	..	..	..	..	0.01	..	0.01	..	..	0.02
3. Labour Welfare Scheme ..	..	0.06	..	..	..	..	..	..	..	0.06
										0.12
Welfare of Scheduled Castes										
1. Award of Scholarships and reimbursement of tuition fees to students	1.80	0.20	0.30	0.25	0.35	0.20	0.20	0.15	0.05	0.10
2. Technical Education ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
3. Training in Mills/Factories on apprentice ship basis ..	0.0375	0.006	0.006	0.003	0.009	0.003	0.003	..	..	0.0075
4. Subsidy for New Houses ..	0.735	0.105	0.0975	0.0675	0.135	0.0675	0.06	0.165	0.0225	0.015
5. Digging of new drinking water wells and repairs to old ones	0.155	0.02	0.014	0.009	0.020	0.009	0.007	0.02	0.05	0.006
6. Community Centres ..	0.38	0.08	0.04	0.04	0.06	..	0.04	..	0.063	0.06
7. Publicity ..	0.02	0.003	0.0025	0.0035	0.002	0.0025	0.0025	0.0005	0.0005	0.003
8. Legal Assistance to the members of Scheduled Castes ..	0.0245	0.0045	0.0045	0.0025	0.005	0.0025	0.001	0.002	0.0005	0.002
9. Subsidy for the purchase of House sites ..	0.044	0.004	0.004	0.002	0.006	0.002	0.002	0.007	..	0.004
Total for Scheduled Castes ..	3.1960	0.4225	0.4685	0.3775	0.5870	0.2865	0.3155	0.3575	0.1835	0.1975

	Welfare of Vimukat Jatis										
10.	Award of Scholarships	..	0.05	..	0.0	0.03	0.02	0.002	0.002	0.001	Nil	0.005
11.	Training in Mills/Factories or Institutions on apprenticeship basis	..	0.0055	0.0005	0.0005	0.0005	0.0015	0.0005	0.0005	..	..	0.0015
12.	Loans for settling in trades learnt	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
13.	Subsidy for Seed, Agricultural Implements Bullocks etc.		0.0053	0.001	0.001	0.0055	0.001	0.0005	0.0005	..	..	0.0008
14.	Subsidy for New Houses		0.045	0.0075	0.0075	0.0075	0.0075	0.0075	..	..	..	0.0075
15.	Nurse Dais	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Welfare of other Backward Classes										
16.	Training in Mills/Factories or Institutions on apprenticeship basis	..	0.00475	0.0005	0.0005	0.0005	0.00225	..	..	..	..	..
	Grand Total	..	3.30655	.04320	0.4880	0.4165	0.60125	0.2970	0.3175	0.3575	0.1835	0.2133
	Social Welfare										
	Welfare Extension Project	..	Entire area to benefit									
	Financial assistance to voluntary Organisation	..	0.03	0.021	0.021	0.021	0.021	0.021	0.021	0.021	0.021	0.20
	State Homes and Districts shelters under the After-care Scheme		Two district shelters are to be opened Breakup not possible									0 43
												0·88
	Statistics										
	Setting up of District Statistical agencies in the State	..	Tehsilwise breakup not possible									0.16
	Publicity										
1.	Community Listening	..	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	..	..	..	0.15
2.	Rural Publicity	..	0.023	0.054	0.023	0.023	0.023	0.024	0.02	0.02	0.02	0.23
2.	Information Centres		0.003	..	0.003	0.004	..	..	..	..	..	0.01
4.	Voluntary Organisations	..	..	..	0.01	..	..	..	..	0.02	..	0.03
												0.42
	Tourism										
1.	Running of Tourist	..	0.15	..	..	..	..	..	..	..	0.04	0.19
2.	Ligh Rest House Manali	..	1.00	..	..	..	..	..	..	..	..	1.00
3.	Ligh Rest House Kulu	..	1.00	..	..	..	..	..	..	..	..	1.00
												2—19

श्री रूप सिंह फूल : जो schemes इस साल तकमील के लिये पेश हुई हैं क्या गवर्नमेंट ने उन्हें मुकम्मल करने के लिये कोई हिदायत जारी कर दी है या नहीं क्योंकि अभी तक तो वहां कोई स्कीम शुरु नहीं हुई जब कि साल खत्म होने में वक्त बहुत थोड़ा रह गया है ?

मंत्री : हिदायत जारी हो गई हैं और ख्याल है कि total expenditure जो है वह before the end of the year हो जाएगा ।

HINDI AND PUNJABI REGIONS IN THE STATE

***6112. Sardar Gurwaryam Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government for altering the areas of Punjabi and Hindi regions already fixed under the Punjab Regional Committees Order, 1957; if so, the details thereof together with the reasons for proposing alterations in the limits of the said regions?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister) : 1. There is no specific proposal under the concideration of Government for altering the areas of Punjabi and Hindi Regions already fixed under the Punjab Regional Committees Order, 1957. However, Government is considering certain territorial readjustments of divisions, districts and tehsils in the State.

2. It is not in the public interest to disclose at this stage, the territorial adjustments under consideration.

STOPPAGE OF FINANCIAL ASSISTANCE OF POLITICAL SUFFERERS OF VILLAGE BOOR CHAND, DISTRICT AMRITSAR

***6128. Shri Jagat Narain Chopra :** Will the Chief Minister be pleased to state:—

(a) whether the financial assistance given to any of the political sufferers of village Boor Chand, Tehsil Patti, District Amritsar was stopped by the Government during the period ending on 30th June, 1960; if so, their list together with the reasons therefor in each case.

(b) whether the Chief Secretary to Government, Punjab received any representation from any of the persons so affected on 16th July, 1960; if so, copies thereof be laid on the Table;

(c) whether any enquiry was ordered by Government in connection with those representations; if so, with what result?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) Yes. Financial assistance of Shri Baghel Singh son of Ball Singh and Shri Chugat Singh, son of Jowand Singh of Village Boor Chand has been stopped. The reason for stopping financial assistance was that complaints were received against both of them that they were not genuine political sufferers.

(b) Yes. Copy of a representation received from Shri Baghel Singh is placed on the table.

(c) Financial assistance in case of Shri Chugat Singh has been discontinued as a result of enquiry report from the Deputy Commissioner Amritsar. Enquiries regarding Shri Baghel Singh's case have been completed and the case will be put up for orders to the State National Workers (Relief and Rehabilitation) Board in their next meeting.

JUDICIAL MAGISTRATES

*6161. **Shri Lal Chand Suberwal** ; Will the Chief Minister be pleased to state:—

(a) the year in which Judicial Magistrates were appointed in the State and the total number of such Magistrates at present;

(b) whether any of the persons who were originally appointed as Judicial Magistrates have been appointed as Executive Magistrates; if so, their number as in June, 1960;

(c) whether Government have constituted separate cadres of Judicial Magistrates and Executive Magistrates ; if not, the reasons therefor?

Sardar Partap Singh Kairon ; (a) *First Part*—1955
Second Part—20

(b) Yes. All the twenty Extra Assistant Commissioners appointed as Judicial Magistrates have from time to time, been transferred to executive functions when necessitated by the exigencies of postings because the members of the P.C.S. (Executive Branch) have not been divided into two sections—Judicial and Executive.

(c) No. Both the Judicial Magistrates and Executive Magistrates are drawn from the P.C.S. (Executive Branch) and as such the question of constituting separate cadres does not arise.

श्री बलराम दास टंडन : क्या चीफ मनिस्टर साहब बताएंगे कि कोई ऐसी scheme सरकार के ज़ेरे गौर है कि Judicial और executive Magistrates को अलग अलग कर दिया जाए ?

मुख्य मंत्री : नहीं ।

POSTS OF ASSISTANT SESSIONS JUDGES

*6162. **Shri Lal Chand Suberwal** (asked by Shri Balram Das Tandon on his behalf) : Will the Chief Minister be pleased to state:—

(a) the year in which Assistant Sessions Judges were first appointed in the State and the total number of appointments then made;

(b) the year in which the posts of Assistant Sessions Judges were abolished in the State and the reasons therefor;

(c) the total number of persons who from the posts of Assistant Sessions Judges were appointed as Judicial Magistrates and Executive Magistrates, separately?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) (i) Early in 1957.
(ii) 8

(b) Ist December, 1958. The reasons are as follows:—

(i) The number of cases triable by Assistant Sessions Judges was not sufficient to keep them fully occupied and most of the Assistant Sessions Judges were required to work at 2 or 3 places in a month. This arrangement was inconvenient, uneconomical and time-consuming.

(ii) They were dealing with a very limited type of cases and when any case collapsed for one reason or the other, they were unable to utilise the court time on any other type of work.

(iii) In Sessions Divisions comprising two districts, both the Sessions Judge and the Assistant Sessions Judge had to visit both the districts for the trial of their respective cases which caused inconvenience and wasteful expenditure.

(iv) Work done by Assistant Sessions Judges could be disposed of by a smaller number of Additional Sessions Judges, resulting in economy and efficiency.

(c) Judicial Magistrates .. 2.

Executive Magistrates .. 1.

POLICE OFFICERS MURDERED WHILE ON DUTY

***5850. Shri Jagat Narain Chopra** ; Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the list of the Police Officers of the State, their ranks and their full addresses who were murdered while on duty between 30th June, 1948 and 30th June, 1960, together with the date and circumstances of murder in each case;

(b) whether any amount as rewards were sanctioned by Government for the families of each of said Officers, if so, what?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : The time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with the benefits sought to be derived by the Member.

The reply can be furnished regarding any specific Officer, if called.

RAIDS BY KARNAL POLICE ON GAMBLERS

***5938. Shri Ram Piara** : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) with reference to the reply to starred question No. 5075 printed in the list of questions for 4th March, 1960, the number of cases which have been sent to the courts together with the result thereof in each case;

(b) the names of persons who have appeared witnesses for the prosecution in the said cases together with the names of those who were cited as such but did not appear or were given up by the Police or declared hostile respectively.

(c) whether it is a fact that some of the accused mentioned in the list supplied in the said reply are untraceable; if so, the names of those who have remained untraced so far;

(d) the names and designations of the Police Officers/Officials who challaned or arrested the accused in the said cases?

Shri Harbans Lal (Deputy Ministef): (a), (b), (c) and (d): A statement containing the requisite information is laid on the table.

[Deputy Minister]

STATEMENT

a		b		c	d	
(i) Particulars of cases sent up to court	(ii) Result of the case	(i) Names of persons who appeared as witnesses for prosecution	(ii) Names of persons who were cited as witness but did not appear or given up by police or declared hostile	Names of accused who have remained untraced	(i) Name of the police officer who arrested the accused	(ii) Name of the police officer who challaned the accused
1. D.D. No. 40, dated 21st July, 1959, under section 3/4/3/67, Gambling Act	Acquitted	1. Ram Narain 2. Hans Raj 3. Musadi Lal 4. Parduman Singh 5. Mit Singh, S.I. 6. M.R. Vaid, A.D.M., Karnal	1. Ram Narain 2. Hans Raj	..	S.I. Mit Singh	S.I. Mit Singh
2. D.D. No. 37, dated 28th July, 1959, under section 3/4/3/67, Gambling Act	Pending	1. Tika Ram 2. Chhaju Ram 3. H.C. Charan Singh 4. S.I. Behari Lal	..	..	S.I. Behari Lal	S.I. Behari Lal
3. D.D. No 22, dated 24th August, 1959 under section 3/3/67, Gambling Act	Acquitted	1. Govind Ram 2. Musadi Lal 3. Balkishan 4. M.R. Vaid, A.D.M., Karnal 5. S.I. Behari Lal	..	..	S.I. Behari Lal	S.I. Behari Lal
4. F.I.R. No. 144, dated 29th August, 1959, under section 13/13/67. Gambling Act	Convicted	1. Govind Ram 2. Balkishan 3. A.S.I., Amar Nath 4. S.I. Behari Lal	..	..	A.S.I. Amar Nath	S.I. Behari Lal

5.	D.D. No. 32, dated 1st September, 1959, under section 3/4/3/67, Gambling Act	Acquitted except one Hukum Chand alias Kuki whose case is still pending	1. Balkrishan 2. Govind Ram 3. Y.S. Nakai, D.S.P.	..	..	Shri Y.S. Nakai, D.S.P./Proby.	Shri Y.S. Nakai, D.S.P./Proby.
6.	F.I.R. No. 146, dated 3rd September 1959, under section 13/3/67, Gambling Act	Acquitted	1. Chhaju Ram 2. Moji Ram 3. A.S.I. Ajit Singh	..	..	A.S.I. Ajit Singh	S.I. Jage Ram
7.	F.I.R. No. 151, dated 11th September, 1959, under section 13/3/67, Gambling Act	Acquitted	1. Balkrishan 2. Govind Ram 3. H.C. Harbans Lal	..	..	H.C. Harbans Lal	S.I. Jage Ram
8.	F.I.R. No. 153, dated 18th September, 1959, under section 13/3/67, Gambling Act	Acquitted	1. Gobind Ram 2. Ram Chand 3. Nihal Chand 4. H.C. Harbans Lal	..	..	H.C. Harbans Lal	S. I. Jage Ram
9.	F.I.R. No. 154, dated 1st September, 1959, under section 13/3/67, Gambling Act	Acquitted	1. Govind Ram 2. Balkrishan 3. A.S.I. Ajit Singh	Balkrishan	..	A.S.I. Ajit Singh	S.I. Jage Ram
10.	D.D. No. 29, dated 19th September, 1959, under section 3/4, Gambling Act	Acquitted	1. Balkrishan 2. Kundan 3. S.I. Behari Lal	..	..	S.I. Behari Lal	S.I. Behari Lal

श्री राम प्यारा : जनाब स्पीकर साहिब, इस statement में बताया गया है कि 10 gamblers का चालान किया गया जिन में से 8 बरी हो गए, एक को सज़ा हुई और एक का case अभी pending है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो इतने ज़्यादा तादाद में acquittals हुए हैं क्या वह police की नाअहलियत की वजह से हुए हैं या कोई और वजह थी।

उप-मंत्री : Accused को court benefit of doubt दे कर छोड़ देती है।

श्री राम प्यारा : Statement में बताया गया है कि दो गवाह जिन के नाम राम नारायण और हंस राज हैं वह appear नहीं हुए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन को police ने appear होने से रोका था, या मुल्ज़मों ने उन को approach कर लिया था या उन्हें hostile declare किया गया था ?

मुख्य मंत्री : उस के लिए notice दें।

श्री राम प्यारा : नहीं जी, उस में मैंने पूछा है— मैं पढ़ कर सुनाता हूं।

"(b) the names of persons who have appeared as witnesses for the prosecution in the said cases together with the names of those who were cited as such but did not appear or were given up by the Police or declared hostile, respectively."

Chief Minister: The reply should have been given. I am sorry that this has not been done.

श्री अध्यक्ष : आप ने single sentence में पूछा है और Deputy Minister साहिब ने भी एक sentence में जवाब दे दिया है। (The hon. Member has asked for this information in one sentence and the Deputy Minister, too, has replied him in a single sentence.)

श्री राम प्यारा : क्या Deputy Minister साहिब बताएंगे कि Government के पास कोई ऐसी शिकायत पहुंची है कि उन witnesses को बैठाने में एक Deputy Minister साहिब का हाथ था ?

Mr. Speaker: This question does not arise.

डाक्टर परमानन्द : क्या Chief Minister साहिब बताएंगे कि जिन दो आदमियों ने गवाही नहीं दी है उन को Government ने कोयले के depot दिए हैं ?

Mr. Speaker: This is not a supplementary question.

श्री राम प्यारा : क्या गवर्नमैंट या गवर्नमैंट के Deputy Minister ने इन गवाहों से वादा किया था कि तुम बैठ जाओ तुम्हें depot दिये जाएंगे ?

श्री अध्यक्ष : इस में depot कहां हैं ? (How are the depots relevant to this question?)

चौधरी धर्म सिंह राठी : तो फिर वह किस तरह बैठ गए ?

श्री अध्यक्ष : मुझे शक पड़ता जा रहा है कि करनाल के सारे मैम्बर ऐसे ही हैं । (हंसी) (I am afraid all the M.L.As. from Karnal sail in the same boat in this matter.) (*Laughter*)

ARRESTS OF EMPLOYEES OF CO-OPERATIVE SUGAR MILLS, PANIPAT

*6072. **Dr. Parma Nand** : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether it is a fact that seven persons including the Factory Manager of the Panipat Co-operative Sugar Mills, Panipat were arrested by the Police in connection with some complaints of irregularities; if so, the names of the persons arrested, the date of arrest in each case and their positions in the said Mill;

(b) whether the case mentioned in part (a) above has been referred to Courts, if so, when and with what result; if not, the reasons therefor;

(c) whether it is a fact that Government issued some instructions for the withdrawal of the case pending against the arrested persons or against any one of them; if so, the reasons therefor?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) Yes. A statement is laid on the Table.
(b) Not yet. It is under investigation.
(c) No.

LIST OF PERSONS ARRESTED

Name and particulars	Date of arrest	Position in the Mill
1. Shri Ved Parkash Oberoi, son of Nanak Chand, Khatri, resident of Rajoli, police station Mulana, district Ambala	30th April, 1959	Manager
2. Shri Brahm Datt Tayagi, son of Ram Sarup, resident of Hathwala, police station Samalkha	1st April, 1959	Sugarcane Inspector
3. Shri Jal Singh, son of Milkha Singh Rajput, resident of village Kalram, police station Gharaunda	8th August, 1959	Cashier
4. Shri Dharam Singh, son of Mugla Ram, caste Ror, resident of village Aehar, police station Urlana	12th August, 1959	Payment Checking Clerk
5. Shri Sham Lal, son of Sita Ram Brahman, resident of Bandhnu, police station Sansani, district Aligarh (U.P.)	24th April, 1959	Sub-Contractor
6. Shri Sat Pal, son of Lahori Ram Rajput, resident of Nawan Shahr Doaba, police station Rahon, district Jullundur	19th August, 1959	Employee of Serial No. 5
7. Shri Tika Singh, son of Raja Singh Rajput, resident of village and police station Gharaunda	22nd August, 1959	Ditto

डाक्टर परमानन्द : वज़ीर साहिब ने बताया है कि challan पेश नहीं किए। मैं पूछना चाहता हूं कि जब अप्रैल में गिरफ्तारी की गई तो एक साल से भी ज़्यादा अर्से तक चालान न पेश करने के क्या कारण हैं ?

उप-मंत्री : यह cases हैं धोकादही के और faked documents बनाने के काफ़ी complicated हैं। यही देर के कारण हैं।

श्री राम प्यारा : क्या investigation अभी जारी है या खत्म कर दी गई है और file cold storage में पहुंच गई है ?

Mr. Speaker : Under investigation means it is still going on.

(डाक्टर परमानन्द फिर supplementary पूछने के लिये खड़े हुए।)

श्री अध्यक्ष : डाक्टर साहिब, यह आप का सवाल है। जो सवाल करे उस को supplementary पूछने का सब से पहले chance दिया जाता है। इस लिये आप पहले अपने सारे supplementary कर लें, बार २ न खड़े हों। [(Addressing Dr. Parma Nand) This question has been asked by the hon. Member. So he has a prior right to put supplementaries. Let him, therefore, ask all his supplementaries first so that he may not have to rise again and again.]

डाक्टर परमानन्द : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि क्या गवर्नमेंट criminal cases को वापिस लेने की सोच रही है ?

श्री अध्यक्ष : यह कहां लिखा है ? (How does it arise?)

Shri Ram Piara : In part (c) of the question, it has been asked:

> Whether it is a fact that Government issued some instructions for the withdrawal of the case pending against the arrested persons or against any one of them; if so, the reasons therefor?

Deputy Minister : This part of the Question has already been replied to in the negatvie.

श्री राम प्यारा : क्या गवर्नमैंट ने कोई तारीख मुकर्रर की है कि कब तक challan पेश कर दिए जाएंगे ?

उप-मंत्री : Investigation खत्म होने की कोई तारीख नहीं मुकर्रर की जा सकती। कोशिश यह है कि जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए।

डाक्टर परमानन्द : क्या मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे कि क्या गवर्नमैंट इस बात से खौफज़दा है कि अगर challan पेश कर दिए जाएं तो सारा राज़ फाश हो जायगा ?

श्री अध्यक्ष : यह जो आप का ख्याल है कि कोई खौफज़दा है यह गलत है। यह तो सवाल नहीं बनता। (The hon. Member's impression that some body is afraid, is wrong and therefore the supplementary question does not arise.)

PERSONS ARRESTED UNDER SECTION 107/151 CRIMINAL PROCEDURE CODE IN CONNECTION WITH PUNJABI SUBA MOVEMENT

***6127. Shri Jagat Narain Chopra :** Will the Chief Minister be pleased to state the number of persons arrested under Sections 107/151 of the Criminal Procedure Code in connection with the Punjabi Suba Agitation, who were released up to 15th September, 1960 under orders of the Government before any orders on their cases were passed by the Courts, and of those who were released under orders of the Courts, respectively?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : None was released under orders of the Government before any orders were passed by the court on his case. 2586 were released under orders of courts.

ENQUIRY AGAINST DISTRICT INSPECTRESS OF SCHOOLS, AMRITSAR DISTRICT

***6003. Dr. Baldev Parkash** (asked by Shri Balram Das Tandon on his behalf) : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the Vigilance Department held any enquiry against the District Inspectress of Schools, Amritsar District, during the year 1960, on charge of corruption;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative the nature of allegations against the said District Inspectress;

(c) whether the Vigilance Department has submitted any report to Government; if so, the action taken thereon?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) Yes.

(b) She had removed some Government furniture to her residence for her private use.

(c) Yes; a copy of the enquiry report has been forwarded to the Education Department for taking suitable departmental action against her.

DISTRICT NON-OFFICIAL VIGILANCE COMMITTEES

***6160. Shri Lal Chand Suberwal :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the names of the districts in which the District Non-Official Vigilance Committees have so far been set up;

(b) the names of the members of the Committees referred to in part (a) above;

(c) the reasons for which these Committees have not so far been set up in all the districts of the State?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) The District Vigilance Committees have not yet been set up in any district.

(b) Question does not arise.
(c) The matter is under consideration.

श्री बलराम दास टंडन : क्या मुख्य मंत्री जी बताएंगे कि District Vigilance Committees बनाने का कोई इरादा है ?

Chief Minister : The matter is under consideration.

Shri Balram Das Tandon : How long will it take to finalize it?

Chief Minister : It cannot be said definitely as the matter is still under consideration.

Chaudhri Inder Singh : May I know, whether, in view of the criticism of the Non-official Vigilance Committee by a Minister of the Government, it is under the consideration of the Government not to form Non-official Vigilance Committees at district level?

Chief Minister: No, please. This will not affect the formation of these Committees.

(*Observation by the Speaker regarding Starred question No.* 5861 *standing in the name of Sardar Atma Singh, who is in jail.*)

Mr. Speaker : The position regarding the grant of Compensatory Allowance to a Member, who is in jail, is quite clear. The Compensatory Allowance is paid to a Member for serving his constituency. Since a Member, while in jail, does not serve his constituency, he is not entitled to Compensatory Allowance. However, the position regarding the question of a Member, who is in jail, being allowed to be asked and answered on the floor of the House is not clear. I would, therefore, refer this matter to the *ad hoc* Rules Committee and also to Government for clarification.

GOVERNMENT HOSPITALS/DISPENSARIES WITHOUT DOCTORS

***6098. Shrimati Sarla Devi Sharma :** Will the Chief Minister be pleased to state the number and names of Government Hospitals and Dispensaries which are without doctors ?

Sardar Partap Singh Kairon : Statement is laid on the Table.

LIST OF GOVERNMENT HOSPITALS AND DISPENSARIES WHICH ARE WITHOUT DOCTORS AT PRESENT

Under the Charge of Civil Assistant Surgeons Class I, Surgeons Class II (Non-Gazetted), (Gazetted)-in P.C.M.S., Class II

HISSAR DISTRICT

1. Jakhal.
2. Barwala.
3. Mirchpur.
4. Mangali.
5. Bahuna.
6. Khanda Kheri.
7. Siswal.
8. Naqipur.
9. Balsamad.
10. Ratia.

11. Rania.
12. Alakhpura
13. Canal Dispensary, Narnaund.
14. Canal Dispensary, Suniana.
15. Canal Dispensary, Sorkhi.
16. Canal Dispensary, Hissar.
17. Canal Dispensary, Kalanwali.
18. Canal Dispensary, Tohana.
19. Canal Dispensary, Punjuana.

ROHTAK DISTRICT

20. Sampla.
21. Sanghi.
22. Butana.
23. Matan Hall.

GURGAON DISTRICT

24. Aurangabad.
25. Solra.
26. Ferozepore-Jhirka.
27. Mirpur
28. Piangwan

KARNAL DISTRICT

29. Bhagal.
30. Chhattar.
31. Indri.
32. Ahar.
33. Canal Dispensary, Mundri.
34. Canal Dispensary, Binjhol.
35. Canal Dispensary, Pehowa.

AMBALA DISTRICT

36. Khizrabad.
37. Harpalpur.
38. Kot.
39. Morni.
40. Jogon.
41. Kurali.
42. Chhachhrauli.
43. Canal, Dadupur.
44. Morinda.

SIMLA DISTRICT

45. Chail.
46. Chausa.

KANGRA DISTRICT

47. Indaura.
48. Dadasiba.
49. Chadhiar.
50. Re.
51. Dhaneta.
52. Tika Nagrota.
53. Naggar.
54. Jaginder Nagar
55. Baroh.
56. Pong.
57. Macleodganj.
58. P.W.D. Medical Team, Lahaul.
59. Garli.
60. Pirsalohi.

[The Chief Minister]

HOSHIARPUR DISTRICT

61. Dasuya.
62. Daulatpur.
63. Badla Harta.
64. Garhimansowal.
65. Budhabar.
66. Jaijon.
67. Hajipur.
68. Canal Bhakra.
69. Ganguwal.

JULLUNDUR DISTRICT

70. Bilga.
71. Rurka Kalan.
72. Rahon.
73. Canal, Nawanshahr.

LUDHIANA DISTRICT

74. Hambran.
75. Canal, Rampur.

FEROZEPUR DISTRICT

76. Kasuana.
77. Khuikhera.
78. Dudeke.
79. Thathi Bhai.
80. Kokri Kalan.
81. Kanianwali.
82. Sohangarh.
83. Sittoganno.
84. Mamdot.
85. Guru-Harsahai.
86. P.A.P. Hospital, Ferozepore.
87. Mudki.
88. Canal, Fazilka.
89. Canal, Makhu.
90. Ladhuka.

AMRITSAR DISTRICT

91. Mianwind.
92. Vachhoa.
93. Jasraur.
94. Attari.
95. Patti.
96. Old City Branch, Amritsar.
97. Lopoke.
98. Butala.
99. Rajoke.
100. Jalalabad.
101. Chawinda Devi.
102. Algon.
103. Marimehga.

GURDASPUR DISTRICT

104. Gandakechone.
105. Singhpura.
106. Bhagowal.
107. Dina Nagar.

PATIALA DISTRICT

108. Kalaran.
109. Chhatrana.
110. Fatehgarh Sahib.
111. Payal.
112. Sauja.
113. Touring Dispensary, Patiala.
114. Lalru.
115. Kalayan.
116. Pepsu Bhakra Canal, Patiala.

SANGRUR DISTRICT

117. Julana.
118. Kaurian.
119. Kalayat.
120. Bhullar Hari.
121. Kalwa.
122. Fatehgarh.
123. Tallewal.
124. Lohatbadi.
125. Canal, Ladda.
126. Hari Garh.
127. Dayalpura.
128. Jand Sahib.

BHATINDA DISTRICT

129. Gollewala.
130. Mehraj.
131. Canal Bhatinda.
132. Canal, Dhapai.

KAPURTHALA DISTRICT

133. Dhaliwal.
134. Talwandi Chaudhrian.
135. Bhulla Rai.

MOHINDERGARH DISTRICT

136. Nangal Chaudhrian
137. Bhojwas.
138. Sehlog.
139. Gopi.

P.C.M.S. II .. 78 C.A.S. II (Non-Gazetted) . 61

Total .. 139

GASTRO-ENTEREITIS AND CHOLERA IN THE STATE

*6194. **Shri Balram Das Tandon, M.L.A.:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of cases of Gastro-Enteritis and Cholera, separately, that were reported to hospitals/dispensaries etc., in the State during 1960 ; and the number of those which proved fatal, district wise, in each case ;

(b) whether any enquiry was made by Government into the causes of the outbreak of these diseases ; if so, the details of the results thereof and the precautionary measures, if any, taken to prevent their spread ?

Sardar Niranjan Singh Talib (Deputy Minister) : (a) and (b) A statement is laid on the Table.

Statement

(a) The following districts were reported to be infected with Cholera, during the year 1960 and the seizures and deaths so far reported are mentioned against each district.

Name of the district		*Seizures*	*Deaths*
Hissar	..	6	..
Rohtak	..	82	35
Gurgaon	..	41	7
Karnal	..	9	1
Kangra	..	53	21
Ferozepur	..	3	3
Bhatinda	..	2	1
Mohindergarh	..	140	12
Total	..	336	80

[Deputy Minister]

Simple Gastro-Enteritis cases are not reported.

(b) Yes. Cholera was prevalent in an epidemic form in the adjoining States, i.e., Delhi, U.P. and Rajasthan as well as in Western Pakistan. The disease was imported from these areas into Punjab. Suspected cholera and cholera cases appeared sporadically in the districts of Mohindergarh, Gurgaon, Rohtak and Kangra on or about 12th August, 1960. No cholera importation took place from Pakistan side. A large number of cases occurred in the district bordering U.P., Delhi and Rajasthan. The fact that only sporadic cases occurred except in village Acchina, Mohindergarh District, and Baroda in Gohana Tehsil, district Rohtak, indicates that the infection was not indigenous but was brought from outside.

The following measures were taken to prevent the spread of Cholera in Punjab.

Inspection posts were established at Wagah Border, Railway Station, Amritsar, Hussainiwala and Sulemanki in Ferozepur District.

The provisions of Epidemic Diseases Act, 1897 were rigidly enforced in all the districts of the State and the District Magistrate of every district issued necessary orders under the Act to give powers to Medical Officers of Health, and other Health and Sanitation Staff to control articles of food and drink and water-supply. Cholera inspection posts were also established in Rohtak, Gurgaon, Hissar, Karnal, Ambala and Jagadhri to intercept persons coming from U.P. and Delhi and to offer inocculations. As it was not decided to establish a Quarantine Camp at Amritsar, surveillance cards were issued to persons coming from Pakistan with copies to the District Health Agencies where they were going'

Cholera vaccine was collected from Kasauli through special messengers and Health Directorate Officers personally carried the cholera vaccine to the various infected districts. They visited every cholera-infected area and guided and supervised the cholera control measures. 466,000 C.Cs. cholera vaccine was rushed to the various districts to augment their existing stocks of vaccine to offer mass cholera inoculations in infected areas.

Rupees 24,000 in the form of epidemic control grants-in-aid were made available to the following districts for control of cholera:—

		Rs
Mohindergarh District	..	5,000
Amritsar	..	5,000
Gurgaon	..	5,000
Rohtak	..	3,000
Municipal Committee, Rohtak	..	1,000
Kangra District	..	5,000
Total	..	24,000

As a result of these energetic, systematic and timely control measures the State is now free from cholera.

ENQUIRY INTO THE COMPLAINTS OF BOGUS QUOTA-HOLDERS OF IRON AND STEEL

***5821. Shri Ram Chandra Comrade :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) whether any complaints that some Iron and Steel Quota-holders at Amritsar, Batala and other Industrial Centres in the State were bogus dealers and were indulging in black-marketing, were received by Government during the months of April and May, 1960 ;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, whether any enquiries were held into the said complaints ; if so, (i) the details of the enquires, (ii) the method of enquiry and the nature of irregularities detected together with the action taken against those who were found guilty with their names and addresses ?

Sardar Gian Singh Rarewala : (a) No.

(b) Does not arise.

श्री राम चन्द्र कामरेड : क्या आप को माह अप्रैल और मई में कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है कि iron and steel quota-holders ने bogus कोटे लिए हुए हैं ?

मंत्री : नहीं

श्री राम चन्द्र कामरेड : क्या इन के बाद कोई शिकायतें आई हैं ?

मंत्री : मैं offhand नहीं कह सकता । इस के लिये separate notice दें ।

REPRESENTATIONS FROM METAL CONSUMERS ASSOCIATION, JAGADHRI

***5939. Shri Ram Piara :** Will the Minister for Industries be pleased to state whether the Director or Joint Director of Industries, Punjab, or the Secretary, Industries Department, has received any representations from the Metal Consumers Association of Jagadhri, during the period from 1st January, 1960 to date ; if so, the number of representations received, the dates when these were received, the contents of each and the action, if any, taken thereon ?

Sardar Gian Singh Rarewala : Yes, four representations were received on 18th April, 1960, 22nd April, 1960, 9th May, 1960 and 4th June, 1960.

Three of these representations were requests for grant of quota of German Silver to the members of the Association. In the fourth representation a request for grant of quota of Copper and Zinc had been made.

The Association was informed on 3rd May, 1960 and 17th June, 1960 that quotas of German Silver, Copper and Zinc could not be allotted to the members of the Associations.

श्री राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब बतलाएंगे कि इस कोटे की अलाटमेंट के लिये गवर्नमेंट ने कोई criteria मुकर्रर किया हुआ है जिस की बिना पर कुछ को अलाटमेंट हो गई कुछ को नहीं हुई ?

मंत्री : इस के लिए अलहदा नोटिस देने की ज़रूरत है ।

श्री राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब बतलाएंगे कि कंट्रोल आर्डर issue होने के बाद किन किन पार्टियों को जगाधरी में कोटे दिये गये ?

Minister : I require notice to answer this question.

Note.—Minister of Industries being away, all the questions standing in his name were answered by Sardar Gian Singh Rarewala, Minister for Agriculture and Forests.

श्री अध्यक्ष : आप का मतलब हल हो गया । (This serves his purpose.)

श्री राम प्यारा : जनाब, यह गवर्नमेंट की चिट्ठी हमारे पास है कि जो अप्रैल . . .

श्री अध्यक्ष : क्वैश्चन के ज़रिए आप स्पीच नहीं कर सकते । (The hon. Member cannot make a speech by means of a question.)

श्री राम प्यारा : मैं तो जनाब सप्लीमैंट्री पूछ रहा हूं कि क्या कंटरोल आर्डर हो जाने के बाद जगाधरी में किसी को कोटा मिला है ?

Minister : Sir, according to my information, no quota was given.

श्री राम प्यारा : न जी, स्पीकर साहब, मेरे पास तो चिट्ठी है कि गवर्नमेंट ने कोटा दिया है . . . .

श्री अध्यक्ष : आप का जवाब तो पंडित मोहन लाल ही दिया करते हैं । (It is Pandit Mohan Lal who gives an apt reply to the hon. Member.)

श्री राम प्यारा : तो जनाब इस सवाल को उन के आने तक pending रख लीजिए ।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, फिर एक सप्लीमैंट्री पूछ लेना । (Very well. He may ask only one supplementary then.)

श्री राम प्यारा : बहुत अच्छा जनाब ।

Minister for Agriculture: So far as this particular question is concerned , I have got the information with me. But if any question outside the purview of this question is asked, then certainly I will require notice for that.

RECOMMENDATIONS MADE FOR GRANT OF IMPORT LICENCE FOR ESSENTIALITY CERTIFICATES

***5940. Shri Ram Piara :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) whether the Joint Director or any of the Deputy Directors of Industries, Punjab, has recommended any case of his near relative for the grant of import licence or an essentiality certificate during the absence of the Director of Industries, Punjab; if so, the name and designation of the officer concerned, and the name and address of the person whose case was recommended ;

(b) the details of the commodities for which the said case was recommended to the Union Government and the value thereof ;

(c) whether the Industries Department or Government are holding an enquiry into the said recommendations; if so, the decision thereof ?

Sardar Gian Singh Rarewala : (a) No.

(b) and (c) Do not arise.

श्री राम प्यारा : क्या वज़ीर साहब बतायेंगे कि ज्वाइंट डाइरेक्टर इंडस्ट्रीज़ ने डाइरेक्टर, इंडस्ट्रीज़ के पास इस किस्म का नोट भेजा कि फलां फलां मेरा रिश्तेदार है और मैं उस की इम्दाद कर रहा हूं ?

श्री अध्यक्ष : आप रूल्ज़ के अन्दर रहिए। उसी के तहत क्वैश्चन पूछिये। (The hon. Member may conform to the rules and put supplementaries accordingly.)

It is not a supplementary question please. Anything that gives a suggestion or information cannot be the subject of a supplementary question.

Shri Ram Piara : Is it a fact that the Joint Director of Industries handed over some request to the Director of Industries recommending the case of his relative ?

जनाब मैं ने पूछा है कि क्या ज्वाइंट डाइरेक्टर ने डाइरेक्टर इंडस्ट्रीज़ से यह कहा कि फलां फलां आदमी . . . .

श्री अध्यक्ष : आप इस तरह से पूछिए कि क्या ज्वाइंट डाइरेक्टर ने डाईरेक्टर को कोई नोट लिखा। (The hon. Member may put supplementary like this 'whether any note was sent to the Director by the Joint Director of Industries.')

Minister : Sir, I have already replied that no such note was sent.

श्री राम प्यारा : अगर Government के notice में इस किस्म का note लाया जाए तो क्या inquiry की जा सकती है ?

Mr. Speaker : It is a hypothetical question. Anything that starts with "if" or "but" cannot be the subject of a supplementary question. चार साल गुज़र गए अब भी आप को पढ़ाना पड़ता है। (It is a hypothetical question. Anything that starts with "if" or "but" cannot form subject matter of a supplementary question. Four years have elapsed and still I have to teach the hon. Member how to ask a question.)

श्री राम प्यारा : मेरे से भी अनपढ़ बैठे हैं यहां।

ARTS AND CRAFTS SCHOOLS IN THE STATE

***5985. Dr. Bhag Singh :** Will the Minister for Industries be pleased to state the number of Arts and Crafts Schools in the State at present and the number of students in each ?

Sardar Gian Singh Rarewala : (a) One.

(b) 160.

GOVERNMENT HOSIERY WORK CENTRE, LUDHIANA AND TENT-MAKING CENTRE, PANIPAT

*6074. **Dr. Parma Nand :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under the consideration of Government to sell or auction the Government-owned Hosiery Work Centre, Ludhiana and Tent-making Work Centre, Panipat; if so, the reasons for selling the same ;

(b) the total number of workers at present working in each of the said centres and the production of each during the period from 1st April, 1958, to date, yearwise ;

(c) whether it is a fact that some quota system for the supply of yarn to the Hoisery Work Centres in the State has been started by Government or is proposed to be started, if the latter, the time by which it is expected to be enforced ;

(d) the quantity of yarn consumed by the Hoisery Work Centre referred to in para (a) above during the period from 1st April, 1958, to date, year wise, together with its cost ?

Sardar Gian Singh Rarewala : A Statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) Yes. Since the main object of rehabilitating the displaced persons in the various trades has been practically achieved these Work Centres are being wound up.

(b)

Total number of workers at present

(i) Hosiery Work Centre, Ludhiana	..	55
(ii) Tent-making Work Centre, Panipat	..	10

Production from 1st April, 1958 to date

(i) Hosiery Work Centre, Ludhiana—

1st April, 1958 to 31st March, 1959	1959-60	1st April, 1960 to 24th September, 1960
Rs 6,36,395	Rs 3,01,816	Rs 64,392

(ii) Tent-making Centre, Panipat

1st April, 1958 to 31st March, 1959	1959-60	April, 1960 to 23rd September, 1960
Rs 64,198	Rs 77,466	Rs 20,407

(c) Yes. Due to shortage of woollen yarn Government of India has introduced a scheme known as "Woollen Yarn Distribution Scheme" which is controlled by the Textile Commissioner, Bombay, and the yarn produced by the Spinning Mills is distributed to the Hosiery Units in the State on quota basis. This scheme came into force from June, 1960.

(d) The quantity of Woollen Yarn/Cotton Yarn consumed in the Government Hosiery Work Centre, Ludhiana, with its cost yearwise is as under :—

Woollen Yarn

	Lbs.	Rs
1958-59 ..	63,547	4,00,022
1959-60 ..	28,271	1,80,772
1st April, 1960 to 24th September, 1960	7,080	46,400

Cotton Yarn

	Lbs.	Rs
1958-59 ..	908	2,317.21
1959-60 ..	2,712	5,452.73
1st April, 1960 to 24th September, 1960	2,612	6,477.68

डाक्टर परमा नन्द : पहले part का जवाब Government ने दिया है कि हां बेच रहे हैं । मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब Hosiery Work Centres, Ludhiana का quota मुकर्रर हो गया है तो उस को बेचने या sell करने के क्या कारण हैं ?

Minister : Since the object of rehabilitating the displaced persons in the various trades has been practically achieved these work centres are being wound up.

श्री राम प्यारा : क्या यही 2 centres इस बिना पे dispose of किये जा रहे हैं कि rehabilitation का काम खत्म हो गया है या पंजाब में ऐसे और centres भी हैं । ?

मंत्री : Notice चाहिए ।

डाक्टर परमा नन्द : क्या इन centres को —Hosiery Work Centre, Ludhiana को by auction देंगे या sell करेंगे या negotiations से dispose of करेंगे या tender के ज़रिये dispose of करेंगे ?

Minister : I will have to enquire about the procedure.

श्री राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब बतलायेंगे कि जो राजपुरे का work centre है वह भी refugees की rehabilitation के लिये था, उस को भी Government dispose of कर रही है ? इन दो को तो Government dispose of कर रही है । क्या इस से यह समझा जाए कि क्योंकि पंजाब में rehabilitation की problem खत्म हो गई है इस लिये Government बाकी के work centres को भी बेच रही है जिन के साथ quota लगा हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : मैं quota के शब्द से तंग आ गया हूं जो आप बार २ कह रहे हैं । आप कोई और शब्द इस्तेमाल करें । (I am fed up with the word 'quota' being used by him time and again. Let the hon. Member use some other word in its place.)

श्री राम प्यारा : पहले तो इन दोनों factories को allocation नहीं की गई। अब जब allocation हो गई है तो इन्हें बेचने की क्या वजह है ?

मंत्री : मैं ने इस का जवाब दे दिया है।

LOANS GRANTED UNDER THE PUNJAB STATE AID TO INDUSTRIES ACT, 1935

***6099. Shrimati Sarla Devi Sharma :** Will the Minister for Industries be pleased to state the amount of loans advanced to each district of the State under the Punjab State Aid to Industries Act, 1935, during the period from 1st December, 1959 to 31st March, 1960 ?

Sardar Gian Singh Rarewala : A statement showing the requisite information is laid on the Table of the House.

Statement showing the amount of loans advanced to each District of the State under the Punjab State Aid to Industries Act, 1935, *during the period from the* 1*st December,* 1959 *to the* 31*st March,* 1960

Serial No.	Name of District		Amount advanced
			Rs
1	Ambala	..	1,33,550
2	Gurgaon	..	75,800
3	Rohtak	..	1,66,700
4	Simla	..	..
5	Karnal	..	1,61,425
6	Hissar	..	1,76,000
7	Patiala	..	1,58,500
8	Bhatinda	..	1,15,850
9	Sangrur	..	1,96,550
10	Kapurthala	..	53,300
11	Mohindergarh	..	1,08,000
12	Ludhiana	..	1,70,725
13	Jullundur	..	1,57,650
14	Amritsar	..	1,75,500
15	Ferozepore	..	47,450
16	Gurdaspur	..	1,11,500
17	Hoshiarpur	..	76,000
18	Kangra	..	38,000
	Total	..	21,22,500

LICENCES ISSUED FOR IMPORTING INDUSTRIAL MACHINERY IN THE STATE

***6186. Chaudhri Devi Lal :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) the number of licences issued by Government for the import of industrial machinery in the State during the years 1957, 1958, 1959 and 1960 ;

(b) the names of the firms to whom these licences have been issued in each district ?

Sardar Gian Singh Rarewala : (a) and (b) Import licences are granted by the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi and not by the State Government. Hence the requisite information is not available with the State Government. Information regarding import licences issued by the Chief Controller of Imports and Exports is published by the Government of India in weekly bulletins of Import and Export Trade Control, which are available on payment from the office of the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi.

श्री राम प्यारा : क्या यह दुरुस्त है कि यह फ़ैसला किया गया था कि जब कभी ऐसा सवाल आया करेगा list सप्लाई कर दी जाया करेगी ?

श्री बलराम दास टंडन : इन्होंने assurance दी थी कि हर डिस्ट्रिक्ट में लगा दिया करेंगे !

Mr. Speaker: This question will be referred to the Assurance Committee.

DEVELOPMENT OF INDUSTRIES IN SIRSA AND JHAJJAR TEHSILS

***6187. Chaudhri Devi Lal :** Will the Minister for Industries be pleased to state whether it is a fact that the tehsils of Sirsa and Jhajjar were declared as industrially backward areas ; if so, the steps so far taken for the development of industries in these two tehsils together with the progress made in this respect ?

Sardar Gian Singh Rarewala : A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(i) No. However these two tehsils have been selected for intensive campaign for the development of small-scale industries.

(ii) The following steps have been taken for the development of Industries in these two tehsils :—

(a) Technical guidance is given to the prospective industrialists who intend to start new industries in these tehsils ;

(b) The conditions of eligibility for the grant of Iron and Steel Quota have been relaxed for Jhajjar Tehsil and now the factories to be set up in this tehsil are eligible for the grant of Iron and Steel irrespective of their date of establishment provided these factories possess suitable premises and are equipped with proper type of machinery. The question of relaxing conditions for Sirsa Tehsil so as to bring it at par with Jhajjar Tehsil in this regard is under the consideration of Government.

[Minister for Agriculture and Forests]

(c) The conditions for the issue of essentiality certificates for the import of equipment and raw-material by prospective industrialists in these tehsils have also been relaxed.

(iii) The progress so for achieved is summarised as under :—

(a) About 40 parties who came forward with their schemes for the installation of new factories have been rendered necessary technical guidance.

(b) Essentiality Certificates for the import of raw material have been issued to 18 factories in Jhajjar Tehsil and 17 factories in Sirsa Tehsil.

चौधरी देवी लाल : क्या गवर्नमेंट इरादा रखती है कि झज्जर और सिर्सा की तहसीलों को backward areas की facilities दी जाएं ?

मंत्री : इरादा है और ज़रूर दी जाएंगी ।

चौधरी देवी लाल : क्या यह ठीक है कि इन तहसीलों को iron और steel का quota 5 या 10 टन दिया गया है ?

मंत्री : दरियाफ्त करके बता सकता हूं ।

श्री राम प्यरा : क्या यह दुरुस्त है कि इन दो backward तहसीलों को बाकी तहसीलों से कम quota दिया जा रहा है ?

मंत्री : इस के लिए separate notice दें ।

SUPPLY OF RAJHARA COAL IN THE STATE

***6193. Shri Balram Das Tandon :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) whether Rajhara Coal is being received in the State at present ; if not, since how long it has ceased coming and the reasons therefor ;

(b) whether it is a fact that the Government asked the Coal Commissioner to cut down the supply of coal of the said variety to the State, if so, the reasons therefor ?

Shri Banarsi Das Gupta (Deputy Minister) : (a) Yes. Rajhara Coal is being received in the State at Simla only.

(b) No.

श्री बलराम दास टण्डन : क्या डिप्टी मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि बाकी की जगहों पर इस कोयले की supply बन्द कर देने के क्या कारण हैं ?

उपमंत्री : यह बहुत थोड़ी मिकदार में आता है। इस लिये यह सिर्फ़ शिमला में ही supply किया जाता है ।

श्री बलराम दास टण्डन : क्या यह ठीक है कि जो coal dealers हैं उन में से कयों ने गवर्नमेंट को यह कहा था कि वह यह बाकी जगहों पर भी supply कर सकते हैं ?

उपमंत्री : हां कहा था लेकिन क्योंकि इस कोयले की supply बहुत कम है इस लिये गवर्नमेंट ने उन की यह बात नहीं मानी ।

श्री बलराम दास टण्डन : जब उन्होंने कहा था कि वह बाकी की जगहों पर भी यह supply कर सकते हैं तो गवर्नमेंट के न मानने की क्या वजह है ?

उपमंत्री : यह तो गवर्नमेंट के पास reports आती रहती है कि कितना कोयला इस State को आया है। उसे देख कर ही हम ने उन की बात नहीं मानी।

REPRESENTATION AGAINST STANDARD FIXED FOR PURE GHEE

***5819. Shri Ram Chandra Comrade :** Will the Minister for Industries be pleased to state whether Government have received any representation from Shri Brij Lal Khanna, Secretary, Punjab Desi Ghee Merchants' Association, Amritsar against the fixation of the standard for pure Ghee by the Government ; if so, the details of the representation and the action, if any, taken thereon ?

Sardar Gian Singh Rarewala : Yes. A representation from Shri Brij Lal Khanna, Secretary, Punjab Desi Ghee Merchants' Association, Amritsar, against the fixation of the standard for pure Ghee by the Government was received and the following points were raised :—

(i) Different standards in different States. A sample is dubbed as impure when taken to another State. Thus, it is a dual interpretation of law.

(ii) The cause of low production of ghee in Punjab (Oklana, Kaithal and Rohtak) has been attributed to stringent standards.

(iii) The eichert value in Punjab was 24 up to 1953.

(iv) The Government trade in Ag-mark ghee of low R. M. is being encouraged but the same facilities are not provided to private sectors.

(v) Ghee stratifies when stored for a long time.

(vi) Letter dated 25th June, 1955, from the Agricultural Marketing Advisor to the Government of India, Ministry of Food and Agriculture to the address of the Secretary, Central Committee for Food Standards.

No action was taken.

WHEAT PURCHASED BY GOVERNMENT UNDER THE STATE TRADING SCHEME

***5990. Sardar Kartar Singh Diwana :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) the total quantity of wheat purchased by Government in the State under the State Trading Scheme ;

(b) the quantity of wheat purchased through Co-operative Marketing Shops;

[S. Kartar Singh Diwana]

(c) the total number of Co-operative Marketing Shops which were entrusted the work of State Trading ?

Shri Benarsi Das Gupta (Deputy Minister): (a) 1,64,481 tons.

(b) 47,419 tons.

(c) 72.

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ : ਕੀ ਡਿਪਟੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ Co-operative Societies ਔਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ Co-operative Societies ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ?

उप मंत्री : मुझे इन का सवाल समझ नहीं आया ।

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ : ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ Co-operative shops ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । Co-operative shops ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀ ਬਣਿਆ ? (But how does this question arise ?)

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ : ਜਨਾਬ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਧੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਧੀ Cooperative Shops ਨੂੰ । ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਆਂਗੇ ।

श्री अध्यक्ष : जो information आप ने सवाल में मांगी थी वह इन्होंने दे दी है । अब आप का क्या सवाल है । (The Deputy Minister has supplied the information asked for by the hon. Member. Now what does he want to ask ?)

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ : ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਹੀ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ Co-operative Shops ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ।

श्री अध्यक्ष : आप सवाल की शकल में यह चीज़ पूछें। (The hon. Member may ask this thing in the form of a question.)

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ : ਕੀ ਡਿਪਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ Co-operative Shops ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਦਾਰ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ ਹੈ ?

उप मंत्री : पहली बात तो यह है कि पुराने आढ़तियों की तादाद बहुत बड़ी है और Co-operative Shops की कम है। फिर हमारे पास खास specifications होती हैं उन के मुताबिक यह काम उन में बांट दिया जाता है।

Mr. **Speaker** : The question hour is over

ADJOURNMENT MOTIONS

Mr. Speaker : I have received notices of three adjournment motions.

3.00 p.m.

The first adjournment motion has been given notice of by Sarvshri Balram Das Tandon and Sahi Ram Bishnoi. It reads—

"..........to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter of urgent public importance, namely, the law and order situation of the State, as revealed by the judgment in the Karnal Triple Murder Case."

The second adjournment motion given notice of by Chaudhri Inder Singh reads :

"..........to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter of urgent public importance, namely, the constitutional propriety of the Chief Minister of the State to remain as such as a result of the dismissal of the State Government's appeal in Karnal Murder Case by the Supreme Court of India yesterday......"

मुझे समझ नहीं आती कि यह adjournment motions कैसे बन गईं। (I fail to understand how these motions can be treated as adjournment motions.)

पंडित श्री राम शर्मा : तो यह कैसे adjournment motions नहीं।

श्री अध्यक्ष : मैं इस के बारे में doubtful हूं। अगर इस पर discussion की गई तो court की judgement पर भी discussion होगी और हो सकता है कि ऐसी चीज़ें आ जाएं जो public importance की न हों। (I am doubtful about it because if discussion is allowed on this motion then the judgement of the court is also likely to come under discussion and it is possible that such things might crop up which are not of any public importance.)

[Mr. Speaker]

Then the third adjournment motion given notice of by Chaudhri Dharam Singh Rathi and Chaudhri Bharat Singh reads :

"..........to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter of urgent public importance, namely, the strictures against certain officials of the Punjab Government retained by the Supreme Court of India in the Karnal Triple Murder Case by rejecting yesterday the petition filed by the Punjab Government for leave to appeal.........."

In the explanatory memorandum it is stated :—

"It is a case of very great public importance. These strictures have shaken the confidence of the public regarding the Government Administration..".

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : स्पीकर साहिब, मेरी तो Adjournment Motion administration के बारे में है। मैं तो administration को discuss करना चाहता हूं और कोई बात नहीं है। मैं जानता हूं कि अगर चीफ मिनिस्टर के conduct को discuss करना हो तो Substantive motion का नोटिस दिया जाना चाहिये। पहले जब Administration के बारे में strictures पास किये जाते थे तो आप फरमाते थे कि यह मामला *sub-judice* है। अब इस case का फैसला हो चुका है। यह मामला urgent होने के अलावा recent occurrence का भी है। जहां तक मेरी motion का ताल्लुक है इस में कोई नुक्स नहीं। यह rules के मुताबिक है। इसे allow किया जाना चाहिये।

श्री राम प्यारा : On a point of order, Sir. अगर इस judgment में चीफ मिनिस्टर के खिलाफ़ strictures हैं तो अगर इस motion में चीफ मिनिस्टर साहिब का नाम आ जाए तो कौन सी हर्ज वाली बात है?

श्री अध्यक्ष : अगर इन सारी चीज़ों को discuss किया गया तो यह censure motion बन जाएगी। इस तरह से हाई कोर्ट की judgment पर discussion होगी। यह एक तरह से no-confidence motion बन जाएगी। (If all these things are discussed in detail then it becomes a censure motion against the Government. Then in this way the judgment of the High Court will also come under discussion. In other words, this motion will be a sort of no-confidence motion against the Government.)

चौधरी इन्द्र सिंह : स्पीकर साहिब, इस के बारे में दो रायें नहीं हो सकतीं कि यह urgent public importance का मामला है। इस के बारे में highest judicial tribunal ने अपनी findings दी हैं। जब तक इस ने अपनी findings नहीं दी थीं तब तक मैं ने कुछ नहीं कहा था। इस की findings यह हैं कि general administrative and judicial machinery has been misused.

Mr. Speaker : I want to ask a simple question and it is this. When you bring in a Minister or the Chief Minister or any member of the Cabinet and link him with the motion, and thereby censure his conduct, does it not become a substantive motion amounting to a no-confidence motion ?

चौधरी इन्द्र सिंह : स्पीकर साहिब, यह urgent public importance का मामला है और recent occurrence का है। जो इस rule में restrictions दी गई हैं यह उस से .cover नहीं होतीं। मैं ने तो यह point raise किया है कि अगर इस तरह की constitutional functions के बारे में चीफ़ मिनिस्टर के खिलाफ remarks हों तो adjournment motion आ सकती है। It is not a substantive motion but a motion which is based upon strictures.

जनाब, रूल 68 में कोई 13 के करीब restrictions दी गई हैं लेकिन यह मामला किसी एक के मातहत भी आता। अगर मामला urgent public importance का हो तो.......

Mr. Speaker : Does this motion to censure the conduct of Administration not amount to a no-confidence motion ? In this way, it does not become a substantive no-confidence motion.

चौधरी इन्द्र सिंह : इस में कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ।

श्री बलराम दास टंडन : स्पीकर साहिब, जो मेरी मोशन है उसमें we are not discussing the conduct of a Minister.

Mr. Speaker : How can you avoid discussing the conduct of the Minister ? The judgment as a whole covers a wide field. The Administration, the Chief Minister and so many other persons have been referred to in the judgment. So there is a gradual and continuous link between so many incidents and events. You cannot, therefore, avoid debate on the conduct of the Chief Minister or the Ministry if this adjournment motion is discussed.)

श्री बलराम दास टण्डन : मेरी अर्ज़ यह है कि जब कभी हम हाउस में बिल वगैरह discuss करते हैं तो मिनिस्टर के conduct को under discussion नहीं लाते लेकिन.......

श्री अध्यक्ष : लेकिन इस मामले में तो बात ही वहीं से चलती है। पंडित जी, आप पुराने पार्लियामैंटेरियन हैं, आप का क्या विचार है ? आप विजिलैंस कमेटी के प्रधान हैं, आप बताएं। (But in this case the matter starts from that very point. Pandit Shri Ram Sharma is an old Parliamentarian and also the Chairman of the Non-Official Vigilance Committee. I would like to know his view-point in this respect.)

पंडित श्री राम शर्मा : जहां तक मिनिस्टर के conduct का concern है, उस में adjournment motion नहीं आ सकती लेकिन जहां तक राठी साहिब की adjournment motion का ताल्लुक है उस में administration का सवाल आ जाता है ।

श्री अध्यक्ष : अगर इस मोशन पर debate हो जाए तो आप इस को अलहदा कैसे कर सकते हो ? (How can you avoid discussing the conduct of a Minister during the debate on this motion, if allowed?) (*Interruptions*)

चौधरी धर्म सिंह राठी : मैं तो सिर्फ उस के अन्दर जो strictures कुछ अफसरों के खिलाफ पास किए गए हैं उन को डिस्कस करना चाहता हूं । चीफ मिनिस्टर के खिलाफ चाहे कुछ भी कहा गया हो, मैं उन के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता ।

श्री अध्यक्ष : अगर आप administration पर discussion करोगे तो गवर्नमेंट को किस तरह से अलग कर सकते हो ? (*interruptions*) (If the hon. Member wants to raise discussion on the administration then how can he avoid bringing the conduct of Ministry under discussion?) (*interruptions*)

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री : जो आप की राए है वह बिल्कुल ठीक है ।

श्री अध्यक्ष : मैं तो अभी इस बात पर मुख्तलिफ राए का इज़हार सुन रहा हूं । मैं ने तो अभी अपनी राए बनाई ही नहीं, आप को कैसे मेरी राए मालूम हो गई है ? (I am simply listening to the various viewpoints on it. How does the hon. Minister know my opinion when I have not yet formed any?)

श्री बलराम दास टण्डन : जनाब, मैं आप के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं कि हाउस में किसी मिनिस्टर के बारे में कभी रेफ्रैंस नहीं करते हालांकि हम रोज़ जेनरल एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस करते हैं और ला एंड आर्डर की पोज़ीशन को डिस्कस करते हैं.....

श्री अध्यक्ष : जब जेनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन पर डिस्कशन होती है तो उस वक्त वोटिंग नहीं होती । लेकिन इस मामले में तो वोटिंग होगी । (Voting does not take place when General Administration comes under discussion. But so far as this matter is concerned, there will be voting on it.) (*Interruptions*) (*Voices*)

श्री अध्यक्ष : Order Please. चौधरी इन्द्र सिंह ने पहले एक मोशन का नोटिस रूल 84 के मातहत दिया था । लेकिन उस में कुछ defect था । मैं ने उन को यह defect दूर करने की इजाज़त दे दी और अब वह मोशन रूल 84 के नीचे admit हो गई है । उस मोशन पर open discussion हो जाएगी । अगर आप हाउस की वोटिंग चाहते हैं तो उस के लिये सीधा तरीका यह है कि आप substantive motion लाएं यानी गवर्नमेंट के खिलाफ no-confidence motion लाएं ।

An Adjournment Motion can be in order only if it relates to a single specific matter which is of recent occurrence and urgent public importance. बाहर के लोगों को पता नहीं कि Adjournment Motion की requirements क्या हैं। उन्होंने तो सिर्फ जजमैंट पढ़ी है और strictures पढ़े हैं। इस जजमैंट के साथ चीफ मनिस्टर का link है और और आदमियों का भी इस के साथ ताल्लुक है। जैसे कि मैं ने पहले कहा अगर आप मिनिस्टरी के खिलाफ कुछ कहना चाहते हैं तो आप Substantive Motion as prescribed under the rules लाएं। पोज़ीशन यह है कि इस में मेरी कोई discretion नहीं है। अगर मैं थोड़ी बहुत कुछ discretion use करूं तो एक तरफ तो सरदार भूपिन्द्र सिंह मान और दूसरी तरफ चौधरी इन्द्र सिंह बैठे हुए हैं जो कि फौरन ही प्वाइंट आफ आर्डर रेज़ कर देते हैं। कुछ देर के लिये अलबत्ता dodge कर सकता हूं। But I am to be guided by the rules. अगर आज मैं कोई ऐसी रूलिंग दे दूं तो इस का कोई अच्छा precedent कायम नहीं होगा। मैं चला जाऊंगा, आप चले जाएंगे और जो आगे आने वाले मेम्बर साहिबान होंगे वे मुझे curse करेंगे कि कैसी रूलिंग दे गया। जहां तक चौधरी इन्द्र सिंह और श्री टंडन की Adjournment Motion का सवाल है चूंकि वह मिनिस्टर के conduct को involve करती है, मैं उस को out of order rule करता हूं। जहां तक राठी साहिब की Adjournment Motion का सवाल है, उस के मुतअल्लिक मैं अभी clear नहीं हूं। बड़ा complicated matter है। इस पर मैं गौर करूंगा and for the time being I reserve my ruling. अब तक बेशुमार Adjournment Motions आईं और questions भी आते रहे। मैं यह कह कर टालता रहा कि मामला *sub-judice* है। लेकिन आज मेरी यह कहने की हिम्मत नहीं है कि मामला *sub-judice* है। It is no doubt an important matter और जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया है यह complicated matter है क्योंकि इस में कई persons का conduct inovlve होता है। इस पर ग़ौर करूंगा और बाद में रूलिंग दूंगा।

(Order please. Chaudhri Inder Singh had earlier given notice of a motion under Rule 84. But it was a bit defective. I permitted him to remove the defect and now the motion has been admitted under Rule 84. It will be openly discussed. However, if the hon. Members want the House to vote on it, then, the simple way is that they should bring forth a substantive motion, i.e., a No Confidence Motion against the Government.

An Adjournment Motion can be in order only if it relates to a single specific matter which is of recent occurrence and urgent public importance. The people outside the House are not aware of the requirements of an Adjournment Motion. They have only read the judgment of the Court and know the strictures passed by it. The Chief Minister as well as other persons are linked with this judgment. As I have already stated, if the hon. Members want to discuss the conduct of the Ministry, then they should give notice of a Substantive Motion as prescribed under the Rules. The position is that I have no discretion in the matter. If at all I

[Mr. Speaker]
use some discretion this way or that way then I have to face Sardar Bhupinder Singh Mann sitting on this side and Chaudhri Inder Singh on the other who lose no opportunity to raise a point of order on an issue. I may dodge them for some time. After all I am to be guided by the Rules. If I give any such ruling today, then it will not set a good precedent. When I or the hon. Members no longer remain here, then our successors would curse me for it. So far as the Adjournment Motions given notice of by Chaudhri Inder Singh and Shri Tandon are concerned, I rule them out of order because they involve the conduct of a Minister. So far as the Adjournment Motion of Shri Rathi is concerned I am not yet clear about it as it is a very complicated matter. I will consider it but for the time being I reserve my ruling. Innumerable Adjournment Motions were given notice of and an equal number of questions were asked concerning this matter. But I have been putting them off on the ground that the matter was sub-judice. Today, however, I dare not say that this matter is sub-judice. It is no doubt an important matter. But as I have already stated it is a complicated matter because it involves the conduct of a lot of persons. I will consider this matter and give my ruling on some subsequent date.)

सिंचाई तथा बिजली मंत्री : यह urgent matter भी नहीं है।

Mr. Speaker : What can be more urgent and important than this matter for your Government ? (*Interruptions*)

Chaudhri Inder Singh : Sir, it is unprecedented that even after the strictures passed by the High Court and up held by the Supreme Court, this Ministry is still holding office. This Ministry should have fallen at once.

Mr. Speaker : As I have already stated, I reserve my ruling on this Adjournment Motion.

(*At this stage, many hon. Members rose to speak.*)

Mr. Speaker : If any one wants to explain his view point, he may do so in my chamber.

पंडित श्री राम शर्मा : जनाब, मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस चीज़ का फैसला कि यह मामला अरजेंट और पबलिक इम्पारटेंस का है कि नहीं आप ने करना है या कि मिनिस्टर साहिब ने करना है ?

Mr. Speaker : Any one can come and explain his view-point.

REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

Mr. Speaker : The Business Advisory Committee which met yesterday has recommended that the time for the business at the sittings

of the Sabha to be held from to-day onwards be allocated in the following manner :—

I. FINANCIAL BUSINESS

1.	Discussion and Voting of the Supplementary Estimates (1st Instalment) 1960-61 ..	Two hours
2.	Discussion and completion of all stages of the Appropriation Bill in respect of the Supplementary Estimates (1st Instalment), 1960-61 ..	Two hours

II. (A) LEGISLATIVE (GOVERNMENT) BUSINESS

(B) RESOLUTIONS UNDER CLAUSE(2)(a) OF ARTICLE 213 REGARDING DISAPPROVAL OF ORDINANCES

1.	Discussion and completion of all stages of the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads Bill, 1960 (As reported by the Regional Committees) ..	Three days
2.	Discussion and completion of all stages of the Punjab Compulsory Service Bill, 1960 (as reported by the Regional Committees) ..	One day
3.	Discussion and completion of all stages of the Punjab Agricultural Produce Markets Bill, 1960 (as reported by the Regional Committees) ..	One day
4.	Resolution regarding disapproval of the Punjab Criminal Law (Amendment) Ordinance, 1960	One day
5.	Discussion and completion of all stages of the Pun;ab Criminal Law (Amendment) Bill 1960	
6.	Resolution regarding disapproval of the Punjab Special Powers (Press) (Amendment) Ordinance, 1960	One day
7.	Discussion and completion of all stages of the Punjab Special Powers (Press) (Amendment) Bill, 1960	
8.	Discussion and completion of all stages of the East Punjab Volunteer Corps (Amendment) Bill, 1960	One hour
9.	Discussion and completion of all stages of the Nangal Township (Periphery) Control (Amendment) Bill, 1960 ..	One hour
10.	Discussion and completion of all stages of the Punjab Laws (Extension No. 9) Bill, 1960 ..	Half hour
11.	Discussion and completion of all stages of the Punjab Resumption of Jagirs (Second Amendment) Bill, 1960 ..	Two hours

[Mr. Speaker]

12. Discussion and completion of all stages of the Punjab Land-Revenue (Additional Surcharge) Bill, 1960 .. Three hours

13. Discussion and completion of all stages of the Indian Stamp (Punjab Amendment) Bill, 1960 .. Half hour

14. Discussion and completion of all stages of the Punjab State Legislature (Prevention of Disqualification) (Amendment) Bill, 1960 .. Half hour

15. Discussion and completion of all stages of the Electricity (Supply) (Punjab Amendment) Bill, 1960 Half hour

16. Discussion and completion of all stages of the Punjab University (Amendment) Bill, 1960 .. One hour

17. Resolution regarding disapproval of the Punjab Official Languages Ordinance, 1960 } One day

18. Discussion and completion of all stages of the Punjab Official Languages Bill, 1960 } One day

19. Discussion and completion of all stages of the Indian Medical Degrees (Punjab Amendment) Bill, 1960 .. Two hours

20. Discussion and completion of all stages of the Punjab Instruments (Control of Noises) (Amendment) Bill, 1960 .. Half hour

21. Discussion and completion of all stages of the Punjab Ware-houses (Amendment), Bill, 1960 .. Half hour

III. RESOLUTION UNDER ARTICLE 320 OF THE CONSTITUTION

1. Resolution under clause (5) of Article 320 regarding disapproval of the order of Governor relating to the additions to Schedules 'A' and 'B' referred to in regulations 3(b) and, 5(f) respectively of the Punjab Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1955 .. Two hours

Now, Pandit Shri Ram Sharma will move the motion for the adoption of the Report of the Business Advisory Committee.

Pandit Shri Ram Sharma (Sonepat) : Sir, I beg to move —

> This House agrees with the allocation of time proposed by the Business Advisory Committee in regard to business at the sittings of the Vidhan Sabha to be held from the 25th October, 1960, onwards.

स्पीकर साहिब, इस में यह कहा जा सकता है कि वक्त और ज़्यादा होना चाहिए । लेकिन सवाल तो यह है कि अगर यह असेम्बली दो महीने तक बैठने के लिये तैयार है तब तो इस बात पर गौर किया जा सकता है वरना जितना काम है और जितना वक्त का अन्दाज़ा है उस में इस से ज़्यादा मुनासिब तौर पर वक्त की distribution नहीं हो सकती । जैसा कि ख्याल है कि नवम्बर के तीसरे चौथे हफ्ते में सैशन खत्म हो जाएगा; तब तो time की allocation ठीक है और अगर इसे दिसम्बर या जनवरी तक ले जाना हो तब time बढ़ाया भी जा सकता है ।

लेकिन इतना लम्बा सैशन होने वाला नहीं है इस लिये कम वक्त वाला एतराज़ वज़न नहीं रखता। लिहाज़ा मैं तजवीज़ करता हूं कि Business Advisory Committee ने जो वक्त मुकर्रर किया है इस को House मंज़ूर कर ले।

Mr. Speaker : Motion moved —

This House agrees with the allocation of time proposed by the Business Advisory Committee in regard to business at the sittings of the Vidhan Sabha to be held from the 25th October, 1960, onwards.

श्री बलराम दास टण्डन (अमृतसर शहर-पश्चिम) : स्पीकर साहिब, जहां तक Bills वगैरा के लिये time की allocation का सवाल है इस के बारे में एक दो बातें कहने वाली हैं। लेकिन अभी तक जो programme हमें मिला है उसके मुताबिक यह Session 18-11-60 तक ही चलना है।

श्री अध्यक्ष : अब यह उस के आगे भी extended कर दिया गया है। (It has now been extended beyond that date.)

श्री बलराम दास टण्डन : यह सारा काम तो जनाब, इन दिनों के अन्दर भी खत्म हो सकता था लेकिन समझ में नहीं आता कि 27-10-60 से 6-11-60 तक छुट्टियां क्यों हो रही हैं। मैं समझता हूं कि अभी तक हमारे जितने Sessions हुए हैं उन में कोई precedent ऐसा नहीं है कि A. I. C. C. की meeting हो और उस के लिए असेम्बली को बन्द कर दिया जाए। सिर्फ इसी कारण हमें unnecessary तौर पर scheduled date से एक हफ्ता ज़्यादा बिठाया जायगा। अगर दरम्यान की 11 छुट्टियां न की जातीं तो इस दौरान में हम यह सारा काम खत्म कर के फारिग हो सकते थे। इस सम्बन्ध में मैं आप के views जानना चाहता हूं कि क्या आप इस बात को मुनासिब समझते हैं कि एक political party की meeting की खातिर असेम्बली की meeting को adjourn कर दिया जाए?

श्री अध्यक्ष : जो original programme बनाया गया था उस के मुताबिक यह Session 18-11-60 तक चलना था। इस के आगे नहीं जाना था। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ने Planning Commission के पास जाकर अपनी State की तीसरी Five-Year Plan को discuss करना था इस लिये इस सभा में इस Plan को सब से पहले discusssion के लिये रख दिया गया। लिहाज़ा पहले हफ्ते में Plan को discuss करके दीवाली की छुट्टियां कर दी गईं। (According to the original programme this Session of the Sabha was scheduled to last till 18th November, 1960, and not to be extended further. But since the Government had to discuss the State's Third Five year Plan with the Planning Commission, the discussion on the draft plan in the Sabha was given priority on the Agenda. Accordingly, it was discussed in the very first week of the

[श्री अध्यक्ष]
commencement of this Session and then the Sabha adjourned for Diwali Holidays.)

श्री बलराम दास टंडन : जनाब मैं ने तो सिर्फ यही पूछा है कि क्या आप इस 11 दिन के break को as a precedent approve करते हैं कि किसी political party की organisational meeting के लिए असेम्बली की meeting adjourn कर दी जाए ?

श्री अध्यक्ष : Programme गवर्नमेंट ने भेजा है। इसमें मेरे approve करने या disapprove करने का सवाल ही पैदा नहीं होता । (The programme has been sent by the Government. The question of my approval or disapproval does not arise.)

श्री बलराम दास टंडन : आप मेरी बात का फिर जवाब नहीं दे रहे। Programme किसी ने भी बनाया हो, मेरा point यह है कि जब Session शुरु हो चुका है तो उस के दरम्यान में किसी political party की meeting की खातिर 11 दिन के लिये छुट्टी कर दी जाए और Members को unnecessary तौर पर ज़्यादा दिन बैठना पड़े, क्या आप इस precedent को approve करते हैं ? क्या यह precedent मुनासिब और ठीक है ? जब इसी तरह किसी दूसरी parties की meetings होंगी तो क्या उस वक्त भी आप House को इस तरह adjourn कर देंगे ?

श्री अध्यक्ष : इस के लिए उन्होंने कोई reason नहीं दिया। (For this the Government has not given any reason.)

श्री बलराम दास टंडन : जो reason है, वह तो साफ है otherwise 26 अक्तूबर, 1960 के बाद इतनी छुट्टियों का कोई कारण नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष : जहां तक पहले हफ्ते का ताल्लुक है उस में 3 छुट्टियां आती थीं। और उस में ऐसा होना था कि आप एक दिन आते और दूसरे दिन छुट्टी होती फिर आप आते और दो छुट्टियां हो जातीं। इस तरह से न तो आप अपने घरों को जा सकते थे और न ही आप को उस दिन का T. A. वगैरा मिल सकता था, इस लिये मैं ने ही गवर्नमेंट को यह मशविरा दिया था कि इस तरह एक दिन के बाद छुट्टी और फिर दो छुट्टियां करने की बजाय चार पांच दिन का gap ही रख लिया जाए। लेकिन 26 नवम्बर, 1960 के बाद जो छुट्टियां रखी गई हैं उन का क्या कारण है, यह मुझे नहीं पता । (There fell three holidays so far as the first week of the Session of the Sabha is concerned, and three holidays happened to fall in that week. This meant that there would have been a holiday after one sitting and again two holidays after the next sitting. In this way neither the hon. Members could have gone to their places nor could they claim any T. A.

etc. for that one day's break. Therefore, I suggested to the Government that instead of having one holiday after one sitting and another two holidays after the next sitting, let us have a continuous break of four or five days. But I do not know the reasons for observing these off days after the 26th October, 1960.)

ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗਲ involved ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜਹ ਕਰਕੇ ਛੁਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ । ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਏਥੋਂ ਜਾਵੇ । ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਏਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਏਥੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਜੇ ਕਿਸੇ organisation ਦੀ ਕਾਨਫ੍ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਛੁਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਗਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ।

श्री बलराम दास टंडन : मैं पूछता हूं कि 27, 28 अक्तूबर और पहली तथा दूसरी नवम्बर को कौन सी छुट्टियां हैं ? गवर्नमेंट इन off days को कैसे explain कर सकती है। (*Interruptions*)

श्री अध्यक्ष : प्रोग्राम गवर्नमेंट ने बनाया है, इस में मेरे बस की क्या बात है ? (The programme has been framed by the Government and I have no say in the matter, what can I do?)

श्री बलराम दास टंडन : सरदार दरबारा सिंह ने एक view point explain किया है और उन्होंने मेरी इस बात से agree किया है कि हमें किसी political party की meeting की खातिर यह precedent नहीं बनाना चाहिए । इस लिये मैं पूछता हूं कि इन छुट्टियों का और क्या कारण है ? (*Interruption*)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Stamp Act ਦੀ discussion ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ financial implications ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ । ਸਟੈਂਪਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇਕ ਘੰਟਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ । (We may give one hour for this purpose.)

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : Sir, I don't think we will be able to finish it in 2 hours time or even in a day. This Bill affects all the people of the State.

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Administration of Justice ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਘਟੋ ਘਟ ਇਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

श्री अध्यक्ष : अगर बहस ज्यादा देर रही तो एक घंटा और बढ़ा देंगे ।

(The time will be extended by another one hour in case the discussion is continued.)

श्री जगत नारायण चोपड़ा : स्पीकर साहिब, items Nos. 17 और 18 के लिये सिर्फ एक दिन रखा गया है । यह बहुत थोड़ा time है । इस में Languages के मुताअल्लिक Ordinance और बिल दोनों discuss करने हैं । (*Interruptions*)

चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी : एक दिन तो बहुत काफ़ी है ।

श्री जगत नारायण चोपड़ा : बहुत काफी किस तरह है ? यह तो एक बड़ा important मसला है । (*Interruptions*)

कुछ माननीय सदस्य : Items Nos. 4 और 5 पर भी एक दिन बहुत थोड़ा है यह भी बड़ा important मामला है ।

चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी : एक दिन इसीलिए रखा है क्योंकि यह बड़ा important मामला है और आप इसे अच्छी तरह discuss करना चाहते थे ।

चौधरी इन्द्र सिंह : इस के लिये जनाब एक दिन और बढ़ा दें तो अच्छा है ।

श्री अध्यक्ष : (Addressing Pandit Shri Ram Sharma) क्यों पंडित जी आप का क्या ख्याल है ? (What has Pandit Shri Ram Sharma to say in this matter ?)

पंडित श्री राम शर्मा : जैसी आप की मरज़ी ।

श्री अध्यक्ष : वैसे एक दिन हम ने reserve रखा है । उस में कोई adjustments करनी होंगी तो कर लेंगे । (We have kept one day in reserve. The necessary adjustments will be made if need be.)

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ 6 items ਮਸਲਨ ਨੰਬਰ 10, 13, 14, 15, 20 ਤੇ 21 ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ..........

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਿਲ ਹਨ । (Probably the hon. Member has not read these Bills. These are very small measures.)

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ । ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤਾਂ motion move ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ put ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ । Discussion ਕਿਸ ਵਕਤ ਹੋਵੇਗੀ ?

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ reserve ਰਖ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ adjust ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। (I have already stated that one day has been kept in reserve and the business left over would be adjusted on that day.)

Mr. Speaker : Question is —

> This House agrees with the allocation of time proposed by the Business Advisory Committee in regard to business at the sittings of the Vidhan Sabha to be held from the 25th October, 1960, onwards.

The motion was carried.

ANNOUNCEMENT BY SECRETARY

Mr. Speaker : The Secretary will now make an announcement.

Secretary : Under rule 2 of the Punjab State Legislature (Communications) Rules, 1959, I have to inform the House that the Punjab Instruments (Control of Noises) (Amendment) Bill, 1960, passed by the Punjab Legislative Council on the 24th October, 1960, has been received. I also lay a copy of the said Bill on the Table of the House.

BILL(S)

THE PUNJAB SLUM AREAS (IMPROVEMENT AND CLEARANCE) BILL, 1960 (RESUMPTION OF CONSIDERATION)

Mr. Speaker : Now the House will resume consideration of the Punjab Slum Areas (Improvement and Clearance) Bill Clause by Clause. Now Clause 3 is before the House.

CLAUSE 3

3-30 p.m.

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : स्पीकर साहिब, मैं ने इन का ध्यान एक दो बातों की तरफ दिलाना है । जब मैं ने पहले कहा था कि इस में मशीनरी छोड़ दी गई है तो वज़ीर साहिब ने कहा था कि building के अन्दर सब कुछ आ जाता है । जनाब इस Clause 3 के अन्दर नोटिस की बात लिखी है जो इस तरह है :

> "3 (1) Where the competent authority upon report from any of its officers or other information in its possession is satisfied as respects any area that the buildings in that area—
> (a) are in any respect unfit for human habitation, or"

इस में मशीनरी बारे ज़िक्र नहीं है । अगर कहीं distillery गंदगी फैलाती है तो उस को नोटिस दे कर बाहर नहीं निकाला जा सकता । वज़ीर साहिब मेरे बज़ुर्गवार है । इन से मैं ने अर्ज़ की थी कि यह उसी जगह किया जा सकता था । इस में आगे लिखा है:

> "It may, by notification in the Official Gazette, declare such area to be a slum area,"

[चौधरी धर्म सिंह राठी]

उस building वाला area slum area declare हो जायगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस से असल purpose मर जायगा और गन्दगी दूर नहीं हो सकेगी। Clause 3 में जो provision है उस में machinery का कहीं जिक्र नहीं है। इस लिये मैं वज़ीर साहिब से पूछता हूं कि वह बताएं कि वह machinery को किस तरह remove कराएंगे।

लोक कार्य विभाग मंत्री (चौधरी सूरज मल): जनाब, मुझे पता नहीं लगता कि राठी साहिब ने यह objection क्यों उठाया है। जब building और उस का compound ही उठाया जा सकता है तो मशीनरी कहां पड़ी रहेगी। वह भी उठ जायगी। फिर यही नहीं machinery को public nuisance के तौर उठाने के लिये और कानून है। इस लिये इसे इसी तरह पास करना चाहिए।

Mr. Speaker : Question is—

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 4

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 5

Chaudhri Dharam Singh Rathi (Sambhalka) : Sir, I beg to move :—

Delete sub-clause (2)

स्पीकर साहिब, मेरी amendment है कि यह जो sub-clause (2) है यह delete होनी चाहिए। जनाब, कल वज़ीर साहिब ने कहा था कि हम तो बिल्कुल नक्शा पलट देंगे और ऐसा कर देंगे कि पंजाब में गन्दगी का निशान नहीं रहेगा। इस के लिए गवर्नमैंट कहती है कि हम grants भी देंगे और पता नहीं क्या क्या देंगे। मगर अब पता नहीं थैलियों का मूंह क्यों बन्द हो गया है। इस के अन्दर लिखा है :

"All expenses incurred by the competent authority under this section, together with interest, at such rate as the State Government may by order fix, from the date when a demand for the expenses is made until payment, may be recovered by the competent authority from the owner of the building as arrears of land-revenue."

कल तो कहते थे गवर्नमैंट grant देगी, सब कुछ करेगी मगर आज कहते हैं कि वसूली as arrears of Land Revenue होगी। Co-operative Societies को जो पैसा दिया जायगा उस की वसूली की तो इन को ज़रूरत नहीं मगर जो ग़रीबों को पैसा दिया जायगा उस की वसूली as arrears of Land Revenue होगी। यह पैसा उन गरीब आदमियों को दिया जायगा जो पैसा पल्ले न होने की वजह से अपने मकानात ठीक नहीं कराते।

गवर्नमैंट उन से ज़बर्दस्ती as arrears of Land-Revenue वसूल करेगी। और उन के मकान कुड़क करवाएगी। यानी न तो उन्हें ज़मीन मिलेगी और न मकान ही। यह तरीका है स्पीकर साहब, गरीब आदमियों के मकान लेने का। मैं वज़ीर साहिब से यह निवेदन करता हूं कि गरीबों के साथ यह ज़बर्दस्ती न कीजिए और न उन्हें यह दिखाएं कि तुम्हारे मकान भी छीने जा सकते हैं। यह तो वह बहुत देख चुके। यह बड़ा भारी ज़ुल्म होगा उन के साथ। (घंटी) स्पीकर साहब, जो सही मायनों में गरीब आदमी हैं उन से यह रुपया बिल्कुल भी वसूल नहीं होना चाहिए और उन को मकान मुफ्त मिलने चाहिए। इन अलफाज़ के साथ मैं अपनी अमैंडमैंट पेश करता हूं और जो इन्होंने सब क्लाज़ रखी है मैं उस की साथ ही साथ मुखालफत भी करता हूं।

Mr. Speaker: Motion moved—

Delete sub-clause (2).

Shri Ram Piara (Karnal) : Sir, after the proviso to sub-clause (2) the following be added:—

"(c) on account of financial difficulties has not in his hands sufficient money to satisfy the demand of the authority."

स्पीकर साहब, यह अमैंडमैंट पेश करने का मतलब मेरा यह है कि यहां जो proviso (a) है उस में लिखा है कि जिस वक्त competent authority demand करेगी उस सूरत में जो मकान में बैठा है उस से लेगी। इस के यह लफ्ज़ हैं :

(a) is receiving the rent merely as agent or trustee for some other person; and

(b) has not in his hands on behalf of that other person sufficient money to satisfy the whole demand of the authority, his liability shall be limited to the total amount of the money which he has in his hand as aforesaid.

जनाब, जो मालिक मकान है और जो किराया ले रहा है उस के एजेंट से उतना ही लेगा जितना उस के पास है चाहे डिमांड उस से ज़्यादा हो। लेकिन जो afford नहीं कर सकते जैसे कुछ बेवा औरतें या इस तरह से डिस्पलेस्ड परसंज़ हैं जिन के क्लेम के बदले में मकान तो बड़े बड़े मिल गए लेकिन उन के पास मेनटेन करने के लिये कोई ज़रिया नहीं या कर नहीं सकते। ऐसे लोगों के साथ अगर सख्ती की गई तो या तो वे मकान छोड़ जाएंगे या फिर रोटी खाने से भी रहेंगे। इस लिये गवर्नमैंट को चाहिए कि वह सैटिस्फाइ करे कि जो गरीब हो, बेवा हो और जो अफोर्ड न कर सकता हो उस के साथ जबर्दस्ती नहीं होगी। इस लिये मैं यह अमैंडमैंट पेश कर रहा हूं कि अगर competent authority यह समझे कि किसी मकान की मुरम्मत किया जाना ज़रूरी है और यह satisfy हो जाए कि मालिक मकान के हालात allow नहीं करते तो उसका मकान कुड़क नहीं होना चाहिए तो यह बहुत बड़ा हित होगा। मैं आशा करता हूं कि वज़ीर साहब इस अमैंडमैंट को ज़रूर मंज़ूर करेंगे।

Mr. Speaker: Motion moved—

After the proviso to sub-clause (2), the following be added :—

"(c) on account of financial difficulties has not in his hands sufficient money to satisfy the demand of the authority."

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ (ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ) : ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ suggestion ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 'that the expenditure shall be recovered as arrears of land-revenue' ਇਹ ਬੜਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ building ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਰਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਸ building ਨੂੰ ਬੇਚ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਐਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। As arrears of land revenue ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੀਲਾਮ ਕਰਕੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ consider ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ charge ਉਸ building ਤੇ ਹੀ ਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ building ਨੂੰ demolish ਕਰਨਾ ਹੈ ਯਾ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ building ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਫਜ਼ as arrears of land revenue ਕੱਟ ਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ building ਤੋਂ charge ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

श्रीमती श्रोम प्रभा जैन (कैथल) : Poor classes के chief spokesman चौधरी धर्म सिंह राठी ने जो बात कही वह मेरी समझ में नहीं आई कि किस मंशा से उन्होंने अपनी अमैंडमैंट पेश की है। मैं समझती हूं कि यह एक ऐसा बिल आया है जो कि series of developments for rural area में एक अहम जगह रखता है। मैं समझती हूं कि जैसी अमैंडमैंट उन की तरफ से आई वह नहीं आनी चाहिए थी। दूसरी बात जो कही गई उस की मैं ताईद करती हूं कि यह हकीकत है कि बहुत छोटे छोटे आदमी ऐसे होते हैं जिन के पास पैसा नहीं होता और जो मकान ठीक करने में पैसा नहीं लगा सकते। ऐसे व्यक्तियों को ज़रूर कुछ सरकार की ओर से छूट मिलनी चाहिए विशेष रूप से जब कि इस बिल में ट्रस्टी को तो छोड़ दिया गया है।

जो amendment श्री राम प्यारा जी ने दी है उस के आगे यह हो जाए कि वह उतना पैसा दे जितना कि उन के पास हो और बाकी का पैसा गवर्नमैंट या काम्पीटैंट अथारिटी अपने पास से लगा कर मकान बनाने में मदद करे।

लोक कार्य मंत्री (चौधरी सूरज मल) : स्पीकर साहब, जहां तक चौधरी धर्म सिंह राठी की amendment का सवाल है और उन का यह कहना कि यह सब-क्लाज़ delete कर दी जाय। यह बात मेरी समझ में नहीं आई। गवर्नमेंट ने इमदाद के तौर पर पहले ही रुपया दे दिया है। दूसरी चीज़ यह है कि जहां तक ग़रीबों के मकानात मुफ्त में बनाने का सवाल है यह उसी वक्त कर सकते हैं जब बहुत ज़्यादा रुपया गवर्नमेंट के पास मौजूद हो। जब आब्याना बढ़ाने या टैक्स लगाने की बात करते हैं तो राठी साहब लठ ले कर मुखालफत करने को तैयार हो जाते हैं। इस लिये हम ने तो जो चीज़ करनी है सरकारी खज़ाना की हालत के मुताबिक करनी है। बाजवा साहब ने कहा कि arrears of land revenue की शर्त सख्त है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यह क्लाज़ धमकी के तौर पर रखी जाती है, इस्तेमाल नहीं की जाती।

Mr. Speaker : Question is—

Delete sub-clause (2)

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

After the proviso to sub-clause (2), the following be added :—

"(c) on account of financial difficulties has not in his hands sufficient money to satisfy the demand of the authority."

The motion was, by leave, withdrawn.

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

OBSERVATION BY THE SPEAKER REGARDING THE NEW ASSEMBLY CHAMBER BUILDING

श्री अध्यक्ष : आज General Purposes Committee की meeting हुई थी। उस में मैं ने कहा था कि Monsieur Corbusier, जिन्होंने कि असेम्बली चेम्बर बनाया है वह आए हुए हैं जो मेम्बरान कोई अच्छी तजवीज़ देना चाहें वह उन से मिल लें। पांच बजे कमेटी के रूम में plans भी Engineer ले आएंगे वह भी जो मेम्बर देखना चाहें देख लें। जो मेम्बर असेम्बली चेम्बर देखना चाहें वह कल सुबह आठ बजे देख लें ताकि वे अगर कोई नया idea तजवीज़ करना चाहें तो उस की suggestion दे दें। वापस आने के लिये बसें वहीं से मिल जाएंगी। हाउस कल 9 बजे की बजाए 9-30 पर meet करेगा। (Today, in the meeting of the General Purposes Committee I announced that Monsieur Corbusier, who has planned the Assembly Chamber was here these days and that the Members wishing to make any good suggestions might contact him. The Engineers, also would bring the plans of the Assembly Chamber in the Committee Room at 5 p.m. and the Members may see them. Besides this those Members who are desirous of seeing the Chamber, should do so at 8-00 a.m, to-morrow so that if they want to suggest any new idea, they may do so. Buses will be available to the Members there to return to this place. The meeting of the Assembly will be held at 9-30 a.m. instead of 9-00 a.m. to-morrow.)

लोककार्य मंत्री (चौधरी सूरज मल) : मैं भी दरखास्त करता हूं कि मेम्बर साहिबान ज़रूर तशरीफ लाएं। असेम्बली की building तकरीबन खत्म हो गई है। ज़रूर देखें। मैं भी आठ बजे वहां ज़रूर पहुंच जाऊंगा। हमारा काबल अमला, चीफ इंजीनियर और आर्किटैक्ट भी वहां तशरीफ ले आएंगे और आप को सब कुछ explain कर देंगे।

THE PUNJAB SLUM AREAS (IMPROVEMENT AND CLEARANCE) BILL, 1960 (RESUMPTION OF CONSIDERATION) (CONCLD.)

CLAUSE 6

Shri Ram Piara (Karnal) : Sir, I beg to move—

4 P.M.

After the clause the following proviso be added—

"Provided that the occupier or occupiers are in a position to pay."

(*At this stage Mr. Deputy Speaker occupied the Chair.*)

Clause यह है :—

"..from the occupier or occupiers of the building as arrears of land revenue".

यह इस लिये लिखा है कि अगर किसी बिल्डिंग में Competent Authority के हुक्म से कोई improvement होंगी या कोई amenities provide की जाएंगी तो उस पर जो खर्च होगा वह occupier से बतौर arrear of land-revenue वसूल किया जाएगा । लेकिन मेरी amendment यह है कि इस clause के आखिर में यह शब्द और जोड़ दिए जाएं :

"Provided that the occupier or occupiers are in a position to pay."

डिप्टी स्पीकर साहिब, छोटे २ गरीब आदमी जिन की आमदन बहुत थोड़ी है वे ऐसे खर्चों का रुपया अदा नहीं कर सकेंगे । मैं income-tax अदा करता हूं और असैम्बली से allowance भी draw करता हूं और इस के अलावा मेरी और भी income है लेकिन अगर कोई मुझे कहे कि मैं देहली में Ashoka Hotel में ठहरूं या यहां Mountview Hotel में ठहरूं तो मैं ऐसा करने से साफ इन्कार कर दूंगा क्योंकि I cannot afford to stay in such hotels बावजूद मुझे खासी आमदनी होने के मैं ऐसे expensive hotels में ठहरने की हिम्मत नहीं रखता। लेकिन, डिप्टी स्पीकर साहिब, उन लोगों की हालत देखिए जो खस्ता मकानों में रह रहे हैं और भूखे रह कर अपनी जिन्दगी के दिन गुज़ार रहे हैं । अगर उन लोगों के मकानों की मुरम्मत करा के सरकार उन से पैसे तलब करे तो वे कैसे अदा कर सकेंगे । बसूरते अदम अदायगी अगर उन के मकान नीलाम किये जाएं तो यह उन के साथ बहुत बेइनसाफी होगी। उन की lot को बेहतर बनाने की बजाए उन्हें और मुसीबत में डालना होगा । एक वक्त था जब किसान के बैल, उन के खेती बाड़ी के औज़ार, बर्तन वगैरह नीलाम हो सकते थे लेकिन अब हमारी सरकार ने उस कानून में तरमीम कर दी है जिस से कि उन की यह चीजें नीलाम नहीं हो सकतीं । सरकार ने इस हद तक किसानों को relief दे दी है। मैं अब सरकार से पूछता हूं कि सरकार जिस आदमी के मकान की मुरम्मत करवाती है और वह उस का खर्च गरीबी की वजह से अदा करने के काबिल नहीं तो वह कैसे अदा कर सकेगा । यह रकम उस से as arrear of land-revenue कैसे वसूल की जाएगी । मकान की repair सरकार उस के benefit के लिये करवाती है

लेकिन उस खर्च की वसूली के लिये उस का मकान नीलाम कर के उसे मुसीबत में डालती है। मेरी amendment यह है कि अगर किसान इस पोजीशन में है कि वह सारा खर्च अदा कर दे तो बेशक उस रकम को बतौर arrear of land-revenue वसूल किया जाए। मैं जानता हूं कि कई आदमियों के खिलाफ recovery करने के लिये warrants जारी हुए हुए हैं लेकिन उन्हें कोई नहीं पूछता क्योंकि वे बड़े आदमी हैं। ऐसे लोगों से अगर रुपये बतौर arrear of land-revenue वसूल किये जाते हैं तो कोई हर्ज वाली बात नहीं लेकिन जिन लोगों के पास financial resources नहीं उन से इस तरीके से recovery नहीं की जानी चाहिये। पिछली क्लाज़ में तो चौधरी साहिब ने बात मान ली थी लेकिन बकाया के लिये कहीं नहीं लिखा। मैं उन से प्रार्थना करूंगा कि अगर मालिक की माली हालत अच्छी है तो ज़रूर उस से वसूली की जाए लेकिन अगर उस की हालत अच्छी नहीं तो उस से recovery नहीं की जानी चाहिये।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

After the clause the following proviso be added :—

"Provided that the occupier or occupiers are in a position to pay."

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ (ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਦੋ ਤਿੰਨ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ redundant ਹਨ। ਲਫਜ਼ ਇਹ ਹਨ :

Where works of improvement have been executed in relation to any building in a slum area in pursuance of the provisions of sections 4 and 5, the expenses incurred by the competent authority or, as the case may be, any local authority.......

ਇਸ ਵਿਚ ਲਫਜ਼ 'any local authority' ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਲਾਜ਼ 4 ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਲਾਜ਼ 5 ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ 6 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਕ confusion ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਜ਼ 4 ਵਿਚ ਜਾਂ ਕਲਾਜ਼ 5 ਵਿਚ ਨਾ ਵਰਤ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ 6 ਵਿਚ ਵਰਤ ਕੇ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇਕ confusion ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਫਜ਼ "or, as the case may be, any local authority" ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਕਢ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : डिप्टी स्पीकर साहिब, मेरे मुअज़्ज़िज़ दोस्त बाजवा साहिब ने अभी बताया कि competent authority को तो define किया गया है लेकिन local authority के मुतअल्लिक पता नहीं कि तहसीलदार होगा

[चौधरी धर्म सिंह राठी]
या नायब तहसीलदार या पटवारी होगा। यह नहीं define किया गया कि local authority कौन होगी ?

दूसरी बात यह है कि वज़ीर साहिब ने बताया है कि ग्राम तौर पर रक्म बतौर arrear of land-revenue वसूल नहीं की जाएगी । वैसे कोशिश करेंगे कि रक्म वसूल हो जाए लेकिन अगर कोई आदमी रक्म देने से इन्कार कर दे तो फिर इस तरीके से वसूल की जाएगी। पहले तो मकान से वसूल करेंगे लेकिन अगर मकान से वसूली न हुई तो फिर दूसरी चीज़ों से करेंगे। इस सिलसिले में मेरे जो खदशात थे वह बिल्कुल ठीक थे। पहले तो उस रुपये के बदले में मकान लेंगे अगर वह रक्म मकान से पूरी न होगी तो दूसरी जायदाद से पूरी कर ली जाएगी। मैं समझता हूं कि मकान में improvements करने की वजह से गरीब मालिक पर बोझ नहीं पड़ना चाहिये। इस में देहाती और शहरी का कोई सवाल नहीं यह बिल सब के लिये बनाया गया है। यह कानून देहातियों पर उतना ही लागू होगा जितना शहरियों पर। वज़ीर साहिब फरमाते हैं कि यह रुपया और किस तरह वसूल किया जाए, यह बात उन की समझ में नहीं आती। डिप्टी स्पीकर साहिब, इस में मैं क्या करूं इस गवर्नमैंट को कोई माकूल बात समझ में नहीं आ सकती। इस में बहुत सी बारीक बातें हैं इस लिये उन्हें वह समझ में नहीं आ सकती। इस बिल में उन्होंने arrear of land-revenue के शब्द लिख दिये। इस तरह से गरीब आदमियों के लिये मुश्किल बन जाएगी। उन के सामान की कुर्की होगी, उन पर बहुत सी मुसीबतें नाज़ल होंगी अगर रुपया बतौर arrear of land-revenue वसूल किया गया। मेरे दोस्त कामरेड राम प्यारा ने जो तजवीज़ पेश की है वह बिल्कुल दुरुस्त है। अगर गवर्नमैंट Opposition वालों की तरमीम मानने के लिये तैयार नहीं तो कम से कम Treasury Benches की तरफ से जो तरमीम आये उसे तो कबूल कर लेना चाहिये। डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं इस पर ज़्यादा न कहते हुए यह अर्ज़ करूंगा कि arrear of land-revenue के मुतअल्लिक जो तरमीम श्री राम प्यारा जी ने पेश की है उसे मान लेना चाहिये।

श्रीमती ओम प्रभा जैन (कैथल) : डिप्टी स्पीकर साहिब, उन्होंने कहा कि गवर्नमैंट का मनशा यह है कि मकान की improvement पर जितना खर्च हो अगर वह रुपया उस मकान से recover न हो सकता हो तो वह रुपया दूसरी जायदाद से वसूल किया जाए। अगर किसी मकान की improvement हो और उस की cost मकान की कीमत से exceed कर जाए तो यह ज़ाहिर है कि वह रुपया दूसरे मकान से recover किया जाएगा। गवर्नमैंट का मनशा यही है कि जिस मकान की improvement हो और गवर्नमैंट ने पैसे खर्च किये हों तो उस रक्म को वसूल किया जाए और उस की recovery का यही तरीका है कि उसे बतौर arrear of land-revenue वसूल किया जाए।

Shri Harbhagwan Maudgil (Ludhiana—North) : Sir, an objection in regard to the words "local authority" used in this clause has been

raised, i.e., from where this expression has come. I would invite the attention of the hon. Member who raised this objection to clause 36 of this Bill wherein it is stated :—

> "The competent authority may, by notification in the Official Gazette, direct that any power exercisable by it under this Act may also be exercised, in such cases and subject to such conditions, if any, as may be specified in the notification, by such officer or the local authority as may be mentioned therein."

Therefore, Sir, it is clause 36 of the Bill where the expression "local authority" comes into picture.

चौधरी धर्म सिंह राठी : यह defined कहां है ?

लोक-कार्य विभाग मंत्री (चौधरी सूरज मल) : जनाब, मेरे बारे में राठी साहिब ने कहा है कि उन की बारीक बात मेरी समझ में नहीं आई। कई बार बात में इतनी ज़बरदस्त बारीकी होती है कि वह हर एक आदमी की समझ में नहीं आ सकती। इस लिये हो सकता है कि उन की बात मेरी समझ में न आई हो। उन्होंने कई बार यह बात कही है कि हम ग़रीबों के मकानात छीनना चाहते हैं। इस बिल का यह मनशा कतअन नहीं है। हम तो फकत इतना ही चाहते हैं कि ग़रीबों के मकानात को दुरुस्त कर के उन को दे दें। उन पर जो खर्च आएगा उस में से कुछ रुपया subsidy के तौर पर गवर्नमैंट अपने पास से खर्च करेगी और बकाया जो होगा वह उन से लिया जाएगा और वह भी आसान इकसात में लेंगे। मैं हाउस की इत्तलाह के लिये यह बात बताना चाहता हूं कि slums clearance के लिये जो रूपया ग़रीबों से loan का वापस लिया जाएगा वह 15 साल में easy instalments में लिया जाएगा जिस से कम से कम तनखाह वाला, कम से कम आमदनी वाला आदमी भी तकलीफ न महसूस करे। यह कहना गलत है कि हम उन के मकानात नीलाम कर देंगे। इस लिये कोई खदशा की बात नहीं है कि उन को oust कर के मकानों को सरकार अपने कबज़े में कर लेगी। उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं रखना चाहिये। मेरे लायक दोस्त श्री राम प्यारा ने अशोका होटल की मिसाल दी है कि महंगे मकानात बना कर उन को मजबूर किया जाएगा कि वे ज़्यादा खर्च बरदाश्त करें। मैं उन को बताना चाहता हूं कि जिस किस्म की पोज़ीशन किसी इलाके की आबादी की होगी उसी के मुताबिक वहां पर मकानात बनाए जाएंगे। अगर किसी के पास एक ही बड़ा सा कमरा है और गंदी हालत में है तो उस के दो कमरे बना कर उसे दे देंगे जिस से एक कमरे में वह खुद और दूसरे में उस के बच्चे आराम से रह सकें। रसोई या गुसलखाना भी उस की ज़रुरत के मुताबिक तैयार कर के उस को दे देंगे, उस की पोज़ीशन के मुताबिक ही तैयार करेंगे। यह नहीं होगा कि सरकार अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसे महल तैयार कर के दे देगी। जिस इलाके पर यह कानून लागू होगा वहां के लोगों की माली हालत के मुताबिक ही खर्च किया जाएगा और थोड़ा थोड़ा रुपया वहां के रहने वालों से वसूल किया जाएगा। इस में कोई डर वाली बात नहीं है। इस लिये इस clause को इसी शकल में पास कर देना चाहिये। जहां तक बाजवा

[लोककार्य विभाग मन्त्री]

साहिब की बात के जवाब का ताल्लुक है, जो कि उन्होंने Local authorities के बारे में की है वह मेरे दोस्त मौदगिल साहिब ने दे दिया है।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

After the clause the following proviso be added :—

"Provided that the occupier or occupiers are in a position to pay".

The motion was, by leave, withdrawn.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 7

Shri Ram Piara (Karnal) : Sir, I beg to move—

At the end of sub-clause (3) the following shall be added :—

"But the competent authority before the demolition of the building shall arrange for an alternative accommodation for the occupier or occupiers."

यह clause 7 जो है इस का heading यह है कि "power of competent authority to .... unfit for human habitation". जो buildings slum areas में आदमियों के रहने के काबिल नहीं होंगी उन को demolish कर दिया जाएगा। इस बात से हर कोई इत्तफाक करता है कि जो मकानात इनसान के रहने के काबिल नहीं हैं उन को गिरा दिया जाए और उन की जगह पर नए मकानात बना दिये जाएं। लेकिन इस clause में यह provision कहीं नज़र नहीं आती कि जिस आदमी के मकान को गिराया जाएगा, इस बिना पर कि वह इनसान के रहने के काबिल नहीं है और उस को वहां से उठाया जाएगा तो जब तक नए मकान नहीं बन जाते, उस को कहां पर बैठाया जाएगा। मैं ने ग़ौर से पढ़ा है मुझे कोई ऐसी provision नज़र नहीं आती कि जिस के मातहत transitional period के लिये कोई बंदोबस्त किया जाएगा। तजरुबा यह बताता है कि कई बार हाउस में assurances भी दी होती हैं, कई दफा गवर्नमैंट को याद भी करवाना पड़ता है फिर भी वह काम जल्दी नहीं होता। Enquiries complete करवाने में कई कई साल लग जाते हैं। इस लिये मुझे डर है कि जिस आदमी का मकान गिरा दिया जाएगा जब तक उस का नया मकान नहीं बनेगा उसको सड़क के किनारे फैंक दिया जाएगा। नामालूम नया मकान बनवाने में कितनी देर लगे? इस period में अगर उस को किराया भी देना पड़ता है तो उस के लिये भी मैं ने amendment दी है कि "But the competent authority, before the demolition of the building shall arrange for an alternative accommodation for the occupier or occupiers." उस के मकान को गिराने से पहले ग़रीब आदमी को सड़क पर बैठाने और बीमारी में

मुबतला होने से बचाने के लिये उस के लिये alternative accommodation का प्रबन्ध किया जाना चाहिये और जब मकान बन जाए उस को वहां पर बैठा दिया जाना चाहिये । अगर alternative accommodation का प्रबन्ध न किया गया तो उन को बहुत तकलीफ होगी। वज़ीर साहिब ने फरमाया है कि रुपया उन से किस्तों में वसूल किया जाएगा इस से उन को रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर मेरी अमेंडमैंट मंजूर न की गई तो इस से उन को बहुत तकलीफ होगी।

Mr. Deputy Speaker: No repetition please. The same argument is being repeated over and over again The hon. Member may resume his seat.

श्रीमती ओम प्रभा जैन (कैथल) : जो सवाल राम प्यारा जी ने उठाया है वह बड़ा ज़रूरी है। यह चीज़ किसी से छिपी नहीं है कि जो tenants वहां से उठाए जाएंगे अगर उन के लिये alternative accommodation का इंतज़ाम न लोकल बाडीज़ करें और न ही गवर्नमैंट करे तो उन के लिये बड़ी मुश्किल पैदा होगी। इस लिये वह इंतज़ाम किया ही जाएगा। दूसरी बात यह है कि मकान तैयार होने के बाद जो occupiers वहां पर पहले रहते थे उन को preference दी जाएगी। दोबारा मकान बनने के बाद उन को preference दी जाएगी। इस लिये इस में कोई डर वाली बात नहीं है।

Mr. Deputy Speaker: Motion moved—

At the end of sub-clause(3), the following shall be added :—

"But the competent authority, before the demolition of the building, shall arrange for an alternative accommodation for the occupier or occupiers".

लोककार्य मंत्री (चौधरी सूरज मल) : डिप्टी स्पीकर साहिब, राठी साहिब ने अभी अभी कहा कि कोई माकूल बात हो तो मान लेनी चाहिए। मैं तो इस खयाल का आदमी हूं कि अगर कोई बात जो माकूल हो और उनकी तरफ से भी आती तो भी मैं मान लेता। चूंकि यह ख्याल ज़ाहिर किया गया है कि गो वैसे तो competent authority के लिए ज़रूरी है कि वह कोई न कोई arrangement करती लेकिन यह बात वाज़ेह तौर पर बिल के अन्दर दी जानी चाहिए, इस वास्ते जो amendment कामरेड राम प्यारा ने दी है उसे मैं माकूल समझता हुआ तस्लीम करता हूं। यह इस clause में add कर लेनी चाहिए।

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸੂਰਜ ਮਲ ਹੋਰੀਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਦੀ amendment ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ।

Mr. Deputy Speaker: Question is—

At the end of sub-clause (3), the following shall be added :—

"But the competent authority, before the demolition of the building, shall arrange for an alternative accommodation for the occupier or occupiers."

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 7, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 8

Mr. Deputy Speaker : Now Clause 8 is before the House.

Shri Ram Piara (Karnal) : Sir I beg to move :

At the end of sub-clause (2), the following proviso be added :—

"Provided that the owner or any other person having an interest therein is in a position to pay".

जैसा कि clause 5 में गवर्नमैंट ने यह माना कि जो tenants होंगे या on behalf of land owners किराया वसूल कर रहे होंगे, जितना रुपया उनके पास होगा वह वसूल कर लिया जाएगा लेकिन बाकी रक्म के मुतअल्लिक मेरे दिमाग में अभी यह बात clear नहीं हुई कि उसे गवर्नमैंट कैसे वसूल करेगी ? इसकी sub-clause 2 में लिखा है :—

"Any expenses incurred by the competent authority under sub-section (1) ; if not satisfied out of the proceeds of sale of materials of the building shall be recoverable from the owner of the building or any other person having an interest therein as arrears of land revenue."

डिप्टी स्पीकर साहिब, मकान गिराए जाने के बाद जो आदमी उसको बनवा न सके या उसकी मुरम्मत न करवा सके तो यह अन्दाज़ा लगाना चाहिए कि उसकी माली हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है तो उसका मकान गिराकर उसके material को बेचने के बाद अगर फिर भी कुछ रुपया रह जाता है अगर तो वह अमीर आदमी है, अगर तो वह afford कर सकता है, अगर उसकी income इतनी भी है कि उसे किश्तों में अदा कर सके तो मैं समझता हूं कि उस से वसूल कर लेना चाहिए क्योंकि गवर्नमैंट के पास जो रुपया आता है वह अमीरों और गरीबों सब से इकट्ठा होता है, वह ज़ाया नहीं होना चाहिए। लेकिन उस आदमी की हालत अगर ऐसी है कि वह पैसे दे ही नहीं सकता, उसके पल्ले ही कुछ नहीं तो उसकी हालत का ख्याल करके उसे ignore कर देना चाहिए। आम तौर पर यह बिल उन्हीं लोगों पर लागू होगा जो माली तौर पर बहुत बुरी हालत में होंगे। ऐसी सूरत में इस बात में कोई वज़न मालूम नहीं होता कि अगर एक मकान से वह रुपया पूरा नहीं होता तो दूसरे मकान से कर लिया जाए। Slum area में रहने वालों, damp areas में रहने वालों, निकम्मे इलाकों में रहने वालों में 10 से 20 प्रतिशत लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी माली हालत अच्छी हो, 20 से 25 प्रतिशत लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका गुज़ारा चलता हो लेकिन 50 और 50 से भी ऊपर फी सदी लोग ऐसे होंगे जो बहुत गरीब हैं, जिनके कोई resources नहीं और जिनकी फीस माफ करने का, वज़ीफों और नौकरियों का प्रबन्ध भी गवर्नमैंट ने special तौर पर किया है। अगर ऐसे लोग वह रुपया अदा नहीं कर सकते तो मैं समझता हूं कि ऐसी हालत में गवर्नमैंट को

थोड़ा सा considerate होना चाहिए और जैसा कि असूली तौर पर अभी अभी मनिस्टर साहिब ने माना है कि कई सूरतों में गवर्नमैंट subsidy भी देगी, उनके साथ ज़्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए। ऐसी सूरत में जिस आदमी का मकान गिराया गया है, उसके material की proceeds से रुपया पूरा नहीं हुआ तो उसके बाद गवर्नमैंट अपने आप को satisfy कर ले कि वाकई उसके resources नहीं हैं, वाकई इतना गरीब आदमी है कि किश्तों में भी वह रक्म अदा नहीं कर सकता तो मैं समझता हूं कि बाकी रुपया वसूल नहीं होना चाहिए। हां यह satisfy करना ज़रूरी है कि वह रुपया दे सकता है या नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि चौधरी साहिब ने जैसी पहिले मेहरबानी की है इस बात पर भी हमदर्दाना गौर करेंगे और इस amendment को मंज़ूर फरमाएंगे।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

At the end of sub-clause (2), the following proviso be added :—

"Provided that the owner or any other person having an interest therein is in a position to pay."

लोककार्य मंत्री (चौधरी सूरज मल) : जो तजवीज़ श्री राम प्यारा ने रखी है मैं इसको सही नहीं समझता। मैंने पहले ही अर्ज़ किया था कि जिन लोगों से material की proceeds से रुपया वसूल नहीं होगा तो जब मकान बनेगा उस हालत में वह रक्म यकलख्त नहीं वसूल की जाएगी। आसान इक्सात में और आम हालात में उसकी वसूली की जाएगी। इस लिए जैसा कि उनका ख्याल है कि उसी वक्त तकाज़ा करके वसूली की जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। इस वास्ते मेरा ख्याल है कि जब तक हमारे पास resources इतने ज़्यादा न हों कि हर ऐसे आदमी को, जो रुपया नहीं दे सकता, अपने पास से मकान बनवाकर दें, उनकी तजवीज़ नहीं मानी जा सकती।

Shri Ram Piara : Sir, I withdraw my amendment.

Mr. Deputy Speaker : Is it the pleasure of the House that the amendment be withdrawn ?

Some hon. Members : Yes.

Some hon. Members : No.

Mr. Deputy Speaker : Question is —

At the end of sub-clause (2), the following proviso be added—

"Provided that the owner or any other person having an interest therein is in a position to pay."

The motion was lost.

Mr Deputy Speaker : Question is—

That Clause 8 stand part of the Bill.

The motion was carried

CLAUSE 9

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 9 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 10

Mr. Deputy Speaker : Clause 10 is before the House.

Shri Ram Piara (Karnal) : Sir, I beg to move—

At the end of sub-clause (5), the following be added—

"But before the demolition of the building or buildings the competent authority shall arrange for an alternative accommodation for the occupier or occupiers."

मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि वज़ीर साहिब ने मुनासिब समझते हुए पहले ही इस किस्म की एक amendment को accept कर लिया है । इस लिए मैं तवक्को करता हूं कि इसको भी वह accept करने की कृपा करेंगे ।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

At the end of sub-clause (5), the following be added—

"But before the demolition of the building or buildings the competent authrirty shall arrange for an alternative accommodation for the occupier or occupiers."

लोक कार्य मंत्री (चौधरी सूरज मल) : चूंकि यह चीज़ एक जगह पर incorporate हो गई है इस लिए बार बार उसी चीज़ को लेते आना कोई ज़रुरी नहीं है। एक जगह मान ली है, वह काफी है और मेरा ख्याल है कि उससे position काफी clear हो जाती है।

Shri Ram Piara : Sir, I withdraw my amendment.

Mr. Deputy Speaker : Is it the pleasure of the House that the amendment be withdrawn ?

Hon. Members : Yes.

(*The amendment was, by leave, withdrawn.*)

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : On a point of order, Sir. ਜਨਾਬ Deputy Speaker ਸਾਹਿਬ, ਹਾਊਸ ਵਿਚ quorum ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

(*At this stage bells were sounded and the quorum was complete.*)

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 10 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 11

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 11 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 12

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 12 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 13

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 13 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 14

Mr. Deputy Speaker : Now Clause 14 is before the House.

Shri Ram Piara (Karnal) :Sir, I beg to move—

In lines 2-3, between "compensation" and "as" insert—

"for the whole land if so desired otherwise for the portion of land which is to be used for common purposes."

जनाब Clause 14 यूं है—

"Every person having any interest in any land acquired under this Act shall be entitled to receive from the State Government compensation as provided hereafter in this Act."

इस का मतलब यह है कि जिस आदमी की ज़मीन Competent Authority under instructions of the Government, acquire कर लेता है उसको compensation दे कर चलता कर दिया जायेगा और उस ज़मीन के plots बना कर जिस को मर्ज़ी दे दिए जायंगे या और जिस तरह मर्ज़ी होगी dispose of कर दिया जायगा। मैं समझता हूं यह landowner से बेइन्साफी है। अभी अमृतसर में काफी शोर मचा कि Improvement Trust ने अपने आदमियों को ज़मीन allot कर दी। मैं ने यह amendment इस लिए दी है कि common purposes मसलन, paths, drainage, सड़कों वगैरह के लिए required ज़मीन की compensation देकर बाकी जो मकानों या दुकानों के लिए area develop करना हो उस ज़मीन में जो ज़मीन का मालिक हो उसका first right हो। अगर वह आदमी सरकार की instructions के मुताबिक, plan के मुताबिक तामीर नहीं करता या नहीं कर सकता तो बेशक वह ज़मीन किसी और को दे दी जाए। लेकिन अगर वह approved plan के मुताबिक

[श्री राम प्यारा]
construction करता है तो उस को उस के हक से महरुम करना ठीक नहीं। इनसाफ का यह तकाज़ा है कि जिस की ज़मीन ली जाए उस को first priority दी जाए।

श्री उपाध्यक्ष : आप किस clause पर बोल रहे हैं ? (On which clause the hon. Member is speaking ?)

श्री राम प्यारा : जनाब clause 14 में उसे right of receiving compensation है। मैं चाहता हूं कि जो ज़मीन common puposes के लिए develop की जाए उस की उसे compensation मिल जाए बाकी जो ज़मीन मकान या दुकान के लिए develop की जाए उस बारे उस का first right उस मालिक को होना चाहिए जिस की वह ज़मीन acquire होने से पहले थी। अगर वह गवर्नमैंट की plan के मुताबिक उसे develop करने को तैयार हो तो उसे first right दिया जाए। यही मेरी amendment है।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

In lines 2-3, between "compensation" and "as" insert.—

"for the whole land if so desired otherwise for the portion of land which is to be used for common purposes."

श्री बलराम दास टंडन (अमृतसर शहर, पश्चिम) : Deputy Speaker साहिब, यह जो issue है जिस में किसी से कुछ जगह ली जाए और उस के बदले में उसे compensation दी जाए यह बड़ा अहम सवाल है। अमृतसर में जो Improvement Trust काम करता है उस में कुछ दिक्कतें रोज़ ही आती रहती हैं। यह बड़ी अजीब बात लगती है और ऐसे किस्से एक नहीं कितने ही होते हैं जिन में लोगों को उन की ज़मीन की compensation एक रुपया फी गज़ के हिसाब से दी जाती है। जब उसी ज़मीन को बेचा जाता है, चाहे कोई तरीका हो उस की कीमत 25, 30 या 70, 75 और कहीं कहीं तो 250 रुपए फी गज़ के हिसाब से ली जाती है जो कि दिल्ली के अन्दर rate है। मैं ज़ाती तौर पर Improvement Trust के notice में ऐसे case लाया जहां लोग उन की plan के मुताबिक सब कुछ करने को तैयार थे, सब प्रकार से develop करने को तैयार थे और चाहते थे कि बाकी के जो plot हों वह उन के पास रहने दिए जाएं। अगर 40 प्रतिशत ज़मीन भी हमारी ज़मीन में से improvement के लिए चली जाए तो भी हम उस की एक पाई नहीं मांगते। आप कहते हैं कि Improvement Trusts no loss, no profit के basis पर काम करते हैं। तो इस case में different policy क्यों अपनाई जा रही है। जो लोगों का right बनता है, उस से इनकार क्यों किया जा रहा है। अगर वह लोग आप की instructions के मुताबिक उस ज़मीन का प्रयोग करने को

तैयार हैं तो उन को उन के अधिकार से क्यों वंचित किया जाता है। यह justice नहीं है । यह lacuna दूर होना चाहिए । Development के काम से बची सारी ज़मीन अवश्य owner को जानी चाहिए । अगर यह शर्तें वह पूरी करते हैं तो उनको यह ज़मीन वापस दी जाए । अगर वहां मकान बनाने हैं, फैक्ट्री एरिया बनाना है तो मैं वज़ीर साहिब से दरखास्त करूंगा कि जो मालिक हैं उन लोगों को ज़मीन वापस कर दें ।

लोक कार्य मंत्री (चौधरी सूरज मल) : डिप्टी स्पीकर साहिब, जो भी बातें मेरे लायक दोस्तों ने यहां कहीं है उनसे बिल का स्कोप बिल्कुल मुखतलिफ है । मुझे समझ नहीं आती कि मेरे दोस्त यह चीज़ें कहां से लाए हैं—

> "Every person having any interest in any land acquired under this Act shall be entitled to receive from the State Government compensation.........."

कम से कम यहां कोई ऐसी चीज़ नहीं आती कि जिसके मुतअल्लिक श्री टण्डन साहिब ने और श्री राम प्यारा साहिब ने ज़िक्र किया। अगर कोई एतराज़ हो तो वह कोर्ट के सामने भी कर सकते हैं। यहां तो compensation के बारे में है कि जिसकी ज़मीन ली जाएगी उसको compensate किया जाएगा । इसमें खदशे की कोई बात नहीं है। इस लिए मैं समझता हूं कि यह ऐसा ही पास कर देना चाहिए ।

Shri Ram Piara : Sir, I withdraw my amendment.

Mr. Deputy Speaker : Is it the pleasure of the House that the amendment be withdrawn.

Some hon. Members : Yes.

Some hon. Members : No.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

In lines 2-3, between "compensation" and "as" insert—

"for the whole land if so desired otherwise for the portion of land which is to be used for common purposes ."

After ascertaining the votes of the Members by voices, Mr. Deputy Speaker said "I think the Noes have it". This opinion was challenged and division was claimed. Mr Deputy Speaker after calling upon those Members who were for "Aye" and those who were for "No", respectively, to rise in their places and on account having been taken, declared that the motion was lost.

The motion was declared lost.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 14 stand part of the Bill.

The motion was carried.

NEW CLAUSE 14-A

Shri Ram Piara (Karnal) : Sir, I beg to ask for leave to move the following new clause :—

That after clause 14, the following new clause shall be added—

'14-A. The onwer of the land where land has been acquired shall have to develop the land in accordance with the plan approved by the competent authority or State Government.'

Mr. Deputy Speaker : Has the hon. Member the leave of the House to move the new Clause ?

Some hon. Members : Yes.

Some hon. Members : No.

After ascertaining the votes of the Members by voices, Mr Deputy Speaker said, "I think the Noes have it." This opinion was challenged and division was claimed. Mr. Deputy Speaker after calling upon those Members who were for "Aye" and those who were for "No", respectively, to rise in their places and on a count having been taken, declared that the leave was refused.

The leave was refused.

CLAUSE 15

Chaudhri Dharam Singh Rathi (Sambhalka) : Sir, I beg to move—

In line 3 of sub-clause (1), *for* 'monthly', *substitute* 'annual'.

In line 1 of sub-clause (2), *for* 'monthly', *substitute* 'annual'.

In line 3 of sub-clause (3), *for* 'monthly', *substitute* 'annual'.

In line 8 of sub-clause (3), *for* 'monthly', *substitute* 'annual'.

In line 2 of sub-clause (4), *for* 'monthly', *substitute* 'annual'.

In line 4 of sub-clause (4), *for* "State Government" *substitute* "High Court, Punjab."

In line 1 of sub-clause (5), *for* "State Government," *substitute* "High Court, Punjab".

Delete sub-clause (6).

जानब, यह बड़ी अजीब बात है कि गवर्नमेंट किसी की ज़मीन लेती है तब तो सस्ती लेती है लेकिन अगर देने का सवाल आए तो फिर बहुत मंहगी देती है और यहां तक कीमत चढ़ा देती है कि 10 रुपए की ज़मीन के 500, 500 या एक हज़ार रुपए तक लेती है। इसके अन्दर जो कम्पनसेशन का तरीका रखा गया वह ठीक नहीं है। क्योंकि इन्होंने रखा है monthly income का 60 times। मैं यह चाहता हूं कि monthly income की बजाय annual income का 60 times होना चाहिए। Compensation के बारे में इन्होंने provide

किया है कि appeal स्टेट गवर्नमैंट के पास की जायगी। स्टेट गवर्नमैंट ने जो कुछ किया है उस का certificate Grewal case में इन्हें Supreme Court से मिल चुका है। मैं समझता हूं कि सरकार इस अख्तियार को पुलिटीकल considera-tion में इस्तेमाल करेगी। एक नहीं, हज़ारों ऐसी मिसालें पंजाब के अन्दर मिल सकती हैं लेकिन कोई सुनता ही नहीं। यह हरेक मामला में और हर महकमें के काम में दखल देते हैं। इश्तमाल के महकमा में वज़ीरों ने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है, रोजाना ऐसी शिकायतें आ रही हैं। मैं किसी की ज़ात पर हमला नहीं करता लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि स्टेट गवर्नमैंट का नाम ले कर अपने आदमियों को रोज़गार दिया जाये, यह चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि judiciary को अपील का हक होना चाहिए।

आगे चल कर इस में दिया है :

"On appeal the State Government shall after hearing the appellant............"

इस में भी जहां स्टेट गवर्नमैंट का लफ्ज़ है वहां 'हाई कोर्ट' होना चाहिए।

सरदार भाग सिंह : सुप्रीम कोर्ट कर दें।

चौधरी धर्म सिंह राठी : मेरे फाज़ल दोस्त कहते हैं कि हाई कोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट हो जाये। तरमीम तो वह कोई देते नहीं खाली बातें करते हैं। अव्वल तो अमेंडमैंट देने की हिम्मत नहीं। लेकिन अगर गलती से दे भी देते हैं तो भाग जाते हैं।

एक माननीय मंत्री । इन का नाम ही भाग सिंह है । (हंसी)

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : On a point of order, Sir. ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ gallaries ਵਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ address ਕਰ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। He should address the Chair.

Mr. Deputy Speaker : Order please. It is for me to see.

The hon. Member should, however, please address the Chair.

चौधरी धर्म सिंह राठी : फिर जनाब, सब-क्लाज़ 6 के अन्दर यह है :

"Where there is any building on the land in respect of which the net average monthly income has been determined, no separate compenstion shall be paid in respect of such building"

कमाल है। जनाब, कितनी मज़हकाखेज़ बात है। मैं यह बताना चाहता हूं कि यह क्यों delete होनी चाहिए।

Sardar Bhupinder Singh Mann : On a point of order, Sir.

The hon. Member has moved an amendment for the deletion of the Clause. It is out of order because it has a negative effect.

Mr. Deputy Speaker : This is an amendment to a sub-clause and not to a clause. Therefore, it is in order.

चौधरी धर्म सिंह राठी : डिप्टी स्पीकर साहिब, मुझे बड़ा अफ़सोस है कि सरदार भुपिन्दर सिंह जैसे भी बिना तैयारी किए चले आते हैं। मैं कह रहा था कि इन्होंने provide किया है कि land की compensation तो मुकर्रर हो सकती है लेकिन building की compensation देने की जरुरत नहीं। इस किस्म की बात कहीं नहीं देखी। कितनी ridiculous बात है। अब यह देखिए :

> "Provided that where the owner of the land and the owner of the building on such land are different, the competent authority shall apportion the amount of compensation between the owner of the land and the owner of the building in such proprortion as he considers reasonable ."

ये दो तीन clauses हैं जिन के बारे में मैं ने amendment दी हैं। मैं समझता हूं कि यह मन्जूर होनी चाहिएं। अगर treasury benches वालों को Judiciary पर confidence नहीं है तो मैं समझता हूं कि एक Fascist Government ही अपील का अख्तियार अपने पास रख सकती है। अन्त में मेरी यह इस्तदुआ है कि स्टेट गवर्नमैंट की बजाय हाई कोर्ट के पास अपील का अख्तियार होना चाहिए।

Mr. Deputy Speaker : Motions moved—

In line 3 of sub-clause (1), *for* 'monthly', *substitute* 'annual'.

In line 1 of sub-clause (2), *for* 'monthly', *substitute* 'annual'.

In line 3 of sub-clause (3), *for* 'monthly', *substitute* annual'.

In line 8 of sub-clause (3), *for* 'monthly,' *substitute* 'annual'.

In line 2 of sub-clause (4), *for* 'monthly,' *substitute* 'annual'.

In line 4 of sub-clause (4), *for* ''State Government', *substitute* ''High Court, Punjab''.

In line 1 of sub-clause (5), *for* 'State Government'', *substitute* ''High Court, Punjab'.

Delete sub-clause (6).

Shrimati Om Prabha Jain (Kaithal) : Sir, I beg to move......

5.00 p.m.

Mr. Deputy Speaker : No. Order please. Amendment cannot be moved. You can, however, speak on the clause. Your amendment has been ruled out of order .

श्रीमती ओम प्रभा जैन : यह तो legitimate सी amendment है।

Mr. Deputy Speaker : You can speak on the clause.

श्रीमती ओम प्रभा जैन : डिप्टी स्पीकर साहिब, मेरी amendment जो आप मंजूर नहीं कर रहे मैं समझती हूं कि वह बड़ी legitimate है। मेरा यह भी

यकीन है कि इसे वज़ीर साहिब मंज़ूर फरमा लेंगे। इसलिए मेहरबानी होगी अगर आप मुझे move करने की इज़ाजत दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : Move ही नहीं हुई तो मान कैसे जाएंगे ? (When it has not been moved, how can it be accepted by the Minister ?)

श्रीमती श्रोम प्रभा जैन : डिप्टी स्पीकर साहिब, क्लाज़ 3 की sub-clause 6 में जो दूसरा proviso है मैं समझती हूं कि उस की ज़रुरत नहीं। यह Sub-clause 6 determine करती है कि अगर कोई ज़मीन गवर्नमैंट acquire करती है तो उस का compensation दिया जाए लेकिन अगर उस ज़मीन पर building exist करती है तो उस building के लिये कोई separate compensation नहीं दिया जाएगा। इस के साथ ही proviso। में दिया हुआ है कि competent authority बिल्डिंग का जो reasonable compensation समझेगी वह देगी। मेरी समझ में नहीं आया कि यह दूसरा proviso क्यों लगा दिया गया है। यह hardship होगी उस owner के लिये जो बिल्डिंग का मालिक है। फ़र्ज़ कीजिए कि उस ज़मीन पर जो building बनी हुई है उस के दो तीन मालिक हैं और इस building की cost of construction ज़मीन की cost की निसबत ज़्यादा है तो उस सूरत में compensation के मुताल्लिक इस बिल के अनुसार restriction होगी because the compensation in respect of the building shall not in any case exceed 50 per cent of the total amount of compensation which has been determined in accordance with the provisions of this section. This will cause genuine hardship to the owner of the building. इस लिये मैं वज़ीर साहिब से दरखास्त करूंगी कि वह मेरी इस amendment को मान लें और 50 प्रतिशत या किसी और चीज़ की कोई restriction न रखें। पहली proviso बहुत काफ़ी है, जिस के ज़रिए जितना reasonable compensation होगा वह बगैर किसी restriction के दिया जा सकेगा। मुझे उम्मीद है कि वज़ीर साहिब मेरी इस reasonable बात को मान लेंगे और rules frame करते समय इस का provision कर देंगे। Rules frame करते वक्त provision किया जाए ताकि genuine demand को पूरा किया जा सके।

श्री बलराम दास टंडन (अमृतसर शहर-पश्चिम) : डिप्टी स्पीकर साहिब, इस क्लाज़ में सब से बड़ी बात यह है कि ज़मीन का compensation उस की average monthly income का sixty times होगा। इस क्लाज़ की sub-clause 6 में बिल्डिंग की compensation के बारे में provision है। डिप्टी स्पीकर साहिब, अभी तक यह provision था कि जहां भी planning होनी है और slum clearance और development का काम होना है वहां पर ज़मीन और building का compensation determine करने

[श्री बलराम दास टंडन]

के लिये market rate लिया जाता था। अब जो इस बिल में नया provision किया जा रहा है उस के मुताबिक मैं समझता हूं कि लोगों को बिल्कुल कुछ न देना यह सरकार की पालिसी दिखाई देती है। सरकार development करना चाहती है मगर सरकार का यह मतलब है कि वह सारी development उन लोगों के सिर पर करना चाहती है जो वहां रहते हैं। अगर ज़मीन के मालिक की building है तो उस building के लिये कोई separate compensation नहीं देना। अगर किसी ज़मीन का और मालिक है और building का और, तो building का compensation सारी compensation से 50 per cent से exceed नहीं करेगा। डिप्टी स्पीकर साहिब, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ज़मीन की कीमत मुश्किल से 1,000 रुपये बनती है और उस पर building तीन चार मन्ज़िलें बनी हुई हो सकती हैं जिस की कीमत 25,000 रुपये है। तो इस तरह से इस बिल में provision करके इन लोगों के rights पर सरकार छापा मार रही है। इस से ज्यादा injustice नहीं हो सकता कि building का कोई compensation न दिया जाए और अगर मिले भी तो वह न होने के बराबर। मैं मिनिस्टर साहिब से दरखास्त करूंगा कि वह इस provision को revise करें। फर्ज़ कीजिए कि ज़मीन की monthly income पांच रुपये है तो इस तरह से उस का compensation 300 रुपये दिया जाएगा। इस का मतलब यह हुआ कि सारी की सारी ज़मीन मुफ्त में दे दो। डिप्टी स्पीकर साहिब, यह जो sub-clause 6 में provision किया गया है यह सरासर unjustified है। सरकार के ऐसे step से लोग अपनी सारी की सारी property से वंचित हो जाएंगे हालांकि हिन्दुस्तान के विधान में clearly provide किया गया है कि जो property सरकार acquire करे उस का मुनासिब compensation मालिक को अदा किया जाए। सरकार को यह compensation market rate पर देना चाहिये। अगर valuation ठीक नहीं लगती तो उन के लिये रास्ता खुला होना चाहिये कि वह किसी court का दरवाज़ा खटखटा सकें। यह जो बिल में provision किया गया है यह बिल्कुल retrograde provision है और जम्हूरियत के असूलों के मनाफ़ी है। पांच रुपये monthly income के हिसाब से 300 रुपये का मुआवज़ा देना दुरुस्त नहीं। It is no compensation at all. यह Constitution की spirit के खिलाफ़ बात है। मैं वज़ीर साहिब से दरखास्त करूंगा कि वह इस तरह का provision इस बिल में न करें।

लोक कार्य मंत्री (चौधरी सूरज मल) : डिप्टी स्पीकर साहिब, जहां तक मेरे दोस्त राठी साहिब की amendment का ताल्लुक है, मुझे कहने में ज़रा भी ताम्मुल नहीं कि थोड़ी देर पहले तो वह गरीबों के लिये तिलमिला रहे थे कि उन के लिये यह होना चाहिये वह होना चाहिये लेकिन दूसरी तरफ जब Slum area में land की compensation का सवाल आता है तो उसे बढ़वाना चाहते हैं। एक तरफ गरीब की हिमायत करना

चाहते हैं फिर ग़रीब को compensation ज्यादा दिलवा कर उसे लूटना चाहते हैं। Sub-clause 6 के मुताल्लिक जो कुछ टण्डन साहिब ने कहा उस से मैं अंदाज़ा लगाता हूं कि उन्होंने इस बात को समझने की कोशिश नहीं की। मकान की rental value पर compensation assess किया जाएगा। इस में सब कुछ आ जाता है—ज़मीन भी आ जाती है और मकान भी आ जाता है। Rental value के हिसाब से due compensation दिया जाएगा। Building के बारे में कहा है कि separate compensation नहीं दिया जाएगा। जो कीमत होगी वह सारी जायदाद की कीमत होगी—ज़मीन की कीमत भी होगी और मकान की कीमत भी होगी और उस सारे का मुआवज़ा उस की rental value के हिसाब से दिया जाएगा।

इस वास्ते इन को अलहदा देने की ज़रुरत नहीं है। यह बिल्कुल माकूल बात है। जब ज़मीन acquire हो जाएगी और उस पर जो मकानात बने हुए हैं उन की कीमत लग जाएगी तो फिर इस चीज़ को अलग करने की क्या ज़रुरत है? इस लिये मैं समझता हूं कि यह बात बिल्कुल नामुनासिब है। इन्होंने High Court की बात की है। हमें भी High Court का बहुत एहतराम है। लेकिन मैं राठी साहिब से कहना चाहता हूं कि इस बिल का मुद्दा यह है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ही ज़मीन सीधे रास्ते से acquire कर के लोगों के इस्तेमाल करने के लिये दे दी जाए। बहुत से साहिबान को वाकफियत है कि High Court का सिलसिला बहुत लम्बा है, उस में कई कई महीने और कई कई साल लग जाते हैं। इस तरह से इस बिल का मुद्दा फौत हो जाता है। इस लिये यह तरीका रखा है कि अगर किसी को किसी किस्म की शिकायत होगी तो वह गवर्नमैंट के पास appeal कर सकता है। गवर्नमैंट के पास बहुत से तजरुबाकार अफसरान हैं। हर वक्त यह इल्ज़ाम लगाना—यह हो जाएगा, वह हो जाएगा, लूट लिया जाएगा, मेरे विचार में ये बहुत मौज़ूं ख्यालात नहीं हैं। हर एक बात की सूझ बूझ रखी जाएगी। मैं कहता हूं कि आप इस बात को सरकार पर छोड़ दीजिए। जो काम गवर्नमैंट करेगी उस में किसी किस्म का डर नहीं है। जो dues उस के होंगे वह उस को मिलेंगे। अगर कम मिलते हैं तो ठीक करने की कोशिश की जाएगी। लम्बा procedure छोटा करने के लिये यह तरीका अख्तियार किया गया है। गवर्नमैंट के पास F.C. जैसे बहुत काबिल काबिल आदमी मौजूद हैं। यह डर नहीं होना चाहिये कि किसी के साथ कोई रियायत की जाएगी या कोई बेइन्साफी की जाएगी। इन अलफाज़ के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि इस clause को इसी तरह पास किया जाएगा। श्रीमती ओम प्रभा जैन जी ने जो sugges-tion दी है वह बहुत माकूल है लेकिन किसी amendment के बाकायदा तौर पर न आने की वजह से मैं मौजूद हूं। इस को इसी तरह से पास किया जाए।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

In line 3 of sub-clause (1), *for* 'monthly', *substitute* 'annual';

In line 1 of sub-clause (2), *for* 'monthly', *substitute* 'annual';

In line 3 of sub-clause (3), *for* 'monthly', *substitute* 'annual';

[Mr. Deputy Speaker]

In line 8 of sub-clause (3), *for* 'monthly', *substitute* 'annual';

In line 2 of sub-clause (4), *for* 'monthly', *substitute* 'annual';

In line 4 of sub-clause (4), *for* "State Government," *substitute* "High Court, Punjab";

In line 1 of sub-clause (5), *for* "State Government", *substitute* "High Court, Punjab";

Delete sub-clause (6).

The motions were lost.

CLAUSE 15

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 15 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 16

Chaudhri Dharam Singh Rathi (Sambhalka) : Sir, I beg to move—

In line 4 of sub-clause 2, *for* "State Government' occurring twice, *substitute* "High Court, Punjab".

डिप्टी स्पीकर साहिब, वज़ीर साहिब ने एक तो यह कहा है कि High Court की provision इस लिये नहीं रखी क्योंकि वहां पर जल्दी फैसले नहीं होते, देर लगती है। यह कोई ground नहीं है। इस की वजह से और जज मुकर्रर किया जा सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि जितनी देर State Government के फैसलों में लगती है उतनी देर High Court के फैसलों में नहीं लगती। मैं ने देखा है कि State Government कई केसिज़ में महीनों और कई में साल लगा देती है, High Court में इतनी देर नहीं लगती। Civil Courts के cases की बात दूसरी है, ऐसे cases का फैसला फटा फट हो जाता है। यह दलील देना कि वहां देर लगेगी, ठीक नहीं मालूम होता। दूसरी बात यह है कि मैं गरीबों के लिये कह रहा हूं कि जो compensation मिले वह ज़्यादा मिलना चाहिये। जिन गरीबों की ज़मीन इन्होंने acquire करनी है, उन को compensation ये ज़्यादा नहीं दे रहे। जो ज़मीन इन्होंने अपना सामान रखने के लिये acquire करनी है उस के लिये कहते हैं कि उन को कुछ नहीं मिलना चाहिये। मैं तो उन को compensation दिला कर उन की मदद करना चाहता हूं। इन्होंने यह कैसे समझ लिया है कि अमीरों की ही ज़मीन होगी, ज़मीन गरीबों की भी हो सकती है। मैं वज़ीर मोहतरिम को कहना चाहता हूं कि यह समझ लेना ठीक नहीं है। यह जो वजह उन्होंने दी है कि High Court में फैसला जल्दी नहीं होगा, मैं कहना चाहता हूं कि इन की गवर्नमैंट ठीक फैसले नहीं करेगी। मैं वज़ारत पर हमला नहीं करता। मैं सूरज मल जी को यकीन दिलाता हूं

कि मैं उन की बड़ी इज्ज़त करता हूं, कदर करता हूं, मान करता हूं। लेकिन ग्राम तौर पर इस किस्म के मामले देखे जाते हैं कि जहां पर State Government को अख्तियार मिल जाता है वह जायज़ नाजायज़ काम करवाती है.... (*interruptions*) आप Co-operative Sugar Mills का केस ले लीजिए (*interruptions*)

Mr. Deputy Speaker : How are the Sugar Mills relevant here ?

चौधरी धर्म सिंह राठी : उनकी Elections State Government arrange करवाती है, nominations करती है ....

Mr. Deputy Speaker : Order please.

चौधरी धर्म सिंह राठी : सरदार दरबारा सिंह के आदमी को nominate किया गया है, पहली बार नहीं हुआ तो दूसरी बार भेजा है। (*interruptions*) Rules में तबदीली कर लेते हैं ....

सरदार दरबारा सिंह : मैं challenge करता हूं। (*interruptions*) (*voices*)

सामूहिक विकास मंत्री : यह बात गलत है। (*interruptions*)

सरदार दरबारा सिंह : मैं पानीपत से election लड़ने के लिये तैयार हूं। मैं challenge करता हूं लड़ूंगा और जीतूंगा। (*interruptions*)

चौधरी धर्म सिंह राठी : आप पानीपत से election लड़े, हम देखेंगे कि आप किस तरह जीतेंगे। आप challenge करते हो तो मैं मंजूर करता हूं ......

श्री उपाध्यक्ष : Order please. यह challenges और counter challenges करने की बात ठीक नहीं है। इस तरह से मैं हाउस की कार्यवाही को कैसे चला सकता हूं। (It is not proper for the hon. Members to indulge in challenges and counter-challenges. It becomes very difficult for me to conduct the business of the House in this way.)

सामूहिक विकास मंत्री : डिप्टी स्पीकर साहिब, co-operative का महकमा कहां से बीच में आ गया ? राठी साहिब घर से लड़ कर आ गए हैं।

Mr. Deputy Speaker : It is my business to check. (To Shri Dharam Singh Rathi) The hon. Member should try to be relevant.

चौधरी धर्म सिंह राठी : मैं कहना चाहता हूं कि State Government को अख्तियारात नहीं दिये जाने चाहियें वरना वज़ीर साहिबान और दूसरे अफसरान की तरफ से जो पहले interference होती है वह ज्यादा हो जाएगी। कई वज़ीर साहिबान घर से लड़ कर आ जाते हैं तो नाजायज़ कार्यवाई करवाते हैं। State Government की जगह पर High Court की provision होनी चाहिये। इन अलफाज़ के साथ मैं अपनी amendment पेश करता हूं।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

In line 4 of sub-clause 2, *for* "State Government", occurring twice, *substitute* "High Court, Punjab".

लोक कार्य मंत्री (चौधरी सूरज मल) : डिप्टी स्पीकर साहिब, इसके जवाब में मैं क्या अर्ज़ करूं। पहले ही बता चुका हूं। इस वास्ते मुनासिब नहीं समझता कि इस वक्त कोई जवाब दूं।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

In line 4 of sub-clause 2, *for* "State Government", occurring twice, *substitute* "High Court, Punjab".

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker : Question is :—

That Clause 16 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 17

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 17 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 18

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 18 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 19

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : मैं अपनी amendment तो move नहीं करता क्योंकि इसका negative effect है और आप ऐसी amendments को out of order करार दे देते हैं। लेकिन मैं इस clause पर बोलना चाहता हूं। इस में कहा गया है कि अगर कोई decree या order किसी की eviction की बाबत होगा तो वह तब तक carry out नहीं होगा जब तक कि competent authority उस पर दोबारा गौर न कर ले। मतलब यह हुआ कि High Court के फैसले को review करने के लिए Competent Authority के रूप में तहसीलदार, नायब तहसीलदार या E.A.Cs. मुकर्रर किए जाएंगे। इस किस्म के आदमी यह फैसला करेंगे कि High Court के फैसले के मुताबिक बेदखली की जाए या

न की जाए। यानी हर तरह से final authority यह Competent Authority ही होगी। जनाब, यह कितनी अजीब बात है। यह बात आज तक किसी parliamentary democracy में नहीं देखी गई कि High Court या किसी दूसरी Court के फैसले को Competent Authority review करे।

श्री उपाध्यक्ष : यह कौन सी clause में है? (In which clause has this provision been made?)

Chaudhri Dharam Singh Rathi : In Clause 19(1). I just read it out.

> "19. (1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no person who has obtained any decree or order for the eviction of a tenant from any building in a slum area shall be entitled to execute such decree or order except with the previous permission in writing of the competent authority".

वह दोबारा इस फैसले को देखेगा। उसकी इजाज़त के बगैर उस order या decree का execution नहीं हो सकती। आप तो इस सिलसिले में High Court के decision को इस बिल के ज़रिए set aside कर रहे हैं। कल को यह एक और बिल पास कर लेंगे कि जो strictures Supreme Court मे पास की हैं इनकी भी execution नहीं होगी। ऐसी बातें कहीं सुनने में नहीं आई—यह सिर्फ इसी हकूमत में हो रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या strictures की भी execution होती हैं? (Are strictures also executed?)

चौधरी धर्म सिंह राठी : इनमें सज़ा तो होगी लेकिन यह कह देंगे कि उन strictures को भी रद्दी की टोकरी में डाल दो। और जो कुछ चीफ मनिस्टर साहिब कहेंगे वही होगा। जिस बात को वह पसन्द नहीं करेंगे वह नहीं होगी। इस किस्म के बिल ला रहे हैं कि High Court के फैसले की कोई कदर नहीं रही। किसी अदालत की कदर नहीं रही। जनाब, मैंने Constitution को पढ़ा है। वहां पर लिखा है कि Judiciary supreme होगी। लेकिन इस State में तो Competent Authority ही supreme होगी। यहां पर तो executive को ही supreme बनाया जा रहा है, Judiciary को पीछे डाला जा रहा है। क्या ऐसी बात किसी Parliamentary Democracy में हुई है? Fascist और Dictatorship की हुकुमतों में भी कभी ऐसा नहीं होता। इस लिए मैं कहूंगा कि वज़ीर साहिब इस clause पर दोबारा गौर करें।

चौधरी इन्द्र सिंह (जींद-जनरल) : जनाब, डिप्टी स्पीकर साहिब, इस वक्त clause 19 पर बहस चल रही है। मैं समझता हूं कि बिल में जो गर्ज़ोगायत दिए गए हैं यह clause उनके बिल्कुल उलट है, inconsistent है और जिस purpose के लिए यह बिल लाया गया है, उसको defeat करती है। एक तरफ तो यह statement दी गई है कि slum areas में जितने मकानात हैं उनको

[चौधरी इन्दर सिंह]
खाली करवाने में दिक्कत पेश आती है और इस तरह जो improvement के काम करवाने हैं वह नहीं हो सकते क्योंकि जो मालिक और occupiers हैं वह दिक्कतें पेश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब buyer को order मिल जाता है, decree मिल जाती है कि improvements करने की खातिर slum area को clear करवा ले तो उसके रास्ते में यह provision लाकर रख दिया है कि अभी खाली मत कराओ, ठहर जाओ। यह तो बल्कि slum areas को clear कराने के रास्ते में रुकावट का मूजब बन गई। इस clause का भाव यह है कि किसी अदालत के हुकम या decrees उस वक्त तक execute नहीं हो सकेंगी जब तक कि Competent Authority की इजाज़त न मिल जाय। इसमें भी, डिप्टी स्पीकर साहिब, जो इसकी Sub-clause 4 है उसमें यह लिखा है कि Competent Authority permission को refuse भी कर सकती है कि occupants को उस area में से न निकाला जाए। यह एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी कहीं भी कोई मिसाल नहीं मिल सकती कि एक तरफ तो यह legislation पास की जा रही हो कि जो slum areas हैं उनको clear किया जाए, गन्दी बस्तियों को साफ सुथरा बनाया जाए और इस purpose के लिए सभी साधनों का उपयोग किया जाए और उनको साफ करने के लिए अगर ज़रुरत पड़े तो लोगों को वहां से shift करने के notices भी जारी किए जाएं मगर दूसरी तरफ इसी सिलसिले में कोई decree या आर्डर किया हो तो उसकी execution के लिए Competent Authority को ही all in all बना दिया जाए कि जो उसकी मर्जी आए करे-- मर्जी हो तो Court के order को execute कराए, मर्ज़ी हो तो न करवाए। आखिर यह क्या मज़ाक है? इस तरह तो सब कुछ Competent Authority की discretion पर ही छोड़ दिया गया है। वह जाहे तो किसी की रू करे, चाहे तो किसी की रियायत करे, कोई चहेता आदमी है तो उसको कह देगा कि order को execute कर दो और अगर चहेता न हुआ तो कह देगा कि execute करने की कोई ज़रुरत नहीं। इतनी discretionary powers ! और फिर वह भी Court के order या decree के खिलाफ!! कल चीफ मनिस्टर साहिब ने Calling Attention की motion पर बोलते हुए कहा था कि कोई भी tenant उस वक्त तक eject नहीं हो सकेगा जब तक किसी Court का order न होगा। एक तरफ तो Court के order को तरजीह दी जाती है और Law and Order की situation पर बयान देते हुए Chief Minister साहिब फरमाते हैं कि landlords की complaints की बाबत अफसरान को हिदायात जारी की की गई हैं कि उनकी ही बात को न माना जाए और अगर किसी हालत में भी मजारे की बेदखली होनी है तो वह through the process of Court होगी लेकिन इस बिल में इस declaration के बिल्कुल उलट provision किया जा रहा है, यानी अगर कोर्ट की तरफ से decree होगी भी तो भी उसे बेदखल नहीं किया जाएगा और occupants को वहां पर बैठने दिया जाएगा जब तक कि Com-

petent Authority की इच्छा हो । अब, डिप्टी स्पीकर साहिब, आप खुद अन्दाज़ा लगाएं कि यह provision legally किस तरह से justified है? वह उस वक्त तक उस जगह पर बैठे रहने का हकदार होगा और तरक्की के programme में रुकावट साबत होगा जब तक कि competent authority की उसे वहां रखने की मरज़ी होगी। मैं पूछता हूं कि किस बात को मद्देनज़र रखते हुए यह arbitrary powers आप Competent Authority को दे रहे हैं । कौन से reasons हैं जिनकी वजह से उसे यह special अख्तियारात दिए जा रहे हैं? अगर मकानों को खाली कराना है और occupy करने वालों को निकालकर area को सुधारना है तो यह special clause किस लिए दाखल की गई है? मैं पूछता हूं कि इस clause का बिल के गर्ज़ोगायत से क्या ताल्लुक है? कौन से reasons हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए यह बात बिल में दाखल की गई है? इसका बिल के साथ कोई ताल्लुक नहीं, कोई सम्बन्ध नहीं, किसी तरह से इसकी ज़रुरत महसूस नहीं होती। मेरा ख्याल है कि पेश करने से पहले न ही वज़ीर साहिब ने इस की implications को study किया और न ही Law Department ने देखा कि इस clause का बिल के object से क्या ताल्लुक है। उन्होंने इस बात को भी नहीं देखा कि इस का कुछ link भी बिल के साथ है या नहीं। इस लिए मैं समझता हूं कि यह clause जो कि Competent Authority को इतनी discretionary powers देती है, बिल्कुल delete होनी चाहिए।

इस लिए अर्ज़ करूंगा कि जहां यह सवाल होंगे कि कोई किसी का tenant है या नहीं या फलाने के खिलाफ decree है या नहीं तो हो सकता है कि इस बात को political purposes के लिए इस्तेमाल किया जाए। साथ ही competent अफसर जिस का दर्जा एक S.D.O. के बराबर होगा या बड़े तहसीलदार का होगा वह highest court की decree को नज़र अंदाज़ कर सकेगा। इस के अलावा अगर आप अगली clause 20 पढ़ें तो यह ज़ाहर है कि अगर refusal हो जाए तो appeal भी होगी। यह बात litigation को encourage करती है। इस तरह से तो एक closed matter को re-open करना है। यह चीज़ तो इस bill के aims के उल्ट है। इस bill के aims अच्छे हैं मगर इस में इस तरह की clauses डाल दी गई हैं जो irrelenant हैं और जो लोगों की जिन्दगी के अन्दर रुकावट पैदा करती हैं। इस लिए मैं इस clause की सख्त मुखालफत करता हूं। इसे वापस लिया जाए।

श्री मुनी लाल कामरेड (शिमला) : Deputy Speaker साहिब, यह मैं मानता हूं कि tenants की protection होनी ज़रूरी है और chapter 6 के heading से सरकार के इस मनशे का पता चलता है। लेकिन मैं कहूंगा कि इस की आड़ में Judiciary को Executive से कम करने की कोशिश की गई है जब कि हमने Judiciary को supreme माना है। अब इस में यह कहा गया है

[श्री मुनी लाल कामरेड]

कि Competent Anthority को इख्तयार होगा कि वह किसी decree या order के खिलाफ फैसला दे दे। यह ठीक नहीं है। Opposition के दो साहिबान ने इस चीज़ को बिल्कुल साफ कर के रख दिया है। सरकार ने कहा है कि लोगों को slum area से eject करने में मुश्किल आती है, इस लिए इस बिल को लाना पड़ा। एक तरफ तो यह इस दलील का सहारा लेते हैं और दूसरी तरफ इस में यह फैसला कर रहे हैं कि Judiciary के फैसले को भी over-rule किया जा सके। यह दानिशमन्दी की बात नहीं है। इस clause को उड़ा दिया जाए तो कोई नुक्सान नहीं होगा। वरना इस से तो बिल का मकसद ही फ़ौत हो जायगा।

लोक कार्य विभाग मन्त्री (चौधरी सूरज मल) : जनाब, अगर यह उज़र राठी साहिब की तरफ से आता तो मुझे हैरानी न होती क्योंकि वह तो अकसर tenants के खिलाफ ही रहते हैं लेकिन जो speeches मेरे लायक दोस्त चौधरी इन्द्र सिंह और एक Socialist member ने उन की इमदाद में की हैं उस की वजह मैं समझ नहीं सका। एक तरफ तो वह tenants के interests watch करने का दम भरते हैं और दूसरी तरफ अगर सरकार उन को सहूलतें दे तो उस के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। अगर आप इस bill का heading देखें तो पता चल जायगा कि यह बिल तो tenants की protection के लिए है और इस का मुद्दा किसी मुज़ारे को दूसरी जगह फैंकने का नहीं है। मुद्दा यह है कि अगर कहीं पर clear किए जा रहे area में से किसी tenant के खिलाफ decree हो जाए तो भी Competent Authority उस के हकूक को महफूज़ रख सके और मकान नया बनने के बाद उसी को उस में रखा सके। आप को पता है कि अगर नया मकान बनाने का उज़र मालिक मकान ले तो tenant को निकाल दिया जाता है। और भी कई ऐसी बातें हो सकती हैं जिन का उज़र ले कर tenant को निकाल दिया जाए। तो ऐसी सूरत में bill का मनशा है कि उस tenant के हकूक को महफूज़ किया जाए। बस यही इस clause का मकसद है। इस में मेरे दोस्तों को क्या उज़र हो सकता है। मैं उन से कहूंगा कि वह इस clause को दोबारा पढ़ें। वह पाएंगे कि इस में tentant का फायदा है। सरकार चाहती है कि tenants, जो आम तौर पर गरीब होते हैं, के हकूक की हिफाज़त की जाए। इस लिए इस clause को इसी तरह रखा जाए।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 19 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 20

Chaudhri Dharam Singh Rathi : (Sambhalka) : Sir, I bet to move—

In line 4, for "State Government", occurring twice, substitute "High Court, Punjab".

जनाब, डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं इस क्लाज़ के अन्दर यह चाहता हूं कि जो स्टेट गवर्नमैंट को अख्तियारात दिए जा रहे हैं वह हाई कोर्ट को दे दें। हमारे आनरेबल वज़ीर साहिब ने जो अभी यह बताया कि हम तो टेनेंट्स के फ़ायदे के लिए यह पास कर रहे हैं लेकिन जो अपील के अख्तियार दिए जा रहे हैं इनसे उनका फ़ायदा क्या होगा ? इसका तो मतलब यह होगा कि आप जिसको चाहे निकाल दें। यानी जैसी आपकी मर्ज़ी हो वैसा करें। अगर टेनेंट accept कर लेता फिर तो अपील का अख्तियार देना ठीक था। जनाब डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह लेंड लार्ड के फ़ायदे के लिए है न कि मुज़ारे के। इसमें मुज़ारे का कोई फ़ायदा नहीं है। यह अपने ही खिलाफ जा रहे हैं और डिग्री का फैसला रिओपिन कर रहे हैं। एक आम कहावत है कि law must prevail though justice fail यानी ला मुख्य है और इसकी तरफ यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इसकी ऐक्सीक्यूशन ठीक होती है या नहीं। डिप्टी स्पीकर साहिब, मेरी अमेंडमैंट जो है वह मंजूर होनी चाहिए और यह क्लाज़ इसी तरीके से पास नहीं होना चाहिए।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

In line 4, *for* "State Government", occurring twice, *substitute* "High Court, Punjab".

लोक कार्य मंत्री (चौधरी सूरज मल) : जनाब डिप्टी स्पीकर सहाहिब, यह चीज़ इस लिए रखी गई कि अगर किसी के साथ बेइंनसाफी हुई है तो उसको मौका मिले और उसके साथ इंसाफ हो सके। मैं समझता हूं कि यह ज़रूरी है और इसे रहना चाहिए।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

In line 4, *for* "State Government", occurring twice, *substitute* "High Court, Punjab".

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That clause 20 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 21

चौधरी इन्द्र सिंह (जींद, जैनरल) : जनाब, डिप्टी स्पीकर साहब, क्लाज़ 19 पर बोलते हुए वज़ीर साहब ने जो दलील दी वह समझ में नहीं आई। एक तरफ तो वह कहते हैं कि मुज़ारों की protection की ठेकेदारी ले रहे हैं लेकिन जब मैं क्लाज़ 21 पढ़ता हूं तो फिर पता चलता है कि इनकी ठेकेदारी खत्म हो जाती है। जनाब, जो तवज्जुह दिलाने वाली बात है वह यह है :

"and for the protection of tenants in such areas from eviction"

लेकिन Statement of Objects and Reasons में इस का कोई ज़िक्र ही नहीं है इस लिये जब यह doubtful बात आती है कि.....

Mr. Deputy Speaker : This portion which you have referred to is a part of the bill.

चौधरी इन्द्र सिंह : जनाब, जो चीज़ स्टेटमैंट ग्राफ ग्राबजैक्ट्स एंड रीजंस के स्कोप से बाहर ग्राती है मैं समझता हूं That does not form part of the bill. मैं ग्रर्ज़ करूंगा कि क्यों न गवर्नमैंट की ग्रौर लोकल ग्रथारिटीज़ की बिल्डिंग्ज़ ऐट पार हों। क्या गवर्नमैंट बिल्डिंग्ज़ ऐसी नहीं हैं जो slum areas के पास नहीं हैं या leak नहीं करतीं या सफाई नहीं चाहतीं ? मुझे तो चंडीगढ़ जैसे शहर का भी पता है कि एम० एल० ए० होस्टल की इमारत बरसात में चूती है। तो जब यह सवाल हो तो गवर्नमेंट के ग्रन्दर बैठे हुए लोगों को क्यों exception दी जाती है ग्रौर क्यों ऐसे ग्रख्तियार दिए जाते हैं ? मैं समझता हूं कि लोकल ग्रथोरिटी की जो बिल्डिंग्ज़ हुग्रा करती हैं वह बहुत वसीह होती हैं। वहां पर ज्यादा ग्राबादी होती है ग्रौर थोड़ी बहुत गंदगी हो जाना लाज़िमी है। इस लिये उन को इस के scope से निकाल देना ठीक नहीं है; यह एक तमीज़ होगी। Therefore, I say this clause 21 is discriminatory in nature. जहां तक ग्राबजैक्ट का ताल्लुक है वह सब यूनीफार्म होना चाहिए। ग्रौर उसकी ऐप्लीकेशन भी एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन मैं देखता हूं नारा यह दिया जाता है कि हम टैनेंट्स के रखवाले हैं ग्रौर दूसरी तरफ टैनेंट्स को निकालते भी हैं। इस लिये मैं कहता हूं कि इस क्लाज़ में हारमनी होनी चाहिए। यह खाहमखाह की मुसीबत ग्रपने गले ले रहे हैं कि एक जगह से निकालेंगे तो ग्रौर दूसरी जगह रखेंगे। जो eviction का मामला है वह शहरों में, Improvement Trust से ज़्यादा सम्बन्ध रखता है। वहां हरिजनों की बस्तियों में सफाई की ज़रूरत है यह बात तो मैं मानता हूं। मगर Urban Rent Restriction Act के तहत जो कंडीशनज़ हैं उनके तहत टैनेंट की इजैक्शन नहीं होती। इन्होंने फरमाया कि टैनेंट इजैक्ट हो सकता है। यह ग़लत है। इसलिये मैं पूछता हूं कि यह exception क्यों की गई है ? इस में uniformity होनी चाहिए। In the present form this bill is highly discriminatory in nature. मैं समझता हूं कि यह क्लाज़ incorporate नहीं हो सकती। Third Reading stage पर ग्रगर ग्राप इजाज़त देंगे तो फिर इस को लूंगा।

सामूहिक विकास मंत्री : ग्राप के पास काम नहीं होगा।

चौधरी इन्द्र सिंह : काम तो ग्राप से ज्यादा है लेकिन मैं तो ग्राप की तवज्जुह दिलाना चाहता हूं। ग्रगर ग्राप की समझ में न ग्राए तो मेरा क्या कसूर है। मैं यह समझता हूं कि यह provision ग्रा ही नहीं सकती क्योंकि बिल के Objects and Reasons में यह चीज़ नहीं है। ग्रगर इसी तरह से यह बिल पास कर दिया गया तो यह किसी कोर्ट में refer हो जायगा ग्रौर ultra vires declare हो जायगा।

Minister for Community Development : Sir, I beg to move—

That the question be now put.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the question be now put.

चौधरी इन्द्र सिंह : जनाब, clausewise consideration पर closure motion नहीं हो सकता ।

Mr. Deputy Speaker : Can you quote some rule in support of your argument ?

चौधरी इन्द्र सिंह : इस के लिए time दें ।

Mr. Deputy Speaker : Why did you advance this argument without consulting the relevant rule ?

चौधरी धर्म सिंह राठी : मेरा ख्याल है कि यह consideration motion पर या passage के बारे में हो सकता है । इस स्टेज पर नहीं हो सकता ।

Mr. Deputy Speaker : I don't think there is anything in the Rules that prohibits the moving of the closure motion at this stage.

Chaudhri Inder Singh : When there is a specific chapter regarding bills—consideration of bills as well as consideration of clauses of bills, there is no reason why the provisions of another chapter should apply. Therefore the question cannot be put.

Mr. Deputy Speaker : The Rule 89 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly is quite clear.

Chaudhri Inder Singh : This relates to motions only.

Mr. Deputy Speaker : No. This is not correct.

चौधरी इन्द्र सिंह : बिलों के मुताल्लिक specific chapter है जिस में closure motion का जिक्र नहीं । इस लिये मैं समझता हूं कि यह चीज़ बिलों के बारे में बिल्कुल लागू नहीं होगी । This Rule does not refer to the consideration of Bills clause by clause. Even it does not cover motion for the consideration of the bill.

मैं समझता हूं कि बिलों पर पार्लियामेंट में भी closure motion move नहीं होता । इसी वजह से वहां एक एक बिल पर सात सात दिन लग जाते हैं and there is absolutely no check.

Mr. Deputy Speaker : My Ruling is that the closure motion can be moved and there have been precedents also. The Rule clearly says that—

> "89. (1) At any time after a question has been proposed any member may move, "That the question be now put", and unless it appears to the Speaker that the motion is an abuse of these Rules or an infringement of the right of reasonable debate, the Speaker shall put the question ;—
>
> "That the question be now put."

This is quite clear.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the question be now put.

The motion was carried.

लोक कार्य मंत्री (चौधरी सूरज मल) : डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो चौधरी इन्दर सिंह जी ने लम्बी चौड़ी स्पीच इस के बारे में की है अगर वह इसे ग़ौर से पढ़ते तो यह एतराज़ न उठाते । यह provision तो सिर्फ क्लाज़ 21 के बारे में है लेकिन इन्होंने जो दो तीन क्लाज़ें पहले पास कर चुके हैं उन पर भी एतराज़ उठा दिया है । उन्हें शायद मालूम नहीं कि यह चीज़ local bodies की buildings पर applicable नहीं होती । दूसरी बात यह है कि इस के मातहत जो tenants लोकल bodies के इलावा दूसरे मालकान के मकानात से eject किए जाते हैं उन को तो लोभ लालच होता है लेकिन लोकल बाडीज़ की buildings के बारे में कोई ऐसा सवाल पैदा नहीं होता । यह provision इस लिये की गई है कि लोकल बाडीज़ वाले public interest के लिए खाली करवाते हैं ।

मेरे दोस्त ने कहा कि slum area में गवर्नमैण्ट की building गिराई नहीं जा सकती यह इस बिल से ज़ाहिर नहीं होता । मैं उन्हें बता दूं कि अगर गवर्नमैण्ट की building भी slum area में आती है और दुरुस्त हालत में नहीं उसे भी गिराया जा सकता है । इस में कोई रुकावट नहीं । यह क्लाज़ बिल्कुल innocent है और public interest में है । इसे इसी हालत में पास कर देना चाहिये ।

6 p.m.

चौधरी धर्म सिंह राठी : डिप्टी स्पीकर साहिब, clauses 19 और 20 बिल के Objects and Reasons को cover नहीं करती हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : 19 और 20 clauses पास हो चुकी हैं और वह इस बिल के Reasons and Objects को cover करती हैं (Clauses 19 and 02 have already been passed and they are covered by the statement of Objects and Reasons.)

लोक कार्य मन्त्री : हाई कोर्ट में challenge कर लेना ।

Chaudhri Dharam Singh Rathi : Sir, this is very bad on the part of the Minister to say "आप challenge कर लेना"

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 21 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CALUSE 22

Mr. Deputy Speaker : Now clause 22 is before the House.

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : डिप्टी स्पीकर साहिब, इस क्लाज़ में यह अलफाज़ लिखे हुए हैं "any person authorised by the competent authority"

उसे अख्तियारात दिये गये हैं कि जब चाहे मकान में दाखिल हो जाये। ऐसे अख्तियारात तो, डिप्टी स्पीकर साहिब, पुलिस को भी नहीं हैं। ज़ाबता फौजदारी में भी ऐसे अख्तियारात नहीं हैं जो क्लाज़ 22 में दिये गये हैं। इस अफसर को अख्तियार है कि वह किसी बिल्डिंग में दाखिल हो जाए और survey करने के बाद उसे गिरा दे। ऐसे खुदाई अख्तियारात अफसर को नहीं दिये जाने चाहियें। क्योंकि वह misuse करेगा। ऐसे अख्तियारात से लोगों को बहुत inconvenience होगी। यह गवर्नमैंट डंडे के जोर से हकूमत करना चाहती है। खां साहिब ने तकरीर की और फरमाया कि best Government वह होती है जो least govern करे, लेकिन यहां तो उल्टा हिसाब है। यह हकूमत governs the most, हकूमत के पास डंडा है और उस डंडे से यह सब आदमियों को ठीक कर सकती है। आप के मकान छीन सकती है और मकानों के अंदर दलेराना घुस सकती है। मकानो की दीवारें गिरा सकती है। मैं इस क्लाज़ की पुरज़ोर मुखालफत करता हूं क्योंकि इस में ऐसे अख्तियारात दिये गये हैं जो नहीं दिये जाने चाहियें।

लोक कार्य मन्त्री (चौधरी सूरज मल) : डिप्टी स्पीकर साहिब, इतनी सी मामूली बात पर शोर मचा देना कि गवर्नमैण्ट लोगों को तकलीफ देना चाहती है ठीक नहीं। यह अख्तियारात सारे बिलों में दिये जाते हैं। अफसर को मकान के अंदर दाखिल हो कर देखना पड़ता है कि कहां मुरम्मत की ज़रूरत है या नहीं। इस लिये मैं समझता हूं कि इस किस्म के अख्तियारात का दिया जाना ज़रूरी है।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 22 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 23

Mr. Deputy Speaker: Now clause 23 is before the House.

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : डिप्टी स्पीकर साहिब, गवर्नमैंट को मश्विरा करने से अच्छी सलाह मिल सकती है लेकिन यह सलाह लेना नहीं चाहते। Sub-clause 2 में लिखा है कि अगर कोई अफसर गलती करेगा या नाजायज़ कार्रवाई करेगा तो वह काम गवर्नमैण्ट अपने खर्च पर दोबारा कराएगी। आगे चल कर बिल में penalties मुकर्रर की गई हैं कि अगर कोई आदमी नोटिस की खिलाफ़वर्ज़ी करता है या हुक्म की खिलाफ़वर्ज़ी करता है तो उस के लिये सज़ा तजवीज़ की गई है। लेकिन जो अफसर नाजायज़ तौर पर मकान के अंदर दाखिल होगा उस के लिये कोई सज़ा prescribe नहीं की गई। यह बहुत नाजायज़ बात है। इन अलफाज़ के साथ, डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं इस क्लाज़ की मुखालफत करता हूं। इस के अंदर ऐसा provision नहीं करना चाहिये।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 23 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 24

Mr. Deputy Speaker: Now clause 24 is before the House.

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : मैं इस क्लाज़ पर अपनी amendment पेश करना चाहता हूं ।

Mr. Deputy Speaker: Your amendment is out of order.

चौधरी धर्म सिंह राठी : मैं ने क्लाज़ को तो oppose करना है। डिप्टी स्पीकर साहिब, इस क्लाज़ में जिस के लिये अख्तियार लिये जा रहे हैं वह बात तो रही नहीं। बहुत से इलाके हैं जहां पर slums की clearance करनी है। ऐसे इलाकों का इस बिल में ज़िक्र नहीं किया गया। अगर किसी इलाके में improvement करनी है तो—

> "Any person authorised by the competent authority in this behalf may, with or without assistance or workmen, enter on any land within fifty yards of any work authorised by or under the Act for the purpose of depositing......"

यह कहते हैं कि उस के आस पास की बिल्डिंग को हम ले लेंगे । यह बड़ी ज्यादती है। जिस मकान में improvement कर ली उस को भी यह कहते हैं कि हम ले लेंगे, अपने कब्ज़े में रखेंगे । डिप्टी स्पीकर साहिब, अगर इन्होंने improvement का सामान रखना है तो sheds ज्यादा बनाए जा सकते हैं। यह बड़ी अजीब बात है है कि इस purpose के लिये मकानात पर कब्ज़ा कर लिया जाए। अगर मकान की improvement गवर्नमैंण्ट करती है तो उसे अपने कब्ज़े में क्यों करती है। क्या उन के पास कोई और जगह नहीं जहां यह अपना सामान रखें। Sheds वगैरह बना कर सामान रखा जा सकता है । इस लिये इन अल्फाज़ के साथ मैं इस clause की मुखालफित करता हूं ।

लोक कार्य मंत्री (चौधरी सूरज मल) : डिप्टी स्पीकर साहिब, इस में बात यह है कि कहीं थोड़ी बहुत आस पास की ज़मीन इस्तेमाल करनी हो तो उस के लिये यह कानून लाया गया है। यह तो हम आपस में भी कर लेते हैं। बाज़ दफा सरकारी काम में मुदाखलत हो जाती है इस लिये कानून की ज़रूरत पड़ी है। न जाने वे क्या ख्याल दिल में लिये बैठे हैं। जो आस पास की ज़मीन खाली पड़ी होगी उस को temporarily लिया जाएगा।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 24 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSES 25 ADN 26

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clauses 25 and 26 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 27.

Chaudhri Dharam Singh Rathi (Sambhalka) : Sir, I beg to move—

Delete the proviso to Clause 27.

इस के बारे में proviso यह है कि

Provided that no such notice shall be necessary if the place to be inspected......

(*At this stage Mr. Speaker occupied the Chair.*)

इस के अंदर साफ लिखा है कि अगर किसी का cattleshed है तो किसी notice की ज़रूरत नहीं होगी उस को खाली करवाने के लिये । Latrine या urinal के लिये भी नोटिस की ज़रूरत नहीं है और गवर्नमेंट जब चाहेगी उस पर कब्ज़ा कर लेगी । मैं कहता हूं कि ऐसे आदमी को शाम को नोटिस दिया जाना चाहिये कि शाम को डंगर मत बांधो । ये कहते हैं कि उसको खबर देने की ज़रूरत नहीं है । कई लोगों ने घर में टट्टी बना रखी होती है, ये कहते हैं कि जब चाहेंगे, ले लेंगे, नोटिस नहीं देंगे । यह मालिकान के साथ बड़ी ज्यादती है, जुल्म है । खसूसन खेती करने वाले के साथ बड़ी भारी ज्यादती है, जो लोग मवैशी रखते हैं उन के साथ जुल्म है । मैं नहीं समझा कि इस proviso का क्या मतलब है । डंगर बांधने वाले के लिये नोटिस की ज़रूरत नहीं है, दूसरों के लिये ज़रूरत है । इस की क्या वजह है, वज़ीर साहिब मुझे समझा दें ।

Mr. Speaker: Motion moved.

Delete the proviso to Clause 27.

श्रीमती ओम प्रभा जैन (कैथल) : स्पीकर साहिब, राठी साहिब ने कहा है कि इन स्थानों को खाली करवाने के लिये नोटिस देने की ज़रूरत है । उन्होंने पढ़ा नहीं है, खाली तो करवाना ही नहीं है inspection करनी है । इस में लिखा है—

Provided that no such notice shall be necessary if the place to be inspected is a shed for cattle or a latrine, urinal or a work under construction

खाली नहीं करवाना, inspection करनी है ।

लोक कार्य मंत्री (चौधरी सूरज मल) : स्पीकर साहिब, जो कुछ बहन जी ने कहा है वही मैं भी कहना चाहता था । अगर वह थोड़ा सा भी पढ़ लेते तो इस में साफ लिखा है कि अगर किसी के मकान में दाखिल होना हो तो उस के लिये इजाज़त लेंगे, नोटिस देंगे उस से पूछेंगे । लेकिन यहां पर तो यह है कि if the place to be inspected.. इस में तो निकालने की कोई बात नहीं है । अगर खाली करवाना हो तो नोटिस दें । जब सिर्फ inspection के लिये ही जाना है तो न नोटिस देने की ज़रूरत है और न डंगरों को यह कहने की ज़रूरत है कि परदा कर लो साहिब, म आ रहे हैं । (*Laughter*)

Mr. Speaker : Question is—

Delete the proviso to Clause 27

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 27 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 28

Mr. Speaker : Now Clause 28 is before the House.

Shri Ram Piara (Karnal) : Sir, I beg to move—

At the end of the proviso, the following proviso be added:—

"Provided further that if the occupants are unable to find any alternative accommodation the competent authority shall arrange for the alternative accommodation for the occupants before the eviction".

यह असूल मिनिस्टर साहिब ने मान लिया है और उस असूल को मानते हुए मेरी पहली amendment भी उन्होंने मान ली है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस को भी मान लेंगे।

Mr. Speaker : Motion moved—

At the end of the proviso, the following proviso be added—

"Provided further that if the occupants are unable to find any alternative accommodation the competent authority shall arrange for the alternative accommodation for the occupants before the eviction"

लोक कार्य मन्त्री (चौधरी सूरज मल) : चूंकि उन की पहली amendment मान ली है यह भी वैसी ही है इस लिये मैं इसे तसलीम करता हूं।

Mr. Speaker : Question is—

At the end of the proviso, the following proviso be added—

"Provided further that if the occupatnts are unable to fiind any alternative accommodation the competent authority shall arrange for the alternative accommodation for the occupants before the eviction."

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 28, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 29

Mr. Speaker : Now Clause 29 is before the House.

Shri Ram Piara (Karnal) : Sir, I beg to move—

Delete the proviso.

स्पीकर साहिब, मेरी amendment यह है कि delete the proviso. clause में इन्होंने लिखा है कि जो order पहले दिया जाए उस में दो तीन महीनों का वकफा दे सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों का जो danger है या offensive trade है वह

उस इलाके में जारी रहना अच्छा नहीं है। मुझे करनाल का एक वाक्या याद है। Municipal Committee ने नोटिस दिया, नोटिस 6/8 महीनों तक लटकता रहा। नतीजा यह हुआ कि बारूद जो बनाया जा रहा था, वह फट गया और चार पांच मौतें हो गईं। बाद में केस चलता रहा। जो पहली clause है उस में गुंजायश रखी है कि वे नोटिस दे दें। नोटिस में sufficient time दे दिया जाना चाहिये। उन को इजाज़त नहीं होनी चाहिये कि offensive trade जारी रखने के लिये time extend कर लें। अगर time extend हो जाएगा तो सरकार की बदनामी होगी। मेरी amendment इलाके के interest में है और गवर्नमेंट के interest में है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस को मन्जूर करेंगे।

Mr. Speaker : Motion moved—

Delete the proviso.

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जो बात श्री राम प्यारा जी ने कही है, ठीक है। मैं इस की ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यही अख्तियारात पंचायत ऐक्ट में पंचायतों को भी दिये हुए हैं और उधर competent authority को भी। इस तरह दोनों में dispute होने का डर है। इसलिये यहां पर यह clear होना चाहिए। अगर dispute की बात हो तो उस हालत में क्या position होगी, इस की बाबत clear indication की ज़रूरत है।

लोक कार्य मंत्री (चौधरी सूरज मल) : Slum areas तो सिर्फ़ शहरों में ही हैं। यहां ही ज्यादा गन्दगी है। जहां तक श्री राम प्यारा की बात का ताल्लुक है यह चाहते हैं कि हर उस आदमी को जिस के खिलाफ action लिया जाए; उस को सफाई का मौका दिया जाए। हां, इस के लिये मौका तो दिया जाएगा। इस लिये मैं समझता हूं कि इस पर ज्यादा जवाब देने की ज़रूरत नहीं। यह मुनासब है और proviso रहना ही चाहिए।

Shri Ram Piara : Sir, I withdraw my amendment.

Mr. Speaker : Is it the pleasure of the House that the amendment be withdrawn ?

Some hon. Members : Yes.

Some hon. Members : No.

Mr. Speaker : Question is—

Delete the proviso.

After ascertaining the votes of the Members by voices, Mr Speaker said "I think the Noes *have it". This opinion was challenged and division was claimed. Mr. Speaker after calling upon those Members who were for "Aye" and those who were for "No" respectively, to rise in their places and on a count having been taken, declared that the motion was lost.*

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 29 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 30

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 30 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 31

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 31 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 32

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 32 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 33

Mr Speaker : Question is—

That Clause 33 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSFS 34 TO 40

Mr. Speaker : Qnestion is—

That Clauses 34 to 40 stand part of the Bill.

The motion was carried.

THE SCHEDULE

Mr. Speaker : Now the Schedule is before the House.

Shri Ram Piara (Karnal) : Sir, I beg to move—

After para 4, the following be added :—

"Any amount if saved after the payment of all the charges shall vest in the name of owner whose land had been acquired and he shall be competent to draw the amount at any time."

Mr. Speaker : Motion moved—

After para 4, the following be added :—

"Any amount if saved after the payment of all the charges shall vest in the name of owner whose land had been acquired and he shall be competent to draw the amount at any time."

Shri Ram Piara : Sir, I withdraw my amendment.

Mr Speaker : Is it the pleasure of the House that the amendment be withdrawn ?

Hon. Members : Yes.

The amendment was by leave withdrawn.

Mr. Speaker : Question is—

That the Schedule stand part of the Bill.

The motion was carried.

SUB-CLAUSE (1) OF CLAUSE 1 AND THE TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-clause (1) of Clause 1 and the Title stand part of the Bill.

The motion was carried.

Minister for Public Works (Chaudhri Suraj Mal) : Sir, I beg to move—

That the Punjab Slum Areas (Improvement and Clearance) Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Slum Areas (Improvement and Clearance) Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Slum Areas (Improvement and Clearance)Bill, as amended, be passed.

The motion was carried.

Further observations by the Speaker regarding the New Assembly Chamber

श्री अध्यक्ष : मैं आप को बताना चाहता हूं कि आज कुछ एम. ऐल. ए. साहिबान अपना नया चेम्बर देखने गए थे। उन्होंने वहां इमारत को और इसके plan को देखा है। उन्होंने कुछ एतराजात भी उठाए हैं और कुछ suggestions भी दी हैं। एक एतराज यह किया गया है कि जो आप की seats के आगे desks वहां पर लगाए जा रहे हैं वह पत्थर के क्यों हैं। इस के अलावा कुछ और भी एतराजात उन्होंने किए हैं। उन्होंने कुछ structural alterations की भी बात की है। कल जो साहिबान वहां चेम्बर को देखने के लिये जाएं, उन से मैं तवक्की करूंगा कि वह तामीर के काम को अच्छी तरह से देखें और अपनी practical suggestions मुझे भेजें। मैं आप को बता दूं कि यह suggestions आप की वहां पर seats वगैरा की सहूलियात में

[श्री अध्यक्ष]

improvements से सम्बन्धित होनी चाहिएं या जो कमरे वगैरा आप की पार्टीज़ को दिए जाते हैं उन की बाबत होनी चाहिएं । जहां तक structure का ताल्लुक है हम architect के काम में दखल नहीं देना चाहते। जब मेम्बर साहिबान की तरफ से suggestions मेरे पास आ जाएंगी अगर जरूरत पड़ी तो हम उन पर सभा में एक दो घंटे के लिये बहस भी कर लेंगे। हम इन सभी बातों पर मिस्टर कार्बुजियर के साथ भी बात चीत करेंगे। मेरा विश्वास है कि मेम्बरान की तरफ से जो recommendations होंगी वह हाउस की तरफ से directions समझी जाएंगी और मिनिस्टर साहिब उन को सिर्फ suggestions ही नहीं समझेंगे। जो तब्दीलियां हाउस कराना मंजूर करेगा उन्हें वह करनी ही पड़ेंगी । (I would like to inform the House that today a party of M.L.As. visited the new Chamber of the Sabha. They have seen its plan and also the construction of the Chamber in progress. They have raised certain objections and offered some suggestions. They have not approved of the cemented desks in front of the Members' seats in the Chamber. In addition, they have raised a few more objections. They have also suggested some structural alterations. I would expect the Members visiting the site tomorrow to inspect the construction work and send their practical suggestions to me. I may, however, point out that these suggestions should be restricted only to such matters as improvement of amenities for the Members in respect of their seats in the Chamber, rooms which have been alloted to the different parties etc. We would not like to interfere with the work of the Architect insofar as the structrural aspects of the Chamber are concerned. After the hon. Members have given their suggestions, we may, if necessary, have a discussion on them here in the House for an hour or two. We will discuss all these things with Mr. Carbusier also. I hope that the recommendations of the Members would be treated as a direction from the House and the Minister in-charge would not dismiss them as mere suggestions. He will have to carry out the changes agreed upon by the House.)

6-30 p.m.

The Sabha then adjourned till 9.30 *a.m. on Wednesday, the* 26*th October*, 1960.

11482 PVS—350—29-4-61—C. P. and S. Pb., Chandigarh

Punjab Vidhan Sabha Debates

26th October, 1960

Vol. II–No. 5

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Wednesday, the 26th October, 1960

Price: Rs 5.05 nP.

ERRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES, VOL. II, NO. 5
DATED THE 26TH OCTOBER, 1960.

Read	*for*	*on page*	*line*
ਵਾਜਬ	ਵਾਜਬ	(5)3	28
each	eac	(5)9	1
lapse	laspe	(5)22	10th from below
or	of	(5)22	2nd from below
compensation	cumpensation	(5)41	2-3
Jagir Singh	Jagir	(5)49	19
advanced	advance	(5)53	2
through	throug	(5)70	25
ਉਸ	ਉਸ ਉਸ	(5)76	2
ਸਮਿਤੀ	ਮਸੰਤੀ	(5)79	15th from below
ਹੱਥ	ਹਥ	(5)79	3rd from below
ਪੰਚਾਇਤ	ਪੰਚਾਦਿਤ	(5)81	9
Samitis	Samtis	(5)90	6
Shri	Shr	(5)97	1
too	oo	(5)97	2
to	o	(5)97	4
District	Distrit	(5)97	18
ਪਹਿਲੇ	ਪਹਿਲ	(5)98	2
ਜਿਹੜੀ	ਜਿਹਣੀ	(5)99	21
ਉਨ੍ਹਾਂ	ਉਾਂਨ੍ਹ	(5)106	last
Note	Vote	(5)108	4

PUNJAB VIDHAN SABHA

Wednesday, the 26th October, 1960

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, Chandigarh, at 9.30 a.m. of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.

SUPPLEMENTARIES ON STARRED QUESTION No. 5990

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ : ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ Co-operative Societies ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

उप-मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता) : 108 मंडियों में से 20 मंडियों के अन्दर Co-operative Societies ने सरकार के behalf पर अनाज खरीदा 23 मंडियों म Co-operative Marketing Societies की तरफ से purchases की गई ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ : ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਹ explain ਕਰ ਦਿਉ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ।

ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ : ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ State Trading ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ Co-operative Societies ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ start ਹੋਈਆਂ ਸਨ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਿਆ ਉਸ ਦਾ 1/3 ਹਿੱਸਾ Co-operative Societies ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ agents ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ । ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Co-operative Societies ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ Co-operative Marketing Societies ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਕੀ ਉਥੇ ਇਹ exist ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ?

ਮੰਤਰੀ : ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਇਹ societies ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਡਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ।

Note.—Starred Question No. 5990 alongwith its reply appears in the Punjab Vidhan Sabha Debate, Vol. II, No. 4, dated 25th October, 1960.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਕਿਸੇ society ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਥੋੜਾ ਸੀ ।

खान अब्दुल ग़फ्फार खां : जनाब, वज़ीर साहिब ने फरमाया है कि कुछ Societies कमज़ोर थीं । मैं पूछना चाहता हूं कि जहां यह Societies कमज़ोर नहीं थीं क्या अनाज खरीदने का काम उन को दिया गया ?

मंत्री : जहां Co-operative Society अच्छा काम करती है वहां उसे यह काम दिया है ।

डा० परमा नन्द : Minister साहिब ने फरमाया है कि Co-operative Societies कमज़ोर थीं इस लिए उनको 1/3 हिस्सा गंदम purchase करने का order दिया और बाकी को ज्यादा का दिया । मैं Minister साहिब से यह पूछना चाहता हूं कि यह कमज़ोरी उन्होंने खुद judge की या उन Co-operative Societies ने लिख कर दिया कि हम काम नहीं कर सकते ?

ਮੰਤਰੀ : ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨਕੰਮੀਆਂ ਸਨ । ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ register ਹੋਈਆਂ ਹਨ ।

ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ : ਮੁਤੱਲਕਾ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਆਇਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਈਟੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀ purchase ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ।

ਮੰਤਰੀ : ਹਾਂ ਜੀ, ਹੈ ।

Mr. Speaker: The Deputy Minister was under the impression that the Hon. Minister had taken it upon himself to answer the question. Therefore, he was not very attentive. The Hon. Member should repeat his question.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ repeat ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਕੀ ਡਿਪਟੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਈਟੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉਥੇ ਸਾਰਾ business ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਈਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ?

उप-मंत्री : बात यह है कि सरकार ने कुछ targets पूरे करने हैं । अगर Co-operative Societies पूरा न कर सकें तो दूसरों की मारफत भी खरीद की जा सकती है । जब तक Co-operative Societies की मारफत जितनी गंदम खरीदनी है उतनी न खरीदी जाए, दूसरे ज़राए से नहीं खरीदी जाती ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਿਅਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ . . . .

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਨਾ ਜੀ, ਸ਼ਿਅਰ ਨਾ ਕਹੋ । (No please, the hon. Member need not quote the couplet)

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 72 Co-operative Marketing Societies ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 23 Co-operative Marketing Societies ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਗੰਦਮ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ 49 Co-operative Marketing Societies ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਗੰਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ?

उप-मंत्री: 72 Co-operative Societies हैं। मैं ने 43 मंडियां कहीं हैं। एक मंडी में 2 Co-operative Societies भी हो सकती हैं।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਡਿਪਟੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਦੋ ਦੋ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਹਨ ?

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ : ਕੀ ਅਗੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਹੋਏਗੀ ? ਮੈਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ।

ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਅਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਟੇਟ ਟਰੇਡਿੰਗ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਈਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਹੋਵੇ । ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁਕਿਆ ਹਾਂ ਜਦ ਤਕ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ well-established Co-operative Societies ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਿਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਈਟੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਸਟੇਟ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ।

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਡਿਪਟੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਜਬ ਦਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਯਾ private dealers ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਜਬ ਦਾਮ ਦਿਤੇ ?

ਮੰਤਰੀ: ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, private dealers ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ।

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ: ਪਰਸੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ private dealers ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ: ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ Co-operative Societies ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਖਰੀਦਣ ਦਾ programme ਇਸੇ ਸਾਲ ਲਈ ਹੈ ?

ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ: ਜਿਥੇ ਚੰਗੀਆਂ societies ਹਨ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਏਗਾ । ਜਿਥੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਥੇ shops ਦੇ ਰਾਹੀਂ ।

खान अब्दुल ग़फ्फ़ार खां : मैं जनाब वज़ीर साहिब से यह दरयाफ्त करना चाहता हूं कि जिन मंडियों में Co-operative Societies हैं, उनको क्यों महरूम रखा गया ? क्या उन्होंने यह लिख कर दिया था कि हम में ताकत नहीं है और हम खरीद नहीं कर सकते?

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ : ਕੀ ਡਿਪਟੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ 2 Co-operative shops ਸਨ ;

ਮੰਤਰੀ : ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ Co-operative shops ਹੋਣ ।

Mr. Speaker : In future, when the Minister concerned is present in the House, the Questions should always be addressed to him. But, if he does not get up, the Deputy Minister should reply to the Questions, because an awkward situation is created when both of them stand up.

पंडित श्री राम शर्मा : अगर कोई सवाल डिप्टी मिनिस्टर को concern करता हो और मिनिस्टर भी मौजूद न हो तो क्या डिप्टी मिनिस्टर को मुखातिब नहीं किया जा सकता?

श्री अध्यक्ष : अगर मिनिस्टर न हो और डिप्टी मिनिस्टर मौजूद हो तो भी मिनिस्टर को ही ऐड्रेस करना चाहिए ? (If the Minister is not present in the House and the Deputy Minister is there even then only the Minister should be addressed.)

पंडित श्री राम शर्मा : अगर मिनिस्टर मौजूद न हो और डिप्टी मिनिस्टर को सवाल रिलेट करता हो तो भी क्या डिप्टी मिनिस्टर को ऐड्रेस नहीं करना चाहिए ?

श्री अध्यक्ष : फिर भी मिनिस्टर ही ऐड्रेस होगा । मैं मिनिस्टर साहिबान से कहूंगा कि जहां तक मुमकिन हो सके वे सवालों के replies देने का मौका Deputy Ministers को दिया करें ।

(Even then the Minister should be addressed.

I would, however, suggest to the hon. Ministers that as far as possible, they should afford an opportunity to the Deputy Ministers to reply the supplementaries.)

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਿਪਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਸਤਸਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, वह तो सब से ज़्यादा तैयार हो कर आते हैं । (No, no; he comes prepared better than all.)

PROCEDURE REGARDING REPLIES TO STARRED QUESTIONS SENT BY MEMBERS IN JAIL

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: ਜਦ ਤਕ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨ, ਕੋਈ final ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਦ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ, ਉਨ੍ਹਾਂ questions ਨੂੰ as unstarred treat ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। (The starred questions put by hon. Members confined to jails will be treated as unstarred questions, and their replies sent to them as such till the committee takes some final decision in this regard.)

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

LOANS TO WORKERS OF AMRITSAR MILLS DUE TO SHORTAGE OF ELECTRICITY

***5820. Shri Ram Chandra Comrade :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—

(a) whether any loans were paid by Government to the workers of the Amritsar Mills due to the shortage of electricity during the winter of 1959-60 ; if so, the amount of the loans advanced monthwise and the total thereof ;

(b) whether there was any delay in advancing the said loans ; if so, the reasons therefor ?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : (a) No.

(b) Does not arise.

श्री राम चन्द्र कामरेड : डिप्टी वज़ीर साहिब ने सवाल के जवाब में फरमाया है कि 1959-60 की सरदियों में बिजली की कमी नहीं हुई थी जिस की वजह से मजदूरों में बेकारी हुई हो और उन्हें कोई loan दिया गया हो। मैं उन से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें यह याद नहीं कि यहां बिजली की कमी हुई थी और इस के बारे में यहां Assembly में भी सवाल उठाया गया था ?

उप-मंत्री : अगर hon. मैम्बर अपने सवाल को समझ लेते और उस की रोशनी में मेरे जवाब को ध्यान से देख लेते तो उन्हें यह दोबारा पूछने की ज़रूरत महसूस न होती। मैंने जवाब में यह कहीं नहीं कहा कि electricity की कमी नहीं हुई थी। मैं ने तो कहा है कि 1959-60 के winter में मज़दूरों को loan नहीं दिये गये थे क्योंकि सवाल में यह पूछा गया था कि मज़दूरों को कोई loans दिये गये थे या नहीं।

श्री राम चन्द्र कामरेड : जनाब स्पीकर साहिब, डिप्टी वज़ीर साहिब सवाल के इस पहलू को छिपा रहे हैं और इस बात का जवाब ठीक नहीं दे रहे कि बिजली की कमी की वजह से मज़दूरों में जो बेकारी हुई थी उस के लिए मज़दूरों को 1959-60 में सरकार ने loans दिये थे या नहीं दिये थे।

उपमंत्री : या तो hon. मैम्बर को मेरे जवाब की ठीक समझ नहीं आ रही या उन की यादाश्त ठीक तरह से काम नहीं दे रही क्योंकि सवाल में 1959-60 के बारे में पूछा गया था कि क्या loans दिये गये थे जिस का जवाब मैं ने दिया है 'नहीं' क्योंकि loans 1959-60 में sanction नहीं हो सके थे। यह तो 1960-61 के साल में sanction हुए थे।

YOUNG FARMERS CLUBS RECEIVING AID FROM GOVERNMENT

*5986. **Dr. Bhag Singh :** Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state—

(a) the total number of Young Farmers Clubs in the State aided by Government at present and the total number of membership of each of them ;

(b) the amount of grants-in-aid given to the said clubs by Government during the years 1958-59 and 1959-60.

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : (a) 2146. A statement is laid on the Table of the House.

(b) Rs. 82,706.15 nP. and Rs. 96,679.93 nP.

STATEMENT

Name of the District	Name of Block	Number of Young Farmers Clubs	Number of members of each Club
1	2	3	4
Ambala ..	Rupar ..	7	23 Average
	Chamkaursahib ..	19	13 ,,
	Kharar ..	4	12 ,,
	Jagadhri ..	19	11 ,,
	Naraingarh ..	10	32 ,,
	Sadhaura ..	40	15 ,,
	Barara ..	26	10 ,,
	Chhachrauli ..	27	17 ,,
	Nalagarh ..	26	14 ,,
Hissar ..	Hissar I ..	23	15 Each
	Hansi I ..	50	10 ,,
	Hissar II ..	13	18 ,,
	Narnaud ..	8	20 ,,
	Sirsa II ..	10	20 ,,
	Hansi II ..	21	10 ,,
	Bahauna ..	10	15 ,,
	Tohana ..	19	10 ,,
	Barwala ..	20	20 ,,
	Loharu ..	17	18 Average
	Fatehabad ..	18	10 ,,

Name of the District	Name of Block	Number of Young Farmers Clubs	Number of members of each Club
1	2	3	4
Gurgaon ..	Faridabad ..	23	15 Each
	Hathin ..	10	15 ,,
	Ballabgarh ..	30	15 ,,
	Ferozepur-Jhirka ..	4	18 ,,
	Sohna ..	15	10 ,,
	Gurgaon ..	45	15 ,,
	Pataudi ..	18	10 ,,
	Hodal ..	16	15 ,,
	Palwal ..	20	14 ,,
	Rewari ..	5	15 ,,
	Nuh ..	19	12 ,,
	Bawal ..	5	12 ,,
	Khol ..	17	14 ,,
Karnal ..	Thanesar ..	19	15 ,,
	Karnal ..	6	16 ,,
	Gharunda ..	7	10 ,,
	Pundri ..	10	20 ,,
	Ladwa ..	20	17 ,,
	Guhla ..	10	10 ,,
	Panipat ..	6	12 ,,
	Nilokheri ..	24	14 ,,
Rohtak ..	Ghanaur ..	30	30 ,,
	Jhajjar ..	17	15 ,,
	Kharkhoda ..	12	14 ,,
	Gohana ..	28	10 ,,
	Rai ..	14	8 Clubs have 12 members each and 6 Clubs have 15 members each
	Kalanaur ..	12	21 Average
	Sonepat ..	13	11 Clubs have 10 members each and 2 Clubs have 40 members each
	Rohtak ..	20	13 Average
Simla ..	Kasauli ..	16	Seven Clubs have 12 members each and three clubs have 11 members each, four Clubs have 10 members each, one has 15 and one has 13.
	Simla ..	20	10 each
Amritsar ..	Tarn Taran ..	26	Two Clubs, 25 each Three Clubs, 21 each Three Clubs, 17 each Two Clubs, 16 each Three Clubs, 24 each Six Clubs, 15 each One Club, 26 One Club, 23 One Club, 14 One Club, 20 One Club, 18 One Club, 19 One Club, 22

[Deputy Minister]

Name of the District	Name of Block	No. of Young Farmers Clubs	Number of members of each Clubs
1	2	3	4
Amritsar—*concld.*	Bhikhiwind ..	16	14 each
	Khadur Sahib ..	16	9 Clubs have 15 each 5 Clubs have 16 each 2 Clubs have 17 each
	Chola Sahib ..	9	5 Clubs have 21 each 4 Clubs have 22 each
	Naushehra Pannun ..	18	10 each
	Patti ..	13	15 „
Ferozepur ..	Dharamkot ..	10	10 „
	Bagha purana ..	13	One Club has 14 members Three Clubs have 15 members Two Clubs have 12 members One Club has 11 members Two Clubs have 16 members One Club has 20 members One Club has 18 members Two Clubs have 10 members
	Moga II ..	10	10 Average
	Moga I ..	15	Six have 12 each One has 16 One has 11 Four have 10 each One has 14 Two have 13 each
	Zira ..	20	18 Average
	Nihalsinghwala ..	1	40 „
	Jallalabad ..	1	40 „
Gurdaspur ..	Batala ..	13	12 each
	Dhariwal ..	20	10 „
	Pathankot ..	2	13 „
	Gurdaspur ..	12	10 Average
	Sri Hargobindpur ..	10	20 each
	Dera Baba Nanak ..	30	13 Average
Hoshiarpur	Hajipur ..	6	15 each
	Balachaur ..	19	15 „
	Mahilpur ..	20	15 „
	Dasuya ..	10	10 „
	Nurpurbedi ..	20	20 „
	Garhshankar ..	25	16 „
	Amb ..	10	10 „
	Una ..	13	15 „
Jullundur ..	Nawanshahr ..	15	10 each
	Phillaur ..	14	22 „
	Nurmahal ..	12	10 „
	Banga ..	20	10 „
	Guraya ..	19	10 „

Name of the District	Name of Club	Number of Young Farmers Clubs	Name of members of eac Club
1	2	3	4
Kangra ..	Indora ..	13	11 Average
	Shahpur ..	10	10 ,,
	Dehragopipur ..	22	18 each
	Pragpur ..	20	10 ,,
	Nurpur ..	16	11 ,,
	Bhota ..	15	10 ,,
	Kangra ..	23	Six Clubs have 10 members each Five Clubs have 12 members each Five Clubs have 13 members each Seven Clubs have 11 members each
	Banjar ..	14	15 Average
	Barsar ..	20	17 ,,
	Lambagraon ..	10	12 each
	Bhoranj ..	3	12, 15, 16
	Outerseraj ..	11	10 each
	Hamirpur ..	11	Two have 10 members each Three have 12 members each Two have 15 members each One has 18 members One has 17 members One has 14 members One has 25 members
	Kulu ..	20	10 each
	Palampur ..	24	15 Average
Ludhiana ..	Ludhiana ..	29	11 ,,
	Jagraon ..	19	12 each
	Samrala ..	15	10 ,,
	Machhiwara ..	12	14 Average
	Sidhawanbet ..	6	13 ,,
Bhatinda ..	Bhatinda ..	7	10 ,,
	Kotkapura ..	15	15 ,,
	Faridkot ..	10	10 ,,
	Sangat ..	13	11 ,,
	Talwandisabo ..	5	12 ,,
	Sardulgarh ..	36	10 ,,
	Phul west ..	8	10 ,,
	Phul East ..	2	13 ,,
Kapurthala	Bholath ..	20	12 each
	Phagwara ..	10	15 each
	Kapurthala ..	8	Five have 15 members each Two have 12 members each One has 14 members
Mohindergarh	Narnaul I ..	20	15 each
	Mohindergarh ..	10	10 ,,
	Dadri I ..	20	10 ,,
	Dadri II ..	17	10 ,,

[Deputy Minister]

Name of the District	Name of Club	No. of Young Farmers Clubs	Number of members of each Club
1	2	3	4
Sangrur ..	Sangrur ..	23	Nine Average
		4 (girls)	10 each
	Barnala ..	10	Eight Clubs 10 members One Club 9 members One Club 13 members
	Ahmedgarh ..	15	Two Clubs 11 members Nine Clubs 10 members Two Clubs 15 members Two Clubs 12 members
	Lehragaga ..	5	Three Clubs have 12 each One Club has 13 One Club has 15
	Malerkotla ..	14	One Club has 20 13 Clubs have 10 each
	Cheema ..	17	10 each
	Sunam ..	10	10 ,,
	Dhuri ..	26	10 ,,
	Jind ..	18	12 Clubs of 10 members Three Clubs of 8 members Three Clubs of 12 members
	Narwana ..	8	20 each
Patiala ..	Patiala ..	10	Five have 15 members each Five have 10 members each
	Rajpura ..	29	10 each
	Samana ..	14	10 ,,
	Dehrabassi ..	9	Six have 10 each Three have 11 each
	Sirhind ..	9	Four have 10 each Two have 11 each Three have 15 each
	Nabha ..	12	Four have 12 each Seven have 11 each One has 10
	Bassi Pathana ..	8	Six have 15 each 2 have 16 each
	Doraha ..	24	14 Average
Lahaul ..	Lahaul ..	11	19 ,,

श्री राम प्यारा : Young Farmers' Clubs को जो grant दी गई है इस में सिर्फ farmers ही participate कर सकते हैं या इसके इलावा और भी कोई participate कर सकते हैं ?

उपमंत्री : उन के लड़के, जिन की उम्र 12 से 18 साल तक हो, भी participate कर सकते हैं ।

SUPPLY OF AGRICULTURAL IMPLEMENTS TO FARMERS AT CONCESSIONAL RATES

***6040. Sardar Kartar Singh Diwana :** Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of the Government to supply bullock drawn agricultural implements to the farmers for their use at half their price ; if so, the details of the implements which are proposed to be thus supplied ?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : Yes ; a proposal to distribute the following implements in the backward areas of the State on 50 per cent subsidy basis is under the consideration of Government :—

(1) Furrow Turning Plow (Hindustan) ;

(2) Single Row Cotton Drill ;

(3) Triphali ;

(4) Rice Weeder.

HIGH SCHOOLS SWITCHING OVER TO HIGHER SECONDARY SYSTEM

***5984. Dr. Bhag Singh :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—

(a) the number of High Schools, Government as well as private, which have switched over to the Higher Secondary system ;

(b) the number of schools referred to in part (a) above which have on switching over introduced the technical group and the total number of students who have joined this group in these schools ?

Shri Yash Pal (Deputy Minister) : (a) 168.

(b) (i) 27 Schools.

(ii) 1,371 students.

RECONSTRUCTION OF BUILDING OF GOVERNMENT HIGHER SECONDARY SCHOOL, DHARAMSALA

***6001. Chaudhri Hari Ram :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the building of the Govenrment Higher Secondary School, Dharamsala, was destroyed by fire ; if so, when ;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, whether the said fire was accidental ;

(c) whether the building of the said school has been reconstructed ; if not, the time by which it is likely to be reconstructed ?

Shri Yash Pal (Deputy Minister) : (a) Yes, on the 28th October, 1959.

(b) Yes, it was accidental.

(c) Not yet. The Public Works Department authorities have been asked to reconstruct the said building.

Chaudhri Hari Ram : How long will it take the Goverment to reconstruct this building ?

उपमंत्री : कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बन जाए। ठीक वक्त बताना मुश्किल है क्योंकि P. W. D. वालों ने मुरम्मत वगैरह करनी है।

CONSTRUCTION OF BUILDING FOR THE JUNIOR BASIC SCHOOL FOR GIRLS, DHARAMSALA

*6002. **Chaudhri Hari Ram :** Will the Minister for Education be pleased to state whether any funds have been sanctioned by Government for the construction of the building for the Government Junior Basic School for Girls, Dharamsala; if so, when together with the time by which the building is expected to be constructed ?

Shri Yash Pal (Deputy Minister): No. (It is understood that the question relates to Government Junior Basic Training School for Girl, Dharamsala).

The proposal in this respect will be considered during the Third Five-Year Plan.

FURNITURE, ETC. PURCHASED BY DISTRICT INSPECTOR/INSPECTRESS OF SCHOOLS, GURGAON

*6038. **Shri Sumer Singh :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the details of the amounts placed at the disposal of the District Inspector of Schools, Gurgaon and the District Inspectress of Schools, Gurgaon since 1st October, 1957, upto-date year wise for the purchase of furniture equipment, science apparatus, library books, maps, charts, photos, etc ;

(b) whether any tenders and quotations were invited by the said officers for the purchase of the said articles each year ; if not, the manner in which these purchases were made by each officer each year ;

(c) whether any audit or departmental objections have been raised against the said purchases ; if so, the action, if any, taken against the said officers ;

(d) whether any articles are still lying in the offices of the abovementioned officers undistributed ; if so, the details thereof and the reasons therefor ;

(e) whether any Godrej Chairs were purchased by the officers referred to in part (a) above ; if so, how many, at what rate and for what purpose ;

(f) whether any of the chairs referred to in part (e) have broken; if so, their number ;

(g) whether any responsibility for the loss referred to in part (f) above has been fixed ; if so, the action taken against those on whom responsibility was fixed ?

Shri Yash Pal (Deputy Minister) : The requisite information is laid on the Table of the House.

(a) the following amounts were placed at the disposal of the District Inspector/ Inspectress of Schools, Gurgaon from 1st October, 1957 to-date ;

Year		District Inspector of Schools, Gurgaon	District Inspectress of Schools, Gurgaon
		Rs nP.	Rs nP.
1957-58	..	2,750.00	22,00.00
1958-59	..	59,960.00	11,471.35
1959-60	..	37,380.00	9,345.58

(b) The information is given in Annexure 'A'.

(c) Yes, it is regarding the purchase of typewriter and duplicator made by the District Inspector of Schools, Gurgaon. The matter is being examined. As regards District Inspectress of Schools, no action has been suggested by the Auditors.

(d) Yes. Articles pertaining to all boys schools out of 73 Middle Schools and 4 girls Middle Schools are still lying in the offices of District Inspector of Schools, Gurgaon and District Inspectress of Schools, Gurgaon, respectively. The articles could not be distributed due to summer vacation and heavy rain. The articles are being distributed now.

(e) Yes. Nineteen Godrej chairs by the District Inspector of Schools and one Chair by the District Inspectress of Schools, Gurgaon were purchased at Rs. 50 each. These were purchased for seating purpose of the staff of these offices.

(f) Yes. The front portions of four Chairs pertaining to the office of the District Inspector of Schools, Gurgaon have broken. The firm has been asked to get them repaired or replaced.

(g) Government have ordered a thorough inquiry into the matter, and when it is completed, the question of taking suitable action against the officials at fault will be considered.

[Deputy Minister]

ANNEXURE 'A'

District Inspector of Schools, Gurgaon

Name of the year	Amount	Article purchased	Manner in which the purchase was effected
	Rs nP.		
1957-58 ..	780.35	Furniture equipment ..	The purchase was effected from the approved firms.
	1,517.50	Health charts for Middle Schools	These were purchased locally after inviting tenders.
1958-59 ..	9,162.88	Library Books ..	The library books were purchased direct from the publishers and a certificate to the effect that no more discount was allowed to any institution in the Punjab was obtained.
	478.40	Gongs ..	These were purchased from the contracted firm.
	7,659.82	Maps and Charts ..	These were purchased after inviting tenders.
	6,642.50	Science Material ..	It was purchased from the rate contracted firm.
	17,240.75	Furniture equipment ..	It was purchased from the contracted firm.
	991.00	Chalk ..	It was purchased after inviting tenders.
	314.72	Portraits ..	No rate contract existed. These were purchased locally.
	423.00	Lota glass ...	These were purchased after inviting quotations.
	576.00	Miscellaneous craft articles for Basic Schools	These were purchased locally as there was no rate contract.
	1,036.80	Gamlas ..	These were purchased locally after inviting tenders.
	1,250.00 2014.95	One typewriter Gestetnor ..	These were purchased from the approved sources.
1959-60 ..	2,674.82	Furniture equipment ..	These were purchased from the rate contracted firm.
	3,949.61	Library books ..	These were purchased from the publishers.
	4,192.82	Maps and charts ..	These were purchased after inviting tenders.
	2,641 .44	Science meterial ..	These were purchased from the approved firms.

District Inspector of Schools, Gurgaon

Name of the year	Amount	Article purchased	Manner in which the purchase was effected
	Rs. nP.		
1957-58 ..	2,200.00	Tats and Wall Clocks ..	The purchase was effected locally as no rate contract existed at that time.
1958-59 ..	11,471.35	Furniture equipment, science apparatus and library books, etc. ..	The furniture and equipment were purchased locally as the approved firms with whom the order was placed failed to supply the furniture. Science apparatus and library books were purchased through prescribed sources.
1959-60 ..	9,345.58	Ditto ..	All the articles were purchased from the prescribed sources.

TRANSFER OF CLERKS EMPLOYED IN EDUCATION DEPARTMENT IN DISTRICT GURGAON

*6039. **Shri Sumer Singh :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—

(a) the total number of clerks employed in the Education Department in district Gurgaon, who were transferred after 1st October, 1957 to date ;

(b) whether in any case, the transfers of any of them were cancelled or stayed by the Inspector of Schools or any other competent authority ; if so, in how many cases ;

(c) whether in any cases, orders of cancellation of transfers were not implemented ; if so, the reasons therefor ?

Shri Yash Pal (Deputy Minister) : (a) Twenty-one.

(b) Yes, in three cases only.

(c) No.

AUDIT REPORT OF THE WORKING OF PUNJAB CO-OPERATIVE UNION

*6029. **Pandit Ram Kishan Bharolian :** Will the Minister for Community Development be pleased to state with reference to the reply to starred question No. 3378 printed in the list of questions for 16th February, 1959, whether any discrepancies have been pointed out by the Auditors in the working of the Punjab Co-operative Union in its last audit report ; if so, the details thereof and the extent to which these have been removed ?

Sardar Gurbanta Singh : Yes. Some discrepancies have been pointed out. The time and labour involved in preparing audit report will not be commensurate with any possible benefit to be obtained.

BETTERMENT LEVY FROM GREY CANAL IRRIGATED AREAS IN FEROZEPORE DISTRICT

*6092. **Sardar Gurwaryam Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether any rules relating to the assessment of the betterment levy have been framed ; if so, a copy thereof be laid on the Table ;

(b) whether any Betterment Levy was taken from the areas covered by the Grey Canal System in Ferozepore District ; if so, the rates thereof per 'Ghumaon' for each irrigated crops.

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister) : (a) Yes. A copy of the rules is placed on the Table.

(b) Yes. The betterment charges are being realised from the areas of Grey Canals transferred to Sidhwan Branch, falling in Ferozepore District. The rates are given below :—

S. No.	Name of crop	Rate Per acre		Rate per Ghumaon	
		Nehri	Nehri Chahi	Nehri	Nehri Chahi
		Rs A. P.	Rs A. P.	Rs A. P.	Rs A. P.
1	Kharif, 1958 ..	5 0 0	2 8 0	4 2 8	2 1 4
2	Rabi, 1958-59 ..	5 0 0	2 8 0	4 2 8	2 1 4
3	Khrief, 1959 (collection postponed)				
4	Rabi, 1959-60 ..	1.25	0.63	1.04	0.52

GOVERNMENT OF THE PUNJAB STATE (INDIA)

PUNJAB PUBLIC WORKS DEPARTMENT IRRIGATION BRANCH

NOTIFICATION

The 12th February, 1955.

Rules issued under the "Punjab Betterment Charges and Acreage Rates Act, 1952"

No. 326/CA/1544/52.—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Punjab Betterment Charges and Acreage Rates Act, 1952, the Governor of Punjab is pleased to make the following rules to carry out the purposes of the aforesaid Act :—

RULES

1. *Short title.*—These rules may be called the Punjab Betterment Charges and Acreage Rates Rules, 1955.

2. *Definitions.*—In these Rules—

(a) " The Act" means the Punjab Betterment Charges and Acreage Rates Act, 1952 ;

(b) " Perennial Irrigation " means canal irrigation available throughout the year ;

(c) "Restricted Perennial Irrigation" means canal irrigation available throughout the year except during the months of July and August, ;

(d) "Kharif Irrigation" means canal irrigation available during the months of April to September, both inclusive.

(e) "Rabi Irrigation" means canal irrigation available during the months of October to March, both inclusive ;

(f) "Included lands" means land for which canal water has been provided in a duly sanctioned outlet under any irrigation scheme coming within the purview of this Act. Any area subsequently incorporated in the scheme shall also be considered to be "included lands". ;

(g) "Board" means the Board constituted under Rule 2A ; and

(h) "Chief Engineer" means Chief Engineer for the time being incharge of the scheme for the purpose of levy of betterment Charges ;

(i) "Outlet" the term used to designate the work which passes water from Government Channel to a water course ;

(j) "Assessee" means the persons liable to pay betterment charges and acreage rates under the Act" ;

"2A. *Constitution of the Board.*—(1) For the purpose of constituting the Board the Government shall call upon the Finacial Commissioner, Revenue, and the Chief Engineer, to make recommendations for appointment of members. On receipt of such a requisition, the Financial Commissioner, Revenue, shall recommend two names of officers of the rank of collector. A similar recommendation regarding two names of officers of the rank of Divisional Canal Officer shall be made by the Chief Engineer. After the recommendations have been received, the Government shall, out of the persons recommended, appoint a Collector and Divisional Canal Officer as members of the Board. Each member shall hold office till he continues to serve on the office by virtue of which he was appointed.

(2) A vacancy in the office of member shall be filled on the recommendations of the authority, which had recommended the officer vacating his seat, in the manner provided in sub-rule (1) .

(3) The Board shall hold its meeting at least twice a month and a period of more than two weeks shall not elapse between any two of its meetings. The Divisional Canal Officer who is a member of the Board shall convene the meetings and prepare the agenda therefor. Not less than five days notice shall be given for convening an ordinary meeting :

Provided that an extraordinary meeting may be held on the desire of any of the members of the Board and for holding such a meeting a notice of three days shall be sufficient.

(4) The Board shall discuss and decide all matters arising with regard to the appraisement of the enhancement in the value of lands included in an irrigtion scheme for the purpose of levy of betterment charges, as required under the Act and rules framed thereunder.

(5) Where there is a difference of opinion between the members of the Board on any point they shall record specifically their views on such point and submit the same to the Chief Engineer for consideration and orders. The Chief Engineer may, on receipt of such papers, give his decision on the point at issue and in such a case the decision of the Chief Engineer shall be deemed to be the decision of the Board. Before giving any final decision the Chief Engineer may, if he considers necessary, consult the Financial Commissioner, Revenue, also" ;

[Deputy Minister]

3. *Mode of Publication.*—Any proposal by Government to levy Betterment Charges on lands included in any irrigation scheme or any other matter requiring publicity under the Act, shall be published in the official Gazette and certified copies and translations thereof in Hindi, Gurmukhi or Urdu shall be pasted—

(a) at the offices of the Deputy Commissioner and the Divisional Canal Officer concerned ;

(b) at conspicuous places in the locality affected by the proposal, such as Tehsils and Thanas and villages and shall also be announced by beat of drum or oral proclamation or other customary methods in the villages affected.

4. *Method of appraisement of enhancement in value of land.*—(1) The entire area included in an irrigation scheme shall be divided by the Board into blocks or assessment circles so as to have more or less uniform physical characteristics or soil in each block or circle as per classification in the last settlement, taking note of any changes which may have affected the productivity of the soil or the area concerned.

(2) The Board shall work out for each class of land in an assessment circle an estimate of net assets in cash as defined in clause (18) of section 3 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Act XVII of 1887)—

(a) for the date prior to the commencement of the scheme as fixed by Government by notification under section 5 of the Act ; and

(b) for the date after such commencement as the Government shall fix by notification under section 5 of the Act, subject to the following :—

(i) The rates to be adopted for various commodities of produce of land, labour and any other expenses, shall be those prevalent in the year of that date.

(ii) For the purposes of calculating the net assets both for pre-scheme and post-scheme dates, the share that would be retainable by a tenant if the lands were let to a non-occupancy tenant paying rent, whether in kind or cash, shall be two-third of the produce.

(iii) The yield to be assumed for calculating the net assets on both pre-scheme and post scheme dates shall be as fixed in the last Settlement Report for soils of similar classification. Where the yield for any particular crop or regarding any particular kind of irrigation or class of soil is not available in the last Settlement Report for the assessment circle concerned in the irrigation Scheme, the yield may be taken as fixed in the last Settlement Report for the assessment circle situated in similar climatic region and receiving similar quantum of irrigation supplies, corrected, where necessary, by general observations regarding the quality of soil and local enquiry ;

(3) Value of the land of land-owner or an occupancy tenant will be taken as 30 times his net assets.

(4) The Betterment Charges shall be calculated with reference to classes of lands recorded in the last settlement and as modified in the latest Revenue Record available, and also with reference to different types of irrigation facilities provided for any particular types of land.

5. ***Publication of draft schedule of betterment charges.***—A draft of the schedule of Betterment Charges prepared under section 4 (1) shall be published in the official Gazette and in the manner provided in Rule 3. This Schedule will include information regarding rates per acre payable as Betterment Charges for each class of land—

(a) when paid in lump sum ;

(b) when paid by instalments ;

(c) maximum number of instalments allowed for payment.

6. *Disposal of objections to schedule of Betterment Charges.*—Any aggrieved land-owner or occupancy tenant may present a petition in writing to Government through the Board within sixty days of publication of draft Schedule in Official Gazette or from the date of its publication in the village, whichever is later, stating his objections to the levy of Betterment Charges or the rate thereof. The Board shall consider the objections and submit their report thereon to the Government.

7. *Publication of Final Schedule of Betterment Charges.*—After considering the report of the Board and after further enquiry, if any, the Government shall determine the final schedule of Betterment Charges and publish the same in the manner laid down for publication of the draft Schedule in rule 3 above.

8. *Procedure for altering rates of Betterment Charges when improvement is made on Irrigation scheme already subject to levy of Betterment Charges.*—If lift irrigation arrangements in regard to any land, are converted into gravity flow irrigation, the full Betterment Charges will be leviable from the assessees who may be required to pay the higher rate of Betterment Charges from the date the said conversion is effected, the number of instalments for payments remaining the same.

9. *Procedure for working out acreage rates.*—The acreage rate shall be worked out by the Divisional Canal Officer on the basis of the estimated cost of one or more works or measures mentioned in section 6 (1) of the Act after consulting, where necessary, the Revenue or Colonization Officer concerned. The Divisional Canal Officer will then submit his proposals to the Chief Engineer.

10. *Publication of Schedule for acreage Rates.*—The procedure for publication of the Draft Schedule of Acreage Rates and for receipt and disposal of objections of persons, by whom they are payable, and for publication of final schedule will be the same as that for Betterment Charges under these Rules.

11. *No objection to be entertained to various schedules on the change of ownership after the expiry of dates for receiving objections.*—No transfer of ownership after the period of limitation prescribed for objection to draft schedules for betterment Charges or acreage rates or on any day after the publication of the final Schedules shall give any right to the transferee for making fresh objection.

11-A. *Procedure for realising advance payment of Betterment Charges.*—(1) When the rate of advance payment of Betterment Charges is notified by the State Government under sub-section (1) of section 5-A of the Act, the Canal Officer shall prepare a demand statement in respect thereof in the form prescribed for the charging of occupier's rate containing full particulars of the amount of advance payment of Betterment Charges which every person is liable to pay under the Act and cause a notice to be served upon him.

(2) As soon as the demand statement referred to in sub-rule (1) is completed in respect of a village, the provisions of rules 12,13,14 (a) , 14 (c), 15, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33 (B) and 34 shall, as for as may be, apply to the realization of the advance payment of Betterment Charges in the same manner as they apply to the realisation of Betterment Charges under the Act.

(3) Receipts shall invariably be given by the Lambardar or other persons making the collection to each assessee for making advance payment of Betterment Charges.

(4) An account of each land-owner shall be maintained in the Divisional Canal Office showing the recoveries of advance payment of Betterment Charges.

11-B. *Procedure for realising advance payment in lump sum of Betterment Charges.*—(1) After the rate of advance payment in lump sum of Betterment Charges has been notified under sub-section (1) of section 9A of the Act, the Canal Officer shall publish a notice in the affected villages that any land-owner who chooses to make an advance payment in lump sum of Betterment Charges, may send an intimation to him of his choice to do so, at any time, through an application in writing. On receipt of such an intimation, the Canal Officer shall proceed to take further action as provided in sub-rule (1) of rule 11-A with respect to the preparation of demand statement and service of notice ;

Provided that where a land-owner has already paid any amount under section 5-A of the Act,the advance payment in lump sum of Betterment Charges payable under section 9-A of the Act, shall be reduced to that extent.

[Deputy Minister]

(2) The provisions of sub-rules (2), (3) and (4) of rule 11-A shall, as far as may be, apply to advance payment in lump sum of Betterment Charges.

12. *Distribution of notices of demand.*—As soon as the Demand Statement in respect of Betterment Charges or Acreage rates for any village are completed under section 8 (1) of the Act, the Divisional Canal Officer shall forward the notices of Demand meant for assessees to the Canal Patwari, who will deliver them to the Lambardar concerned within five days of their receipt by him. The Lambardar will serve them among assessees, or in case of their absence, to their recognized agents or an adult male member of the family of an assessee within 7 days of receipt of these notices of demand from Patwari. The acknowledgements of assessees or their agents or adult member of the family for notices of demand shall be submittted by lambardars to Divisional Canal Officer by registered post or through the Canal Ziladars concerned within 10 days of their receipt from the Canal Patwari.

13. *Submission of demand statement to Tehsils.*—One copy of notices of demand consolidated in the form of demand statement for each village shall be sent to the Tehsil concerned on the same dates as are fixed by the Financial Commissioner for despatch of Demand Statements for Occupier's Rates by Divisional Canal Officer for each crop.

14. *Objections by assessees to demand and their disposal.*—(a) Any landowner or occupancy tenant may present his objections against the demand to the Divisional Canal Officer or the Deputy Collector concerned within thirty days of the date of service of the notices of demand or where the notices of demand were not duly served when he has knowledge of the demand against him.

(b) The orders of the Divisional Canal Officer or the Deputy Collector, as the case may be, on such objection will be appealable to the Commissioner of the Division concerned within 30 days of the date of such orders.

(c) No objection to the demand at the time of collection of Betterment Charges or acreage rates shall be entertained and their collection shall not be suspended.

15. *Procedure of recoveries.*—Any amount due from an assessee, undera notice of demand for Betterment Charges or acreage rates, shall be paid to the Lambardar concerned within 30 days of the receipt of the notice.

16. *Option of assessee for mode of payment.*—On publication of the final Schedules of Betterment Charges under section 4 (5) and of acreage rates under section 6 (4) of the Act, the Divisional Canal Officer shall publish a notice in the village affected thereby, that the land-owner or occupancy tenant should intimate to him through an application, in writing, within 30 days of the notice, his option with regarding to manner of payment by him. The notice will state that the option is to be exercised between—

(a) one lump sum payment ;

(b) by half-yearly instalments spread over a number of years as decided by Government, maximum number of instalments not exceeding 30.

(c) offering a part of his land in lieu of full or part payment of Betterment Charges due from him.

If no intimation is received by the Divisional Canal Officer from any landowner or occupancy tenant within the prescribed period, the recoveries will be made from him in instalments.

17. *Assessee can alter his option subsequently.*—The landowner or occupancy tenant will have the option, after payment of the first or any subsequent instalment, to pay the balance in one lump sum according to the amount outstanding against him less interest charges included in the balance for payment by instalments.

18. *Rate of interest on instalments.*—In computing the amount of each instalment, simple interest at 4½ per cent per annum shall be taken into account. Similarly, 4½ per cent simple interest will be charged on all sums not paid on the due date.

19. *Conditions for surrender of land in lieu of Betterment Charges.*—Surrender of land by any assessee in lieu of full or part payment of Betterment Charges shall be accepted only if :—

(a) the area to be surrendered is free from all encumberances, and is not in cultivating possession of a tenant or tenants ;

(b) it does not reduce the holding of the assessee to less than thirty standard acres or fifty ordinary acres whichever is less ; and

(c) the area to be surrendered is in a compact block of not less than 10 ordinary acres.

20. *Evaluation of land offered for surrender in lieu of Betterment Charges.*—Where land in lieu of betterment charges has been accepted by the Divisional Canal Officer, after due investigation, he will evaluate the area surrendered at such rates as may have been fixed by the Board for such class of land with reference to the date subsequent to the commencement of the irrigation scheme fixed under section 5(1). The decision of the Divisional Canal Officer shall be subject to the final approval of the Superintending Canal Officer.

21. *Disposal of land Surrendered.*—The land accepted in lieu of betterment charges shall be disposed of in such manner as Government may think fit, and the proceeds thereof shall be credited to the irrigation scheme concerned.

22. *Apportionment of dues between owners and occupancy tenants.*—The apportionment of betterment charges and acreage rates between landowner and occupancy tenants will be carried out by the Divisional Canal Officer or the Deputy Collector or other Revenue officer of the District concerned, in accordance with their rights as entered in the Revenue Records.

23. *Apportionment of dues among joint ownership.*—If any land on which betterment charges are levied, is owned by more than one person, or is in possession of more than one occupancy tenant, the Divisional Canal Officer or the Deputy Collector or other Revenue Officer, on receipt of an application from any one of the owners will apportion betterment charges amongst all owners or occupancy tenants according to their shares in the said land or tenancy as given in Revenue records. But nothing contained herein shall effect joint and several liability to pay full amount of betterment charges.

24. *Rules Regulating the service of summons and notices etc.*—Except as otherwise provided in these Rules, every summons, notice, order and requisition which, under the Act, or the Rules made thereunder, is required to be served on, or issued, delivered or communicated to any person, shall be so served, issued, delivered, or communicated, as the case may be, as hereinafter provided :—

(1) Every such summons, notice, order or requisition shall be drawn up in writing and dated and signed by the officer having authority to issue or make the same under his seal.

(2) Every summons, notice, order or requisition, which is required to be served on or delivered or communicated to any person shall, whenever possible, be so served delivered or communicated—

(a) personally on or to the person to whom it is addressed, or failing him ;
(b) on or to his recognised agent, or failing such agent ;
(c) on an adult male member of his family usually residing with him.

(3) If service, delivery or communication cannot be so made or effected, or if acceptance is refused the summons, notice, order or requisition may be served, delivered or communicated by posting a copy thereof at the usual or last known place of residence of the person to whom it is addressed, or to be communicated, or if that person does not reside in that district, then in such manner as the officer authorised to issue or make the same may direct.

(4) If the summons, notice, order or requisition relates to a case in which persons having the same interest are so numerous that personal service on each one of them is not reasonably practicable it may be served, delivered or communicated by delivery of a copy thereof to such of those persons as the officer authorised to issue or make the same, specially nominates in this behalf, and by proclamation to be made by beat of drum or other customary method of the contents thereof for the information of the other persons interested.

[Deputy Minister]

(5) A summons, notice, order or requisition may be served on, or delivered, or communicated to the person named therein, either in addition to, or in substitution of, any other mode of service by forwarding the summons, notice, order or requisition by post, in a registered letter addressed to that person.

(6) when a summons, notice, order or requisition is so forwarded in a letter and it is provided that the letter was properly addressed and duly posted and registered the officer authorised to issue or make the same may presume that the summons was served at the time when the letter would have been delivered in the course of post.

(7) In every case in which service of any process is not effected personally, the officer authorised to issue the same shall satisfy himself, by examining the process server or otherwise, that such service has been duly effected in the manner required by these rules.

25. *Quasi permanent Allotment of evacuee lands.*—In case of evacuee lands, demands for betterment charges and acreage rates shall be presented to the Custodian of Evacuee Property.

26. *Exemption not permitted.*—Where a land-owner or occupancy tenant fails to irrigate during any crop, himself or through his tenant, a part or whole of his area included in the irrigation scheme, no exemption will be granted in respect of betterment charges or acreage rates payable in respect of such unirrigated areas.

27. *Acceptability of Civil records as evidence.*—Every entry recorded in the Revenue Records shall be relevant as evidence in any dispute as to the matters relating to the assessment of Betterment charges and acreage rates shall be presumed to be true until the contrary is proved or a new entry is substituted therefor in accordance with the procedure prescribed by law.

28. *Method of dealing with alteration in demand.*—If, after delivery of the demand slips to the assessees, any addition is made to the demand, or any suspension is allowed under the Act or rules thereunder, such addition or suspension shall be communicated to the owner or occupancy tenant, as the case may be, by means of supplementary demand slips. Demands shall be shown in black ink, and suspension in red ink. All such alterations are made before the despatch of the Demand Statements to the Tehsil concerned under rule 13 supra shall be included in that document and shall also be written on slips similarly printed and attached to the Demand Statement. Alterations made after the despatch of the Demand Statement shall be intimated to the Tehsil concerned in a supplementary consolidated statement after 60 days. Any addition or suspension allowed thereafter shall be similarly incorporated in the Demand Statement for the succeeding harvest. Due intimation will be given about additions and suspension to assessees concerned by issue of supplementary demand slips in the manner prescribed in Rule 12.

29. *Minimum amounts for Additions and remission.*—No additional demand shall be prepared and no suspension shall be granted where the amount for any individual demand amounts to Re. one or less for acreage rates, or for betterment charges.

30. *Demand for betterment charges and acreage rates not to lapse.*—The dues on account of betterment charges or acreage rates shall not laspe on account of their not having been demended within a certain period.

31. *Irrecoverable balances.*—When balances are found to be irrecoverable owing to want of assets the deafaulter absconding, or any other cause, they shall be reported to the Collector of the District, who if, he sees fit, will forward such case/cases, to the Commissioner for action under the Punjab land Revenue Act, as amended by Punjab Act, XLV of 1953.

32. *Lambardars to issue receipts for collection.*—Receipts shall invariably be given by the Lambardar of other person making the collection to each assessee on payment of betterment charges or acreage rates on a prescribed printed form.

33. (a) *Unit of area for Calculation of Betterment charges.*—For purposes of calculating acreage rates, fraction of less than half acre shall be ignored and areas of more than half and less that one acre shall be counted as one acre.

(b) For calculating the betterment charges, the exact area shall be the basis of charge.

34. *Demand statement to be accessible to assessees.*—The Canal Patwari shall be responsible for ensuring that the village copy of the Demand Statement is at all times accessible to any person who is liable to pay betterment charges or acreage rates.

MISCELLANEOUS

35. *Condition of period of limitation in certain cases.*—An appeal may be admitted after the period prescribed up to 6 months when the appellant satisfies the appellate authority that he had sufficient cause for not presenting the appeal within such period.

If the period prescribed expires on a day when the office of the appellate authority is closed, the appeal may be presented on the day the office re-opens.

36. *Calculation of period.*—The period prescribed shall be calculated from the date of decision or order appealed from, and, in computing such period, the day when the decision or order was made, and the time spent on obtaining a copy of the decision or order appealed against shall be excluded.

37. *Form of appeal.*—The application for admission of an appeal shall be stamped in accordance with the law in force relating to Court Fees, and shall be accompanied by a copy of the decision or order appealed against, and shall state concisely the grounds upon which the appeal is preferred.

38. *When appeal may be summarily rejected.*—The appeal may be rejected if, upon a perusal of the grounds of appeal and the copy of the decision or order appealed against, it appears to the appellate authority unnecessary to call for the proceedings.

39. *Procedure on Admission of appeal.*—If the application be granted, an entry thereof shall be made in a register of appeals numbered consecutively, and a day shall be fixed for the hearing of the appeal.

40. *Notice of Hearing to be given.*—Unless the appeal is rejected under rule 38 notice of the date and place fixed for hearing of the appeal shall be given to the appellant in such manner as the appellate authority may direct, and to every other party to the case whose interest is opposed to that of the appellant in the manner hereinafter prescribed.

41. *Contents of notice.*—A written notice containing the title of the appellate authority, the names of the parties, the date and place fixed for the hearing of the appeal, and such other particulars as the appellate authority may, by general or special order, direct shall be issued in duplicate under the hand and seal of this authority.

42. *Mode of Service.*—All notices and processes issued in connection with appeals shall be served in the manner prescribed for the service of summons and notices generally.

43. *Acknowledgment of personal service.*—When personal service is effected, the addressee shall be required to acknowledge the service by affixing his signature, seal or mark on the back of the duplicate copy to be retained by the serving officer.

44. *Memorandum by serving officer.*—The Serving Officer shall, in every case, endorse on the duplicate copy a memo, signed by him, of the date and mode of service and return each copy to the authority which issued it.

45. *Hearing may be postponed or adjourned.*—The hearing of an appeal may be postponed or adjourned, from time to time, as the appellate authority may see fit, by written order, to direct, to any subsequent date, and notice of such date shall be given to the parties in such manner as the authority may direct.

[Deputy Minister]

46. *Court to be satisfied before hearing that notice has been received by parties.* Except in cases falling under Rule 38 the appellate authority shall not proceed to the hearing of an appeal unless and until it is satisfied that notice of the date and place fixed for such hearing has been received by the parties concerned in sufficient time to permit them to appear or to be represented at such hearing, provided that the appellate authority may presume that notice has been received when a written notice has been served in any of the ways described in these rules ; provided also that an appeal may be heard and decided, notwithstanding the absence of any party who in spite of due service of the notice does not appear on the day for hearing the appeal.

47. *Procedure for hearing and disposing of Appeals.*—(a) *what parties present.* The appellate authority before passing order or decision on the appeal, shall record in writting which (if any) of the parties to the appeal are present, in person or by representative, at the hearing thereof.

(b) *Further enquiry by appellate court.*—The appellate authority, if it thinks further enquiry necessary, may conduct such enquiry itself.

(c) *The decision or order of Court.*—When the hearing of the appeal is concluded, decision or order of the appellate authority shall, when practicable be pronounced forthwith and shall be recorded in writing and be signed by the appellate authority and the substance thereof shall be explained to such of the parties, or their representative, as are present when the decision or order is pronounced or given.

(d) *Translation thereof.*—Every decision or order recorded in English shall be translated into Hindi or the current language of the locality, and translation shall be authenticated by the signature of the appellate authority and files with the proceedings.

48. *Copy thereof to be sent to Subordinate Officer.*—A copy of the decision or order shall be transmitted by the appellate authority to the officer from whose decision or order the appeal was preferred.

49. *Copies to be granted to parties.*—A copy of the decision or order of the appellate authority, in English, Hindi or Punjabi, shall be granted to any person concerned or interested therein, who shall apply for the same, upon payment of the proper court fees and copying charges.

50. *Re-hearing in certain events.*—In any case in which an order on appeal is passed *ex-parte* against a person, he may apply to the appellate authority, by which the order was passed for an order to set it aside and if he satisfies the authority that the summons or notice was not duly served, or that he was prevented by any sufficient cause from appearing when the appeal was called for hearing, the authority shall make an order setting aside the order as against him, upon such terms as it think fit, and shall appoint a day for proceeding with the appeal.

Sd/ S.L. MALHOTRA,
Secretary to Government, Punjab,
P.W.D. Irrigation Branch.

श्री बल राम दास टण्डन : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि कोई ऐसा इलाका है जिस के लोगों ने यह कहा है कि वह water-logged area है और उन्हें पानी न दिया जाए ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : इसके लिए आप अलग notice दें ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ: ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਧਵਾਂ canal area ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਕੀ ਇਹ ਦਸ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਸਿਧਵਾਂ canal area ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

Mr. Speaker: Please tell me how this supplementary is connected with the main question.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ: ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਕ ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੈ...........।

Mr. Speaker : The hon. Member should be more considerate in asking supplementary questions.

ADVERTISEMENT BOARDS IN GOVERNMENT BUSES

***6150. Shri Nihal Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the total amount received by Government during 1958-59 and 1959-60 from various wine and liquor concerns in the State for affixing their advertisement boards in Government buses with a view to encouraging and popularising their products ?

Rao Birendar Singh : Nil.

श्री निहाल सिंह : वज़ीर साहिब ने इस सवाल का जवाब दिया है "Nil" तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो Government Buses में advertisement Board लगाए गए हैं वह मुफत में ही हैं ? क्या उन मे पैसे नहीं लिए जाते या in kind कुछ लिया जाता है ? (हंसी)

मंत्री : बात इस तरह है कि contractor को ठेका दिया जाता है और wine merchants से पैसे सरकार नहीं लेती, contractor लेता है ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ contractor ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ?

मन्त्री : साल साल में ठेके की रकम में फर्क होता है ।

Mr. Speaker : There are no restrictions on the classifications of advertisements so far as they are settled with the contractor.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ contractor ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ stage ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ advertisement ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ?

Mr. Speaker : This is not relevant please.

श्री बलराम दास टण्डन : Wine के बारे में जो advertisements Government Buses में लगी हुई हैं इन्हें खतम करने की क्या कोई तजवीज़ सरकार के ज़ेरे गौर है ?

श्री अध्यक्ष : जब आप ने इस काम के लिए ठेका दिया हुआ है तो आप इन्हें क्यों रोकते हैं ? (When a contract for advertisement has been given by the Government, why does the hon. Member want to stop it ?)

श्री बलराम दास टण्डन : जनाब, नशेबन्दी का एक Phazed programme इस सरकार का है। क्या इस तरह की advertisements उसे आगे बढ़ाने या पीछे हटाने के लिए हैं ?

Mr. Speaker : This is not relevant.

श्री निहाल सिंह : जनाब, एक तरफ तो prohibition की policy है और दूसरी तरफ इस तरह की advertisements से wine के use को encourage किया जा रहा है तो सरकार इन दोनों हालतों को reconcile किस तरह करती है ?

मन्त्री : यह कहना तो गलत है कि सरकार wine के use को encourage करती है ?

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਬਸਾਂ ਵਿਚ wine ਦੀ advertisement ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ approve ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ?

Mr. Speaker : The hon. Minister has already stated that no restrictions have been imposed.

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : Sir, my question is whether the Government has approved this policy of advertisements about wine in the State Buses.

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री: Government ने ऐसी कोई policy approve नहीं की हुई लेकिन contract देते वक्त ऐसी कोई restriction नहीं लगाई गई क्योंकि restriction लगाने से revenue कम हो जाने का डर होता है। अगर restriction लगाई जाए तो lease money थोड़ा आएगा।

PROVIDING ELECTRIC CONNECTIONS TO INDUSTRIAL CONCERNS AT LUDHIANA

***6140. Sardar Ramdayal Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether any applications of industrial concerns of Ludhiana Industrial Area for electric connections are pending with the Government for electric connection ; if so, their number ;

(b) the number of applications mentioned in part (a) above which are pending since more than a year ;

(c) whether Government have any proposal under their consideration for setting up Thermal Plants in the Industrial Area of Ludhiana ; if so, when ?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister) : (a) Yes, 199 applications are pending with the Punjab State Electricity Board.

(b) Eighty six.

(c) There is no proposal at the present for putting up a Thermal Plant at Ludhiana.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ

10.00 a.m.

Thermal plant ਲਾਉਣ ਦਾ plan ਨਹੀਂ; ਕੀ ਉਹ ਦਸਣਗੇ ਕਿ industrialists ਦੀਆਂ ਜੋ applications pending ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ demand ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ ?

उप-मन्त्री : जैसे जैसे supply available होगी इन की applications consider की जाएंगी ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ Government concerns ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ supply ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ private concerns ਦੀਆਂ applications pending ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ?

उप-मन्त्री : गवर्नमैंट के पास कोई ऐसी शिकायत नहीं पहुंची ।

ELECTRIFICATION OF VILLAGES IN THE STATE

***6185. Chaudhri Devi Lal :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the number of villages electrified up to 31st December, 1959, in each district of the State ;

(b) the number of villages proposed to be electrified during the current year and the next year separately in each district ;

(c) the number of villages proposed to be electrified during the Third Five Year Plan in each district ?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister) : (a) The statistics regarding rural electrification are maintained for the financial years and not for the calender years. The total number of villages electrified up to March, 1960 is 1983. District-wise statement is placed on the table of the House.

(b) and (c) The number of villages to be electrified in each district during the current year 1960-61 is given in the statement referred to in the reply to part (a).

The programme of electrification for the 3rd Five-Year Plan (including the year 1961-62) provides for electrification of about 3,000 villages. The district-wise allocation of the same has not so far been decided.

[Shri Dalbir Singh]

Statement showing the number of villages electrified up to end of 1959-60 *and to be electrified during the year* 1960-61 *in each District*

Serial No.	Name of District	No. of villages electrified up to 1959-60	No. of villages to be electrified during the year i.e., 1960-61
1	Ambala	133	28
2	Karnal	122	29
3	Rohtak	111	40
4	Mohindergarh	10	2
5	Hissar	79	40
6	Gurgaon	89	50
7	Simla	7	10
8	Patiala	48	47
9	Sangrur	69	33
10	Ludhiana	147	51
11	Kangra	56	80
12	Gurdaspur	320	47
13	Amritsar	347	46
14	Jullundur	101	15
15	Ferozepore	82	54
16	Hoshiarpur	192	17
17	Kapurthala	49	8
18	Bhatinda	21	10
	Total ..	1,983	630

चौधरी देवी लाल : क्या सरकार हिसार और करनाल जिलों को, जहां से वह ज़्यादा betterment levy वसूल करती है, ज़्यादा बिजली देने को तैयार है ?

उप-मंत्री : Conditions को देख कर प्रोग्राम बनाया जाता है और ऐसे projects बनाते वक्त सारे ज़िलों का ख्याल रखा जाता है ।

चौधरी देवी लाल : क्या सरकार की ऐसी पालिसी नहीं कि betterment levy करनाल और हिसार से ज्यादा वसूल की जाए और बिजली अमृतसर और गुरदासपुर को दी जाए?

Mr. Speaker : Disllowed.

श्री राम प्यारा : क्या डिप्टी मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि इस की क्या वजह है कि रोहतक, करनाल और हिसार ज़िलों में थोड़े villages electrify हुए हैं और इस के मुकाबले में जो villages ज़िला गुरदासपुर और अमृतसर में electrify हुई हैं उन की तादाद बहुत ज्यादा है ?

श्री अध्यक्ष : ज़िला अमृतसर और गुरदासपुर में बड़े २ आदमी हैं (हंसी) । (There are influential persons in Amritsar and Gurdaspur districts.) (*laughter*)

श्री राम प्यारा : क्या गवर्नमेंट ने कोई इस बारे में criterion मुकर्रर किया है कि हर ज़िला में गांव की गिनती के लिहाज़ से electrification की जाए ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : Project बनाते वक्त हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है । यह देखा जाता है कि ज़िला कितना बड़ा है, गांव की आबादी कितनी है और project कितनी productive साबित होगी ।

श्री राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब यह बतलायेंगे कि बिजली देनें के लिए क्या criteria रखा जायेगा ?

मंत्री : इस बात के लिये बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है जो मैं इस वक्त off hand नहीं बता सकता । मगर इतना ज़रूर कहूंगा कि इस बात का ज़रूर ख्याल रखा जाता है कि बिजली देने के बाद हमें क्या return मिलेगी, population क्या है ।

श्री राम प्यारा : मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिन की applications अभी तक pending पड़ी हुई हैं और जिन को अभी तक consider भी नहीं किया गया इन को कब energise किया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : आपकी बात का तो जवाब आ चुका है । (Reply has been already given to the question of the hon. member)

श्री देव राज आनन्द : मैं, जनाब, यह कहना चाहताहूं कि सिरसा Sub-Division का रकबा लुधियाने से $1\frac{1}{2}$ गुना है । इस के साथ ही मैं यह पूछना चाहता हूं कि गुड़गांव और अमृतसर की आबादी क्या है और जालंधर की क्या है ?

श्री अध्यक्ष : यह supplementary नहीं है । (This is no supplementary question.)

श्री देवराज आनन्द : स्पीकर साहिब, Minister साहिब ने बताया है कि गांव की population और उस का area देख कर उस को electrify किया जाता है । इस लिए मैं population पूछ रहा हूं ।

मन्त्री : इस population के मुआमला के मुताल्लिक मैं यहां पर कुछ अर्ज नहीं कर सकता । मेरे कौनसी census की figures याद हैं । hon. member तो किसी खास हलका की आबादी पूछना चाहते हैं, speaker साहिब ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਉੱਥੇ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਥੇਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ backward areas ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ? ਕੀ ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਉਥੇ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ?

मन्त्री : नहीं, चौधरी साहिब, Backward areas का भी ख्याल रखा जाता है ।

श्री निहाल सिंह : मैं जनाब, यह पूछना चाहता हूं कि Third Five-Year Plan में 3,000 गांव को बिजली दी जानी है, क्या बिजली देने के लिए कोई set rules या principles हैं ?

मन्त्री : यह बिजली उन गांव को पहले दी जायेगी जहां से कि main line जाती है। इस के बाद distributing lines निकाल कर बिजली दी जायेगी। पहले हम यह कोशिश करेंगे कि बिजली उन को दी जाये जो main lines पर हैं।

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, electric projects ਬਣਾਉਣ ਵਕਤ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ Agricultural ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ?

मन्त्री : जी हां; agricultural purposes के इस्तेमाल के लिए बिजली देने का खास ख्याल रखा जायेगा।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਕੰਡੀ area Backward ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ supply ਨਹੀਂ ਹੋਈ ।

Mr. Speaker : No please, this is not relevant.

डा० परमानन्द : मैं यह पूछना चाहता हूं, जैसा कि वज़ीर साहिब ने फरमाया है कि जो main line पर बड़े गांव होंगे उन को बिजली दी जायेगी अगर रास्ता में, जैसे कि 6 मील के फासला पर कोई बड़ा गांव है और दरम्यान में अगर छोटे गांव आते हैं तो क्या उन का भी ख्याल रखा जायेगा ?

मंत्री : जी हां, उन का ज़रूर ख्याल रखा जायेगा।

श्री राम प्यारा : जो statement दी गई है; उसमें बताया गया है कि सन् 1958-59 और 1959-60 में जिन जिलों के बहुत से गांव electrify हो चुके हैं; अगले सालों में भी उन्हीं ज़िलों को ज़्यादा बिजली दी गई है। इसकी क्या वजह है ?

मन्त्री : बहुत सी वजूहात हैं। बहुत से जिले ऐसे हैं जहां पहले ही development काफी हुई है। जैसे अमृतसर और गुरदासपुर के जिले main lines से लगे हुए हैं। वहां जोगिन्द्र नगर से पहले ही बिजली मिल रही है। वहां गांव कुदरती तौर पर ज़्यादा गिनती में electrify होंगे। जो इलाके backward हैं और जहां अभी main lines नहीं पहुँची वहां main lines लगाने का काम चल रहा है। जब main lines का काम पूरा हो जाएगा तब distribution का काम शुरू होगा।

डा० परमानन्द : वजीर साहिब ने फरमाया है कि जो इलाके पहले ही ज़्यादा developed थे उनको बिजली की ज़्यादा supply दी गई है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह गवर्नमेंट की policy है कि जिन ज़िलों में पहले ही ज्यादा बिजली supply होती हो उन्हीं को ज़्यादा बिजली दी जाय ?

मंत्री : इसका जवाब मैंने पहले ही दे दिया है कि वहां main lines बन रही हैं और उन की completion के बाद बिजली की supply का काम शुरू होगा।

श्री राम प्यारा : क्या यह अमरे वाक्या नहीं कि जैसे main lines गुरदासपुर और अमृतसर में से जा रही हैं, वैसे ही main lines जिला करनाल के गांव में से गुज़रती हैं? क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि जो सलूक बिजली की supply की बाबत गुरदासपुर और अमृतसर के ज़िलों के साथ किया जा रहा है वैसा ही सलूक करनाल के ज़िले से भी किया जा रहा है ? (*interruptions*)

चौधरी धर्म सिंह राठी : क्या वजीर साहिब बतायेंगे कि इसकी क्या वजह है कि कैथल से पटियाला के कुछ गांव को बिजली दी गई है लेकिन करनाल को बिल्कुल छोड़ दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष : यह सवाल कैसे पैदा होता है इससे ? (How does this supplementary arise out of the main question ?)

चौधरी धर्म सिंह राठी : यह ऐसे पैदा होता है कि जो villages की तादाद दी गई है वह पटियाला की है । यह बिजली कैथल से दी गई है और करनाल के सात गावों को छोड़ दिया है ।

श्री अध्यक्ष : आप तो माश के दाने को भैंस कहने वाले हैं । (*interruptions*) (The hon. Member is a person who makes a mountain of a molehill.) (*interruptions*)

चौधरी देवी लाल : मिनिस्टर साहिब ने कह दिया है कि census की report से पता लगा लो । जिस हिसाब से villages को electrify किया गया है उसके मुताबिक अमृतसर और गुरदासपुर के 666 गांव हैं और हिसार के 79 मैं पूछता हूं कि आया यह गवर्नमेंट की policy तो नहीं है कि Betterment Levy तो हिसार और करनाल वालों से वसूल करो और electrify पंजाबी रिजन के villages को किया जाय ?

मन्त्री : गवर्नमेंट की यह policy नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : हर बात में यहां हिन्दी और पंजाबी रिजन का सवाल पैदा किया जाता है । क्या ही अच्छा हो कि मिनिस्टर साहिबान इन मैम्बरान की कोई meeting बुलाकर इनको सभी बातें समझा दें कि अलग २ district-wise क्या position है । वह समझते हैं कि कहीं कुछ हो रहा है । ऐसी बातें House में नहीं होनी चाहिएं । (Here, in every matter the question of Hindi and Punjabi regions is raised. It would be better if the Ministers call a meeting of these M.L.A.s and explain to them the district-wise allocation in respect of various items. They think that there is something wrong somewhere. Such things should not be mentioned in the House).

चौधरी देवी लाल : उन्होंने फरमाया है कि गवर्नमेंट की ऐसी policy नहीं है । मैं पूछता हूँ कि जब Power Minister काफी देर से हिन्दी रिजन के ही चले आ रहे हैं तो क्या वजह है कि इस सिलसिले में भी हमारे areas को ignore किया गया है ।

श्री अध्यक्ष : यह तो आप की अपनी कमज़ोरी है । (This is hon. member's own weakness.)

SHORTAGE OF ELECTRICAL ENERGY IN AMRITSAR CITY AND DISTRICT

*6195. **Shri Balram Dass Tandon :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether he is aware of the fact that there is a shortage of electricity both in Amritsar Town and district; if so, the extra energy required to meet this shortage and the steps Government intend taking in this behalf ?

Chaudhri Dalbir Singh (Deputy Minister) : Yes, there is a general shortage of Power in this State and Amritsar District is no exception. Amritsar city would require about 10,000 k.V.A. to meet the shortage. Similar information in respect of the other areas of the district is not available. This shortage is expected to be over after commissioning of the Bhakra Power-house and additional units at Ganguwal and Kotla.

श्री बलराम दास टण्डन : क्या वहां पर Thermal plant लगाने की कोई scheme पंजाब सरकार के ज़ेरे गौर है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : इस का जवाब पहले सवाल के जवाब में दिया जा चुका है ।

श्री बलराम दास टण्डन : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि यह बिजली की shortage कब तक पूरी हो जाएगी ?

मंत्री : Next year के middle तक बिजली की कमी पूरी हो जाएगी ।

श्री बलराम दास टण्डन : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि जो बिजली Pakistan को दी जा रही है वह बन्द कर के पंजाब की electricity की demand को पूरा किया जाएगा ।

मन्त्री : इस के लिए आप अलहदा notice दें तो मैं बता सकूंगा ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ shortage ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ?

मंत्री : ऐसा नहीं हो सकता, जी ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ allocation ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ Centre ਦਾ ਵੀ ਹਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?

मंत्री : उस में Centre का भी हाथ होता है । इस के इलावा जो बड़े बड़े projects बनते हैं, जैसे भाखड़ा project है, इन में दूसरी States का भी हिस्सा होता है और उन के साथ बाकायदा agreement होता है कि आप को इतना share दिया जाएगा ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ allocation ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ?

मंत्री: नहीं जी, वह तबदील नहीं हो सकती ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਢੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ tube-wells ਲਾਏ ਹਨ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ pumping sets ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ?

Mr. Speaker: This supplementary question does not arise.

POLYTECHNIC AT HAMIRPUR, DISTRICT KANGRA

*5922. **Shri Rup Singh Phul M.L.A:** Will the Minister for Public Works be pleased to state with reference to the reply to starred Question No. 4937 printed in the list of Questions for 2nd March, 1960, whether the location of a Polytechnic at Hamirpur in Kangra District has since been approved by the Central Government, if so, the progress so far made in this connection ?

Sardar Niranjan Singh Talib (Deputy Minister) : The Government of Punjab have accepted the suggestion of the Minister for Scientific Research and Cultural Affairs to locate a State Sponsored Polytechnic at Hamirpur in Kangra District. The Minister for Scientific Research and Cultural Affairs has offered his support for getting this scheme included in the Second Five Year Plan as well as the Annual Plan for 1960-61. The Ministry of Scientific Research and Cultural Affairs has been approached to give their formal concurrence. Meanwhile, other necessary steps to set up a Polytechnic at Hamirpur are being taken.

श्री रूप सिंह फूल : क्या Deputy Minister साहिब बतायेंगे कि इस वक्त तक वहां building वगैरा बनाने का काम शुरू हो गया है या नहीं ?

उप-मन्त्री : 1959 में State Government ने फैसला किया था कि Centrally-Sponsored Scheme के तहत पंजाब में तीन polytechnic schools खोले जाएं। उन में से एक कांगड़ा में खोला जाना था। लेकिन Centre ने कांगड़ा के जिले में polytechnic school खोलने की मंजूरी नहीं दी है । हम उन के साथ correspondence कर रहे हैं। जब फैसला हो जाएगा तब हम वहां पर ऐसा school खोल देंगे ।

श्री रूप सिंह फूल : Assurance यह दी गई थी कि "Classes will be started next year." May I know how far that assurance is correct ?

ਉਪ-ਮੰਤਰੀ : ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ Centre ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ।

CONSTRUCTION OF ROADS IN MOHINDERGARH DISTRICT

***6148. Shri Nihal Singh :** Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) whether there are any roads in district Mohindergarh which were to be completed by the end of the 2nd Five Year Plan period and which have not even been started yet ; if so, the details thereof ;

(b) the reasons for not starting the construction of the said roads ?

Sardar Niranjan Singh Talib (Deputy Minister) : (a) No.

(b) The question does not arise.

श्री निहाल सिंह : डिप्टी मिनिस्टर साहिब ने जवाब दिया है कि कोई सड़क ऐसी नहीं है जिस पर काम शुरू नहीं हुआ । मैं कहता हू कि कनीना-अटेली सड़क पर काम शुरू नहीं हुआ । इन में से कौनसी बात ठीक है ?

उप-मन्त्री : अटेली रोड Second Five Year Plan में include नहीं की गई थी । इस की Council of Ministers के फैसले के मुताबिक provision की गई थी । इस लिये देर हो गई है । अब उस पर भी काम शुरू हो जाएगा ।

श्री अध्यक्ष : मैं information लेना चाहता हूं कि अगर किसी सड़क के लिए First Five Year Plan में provision की जाती है लेकिन वह बनाई नहीं जाती और फिर उसी के लिए Second Five-Year Plan में provision की जाती है लेकिन फिर भी वह नहीं बनाई जाती तो उस सिलसिले में सरकार क्या करती है ? This is my personal question. (I want to have some information. If a provision for the construction of a road is made in the First Five-Year Plan, but it is not actually constructed during the Plan period and a provision is again made in the Second Five-Year Plan, but road still remains unconstructed. What does the Government do in such cases? This is my personal question.)

चौधरी सूरज मल : जिन roads की provision First Five-Year Plan में की गई थी लेकिन किसी वजह से वह न बन सकीं तो उन को Second Plan में include किया गया । अगर फिर भी वह न बन सकीं तो उन को Third Five-Year Plan में include करने की कोशिश की गई है । अगर कोई खास केस है तो आप बता दें । आप के हलके की कोई सड़क हो तो आप बता दें ।

श्री निहाल सिंह : कनीना-अटेली रोड के न बनने की वजूहात डिप्टी-मिनिस्टर साहिब ने बताई है। अब उस को Third Five-Year Plan में complete करने के लिये क्या steps लिये जाएंगे ?

METALLING OF CERTAIN APPROACH ROADS IN FEROZEPUR DISTRICT

*6166. **Sardar Sohan Singh :** Will the Minister for Public Works be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to get the approach roads between Jawahar Singh and Bagha Purana and Patto Hira Singh and Kaleke in district Ferozepure metalled ; if so, when ?

Sardar Niranjan Singh Talib (Deputy Minister) : No.

METALLING OF ROADS IN FEROZEPUR DISTRICT

*6167. **Sardar Sohan Singh :** Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) the names of the roads which are proposed to be metalled in Ferozepur District during the Third Five-Year Plan together with the mileage of each ;

(b) the year in which each of the said roads is intended to be metalled and the amount of expenditure likely to be incurred thereon ?

Sardar Niranjan Singh Talib (Deputy Minister) : (a) Proposals for the new roads to be constructed in Ferozepur District during the 3rd Five Year Plan have not so far been finalised.

(b) Does not arise.

ALLOTMENT OF FUNDS FOR CONSTRUCTION OF ROADS DURING THIRD PLAN PERIOD

*6168. **Sardar Sohan Singh :** Will the Minister for Public Works be pleased to state the total amount allotted or proposed to be allotted to each district in the State for the construction of roads during each year of the Third Five-Year Plan period ?

Sardar Niranjan Singh Talib (Deputy Minister) : District -wise allocation of funds for roads to be constructed in the 3rd Five-Year Plan has not so far been made.

WATER SUPPLY SCHEMES FOR NARNAUL AND MOHINDERGARH

*6149. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister for Public Works be pleased to state the stages at which the Water Supply Schemes for Narnaul and Mohindergarh town in district Mohindergarh are at present and the time required for their completion ?

Sardar Niranjan Singh Talib (Deputy Minister) : 1. *Water Supply Scheme, Narnaul.*—The Work on the sinking of 2 No. percolation wells at the Head works site is in hand. Major portion of the distribution system has been laid, while the work on the rest is in progress. The work for the construction of overhead reservoir has been alotted. If balance funds are deposited by the Municipal Committee the work is likely to be completed in 1961.

2. *Water Supply Scheme Mohindergarh.*—Administrative approval to the above scheme has been given in the last meeting of the Sanitary Board held on 20th September, 1960. A loan of Rs. 3 lacs has been recommended, which is yet to be drawn and deposited by the local body with the Public Health Department. The work will be taken in hand as soon as funds are deposited by the local body. In the meantime Executive Engineer has been directed to fix up a contractor.

The work can be completed within two years of the deposit of funds for the execution.

श्री निहाल सिंह : नारनौल के बारे में वज़ीर साहिब ने फरमाया है कि वहां पर कुएं लगाए जा रहे हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि उसका क्या result हुआ है ? उन में पानी मिला है या नहीं ? Water strata ascertain किए बगैर pipe line क्यों बिछा दी गई है ?

उप-मंत्री : Pipe line तो ज़ाया नहीं जाएगी । वह तो बिछानी ही थी । अगर एक जगह पानी न मिला तो दूसरी जगह मिल जाएगा और अगर दूसरी जगह न मिला तो तीसरी जगह मिल जाएगा । एक कुएं में तो कुछ पानी निकल आया है ।

RAIDS BY FLYING SQUADS ON INDUSTRIAL CONCERNS IN AMRITSAR AND GURDASPUR DISTRICTS

***5941. Shri Ram Piara** : Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) whether any Industrial concerns of Amritsar District or Gurdaspur District were raided by the flying squad during the period from 1st April, 1960 to date ; if so, the number of raids conducted, the names of the concerns raided and the dates when these were raided ;

(b) whether it is a fact that some Industrial concerns which are registered as such and to which essentiality certificates or import licences have been issued during the period from 1st April, 1956 to date were found during the said raids to be not traceable.

(c) if the answer to part (b) above be in the affirmative, the name and designation of the authority which verified the credentials of the said concerns and recommended them for the grant of essentiality certificates or import licences as well as the name and designation of the authority which finally approved the grant of the said certificates or licences ?

Shri Mohan Lal (Minister for Industries) : (a) Flying Squad of the Vigilance Department did not conduct raids on Industrial concerns but the relevant records available with the Department were scrutinised and a physical check up of certain factories in Amritsar was made from 4th July, 1960 to 16th August, 1960. No such enquiry was conducted in respect of firms of Gurdaspur District. The question of number of raids and the names of firms raided by the Flying Squad therefore does not arise.

(b) Yes.

(c) The credentials of the concerns in question were verified by the officials of the Industries Department and the then District Industries Officer, Amritsar had recommended these concerns for grant of essentiality certificate which were finally issued by the Director of Industries, Punjab.

श्री राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि अमृतसर में कितने industrial concerns का physical check up किया गया ?

उप-मंत्री : इस वक्त तो यह information मेरे पास नहीं है । Separate notice दें ।

श्री राम प्यारा : जितने industrial concerns का physical check up किया गया है उन में कितने quota holders bogus पाए गए ?

Mr. Speaker : Your question is couched in general terms. Please ask a definite and concrete question.

श्री राम प्यारा : मेरा सवाल तो बड़ा definite है कि यह जो बताया गया है कि physical check up किया गया उसका क्या result हुआ है ?

Mr. Speaker: The Question Hour is over. Supplementaries on this question will continue on the next sitting.

10.30 a.m.

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

SHAMLAT DEH LAND IN VILLAGE GHAMOUR, DISTRICT HOSHIARPUR

2986. Maulvi Abdul Ghani Dar : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether the consolidation work in village Ghamour, tehsil Garhshankar, district Hoshiarpur, has been completed; if so, when ;

(b) the total areas of Shamlat Deh left in the said village as a result of consolidation operation ;

(c) whether the said Shamlat Deh land has so far been allotted to any persons of the said village ; if so, their names together with the area given in each case and the Khasra numbers thereof ?

Rao Birendar Singh : (a) Yes, in the year 1953.

(b) 286 Kanals-7 Marlas

(c) This Shamlat land has not been allotted to any right-holders of the village but it has been allotted to the village Panchayat *vide* Mutation No. 1556, because according to Village Common Lands Act, Shamlat Deh is the property of the Village Panchayat.

CONSTRUCTION OF GURGAON-MANESAR DHARUHERA ROAD

2987· Rao Abhai Singh : Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) whether any land of village Dharuhera in tehsil Rewari , district Gurgaon has been acquired for the construction of Gurgaon-Manesar- Dharuhera Road; if so, the area thereof and the person/persons from whom it has been acquired ;

(b) whether the award for the fixation of the price of the land mentioned in part (a) above has been given ; if so, when and the price fixed together with the amount paid or yet to be paid to each land- owner ;

(c) the criteria kept in view while acquiring the land and for fixing its price ;

(d) whether it is a fact in the matter of fixing the price of the said land the average of five years was not kept in view ; if so, the reasons therefor ;

(e) if the answer to part (d) above be in the negative the average of five years in respect of the said land ?

Chaudhri Suraj Mal : (a) (i) Yes.

(ii) 8.75 acres.

(iii) The required information is given in Appendix.

(b) (i) Yes.

(ii) 26th June, 1959.

(iii) Rupees 3,748.91 nP. in all.

(iv) Paid in full as per Appendix 'B'.

(c) The rate per acre was fixed according to the principles laid down in the Financial Commissioners Standing Order No. 28 and the Land Acquisition Act , 1894.

(d) In the matter of fixing the price of the said land the basis of 5 years average was kept in view.

(e) Does not arise.

APPENDIX 'A'

Statement showing the details of the Area of the land acquired for the construction of Gurgaon Manesar Dharuhera Road in village Dharuhera, tehsil Rewari, district Gurgaon.

Serial No.	Name of the persons whose land was acquired		Area Bighas	Area Biswas
1	Shri Tej Singh, s/o Shri Dalip Singh, s/o Shri Risaldar Ganpat Singh-1/2 Shri Rai Singh, s/o Subedar Har Jivan Singh-1/2 ..		0	16
2	Shri Tej Ram, Shri Bansi, Shri Matadin, Shri Prabhu, sons of Shri Net Ram ..		2	5
3	Shrimati Jagan Kaur, w/o Shri Dalip Singh, s/o Shri Risaldar Ganpat Singh ..		1	9
4	Shri Tej Ram, Shri Bansi Dar, Shri Prabhu Dayal, Shri Mata Din, sons of Shri Net Ram ..		0	11
5	Shri Tej Ram, Shri Chand Singh, Shri Mani Singh, Shri Hira Lal, Shri Ratti Ram, Shri Bhagwan Singh, Shri Jawala Singh sons of Shri Nathu ..		0	8
6	Shri Bhup Singh, s/o Risaldar Ganpat Singh, s/o Shri Chajjo Ram ..		1	11
7	Shri Shiv Rattan Singh, s/o Shri Bhup Singh, s/o Risaldar Ganpat Singh		0	19
	Combined Land Owners			
8	Shri Dalip Singh s/o Risaldar Ganpat Singh, s/o Shri Chajjo Ram ..	1 Part		
	Shri Shamsher Singh ..	8 Parts		
	Shri Tej Singh	8 Parts		
	Shri Jaspal Singh ..	8 Parts		
	Shri Inderpal Singh ..	7 Parts		
	sons of Shri Dalip Singh, s/o Risaldar Ganpat Singh and Shrimati Jagan Kaur, w/o Shri Dalip Singh ..	8 Parts	0	12
	Shri Dalip Singh, s/o Risaldar Ganpat Singh, Shri Nihal Chand, Shri Faqir Chand sons of Shri Kanhaya Lal ..	40 Parts		
9	*Combined Land-Owners*			
	Shri Dalip Singh, s/o Risaldar Ganpat Singh s/o Shri Chajju Ram, Shri Shamsher Singh, Shri Tej Singh, Shri Jaspal Singh ..	24 Parts		
	Shri Inder Pal Singh ..	7 Parts		
	Shrimati Rani Jaggan Kaur, w/o Shri Dalip Singh, s/o Shri Ganpat Singh, s/o Shri Chajju Ram ..	8 Parts	2	1
	Shri Bhup Singh, s/o Shri Ganpat Singh, s/o Shri Chajju Ram ..	10 Parts		
	Shri Shiv Rattan Singh, Shri Bikram Singh sons of Shrimati Ishwaari Devi and Shrimati Shakuntla Devi Daughters of Shri Bhoop			
	Singh, s/o Shri Ganpat Singh ..	20 Parts		
	Shrimati Rani Hukam kaur, w/o Shri Bhoop Singh, s/o Shri Ganpat Singh ..	10 Parts	0	12
	Thorough Fare			
10	Shri Behari, S/o Shri Har Sahai, s/o Shri Ranjit ..		0	1
11	Shri Nihal Singh, Shri Faqir Chand, sons of Shri Kahnaya Lal, s/o Shri Ghisia ..		1	17
12	District Board ..		0	13
13	Shrimati Bhagwan Kaur wife of Shri Chetan Swerup		0	4
	Total ..		13	19

[Minister for public Works]

APPENDIX 'B'

Statement showing the amount paid to each person as compensation for the acquisition of land acquired for the construction of Gurgaon Manesar Dharuhera Road in village Dharuhera, tehsil Rewari, district Gurgaon.

Serial No	Name of Person	Amount of compensation Paid
		Rs n.P
1	Shri Tej Singh, s/o Shri Dalip Singh, s/o Risal Dar Ganpat Singh of village Liya ..	144.51
2	Shri Rai Singh, s/o Subedar Har Jiwan Singh of village Kosli ..	75.07
3	Shri Tej Ram, s/o Shri Net Ram of village Liya ..	197.06
4	Shri Bansi Dhar, s/o Shri Net Ram of village Liya ..	197.07
5	Shri Matadin, s/o Shri Net Ram of village Liya ..	197.07
6	Shri Prabhu Dayal, s/o Shri Net Ram of village Liya ..	197.06
7	Shrimati Rani Jagan Kaur, wife of Shri Dalip Singh of village Liya	477.64
8	Shri Tej Ram, s/o Shri Nathu Ram of village Liya ..	16.09
9	Shri Chand Singh, s/o Shri Nathu of village Liya ..	16.09
10	Shri Mani Singh, s/o Shri Nathu of village Liya ..	16.09
11	Shri Hira Lal, s/o Shri Nathu of village Liya ..	16.09
12	Shri Ratti Ram, s/o Shri Nathu of village Liya ..	16.09
13	Shri Bhagwan Singh, s/o Shri Nathu of village Liya ..	16.08
14	Shri Jwala Singh, s/o Shri Nathu of village Liya ..	16.08
15	Shri Bhoop Singh, s/o Risaldar Ganpat Singh ..	356.59
16	Shri Shiv Rattan Singh, s/o Shri Bhoop Singh of village Liya ..	642.80
17	Shri Dalip Singh, s/o Shri Risaldar Ganpat Singh of village Liya ..	8.68
18	Shri Shamsher Singh, s/o Shri Dalip Singh of village Liya ..	69.44
19	Shri Jaipal Singh, s/o Shri Dalip Singh of village Liya ..	69.44
20	Shri Inderpal Singh, s/o Shri Dalip Singh ..	60.77
21	Shri Nihal Chand, s/o Shri Kanhya of village Liya ..	302.62
22	Shri Faqir Chand, s/o Shri Kanhya of village Liya ..	302.64
23	Shri Bikram Singh, s/o Shri Bhoop Singh of village Liya ..	32.84
24	Shrimati Ishwari Devi, daughter of Shri Bhoop Singh ..	32.85
25	Shrimati Shakuntla Devi, daughter of Shri Bhoop Singh of village Liya ..	32.85

Serial No.	Name of Persons		Amount of cum-Pensation Paid
			Rs nP.
26	Shrimati Rani Hukam Kaur, wife of Shri Dalip Singh of village Liya	..	65.69
27	Shri Bihari, s/o Shri Har Sahai of village Liya	..	14.08
28	Shrimati Bhagwan Kaur, wife of Shri Chetan Swerup of village Mirut	..	37.54
29	District Board	..	121.99
	Grand Total	..	3,748.91

DEPOSITS UNDER SMALL SAVINGS SCHEME IN KARNAL DISTRICT

2988. Chaudhri Dharam Singh Rathi : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the amount deposited, tehsilwise in Karnal District under the Small Savings Scheme, and the amount withdrawn by each of the depositors, during the months of April, May, June, July, August and September, 1960 ;

(b) the amount of commission paid by Government to the agents who secured the said deposits during the period mentioned in part (a) above ;

(c) the total amount of T.A., D.A. paid by Government to officials who undertook tours in connection with the Small Savings Scheme in the said district during the period mentioned in part (a) above ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) The information is given in the statement marked Annexure 'A' laid on the table ;

(b) The information is given in the statement marked Annexure 'B' laid on the table ;

(c) Nil.

Statement showing amount deposited and withdrawn tehsil-wise from April, 1960 *to September,* 1960

Serial No.	Name of Month		Name of tehsil		Amount Deposited	Amount Withdrawn
					Rupees	Rupees
1	April, 1960	..	Karnal	..	53,7,388	9,03,560
			Panipat	..	2,64,768	3,22,142
			Kaithal	..	2,28,692	2,68,535
			Thanesar	..	2,96,875	4,51,413

Serial No.	Name of month	Name of Tehsil	Amount Deposited	Amount Withdrawn
			Rupees	Rupees
2.	May, 1960	Karnal	5,05,072	8,41,366
		Panipat	3,36,455	3,82,746
		Kaithal	2,26,428	3,01,236
		Thanesar	2,82,280	3,51,428
3.	June, 1960	Karnal	4,91,833	7,06,241
		Panipat	3,04,518	4,02,615
		Kaithal	2,54,503	3,12,760
		Thanesar	5,10,663	4,17,964
4.	July, 1960	Karnal	4,94,987	6,88,213
		Panipat	2,85,199	3,00,552
		Kaithal	2,25,267	2,32,003
		Thanesar	2,82,433	2,02,778
5.	August, 1960	Karnal	7,54,367	7,85,545
		Panipat	3,16,153	2,57,556
		Kaithal	2,06,544	2,33,320
		Thanesar	3,06,841	3,05,086
6.	September, 1960	Karnal	5,72,854	7,13,716
		Panipat	3,68,047	3,25,931
		Kaithal	2,80,049	2,64,737
		Thanesar	2,66,566	2,83,934

N.B.—The time and labour involved in giving the names of all depositors concerned would not be proportionate to the public interest of the information.

Statement showing the amount paid as commission to the agents under the Small Savings Scheme.

Name of month	Amount paid
	Rupees
April, 1960	1,969.98
May, 1960	1,645.21
June, 1960	2,130.91
July, 1960	1,569.11
August, 1960	1,874.62
September, 1960	1,145.33

APPROACH ROADS FROM VILLAGES TO PACCA ROADS

2989. Sardar Kartar Singh Diwana : Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) whether earthwork on the approach roads from villages to the Pacca Roads in the State is done by the villagers concerned themselves or by Government ;

(b) whether Government have any scheme under their consideration to make all approach roads of the type mentioned in part (a) above pucca ?

Chaudhri Suraj Mal : (a) Earthwork on approach roads is done by the Government unless the villagers concerned offer to do so voluntarily. However, in the case of approach roads included in the "Village Roads Co-operative Development Scheme" the villagers are required to contribute 1/4th of the cost which they generally do in the form of free land and earthwork.

(b) Approach roads will be constructed to the extent of funds available in the III Five-Year Plan.

SUPPLY OF SEEDS TO FARMERS IN THE STATE

2990. Sardar Kartar Singh Diwana : Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state whether the seeds are supplied to the farmers in the State at the time of the sowing of the different crops ; if not, the reasons therefor ?

Sardar Gian Singh Rarewala : Yes. The supply of seeds of important crops to the farmers at the time of sowing is one of the normal activities of the Agriculture Department.

CATTLE DISEASE IN CERTAIN VILLAGES OF POLICE STATION MOONAK, DISTRICT SANGRUR

2992. Sardar Pritam Singh Sahoke : Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state—

(a) whether he has received any information about the outbreak of some cattle disease in the villages of Bhutal Kalan, Dhidse, Bhutal Khurd, Lohal Kalan, Kalwangara, etc. of Police Station Moonak, District Sangrur ;

(b) whether he is aware of the fact that a large number of cattle have died in the said villages due to the disease referred to above ;

(c) if the reply to parts (a) and (b) above be in the affirmative, the measures adopted by the Government for checking the spread of the said disease ; if no steps have been taken, the reasons therefor ?

Sardar Gian Singh Rarewala : (a) Yes.

(b) Only two deaths out of 384 animals attacked by the disease were reported.

(c) To check the spread of cattle disease, 260 H.S. vaccinations were performed, 84 non-contagious cases were treated and Phenyle dressing was given to the animals by the Veterinary staff and necessary preventive measures were suggested to the villagers.

OFFICER INCHARGE SOCIAL EDUCATION PUNJAB

2994. Giani Kirpal Singh Shant : Will the Minister for Education be pleased to state the technical qualifications, if any, prescribed for the post of the Head of Social Education in the State and the qualifications possessed by the present incumbent of this office ?

Shri Amar Nath Vidyalankar : No technical qualifications have been prescribed for the post of Head of Social Education in the State, viz., Assistant Director (Social Education).

2. The present incumbent of the post is M.A., B.T.

CINEMA VAN WITH THE SOCIAL EDUCATION CIRCLE, BHATINDA

2996. Gyani Kirpal Singh Shant : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether any Cinema Van has been provided for the Social Education Circle, Bhatinda ; if so, since when ;

(b) the number of shows so far given by the said Cinema Van ;

(c) the total mileage so far covered by the said Van in the said circle, and the purposes for which this mileage was done ;

(d) the total amount of expenditure so far incurred on the maintenance etc. of the said Van ?

Shri Amar Nath Vidyalankar : (a) Yes, since 3rd July, 1960.

(b) No show has been arranged so far.

(c) Fortyone miles, for getting the Cinema Van repaired.

(d) Rs 227.82 nP.

REPORT ABOUT PURCHASE OF LAND IN VILLAGE JALLANVIRAN, DISTRICT KARNAL

2998. Shri Ram Piara : Will the Chief Minister be pleased to state whether the report submitted jointly by the Deputy Commissioner, Karnal, and the Director, Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes which was placed on the Table of the House in reply to Starred Assembly Question No. 4917 printed in the list of postponed questions for 1st March, 1960 has been considered by Government; if so, when and with what result ?

Sardar Partap Singh Kairon : (i) Yes.

(ii) Government have decided on 7th June, 1960 to have a further enquiry made through the Vigilance Department.

RAIDS BY KARNAL POLICE ON A SATTA GAMBLER

3011. Shri Ram Piara : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of raids conducted by the Karnal Police against Shri Kuki, a Satta Gambler, on or after 20th October, 1959 to date together with the names of the police officers comprising each raiding party ;

(b) whether any challan was put up in the court as a result of the said raids; if so, with what result ;

(c) the amount, if any, recovered at the time of each raid referred to in part (a) above together with the amounts, if any, forfeited?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) (b) and (c). The statement is enclosed.

STATEMENT

(a) One on 20th October, 1959.

1. Shri Y. S. Nakai, DSP, Karnal.
2. S. I. Nanak Chand.
3. S. I. Vasdev.
4. H. C. Hazura Singh.
5. H. C. Dhan Singh.
6. Constable Chander Bhan.
7. Constable Ratti Ram.
8. Constable Bhim Singh.
9. Constable Amir Singh.
10. Constable Banwari Lal.
11. Constable Jagat Singh
12. Constable Ram Krishan.
13. Constable Sadhu Ram.
14. Constable Charan Singh.
15. Constable Ramji Lal.

(b) Yes. The case is pending trial in court. All the prosecution evidence except that of one P.W. has been recorded and the case is fixed for 4th November, 1960 for evidence of one P. W. only.

(c) Rs 74/12/6 were recovered. Question of forfeiture will come up when case is decided.

ALLOTMENT OF LAND TO MAZHBI SIKHS/HARIJANS UNDER HARIJAN WELFARE SCHEME

3012. Maulvi Abdul Ghani Dar : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of applications of Mazhbi Sikhs/Harijans, with names and addresses of the applicants, received by District Welfare Officer for Scheduled Castes and Backward Classes, Amritsar, during the months of July, 1960 to September, 1960 in connection with the allotment of land to Mazhbi Sikhs /Harijans under the Harijan Welfare Scheme of the Government ;

(b) the action, if any, taken or proposed to be taken on the applications referred to in part (a) above ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) Six applications were received for the purpose from the following Mazhbi Sikhs/Harijans during July, 1960 to September, 1960.

Name	Caste	Village	Tehsil/District
1. Shri Ishar Singh, son of Rulia Singh	Mazhbi Sikh	Munda	Tarn Taran, district Amritsar
2. Shri Sham Singh, son of Katha Singh	Ditto	Do	Ditto
3. Shri Surjan Dass, son of Lachhman Dass	Ditto	Bhaini Kalan	Tehsil and district Amritsar
4. Shri Bawa Dass, son of Bhagwan Dass	Balmiki	Jandiala Guru	Ditto
5. Shri Sammu, son of Umra	Sansi	Pala-Saur	Tarn Taran, district Amritsar
6. Shri Khushia Ram, son of Rulia Ram	Ditto	Mohar	Ajnala, district Amritsar

(b) These applications are under consideration of the District *Ad hoc* Committee, Amritsar.

QANUNGOS IN AMRITSAR DISTRICT

3014. Maulvi Abdul Ghani Dar : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the total number of Qanungos posted in Amritsar District at present and the names of those among them who passed the Qanungos' test at any time since 1951 ;

(b) whether there is any proposal with the Government to promote some Qanungos who have not passed the said test as Naib-Tehsildars; if so, the reasons therefor ;

(c) whether there is any proposal with the Government to promote some Qanungos who have passed the said test as Naib-Tehsildars, if so, when ; if not, the reasons therefor ?

Giani Kartar Singh : (a) 38 Qanungos : out of them 14 viz., Sahib Lal, Gurdial Singh, Manohar Lal, Mohinder Singh, Gian Parkash, Darshan Singh, Balwant Singh, Raghunath Das, Dharam Singh, and Lakhmi Chand have passed the test in all subjects, while Amar Singh, Jarnail Singh, Kundan Lal and Kulwant Singh have been placed in compartment.

(b) No.

(c) Suitable Qanungos who have passed the Qanungos examination are appointed as officiating Naib-Tehsildars as temporary arrangements against temporary posts sanctioned from time to time. Qanungos are not appointed as regular Naib-Tehsildars unless they are selected as "B" Class Naib-Tehsildar Candidates and they have qualified themselves by passing the Naib-Tehsildars departmental examination and received the prescribed training.

TRUNK CALLS MADE BY CHIEF MINISTER

3015. Chaudhri Dharam Singh Rathi : Will the Chief Minister be pleased to state the amount paid on account of the telephone trunk calls made by him from offices, residences and rest houses during his tours in the months of November and December, 1959 and from January 1960 to 30th September, 1960, separately, date-wise and place-wise ?

Sardar Partap Singh Kairon : The labour and effort involved in collecting the above information will not be commensurate with the possible benefits that could be derived.

LOANS FOR PUMPING SETS ETC. GIVEN IN TEHSIL PANIPAT

3016. Chaudhri Dharam Singh Rathi: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the names of persons with their addresses to whom loans were advanced for tube-wells, pumping sets and percolation wells, separately, village-wise in Panipat Tehsil from January 1958 up to 30th September, 1960 and the amount in each case ;

(b) the amount of the said loans recovered so far in each case ?

Sardar Gian Singh Rarewala : (a) & (b). Statements containing the required information are attached.

[Minister for Agriculture and Forests]

List of loanees, to whom loans for Tubewells were granted in Panipat Tehsil, district Karnal, from January, 1958 to 30th September, 1960

Serial No.	Name of village	Name and adress of the loanee	Amount advanced	Amount recovered
1	2	3	4	5
			Rs	Rs
1	Kachrauli	Shri Sita Ram, son of Gehna Ram, of Panipat ..	5,000	388.50
2	Mehrana	Shri Khushi Ram son of Peda Ram of Karnal ..	5,000	388.50
3	Kutani	Shri Munshi son of Sukhi, Jai Lal son of Shibu Ram, Mansa son of Ratia, Kalu son of Sulhar, Mai Dhan son of Hem Raj. ..	5,000	792.40
4	Machhrauli	Shri Pahladh Singh, son of Bakshi, Jat of Machhrauli ..	5,000	200.75
5	Beholi	Sarvshri Dhup Singh, Sarup Singh, Anup Singh, Jowala Singh sons of Sheo Chand. ..	5,000	388.50
6	Naraina	Shri Prem Singh, son of Bakhtawar, Gujjar ..	5,000	..
7	Wazirpur Tatiana	Shri Tilak Ram son of Harbans Lal, Khilla Ram son of Yad Ram, Chuhar Singh son of Sarab Singh of Naraina ..	5,000	..
8	Binjhaul	Shri Balwant Singh son of Gita, Bhale Ram son of Niadar of Binjhaul ..	5,000	388.50
9	Diwana	Shri Risal Singh son of Rati Ram, Jat of Diwana ..	5,000	388.50
10	Sikandarpur	Shri Manu Lal son of Lekh Raj, Brahman ..	5,000	..
11	Panipat	Sarvshri Gian Chand, Dev Raj, Shish Kumar sons of Hukam Chand, Devinder Nath, Robinder Nath sons of Shankar Das, Shrimati Koshalya Devi through Shankar Das of Panipat ..	5,000	..
12	Bhainswal	Shri Suchet Singh son of Nobat, Gujjar of Bhainswal ..	5,000	..
13	Balana	Shri Banwari, son of Remal, Jat ..	4,000	..
14	Balana	Sarvshri Aitbar Singh, Hara Singh, sons of Ghota ..	4,000	..
15	Patti Kalyana	Shri Toddar Singh, son of Qadam Singh, Gujjar of Patti Kalyana ..	4,000	..
16	Siwah	Maru, son of Ghasi, Jat of Siwah ..	5,000	388.50
17	Pehladpur Khalila	Shri Diwana, son of Tulsi, Jat ..	5,000	798.50

List of loanees, to whom loans for Pumping Sets were granted in Panipat Tehsil, district Karnal, from January, 1958 to 30th September, 1960

Serial No.	Name of Village	Name and address of the loanee	Amount advanced	Amount recovered
1	2	3	4	5
			Rs	Rs
1	Kutani	Shri Ram Saran, son of Shadi of Kutani	2,500	920.75
2	Kutani	Sarvshri Ram Dia, Ram Singh, Manglu sons of Chhotu, Deepa son of Khushal alias Bholu ..	2,500	920.75
3	Panipat	Shri Hazur Singh, son of Wasawa Singh, of Bichhpari ..	2,500	258.39
4	Kabri	Shri Kartar Singh, son of Narain Singh of Kabri ..	2,500	448.00
5	Kabri	Shri Sucha Singh son of Jagat Singh ..	2,500	920.75
6	Kalhans	Shri Duli Chand, son of Khiali Ram ..	2.500	448.00
7	Simla Mulana	Sarvshri Kalu, Ram Chand, sons of Tuhiana of Simla Mulana ..	2,500	920.75
8	Nurpur Mughlan	Shib Charan, son of Parma Nand of Panipat ..	2,500	1,330.32
9	Raja Kheri	Molu Ram, son of Baru Ram of Raja Kheri ..	2,500	448.00
10	Nizampur	Daya Chand, son of Des Raj Jat of Nizampur ..	2,500	..
11	Simla Mulana	Dhanna Ram, son of Rati Ram, ..	2,500	873.09
12	Bursham	Dhanpat son of Sujan	2,500	920.75
13	Do	Sarvshri Raghbir Singh, Dalip Singh, Ranjit Singh sons of Rati Ram	2,500	920.75
14	Do	Amar Singh son of Molu Ram	2,500	920.75
15	Do	Sarvshri Dharam Singh Hari Singh, sons of Jagir	2,500	448.00
16	Do	Neki, son of Niadar	2,500	920.75
17	Kachrauli	Amar Nath Kapur, Ram Singh of Kachhrauli	2,500	448.00
18	Bursham	Sis Ram son of Mangal	2,500	448.00
19	Chamrara	Harkesh, son of Jai Chand, Jat	2,500	532.50
20	Patti Kalyana	Hans Raj, Jagdish Chander, sons of Shanker Das	2,500	..
21	Panipat	Prem Singh, son of Hakam Rai, Model Town, Panipat	2,500	Recovery not yet due

[Minister for Agriculture and Forests]

Serial No.	Name of village	Name and address of the loanee	Amount advanced	Amount recovered
1	2	3	4	5
			Rs	Rs
22	Panipat	Karam Singh, son of Jawahar Singh ..	1,500	768.80
23	Do	Gurdip Singh, son of Man Singh	2,000	358.40
24	Do	Jagdish Lal, son of Hargopal, Wishan Lal, son of Hargopal ..	2,500	448.00
25	Simla Mulana	Shos Nath, Ram Sarup, Sadhu, sons of Sahu ..	2,500	615.25
26	Bur Sham	Bhim Singh, son of Jug Lal ..	2,500	448.00
27	Panipat	Rup Singh, son of Chuhar Singh, Kapur Singh, Devinder Singh, Paritam Singh, Ajit Singh, sons of Rup Singh ..	2,500	448.00
28	Kachrauli	Kesar Singh, son of Gopal Singh	2,500	252.00
29	Naraina	Dula, son of Harbans, of Naraina	2,500	448.00
30	Bursham	Asa Ram, son of Baja Jat, of Bursham	2,500	..
31	Bishhapari	Shrimati Inder Kaur wife of Shan Singh ..	2,500	356.67
32	Faridpur	Uttam Singh, son of Sangat, Uttam Singh, son of Dharam Singh, Bhagwan Singh, Roor Singh, Amar Singh, Kishan Singh, Raghbir Singh, sons of Chanan Singh Balwant Kaur wife of Bhagwan Singh, Harphur Singh, Balbir Singh, Gopal Singh, Gajjinder Singh sons of Bhagwan Singh ..	2,500	448.00
33	Karhans	Shiba, son of Harnam, Jat of Karhans	2,500	448.00
34	Binjhaul	Lachhman, son of Maidhan of Binjhaul ..	2,500	448.00
35	Babail	Puran, Siri Chand, sons of Ram Baksh ..	2,500	..
36	Kachrauli	Ram Dhan, son of Sohna Ram of Kachrauli ..	2,500	..
37	Mehrana	Inder Singh son of Khazan Singh	2,500	..
38	Behladpur Khalila	Dhan Singh, son of Jai LAl ..	2,500	448.00

Serial No.	Name of village	Name and address of the Loanee	Amount advanced	Amount recovered
1	2	3	4	5
			Rs	Rs
39	Behladpur Khalila	Shrimati Surji, widow of Neki, Jaga, son of Sis Ram ..	2,500	448.00
40	Naraina	Katar Singh, son of Malkhan Singh, of Naraina ..	2,500	2,500.00
41	Naraina	Mul Raj, son of Mula of Naraina	2,400	448.50
42	Nangal Kheri	Mam Chand and Tarlochan sons of Bija Jat ..	2,500	448.00

List of loanees, to whom loans for Percolation Wells were granted in Panipat Tehsil, District Karnal, from January, 1958 to 30th September, 1960.

Serial No.	Name of village	Name and address of the Loanee	Amount advanced	Amount recovered
1	Azizullahpur	Shashi Bhushan Rai son of Lakhpat Rai ..	2,000	111.25
2	Rattipur	Hari Kishan, son of Dilbagh Rai, of Mohapur ..	2,000	23.40
3	Qawi	Puran, son of Nanak, Jat of Qawi	1,500	79.49
4	Rakshera	Narain Dass, son of Radhu Ram ..	1,500	79.49
5	Patti Kalyana	Singhram, son of Nika Gujjar ..	1,500	78.63
6	Ditto	Baru, son of Monga ..	1,500	78.00
7	Rakshera	Nanka Ram, son of Peda Ram ..	500	26.00
8	Panipat	Ladha Ram, son of Gulab Ram ..	500	..
9	Do	Hukam Chand, son of Chhia Ram	875	..
10	Bhodwal Majri	Harbans, son of Nihal, Mukhtiara son of Nathu, Gujjars ..	875	..
11	Kurana	Ram Dia, son of Mughla Ror ..	875	..
12	Naultha	Phul Singh, son of Rati Ram	875	177.12
13	Jondhan Kalan	Ram Dia, son of Kesho, Jat ..	875	..
14	Mandi	Molar Alias Kalu, son of Kura ..	2,000	88.40
15	Alupur	Ram Kishan, Chander Bhan, Kishan Chand sons of Ram Dhari, Ror ..	875	..
16	Qawi	Jug Lal son of Bhuia Saini ..	875	..
17	Naultha	Mai Dhan, son of Molu, Jat of Naultha ..	875	875.00
18	Urlana Kalan	Dhalu Ram, son of Amir Chand ..	1,000	Recovery not yet due

[Minister for Agriculture and Forests]

Serial No.	Name of village	Name and address of the loanee	Amount advanced	Amount recovered
1	2	3	4	5
			Rs	Rs
19	Ujah	Karam Singh, Ram Singh, sons of Dhuli, Sahib Singh, son of Dhuli, of Ujah ..	1,000	Recovery not yet due
20	Madlauda	Bhola Nath son of Dabi, of Madlauda ..	1,000	Ditto
21	Chhajpur Kalan	Tuman, son of Harkash, of Chhajpur Kalan ..	1,000	Ditto
22	Ugra Kheri	Chatar Singh, son of Kheri, Jat	1,000	Ditto
23	Do	Shamsher Singh, son of Bharat Singh	1,000	Ditto
24	Bhalsi	Raghbir Singh, Kanwar Bhan, sons of Data Ram ..	1,000	Ditto
25	Urlana Kalan	Shri Charan Das, son of Amir Chand of Urlana Kalan ..	1,000	Ditto
26	Do	Shri Sheo Dial, son of Amir Chand of Urlana ..	1,000	Ditto
27	Bapauli	Shri Remal Dass, son of Duli Ram ..	1,000	Ditto
28	Sondhapur	Shri Gian, son of Neki, Sainsi ..	1,000	Ditto
29	Brahman Mazra	Shri Mai Chand, son of Ram Narain ..	1,000	Ditto
30	Muhali	Shri Sant Ram, son of Aya Ram ..	1,000	Ditto
31	Panipat	Shri Shingara Mal, son of Shri Lal Chand ..	1,000	Ditto
32	Do	Shri Singara Singh, Balkar Singh, sons of Man Singh ..	1,000	Ditto
33	Seenk	Khamla, son of Rikhi Jat ..	1,000	Ditto
34	Panipat	Shri Nathu Shah, son of Buge Shah	1,000	Ditto
35	Razapur	Shri Jesa Ram, son of Sohawa Ram	1,000	Ditto
36	Azizullahpur	Shrimati Khushal Kaur, wife of Man Singh ..	1,000	Ditto
37	Do	Kuldip Singh, son of Mehar Singh ..	1,000	Ditto
38	Manana	Thambu, son of Ganeshi Jat ..	1,000	Ditto
39	Do	Siri Ram, son of Jeet Ram Jat ..	4,000	Ditto
40	Rakhshera	Tulsi Bai through Sheo Dial son of Sham Singh ..	1,000	Ditto

Serial No.	Name of village	Name and address of the loanee	Amount advance	Amount recovered
1	2	3	4	5
41	Urlana Kalan	Ladha Ram, son of Gulab Mal of Urlana Kalan ..	1,000	Recovery not yet due
42	Ditto	Charan Dass, son of Sahib Ditta Mal ..	1,000	Ditto
43	Ujah	Tulsi Das, son of Ram Chand ..	1,000	Ditto
44	Hartari	Anant Ram, son of Dewan Chand ..	1,000	Ditto
45	Sewa Kheri	Uttam Chand, son of Karam Chand ..	2,000	Ditto
46	Naultha	Prem Lal, son of Suchet Pal ..	1,500	Ditto
47	Sanauli Khurd	Nathu Ram, son of Hardowari ..	1,000	Ditto
48	Asan Kalan	Sant Lal, son of Kale Ram ..	1,000	Ditto
49	Panipat	Jaswant Ram, son of Preta Ram of Panipat ..	2,000	Ditto
50	Sewa Kheri	Telu Ram, son of Sis Ram, of Nimri	400	Ditto
51	Bichhpari	Pala Singh, son of Partap Singh ..	400	Ditto
52	Panipat	Sat Narain, son of Telu Ram ..	500	Ditto
53	Do	Shri Kartar Chand, son of Dhian Singh ..	300	Ditto
54	Do	Shri Pehalwan Chand, son of Guranditta Mal, Sohan Lal, son of Labh Singh ..	300	Ditto
55	Do	Shri Chandi Ram, son of Hardowari of Panipat ..	300	Ditto
56	Do	Shri Harbans Lal, son of Ramjas ..	400	Ditto
57	Do	Shri Prem Singh, son of Hakam Rai	400	Ditto
58	Do	Shri Banwari, son of Mohan Singh of Panipat ..	200	Ditto
59	Do	Chela Gir, son of Chela Bhajan Dass of Panipat ..	300	Ditto
60	Shehar Malpur	Balbir Singh, son of Rup Chand ..	400	Ditto
61	Rakhshera	Narain Das, son of Radhu Ram ..	1,500	Ditto
62	Babail	Mauji, son of Nihala ..	875	139.73
63	Machhrauli	Amin Lal, son of Neki Jat ..	750	419.12
64	Ujah	Joti, son of Ranjit of Ujah ..	875	67.98
65	Sanauli Khurd	Ram Dhari, son of Qabul ..	875	63.97

[Minister for Agriculture and Forests]

Serial No.	Name of village	Name and address of the loanee	Amount advanced	Amount recovered
1	2	3	4	5
			Rs	Rs
66	Sanauli Khurd	Girdhari, son of Qabul ..	875	..
67	Dhadaula	Bakhsha Ram, son of Dera of Dhadaula ..	875	67.98
68	Razapur	Charan Dass, son of Pars Ram ..	875	..
69	Kutani	Ram Dia, son of Chandan, Shrimati Dakho widow of Arjan of Kutani ..	825	..
70	Asan Khurd	Puran Singh, son of Chhaju of Asan Khurd ..	800	62.16

COAL WAGONS ALLOTTED TO THE BRICK KILN OWNERS IN TEHSIL PANIPAT DURING 1960

3017. Chaudhri Dharam Singh Rathi, : Will the Minister for Industries be pleased to state the total number of Coal Wagons allotted to each of the Brick Kiln Owners in tehsil Panipat, district Karnal during the year 1960 upto 30th September, 1960?

Shri Mohan Lal : Total number of Coal Wagons allocated under all categories to each of the Brick Kiln Owners in tehsil Panipat, district Karnal during the year 1960 upto 30th September, 1960 is as detailed below. The allocation pertains to the period September, 1960 to August, 1961:—

Serial No.	Name of the party	NO. OF WAGONS ALLOTTED		
		BRK	CDP/NES	GMF
1	M/s. Sodhi Arjan Singh & Sons, Assam ..	..	8	..
2	M/s. Jalalpur Bhatta Co., Jalalpur ..	..	8	2
3	M/s. Gian Chand Chawla & Co., Machhooli	..	8	2
4	M/s. Santokh Singh Om Parkash, Kurar ..	6	2	5
5	M/s. Mange Ram Nathu Ram, Jorasi ..	..	2	..
6	M/s. Himat Ram Badri Parshad, Bahapoli	7	2	5
7	M/s. Daya Nand Fine Brick Kiln Co., Naraina ..	7	2	5
8	M/s. Mai Ram & Sons, Jalmana ..	..	8	..
9	M/s. Bharat Bhatta Co., Raja Kheri ..	..	2	..

Serial No.	Name of the party	No. of wagons allotted		
		BRK	CDP/NES	GMF
10	M/s. Lal Singh Changi Ram, Madhana ..	..	2	..
11	M/s. Tara Chand Ram Narain, Bursham ..	..	2	..
12	M/s. Gian Chand Chawla & Sons, Nimbri ..	7	1	5
13	M/s. Sodhi Arjan Singh & Sons, Sewa ..	..	1	..
14	M/s. Munna Lal Aggarwal & Co., Assandh Road, Panipat ..	..	2	..
15	M/s. Mehar Chand, Jagdish Chand, Panipat	7	..	5
16	M/s. Mangal Sain Chandgi Ram, Samalkha	7	..	5
17	M/s. Matu Ram Himat Ram, Bhapra ..	7	..	5
18	Shri Ram Sarup Tyagi, Nathwala ..	7	..	5
19	Shri Hardev Sahai Jain and Sons, Dehra ..	7	..	5
20	National Bhatta Co., Panipat ..	7	..	5
21	M/s. Bhagmal Khazan Chand Ugra Kheri	7	..	5
22	M/s. Tara Chand Ram Narain, Busham ..	7	..	5
23	M/s. Shugan Chand, Bhushan Chand, Panipat ..	7	..	5
24	M/s. Tara Chand Ram Narain, Manana ..	7	..	5
25	M/s. Lal Singh Chandgi Ram, village Atta ..	7	..	5
26	M/s. Mangal Sain Chandgi Ram, Smalkha ..	7	..	5
27	M/s. Mango Ram Lakhi Ram, Jaursi ..	7	..	5
28	M/s. Hari Singh Gopi Ram, Pasina Kalan ..	..	..	5
29	M/s. Argan Singh and Sons, Banjal ..	7	..	5
30	Shri Pool Chand Thekadar, village Kiwana	7	..	6
31	M/s. Bhola Ram & Sons, Dikadla ..	7	..	5
32	M/s. Arjan Singh Sodhi & Sons, Siwa ..	7	..	5
33	Shri Gian Chand Chawla, village Assandh ..	7	..	5
34	M/s. Malik Bros. Co., Khukhrana ..	7	..	5
35	Shri Harbans Lal Kuha, Panipat ..	7	..	5
36	M/s. Lal Singh Chandgi Ram, Dehra ..	7	..	6
37	M/s. Rameshwar Dass, & Co., Patti, Kalyana	7	..	6
38	M/s. Shugan Chand Bhushan Chand, Israna	7	..	6

[Minister for Industries]

Serial No.	Name of the Party	No. of wagons alloted		
		BRK	CDP/NES	GMF
39	Madlauda Bhatta Co., Madlauda ..	7	..	6
40	M/s. Shugan Chand Roshan Lal, Dherangarh	7	..	6
41	M/s. Balbir Chand Mandan Lal, Panipat ..	7	..	6
42	Zimidara Bhatta Co., Babail ..	7	..	6
43	Shri Ram Sarup, son of Ram Narain Chichrana ..	7	..	6
44	Shri Gian Chand Chawla, Uchani ..	..	..	6
45	M/s. Ram Narain Roshan Lal, Nora ..	7	..	6
46	Shri Satish Chander Kalra, Panipat ..	7	..	6
47	Dehati Bhatta Co., Jatal ..	7	..	6
48	M/s. Shugan Chand Bhushan Chand, Phaphrana ..	7	..	6
49	Shri Hargobind Krishan Kumar, Panipat ..	7	..	6
50	M/s. Dyal Singh Puran Singh, Panipat ..	7	..	6
51	Shri Muna Lal Aggarwal, Panipat ..	7	..	6
52	M/s. Himat Ram Badri Parshad, Lohori ..	6	..	5
53	Bharat Bhatta Co., Khogipur ..	6	..	5
54	Shri Ram Rachhpal, Smalkha ..	6	..	5
55	M/s. Phool Chand Kartar Singh, Itwala ..	..	..	5
56	Punjab Bhatta Co., Puthar ..	..	..	5
57	M/s. Ram Sarup Rameshwar Dayal, Karrad	..	..	5
58	Shri Chandgi Ram, Gari Chaju ..	7	..	5
59	Sodhi Arjan Singh & Sons, Asandh ..	..	..	2
60	M/s. Mahi Ram & Sons, Delhra ..	..	..	2
61	M/s. Hari Singh Gopi Ram, Beeli ..	7	..	..
62	Shri Gian Chand Chawla, Mandi ..	7	..	..
63	M/s. Khushi Ram Ranjit Singh, Karnal ..	7	..	..
64	M/s. Santokh Singh Om Parkash Sheikhupura ..	7	..	..
65	M/s. Punjab Bhatta Co., Charao ..	6	..	..
66	M/s. Tarlok Singh Roshan Lal, Barsoli ..	6	..	.

UPGRADING PRIMARY AND MIDDLE SCHOOLS IN KARNAL DISTRICT

3018. Chaudhari Dharam Singh Rathi : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the names of places tehsilwise in Karnal District, where Primary Schools were upgraded to Middle Schools and Middle Schools to High Schools during the period from 1st April, 1959, to date ;

(b) the number of Schools of each category referred to in part (a) above in which staff has not so far been brought up to the required strength and the time by which it is proposed to do so?

Shri Amar Nath Vidyalankar :

Primary to Middle

1 Naguran (Boys), tehsil, Kaithal.
2 Gamthala Gardhu (Boys) tehsil Kaithal.
3 Sarsa (Boys), tehsil Kaithal.
4 Dhilowal (Boys), tehsil Kaithal.
5 Habri (Girls), tehsil Kaithal
6 Rajound (Girls), tehsil Kaithal.
7 Barota (Boys), tehsil Karnal.
8 Sheikhpura (Boys), tehsil Karnal.
9 Dachar (Boys), tehsil Karnal.
10 Sheikhpura (Girls), tehsil Karnal.
11 Kheri Naru (Boys), tehsil Karnal.
12 Jathlana (Boys), tehsil Thanesar.
13 Kalsana (Boys), tehsil Thanesar.
14 Chaurari (Boys), tehsil Thanesar.
15 Mahawati, (Boys), tehsil Panipat.
16 Kuwana (Boys), tehsil Panipat.

Middle to High

1 Assandh (Boys), tehsil Kaithal.
2 Guliana (Boys), tehsil Kaithal.
3 Mowana (Boys), tehsil Kaithal.
4 Habri (Boys), tehsil Kaithal.
5 Padla (Boys), tehsil Kaithal.
6 Gagsina (Boys), tehsil Karnal.
7 Kamila (Boys), tehsil Karnal.
8 Baina (Boys), tehsil Karnal.
9 Taraori (Boys), tehsil Karnal.
10 Karnal (Boys), tehsil Karnal.
11 Model Town Karnal (Girls), tehsil Karnal.
12 Ghauraunda (Girls), tehsil Thanesar.
13 Kurukshetra (Boys), tehsil Thanesar.
14 Model Town Panipat (Girls), Panipat.

Primary to Middle

(b) Sixteen. The vacant posts will be filled up shortly. The delay is due to non-availability of selected candidates by the S.S.S.B.

[Minister for Education]

Middle to High

Five. The vacant posts in these Schools too will be filled up shortly.

TOUR BY S.D.O. (CIVIL), PANIPAT

3021. Chaudhari Dharam Singh Rathi : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the names of villages visited by the S.D.O. (Civil) Panipat, district Karnal from March, 1960 to date, date-wise, the purpose of each visit and the amount of Travelling Allowance and Daily Allowance drawn by him ;

(b) whether the tours mentioned in part (a) above were in accordance with the tour programmes circulated by him in advance; if not, the reasons therefor?

Sardar Partap Singh Kairon :—(a) A statement containing the necessary information is laid on the Table.

(b) Except in emergency all the tours were performed by the Sub-Divisional Officer, Panipat in accordance with the tour programmes circulated by him in advance.

Statement containing Answer to Part (A) of Unstarred Vidhan Sabha Question No. 3021

Date	Names of villages visited	Purpose
29th to 31st March, 1960	Samalkha, Hathwala, Pattikalyana, Manana, Bahapura, Harehra, Machhrauli, Jattipur	Inspection of River Jamna-Girdawari checking
1st April, 1960 and 2nd April, 1960	Pattikalyana	Visit of Prime Minister
5th April, 1960 ..	Shohdapur, Khukhrana ..	Checking of Girdawari
17th April, 1960 ..	Lohari, Bhandari, Asan Khurd, Bhalsi	Ditto
21st April, 1960 ..	Urlana Kalan, Nara ..	Inspection of hail-storm
26th to 29th April, 1960	Asrana ..	Attestation of D. D. Forms
13th May, 1960 ..	Kurana ..	Ditto
16th May, 1960 ..	Nara ..	Ditto
20th May, 1960 ..	Israna ..	Ditto
27th May, 1960 ..	Madlauda ..	Ditto
10th June, 1960 and 11th June, 1960	Binjhaul, Dharad, Seenk, Badarpur	Ditto
15th June, 1960 ..	Samalkha ..	Ditto

Date	Names of Villages visited	Purpose
16th June, 1960 ..	Samalkha, Hathwala, Birapur..	Inspection of River Jumna
23rd July, 1960 and 24th July, 1960	Israna, Kaith, Shahpur ..	Inspection of Flood affected area
25th July, 1960 to 27th July, 1960	Lohari, Bursham ..	Attestation of D. D. Forms and Panchayat work
9th August, 1960 ..	Israna, Kaith ..	Attestation of D. D. Forms Inspection of flood affected areas
23rd August, 1960..	Binjhaul, Israna, Palri, Bandh Kaith	Attestation of D.D. Forms and flood work
24th August, 1960	Binjhaul, Mandi ..	Flood Relief work
26th August, 1960 and 27th August, 1960	Lohari, Begampur, Bhandari, Alupur, Ahar, Kurana	Attestation of D. D. Forms
30th August, 1960	Israna, Kaith, Madalauda ..	Inspection of Flood affected areas with the Financial Commissioner
8th September, 1960	Israna, Seenk, Patti, Nara ..	Inspection of Flood affected areas
9th September, 1960	Samalkha, Peeli, Jorasi ..	Attestation of D. D. Forms and Development work
13th September, 1960	Chamrara, Gowalra, Bursham	Inspection of Flood affected areas
17th September, 1960	Bhandari, Alupur, Chamrara, Bwana	Flood Relief work
18th September, 1960	Ahar, Nain, Kalyana, Majri Nain and Bhopur	Ditto
20th September, 1960	Kalka, Padhana, Khurdan,	Ditto
27th September, 1960	Patti Siwah .	Ditto
Amount of T. A. and D. A. drawn by Sub-Divisional Officer, Panipat for the above tours		Rs 147.50 nP.

TOUR BY TAHSILDAR, PANIPAT

3022. Chaudhari Dharam Singh Rathi :—Will the Minister for Revenue be pleased to state the names of the villages visited by the Tahsildar, Panipat, district Karnal, from March, 1960 to date, datewise, the purpose of visiting each of these villages and the amount of Travelling Allowance and Daily Allowance drawn by him for those tours ?

Giani Kartar Singh:—

(a)
(b) } A statement is enclosed.
(c)

(d) No Travelling Allowance and Daily Allowance was drawn except the fixed Travelling Allowance sanctioned for the Tahsildars.

[Minister for Revenue]

Statement showing the tours done by the Tahsildar, Panipat from 1st March, 1960 to date

Date	Name of the village	Purpose of visit
1st March, 1960 ..	Patti Kaliana	Accompanied the S.D.O., Canal, in connection with spot inspection of the Bridge under construction
2nd March, 1960 ..	Pasiana Kalan	Work regarding attestation of Mutations and checking of the work of the Patwaris
7th March, 1960 ..	Siwaha	To receive the Deputy Minister
16th March, 1960	Hatari	Recovery of Land Revenue and Taccavi etc.
17th March, 1960	Hathwala and Balaspur	Accompanied the A.G.A. to see the Bund under construction in Jamuna River
18th March, 1960	Kakoda, Jondhan Kalan, Alrana, Mandi and Chamrara	In connection with attestation of mutations, checking of Girdawri and work of Patwaris
19th March, 1960	Boanu Lakhu and Chamrara	In connection with attestation of mutations and checking of work of Patwaris
22nd March, 1960	Bachpari	In connection with the recovery of land revenue and Taccavi etc.
23rd March, 1960	Naulatha	Ditto
24th March, 1960	Nurwala	In connection with the auction of Evacuee Property, under Section 70 and Revenue Act.
29th March, 1960	Hathwala and Samalkha	In connection with inspection of construction of Jamna Bund and Samalkha
30th March, 1960 ..	Pauti, Samalkha Bhappura Manana, Patti Kalyana	In connection with checking of Girdawaris etc. and checking of the work of Patwaris
1st April, 1960 ..	Patti Kalyana ..	Regarding making arrangement for the reception of Deputy Minister
2nd April, 1960 ..	Patti Kalyana ..	Regarding making necessary arrangement for the Prime Minister
5th April, 1960 ..	Pasina Kalan, Dhwana Bhap-pura, Patti Kalyana and achrauli	Regarding checking of Girdawaris and work of Patwaris
6th April, 1960 ..	Bursham, Manana, Naraina, Gowalhera Dandhar, Kiwana	Regarding attestation of mutations and checking of Girdawaris and work of Patwaris
7th April, 1960 ..	Naultha, Balana Brahma Majra, Kard, Shahpur, Parhona	Ditto
9th April, 1960 ..	Maultha	In connection with Election Duty as Presiding Officer
10th April, 1960 ..	Naultha	Ditto

Date	Name of the Village	Purpose of Visit
18th April, 1960 ..	Bachpari	To check Girdawaris and work of Patwaris
19th April, 1960 ..	Bapauli, Khojgipur, Goila Kalan	Ditto
20th April, 1960 ..	Hathwala, Balaspur, Dikadla, Machhrauli	To check Girdawaris and experiment of Wheat Production
21st April, 1960 ..	Alrana	To attest mutations and to check work of Patwaris
28th April, 1960 ..	Ugra Kheri, Nimbri, Bapauli	Accompanied the D.C. to inspect Bapauli Road
1st May, 1960 ..	Patti Mukhum Zadgan Afganan and Ugrakheri	Accompanied the S.D.O. to inspect culverts of drains
5th May, 1960 ..	Nurwala, Bachpari	To recover Land Revenue and Taccavi etc.
6th May, 1960 ..	Ugrakheri	To attest mutations, to inspect Panipat Bapauli Road and to check the work of Patwaris
17th May, 1960 ..	Bapauli	To conduct recovery of land revenue, attestation of mutations of Patwaris, and checking of office and fard Bachh
20th May, 1960 ..	Bunjholi Narian	Regarding inspection of School building and attending meeting at Rest-House Banjholi
21st May, 1960 ..	Alrana	Regarding attestation of mutations and checking of work of Patwaris and Dahl Bachh
22nd May, 1960 ..	Patti Rajputan	Ditto
23rd May, 1960 ..	Patti Kalyana	Regarding recovery of land revenue and Taccavi, Attestation of mutations and checking of Fard Bachh.
1st June, 1960 ..	Pasina-Kalan	Regarding auction of land (Evacuee) attestation of mutations and checking of work of Patwaris, checking of Fard Bachh. etc.
2nd June, 1960 ..	Diwana	Regarding auction of land (Evacuee) Attestation of mutations and recovery of every kind
4th June, 1960 ..	Banjholi	Regarding auction of land (Evacuee) and recovery of all kinds
5th June, 1960 ..	Hathwala, Balaspur Babil, Dhanauli	Regarding inspection of Jamna Bridge
16th June, 1960 ..	Ugrakheri	Regarding recovery of Land Revenue and Taccavi
17th June, 1960 ..	Nagla Babail	Regarding construction of New Band and recovery of Taccavi work.

[Minister for Revenue]

Date	Name of the Village	Purpose of visit
18th June, 1960 ..	Bachpari	Regarding recovery of Land Revenue and Taccavi etc.
1st July, 1960 ..	Raia Kheri	Regarding recovery of all kinds
2nd July, 1960 ..	Mohmdpur and Kabri	Regarding recovery of all kinds
4th July, 1960 ..	Naultha, Balana	Regarding attestation of mutations, Allotment of houses and recovery of all kinds
7th July, 1960 ..	Mehrana	Regarding recovery of all kinds
13th July, 1960 ..	Hathwala, Balaspur	Regarding arrangement and construction of Bund
14th July, 1960 ..	Babail, Nagla	Regarding inspection of Bund
15th July, 1960 ..	Nathwala, Balaspur	Regarding inspection of Bund with D.C.
19th July, 1960 ..	Karhans, Manana	Regarding attestation of mutations and checking of work of Patwaris
22nd July, 1960 ..	Alrana, Shahpur	Regarding auction of Evacuee Houses and attestation of mutations
3rd August, 1960 ..	Samalkha	Regarding attestation of mutations, checking of census and recovery of all kinds
7th August, 1960 ..	Khandra	Accompanied the D.C. to inspect the banjar area
13th August, 1960 ..	Wazirpur Tatiana	Accompanied the S.D.O. in connection with the spot inspection and drain digging
16th August, 1960	Siwaha, Karhana, Rutti, Kalyana, Samlakha	Regarding inspection (spot) of empty area on the bank of G.T. Road, regarding preparation of Maps under the order of the Chief Minister
19th August, 1960	Bapauli	Evening
20th August, 1960	Do	Attestation of mutations, auction of evacuee property, allotment of houses, etc. recovery of land revenue and taccavi
22nd August, 1960	Jondan, Alrana, Shahpur Kaith	Regarding inspection of flooded area
23rd August, 1960	Banjholi, Bandh Mandi, Alrana	Accompanied the S.D.O. to inspect flooded area and bund
25th August, 1960	Nagla, Dhanauli	Ditto
26th August, 1960	Banjholi, Alrana	In connection with Flood
29th August, 1960	Alrana, Shahpur, Kaith	Regarding disbursement of Flood Relief

Date	Name of the village	Purpose of visit
30th August, 1960	Alrana, Kaith, Najonda, Bursham, Gowlera	Accompanied F.C. in connection with Flood Relief Work
1st September, 1960	Kaith	Regarding making arrangement of distribution of fodder etc.
2nd September, 1960	Kaith	Regarding distribution of Relief and Permits for Fodder etc.
7th September, 1960	Gharana	Accompanied A.G.A. to inspect Bund and area under flood
8th September, 1960	Jondan Khurd, Jondan Kalan, Alrana, Uaultha	To inspect flood affected area
9th September, 1960	Pothar, Bandh, Bowana, Lakhu, Kakoda	Regarding inspection of flood affected area and checking of special Girdawari
10th September, 1960	Alrana	Regarding making estimates of all Kharaba villages
15th September, 1960	Patti Kalyana, Smalkha	Regarding receiving of F.C. and attestation of mutations and checking of census work
16th September, 1960	Shahpur	Regarding distribution of Grants and Taccavi
19th September, 1960	Alrana, Kakoda, Pothar	Regarding distribution of Taccavi, fodder seed and permits etc.
20th September, 1960	Jondhen, Bajwa, Alrana	Regarding distribution of Taccavi
21st September, 1960	Shahpur, Bajwa	Regarding disbursement of Taccavi and fodder all kind
22nd September, 1960	Shahapur, Kaith	Accompanied with Commissioner and Deputy Commissioner to see the Kharaba area
26th September, 1960	Bowana Lakhu and Alrana	Regarding disbursement of Taccavi and Fodder seeds etc.
30th September, 1960	Urlana Kalan	Regarding duty at Dussehra Festival
2nd October, 1960..	Patti Kalyana	Regarding reception of Chief Minister
3rd October, 1960	Alrana and Kard	Regarding disbursement of Permits, Fodder and Seeds and Taccavi etc.
5th October, 1960	Alrana	Regarding disbursement of Seeds etc.
13th October, 1960	Alrana, Kaith	Regarding disbursement of Seed permits etc.
14th October, 1960	Shahpur	Regarding disbursement of Seeds and Taccavi etc.

GOVERNMENT OWNED TUBEWELLS IN THE STATE

3023. Chaudhri Dharam Singh Rathi : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the total number of tubewells owned by Government, tehsil-wise in the State at present ;

(b) the total number of tubewells out of those referred to in part (a) above which have already been energised, tehsil-wise, together with the reasons for which the remaining tubewells have not so far been energised ?

Rao Birendar Singh : (a) and (b) Total number of tubewells owned by Government, tehsil-wise, in the State at present for direct irrigation are :—

Tehsil		No. of tubewells constructed	No. of tubewells energised
Ludhiana	..	27	27
Samrala	..	14	14
Ambala	..	65	65
Rupar	..	54	54
Kharar	..	6	6
Jagadhri	..	56	56
Karnal	..	62	62
Thanesar	..	289	289
Panipat	..	71	71
Sonepat	..	35	34
Kapurthala	..	78	78
Phagwara	..	22	22
Patiala	..	1	1
Sirhind	..	102	102
Rajpura	..	61	61
Sangrur	..	8	8
Malerkotla	..	241	241
Jind	..	35	35
Jullundur	..	1	1
Total	..	1228	1227

Only one tubewell viz. tubewell in Sonipat tehsil has not so far been energised. Transmission lines for it are under construction by the Punjab State Electricity Board.

COLLEGES AND SCHOOLS IN THE STATE

3024. Chaudhri Dharam Singh Rathi : Will the Minister for Education be pleased to state the number of Government Colleges, High School, Middle Schools and Primary Schools and Primary Schools in the Punjabi and the Hindi Regions, separately, at present ?

Shri Amar Nath Vidyalankar :

Serial No.	Category of institution	Number of Institutions	
		Hindi Region	Punjabi Region
1	Government Colleges ..	12	18
2	Government High Schools ..	284	311
3	Government Middle Schools ..	624	587
4	Government Primary Schools ..	5,285	6,962

HOSPITALS AND DISPENSARIES

3025. Chaudhri Dharam Singh Rathi : Will the Chief Minister be pleased to state the number of Government Hospitals, Dispensaries and Health Centres, separately, in the State, region-wise at present ?

Sardar Partap Singh Kairon : The region-wise number of hospitals dispensaries and Health Centres as stood on 1st January, 1960, is as under :—

Region	Government Hospitals	Government Dispensaries	Primary Health Centres/ Units
Punjabi Region ..	57	154	68
Hindi Region ..	43	120	77
Total ..	100	274	145

ROADS CONSTRUCTED IN THE STATE

3026. Chaudhri Dharam Singh Rathi : Will the Minister for Public Works be pleased to state the mileage of the roads constructed in the Punjabi and Hindi Regions, separately, during the last three years ?

Chaudhri Suraj Mal : Total road mileage constructed during the last three years in Punjabi and Hindi Regions is as under ;—

Punjabi Region .. 483.96 miles

Hindi Region .. 591.38 miles *plus* 8.25 Jeepable miles

Statement showing mileage constructed during last three years in Hindi and Punjabi Regions

Name of District	Mileage constructed in Punjabi Region during			Mileage constructed in Hindi Region during			Remarks
	1957-58	1958-59	1959-60	1957-58	1958-59	1959-60	
1. Gurgaon ..	..	..	..	28.06	41.98	51.78	
2. Rohtak ..	..	..	..	2.11	2.77	27.77	
3. Hissar ..	..	..		76.89	55.23	31.15	
4. Karnal ..	..	..	..	33.71	26.19	58.59	
5. Ambala ..	1.25	..	..	9.00	10.75	13.17	
6. Ludhiana ..	3.00	4.99	4.75	..	..	..	
7. Ferozepore ..	28.63	48.17	46.69	..	..	..	
8. Jullundur ..	9.48	6.12	9.82	..	..	..	
9. Hoshiarpur	12.00	9.00	12.75	..	..	..	
10. Amritsar	8.00	12.06	14.47	..	..	..	
11. Gurdaspur	5.90	15.74	10.64	..	..	..	
12. Kangra	..	..	..	10.67	16.54	5.83 8.25	
13. Simla ..	..	..	..	..	..	..	
14. Patiala ..	13.35	2.00	8.12	..	..	..	
15. Sangrur ..	29.25	27.28	14.25	9.25	..	9.37	
16. Bhatinda ..	24.35	47.58	32.57	..	..	..	
17. Kapurthala ..	..	9.25	12.50	..	..	..	
18. Mohindergarh ..	..	..	..	10.60	10.04	49.93	
Total ..	135.21	182.19	166.56	180.29	163.50	247.59 8.25J	
		483.96		591.38	and	8.25J	

Note.—J denotes Jeepable Road.

ELECTRIFICATION OF VILLAGES IN THE STATE

3027. Chaudhri Dharam Singh Rathi : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the number of the villages electrified in the State during the last three years to date region-wise ?

Rao Birendar Singh : The number of villages electrified in the State during the last years region-wise is given as under :—

Year		Hindi Region	Punjabi Region
1957-58	..	130	350
1958-59	..	63	229
1959-60	..	90	202
1960-61 (up to August, 1960)	..	62	70
Total	..	345	851

DAMAGE BY FLOOD IN KARNAL DISTRICT

3028. Chaudhri Dharam Singh Rathi : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the names of villages, tehsil-wise, in Karnal district, affected by floods in 1960 and the extent of damage caused to houses, crops and cattle village-wise ;

(b) the details of the reliefs given to each of the village mentioned in part (a) above ;

(c) whether any remissions of land revenue and abiana etc. were granted in the said villages ; if so, the details thereof ?

Giani Kartar Singh : The time and labour involved in collecting and compiling the information asked for would not be commensurate with any possible benefit to be obtained from the reply of the unstarred Assembly Question No. 3028.

COMPLAINTS AGAINST SARPANCHES/PANCHES OF TEHSIL PANIPAT

3029. Chaudhri Dharam Singh Rathi : Will the Minister for Community Development be pleased to state—

(a) the names of the Sarpanches and Panches of tehsil Panipat, district Karnal, against whom complaints were made during the years 1959 and 1960 to date ;

(b) the details of the complaints mentioned in part (a) above and the action taken thereon ?

Sardar Gurbanta Singh : (a) and (b) The statement is laid on the Table.

STATEMENT

TEHSIL PANIPAT

Serial No.	Name of Panch/ Sarpanch	Name of Gram Panchayat	Subject	Action taken
1	Shri Sultania Panch	G. P. Manana	Recovery of loss to Gram Panchaaty	Under suspension, comments awaited
2	Shri Dharam Singh Sarpanch	G. P. Karhans	Illegal possession of Shamlat Land, etc.	Ditto
3	Shri Amar Singh Sarpanch	G. P. Gawalehra	Irregularities ..	Report from D. P. O. awaited
4	Shri Badlu Ram Sarpanch	Ditto	Made statement against Pt. interests	Suspended and reinstated
5	Shri Sis Ram Panch	Ditto	Ditto	Ditto
6	Shri Udmi Panch	Ditto	Ditto	Ditto
7	Shri Matu Ram Sarpanch	G. P. Shahrmalpur	Arrested under section 406/403/454/381, I.P.C., in case F.I.R., No. 27, dated the 15th March, 1959	Under suspension, comments awaited
8	Shri Ghesa Ram Sarpanch	G. P. Machhrauli	Filed a written statement in case against Panchayat in favour of plaintiff	Ditto
9	Shri Niyader Mal Panch	G. P. Jorasi-Saraf Khas	Continuance absence from Panchayat meetings and non-payment of House Tax	Ditto
10	Shri Baru Ram Panch	Ditto	Ditto	Ditto
11	Shri Bhola Ram Sarpanch	G. P. Nara	Embezzlement of Gram Funds	Ditto
12	Complaint against Gram Panchayat	Samalkha	Regarding bad condition of Sanitation in the village	Report from D. P. O. awaited
13	Ditto	Bal Jattan	Irregularities in Panchayat affairs	Ditto
14	Application from Sarpanch Gram Panchayat	Seenk	Irregularities by Panches	Ditto
15	Complaint against Gram Panchayat	Garhi Chhajju	Irregularities by Panchayat	Ditto
16	Ditto	Naraina	Ditto	Ditto
17	Ditto	Bawanalekhu	Embezzlement of cattle pound income and other irregularities committed by the Sarpanch and one Panch	Under consideration

Note.—Replies to Unstarred Questions Nos. 2999 to 3010, 3013 and 3019 having received late from the Government are being printed as an annexure at the end of this debate.

चौधरी धर्म सिंह राठी : जनाब, आप ने मेरी adjournment motion पर ruling reserve कर दी थी। क्या आप आज उस पर ruling देंगे ?

श्री अध्यक्ष : आप ने जो adjournment motion Karnal Triple Murder Case के बारे में दी थी उस को मैं अभी देख रहा हूं। जब मैं प्रेस में reporting पढ़ता हूं तो मुझे हैरानी होती है और confusion सा पैदा हो जाता है। मैंने पहली दो adjournment motions को इस बिना पर reject किया था क्योंकि वह proper rule के नीचे नहीं आई थीं। ऐसा मालूम होता है कि बहुत से अखबार वालों को पता ही नहीं कि substantive motion क्या होती है। मैं इस को एक no confidence motion या censure motion समझता हूं और यह तब होती है जब किसी वज़ीर का conduct involved हो। लेकिन एक adjournment motion वह होती है जिस में कि एक important मामले पर, जो recent occurrence का हो, discussion करने की मांग हो। एक motion जिस में किसी Minister के conduct पर discussion करने की मांग हो वह एक substantive motion होती है और मैं उसे no confidence motion समझता हूं। मैं ने उन motions को इसलिए reject किया था कि वह proper rule के तहत नहीं आई थीं, इसलिए नहीं कि वह important नहीं थीं। इस बारे में प्रेस में reporting ठीक है। मैं इस मामले को बड़ा important और recent समझता हूं। क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले तक यह मामला *subjudice* था इस लिए इस पर adjournment motion नहीं आ सकती थी। परन्तु अब जब कि highest judicial authority ने इसका आखरी फैसला कर दिया है, यह *sub-judice* नहीं रहा और यह recent occurrence का मामला बन गया है। असल में यह कल ही ऐसा बना है।

(I am studying the implications of the hon. Member's adjournment motion regarding Karnal Triple Murder Case. When I see Press reports they cause surprise as well as confusion. I had disallowed the other two adjournment motions because they were not covered by the relevant Rule. It appears as if most of the Pressmen do not understand what a substantive motion is. I consider it to be a "No-confidence Motion" or a "Censure Motion". It is so when it involves the conduct of a Minister. But an adjournment motion seeks to discuss any important matter of recent occurrence. A motion which seeks to discuss the condut of a Minister is a substantive and it is tantamount to a no-confidence motion. As already stated, the other two adjournment motions were disallowed on the ground of their being not covered by the relevant Rule and not because they lacked public importance. In this connection the Press reports are correct. I consider this matter to be of great importance and also of recent occurrence. Since the matter had been *sub judice* till recently no adjournment motion could be allowed on this subject. But now when it has been finally decided by the highest judicial authority, it is no longer *sub judice* and hence it becomes a matter of recent occurrence. In fact, it became so only yesterday.)

Note.—The adjournment motions referred to appear in the P.V.S. debate, Volume II, No. 3, dated 25th October, 1960.

[Mr. Speaker]

It is, therefore, a matter of recent occurrence, and also of great importance. It is being talked about everywhere. There are Press reports in this connection. Editorials are being written. But it is to be seen whether it can form the subject of an adjournment motion. So far as the other two adjournment motions are concerned, my feeling is that these should have come as substantive or no-confidence motions against the Ministry because the Chief Minister's name had been mentioned.

About the third adjournment motion, I kept my decision pending because the Chief Minister's name or any other Minister's name was not mentioned in it. I think the matter is not only of state-wide but also of country-wide importance. It is a matter of public interest and of recent occurrence. But I feel that if there is an unavoidable link between the discussion of this matter and the conduct of a Minister, then I have no option except to treat it as a substantive motion or a no-confidence motion and not as an adjournment motion.

I tried to contact the Home Secretary to Government, Punjab. He was absent. He had gone to Delhi. Then I tried to contact the Chief Secretaty to Government, Punjab, and he too had gone to Delhi. I had read the whole decision of the High Court hurriedly and, therefore, could not form any opinion about it. But I know that the Chief Minister's name and names of some other high officials are mentioned at some places in the judgment. So, I cannot allow it unless I am satisfied. I concede that it is worth allowing. The only point that I have to see is that the conduct of the Chief Minister or a Minister does not come under discussion throug this motion.

Meanwhile, I also want to consult the Advocate-General and the Legal Remembrancer in this connection. If the link is not unavoidable, I will consider it. We are all a creation of the people and we should react to the public opinion. I have got conscience enough to react properly to it. I am considering this motion here as a Speaker or as a chosen representative of those who represent the people. But I must carry out the procedure and its requirements. Therefore, please give me time. There is no question of controversy. I will consider the matter in all its aspects and when you re-assemble, I will give my decision.

(Cheers from the Opposition Benches).

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ : ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ adjournment motion allow ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ avoid ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਮਨਿਸਟਰੀ ਦਾ conduct discuss ਕੀਤਾ ਜਾਏ । ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ it will amount to no confidence motion or a substantive motion. ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਮੁਆਮਲਾ ਹੈ । ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ avoid ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਮਨਿਸਟਰੀ ਦਾ conduct discuss ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ next meeting ਤੱਕ ਇਹ decide ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਇਸ ਵਿਚ ਮਨਿਸਟਰੀ ਦਾ conduct ਤਾਂ involved ਨਹੀਂ । ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ adjournment motion allow ਨਹੀਂ

ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ । ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇਕ adjournment motion, ਜਿਵੇਂ ਭਾਖੜੇ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਦਾ conduct involved ਹੈ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਇਕ administrative matter ਵਿਚ ਮਨਿਸਟਰ ਦਾ conduct involved ਹੋਵੇ । (It is not necessary that the conduct of a Minister is involved in every administrative matter.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਇਹ failure of the Ministry ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ administration ਦਾ conduct ਆਉਂਦਾ ਹੈ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਹ reference ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। (The hon. member is unnecessarily making this reference.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੋਈ ਵੀ adjournment motion ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਨਿਸਟਰੀ ਦਾ conduct involved ਨਾ ਹੋਵੇ ।

श्री अध्यक्ष : यह clear बात है। आप के दिमाग में यह बात नहीं आनी चाहिए कि मैं ने अपने दिमाग में reservation रखी या मैं इस मामले को काफी importance का नहीं समझता । (It is quite clear. The hon. Member should not carry this impression that I have certain mental reservations or that I do not consider it a matter of sufficient importance.)

I feel that it fulfils all the requirements of an adjournment motion except one and that is that the conduct of the Chief Minister appears to be intimately connected with it. But, if I find that it is not so, then, I will allow it.

(Cheers from the Opposition Benches).

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੋਈ ਵੀ adjournment motion ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਿਚ ਮਨਿਸਟਰ ਦਾ conduct ਜ਼ਰੂਰ involved ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ adjournment motion ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : (ਪੰਡਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ) ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ । (Addressing Pandit Shri Ram Sharma) (Please make the hon. member understand.)

ANNOUNCEMENT BY SECRETARY

Mr. Speaker : Secretary will make some announcement.

Secretary : Under Rule 2 of the Punjab State Legislature (Communications) Rules, 1959, I have to inform the House that the Punjab Warehouses (Amendment) Bill, 1960, passed by the Punjab Legislative Council on the 25th October, 1960, has been received. I also lay a copy of the said Bill on the Table of the House.

THE PUNJAB PANCHAYAT SAMITIS AND ZILA PARISHADS BILL

Minister for Community Development (Sardar Gurbanta Singh) : Sir, I beg to move—

That the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads Bill, as reported by the Regional Committees, be taken into consideration.

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਬਿਲ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਬਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 80 ਫੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾਤਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ Municipal Committees ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦਾ ਬੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ tax ਲਗਾ ਕੇ ਯਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਯਾ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ development ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ District Boards ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ 1953-54 ਤਕ elected bodies ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਕਿਸੇ ਦੀ 20 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ 1953-54 ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਥੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਦੇ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਚੁਨਾਂਚਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ Tehsil wise boards ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵਜਾਹ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ district boards ਸਨ ਉਹ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ M.L.As. ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਕੋਈ ਐਸੀ democratic ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ development ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ development ਦੇ programme ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ Democratic Decentralization ਦੇ ਅਸੂਲ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਕ village level ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੂਜਾ ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਂ block level ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ block ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੀਜਾ District level ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ District Boards ਦੀ ਜਗਾਹ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ village level ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ

election ਅਸੀਂ 21 November, 1960 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ 15 ਜਾਂ 16 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪੰਚਾਂ ਔਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ blocks ਵਿਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਚੁਣਨੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੀ election ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 21 November, 1960 ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ elections ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲਗੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀ constitution ਅਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲ level ਤੇ ਵੀ ਰਖੀ ਹੈ ਤੇ ਬਲਾਕ level ਤੇ ਵੀ ਰਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਲ 228 blocks ਬਣਨੇ ਹਨ ਔਰ ਅਜੇ ਤਕ 161 blocks ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਸਿਰਫ block level ਤੇ ਹੀ ਰਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਿਥੇ blocks ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਥੇ blocks ਦੀਆਂ buildings ਵੀ ਹਨ ਔਰ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਹਨ ਔਰ ਜਿਥੇ blocks ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਉਥੇ ਨਾ ਤਾਂ buildings ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ blocks ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਤਹਿਸੀਲ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਜਿਥੇ blocks ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਜ਼ਿਲੇ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਸਾਰੇ blocks ਬਣ ਚੁਕੇ ਹਨ ; ਮਸਲਨ ਲੁਧਿਆਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਥੇ ਸਾਰੇ blocks ਬਣ ਚੁਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗੁੜਗਾਂਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਥੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦੋ blocks ਬਣਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲੇ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਥੇ 45 ਫੀ ਸਦੀ ਹਿਸੇ ਵਿਚ ਅਜੇ blocks ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲ ਸੰਮਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਹੋਣ ਇਹ tehsil-wise ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਇਹ blocks ਬਣਦੇ ਜਾਣ ਉਥੇ ਉਥੇ ਇਹ block-wise ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਇਕ block ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਸਲਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ, ਮਦਰਾਸ ਹੈ ਔਰ ਆਂਧਰਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲ, ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ report ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ

[Minister for Community Development]

practice ਦੇਖ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਔਰ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ regional ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇਕ Joint Sub-committee ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਸ Bill ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 7 meetings ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ meetings ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਿਮਲੇ ਜਿਹੀ ਠੰਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਇਸ Bill ਤੇ ਬੜੇ ਸੁਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ Sub-committee ਵਿਚ Opposition ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ draft ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਇਹ ਦੋਵਾਂ Regional ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ Hindi Regional Committee ਵਿਚ ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ 7 ਦਿਨ discussion ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਰਾਠੀ, ਚੌਧਰੀ ਬਾਰੂ ਰਾਮ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ Regional Committee ਨੇ ਇਹ ਬਿਲ report ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ development ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ development ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਆਪ ਹੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਗੇ ਹਾਂ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਅਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਾਂ provide ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵਕੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚੰਗੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬੰਗਲੇ ਬਣਾਕੇ ਰਹਿਣ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਜਨ ਆਪਣੀ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ

ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਇਹ ਗਲ ਲਿਆਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਰੀਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ । ਕੇਵਲ ਉਹ ਸਜਨ ਆ ਸਕਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ । ਮੈਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵੀ ਗਿਆ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਸਚ ਮੁਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਦਮੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿਚੋਂ ਟਿੱਕਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ । ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਉ ਲਸ਼ਕਰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਰੁਪਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ । ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਬਣਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ । ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰੋਸ ਪਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਰੋਸ ਪਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਇਹ ਬਿਲ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਜਹਾਂਦੀਦਾ ਸਜਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਜਨਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ decentralization ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਚੱਜੇ ਸਜਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਕਣ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾ ਸਬੰਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਕੁਆਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਕੁਆਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕੁਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਰ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਹਰੀਜਨਾਂ ਵਲੋਂ, ਕੁਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਆਪਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ladies elect ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਆਪਟ

[Minister for Community Development]

ਨਾ ਕਤੀਏ । ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ । ਪਰ ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੁਆਪਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਇਕ ਲੇਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ 100 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਮਤੀ ਬਣੇ ਤਾਂ 100 ਵੋਟਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਇਹ ਕੁਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ । ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ elected ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇ । ਪਰ ਹਰੀਜਨ ਕਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਗੇ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜ ਕੇ ਆਉਣ, ਇਲੈਕਟ ਹੋਕੇ ਆਉਣ । ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹਰੀਜਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਰਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਰਖੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਦੀ ਕੁਆਪਸ਼ਨ ਰਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਲੈਕਟ ਹੋਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ । ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਰੀਜਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਉਹ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਜੇ ਨਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਆਪਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹਰੀਜਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ elected ਹੋਣਗੇ । ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਹਰੀਜਨ ਮੈਂਬਰ ਹਨ । ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਿਤੀ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਜਗਾ 5 ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗਾ 6 ਵੀ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ Representatives ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ Area ਵਿਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਦੋ ਆਦਮੀ ਚੁਣ ਕੇ ਇਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਗੇ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਏ ਜਾਣ । ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜ ਸਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਬਿਲ ਲਿਆ ਰਿਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ elected ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰਖਦੇ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਪਰ ਉਹ ਮਯੁਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਦੂਦ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨ ਰਖਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ Growers ਹੋਣ । ਇਹ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵੇਰ ਅਜਿਹੇ ਸਜਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਨ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਉਹ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੀਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ । ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਖ ਵਖ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਗਿਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ । ਇਹ Ambassadors ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਸਮੁਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਹਰੀਜਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ; ਜਿਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿਹਾਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰੀਜਨ ਵੀ ਦਿਹਾਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਣ । ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ ।

ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਭਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਆਕੇ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਹੀਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਧਰੀ ਬਾਰੂ ਰਾਮ, ਦੀਵਾਨਾ ਜੀ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਯਾ ਨਾ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ । (ਹਾਸਾ)

11 a.m.

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣ ਗੀਆਂ । (ਹਾਸਾ) (This means that when the hon. Minister visits the villages then the ladies must be vying with each other to welcome him.) (Laughter).

ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ—ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ parties ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਬਣਨਗੀਆਂ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਅੱਛਾ ਜੀ, ਐਨੀ ਕਠਨ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ; (Is it so ? The hon. Minister will be put to such a hard test ?)

ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਓ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਆਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕ-ਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ । ਉਹ ਵਕਤ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ Samitis ਅਸੀਂ ਬਨਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 16 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਕ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਚਾਰ ਹਰੀਜਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਅਤੇ ਐਮ. ਪੀ. ਵੀ ਹੋਣਗੇ । ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਬਨਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ।

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ; ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ (ਹਾਸਾ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਬਨਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਇਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ।

ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਝੂਠ ਨਹੀਂ । ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਤਫਿਕਾ ਰਾਏ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ । (ਹਾਸਾ) ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਵਿਚ ਐਮ. ਪੀ. ਵੀ ਹੋਣਗੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ । ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਏਥੋਂ ਤਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ੧੪੦ ਦੇ ੧੪੦ ਮੈਂਬਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰ ਦੇਣਗੇ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਾਲੇ ਉਹ ਪੰਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ । (ਹਾਸਾ) (The hon. Minister is not doing the right thing that a Member who becomes a Panch also remains a Minister) (Laughter).

ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲ ਵਾਰ ਬਨਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੇ *ex-officio* members B. D. O. ਅਤੇ Sub-Divisional Officer ਹੋਣਗੇ । ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ *ex-officio* member ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ Deputy Commissioner ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Mr. Speaker:—Will the *ex-officio* members have the right to vote?

ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੋਟ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ (ਹਾਸਾ)। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਉਸ ਬਲਾਕ ਦੇ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਜਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੋਵੇ। ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ Blocks ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਮਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸੰਮਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ remarks ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਨਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜੁਟ ਜਾਣਗੇ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ । ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਅਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ । ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਫੇਰ ਉਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥ ਦੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਏਥੇ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ

[ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਉਥੇ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ ਉਥੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਅਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬੀਜ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਹੋਰ implements ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ । ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਗਾਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਣ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਬੀਜ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ implements ਦੇ ਸਕਣਗੇ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਆਬਪਾਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਗਊ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਏਥੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਮਗਰ ਅਜ ਕਲ ਏਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ । ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਚੰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਨ੍ਹ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤਾਕਿ ਦੁਧ ਘਿਉ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਬੜਾ set back ਹੈ । ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾ 16 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚ ਉਸ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾ 14 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ Community Development ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ disposal ਤੇ ਰਖ ਦੇਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਜਾ ਫੀਸ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਸਕਣਗੇ ਤਾਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਮਦੋਰਫਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੰਗੇ ਹੋ ਸਕਣ । ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਰਵਿਸ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਤਅੱਲੁਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ supervise ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ

ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ approve ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਅਫਸਰ ਰਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿਚ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਰਖਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾਂ ਪਰੀਸ਼ਦ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ Standing Committees ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ meet ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਤਅੱਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ standing committees ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲ, ਸੜਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ supervise ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੋਈ controversial ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੀਜਨਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਅਤੇ Joint Sub-Committee ਵਿਚ ਬੜੀ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ discuss ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਹੈ। ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : Treasury Benches ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ (Most of the Members sitting on the Treasury Benches have also left for their homes).

ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਏਥੇ ਹਾਜ਼ਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਦੇ। ਮਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਸਬੰਧੀ ਜਿਤਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads Bill, as reported by the Regional Committees, be taken into consideration.

OBSERVATION MADE BY THE SPEAKER REGARDING THE NEW ASSEMBLY CHAMBER

श्री अध्यक्ष : आज सारे मेम्बर साहिबान ने नया चैम्बर देख लिया होगा । इस बात के लिए और कल शाम को पांच बजे पलान दिखाने के लिए चौधरी सूरज मल जी का शुक्रिया । मैं मेम्बर साहिबान की राए जानने के लिए मीटिंग रखने वाला था लेकिन चूंकि बहुत से मेम्बरान घर चले गए हैं इस लिए मैं चाहूंगा कि वे अपने घरों से ही मुझे इस बात के बारे में अपनी राए लिख कर भेज दें । मुझे खुशी है कि श्रीमती ओम प्रभा जैन ने अपने views पहले ही मुझे लिख कर भेज दिये हैं और अच्छे ढंग से लिख कर भेजे हैं ।

Her views are like this. Let me read out—

"Today we saw the Assembly Secretariat under construction. I congratulate you and the Capital Project for the magnificent building that you are constructing. I hope that this 'symbol of democracy' depicting the skill of Indian architect and engineering will have a marked appreciation from all regarding its design and magnitude."

फिर आगे उन्होंने अपनी बहनों की नुमायंदगी की है :

"We, the lady members have been feeling the necessity of a common room for ourselves where we could discuss the problems, resolutions, questions and motions of our common interest. This common sitting at one separate place can also help us in jointly sponsoring certain things of importance."

इस में कोई शक नहीं है कि आप को कामन रूम मिलेगा ।

"In Parliament we are told that lady Parliamentarians do have such a room. I think that if we are provided with one such big room in the new building also this will bring all the lady members together.

वह भी आपकी खाहिश के मुताबिक हो जाएगा । लेकिन मुझे डर है कि लेडी मैम्बर साहिबान आपस में लड़ती रहेंगी और हमें जा कर हटाना पड़ेगा । पिछली असैम्बली में तीन लेडी मैम्बरों को इकट्ठा बैठाया गया था लेकिन एक साल इकट्ठी बैठ कर वे कहने लगीं कि हमें अलग अलग बैठा दो ।

The room should be equipped with "Toilet' inside, not outside. Moreover, it should be on the basement, near the entrance to Assembly Hall. The Division Bell should be fitted therein too."

This will also be done. The letter further reads—

"The seats to be provided in the Hall should be of wood, not of cement as decided earlier by the Capital Project."

यह तो सारे हाऊस की डिमांड है कि बैंच लकड़ी के बनने चाहिएं और सरदार भूपिंद्र सिंह मान ने इस के लिए रीजन्ज़ दी हैं । जब मैम्बर साहिबान किसी प्वायंट को appreciate करते हैं तो उस वक्त Thumping करते हैं । Thumping forms an integral part of Parliamentary practice.

पत्थर के बैंचों पर तो thumping नहीं हो सकेगी । इस बात का आरकीटेक्ट को पता होना चाहिये था ।

इस तरह से लेडी मेम्बर की तरफ से कुछ suggestions आई हैं । मैं दूसरे मेम्बर साहिबान से कहूंगा कि वे भी मुझे एक हफ्ते के अंदर suggestions भेज दें ताकि चौधरी सूरज मल जी को उन की इत्तलाह दे दी जाए । मैं जानता हूं कि वह इस मामले में keen interest ले रहे हैं । इन की दिलचस्पी लेने की वजह से ही हम सोच रहे हैं कि अगर बजट सेशन नए चैम्बर में किया जाए । हम उन के और इंजीनियरों के खास तौर पर शुक्रगुज़ार हैं।

(All the hon. Members must have seen the New Assembly Chamber today. We are grate ful to Chaudhri Suraj Mal for this and for showing the plan yesterday at 5 p. m. I was going to fix a meeting of the hon. Members in order to know their views about this matter. But as most of the Members have already left for their homes I want that they should send me their views on the subject in writing from there. I am happy that Shrimati Om Prabha Jain has taken the initiative in sending me her views in an effective manner. Her views are like this. Let me read out—

"Today we saw the Assembly Secretariat under construction. I congratulate you and the Capital Project for the magnificient building that you are constructing. I hope that this 'symbol of democracy' depicting the skill of Indian architect and engineering will have a marked appreciation from all regarding its design and magnitude."

She has pleaded the cause of the lady members also.

"We, the lady Members have been feeling the necessity of a common room for ourselves where we could discuss the problems, resolutions, questions and motions of our common interest. This common sitting at one separate place can also help us in jointly sponsoring certain things of importance."

There is no doubt that the lady Members would get a common room.

"In Parliament we are told that lady Parliamentarians do have such a room. I think that if we are provided with one such big room in the new building also this will bring all the lady Members together."

It will be done according to their wishes. But I am afraid lest the lady Members should quarrel amongst themselves and then we shall have to separate them. In the last Assembly three lady Members were seated together, but after sitting together for a year or so they requested for allotment of separate seats.

"The room should be equipped with 'Toilet' inside, not outside. Moreover, it should be on the basement, near the entrance to Assembly Hall. The Division Bell should be fitted therein too.

This will also be done. The letter further reads—

"The seats to be provided in the Hall should be of wood, not of cement as decided earlier by the Capital Project".

[Mr. Speaker]

This is a unanimous demand of the House that the benches should be made of wood and Sardar Bhupinder Singh Mann has given cogent reasons in support of this. Members resort to thumping of benches on certain occasions when they want to show appreciation of any point. Thumping forms an integral part of the Parliamentary practice. But this will not be possible with cemented benches. The architect should have realized this.

Thus some suggestions from the Lady Member have been received. I would, request the other Members also to send me their suggestions within a week so that these may be forwarded to Chaudhri Suraj Mal, who, I know, is taking keen interest in this project. It is because of this that we propose to hold our next Budget Session in the new Chamber. We are thankful to him and particularly to our engineers.)

THE PUNJAB PANCHAYAT SAMITIS AND ZILA PARISHADS BILL, (RESUMPTION OF CONSIDERATION)

Chaudhri Dharam Singh Rathi (Sambhalka) : Sir, I beg to move—

> That the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads Bill, as reported by the Regional Committees, be recommitted to the Regional Committees, with a direction to make a report by the 30th January, 1961.

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बिल Regional Committees को वापस जाना चाहिए क्योंकि इस के अंदर बहुत सी खामियां रह गई हैं, confusions रह गए हैं। दो तीन clauses Hindi Regional Committees ने किसी और ढंग से पास की है और Punjabi Regional Committee ने किसी और ढंग से पास की हैं। नतीजा यह होगा कि अगर फैसला न हुआ तो बिल गवर्नर के पास जाएगा। तो गवर्नर अपनी मर्जी से उस को पास कर देगा। इसलिये मेम्बरान को खुद इसे ठीक करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आप ने dissenting vote दिया है ? (Has the hon. Member given a dissenting vote ?)

चौधरी धर्म सिंह राठी : हां जी, दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि यह बड़ा important बिल है। वज़ीर मोहतरिम ने भी कहा है कि बड़ा important बिल है। लेकिन मैं तो उनसे भी ज्यादा important बिल समझता हूं क्योंकि इस के लिए साथ देहातियों की जिंदगी वाबस्ता है। अगर इस तरह से बिल पास हो गया तो देहाती ज़िंदगी खराब हो जाएगी, बिल्कुल बराबद हो जाएगी। मैं कहता हूं कि इस से ज्यादा reactionary Bill मैंने देहातियों के लिए कोई नहीं देखा। अंग्रेज़ों के ज़माने में District Boards के मेम्बर लोगों की राए से चुन कर आया करते थे। Congress Government Progressive होने का दावा करती है लेकिन यह indirect elections करवा रही है। यह कहती है कि ज़िला परिषद् के जो मेम्बर होंगे वह पंचों की राए से पंचायत समितियों के मेम्बरों में से चुने जाएंगे।

श्री अध्यक्ष : आप किस मोशन पर बोलते रहे हैं ? (On what motion is the hon. Member speaking ?)

चौधरी धर्म सिंह राठी : मैं दोनों motions पर बोल रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : अगर आप की amendment बिल के Basic Principles के खिलाफ है तो फिर तो आनी नहीं चाहिए । (If the amendment of the hon. Member is against the basic principles of the Bill then it is not in order.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : Statement of objects and reasons में कहीं नहीं दिया कि elections direct होंगे । (*Interruptions*)

Mr. Speaker : They may reject or amend the Bill but they cannot challenge the very fundamentals of the Bill.

Chaudhri Dharam Singh Rathi : They can change the provisions of the Bill.

Mr. Speaker : But you are attacking the very basic principles of the Bill.

Chaudhri Dharam Singh Rathi : No, Sir. I am attacking the procedure prescribed in the Bill for elections. I am attackig that and not the fundamental provisions of the Bill.

जो procedure रखा गया वह ऐसा है कि जिस से लोगों को भारी दिक्कत हो सकती है । इस से लोगों के सही नुमायंदे नहीं आ सकेंगे । यह progressive बात नहीं है, reactionary है । इस में रखा गया है कि वह आदमी election लड़ सकता है जो पंचायत का मैम्बर हो । (*Interruptions*)

श्री अध्यक्ष : एक तरफ तो main motion की support हो रही है और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि basic principles गलत हैं । यह चौधरी धर्म सिंह ही कर सकते हैं । (हंसी) How do you reconcile the two? (On the one hand the main motion is being supported while on the other it is stated that its very basic principles are wrong. Only Chaudhri Dharam Singh can do this. How does he reconcile the two?) (*Laughter*)

Chaudhri Dharam Singh Rathi : I am speaking on both the motions.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, position ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਚ election ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਹੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

Mr. Speaker : Will the hon. Minister please throw light on this point. In case the opinion of the hon. Member that the system of election should be changed, is accepted, would the Bill substantially remain the same or would it have to be changed completely ?

ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਿਲ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ । ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬਿਲ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਲਈ 5 ਦਿਨ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਹਿੰਦੀ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ consider ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 5 ਦਿਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ । Joint Sub-Committee ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ 7 ਦਿਨ ਦਿਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਬਿਲ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ reject ਕਰਨਾ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਵਿਚ ਹੈ । ਇਕ altogether different ਬਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਬਿਲ ਨੂੰ absolutely change or substitute ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, they cannot do it. This is my view. (Addressing the Minister) It is within the competence of the Regional Committees to amend a bill or to reject it. But to send an altogether different bill which absolutely changes or substitutes the original one is beyond their purview; they cannot do it. This is my view.

चौधरी धर्म सिंह राठी : मैं, जनाब, यह कह रहा हूँ कि हिन्दी रिजनल कमेटी इस को change करने के लिए empowered है ।

Mr. Speaker : I doubt if the Regional Committees can attack the very basis and fundamentals of the bills.

चौधरी धर्म सिंह राठी : Hindi Regional Committee empowered है कि वह change कर दे ।

Mr. Speaker : I think that if you differ with certain matters or provisions contained in the Bill, you can move a motion for reference or recommittal of the Bill to the Regional Committees. If you challenge the very basic or fundamental provisions of the Bill, then your motion is out of order.

ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਿਲ ਤੇ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : Recommital ਵਾਲੀ motion ਤੇ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ । (The hon. Member is speaking on the motion regarding recommital of the Bill to the Regional Committees.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : तो, जनाब वज़ीर साहिब ने जिन बातों का ज़िक्र किया है, मैं उन के मुताल्लिक अर्ज़ कर रहा हूँ । Co-option के बारे में वह कहते हैं.....

चौधरी बारू राम : यह समझ नहीं आई कि राठी साहिब किस motion पर बोल रहे हैं । पहले यह decide हो जाए ।

श्री अध्यक्ष : मैं ने ruling तो दे दी है । मगर यह बात shift कर गए हैं कि मैं main motion पर बोल रहा हूँ । उस पर यह बोल सकते हैं । (I have given my ruling. But he has shifted his ground and now he says that he is speaking on the main motion, which he can do.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : मैं अपने फाज़िल दोस्त को बताना चाहता हूँ कि मैं दोनों motions पर बोल सकता हूँ । ((*Interruptions*)) यह जो तरीका गवर्नमेंट ने रखा है कि ज़िला परिषद् में और पंचायत समिति में पंचायत का पंच ही आ सकता है यह गलत है और उन लोगों से ज्यादती है । नतीजा यह होगा कि इन के खिलाफ जज़्बा पैदा हो जायगा । वह कहेंगे कि यही पंच, यही पंचायत समिति का मैम्बर और यही ज़िला परिषद् का मैम्बर बन गया है । यह कहते हैं देहातियों को ऊपर उठा रहे हैं मगर आप तो इस का scope limited कर रहे हैं । इस तरह बहुत limited लोगों को Local Self Government की training मिल सकेगी । इस का scope बढ़ाना चाहिए । इस तरह दूसरे काबिल आदमी इस में आ सकेंगे । कोई ऐसे लोग भी होंगे जो सिर्फ ज़िला परिषद् के ही मैम्बर बनना चाहेंगे मगर आप ने उन पर पाबन्दी लगा दी है । यह कहते हैं पंच ज़रूर बनो । इस तरह झगड़े बढ़ेंगे और पंजाब की फिज़ा खराब होगी । स्पीकर साहिब, यह मैम्बरों को शिमले की ठंडी हवा में ले गए चाय-वाय पिला कर बिल report करवा लिया ।

श्री अध्यक्ष : यह तो आपका ख्याल है । (This is the opinion of the hon. Member.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : अब जनाब, मैं एक चीज़ के बारे में और अर्ज़ करना चाहता हूं और वह है कोआपशन के बारे में । मैं, जनाब, स्विटज़रलैंड का कांस्टीच्यूशन पढ़ के आया हूं और इंगलैंड का भी देखा है लेकिन कोई भी डैमाक्रेटिक कंट्री जिसके आधार पर हमारे यहां भी डैमाक्रेसी लागू है, ऐसा नहीं है जहां कि कांस्टीच्यूशन में कोआपशन की बात हो । मेरा तजुर्बा, जनाब, यह बतलाता है कि कोआपशन का मतलब ही करप्शन है, क्योंकि कोआपशन होगी ही ले दे के । यह सरदार गुरबंता सिंह साहिब तो पढ़ते ही नहीं; मैंने सारे कांस्टीच्यूशन देखे हैं और कोआपशन का सिस्टम कहीं नहीं मिला है । मुझे पता है कि यहां कांग्रेस वाले कोआप्ट करते हैं और वह किस तरह से करते हैं । खैर असली बात यह है, स्पीकर साहिब, कि कोआपशन नहीं होना चाहिए । दूसरी चीज़ यह कहते हैं कि हमने ऐसोशिएट मैम्बर रखे हैं । उनमें एम. एल. एज. भी रखे हैं लेकिन इनको वोट का अख्तियार नहीं दिया गया जब कि उन लोगों को जो पंचायतों से चुन कर आएंगे वोट का अख्तियार होगा । कैसी हैरानी की बात है । एक मैम्बर जो एक लाख आदमियों का नुमाइंदा हो उसे तो वोट का अधिकार न हो और जो सिर्फ 500 आदमियों का नुमाइंदा हो उसे अधिकार हो ।

[चौधरी धर्म सिंह राठी]

जनाब एम. एल. एज़. को वोट का हक न देकर देहातियों के साथ बड़ी भारी ज्यादती है। या तो एसोशिएट मैम्बर बनाम्रो ही नहीं और अगर बनाते हो तो उन्हें वोट का हक दिया जाना चाहिए। नहीं तो ऐसोसिएशन की बात बिल्कुल उड़ा देनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आप को यहां जो पब्लिक एकाउंट्स कमेटी में मैम्बर काउंसिल के लिए जाएंगे वह तो एसोशिएटिड ही होंगे। (The Member, who will be taken from the Legislative Council to serve on the Public Accounts Committee, will of course be associated members.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : जी हां, ऐसा काम यही गवर्नमैंट कर सकती है। जनाब, किसी डैमाक्रेटिक कंट्री में देख लें कहीं भी ऐसा नहीं कि एक एम. एल. ए. मैम्बर हो और उसे वोट का हक न हो। चौथी चीज़ यह कहते हैं कि हमने किसानों को और इंडस्ट्रीज़ वालों को बड़े बड़े अख्तियार दे दिए हैं। मैं वज़ीर साहिब से पूछना चाहता हूं कि बगैर पैसे के इंडस्ट्री कैसे आगे बढ़ेगी और खेती को क्या फायदा होगा या कोआपरेटिव महकमे को क्या फायदा होगा? इन्होंने कहीं यह प्रोवाइड नहीं किया कि समितियों को इन चीज़ों के लिए रुपया मिलेगा। सिर्फ एक जगह लिखा है वह भी यह कि गवर्नमैंट रेग्युलेट करेगी। यह तो ऐसे है कि घर के मालिक तुम लेकिन माल को हाथ नहीं लगा सकते। अगर इन्होंने कुछ दिया भी है तो सिर्फ 4 आने लोकल रेट जो कि लैंड रेवेन्यू पर है। इससे क्या बन सकता है, कौनसी खेती-बाड़ी और कौनसी इंडस्ट्री और कौन सा कोआपरेटिव मूवमैंट आगे बढ़ेगा? बात यह है कि सरदार गुरबंता सिंह साहिब को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का तो तजुर्बा है नहीं क्योंकि वह वहां भी नोमीनेटिड मैम्बर ही थे, इलैक्शन से बन कर तो आए नहीं थे।

श्री अध्यक्ष : यह logic कैसी है? बड़ी अजीब बात है। (What is this logic? It is indeed a strange thing).

चौधरी धर्म सिंह राठी : स्पीकर साहिब, इन्होंने एक बात और कही कि अब गवर्नमैंट मुलाज़िम सेवक हो गए। हां, पहले का तो हमें पता है लेकिन अगर अब करनाल मरडर कैस के नतीजे के बाद बन गए हों तो बन गए हों सेवक। वह तो सारी दुनियां को पता है।

पंजाब गवर्नमैंट के मुलाज़म कितने सेवक थे। इस के लिए हाई कोर्ट का certificate मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट का certificate मौजूद है। लेकिन अब आप सेवक बन गए हों तो उसका पता नहीं। इस लिए आप ज्यादा तारीफ न करें। मैं समझता हूं कि अगर सही तौर पर इसे चलाना है तो ज़िला परिषद और पंचायत समितियों को ठोस powers दो। इस में लिखा है कि एक सेक्रेटरी होगा जो कि executive officer होगा। उसे गवर्नमैंट appoint करेगी। इसे हक होगा कि जिस के खिलाफ चाहे action ले ले। मैं समझता हूं कि यह reactionary Bill है। गवर्नमैंट किसी मैम्बर को किसी वक्त भी हटा सकती है, supersede कर सकती है। इस में इतनी arbitrary powers दी गई हैं जो कहीं ढूंढे

से भी नहीं मिलतीं। एक जगह तो यहां तक लिख दिया है कि अगर कोई शख्स चेयरमैन की खिलाफ मर्जी elect हो गया हो तो वह बिला वजह जब चाहे failure of justice के तहत हटाया जा सकता है और इस failure of justice की तारीफ कहीं पर नहीं दी गई। यह चीज़ executive officer के दिमाग की बात होगी। इस तरह से अगर कोई वज़ीर कह दे कि फलां शख्स को हटा दो तो वह हटा दिया जायगा क्योंकि failure of justice की ground तो दो मिनट में बन जाती हैं। इस लिए मैं कहूंगा कि इसे जल्दी में पास न करें। अगर म्युनिसिपल बिल दिसम्बर तक पास किया जा सकता है तो इस में क्या जल्दी है। मैंने देखा है कि जब कोई बिल देहात के खिलाफ लाना होता है तो उसे फौरन ले आते हैं और कभी वह सरदार गुरबन्ता सिंह से पेश करवा देते हैं, कभी चौधरी सूरज मल से और कभी राम्रो बिरेन्दर सिंह से। इस तरह ये देहातियों से देहातियों को मरवाते हैं। हमने Village Common Land Act पास किया। उस का अभी तक पता नहीं चला कि कहां गया। लेकिन यह बिल जो देहातियों की जिन्दगी से खेलता है, इस में इतनी जल्दी कर रहे हैं। इन संस्थाओं में मुलाज़मों को रखने का अख्तियार ज़िला परिषद के बारे में गवर्नमैंट ने ले लिया है। जिस का नतीजा यह होगा कि जो लोग ईमानदार हैं उन को यह गवर्नमैंट किसी न किसी तरह से चलता कर देगी क्योंकि यह कह देंगे कि ईमानदार आदमियों की इस गवर्नमैंट को ज़रुरत नहीं है और उन की जगह रद्दी आदमी रखेगी। मैं समझता हूं यह ज्यादती है क्योंकि ऐसे लोगों को जिन की कई कई साल की service होगी निकाल दिया जायगा मुझे वज़ीर मोहतरिम का तजरुबा है। ट्रांस्पोर्ट कम्पनी के अन्दर १३ हज़ार रुपए का गबन था इन्होंने ....

Mr. Speaker: You have made a very constructive speech to-day but now you have started mentioning irrelevent matters.

चौधरो धर्म सिंह राठी : जनाब, आखीर में मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस की क्लाज़ में लिखा है as prescribed under the rules इस का मतलब यह है कि पंचों की position क्या होगी यह बात गवर्नमैंट ने अपने हाथ में रख ली है। Constituencies के बारे में भी जो provision की है वह vague है और सारे बिल में आप देखेंगे कि contradiction है। Fairs और trades के अख्तियारात ग्राम पंचायत को भी दे दिए हैं और इस में भी दे दिए हैं। इस लिए मैं समझता हूं कि अगर इसी हालत में इसे पास कर दिया गया तो देहात में जो पंचायतें चल रही हैं वे भी fail हो जायंगी। आखीर में मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि मिनिस्टर साहिब अगर वाकई देहात के खैरखाह हैं तो इस बिल को ठीक करने की कोशिश करें।

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : On a point of information Sir, ਕੀ ਅਸੀਂ ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ motion ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ motion ਤੇ ਜੋ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ motion ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ accept ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ reject ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ motion ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ press ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। (The hon member has not pressed for his motion during his speech.) It is considered as not moved. The hon. Members may speak on the consideration motion.

चौधरी बारू राम (राजौंद) : स्पीकर साहिब इस वक्त Punjab Panchayat Samtis and Zila Parishads Bill पर विचार हो रहा है और यह बिल Regional Committee से हो कर आया है। इस बिल के मुताल्लिक मिनिस्टर महोदय ने बताया कि इस पर देहातियों की तरक्की का दारोमदार है और उन्हें ऊपर उठाने के लिये इस में काफी प्रबन्ध किये गये हैं। इस से मैं थोड़ा सा सहमत हूं और जिन बातों पर इख्तलाफ है उन के मुताल्लिक मैं ने अपना dissenting note दिया है। जहां तक देहातियों को local bodies में हिस्सा देने का ताल्लुक है यह ठीक है कि 19, 20 सालों से देहातियों को local bodies में हिस्सा लेने से महरुम कर दिया गया हुआ है। अगर ज़िला परिषद देहातियों की local problems को solve करें तो ठीक है, लेकिन, स्पीकर साहिब, जिन जिन बातों पर मेरा इख्तलाफ है वह मैं हाउस के सामने रखना चाहता हूं। सब से पहले मैं अर्ज़ करूंगा कि इस बिल के अन्दर तीन किस्म के मैम्बर बनाये गये हैं—primary members, co-opted members and associated members हमें देखना है कि यह members क्या होंगे, वे पंचायत Samitis और Zila Parishads के मैम्बर कैसे बनेंगे, क्या क्या उन के rights और privileges होंगे। सब से पहले मैं co-opted members का ज़िक्र करना चाहता हूं। इस के लिये हरिजनों और स्त्रियों को co-opt करने का इस बिल में provision किया गया है। जहां तक हरिजनों का ताल्लुक है उन के मुताल्लिक तो विधान में provision है और पिछड़ी हुई जाति होने के कारण उन्हें रियायतें दी गई हैं। लेकिन इस के साथ साथ हमारे विधान में यह लिखा है कि cast, religion and sex की बिना पर किसी को discriminate न किया जाए। अब इस बिल में हम देखते हैं कि Panchayat Samiti और Zila Prishad का मैम्बर बनने के लिये कुछ qualifications और disqualifications मुकर्रर कर दी गई हैं और कुछ voters को अख्तियार दिया गया है कि वे elections contest करें। यह समझ नहीं आती कि स्त्री जाति कैसे पीछे रह जाती है और कैसे election की वजह से महरुम रह जाती है। मान लिया कि हरिजनों को स्वर्ण जाति वाले आगे नहीं आने देंगे अगर co-option का method अख्तियार न किया जाए। लेकिन मैं हैरान हूं कि स्त्री जाति के मुताल्लिक आम तौर पर ढंडोरा पीटा जाता है कि स्त्री जाति बहुत पीछे है। हिन्दुस्तान में स्पीकर साहिब, आप देख लें कौन सा वर्ग है जो आसमान पर चढ़ा हुआ है। हो सकता है कि थोड़े बहुत शहरी और देहाती जो लिखे पढ़े हों वे आगे बढ़ गये हों लेकिन आम तौर पर देहात में गरीब आदमी बसते हैं। ऐसी ही बुरी हालत आदमियों की और ऐसी ही बुरी हालत स्त्री जाति की है। मेरी समझ में नहीं आता कि आदमी किस तरह स्त्री के मुकाबले में आगे हैं और न ही मैं समझ सका हूं कि आज कल के ज़माने में मज़हब की क्यों दोहाई दी जाती

12.00 noon

है। जब कि विधान के अनुसार हर citizen का equal right तसलीम किया गया है। न मालूम ऐसी भावनाएं क्यों लोगों के दिलों में पैदा हो गई हैं। मैं राठी साहिब की राये से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। अभी उन्होंने कहा कि nomination से बड़े अच्छे अच्छे आदमी लिये गये। मैं इस controversy में नहीं पड़ना चाहता लेकिन जहां गवर्नमैंट ने agricultural market Committee के चेयरमैन की nomination की है वहां हम ने देखा है कि वह महज़ अंगूठा-टेपू होते हैं। यहां तो nomination का सवाल ही नहीं है। यहां तो co-option का सवाल है। वह अख्तियार पंचायत समितियों और ज़िला परिषदों के मेम्बरों को ही दिया जाएगा। जहां तक co-option के method का ताल्लुक है इस में कोई बुराई नहीं लेकिन यह जो sex की बिना पर discrimination की गई है इस के साथ मैं हरगिज़ सहमत नहीं क्योंकि शुरू में मैंने अर्ज़ किया था कि देहात के अन्दर चाहे वह male हो या female हो इन दोनों की हालत एक जैसी है।

इस के अलावा, स्पीकर साहिब, अगर बिल्फर्ज़ co-option के असूल को मान भी लिया जाए और हरिजनों को कुछ rights दे भी दिये जाएं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। पंचायत ऐक्ट में यह provision है कि अगर required number of harijan members पंचायत में न आ सकें तो उस सूरत में वह number पूरा किया जा सकता है। वहां पर ऐसा provision कर दिया गया है चाहे वे दूसरों के मुकाबले में कम votes ही हासिल करें। वह पंचायत का मेम्बर बन सकती है चाहे उस ने एक vote भी हासिल न किया हो। यहां पर समझ नहीं आती कि हरिजनों के लिये co-option क्यों रखी गई है।

जब एक हरिजन पंचायत समिति या ज़िला परिषद् की election में मुकाबला करता है; अगर वह एक भी vote हासिल कर ले तो वह ऐसे ही elected समझा जा सकता है जैसे कि Panchayat Act के तहत provision किया हुआ है। इसलिए मैं Co-operative of Harijans के idea के साथ differ करता हूँ, इसके साथ सहमत नहीं हूँ। जहां तक औरतों का सम्बन्ध है, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि अगर ऐसा समझा जाता है कि स्त्री जाति बहुत पीछे है तो विधान में भी इस प्रकार का provision किया जा सकता था और जैसा कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी नीति बना रखी है कि elections के लिए tickets देने के लिए औरतों के लिए कुछ seats reserve कर रखी हैं, ऐसे ही भारत के विधान में भी औरतों के लिए reservations रखी जा सकती थीं। लेकिन यह कहना कि अगर by election वह नहीं आ जातीं तो उन्हें co-option के ज़रिए लिया जाएगा मैं समझता हूं कि यह विधान की spirit के खिलाफ है और इस सिलसिले में जो बोदी दलील हमारे वज़ीर साहिब ने दी है वह कोई मायने नहीं रखती। अगर ऐसी बात हो कि औरतें किसी तरीके से इन संस्थाओं में participate करने के लिए आगे आती ही नहीं फिर तो माना भी जाय लेकिन आप के सामने विधान सभाओं और Parliament की मिसालें मौजूद हैं कि किस तरह election में औरतें मरदों का डटकर मुकाबला

[चौधरी बारू राम]

करती हैं और जीत कर आती हैं। इसलिए और इसके अलावा co-option का जो criterian रखा गया है उसकी बिना पर भी मैं इसका विरोध करता हूँ। co-option के ज़रिए भी किस को लिया जाएगा ? उनको जो स्त्रीजाति में interested होंगी। मैं पूछता हूँ कि कौन सी औरत होगी जो स्त्री जाति की तरक्की में interested न होगी ? कौन आएगी ? जो स्त्रीजाति में interested होंगी; इस बात पर मैं ज़्यदा रौशनी नहीं डालना चाहता, मिनिस्टर महोदय खुद समझते हैं।

दूसरे जो co-opted members होंगे उनके rights और privileges का यहां स्पैशल तौर पर ज़िक्र किया गया है। सब से पहली बात है right of voting इसके अलावा उनके rights वही होंगे जो primary members के होंगे; ऐसा इस बिल में ज़िक्र आया है। मैं समझता हूँ कि जैसा यहां पर कहा करते हैं कि गॉड़ गॉड़ में फर्क होता है; यहां भी मैं associated and co-opted members का comparison करने के लिए तैयार हूं। जब आपने इन के अन्दर assoicated members के लिये provision किया है और उनको right of vote नहीं दिया और दूसरे privilleges नहीं दिए तो ऐसी सूरत में मुझे co-opted members को primary members जैसे rights देने की बात समझ नहीं आई। co-option तो इसलिए की है कि हरिजनों और स्त्री जाति की पंचायत समितियों और ज़िला परिषदों में कुछ आवाज़ हो जाय। लेकिन उनको, जबकि वे elected members नहीं हैं, जबकि वे true representatives of some portion of population नहीं कहलाए जा सकते, right of vote देने की बात मेरी समझ में नहीं आ सकती।

आगे चलकर, स्पीकर साहिब, मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पंचायत समितियों और ज़िला परिषदों के मामले में गवर्नमेंट ने कुछ discretionary powers अपने पास रखी हैं। वह ये कि जहां कहीं गवर्नमेंट के ख्याल में इन संस्थाओं की working में कोई defect नज़र आए तो उस वक्त गवर्नमेंट के अफसरान को अख्तियार दिए गए हैं कि वह मदाखलत कर सकें। ऐसी व्यवस्था क्यों रखी ? यह मन्त्री महोदय से हिन्दी रिजनल कमेटी की meeting में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि देहाती लोग नासमझ हैं, वह अनपढ़ हैं, वह अपने मुफ़ाद का अच्छे ढंग से ख्याल नहीं कर सकते इसलिए सरकार ने उनको full powers देना अच्छा नहीं समझा है। इस पर तो मुझे वह दिन याद आ जाते हैं जब कि हमारे देश के वीर योधा स्वतन्त्रता के लिए युद्ध कर रहे थे और अंग्रेज़ कहा करते थे कि अभी तो हिन्दुस्तानी लोग 'self-rule' या 'home-rule' के काबिल नहीं हैं, इसलिए जो कुछ भी हिन्दुस्तानियों को दिया जाएगा stage by stage दिया जाएगा। ठीक यही जवाब पंचायत समितियों और ज़िला परिषदों को दी जाने वाली powers की बाबत हमारे मन्त्री महोदय ने कहा था कि हम देहातियों को अपने आप को govern करने के लिए अख्तियारात stage by stage देंगे। स्पीकर साहिब, मैं समझता हूँ कि इस किस्म का ख्याल इस किस्म का दृष्टिकोण बिल्कुल काबिले मुज़म्मत है। यह democracy की spirit के खिलाफ है, मुल्क के विधान के मुनाफी है। जब विधान ने हर उस आदमी को जो बालिग है—

चाहे वह देहाती है, चाहे ग्रमीर है, चाहे गरीब है--right of vote दिया है कि ग्रपने ग्राप पर हकूमत करने के लिए वह विधान सभा के मेम्बरों को चुन ले, लोक सभा के मेम्बरों को चुन ले; ऐसी हालत में तो वे मेम्बर चाहे ग्रनपढ़ ही ग्रा जाएं उस वक्त तो हमारे मिनिस्टर साहिब की नज़रों में कोई नुकसान वाली बात नहीं है। लेकिन ग्रगर वही देहाती ग्रपनी किस्मत का फैसला खुद करना चाहते हैं तो उस वक्त उन पर ग्रंकुश लगाया जा रहा है, पाबन्दी लगाई जा रही है, control लगाया जा रहा है। कौन नहीं जानता कि किस भावना से यह ग्रंकुश ग्रपने हाथ में रखा जा रहा है। मैं तो यह समझता हूं कि ताकत का नुमायां हिस्सा गवर्नमैंट ग्रापने हाथ में रखना चाहती है ताकि जिस तरह वह चाहे रीछ की नुकेल को हिला कर पंचायत समितियों ग्रौर ज़िला परिषदों को ग्रपनी मर्ज़ी के मुताबिक खैंच सके। मैं समझता हूँ कि जो ग्रख्तियारात गवर्नमेंट ने ग्रपने हाथ में रखे हैं उसकी यही वजह है कि हमारी कांग्रेसी सरकार नहीं चाहती कि यह संस्थाएं ग्रपने लिए ग्राज़ादाना तरीके से काम कर सकें।

स्पीकर साहिब, ग्राप इस बिल को शुरू से लेकर ग्राखिर तक पढ़ जाएं। Local administration का काम तीन संस्थाग्रों के हाथमें दिया है। एक पंचायतें, दूसरी पंचायत समितिएं ग्रौर तीसरी ज़िला परिषदें। लेकिन बिल को ग्रच्छी तरह study करें तो मालूम होगा कि इनके काम की कतई तौर पर co-ordination कोई नहीं। पंचायतें बिल्कुल ग्रलग bodies हैं ग्रौर वे ग्रलग Act से govern होती हैं। उन का इस बिल से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी जो पंचायत समितियां ग्रौर ज़िला परिषद् इस बिल के ज़रिए create की जा रही हैं उनका भी ग्रापस में कोई तालमेल नहीं है। वह एक दूसरे से बिल्कुल independent bodies हैं। ग्रब यह देखना होगा कि जिस वक्त इनकी working शुरू होगी तो उस वक्त बड़ी difficulties arise होंगी कि कहां पर कौन प्रधान है क्योंकि दोनों की duties तकरीबन २ यकसां हैं। जहां तक पंचायतों का सम्बन्ध है, मेरा ख्याल है कि पंचायत समितियां या ज़िला परिषद् उनके काम में interfere कर ही नहीं सकतीं ग्रौर जहां तक पंचायत समितियों ग्रौर ज़िला परिषद्दों का ताल्लुक है उनका ग्रापस में कोई तालमेल नहीं रखा गया। स्पीकर साहिब, जब हम इन बातों को देखते हैं तो मालूम होता है कि हमारी सरकार दिखावे के लिए काम करती है। कहती है कि हम देहातियों को rights दे रहे हैं। जहां एक हाथ से देती है वहां दूसरे हाथ से छीन लेना चाहती है। यही वजह है कि तीनों Bodies में कोई co-ordination नहीं हैं। हर एक step पर सरकार की तरफ से interference होती है। Local Bodies के ग्रख्तयारात छीनना चाहते हैं। इन वजूहात की बिना पर मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं ग्रौर किसी मुनासिब वक्त पर amendment पेश करने की कोशिश करूंगा। जिस वक्त यह बिल Regional Committees के under consideration था उस वक्त भी कोशिश की गई थी लेकिन मिनिस्टर महोदय की समझ में नहीं ग्राई क्योंकि उन को guide करने वाले मन्त्री मौजूद नहीं थे। ग्राज भी वह ग़ैर-हाज़िर हैं। इस लिए ग्राज भी नहीं समझ सकेंगे। मैं basic principle को नहीं मानता। जहां पर ज़िला परिषद् ग्रौर पंचायत समितियों के election का तरीका रखा गया है मैं उस के भी खिलाफ हूं। इन्होंने

[चौधरी बारू राम]

जो provision की है वह यह है कि ज़िला परिषद् और पंचायत समितियों के मेम्बर चुनने के लिए Panches और Sarpanches को ही right of vote दिया गया है । जहां तक right of vote का सवाल है मैं उस को एक हद तक मानने को तैयार हूं लेकिन एक चीज़ जो इस में रखी गई है कि पंचायत समितियों और ज़िला परिषद के elections केवल Panches और Sarpanches ही लड़ सकेंगे, इस बात के मैं बिल्कुल खिलाफ़ हूं क्योंकि जब आप चाहते हैं कि Local Bodies की management अच्छी हो, अच्छे तरीके से हो, देहातियों के लिये अच्छा काम हो सके और समझदार और तरक्की पसंद लोग आगे आएं तो यह चीज़ जो आप ने कर दी है कि सिर्फ Panches और Sarpanches में से ही elections लड़ सकेंगे यह बात मेरी समझ में नहीं आई है । इस के लिए कोई दलील नहीं दी गई । हां, एक hon. Member की तरफ से जब यह कहा गया कि ऐसा क्यों किया जा रहा है तो यह जवाब मिला कि जो influential लोग होंगे वे Panches और Sarpanches को surpass कर जाएंगे और पंचायत समितियों और ज़िला परिषद्दों पर कब्ज़ा कर लेंगे । अगर शहर वालों पर कोई एतराज़ हो तो आप प्रतिबन्ध लगा सकते हैं, restriction लगा सकते हैं कि वे election न लड़ें । लेकिन जो लोग देहात में रहते हैं, जो देहात की ज़िंदगी से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, आप की निस्बत ज्यादा अच्छी सरह समझते हैं, उन पर आप रोक न लगाइए । उन पर रोक लगा कर आप ने कहा है कि पंचों और सरपंचों में होंगे । यह कोई दलील वाली बात नहीं है । हां, आप इस तरह से अपना उल्लू ज़रूर सीधा करना चाहते हैं । आम तौर पर Panches और Sarpanches गांव में अनपढ़ होते हैं । इसलिए आप इन्हीं को ticket देना चाहते हैं ताकि आप की खाहिश के मुताबिक काम कर सकें । आप इसीलिए चाहते हैं कि जो लोग अनपढ़ हैं, ना समझदार हैं वही पंचायत समितियों और ज़िला परिषदों में चुन कर जाएं ताकि आप जिस तरह चाहें वैसे ही करें । मैं देखता हूं कि आपने B.D.Os. के रूप में white elephant बिठाए हुए हैं । ऐसा ही नमूना आप पंचायत समितियों में रखना चाहते हैं ।लेकिन अगर पंचायत समितियों के अन्दर नासमझदार लोग होंगे, अनपढ़ होंगे तो वे आप का बिगड़ा हुआ रीछ जो कि B.D.O. के रूप में फिर रहा है उस को काबू में नहीं कर सकेंगे । इस लिए मैं चाहता हूं कि voters चाहे Panches हों या Sarpanches हों, इस पर मुझे कतई एतराज़ नहीं है लेकिन जहां तक elections लड़ने की restriction लगाई है वह नहीं होनी चाहिए । यह चीज़ मिनिस्टर महोदय के अलावा कोई नहीं चाहता । आप को तो यह चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिये कि जो लोग पढ़े-लिखे हैं, समझदार हैं उन को पंचायत समितियों में और ज़िला परिषद्दों में आने का मौका मिले और वे अपने इलाके के देहातियों की नामज़दगी कर सकें । इन शब्दों के साथ मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं ।

श्रीमती ओम प्रभा जैन (कैथल) : श्रीमान् स्पीकर साहिब, मैं आप का शुक्रिया अदा करती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है । बलवन्तराए मेहता की रिपोर्ट पर जो यह draft हमारे सामने पेश है मैं इस का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं । मैं वज़ीर साहिब को मुबारकबाद देती हूं कि इन्होंने दो-चार बातों में बलवन्तराए महता की रिपोर्ट से भी ऊपर उठ कर कार्यवाही की है । मुझे खुशी है कि हमारी स्टेट देश की बाकी स्टेटों के मुकाबला में lead

करेगी। आज़ादी मिलने के बाद हमारी गवर्नमेंट की सब से बड़ी कोशिश यह रही है कि गांव के रहने वाले जो लोग देहाती हैं और गरीब हैं उनको Administration का essential part बनाया जाए और उन के अन्दर confidence पैदा किया जाए ताकि वे अपने देहात की और अपने इलाके की मदद कर सकें। पंचायत Act तो पहले से ही मौजूद था लेकिन उस की Powers कुछ महदूद थीं इसलिये वे लोग चाहते हुए भी कुछ काम नहीं कर सकते थे। मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट की वह कोशिश आज कामयाब होगी और आज का दिन इतिहास में याद रहेगा कि पंजाब सरकार ने Powers को decentralize कर के Administration का हक voters को दिया। स्पीकर साहिब, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि इस बिल में इस बात का ख्याल रखा गया है कि rural लोगों को हक मिले और कहीं ऐसा न हो कि पढ़े-लिखे चालाक लोग और शहरी लोग देहातियों को exploit कर के खुद पंचायत समितियों पर कब्ज़ा कर लें। इस लिये यह provision की गई है। अगर ऐसा न किया जाता तो चालाक लोग फायदा उठा लेते।

इस के लिए मैं गवर्नमेंट को बधाई देती हूँ। स्पीकर साहिब, इस के जो broad principles हैं उन को classify किया जा सकता है। सब से पहला principle यह है कि पंचायत समिति या ज़िला परिषद् के मैम्बर वही लोग बन सकेंगे जो पंच या सरपंच चुने जा चुके होंगे। अभी चौधरी बारू राम जी ने speech की। इन को आमतौर पर co-option या किसी तरह की offical मदाखलत के खिलाफ बोलते हुए सुना है। मगर अब जबकि village को unit माना गया है और villagers को हक दिये हैं कि वह पंचायत समिति और ज़िला परिषद् के मैम्बर बन सकेंगे तो ताज्जुब होता है कि यह इस बात की भी मुखालिफत कर रहे हैं। (*Interruptions*) मैं तो इस principle को support करती हूं और इस के लिए गवर्नमेंट की जितनी सराहाना की जाए थोड़ी है। गांव ही basic unit है। उसी को re resentation मिलनी चाहिए। अगर यह बात इस में न रखी जाती तो मुमकिन था कि दूसरे ही लोग जिनके हाथों में power और influence होता वही लोगों की वोटें हासिल करने का इन्तज़ाम कर के मैम्बर बन जाते और इन bodies पर कब्ज़ा कर लेते। इस लिए मैं इस provision की तह दिल से support करती हूँ। मुझे खुशी है कि इस पूरे बिल का एक एक शब्द rural interest के लिए लिखा गया है। यहाँ तक कि यह भी एक market committees के जो representatives elect किए जाएंगे वे growers होने चाहिएँ।

फिर, स्पीकर साहिब, चौधरी बारू राम जी ने कहा कि औरतों को representation क्यों मिल गया। आज के ज़माने में गवर्नमेंट और समाज सेवी संस्थाएं यह कोशिश कर रही हैं कि स्त्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा representation मिले। आज के ज़माने में इन की तरफ से ऐसी बातें होना ताज्जुब की बात है। Constitution ने दोनों को बराबर का हक दिया है लेकिन अगर यह बराबरी देखना चाहें तो पहले घर में देखें कि वहां बराबरी है या disparity-(*Interruptions*) हमारे Constitution ने Scheduled Castes के लिए special provision किया है

[श्री मती ओम प्रभा जैन]
क्योंकि वह backward हैं। हो सकता है कि वह election के ज़रिए न आ सकें इसलिए उन को co-option के ज़रिए या reservation के ज़रिए लाने का provision किया है। यही चीज़ स्त्रियों के case में भी है। आप जानते ही होंगे कि politics में क्या हाल है। वहां औरतों को कौन आने देता है और election में कौन खड़ा होने देता है। यह politics इतनी गन्दी हो चुकी है कि कोई बहन इस में हिस्सा नहीं ले सकती। उस पर तरह २ के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और pull down किया जाता है। इस वजह से गवर्नमेंट का यह कदम अच्छा है। अगर औरतें इतनी enlightened नहीं हैं या low politics की वजह से आगे नहीं आतीं तो उन को क्यों न co-opt किया जाए। मैं समझती हूँ इसी तरह का अच्छा कदम दूसरी states को भी उठाना चाहिए।

मुझे खुशी है कि बहुत सारा local administration का काम इन bodies के हवाले किया जा रहा है। इन को tax लगाने का भी हक दे रहे हैं; Secretaries वगैरह public servants भी रख सकेंगे और development की activities में योग देंगे और देहात से ताल्लुक रखने वाले मामले जैसे Agriculture Animal Husbandary, Social Education, Public Health, Industry वगैरह में उन का हाथ होगा और वह महसूस करेंगे कि यह उन का अपना काम है। अब उन को चण्डीगढ़ नहीं आना पड़ेगा। अब वह अपने अन्दर हिम्मत महसूस करेंगे और उन में पहला डर नहीं रहेगा कि वह अपने काम आप नहीं कर सकते। इस लिहाज से मैं इसे revolutionary bill समझती हूँ। औरतों की तरफ से मैं House को इस बात का इतमीनान दिला सकती हूँ कि Government का औरतों को co-opt करने का कदम सब की सम्मति हासिल करेगा। मुझे याद है यहां बहस के दौरान कहा गया कि हिन्दी रिजन में औरतें इस काबिल नहीं कि वह पंचायतों में बैठ सकें और कहा गया कि वह इन में आना चाहती ही नहीं। मैं आप को बताना चाहती हूं कि मुझे काफी गांव में जा कर औरतों से बात करने का मौका मिला है। उन औरतों ने कहा कि हम इस से बहुत खुश हैं और कहा कि आपने हमें आसरा दिया कि हम अपनी आवाज़ उठा सकें। अन्त में मैं अपील करूंगी कि इस बिल को पास किया जाए। सरकार इस के लिए बधाई की पात्र है।

श्रीमती सरला देवी शर्मा (हमीरपुर, जनरल) : जनाब, श्रीमती ओम प्रभा की ऐनक टूट गई है इस लिए मुझे इन के साथ जाना है। मुझे थोड़ा सा time पहले दे दें।

श्री अध्यक्ष : इस का मुझे भी बड़ा दुःख है। इस वक्त Deputy Speaker भी House में नहीं हैं और कोई और Member of Panel of Chairmen भी नहीं। खां साहिब अगवा हो गए हैं, लाल चन्द भी चले गए और बाजवा साहिब भी चले गए हैं। अब इन की ऐनक टूट गई है। क्या किया जाए, सज़ा भुगत रहा हूँ। मुझे एक meeting में जाना था। (I am also very sorry for that. Neither the Deputy Speaker nor any other Member of the Panel of Chairmen is present in the House at present.

Khan Sahib, appears to have been abducted; Shri Lal Chand and Sardar Gurbachan Singh Bajwa too have left. Now she has got her spectacles broken. What can be done? As a result I have to suffer. I, too, had go to attend a meeting.

श्रीमती सरला देवी शर्मा : स्पीकर साहिब, मैं इस Bill पर अपने मन्त्री महोदय को बधाई देती हूँ। उन्होंने एक ऐसा अच्छा कदम उठाया है जो महात्मा गांधी जी के Socialist Pattern के aim के मुताबिक है। मैं समझती हूँ कि यह पहला कदम है जो देहातियों को पूरे २ अधिकार देने की दिशा में उठाया गया है। अब वह ज़िला level तक हर stage पर अपने betterment और उन्नति के लिए genuine तरीके से देहात सुधार में भाग ले सकेंगे। आज, स्पीकर साहिब, एक आवाज उठाई जा रही है कि देश को आगे ले जाने के लिए सरकार कुछ नहीं करती। मैं समझती हूँ इस Bill को देखते हुए अब इस की गुंजायश नहीं रहती क्योंकि अब तो देश को बनाने वाले खुद लोग ही हैं खास कर देहाती लोगां। इस पर मैं मन्त्री महोदय को बधाई देती हूं।

अब मुझे एक दो suggestions पेश करनी हैं। इस Bill के मुताबिक District Boards के Secretaries को State Services में शामिल कर लिया गया है। यह अच्छी बात है। मैं समझती हूँ कि इसी तरह से District Engineers को भी इसी level पर लाया जाए। उन को भी ज़िला परिषद् के मातहत न रहने दिया जाए। कई District Engineers 20, 20 साल से एक एक जिले में काम कर रहे हैं और नतीजे के तौर पर वहां पर पार्टीबाज़ी पैदा हो चुकी है। झगड़े होते हैं जो development के काम में रुकावट साबत हो रहे हैं। इस party बाज़ी की वजह से कहीं पर सड़क तो कहीं पर कुछ और बन नहीं रहा। इस friction का इलाज यह है कि इन Engineers की भी transfers हो सकें। यह तभी हो सकेगा जब यह State Services में शामिल हों। इन के अलावा Taxation Officers भी State Level पर ही होने चाहिएं। उन के case में भी यही हालत है। जब वह किसी को खुश करना चाहते हैं तो उस पर tax कम लगा देते हैं वरना ज़्यादा लग जाता है।

मैं यह नहीं कहती कि टैक्स नहीं देना। वह तो देना ही है क्योंकि डिवलैपमैंट के लिए सबसे बड़ी बात पैसा है। लेकिन आज कल ज़िलों के अन्दर पार्टीबाज़ी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसको रोकने के लिए प्रयत्न होने चाहिएं। और जो आफीसज़ को रखा जाना है वह ज़िला परिषद् के अंडर नहीं होने चाहिएं बलिक स्टेट लेवल पर रखे जाने चाहिएं। बस, मैं इतनी अर्ज़ करना चाहती हूं।

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ (ਊਨਾ) : ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ, ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਿਫਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਵਜਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ national ਤਹਿਰੀਕ ਵਿਚ ਬੜੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ

[ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ]

ਇਕੋ ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। British ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਪਹਿਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ District Boards ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ। District Board ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ elected ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬੜੀ ਭਾਰੀ national movement ਚਲੀ। ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਬਾਲਗ਼ ਦੀ vote ਦੇ ਨਾਲ District Boards ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ elected ਹੋਏ। ਅੱਜ ਤੋਂ 23, 24 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ District Boards ਦੀਆਂ elections ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 23, 24 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ District Boards ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲ ਲੈ ਆਈ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲਦੇ ਰਹੇ ਕਿ elections ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ District Boards ਦੇ elections ਨਾ ਕਰਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਜੰਗ ਤੋਂ ਲਗੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਭਰ ਨਾ ਜਾਣ ਉਸ ਵਕਤ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ elections ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, Elections ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ refugees ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ elections ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦੋ General Elections ਵੀ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਤਾਂ ਵਿਚ District Boards ਦੀਆਂ elections ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ, ਵਡੀਆਂ ਵਡੀਆਂ Municipal ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ Corporations ਦੀਆਂ elections ਵੀ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ District Boards ਦੀਆਂ elections ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ dishonesty ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਥੇ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰਾ ਹੋਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਅਦਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਗੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ three wheels ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾ wheel ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਦੂਜਾ ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ three tire constitution ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬਾਲਗ਼ ਨੂੰ vote ਦੇਣ ਦਾ ਹਕ ਹੋਵੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਅਗੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ curtail ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ provide

ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਹਰ ਬਾਲਗ਼ ਨੂੰ vote ਦਾ ਹਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨਾਲ, ਕੁਝ co-option ਨਾਲ ਕੁਝ indirect election ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣਗੇ । (ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : — ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਿਥੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ?) Co-option ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਰਖੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਅਗੇ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਥੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਠਣਗੇ । ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਮੋ ਨਸਕ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਅਫਸਰ ਹਨ ਉਹ ਸਿਵਾਏ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਰੋਅਬ ਪਾਉਣ ਦੇ, ਤਾਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ।

ਫਿਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਛਾਨਣਾ ਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਥੇ ਮੈਂਬਰ ਛਣ ਕੇ ਆਉਣ । ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ power ਨੂੰ, ਤਾਕਤ ਨੂੰ decentralize ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਖੇਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹੇਠਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਖੰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਤਾਂ power centralize ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਆਯੂਬ ਦੀ basic democracy ਇਥੇ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੀਜੀ ਗਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ Secretary, ਜਿਹੜਾ Executive Officer ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਸੀਹ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਫਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਵਸੀਹ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਗੇ ਬਲਕਿ Secretary ਦੀ appointment ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ Secretary ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਵਸੀਹ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ Secretary ਦੀ appointment ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਫਿਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ so-called public ਦੇ representatives ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਛਾਨਣੇ ਵਿਚੋਂ ਛਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Secretary ਦੀ appointment ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਾਂ ਵਿਚ ਰਖੀ ਹੈ । ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ appointment ਦਾ ਹਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਫਿਰ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਲਾਅ ਕਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾਵੇ ਦੀ ।

[ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ]

ਅਗਲੀ ਗਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਹੁਣੇ ਚੌਧਰੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਰਾਠੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦਾਂ ਔਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ provide ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ cottage industries ਚਾਲੂ ਕਰਨ, ਇਹ ਕਰਨ, ਉਹ ਕਰਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ clause No. 97 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । Clause 97 ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਮਦ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਰਟਿਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰੀਲੀਫ ਫੰਡ ਕਿਵੇ ਇਕਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ । ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ dominate ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਜ਼ ਲਈ ਰੁਪਿਆ ਇਕਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤਲਖ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਇਕਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਰਟਿਫਿਕੇਟ ਲਏਂਗਾ ਅਤੇ ਰੀਲੀਫ ਫੰਡ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀਂ ਰਕਮ ਦੇਵੇਂਗਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਕਰੇਂਗਾ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਸਬ-ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਫੜ ਲਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੇ ਕਰ ਤੂੰ ਇਸ ਫੰਡ ਲਈ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਦੇ ਦੇਵੇਂ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਉਹ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਲਏ ਜਾਂ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗ ਵਿਚ ਰਕਮ ਦੇ ਦੇਵੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਕਲਾਜ਼ 97 ਦੀ ਸਬ ਕਲਾਜ਼ (6) ਅਤੇ (7) ਵਿਚ donation and contribution ਬਾਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ । ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਣ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਦਾ ਇਕਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖਤਿਆਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ । ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ District Boards Act, 1883 ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਣ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿਤੇ ਗਏ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਕਲਾਜ਼ 119 ਵਿਚ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਰਖ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ 1883 ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲਗਾਣ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਲਾਜ਼ 97 ਵਿਚ ਚੰਦਾ ਉਗਰਾਹਣ ਦੀਆਂ ਸਤ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।

ਇਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁਟਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। Donations and contribution ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੇ ਢੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਖ ਕੇ ਫਿਰ ਕਲਾਜ਼ 119 ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਸੀਹ ਇਖਤਿਆਰ ਇਸੇ ਹੀ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਖਤਿਆਰ 1883 ਦੇ ਐਕਟ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਮੁਅਦਬਾਨਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਜਨਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਹਨ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਹਨ, ਫਿਰ ਮਯੂਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਹਨ, ਟਾਊਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਹਨ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਕਲਾਜ਼ 97 ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲਈ resources ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਫਿਰ ਕਲਾਜ਼ 119 ਵਿਚ ਹੋਰ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਜ ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤਕਸੀਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 8 ਕਰੋੜ 5 ਲਖ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਅਸੀਂ $49\frac{1}{2}$ ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟੈਕਸ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਣ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਰੁਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਹਰ ਗਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। B.D.O. S.D.O. ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੰਦਾ ਇਕਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ।

ਇਕ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ : ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ appeal ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ।

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਥੋਂ ਤਕ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ note of dissent ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਚੰਦ ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀ practice ਹੈ ਕਿ note late ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਵੀ accept ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹਨ।

ਮੈਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਗਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਝੂਠ ਚਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। (ਵਿਘਨ) ਇਸ ਵਿਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸੋਸ਼ੀਏਟ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ

[ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ]

ਜਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹਕ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ T.A. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਉਗੇ ਪਰ ਉਹ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ । ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ incentive ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣ ਲਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ । (ਵਿਘਨ)

ਇਕ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ : ਪੈਸੇ ਤੁਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ । (*Interruption*)

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹਾਂ । ਜੋ ਰੁਪਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਮੱਦ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਜ਼ਿਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਜੇਕਰ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾ ਹੇਠਾਂ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾਸ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਏ ਆਮਾ ਲਈ ਫਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ । (ਵਿਘਨ)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਜੋ suggestions ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਆਸ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ।

चौधरी चम्बेल सिंह (बुटाना) : स्पीकर साहिब, यह जो बिल आज हमारे सामने discussion के लिए आया है इसकी बहुत मुद्दत से इन्तज़ार थी । देहाती लोग हमेशा यह एतराज़ किया करते थे कि District Boards के election काफी अर्से से नहीं हुए और लोकल गवर्नमेंट में उन की नुमायन्दगी नहीं । पंचायतें ज़रूर function करती थीं लेकिन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में देहाती लोगों की नुमायन्दगी को बुरा समझा जाता रहा । हमारी मांग थी कि यह बिल जल्दी से जल्दी लाया जाय लेकिन मैं यह देख कर हैरान हुआ हूं कि देहाती मैम्बरान की तरफ से ही यह सवाल आ रहा है कि इस में जल्दी न की जाय । एक तरफ कहते हैं कि कोई ऐसी संस्था बनाई जाय जो देहातियों के हकूक की हिफाज़त करे और दूसरी तरफ इसे इल्तवा में डालना चाहते हैं और कहते हैं कि रिजनल कमेटियों को re-commit किया जाय । रिजनल कमेटियों में इस पर काफी बहस हो चुकी है । Joint Sub-Committee की सिफारिशात भी आ चुकी हैं । यह

1 p.m.

कहना ठीक नहीं कि इस बिल के अंदर कोई flaw नहीं रहा और यह बिल्कुल सोलह आने सही है । अगर कोई नुक्स रह गया है तो वह अमैण्डमैण्ट्स के ज़रिए दूर हो सकता है । इसे दोबारा Regional Committees के पास re-commit करने की जरूरत नहीं । इसे पास करना चाहिए । मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि इस बिल को जल्दी पास करना चाहिए ।

Mr. Speaker: It cannot be re-committed to the Regional Committees at this stage.

चौधरी चम्बेल सिंह : स्पीकर साहिब, इस बिल पर अब discussion हो रही है । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि एक तो पंचायत समिति और ज़िला परिषद् हैं और एक ज़िला परिषद् और ब्लाक समितियां हैं या तहसील समितियां कह लीजिए । उन के आपस के ताल्लुकात को कुछ define किया गया है । ज़िला परिषद् एक supervisory body होगी और वह Block Samitis और Tehsil Samitis के budget को approve करेगी । उन के काम की निगरानी करेगी । लेकिन इस का ग्राम पंचायत से क्या सम्बन्ध होगा इस के मुतअल्लिक इस बिल में कोई ज़िक्र नहीं किया गया । ग्राम पंचायत एक बुनियादी unit है । इस का Block Samitis के साथ जरूर वास्ता होना चाहिए । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि legislators को इन bodies का मैम्बर बना दिया गया है और voters को चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की election का अधिकार दिया गया है । Legislators ही देहात के सही नुमायंदे होंगे जो ज़िला परिषद में पहुंचेगे और इन्हें पहुंचना भी चाहिए लेकिन उन को चेयरमैन और वाइस-चेयरमैन की election में vote का अधिकार न देना अच्छी बात नहीं । मैं इस चीज़ को नापंसद करता हूं । जब Legislators अपनी २ Constituencies के सब लोगों के नुमायंदे हैं तो उन को यहां भी vote देने का right होना चाहिए । इस बात पर मुझे इस बिल से इख़्तलाफ़ है । Budget के मुतअल्लिक जो बात कही गई है, तमाम सड़कों का बनाना, हस्पतालों का प्रबन्ध करना और देहात में public health का ख्याल रखना, यह सारी ज़िम्मेदारी समितियों पर होगी । लेकिन इन कामों को सरंजाम देने के लिए पंचायतों के पास बहुत थोड़े funds होंगे, यही हालत Block Samitis और ज़िला परिषद् की होगी । इस से पहले District Boards को काफी grants मिलती और कई डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को तो 80 फीसदी grant मिलती थी । इसलिए हकूमत को चाहिए कि इन की disposal पर adequate funds का इंतज़ाम करे ताकि जो duties इन को entrust की गई हैं उन को अच्छी तरह से निभा सकें ।

स्पीकर साहिब, एक और बात यहां पर बार २ कही गई कि हकूमत हर काम में अपना control रखती है और इस बिल में इस किस्म के provisions किये गये हैं जिन से पंचायत समिति और ज़िला परिषद् के कामों में interference रहेगी। स्पीकर साहिब, जब हम decentralise कर रहे हैं तो powers को अपने हाथों में centralise करने की बात नहीं होनी चाहिए । हम इन bodies में लोगों के नुमायंदे भेज रहे हैं इसलिए हमें उन पर पूरा विश्वास होना चाहिए। फिर इन bodies को supersede करने की powers भी तो गवर्नमेंट के पास हैं जैसे Municipal Committees और District Boards को supersede करने की powers गवर्नमेंट के पास हैं। अगर वह ठीक तरह से function नहीं करते तो फिर इन को तोड़ने का सवाल पैदा होता है । उन के अख्तियारात में बिल्कुल मुदाखलत नहीं होनी चाहिए ।

[चौधरी चम्वेल सिंह]

फिर, स्पीकर साहिब, मुलाज़मों के सम्बन्ध में clear नहीं किया गया कि उन की position क्या होगी ? अगर गवर्नमेंट अपने nominated मुलाज़म भेजेगी तो पहले Secretaries और Accountants कहां जाएंगे । समितियों को अख्तियार दिया गया है कि वह मुलाज़म रख सकें लेकिन यह अख्तियार ज़िला परिषद् को नहीं । इस लिये उन मुलाज़मों का क्या बनेगा जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मुलाज़म हैं । जो पंचों और सरपंचों को vote देने का अधिकार दिया गया है यह सही मालूम नहीं होता । Vote देने का अधिकार हर बालिग़ को होना चाहिए। पार्लियामैण्ट और असैम्बली के मैम्बरों को elect करने के लिए हिन्दुस्तान के हर बालिग़ को vote का अधिकार दिया है। इस में भी अगर direct election का तरीका अख्तियार किया जाता तो अच्छी बात होती ।

इस के अलावा मेरी बहन सरला देवी ने employees को appoint करने के अधिकार छीनने की तजवीज़ पेश की । मुझे इस पर बहुत ताज्जुब हुआ । हम तो चाहते हैं कि Block Samitis और ज़िला परिषद को मुलाज़म appoint करने के अधिकार दिये जाएं, उन्हें promotion और dismissal के अधिकार भी होने चाहिएं क्योंकि उन के पास काम को बेहतर judge करने वाले तो वही होंगे । चण्डीगढ़ में बैठे हुए गवर्नमैण्ट कैसे judge कर सकती है कि ज़िला परिषद् का secretary कैसे काम कर रहा है । यह अधिकार मैम्बर्ज़ के पास होने चाहिए । इस के अलावा co-option का अधिकार भी है जिस से अच्छे और संजीदा आदमी परिषद और समितियों में पहुंच जाएंगे । उन की सलाह और मश्विरे से मैम्बर साहिबान मुस्तफीद हो सकेंगे । आम तौर पर पंचों और सरपंचों में से 80 या 90 फीसदी अनपढ़ होते हैं । अगर उन की guidance के लिए अच्छे और लायक आदमी ज़िला परिषद और पंचायत समितियों में पहुंच जाएं तो एतराज़ वाली बात नहीं । (जय हिन्द)

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ (ਰਾਏਕੋਟ, ਰਿਜ਼ਰਵਡ,) : ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਜ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਹਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸਬੰਧ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬਿਲ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ ਮੁੱਕਰਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਫਿਰ ਕੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ submit ਕੀਤੀ ਸੀ । ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ theory ਤੇ ਯਕੀਨ ਰਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ decentralization of power ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਬਿਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬੇਸਿਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਈਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ progressive ਬਿਲ ਹੈ। ਭੜੋਲੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ reactionary ਬਿਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੜੋਲੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆ ਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੜਾ fraud ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਇਤਨੇ ਚੰਗੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਬੁਰਾ ਕਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਕਮੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾਂ ਬਿਲ ਹੈ। ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਨ 1883 ਦੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਬਾਲਗ ਨੇ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਹਾਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਰਤੇਗੀ। ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ faithful ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਖਤਿਆਰ ਲਏ ਹਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੇਗੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਭੜੋਲੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੀਸੈਂਟ੍ਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਡਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਨੇ ਚੰਗੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕੰਡਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲੀਸੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਏਥੇ ਕੌਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹਰੀਜਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਆ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ interests ਨੂੰ safeguard ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ co-opt ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਈਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫੇਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਮਿਊਨੀਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ

[ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ]

representation ਮਿਲੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ feudal lords ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਿਕ ਬਾਦ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਚੰਗਾ ਬਿਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਸ ਚੁਕਾ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਔਰ ਹਰੀਜਨ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਈਲੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੀਏ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ decentralization of power ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਜਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਨੇਤਾ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ view ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਈਲੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਪ੍ਰਜਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੀਨਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਔਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਹੀ ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਈਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਏਸੇ electoral college ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜੋ idea ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜ਼ੋਰ ਪਕੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ elections electoral college ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ political ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ manifesto ਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਕਮੇ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਾਮਿਯਾਬ ਹੋਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ voters ਜਾਣਦੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਹਨ। ਅਜ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਥੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਥੇ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਦੁਹਾਈ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਜਨ ਇਥੇ ਹੁਣ tenants ਦੇ interests ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਹਰੀਜਨਾਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਜੱਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਥੋਂ ਛਡਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਹਥੋਂ ਛਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ interests ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚਕਮੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਹ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ

ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ interests ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵਿਰੁਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜੋ electoral college ਦੀ ਗੱਲ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਖੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜੋ electoral college ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ interests safe ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਦਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਆਕੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਆਕੇ ਚੋਣ ਵਿਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਗਰੀਬ ਹਲਵਾਹ ਲੋਕ ਤੇ ਜੁਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੀਜਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਣਗੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ minds ਨੂੰ agitate ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਦਮੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਹਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਕੂਨਤ ਰਖਦਾ ਹੈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਘੰਟੀ) (ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਿੰਟ ਦਿਓ ; ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ।) ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ politics ਘਸੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ।

(*At this stage Chaudhri Balbir Singh rose to speak.*)

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : Business Advisory Committee ਨੇ general discussion ਲਈ ਇਕ ਦਿਨ ਰਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਜੋ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 3rd reading ਦੀ stage ਤੇ accommodate ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। (The Business Advisory Committee has fixed one day for general discussion

[ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ]
on this Bill. So now the Minister would give reply to the debate. I shall try to accommodate all those members at the 3rd reading stage of the Bill, who have not been able to get time at this stage.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ vote of dissent ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ note of dissent ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਵਕਤ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ।

ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜੋ ਐਨੀ discussion ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਦਾ ਢੰਗ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੋਣ ਦਾ ਹਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਗਈ । ਇਸਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਸ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਆਦਮੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਬੁਰਾ ਹੈ । ਉਹ ਉਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ । ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ । ਸਭ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ list ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ । ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਹਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਸਜਨ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨ ਦੇ ਖਾਹਸ਼ਮੰਦ ਹਨ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਲੈਣ ; ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਫੇਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਆਦਮੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ । ਜੋ ਆਦਮੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਝਮੇਲਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਸੰਮਤੀ ਜਾਂ ਪਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋ ਢੰਗ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੇਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਚ ਮੁਚ ਉਹੋ ਆਦਮੀ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰਖਦੇ ਹੋਣਗੇ । ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Legislators ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹਕ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਹੋ ਗੱਲ ਦਹੁਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਸੱਜਨ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚ ਬਣੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਇਮਰੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਸੰਮਤੀ ਜਾਂ ਪਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਜਾਵੇ । ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਨ ਹਨ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ please ਨਹੀਂ

ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਪਰੋਂ ਉਪਰੋਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਅਗਲੀ sitting ਤੇ continue ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ (ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ), ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ amendments ਆਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ admissible ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ note of dissent ਨਹੀਂ ।

The hon. Minister may continue his speach on the next sitting because now the time is over.

I have received amendments given notice of by Dr. Bhag Singh but these are not admissible as no note of dissent has been submitted by hin

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਤਾਂ note of dissent ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਚੂੰਕਿ late ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਸ ਲਈ ਛਪ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ । ਇਹ ਇਤਲਾਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ note of dissent late ਪੁਜਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ print ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ । I will see you in your Chamber and explain the whole position.

Mr. Speaker : The House stands adjourned till 2.00 p. m. on Monday, the 7th November, 1960.

1-30 p. m.

The Sabha then adjourned till 2.00 *p. m. on Monday, the 7th November,* 1960.

ANNEXURE

(See foot-note at page (5)68 of this debate dated, the 26th October, 1960)

MASTER PLAN FOR CONTROLLING FLOODS

2999. Sardar Atma Singh : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether Government have prepared any Master Plan for controlling floods in the State; if so, the details thereof ;

(b) whether the said plan has been sent to the Central Government for approval; if so, when and whether the necessary approval has been given ;

(c) the total amount proposed to be sent by Government from its own sources and the amount, if any, to be received from the Central Government for the execution of the said plan ;

(d) the period within which the said plan is likely to be executed?

Rao Birendar Singh : (a) Yes. The Plan provides for the following:—

	Miles
(i) Constructing flood protection embankments alongwith spurs where necessary ..	290
(ii) Re-conditioning existing embankments ..	70
(iii) Training and canalizing choes ..	591
(iv) Constructing surface drains ..	4,591

(b) Yes. A copy of the Master Plan was sent to the Central Water and Power Commission in October, 1960. No comments have so far been received from them.

(c) Rs 28.44 crores are required to execute all the schemes visualized in the Master Plan. The ratio of the amount to be spent by the State Government from its own sources and the amount to be received from the Central Government, is not yet fixed.

(d) Period of the execution of the plan depends upon the availability of funds.

VISIT BY DEPUTY MINITSER, EDUCATION, TO VILLAGE DHALIWAL BET, DISTRICT KAPURTHALA

3000. Sardar Atma Singh : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the Deputy Minister, Education, Punjab, visited village Dhaliwal Bet, district Kapurthala, on 27th May, 1960, to inspect the reclamation work done in the said village in 1957-58;

(b) the amount of T.A. and D.A. drawn by the Deputy Minister and the cost of petrol consumed in his car during the said tour ;

(c) the names of the officers who accompanied the said Deputy Minister for inspection and the total amount of T.A. and D.A. drawn by each and the cost of petrol consumed in their staff cars ;

(d) whether the Deputy Minister sent any inspection report to Government; if so, the details thereof and the action taken thereon ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

(d) Does not arise.

PLEADERS/ADVOCATES APPOINTED UNDER LEGAL AID SCHEME

3001. Sardar Atma Singh : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any Pleaders/Advocates were appointed by Government in each district under the Free Legal Aid Scheme for the Scheduled Castes and the poor people during 1959-60 and the current year; if so, their names together with the total amount paid to each, month-wise, during this period ;

(b) the total number of cases handled by each of the said Pleaders/ Advocates during the said period ;

(c) the criteria kept in view while making the appointments referred to in part (a) above ;

(d) whether any applications for the said appointments were invited; if not, the reasons therefor ?

Shri Mohan Lal : (a) (i) No.

(ii) Does not arise.

(b) to (d) Do not arise.

RETRENCHMENT OF HINDI/PUNJABI TEACHERS

3002. Sardar Atma Singh : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the total number of Language Teachers who were appointed by the erstwhile Pepsu and Punjab Governments for teaching Hindi and Punjabi to Government employees in the State ;

(b) the total number of Teachers out of those referred to in part (a) above whose services have been terminated ;

(c) the steps, if any, taken or proposed to be taken to absorb the Teachers referred to in part (b) above in the Education or other Department of the Government ;

(d) whether the Teachers referred to in part (b) above are considered as retrenched hands; if not, the reasons therefor ?

Shri Amar Nath Vidyalankar : (a) 131.

(b) 37.

(c) Instructions were issued to the Divisional Inspectors of Schools in the State that teachers retrenched by the Language Department should be absorbed in the Education Department for the present on temporary basis and subsequently on permanent basis, if approved by the Subordinate Services Selection Board, Punjab.

(d) Yes.

AERIAL ROPEWAY OVER ROHTANG PASS, ETC.

3003. Sardar Atma Singh : Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under the consideration of State Government to construct aerial ropeways over the Rohtang Pass in Lahaul and Spiti Valley and from Kasauli to Chandigarh; if so, when and the details thereof ;

(b) the estimate expenditure on the construction of the said ropeways ?

Chaudhri Suraj Mal : (a) Yes, details have not yet been finalized.

(b) Not yet worked out.

DETERMINING THE SENIORTIY, ETC., OF STAFF IN PROVINCIALIZED SCHOOLS

3004. Sardar Atma Singh : Will the Minister for Education be pleased to state whether any steps have been taken by Government to determine the grades of pay admissible to the teachers of provincialized schools of local bodies and the Community Projects, their seniority and the question of their confirmation; if so, what; if not, the reasons therefor ?

Shri Amar Nath Vidyalankar :

Provincialized local body schools—

(i) The local body teachers have been allowed the same grades of pay as are admissible to their counterparts in Government employ.

(ii) The seniority of local body teachers is being determined.

(iii) The matter relating to the confirmation of provincialized local body teachers is under consideration.

Community Project teachers—

(i) The question of the revision of pay scales of C.P. school teachers with a view to bringing them at par with those serving in old Government schools is under consideration.

(ii) The matter regarding seniority of C.P. school teachers is also under consideration.

(iii) The case of C.P. school teachers will be considered for confirmation when their seniority has been determined.

APPLICATION OF EXECUTIVE OFFICERS' ACT TO CERTAIN MUNICIPAL COMMITTEES

3005. Sardar Atma Singh : Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) the names of the Municipal Committees in the State to which the provisions of the Punjab Municipal (Executive Officer) Act of 1931 was extended during the last three years and from which the provisions were withdrawn, separately, and the reasons therefor in each case ;

(b) the names of Municipal Committees in the State where Deputy Commissioners were appointed as Administrators and the reasons therefor in each case ;

(c) whether Government received any representation against any of the appointments mentioned in part (b) above; if so, from whom, and the details of such representations and the action taken thereon ?

Shri Mohan Lal : (a) (i)

Names of the Municipal Committees in the State to which provisions of the Punjab Municipal (Executive Officer) Act, 1931 the Patiala (Executive Officers) Act, 2003 B.K. was extended during the last three years and reasons therefor—

Name of Municipal Committee		*Reasons*
Municipal Committee, Budhlada	..	Mal-administration of the Committee
Municipal Committee, Mansa	..	As a result of request from the newly-constituted Committee
Municipal Committee, Kapurthala	..	The efficiency of Municipal administration was found to be at a very low ebb.

Municipal Committee, Barnala	..	Population and income justified extension of the Act
Municipal Committee, Moga	..	To tone up the Administrative efficiency
Municipal Committee, Yamunanagar	..	To improve its working
Municipal Committee, Jagadhri	..	As a result of certain complaints against the working of the Committee

(ii) *Names of the Municipal Committees in the State from where the provisions of the Punjab Municipal (Executive Officer) Act, 1931/the Patiala (Executive Officers) Act, 2003 B.K. were withdrawn during the last three years and the reasons therefor*

Name of the Municipal Committee		*Reasons*
Municipal Committee, Faridkot	..	As a result of supersession of the Committee
Municipal Committee, Kapurthala	..	Ditto
Municipal Committee, Mansa	..	Ditto
Municipal Committee, Muktsar	..	Ditto
Municipal Committee, Ludhiana	..	Ditto
Municipal Committee, Karnal	..	Ditto
Municipal Committee, Kaithal	..	Ditto

(b) Deputy Commissioner, Kapurthala has been appointed part-time Administrator in Kapurthala Municipality. His appointment as such was considered sound from the administrative point of view.

(c) Yes. The only representation received was from Shri Atma Singh, M.L.A. It stated that because of the divided attention by Deputy Commissioner, the Development work in the district as well the Municipal work will suffer. This representation was considered by the Government and it was decided to allow the *status quo* to continue.

COMPLAINT AGAINST WORKING OF GOVERNMENT GIRLS HIGHER SECONDARY SCHOOL, HOSHIARPUR

3006. Sardar Atma Singh : Will the Minister for Education be pleased to state whether he received any complaint or representation against the working and management of the Government Girls Higher Secondary School, Hoshiarpur during April and May, 1960; if so, when, from whom, the details thereof and the action taken thereon ?

Shri Amar Nath Vidyalankar : Yes. The statement is enclosed.

STATEMENT

Serial No.	When received	From whom received	Nature of allegations
1	Dated 19th May, 1960, received on 23rd May, 1960	Shri Malawa Ram, Sweeper, Punjab University College, Hoshiarpur	Mal-treatment of his daughter
2	4th April, 1960 ..	Shri Kartar Singh Vaid, Member, S.G.P.C., Vaid Bhawan, Guru Nanak Nagar, Hoshiarpur	Collection of unauthorised funds Taking domestic work from class IV Government servants in contravention of Government orders
3	A printed pamphlet without date received on 6th May, 1960	Students, Government Girls Higher Secondary School, Hoshiarpur	1. Collection of unauthorised funds 2. The Headmistress permits her grown up sons to come to the school and the hostel 3. Laying much stress on cultural activities which has resulted in lowering academic standards

An inquriy into the above allegations against Mrs. N. Hasija formerly Headmistress, Government Girls Higher Secondary School, Hoshiarpur, was conducted by the Deputy Directress of Public Instruction and the Inspectress of Schools, Jullundur Division in May, 1960. These allegations were proved against the Headmistress. She has since been transferred to Fazilka and is being charge-sheeted.

TRAVEL AGENTS

3007. Sardar Atma Singh : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any orders have been issued by Government to the effect that history sheets of all Travel Agents in the State be prepared; if so, the details thereof and the reasons for the issue of these orders ;

(b) the names and addresses of Travel Agents in the State whose history sheets have so far been prepared.

Sardar Partap Singh Kairon : (a) No.

(b) It is not in public interest to disclose the names, etc.

OFFICE OF INDUSTRIAL TRIBUNAL, PATIALA

3008. Sardar Atma Singh : Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the office of the Industrial Tribunal, Patiala, is housed in the residential house of its Chairman; if so, since when ;

(b) whether any rent for housing the said office is being paid to the Chairman; if so, what and the total amount of rent, if any paid to him so far ?

Shri Mohan Lal : (a) Yes, since 9th July, 1959.

(b) No rent is being paid by Government.

ELECTION OF THE DIRECTORS OF BHOGPUR SUGAR MILLS

3009. Sardar Atma Singh : Will the Minister for Community Development be pleased to state—

(a) the date on which the election of the Directors of the Bhogpur Sugar Mills was due ;

(b) whether any nominations for the election of Directors of the said Mills were filed; if so, the names of persons who filed their nomination papers ;

(c) whether it is fact that the said elections were postponed on the last date for the withdrawal of candidates; if so, the reasons for this postponement ;

(d) the date when the elections of Directors are being held now ?

Sardar Gurbanta Singh : (a) According to the bye-laws of this mills, election takes place after the expiry of tenure of the first Board of Directors. The tenure of Directors of this Mills expired on the 24th March, 1960.

(b) Yes. A list indicating names of persons is enclosed.

(c) No. Elections were postponed on 21st September, 1960, i.e., one day after the last date fixed for the withdrawal of the nomination papers on certain technical ground.

(d) Elections of Directors from three zones earmarked for the member Co-operative institutions and five zones of individual share holders was held on 10th October, 1960 . The election for two zones of individuals were adjourned to a subsequent date which is yet to be fixed by the Mills.

LIST OF CANDIDATES, WHO FILED NOMINATION PAPERS FOR ELECTION AS DIRECTORS OF THE JANTA CO-OPERATIVE SUGAR MILLS LTD., BHOGPUR, DISTRICT JULLUNDUR

(a) *Individuals*

Zone No.	Name of the individual Member	Resident of
I	1. Shri Sardara Singh	.. Bhogpur
	2. Shri Dal Singh	.. Jaffal Jhingar
	3. Shri Sarjit Singh	.. Sudana
	4. Shri Mohinder Singh	.. Bhogpur
	5. Shri Ved Kumar	.. Kala Bakra
	6. Shri Gurmit Singh	.. Jallowal
	7. Shri Harbhajan Singh	.. Bhogpur

Zone No.		Name of the individual Member	Resident of
	8.	Shri Swarn Singh	.. Chholang
	9.	Shri Kulwant Singh	.. Darapur
	10.	Shri Joginder Singh	.. Kala Bakra
	11.	Shri Gian Singh	.. Nangal Bin-Palke
II	1.	Shri Harbans Singh	.. Jandhu Singha
	2.	Shri Mehar Singh (Major)	.. Chuharwali
	3.	Shri Avtar Singh	.. Abadan
	4.	Shri Ujagar Singh	.. Adampur
	5.	Shri Gurnam Singh	.. Nangal Purdal
	6.	Shri Bakhtawar Singh	.. Wadala
	7.	Shri Hans Raj	.. Jullundur (Kot Pashkian)
III	1.	Shri Ajit Singh	.. Thamanwal
	2.	Shri Santa Singh	.. Bilga
	3.	Shri Harbhajan Singh	.. Do
	4.	Shri Dedar Singh	.. Barapind
	5.	Shri Harbans Singh	.. Do
	6.	Shri Bhagat Singh	.. Bilga
	7.	Shri Bir Singh	.. Paddi Jagir
	8.	Shri Lal Singh	.. Jandiala
IV	1.	Shri Gurbachan Singh	.. Jand
	2.	Shri Gurbakhsh Singh	.. Bodal
	3	Shri Kartar Singh	.. Do
V	1.	Shri Amir Singh	.. Ahayapur
	2.	Shri Ram Kishan	.. Jaja
	3.	Shri Bhagat Singh	.. Rara
	4.	Shri Pritam Singh	.. Liltran
	5.	Shri Sukhdyal	.. Rajpur
VI	1.	Shri Sultan Ram	.. Beerumpur
	2.	Shri Pritam Singh	.. Gardhiwala
	3.	Shri Chanan Singh	.. Dhoot Kalan
	4.	Shri Shankar Singh	.. Dhatt
	5.	Shri Jaswant Singh	.. Noorpur
	6.	Shri Wattan Singh	.. Khanpur
VII	1.	Shri Bir Singh	.. Mehria
	2.	Shri Darshan Singh	.. Besi Jaura
	3.	Shri Sewa Dass	.. Bahadurpur
	4.	Shri Jagir Singh	.. Kotla
	5.	Shri Amar Singh	.. Hoshiarpur
	6.	Shri Milkhi Ram	.. Megowal
	(b)	*Co-operative Institutions—*	
I	1.	Shri Chhaja Singh	.. Kathe (Hoshiarpur)
	2.	Shri Amar Singh	.. Hoshiarpur
II	1.	Shri Ujagar Singh	.. Padhiana
	2.	Shri Mote Singh Rana	.. Jadla
	3.	Shri Gurbax Singh	.. Atta
	4.	Shri Hardev Singh	.. Khatkar Kalan
	5.	Shri Gurmit Singh Dhillon	.. Alamgir Jalowal
	6.	Shri Bakhtawar Singh	.. Jullundur
	7.	Shri Ram Rakha Pathak	.. Bains
III	1.	Shri Inder Singh Kang	.. Kang Sahibu
	2.	Shri Darshan Singh	.. Allowal Jadid

MEETING HELD BY DISTRICT DEVELOPMENT COMMITTEE, SANGRUR

3010. Sardar Atma Singh : Will the Minister for Community Development be pleased to state—

(a) the date on which the meeting of the District Development Committee was held at Sangrur in September, 1960, for discussing the flood situation in the district and the names of M.L.As. who participated in it ;

(b) whether these legislators criticised the flood relief measures adopted in the district; if so, the details of their criticism and the suggestions if any, given by them ;

(c) the manner in which the suggestions mentioned in part (b) above have been implemented; if these are not being implemented, the reasons therefor ?

Giani Kartar Singh : (a) (i) 19th September, 1960.

(ii) Shri Rajinder Singh.
Shri Pritam Singh Sahoke.
Shri Jasdev Singh Sandhu.
Shri Jangir Singh.
Shri Shri Krishan Vaid.

(b) (i) Yes.

(ii) These legislators partly appreciated the work done by the Officers and partly criticised the mode of distribution of relief adopted by some of the Circle Officers. Vaid Shri Krishan, M.L.A., appreciated the work done by the officers in Safidon area, reaching remotest villages through knee deep water.

Shri Rajinder Singh, M.L.A., wanted an enquiry to be held about Dhanaula water problem and desired a report to be furnished in the next meeting of the District Development Committee for the action to be taken against the officers responsible for the situation. He also desired that permanent solution should be found out for Dhanaula town as this town gets flooded every year. He also stressed the urgency for completing drainage system without any further delay and desired that the standing water should be drained out immediately either through pumping sets or through temporary drains.

Shri Pritam Singh Sahoke, suggested that free ration in the shape of wheat should be given to deserving persons in the affected villages on the spot and that they should not be called to distant places and made to wait for hours together. He also desired that Harijan families should be sympathetically considered for distribution of free ration and taccavi loans and wanted the standing water to be drained out immediately from villages of Ghoranab and Shekhuwas in Sub-Tehsil Sunam.

Shri Jasdev Singh Sandhu suggested that Government policy regarding grant of relief and loans should be propagated amongst the public and that

some relief should be provided to the persons, who are not in a position to sow their 'rabbi' crops due to standing water. He also wanted that model villages should be constructed immediately in low lying affected abadis.

Shri Jangir Singh also desired that persons should not be called from distant places for getting relief and loans and he also desired that relief should be given to labourers and *siris*, who have been affected due to the floods.

(c) (i) Instructions had already been issued at the start of relief operations to Zonal Officers and Circle Officers that no body from flood affected villages should be summoned to a distance of more than two miles and this thing was again impressed upon all the Zonal Officers. In this connection it was explained by some of the Zonal Officers that persons from villages have been coming to the zonal headquarters without being called, who could not be given grants and taccavies there in the absence of survey lists and that they were told that the amount would be distributed in a day or so in their villages. The Zonal Officers also explained that there were difficulties in strictly adhering to the distance as instructed to them because there was no means of conveyance available to reach some of the villages either through jeeps or by bullock carts. At this stage the Zonal Officers were directed by the Deputy Commissioner personally in the meeting in the presence of the M.L.As., that the ration and loan should be distributed in nearest possible places of the affected villages and he also directed them to include deserving Harijan and Non-Harijan families, if this has not been done previously. The members of the District Development Committee were also asked to report specific complaints if any so that suitable action may be taken against the defaulters.

The draining out operations had already been started at Dhanaula, firstly through pumping sets and subsequently through a temporary drain and the pumping sets spared from Dhanaula and Sangrur were then sent to Jind and Dirbha. Temporary drains had already been dug with voluntary labour in villages Shekhuwas, Ramgarh Sindhwan, Bapla, Burga etc., and this work could not be done expeditiously for want of willing co-operation of the public and supply of voluntary labour, for want of funds and due to the fact that Revenue Officers and Block Development Officers were busy in distributing free ration and taccavi loans. Further 10 new pumping sets have been received, which have been sent to suitable places for dewatering operations and work regarding digging of temporary drains has also been taken in hand which is being executed by irrigation authorities through their running divisions.

Cyclostyled copies containing details of all sorts of relief, remission etc., being provided by the Government had already been ciculated to the Zonal Officers and they were again impressed upon in the meeting by the Deputy Commissioner to give wide publicity to it in the villages, whichever is visited by them and to ask their Circle Officers to announce these measures in a suitable manner. Shri Jasdev Singh was also told by the Deputy Commissioner that suitable amounts in accordance with the rules would be provided to person, who could not sow 'rabbi' crops due to standing water and lists about such persons would be prepared in the month of November. Thus no suggestion of any M.L.A. remains un-implemented.

(ii) Does not arise.

Ad hoc COMMITTEE FOR ALLOTMENT OF LANDS TO HARIJAN/ MAZHBI SIKHS IN AMRITSAR

3013. **Maulvi Abdul Ghani Dar :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the names and addresses of the members of the *Ad hoc* Committee, appointed by Government for allotment of land to Harijans/ Mazhbi Sikhs, in Amritsar District under the Harijans Welfare Scheme ;

(b) the dates of meetings, if any, held by the said Committee during the period from 1st July, 1960 to 14th October, 1960, and the details of work done by it ;

(c) whether he would lay copies of the detailed proceedings of the meetings referred to the part (b) above on the Table of the House, if so, these may be laid ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) (i) Shri Charan Singh, M.L.A., village and post office Kot Khera, tehsil Amritsar.

(ii) Shri Gurmej Singh, village and post office Ghuman Pura, tehsil Amritsar.

(iii) Shri Harnam Singh Ramdasia, village and post office Majitha, tehsil Amritsar.

(iv) Bhai Charan Dass Balmiki, Gilwali Gate, Amritsar City.

(v) Shri Narinjan Singh, M.L.A., village and post office Sheron, tehsil Tarn Taran.

(vi) Subedar Atma Singh, village and post office Thathgarh, tehsil Tarn Taran.

(vii) Shri Sarwan Singh, village Singh Pura, post office Bhikiwind, tehsil Patti.

(viii) Shri Hazara Singh, village Raipur Kalan, post office Jafarkot, tehsil Ajnala.

(ix) Shri Amar Singh, village and post office Pandori Takhat Mal, tehsil Tarn Taran.

(b & c). The requisite information is enclosed.

Proceedings of the Committee of the Welfare *Ad hoc* Committee under the Chairmanship of the Learned Deputy Commissioner on 5th August, 1960, regarding the selection of beneficiaries of land under the Harijan Welfare Scheme for the year 1960-61.

The following members are present :—

(1) S. Lal Singh, P.C.S., Settlement Officer.

(2) Dr. Charan Singh, M.L.A.

(3) Shri Gurmej Singh.

(4) Subedar Atma Singh.

(5) Bhai Charan Dass.

(6) Shri Sarwan Singh.

(7) Shri Avtar Singh, District Welfare Officer, Amritsar.

The total number of applications for land under the Centrally-Sponsored Scheme, both for scheduled castes and vimukat jatis, were hundred i.e. Ninety-one of scheduled castes and nine of vimukat jatis.

The further details were as under—

1. *Amritsar Tehsil* — *Scheduled Castes* 44; *Vimukat Jaties* 1

M.S.	*Balmiki*	*Ramdasia*	*K.P/Megh*
36	1	3	4

2. *Tarn Taran Tehsil* — *Scheduled Castes* 21

M.S.	*Sansi*
21	3

3. *Patti Tehsil* — *Scheduled Castes* 10; *Vimukat Jaties* 1

M.S.	*Sansi*
10	1

4. *Ajnala Tehsil* — *Scheduled Castes* 16; *Vimukat Jaties* 4

M.S.	*Balmikies*	*Sansi*
14	2	4

The total allotment of beneficiaries for the year 1960-61 was 38, i.e. 32 for Scheduled Castes and 6 for Vimukat Jaties. To give due representation to these castes in all the tahsils the following criteria was decided to determine the beneficiaries from all the Tahsils and following numbers have been fixed ;—

Mazhibi Sikh	*Ramdasia*	*Balmiki*	*Megh/K.P.*
27	2	2	1

Vimukat Jati
6

The Committee considered all the applications and the following applicants were selected subject to the verification of Tehsildars. We may if approved send the list to Government for approval. If any change was necessary after verification from the Tahsildars, the same will be communicated to Government.

LIST OF BENEFICIARIES FOR THE YEAR 1960-61 (LAND SCHEME)

Serial No.	Name and parentage	Caste	Village	Tahsil
1	Shri Dan Singh, son of Jawala Singh	Mazhbi Sikh ..	Shaheed ..	Patti
2	Shri Harnam Singh, son of Bhoop Singh	Ditto	Mari Kamboke	Do
3	Shri Pal Singh, son of Faqir Singh	Ditto	Rajoke	Do
4	Shri Hazara Singh, son of Santa Singh	Ditto	Khalra	Do
5	Shri Surain Singh, son of Ji-wan Singh	Ditto	Bhathe Bhianin	Do
6	Shri Baghel Singh, son of Jhanda Singh	Ditto	Kot Bhundha	Do
7	Shri Sohan Singh, son of Na-tha Singh	Ditto	Dyal Bharang	Ajnala
8	Shri Gurdit Singh, son of Kharak Singh	Ditto	Dujowal	Do
9	Shri Boota Ram, son of Joti Ram	Balmiki	Talwandi Rai Daudu	Do
10	Shri Jagan Nath, son of Wad-hawa Mal	Do	Chak Bala	Do
11	Shri Banta Singh, son of Ji-wan Singh	Mazhbi Sikh	Raja Sansi	Do
12	Shri Gurdip Singh, son of Sohan Singh	Ditto	Bachiwind	Do
13	Shri Mohinder Singh, son of Chuhar Singh	Ditto	Jhabal	Tarn Taran
14	Shri Kesar Singh, son of Wadhawa Singh	Ditto	Kasel	Ditto
15	Shri Lachman Singh, son of Jhanda Singh	Ditto	Durga Pura	Ditto
16	Shri Amar Singh, son of Sun-der Singh	Ditto	Nagoke	Ditto
17	Shri Narain Singh, son of Jawala Singh	Ditto	Warian	Ditto
18	Shri Harnam Singh, son of Ishar Singh	Ditto	Munde Pind	Ditto
19	Shri Saudagar Singh, son of Pal Singh	Ditto	Mohan Pura	Ditto
20	Shri Saudagar Singh, son of Sawan Singh	Ditto	Hair	Amritsar

Serial No.	Name and parentage	Caste	Village	Tahsil
21	Shri Wasan Singh, son of Jamait Singh	Mazhabi Sikh	Tarsika	Amritsar
22	Shri Santa Singh, son of Atma Singh	Ditto	Manan Wala	Do
23	Shri Surain Singh, son of Ishar Singh	Ramdasia	Jethu Nangal	Do
24	Shri Bal Singh, son of Isher Singh	Do	Thriawal	Do
25	Shri Piara Singh, son of Jagat Singh	Mazhbi Sikh	Maqboolpur	Do
26	Shri Sohan Singh, son of Wasawa Singh	Ditto	Mohkampura	Do
27	Shri Banta Singh, son of Assa Singh	Ditto	Ajaib Wali	Do
28	Shri Bhan Singh, son of Sohan Singh	Ditto	Sultan Wind	Do
29	Shri Harnam Singh, son of Boota Singh	Ditto	Makhan Wind	Do
30	Shri Ujjagar Singh, son of Rur Singh	Ditto	Bandala	Do
31	Shri Mangal Singh, son of Jhanda Singh	Ditto	Majitha	Do
32	Shri Ajit Singh, son of Amar Singh	Kabir Panthi (Megh)	Chande	Do

Tahsilwise:— Patti. 6 (M. Sikh)
Ajnala. 6 (M. Sikh), 4 Balmiki 2.
Tarn Taran. 7 (M. Sikh)
Amritsar 13 (M. Sikh)
Ramdasia. 2 Megh. 1 (K.P.) -13.

LIST OF BENEFICIARIES FOR THE YEAR 1960-61

Serial No.	Name and parentage	Caste	Village	Tahsil
1	Shero Ram, son of Biru Ram	Sansi	Sohian Khurd	Amritsar
2	Massu, son of Pala	Do	Dhotian	Tarn Taran
3	Samun, son of Umra	Do	Pala Saur	Ditto
4	Hari Ram , son of Pohlo	Do	Bal	Ajnala
5	Bachan Lal, son of Mohan Lal	Do	Jhanjhoti	Do
6	Jagir Singh, son of Sant Ram	Do	Barnala	Patti

COPY OF PROCEEDINGS OF THE MEETING OF THE DISTRICT *Ad hoc* COMMITTEE UNDER THE CHAIRMANSHIP OF THE LEARNED DEPUTY COMMISSIONER, AMRITSAR, HELD ON 15TH SEPTEMBER, 1960, REGARDING THE SELECTION OF BENEFICIARIES OF LAND UNDER THE CENTRALLY SPONSORED HARIJAN WELLARE SCHEME FOR THE YEAR 1960-61.

The following members of the *ad hoc* Committee are present—

(1) Shri Gurmej Singh.
(2) Shri Amar Singh.
(3) Subedar Atma Singh.
(4) Shri Hazara Singh.
(5) Shri Harnam Singh.
(6) Bhai Charan Das.
(7) Shri Narinjan Singh, M.L.A.
(8) Shri Sarwan Singh.

Shri Ram Narain Singh, P.C.S., Revenue Assistant and Shri Shanti Lal, P.C.S., District Development and Panchayat Officer were also present to assist the Chairman in making a selection. The Agenda of the meeting was as under—

(1) Selection of Beneficiaries for the centrally-sponsored land purchase scheme.
(2) Selection of Community Centres.
(3) Subsidy for purchase of house sites to Scheduled Castes.
(4) Subsidy for purchase of seed, Agriculture implements, Bullocks etc.
(5) Subsidy for the construction of new houses for Scheduled Castes and V.J.
(6) Digging of new drinking water wells and repairs to old ones.
(7) Grant of interest free loan to Scheduled Castes.

The selection of land purchase scheme was taken up first. In the previous meeting on 5th August, 1960 a list of beneficiaries was selected subject to the verification of all the tahsildars in the district. All the tahsildars were requested to send their recommendations at an early date. The Tahsildars Tarn Taran and Patti have sent their recommendations completely. The Revenue Assistant disclosed that the Tehsildars Amritsar and Ajnala had not sent their recommendations completely due to the shortage of time. The Revenue Assistant assured to get the recommendations from the Tahsildars Amritsar and Ajnala at an early date. Shri Amar Singh of Pandori the newly appointed member objected to the following three names of Tarn Taran Tahsil :—

(1) Shri Lachman Singh, son of Shri Jhanda Singh of village Durga Pur.

(2) Shri Harnam Singh, son of Shri Ishar Singh of village Munda Pind.

(3) Shri Sodagar Singh, son of Shri Pal Singh of village Mohan Pura.

The applications of these persons were duly checked by the worthy Deputy Commissioner and the matter was fully discussed by the Committee and it was decided to drop them. The Committee recommended the following instead of them :—

(1) Shri Narain Singh, son of Shri Vir Singh of village Khan Chhabri.

(2) Shri Kishan Singh, son of Shri Nand Singh of village Pandori Takhat Mal.

(3) Shri Fauja Singh, son of Shri Jaimal Singh of village Kot Dharm Chand.

No objection was raised by the members, regarding the selection of other tahsils. The Revenue Assistant assured that the reports from the tahsildar shall be collected shortly and will be placed before the worthy Deputy Commissioner, for necessary action so that the recommendations may be sent to the Government for approval.

NEW HOSPITALS/DISPENSARIES IN KARNAL DISTRICT

3019. Chaudhri Dharam Singh Rathi : Will the Chief Minister be pleased to state the number and names of villages tehsilwise in Karnal District where new Allopathic Dispensaries and hospitals and Ayurvedic Dispensaries were opened by Government during the years 1957-58, 1958-59, 1959-60 and 1960-61 to date and the expenditure incurred on each such hospital/dispensary ?

Sardar Partap Singh Kairon : No allopathic Dispensary or Hospital was opened in Karnal District during the years 1957-58, 1958-59, 1959-60 and 1960-61. The following Ayurvedic/Unani dispensaries were however opened in that district :—

S.No.	Name of Dispensary	Tehsil	Year
1	Kurar ..	Panipat ..	1957-58
2	Gumthalagarn ..	Kaithal ..	1957-58
3	Adyana ..	Panipat ..	1958-59
4	Pharal ..	Kaithal ..	1958-59
5	Jhansa ..	Thanesar ..	1958-59
6	Sambli ..	Karnal ..	1959-60
7	Gagsana ..	Karnal ..	1959-60
8	Seonsar ..	Sub-Tehsil Guhla ..	1959-60

As regards details of expenditure incurred on each dispensary, a statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

Serial No.	Name of Dispensary	Year	Amount
			Rs nP.
1	Kurar ..	1957-58 ..	1,166.21
	Do	1958-59 ..	3,044.52
	Do	1959-60 ..	3,500.97
	Do	1960-61 ..	2,308.10
	(Upto September, 1960)		
2	Gumthaislagarh ..	1957-58 ..	797.94
	Do	1958-59 ..	2,903.77
	Do	1959-60 ..	3,550.22
	Do	1960-61 ..	2,159.10
	(Upto September, 1960)		
	Dispensaries opened during 1958-59		
3	Adyana ..	1958-59 ..	666.06
	Do	1959-60	3,573.17
	Do	1960-61 ..	2,152.10
	(Upto September, 1960)		
4	Pharal ..	1958-59 ..	839.82
	Do	1959-60 ..	3,449.24
	Do	1960-61 ..	2,529.10
	(Upto September, 1960)		
5	Jhansa ..	1958-59 ..	317.96
	Do	1959-60 ..	3,463.87
	Do	1960-61 ..	1,967.83
	(Upto September, 1960)		
	Dispensaries opened during 1959-60		
6	Sambli ..	1959-60 ..	305.10
	Do	1960-61 ..	3,090.64
	(Upto September, 1960)		
7	Gagsana ..	1959-60 ..	815.38
	Do	1960-61 ..	2,525.10
	(Upto September, 1960)		
8	Seonsar ..	1959-60 ..	815.38
	Do	1960-61 ..	2,624.10
	(Upto September, 1960)		

11484P.V.S.—350—24-5-61—C., P. and S., Punjab Chandigarh

Punjab Vidhan Sabha Debates

7th November, 1960.

Vol. II No. 6.

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Monday , the 7th November, 1960

Price: Rs. 4.80 nP.

ERRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES, VOL. II, No. 6,
DATED THE 7TH NOVEMBER, 1960

Read	*for*	*on page*	*line*
Question	Cuestion	(6)2	1
checking	cheeking	(6)3	23 and 26
alongwith	along to with	(6)3	2nd from below
Debentures	Deben ure	(6)4	14
proprietor	Propietor	(6)8	2, under col. 9
भेजी	भेजो	(6)23	17
Add 'or' after the word 'rent'		(6)49	6
Professional	Profession	(6)62	23
Samitis	Samits	(6)65	Heading
आप	आन	(6)66	last
Samitis	Samits	(6)67	Heading
Motions	motion	(6)68	19
Add '2' after the word 'line'		(6)68	25
Add the words : delete "the tahsil or" between lines 27 and 28		(6)68	
(3)	(31)	(6)70	18
Samitis	Samits	(6)71	Heading
delete "we"		(6)72	11
ਹੋ	ਹੇ	(6)83	32
और	भी	(6)87	17
discrimination	descremination	(6)87	19
ਕੰਮ	ਲਭਮ	(6)101	2
ਸਲ੍ਹਾ	ਹਲ੍ਹਾ	(6)104	10th from below
मानो	मानी	(6)105	last
motion	motions	(6)106	16
Speaker	Speeker	(6)108	3
till	tile	(6)108	4

PUNJAB VIDHAN SABHA

Monday, the 7th November, 1960

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10,*Chandigarh, at* 2.00 *p. m. of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.*

SUPPLEMENTARIES ON STARRED QUESTION NO. 6071

डाक्टर परमानन्द : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि दो, साल से जिन के warrants निकले हुए हैं और अब तक उन से loans वापस नहीं लिये गये उस का क्या कारण है ?

उद्योग मंत्री : हर case में कोशिश की जाती है recovery करने की लेकिन हर case में अलहदा अलहदा कारण होता है। parties बहुत सी हैं जितनी देर वाज़ेह तौर पर किसी खास पार्टी के बारे में दरियाफ्त न किया जाए क्या बतलाया जा सकता है।

श्री राम प्यारा : जब Industries Departments ने as arrears of land revenue loans वसूल करने के लिए warrants निकाल रखे हैं तो इन warrants के बावजूद recoveries क्यों नहीं हो रहीं ?

मंत्री : recoveries हो रही हैं। किसी केस में बकाया कोई रक्म रह गई है तो इस का यह मतलब नहीं कि recoveries नहीं हुई।

श्री राम प्यारा : पहले जवाब में यह बतलाया गया है कि 31 के खिलाफ warrants जारी किये और सिर्फ 4 से recoveries हुई हैं मैं दरियाफ्त करना चाहता हूं कि 27 आदमियों से recoveries क्यों नहीं की गई ?

मंत्री : यह बात गलत है कि चार पार्टियों से recoveries हुई है बल्कि सारी पार्टियों से recoveries हो चुकी है बाकी पार्टियों से partial recoveries हुई हैं और 4 cases में मुकम्मल recovery हो गई है।

डाक्टर परमानन्द : जहां 27 cases में loans वापस नहीं हुए उन के नाम क्या हैं ?

मंत्री : पहले जवाब दे दिया गया है कि it is not in the public interest to disclose the names of the loanees.

श्री अध्यक्ष : वह कहते हैं कि मेरे पास आ जाओ तो मैं नाम बता दुंगा। (He says that the hon. Member may see him and he will tell him the names.)

Minister : Sir, I have already made the offer that if the hon. Member is interested he can see the names with me. I cannot give him the names in the Chamber but can show him the list outside as I do not want to disclose it publicly.

Note.—Starred Question No. 6071 along with its reply appears in the PVS debate Vol. II—No. 1, dated 17-10-61.

SUPPLEMENTARIES ON STARRED CUESTION NO. 5939

श्री राम प्यारा : क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि control order कब लागु हुआ और लागू होने के बाद जगाधरी में import licences या quotas दिये गये ?

मंत्री : non-ferrous metal का order 2 अप्रैल, 1958 को लागू हुआ। उस के मुतअल्लिक position यह है कि जो कानूनी तौर पर फैसला किया था कि बर्तन बनाने के लिए किसी को copper वगैरह नहीं देंगे। अगर कोई खास बात हो तो पता करके बता सकता हूं कि order की खिलाफवर्ज़ी हुई है।

श्री राम प्यारा : मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि 2-4-1958 को control order हुआ था। क्या इस order के बाद कुछ parties को quota दिया गया है ?

मंत्री : मैं off hand कैसे बता सकता हूं If any specific information is needed I can supply.

श्री राम प्यारा : क्या इस control order के बाद Central Government ने पंजाब गवर्नमेंट को कोई instructions दीं कि कुछ parties को 50 फी सदी कोटा दे दिया जाए और अगर दीं तो क्या उन पर अमल हुआ या नहीं ?

Mr. Speaker : This does not arise.

श्री राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि जो representations Metal Consumers Association, Jagadhri की तरफ से आई हैं और उन में जो 9 फर्मों के नाम लिखे हैं उन 9 फर्मों के साथ यकसां सलूक किया गया है या Azad Metal Works और Sharda Metal works को different सलूक मिला है ?

Mr. Speaker : This is not admissible.

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि जैसा कि represent किया गया उनका आपस में फर्क रखा गया ?

मंत्री : किस को कितना मिला और किस को कितना नहीं मिला वह rules के मुताबिक और जो गवर्नमेंट की पालिसी है उसके मुताबिक हुआ। Individual case के मुतल्लिक तो मैं इस वक्त नहीं जानता लेकिन हर एक को जो हमारी पालिसी है उसके मुताबिक मिला होगा। अगर individually पूछना चाहते हैं तो separate notice दें मगर इस सवाल से यह पैदा नहीं होता।

श्री राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि उनको जो representations मिलीं उन पर गवर्नमेंट ने क्या action लिया ?

मंत्री : पहले जवाब दे दिया जा चुका है कि उनकी representation reject हो चुकी है और उनको इस बात की इत्तलाह भी दे दी गई है।

श्री राम प्यारा : 2 अप्रैल, 1958 के बाद जिन दो parties को कोटा दिया गया उसकी क्या वजूहात हैं ?

Note.—Starred Question No. 5939 along with its reply appears in the P.V.S. Debate Vol. II, No. 4, dated 25th October, 1960.

Mr. Speaker : How have you brought in these two parties in this question. Have those been mentioned in your main question ?

श्री राम प्यारा : जनाब, यही तो representation है। यही चीज़ तो representations में लिखी हुई है कि उनके साथ different treatment किया गया है । I have got the copies of the representations. I can place them on the Table of the House.

मंत्री : I do not know what confusion is there. Metal Consumers Association Jagadhri की तरफ से joint representation थी और उनकी general मांगें थीं। गवर्नमेंट का इस बारे में जो policy decision हुआ वह उनको बतला दिया गया कि जिस दिन से control order जारी हुआ उस के बाद बरतन बनाने के लिए किसी नए आदमी को कोटा नहीं मिलेगा और न हो मिला है। तो अब बात क्या है? उन्हें उनकी representation का जवाब दे दिया गया है।

Mr. Speaker: Next question please. No more supplementaries on this now.

SUPPLEMENTARIES ON STARRED QUESTION NO. 5941

श्री राम प्यारा : जनाब गवर्नमेंट ने पार्ट बी० के जवाब में बताया है कि कई फर्में अभी तक untraced हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कितनी firms untraced हैं ?

मंत्री : जनाब, मैं इस बात का जवाब दूसरे सवाल के सम्बन्ध में पहले दे चुका हूं। गवर्नमेंट की तरफ से formal request की गई थी कि दोनों questions इकट्ठे हों जाएं। लेकिन नहीं हो सके, दोनों separate हैं। मैं इस बात का जवाब सवाल नम्बर 5968 के जवाब में, जोकि श्री टंडन जी का था, दे चुका हूं।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : क्या वज़ीर साहिब फरमाएंगे कि जो cheeking हुई वह उन सब फर्मों की हुई जिन को कोटा मिलता है या कि कुछ फर्मों की हुई ?

उद्योग मंत्री : चेकिंग तो हुई, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि hundred percent firms की cheeking हुई ।

श्री राम प्यारा : जो industrial firms untraced हैं क्या उन को अपनी applications के मुताबिक ही import licence मिला या कि आप ने उन को ज्यादा दे दिया ?

उद्योग मंत्री : इस बात का जवाब मैं off hand नहीं दे सकता।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ officers ਨੇ certificates issue ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਨਹੀਂ ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ action ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ?

Note: —Starred Question No. 5941 along to with its reply appears in the P.V.S debate Vol. II No 5 dated 26th October 1960

मंत्री : मैंने पिछली दफा जवाब दे दिया था कि अभी तक विजिलेंस डिपार्टमेंट से रिपोर्ट नहीं आई। मैंने खुद उन से यह इत्तलाह ले कर दे दी थी। जब उन से मुकम्मल रिपोर्ट आ जाएगी तो इस बात का जवाब दिया जा सकता है।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : Vigilance ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ?

मंत्री : मैंने जवाब दे दिया है कि अभी तक उन की रिपोर्ट आई ही नहीं।

श्री राम प्यारा : Part (c) के जवाब में पिछली दो लाईनों में यह बात specifically पूछी गई थी :

"The name and designation of the authority which finally approved.."

मिनिस्टर साहिब ने जवाब दिया था डायरेक्टर। मैं पूछता हूं कि डायरेक्टर का नाम क्या है और अगर जायंट डायरेक्टर ने किया था तो उन का नाम क्या है ?

Mr. Speaker : why is the hon. Member particular about the names?

श्री राम प्यारा : नाम बताने से ही सारी चीज़ खुलेगी।

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

INTEREST ON DEBENTURES OF HAMIRA SUGAR MILLS PURCHASED BY GOVERNMENT

***5942. Shri Ram Piara** : Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) whether it is a fact that any interest in respect of the Debentures of the Hamira Sugar Mills purchased by Government has been written off ; if so, how much together with the date when it was written off ;

(b) the period for which the interest which was written off, as mentioned in part (a) above, was due ;

(c) whether the Management of the said Sugar Mills had applied to the Government for the writing off of the said amount; if so, when ?

Shri Mohan Lal : (a) No. The position, however, is that a total amount of Rs 24,90,666.66 was due from the Company on account of debentures amounting to Rs 20 lakhs and interest thereon amounting to Rs 4,90,666.66 upto 17th February, 1960, and this amount could be recovered by the Government from the plant and machinery mortgaged by the Company with the Government in accordance with the terms of the Debenture Trust Deed. As the sale of the mortgaged property of the Company fetched only Rs 20 lakhs to the Government, the balance amount of Rs 4,90,666.66 had to be foregone.

(b) The interest as mentioned in part (a) above was due for the period from 1st January, 1956 to 17th February, 1960, after adjustment of Rs 5,000 paid by the Company towards interest due upto 31st December, 1956.

(c) Question does not arise in view of the position indicated against part (a) above.

श्री राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब बतलाएंगे कि यह जो 4 लाख रुपये से ऊपर interest था यह गवर्नमेंट क्यों recover नहीं कर सकी और इन्होंने 5 साल तक recover नहीं किया, इस के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री : मैंने जवाब में वाज़ेह तौर पर बतला दिया है कि जो भी debentures की amount थी वह machinery और property से recover होनी थी। उस से 20 लाख रुपया recover हो सका। पहले भी गवर्नमेंट ने सवा लाख के करीब interest recover किया था। इसके इलावा जो इस वक्त का trustee था उसको Government ने recovery के लिए कहा। लेकिन बाद में उसने resign कर दिया। इस तरह पेचीदगी पड़ गई।

श्री राम प्यारा : मेरा सवाल साफ है। 1956 से 1960 तक 5 लाख में से सिर्फ 5,000 रुपया वसूल किया गया। इसकी क्या वजह है ?

मंत्री : 5 हज़ार नहीं। 1,0930 एक दफा, 1,13,375 रुपये एक दफा और 5,000 रुपए एक दफा लिए गए। इस तरह से 1,79,000 के करीब interest recover हो चुका था। जो बाकी रकम due थी जब उसकी recovery के लिए trustee को कहा क्योंकि यह रकम trustee के जरिए वसूल होती है, तो उसने resign कर दिया।

श्री राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि 1960 तक उसके खिलाफ वह रकम बतौर arrears of land revenue वसूल करने के कोई warrants निकाले गए ?

मंत्री : मैंने बतलाया है कि trustee के जरिए recovery होनी थी। उसके बाद Government ने बहुत सारी efforts की थीं। Mill बन्द हो गई। Co-operative Society बना कर Mill को चलाने का यत्न किया, वह भी न हो सका। Trustee ने resign कर दिया। जो best under the circumstances हो सका किया। अच्छी बात हुई जो कि एक party मिल गई इसे 20 लाख में खरीदने वाली, वरना और बहुत ज़्यादा नुकसान होता।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ debenture **ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ** assess **ਹੋਈ ਸੀ।**

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ।

मुख्य मन्त्री : जब agreement हुआ उस वक्त कीमत बहुत थी। अगर ज़मीन और machinery की कीमत डाल लेते तो सारा loan recover हो जाना था। लेकिन उसमें कुछ नुकस था। नुकस की वजह से हम ने ज़मीन को और इमारत को छेड़ा नहीं। सारी चीज़ों को देख कर जैसा कि Minister साहिब ने कहा है, शायद हम बहुत नुकसान उठा जाते, शुक्र है कि हम ने इतना पैसा इस ढंग से निकाला।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਸ agreement ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਇਹ ਇਕ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मैं पूछ सकता हूं कि अगर यह एक 'पुरानी गल' भी है तो क्या इस के लिये गवर्नमैंट की जिम्मेदारी नहीं है ?

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ Finance Secretary ਸੀ ਉਹ ਵੀ retire ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੇ ਪਿਛੇ ਭੌਂਦੇ ਫਿਰੀਏ ? ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਬਚਾ ਲਿਆ ।

QUARRIES IN NARNAUL

***6075 Dr. Parma Nand :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) the number of productive and unproductive quarries in Narnaul during the year 1958-59 ;

(b) the date when each of the said quarries was leased out by Government, the amount for which it was leased out and the name of the person to whom it was leased out ;

(c) whether it is a fact that some productive quarries have become unproductive ones during the period from Ist April, 1959, to date; if so, the reasons therefor and the amount of lease money of such quarries ;

(d) the names of these lessees to whom quarries which have been turned from productive to unproductive have been leased out and the period for which each such quarry has been leased out?

Shri Mohan Lal : Under the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957/Mineral Concession Rules, 1949, no mine quarry is classified as "productive" or "unproductive". However, only productive mines i. e., mines from which minerals can be economically exploited are generally taken on lease. A mine in respect of which a lease has been granted may be worked or may remain unworked. In case of the former, the lessee is liable to pay royalty and in case of the latter, the lessee is liable to pay dead rent in accordance with the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 and rules made thereunder.

A statement showing the particulars of the mines leased out by the Industries Department is laid on the Table of the House.

STATEMENT I

Serial No.	Location of Mine	Name of mineral	Date of grant of lease	Period of lease	Amount chargeable			Name of person(s) to whom the area was leased out
					Rate of royalty	Rate of surface rent per annum	Rate of dead rent per annum	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Years				
1	Marble mines in villages Antri, Zonepur, Dhanauta and Dhancholi, in tehsil Narnaul, district Mohindergarh	Marble stone	2-8-55	20	(i) Carved or dressed marble at Re 0-4-6 per cft. (ii) Marble slabs at Rs 0-5-3 per cft. (iii) Marble tiles at Re 1-2-0 per 100 sq. ft. (iv) Marble chips and Powder, at Re 0-9-0 per 100 cft. (v) Marble Blocks at Rs 0-4-3 per cft. Subject to a minimum of Rs 2,500 per annum	..	..	Messers B. R. Sawhney (Industries) Ltd., Kashmere Gate, Delhi

[Minister of Industries]

Serial No.	Location of Mine	Name of mineral	Date of grant of lease	Period of lease	AMOUNT CHARGEABLE			Name of person(s) to whom the area was leased out
					Rate of royalty	Rate of surface rent, per annum	Rate of deadrent per annum	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Years				
2	Villages Chapra Bibipur, Antri, Zonepur and Beharipur in district Mohindergarh	Iron ore	5-3-54	30	(i) Used for extraction of iron in the country, at Re 0-8-0 per ton (ii) Used for other purposes at Re 1 per ton	..	(i) Rs 2 per acre for 2nd and 3rd year (ii) Rs 3-8-0 per acre for 4th and 5th year (iii) Rs 5 per acre for 6th year and onward	Shri Amar Singh, Propietor, Messrs India Stone Lime Co., (Reg.) Sabzi Mandi, Delhi-6
3	Village Chapra Bibipur in district Mohindergarh	Iron ore	12-3-56	30	(i) Used for extraction of iron within country at 5 per cent of the sale value at pit's mouth subject to a minimum of Re 0-8-0 per ton (ii) Used for other purposes at Rs 5	Rs 8 per acre	(i) For 2nd and 3rd year at Re 1 per acre (ii) for 4th and 5th year at Rs 3 per acre (iii) For 6th year and onward at Rs 5 per acre	Shri Shri Kishan Aggarwal, Neem-ka-Thana (Rajasthan)

					per cent of the sale value at pit's mouth subject to a minimum of Re 1 per ton			
4	Village Rasulpur (district Mohindergarh)	Calcite ..	16-8-58	20	Five per cent of the sale price at pit's mouth	Rs 2 per acre	(i) Rs 5 per acre for two years after the lapse of one year (ii) Rs 7 per acre for next three years (iii) Rs 8-8-0 per acre for the next 4 years (iv) Rs 10 per acre for the subsequent years	Shri Raja Gopal Narain, Munshi Bagh, Alwar (Rajisthan)
5	Village Behali, Kanti and Nandi (district Mohindergarh)	Slate stone, shale and allied minerals	12-10-54	10	Fifteen per cent of the sale price at pit's mouth	Rs 41.25 nP.	Rs 10 per acre ..	Shri Diwan Singh Sethi, Proprietor, Messrs Shree Partap Slate and General Works, Ateli
6	Village Dhanauta and Dhancholi, (district Mohindergarh)	Iron ore	30-10-58	5	(i) Used for extraction of iron within country at Rs 5 per cent of the sale value at at pit's mouth subject to a minimum of Re 0-8-0 per ton (ii) Used for other purposes at Rs 5 per cent of the sale value at pit's mouth subject to a minimum of Re 1 per ton	..	Rs 5 per acre ..	Shri Shri Kishan Aggarwal, Neem-ka-Thana (Rajisthan)

[Minister of Industries]

Serial No.	Location of Mine	Name of mineral	Date of grant of lease	Period of lease	AMOUNT CHARGEABLE			Name of person(s) to whom the area was leased out
					Rate of royalty	Rate of surface rent per annum	Rate of dead rent per annum	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Village Pachnuta Mosnuta and Rupar-Sarai in district Mohindergarh	Mica ..	25-2-52	20	(i) Crude Mica ..	Re 1 per md.	(i) Rs 2 per acre for 1st and 2nd year, excepting 1st year of lease	Shri Gajinder Kumar, village Jhakni district Moh ndergarh. The lease was determined on 6th January, 1959, as the lessee defaulted in payment of Government dues. The mine was advertised inviting applications for re-grant of mining lease, but no application was received
					(ii) Treminded Mica, all qualities other than heavy stained dense and spotted	Rs 3 per md.	(ii) Rs 4 per acre for next 3years	
					(iii) Tremined Mica, other than (ii)	Rs 1-8-0 per md.	(iii) Rs 6 per acre for next 4 years	
					(iv) Waste Scrap ..	Re 0-2-0 per md.	(iv) Rs 8 per acre for subsequent years	
8	Village Dhani-Bathutha in district Mohindergarh	Limestone	March, 1954	5	It was formerly a Minor mineral quarry given on contract basis to Messrs Mohan Lal-Ram Partap, village Maunda (Raisthan) at Rs 15,000 per annum. The lease has now been given to Shri Raghunath Singh with effect from 1st July, 1960 under the Mines and Minerals (Regulation and Development Act, 1957/Mineral Concession Rules 1949.			

डाक्टर परमानन्द : Statement में जो item No. 8 में lime stone quarry का जिक्र आया है इसकी lease की बाबत बताया गया है कि पहले यह 15,000 रुपए पर दी हुई थी और अब नई party को दी गई है ? मैं पूछना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है कि नए lease की amount नहीं बताई गई ?

श्री उपाध्यक्ष: क्या आप किसी की मदद करना चाहते हैं ? (Is the hon. Member interested in any party?)

डाक्टर परमानन्द : जनाब, वज़ीर साहिब ने बताया है कि यह lease पर 15,000 रुपए पर दी गई थी और उस को Cancel करके दूसरी party को दे दी गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि change over के क्या कारण हैं ? और दूसरे यह दूसरी party को कितने रुपए पर दी गई है ?

मंत्री : इसमें तो बाकायदा gazette notification होती है कि फलां quarry गवर्नमैंट lease करना चाहती है। उसके मुताल्लिक बाकायदा तौर पर applications आती हैं, एक date मुकर्रर की जाती है । उसमें हर एक चीज़ settle होती है ।

श्री उपाध्यक्ष : एक पार्टी को क्यों दी गई और दूसरी को क्यों नहीं दी गई इसका सवाल से कैसे ताल्लुक बनता है। (How is the cancellation of lease of one party and giving of it to the other relevant to the main question?) (*interruptions*)

Minister : Sir, I am explaining the procedure. It is regularly gazetted and applications are invited.

श्री राम प्यारा : क्या मैं पूछ सकता हूं कि item No. 8 में lease की terms को तब्दील करने के क्या कारण हैं ?

Mr. Speaker : The part (d) of the question reads :—

> "(d) the names of those lessees to whom quarries which have been turned from productive into unproductive have been leased out and the period for which each such quarry has been leased out?"

You have not asked for the reasons why they have been leased out.

डाक्टर परमानन्द : वज़ीर साहिब ने फरमाया है कि जब यह quarries दूसरों को दी जाती हैं तो उन की applications ली जाती हैं । मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं कि आया सिर्फ applications ही ली जाती हैं या tenders भी call किये जाते हैं ?

मंत्री : जो quarries लेना चाहते हैं उन सब से applications ली जाती हैं और उन को merit पर consider किया जाता है और यह rules के मुताबिक किया जाता है जो कि Government of India के बने हुए हैं ।

(डाक्टर परमानन्द supplementary सवाल पूछने के लिये खड़े हुए।)

श्री अध्यक्ष : (Addressing Dr. Parma Nand) आप के ज़हन में कोई चीज़ हो और उस के मुताबिक अगर जवाब न आए तो आप इस तरह के सवाल पूछना चाहते हैं। कचहरी के कटहरा में खड़ा होने और यहां इस हाउस में जवाब देने के लिये मिनिस्टर के खड़े होने में बड़ा फर्क होता है। (The hon. Member begins to ask this sort of supplementaries, when he feels that reply to a certain question has not been given according to what he thinks it should be. He should know that there is a lot of difference between a person standing in a witness box of a court and that of a Minister standing in this House to reply to supplementaries.)

LAND RESERVED FOR RECREATION PARK IN INDUSTRIAL AREA, LUDHIANA

*6076. **Dr. Parma Nand :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) whether it is a fact that a piece of land was reserved for a Garden Colony or a Recreation Park in the Industrial Area of Ludhiana; if so, the area thereof ;

(b) whether it is a fact that some portion of the land mentioned in part (a) has been given to some industrialist ; if so, the reasons therefor and the price charged from the said industrialist ;

(c) whether it is a fact that the land mentioned in parts (a) and (b) above has been given through negotiations instead of auction ; if so, the reasons therefor ;

(d) whether the Town Planner was consulted at the time of establishing the Industrial Area at Ludhiana ; if so, when ?

Shri Mohan Lal : (a) No area for a Garden Colony has been reserved in either of the Industrial Areas at Ludhiana. Neither any area for Recreation Park has been specifically reserved there.

(b) Question does not arise.

(c) Question does not arise.

(d) The Industrial Areas in the State were set up in the year 1949 and their layout was prepared by the Provincial Town Planner, Punjab.

The object of asking supplementary questions is to elicit information and not to cross-examine the Minister as a witness or an accused. The hon. Member should keep this fact in view when he asks questions.

श्री राम प्यारा : वज़ीर साहिब ने फरमाया है कि garden colony के लिये specifically कोई area reserve नहीं किया गया था तो मैं उन से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई area recreation park के लिये reserve किया गया था ?

मंत्री : Recreation park के लिये भी कोई area reserve नहीं किया गया था ।

श्री राम प्यारा : नहीं स्पीकर साहिब, वहां कुछ area जरूर reserve हुआ था ....

श्री अध्यक्ष : जो आप ने पूछा था उस का जवाब दे दिया गया है । (The information asked for has been supplied to the hon. Member.)

मंत्री : झूठ का ठेका इन्हों ने ही लिया हुआ है ।

मौलवी अब्दुल गनी डार : क्या कहा है आप ने ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ hearsay ਤੇ depend ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ । ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ । ਅਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ।

श्री राम प्यारा : राजस्थान वाली बात record पर है । यह पहले एक बार reject कर चुके हुए हैं ।

Mr. Speaker : Order, please.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਸ industrial area ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ industrialist ਨੂੰ negotiations ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ?

श्री अध्यक्ष : उन्हों ने तो जवाब दिया है कि वहां कोई जमीन reserve रखी ही नहीं गई थी तो यह सवाल कैसे पैदा होता है । (The Minister has stated that no area had been reserved there. Then how does this question arise.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ industrialist ਨੂੰ negotiations ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

ESSENTIALITY CERTIFICATES ISSUED IN PANIPAT

***6077. Dr. Parma Nand :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) the total numberof essentiality certificates issued by the Industries Department to Industrialists at Panipat during the period from 1st July, 1959 to date, the names of those to whom these certificates were issued and the value thereof in each case ;

(b) whether it is a fact that some of the industrialists mentioned above to whom the certificates were issued were not recommended for the purpose by the District Industries Officer, if so, their names ;

[Dr Parma Nand]

(c) whether it is also a fact that in some cases in which the certificates were issued the value recommended was less than that for which the certificates were issued ; if so, the reasons therefor ;

(d) whether he is aware of the fact that in some cases certificates were issued for raw materials without machinery for the consumption of that raw material having been installed; if so, the reasons therefor ?

Shri Mohan Lal : The time and labour involved in collecting the information (which is going to be extremely voluminous) is not commensurate with the benefits sought to be derived.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਾਨੀਪਤ ਦੇ ਮੁਤਅਲਕ ਹੀ information ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।

मंत्री : इस को अगर सारी वाकफियत हो तो इन्हें ठीक ठीक पता लगे कि Essentiality certificates six monthly basis पर issue होते हैं और इन्हों ने इस सवाल के ज़रिये जो information मांगी है वह 1st July, 1959 से up-to-date है और इस का मतलब हो जाता है कि तीन या चार terms की information इकट्ठी करना।

For such a simple question, how could voluminous information involving so much money and labour be collected ?

श्री राम प्यारा : लेकिन स्पीकर साहिब मुश्किल से यह 50 essentiality certificates होंगे उन के बारे में भी यह information नहीं दे रहे।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਦਫਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦਫਾ assurance ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ information ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। (The hon. Member has asked for this information a number of times and the hon. Minister has also assured that the same would be supplied.)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : जनाब यह तो उन को दिए गए हैं जिन की firms ही नहीं हैं। (*interruptions*)

Mr. Speaker: Order please.

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : अर्ज़ यह की है कि अगर मुसलमान सिख का सवाल होता .... (*interruption*)

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਛਡੋ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਫੁਲਵਾਉ। (*interruptions*)

Mr. Speaker: Order please. This is most improper.

Shri Ram Piara : Sir, part (c) of the question reads—

"(c) whether it is also a fact that in some cases in which the certificates were issued the value recommended was less than that for which the certificates were issued; if so, the reasons therefor.

यह बीमारी है जिसे हम निकालना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : अरे भाई आप की किस तरह तसल्ली होगी । यह essentiality certificates का सवाल ही पीछा नहीं छोड़ता । (I do not know how the hon. Member can be satisfied. This question regarding essentiality certificates does not leave us.)

श्री राम प्यारा : इसमें यह बीमारी है ....

श्री अध्यक्ष : यह आए महीने आता है मगर आप की तसल्ली नहीं होती । I am not going to allow such questions. (This question is repeatedly put yet the hon. Member is not satisfied. I am not going to allow such questions.)

श्री राम प्यारा : इस में बड़ों बड़ों के हिस्से हैं ।

डाक्टर परमानन्द : यह पानीपत में नहीं मिलते, दिल्ली जा कर black होती है ।

Mr. Speaker: I will have to name you.

यह गलत तरीका है । पंडित जी किसी दिन दौरा रखो और इन की इकट्ठे ही तसल्ली कराओ । (I will have to name you. This is not the proper procedure. (Addressing the Minister for Industries) please arrange a tour of the area and satisfy them once for all.)

उद्योग मंत्री : इन की तसल्ली तो आप ही करा सकते हैं ।

श्री राम प्यारा : Submission यह है कि आयंदा policy क्या होगी....

श्री अध्यक्ष ; जो questions इस तरह से आए session में और और दे कर लाये जाते हैं I am not going to admit them. उन्हें आप शकल बदल कर भी लाएंगे तो मैं पहचान लूंगा । इस तरह धोखा नहीं दे सकेंगे । (I am not going to admit the questions which are repeated in every Session in a different language. Even if they change form, these cannot escape my eye. They will not be able to hoodwink me.)

INDUSTRIAL LOANS GRANTED IN KANGRA DISTRICT DURING 1959-60

***6100. Shrimati Sarla Devi Sharma :** Will the Minister for Industries be pleased to state whether the Industries Department received any applications from the people of Kangra District for the grant of industrial loans during the financial year 1959-60 ; if so, the steps so far taken by Government to grant these loans ?

Shri Mohan Lal : Yes. Out of 52 applications for grant of loan received from Kangra District during the financial year 1959-60, 34 applications have so far been sanctioned, 12 rejected and 6 are under consideration.

श्रीमती सरला देवी शर्मा : इन्होंने बताया है कि 10 applications reject हो गई थीं। क्या यह बताएंगे कि वह किस बिना पर reject हुई ?

मन्त्री : इस का तो पता करना होगा कि किस किस ground पर सब अर्जियां reject हुई।

श्रीमती सरला देवी शर्मा : हमें पता लगना चाहिये कि अगर कोई application reject हुई तो उस का reason क्या है ?

मन्त्री : जिस individual application के बारे आप को information चाहिए वह मैं पूछ कर बता सकता हूं। हर application को merits पर consider किया जाता है। इस वक्त मैं नहीं बता सकता कि यह applications क्यों reject की गई। पता करके बता सकता हूं :

श्री अध्यक्ष : यह जो loans और depots बारे सवाल हैं यह किस तरह पीछा छोड़ेंगे। (हंसी) इन के लिए अलग procedure रखना पड़ेगा। इन में तो सारा time चला जाता है। (How can we get rid of these questions regarding loans and depots ? (*laughter*) We will have to adopt some different procedure. These practically consume whole of the question hour.)

LOANS GRANTED FOR SMALL SCALE INDUSTRIES DURING 1959-60

***6101. Shrimati Sarla Devi Sharma :** Will the Minister for Industries be pleased to state the total amount of loan allocated district-wise, in the State for Small Scale Industries during the financial year 1959-60 together with the amount actually advanced district-wise during this period ?

Shri Mohan Lal : A statement showing the requisite information is laid on the Table of the House.

Statement showing the district wise allocation of the loan amount and the actual disbursement during the year 1959-60

Serial No.	Name of District		Amount allocated	Amount advanced
			Rs	Rs
1	Ambala	..	2,00,000	1,93,400
2	Ludhiana	..	80,000	2,97,725
3	Jullundur	..	2,00,000	2,62,800
4	Amritsar	..	1,80,000	2,14,300
5	Ferozepur	..	1,70,000	96,500
6	Hoshiarpur	..	4,90,000	85,100
7	Kangra	..	4,00,000	94,800
8	Gurdaspur	..	1,40,000	1,139,500
9	Rohtak	..	2,50,000	3,57,000
10	Karnal	..	1,30,000	2,50,250
11	Hissar	..	1,90,000	2,85,300
12	Gurgaon	..	2,70,000	96,000
13	Simla	..	40,000	..
14	Patiala	..	2,40,000	3,02,100
15	Mohindergarh	..	3,39,000	1,26,500
16	Kapurthala	..	3,80,000	79,800
17	Bhatinda	..	2.50,000	1,38.250
18	Sangrur	..	2,60,000	2,32,450
	Total	..	42,00,000	32,51,775
	Additional amount allocated through re-appropriation for loans to Small Industries but not specifically allocated to any particular district		66,000	*Plus* Rs 10,00,000 (Placed at the disposal of the Punjab Financial Corporation for grant of loan to Small Industries
	GRAND TOTAL	..	42,66,000	42,51,775

Includes Rs 10 lacs placed at the disposal of Punjab Financial Corporation for grant of loans to Small Industries.

CAMPHOR QUOTA FOR THE STATE

*6284. **Shri Ram Kumar Bidhat :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) the total quantity of the quota of camphor allotted by the Central Government for the State for the years 1959-60 and 1960-61 ;

[Shri Ram Kumar Bidhat]

(b) the names of concerns or persons with their addresses who were allotted the said quota by the Government during the said period, the quantity allotted to each and the purpose for which it was allotted ?

Shri Mohan Lal : (a) and (b) The allotment of camphor has been entrusted by the Government of India to the State Trading Corporation, New Delhi, who release camphor to the concerns recommended by the Directorate of Industries. A statement showing the names of concerns, quantity of camphor allotted, etc., is laid on the Table of the House.

Camphor allotted to Factories in Punjab during 1959-60 *and* 1960-61 *by State Trading Corporation, New Delhi*

Serial No.	Name of the Concern	1959-60	(1960-61 upto 13th October, 1960)	Purpose for which allotted
		Killos	Lbs.	
1	Messers Vishnu Industries Railway Road, Hissar	100	Nil	Medicinal
2	T. R. Kokra and Co.. Bhiwani	100	Nil	Do
3	International Chemical Corporation, Amritsar	100	Nil	Do
4	Gurcharan Das and Co., Amritsar	200	Nil	Tabletting
5	Universal Chemical, Amritsar	200	Nil	Do
6	Sethi Chemicals, Amritsar ..	1,100	Nil	Do
		Lbs.		
7	National Laborataries, Amritsar	400	Nil	Medicinal
8	Lily Chemical Works, Amritsar	400	Nil	Do
9	S. K. Chemical Works, Amritsar	500	Nil	Do
10	Everest Pharmaceutical Works, Bhatinda	100	1,500	Medicinal and Tabletting

श्री राम कुमार विढाट : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि camphor का Quota Director of Industries की recommendations पर दिया जाता है या direct दिया जाता है ?

मंत्री : मैं ने कहा है कि camphor का quota Director of Industries की recommendations पर State Trading Corporation देती है ।

श्री राम कुमार बिढाट : क्या वज़ीर साहिब फरमाएंगे कि 1959-60 में क्या वजह है कि लगभग सारा Quota Amritsar के ज़िले को ही दिया गया और इस साल पटियाला की एक firm को दिया गया। इस की क्या वजूहात हैं ?

मंत्री : मैं off hand वजूहात बयान नहीं कर सकता कि किस किस की applications आई, कौन कौन deserving थे, अगर आप किसी individual case के मुतल्लिक जानना चाहें तो आप notice दें।

ELECTION PETITIONS REGARDING MUNICIPAL ELECTIONS, JULLUNDUR CITY

***6163. Shri Lal Chand** : Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) the particular month in 1959 when election petitions were filed against successful candidates in the Municipal elections of Jullundur City ;

(b) the month in which Government sent the said petitions to the Election Commissioner for disposal under the provisions of the Municipal Act ?

Shri Mohan Lal : (a) October and November, 1959.

(b) August, 1960.

श्री लाल चन्द : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि 1958 September-October की election petition एक साल के बाद क्यों भेजी गई ?

मंत्री : इस में कुछ confusion सा हो गया था। Government ने general तौर पर फैसला किया था कि जिस जगह की municipal committee की election petition हो वह किसी बाहर की जगह के Magistrate के सुपुर्द की जाए। इस case में एक दफा Magistrate के नाम तजवीज़ हुए और procedure के मुताबिक Local Government Department को वह नाम Chief Secretary साहिब के पास भेजने पड़ते हैं और उनके department में for certain reasons उन Magistrates की Services Local Government के Department को नहीं दी। फिर Hoshiarpur के नाम लिख कर Chief Secretary को भेजे गए जो इस तरह देर ज़रूर हो गई है। और मुझे अफसोस है कि देर Commission के लिए इजाज़त वक्त पर न मिलने की वजह से हुई।

श्री लाल चन्द : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि क्या यह फैसला किया गया है कि जालन्धर की Municipal Committee की election petition हो तो वह Hoshiarpur के Revenue Officer के पास भेजी जाए ?

मंत्री : वाज़ेह तौर पर तो याद नहीं कि किस अफसर के पास भेजी जाए लेकिन Hoshiarpur के Magistrate की Services इस लिए ली गई थी कि Chief Secretary साहिब ने दूसरे Magistrate की Services Local Government Department को देना मुनासिब नहीं समझा था।

श्री लाल चन्द : क्या यह बात Government के इल्म में है कि Jullundur की election petitions को Hoshiarpur में सुना जाता है और क्या ऐसी कोई instructions हैं कि वह petition को Hoshiarpur में ही सुनें या Jullundur में जा कर सुनें ?

मंत्री : यह तो Commission का काम है कि वह देखें कि कहां पर वह काम करेगें। मैं यह तसव्वर कर सकता हूं कि वह Jullundur में जा कर भी काम कर सकता है ।

श्री लाल चन्द : क्या वज़ीर साहिब को पता है कि जालंधर की elections petition जिनके खिलाफ है उन्हें होशियारपुर में जाना पड़ता है और वहां कभी तातील होती है और कभी कुछ और और उन्हें वापस मायूस लौटना पड़ता है। बहुत परेशान होना पड़ता है ।

मंत्री : जी नहीं। मुझे नहीं पता।

WARDS IN BHATINDA MUNICIPAL COMMITTEE

*6255. **Sardar Dhanna Singh Gulshan :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) the number of wards of the Municipal Committee, Bhatinda, during the years from 1947 to 1960 and the number of wards reserved for Harijans ;

(b) whether any change is now proposed to be made in the said wards ;

(c) whether there is any proposal under the consideration of Government to reduce the representation of Harijans in the said Committee ;

(d) the total population of Bhatinda City as at present and the number of Harijans amongst them ?

Shri Mohan Lal : (a) 17 up to 12th December, 1958 and 13 thereafter, with 2 and 1, respectively, reserved for Scheduled Castes.

(b) No.

(c) No.

(d) 34,991 and 3,553 according to 1951 census.

COMPLAINTS AGAINST THE PREVIOUS CHAIRMAN OF THE TOWN IMPROVEMENT TRUST BHIWANI

*6283. **Shri Ram Kumar Bidhat :** Will the Minister for Industries be pleased to state whether any complaints of unauthorised expenditure and of unauthorised appointments of staff and officers have been received against the previous Chairman of the Town Improvement Trust, Bhiwani, if so, the action taken thereon ?

Shri Mohan Lal : (i) Yes,

(ii) He has since been removed from the office of the Chairman of Bhiwani Improvement Trust. The Examiner, Local Fund Accounts, Jullundur has been asked to audit the Accounts of the Bhiwani Improvement Trust.

APPLICATION FROM LANDLORDS OF PEPSU FOR EXEMPTION FROM CEILING OF 30 ACRES

*5823. **Shri Ram Chandra Comrade :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the number of landlords in the area of erstwhile Pepsu who have applied for exemption from the ceiling of 30 acres imposed on personal holdings under the Pepsu Tenancy and Agricultural Lands Act ;

(b) the number of applications referred to in part (a) above which have been accepted and rejected separately and the number of those which are still pending :

(c) whether the acreage of land in respect of which the said applications have been received is under cultivation or other use by the landlords or the tenants or whether it is lying unutilized ?

Giani Kartar Singh : (a) Exemption have been asked for in about 1,600 cases.

(b) *Part First.*—350 cases have been accepted.
(Totally accepted-100 cases. Partly accepted-250 cases)

Part Second.—545 cases have been rejected.

Part Third.—About 700 cases are pending.

(c) The entire land is under cultivation except that 101 standard acres are under orchards, etc. No portion of the land involved is lying unutilized.

(1. This information gives the position upto the end of the month of July, 1960.

2. This information does not include the number of cases which were summarily rejected on the admission of claimants that no orchards had been planted within the prescribed dates.)

RABI CROPS IN ROHTAK DISTRICT

*6277. **Shri Sher Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the total area of land in Rohtak District, tehsilwise, where the present Rabi Crops would not be sown either because it was flooded or submerged ;

[Shri Sher Singh)

(b) whether there is any proposal under the consideration of Government to provide labour or employment to those persons who would not be able to sow the rabi crop in the said district, if so, the details thereof ?

Giani Kartar Singh : (a) It is not possible at this stage to state the area in which Rabi Crop would not be sown. It will only be possible after 15th November, 1960, to assess the area which would not be sown.

(b) (i) No.

(ii) Does not arise.

EXEMPTION OF LAND REVENUE IN ROHTAK DISTRICT

***6278. Shri Sher Singh** : Will the Minister for Revenue be pleased to state the names of villages in which total or partial exemption of land revenue has been granted as a relief measure against the floods in Rohtak District during this year ?

Giani Kartar Singh : The total number of villages affected is 533. Special Girdawari is in progress for collecting definite data for remission of land revenue and abiana in each affected village. After the completion of Girdawari, it will then be possible to exactly determine the villages actually entitled to remission.

POWDERED MILK FACTORIES IN THE STATE

***6189. Chaudhri Devi Lal** : Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to set up Powdered Milk Factories in the State; if so, at what places and the criteria kept in view while selecting these places ?

Sardar Gian Singh Rarewala : Yes.

At Amritsar for the present. The milk powder factories have to be located in areas which should abound in surplus milk and should preferably be away from the fluid milk-consuming markets so that milk requirements of the urban areas are not in any way adversely affected.

BUILDING FOR JUNIOR BASIC TRAINING SCHOOL AT HAMIRPUR

***5924. Shri Rup Singh Phul** : Will the Minister for Education and Labour be pleased to state the details of progress so far made in the construction of a building for the Junior Basic Training School, at Hamirpur in district Kangra together with the approximate time by which it is expected to be completed ?

Shri Amar Nath Vidyalankar : The work will be taken in hand shortly. It will take about eighteen months for completion thereafter.

TRANSFERS OF JUNIOR BASIC TRAINING WOMEN TEACHERS

***6006. Dr. Bhag Singh** : Will the Minister for Education and Labour be pleased to state whether Government have received any complaints during

the last two years about J.B.T. Women Teachers being transferred to schools long distances away from the places of residence of their parents or husbands ; if so, the action, if any, taken thereon ?

Shri Amar Nath Vidyalankar : Complaints are received off and on. Efforts are always made to accommodate lady teachers as near their parents/ husbands as administratively possible.

But keeping in view the present requirements of the rural and backward areas, and need of educational expansion in those areas, it is rarely possible to accommodate quite a large number of teachresses who bring such complaints to the notice of Government, simply because teachresses in sufficient number are not available locally, and women for other educationally advanced areas have to be posted to run the schools.

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਸਣਗੇ ਕਿ complaints ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਕਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸ officer ਦੇ ਜ਼ੁੰਮੇ ਹੈ ? ਉਹ ਕਿਸ level ਦੇ officer ਹਨ ?

मंत्री : जिस level के officer को इन शिकायात के सुनने का अधिकार है यह complaints उन को भेजी जाती हैं और सुनी जाती हैं ।

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਇਆ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ Cabinet Minister ਨੂੰ ਹੈ ਜਾਂ Members ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ? (ਹਾਸਾ) ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ M.L.As ਸਾਹਿਬਾਨ Teachers ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ?

मंत्री : इस का हल नीचे दरजे पर भी हो सकता है । इस के लिये Inspector साहिबान है । मगर चूंकि M.L.A.s साहिबान उन को Minister साहिबान के पास आते हैं इस लिये उन को भी ignore नहीं किया जा सकता ।

श्री अध्यक्ष : क्या M.L.A.s गवर्नमैंट स्कूलों के teachers को साथ ले कर Minister साहिबान से मिलते हैं । (Do the M.L.A,s See the Minister along with Government Teachers ?)

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ Teachers ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ।

श्री अध्यक्ष : यह ठीक नहीं पहले तो House में एक बात को गलत बयान करना और फिर जब point out किया जाता है तो उस को इस तरह से correct करने की कोशिश करना । Hon. Members को पहले ही कुछ सोच कर कहना चाहिये था । (This is not proper for the hon. Member first to make a wrong Statement and then to try to wriggle out of it when the fact is pointed out to him. He should first think and then speak.)

PASS PERCENTAGE IN VARIOUS SUBJECTS TAUGHT BY PROFESSORS/LECTURERS IN GOVERNMENT COLLEGES

***6141. Sardar Ramdayal Singh :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the names of Professors and Lecturers in the Government Colleges in the State and the subjects that each of them teaches ;

(b) the pass percentage in the University examinations in the subjects being taught by the Professors and Lecturers mentioned in part (a) above ;

(c) whether there are any Professors/Lecturers in whose subjects the pass percentage has been less than 33 in any University Examination during the last three years ; if so, the action, if any, taken against them for not showing satisfactory results ?

Shri Amar Nath Vidyalankar : The time and labour involved in the collection of the information asked for by the Hon'ble Member will not be commensurate with the benefit to be obtained.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣਾ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ? ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ scrutinise ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫੇਰ adimit ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ labour involved ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ । ਆਖਿਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ।

श्री अध्यक्ष : कुछ questions ऐसे होते हैं जो Rules of procedure के मुताबिक admit करने पड़ते हैं । मगर उन की detail बहुत लम्बी चौड़ी होती है । जब Government Labour put करके मेज़ पर रखती है तो या तो पूछने वाला नहीं होता, अगर होता है तो उस पर एक भी supplementary नहीं किया जाता । (There are certain questions which have to be admitted according to the Rules of procedure, but they contain too many details. When the Government place the reply on the Table of the House after putting in a lot of labour, then either the Member in whose name the question stands, is absent or if he is present, no supplementary question is put by him.)

Minister for Education : Sir, this information is generally available in printed documents.

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ unstarred ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ ?

श्री अध्यक्ष : No. मैं समझता हूं कि मेम्बरान को इतने सवालात भेज कर इन की importance कम नहीं करनी चाहिए और तीन सवाल per day की practice को कायम रखना चाहिए । मौजूदा हालात में मैं समझता हूं कि अफसरान के पास सवालों के सिवाय और कोई काम नहीं रह जाता होगा

as I am told that a large number of questions are pending इस से आप अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि असेम्बली के सवालों की क्या वुकअत रह जाती है। हाउस के decorum और dignity को कायम रखना मेम्बरान का काम है और उन्हें इस बात का खयाल होना चाहिए कि ज़्यादा सवालात भेजने का नतीजा यह होता है कि important questions भी उसी रास्ते निकल जाते हैं। दूसरे आप ने देखा है कि इतने सवालों के जवाब तैयार हैं लेकिन मेम्बरान नहीं आए। This is inexcusable.

(No. I think the hon. Members should not minimise the importance of questions by sending such a large number of questions. They should maintain the practice of sending questions at the rate of 3 questions per day. Under the existing circumstances, I don't think the officers are left with any time to attend to other work except questions as I am told that a large number of questions is still pending. From this they can well imagine the extent to which the importance of Assembly Questions is reduced. The hon. Members have themselves to maintain the dignity and decorum of the House and they should bear this thing in mind that the result of sending questions in such large numbers is that even the important questions do not receive any attention and pass the same way. Secondly they have seen that the replies to so many questions are ready but the sponsors are absent. This is inexcusable.

ENQUIRY AGAINST PRINCIPAL, GOVERNMENT COLLEGE, ROHTAK

***6269. Shri Mangal Sein** : Will the Minister for Education be pleased to state whether any inquiry is being held against the Principal, Government College, Rohtak ; if so, the nature of charges against him and the result of the inquiry if it has been completed ?

Shri Amar Nath Vidyalankar : A complaint containing allegations was received, which is under investigation. Until the investigation discloses that there is a *prima facie* case for holding a regular departmental enquiry, it would be premature to disclose the character of allegations.

श्री मंगल सेन : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि कब तक enquiry complete हो जाएगी ?

मंत्री : यह बड़ा common question है और इस का बड़ा common जवाब है। इस लिए definite तौर पर नहीं कहा जा सकता। Inquiry जब होती है तो जल्द से जल्द खत्म की जाती है।

श्री मंगल सेन : स्पीकर साहिब, इन्होंने फरमाया है कि यह बड़ा common question है और इसका बड़ा common जवाब है ----------

Mr. Speaker : I think he is correct.

श्री मंगल सेन : मैं अर्ज़ कर रहा हूं कि 15 दिसम्बर को प्रिंसीपल साहिब retire होने वाले हैं उस से पहले complete कर देंगे या नहीं ?

Mr. Speaker: This thing should be inquired from him in his office.

श्री मंगल सेन : जनाब दफ्तर में तो सुनते ही नहीं।

DESH BHAGAT CO-OPERATIVE SUGAR MILLS, BATALA, DISTRICT GURDASPUR

***6129. Shri Jagat Narain Chopra** Will the Minister for Community Development be pleased to state—

(a) the names of the Directors of the Desh Bhagat Co-operative Sugar Mill, Batala, district Gurdaspur, appointed or nominated up to 5th September, 1960, together with the date of nomination or appointment in each case ;

(b) whether the persons referred to in part (a) above had purchased shares of this sugar mill before the date of their nomination or appointment ; if so, the serial number and the date of issue of share certificates in each case ;

(c) the qualifications, if any, fixed for the appointment of Directors of the said Sugar Mill ?

Sardar Gurbanta Singh : (a) No Board of Directors has so far been nominated by Government.

(b) Question does not arise.

(c) Except the Government nominees, a person nominated as Director should be either share-holder of the Mills or a representative of the share-holding Co-operative institution and above the age of 21 years. He should not be insolvent, of unsound mind, bodily incapable or convicted of any offence involving dishonesty or moral turpitude.

HARIJAN NAZOOL LAND CO-OPERATIVE SOCIETY, KAPURTHALA

***6254. Sardar Dhanna Singh Gulshan :** Will the Minister for Community Development be pleased to state the year in which the Harijan Nazool Co-operative Society, Kapurthala, was registered and the total number of its members ?

Sardar Gurbanta Singh : The Society was registered on 6th September, 1956, with 148 members.

INTENSIVE CULTIVATION SCHEME

***6190. Chaudhri Devi Lal :** Will the Minister for Community Development be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the district of Ludhiana has been selected for the Intensive Agricultural Cultivation Scheme ; if so, on what grounds and on whose recommendations ;

(b) whether there is any proposal under the consideration of Government to introduce a similar scheme in Hissar and Karnal Districts ?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister) : (a) *Part I.*—Yes.

Part II.—Ludhiana District has been selected on account of the following advantages which were laid as pre-requisites for selection of a district, by Government of India.

(1) The district has large irrigated area and has not suffered from water logging on extensive scale.

(2) It has the minimum natural hazards such as floods, droughts, drainage or soil erosion problems needing long term attention, so that results rising from the extra investment are assessible yearly.

(3) It is important from the point of view of the main foodgrains.

(4) It has well developed village institutions like co-operatives and Panchayats.

Ludhiana also has the advantage of having the Government Agricultural College, at its headquarters, and it will be possible to bring together research, teaching and extension.

Part III.—Agriculture Department.

(b) No.

श्री शेर सिंह : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि जो facilities उस District में है जो select किया गया है क्या वह facilities पंजाब के Hindi Region के किसी और ज़िला में नहीं मिल सकती थी ?

सामूहिक विकास मंत्री : स्पीकर साहिब हम ने पांच छ: ज़िलों के नाम recommend किए थे लेकिन उन में से सिर्फ Jullundur और Ludhiana select किए गए थे और finally लुधियाना ज्यादा suitable समझा गया था क्योंकि वहां पर Agricultural College भी मौजूद था ।

श्री शेर सिंह : Ludhiana को select करने वाली कौन सी authority थी ?

मन्त्री : इस scheme के लिए Ford Foundation वालों ने पैसा देना है । इस लिए उन्होंने अपनी Team इस काम के लिए भेजी थी जिस ने सारे पंजाब का survey करके Ludhiana को select किया है ।

सरदार अजमेर सिंह : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि इस amount पर interest की क्या शरह होगी जो इस purpose के लिए advance की जाएगी ?

मंत्री : Rules के मुताबिक जो interest co-operative society लेती है यह वही interest होगा ।

सरदार अजमेर सिंह : वह interest किस rate से होगा यही तो मैं पूछना चाहता हूं ?

मंत्री : स्पीकर साहिब loans कई तरह के होते हैं, short term loans भी होते हैं और long term loans भी होते हैं। मैम्बर साहिबान जिस के बारे में information लेना चाहते हैं उस के लिए notice दे दें मैं पता कर के बता दूंगा।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि Ford Foundation वालों ने सारे पंजाब का survey कर के ही Ludhiana को select किया है या हमारी पंजाब सरकार ने उन को जो पांच छः ज़िले suggest किए थे उन को ही उन्होंने survey किया था ?

मन्त्री : उन्होंने सारे पंजाब के ज़िलों और सब तहसीलों को examine किया था और उस के बाद Ludhiana को most suitable समझ कर उस के हक में फैसला किया है।

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

ABSCONDERS IN AKALI AGITATION

3030. Shri Mangal Sein : Will the Chief Minister be pleased to state the number of those who have been declared as absconders in connection with the Akali Agitation in the State and the dates when each of them was declared as such ?

Sardar Partap Singh Kairon : A statement giving the requisite information is enclosed.

Statement giving the number of Akalis who have been declared absconders in the Punjabi Suba Agitation in the Punjab

Date		*Number of Akalis declared as absconders*
26th May, 1960	..	1
28th May, 1960	..	2
30th May, 1960	..	10
31st May, 1960	..	2
1st June, 1960	..	1
2nd June 1960	..	1
4th June, 1960	..	1
6th June, 1960	..	2
7th June, 1960	..	2
11th June, 1960	..	1
14th June, 1960	..	2
15th June, 1960	..	1
17th June, 1960	..	2
20th June, 1960	..	1
22nd June, 1960	..	2
21st June, 1960	..	1
26th June, 1960	..	1
27th June, 1960	..	1
29th June, 1960	..	1
10th July, 1960	..	1
13th July, 1960	..	2
16th July, 1960	..	2
17th July, 1960	..	2
18th July, 1960	..	3
22nd July, 1960	..	3
25th July, 1960	..	3
26th July, 1960	..	1
29th July, 1960	..	5

Note : Unstarred Questions Nos. 3046, 3052, 3056, 3057, 3058 and 3060 alongwith their replies having been received late from the Government, are being printed at the end of this debate as an annexure.

Date		*Number of Akalies declared as absconders*
1st August, 1960	..	1
2nd August, 1960	..	1
3rd August, 1960	..	1
5th August, 1960	..	1
13th August, 1960	..	1
20th August, 1960	..	2
2nd September, 1960	..	1
16th September, 1960	..	1
27th September, 1960	..	2
11th October, 1960	..	1
13th October, 1960	..	1
14th October, 1960	..	1
Total	..	71

GRANTS AND TACCAVIS IN ROHTAK, SANGRUR AND PATIALA DISTRICTS

3031. Sardar Kartar Singh Diwana : Will the Minister for Revenue be pleased to state the total amount of grants and of taccavi loans sanctioned recently for fodder and houses separately for Rohtak, Sangrur and Patiala Districts respectively as flood relief measures ?

Giani Kartar Singh :

Serial No.	Name of district		Gratuitous relief sanctioned for food, fodder Houses etc.	Amount of subsidy sanctioned for the purchase of seed	Taccavi for repair of Houses	Taccavi for fodder, seed and cattle
			Rs	Rs	Rs	Rs
1	Rohtak	..	25,00,000	22,00,000	36,00,000	39,00,000
2	Sangrur	..	25,06,150	31,35,000	58,13,900	74,00,000
3	Patiala	..	20,00,000	25,00,000	19,50,000	50,00,000

GOVERNMENT MIDDLE SCHOOLS IN DISTRICT GURGAON

3033. Shri Sumer Singh : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the number of Government Middle Schools in district Gurgaon with their names ;

(b) whether there are any schools among those mentioned in part (a) above which have no teachers for English in them , if so, their number and names as well as the period for which they have been without such teachers ?

Shri Amar Nath Vidyalankar : The information is laid on the Table of the House.

[Minister for Education]

Serial No.	Name of Government Middle School (Boys)	Serial No.	Name of Government Middle School (Boys)
1	Sarhaul	38	Chainsa
2	Daultabad	39	Siha
3	Harsaru	40	Sikri
4	Nakhraul	41	Korali ..
5	Keekly ..	42	Kheri Kalan
6	Waziarabad	43	Chandpur ..
7	Kasan	44	Aharwan
8	Dhundahera	45	Alika
9	Jharsa	46	Bamnikhera
10	Dahankot	47	Barauli
11	Shikohpur	48	Sihoul
12	Ghamrojalipur	49	Rasul Pur
13	Khetawas	50	Dudaula
14	Jamal Pur	51	Dhatir
15	Bhagwraula ..	52	Hassanpur
16	Khandewala	53	Khambi ..
17	New Colony Gurgaon ..	54	Bancheri
18	Ghanghola	55	Sondhad
19	Boloni ..	56	Seoli
20	Bikaner	57	Singar ..
21	Masani	58	Pinagwan
22	Boriaksmalpur	59	Binwan ..
23	Mahchana ..	60	Lohingakalan
24	Rajgarh	61	Bhiraoti ..
25	Nangligodha ..	62	Unjeena
26	Shahpur	63	Malab
27	Guraora ..	64	Kondal
28	Balawas	65	Jaurasi
29	Motal Kalan ..	66	Mandnaka
30	Nandrampur Bas	67	Ali Meo
31	Hansaka ..	68	Bahin
32	Tankri	69	Malai
33	Mundi ..	70	Hassanpur Tauru
34	Khor	71	Indri
35	Turkiyawas ..	72	Mandkola
36	Atali	73	Chappera
37	Dhoj ..		

Serial No.	Government Girls Middle Schools	Serial No.	Government Girls Middle Schools
1	Gurgaon Village ..	8	Palawas
2	Badshahpur ..	9	Sohna
3	Jatusana ..	10	Farakhnagar
4	Hathin ..	11	Dayalpur
5	Mohanpur ..	12	Hodel
6	Punhana ..	13	Tigaon
7	Majrasheora ..	14	Ferozepore Jhirka

PART B

Names of the Government Middle Schools without English Masters

GOVERNMENT GIRLS MIDDLE SCHOOLS			GOVERNMENT MIDDLE SCHOOLS FOR BOYS		
Serial No.	Name of the School	Period from which the English Master not working	Serial No.	Name of the School	Period from which English Master is not working
1	Badhahpur ..	August, 1960 ..	1	Chandpur ..	1-4-59
2	Jatusana ..	April, 1960 ..	2	Khendewala ..	1-4-58
3	Hathin ..	Ditto	3	Ghangola ..	16-1-60
4	Mohapur ..	Ditto	4	Rasul Pur ..	22-9-59
5	Punhana ..	Ditto	5	Malai ..	15-1-59
6	Majrasheoraj ..	Ditto	6	Hassanpur Tauru ..	12-4-60
7	Palawas ..	October, 1960	7	Chappera ..	1-4-59
8	Farakhnagar ..	July, 1960 ..	8	Harsaru ..	12-9-60

ARMS LICENCES IN KARNAL DISTRICT

3035. Chaudhri Dharam Singh Rathi : Will the Chief Minister be pleased to state the names of persons with their addresses who applied for the gun, pistol or revolver licences, separately, in the Karnal district during the period from January, 1959 to date and the names and addresses of those who were given licences for each of these weapons ?

Sardar Partap Singh Kairon : It is not in the public interest to disclose the information asked for. However, any specific case brought to the notice of the Government will be duly looked into.

CASES FILED IN THE COURT OF DEPUTY COMMISSIONER, KARNAL

3036. Chaudhri Dharam Singh Rathi : Will the Chief Minister be pleased to state the number of criminal, revenue and miscellaneous cases, separately, filed in the court of the Deputy Commissioner, Karnal, during the period from January, 1959 to date, the number of cases decided and the number still pending in each category ?

Sardar Partap Singh Kairon : Statement giving the requisite information is enclosed.

[Chief Minister]

Statement of cases pending, instituted and decided in the court of Deputy Commissioner, Karnal, from January, 1959 to-date

	Type of cases	No. of cases instituted	No. of cases decided	Cases pending
1.	Revenue Judicial Appeals/Revisions ..	201	159	42
2.	Revenue Executive Appeals ..	55	47	8
3.	Miscellaneous Executive Appeals ..	260	245	15
4.	Rural Houses Allotment Appeals ..	87	78	9
5.	Lambardari cases ..	225	211	14
6.	Criminal Appeals/Revisions ..	13	9	4
7.	Criminal cases ..	1	..	1
8.	Transfer applications ..	154	151	3
9.	Cases under the Punjab Land Utilisation Act ..	242	92	150

KANUNGO CIRCLES IN TEHSIL PANIPAT

3039. Chaudhri Dharam Singh Rathi, : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the number and names of Kanungo circles in tehsil Panipat together with the names of villages attached to each such circle ?

Rao Birendra Singh : A list showing the requisite information is laid on the Table.

List of the names of the Kanungo Circles in Tehsil Panipat together with the names of villages attached to each circle

Serial No.	Name of Kanungo Circle	Names of villages attached
1	2	3
1	Kanungo, Panipat ..	Taraf Insar, Tarf Rajputa, Taraf Maqdum Zadgan, Qavi, Ahmad Pur Majra, Shera Dharam Garh, Matlodha, Bal Jatan, Khandara, Shadipur, Mehiudinpur, Kachrauli, Bahauli, Razapur, Sithana, Asan Kalan, Asan Khurd, Sikanderpur, Lohari, Vasari, Untlia Sutana, Khukhrana, Bhadaur, Bijhol Mehrana, Gadiwara, Shodhapur, Sondhapur, Jatol, Dahar, Siwah, Kherinagal, Tarafafghana, Sarai Bachar, Malikugarhkheri, Baghsherafghan, Siwakheri, Qabulbagh, Kabre, Mohmadpur, Saraibachara, Faridpur, Ratipur, Simla Molana, Nizampur, Kutani, Bhainswal, Chandoli, Azizulapur Babail, Raja Kheri, Nagla, Dhansauli, Tamsa

Serial No.	Name of Kanungo Circle	Names of villages attached
1	2	3
		Bad, Sanauli Khurd, Sanauli Kalan, Nawada, Kimashpur, Jamba, Kurar, Mohali, Saidpura, Ugra Kheri, Risalu, Jalphar, Nimbri, Ujah, Rastapur Dhadoli, Dhadola, Jalalpur, Utaullapur, Behrampur, Chhajpur Khurd, Chhajpur Kalan, Bahauldinpur, Richhpur, Ladhupur, Jalmana, Udhmi, Nanhera
2	Kanungo, Smalkha ..	Rainpur Kheri, Mirzapur, Goela Kalan, Goela Khurd, Sanjoli, Bapoli, Nurpur Gujran, Nurpur Mughlan, Pasina Khurd, Pasina Kalan, Simla Gujran, Diwana, Pehladpur, Khal ila, Jattipur, Bursham, Hartari, Naraina, Dhadpur, Manana, Karhans, Machhrauli, Baholi, Tajpur, Garhi Bhilor, Bhilor, Begampur Tarp, Shehr Malpur, Matnauli, Raimal, Khojgipur, Bhanauli, Bilaspur, Atta, Hathwla, Ferozepur, Karkoli, Basahra, Rakeshera, Buddhanpur, Mahoti, Dehra, Matti Kalyana, Bhudwal, Haldana, Dikadla, Jaurasi Saraf Khas, Pawti, Garhi Chhaju, Jaurasi Khalsa, Samalkha, Bhaupur, Namonda, Kiwana, Dhandhar, Wazirpur Tatiana, Ga walra
3	Kanungo, Naultha ..	Naultha, Balana, Palri, Dadwari, Mandi, Chamrara, Kakoda Puthar Bandh, Buana Lakhu, Bijawa, Shahpur, Kheri Shahpur, Kaisth, Israna, Perdhana, Nain, Karad, Bhaupur, Jaundhan Kalan, Jaundhan Khurd, Brahman Majra, Kalkha, Vaisar, Bhalsi, Begampur Bapnaut, Joshi, Naran Adyana, Urlana Khurd, Daryapur, Urlana Kalan, Atawla, Khalisa, Majra Nain, Alupur, Bhandari, Ahar, Kurana, Chhachhrana, Domiana, Seenk, Pathri

COMPLAINTS AGAINST PATWARIES IN TEHSIL PANIPAT

3040. Chaudhri Dharam Singh Rathi : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the names of the Patwaris in tehsil Panipat, district Karnal, against whom complaints have been received by the authorities during the year 1960 ?

Rao Birendar Singh : The names of the Patwaris working in Panipat Tehsil against whom complaints have been received are given below :—

(1) Shri Parkash Singh, Patwari, Sanauli.

(2) Shri Lorind Chand, Patwari, Bhinjhol.

(3) Shri Rameshwar Dass, Patwari, Assan Kalan.

(4) Shri Har Sarup Singh, Patwari, Buana Lakhu.

(5) Shri Jagan Singh, Patwari of Mandi.

(6) Shri Rajpal Singh, Patwari of Kutani.

[Minister of IrrigationPower]

(7) Shri Tej Singh, Patwari of Nahera.

(8) Shri Ram Sarup, Patwari of Pasina Kalana.

(9) Shri Balbir Singh, Patwari of Sultana.

(10) Shri Sadhu Ram, Patwari of Rakashera.

(11) Shri Sukhbir Singh, Patwari of Dehra.

(12) Shri Baru Ram, Patwari of Gawalra.

All the above Patwaris are working in the Mahal side. No complaint has been received against the Patwaris working in the consolidation side.

CEMENT PERMITS IN PANIPAT TEHSIL, DISTRICT KARNAL

3041. Chaudhri Dharam Singh Rathi : Will the Minister for Industries be pleased to state the names of persons who applied for permits for cement in Panipat Tehsil from April, 1960 to date and the names and addresses of those to whom permits were granted ?

Shri Mohan Lal : The time and labour and expense involved in furnishing information shall be incommensurate with any possible benefit that could be derived.

TOURS OF REVENUE ASSISTANT, KARNAL

3042. Chaudhri Dharam Singh Rathi : Will the Minister for Revenue be pleased to state the Travelling Allowance and Daily Allowance drawn by Revenue Assistant, Karnal, from October, 1959 to-date, monthwise and the names of villages visited by him during his tours ?

Giani Kartar Singh : The requisite information given in the enclosed statements is placed on the Table of the House.

A sum of Rs 1,137.59 nP. was drawn as Travelling Allowance and Daily Allowance by the Revenue Assistant, Karnal, from October, 1959, up to the end of September, 1960.

Monthwise break-up of the amount of Rs 1,137.59 nP. is as under :—

Month		*Amount* Rs
October, 1959	..	108.62
November, 1959	..	74.00
December, 1959	..	75.01
January, 1960	..	68.50
February, 1960	..	107.86
March, 1960	..	56.50
April, 1960	..	79.19
May, 1960	..	97.92
June, 1960	..	122.55
July, 1960	..	112.61
August, 1960	..	149.59
September, 1960	..	85.24
Total	..	1,137.59

N.B.—A list showing the names of villages visited by the Revenue Assistant, Karnal, during his tours is given below

List of villages visited by the Revenue Assistant, Karnal, from October, 1959, upto the end of September, 1960.

Date		*Name of village*
		OCTOBER, 1959
8th October, 1959	..	Radaur
9th October, 1959	..	Indri
11th October, 1959	..	Ladwa
11th October, 1959	..	Radaur
15th October, 1959	..	Ladwa
16th October, 1959	..	Kaithal
16th October, 1959	..	Ladwa
21st October, 1959	..	Pipli
21st October, 1959	..	Shahabad
22nd October, 1959	..	Chhapra
22nd October, 1959	..	Dangali
22nd October, 1959	..	Isharheri
22nd October, 1959	..	Shahabad
22nd October, 1959	..	Goripur
22nd October, 1959	..	Nagla and Shahabad
22nd October, 1959	..	Gulabgarh
23rd October, 1959	..	Ladwa
23rd October, 1959	..	Radaur
23rd October, 1959	..	Patti
28th October, 1959	..	Indri
29th October, 1959	..	Gharaunda
		NOVEMBER, 1959
6th November, 1959	..	Radaur
7th November, 1959	..	Nisang
7th November, 1959	..	Cheeta
12th November, 1959	..	Kaithal
13th November, 1959	..	Baishang
19th November, 1959	..	Ladwa
20th November, 1959	..	Takhana, Padhansa, Jhansa
26th November, 1959	..	Kaithal
29th November, 1959	..	Goti
30th November, 1959	..	Dusam Road, Mauzra
		DECEMBER, 1959
3rd December, 1959	..	Radaur
4th December, 1959	..	Kaithal
8th December, 1959	..	Indri
10th December, 1959	..	Ladwa
10th December, 1959	..	Thaunda
11th December, 1959	..	Kaithal
16th December, 1959	..	Kurukshetra
18th December, 1959	..	Jaluiram, Nilokheri, Kaul
19th December, 1959	..	Nilokheri
		JANUARY, 1960
7th January, 1960	..	Ladwa
9th January, 1960	..	Shahabad
12th January, 1960	..	Gharaunda
14th January, 1960	..	Pipli
14th January, 1960	..	Nilokheri
21st January, 1960	..	Kaithal
21st January, 1960	..	Pundri
22nd January, 1960	..	Kaural *via* Bastali
23rd January, 1960	..	Jotisan
26th January, 1960	..	Kurukshetra
29th January, 1960	..	Indri

[Ministsr for Revnue]

Date		*Name of village*
		FEBRUARY, 1960
3rd February, 1960	..	Radaur
9th February, 1960	..	Delhi
11th February, 1960	..	Kaithal
12th February, 1960	..	Bastali Jhal
18th February, 1960	..	Shahabad
19th February, 1960	..	Samalkha
20th February, 1960	..	Charao
24th February, 1960	..	Chandigarh
		MARCH, 1960
3rd March, 1960	..	Teora
11th March, 1960	..	Samalkha
14th March, 1960	..	Thanesar
17th March, 1960	..	Kaithal
18th March, 1960	..	Kurukshetra
24th March, 1960	..	Dau Majra, Mohri and Shahabad
25th March, 1960	..	Katta Heri, Gulabgarh, Ram Nagar
		APRIL, 1960
1st April, 1960	..	Bastali Jhal
6th April, 1960	..	Indri
10th April, 1960	..	Taraori, Pehowa, Thanesar, Ladwa
11th April, 1960	..	Chandigarh
14th April, 1960	..	Ladwa
14th April, 1960	..	Gharaunda
15th April, 1960	..	Kaithal
17th April, 1960	..	Taraori, Takbana
21st April, 1960	..	Baras, Kaithal, Susi
22nd April, 1960	..	Jyotisar, Kurukshetra
23rd April, 1960	..	Delhi
24th April, 1960	..	Majra Rotan
		MAY, 1960
6th May, 1960	..	Kaithal
7th May, 1960	..	Ladwa
12th May, 1960	..	Gharaunda
14th May, 1960	..	Kaithal
15th May, 1960	..	Thanesar
19th May, 1960	..	Radaur
20th May, 1960	..	Kaithal, Binjhol, Narwana
21st May, 1960	..	Gharaunda
26th May, 1960	..	Shahabad
27th May, 1960	..	Pipli
28th May, 1960	..	Shahabad, Jhansa and Jotisia
		JUNE, 1960
1st June, 1960	..	Hadwaj and Then Radaur
5th June, 1960	..	Babal, Nagla, Hathwala and back to Panipat and then Kaithal
6th June, 1960	..	Nisang
9th June, 1960	..	Chandigarh
16t June, 1960	..	Radaur and Thanesar
18th June, 1960	..	Nilokheri
23rd June, 1960	..	Pehowa and Thanesar
24th June, 1960	..	Panipat
26th June, 1960	..	Kaithal, Pundri, Shahabad
29th June, 1960	..	Kurukshetra

Date		*Name of village*
		JULY, 1960
1st July, 1960	..	Kurukshetra, Kharindwa
2nd July, 1960	..	Kharindwa
7th July, 1960	..	Radaur
8th July, 1960	..	Sewah, Panipat
9th July, 1960	..	Jakmana, Habri, Pundri, etc.
14th July, 1960	..	Ladwa
15th July, 1960	..	Kaithal
16th July, 1960	..	Nilokheri
20th July, 1960	..	Dhantori, Shahabad
21st July, 1960	..	Shahabad
22nd July, 1960	..	Thanesar
23rd July, 1960	..	Asrana
29th July, 1960	..	Guhla
30th July, 1960	..	Indri
		AUGUST, 1960
4th August, 1960	..	Radaur, Ladwa
6th August, 1960	..	Pehowa
8th August, 1960	..	Gharaunda
10th August, 1960	..	Pundri
11th August, 1960	..	Pipli, Shahabad
12th August, 1960	..	Jeotisar
16th August, 1960	..	Thanesar
17th August, 1960	..	Nisang
18th August, 1960	..	Jalmana, Ladwa
22nd August, 1960	..	Nilokheri
23rd August, 1960	..	Gharaunda
25th August, 1960	..	Ghula
26th August, 1960	..	Bansa
28th August, 1960	..	Panipat, Asrana, Kaithal, Shahapur
29th August, 1960	..	Nisang, Piunt, Bansa
30th August, 1960	..	Nisang, Radaur
31st August, 1960	..	Radaur, Dhanaura, Scape, Khurdbin, etc.
		SEPTEMBER, 1960
1st September, 1960	..	Pundri, Bibipur Lakh
2nd September, 1960	..	Patti Kalyana
7th September, 1960	..	Gharaunda
8th September, 1960	..	Indri
12th September, 1960	..	Shamgarh
15th September, 1960	..	Panipat
17th September, 1960	..	Kurukshetra, Bajidpur, Sanwala
18th September, 1960	..	Bach Gaon, Salpani Kalan, Ratgal, Devi Dass, Pura, Kishanpura
22nd September, 1960	..	Thanesar, Azmatpur, Moga Mazra, Dunya Mazra
23rd September, 1960	..	Bansa
29th September, 1960	..	Thanesar
30th September, 1960	..	Ladwa

TOURS OF DEPUTY COMMISSIONER, KARNAL

3043. Chaudhri Dharam Singh Rathi : Will the Chief Minister be pleased to state the names of places visited by the Deputy Commissioner, Karnal, from the 1st January, 1960 todate, date-wise, the purpose of each visit and the amount of Travelling Allowance and Daily Allowance drawn by him for these tours ?

Sardar Partap Singh Kairon : A statement containing the desired information is given below.

Statement showing the places visited by the Deputy Commissioner, Karnal, from January 1, 1960

Date	Place visited	Purpose
2nd January, 1960 ..	Mughal Majra, Jharoli, Dabkoli Biana and Indri	Inspection of *band*
4th January, 1960 ..	Shahbad, Kalsana, Ramgarh	Ditto
11th January, 1960 ..	Kaithal ..	Governor's visit
18th January, 1960 ..	Uchana, Niawal ..	Small Saving Drive and laying of Foundation Stone of School
19th January, 1960 ..	Pundri, Fatehpur, Dherdu, Kaul, Kaithal	Small Saving Drive, School functions and Tehsil Inspection
21st January, 1960 ..	Gharonda, Pundri, Harsingpura, Barsat	Inspection of new road
22nd January, 1960 ..	Assandh, Mardanheri, Khizrabad	Inspection of land sites
23rd January, 1960 ..	Safidon, Naraina, Atta, Munak, Gagsina, Rajpur, Phurlak, Gharonda	Inspection of water-logged area
25th January, 1960 ..	Kaithal Road, Borstal Jail	Inspection of site
28th January, 1960 to 30th January, 1960	Thanesar, Jotisar ..	Meeting of Mela Trust
9th February, 1960 ..	Uchana ..	Panchayat Mela
16th February, 1960 ..	Gharonda, Taraori ..	Inspection of land, Block Mela and school function
20th February, 1960 and 21st February, 1960	Pundri, Kaithal ..	School Mela, Fauji Mela
22nd February, 1960 ..	Nilokheri, Raipur, Karsa, Sikri, Nighdu, Jhal Bastal, Pundri	Reception of Olympic Torch and inspection of drain under construction
29th February, 1960 ..	Nighdu Drain, Dussain, Jatheri, Kailash Farm	Inspection of drains and Agricultural Farms
2nd March, 1960 ..	Uchana, Pipli, Ratgal, Niwarsi, Ladwa, Shahbad, Radaur, Chhota Bans	Prize distribution at Uchana, inspection of sites for Agricultural farms
4th March, 1960 ..	Samalkha, Hathwala, Balaspur	Arrangements for *band*
5th March, 1960 ..	Mughal Majra, Dabkauli, Chapra, Nilokheri, Nighdu, Kaul	Arrangements for *band* With Chief Minister

Date	Place visited	Purpose
8th March, 1960 ..	Pundri, Santokh Majra via Rajaund-Kaithal-Pehowa Road Farm	Inspection of Farm Sites
12th March, 1960 ..	Indri ..	General Touring
14th March, 1960 to 17th April, 1960	Remained at Massouri ..	In connection with training.
23rd April, 1960 ..	Thanesar ..	Visit of Union Minister
24th April, 1960 ..	Do ..	Ditto
6th May, 1960 ..	Kaithal ..	Opening ceremony and confidential enquiry
12th May, 1960 ..	Ambala, Mubarakpur ..	Flood Relief Training
13th May, 1960 ..	Chandigarh, Ropar ..	Ditto
17th May, 1960 ..	Kaithal, Khanpur, Kangthali, Peedal, Kharondi	Meeting in connection with Small Saving and Taccavis
18th May, 1960 ..	Thanesar, Pehowa ..	To cover tour programme of Irrigation and Forest Minister, Punjab
19th May, 1960 ..	Gagsina, Anchla, Bal Rangran, Padhi	Inspection of drains
20th May, 1960 ..	Panipat, Bhinjol, Naraina	Meeting with Executive Engineer, Naraina
26th May, 1960 ..	Dabkauli, Nangli, Kamal Chor, Jamna Nangal, Bal Majri	Inspection of Flood area
28th May, 1960 ..	Shahbad, Nalvi Bund, Vishangarh, Jotisar, Murtazapur, Bibipur Lake	Inspection of Bund and Flood area
29th May, 1960 ..	Pehowa, Markanda, Bund, Gardi Bund Kaul	Ditto
30th May, 1960 ..	Pehowa, Bhagal, Dhanodhota, Sherpur, Bhoonsla, Jotisar	Ditto
4th June, 1960 ..	Gharonda, Arainpura, Chonra, Kunjpura	Inspection of Bunds
5th June, 1960 ..	Babail, Nagra, Panipat, Hathwala, Bilaspur, Jamna	Ditto
7th June, 1960 ..	Pehowa, Thanesar, Murtazapur, Gumthala, Garhu	Tour with the Ministers
15th June, 1960 ..	Jani, Gohari, Kheri Naru	Inspection of drains
18th June, 1960 ..	Gondar, Kaithal ..	To inspect lands for Harijans
19th June, 1960 ..	Siwan Kakehri, Theh Taran Sali Polar	Ditto
Ditto ..	Jalmana, Assandh, Chugawan, Jundla	Ditto

[Chief Minister]

Date	Place visited	Purpose
23rd June, 1960 ..	Jundla, Gagsina, Bansa, Anchla, Peond Balpahana, Banbheri	Inspection of drains
24th June, 1960 ..	Indri ..	Inspection of Malguzari, etc.
25th June, 1960 and 26th June, 1960	Jundla, Indri ..	Taccavi, Small Savings, etc.
7th July, 1960 ..	Indri, Chhaprar ..	Inspection of Tube Wells
18th July, 1960 ..	Shahabad, Masana, Umri, Butana, Gharaunda, Malakpur, Faridpur, Panipat	With Financial Commissioner in connection with intensive rice cultivation
31st July, 1960 ..	Pundri, Rormajra, Birthli, Jhal, Nighdu, Nilokheri	Inspection of drains
1st August, 1960 ..	Panipat ..	Appointment of staff for Sugar Mills and Advisory Committee, meeting of Institution for Blinds
2nd August, 1960 ..	Nilokheri ..	Block Meeting
7th August, 1960 ..	Panipat, Beholi, Assan ..	Verification of land dispute case and flood situation
8th August, 1960 ..	Panipat ..	Sugar Mills Affairs
14th August, 1960 ..	Kutail, Nagla ..	Flood situation
21st August, 1960 ..	Shahabad, Ambala ..	District administration work and to see Commissioner
22nd August, 1960 ..	Panipat, Ambala, Shahabad	Sugar Mills Affairs. To discuss case with Commissioner
23rd August, 1960 ..	Chandigarh, Thanesar ..	To attend some Government work at Chandigarh and Thanesar
30th August, 1960	Panipat ..	Sugar Mills Affairs
1st September, 1960 ..	Chandigarh ..	Flood relief meeting
7th September, 1960 ..	Shergarh Tapu, Dabkauli, Kunjpura	Inspection of Bund, etc.
10th September, 1960 ..	Kaithal ..	With Shri Mohan Lal, Minister
11th September, 1960 ..	Bansa ..	Flood situation inspection
15th September, 1960 ..	Panipat ..	Sugar Mills Affairs

Date	Place visited	Purpose
16th September, 1960	Jadauli ..	Flood situation inspection
18th September, 1960	Nilokheri, Shamgarh ..	Ditto
22nd September, 1960 ..	Panipat ..	Accompanied the Commissioner
23rd September, 1960 ..	Bansa, Kaithal, Assandh, etc.	Ditto
25th September, 1960, 26th September, 1960, 27th September, 1960	Nilokheri ..	Confidential enquiry. District Administration work
29th September, 1960 ..	Ditto ..	Ditto
30th September, 1960 ..	Chandigarh ..	Government meeting
1st October, 1960 ..	Thanesar ..	M.L.As meeting
2nd October, 1960 ..	Patti Kaliana ..	Arrangements in connection with Chief Minister's visit.
3rd to 9th October, 1960	Simla ..	Conference of Commissioners and Deputy Commissioners.

The total amount drawn as Travelling Allowance and Daily Allowance for the period from 1st January, 1960 to July, 1960, amounts to Rs 1,069·02 nP, while Travelling Allowance for the rest of the period has not been drawn.

OFFICE OF THE SUB-DIVISIONAL MAGISTRATE, PANIPAT

3044. Chaudhri Dharam Singh Rathi : Will the Minister for Revenue be pleased to state the names of employees working in the office of the Sub-Divisional Magistrate, Panipat, at present, with the Pay and Dearness Allowance per mensem drawn by each one of them, separately ?

Giani Kartar Singh : The information is as under :—

Serial No.	Name of official	Pay	Dearness Allowance	Temporary Allowance
		Rs nP.	Rs	Rs
1	Shri Padam Parkash, Assistant ..	156.00	45	16
2	Shri Som Datt, Reader to Sub-Divisional Officer	90.00	40	..
3	Shri Rangi Ram, Ahlmad to Sub-Divisional Officer	72.00	40	..
4	Shri Rajinder Lal, Clerk ..	76.00	40	..

[Minister of Revenue]

Serial No.	Name of Official	Pay	Dearness Allowance	Temporary Allowance
		Rs nP	Rs	Rs
5	Shri Siri Ram, Steno to Sub-Divisional Officer	100.00	40	10
6	Shri Sat Bhushan, Clerk ..	68.00	40	..
7	Shri Gurdas Ram ..	68.00	40	..
8	Shri Jaswant Singh. Reader to Resident Magistrate	100.00	40	..
9	Shri Harphul Singh, Ahlmad to Resident Magistrate	68.00 15.00	40	..
10	Shri Joginder Pal, Steno to Resiednt Magistrate	80.00	40	..
11	Shri Ram Sarup, Peon	31.50	30	..
12	Shri Baljit Singh, Chawkidar ..	30.00	30	..
13	Shri Sadhu Ram, Sweeper ..	31.50 3.00	30	..
14	Shri Gian Chand, Orderly to Resident Magistrate	32.00	30	..

DRAINING OUT WATER OF CERTAIN VILLAGES IN TEHSIL PANIPAT, DISTRICT KARNAL

3045. Chaudhri Dharam Singh Rathi : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under the consideration of Government to drain out water from villages Bhandari. Alipur, Osar, Osari, Adayana, Ahar Indiana, etc. of tehsil Panipat, district Karnal;
(b) whether Government have received any representations from any of the residents of the villages referred to in part (a) above; if so, the details thereof and the action taken thereon so far ?

Rao Birendar Singh : (a) Yes. The scheme is for canalizing Nai Nallah—Drain No. 8 and remodelling Bowana Escape.

(b) No representation has been received so far in the Irrigation Department.

CHUHLA TAX IN VILLAGE HATHWALA, TEHSIL PANIPAT

3047. Chaudhri Dharam Singh Rathi : Will the Minister for Community Development be pleased to state—

(a) the amount of chuhla tax, if any, realized in village Hathwala, tehsil Panipat, during each of the years 1958, 1959 and 1960 to date;

(b) whether Government have received any complaint regarding the realization of the said tax from the Panchayat of the said village; if so, the details thereof and the action taken thereon?

Sardar Gurbanta Singh—

(*a*) *Name of the year*		*Amount realised*
		Rs
(i) 1958	..	2,039
(ii) 1959	..	125
(iii) 1960	..	2,607

(b) Yes. Panchayat moved the authorities under section 85 of the Punjab Gram Panchayat Act, 1952, against 15 defaulters, but no action could be taken by the authorities.

SARPANCH OF VILLAGE PANCHAYAT KARHANS, TEHSIL PANIPAT

3048. Chaudhri Dharam Singh Rathi : Will the Minister for Community Development be pleased to state —

(a) whether the Sarpanch of village Panchayat Karhans, tehsil Panipat, district Karnal, was suspended in the year 1960; if so, on what date;

(b) whether the Sarpanch mentioned in part (a) above has been reinstated after his suspension?

Sardar Gurbanta Singh : (a) Yes. He was suspended on 15th February, 1960.

(b) No.

COPYING AGENCIES IN PANIPAT AND IN KARNAL

3049. Chaudhri Dharam Singh Rathi : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the total strength of the staff working at present in the Copying Agencies at Karnal and at Panipat, separately;

(b) the total number of applications for the supply of copies received by the said Agencies at Panipat and at Karnal separately during the year 1960 to date and the number of those which were urgent and the number of those which were ordinary;

(c) the dates when urgent and ordinary applications mentioned in part (b) above were received and the dates when copies were actually supplied by each of the said agencies?

Giani Kartar Singh—

(a) (i) Karnal 13 (including one Copying Agent).

(ii) Panipat 1 Clerk.

		Ordinary	*Urgent*	*Total*
(b) (i) Karnal	..	6,303	2,697	9,000
(ii) Panipat	..	1,067	54	1,121

(c) The information is too big and its compilation does not seem commensurate with the labour and stationery required to complete it. The Member can see this information from the office if he so desires.

COMPLAINTS AGAINST LADY ASSISTANT SURGEON AT SAMALKHA HEALTH CENTRE, TEHSIL PANIPAT

3050. Chaudhri Dharam Singh Rathi : Will the Chief Minister be pleased to state the details of the complaints, if any, recently received by Government against the *Lady Assistant Surgeon at Samalkha Health Centre*, tehsil Panipat, district Karnal and the action taken thereon?

Sardar Partap Singh Kairon : No complaint against Dr. (Miss) Raj Kumari Singh, P. C. M. S. has been received. She is a new recruit and joined service at Samalkha on 30th May, 1960.

GOVERNMENT HIGH SCHOOLS IN KARNAL DISTRICT

3051. Chaudhri Dharam Singh Rathi : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) The names of the Government High Schools in Karnal District at present, tehsil-wise, and the date when each of them was started ;

(b) the names of the present head-masters of the High Schools mentioned in part (a) above and the monthly salary drawn by each at present?

Shri Amar Nath Vidyalankar : The required information is given in the enclosed statement.

Serial No.	Name of School	Tehsil in which situated	Date when the School was started (high)	Name of the present Headmaster	Monthly salary being drawn by Head-master at present	REMARKS
					Rs	
1	Government High School, Jaurssi ..	Panipat	1st April, 1956 ..	Thana Ram ..	370	Middle from 1st April, 1954
2	Government High School, Kalkha ..	Do	July, 1954 ..	Mohinder Singh (I/C)	134	..
3	Government High School, Adyana ..	Do	November, 1952	Jaidayal ..	330	..
4	Government High School, Atta ..	Do	21st October, 1955	Avtar Singh Pashar ..	330	..
5	Government High School, Kurana ..	Do	16th June, 1955	Kartar Singh ..	320	..
6	Government High School, Buana Lakhu	Do	June, 1951 ..	Puna Ram Sharma	330	..
7	Government High School, Smalkha ..	Do	1st October, 1948	Harbans Singh ..	330	..
8	Government High School, Patti Kalyana	Do	1st April, 1953 ..	Preet Singh ..	330	..
9	Government High School, Israna ..	Do	1st April, 1956 ..	Charan Singh Sindhu	330	..
10	Government High School, Ladwa ..	Thanesar ..	1948 ..	Gurbakhsh Singh ..	370	..
11	Government High School, Shahabad ..	Do	1925 ..	Rambehari Lal ..	370	Middle 1876

[Minister for Education]

Serial No.	Name of School	Tehsil in which situated	Date when the School was started (high)	Name of the present Headmaster	Monthly salary drawn by Head-master at present	REMARKS
					Rs	
12	Government High School, Assandh ..	Kaithal ..	1st September, 1960	Dharam Singh ..	320	..
13	Government High School, Habri ..	Do	September, 1960	Jagan Nath Chopra ..	340	Primary 1881, Middle 1926
14	Government High School, Karora ..	Do	1st April, 1958 ..	Rajkumar Soni ..	340	..
15	Government High School, Keorak ..	Do	24th June, 1950	Ram Krishan ..	330	..
16	Government High School, Kaithal ..	Do	1867 ..	Baburam Sharma ..	370	..
17	Government High School, Padla ..	Do	1st September, 1960	K. L. Chhibber ..	330	Primary November. 1927
18	Government High School, Gulyana ..	Do	September, 1959	Bhairthi Lal Soni ..	340	Primary 1924, Middle 1953
19	Government High School, Chika ..	Do ..	1956 ..	Hari Chand Ganda ..	330	..
20	Government High School, Pehowa ..	Do	1st April, 1954 ..	Darshan Singh ..	330	Middle 1948
21	Government High School, Mawana ..	Do	September, 1960	Dev Raj ..	340	..
22	Government High School, Chhattar ..	Do	1st June, 1955 ..	Kanshi Ram ..	330	..
23	Government High School, Rajaund ..	Do	1st April, 1951 ..	Mohinder Singh (I/C)	190	..
24	Government High School, Alewa ..	Do	July, 1954 ..	Anchal Singh (I/C) ..	190	..

25	Government High School, Nissang ..	Karnal ..	1st April, 1959 ..	Sita Ram ..	340		..
26	Government High School, Biana ..	Do	September, 1960	Joginder Singh ..	340	Primary 1958	1905 Middle
27	Government High School, Kaimla ..	Do	1st September, 1960	Vidya Sagar Passi ..	340		..
28	Government High School, Madhuban	Do	October, 1957 ..	Ganga Dhar ..	370		..
29	Government High School, Premnagar	Do	1st April, 1951 ..	Hans Raj Bhalotra ..	330		..
30	Government High School, Balana ..	Do	1st October, 1948	Shri Ram Sharma ..	330		..
31	Government High School, Gagsina ..	Do	1st September, 1960	Sulekh Chand ..	330		..
32	Government High School, Gharaunda	Do	1st April, 1949 ..	Dalip Chand ..	330	School	is Hr. Sec. now
33	Government High School, Nilokheri ..	Do	December, 1948..	Harkrishan Lal Chhibbar	360		..
34	Government High School, (Hr. Sec.) Karnal	Do	1884 ..	V. R. Gagpal ..	320		..

CONSOLIDATION WORK IN VILLAGE KALSIAN KALAN, TEHSIL PATTI, DISTRICT AMRITSAR

3053. Sardar Jangir Singh Comrade : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state--

(a) whether the consolidation work in village Kalsian Kalan, tehsil Patti, district Amritsar, has been completed; if so, when;

(b) the total area of Agricultural Land/Shamlat Deh in the said village as a result of the said consolidation operations;

(c) whether the agricultural land referred to in part (b) above has so far been allotted to the owners/tenants of the said village under the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act, 1948; if so, their names together with the area given to each and the Khasra numbers thereof?

Rao Birendar Singh : (a) Yes, on the 29th September, 1960.

(b) The total area of the village is 4,512 acres, out of which 50 acres have been reserved for Gram Panchayat after the consolidation.

(c) The requisite information is embodied in the Jamabandi of the village which according to rules can be seen with the Patwari concerned.

TUBE-WELL IRRIGATION IN CERTAIN AREAS OF SANGRUR DISTRICT

3054. Sardar Pritam Singh Sahoke : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether there is any scheme under the consideration of Government to stop canal irrigation and introduce tube-well irrigation in its place in some areas of Sangrur District; if so, the date by which the said scheme is proposed to be implemented and the details of the areas, if any, selected for the purpose ?

Rao Birendar Singh : Yes. The scheme is proposed to be implemented from Kharif 1961. The area selected for the purpose is Malerkotla Dhuri area comprising 36, 176 acres where tube-well irrigation and canal irrigation over lap.

CHARGING STANDARD RENT FOR QUARTERS AT CHANDIGARH

3055. Sardar Mihan Singh Gill : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the total number of residential quarters at Chandigarh in respect of which standard rent has been charged from Government employees during the period from 1956 up-to-date;

(b) the names and addresses of the employees from whom standard rent has been charged, and the rate of rent in each case ;

(c) whether Government have received any representation against the charging of the said rent; if so, the action taken thereon?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) 138 (including quarters in respect of which economic rent has been charged).

(b) A statement giving the desired information is enclosed.

(c) Yes. In all 78 representations against charging of standard rent economic rent were received. Out of these representations 19 were accepted and orders for penal rent were withdrawn while others were rejected.

A STATEMENT SHOWING THE NAMES AND ADDRESSES OF THE EMPLOYEES FROM WHOM STANDARD RENT OR ECONOMIC RENT HAS BEEN CHARGED DURING THE PERIOD FROM 1956 UPTODATE

Serial No.	House No. and Sector	Name and address	Rate per mensem
			Rs
1	13JB/12/16 ..	Shri Om Parkash Majoona, Punjab High Court	17.62
2	13JB/76/7-B ..	Shri Kewal Krishan Arora, Punjab Secretariat	17.62
3	7/D/1/7-A ..	Shri A. N. Kasheb (E.O.), Estate Officer ..	135.00
4	8/23/11-C ..	Shri Lachman Dass, Advocate-General ..	108.31
5	4/J/1/16 ..	Shri P. Jeannerate, S. Architect ..	243.75
6	8F/11/11/C ..	Shri Chantan Dass Jiwan, Advocate-General	108.31
7	9/DA/5/19-A ..	Shri Raj Kumar, Under-Secretary, Irrigation	80.00
8	8/F/22/11-C ..	Shri Charan Dass Kapoor, Deputy Secretary, Revenue	108.31
9	Officer's Bunglow No. 5	Shri Balbir Singh, Under-Secretary Revenue,	80.00
10	9/F-6/7 ..	Shri R. S. Palta, Under-Secretary, Home ..	86.69
11	9F/6/7 ..	Shri Ram Singh, Superintendent, Police ..	86.69
12	9D/77/19-C ..	Shri Puran Singh, Under-Secretary, Community Project	80.00
13	9F/81/19 ..	Shri Amar Singh, Under-Secretary, Agriculture	86.69
14	Bunglow No. 10, Nagla	Shri H. R. Dhir, Under-Secretary, Buildings and Roads	80.00
15	12JB/60/23 ..	Shri Brama Nand, Punjab Roadways, Ambala	29.62
16	4/D/3/16 ..	Shri D. C. Lal, I. G. Police ..	243.75
17	9/DA/3/19A ..	Shri J. R. Tandon, Under-Secretary, Irrigation	80.00
18	9/FM/10/7 ..	Shri R. N. Verma, Accounts Officer, Accounts Office	86.69

[Chief Minister]

Serial No.	House No. and Sector	Name and address	Rate per mensem
			Rs
19	13J/109/7 ..	Shri Gurbachan Singh, Financial Commissioner's Office (Revenue)	17.62
20	12/D/32/23-A ..	Shri Kartar Singh, Punjab State Officer Welfare Board	30.19
21	12D/6/23-A ..	Shri Sewa Singh, Punjab State Officer, Welfare Board	30.19
22	12JB/181/23-B ..	Shri Atma Ram, Punjab State Officer, Welfare Board	29.62
23	12JB/180/23-B ..	Shri Lakhan Singh, Punjab State Officer, Welfare Board	29.62
24	12JB/179/23-B ..	Shri Bhartichand, Punjab State Officer, Welfare Board	29.62
25	12D/204/C/23-B ..	Shri Sohan Lal, Punjab State Officer, Welfare Board	30.19
26	13J/45/23-C ..	Shri Chet Ram, Controller Printing and Stationery	17.62
27	Officer Bunglow No. 8..	Shri D. R. Shingle , Executive Engineer, Public Health Division No. 2	80.00
28	10FA/52/22 ..	Shri Balwant Rai, Assistant, Finance Department	52.00
29	10FA/102/22-A ..	Shri Bhag Mal, Public Health Division No. 2	52.00
30	10F/27/22-D ..	Shri Bharat Parkash, Superintendent, Director, Health Services	52.00
31	Officer Bunglow No. 3, Nagla	Shri B. B. Vohra, Deputy Secretary, Finance	80.00
32	Officer Bunglow No. 4..	Shri Kewal Krishan, S. E., Public Health Circle	80.00
33	Officer Bunglow No. 6..	Shri K. N. Bhal, Architect S. A. ..	80.00
34	Officer Bunglow No. 8..	Shri. V. P. Gotama, Financial Commissioner's Office	80.00
35	Officer Bunglow No. 11, Nagla	Shri Atma Singh, Subordinate Services Selection Board	80.00
36	Officer Bunglow No. 18, Nagla	Shri K. K. Mattoo, I. G., Prisons ..	80.00
37	Officer Bunglow No. 22, Nagla	Shri Bhim Singh, Chairman, Subordinate Services Selection Board	80.00

Serial No.	House No. and Sector		Name and address	Rate per mensem
				Rs
38	Block No. 12/7	..	Shri Naranjan Singh, C. P. Division No. 5	13.12
39	Block No. 12/10	..	Shri Tilak Raj Khachanda, Public Health Division No. 3	13.12
40	Block No. 1/3	..	Shri H. R. Bajaj, Co-operative Society ..	15.75
41	Block No. 2/6	..	Shri Ishwar Chand, Public Health Division No. 2	15.75
42	Block No. 3/2	..	Shri Mattoo Ram, Post Office ..	15.75
43	Block No. 3/5	..	Shri Munshi Ram, C. P. Division No. 3 ..	15.75
44	Block No. 5/1	..	Shri Gurchan Singh, Public Health Division No. 3	15.75
45	Block No.5/2	..	Shri Makhan Singh, Public Health Division No. 3	15.75
46	Block No. 5/4	..	Shri Suraj Bal, Public Health Division No. 2	15.75
47	Block No. 7/1	..	Shri Kidar Nath, Sub-Divisional Officer, Public Health No. 2	15.75
48	12JD/89/23-C	..	Shri B. R. Jawa C. P. W. D. ..	29.62
49	12/D-23/22	..	Shri Ved Parkash, Electricity Board ..	17.62
50	Block No. 7/5	..	Tirlok Nath Gupta, C. P. Division No. 5	15.75
51	13-D/26/22	..	Shri Balraj Singh, Punjab Roadways, Ambala	17.62
52	13-D/35/22	..	Shri Rajinder Kumar, Punjab Roadways, Ambala	17.62
53	13-D/41/22	..	Shri Ved Parkash, Punjab Roadways, Ambala	17.62
54	13-D/41/22	..	Shri Pritam Singh, Punjab Roadways, Ambala	17.62
55	13-J/121/16	..	Shri Prem Singh Carpenter, Punjab Engineering College	17.62
56	7D-3/7-A	..	Shri P. N. Sahni, Joint Provincial Transport Controller	80.00
57	8F-16/11-C	..	Shri Prem Sarup , Under-Secretary, Finance Department	108.31
58	8F-17/11-C	..	Shri A. K. Kaul, Deputy Inspector-General	108.31
59	8F-22/11-C	..	Shri C. D. Kapoor, Deputy Secretary, Revenue	108.31
60	8-F-24/11/C	..	Shri Gurbachan Singh, Under-Secretary, Settlement	108.31

[Chief Minister]

Serial No.	House No. and Sector	Name and address	Rate per mensem
			Rs
61	8F-B/7-B	.. Shri I. N. Thandani, Director of Industries	108.31
62	7D-8/7-A	.. Shri R. S. Kang, Secretary, Health and Local Bodies	135.00
63	12-D/11/19/A	.. Shri Brij Bhushan, Electricity and Mechanical Division	35.25
64	12D/172/C-23-B	.. Shri Amer Nath Aggarwal, Legal Remembrancer Office	30.19
65	12D/198/23-B	.. Shri B. A. Scott., Sub-Divisional Officer, Anti-Corruption Department	30.19
66	12D/135/23-B	.. Shri Kanti Lal Khanna, C. A. O. ..	30.19
67	12-D/97/23-B	.. Shri G. S. Khokhar, P. L. C.	30.19
68	12JC/5/L/7-B	.. Shri Prehlad Chand, High Court ..	29.62
69	11JD/26/H/19-C	.. Shri Munshi Ram, Capital Project Division No. 2	51.75
70	13D/10-E/22-D	.. Shri Ravinder Nath Bhalla, Government Press	17.62
71	13D/110/22-A	.. Shri Manmohan Lal Kapoor, P. L. A.	17.62
72	13D/A/12/16	.. Shri Om Parkash Mangia, High Court ..	17.62
73	13/D/26/22-D	.. Shri Balraj Singh, Ambala Roadways ..	17.62
74	8F/66/D/23	.. Shri K. R. Kalia, Judicial Magistrate ..	108.31
75	13/D/35/22/D	.. Shri Rajinder Kumar, Ambala Roadways	17.62
76	13D/41-22-D	.. Shri Ved Parkash, Ambala Roadways ..	17.62
77	13D/41-22-D	.. Shri Pritam Singh, Ambala Roadways ..	17.62
78	13D/71/22-D	.. Shri Vas Dev Sharma, Punjab Civil Secretariat	17.62
79	13D/78/22/D	.. Shri Bhupinder Singh Chhatwal, Assistant, Financial Commissioner's Office	17.62
80	13/D/40/22	.. Shri Kewal Krishan, Basic Training Government High School, Sector 20	17.62
81	8F/61/23/D	.. Shri Ujjagar Singh, Superintendent, C.I.D.	108.31
82	9F/C/12/22-A	.. Shri Vidya Rattan Taneja, D. P. I. ..	86.69
83	9F/134/22-A	.. Shri Rattan Parkash Kesari, P. R. O. ..	86.69
84	13J/83/16	.. Shri Phanphara Singh, Peon, High Court	17.62

Serial No.	House No. and Sector		Name and address	Rate per mensem
				Rs
85	11J/7/22-A	..	Shri R. L. Moudgil, Steno, Kurukshetra University	40.56
86	13D/120/22-A	..	Shri Prem Sagar, Punjab Civil Secretariat	17.62
87	13D/178/22-D	..	Shri Bishan Lal, Punjab Civil Secretariat	17.62
88	13D/229/22-D	..	Shri Gurdial Singh, P. L. A. ..	17.62
89	10F/7/22-D	..	Shri Vasheshar Nath Dadeja, Government Basic High School, Rajpura	52.00
90	13JB/1/22-D	..	Shri Pritam Singh, P. L. A. ..	17.62
91	13J/58/22-D	..	Shri O. P. Bhagi, Punjab Roadways, Gurgaon	17.62
92	13D/78/22-D	..	Shri Bopinder Singh Chekwal, Financial Commissioner's Office	17.62
93	13D/81/22-D	..	Shri Kundan Lal, Conductor, Punjab Roadways, Gurgaon	17.62
94	13D/98/22-D	..	Shri Prem Chand, Assistant, Civil Secretariat	17.62
95	12D/103/23-B	..	Shri Vidya Dhar, D. H. S. ..	30.19
96	10F/49/22-A	..	Shri Sukhdev Singh, Punjab High Court ..	52.00
97	11JD/73/27	..	Shri O. P. Gupta, Estate Office ..	40.56
98	13D/63/22-A	..	Shri Dalip Singh Gill, Punjab Civil Secretariat	17.62
99	12D/21/23-B	..	Shri Atam Parkash Betra, High Court ..	30.19
100	10F/121/22-A	..	Shri Amar Singh, Revenue Training School	52.00
101	15D/62/23-B	..	Shri Amar Nath, High Court ..	30.19
102	12D/13/19-A	..	Shri Sent Kumar Aggarwal, Punjab High Court	35.25
103	11JD/2/Z/20-B	..	Shri P. S. Takin, E and M. Division ..	76.31
104	11F/10/B/23-D	..	Shri Raj Kumar Bedi, Project Division No. 2	76.31
105	11/F/45/A/23-D	..	Shri Raj Kumar Bedi Project Division No. 2	76.31
106	11F/29/B/23-A	..	Shri Sewak Singh, Punjab Civil Secretariat	76.31
107	11F/38/23-A	..	Shri Mohinder Singh, Punjab Civil Secretariat	76.31
108	11F/46/22-D	..	Shri Tilkraj, Election Department ..	76.31
109	11F/52/22-D	..	Shri S. L. Chawala, D.I.G., C.I.D. ..	76.31

[Chief Minister]

Serial No.	House No. and Sector	Name and address	Rate per mensem
			Rs
110	4-D/1/16	.. Shri A.L. Fletcher, Financial Commissioner, Revenue	243.75
111	4-D/2/16	.. Shri C. L. Handa, Chief Engineer, Irrigation	243.75
112	4-J/1/16	.. Shri S. N. Kapoor, Chief Engineer, Irrigation ..	243.75
113	4-J/2/16	.. Shri P. M. Ismail, Legal Advisor C/o L.R. Office ..	243.75
114	4-J/B/33	.. Gurdial Singh, I. P. S., Inspector-General of Police ..	243.75
115	5-J/1/16	.. Shri Arjan Singh, Director of Agriculture	400.00
116	5-J/7/16	.. Shri G. S. Sidhu, Chief Engineer, Irrigation	243.75
117	5-J/21	.. Shri S. N. Ravikant, Officer-on-Special Duty, Planning Development ..	243.75
118	5-J/23	.. Shri G. R. Naggia, Chief Engineer, Capital Project, Chandigarh ..	243.75
119	9-FB/10/22-A	.. Shri Amin Chand, Superintendent C/o Accountant-General, Punjab, Simla ..	86.69
120	9-J/13/11-B	.. Shri A. N. Chandiab, Assistant Professor, Punjab Engineering College ..	86.69
121	9-F/78	.. Shri Mahesh Chander, Election Naib-Tehsildar, Amritsar ..	86.69
122	9-F/144/A/22-A	.. Shri Ram Lal Bhasin, Officer-on-Special Duty, Irrigation ..	156.87
123	9-F/1/J/19-C	.. Shri Shangara Singh, Election Department, Chandigarh ..	86.69
124	13-D/109/22-A	.. Shri Charanjit Lal Manchanda, Civil Secretariat ..	17.62
125	13-D/109/22-A	.. Shri Surinder Singh, Punjab Roadways, Ambala ..	17.62
126	13-D/93/22-D	.. Shrimati Sita Devi, Government College ..	17.62
127	13-D/98-22-D	.. Shri Prem Chand Civil Secretariat ..	17.62
128	12-D/82/B/23-B	.. Shri Promodh Singh, High Court ..	30.19
129	12-D/25/B/23-A	.. Shri Krishan Lal Kelra, Capital Project, Division No. 3 ..	30.19
130	12-D/121/B/23-A	.. Shri Hans Raj Kapooria, Superintendent, C. A. O. ..	30.19

Serial No.	House No. and Sector	Name and address	Rate per mensem
			Rs P.
131	10-JD/41/22-A	Shri M. L. Aggarwal, Accountant-General, Punjab	105.81
132	10-JD/50/22-A	Shri S. D. Lakhan Pal, Government High School	52.00
133	10-JB/9/22-D	Shri Ram Singh Rajan Wal, District Industries Officer, Hissar	93.81
134	10-JD/29/22-B	Shri B.K. Koul, Assistant Professor, Punjab University, College	52.00
135	10-JB/35/22-D	Shri Subha Ram, I. P. Vigilance Department	52.00
136	10-FD/19/22-D	Shri Gurbachan Singh, Administrator, Jaitu Municipality	52.00
137	Block No. 3, House No. 3	Shri Sunder Dass, Daftri, Civil Secretariat	13.12
138	11-JC/L/17/19-C	Shri J. N. Prasar, Public Health Division No. 1	40.56

Note.—In the cases at serial No. 5—13, 16, 18, 31 to 34, 37, 57 to 62, 65, 67, 86, 87, 88, 90, 98, 110 to 114, 124, 127 to 130 and 134 in the above list the standard rent was charged as it was less than the 10 per cent emoluments of the officials/officers concerned.

ADJOURNMENT MOTION

Mr. Speaker : On the 25th October, 1960, notices of three adjournment motions were given for the discussion of the situation arising out of the 'Karnal Triple Murder Case'. Number one was moved by Shri Balram Dass Tandon and Shri Sahi Ram, number two by Shri Inder Singh and number three by Shri Dharam Singh Rathi and Chaudhari Bharat Singh. As the explanatory memorandum to adjournment motion No. 1 purported in writing to "discuss the strictures against Sardar Partap Singh Kairon" I declared that out of order on the ground that whenever the conduct or character of a Minister was involved, according to the Rules the discussion could not take place on an adjournment motion.

3 p.m.

Similarly, the adjournment motion given notice of by Shri Inder Singh expressly wanted to discuss, "the constitutional propriety of the Chief Minister of the State remaining as such as a result of the dismissal of the State Government's Appeal in the Karnal Murder Case by the Supreme Court of India". This adjournment motion, too, I rejected on the same ground as No. 1.

The adjournment motion given notice of by Shri Dharam Singh Rathi and Chaudhari Bharat Singh reads thus—

> "To ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter of urgent public importance, namely, the strictures against certain officials of the Punjab Government retained by the Supreme Court of India in the Karnal Triple Murder Case by rejecting yesterday the petition filed by the Punjab Government for leave to appeal".

[Mr. Speaker]

In the explanatory memorandum of this motion it was stated that, 'these strictures have shaken the confidence of the public regarding the Government Administration and have brought great disrepute and bad name for the whole Punjab Government'.

The Member giving notice of this motion contended that he had not mentioned the name of any Minister and that it pertained only to the judgement and the administration in general.

I had held that the matter was both urgent and of public importance, yet I had not held the notice in order because I had in my mind strong misgivings about its admissibility. I had the feeling that it impinged on the conduct of a Minister. As you know, under the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly and also according to the well-established parliamentary conventions and practice if the conduct of a Minister or the Ministry as a whole is intended to be criticised or censured there are definite forms in which it can be done. It cannot be done on an adjournment motion. An adjournment motion is intended to provide the House with an opportunity to interrupt its normal proceedings to be able to discuss a matter of recent occurrence and of public importance. But it cannot be used as a vehicle for a censure motion.

In our Rules, the procedure for adjournment motions is given in Chapter XIV—Rule 68, which, while prescribing the conditions which an admissible adjournment motion must fulfil, says in sub-rule (ix):—

> the motion shall not deal with a matter on which a resolution could not be moved;

and in sub-rule (xiii) it says :—

> the motion shall not raise any question which under the Constitution or these rules can only be raised on a distinct motion by a notice given in writing to the Secretary.

But in cases where the character or the conduct of a Minister or the Ministry as a whole is proposed to be criticised and discussed, it can be done only through a regular substantive motion which is provided for in Rule 65 in Chapter XIII which has its own conditions and pre-requisites governing its admissibility. A censure motion or a no-confidence motion is a subtantive motion for the discussion of which due notice and opportunity must be given. It would be an abuse of the process and procedure of the House if an adjournment motion which unmistakably partakes of the character of a Censure Motion were allowed to be discussed, under Chapter XIVand not Chapter XIII, however urgent and publicly important its subject-matter may be. For, as I have already said, the Rules prescribe a definite form in which such a matter may be discussed.

Shri Rathi's notice concerns itself with the strictures against certain officials of the State Government. If the discussion were confined only to this much, then perhaps one may not find fault with it. But in the explanatory memorandum as I have already stated above Shri Rathi has extended its scope by saying :—

> These strictures have shaken the confidence of the public regarding the Government administration and have brought great disrepute and bad name for the whole Punjab Government.

As I had promised the House I consulted the Advocate-General, who is a non-voting Member of this House, and also the Legal Remembrancer to Punjab Government, whose knowledge of the judgements is naturally intimate. I had the feeling that the discussion of this matter would inevitably lead to the discussion of the conduct of a Minister, although I had read the judgement in the case very cursorily. I am glad to be able to inform you that the Advocate-General, the Legal Remembrancer and I have reached unanimously the same conclusion, namely, that any discussion of the administration and the conduct of the officials will inevitably lead to the discussion of the conduct of the Chief Minister and Government. Further, I feel that the contents of the notice of the adjournment motion have the obvious object of censuring the conduct of the Chief Minister. What ought to be attempted under Chapter XIII is sought to be done under Chapter XIV. Such a motion cannot be discussed under Rules 66 in Chapter XIV. It should be brought only under Rule 65 in Chapter XIII. Since these two aspects of the matter, which from the point of view of our procedure must remain separate and distinct, cannot so remain, being bound up with each other inextricably, I regret I must hold the notice to be out of order.

(Shri Rathi rose to speak.)

Mr Speaker : My ruling is final. (*interruptions*)

चौधरी धर्म सिंह राठी : आप तो रूलिंग दे चुके हैं.....

Mr. Speaker : Please sit down. My ruling is final. मैं ने उस दिन हाउस के साथ वादा किया था कि मैं Advocate-General, Legal Remembrancer को consult करूंगा और मैंने उन की सलाह ले कर हाउस के सामने उन की राय रख दी है । (Please sit down. My ruling is final. The other day I had promised the House that I would consult the Advocate General and the Legal Remembrancer to Government, Punjab, which I have done and now I have placed their viewpoint before the House.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : जनाब, मैं यह कहना चाहता हूं कि आप ने तो रूलिंग दे दी है लेकिन इस का असर चीफ मिनिस्टर पर तो कुछ नहीं हुआ । (*interruptions*) (*Repeated Interruptions*)

Mr. Speaker: Order please.

उद्योग मंत्री : On a point of order Sir. जब आप ने रूलिंग दे दी है तो उस के बाद किसी मैम्बर को यह अख्तियार नहीं रह जाता कि वह उस पर किसी प्रकार की comment करे । यह किसी भी मेम्बर के लिये बहुत undignified है । हाउस की dignity यह demand करती है कि स्पीकर की रूलिंग के बाद उस पर कोई comments न हों, कोई discussion न हो । इस लिये मैं अर्ज़ करता हूं कि इस पर कोई comments या discussion नहीं होनी चाहिये ।

MOTION UNDER RULE 84

श्री अध्यक्ष : जब मैं रूलिंग दे चुका हूं तो उस के बाद कोई discussion नहीं हो सकती । उस दिन 24 October को चौधरी इन्द्र सिंह ने रूल 84 के नीचे एक मोशन का नोटिस दिया था ताकि ला और आर्डर की पोज़ीशन discuss की जाए । आज बाजवा साहिब ने भी उसी तरह की मोशन का नोटिस दिया है । मेरे पास इस क सिवाए और कोई चारा नहीं है कि मैं इसे रूल 84 के नीचे मंजूर कर लूं । ताहम यह जो रूल 84 है इसे रूल कमेटी के सामने रखना पड़ेगा । (No discussion can be allowed after I have given my ruling. The other day on the 24th October, Chaudhri Inder Singh had given notice of a Motion under Rule 84 for the discussion on the position of law and order in the State. Today Shri Bajwa has also given notice of a similar motion. I have no alternative but to admit it under Rule 84. However, the relevant rule will be placed before the Rules Committee for scrutiny.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : Lok Sabha ਵਿਚ Mundra Scandal case ਦੇ ਉਤੇ discussion ਹੋਈ ਸੀ । ਉਥੇ Government ਦਾ conduct discuss ਹੋਇਆ ਸੀ ।

Sardar Bhupinder Singh Mann : The hon. Speaker has admitted the motion given notice of by Sardar Gurbachan Singh Bajwa, under Rule 84 of the Rules of Business, but I would be obliged if the contents of the said motion are made known to the House.

Mr. Speaker : The motion reads :

> "Sir, I give notice under Rule 84 for discussion of the alarming Law and Order situation in the State as revealed in the judgements of the various courts in the case known as the Karnal Triple Murder Case".

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में लोक सभा के स्पीकर की रूलिंग मौजूद थी लेकिन उस का किसी ने ख्याल नहीं किया । मेरी कोई discretion ही नहीं है । मामला रूल्ज़ कमेटी के सामने रखा जाएगा । Under the present Rule I have no authority except to admit it. (There is a ruling of the Speaker of the Lok Sabha on this subject. But it had not come to our notice earlier. I have absolutely no discrection in the matter. The matter will be placed before the Rules Committee.) Under the present Rule I have no authority execept to admit it.

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : Sir, I request that time may be fixed for the discussion of the motion.

Mr. Speaker : This motion would be discussed along with the motion admitted by me on the 24th October, 1960, given notice of by Shri Inder Singh on the same subject.

QUESTION OF PRIVILEGE

REGARDING CERTAIN REMARKS MADE BY A MEMBER OF THE PUNJAB LEGISLATIVE COUNCIL

श्री हर भगवान मौडगिल : On a point of order, Sir यह पता लगा है कि पिछले दिनों कौंसिल में यूनिवर्सिटी बिल पर बसह के समय protocol पर बात चल रही थी। यह बात ज़ेरे बहस थी कि जो M.L.As and M.L.Cs Assembly और Council से चुन कर जाते हैं उन को वहां पर protocol के मुताबिक कुर्सी नहीं मिलती। उस वक्त एक hon. Member ने यह कहा कि इन M.L.As को University के बारे में तो पता ही कुछ नहीं है, इन को University affairs के मुताल्लिक क्या पता है। इस लिये मेरी अर्ज़ है कि इस बात के बारे में कौंसिल से information मंगवा कर हाउस को बता दें कि हम किस तरह से इस बात को discuss कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह मामला काफी पुराना है। जब कभी M.L.As. को University Convocation attend करने के लिये बुलाया जाता है तो उन को protocol के मुताबिक कुर्सी नहीं दी जाती। यह बात कौंसिल की मीटिंग में ज़ेरे बहस थी। मैं ने वह proceedings मंगवाई थीं और उन को पढ़ा था। उस हाउस के एक hon. Member ने जोश में आ कर यह कह दिया M.L.As. को University के मामलात के बारे में कुछ पता नहीं होता। चूंकि यह बात दूसरे हाउस की है मेरी राए यह है कि इस को हमें अच्छी तरह से सोच समझ कर take up करना चाहिये। आप मेरे चैम्बर में आ जाएं और हम वहां पर इस बात को discuss कर लेंगे अभी इस को pending रखा जाए। (This is an old matter. Whenever the M.L.A.s are invited to attend University Convocacation they are not given seats according to the Protocol. This matter was discussed in a meeting of the Punjab Legislative Council. I sent for the proceedings of that meeting and have gone through them. One hon. Member of that House remarked in the heat of the moment that the M.L.As did not know anything about the University affairs. Since objection is being taken to a matter which pertains to the other House, I am of the view that we should take up this matter after giving a careful thought to it. The hon. member may come to me in my Chamber and we will discuss the matter there. For the time being we may keep it pending.)

पंडित श्री राम शर्मा : क्या उन्होंने यह remarks M.L.A.s के मुताल्लिक ही पास किये थे या कि M.L.Cs. के मुताल्लिक भी?

श्री अध्यक्ष : यह सारा मामला पंडित अमर नाथ विद्यालंकार शिक्षा मन्त्री जी को मालूम है। यूनिवर्सिटी बिल की प्रोविज़न के मुताबिक स्पीकर और चेयरमैन Senate के ex-officio मैम्बर होते थे। जब यूनिवर्सिटी बिल हाउस में आया तो उस वक्त

[श्री अध्यक्ष]

के शिक्षा मन्त्री सरदार गुरबचन सिंह बाजवा ने हाउस को assurances दी कि बिल में चेयरमैन और स्पीकर की तकर्रुरी की प्रोविज़न करने की बजाए गवर्नमट दोनों को nominate कर दिया करेगी। वह कर दिया गया है। लेकिन University Convocation के वक्त चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर के सम्बन्ध में तो प्राटोकोल follow किया गया लेकिन हम दोनों के बारे में ऐसा नहीं किया गया और हमें सीट senators के साथ पीछे दी गई। पंडित जी ने उसी दिन इस बात का ज़िक्र किया था ताहम हम ने अपने इस्तीफे दे दिये। मेरा विचार है कि या तो प्राटोकोल नहीं होना चाहिये और अगर हो तो सब के लिये हो। किसी किस्म का preferential treatment नहीं होना चाहिये। उन्होंने यकीन दिलाया कि इसे ठीक कर दिया जाएगा। चुनांचि यह मामला कौंसिल में ज़ेरे बहस था जब कि माननीय सदस्य ने जोश में आ कर वह लफ्ज़ कह दिये। मेरा ख्याल नहीं है कि उन का मतलब मैंम्बर साहिबान के लिये ऐसा था। फिर भी चूंकि यह मामला दूसरे हाउस का है मैं इस को शिक्षा मन्त्री के सुपुर्द करूंगा। मैं जानता हूं कि न तो कोई M.LA. और न ही कोई M.L.C. किसी किस्म का preferential treatment चाहता है लेकिन अगर कोई protocol रखना है तो फिर किसी के लिये भी पक्षपात नहीं होना चाहिये। (The whole matter is known to the Minister for Education, Pandit Amar Nath Vidyalankar. According to the provisions of the University Bill both the Speaker and the Chairman used to be the ex-officio Members of the Senate. At the time of the introduction of the University Bill in this House the then Education Minister Sardar Gurbachan Singh Bajwa assured the House that instead of making a specific provision in the Bill for the appointment of the Chairman and the Speaker as ex-officio members the Government will nominate both the Presiding Officers to the Senate. It has been done accordingly. But at the time of the University Convocation the Protocol was followed in the case of Chief Minister and the Minister of Education. But in the case of the Chairman and the Speaker this was not done, and they were given seats on back benches amongst the Senators. Pandit Ji had made a mention of this matter the same day. However, we tendered our resignations. I feel that either there should be no protocol or if it is to be observed, it should be observed for all. There should be no preferential treatment. Pandit Ji assured that things would be set right. This matter was being discussed in the Council when an hon. Member of that House uttered those words in the heat of the moment. I do not think that he meant any disrespect to the hon. Members. Anyhow, as the matter concerns the other House I will refer it to the Minister for Education. I know that neither

any M.L.A. nor any M.L.C. wants any preferential treatment for himself. But if any protocol is to be observed then no preferential treatment should be meted to anyone.)

ANNOUNCEMENT BY THE SECRETARY

Secretary : Under Rule 2 of the Punjab State Legislature (Communications) Rules of 1959 I have to inform the House that the Punjab University (Amendment) Bill of 1960, passed by the Punjab Legislative Council on the 25th October, 1960, has been received. I also lay a copy of the said Bill on the Table of the House.

Bill (LEAVE TO INTRODUCE)

THE ELECTRICITY (SUPPLY) (PUNJAB AMENDMENT) BILL, 1960

Minister for Irrigation and Power (Rao Birendar Singh) : Sir, I beg to ask for leave to introduce the Electricity (Supply) (Punjab Amendment) Bill.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That leave be granted to introduce the Electricity (Supply) (Punjab Amendment) Bill.

Mr. Speaker : Question is—

> That leave be granted to introduce the Electricity (Supply) (Punjab Amendment) Bill.

The motion was carried.

Minister for Irrigation and Power (Rao Birendar Singh) : Sir, I introduce the Electricity (Supply) (Punjab Amendment) Bill, 1960.

Bill

THE PUNJAB PANCHAYAT SAMITIS AND ZILA PARISHADS BILL, 1960 (RESUMPTION OF CONSIDERATION)

Mr. Speaker : Now the House will resume discussion on the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads Bill. The Minister for Community Project may resume his speech.

ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ associated ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ vote ਦੇਣ ਦਾ ਅਧੀਕਾਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਦੋਨਾਂ Regional ਕਮੇਟੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਜਾਂ ਸੱਤ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਥੇ ਦੋਨੋਂ

Note.—The previous discussion on the Panchayat Samitis and Zila Pariishad Bill appears in the Punjab Vidhan Sabha Debate Volume II No. 5, dated 26th October, 1960.

[ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ]
ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਫਰਾਖ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਖਤਿਆਰ vote ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੇ vote ਦੇਣ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਵਿਚ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ vote ਦੇਣ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਔਰ vice ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ basic ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹ ਕਾਬਲ ਹੋਣ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 154 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ elect ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਘਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਘਟੋ ਘਟ 130 ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 130 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜਣਗੀਆਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। (श्री बलराम दास टण्डन : क्या वज़ीर साहिबान भी चुने जा सकेंगे।) ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਫਿਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦਿਤੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਹਨ ਉਹ blocks ਵਿਚ ਬਣਨੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬਨ 12 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੁਪਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ local rate District Boards ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ Profession Tax District Boards ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਿਲੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਅਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ grants ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ loans ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 20, 25 items ਦੀ list ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ development ਦੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ area ਵਿਚ ਕਰਨੇ ਹਨ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਨੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਪੈਸੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਖਰਚ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਭੁਖੀਆਂ ਮਰਨਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ tax ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਅਖ਼ਤ੍ਰਿਆਰ ਹੋਏਗਾ।

ਫਿਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ District Boards ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਇਹ provide ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ District Boards ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਦਿਤੀ ਜਾਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Service Rules ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ compensation ਦੇ ਕੇ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਚਾਹੁੰਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਚਾਹੁੰਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ accommodate ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ।

ਫਿਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇਥੇ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੋਏਗਾ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਵਿਚ ਬੜਾ ਤਾਲੁਕ ਹੋਏਗਾ । ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਉਹ ਦਫਾ 44 ਹੈ ਜਿਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਫਾ 93 ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋ ਤਾਅਲੁਕਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਦਸੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜੁਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨੇ ਹਨ । ਜਿਤਨੇ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਥੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਕਰਾਏਗੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ area ਵਿਚ ਕਰਾਉਣੇ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਕਰਾਉਂਣੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਵਿਚ ਬੜਾ ਤਾਅਲੁਕ ਹੈ ।

ਫਿਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀ election ਦਾ ਜੋ ਢੰਗ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ । ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਅਬ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ tax ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧੀਕਾਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਥੋਂ ਤਕ, ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਤਾਅਲੁਕ ਹੈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣਗੇ । ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਸਣਗੀਆਂ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ resolution ਪਾਸ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ policy ਬਨਾਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ implement ਕਰਨਗੇ । ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਗਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਹੁਣ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ । ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਿਲ Joint Sub-Committee ਵਿਚ discuss ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਡੇ ਵਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ

[ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ]
ਕਿਤਨੇ ਚੰਗੇ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਔਰ ਉਹ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਅਬ ਹੋਏਗਾ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ । ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਉਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਕਰੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਥੇ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ tax ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਿਉਂ ਅਧੀਕਾਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਇਕਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧੀਕਾਰ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਤਨਾ ਪੈਸਾ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਣ, ਉਹ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ tax ਲਗਾ ਸਕਣ । ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ tax ਲਗਾਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ।

ਆਖਿਰ ਵਿਚ ਮੈਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਆਦਮੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਰਸੂਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਹਨ ਕੁਝ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਹਨ ਕੁਝ ਵਡੇ ਵਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅਸਰ ਅਤੇ ਰਸੂਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ manage ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਸਜਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰਖਦੇ ਹੋਣ । ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਡੇ ਤੋਂ ਵਡਾ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ, ਪੰਚ ਬਣੇ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ । ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੰਚ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ development ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਅਤੇ Cottage Industry ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ । ਜੇਕਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਨਾ ਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆ ਸਕਦੇ । ਮੇਰੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਮੇਲਾ ਹਨ । ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਝਮੇਲਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ; ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਖੇ ਹੇਠ ਬੈਠ ਕੇ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਜਾਈਏ । ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸਜਣ ਆਉਣ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ development ਚੰਗੀ ਹੋ ਸਕੇ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ interest ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਬੰਗਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਜਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇਸ ਪਖ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ । ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਨੇ ਵੀ ਵਡੇ ਵਡੇ ਸਰਦਾਰ ਜਾਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਜਾਂ ਵਡੇ ਵਡੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ।

(ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ : ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ?)

ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਗਿਣ ਦਿਤੇ ਹਨ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਰ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕ ਮਰਲਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ । (ਪ੍ਰਸੰਸਾ) ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ

[ਸਮੂਹਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਮਾਰਫਤ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਜਾਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੇਵਲ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਖਿਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਚੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਹਿਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੰਚ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜ ਜਾਂ ਸਤ ਦਿਨ ਪਿਛੇ ਪਾ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਸਕਣ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਉਦੋਂ ਤਕ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ।

ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾ ਲੈਕੇ ਪੰਚ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵਿਚ ਆਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। (ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ)

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads Bill, as reported by the Regional Committees be taken into consideration.

The motion was carried.

श्री अध्यक्ष : Business Advisory Committee ने इस के लिए तीन दिन रखे हुए हैं। अब समझिये कल का दिन रह गया है। पिछली दफा जब House adjourn हुआ, उस दिन भी हाजरी कम थी। General discussion को महदूद करना पड़ा। चौधरी बलबीर सिंह बोलना चाहते थे लेकिन वह रह गए। अगर सभी लोग general discussion में हिस्सा लेते तो तीनों दिन यही चलती यह ज़रूरी नहीं कि सभी लोग general discussion में हिस्सा लें। मैं यकीन दिलाता हूं कि जिस clause में आप interested होंगे आप को accommodate

किया जायगा। जो जो आप ने amendments दी हैं, अगर आप उन तक अपने आप को महदूद रखें तो मेरा ख्याल है कि दो दिनों में यह बिल खत्म हो जायगा। (The Business Advisory Committee has allotted three days for this Bill. Now we have been left with one day i.e. tomorrow only to finish this Bill. Last time when the Assembly adjourned the attendance in the House was rather thin. We had to limit the general discussion on the Bill. Chaudhri Balbir Singh wanted to take the floor but could not do so. If all the Members were to take part in the general discussion, then this would have continued for all these three days. It is not necessary that every Member must participate in the general discussion. I assure the House that every Member will be accommodated in any clause in which he is interested. I think that we will be able to finish the consideration of the Bill within these two days, if the hon members confine themselves within the scope of their amendments.)

Mr. Speaker : The House will now consider the Bill clause by clause.

SUB-CLAUSES (2) AND (3) OF CLAUSE 1

Mr. Speaker : Question is—

That sub-clauses (2) and (3) of clause 1, as reported by the Regional Committees, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 2

Mr. Speaker : Question is—

That clause 2, as reported by the Regional Committees, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3

Chaudhri Dharam Singh Rathi (Samalka) : Sir, I beg to move—

In sub-clause (1), line 5, delete,

"either for every tahsil in a district or".

In sub-clause (3), line 2,

delete "a tahsil or".

In sub-clause (3), , line 3,—

delete "the tahsil or".

In sub-clause (3), line 6,—

delete "tahsil or".

स्पीकर साहिब, वज़ीर साहिब अभी बोले हैं और उन्होंने इस बात पर बड़ा ज़ोर दिया कि blocks बड़े ज़रुरी हैं, हम सारे इख्तियारात blocks को देंगे और सारी बातें यह करेंगे।

[चौधरी धर्म सिंह राठी]

लेकिन मैं इस बात को नहीं समझा कि इन्होंने यह permanent तौर पर रख दिया है। मैं समझता हूं कि जो वज़ीर साहिब हैं वह कहेंगे कि बहुत ऐसी तहसीलें हैं जहां पर ब्लाक्स नहीं बने इस लिए यह बात रखी है कि उन तहसीलों में समितियां बना देंगे। स्पीकर साहिब मैं यह कहना चाहता हूं कि गवर्नमैंट ने जो यह बात रखी है कि वह जहां चाहे बना दें गवर्नमैंट के लिये यह हथियार अपनाना ठीक नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ज़िले में tehsil-wise चलें किसी ज़िले में block-wise. इस लिए मैं जनाब आपकी मार्फत वज़ीर साहिब से प्रार्थना करूंगा कि इस क्लाज़ में से तहसील का शब्द निकाल दिया जाए। और सिर्फ ब्लाक्स के शब्द रख दिए जाएं।

एक चीज़ और है और वह यह कि क्लाज़ नं. 3 के अन्दर यह कहीं नहीं रखा गया कि constituencies भी बनेंगी। जनरल डिसकशन के वक्त वज़ीर साहिब ने हवाला देते हुए यह कहा था कि constituencies बनेंगी और क्लाज़ 3 का हवाला दिया था पर मैंने जब इसको गौर से पढ़ा तो कहीं पर यह चीज़ नज़र नहीं आई। इसमें तो सिर्फ यही है कि अगर थोड़ी बहुत constituencies में तबदीली कर सकेंगे तो उसे re-delimit करेंगे। Constituencies बनेंगी यह कहीं नहीं है। इस लिए मैं वज़ीर साहिब से कहना चाहता हूं कि जब तक आप constituencies नहीं बनाएंगे तब तक आप का कोई मसला हल नहीं होगा। आपने यहां जो representation का तरीका रखा है वह भी ठीक नहीं है। क्योंकि ब्लाक समितियां आप बनाएंगे उनकी भी कोई constituencies नहीं बनाई। अखीर में अपनी चारों amendments के लिए दरखास्त करता हूं कि यह मान ली जाएं।

Mr. Speaker : motion moved—

In sub-clause (1), line 5, *delete,*—

"either for every tahsil in a district or".

In sub-clause (3), line,—

delete "a tahsil or".

In sub-clause (3), line 3,—

In sub-clause (3), line 6,—

delete "tahsil or".

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਨਰਲ): ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ Block Panchayat ਸੰਮਤੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ Block areas ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ non Block areas ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ representation ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਲਾਕ ਖਤਮ

ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ political considerations ਨੂੰ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਬਲਾਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ । ਹੁਣ ਫੇਰ political consideration ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀ management ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਜ਼ਿਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਜੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ risk ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ । ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਕਿ ਇਸ਼ਤੇਮਾਲ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਪਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦਸੂਹੇ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਕਿ ਇਸ਼ਤੇਮਾਲ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਥੋਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੂਹੇ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਉਥੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ opposition party ਦੇ ਹਨ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਤਨੇ ਅਫਸੋਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ development ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹ political consideration ਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਕ ਪਾਲੀਸੀ ਤੈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਗਰ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ । ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਬਨਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹ block-wise ਬਨਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਅਗਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ (ਨਕੋਦਰ 'ਜਨਰਲ') : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਬਲਾਕ ਲੇਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ Joint Select Committee ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿਚ ਬਲਾਕ ਹਨ ਔਰ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿਚ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਔਰ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 1962 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ area ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ cover ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਕ ਨਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ

[ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ]

ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ section ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ।

"all grants made by the Government for the implementation of Community Development Programme".

ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰਾਂਟਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਥੇ ਕਿ ਬਲਾਕ area ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਥੇ ਬਲਾਕ area ਨਹੀਂ ਉਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ funds available ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ । ਇਹ ਇਕ ਬੜੀ ਵਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਉਥੇ tehsil level ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਬਣਾਏ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਹਕ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਹਲਕੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਚ ਦੌੜਨਾ ਪਵੇਗਾ । ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬਿਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਜਿਸ ਬਿਲ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 86 ਦੇ sub-section (31) ਦੇ part (a) ਵਿਚ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ।

"five Members from out of the Primary Members of every Panchayat Samiti in the district to be elected by the Panchayat Samiti by a secret ballot in the manner prescribed;"

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨੇ ਹਨ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ constituency ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ । ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਆਖਦੇ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੀ constituency ਹੋਵੇਗਾ । ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਣੇ ਹਨ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਔਰ ਤਹਿਸੀਲ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦਾ provision ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ । ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ 228 ਬਲਾਕ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤਕ 162 ਬਲਾਕ ਬਣੇ ਹਨ । ਸਾਡਾ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਕ

ਲੈਬਲ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਲਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਏਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਣਾਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਵਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਮਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ block level ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ tehsil level ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ pattern ਹੀ ਰਾਇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਤਹਿਸੀਲ ਸੰਮਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲ ਸੰਮਤੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਜੇਕਰ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਫ਼ਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ examine ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜੇਕਰ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ non-block areas ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਖਦਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲ ਸੰਮਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਈਏ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਉਥੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਲਾਕ ਬਣਾਉਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੰਮਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਬਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਬਣਾਉਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਲਾਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਣ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ area ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕ ਘਟ cover ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ cover ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਦ ਜਿੱਥੇ ਘਟ ਬਲਾਕ ਬਣੇ ਹੋਣ ਉਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਲਾਕ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ political consideration ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲੇ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 92 ਫੀ ਸਦੀ area ਬਲਾਕਾਂ ਬਲੇ ਹੈ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜ਼ਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 52 ਫੀ ਸਦੀ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ political consideration ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

चौधरी धर्म सिंह राठी : मेरे हलके में block नहीं है ।

ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ political consideration ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ political consideration ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬਲਾਕ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਕਿ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ । ਫ਼ੇਰ ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ constituencies ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ । ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ constituencies ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ.........

4 p.m.

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ constituencies ਤੋਂ ਬਗੈਰ elections ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਗੇ । What he we means to say is how the elections would be he'd without the delimitation of constituencies ?)

ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਸ elected ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ constituencies ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ । ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਨਜ਼ਰ ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਤਰਮੀਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ।

Mr. Speaker : Question is—

In sub-clause (1), line 5, *delete*,—
"either for every tahsil in a district or".

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

In sub-clause (3), line 2,
delete "a tahsil or".

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

In sub-clause (3), line 3,
delete "the tahsil or".

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

In sub-clause (3), line 6,
delete "tahsil or".

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That clause 3, as reported by the Regional Committees, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 4

Chaudhri Dharam Singh Rathi : Sir, I beg to move—

In lines 3-4,—*delete* "the tahsil or".

स्पीकर साहिब, मेरी amendment यह है कि इस क्लाज़ में जो "the tehsil or" के अलफ्ज़ हैं उन्हें delete किया जाए। अभी वज़ीर साहिब ने बताया है कि वह कोशिश करेंगे कि Block Samities बन जाएं। जहां blocks नहीं बने वहां

shadow blocks हैं। जहां तक असूल का ताल्लुक है मैं agree करता हूं कि blocks में समितियां बननी बेहतर हैं तहसील में बेहतर नहीं। सरदार उमराऊ सिंह ने जो बात कही कि इस लिये amendments लाई जा रही हैं कि delay हो जाए, यह बात बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूं कि यह बिल आज पास होने की बजाए अभी पास हो जाए। क्योंकि देहात के आदमियों की जिन्दगी का इस से ताल्लुक है।

श्री अध्यक्ष : जब क्लाज़ 3 में तहसील' के शब्द आ चुके हैं तो क्लाज़ 4 में भी रहने चाहियें। इस लिये यह amendment out of order है। (When the word 'tehsil' has already been retained in clause 3, it should also remain in clause 4. This amendment, therefore, is out of order.

चौधरी धर्म सिंह राठी : यह गवर्नमैंट ऐसी है कि किसी जगह मान जाती है और किसी जगह नहीं मानती। जहां तक क्लाज़ 4 का ताल्लुक है इस के बारे में मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि constituencies की जो बात कहते हैं वह नहीं है। एक तहसील में पांच मैम्बर बनेंगे। यह हल्का बंदी नहीं है सारे मैम्बरों का vote लेना पड़ेगा। स्पीकर साहिब, हमारे वज़ीर साहिब ने अभी कहा था कि मैं तहसील की बजाए blocks में समितियां बनाने की कोशिश करूंगा मैं उन का शुक्रिया अदा करता हूं।

Mr. **Speaker** : I have already held that the amendment is out of order.

श्री लाल चन्द (जालन्धर शहर, उत्तर-पूर्व) : स्पीकर साहिब, आप ने मुझे बोलने की इजाज़त दी है और मैं महसूस करता हूं कि थोड़ा सा irrelevant तो हूंगा लेकिन फिर भी इस क्लाज़ के साथ जोड़ने की किसी न किसी ढंग से कोशिश करूंगा। मैं अपना गुनाह पहले ही तसलीम कर लेता हूं। इस बिल के पढ़ने के बाद ऐसा ख्याल होता है जैसे बड़े शहरों में municipalties को अख्तियार दिया गया है उसी pattern पर देहात में तहसील का ढांचा खड़ा किया जा रहा है। अगर ग्राम पंचायत पंचायत समिति और उस के बाद ज़िला परिषद की बजाए ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, नगर पंचायत और ज़िला पंचायत एक जगह रखते तो हमारा ढोंचा एक जैसा ही बन जाता और simple हो जाता। नगर पंचायत के लिये, ग्राम पंचायत के लिये, तहसील और जिला पंचायत के एक जैसा ही pattern रखना चाहिये था लेकिन यह नहीं किया गया। मैं समझता हूं कि Municipal Bill और Gram Panchayat Bill एक ही जगह draft हो सकते थे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो चेयरमैन होगा और फिर municipal कमेटी का जो चेयरमैन होगा उन के दरमियान झगड़ा होगा और उन झगड़ों को निपटाने के लिये बहुत से सालस मुकर्रर किये जायेंगे। अगर एक ही law से उन्हें govern किया जाता तो सालिसों की ज़रुरत ही न पड़ती। जैसे कि इस क्लाज़ में provisions किया गया है अगर वह इसे इस ढंग से local bodies का नाम दे देते हैं तो फिर एक ही local body के pattern में इन को लाना

[श्री लाल चंद]

चाहिये। पंचायत के अलफाज़ uniform तौर पर ठीक रहेंगे और परिषद और समिति के अलफाज़ फायदामंद नहीं होंगे।

ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ......

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ consideration ਲਈ ਕੁਝ suggestions ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। (The hon. Member has made certain suggestions for the consideration of the hon. Minister and he has heard them. Now I dont think there is any need for giving a reply to what he has said).

ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਐਨੀ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਬਿਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ request ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਨਾਮ ਰਖ ਦੇਣ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਢਾਂਚਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ।

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 4, as reported by the Regional Committees, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 5

Chaudhri Dharam Singh Rathi (Sambhalka) : Sir, I beg to move—

Delete sub-clause (1).

In sub-clause (2) (a)(i), lines 4-5, *delete* "from amongst themselves".

In sub-clause (2)(a)(ii) lines 7—9, *delete* "from amongst the members of these societies".

In sub-clause (2)(a)(iii), lines 4-5, *delete* "from amongst the producer members".

Delete part (I) of the proviso to sub-clause (2)(ii).
Delete sub clause (2) (c)
In sub-clause (1)(a)(i), lines 2-5- for "by the Panches and Sarpanches of Gram Panchayats in the block from amongst themselves" *substitute* "by the primary voters of Gram Panchayats in the block from amongst themselves".

In part (I) of the proviso to sub-clause (1)(b)(ii), line 1, *delete* "not".

In part (I) of the proviso to sub-clause (i) (b) (ii) line 2 for but substitute "and"

स्पीकर साहिब, इस बिल में यह क्लाज़ बड़ी important clause है। इस के अन्दर यह दिया गया है कि पंचयात सममितियों और ज़िला परिषद के मैम्बर किस तरह से चुने जाया करेंगे। जो draft Bill रिजिनल कमेटियों में से बनकर आया है उस में यह provide किया गया है कि जो पंचायत समितियों के मैम्बर होंगे वे पंचायतों से चुने चाएंगे और इसी तरह से ज़िला परिषद के

लिये मैम्बर पंचायत समिति से चुने जाएंगे। इस तरह से इस बिल का स्कोप बहुत लिमिट कर दिया गया है। जो भी आदमी पढ़ा लिखा हो और अच्छी तरह से काम चला सकता हो उस को आगे आने का मौका मिलना चाहिये उस को ज्यादा से ज़्यादा representation मिलनी चाहिये। यह पाबंदी लगा देना तो ठीक है कि इन समितियों के मैम्बर देहात से ही चुने जाएं लेकिन उन समितियों में से ही चुने जांए यह पाबंदी लगाना ठीक नहीं है। मुझे इस को पढ़ कर बहुत मायूसी हुई है कि जो मैम्बर पंचायत के होंगे वही पंचायत समितियों के मैम्बर होंगे और जो मैम्बर पंचायत समितियों के होंगे वहीं ज़िला परिषद के मैम्बर बन सकेंगे। देहात की सारी Democracy को आप ने limit कर दिया है। इस चीज़ से बहुत भारी bickering होगी। देहात वालों को democracy की ज़्यादा से ज़्यादा training मिले, इस बात का scope आप ने बिल्कुल लिमिट कर दिया। मैं जानता हूं कि मिनिस्टर साहिब कहेंगे कि उस तरीके से वकील आ जाएंगे और दूसरे तीसरे लोग आ जाएंगे। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर वज़ीर होते हुए भी और चंडीगढ़ में बैठे हुए भी सरदार गुरबन्ता सिंह कह सकता है कि मैं देहाती हूं तो जो आदमी देहात का रहने वाला है और वकालत करता है या कोई और काम करता है तो वह भी देहाती हो सकता है। देहात के रहने वाले अगर गुड़गांव, हिसार या जालन्धर में रह कर काम करते हैं तो वे देहाती रह सकते हैं। अगर सरदार गुरबंता सिंह चंडीगढ़ में रहता हुआ भी और वज़ीर बन कर भी देहाती रह सकता है तो वे लोग भी देहाती रह सकते हैं। यह कह देना कि हम उन को इस बात का हक नहीं देते उन के साथ बड़ी भारी ज्यादती है। यह तो देहातियों के साथ जुल्म करना है। जो रिपोर्ट पंचायत के महकमे ने छापी है उस के अन्दर दिया हुआ है कि पंचायतों के मैम्बर 95 फी सदी अनपढ़ हैं और अंगूठा लगाते हैं। इस का मतलब यह होगा कि पंचायत समितियों और ज़िला परिषद में भी अनपढ़ मैम्बर आ जाएंगे। यह बात ठीक नहीं है। (विघ्न) ज़िला परिषद ने डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की जगह लेनी है, आप चाहते हैं कि वहां पर अंगूठा लगाने वाले आदमी आएं। (*Interruptions*) फिर कोआप्रेटिव सोसाईटीज़ के बारे में भी यही बात कह दी गई है कि वह भी अपने मेम्बरों में से चुन कर आदमी भेजेंगे। जमूहरियत का scope बहुत limit कर दिया गया है।

यानी जो co-operative societies के मैम्बर होंगे वही पंचायत समितियों और ज़िला परिषदों के मैम्बर होंगे। यहां पर भी scope को limit कर दिया है। आगे जाकर जो marketing Committees के मैम्बरों का हिस्सा है उसको ही limit कर दिया है। इतना ही नहीं जनाब, आगे चल कर इस गवर्नमैंट ने एक और बड़ा भारी जुल्म किया है—जो इस ने यह associate members का provision किया है।

श्री अध्यक्ष : आप कौन सी amendment पर बोल रहे हैं? (On which amendment is the hon. Member speaking ?)

चौधरी धर्म सिंह राठी : मैंने जनाब इस clause पर अपनी सभी amendments एक साथ move कर दी हैं और अब मैं Sub-clause (2) (b) की बाबत अर्ज़ कर रहा था। इसमें दर्ज है कि इन समितियों वगैरह के लिए associate members होंगे जो कि M.L.A.s और M.L.C.s में से होंगे लेकिन proviso के अन्दर लिख दिया है कि उन को right of vote नहीं होगा। आप अन्दाज़ा लगाएं कि कितनी बढ़िया democracy है इस कांग्रेस सरकार की ! जो आदमी 500 आदमियों का नुमाइन्दा होगा उसको तो इन्होंने right of vote दे दिया है मगर जो एक लाख लोगों की representation करता है उसको अपनी राए देने का अख्तियार नहीं होगा। वह proceedings के दौरान बोल तो सकता है मगर राए नहीं दे सकता। यह तो हमने सिर्फ कांग्रेसी democracy में ही सुना है। यह बात दुनिया की बाकी तमाम democracies से अलग है। (*Interruptions*)

श्री अध्यक्ष : यह आप एक नया झगड़ा क्यों खड़ा करने जा रहे हैं। (Why is the hon. Member trying to raise a new controversy?)

चौधरी धर्म सिंह राठी : इस लिए जनाब यह बात कि पंचायत समितियों और ज़िला परिषदों के अन्दर M.L.A.s को right of vote नहीं होगा, बड़ी अजीब सी बात है। बिल्कुल undemocratic बात है यह जम्हूरित के उन तमाम असूलों के खिलाफ है जिसकी यह हकूमत और मिनिस्टर रोजाना दुहाई देते हैं।

श्री अध्यक्ष : इसमें कौन सी बात undemocratic है? यह कैसे हो सकता है कि आप पंचायत में elect न हों और वोट ज़रूर देना चाहे ? हो सकता है कि एक आदमी as M.L.A. elect हो जाए मगर पंचायत का मैम्बर elect न हो सके। (What is undemocratic in it ? How can he claim a right of vote when he is not elected to the Panchayat. It is quite likely that a person may be elected as a Member of the Legislative Assembly but may fail to secure a seat in the Panchayat.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : जनाब यह हाल तो इन्हीं की party के Members का होता है।

श्री अध्यक्ष : आम तौर पर लोग अपने गांव में हार जाते हैं। (Generally the people suffer a defeat in the election in their own village.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : वह तो जनाब कांग्रेस के प्रधान ही हारते हैं दूसरे नहीं हारते। मेरे अपने ज़िला में पंचायत के लिए कांग्रेस का प्रधान खड़ा हुआ मगर वह हार गया। बहरहाल, स्पीकर साहिब मैं बता रहा हूं कि जिन्होंने इन संस्थाओं का member बनना है, उनकी बहुत सी categories लिखी हैं।

फिर Co-option का भी provision है। इसके बारे में मैंने यह amendment दी है कि जो Sub-clause 2 का part (c) है उसे delete कर दिया जाए। मुझे कोई एतराज़ न होता अगर आप औरतों के लिए और Harijans के लिए reservation कर लेते लेकिन जो co-option के जरिए औरतों और हरिजनों

को लाने का तरीका है यह सरासर corruption है। मैं हैरान हूं कि co-opted Members को तो right of vote दे दिया है मगर M.L.A.s को right of vote नहीं दिया। स्पीकर साहिब, अभी राएपुर के अपने इजलास में कांग्रेस ने अपने विधान में यह amendment की है कि Co-opted Members को राए देने का हक नहीं होगा। मैं हैरान होता हूं कि जब अपनी party के Co-opted Members का सवाल आता है तो गवर्नमैंट उनके लिए राए देने के हक को मुनासिब नहीं समझती लेकिन जब इसे आम लोगों पर लागू करने का वक्त आया है तो कहते हैं कि उन संस्थाओं में जो हरिजन और औरतें co-opt होंगी उन को right of vote दिया जाएगा। मुझे गवर्नमैंट और वज़ीर साहिब की यह policy समझ में नहीं आई। स्पीकर सहिब ने मुझे पूछा था कि यह किस तरह undemocratic है तो मैं बताता हूं जनाब कि यह इसी वजह से undemocratic है।

श्री अध्यक्ष : Co-option का provision तो provisional सा है। (The provision relating to co-option is just a provisional one.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : यह जनाब provisional नहीं है। तहसील समितियों, पंचायत समितियों वगैरह में हर जगह पर co-option होगी और जरूर होगी।

श्री अध्यक्ष : यह तभी होगा जब जरूरत पड़ेगी और हो सकता है कि जरूरत न भी पड़े। (It will be done in case of a need only. But it is likely that such a necessity may not even arise.)

चौधरीधर्म सिंह राठी : यह हर जगह, स्पीकर साहिब, ऐसा करेंगे इसलिए मैं मिनिस्टर साहिब से अर्ज़ करूंगा कि इस co-option वाली क्लाज़ का misuse होगा। कैसे होगा? हरिजनों और औरतों को पता होगा कि उन्होंने जरूर आ जाना है, चाहे वह आम चुनाव में न भी आ सकें तो भी उन को co-option के जरिए जगह मिल ही जाएगी। इस लिए जनाब होगा क्या? जो हरिजन पंचायत एरिया में होगें वह अपने वोटों के जरिए पहले तो नान हरिजन को चुनकर कामयाब बना देंगे और फिर co-option के जरिए पंचायत समिति में अपने और नुमाइंदे ले आएंगे। यह बिल्कुल undemocratic तरीका है कि एक तबके को double vote का right दे दिया जाए, double representation का हक दे दिया जाए। यह बहुत भारी ज़्यादती है।

सामूहिक विकास मंत्री : यह तो आज एक नई बात सुनी है।

चौधरी धर्म सिंह राठी : इसके अन्दर लिखा है कि अगर हरिजन इलैक्शन में कामयाब होकर न आए तो उन को co-opt कर लिया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया इसमें बड़ा गोलमाल होगा। फर्ज़ करो कि एक पंचायत एरिया के अन्दर 15 हरिजनों ने दो या तीन मैम्बर चुनने हैं। वह क्या करेंगे? पंद्रह के पंद्रह आदमी आपस में फैसला कर लेंगे कि हम अपना कोई नुमाइंदा खड़ा नहीं करते। वह अपनी मर्जी के किसी नान हरिजन को मैम्बर चुन लेंगे। उस सूरत में जब कि इलैक्शन के जरिए

[चौधरी धर्म सिंह राठी]

उन का कोई हरिजन नुमाइंदा नहीं आएगा तो लाजमी तौर पर जितनी नुमाइंदगी उन को देनी मकसूद है वह co-option के जरिए दी जाएगी। (*Interruptions*) आप नहीं जानते सरदार साहिब कि जिस बात को बाहरी रूप में आप मामूली समझते हैं हम जानते हैं कि आप किस तरह से उसका misuse करेंगे। वज़ीर मोहतरिम समझते हैं कि वही सब कुछ जानते हैं लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि हम भी आप की सब बातों को अच्छी तरह से समझते हैं। हम जानते हैं कि आप किस तरीके से इस का नाजायज़ तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हो।

Shri Harbhagwan Maudgil : On a point of order, Sir. The hon. Member should address the Hon. Minister through the Chair.

Chaudhri Dharam Singh Rathi : Sir, I am addressing the Minister through the hon. Speaker.

Mr. Speaker : Let the Member address the Minister through the Speaker, but he should refrain from addressing him through the Loud Speaker. (*Laughter*).

चौधरी धर्म सिंह राठी : तो मैं जनाब यह अर्ज़ कर रहा था कि इस तरह एक बड़ी भारी ज्यादती की जा रही है। हरिजनों को double representation दिया जा रहा है। उन के लिए आप सीटें रिजर्व कर दो, हमें कोई एतराज़ नहीं लेकिन इस तरह से उन को दुहरा फायदा पहुंचाना और दूसरों की cost पर पहुंचाना सरासर बे-इन्साफी है। इसी तरह औरतों के बारे में किया गया है कि अगर औरतें चुन कर न आई तो उन को co-option के जरिए ले लिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : आप औरतों के साथ क्यों झगड़ा करते हो ? (Why does the hon. Member raise a dispute with ladies?)

सामूहिक विकास मंत्री : वह इसलिए कि इनकी अपनी औरत ने आ जाना है और यह नहीं चाहते कि वह आए। इन को यह डर है।

चौधरी धर्म सिंह राठी : उसने तो आना नहीं, हां सरदार गुरबन्ता सिंह को जरूर इस बात का डर है उनकी सरदारनी न आ जाए। बहर हाल स्पीकर साहिब, इस क्लाज़ में जो इस किस्म का हक दिया गया है मैं इसकी पुर ज़ोर मुखालिफत करता हूं। मैं वज़ीर मोहतरिम से कहना चाहता हूं कि ठीक है कि वह वज़ीर हैं और हरिजन बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। क्योंकि वह वज़ीर हैं इस लिए उन को अपनी बरादरी के अलावा दूसरे लोगों का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। बेशक आप हरिजनों के लिए reservation कर दो। मैं नहीं कहता कि हरिजनों को representation न मिले लेकिन उन को उतनी representation मिलनी चाहिए जिसके वह हकदार हैं। जनाब यह जो क्लाज़ 5 है यह सारे बिल की जान है। इस co-option के जरिए आप इस बिल में से जान को ही निकाल रहे हैं। मैं वज़ीर मोहतरिम से कहूंगा कि वह इस पर फिर सोच विचार कर लें। आप पंजाब के अन्दर ऐसी फ़िज़ा पैदा न करो कि लोगों के दिलों में हरिजनों के खिलाफ एक नफरत का जज़बा पैदा हो जाए।

अगर आप किसी एक community को कोई ज्यादा weightage देंगे तो दूसरे लोगों में उस के खिलाफ जज़बा पैदा होगा । Parliament के अन्दर एक Bill आने वाला है कि आयंदा जो constituencies होंगी single होंगी double नहीं होंगी । इस से दूसरी बिरादरियों के लोग घाटे में रहेंगे । इसलिए कोई ऐसी चीज़ मत खड़ी कीजिए जिस से लोगों के दिलों में हरिजनों या non हरिजनों के लिए नफरत पैदा हो । इस clause से इस बात की बू आती है कि आप इस चीज़ को पैदा करना चाहते हैं । इन को बतौर वज़ीर के ऐसी फिजा नहीं पैदा करनी चाहिए । मैं बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने ऐसी फिज़ा पैदा की उन का क्या हशर हुआ । वह M.A., LL.B. होते हुए भी member बन के न आ सके । लोगों ने कहा कि और चाहे कोई मैम्बर बन जाए लेकिन यह न बने । मैं कहता हूँ कि अगर सरदार गुरबन्ता सिंह ऐसी फिज़ा पैदा करेंगे तो इन को भी खतरा हो जायगा । (*interruption*) काबिल जैसे यह हैं वह तो सभी जानते हैं । उस में तो शक की गुंजायश ही नहीं है । मैं उन की इज्जत करता हूँ, कद्र करता हूँ । मगर जहाँ तक इस clause का ताल्लुक है इस को amend करना चाहिए । इन अलफाज़ के साथ मैं अपनी amendment पेश करता हूँ ।। मुझे उम्मीद है वज़ीर साहिब इसे मान लेंगे ।

Mr. Speaker : Motions moved—

Delete sub -clause (1).

In sub-clause (2)(a)(i), lines 4-5, *Delete* "from amongst themselves".

In sub-clause (2)(a)(ii), lines 7—9, *delete* "from amongst the members of these Societies".

In sub-clause (2)(a)(iii), lines 4-5, *delete* "from amongst the producer members".

Delete part (I) of the proviso to sub-clause (2)(ii).

Delete sub-clause (2)(c).

In sub-clause (1)(a)(i), lines 2—5, for "by the Panches and Sarpanches of Gram Panchayats in the block from amongst themselves" *substitute* "by the Primary voters of Gram Panchayats in the block from amongst themselves".

In part (I) of the proviso to sub-clause (1)(b)(ii) line 1, *delete* "not".

In part (I) of the proviso to sub-clause (1)(b)(ii) line 2, for "but" *substitute* "and".

Chaudhari Balbir Singh (Hoshiarpur-G) : Sir, I beg to move—

In sub-clause (1)(a)(i), lines 2-3, "for the Panches and Sarpanches" *substitute* "the primary voters".

Delete part (I) of the proviso to sub-clause (1)(b)(ii);

In sub-clause (2)(a)(i), lines 2-3, for "the Panches and Sarpanches" *substitute* "the primary voters".

Delete part (I) of the proviso to sub-clause (2)(b)(ii).

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅਜ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬੀਨਟ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਅਜ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਇਨੇ ਕਢੇ ਹਨ । ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, democracy **ਦੇ ਪਹਿਲੇ, ਮਾਇਨੇ**

[ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]

ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਹਨ ਕਿ Government by the people ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ by ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ buy the people ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ pronounci-tion ਉਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ । ਇਸੇ ਤਰਾਂ democracy ਦੀ definition ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ Government for the people ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ for ਦੀ ਥਾਂ far ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿਉ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ far the people ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ democracy ਦੀ ਖੂਬੀ ਸੀ ਕਿ Government of the people ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ of ਦੇ spelling ਬਦਲ ਕੇ off ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । (ਹਾਸਾ)

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਚੋਣਾ ਸਿਧੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ । ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ Electoral College ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ through elections ਹੋਣ। ਇਹ ਇਕ ਮੁਢਲਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪੈਪਸੂ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ Electoral college ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ electoral College ਦੇ through elections ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਂਇੰਦੇ ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਤਕ ਝੰਡੇ ਹਥ ਵਿਚ ਫੜੀ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ । 140 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਆਦਮੀ ਇਨਾਂ ਦੇ ਆ ਸਕੇ ਹਨ । 136 ਆਦਮੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ । ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ direct elections ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ । ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ direct elections ਕਰਵਾ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ । ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ direct elections ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ fraud ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾ ਵਿਚ ਭੇਜਣ । ਇਧਰੋਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਦਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ masses ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ direct election ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਾਲ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ ਅਤੇ ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਇਨਹਸਾਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਨੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਿਨੇ ਇਖਤਿਆਰ Loca Self Government ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ । ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਬੋਰਡ ਇਸ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਥੇ ਮਗਰ ਮਛ ਦੇ ਅਂਸੂ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਬਹਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ । ਕੀ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਖਤਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਸੀ ? ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ । ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਕ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹਕ ਸੀ । ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜ਼ਿਲਾ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਉ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੀਆਂ ਮਯੂਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਜ ਹੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਹੈ, ਇਥੇ 16 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਕੋਈ electoral ਕਾਲਜ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 16 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 14 ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਾਣੇ ਸਨ । ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਧੀ ਚੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲਾ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਚੋਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘਟ ਆਦਮੀ ਆਉਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ । ਅਜ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 154 ਵਿਚੋਂ 130 ਮੈਂਬਰ by "ਬੋਲਟ" ਬੈਠੇ ਹਨ ਇਹ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਰਿਆਲੀ ਚੁਗ ਲਈ ਹੈ । ਕੁਝ stray cattles ਵੀ ਹਨ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੇ ? (What has the hon. Member said?)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲਦਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਏ ਹਨ....

Mr. Speaker : The hon. Member is speaking in the House. He is not speaking from the platform. He should not make the House cheap and devoid of dignity.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਨਾਬ, ਇਸ ਕਲਾਜ਼ 5 ਦੀਆਂ ਹਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਜੇਕਰ general elections ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ

[ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]

ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਕਸ਼ਤ ਖਾਂਦੇ । ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਤੌਖਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦਮ District Boards ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਸਬ ਕਲਾਜ 5 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ । ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ sub-clause ਨੂੰ discuss ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ main principles ਨਹੀਂ । (There is no mention of this matter, in sub-clause (5). The hon. Member should confine his discussion to sub-clause (5) only. He cannot discuss the main principles of the Bill at this stage.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਨੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ (5) ਤੇ ਸਾਰਾ ਬਿਲ depend ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਸ system ਨਾਲ indirect elections ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਇਕ fraud ਹੈ ਅਤੇ democracy ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ ।

Mr. Speaker : You cannot attack the principles of the Bill.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਲਾਜ ਤੇ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । Election ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਅਤੇ indirect election ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ।

28

Mr. Speaker: Attacking of basic principles of the Bill is out of order.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਰਫ ਐਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ election ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ basic principle ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ election ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ।

Mr. Speaker. The basic principle is involved in this clause.

चौधरी बारूराम : On a point of order, Sir. अर्ज़ यह है कि जो तरीका election का दिया हुआ है क्या उसे change कर सकते हैं या नहीं ?

Mr. Speaker : बिल को आप vote कर चुके हैं और Principle of election बदलना है then it needs bringing in a new Bill. (The Bill has been voted upon by the hon. Members and now if it is intended to change the system of election then it needs bringing in a new Bill.)

चौधरी बारू राम : जो primary member के चुनने का तरीका दिया हुआ है अगर हम इसे change कर सकते हैं through primary voters, then what basic principle is involved?

श्री अध्यक्ष : अगर आप primary voters लेंगे तो एक एक clause को change करना पड़ेगा । (If he takes up the case of primary voters then every clause will have to be changed.)

चौधरी बाल्रू राम : That is not the question, Sir.

Mr. Speaker : If this clause is deleted or the system of election is changed then the whole Bill will have to be changed.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ power ਨੂੰ ਉੜਾ ਕੇ Basis of the Bill ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ basis ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ । ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ system of election ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ।

Mr. Speaker : If the very principle of indirect voting is substituted by direct vote of the people, then the whole structure of the Bill will be changed.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਜੋ ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਉਹ ਯਾ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਈਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ । ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਨਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਬਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ democratic body ਨੂੰ ਚੁਨਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ change ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਿਲਾ ਝਿਝਕ ਕਹਾਂ ਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ system adopt ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ । ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੈ । ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਤਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਕਿਸੇ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ladies ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਣਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਕੂਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ rights ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਰ ਇਥੇ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹਕੂਕ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏਹਨ । ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲ ਜਾ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਬਨਣੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ vary ਕਰਨਗੇ । ਜੇ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ 19 ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਦਾ 27 ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਰੀਜਨ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ election ਰਾਹੀਂ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ co-opt ਹੋ ਕੇ ਆਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਚ discrimination ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ।

Mr. Speaker : Motions moved—

In sub-clause (1)(a)(i), lines 2—3, for "the Panches and Sarpanches" *substitute* "the primary voters".

Delete part (I) of the proviso to sub-clause (1)(b)(ii).

[Mr. Speaker]

In sub-clause (2)(a)(i), lines 2-3, for "the Panches and Sarpanches" *substitute* "the primary voters".

Delete part (I) of the proviso to sub-clause (2)(b)(ii).

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : (ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਜਨਰਲ) ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਦਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਦਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੂਲਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ views express ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਹੋਰ ਕੋਈ direct motives ਨਾ ਲਿਆਓ। (The hon. Member may express his views. He need not bring in direct motives.)

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ views express ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ indirect votings ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ to the extent of 3rd distillation ਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਬੜੀ ਭਾਰੀ discrepancy ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਚੋਣ ਦੇ ਹਕ ਅਵਾਮ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ election ਇਕ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰੀਸ਼ਦ ਜਾਂ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ 1. (i) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਏਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ :—

1. "(i) eight members from every block in the tahsil, by the Panches and Sarpanches of Gram Panchayats in the block from amongst themselves."

ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੁਣੀ ਜਾਂਣੀ ਹੈ ਫੇਰ ਸੰਮਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ indirect method ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਆ ਕੇ ਏਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਵਾਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰਜ਼ ਪੰਚ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਮ ਤੋਂ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ Electoral Colleges ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਤਨਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ। ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਕ ਵਾਰੀ primary voters ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈ ਲਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਉਸ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦੇਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੰਚ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗਾਉ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਥੋਂ ਦੀ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਔਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ primary voters ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼. ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬਗੈਰ ਪੰਚ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਵਗੈਰਾ ਦੇ Associate Member ਹੋਣਗੇ ਮਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਬਲਾਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਜੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਛੁਟੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਿਰ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Senate ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਖੂੰਜੇ ਵਿਚ ਬੈਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਸਮਝੋ ਮਗਰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਦਿਉ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀ. ਏ. ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ।

ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਨਹੀਂ ਜੀ, ਟੀ. ਏ. ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਖੈਰ ਟੀ. ਏ. ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਗਰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿਚ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਮਗਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਿਰ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟੀਆਂ ਮਾਰ

[ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ]

ਮਾਰ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਮੈਂ ਇਹ ਦੋ ਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮਨਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ।

चौधरी बारू राम (राजौन्द) : स्पीकर साहिब, यह जो क्लाज़ है जहां तक पंचायत समिति का ताल्लुक है यह उस की जान है। जहां तक indirect election का ताल्लुक है इस के बारे में मैं कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता। लेकिन एक चीज थी जो राठी साहिब ने फरमाई थी कि एक forward तबके को ज्यादा से ज्यादा representation देने के लिए यह एक अच्छा तरीका है। फर्ज़ करें कोई हरिजन या औरत इलैक्शन से नहीं आ सकतीं तो उन्हें बाद में co-option के ज़रिए ले आएंगे। मैं कहता हूँ कि जब आपने ग्राम पंचायत ऐक्ट पास किया है जिस में कि हरिजनों के लिए reservation है कि इतने फी सदी आबादी होगी तो एक होगा और इतने से ज्यादा होगी तो दो होंगे तो वही प्रिंसिपल यहां पर भी लागू किया जा सकता था। मैं समझता हूं कि हरिजनों के लिए co-option की provision रख कर ये कान को टेढ़े तरीके से पकड़ना चाहते हैं। स्पीकर साहिब, मुझे अच्छी तरह से इल्म है कि मास्टर जी ज़िला करनाल के अन्दर गए तो उन्होंने वहां के Welfare Officer और हरिजनों के साथ सलाह की कि किस तरह से पंचायतों के अन्दर ज्यादा से ज्यादा हरिजनों को लाया जाय। आज वही तरीका यहां पर लागू किया गया है। जहां तक reservation का ताल्लुक है या हरिजनों को representation देने का ताल्लुक है मुझे इस बात में कतई इख्तलाफ नहीं लेकिन गलत तरीके से representation नहीं देनी चाहिए। आप देखते हैं कि 11 प्राइमरी मेम्बर होंगे जिन में से 4 हरिजन co-opt होंगे और दो औरतें। यानी 11 के मुकाबले में आपने 6 को co opt कर दिया। वह 8 कहां से आएंगे—उन के votes से यानी हरिजन पंचों और सरपंचों की votes से। क्या वे vote न देंगे। फर्ज़ कीजिए हरिजन नहीं आते लेकिन आप का अख्तियार है कि co-option से 4 हरिजन बना दें। सरकार यहां पर number fix करना चाहती है पंचायत समितियों में और यह यह भी चाहते हैं कि यह number fluctuating हो।

5-00 p.m.

सामूहिक विकास मंत्री : हरिजन 4 से ज्यादा किस तरह आ जाएंगे ?

चौधरी बारू राम : स्पीकर साहिब, वज़ीर साहिब न अगर समझ पाएं तो मैं क्या कर सकता हूं। मैं नहीं कहता कि हरिजन चार से ज्यादा हों लेकिन आप जब इन को reservation देना चाहते हैं तो सीधे हाथ से दें अगर आप इस के मुताबिक primary members बनाते तो भी आप दो तीन या चार reserve कर दें जैसे आप ने Gram Panchayat Act के तहत किया हुआ है। अगर किसी गांव में हरिजनों की 10 फीसदी आबादी है तो एक लाज़मन चुनना पड़ेगा। अगर आबादी 20 फीसदी है तो लाज़मन दो मैम्बर ज़रूर आयेंगे। अगर हरिजन panches होंगे then they must vote for them. हमारी सरकार अपने लिये इस तरह से ज्यादा से ज्यादा seats हासिल करना चाहती है।

स्पीकर साहिब, दूसरी चीज़ है औरतों की cooption की। हमारे विधान के तहत किसी भी आदमी या औरत के लिए election लड़ने की कोई bar नहीं। अगर अब औरत असैम्बली और पार्लियामैण्ट में general election लड़ कर आ सकती है तो मुझे समझ नहीं आता कि वहां पर कौन सी दिक्कत पेश आती है। मान लिया जाए कि थोड़ी बहुत अड़चनें हैं कि औरतों को इन bodies में लोग नहीं आने देते लेकिन आप constitution के खिलाफ discrimination on grounds of sex कैसे कर सकते हैं। इस के अलावा आप ने cooption कर दिया। लेकिन उन coopted members को right of vote किस असूल के मुताबिक देना चाहते हैं। अगर मास्टर जी हमें इस बात पर convince कर दें तो हम उन के साथ इस बिल को पास करने के लिए vote देंगे अगर वह convince नहीं कर सकते तो किसी तरह समझा दें ताकि इस बात की clarification हो जाए।

इस के अलावा, स्पीकर साहिब, मैं Associate Members की तरफ इस हाउस का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वैसे तो मेरे फाज़िल दोस्तों ने कह दिया है कि Legislators को associate members बनाने का इरादा है।

मैं कहता हूं कि यह direct insult है। अगर आप उन के सलाह-मश्विरे की ज़रूरत नहीं समझते तो उन्हें election से आ जाने दो। इधर आप चाहते हैं सलाह और मश्विरा लेना भी वह भी चाहते हैं कि सलाह मश्विरा दें जैसे co-opted members को right of vote देना चाहते हैं। दूसरे primary members वहां पर दिखाई नहीं पड़ते। उन के साथ discremination क्यों हो? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में legislators नुमायेंदे बनाए गए हैं और उन्हें सलाह- कार बनाया गया है। मैं तो इस में बेइज़ती समझता हूं कि जब एक मामूली अफसर कह देता है कि आप की सलाह की ज़रूरत नहीं क्योंकि उन के पास vote तो है नहीं। इस सलाह और मश्विरे का फायदा क्या है, ऐसे associate member बनने का क्या लाभ? इस से बेहतर है कि आप legislators को बिल्कुल शामिल न करें।

श्री मंगल सेन (रोहतक) : पंचायत समिति और ज़िला परिषद् की धारा 5 पर हाउस विचार कर रहा है। Opposition के चार hon. Members ने बड़े कीमती सुझाव और amendments दी हैं। आप जानते है कि Treasury Benches पर बैठने वाले हमारे फाज़िल मिनिस्टरों की आदत हो गई है कि कोई भी अच्छी से अच्छी बात क्यों न कही जाए वह मानते ही नहीं और ये समझते हैं कि उन की brute majority होने के कारण वह हमारी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं। हमारी सरकार ज़िला परिषद् और पंचायत समितियां और ग्राम सभाएं बनाने की व्यवस्था करने चली है। विधान के अनुसार उस के पीछे अभिप्राय समझना चाहिए। अभिप्राय यह है कि सरकार एक कुनबा या एक शख्स या किसी टोले की सरकार नहीं यह जनता की सरकार है। इस के भविष्य को बनाने और बिगाड़ने का उत्तरदायित्व जनता पर है। विधान के अनुसार हर 21 साल के बालिग़ को अधिकार दिया गया है कि वह विधान सभा और लोक सभा में अपने प्रतिनिधि चुन कर भेजे और वे प्रतिनिधि पांच वर्ष तक देश का शासन चलाएं। भारत के विधान ने 21 साल

[श्री मंगल सेन]

के बालिग़ को जो भारत का नागरिक है vote देने का अधिकार दिया है तो मुझे समझ नहीं आती कि पंचायत समितियां और ज़िला परिषद् बनाते वक्त पंजाब सरकार क्यों लोगों के fundamental rights पर आक्रमण करना चाहती है।

स्पीकर साहिब, इस में से आज बदबू आती है कि ruling party का मनशा ऐसा है कि उन के एमालों से जन-साधारण और नागरिक परेशान हो चुके हैं।

जनता इन के कामों से बिल्कुल बदज़न हो चुकी है। जनता के गाढ़े पसीने की कमाई जब इस प्रकार फज़ूलखर्ची में बरबाद की जाती है तो उस को रंज होता है। लोग मौके की तलाश में रहते हैं कि किसी तरह से गवर्नमेंट को शिक्षा दी जाए, किसी तरह से इस को राहे रास्त पर लाया जाए। लोग अवसर देखते रहते हैं........

(At this stage Mr. Deputy Speaker occupied the chair.)

(Interruptions)

पंजाब की जनता इस सरकार से बिल्कुल बदज़न हो चुकी है। लोग कहते हैं कि उन्हें अधिकार है......

Sardar Umrao Singh : The hon. Member is speaking quite irrelevant.

(Interruptions)

Mr. Deputy Speaker : Order, please.

श्री मंगल सेन : मैं कहना चाहता हूं कि citizens से vote का अधिकार छीन कर चन्द आदमियों के हाथ में देना आम जनता के साथ धोखा करने वाली बात है। उन के साथ ज्यादती है। इस सदन में जो माननीय सदस्य इधर बैठे हुए हैं वे अवाम की भावनाओं की representation करना चाहते हैं। लेकिन जो सदस्यगण Treasury Benches पर बैठे हुए हैं वे अवाम की भावनाओं का आदर नहीं करते। उन्हें चाहिए कि अवाम को बचाएं और इस कानून को लागू न होने दें। इस में जो यह provision की गई है कि पंच और सरपंच ही ब्लाक समितियों के लिए मेम्बर हो सकेंगे, इस को हटाना चाहिए। उस ब्लाक में जो गांव शामिल हैं, उन में जिन voters की list बनी हुई है, जिन को वोट का अधिकार है उन सब को इस के लिए भी vote देने का अधिकार होना चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहिब, आप जानते हैं कि Marketing Committee के मेम्बर किस तरह से चुने जाते हैं। वहां इस से भी worst position है। वह कैसे? वह इस तरह कि Market Committee के department के incharge Minister हैं, वे अपने आदमियों को ....

Mr. Deputy Speaker : Has the hon. Member given an amendment?

श्री मंगल सेन : मैं जनाब clause पर बोल रहा हूं। जो पैदा करने वाला है हमें उस के खिलाफ गिला नहीं है। लेकिन हमारी सरकार एक तरफ तो यह कहती है कि हम fissiparous tendencies को कुचल कर रख देंगे, food पैदा करने वाले को सुर्खाब का पर लगा देंगे, यह करेंगे और वह करेंगे और दूसरी तरफ.....

Mr. Deputy Speaker : Order, please.

श्री मंगल सेन : इन के चुनने का तरीका आप जानते हैं । मैं कहता हूं कि इन को इस clause को withdraw कर लेना चाहिए । यह ठीक है कि इस clause को बदलने के लिए बिल के सारे structure को बदलना पड़ेगा । लेकिन महात्मा गांधी, जिन के पैरोकार होने का यह दावा करते हैं, मैं नहीं जानता कि ये हैं या नहीं, यह आप जानते होंगे, कहा करते थे कि चाहे नुकसान ही हो लेकिन सचाई पर चलने से संकोच नहीं करना चाहिए। Associate Members के बारे में कहा गया है कि उनमें M.L.A.s और M.L.C.s भी शामिल होंगे, लेकिन उन को vote देने का अधिकार नहीं होगा । वे अपने चुनाव क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, लाखों आदमियों की नुमायंदगी करते हैं इस हाउस में लेकिन छोटी सी समिति में भाषण तो ज़ोरदार दे सकते हैं, भरपेट भाषण दे सकते हैं लेकिन अपनी बात मनवाने के लए वोट नहीं दे सकते इस सदन की इतनी बड़ी डिगनिटी है, इतना बड़ा डेकोरम है और ऐसे सदन के वे मैम्बर हैं लेकिन उन को वहां पर वोट देने का अधिकार नहीं होगा, उन माननीय सदस्यों का मान रखने के लिए उन को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए । यह उन का ही मान नहीं होगा बल्कि उस जनता का मान होगा जिस ने उन को चुन कर इस हाउस में भेजा है या विधान परिषद् में भेजा है । आप ने कोआपटिड मेम्बर महिलाओं के बारे में भी सुन लिया है... (घंटी की आवाज़) जनाब, मैं relevant बोल रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : यह फैसला आपने नहीं करना बल्कि मैंने करना है । (This is to be determined by the chair and not by the hon. Member.)

श्री मंगल सेन : आप कह देंगे तो मैं मानूंगा तो ज़रूर लेकिन आप गलत कहेंगे तो मैं कह दूंगा कि आप गलत कह रहे हैं ।

Mr. Deputy Speaker : The hon. Member should withdraw these words.

श्री मंगल सेन : मैं जनाब वापस लेता हूं । मैं अर्ज़ कर रहा हूं कि scheduled caste महिलाओं की कोआपशन के बारे में जो provision इस बिल में की है हमारे विचार में यह इसलिये की है कि यह हर हालत में जनता पर गालिब होना चाहते हैं । जनता में इस चीज़ का बहुत भारी विरोध होगा । जहां पर ये समझते हैं कि जनता इनकी बात को resent करेगी वहां पर ये ऐसे कानून बना कर उन को शिकंजे में जकड़ना चाहते हैं । हम जानते हैं कि वज़ीर साहिब हमारी बात का जवाब नहीं दे सकते । वे उठेंगे तो कहेंगे कि देहात वालों को नुमायंदगी देना चाहते हैं ! उन के दिमाग के अन्दर देहात और शहर का ऐसा भूत घुसा हुआ है कि हर बात में अपनी brute majority के ज़ोर से अपनी ही बात मनवाने पर ज़ोर देते हैं । उस दिन कामरेड राम चन्द्र ने Hindi Regional Committee की मीटिंग में बोलते हुए brute majority का शब्द प्रयोग किया तो मुझे रंज हुआ । इस के लिए मैं उचित शब्द तलाश कर रहा था । मैं कहता हूं कि न सिर्फ brute majority बल्कि............

* * * * * *

*Expunged as ordered by the Chair.

* * * * * *

---

*Expunged as ordered by the Chair.

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow such an irrelevant speech. एक तरफ आप कहते हैं कि मैं यह अलफाज वापस लेता हूं और दूसरी तरफ आप फिर वही शब्द इस्तेमाल करते हैं। The word 'corrupt' used in relation to the Members is unparliamentary. It will not form part of the debate. It will be expunged. (I will not allow such an irrelevant speech. On the one hand the hon. Member says that he withdraws this word and on the other he again uses it. The word 'corrupt' used in relation to the Members is unparliamentary. It will not form part of the debate. It will be expunged.)

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ (ਨਕੋਦਰ 'ਜਨਰਲ') : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਨੰ: 5 ਤੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਤੇ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਰੂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ indirect election ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ interest ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ।

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਲੱਕ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਿਲ ਬੜੀ ਅੈਹਮੀਅਤ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਾਠੀ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਬਹੁਤ ਗਲਤ notion ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ....

श्री उपाध्यक्ष : यह जो hon. Member की तरफ से नाम लेकर बातें की जाती हैं यह ठीक तरीका नहीं। House में यह अच्छी practice नहीं। आप arguments का लफज इस्तेमाल कर सकते हैं कि फलां argument ठीक है या नहीं लेकिन इस तरह से directly मेम्बर साहिबान का नाम लेना मुनासिब नहीं। (It is not desirable to refer to the hon. Members by name during the course of speeches. It is not a healthy practice to be followed in the House. The hon. Members can refer to arguments of others and speak in favour or against them, but it is not in good taste to refer directly to the hon. Members by name.)

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ Indirect election ਦੀ provision ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ undemocratic ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ Democracy ਨੂੰ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਖਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਕਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ elections ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਬਿਲ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਔਰ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ । ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ । ਹਾਲੇ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ elections ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹਿਸੀਲ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਔਰ ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਤੀਆਂ ਦੀ elections ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੁਲੀ ਛੁਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ election ਲੜ ਲੈਣ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀ election ਲੜਨ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ । ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਗਲਤ ਫੈਹਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ bodies ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੜੀ ਚੌਧਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਗਲਤ notion ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੌਧਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਸੰਮਤੀਆਂ ਹਨ ! ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਦੁਰੁਸਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਉਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੁਰੁਸਤ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਜੋ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕੱਲੀ ਅਕੱਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਅਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਕ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਕ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਮਤਲਬ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਕੋਈ ਚੌਧਰਪੰਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਮਤਲਬ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ develop ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ 43 clause ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ clause ਵਿਚ powers ਦਾ ਕਿਥੇ ਵੀ ਲਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆਂ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕੀ powers ਹੋਣਗੀਆਂ । ਇਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ duties ਦਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ duties ਕੀ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ direct ਜਾਂ indirect elections ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 95 per cent ਅਨਪੜ੍ਹ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ । ਇਹ ਤਾਂ

[ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ]

ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਘੱਲੀਏ ਅਸੀਂ ਜਦ ਤਕ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤਕ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਘੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ । ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੌਧਰੀ ਪੁਣਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦੋ ਤਿਨ ਲਫਜ਼ co-option ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ co-opt ਕਰਨ ਦੀ power ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹਰੀਜਨ ਜੋ ਹਨ ਜਾਂ ladies ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਏਗੀ । ਪਰ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ co-opt ਕਰਨ ਦੀ power ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ । Clause 16 ਵਿਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ primary ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਹਰੀਜਨ ਜਾਂ ladies ਨੂੰ co-opt ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤਦ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਦਾਦ ਚੁਣੀ ਕੇ ਨਾ ਆਏਗੀ । ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਰੀਜਨਾਂ ਜਾਂ ladies ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਦ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਹਨ, ਜੇਕਰ co-option ਦਾ ਅਧੀਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਡੀ ਗੱਲ democratic ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ representation election ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ co-opt ਕਰਕੇ representation ਦੇ ਸਕਣ । ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । Clause 16 ਵਿਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ primary ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਉਹ ਹਰੀਜਨਾਂ ਤੇ ladies ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ co-opt ਕਰਨ । ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ....(ਘੰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼)

श्री उपाध्यक्ष : यह clause by clause discussion की stage है । आप इसे third reading stage बना कर सब कुछ कह जाना चाहते हैं, यह clause की discussion के scope के बाहिर है । आप अपने आप को इसी clause तक confine रखें । (This is the stage for discussion of the Bill clause by clause. The hon. Member wants to convert it into a third reading stage and express whatever he has in his mind. This is outside the scope of the discussion of this clause. He should please confine himself to this clause only.)

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ clause ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਵਾਂ ।

श्री उपाध्यक्ष : आप एक ही point को बार २ repeat कर रहे हैं। जो कुछ एक point पर कहना हो एक ही बार कह लें; बार २ repeat न करें। (The hon. Member is repeating his point again and again. He should express himself only once on each point and avoid repetition.)

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਫਿਰ ਇਕ ਸਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ vote ਦੇਣ ਦਾ ਅਧੀਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ meetings ਕਿਵੇਂ attend ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜ meetings ਵੀ attend ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Market Committee ਦੇ ਮੁਤਲੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ Market Committee ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬੜਾ undemocratic ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ democratic step ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ Assembly ਨੇ Agricultural Produce Markets Bill ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ Market Committees ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।

Mr. Deputy Speaker : Order please. The hon. Member is not relevant. आप Marketing Committees के मेंबरों का हवाला देकर सारे बिल पर बोल रहे हैं। मैं इस की इजाज़त नहीं देता। [Oder please. While referring to the members of Marketing Committees, the hon. Member is speaking on the whole Bill. I do not permit this.]

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Market Committees ਦੇ representatives ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਉ ਕਿ ਇਹ Market Committees ਬਾਰੇ 22 ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ speech ਕਰਨ।

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚੋਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬਲਾਕ ਸਮਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨਗੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ Market ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਤੀ ਦਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਨਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਰੁਪਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਇਕ undemocratic ਬਿਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲੱਕ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬੀਬੀਆਂ co-opt ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਬੀਬੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਵੱਲ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਹੀ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ primary ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਚੁਣ ਲੈਣਗੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ co-opt ਕਰਨ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੀ co-opt ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਕ ਹਾਸਲ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਹ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ ਔਰ ਬਲਾਕ ਸਮਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਸਕਣ।

राओ गजराज सिंह : गुड़गांव डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं शायद न बोलता मगर एक बात सुनी है तो मैंने भी चन्द अलफाज़ इन के गोशगुज़ार करना मुनासिब समझा है। इन rural bodies को सेवा समितियों का नाम दिया गया। मैं वज़ीर साहिब से दरखास्त करूंगा कि वह बताएं कि क्या यह local bodies हैं या सेवासमितियों के तरीके पर बनाई गई हैं। अगर यह सेवा समितियां ही हैं तो फिर इनकी क्या ज़रूरत थी। सेवा भाव से काम करने वाली तो और bodies भी हैं। मैं निहायत मुअदबाना अर्ज़ करूंगा कि वह फिर इस को देखें, फिर से गौर करें। एक वक्त था कि कांग्रेस movement चली, लोगों को politics की training मिली। अब इस किस्म की training की grounds यह rural local bodies ही होंगी। यह लोगों को useful citizens बनाने का काम करेंगी, तो जो इन की खराबियां या नुक्स हैं उन को दूर करने के लिए बड़ी हमदर्दी और पूरी जिम्मेदारी से सोचने की ज़रूरत है। District Boards पर नुक्ताचीनी होती थी कि उन में nominated अनसर ज्यादा है, अफसरान ज्यादा हैं। वह तो कम हो गया मगर अब एक और ही अनसर और बहुत ज्यादा तादाद में indirect elections से पैदा होगा। इस की वजह से वह bodies civic sense में देहातियों की नुमायंदा bodies तो नहीं रहेंगी, कुछ और ही होंगी। यह कहते हैं यह देहातियों की सेवा करेंगी मगर कैसे यह समझ नहीं आती। फिर Market Committees अपने नुमायंदे भेजेंगी। मैं अर्ज़ करूं कि हालांकि गांव वाले 90 प्रति शत taxes octroi वगैरह की शक्ल में शहरों को देते हैं मगर वह कमेटियों के मैम्बर नहीं बन सकते लेकिन Market Committees, जिन में शहरी व्यापारियों के नुमायंदे

होंगे वह rural bodies में अपने नुमायंदे भेजेंगी जो votes दे सकेंगे। यह कहां तक justified बात है इस पर गौर फरमाएं वरना इस से confusion होगा। इस में सिर्फ देहाती मैम्बर ही vote दे सकें ऐसा provision होना चाहिए।

चौधरी धर्म सिंह राठी : यह already हो चुका है।

राम्रो गजराज सिंह : राठी साहिब ने जो information दी है वह मैं ठीक मान लेता हूँ।

एक और सही चीज़ है, जो वज़ीर साहिब के भी notice में है, इस का जिक्र करता हूँ। एक Assistant Director ने एक आदमी को नाजायज़ तौर पर पंचायत से हटा दिया। वज़ीर साहिब ने file देख कर कहा कि यह गलत order है और set aside कर दिया। छः महीने हो गए हैं मगर वह Assistant Director कहता है मैंने हुक्म सही दिया है.....

श्री उपाध्यक्ष : यह आप किस sub-clause के बारे में कह रहे हैं ? Which sub-clause the hon. Member is referring to) ?

राम्रो गजराज सिंह : मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि पंचों को बिला वजह हटा दिया जाता है जैसे कि रेवाड़ी में वे cent per cent हटा दिए गए।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो इस में नहीं है। (This is not relevent to the clause under discussion).

राम्रो गजराज सिंह : पंचों को अगर हटा दिया जाए तो वह elections में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। हालत यह है कि कई जगह तमाम के तमाम पंचों को हटा दिया जाता है। ऐसा भी हुआ कि High Court ने कहा कि यह नाजायज़ हटाए गए हैं मगर बावजूद इस बात के उन को दो बारा charge नहीं दिया गया। इस तरह से पंचायतों के साथ मज़ाक हो रहा है। एक Assistant Director दुश्मनी की वजह से उस इलाके के लोगों को बनने नहीं देता। इस तरह तो लोगों के सही नुमायंदे आ ही नहीं सकेंगे, वह किसी political body के मैम्बर नहीं बन पाएंगे और वह इस ज़रूरी training से महरूम रह जायेंगे। यह training और काम इन्हीं bodies के ज़रिए होंगे, revolution के दिन तो गए। मुझे यह कहना पड़ा है कि rural local bodies खत्म की जा रही हैं इस लिए कि इन को सेवा-समितियां कहा जा रहा है। वज़ीर साहिब इस बात को साफ करें कि आया यह local bodies हैं या सेवा समितियां हैं। मैं कहता हूँ कि उन को सारे rights होने चाहिएं क्योंकि वह local bodies हैं। उन को कोई और शक्ल न दो। इस में amendments तो कभी भी हो सकती हैं। अगर आप इन को सेवा समितियों का नाम देते हैं तो देहातियों दे कह के कि तुम्हारी कोई local bodies नहीं हैं।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ (ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਖਣ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜੋ ਕਲਾਜ਼ 5 ਹੈ ਇਹ Bill ਦੀ main clause ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਬਿਲ ਇਸਤੇ ਹੀ constitute ਕਰਦਾ ਹੈ।

Mr. Deputy Speaker. Pleasetry to be strictly relevant.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਜੋ elections ਸੰਮਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਪੰਚ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਜੋ Constitution ਹੈ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ provision ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ Assembly ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ Parliament ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ Municipal Committee ਦੀਆਂ ਜਾਂ local body ਦੀਆਂ adult franchise ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਰ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪੰਚ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕੇਵਲ ਪੰਚ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਵਿਚ local bodies ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ । ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਫ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੌਨਸਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਵੋਟਰ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਹਰਿਕ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਖਲੋਣ ਦੀ ਜਾਂ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਥੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੈ । ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਯਾ ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਹੋਣਗੇ । ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਿਉਂਸੀਪੈਲਟੀਜ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਵੋਟਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ anomally ਹੈ ।

ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Members of the Assembly ਯਾ Council ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤਜੁਰਬਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਕਤਰਤਾ ਵਿਚ ਬਗੈਰ ਵੋਟ ਤੋਂ ਬੈਠਾਈ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ । ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਉਥੇ ਤਾਂ ਰਾਏ ਮਹਿਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ advice ਬੇਮਆਇਨੀ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "as the Government may by order specify" Assembly ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ Council ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ specify

ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਮਹਿਜ਼ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਇਕ anomally ਹੈ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ 4 ਹਰੀਜਨ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਦੇ coopt ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ provision ਹੈ । ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਰੀਜਨ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਲਈ reservation ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। Reservation ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਚਾਰ ਬੰਦੇ Backward classes ਦੇ ਲੈਣੇ ਹਨ । ਜੇ ਕਲਾਜ਼ 5 (ii) ਦੀ (a) ਜਾਂ (b) ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਚਾਰ coopt ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਜੇ ਤਿੰਨ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਕ co-opted ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਦੋ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੋ co-opted ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਤਿੰਨ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਕ co-opted ਹੋਵੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ misuse ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਮੈਂਬਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ......

ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਤੇ protest ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਮੈਂਬਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ । ਇਹ ਲਫਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਸਾਡੇ character ਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਅੱਕਲੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਹਰ ਕੌਮ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਸਾਡੇ character ਦਾ । ਮੈਂ ਅਕੱਲੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਅਜ ਹਰ ਇਕ ਕੌਮ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਏਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ provision ਵੀ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ । ਮੇਰਾ ਹਰੀਜਨ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ । (*Interruption*)

ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ । ਹਰ ਇਕ ਪਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਵਿਚੋਂ 5 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਮਤੀ ਬਲਾਕ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਇਕ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ 5 ਹੀ ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਥਾਈਂ 4-5 ਬਲਾਕ ਮਿਲਾਕੇ ਇਕ ਤਹਿਸੀਲ constitute ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚਾਰ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ । ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ । ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਅਸੂਲ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਦੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਨੁਕਸ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅੰਤ ਵਿਚ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ: ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Legislators ਨੂੰ associated ਮੈਂਬਰਜ਼ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ । ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੀ ਕਦਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਫਬਦੀ । ਇਉਂ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : (ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹਾਂ ।

ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਡਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ election ਲੜੋ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿਤੇ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਕ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸਦ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼, ਦੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30—30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਜੇ ਹਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਛਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਉਥੇ ਜਾਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ । ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਖ ਲੱਖ, ਡੇਢ ਡੇਢ ਲੱਖ ਵੋਟਰਜ਼ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਕਿ ਇਹ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨ ਲਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ 18 ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣ । ਦੂਸਰਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਹਕ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੀਜਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ politically ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹਨ । ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚੋਂ ਕਢ ਛੱਡੋ । ਹਰੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਕੋਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ weaker sections

ਹਨ ਔਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦਬੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ elect ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਮਗਰ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆ ਸਕਣ ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਟ ਕਰਨ ਦਾ provision ਅਸੀਂ ਰਖਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਆਸ ਰਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਤੀ ਵਿਚ ਚਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜ ਯਾ ਛੇ elect ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਈਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ reservation ਕਰ ਦਿਉ ।

ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ reservation ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰੋਵੀਜ਼ਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਰੋਅਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹਰੀਜਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋ-ਆਪਟ ਕਰ ਸਕੀਏ । ਮੇਰੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਚਾਲ ਹੈ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲੈਣ ਦੀ । ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਹੈ । ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋ-ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ । ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪੋਸ਼ੀਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਇਕ ਔਰਤ ਪੰਚ ਹੋਵੇਗੀ । ਜੇ ਇਕ ਸਮਤੀ ਦੀਆਂ 100 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੌ ਵੋਟ ਹੋਣਗੇ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤ 50 ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਈਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਤੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋ-ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰਖਿਆ ਹੈ । ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਆਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ producer ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਈਟੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ provision ਹੈ । ਜੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਈਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ । ਮੇਰੇ ਕਈ ਦੋਸਤ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਕਾਲਤ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਈਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਹਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ । ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਈਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਚਾਹੇ ਜਿਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ।

[ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਮੇਰੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਆਦਮੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਈਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਹਨ ਔਰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ । ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਥੇ ਵੋਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ । ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ information ਕਿਥੋਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬਾਹਿਰ ਦਾ ਆਦਮੀ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ! ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਲਿਖੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ ਔਰ ਫਿਰ ਸਮਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੰਗਾ ਚਲੇਗਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰਖੋ ਤਾਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਉਚਾ ਕਰ ਸਕੋ । ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ ਔਰ ਫੇਰ ਸਮਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ । ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ਕ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ । ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ । ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਨ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਉ । ਇਕ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਮਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸੰਮਤੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾਮ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਤੀਆਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਲੋਕਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ । ਉਹ ਰੋਅਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਾਕਮਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ । ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਰਦੇ ਸੀ । ਅਜ ਕਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ । ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀੜਾ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

ਹੈ । ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੁਹੂਮ ਕਰੋ ।

6. 00 p.m, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ democracy ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸੰਮਤੀ,ਅਸੈਂਬਲੀ, ਸਭਾ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹਾਕਮ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸਦੀ ਜਨਤਾ ਹਾਕਮ ਹੈ । ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਹਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਜੋ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਦਾਰੀ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।

ਫ਼ਿਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਵਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ । ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਰੂਲਜ਼ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ local bodies ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਛ ਗਿਛ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜੇ ਕਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਮਿਨਤਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਓਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਗਏ । ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ । ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਲਾਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ amendments ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

Delete sub-clause (1).

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

In sub-clause (2) (a)(i), lines 4-5, *delete* "from amongst themselves".

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

In sub-clause (2)(a)(ii), lines 7—9, *delete* "from amongst the members of these Societies".

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

In sub-clause (2)(a)(iii), lines 4-5, *delete* "from amongst the producer members".

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

Delete Part (I) of the proviso to sub-clause (2)(ii).

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

Delete sub-clause (2)(c).

The motion was lost.

Mr Deputy Speaker : Question is—

In sub-clause (1)(a)(i), lines 2—5, *for* 'by the Panches and Sarpanches of Gram Panchayats in the block from amongst themselves" *substitute* "by the primary voters of Gram Panchayats in the block from amongst themselves."

The Assembly then divided.

Ayes .. 12
Noes .. 42

The motion was declared lost.

AYES

1. Balbir Singh, Chaudhri.
2. Baru Ram, Chaudhari.
3. Bhag Singh, Dr.
4. Bhala Ram, Shri.
5. Dharam Singh Rathi, Chaudhri.
6. Hukam Singh, Shri.
7. Inder Singh, Chaudhri
8. Jangir Singh, Comrade.
9. Karam Chand, Shri.
10. Nanhu Ram, Shri.
11. Ram Kishan Bharolian, Pandit.
12. Sahi Ram Bishnoi, Chaudhri.

NOES

1. Abhai Singh, Shri.
2. Ajmer Singh, Sardar.
3. Baloo Ram, Shri.
4. Balwant Singh, Sardar.
5. Bhag Singh, Sardar (Ludhiana).
6. Bhagirath Lall Sastri, Pandit.
7. Bakhtawar Singh, Rai Gyani.
8. Chambel Singh, Chaudhri.
9. Chanda Singh, Sardar.
10. Charan Singh, Sardar.
11. Dasondha Singh, Chaudhari.
12. Gorakh Nath, Shri.
13. Hans Raj Sharma, Shri.
14. Harbans Lal, Shri.
15. Harbhagwan Maudgil, Shri.
16. Harcharan Singh, Sardar.
17. Jagat Ram, Shri.
18. Jagdish Chand, Shri.
19. Kartar Singh, Gyani.
20. Kirpal Singh, Sardar.
21. Krishna Sethi, Shrimati.
22. Lahri Singh, Chaudhri.
23. Mehar Singh, Thakur.
24. Niranjan Singh Talib, Sardar.
25. Parma Nand, Dr.
26. Partap Singh, Bakshi.
27. Partap Singh Kairon, Sardar.
28. Pritam Singh Sahoke, Sardar.
29. Radha Krishan, Chaudhri.
30. Rala Ram, Shri.
31. Devi Lal, Chaudhri.
32. Ram Dyal Singh, Sardar.
33. Ram Parkash, Shri.
34. Rup Singh "Phul", Shri.
35. Sadhu Ram, Chaudhri.
36. Sant Ram, Shri.
37. Shri Krishan Shastri, Shri.
38. Sohan Singh, Sardar.
39. Sumer Singh, Shri.
40. Sunder Singh, Chaudhri.
41. Teja Singh, Subedar.
42. Umrao Singh, Shri.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

In part (I) of the proviso to sub-clause (1)(b)(ii), line 1, *delete* "rot".

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

In part (I) of the proviso to sub-clause (1)(b)(ii), line 2, for "but" *substitute* "and".

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

In sub-clause (1)(a)(i), lines 2-3, *for* "the Panches and Sarpanches" *substitute* "the primary voters".

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

Delete part (I) of the proviso to sub-clause (1)(b)(ii)

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

In sub-clause (2)(a)(i), lines 2-3, *for* "the Panches and Sarpanches" *substitute.* "the primary voters."

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

Delete part (I) of the proviso to sub-clause (2)(b)(ii).

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 5, as reported by the Regional Committees, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 6

Chaudhri Balbir Singh (Hoshiarpur-G): Sir, I beg to move—

In sub-clause (f), line 3, between "State" and ";" *insert* "or Lok Sabha";

In sub-clause (i), line 7, *for* "one year" *substitute* "six months".

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, disqualifications ਲਈ ਮੈਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲ ਵਿਚ ਇਹ ਰਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ State Legislature ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ disqualify ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ elect ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ! ਮੈਂ ਇਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ

[Chaudhri Balbir Singh]

ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ Representation of the Peoples Act ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ disqualify ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੀ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਕਈ ਅਜਿਹੇ M.L.As. ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ petitions ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ disqualify ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ State Legislature ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ Representation of the Peoples Act ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ disqualify ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ election ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕੇ ।

> "6(i) has at any time, within five years from the date specified for the nomination of candidates, been serving a sentence of imprisonment for an offence involving moral turpitude for not less than one year."

ਦੂਸਰੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ one year ਦੀ ਬਜਾਏ six months ਕੀਤਾ ਜਾਏ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕੁਛ ਐਸੇ ਲੋਕ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਰਹੇ । ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਣਦੇ ਆਏ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਾਲ ਨਾਮਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਏਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ । ਇਸ sub clause ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟ ਸਮੇਂ ਲਈ moral turpitude ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਕੈਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਈ । Moral turpitude ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ, rape ਦੇ cases ਵਿਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ cases ਵਿਚ ਛੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ rape ਦੇ case ਵਾਲਾ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ । ਏਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ cases ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੈਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਲੋਗ election ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ । ਮੇਰੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਖੜੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਹਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ।

Mr. Deputy Speaker : Motions moved—

In sub-clause (f), line 3, between "State" and ";" *insert* "or Lok Sabha"; and

In sub-clause (i), line 7, *for* "one year" *substitute* "six months".

Mr. Deputy Speaker : Question is—

In sub-clause (f), line 3, between "State" and ";" *insert* "or Lok Sabha".

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

In sub-clause (i), line 7, *for* "one year" *substitute* "six months".

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 6, as reported by the Regional Committees, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSES 7 AND 8

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clauses 7 and 8, as reported by the Regional Committees, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 9

Chaudhri Dharam Singh Rathi (Samalka) : Sir, I beg to move—

In line 4, *for* "the" *substitute* "no";

Delete the proviso.

मेरी amendment का मनशा यह है कि जो co-opted Members हैं उनको right of vote नहीं होना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : इस point पर आगे ही काफी बहस हो चुकी है । (This point has already been sufficiently discussed.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : डिप्टी स्पीकर साहिब, आप Municipal Act या और भी किसी Act को उठाकर देख लें कहीं भी co-option का provision नहीं है । जहां कहीं co-option है भी तो वहां co-opted Members को इस किस्म के rights नहीं जोकि इस बिल में दिए जा रहे हैं । Clause 5 पर बोलते हुए भी मैंने बताया था कि खुद कांग्रेस ने अपनी Constitution में इस बात को amendment कर दिया है कि co-opted Members को right of vote नहीं दिया जाएगा । जो भी speeches राएपुर के इस कांग्रेस session में हुई और उनकी जो report अखबारों में निकली उससे साफ जाहिर होता है कि जो भी इनके मेम्बर बोले उन सब ने यही ख्याल ज़ाहिर किया कि co-option का तरीका गलत है, undemocratic है और किसी भी रास्ते या ढंग से सही नहीं है । उनकी भी यह राए थी कि अव्वल तो co-option होनी ही नहीं चाहिए और अगर हो भी तो co-opted Members को right of vote नहीं होनी चाहिए । इसलिए डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं आपकी मार्फत वजीर मोहतरिम से अर्ज़ करनी चाहता हूँ कि कम से कम अपनी पार्टी के विधान की ही बात मान लो और अगर आप किसी आदमी को चोर दरवाज़े से ले आते हो; उस रास्ते से ले आते हो जो जम्हूरी नहीं तो कम से कम इस बात का तो ख्याल रखो कि उसे right of vote न हो । और बात को तो मानो या न मानो

[चौधरी धर्म सिंह राठी]
इस चीज़ को तो मान लो क्योंकि यह तो आपकी अपनी ही जमायत के Constitution में अपनाया हुआ असूल है। यह असूल तो कांग्रेस ने अपने विधान में laydown किया है। अगर आप उसी असूल को flout करेंगे तो लोगों को कांग्रेस पर या आपकी हकूमत पर क्या एतबार रहेगा ? यह कितनी अजीब बात है कि जिस असूल को आप राएपुर के session में अपनाते हैं उसे असेम्बली में नहीं मानते। आखिर यह क्या मज़ाक है ? इसलिए मैं आपकी मार्फत treasury benches पर बैठने वाले मेम्बरान और मिनिस्टर साहिब से कहूँगा कि जिस असूल को आपने अभी पिछले दिनों अपने विधान में अपनाया है, अगर आप उसे सही मानते हैं तो उसे यहां पर भी क्यों नहीं लागू करते ?

श्री उपाध्यक्ष : इतनी बार कहने की क्या ज़रूरत है (Why so much repetition ?)

चौधरी धर्म सिंह राठी : क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं बार २ repeat करके कहूँगा तब भी जनाब इन पर असर नहीं होगा। वैसे तो यह मानने वाले नहीं लेकिन इस लिए बार बार कह रहा हूँ कि शायद इनके दिमाग में राएपुर वाली amendment ताज़ा हो और याद कराने पर मेरी बात को भी मान जाएँ। इन अलफाज़ के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि वजीर मोहतरिम मेरी amendment को मंजूर कर लेंगे।

Mr. Deputy Speaker : Motions moved--

In line 4, *for* "the" *substitute* "no";

ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਤਾ ਸਿੰਘ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੜੇ weaker section ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ladies ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਚੁਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ladies ਨੂੰ ਤੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ co opt ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਕੋਈ lady ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਰੀਜਨ elect ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ co opt ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ provision ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ safe guard ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ M.L.As. ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਵਿਚ vote ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ co-opt ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ladies ਨੂੰ ਉਥੇ vote ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਥੇ ਤਦ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ vote ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ amendment ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

In line 4, *for* "the" *substitute* "no".

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

Delete the proviso.

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 9, as reported by the Regional Committees, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 10

Chaudhari Dharam Singh Rathi (Sambhalka): Sir, I beg to move—

Delete sub-clauses (2) and (3).

डिप्टी स्पीकर साहिब, इस clause की जो sub-clauses (2) और (3) हैं उनका मनशा यह है कि अगर कोई मेम्बर oath न ले तो उसकी election set aside कर दी जाएगी। दूसरे यह कि अगर इस बिना पर कोई मेम्बर हटा दिया जाए तो वह दुबारा election के लिए खड़ा नहीं हो सकेगा। मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इन दोनों provisions का बुरी तरह से misuse होगा। जनाब, आप Municipal Act देख लें, उसके अन्दर यह तो दर्ज है कि मेम्बर oath लेगा लेकिन यह provision कहीं पर नहीं है कि जो oath लेने से इन्नकार करेगा वह disqualify हो जाएगा। दूसरे मुझे अन्देशा यह है कि चूंकि जो election कराने वाले होंगे और oath दिलाने वाले होंगे वह मुलाज़िम होंगे वह ज़रूर Chief Minister साहिब के इशारे पर चलेंगे। आजकल पंजाब के मुलाज़मों से हम यह expect कर नहीं सकते कि freely, judiciously और इन्साफ से काम करेंगे। यह उम्मीद नहीं की जा सकती बल्कि उनसे यह उम्मीद हो सकती है कि अगर किसी मेम्बर को हटवाना हो; पंजाब के मिनिस्टर या चीफ़ मिनिस्टर अगर किसी मेम्बर से नाराज हों और उसे disqualify कराना चाहते हों तो वह लिख देंगे कि इसने oath नहीं ली। अगर यह clause पास हो गई तो political तौर पर इसका misuse होगा। बहुत से आदमियों को इसी बिना पर report करके उन्हें election से disqualify कर दिया जाएगा। जनाब, यह तो इस House के सभी मेम्बर साहिबान को पता है कि अफसरान से किस तरीके से क्या २ काम करवाए जाते हैं। आज किस की मजाल है कि वह चीफ मिनिस्टर साहिब के कहे को टाल सके। वही तो आज गवनमेंट हैं। यह जो कहेंगे उन्हें वही करना पड़ेगा। इसलिए मुलाज़मों के अन्दर तो अपनी कोई जान नहीं (*Interruptions*) जनाब, मैं वजूहात बता रहा हूँ कि किन २ वजूहात की बिन पर इसा clause का misuse होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि oath की बिना पर किसी को disqualify नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि पंजाब के अन्दर अफसरों से नाजायज़ तौर पर काम लिये जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह relevant नहीं है। (It is not relevant)

चौधरी धर्म सिंह राठी: मैं यह बता रहा हूँ कि oath के provision को किस तरह से misuse कराया जाएगा ।

Mr. Deputy Speeker : Motion moved —

Delete sub-clauses (2) & 3

Mr. Deputy Speaker : The House stands adjourned tile 2 p. m. tomorrow.

The Sabha then adjourned till 2 p.m. on Tuesday, the 8th November, 1960.

11486 PVS—350—28-3-61 —C.P&S. b. Chandigarh.

ANNEXURE

(*See* foot-note at page (6)38 of this debate, dated the 7th November, 1960.)

CONSTRUCTION OF BUND ON JUMNA RIVER IN TEHSIL PANIPAT

3046. Chaudhri Dharam Singh Rathi : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the total expenditure incurred on the construction of the bund on Jumna River at village Bilaspur, tehsil Panipal, district Karnal, and the names of the villages benefitted by the said bund :

(b) whether any complaints about the construction of the said bund have been received by Government; if so, the details thereof ?

Rao Birendar Singh : (a) Rs. 15,000/-. Most of the lands of villages Bilaspur, Hathwala, Ferozepur and Bakshera have been saved from the onslaught of River Jumna.

(b) No.

NAZOOL LAND IN THE STATE.

3052. Chaudhri Dasondha Singh : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the total area in acres of urban and rural Nazool Land separately, district-wise, in the State ;

(b) the area of the land referred to in part (a) above given to Harijans together with their names and addresses ;

(c) whether after giving the nazool lands referred to in part (b) above, any area is still left unallotted; if so, the reasons therefor ?

Giani Kartar Singh : The information is contained in the enclosed statement. Regarding the names of Harijans, etc., the labour involved in collecting and compiling the information asked for would not be commensurate with any possible benefit to be obtained from the reply.

STATEMENT

Serial No.	(a) Name of the district	Area of Nazool land in acres. Rural	Urban	(b) Area in acres given to the Harijans.	(c) Reasons for not giving the rest of the area to Harijans.
1.	Ludhiana	282 44	21.11	5.42	No Harijan tenants were forthcoming to take these lands.
2.	Amritsar	83.13	2.3	Nil	Vigorous efforts are being made to allot the area to Harijans.
3.	Hoshiarpur	130.00	Nil	Nil	Land has been leased for 1960-61 to the highest bidders.
4,	Kapurthala	Nil	Nil	Nil	Harijans do not come forward to take this land.
5.	Gurgaon	511.00	Nil	Nil	Vigorous efforts are being made to form co-operative societies of Harijans.
6.	Jullundur	117.00	9	Nil	No Harijan applied for this land.
7.	Ambala	1,134.00	Nil	112	Out of the rest of the land 55 acres are with the Forest Department and 11 acres are under mortgage. Remaining area will be allotted when applications of Harijans are received.
8.	Kangra	482	426	Nil	No Harijan has applied for the land.
9.	Ferozepur	2,082.98	1.30	1,395.51	Most of the un allotted area is situated on other side of the river Sutlej where no Co-operative societies have been formed by the Harijans.
10.	Lahaul and Spiti	587	Nil	Nil	Fifty-four acres only are cultivable and are leased out on yearly basis.
11.	Simla	656	Nil	77	No application was received for allotment of the remaining area.
12.	Gurdaspur	5,572	586	Nil	Most of the land is un culturable-
13.	Hissar	1,014	36	219	Necessary action to give the remaining area is being taken.

14.	Rohtak	6,932	6	2,911	Most of the remaining area is under rajbahas.
15.	Patiala	9,974	88	10,062	..
16.	Bhatinda	2,711	Nil	2,711	..
17.	Sangrur	9,864	424	9,459	Vigorous efforts are being made to allot the remaining area also.
18.	Mahendargarh	1,696	42	1,738	..
19.	Karnal	595	10	157	Vigorous efforts are being made to allot this area also.

ARRESTS OF AKALIS AT PATIALA ON 21st September, 1960

3056. Sardar Atma Singh : Will the Chief Minister be pleased to state the names of Akalis arrested on 21st September, 1960, in front of the Gurdwara Dukhniwaran at Patiala and the provisions of the law under which they were arrested ?

Sardar Partap Singh Kairon : The following Akalis were arrested on 21st September, 1960 in front of Gurdwara Dukhniwaran, Patiala, under section 188, I.P.C. :—

(1) Harbhajan Singh son of Surat Singh, resident of V. Bhulran, Police Station Tarn Taran

(2) Surrinder Singh, Son of Ravel Singh, of Patiala.

(3) Tirlok Singh, son of Piara Singh, of Sanaur, district Patiala.

(4) Nirmal Singh, son of Sobha Singh, of Patiala.

(5) Manjit Singh, son of Rattan Singh, of Patiala.

(6) Jagdish Singh, son of Harsewak Singh, of Patiala.

———

GURDWARA ELECTION TRIBUNAL

3057. Sardar Atma Singh : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the names of the members of the three-man Gurdwara Election Tribunal appointed by Government together with the criterion kept in view while making these appointments ;

(b) the emoluments of the members of the said Tribunal;

(c) the names of the members of the Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee against whom election petitions have been filed in the said Tribunal ;

(d) whether the said Tribunal visited Dharamsala Sub-Jail; if so, when,for what purpose and the total amount of T.A. and D,A. drawn by each member of the Tribunal for this visit ?

Sardar Partap Singh Kairon :

(a) First part ...... S. Gurdit Singh Aulakh, Advocate, Amritsar, President ;

S. Inderjit Singh, Advocate, Amritsar } Members
S, Basant Singh Gill, Advocate, Amritsar }

Second part .... Should be an Advocate of the High Court of 10 years or more standing.

(b) The President receives Rs 50.00 and the two Members Rs 30.00 each as sitting fee per day.

(c) A list is attached.

(d) First part .... Yes. On the 10th and 13th September, 1960.
Second part .. To examine Master Tara Singh, respondent in the election petition No. 27 of 1960. No T.A. or D.A. has so far been drawn by the President and the Members of the Enquiry Board.

LIST OF NAMES OF THE MEMBERS OF THE SHIROMANI GURDWARA PARBANDHAK COMMITTEE AGAINST WHOM ELECTION PETITIONS HAVE BEEN FILED

Serial No	Name of Members	Serial No	Name of Members
1	S. Mukand Singh	25	S. Raghbir Singh
2	S. Pritam Singh	26	S. Zora Singh
3	S. Harcharn Singh	27	Shrimati Jagdish Kaur
4	S. Sucha Singh	28	1. S. Ajit Singh 2. S. Thakar Singh
5	S. Gurbakhash Singh	29	S. Pritam Singh
6	S. Lachhman Singh	30	S. Jaggat Singh
7	S. Jiwan Singh	31	1. S. Ajit Singh 2. S. Partap Singh
8	S. Mohan Singh	32	1. S. Mukand Singh 2. S. Mukhtiar Singh
9	S. Tara Singh (Master)	33	S. Bhagwan Singh
10	S. Harnam Singh	34	S. Rajinder Singh
11	S. Prem Singh Lalpura	35	S. Pritam Singh
12	1. S. Naranjan Singh 2. S. Sulakhan Singh		
13	1. S. Harcharan Singh 2. S. Chanan Singh		
14	S. Harbans Singh		
15	S. Kartar Singh		
16	1. S. Kehar Singh 2. S. Tara Singh		
17	S. Surat Singh		
18	1. S. Kala Singh 2. S. Khazan Singh		
19	S. Kishan Singh		
20	S. Narinder Singh		
21	S. Iqbal Singh		
22	S. Harcharan Singh		
23	S. Pritam Singh		
24	1. S. Karam Singh 2. S. Sadhu Singh, Vil. Khajala		

ARRESTS OF AKALIS AT PATIALA ON 23RD SEPTEMBER, 1960, 24TH SEPTEMBER, 1960 AND 25TH SEPTEMBER, 1960

2058. Sardar Atma Singh : Will the Chief Minister be pleased to state whether any Akalis were arrested on 23rd September, 1960, 24th September, 1960, 25th September, 1960 at Patiala while returning from Gurdwara Dukhniwaran; if so, the reasons therefor and the number arrested ?

Sardar Partap Singh Kairon : No Akali was arrested while returning from Gurdwara Dukhniwaran, Patiala, on 3rd September, 1960 and 25th September, 1960. However, 9 persons on 23rd September, 1960, 5 on 24th September,1960 and 6 on 25th December 1960 were arrested in front of Gurdwara Dukhniwaran, Patiala, as they defied the ban under Section 144 Criminal Procedure Code.

BUILDING FOR GOVERNMENT GIRLS HIGH SCHOOL, JAITU, DISTRICT BHATINDA

3060. Sardar Atma Singh : Will the Minister for Education be pleased to state —

(a) whether it is a fact that there is not regular building for the Government Girls High School, Jaitu, district Bhatinda; if so, the place where the classes are held and since when ;

(b) whether there is any proposal under the consideration of Government for the construction of new building for the said school; if so, when ;

(c) whether any amount has been earmarked for the said school building ; if so, how much ?

Shri Amar Nath Vidyalankar :

(a) Yes. The classes are being held in the P.W.D. Rest House, Jaitu, district Bhatinda, since the 28th September, 1960.

(b) The matter is receiving attention.

11486 PVS—350—22-5-61—C.P. & S,. Pb. Chandigarh.

ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ
ਮਿਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਭਾਲ ਸਮਾਂ

'A', 'B' or 'C' proceedings in which the file was recorded and its retention period

ਕੀ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟ ਸਾਖਾ
ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨੋਟ ਬੁੱਕ
ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਜਾਂ ਨਹੀਂ

whether note regarding case has been kept in the Branch/Sectional Note Book or not

ਸਬੰਧਤ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ
Initials of the concerned Assistant

ਰਿਕਾਰਡਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ
Initials of the Recorder

ਪਿਛਲੇ ਹਵਾਲੇ Previous References	ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ Later References